



NIEPA DC



D00409

अनुसूचित जातियों

और

अनुसूचित जनजातियों

के

आयुक्त

की

रिपोर्ट

1978-79

(छब्बीसवीं रिपोर्ट)

भाग-1

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्यालय

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अपेक्षित है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान में दिए गए सुरक्षणों के कार्य-चालन पर वर्ष 1978-79 को मेरी रिपोर्ट (छब्बीसवीं रिपोर्ट) सादर प्रस्तुत हैं

24 नवम्बर, 1976 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्य-भार संभालने के ब्बाद से यह मेरी तीसरी रिपोर्ट है।

नई दिल्ली

31 मार्च, 1980

राष्ट्रपति को


(गृह मंत्री के माध्यम से)



शिशिर कुमार

आयुक्त

54
207.7
COM. R



Michigan State Library
Department of Administration
Lansing, Michigan
48906

विषय—सूची

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--|--|--------------|
| 1. प्रारम्भिक और सामान्य समीक्षा | | |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार | 2 |
| | अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार के मामलों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के संबंध में संघ सरकार की शक्तियाँ | 3 |
| | लोक सभा और राज्य विधान सभों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण | 6 |
| | शैक्षिक विकास | 6 |
| | अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों में श्रमिकों के विभिन्न वर्ग | 9 |
| | अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास के कार्यक्रम | 9 |
| | भूमि, वन तथा अन्य संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व | 10 |
| | वन और आदिवासी | 10 |
| | आदिवासी विकास परियोजनाएं | 11 |
| | स्थानान्तरी कृषि (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) | 12 |
| | पूर्वोत्तर भारत की स्थिति | 13 |
| | सेवाओं में आरक्षण | 13 |
| | कार्यकारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना | 14 |
| | अनुबंध I—1971 की जणगणना के अनुसार राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खेतिहर तथा कृषि श्रमिकों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वृत्तश्रमिकों की प्रतिशतता बताने वाला विवरण | 15 |
| 2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं की व्यवस्था | | |
| | संरक्षक सुरक्षण | 17 |
| | राजनैतिक सुरक्षण | 17 |
| | विक्रमसात्मक सुरक्षण | 17 |
| | अन्य पिछड़े वर्ग | 17 |
| | अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त का संगठन | 17 |
| | अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन | 17 |
| | आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन विस्तार के लिए प्रस्ताव | 18 |
| | अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आयोग की नियुक्ति | 18 |
| | अस्पृश्यता उन्मूलन | 18 |
| | संसद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम विषयक वार्षिक रिपोर्ट | 19 |
| | कानूनी सहायता सहित समुचित सुविधाएं | 19 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए अभियोजनों की देखरेख करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति | 19 |
| | विशेष न्यायालयों की स्थापना | 20 |
| | समितियों की स्थापना | 20 |
| | आवधि सर्वेक्षण | 20 |
| | अस्पृश्यताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान | 21 |
| | संक्षिप्त विचारण | 21 |
| | सामूहिक जमाना | 21 |
| | केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति | 21 |
| | बंधुआ मजदूरी | 21 |
| | आयुक्त के संगठन की बंधुआ मजदूरों की पहचान करने में मार्ग प्रशस्तकारी भूमिका | 22 |
| | बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण | 25 |
| | मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास | 27 |
| | बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1978-79 | 28 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| | अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन, सेवा शर्तें और विभिन्न उपबंध) अधिनियम, 1979 | 29 |
| | अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अधीन संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | 30 |
| | लोकसभा तथा राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | 30 |
| | लोकसभा | 30 |
| | राज्य सभा | 30 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व | 30 |
| | विधान सभाएं | 30 |
| | सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेम्बली | 31 |
| | विधान परिषदें | 31 |
| | चुनावों के समय अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का अभिवादन तथा प्रपीड़न | 31 |
| | चुनाव में मतदाताओं पर अनुसूचित प्रभाव डालने अथवा छद्म रूपण के लिए दण्ड की व्यवस्था | 32 |
| | लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ाना | 33 |
| | संविधान (पैतालिसवां संशोधन) विधेयक 1980 | 34 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियां | 34 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 | 34 |
| | कुछ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विषय में क्षेत्र के प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में अभिवेदन | 35 |
| | समानार्थ, ध्वन्यात्मक विभिन्नताओं, उपजातियों तथा उप जनजातियों की सूचियां | 35 |
| | शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण | 36 |
| | अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र | 36 |
| | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट | 37 |
| | आदिवासी सलाहकार परिषदें | 38 |
| | आदिवासी क्षेत्र | 39 |
| | मिजोरम में ग्राम परिषदों की फिर से स्थापना | 39 |
| | त्रिपुरा में स्वशासी जिला परिषद का गठन | 39 |
| | जनसांख्यिकी स्वरूप में परिवर्तन | 40 |
| | जिला परिषद की शक्तियां | 40 |
| | ग्राम परिषदों की शक्तियां | 40 |
| | असम तथा मणिपुर की विधान सभाओं की समितियां तथा नागालैंड के लिए विशेष उपबंध | 40 |
| | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान | 40 |
| | आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर | 41 |
| | आंग्ल-भारतीय (एंग्लो-इंडियन) | 41 |
| | आंग्ल-भारतियों का प्रतिनिधित्व | 42 |
| | लोक सभा | 42 |
| | विधान सभाएं | 42 |
| | प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नामांकन | 43 |
| | सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण | 43 |
| | अन्य पिछड़े वर्ग | 45 |
| 3. | सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | |
| | प्रस्तावना | 46 |
| | आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास— | 46 |
| | (क) स्वतंत्रता पूर्व | 46 |
| | (ख) स्वतंत्रता-प्राप्ति उपरान्त | 46 |
| | आरक्षण संबंधी नीति के विकास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन का योगदान | 46 |
| | पुष्टिकरण (कॉमिशन) | 47 |
| | प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण | 47 |
| | पदोन्नति | 47 |
| | रोजगार कार्यालय | 47 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | विशेष तंत्र तथा संपर्क अधिकारी | 48 |
| | प्रशिक्षण | 48 |
| | कार्य प्रभारित स्थापनाएं (वर्कचाजर्ड एस्टेब्लिशमेंट) | 48 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्तरों में ढील देना | 48 |
| | छुट तथा अपवर्जन | 48 |
| | रोजगार के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने की प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्वीकार करना | 49 |
| | शिक्षुता प्रशिक्षण | 49 |
| | कानूनी/स्वायत्त तिकाय | 49 |
| | ऊपरी आयु सीमा में ढील | 49 |
| | फीस में रियायत | 49 |
| | सशस्त्र सेनाएं | 49 |
| | समितियों की नियुक्ति | 50 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण का विनिमय | 50 |
| | अनारक्षण | 51 |
| | विभागीय पदोन्नति समितियां/चयन मण्डल | 52 |
| | राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामांकन | 52 |
| | अधिभ्रमण | 52 |
| | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 53 |
| | सेवाओं का प्रारम्भिक गठन | 53 |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा | 53 |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उम्मीदवार की नियुक्ति | 53 |
| | पृथक साक्षात्कार | 54 |
| | अनुभव कसौटी | 54 |
| | उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय | 54 |
| | आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारों | 54 |
| | आरक्षण की प्रतिशतताओं में वृद्धि | 55 |
| | आवेदनों का अग्रप्रेषण | 55 |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से शिकायतें सीधे ही ग्रहण करने तथा मामलों की जांच करने की आयुक्त की शक्ति | 55 |
| | भर्ती नियम | 56 |
| | सेवा सुरक्षाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन | 56 |
| | विश्वविद्यालय की सेवाएं | 56 |
| | भर्ती वर्ष अकेली रिक्ति की तुलना में | 57 |
| | विशेष भर्ती अभियान | 57 |
| | झाड़ूकशों तथा फरेशों के लिए पदोन्नति के मार्ग | 57 |
| | श्रमिक/व्यवसाय संघों द्वारा आरक्षण का विरोध | 57 |
| | सार्वजनिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकृत बैंक | 58 |
| | आरक्षण देने के लिए विधायन | 58 |
| | स्वैच्छिक अभिकरण | 58 |
| | सीधी भर्ती घटक पर निर्बन्धन | 58 |
| | मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टें | 59 |
| | अन्तारक्षित कोटा में योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की गणना | 59 |
| | सामान्य पूल आवास में आरक्षण | 59 |
| | विदेशों में नियुक्ति | 59 |
| | पदोन्नति के लिए चयनसूची तैयार करते समय किन रिक्तियों का हिसाब लगाया जाना चाहिए | 60 |
| | आरक्षण के प्रयोजन के लिए झाड़ूकशों को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समूहित न किया जाना | 60 |
| | प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था | 60 |
| | सामान्य प्रशासनिक निरीक्षण | |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|-----------------|---|--------------|
| | अखिल भारतीय सेवाओं की परिक्षा की नई स्कीम | 60 |
| | बन्ध पत्र (बांड) भरना तथा जमानत देना | 60 |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें | 61 |
| | आरक्षण कोटे के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों में संबंधित मामलों पर कानूनी राय/अदालतों के फैसले | 61 |
| | संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (4) में किए गए उपबन्ध का निर्वचन | 61 |
| | राज्य सेवाओं में भर्ती के बारे में राज्य सरकारों को निदेश देन की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां | 62 |
| | उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक आरक्षण किए जाने का प्रतिबन्ध | 62 |
| | पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय | 63 |
| | पदोन्नति के मामलों में शिथिलीकरण—न्यायालय के निर्णय | 66 |
| | वकाया मामले | 66 |
| | आकलनक्षेत्र -“क” तथा “ख” समूहों में चयन द्वारा पदोन्नति | 67 |
| | जोन बनाने की स्कीम—केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति | 67 |
| | भरी नहीं गई आरक्षित रिक्तियों को अश्रेणीत करना | 67 |
| | “क” समूह के भीतर चयन के तरीके से आरक्षण | 67 |
| | प्रारम्भ में स्थानीय/प्रादेशिक आधार पर फीडर-काडरों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले “ग” समूह और “घ” समूह के पदों में आरक्षण | 68 |
| | पदोन्नति के मामलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां सीधी भर्ती करना | 68 |
| | विशेष भर्ती अभियान | 68 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवासंधों को मान्यता देना | 68 |
| | यात्रा भत्ता और फीस की रियायत | 69 |
| | प्रतिनियुक्ति/स्वान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण | 69 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समयपूर्व सेवा निवृत्ति | 70 |
| | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायिक सेवाएं | 71 |
| | राज्य सरकार को सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व—सांख्यिकीय सूचना देते में राज्य सरकारों का असहयोग | 72 |
| | नजी क्षेत्र की स्थापनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण | 72 |
| | संवैधानिक/कानूनी निकाय | 73 |
| | तदर्थ पदोन्नतियां | 73 |
| | विशेष प्रकोष्ठ | 74 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम | 74 |
| | सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय सूचना | 75 |
| | (क) केन्द्रीय सरकार | 75 |
| | (ख) अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएं | 76 |
| | (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 76 |
| | (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 76 |
| | लोक सेवा आयोग— | |
| | (क) संघ लोक सेवा आयोग | 77 |
| | (ख) रेलवे सेवा आयोग | 77 |
| | (ग) राज्य सेवा आयोग | 77 |
| | परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण | 78 |
| | सेवा सुरक्षाओं के कार्याचलन का विशेष अध्ययन | 78 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी पुस्तिका | 80 |
| | गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की आरक्षण के विरुद्ध गतिविधियां | 80 |
| | सेवा मामलों में व्याय न मिलने के संबंधित शिकायतें | |
| 4. आर्थिक विकास | | |
| | केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें | 90 |
| | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 90 |
| | अस्वच्छ पेशा में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां | 90 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | लड़कियों के लिए होस्टल | 91 |
| | कोंचिंग और सम्बद्ध स्कीमें | 91 |
| | स्वैच्छक संगठनों को वित्तीय सहायता | 91 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र व्यवस्था | 91 |
| | अनुसूचित जातियों के लिए निगमों को वित्तीय सहायता | 91 |
| | राज्य क्षेत्र की स्कीमें— | |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर किया गया खर्च | 91 |
| | ठीक समय पर प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना | 91 |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों से वास्तव में उठाए जाने वाले लाभ | 92 |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बहुत ही पिछड़े वर्गों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से उठाए गए लाभ | 92 |
| | सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से अनुसूचित जातियों के लिए निधियों की मात्रा का निश्चरण | 92 |
| | आदिवासी उप-योजनाएं | 93 |
| | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं | 94 |
| | (1) आंध्र प्रदेश | 95 |
| | (2) असम | 96 |
| | (3) गुजरात | 96 |
| | (4) हरियाणा | 96 |
| | (5) कर्नाटक | 97 |
| | (6) केरल | 97 |
| | (7) महाराष्ट्र | 97 |
| | (8) मध्य प्रदेश | 97 |
| | (9) उड़ीसा | 98 |
| | (10) पंजाब | 99 |
| | (11) राजस्थान | 99 |
| | (12) उत्तर प्रदेश | 99 |
| | (13) पश्चिम बंगाल | 100 |
| | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 100 |
| | 26 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले खंडों को प्राथमिकता | 101 |
| | कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छक संगठनों की भूमिका | 102 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास निगम | 103 |
| | आन्ध्र प्रदेश गिरिजन सहकारी निगम लि०, विशाखापत्तनम | 103 |
| | असम मैदानी क्षेत्र जन-जाति विकास निगम लिमिटेड, दिसपुर | 103 |
| | असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, गोहाटी | 103 |
| | बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, पटना | 104 |
| | गुजरात आदिवासी विकास निगम, अहमदाबाद | 104 |
| | हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 105 |
| | कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा जन-जाति विकास निगम, बंगलौर | 105 |
| | केरल राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम, त्रिचुर | 105 |
| | मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी सहकारी विकास संघ, भीमाल | 106 |
| | उड़ीसा आदिवासी विकास सहकारी समिति लिमिटेड, भुवनेश्वर | 106 |
| | राजस्थान आदिवासी विकास निगम, उदयपुर | 106 |
| | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम, लखनऊ | 106 |
| | महाराष्ट्र राज्य में विकास निगम | 107 |
| | महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड, पुणे | 107 |
| | महात्मा कुले पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड | 108 |
| | हिमाचल प्रदेश के ग्राह्य घाटी के आनु उगाने वालों की समस्याएं | 109 |
| | अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास निगमों को केन्द्रीय सहायता | 110 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| | अस्वच्छ व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की निकृष्ट सामाजिक स्थिति | 110 |
| | मल को हटाने के लिए पहिएदार ठेलें | 111 |
| | सफाई सेवाओं के पारम्परिक अधिकार | 111 |
| | झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां | 112 |
| | झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए वित्तीय प्रावधान | 112 |
| | बैंकों द्वारा दी गई सहायता | 113 |
| | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता | 113 |
| | देना बैंक | 114 |
| | इंडियन ओवरसीज बैंक | 114 |
| | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 114 |
| | ग्रामीण बैंक | 114 |
| | लघु उद्योग आदि स्थापित करने के लिए सहायता] | 115 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का वितरण-एजेंसियों का आबंटन | 116 |
| | भारतीय तेल निगम | 117 |
| | भारतीय उर्वरक निगम | 117 |
| | रेल मंत्रालय | 117 |
| | परिवहन वाहनों के लिए बसों तथा राष्ट्रीय परमिटों का आबंटन | 118 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उचित दर की दुकानों का आबंटन | 118 |
| | हरियाणा | 118 |
| | जम्मू व कश्मीर | 118 |
| | मध्य प्रदेश | 118 |
| | महाराष्ट्र | 118 |
| | पंजाब | 118 |
| | राजस्थान | 119 |
| | अण्डमान और निकोबार | 119 |
| | दिल्ली में प्राइवेट व्यक्तियों को प्रशिक्षित पानी बेचने में लाइसेंस | 119 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कानूनी सहायता देना | 119 |
| | आंध्र प्रदेश | 119 |
| | बिहार | 119 |
| | गुजरात | 119 |
| | हरियाणा | 120 |
| | हिमाचल प्रदेश | 120 |
| | जम्मू व कश्मीर | 120 |
| | कर्नाटक | 120 |
| | केरल | 120 |
| | मध्य प्रदेश | 120 |
| | महाराष्ट्र | 120 |
| | उड़ीसा | 121 |
| | पंजाब | 121 |
| | राजस्थान | 121 |
| | तमिल नाडु | 121 |
| | उत्तर प्रदेश | 121 |
| | पश्चिम बंगाल | 122 |
| | गोवा, दमन और दीव | 122 |
| | दादरा तथा नगर हवेली | 122 |
| | पाण्डिचेरी | 122 |
| | अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन | 122 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 5. | भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम | |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिशेष भूमि आबंटन में तरजीह | 125 |
| | अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आबंटित अधिशेष भूमि | 125 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बंजर भूमि का आबंटन | 125 |
| | गुजरात | 125 |
| | मणिपुर | 126 |
| | उड़ीसा | 126 |
| | पंजाब | 126 |
| | उत्तर प्रदेश | 126 |
| | लक्षद्वीप | 126 |
| | त्रिपुरा | 126 |
| | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन लोगों को जिन्हें बंजर भूमि आबंटित की गई है प्रारम्भ में भू-राजस्व की रियायत | 126 |
| | भूदान जमीनों का आबंटन | 126 |
| | अधिशेष भूमि के आबंटितियों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था | 127 |
| | भूमि अभिलेख | 128 |
| | निर्धनों को संगठित करना | 128 |
| | धर्मा संचालन | 129 |
| | आदिवासी भूमियों का अन्तरण | 131 |
| | बिहार में आदिवासियों में अशान्ति— | |
| | 1. संचाल परगना | 132 |
| | संचाल परगना में अशान्ति के कारण | 133 |
| | संचाल परगना में भूमि अन्तरण-मामलों का अध्ययन] | 134 |
| | संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में संशोधन | 135 |
| | 2. छोटा नागपुर में भूमि अन्तरण | 135 |
| | सिंहभूम जिले में अशान्ति के कारण | 136 |
| | छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में संशोधन | 137 |
| | आदिवासियों की अन्तरित भूमि को वापस दिलाना | 138 |
| | कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देना | 139 |
| | भूमि संबंधी तनावों के कारण अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार | 139 |
| | बिहार में अत्याचारों के प्रति अपनी रक्षा करने के लिए अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण देना | 142 |
| | अनुसूचित जातियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष भूमि प्रकोष्ठ | 143 |
| | लघु कृषक और कृषि मजदूर विकास एजेंसियां | 144 |
| | एकीकृत ग्रामविकास | 145 |
| | आवास तथा आवास-स्थल— | |
| | अनुसूचित जाति के परिवारों का अलग बस्तियों में पृथकरण न होने देना | 145 |
| | राज्य आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों द्वारा मकानों का निर्माण | 146 |
| | सरकारी आवास के आबंटन में आरक्षण | 146 |
| | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन में कोटे का आरक्षण | 146 |
| | भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों का आबंटन | 147 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आवासीय कार्यक्रम | 147 |
| 6. | शैक्षिक विकास | |
| | पिछड़ा वर्ग क्षेत्र (सेक्टर) के अन्तर्गत व्यय | 148 |
| | दाखिला | 148 |
| | छठी योजना के दौरान सर्वसाविक (यूनिवर्सल) प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम | 149 |
| | छीजन एवं रूढ़ता | 149 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---------------|---|--------------|
| | अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 150 |
| | गैर औपचारिक शिक्षा | 150 |
| | राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम | 150 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्राथमिकता | 150 |
| | अनुसूचित जातियाँ | 150 |
| | अनुसूचित जनजातियाँ | 151 |
| | कार्यक्रम का कार्यान्वयन | 151 |
| | ग्राम विद्यालय | 151 |
| | पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास | 152 |
| | सीटों का उपयोग | 153 |
| | सहायता प्राप्त छात्रावासों के लिए सहायता अनुदान | 153 |
| | सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण | 154 |
| | कन्या छात्रावास | 154 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ | 155 |
| | व्यय | 155 |
| | मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संख्या तथा प्रमाणा | 155 |
| | स्कीम का सुव्यवस्थीकरण | 155 |
| | छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने की आवश्यकता | 156 |
| | पूर्णकालिक षोडशार में लगे छात्रों की छात्रवृत्तियाँ | 156 |
| | छात्रवृत्तियाँ देने के लिए एक ही माता-पिता अभिभावक के दो बच्चों सम्बन्धी प्रतिबंध को हटाना | 157 |
| | छात्रवृत्तियों का भुगतान करने में विलम्ब | 157 |
| | मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का जातिवार वितरण | 158 |
| | शुष्क शौचालयों की सफाई तथा चमड़ा उतारने का काम करने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ | 158 |
| | इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक वैक. | 159 |
| | मेट्रिक पूर्व वृत्तिकारण | 159 |
| | उन व्यक्तियों के बच्चों को मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देना जो शुष्क शौचालयों की सफाई तथा चमड़ा उतारने और कमाने के अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए हैं | 159 |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनधिमूर्ख, अज्ञानवर्धन व अर्ध-अज्ञानवर्धन वर्गियों को राष्ट्रीय समुद्रगार छात्रवृत्तियाँ | 160 |
| | विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश | 160 |
| | मेडिकल कालेज— | |
| | स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम | 160 |
| | मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का निष्पादन | 161 |
| | स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम | 161 |
| | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान | 162 |
| | स्नातक पाठ्यक्रम | 163 |
| | केन्द्रीय विद्यालय | 163 |
| 7. अस्पृश्यता | | |
| | अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 | 166 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 | 166 |
| | अस्पृश्यता का व्यापक प्रचलन-ट्रिजन सेवक संघ द्वारा किए गए सर्वेक्षण का परिणाम | 166 |
| | आन्ध्र प्रदेश | 167 |
| | गुजरात | 167 |
| | हिमाचल प्रदेश | 167 |
| | कर्नाटक | 168 |
| | केरल | 168 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | महाराष्ट्र | 168 |
| | मध्य प्रदेश | 168 |
| | उड़ीसा | 168 |
| | हरियाणा | 168 |
| | राजस्थान | 168 |
| | तमिल नाडु | 168 |
| | उत्तर प्रदेश | 168 |
| | मध्य प्रदेश में अस्पृश्यता | 169 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या | 171 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों का निपटारा | 172 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज हुए मामलों के प्रकार तथा उनकी राज्यवार और जिला-वार संख्या का विश्लेषण | 173 |
| | पीने के पानी के स्रोतों तक पहुँच | 173 |
| | चाय की दुकानों/रिस्तरों और दुकानों तक पहुँच | 174 |
| | धार्मिक स्थानों में जा सकना | 174 |
| | अस्पृश्यता के अन्य प्रकार | 174 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ | 175 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित किए गए विशेष तंत्र का कार्यचालन --- | |
| | हरिजन प्रकोष्ठ/विशेष पुलिस प्रकोष्ठ | 176 |
| | अस्पृश्यता मिटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य क्षम प्रशासनों द्वारा किए गए उपाय-- | |
| | असम | 176 |
| | गुजरात | 176 |
| | हिमाचल प्रदेश | 176 |
| | हरियाणा | 176 |
| | जम्मू व कश्मीर | 176 |
| | कर्नाटक | 176 |
| | केरल | 177 |
| | महाराष्ट्र | 177 |
| | उड़ीसा | 177 |
| | पंजाब | 177 |
| | तमिल नाडु | 177 |
| | चंडीगढ़ | 177 |
| | गोवा, दमन व दीव | 177 |
| | पांडिचेरी | 178 |
| | अन्तर्जातीय विवाह | 178 |
| | अन्ध्र प्रदेश | 178 |
| | बिहार | 178 |
| | गुजरात | 178 |
| | कर्नाटक | 178 |
| | केरल | 179 |
| | मध्य प्रदेश | 179 |
| | महाराष्ट्र | 179 |
| | पांडिचेरी | 179 |
| | तमिल नाडु | 179 |
| | त्रिपुरा | 179 |
| | गैर सरकारी एजेन्सियाँ | 180 |
| | हरिजन सेवक संघ | 180 |
| | भारतीय दलित वर्ग नीति | 181 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------|--|--------------|
| | हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज | 181 |
| | श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलाड़ी | 182 |
| | रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी | 182 |
| | नागालैंड गांधी आश्रम, चुचुधिमलंग (नागालैंड) | 182 |
| | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ | 182 |
| | रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची (बिहार) | 183 |
| | सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए किया गया कार्य | 183 |
| 8. आदिवासी विकास | | |
| | आदिवासी विकास के लिए नीति | 184 |
| | स्वधीनता के समय से आदिवासियों का विकास | 184 |
| | आदिवासी उपयोजना तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं— | |
| | पूरे किए गए वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य | 185 |
| | उपयोजना क्षेत्रों में छोटी योजना में वित्तीय निवेश | 185 |
| | आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में 1974-79 के दौरान भौतिक उपलब्धियां | 185 |
| | बिहार | 186 |
| | केरल | 186 |
| | उड़ीसा | 187 |
| | कर्नाटक | 187 |
| | उत्तर प्रदेश | 187 |
| | मध्य प्रदेश में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर के कार्यचालन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण | 187 |
| | आदिवासी विकास में केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका | 188 |
| | बिखरे हुए आदिवासी | 189 |
| | मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान आदिवासी विकास संबंधी कार्य दल का गठन | 189 |
| | पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित आदिवासी उपयोजनाओं से सम्बन्धित कार्य दल | 190 |
| | आदिम जातियों और उनकी समस्याएं | 190 |
| | आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई शाबकारी नीति | 191 |
| | आंध्र प्रदेश | 191 |
| | असम | 191 |
| | हिमाचल प्रदेश | 192 |
| | कर्नाटक | 192 |
| | उड़ीसा | 192 |
| | मध्य प्रदेश | 192 |
| | महाराष्ट्र | 192 |
| | मणिपुर | 192 |
| | त्रिपुरा | 192 |
| | पश्चिम बंगाल | 192 |
| | अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 192 |
| | वन | 192 |
| | वन और आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें | 193 |
| | लघु वन्य उत्पाद | 194 |
| | सामाजिक वन खंड | 194 |
| | बिहार राज्य वन विकास निगम | 194 |
| | उपयोजना क्षेत्रों में वनखंडों की स्कीमों के अंतर्गत पांचवीं योजना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां | 195 |
| | स्थानान्तरी खेती | 196 |
| | रेशम उत्पाद | 198 |
| | आदिवासी इलाकों में मिचाई | 200 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा दो अध्ययन दलों की बिहार के दौरे पर टिप्पणियां | 201 |
| | कृषि तथा मिचाई मंत्रालय के लघु मिचाई कार्यदल का गठन | 201 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------|--|--------------|
| | आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं | 202 |
| | शिक्षा | 202 |
| | स्वास्थ्य सेवाएं | 203 |
| | कुष्ठ नियंत्रण | 203 |
| | संचाल पहाड़िया सेवा मण्डल | 203 |
| | स्वास्थ्य शिक्षा कार्य | 203 |
| | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र | 203 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 204 |
| | पोषण | 204 |
| | पीने का पानी | 205 |
| | अवसंरचना संबंधी विकास | 205 |
| | आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास | 205 |
| | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर, मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण | 205 |
| | दूर-संचार व्यवस्था | 206 |
| | डाक सेवा | 206 |
| | ग्रामीण विद्युतीकरण | 206 |
| | आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण | 206 |
| | अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण | 207 |
| | रेलवे | 207 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं में अनुसंधान | 207 |
| | संस्थानों को सुदृढ़ बनाना | 208 |
| | केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद | 208 |
| | अनुसंधान शिक्षा वृत्तियों प्रदान करना | 209 |
| | मानिटोरिंग तथा मूल्यांकन | 209 |
| 9. अत्याचार तथा उत्पीड़न | | |
| | समस्या की घोरता | 211 |
| | केन्द्रीय/राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार | 211 |
| | अत्याचारों के कारण | 211 |
| | अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या | 211 |
| | अत्याचार की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा | 212 |
| | अत्याचार की घटनाओं का अपराधवार ब्यौरा | 213 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्यों में किए गए विशेष प्रबंध— | |
| | केन्द्र में किए गए विशेष प्रबंध | 214 |
| | अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों में विशेष प्रबंध | 215 |
| | आंध्र प्रदेश | 215 |
| | बिहार | 215 |
| | गुजरात | 215 |
| | हरियाणा | 215 |
| | हिमाचल प्रदेश | 215 |
| | जम्मू व कश्मीर | 216 |
| | कर्नाटक | 216 |
| | मध्य प्रदेश | 216 |
| | महाराष्ट्र | 216 |
| | उड़ीसा | 216 |
| | राजस्थान | 217 |
| | तमिलनाडु | 217 |
| | उत्तर प्रदेश | 217 |
| | पश्चिम बंगाल | 217 |
| | पांडिचेरी | 217 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए विशेष उपाय | 217 |
| | आंध्र प्रदेश | 217 |
| | बिहार | 217 |
| | गुजरात | 217 |
| | हरियाणा | 217 |
| | पंजाब | 218 |
| | उत्तर प्रदेश | 218 |
| | अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देना | 218 |
| | आंध्र प्रदेश | 218 |
| | बिहार | 218 |
| | गुजरात | 218 |
| | हिमाचल प्रदेश | 218 |
| | कर्नाटक | 218 |
| | मध्य प्रदेश | 219 |
| | महाराष्ट्र | 219 |
| | उड़ीसा | 219 |
| | पंजाब | 219 |
| | तमिल नाडु | 219 |
| | उत्तर प्रदेश | 219 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या | 219 |
| | जून, 1979 में आयुक्त का बिहार का दौरा | 220 |
| | महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में घटनाएं | 220 |
| | तमिलनाडु के दक्षिण आर्कोट जिला के विल्लपुरम में घटनाएं | 220 |
| | विल्लपुरम की घटनाओं के बारे में आयुक्त की टिप्पणी | 221 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा की गई जांचें | 221 |
| | उत्तर प्रदेश के भुजवर नगर में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाएं | 221 |
| | बिहार के जिला रांची को खुन्टी मध-डिवीजन में गोलीबारी की घटना | 222 |
| | अध्ययन दल के निष्कर्ष | 223 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के सुझाव | 224 |
| | केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय— | |
| | केन्द्रीय सरकार | 224 |
| | राज्य सरकारें | 224 |
| | पुलिस | 224 |
| | राजस्व विभाग | 225 |
| | श्रम विभाग | 225 |
| | न्यायपालिका | 226 |
| | अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों की मुआवजा | 226 |
| | सामाजिक-आर्थिक अध्ययन | 226 |
| | अत्याचारों और उत्पीड़न के अभिलेखक मामले | 226 |
| | हत्या | 226 |
| | हिंसा | 230 |
| | बलात्कार | 231 |
| | आगजनी | 232 |
| | अस्पृश्यता | 233 |
| | स्मि-विवाद | 233 |
| | आवास | 234 |
| | शिक्षा | 235 |
| | पुलिस अत्याचार | 235 |
| | विविध मामले | 236 |
| | रिपोर्ट में की गई विचारों | 237 |

प्रारम्भिक और सामान्य समीक्षा

नए दशक के प्रारम्भ पर यह उपयुक्त अवसर है कि तत्काल पीछे की उपलब्धियों, काम में न लाई गई अन्तःशक्तियों तथा आगे की प्रत्याशाओं के सम्बन्ध में समीक्षा की जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में "नियति के साथ मिलन" की बात कैसी रही?

1.2 समानता की ओर आधा रहित आगे बढ़ते कदम, आर्थिक व्यवहार्यता की ओर ऊपर उठती गतिशीलता तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा की ओर बढ़ती आश्वस्तकारी सामाजिक निकटता कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान का अर्थपूर्ण पुनर्मूल्यांकन करने में विश्वसनीय परिवर्तनशील घटक हो सकते हैं। नियत कार्यों और आदेशों के इतने सुस्पष्ट तौर पर घोषित होने तथा संविधान में इतने विशिष्ट रूप में अन्विष्ट आदेशों के उल्लेख होने पर यह जरूरी है कि इस दिशा में हमने जो प्रयत्न किए हैं उनका मूल्यांकन करते समय हमें इन सर्वसमावेशी प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि इन वर्गों के लोगों को श्रमिकों के साथ व्यवहार्य रूप में एकीकृत करने तथा उन्हें अन्य लोगों के स्तर तक लाने में हमें कहां तक सफलता मिली है। समाज में किंगी परिवर्तन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 32 वर्ष का समय कम नहीं होता परन्तु शताब्दियों के पापों का प्रायश्चित्त पूर्ण रूप से करने के लिए यह अवधि बहुत लम्बी भी नहीं मानी जा सकती। इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं, किन्तु सम्भवतया वे समस्या की गम्भीरता को देखते हुए काफी नहीं हैं। अतः जो परिणाम निकले हैं वे समय की तीव्र आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। तथा सामाजिक स्तर को बराबर करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

1.3 बहुत-सी विविधताओं के बीच एक राष्ट्रीयता का ताना-बाना तैयार करने की प्रक्रिया में शायद स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में इन समस्याओं के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाता तर्कसंगत था और वह भी उस अवस्था में जब कि कुछेक विविधताएं अनमेल थीं। उस दौरान हमारी विकास नीतियों में इस बात पर जोर दिया जाता था कि समष्टि रूप में क्या परिणाम निकला, इतना जोर वितरण के आशय पर नहीं। निस्संदेह राष्ट्र की महत्ता बढ़ती गई। इस प्रकार के आर्थिक विकास ने राजनैतिक व्यवस्था को पोषित करने में सहायता दी। राज्य व्यवस्था की स्थिरता ने उन प्रतिक्रियाओं की तीव्रता को कम करने का काम किया जो विकास की गति कभी बहुत तेज और कभी बहुत मन्द रहने से होने वाले उतार-चढ़ावों में हो सकती थी। परन्तु किसी राष्ट्र के जीवन में प्रायः ऐसा समय भी आता है जब किसी ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर यदि राष्ट्रीय दायित्व के उन पहलूओं को जिन पर अब तक कम या अपर्याप्त बल दिया गया था, आगे और अवहेलना की जाए तो इससे व्यवस्था के ढांचे को ही खतरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि हम उस चरण में पहुंच गए हैं जहां कमजोर वर्गों तथा साधन-विहीनों का अधिक अर्थपूर्ण और व्यवहार्य उत्थान राष्ट्र तथा इसकी राजनैतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त समझी जा सकती है। समय की चुनौतियों के प्रति अनुक्रिया अब तक उतनी पर्याप्त नहीं रही

है यद्यपि बाद के वर्षों में इन बात पर बल दिया गया है कि विकास सामाजिक न्याय के साथ हो।

1.4 राष्ट्र यथार्थरूप से सभी दिशाओं में उन्नति होने का दावा कर सकता है। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम उन्हें भूख, अपमानताओं तथा अत्यायों से छुटकारा दिलाने में सफल नहीं हो पाए हैं। संवैधानिक आश्वस्तियों, संरक्षणात्मक कानूनों तथा अनेक विकास कार्यक्रमों के बावजूद इन समुदायों के अधिकांश लोग अभी भी कंगाल हैं। अनुसूचित जातियों उत्पादक साधनों की मालिक नहीं हैं और वे अभी भी सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित रहती हैं। देश के अपेक्षाकृत अल्प-विकसित भागों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां हमारे कुछ कल्पनाशक्ति रहित कानूनों और विकास की स्कीमों के फलस्वरूप उत्पादक साधनों से धीरे-धीरे हाथ धोती जा रही हैं।

1.5 विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लम्बे डग भरे गए हैं। कृषि उत्पादनों में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा हमारी औद्योगिक क्षमता में विविधता आई है और उसका विस्तार हुआ है तथा इसके फलस्वरूप वैश्व, वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई है तथा रोजगार भी बढ़ा है और कृषिगत वर्गों के लोगों की आमदनी भी बेहतर हुई है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ अधिकतर समृद्ध लोगों को ही पहुंचा है। कमजोर वर्गों को, जिनमें अधिकांशतः अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सम्मिलित हैं, अभी तक ठोस लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। 1977-78 वर्ष के एक अनुमान के अनुसार दरिद्रता रेखा के नीचे रह रहे 29 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ लोग दरिद्रता-रेखा के 75 प्रतिशत से नीचे थे और इनमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे।

1.6 इस स्थिति के अवलोकन से यह सुस्पष्ट तथ्य सामने आता है कि अधिक उत्पादन करने से ही गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर खाद्य उत्पादन के सुधरे हुए तरीकों के प्रसार के साथ-साथ काश्तकारी के अधिकारों के स्वामित्व के सम्बन्ध में भी संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन होने चाहिए। बीनवीं शताब्दी अब लगभग समाप्त होने जा रही है, केवल दो दशक बाकी हैं और लक्ष्य अभी भी हमसे बहुत दूर है। यह धिक्कारणीय है कि क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि बीनवीं शताब्दी के बाकी के दो दशकों के दौरान हमारी नीतियां इक्कीसवीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर बनाई जाएं। पिछली नीतियों के ठोस लाभों तथा पता लगाई गई कमियों के परिणामों की पूरी तरह से और अर्थपूर्ण ढंग से की गई समीक्षा से हम ऐसी हितकारी नीति तैयार कर सकते हैं जिसके संचालन से एक लक्षित अवधि में आज के कमजोर वर्गों के हाथ में राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक बड़ा भाग आ सकता है जिससे कि इस शताब्दी के अंत तक राष्ट्र इस बात का वास्तविक रूप से दावा कर सकेगा कि इन समुदायों का बाकी लोगों के साथ पूरी तरह एकीकरण हो गया है और उन्हें उनके बराबर ले आया गया है। संक्षेप में, लक्ष्य यह होता चाहिए कि इन महत्वपूर्ण दो दशकों के दौरान सामाजिक तथा

आर्थिक क्षेत्र की इन असमानताओं को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। विकास की प्राथमिकताओं को आरोही क्रम में तैयार करना होगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के अपेक्षाकृत निचले स्तर के लोगों पर जिनमें हमारी अधिकांश जनता आती है, जोर देना होगा। यह थोड़े भिन्न प्रकार का अन्वयोदय हो सकता है क्योंकि द्रुतगति से विकास के लिए यह एक सम्पूर्ण वर्ग पर बल देना न कि घटनात्मक आधार पर किसी व्यक्ति विशेष पर। ऐसी किसी भी स्कीम को पर्याप्त रोजगार गारन्टी तथा प्रभावशाली कार्यक्रमों और उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के साधनों के स्वामित्व को सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रभावशाली नई दिशा दी जाए तथा उसके कार्यान्वयन के लिए समर्पित नया उस्ताह हो तथा वितरणात्मक न्याय पर नए सिरे से बल डाला जाए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1.7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के सुरक्षण के लिए संरक्षणत्मक कानून बना देने से ही वांछित परिणाम नहीं मिल जायेंगे। हमारे विकास के वर्तमान चरण में समाज के स्थायी कार्यालय के लिए यह आवश्यक है कि अधिकाधिक वर्गों का सक्रिय सहयोग मिले और वे इस कार्य में स्वयं को शामिल करें। जो विश्वास और पूर्वाग्रह युगों पुराने हैं और जो संविधान की ध्वजस्थाओं और सम्पन्न जगत के आचार के प्रतिकूल हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि रचनात्मक ढंग से लोगों को संघटित करके तथा उन्हें उत्साहित करके घिसे-पिटे पूर्वाग्रहों को बदलने हेतु वातावरण बनाया जाए जिससे सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की गति तेज हो सके।

1.8 अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं में इधर हाल में स्पष्टतः काफी वृद्धि हुई है जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ कमजोर वर्गों को चुनावों में मतदान के अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करने में भी शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी हैं। देश के किसी भाग से जब कभी अत्याचार की किसी घटना की रिपोर्ट मिलती है तो काफ़ी शोर-गुल सुनने को मिलता है और राज्य की नीचे जिला स्तर तक की मशीनरी घटनाओं की जांच प्रारम्भ कर देती है तथा कुछ मामले रजिस्टर भी किए जाते हैं। लेकिन सामाजिक-आर्थिक तनाव के आधारतत्त्वों पर प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए शायद ही कभी मूल कारणों का समुचित विश्लेषण किया गया हो। वर्ष 1976, 1977 और 1978 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के क्रमशः 6,197, 10,879 और 15,053 मामलों की रिपोर्टें की गईं। एक अपूर्ण सूचना के अनुसार सन् 1979 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के 13,426 मामलों की रिपोर्टें हुईं। यह संख्या, यदि अधिक नहीं हुई, तो शायद 1978 की संख्या के बराबर ही जाए। जहाँ तक अनुसूचित जन जातियों पर किए गए अत्याचारों का सम्बन्ध है, 1976, 1977 और 1978 में क्रमशः 1065, 1138 और 1632 मामलों की रिपोर्टें की गई थीं। सन् 1978 में अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सबसे अधिक मामलों की रिपोर्टें मिली थी जिनकी संख्या आरोही क्रम में इस प्रकार थी—उत्तर प्रदेश से (5,660), मध्य प्रदेश से (3,240), बिहार से (1,911), महाराष्ट्र से (1,046), राजस्थान से (886), कर्नाटक से (767), गुजरात से (540) आदि-आदि। इन अपराधों में से कुछ का विश्लेषण करने से

यह पता चलता है कि ये अपराध मुख्यतः सीधे तौर पर भूमि सम्बन्धी तनाव के परिणामस्वरूप हैं जिनके सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई न करने के कारण ये भयानक द्विजात्मक घटनाओं का रूप धारण कर लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अप्रभावी ढंग से लागू करने, ग्रामीण कर्जदारी, दम्पुओं मजदूरों की प्रथा तथा सामाजिक असमर्थताओं और अनुसूचित जाति के दुष्कर्म मजदूरों के काम के अन्य अनुकूल स्थानों पर न जाने के फलस्वरूप भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अक्सर सम्पन्न किसान जो भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, राजस्व-विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों का तथा राजनीतिज्ञों का भी समर्थन प्राप्त करने में सफल होते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आसानी से संघर्षोन्मुख क्षेत्र के रूप में पहचाना जा सकता है और यह अनुमान लगाया गलत न होगा कि ये घटनाएं राजस्व, पुलिस और विकास विभागों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों के सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई करने में इनकी असफलता को प्रदर्शित करती हैं। आवश्यक संकल्प और उस्ताह के साथ सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वित न होने से स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। अधिकांश दुष्कर्म-मजदूर और बटाईदार-किसान, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा निम्न श्रेणी की अन्य जातियों के होते हैं और उनके द्वारा अपने अधिकारों की दृढ़तापूर्वक जताने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों में तीव्र विद्वेष पैदा हो जाता है। अतः पहले की रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें राजस्व और पुलिस प्राधिकारियों को यह निदेश दें कि वे संघर्षोन्मुख क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की समस्याओं का समाधान समन्वित ढंग से करें जिससे कि जान-माल की क्षति को बचाया जा सके। केवल कुछ ही राज्यों ने जैसे गुजरात ने, राजस्व एवं पुलिस दल गठित करके इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। ये दल ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और झगड़ों को निपटाएंगे। केन्द्रीय सरकार को भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करनी है, वह इस मामले में अकर्मण्य दर्शन बनकर नहीं रह सकती। राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उत्पीड़न तथा उन पर होने वाले अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विभिन्न स्तरों पर पुलिस प्रकोष्ठ बनाए हैं। यह समस्या काफी हद तक सुलझाई जा सकती है अगर पुलिस अपने को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित न रखे, बल्कि वह अन्य विभागों के साथ मिलकर, संघर्ष निवारण के सक्रिय एजेंट के रूप में, समाज के कमजोर वर्गों पर भुगती जानेवाली सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करें। पुलिस आसूचना के स्थान पर सामाजिक आसूचना की आवश्यकता है क्योंकि पुलिस आसूचना ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही सामाजिक तथा भूमि सुधार सम्बन्धी अशांति के विषय में शक्तिहीन तथा दृष्टिपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है न्यायालयों द्वारा अत्याचार के मामलों का शीघ्र निपटान। इन मामलों के निपटान में बहुत ज्यादा विलम्ब होने से, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों में न्याय-पद्धति के प्रति विश्वास घटना है, जमानत पर छूटने पर ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों का दुस्साहस बढ़ता है, शिकायत करने वालों का मनोबल गिरता है तथा भवाही पर बराबर दबाव पड़ने लगते हैं। इस प्रकार प्रभावित गांवों में तनाव कम नहीं हो पाता, बना ही रहता है। कभी-कभी ये मामले कई वर्षों तक चलते रहते हैं। अतः पहले की रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था चलनी-फिरती यंत्रों के साथ विशेष

न्यायालय गठित किए जाएं। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार अत्याचार सम्बन्धी मामलों के निपटान के लिए ऐसे विशेष न्यायालयों के गठन के लिए उच्च न्यायालयों को राजी करालेंगी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में गत समय की अत्याचार की घटनाओं के कुछ मामलों के गंभीर अध्ययन से उन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का पता चलेगा जिनका समाधान नहीं हो पाया है और जो विद्यमान हैं। इन अध्ययनों का काम विस्तृत विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ दलों को सौंपा जाना चाहिए जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक उपायों के क्रियान्वयन की शक्तियों का ठीक-ठीक पता लगाएं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार के मामलों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के सम्बन्ध में संघ सरकार की शक्तियाँ

1.9 वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सामाजिक-आर्थिक कारणों से होने वाले अत्याचारों के मामलों को राजा-सूची में निश्चित कानून और व्यवस्था के माध्यम से उल्लंघन का मामला नहीं माना जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया था कि प्रभुत्व और शक्ति के मामलों में केन्द्र की सर्वोपरी जिम्मेदारी है जिनकी यह उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 46 में आए "राज्य" शब्द का तात्पर्य सम्पूर्ण राष्ट्र से है न कि अंगभूत इकाइयों है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप करना बाध्यकार भी प्रतीत होता है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस तरह के हस्तक्षेप की प्रणाली तय की जा सकती है। इस प्रश्न पर पुनः बड़ी माध्यामी से विचार किया गया है। राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों के मामलों में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई करने के लिए संविधान के अन्तर्गत संघ सरकार के पास किस सीमा तक कार्यकारी शक्तियाँ हैं यह जानने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करना आवश्यक है।

1.10 संविधान का अनुच्छेद 46, संघ तथा राज्यों पर समान रूप से "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सामाजिक अत्याचार तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण" का आदेशात्मक दायित्व डालता है। इस अनुच्छेद में 'राज्य' शब्द का तात्पर्य राज्य सरकार ही नहीं है बल्कि उसमें संघ सरकार भी साथ-साथ शामिल है जैसा कि अनुच्छेद 36 के संदर्भ से स्पष्ट है। यह सत्य है कि अनुच्छेद 46 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' सम्बन्धी अध्याय में अपना स्थान रखता है अतः न्यायालयों द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन उसमें जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे देश के प्रशासन में अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्टतः मौलिक घोषित किए गए हैं यह नहीं कहा जा सकता कि निदेशक तत्व वाद-योग्य न होने के कारण एक "पवित्र इच्छा" मात्र हैं या "अनावश्यक घोषा" हैं जैसा कि संविधान सभा के एक सदस्य प्रो० के० टी० शाह ने सभा में चल रही बहस के दौरान एक समय आशंका व्यक्त की थी। उन आशंकाओं को दूर करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डा० बी० आर० अम्बेडकर ने निम्नलिखित शब्दों में उनके महत्व पर बल दिया था :—

"निदेशक तत्व उन अनुदेश लिखतों के समान हैं जो गवर्नर जनरल को जारी किए जाते थे। जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है वे केवल अनुदेश का दूसरा नाम है। अन्तर केवल

यह है कि वे विधान मंडल तथा कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। जो कोई भी सत्ता प्राप्त करेगा वह जैसा चाहे उसे तरह काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उसे इन अनुदेश लिखतों का जिन्हें निदेशक तत्व कहा जा रहा है, सम्मान करना होगा। आशय यह नहीं है कि इन्हें केवल पवित्र घोषणाओं के रूप में माना जाए। संविधान के इस भाग को बनाते समय संविधान सभा, भविष्य के विधान मंडल और भविष्य की कार्यपालिका को यह बताते हुए निदेश दे रही है कि किस प्रकार उन्हें अपनी-अपनी विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करना है। निश्चय ही संविधान के इस भाग में इन सिद्धान्तों को केवल पवित्र घोषणाओं के रूप में देने का कोई इरादा नहीं है। संविधान सभा का यह आशय है कि भविष्य में विधान मंडल तथा कार्यपालिका दोनों इन सिद्धान्तों के प्रति केवल उत्तरी दिखावट का काम न करें बल्कि वे देश के प्रशासन के मामलों में तथा भविष्य में की जाने वाली विधायी तथा कार्यपालिका की सभी कार्रवाइयों में इन्हें आधार मानकर चलें।"

1.11 यदि 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सामाजिक अत्याचार तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण' संघ तथा राज्यों पर आदेशात्मक दायित्व है और देश के प्रशासन में मौलिक सिद्धान्त के रूप में है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन पर अत्याचारों का होना सामाजिक अत्याचार और शोषण का सबसे खराब रूप माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि यह संघ तथा राज्यों-दोनों के लिए सबसे गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। संघ सरकार के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उसे पर्याप्त और सक्रिय कदम उठाने में अमर्षता अनुभव करते हुए राज्यों पर नहीं डाला जा सकता। अमर्षता की भावना केवल इस भ्रान्ति पर आधारित होगी कि इससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्रवाई करने से वह संविधान के कुछ उपबन्धों में निहित अपनी शक्तियों की सीमा से बाहर चली जाएगी, अतः इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाए।

1.12 उपर्युक्त मामलों पर विचार करते समय कुछ मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखना होगा :

- (1) भारतीय संविधान में विशुद्ध संघीय रूप की सरकार की व्यवस्था नहीं है, इस के विपरीत उसमें एकात्मक लक्षणों सहित संघीय ढाँचे के मिश्रण का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। संविधान का यह पहलू निर्विवाद है और इस प्रयोजन के लिए उदाहरणतः अनुच्छेद 248, 249, 250, 254, 256, 257, 258 और 365 का संदर्भ पर्याप्त है।
- (2) संविधान के सभी भागों को समान रूप में पुनीत मानकर पढ़ा जाना चाहिए।*
- (3) अनुच्छेद 73 और 162 में निस्सन्देह यह व्यवस्था की गई है कि संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियाँ उनकी विधायी शक्तियों के साथ सह विस्तारी हैं लेकिन यह ध्यान देना आवश्यक है कि ये दोनों अनुच्छेद 'इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' शब्दों से प्रारम्भ होते हैं। अतः जब कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ उन मामलों तक सीमित हैं जिनके सम्बन्ध में वह कानून बनाने के लिए सक्षम है, यह सीमा संविधान के अन्य उपबन्धों के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में बिलकुल अप्रभावी हो जाती है।

*देखिए : भारतीय संविधान पर बसु की कमेंट्री के उद्धृत गोपालन बनाम राज्य (1950) एस० सी० आर 88

1.13 अब प्रश्न यह है कि क्या सामाजिक न्याय और शोषण से सम्बन्धित मामलों के विषय में कानून बनाने की शक्ति संघ के क्षेत्र से इसलिए बाहर है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की किसी प्रविष्टि में उसका समावेश किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह आवश्यक है कि 'सामाजिक न्याय और शोषण' अभिव्यक्ति का नही अर्थ समझ लिया जाए। वास्तव में न्याय का अर्थ न्याय का निषेध है और इसलिए हमें यह देखना है कि 'न्याय' शब्द की अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। संविधान की प्रस्तावना में 'सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय' की बात कही गई है। 'सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक' इन तीन शब्दों का निर्वचन इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का अर्थ यह माना जाए कि वे न्याय के विस्तृत अलग-अलग तथा अन्वय्य क्षेत्र हैं। वे स्पष्टतः परस्पर-व्यापी परिकल्पनाएँ हैं और वास्तव में सामाजिक न्याय अपने आप में इतना व्यापक है कि उसमें आर्थिक और राजनैतिक न्याय भी आ जाते हैं। 'शोषण' शब्द की अभिव्यक्ति भी उन सभी चीजों का सूत्र है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण विकास को किसी अन्य के लाभ के लिए अवरोध करती हैं या भंग करती हैं और उसे मानवीय व्यक्तित्व के शौर्य से वंचित रखती हैं। जरूरी नहीं कि इनमें शारीरिक अत्याचार ध्वनित हो। किसी के द्वारा अपने प्रयोजनों और लाभों के लिए किसी अन्य मानव प्राणी का उपयोग ही अर्थात् शोषण का रूप बन जाता है। यदि इन दोनों अभिव्यक्तियों को उनके नही और उचित अर्थ दिए जाएँ तो यह निम्नन्देह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय और शोषण से सबसे अधिक शिकार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के लोग रहे हैं।

1.14 तब सातवीं अनुसूची की किसी सूची में इन मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति कहाँ है? उत्तर स्पष्टतः यह है कि यह शक्ति किसी भी सूची में नहीं मिलेगी। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 148 के उपबन्ध आकृष्ट होते हैं जो इनके सम्बन्ध में संघ सरकार को अन्वय्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

1.15 राज्य सरकारें इन मामलों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए संविधान के जिस उपबन्ध के अन्तर्गत एक मात्र शक्ति अपने पास होने की दलील पेश करती हैं, वह है सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 जो 'सार्वजनिक व्यवस्था' की बात करती है। इस सम्बन्ध में यह दलील दी जाती है कि सामाजिक न्याय और शोषण से अन्तर 'सार्वजनिक व्यवस्था' फैलती है अतः केवल राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति रखती हैं और इनके सम्बन्ध में कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति भी आवश्यक रूप से उन्हीं को प्राप्त है।

1.16 सातवीं अनुसूची की सूची II में "सार्वजनिक व्यवस्था" से क्या बोध होता है? यह अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(3) में भी मिलती है और उन संदर्भ में इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना प्राधिकारपूर्ण मत प्रकट किया है। इस सम्बन्ध में माननीय मिस्टर जस्टिस हिंदावतल्ला ने यह कहा:

"इससे यह प्रकट होगा कि उन मामलों के विनिर्णयों (पूर्व उल्लेखित) में सार्वजनिक व्यवस्था की 'राज्य की सुरक्षा' का खतरा पहुँचाने वाली व्यवस्था की अंशक रूप धमसीयता की व्यवस्था मानने की बात नहीं की थी। 'कानून और व्यवस्था' से ही 'सार्वजनिक व्यवस्था' की खतरों से उभरने वाली व्यवस्था की अंशक रूप धमसीयता वाली व्यवस्था का बोध

लिया जाता है। तीन समकोद्धित वृत्तों की कल्पना करके की आवश्यकता है। कानून और व्यवस्था सबसे बड़ा वृत्त है जिसके अन्तर्गत अगला वृत्त 'सार्वजनिक व्यवस्था' का आता है और सबसे छोटा वृत्त 'राज्य की सुरक्षा' का है। इसके बाद यह समझना आसान रहेगा कि कोई कृत्य 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित कर सकता है लेकिन 'सार्वजनिक व्यवस्था' को नहीं और इसी प्रकार कोई कृत्य 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित कर सकता है लेकिन 'राज्य की सुरक्षा' को नहीं"।*1

उपरोक्त निर्णय से जो स्थिति बनती है उसे इलाहाबाद के एक विद्वान न्यायाधीश ने सार रूप में निम्न शब्दों में व्यक्त किया है:—

'अतः स्थिति इस प्रकार है कि जब सार्वजनिक व्यवस्था, व्यवस्था में शामिल है और उसका अंग है, उसमें व्यवस्था का सम्पूर्ण क्षेत्र नहीं आता। इसका परिणाम यह है कि यद्यपि सभी सार्वजनिक व्यवस्थाएँ वास्तव में अव्यवस्थाएँ हैं लेकिन सभी अव्यवस्थाएँ सार्वजनिक व्यवस्थाएँ नहीं। सार्वजनिक व्यवस्थाएँ अव्यवस्थाओं का गुरुतर रूप हैं जो मुख्यतः आम जनता को प्रभावित करती हैं।*2

1.17 सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि संख्या 2 स्वयं को सार्वजनिक व्यवस्थाओं तक सीमित रखती है और अन्य अव्यवस्थाओं को अपने क्षेत्र से बाहर छोड़ देती है जिनके सम्बन्ध में संघ सरकार अपनी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। सूचियों को देखने से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न सूचियों में वर्णित विषयों के महत्त्व की श्रेणियाँ ही शक्ति के वितरण का आधार नहीं बनीं तथा विधायन के क्षेत्रों को निर्धारित करते समय संविधान के निमाताओं द्वारा बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ा। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि सूची I में दर्ज बहुत से विषय सार्वजनिक व्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखने वाले हो सकते हैं। लेकिन इसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इन सभी के सम्बन्ध में होने वाला विधायन सार्वजनिक व्यवस्था से सम्बन्धित विधायन है और इसलिए सूची II की प्रविष्टि 1 के क्षेत्र में आ जाता है।

1.18 इस सम्बन्ध में संविधान के 42 वें और 44 वें संशोधनों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यह देखने को मिलेगा कि 42 वें संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 257-क शामिल कर लिया गया था जो इस प्रकार है:—

"257-क. संघ के सशस्त्र बल या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों को सहायता।

- (1) भारत सरकार किसी राज्य में विधि और व्यवस्था की गम्भीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किस अन्य बल का अभिनियोजन कर सकेगी।
- (2) किसी राज्य में खण्ड (1) के अधीन अभिनियोजित सशस्त्र बल या अन्य बल या उपर्युक्त कोई टुकड़ी या इकाई ऐसे निदेशों के अनुसरण में कार्य करेगी जो भारत सरकार जारी करे और जैसा उम निदेशों में उपबन्धित है उसके विवाध राज्य सरकार या र.य सरकार के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के नियंत्रण या अधीक्षण के अधीन नहीं होगी।

*1. ए० आई० आर० 1966 एस० सी० पृष्ठ 740

*2. ए० आई० आर० 1968 इलाहाबाद पृष्ठ 100

(3) खण्ड (1) के अधीन अभिनियोजित बल के या टुकड़ी या इकाई के सदस्यों की, ऐसे अभिनियोजन की कालावधि के दौरान, शक्तियां, कृत्य विशेषाधिकार और दायित्व संसद् विधि द्वारा उल्लिखित किए जाएंगे।”

इस संशोधन द्वारा सूची I में एक प्रविष्टि 2 क जोड़ दी गई थी। लेकिन जब 44 वें संशोधन पर संसद में विचार शुरू हुआ तब लोक सभा द्वारा पारित विधेयक में उपर्युक्त दोनों उपबन्धों को हटा दिया गया। लेकिन जब विधेयक राज्य सभा के समक्ष आया तब सूची I से प्रविष्टि 2क को हटाने का विरोध किया गया और अन्ततः उसके हटाने की बात अस्वीकार कर दी गई। जिसमें फलस्वरूप सूची-I में प्रविष्टि 2क रख ली गई जो इस प्रकार है :—

“2क. संघ के सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या इकाई का किसी राज्य में असैनिक शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन की अवधि में ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व।”

1.19 जब राज्य सभा द्वारा संशोधित 44वां संशोधन विधेयक यथासमय लोक सभा को भेजा गया तब सूची 1 में प्रविष्टि 2क के सम्बन्ध में किसी सदस्य द्वारा एक संशोधन पेश किया गया जिसमें ‘किसी राज्य’ शब्दों के बाद ‘केवल राज्य की सहमति से’ शब्दों का जोड़ने का सुझाव दिया गया था। लोक सभा ने इस संशोधन को नहीं माना और संविधान में सूची 1 की मौजूदा प्रविष्टि 2क ऐसे ही रख ली गई। जाहिर है कि सूची 1 की प्रविष्टि 2क में ‘राज्य की सहमति से’ शब्दों को जोड़ने का सुझाव इसलिए दिया गया था कि जब तक राज्य की अनुमति न हो संघ सरकार का हस्तक्षेप न होने दिया जाए। परन्तु इस कोण्डिशन को निष्फल कर दिया गया और राज्य की सिविल शक्ति की सहायता के लिए किसी राज्य में संघ के किसी सशस्त्र बल या उसकी किसी अन्य टुकड़ी या इकाई को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार में निहित रही। अतः वर्तमान स्थिति यह है कि अब संविधान में 257क के रूप में कोई उपबन्ध नहीं है जबकि सूची-1 में प्रविष्टि 2क का उपबन्ध विद्यमान है। संघ सरकार की कानून बनाने की शक्ति से उसके पास कार्यकारी शक्ति भी अवश्यमेव आ जाती है। सूची 1 की प्रविष्टि 2क किसी भी तरह 44वें संशोधन से पूर्व मौजूदा अनुच्छेद 257क पर न निर्भर करता था न उसके परिणाम स्वरूप था। इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि सूची 1 की प्रविष्टि 2क 42वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद 257क के हटा देने से अवश्य ही समाप्त हो गई है। सूची 1 की प्रविष्टि 2क अपने ही अधिकार के साथ संविधान में मौजूदा है और जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है कि संविधान के किसी अन्य उपबन्ध को जितनी पवित्रता प्राप्त है उतनी ही इस उपबन्ध को भी है और इसे पूरी तरह काम में लाया जाना चाहिए। यह कहना सम्भव नहीं है कि सूची 1 की प्रविष्टि 2क के अधीन किसी राज्य में संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रणाधीन किसी अन्य बल या उसकी किसी टुकड़ी या इकाई का अभिनियोजन केवल सिविल शक्ति की सहायता के लिए हो सकता है और उस सहायता के लिए राज्य द्वारा उसकी आवश्यकता महसूस करना तथा उसे अभिव्यक्त करना अपेक्षित हीगा। किसी भी राज्य को अपने साधनों की कमी या अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावहीनता के कारण सहायता की आवश्यकता वास्तव में हो सकती है फिर भी हो सकता है कि वह उससे अभिन्न हो या वह

अपनी सहायता करने की अनुमति संघ को देने में अनिच्छुक हो। किन्तु सशस्त्र बल का अभिनियोजन सहायता के अलावा और कुछ नहीं ही सकता। यह तथ्य कि सूची 1 में प्रविष्टि 2क अपने विषय के संबंध में कानून बनाने के शक्ति और उसके संबंध में कार्यकारी अधिकार के प्रयोग की शक्ति संघ सरकार को देती है बताता है, कि देश के प्रशासन के संबंध में संघ के सर्वोपरि दायित्व के कारण इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से किसी प्रार्थना की विलकुल आवश्यकता नहीं है। इस निष्कर्ष को इस बात से बल मिलता है कि ‘राज्य समिति से’ शब्दों को जोड़ने की बात संसद ने स्वीकार नहीं की।

1.20 यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सूची की प्रविष्टि 2 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति से यह पूर्व धारणा बनाना ठीक नहीं कि संघ सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व इस संबंध में कोई कानून विद्यमान है, आवश्यकता केवल इस बात की है इस प्रविष्टि के संबंध में कानून बनाने के धमता हो। सूची 1 की प्रविष्टि 2क के संबंध में कानून बनाने के कोई भी शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 73 के परन्तुक के अन्तर्गत कार्यकारी शक्ति की सीमा के संबंध में निर्णय करने का मानदण्ड किसी कानून का विद्यमान होना नहीं है बल्कि किसी कानून के बनाने की शक्ति है। चूंकि वह शक्ति केवल संघ सरकार के पास है, अतः इसका स्वाभाविक अर्थ है कि सूची 1 की प्रविष्टि 2क में वर्णित विषय के संबंध में संघ सरकार द्वारा कि जाने वाली कार्यकारी कार्रवाई केवल संघ द्वारा ही की जा सकती है। सूची 1 की प्रविष्टि 2क विचार-वस्तु को तय कर देती है और यह उसमें उल्लिखित मामले के संबंध में संघ सरकार की शक्ति को जताने के लिए निर्णायक है।

1.21 अनुच्छेद 256 और 257(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को निदेश जारी करने की संघ सरकार की शक्ति की और विशेष रूप से ध्यान आकषिप्त करने की जरूरत है। अनुच्छेद 256 में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति की सीमा का विस्तार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश देने तक हो सकता है जिन्हें संघ सरकार, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझती हो। यह शक्ति लगभग उन्मुख शक्ति है वशत कि उनका प्रयोग उम अनुच्छेद की सीमाओं और शर्तों के भीतर किया जाए। जहाँ तक अनुच्छेद 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निदेशों की अनिवार्यता के स्वरूप का सम्बन्ध है, यह इस तथ्य से प्रालूभ होना चाहिए कि इन निदेशों के पालन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर एक कर्तव्य भार डाला गया है और उसे उम अनुच्छेद के शीर्षक में ‘दायित्व’ कहा गया है। अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों की अनिवार्यता के बल का पता अनुच्छेद 365 से चलता है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में इस अनुच्छेद से संघ सरकार को यह मानने का अधिकार मिलता है कि अगर राज्य सरकार संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में दिए गए किसी निदेश के पालन करने में या उसे कार्यान्वित करने में असफल रही है तो संविधान के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार का प्रशासन नहीं चल सक रहा है। उन निदेशों के लिए किसी और अधिक अनुसमर्थन की कल्पना नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 256 से यह और स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम को, जैसे भारतीय दंड संहिता या अपराध प्रक्रिया संहिता को किसी राज्य द्वारा समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है तो संघ सरकार उनको लागू करने के लिए निदेश जारी करने का अधिकार रखती है। इसमें निश्चय ही उनको लागू करने की विधियों को निर्धारित करना भी शामिल होगा क्योंकि अन्यथा निदेश अप्रभावी रहेंगे और नकारात्मक होंगे। निदेशों का क्या रूप होगा, यह प्रत्येक मामले में स्थिति पर निर्भर करेगा लेकिन

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि निवेश जारी करने की शक्ति में उनके सम्बन्ध में ब्यौरा भी तैयार करने की शक्ति तथा शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायक और आनुषंगिक शक्तियों के प्रयोग की शक्ति भी अन्तर्निहित है।

1.22 अतः यह निर्विवाद है कि यदि किसी राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचार किए जाते हैं और ऐसे अत्याचार भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी में आते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता को समूचित रूप से लागू करने के लिए तथा उनको लागू करने के तरीके के सम्बन्ध में निवेश जारी करने के लिए संघ निवेश देने में पूरी तरह शक्ति सम्पन्न है। इसके आवश्यक आनुषंगिक रूप में संघ के पास राज्य सरकार को यह कहने की भी शक्ति है कि यदि उसके पास स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी साधन नहीं हैं तो वह उस पुलिस, सेना या अन्य कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग करे जिसे संघ सरकार उसे सौंपती है। यह किसी भी प्रकार से न तो संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और न ही संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों की परिधि और क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की बात होगी। सचमुच ही यह संविधान द्वारा संघ सरकार पर डाले गए कर्तव्य का निष्पादन मात्र होगा।

लोक सभा और राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण :

1.23 हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो एक महत्वपूर्ण राजनैतिक सुरक्षण की व्यवस्था की थी वह है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए था, फिर बाद में सन् 1959 और 1969 में संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके इसे दस-दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। स्थानों का आरक्षण करने के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जन जातियों के अत्यधिक शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा था। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के लोग अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित हैं, और अनुसूचित जनजातियों के लोग अलग-अलग और चिरकालिक उपेक्षा के शिकार हैं। संविधान में आदिवासी क्षेत्रों के तीव्र गति से विकास करने की परिकल्पना की गई जिससे कि संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर वे क्षेत्र सम्बन्धित राज्यों में आस-पास के क्षेत्रों के विकास के स्तर पर पहुँच जाएं। लेकिन यह हो नहीं पाया।

1.24 संविधान को बनाने समय एक यह विचार व्यक्त किया गया कि स्थानों के आरक्षण के लिए कोई समय-सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में रखी गई 10 वर्ष की समय सारणी का सम्भवतः यह आशय था कि इन समुदायों की हालत को कम से कम समय में सुधारने के लिए राष्ट्र की ओर से जम कर कार्रवाई की जाए। सन् 1959 में आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 334 में पहला संशोधन पेश करते तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने साररूप में ठीक ही कहा था कि हम अभी समस्या के छोर को छू नहीं सके हैं। उन्होंने आगे कहा कि "समस्या का मामला बराबर लम्बी अवधि तक करना है ताकि इन वर्गों के लोग अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो सकें। चुनाव सम्बन्धी स्पर्धाओं के एक अध्ययन से यह पता चलना है कि अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की नगण्य संख्या सामान्य चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आई है।

1.25 विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व और राजनैतिक शक्ति के बीच एक स्पष्ट आपसी सम्बन्ध है जिसके अभाव में इन श्रेणियों के लोगों को दिए गए सुरक्षण और रियायतें काफी हद तक निस्सार हो जाएंगी। इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में, जिसमें संवैधानिक सुरक्षाओं की चर्चा की गई है, कुछ ऐसे कारणों का उल्लेख किया गया है जिसे लोकसभा और विधान सभाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण को बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा संघ सरकार को इस बात के लिए प्रभावित करने की दृष्टि से कि वह ठीक समय पर 25 जनवरी 1980 को समाप्त होने से पहले आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में तत्काल संशोधन करने की अत्यावश्यकता को समझे और राज्य विधान मण्डलों द्वारा पुष्टि के लिए पर्याप्त समय मिल सके, मार्च 1979 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को 10 वर्ष या इतने अधिक समय के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्रश्न के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था। यह अनुभव किया गया था कि एक उचित समय-सारणी के माध्यम से देश के सामने एक ऐसा लक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसे सभी साधनों को जुटा कर हासिल किया जा सके। संरक्षण के उपयुक्त कम-सुविधा-सम्पन्न व्यक्तियों को आराम को नींद सुला देने वाले नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें कम से कम समय के भीतर आत्म निर्भर होने की दिशा में प्रेरित करने वाले होने चाहिए। वांछित वतावरण बनाने के लिए राज्य तथा सुविधाविहीन वर्गों के लोगों का सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विकास और अधिक तेज गति से तथा सामाजिक न्याय के साथ ही और उसमें सुविधाविहीन वर्गों का व्यापक तथा अर्थपरक योगदान हो।

शैक्षिक विकास

1.26 इस रिपोर्ट के शैक्षिक विकास सम्बन्धी अध्याय में इन समुदायों की शैक्षिक परिस्थिति का विवरण दिया जा रहा है। 1917 की जनगणना के अनुसार सामान्य निरक्षरता का स्तर 70.66 प्रतिशत (पुरुष 60.49 प्रतिशत और महिलाएं 81.56) प्रतिशत था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्तर अनुसूचित जातियों का 87.23 प्रतिशत (पुरुष 79.96 तथा महिलाएं 94.94 प्रतिशत) था। कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में निरक्षरता की स्थिति भयावह थी। उदाहरणतः ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में निरक्षरता की प्रतिशतता बिहार में 94.16 (पुरुष 89.12 प्रतिशत और महिलाएं 99.26 प्रतिशत) थी, राजस्थान में यह प्रतिशतता 92.77 (पुरुष 86.64 और महिलाएं 99.45 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशतता 90.89 (पुरुष 84.23 और महिलाएं 98.26) थी। इसी प्रकार प्राचीन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता आंध्र प्रदेश में 95.22 (पुरुष 92.27 प्रतिशत और महिलाएं 98.24 प्रतिशत) थी, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रतिशतता 95.08 (पुरुष 91.69 प्रतिशत और महिलाएं 98.44 प्रतिशत) थी और राजस्थान में यह प्रतिशतता 93.83 (पुरुष 88.44 प्रतिशत तथा महिलाएं 99.59 प्रतिशत) थी।

1.27 वर्ष 1977-78 के दाखिले के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि स्कूलों में बच्चा एक से पांच तक उपस्थित होने वाले संगत आयु वर्गों की प्रतिशतता अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धमें क्रमशः 75.5 तथा 66.1 थी, इसकी तुलना में शेष जातियों की प्रतिशतता 85.7 थी। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन जातियों की दाखिला सम्बन्धि स्थिति और भी बुरी थी। मिसाल के तौर पर अनुसूचित जातियों में पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में दाखिले की प्रतिशतता तदनुसूचित आयु वर्गों में उस वर्ष के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में 40.4, राजस्थान में 42.8 और बिहार में 46 जैसी कम थी। अनुसूचित जन जातियों में उनकी प्रतिशतता राजस्थान में 35.5, मध्यप्रदेश में 46.6 और पश्चिम बंगाल में 48.7 जैसी कम थी। पांचवीं कक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जातियों के (50 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों के (45 प्रतिशत) विद्यार्थियों की संख्या सामान्य अध्ययन में छोड़ देने वालों (43 प्रतिशत) से अधिक थी।

1.28 वर्ष 1977-78 में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में स्कूल जाने वाले संगत आयु वर्गों की अखिल भारतीय प्रतिशतता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में क्रमशः 25.5 तथा 17.7 थी। इसकी तुलना में सामान्य जनसंख्या का यह प्रतिशत 37.9 था। तथापि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशतता बिहार में 9.4, उड़ीसा में 14.6, राजस्थान में 14.8, असम में 19.2 और पश्चिम बंगाल में 19.3 जितनी कम थी जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यह प्रतिशतता उड़ीसा में 9.0, राजस्थान में 11.1, पश्चिम बंगाल में 13.4, त्रिपुरा में 14.1, तमिलनाडु में 15.6, पंजाब प्रदेश में 15.9 तथा अरुणाचल प्रदेश में 15.9 थी। नवीं तथा उससे ऊपर की कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की दाखिला सम्बन्धि स्थिति और भी खराब थी। 1973-74 में, जिसके संगत तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों की दाखिला संबंधी अखिल भारतीय प्रतिशतताएं समस्त बच्चों के दाखिले के सापेक्ष में, इन कक्षाओं में, क्रमशः 11.00 तथा 7.7 थीं, जबकि सामान्य जनसंख्या की 21.2 थी। पुनः कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशतताएं पश्चिम बंगाल में 4.8, बिहार में 5.7, चण्डीगढ़ में 6.5, कर्नाटक में 7.4, मध्य प्रदेश में 8.8 तथा पंजाब में 8.2 जितनी कम थीं। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में ये आंध्र प्रदेश में 2.8, दादरा तथा नगर हवेली में 3.9 पश्चिम बंगाल में 5.0, उड़ीसा में 6.0, गुजरात तथा त्रिपुरा में प्रत्येक में 6.2, बिहार में 8.5 तथा तमिलनाडु में 9.8 जितनी कम थीं।

1.29 जहां तक व्यावसायिक तथा अन्य उच्चतर पाठ्यक्रमों में दाखिले का सम्बन्ध है, स्थिति निश्चय ही शोचनीय है। अनुसूचित जातियों के मामले में समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समता-गुणांक* जो 1964-65 में 29.3 था, 1974-75 में बढ़कर 39.0 हो गया, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 1964-65 के 10.3 से बढ़कर 1974-75 में 20.3 ही गया। यह वृद्धि भी बिलकुल तुच्छ है यदि हम यह विचार करें कि वर्ष 1974-75 के दौरान व्यावसायिक तथा अन्य उच्चतर पाठ्यक्रमों में भर्ती हुए प्रत्येक 100 विद्यार्थियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी क्रमशः केवल 4 तथा 1 थे। अनुसूचित जातियों में

कृषि, वाणिज्य, विधि, नर्सिंग तथा शारीरिक शिक्षा जैसे पाठ्य-क्रमों का गुणांक सन् 1974-75 में क्रमशः 35.6, 36.3, 35.6, 36.3, 35.6, 32.9 तथा 27.4 जितना कम था। अनुसूचित जन जातियों में उसी वर्ष का यह गुणांक और भी कम था, कृषि, वाणिज्य, इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा शास्त्र एलोपैथी के अतिरिक्त) और पशुचिकित्सा शास्त्र के सम्बन्ध में क्रमशः 15.9, 17.4, 15.9, 17.4, 8.7 तथा 10.1 था।

1.30 ऊपर दिए गए विवरण से दिखाई पड़ेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में बड़ी असमानता है। इन जातियों में शिक्षा के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तरराज्यीय तथा समुदायवार असंतुलन स्पष्ट है। 1977 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का प्रदान की भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में अन्तरराज्यीय असमानताएं नीचे की मारणी से स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी :-

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित जनजातियां | | |
|-------------|------------------------|---|---|-------|-------|
| | | कुल अनु० जा०जन-संख्या का % | कुल अनु० जा०विद्यार्थियों से % | | |
| | | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रदान की संख्या का अनु० | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रदान की संख्या का अनु० | | |
| | | के प्रदान की संख्या का अनु० | के प्रदान की संख्या का अनु० | | |
| | | विद्यार्थियों से % | विद्यार्थियों से % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7.05 | 10.25 | 5.48 | 2.31 |
| 2 | असम | 1.11 | 2.49 | 3.90 | 14.07 |
| 3 | बिहार | 10.16 | 4.20 | 11.97 | 18.44 |
| 4 | गुजरात | 2.29 | 5.71 | 9.12 | 18.20 |
| 5 | हरियाणा | 2.30 | 1.15 | — | — |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 0.98 | 0.31 | 0.34 | 1.20 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 0.46 | 0.16 | — | — |
| 8 | कर्नाटक | 5.18 | 6.03 | 0.64 | 0.42 |
| 9 | केरल | 2.43 | 2.55 | 0.47 | 1.38 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 6.97 | 1.51 | 23.82 | 4.69 |
| 11 | महाराष्ट्र | 3.85 | 15.70 | 9.32 | 5.75 |
| 12 | मणिपुर | 0.02 | 0.06 | 0.81 | 4.69 |
| 13 | मेघालय | 0.004 | 0.01 | 1.98 | 4.29 |
| 14 | नागालैन्ड | — | — | 1.11 | 3.75 |
| 15 | उड़ीसा | 4.01 | 0.94 | 12.32 | 4.19 |
| 16 | पंजाब | 4.06 | 3.70 | — | — |
| 17 | राजस्थान | 5.11 | 1.78 | 7.61 | 5.40 |

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का दाखिला

कुल दाखिला

$$*समता गुणांक = \frac{\text{अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

यदि समता गुणांक 100 है तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का दाखिला उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। यदि यह 100 से कम है तो यह सूचित करता है कि उनका दाखिल उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----------------------------------|-------|--------------|------|--------------|
| 18 | तमिलनाडु | 3.89 | 5.21 | 1.09 | 0.30 |
| 19 | त्रिपुरा | 0.23 | 0.16 | 1.09 | 0.70 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 23.15 | 26.76 | 0.48 | 1.47 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 10.79 | 10.01 | 6.32 | 3.71 |
| 22 | अंडमान तथा निकोबार (द्वीपमंडल) | — | — | 0.04 | 0.02 |
| 23 | चण्डीगढ़ | 0.04 | 0.01 | — | — |
| 24 | दिल्ली | 0.77 | 1.23 | — | — |
| 25 | गोवा, दमन, दीव | 0.02 | 0.02 | 0.02 | नगण्य |
| 26 | लक्षद्वीप | — | — | 0.07 | 0.24 |
| 27 | मिजोरम | — | — | 0.76 | 4.56 |
| 28 | पांडिचेरी | 0.09 | 0.05 | — | — |
| 29 | अरुणाचल प्रदेश | नगण्य | प्राप्त नहीं | 0.90 | प्राप्त नहीं |
| 30 | दादरा तथा नगर हवेली | नगण्य | नगण्य | 0.16 | 0.04 |

ऊपर की सारणी से पता चलेगा कि बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों प्रदान की गई। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की प्रतिशतता संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है। इन आंकड़ों से अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट होता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का प्रदान करने की प्रतिशतता सम्बन्धित राज्यों की कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है।

1.31 पहले की रिपोर्टों में इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि वित्तीय दृष्टि से पिछड़े राज्यों को उत्तार रूप से वित्तीय अनुदान देकर मदद करने में केन्द्रीय सरकार को पहल करना जरूरी है जिससे कि वे राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर की शिक्षा के लिए तथा उन वर्गों में शिक्षा की दृष्टि से अधिक पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता देने की अपनी योजनाओं का संवर्धन कर सकें जिससे वे समुदाय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। यह क्षेत्र बिल्कुल ही राज्य सरकारों को सौंपा हुआ रहा है और इसमें तब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति संभव नहीं होगी जब तक कि भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिए कोई योजना न बनाए। साथ ही विभिन्न शैक्षिक विभाग योजनाओं के फलस्वरूप शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों तथा संस्था और शिक्षा की दृष्टि से कम-जोर अनुसूचित जनजाति समुदायों की पहली पीढ़ी के स्नातकों को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित समुदायों से मुकाबला करना पड़ता है जिससे वे रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार शैक्षिक दृष्टि से कम विकसित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को शिक्षा सुविधाएं तथा रोजगार के अवसर दे कर उनके पक्ष में सरकारात्मक भेदभाव करने की आवश्यकता है।

1.32 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले में या तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं या अर्हक परीक्षाओं में प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त स्थान के आधार पर। अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को

प्रवेश परीक्षा में अंकों की ढील दी जाती है। छः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टी०) में संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा होने वाले प्रवेशों के अतिरिक्त 1978-79 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन प्रत्याशियों को सीधे प्रवेश दिया गया जिन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। किन्तु वर्ष 1979-80 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों का सीधा प्रवेश समाप्त कर दिया है और अब वे संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती किए जाते हैं। परिणामस्वरूप इन संस्थानों में केवल 88 अनुसूचित जाति के तथा 11 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी प्रवेश पा सके जब कि उस वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए क्रमशः 246 तथा 82 सीटें आरक्षित थीं। कुछ राज्यों में कतिपय पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक + 2 स्टेज पर विज्ञान तथा गणित की अतिरिक्त कोर्सेज की व्यवस्था है जिससे उन्हें अर्हक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में कुछ हद तक सहायता मिलती है। यह उपयोगी होगा कि ऐसी योजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की जाएं और उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन राशि की अनुपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भी दी जाए जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी सुपात्र विद्यार्थी + 2 स्टेज पर उपयुक्त विषयों में सघन कोर्सेज प्राप्त कर सकें। इन विद्यार्थियों को कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा मेडिकल कालेजों द्वारा भी उनके वहां प्रवेश के बाद अतिरिक्त कोर्सेज दिया जाना है। फिर भी यह बताया गया है कि इन संस्थानों में विद्यार्थियों से बहुत उच्चतर के शैक्षिक निष्पादन की अपेक्षा रहने के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का निष्पादन उत्साहजनक नहीं रहा है। इसका परिणाम यह है कि उनमें से कुछ विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाए और उनमें से कुछ अपने निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से निकाल दिए गए।

1.33 अतः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा मैट्रिक पूर्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे मैट्रिकपूर्व वृत्तिका, निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, गणवेश, दोपहर का भोजन तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोर्सेज, देने के संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि इन समुदायों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई छोड़ देने के उंचे अनुपात में कमी हो सके तथा वे अधिक संख्या में प्रवेश प्राप्त कर सकें और व्यावसायिक तथा उच्चतर पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के संबंध में जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों से बहुत पीछे हैं उपयुक्त प्रोत्साहन ही सर्वव्यापक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

1.34 देश भर में 15-35 के आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ निरक्षर व्यक्ति हैं जो स्कूल जाने की आयु पार कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तथा महिलाएं हैं। यद्यपि सरकार 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापक रूप में देने का प्रयास कर रही है, यह भी समान रूप से आवश्यक है कि शिक्षा की सुविधाएं 15-35 के आयुवर्ग के लोगों के लिए भी बढ़ा दी जाएं जिससे कि शिक्षा से वंचित रहने की उनकी कमी दूर हो सके और वे अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को शुरू किया

गया जिसमें छोटी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चूंकि निरक्षरता का अनुपात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में विषम रूप से बहुत ऊंचा है, इन समुदायों को विशेष प्राथमिकता वाले वर्गों में शामिल किया गया है जिससे कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय उनका खास ध्यान रखा जा सके। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आरम्भ करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सलाह दी जाएगी। ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं। कुछ स्वैच्छिक संगठनों को भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित किया जा रहा है। आशा की जाती है कि विभिन्न राज्य सरकारें उपर्युक्त केन्द्र आरम्भ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने की नीति का उचित ध्यान रखेंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में श्रमिकों के विभिन्न वर्ग

1.35 यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या खेती में लगी है। इस अध्याय के अनुबंध 1 की सारणी में श्रमिकों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में किसानों और कृषि मजदूरों की प्रतिशतता दिखाई गई है। मजदूरी करने वाले वर्ग में सामान्य जनसंख्या (पुरुष 51% महिला 10%) की तुलना में अनुसूचित जातियों (पुरुष 54% महिला 17%) तथा अनुसूचित जनजातियों (पुरुष 56% महिला 20%) की सहभागिता दर बहुत ऊंची है। इससे पता चलता है कि उन्हें विवश हो कर कोई भी ऐसा काम स्वीकार करना पड़ता है जिससे उन्हें रोजगार और पारिश्रमिक मिल सके। सारणी से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों (33.04%) की तुलना में अनुसूचित जाति के मजदूरों में (51%) स्पष्ट रूप से अधिक भूमिहीनता है जबकि शेष जनसंख्या में कृषि मजदूरों का केवल 20.20% इस श्रेणी में बताया गया था।

1.36 1971 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जाति के कृषि मजदूरों की प्रतिशतता 42.17 से 77.18 तक रही। पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कृषि मजदूर 77.27% थे। जहां तक खेतिहरों का सम्बन्ध है हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के खेतिहरों की प्रतिशतता 0.33 से 33.47 के बीच रही। जनगणना संगठन द्वारा किए गए एक और अध्ययन से विदित हुआ कि अनुसूचित जाति के खेतिहरों की 51% जमीनें 2.4 एकड़ से कम थीं जबकि अन्य लोगों की प्रतिशतता 34 थी। इससे देश में अनुसूचित जातियों में अधिक मात्रा में भूमिहीनता होने का पता चलता है। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कृषि मजदूरों की प्रतिशतता 42.33 तथा 62.33 के बीच रही। जहां तक खेतिहरों का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति खेतिहरों की प्रतिशतता 41.14 तथा 94.16 के बीच रही।

1.37 इस विश्लेषण से विदित होता है कि कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जनजातियों के मध्य भूमिहीनता की समस्या उतनी गंभीर नहीं है।

फिर भी इन बिना सिंचाई की घटिया किस्म की जमीनों में कृषि कर्म से वर्ष भर की जीविका का साधन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जनजाति के लोगों को अधिमोहाधिकार अपनी भूमि के अंतरण आदि से सम्बन्धित मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा नियत मजदूरी के अल्प मुगतान को ध्यान में रखें तो इन समस्याओं में रोजगार की स्थिति और अधिक निराशाजनक दिखाई पड़ेगी। अनुसूचित जातियों द्वारा जोती गई छोटी-छोटी जमीनों और अनुसूचित जनजातियों की अनुर्वर जमीनों में थोड़ी ही उपज हो पाती है और परिणामस्वरूप उनकी कृष्य शक्ति थोड़ी रहती है। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोगों को कृषि मजदूरों के रूप में, खानों तथा खदानों में, चमड़ा सिलाने तथा कमाने, तथा सफाई करने, झूम खेती करने, लघु वन्य उत्पादों का मौसमी संग्रह करने आदि कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है।

अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास के कार्यक्रम

1.38 अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं निर्णायक हैं। पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत आरम्भ किए गए कार्यक्रमों से विशेष उपलब्धि नहीं हुई और इसलिए प्रथम योजना से ही इस बात पर बल दिया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए विकास के सामान्य क्षेत्रों से ही उनका उचित भाग मिलना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए निधियों के नियतन, परिमाणन और विशेष घटक योजना का अर्थ एक ही है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित जातियों के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों जैसे, कृषि मजदूर, छोटे तथा सीमान्त किसान, चमड़े का काम करने वाले और अन्य कारीगर और नगरों में काम करने वाले प्रवासी अकुशल श्रमिकों के विकास के लिए विभिन्न राज्य विकास विभागों से, जिनमें केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सम्मिलित है, धन राशि आनी चाहिए। अनुसूचित जातियों की समस्त जमीनों जिनमें उच्चतम सीमा की अधिशेष से वितरित भूमि, सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि और उनकी अपनी निजी जमीनें शामिल हैं, के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पशुपालन, रेशम-उत्पादन, विभिन्न चमड़ा उद्योग आदि की व्यवस्था अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए की जानी चाहिए। यह उचित होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए नियत धन राशि के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा अलग बजट क्षीर्ण हो और यह तय कर देना चाहिए कि इन राशियों को न तो वर्ष के अन्त में व्यय हो जाने दिया जाए और न उन्हें किसी अन्य कार्य के लिए काम में लाया जा सकेगा। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के लिए जिन योजनाओं का धन राशि सामान्य क्षेत्र से दी जाती है उनकी देखभाल तथा मूल्यांकन का काम सतत् रूप में किया जाय जिससे कि योजनाओं के कार्यान्वयन में जो खामियां रही हों उनका पता लगाया जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके। यह परम्परा भी बनाई जानी चाहिए कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना से सम्बन्धित मामलों को उच्च प्राथमिकता मिले और उन मामलों पर होने वाली कार्रवाई और उनके निपटान की समीक्षा राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती रहे।

1.39 अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी का पूरी तरह क्या आशय है उसे समझकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन सभी वर्गों को जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 20 प्रतिशत या उससे अधिक है एकीकृत ग्राम विकास स्कीम के अन्तर्गत ले लाया जाए। यह सिफारिश की जाती है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का लाभ प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य समूहों में अनुसूचित जातियों के अनुपात से उनके लिए अलग नियत कर दिया जाना चाहिए और जब तक इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं तब तक यह अनुपात कुल लाभ का 50% प्रतिशत होता चाहिए।

1. 40 अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मूहों को इस तर्क के आधार पर टालते रहना उचित नहीं होगा कि किसी विशेष स्कीम का विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार की अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है। इससे समस्याओं के हल करने में सहायता नहीं मिलेगी। योजना आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने की स्कीम प्रस्तुत करनी चाहिए जो राज्यों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से काफी धन राशि नियत करने के लिए उत्साहित कर सके। योजना आयोग को प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसी स्कीमें छांटनी चाहिए जो अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा सुधारने में भारी प्रभाव डाल सके तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि दी जानी चाहिए। ऐसी एक स्कीम के बारे में आयुक्त ने उड़ीसा के समुद्री तटवर्ती जिलों का दौरा करत समय विचार-विमर्श किया था। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के प्रत्येक भूमिहीन तथा छोटे और सीमान्त खेतिहर परिवार को 10 हजार किलोमीटर लम्बे नहर के तटबंधों के निकट 150 नारियल पैदा करने वाले ताड़ दिया जा सके, साथ ही सरकारी बंजर भूमि पर नारियल के बगीचे लगाने के लिए भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों को बसाया जा सके। हिताधिकारियों को उन पेड़ों का भोगाधिकार रहेगा और वे सरकार को नाममात्र का वार्षिक लगान चुकाते रहेंगे। सरकार की बंजर रेतीली भूमि पर बसाए गए हिताधिकारी सिचाई की सुविधा से हुई फसलों से भी आमदनी कर सकेंगे। नहर के तटबंधों पर नारियल के पेड़ लगाने की स्कीम पर कुल लागत मोटे तौर पर 35 करोड़ रुपए बैठेगी और इससे लगभग 70 हजारों परिवारों को लाभ पहुंचेगा, साथ ही साथ भूमि पर 25 हजार परिवारों के बसने से राज्य में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों की कुल जनसंख्या के 1/5 भाग को लाभ पहुंचेगा। यदि इस प्रकार की स्कीमें विभिन्न राज्यों में छांटी जा सकें तो उन्हें चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार राज्य में एक और स्कीम बनाई गई है जिससे बटाईदार तथा छोटे और सीमान्त किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचा है। इस योजना के अन्तर्गत नदी किनारों पर पम्प लगाकर हिताधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे नदी किनारे की बंजर भूमि पर खेती की जा सके। इस प्रकार की स्कीम डी०पी०ए०पी०, एस०एफ०डी०ए०, एम०एफ०ए०एल०ए० के अन्तर्गत चलाई जा सकती है और अनुसूचित जाति के हिताधिकारियों के सम्बन्ध में उन्हें सहकारी समितियों का सदस्य बनने, पीद खरीदने आदि के लिए धन राशि देकर उस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। यदि उत्पादित माल के विपणन में मदद दी जा सके तो अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा में काफी सुधार हो सकता है।

भूमि, वन तथा अन्य संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व

1. 41 भारत में कई जनजातियों का भूमि, वन तथा अन्य संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व/नियंत्रण तथा प्रबंध रहता है। उत्तर-पूर्व भारत के कुछ भागों में ऐसे अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई है। देश के अन्य भागों में उन्हें मान्यता नहीं दी गई है परन्तु ऐसे अधिकारों का जनजातियों के भीतर ही नहीं बल्कि उनके गर-जनजाति वाले पड़ोसियों द्वारा भी आदर किया जाता है। इन सम्बन्धों के बने रहने को कहीं 'रियायतें' और कहीं 'अधिकार' कहा जाता था। जनजातियों में वास्तव में प्रचलित इस पद्धति को मान्यता न देने से कई प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि बैंक और वित्तीय संस्थापनाएं इन अधिकारों के संदर्भ में अपने नियम तथा विनियम नहीं बना पाए हैं। फलस्वरूप ये संस्थापनाएं जन जातियों को विकास के लिए मध्यावधि तथा लघ्वी अवधि के ऋण की सुविधाएं नहीं दे सके

हैं। कुछ ही क्षेत्रों में, रियायत के रूप में अल्प-अवधि के ऋण सामूहिक गारंटी स्कीम के आधार पर या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का समर्थन किए जाने पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनजाति क्षेत्रों में विकास की अवरोधक वृद्धि हद तक भूमि, वन तथा अन्य संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व को मान्यता न दिए जाने का परिणाम है। जहां सामूहिक अधिकारों को कानूनी मान्यता दे भी दी गई है, वहां भी यथोचित नियम तथा कार्यविधि बनाने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। नतीजा यह है कि इन क्षेत्रों की भी स्थिति उनसे अच्छी नहीं है जहां सामूहिक अधिकारों को सरकारी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाने के बावजूद जनजातियों की भूमि का अंतरण होना जारी है और यह प्रौद्योगिक तथा खननवाले क्षेत्रों के, बढ़ते हुए नगरों और अप्रवास के क्षेत्रों के आसपास सबसे अधिक है। अंतरित भूमि को वास्तविक रूप में पुनः लौटाने को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता और अदालतों द्वारा लौटवाई गई भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित आंकड़ों को प्रशासनिक कार्यकुशलता का सूचकांक समझा जाता है। संरक्षित कानूनों द्वारा जनजाति के लोगों को क्या वास्तविक लाभ पहुंच रहा है, इस बात की निरंतर समीक्षा करते रह कर, राज्यों के आदिवासी कल्याण विभागों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यदि आदिवासियों की अंतरित हुई भूमियों का वास्तविक कब्जा उन्हें पुनः दिलवा दिया जाए और उन पर खेती करने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएं तो आदिवासी क्षेत्रों में फले असंतोष को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

1. 42 इस स्थिति का एक और अवांछनीय परिणाम यह है कि आदिवासी उद्यमियों के आगे न आने से गैर-आदिवासी उद्यमी स्थिति का लाभ उठाते हैं और विकास सम्बन्धी कार्य कलाप का फायदा अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। इस कारण एक और आदिवासी क्षेत्रों में बाहर के लोग बड़ी संख्या में आए हैं और दूसरी ओर आदिवासियों के संसाधनों का दूसरों को अंतरण हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में जो सामाजिक तथा राजनैतिक तनाव पाया जाता है वह बहुत कुछ इस कारण से सम्बन्धित है।

वन और आदिवासी

1. 43 राष्ट्रीय कृषि आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ योजनाओं की सिफारिश की थी। इन योजनाओं में से एक यह है कि आदिवासी क्षेत्रों के वनों में खूब रुपया लगा कर लाभ कमाया जाए। अन्य शब्दों में आयोग आदिवासी आवास क्षेत्रों का तेजी से व्यापारीकरण चाहता था। लेकिन बहुत से वनपालों का यह मत रहा है कि इस दृष्टिकोण से आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है और पर्यावरण में गिरावट आई है। इससे आदिवासियों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है।

1. 44 आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में आदिवासी विकास निगम तथा वन विकास निगम बनाए गए हैं लेकिन ये निगम समन्वित ढंग से काम नहीं करते। इनमें से कुछ तो केवल व्यापारिक संस्थाएं हैं जबकि कुछ ने व्यापारिक हितों को सुधारात्मक गतिविधियों के साथ मिलाने का यत्न किया है। फिर, जबकि इन निगमों में कुछेक शिखर (एपेक्स) निकायों के रूप में कार्यरत हैं जिनके साथ कार्यशील एककों के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियां जुड़ी रहती हैं, अन्य निगम एकात्मक निकायों के रूप में काम करते हैं जिनकी शाखाओं का काम वैतनिक कर्मचारी ही सम्भालते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आकार की लगभग 2,400 कृषि बहु-दृशीय सहकारी समितियां (लेग्म) स्थापित की गई हैं। इनका काम आदिवासी सदस्यों के लिए उत्पादन और खपत के लिए ऋण की व्यवस्था करना, कृषि एवं लघु वन्य उत्पादों को बाजार

में बेचने तथा कृषि उत्पादों के लिए जहूरी सामग्री और उपभोक्ता सामान का वितरण करना है ताकि आदिवासियों को एक ही स्रोत से सब सुविधाएं मिल सकें और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न-विभिन्न संस्थाओं के पास भटकना न पड़े। ऐसी अनेक समस्याएं भी हैं जैसे अनुसूचित जनजातियों की आबादी की व्याप्ति, विभिन्न समितियों के अधिकार क्षेत्र का परस्पर व्यापन, कामिक विपणन संगठनों के साथ संयोजन, विपणन के लिए मौजमी कार्यक्रम पूंजी तथा आदिवासियों के फार्मों तथा वन उपजों को संसाधित करने के लिए डी० आर० आई० वित्त की व्यवस्था करना। आदिवासियों के जीवन पर तथा संबंधित क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर विभिन्न संगठनात्मक ढांचों और व्यावहारिक लक्ष्यों वाले निगमों के प्रभाव की गहराई से छांटनीय करने की जरूरत है।

1.45 वनों से कई प्रकार के लघु वन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबई घास कागज बनाने के काम आती है। लैसन घास, सफेदे के पत्ते आवश्यक तेलों के उत्पाद में काम आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में महुआ, नीम, करनी और साल जैसे लघु तेल बीज काफी बड़े पैमाने पर संग्रह किए जाते हैं जो साबुन बनाने और अन्य औद्योगिक उपभोगों के काम आते हैं। वनों में कई प्रकार की वानस्पतिक चर्मशोधन सामग्री मिलती है। हरड, बेहडा और आंवला तथा कुछेक पेड़ों की छाल का उपयोग वानस्पतिक चर्मशोधन सामग्री की आवश्यकताएं पूरी करने में किया जाता है। वनों में पाये जाने वाले खैर के पेड़ों से कत्था तथा अन्य उपजें पैदा करने का काफी प्रचलन है। विभिन्न प्रकार के गोंद तथा राल इकट्ठा करने से बहुत से लोगों को लाभप्रद काम धन्धा मिल जाता है। पेड़ों, झाड़ियों जेलों और जड़ी-बूटियों के बहुत से फल फूल, पत्ते, तने अथवा जड़े, औषधियां मसाले और कीटनाशक दवाइयां बनाने के काम आती हैं। तेंदु के पत्ते जो बीड़ी बनाने में तम्बाकू पर लगेटने के काम आते हैं, अधिकतर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में वनों से इकट्ठे किए जाते हैं। लाख की खेती अनुसूचित जनजातियों के लगभग 30 लाख लोगों द्वारा मुख्यतः छोटा नागपुर और बिहार के संयाल परगना तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कतिपय भागों में की जाती है। अनुमान है कि लघु वन्य उत्पाद की पैदावार में आजकल मौसमी रोजगार 2500 लाख श्रम दिवसों से कम नहीं है। लघु वन्य उत्पाद का संग्रह वनवासी करते हैं जिन्हें आमतीर पर ठेकेदार और वन विभाग के एजेंट खरीदते हैं। आदिवासियों को मिलने वाली मजदूरी उससे बहुत कम होती है जो भूमिह्र मजदूरों को दी जाती है। लघु वन्य उत्पाद आदिवासियों की तकद रूपएँ पैसे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इसे वन विभाग के राजस्व का भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाने लगा है। आदिवासियों को दिए जाने वाले मूल्य का हिसाब उनकी मेहनत के अनुसार लगाया जाता है, कभी कभी तो दूरी में भिन्नता के कारण परिवहन की लागत को भी हिसाब में नहीं लिया जाता। जहूरी यह है कि आदिवासी को उसके द्वारा संग्रह की गई लघु वन उपज का पूरा पैसा मिले तथा उसे दिए गए मूल्य का बाजार में उस उत्पादन के विक्रय मूल्य से परस्पर संबंध रहना चाहिए। राज्यों द्वारा यह व्यवस्था किये जाने से लघु वन्य उत्पाद को राज्य की आय का स्रोत नहीं समझा जाएगा, संग्रह करने वाले आदिवासियों को उपयुक्त मूल्य मिलना निश्चित हो सकेगा, जिससे अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक दशा सुधरेगी। इसके अतिरिक्त, लघु वन्य उत्पाद को पैदा करने में आदिवासियों

को साथ मिलाने की निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि वे मात्र संग्रहकर्ता ही न बने रहें।

1.46 इसके अतिरिक्त सामाजिक वन खंड, जिनमें सामुदायिक भूमि, पंचायती भूमि, वनों की सीमान्त अवकमित भूमि तथा अलग अलग किसानों की भूमि पर ईंधन की लकड़ी और चारा एवं चरने के काम आने वाले छोटे पेड़ लगाना, आम, कटहल, केन्दु आदि के फल वाले पेड़ तथा अखाद्य तेल के पेड़ उगाना शामिल है, उगाए जाने चाहिए जो कि लघु वन उत्पाद के स्रोतों के पुनरुत्पादन के लिए अनुसूक्त का काम करेंगे। बिहार में सामाजिक वन्य खण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत, टसर की खेतीबाड़ी बड़े पैमाने पर की जा सकती है। गुजरात में बनाई गई एक योजना के अन्तर्गत 64 आदिवासियों की 100 हेक्टर भूमि पर वागान लभाए गए हैं। ये जमीनें अच्छी खेतीबाड़ी के उपयुक्त नहीं हैं तथा इनसे कमाई नहीं हो पाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आदिवासी अपनी एक या दो हेक्टर भूमि वन विभाग को सागौन और वांन उगाने के लिए देता है तथा उसे विदोहन की अवधि तक 250 रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष निर्वाह भत्ता दिया जाता है जो ऐसी भूमि की खेतीबाड़ी से होने वाली वार्षिक आय के बराबर है। 15 वर्ष के बाद वन विभाग द्वारा सागौन के पेड़ों का विदोहन किया जायेगा तथा उन्हें भूमि के मालिक की ओर से बेचा जायेगा। इन पेड़ों के लगाने की लागत तथा दिए गए निर्वाह भत्ते की रकम बिना व्याज के काट कर शेष शुद्ध रकम उसे दे दी जायेगी। एक ऐसी ही योजना भूमिहीन आदिवासियों को काम धन्धे के दीर्घकालीन अवतर प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिसके अन्तर्गत किसी एक परिवार को उपयुक्त किस्म के वागान वन विभाग की सीधी निगरानी और मार्गदर्शन में लगाने के लिए स्थायी रूप से रखा जाता है। वन विभाग इन्हें अपेक्षित सामग्री देता है। प्रत्येक परिवार को उसके श्रम के बदले 15 वर्ष तक 250 रुपये का मासिक मेहनताना दिया जाता है। इस अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक परिवार को तैयार पेड़ों की विक्री से होने वाले शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है।

आदिवासी विकास परियोजनाएं

1.47 आदिवासियों के विकास के लिए नया दृष्टिकोण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में अपनाया गया था जिससे मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया था, नामशः आदिवासियों की सघन आबादी वाले क्षेत्र, जगह जगह बिखरे आदिवासी और आदिम जनजातियां। 16 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में सघन आबादी वाले 50 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों को 179 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में बांट कर एक क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है जिसमें आदिवासियों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसमें नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और दादरा तथा नगर हवेली के आदिवासी बहुल राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जिनमें विकास के समस्त प्रयत्न आदिवासियों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की 65 प्रतिशत आबादी आ जाती है। मानदण्ड में ढील देने तथा क्षेत्र विकास योजना को छोटी योजना के शुरू से अनुसूचित जनजातियों की 10,000 आबादी वाले क्षेत्रों पर लागू करने से 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां इसके अन्तर्गत और आ जायेंगी। उप-योजना क्षेत्रों से बाहर उन जगहों में, जहां काफी आदिवासी आबादी है, जगह जगह बिखरे आदिवासी लोगों का 25 प्रतिशत एकीकृत ग्रामीण विकास के आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ जायेगा। तो भी यह आवश्यक है कि इन जगह जगह बिखरे

प्रादिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि कार्यक्रमों के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्र से भी महायोजना दी जानी चाहिए। तकनालोजी के कृषि पूर्व स्तर की 50 आदिम जातियों की जिनकी जनसंख्या में वृद्धि अवरुद्ध सी है, छांटो गया है तथा उनकी संरक्षण और विकास के लिए कुछ काम शुरू किया गया है। इनकी समस्याओं पर आदिवासियों के विकास के श्रेष्ठता में विशद चर्चा की गई है।

1.48 आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में जा विनियम और स्थूल लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं उन्हें देखकर कोई गलतफुट नहीं होता। वास्तव में संघीय राज्यों और गृह मंत्रालय ने आदिवासी विकास परियोजनाओं को कार्य प्रणाली के मूल्यांकन प्रणाली संबंधी अध्ययन नहीं किये हैं तथा इस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आदि जैसे राज्यों में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की कार्यप्रणाली का तेजी से मूल्यांकन करने की शीघ्र आवश्यकता है। प्रशासनिक ढांचे और कामियों की अनेक समस्याएँ हैं जिनकी जांच वारीकी से की जानी चाहिए। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का एकीकरण अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है तथा अनेक राज्यों में परियोजना अधिकारी प्रभावी भूमिका नहीं निभाते जिसकी अपेक्षा की गई थी। परियोजना अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी नहीं है। गुजरात सरकार ने परियोजना अधिकारियों को कुछ निधियों सौंपने के विचार का सूत्रगत किश या जिनका उपयोग वह विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा विकास को नई स्कीमें शुरू करने में कर सकता था। यह परिषदी अन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा द्वारा अपनाई गई है। इन दृष्टिकोण को अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को आवंटित निधियों न तो व्ययगत होनी चाहिए और न ही इन्हें किसी अन्य काम पर खर्च करने दिया जाये। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी उप योजनाओं के लिए परिषय का अव्ययगत मानने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था शुरू कर रही है जिसके अनुसार सरकार परियोजना क्षेत्रों में वर्ष के दौरान जितना खर्च कम होगा उनके धरावर शक्ति की प्रतिभूतियाँ खरीदेंगी। ये प्रतिभूतियाँ अगले वर्ष भुनाई जा सकेंगी तथा ये आदिवासी क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध होंगी। यह परिषदी अन्य राज्य सरकारों भी अपना सकती हैं ताकि राज्य क्षेत्र तथा विशेष केन्द्रीय महायोजना की निधियों व्ययगत न हों। कुछ राज्यों में उप योजना के समस्त परिवार को, प्रत्येक मुक्त कितात्मक शीघ्र के अन्तर्गत भिन्न भिन्न उप शीघ्रों में रखने की योजना, एक ही भाग के अन्तर्गत रख दिया गया है ताकि इन निधियों को अन्य कामों में न लगाया जा सके। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई विभाग, उन निधियों को किसी ऐसी अन्य क्षेत्र की गति-विधि पर खर्च करना चाहे जो उप योजना के अन्तर्गत नहीं आती तो वह उप योजना प्राधिकारों के अनुमोदन के बिना ऐसा नहीं कर सकता। अज्ञान नहीं राज्यों को अपनानी चाहिए ताकि आदिवासी उप योजना क्षेत्रों की निधियों उप योजना क्षेत्रों के बाहर गैर आदिवासी क्षेत्रों में न लगाई जा सकें। कार्यक्रम तैयार करने में स्थानीय आदिवासी नेता पर्याप्त रूप से सम्बद्ध नहीं रहे हैं। विकास संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने में एकीकृत आदिवासी विकास

परियोजना स्तर पर परियोजना समिति की शरीक करना चाहिए। परियोजना प्राधिकारियों की योजनाएँ मजूर करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए।

स्थानान्तरी कृषि (शिफ्टिंग कल्टीवेशन)

1.49 यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5.28 लाख अनुसूचित जनजाति परिवार 5.42 लाख हेक्टर से अधिक क्षत में स्थानान्तरी खेती में लगे हुए हैं। सूचित आदिवासियों के लिए स्थानान्तरी खेती एक बहुत पुरानी प्रणाली है और ऊँची-नीची भूमि में सीढ़ीदार खेत बनाने और भूमि तैयार करने पर बहुत अधिक लागत आती है, अतः स्थानान्तरी खेती के नियमन के कार्यक्रम में खेती के लिए सीढ़ीदार खेत बनाने के अतिरिक्त खड़ और चाकी जैसे पौधों के वापस लगाने, फलों के पेड़ लगाने तथा लघु वन्य उत्पाद के विकास के कार्यक्रम भी सम्मिलित किये जाने चाहिए, जिससे स्थानान्तरी खेती का विकल्प मिल सके। उड़ीसा सरकार द्वारा स्थानान्तरी खेती को कम करने के लिए जो प्रयत्न उठाए गए हैं, वे सही प्रतीत होते हैं। परन्तु इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जहाँ भी आदिवासियों की जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं, सीढ़ीदार खेत या खेती के योग्य बनाई गई घाटी की निचली भूमि दी जाती है, वहाँ उनकी भूमि को गैर-आदिवासियों द्वारा हस्तान्तरित न करा लिया जाए। इस क्षेत्र में प्रथम बार हुए सर्वेक्षण के पूरा होने पर इस प्रकार का एक मामला जुआंग पीड़ क्षेत्र के गुप्तगंगा गांव में दिखाई पड़ा, जहाँ 54.50 एकड़ भूमि जो आदिवासियों के अधीन थी तथा उनके द्वारा उपयोग की जाती थी, 56 जुआंग परिवारों को आवंटित कर दी गई है, जिनका मुख्य व्यवसाय पहाड़ी ढलानों पर स्थानान्तरी खेती करना है। यह पाया गया कि जंगलों को आवंटित की गई 54.50 एकड़ भूमि में से लगभग 20 एकड़ भूमि पर गैर-आदिवासियों द्वारा खेती की जाती है। जुआंगों की राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि के स्वामित्व के प्रलेख भी नहीं दिए गए हैं। तम्भव है कि यह एक आवारावाला पारला है, फिर भी अनुसूचित जनजातियों के हितधिकारियों के भूमि सम्बन्धी हितों के संरक्षण के लिए लगातार देखभाल की आवश्यकता है। जैसे-जैसे काफी बड़े क्षेत्रों में उद्यान लगाए जा रहे हैं यदि उन्हें आवंटित की गई जमीनें दूसरों द्वारा हस्तान्तरित करा ली जाती हैं तो स्थानान्तरी खेती करने वालों को विषय होकर सीमान्त क्षेत्रों की ओर जाना पड़ेगा जहाँ वे सामान्यतः न जाते। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भूमि पर आदिवासी स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं और जिसे अब फलों की उपज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें आदिवासियों की स्वाभाविक रुचि है, उस भूमि को उन आदिवासियों के स्वामित्व में ही रहने दिया जाना चाहिए जो वहाँ स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं। आदिवासियों की भूमि का अन्तर्ण रोकने के लिए बनाए गए कानून को यदि सही रूप से कार्यान्वित किया जाए, तो उससे इस बात का काफी सुरक्षण हो सकता है कि उनकी ऐसी भूमि जिस पर सरकारी पूंजी से फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, गैर-आदिवासियों के हाथ में न चली जाए। राज्य सरकारों के लिए आगामी कई वर्षों तक यह संभव नहीं होगा कि वे स्थानान्तरी खेती को रोक सकें। इसलिए यह बेहतर होगा कि स्थानान्तरी खेती के नियंत्रण की स्कीमों के साथ-साथ स्थानान्तरी खेती के उन अंगों जैसे खेतों में जल मार्ग और ढलान के पार प्राथमिक बांधों के निर्माण, जो भूमि कटाव को कम करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के कई आदिवासी समुदायों द्वारा किए जाने रहे हैं, को बढ़ावा दिया जाए।

पूर्वोत्तर भारत की स्थिति

1.50 पूर्वोत्तर भारत में विरोधाभासी स्थिति चल रही है। एक ओर तो पर्याप्त कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया है। विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना भी प्रभावशाली ढंग से सृजित की गई है। परन्तु साथ ही अधिकांश स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाने वाला वास्तविक विकास नहीं हो पाया है जिससे वहाँ के लोगों को गम्भीर निराशा हुई है और उससे शायद काफी लोग उम क्षेत्र के प्रशासनिक तथा राजनैतिक तंत्र से विमुख हो गए हैं। इससे इस बात पर भली प्रकार प्रकाश पड़ता है कि यदि सामाजिक-आर्थिक विकास का कोई सम्पूर्ण कार्यक्रम हाथ में लेकर केवल आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो वह अपर्याप्त होगा।

1.51 पूर्वोत्तर में एक विशेष महत्व की बात दिखाई पड़ेगी कि जहाँ भी तेजी से नगरीकरण हुआ है वहाँ नगरीय प्रवासियों में अधिक संख्या में आदिवासियों की है। यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों में अधिक संख्या में अल्प-संख्यकों की है। दूसरी ओर साक्षर आदिवासियों में काफी प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते जाते हैं। जनसांख्यिक संरचना के इस पैटर्न की सामाजिक तथा राजनैतिक उलझने हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इनकी ओर न तो नीति-निर्माताओं और न तत्कालीन शासकों ने पर्याप्त ध्यान दिया है। यह देखा होगा कि क्या एक ओर आदिवासियों में पुनर्जागरण की न प्रवृत्ति का और दूसरी ओर नए प्रकार के राजनैतिक दलों के निश्चित रूप उभरने का क्या इससे सम्बन्ध हो सकता है।

सेवाओं में आरक्षण

1.52 समाज के कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का सिद्धान्त स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले भी एक मान्य प्रथा थी। परन्तु सन् 1950 में लागू हुए हमारे संविधान ने न केवल इस नीति को विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा अपेक्षित बल प्रदान करके आगे जारी रखने की व्यवस्था की है बल्कि उमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए सुरक्षणों जिन में सेवा सम्बन्धी सुरक्षण सम्मिलित हैं के सभी मामलों के विषय में जांच पड़ताल करने के लिए सांविधिक मशीनरी की भी व्यवस्था की है। आरक्षण की नीति को संविधान के अनुच्छेद 46, 335 तथा 16(4) के निदेशात्मक, आज्ञापक तथा समर्थकारी उपबन्धों से समर्थन मिलता है।

1.53 जब से संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नवम्बर 1950 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का संगठन स्थापित किया गया है सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन की जांच-पड़ताल के बाद दिए गए विभिन्न सुझावों तथा की गई सिफारिशों से व्यवहार्य आरक्षण नीति विकसित होने में सहायता मिली है। इस नीति का लक्ष्य है कि इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यह सतत प्रक्रिया रही है प्रत्येक अनुभव से नीति को और विकसित करने तथा आरक्षण की मशीनरी को पूर्ण बनाने में सहायता मिली है। इस रिपोर्ट में पिछले कुछ प्रयत्नों की समीक्षा का प्रयास किया गया है ताकि अब तक बनाए गए तंत्र की पर्याप्तता तथा कमियों को परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके। आरक्षण की नीति की समीक्षा होने पर उसे महत्वपूर्ण न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थन मिल चुका है और कुछेक निर्णयों ने आरक्षण के कुछ पहलुओं को अधिक निश्चित रूप देने में सहायता की है।

1.54 पिछले तीस वर्षों की स्थिति को मूँडकर देखने से यह जान होता है कि आरक्षण की नीति सचमुच उत्तरोत्तर निश्चित

रूप धारण करती चली गई है। फिर भी अनिवार्य रूप से यही विचार बनता है कि संतोषजनक पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का दावा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

1.55 प्रगति का मूल्यांकन करते समय यह उचित होगा कि इन वर्गों के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति को देखा जाए। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.50% के आरक्षण की निश्चित प्रतिशतता के विपरित वास्तव में क्या प्राप्त हो पाया है? 1-1-1979 को अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में प्रथम श्रेणी ('क' समूह) में केवल 4.75, द्वितीय श्रेणी ('ख' समूह) में 7.37% तथा तृतीय श्रेणी ('ग' समूह) में 12.59% थी। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अधिक अंधकारमय है, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में क्रमशः 0.94%, 1.03% तथा 3.11% संख्या है। 1-1-78 को अनुसूचित जातियों के आरक्षण की जो स्थिति थी उसमें 0.26%, 0.44% तथा 1.09% (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी) तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में 0.10%, 0.16% तथा 1.10% की ताम-मात्र प्रगति हुई। 1957 में अनुसूचित जातियों को इन तीन श्रेणियों की यह स्थिति 0.71%, 2.0% तथा 7.03% थी तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में 0.10%, 0.32% तथा 0.62% थी। लगभग 15 वर्षों के पश्चात्, अर्थात् 1971 तक प्रतिनिधित्व की स्थिति में कुछ परिवर्तन का सुधार दृष्टिकोण होता है जैसे अनुसूचित जातियों के मामले में यह प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में 0.70, 4.41 तथा 10.61% तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में क्रमशः 0.45, 0.48 तथा 1.85% है। सार्वजनिक क्षेत्र के उप-क्रमों की सेवाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 2.03, 3.53 तथा 16.30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की तत्सम्बन्धी प्रतिशतता क्रमशः 0.47, 0.91 तथा 7.41 थी। बीमा क्षेत्र में 1-1-79 को प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 0.52, 0.27 तथा 4.45 प्रतिशत था; अनुसूचित जनजातियों की तत्सम्बन्धी प्रतिशतता क्रमशः 0.10, 0.12 तथा 0.44 थी। सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता केवल 2.12% थी तथा क्लर्कों की 11.69 तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्रमशः 0.35 तथा 2.18 थी। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत खराब नहीं तो बेहतर भी नहीं है। स्थिति का व्यौरा रिपोर्ट के अर्धाय 3 में देखा जा सकता है।

1.56 जो तस्वीर सामने है उससे विदित होता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की ओर प्रगति कच्छप गति की रही है। आरक्षण की नीति के पुनरीक्षण के लिए या उसे समाप्त करने के बारे में जो शोरमूल मचाया जा रहा है वह इससे निराधार सिद्ध हो जाता है। लोकसभा तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के आरक्षण की तत्सम्बन्धी नीतियों में आरक्षण की नीति बनाने के लिए कोई समझौता निर्धारित नहीं की गई थी। अतः सेवाओं में आरक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व कितना प्राप्त हुआ है। उसमें कहीं अड़चनों की आशंका थी तथा उन्हें दूर करने के प्रयत्न पर्याप्तता तक पहुंचने की लम्बी मन्त्रालय पार करते समय जारी रहने, साथ ही कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया। स्पष्ट है कि जब तक प्रतिनिधित्व में कमी बनी रहेगी तब तक, मात्र समान अवसर देने के बजाय विशेष अवसर देने की नीति को जारी रखना होगा। ऐसी परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि नीति को अधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जारी रखा जाए। इनके लिए आरक्षण का निर्धारण

न्यूनतम प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है जिससे अपेक्षित परिणाम थोड़े समय में शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो सकें तथा यह निहित स्वाधियों का वह लांछन लगने देने से पूर्व ही जाए जिसे कुछ लोग अनुसूचित रूप से लगते रहते हैं।

1.57 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति-निधित्व के अपेक्षित स्तर तक एक उचित समय के भीतर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि इस स्कीम को तए सिरे से देखा जाए। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण का सिद्धान्त अपने आप में ठोस है और उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है। फिर भी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जो लाभ मिलते हैं वे नाममात्र के ही प्रतीत होते हैं। अतः यह वांछनीय है कि पदों में प्रवेश के सभी स्तरों पर सीधी भर्तियाँ पर अधिक जोर दिया जाए। सभी सीधी भर्तियों तथा विशेषकर उन सेवाओं व संवर्गों की भर्तियों के लिए जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है, उनके लिए आरक्षण का प्रति-शत 15% तथा 7.50% से बड़ाकर क्रमशः 20% तथा 10% कर देना आवश्यक है। जब तक इस नीति को नहीं अपनाया जाता तब तक निकट भविष्य में प्रतिनिधित्व के अपेक्षित स्तर तक पहुंचने की आशा नहीं की जा सकती।

1.58 इस खराब स्थिति का यह भी एक कारण बताया जाता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। यद्यपि यह भी एक युक्तियुक्त कारण हो सकता है, फिर भी यह अनुभव किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्तियों में बहुत काफी सुधार हो सकता था यदि चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद-वारों को मिलने वाली ढीलों तथा रिश्वतों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी आदेशों का सिद्धान्त और व्यापार में टीक-ठीक पालन किया होता। समूह 'ग' तथा 'घ' के गैरतकनीकी अथवा अर्द्ध तकनीकी पदों के मामले में यह बात खामगीर से कही जा सकती है।

कार्यकारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना

1.59 इस अवसर पर यह प्रश्न करना शायद प्रारम्भिक नहीं हो कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक दायित्व के रूप में नियुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के साथ-साथ जुलाई 1978 में कार्यकारी आदेश द्वारा अलग से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आयोग स्थापित करने का क्या औचित्य था। इस प्रकार से गठित आयोग का कार्यक्षेत्र आयुक्त को सौंपे गए कार्यक्षेत्र से पर्याप्त: भिन्न नहीं है। शायद सरकार को उस परिस्थिति में निहित स्पष्ट अमंगल की जानकारी रही होगी जब दो नगण्यतर संगठनों को जिनमें से एकको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, एक जैसे कार्य करने को कहा जाए और साथ ही यह आशय हों कि वे दोनों एक दूसरे के अधिकारों का अति-लंघन नहीं करेंगे। अतः सरकारी अधिसूचना में इस बात का ध्यान रखा गया कि आयोग के कृत्यों से आयुक्त के प्राधिकार कम नहीं होंगे। अधिसूचना में यह महत्वपूर्ण समावेश शायद इस संभाव्य आलोचना से बचने के लिए किया गया कि अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार, जिन्हें विधि मंत्रालय ने सन् 1951 में प्रमाणिक रूप से स्फुट किया था, संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यान्वयन की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में आयुक्त के प्राधिकार तथा दायित्व की किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के नाम से तो जिम्मेदारी की जा सकती है और न उसे सौंपे जा सकते हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनु-

सूचित जनजातियों के आयुक्त के अधीन नहीं है अथवा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है परन्तु नए आयोग को गठित करते समय किंचित मात्र भी संस्थागत समन्वय की बात नहीं सोधी गई। निःसन्देह आयुक्त को भी अपनी वैयक्तिक हैमियत में आयोग का एक पूर्ण सदस्य बना दिया गया है।

1.60 ऐसी संशाधी अनुच्छेद 338 का संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की एक सदस्यीय संस्था को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहु-सदस्यीय आयोग में बदल दिया जाए। परन्तु यह किया नहीं जा सका। अतः यह बात ध्यान में रखनी उचित होगी कि इस द्विविधिता से आयुक्त को संगठन को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में आयोग को कठिनाई हुई तथा साथ ही उससे कोई विशेष बल नहीं मिला है। पिछले डेढ़ साल से आयुक्त के कार्यालय को जितने तनावपूर्ण दबाव में रहना पड़ता है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों संगठनों की सादृश्य स्थिति के कारण कई विभाग तथा उपक्रम तथा कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी आयुक्त द्वारा पुछी गई बातों अथवा भी जाने वाली जांचों के बारे में शिथिलता बरतने लगे।

1.61 क्षेत्रीय कार्यालय जो आयुक्त के आंख और नेत्र के रूप में महायत्न करने थे और जो कुछ समय पूर्व आयुक्त से ले लिए गए थे (इन कदम के बारे में कई समितियाँ प्रतिकूल टिप्पणियाँ कर चुकी हैं, इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति भी सम्मिलित है) और अब आयोग को अन्तर्गत कर दिए गए हैं, आयुक्त की लेशमात्र सहायता नहीं कर पाते हैं। आयोग के उसके मुख्यालय तथा क्षेत्रों में स्टाफ की संजूरी देने में देरी करने का यह परिणाम हुआ कि क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ से आयोग के मुख्यालय में क्रमानुसार (रीटेशन से) कार्य करवाया गया जिससे इन कार्यालयों का अपना सामान्य काम अस्त-व्यस्त हो गया। आयुक्त के संगठन को इन कार्यालयों से जो थोड़ी सहायता मिल पाती थी, वह भी इन परिस्थितियों में नहीं रही। यह स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों से जिनके लिए नदस्थापित आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अपनी स्थापना के बाद प्रारम्भ के कुछ महीनों में आयुक्त काफ़ी समय तक अप्रभावी रहा। उसके प्रभावी ढंग से कार्य शुरू होने में दूसरी स्कावट, जिसके लिए आयोग ही दोष का भागी है, यह थी कि उसने अभी तक कार्य की कोई सुनिश्चित पद्धति नहीं बनाई जो उसकी स्थापना से संबंधित सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसका सर्वप्रथम काम था। संश्रान्ति और अनिश्चितता के इस वातावरण ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्तमान संवैधानिक मशीनरी के कामकाज में भी बाधा पैदा कर दी है। अच्छा यही होता कि संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेद में पहले संशोधन किया जाता और फिर संविधान के उपबंधों के अनुसार आयोग की स्थापना की जाती, न कि किसी कार्यकारी आदेश द्वारा स्पष्टतः स्वतंत्र भागी जाने वाली ऐसी कोई मशीनरी स्थापित की जाती जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी गई संवैधानिक सुरक्षाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं के राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने के बारे में व्यापारधीन तथा श्रेया परीक्षक के रूप में कार्य करे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया कि इस प्रकार का कोई भी प्राधिकरण, अपनी कार्य प्रणाली के स्वरूप के कारण, एक मामले में सम्बन्धित वर्तमान संवैधानिक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र या अनिश्चयन करेगा।

1.62 अब जबकि आयोग बन चुका है और यह अपना लगभग आधा कार्यकाज पूरा भी कर चुका है, यह सुझाव है कि संविधान में संशोधन करने की बात को अग्रता दी जाए और जब तक संशोधन नहीं हो पाता तब तक आयुक्त को क्षेत्रीय कार्यालयों पर अपना पूर्ण नियंत्रण और

प्राधिकार रखने दिया जाए। ऐसा करना विधि मंत्रालय की उस राय के अनुरूप होगा जो उसने इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए कि प्रत्यायोजित शक्ति का और अग्रे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता जो संविधान के अनुच्छेद 338 के मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए दी थी।

1.63 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयुक्त या उसी तरह आयोग की सिफारिशें आदेशात्मक नहीं हो सकतीं, इस मांग में पर्याप्त बल प्रतीत होता है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का अलग मंत्रालय बनाया जाए तथा राज्यों में ऐसे ही विभाग मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में बनाए जाएं। श्रृंखला संविधान के अधीन विशेष वर्गों के लिए सुरक्षा पूरे राष्ट्र का दायित्व है, इसीलिए बही उचित है कि उनके बारे में केन्द्र तथा

राज्यों में उच्चतम स्तर पर कार्यवाही की जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि राष्ट्र के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम सुविधा-सम्पन्न वर्गों को एक उचित समय सीमा में शेष समाज के बराबर स्तर पर ले आया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि केवल इस कार्य के लिए केन्द्र में बिल्कुल अलग व्यवस्था की जाए। आज मुख्य आवश्यकता केवल इस बात की नहीं है कि जांच के परिणामों को आयुक्त अथवा आयोग की सिफारिशों के रूप में रख दिया जाए अपितु इस बात की भी है कि इस सारे कार्य को यथासंभव शीघ्रता से पूरा कराया जाए और यह काम एक ऐसे अलग मंत्रालय द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है जिसे अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो।

अनुबन्ध—I

1971 की जनगणना के अनुसार राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खेतिहर तथा कृषि श्रमिकों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल श्रमिकों की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

| राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम | अनुसूचित जाति में कुल श्रमिक (लाख में) | अनुसूचित जाति के खेतिहरों की संख्या | अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों में कुल श्रमिक (लाखों में) | अनुसूचित जनजातियों में खेतिहरों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों के कृषि श्रमिकों की संख्या |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आन्ध्र प्रदेश | 29.77 | 426,900 (14.34) | 2,126,833 (71.44) | 7.82 | 282,239 (36.09) | 383,595 (49.05) |
| असम * | 2.57 | 137,652 (53.56) | 39,712 (15.45) | 5.45 | 474,066 (86.98) | 29,632 (5.44) |
| बिहार | 30.85 | 352,966 (11.44) | 2,380,867 (77.18) | 17.85 | 1,061,562 (61.90) | 481,950 (28.10) |
| गुजरात | 6.02 | 110,371 (18.33) | 280,355 (46.57) | 15.07 | 728,380 (48.33) | 637,842 (42.33) |
| हरियाणा | 5.18 | 83,252 (16.07) | 261,211 (50.43) | अनु० जनजाति नहीं | अनु० जनजाति नहीं | अनु० जनजाति नहीं |
| हिमाचल प्रदेश | 3.04 | 214,290 (70.49) | 28,446 (9.36) | 0.70 | 57,627 (82.32) | 2,149 (3.07) |
| जम्मू तथा कश्मीर | 1.06 | 71,675 (68.62) | 9,764 (9.21) | अनु० जनजाति नहीं | अनु० जनजाति नहीं | अनु० जनजाति नहीं |
| कर्नाटक | 15.31 | 427,174 (27.90) | 720,609 (47.07) | 0.97 | 25,569 (26.36) | 43,870 (45.23) |
| केरल | 7.60 | 15,242 (20.06) | 500,810 (65.90) | 1.12 | 19,813 (17.69) | 69,817 (62.33) |
| मध्यप्रदेश | 21.97 | 823,214 (37.47) | 959,724 (43.68) | 33.34 | 2,072,230 (62.15) | 1,108,611 (4.33) |
| महाराष्ट्र | 11.70 | 152,642 (13.05) | 639,605 (54.67) | 13.64 | 561,134 (41.14) | 707,842 (51.89) |
| मणिपुर | 0.04 | 2,935 (73.38) | 464 (11.60) | 1.45 | 129,728 (89.47) | 602 (6.42) |
| मेघालय | 0.01 | 157 (15.70) | 126 (12.60) | 3.69 | 289,494 (78.45) | 35,431 (9.60) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| नागालैंड | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | 2.25 | 201,851 (89.71) | 2,204 (0.98) |
| उड़ीसा | 11.11 | 304,910 (27.44) | 546,525 (49.19) | 17.67 | 925,564 (52.38) | 648,976 (36.73) |
| पंजाब | 9.57 | 102,281 (10.69) | 554,947 (57.99) | अनु०जन- जाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं |
| राजस्थान | 13.49 | 717,809 (53.21) | 286,787 (24.26) | 10.23 | 835,627 (81.68) | 117,151 (11.45) |
| तमिलनाडु | 30.45 | 559,682 (18.38) | 1,952,505 (63.79) | 1.37 | 61,698 (45.04) | 51,204 (37.38) |
| त्रिपुरा | 0.54 | 25,840 (47.85) | 16,317 (30.33) | 1.42 | 107,122 (75.43) | 28,628 (20.16) |
| उत्तर प्रदेश | 62.63 | 2,719,571 (43.42) | 2,641,117 (43.17) | 0.81 | 63,604 (78.52) | 6,819 (3.42) |
| पश्चिम बंगाल | 25.36 | 846,951 (33.40) | 1,079,390 (42.56) | 9.51 | 296,661 (31.15) | 465,700 (48.97) |
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | 0.05 | 2 (0.004) | 3 (0.006) |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.001 | 17 (17.00) | 30 (30.00) | 2.11 | 199,634 (94.61) | 3,142 (1.49) |
| चण्डीगढ़ | 0.10 | 43 (0.43) | 545 (5.45) | अनु०जनजाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं |
| दादरा तथा नगर हवेली | 0.004 | 228 (50.00) | 53 (12.00) | 0.32 | 24,281 (75.88) | 5,783 (6.07) |
| दिल्ली | 1.92 | 634 (0.33) | 7,851 (4.09) | अनु०जन- जाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं |
| गोआ, दमन तथा दीव | 0.06 | 453 (7.55) | 853 (14.22) | 0.03 | 601 (0.20) | 1,476 (49.20) |
| लक्षद्वीप | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | अनु०जाति नहीं | 0.07 | 4 (0.005) | .. |
| पाण्डिचेरी | 0.31 | 1,319 (4.25) | 23,953 (77.27) | अनु०जन- जाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं | अनु०जनजाति नहीं |
| कुल | 290.66 लाख | 8,101,567 (27.87) | 150,44,761 | 146.24 लाख | 84,18,491 (57.56) | 48,32,427 (33.04) |

देश में कुल श्रमिकों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को छोड़कर 1366.78 लाख देश में कुल खेतिहरों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर 616.57 लाख देश में खेतिहरों का प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को छोड़कर 45.11 देश में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर 276.12 लाख देश में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर 20.20

*मिजोरम को भी मिलाकर

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षणों की व्यवस्था

अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों तथा एंग्लो इंडियनों के हितों को बढ़ावा देने और उनके सुरक्षण के लिए संविधान में विभिन्न सुरक्षणों की व्यवस्था की गई है। इन सुरक्षणों को मोटे तौर से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:—

1. संरक्षक सुरक्षण

- (क) शैक्षिक सुरक्षण—अनुच्छेद 15(4) तथा 29
- (ख) रोजगार के लिए सुरक्षण—अनुच्छेद 16(4), 32(4) और 333
- (ग) सामाजिक सुरक्षण—अनुच्छेद 17 तथा 25
- (घ) जनजातियों के लिए शैक्षिक सुरक्षण—अनुच्छेद 19
- (ङ) जबरन मजदूरी का उन्मूलन—अनुच्छेद 23
- (च) सामाजिक अत्याचारों तथा हर प्रकार के शोषण से संरक्षण—अनुच्छेद 46
- (छ) अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन—अनुच्छेद 244 व 339

2. राजनैतिक सुरक्षण

- (क) लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए सीटों का आरक्षण—अनुच्छेद 330, 332 तथा 334
- (ख) लोक सभा तथा विधान सभाओं में एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व—अनुच्छेद 331, 333 और 334
- (ग) बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति—अनुच्छेद 164
- (घ) नागालैंड, असम तथा मणिपुर के बारे में विशेष व्यवस्थाएं—अनुच्छेद 371(क), 371(ख) व 371(ग)

3. विकासात्मक सुरक्षण

- (क) अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के शैक्षिक तथा शैक्षिक हितों को बढ़ाया—अनुच्छेद 46
- (ख) जन जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सरकार से अनुदान—अनुच्छेद 275
- (ग) मुक्त कानूनी सहायता की व्यवस्था—अनुच्छेद 39(क)

4. अन्य पिछड़े वर्ग

- (क) पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति—अनुच्छेद 340

2.2 अनुसूचित जातियों, जन जातियों, एंग्लो इंडियनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जिन मुख्य संवैधानिक सुरक्षणों की व्यवस्था की गई उनमें से कुछ की चर्चा आगामी पंराग्रामों में की गई है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त का संगठन

2.3 संविधान में इस बात का उपबंध है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए किये गये सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा तथा इन सुरक्षणों के कार्यपालन के बारे में राष्ट्रपति को तब तब रिपोर्टें पेश करेगा

जैसा कि राष्ट्रपति आदेश देंगे। और राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। उक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के हवालों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा निदिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों के तथा आंग्ल-भारतीय (एंग्लो इंडियन) समुदाय के हवाले भी शामिल हैं।

2.4 संविधान के उपर्युक्त अनुबंध के अनुसरण में विशेष अधिकारी का पद सबसे पहले 18 नवम्बर, 1950 को भरा गया था और उसे अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त का पदनाम दिया गया था। अब तक, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त की 26 रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आयुक्त ने अपना काम बहुत ही सीमित स्टाफ लेकर शुरू किया लेकिन कार्य के विस्तार के साथ-साथ उनकी संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। साथही, आयुक्त को एक क्षेत्रीय संगठन प्रदान किया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के सहायक आयुक्त के पदनाम का पहला क्षेत्रीय अधिकारी जनवरी, 1952 में नियुक्त किया गया। उसका कार्यालय शिलांग में था तथा कार्यक्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य थे। देश के विभिन्न भागों में स्थित इन क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या सन् 1965 तक बढ़ कर 17 हो गई। आयुक्त को कुछ गैर मौखिक कार्य भी सौंप दिये जाते थे, जैसे कुछ प्रबन्ध समितियों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना तथा राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं के बारे में संघ सरकार को सलाह देना। यह स्थिति सन् 1967 तक रही जबकि उनके कार्यालय का पुनर्गठन हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन

2.5 संघ सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सन् 1967 में यह सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय को पुनर्गठित किया जाना चाहिए क्योंकि वह विभाग यह महसूस करता था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न स्कीमों के मूल्यांकन के लिए उसका अपना ही क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए। तदनुसार विभाग ने आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों की भंग करके अपने ही आंचलिक कार्यालय बनाये जिनमें अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ले लिया गया। विभाग ने सोचा कि ये आंचलिक कार्यालय आयुक्त को भी रिपोर्टें भेजेंगे। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि आयुक्त को अपने ही अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टें के आधार पर अपना मूल्यांकन करना है न कि सरकारी विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 338 की भावना के प्रति कपट होगा। इस विचार को सन् 1951 में विधि मंत्रालय द्वारा दी गई व्यवस्था से भी पुष्टि मिली कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त को सौंपे गये कर्तव्यों को "किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को" नहीं सौंपा जा सकता "जो विशेष अधिकारी के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं" और फिर भी आयुक्त से क्षेत्रीय संगठन लेकर पिछड़े वर्ग-कल्याण के महानिदेशक के अधीन कर दिया गया।

2.6 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के तत्कालीन आयुक्त ने सुझाव दिया कि समाज-कल्याण विभाग को यह नहीं चाहिए

कि वह अपना क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए आयुक्त को उनके क्षेत्रीय संगठन से बंचित कर दे। इसका समर्पण विभिन्न समितियों ने भी किया। उन्होंने आयुक्त से क्षेत्रीय संगठन ले लिये जाने पर नाराजगी जाहिर की और सिफारिश की कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के पास क्षेत्रीय संगठन पहले की तरह रहना जरूरी है। इनमें अस्पष्टता तथा अनुसूचित जातियों की अधिक तथा शैक्षिक विकास समिति (श्री एल्लैया पेशमल की अध्यक्षता में), आदिवासी विकास कार्यक्रम अधिवन दल (श्री श्रीलूधा जो की अध्यक्षता में) और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति (श्री० डी० वगुमतारी की अध्यक्षता में) शामिल थीं। श्री वगुमतारी समिति के कुछ विचार इस प्रकार हैं :

“समिति का यह पक्का विचार है कि आयुक्त के क्षेत्रीय संगठन को समाप्त करके सरकार ने आयुक्त के संगठन को न केवल पंगु बना दिया है और उसे देश में जनकी “आंदोलों और कानों” से बंचित कर दिया है अपितु उसके पद, उसके स्तर, उसके प्राधिकार और संवैधानिक दायित्व को बहान करने की उसकी क्षमता भी समाप्त की है।”

“अतः समिति जोरदार सिफारिश करती है कि आयुक्त को उसका अपना एक क्षेत्रीय संगठन सुझाया जाय। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि वह आयुक्त को सभी आवश्यक स्तरों पर क्षेत्रीय संगठन पुनः निर्मित और स्थापित करने योग्य बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे। संगठन के अधिकारियों व स्टाफ की संख्या और तैनाती का निर्णय स्वयं आयुक्त ही करे।”

पुनर्गठन के बाद, आयुक्त के अधीन निर्मादिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय ही बचा था।

आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन/विस्तार के लिए प्रस्ताव

2.7 आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के बाद, मुख्यालय कार्यालय को सशक्त करने तथा कुछ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। मार्च, 1970 में एक प्रस्ताव यह रखा गया कि कई अनुसंधान दलों एवं सेवा दलों (सर्वेक्षण दलों) की स्थापना हो। इनमें से कुछ मुख्यालय पर रहें और कुछ देश के विभिन्न भागों के संवेदनशील क्षेत्रों में रहें। नारे देश के लिए सन् 1972 में मुख्यालय को 5 अनुसंधान दलों एवं 5 सर्वेक्षण दलों के अलावा, 18 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव था। आयुक्त तथा क्षेत्रीय संगठनों के लिए अतिरिक्त स्टाफ की सिफारिश की गई—जिसका समर्पण संसदीय समिति, तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (1972) ने तथा तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री (1975) ने भी किया। उपर्युक्त प्रस्तावों के बावजूद आयुक्त के संगठन को सुदृढ़ नहीं किया गया। आयुक्त के कार्यालय को लगभग सन् 1967 जैसे स्टाफ से ही चलाया जा रहा है जबकि वह उस समय भी पर्याप्त नहीं पाया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए आयोग की नियुक्ति

2.8 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत स्थापित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के एक संवैधानिक कार्यालय के अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए एक पांच सदस्यीय* आयोग की स्थापना जुलाई 1978 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई। इस बहु सदस्यीय आयोग को लगभग बड़ी हद तक चोपे गये जो अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के आयुक्त द्वारा लिए जा रहे थे। भारत सरकार ने

क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पिछड़े वर्गों के महाविदेणक से लेकर आयोग को दे दिए, ये क्षेत्रीय कार्यालय 1967 में आयुक्त से ले लिए गए थे। सरकार ने बहु सदस्यीय आयोग को तांत्रिक प्राधिकार देने के उद्देश्य से संविधान (46 वां संशोधन) अधिवेक, 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद -338 में संशोधन करवाता चाहा। यह बिल लोक सभा में गिर गया।

अस्पृश्यता उन्मूलन

2.9 संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत ‘अस्पृश्यता’ समाप्त कर दी गई और किसी भी रूप में उसका व्यवहार निषिद्ध घोषित किया गया। तांत्रिक किस्म की हिन्दू धार्मिक संस्थाओं को हिन्दूओं के सभी वर्गों एवं उन वर्गों के लिए खोल देने के लिए अनुच्छेद 25 (2) (ख) भी संशोधित है। संविधान के अनुच्छेद 35 (क) (ii) के तहत लोक सभा द्वारा अस्पृश्यता (अपराध), अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित हुआ और 19 नवम्बर, 1976 से लागू हुआ। इसका नाम बदलकर इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का नाम दिया गया है। अधिनियम की निम्नलिखित भोटी-भोटी बातों पर अनुसूचितों परामर्शों में विचार किया गया है।

- (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की समन्वित करने के लिये जरूरी हों और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पृश्यता उन्मूलन से मिलने वाले अधिकारों का संबंधित व्यक्ति लाभ उठा सके, स्वयं केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में हर वर्ष एक रिपोर्ट संघ के दोनों सदनों को सभा पत्रों पर रखेगी।
- (2) किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता से हुई किसी अपसर्पता के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रदान जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल होगी।
- (3) अधिनियम के उपायों के उल्लंघन के मामलों में मुकदमा चलाने या अभियोजनों के पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति।
- (4) अधिनियम के तहत हुए अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।
- (5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पृश्यता उन्मूलन के फल-स्वरूप मिलने वाले अधिकार संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, उपायों के निर्धारण और उनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियों की स्थापना।
- (6) अधिनियम के उपायों के बेहतर क्रियान्वयन के उपाय सुझाने की दृष्टि से अधिनियम के उपायों के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण।
- (7) ऐसे क्षेत्रों को ढूँढ निकालना जहाँ लोग अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी प्रकार की असमर्थता भुगतते हैं।
- (8) अस्पृश्यता संबंधी अपराधों के उन मामलों में जिनमें तीन मास तक की कैद की सजा दी जा सकती है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।
- (9) राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है जो अस्पृश्यता के अपराध करने या उकसाने से सम्बद्ध हैं, तथा
- (10) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपायों को कार्यान्वित करने के लिए निधम बनाने की शक्ति दी गई है।

* 1—श्री मोला पासवान भास्त्री, संसद सदस्य, अध्यक्ष।

2—श्री सिधिर कुशार, भूतपूर्व संसद सदस्य व अनुसूचित जातियों जन जातियों के आयुक्त, सदस्य।

3—श्री ए० जय राधन, भूतपूर्व संसद सदस्य, सदस्य।

4—श्री टी० एच० नेगी, अध्यक्ष, हिन्दुत्व प्रवेश विधान सभा, सदस्य।

5—श्री एस० के० सतिशर, आई० सी० एम० (अवकाश प्राप्त), सदस्य।

संसद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम विषयक वार्षिक रिपोर्ट

2.10 अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों का केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्वय करने तथा संसद के दोनो सदनो में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने विषयक विन्दु (प्लसिंट) संख्या 1 की स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय में पुलिस उप-महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए उपायों का समन्वय करने के साथ साथ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे, जिसे कि अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संसद के दोनो सदनो में प्रस्तुत करनी होती है। अधिनियम के कार्याचालन पर वर्ष 1977 की रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 20 तथा 21 दिसम्बर, 1978 को प्रस्तुत की गई थी। गृह मंत्रालय ने अपनी नियम-निर्मात्री शक्तियों के अधीन (धारा 16 ख) (1) राज्य सरकारों के लिए यह निर्दिष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 15 (क) की उप धारा (1) तथा (2) के अधीन पिछले पंचांग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अपनाये गए उपायों का सारांश, उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए। खेद है कि वर्ष 1978 की रिपोर्ट वर्ष 1979 के अन्त तक भी दोनों सदनो के पटल पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। वर्ष 1979 की रिपोर्ट भी अभी प्रस्तुत की जाती है और आशा है कि वर्ष 1978 तथा वर्ष 1979 की अलग अलग रिपोर्टें शीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दी जायेंगी। अधिनियम में यद्यपि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संसद में बहस की ही जाए, फिर भी सुझाव है कि रिपोर्ट पर बहस के फलस्वरूप अस्पृश्यता के विद्यमान होने तथा उसके उन्मूलन के लिए जो कदम अभी उठाये जाने हैं, उन पर अधिक ध्यान केंद्रित हो सकेगा।

कानूनी सहायता सहित समुचित सुविधाएं

2.11 अस्पृश्यता से पिड़ोत व्यक्तियों को को समुचित सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में, जिसमें कानूनी सहायता भी सम्मिलित है, विन्दु संख्या 2 के विषय में यह उल्लेख कर दिया जाए कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की मशीनरी को सुदृढ़ करने के एक स्कीम केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना में सम्मिलित की गई थी तथा छठी योजना में भी इसे जारी रखा गया। वर्ष 1978-79 के दौरान 45 लाख रुपये की राशि 10 राज्यों में वितरित की गई। गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 1978 में जारी किए गए मार्ग निर्देशों में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारों को इस विधि का उपयोग गोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन कर असमर्थताओं के शिकार व्यक्तियों, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा साधारण जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए; इसके अतिरिक्त इस विधि का उपयोग पर्यवेक्षी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी किया जाए, जिनमें कि किसी मामले के दर्ज होने की अवस्था से लेकर न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने तक क्षेत्र में उचित पर्यवेक्षण का काम सौंपा जाय, जिससे ऐसे मामलों के कालातीत होने से पहले ही उनका पुनरीक्षण कराने अथवा अपील कराने के संबंध में वे सुझाव दे सकें; इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही स्थापित प्रकोष्ठों में अनुसंधान कक्ष के गठन के लिए भी इसका उपयोग किया जाय, जिनका मुख्य काम अस्पृश्यता से ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण करना होगा। बिहार, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के संबंध में उपलब्ध जानकारी से देखते में आया है कि राज्य सरकारों द्वारा कानूनी

सहायता देने के लिए 1.6 लाख रुपये [बिहार (रु० 1.10 लाख), महाराष्ट्र (0.25) तथा राजस्थान (0.25 लाख)] की राशि व्यय की जाती थी। बिहार में कानूनी सहायता देने तथा अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए 1.10 लाख रुपये की राशि संजूर की गई थी। व्यवहारतः सभी राज्यों में पदियों की, पदियों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की नियुक्ति है, कानूनी सहायता देने की स्कीम है, जोकि अधिकार मामलों में ररितों को दी जाने वाली "गरीब" कानूनी सहायता है। उपलब्ध जानकारी* से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, कश्मिर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, छिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और गोवा, दमन तथा दिव, दादरा व नगर हवेली तथा पांडिचेरी में अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों की विभिन्न प्रयोजनों के लिए कानूनी सहायता देने की ररियों का कार्यान्वयन होने लगा है। इस संबंध में सुझाव दिया जाता है कि शेष राज्य सरकारों को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने वाली स्कीमें लागू करनी चाहिए। देखने में आया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से तैयार की गई स्कीमों के अन्तर्गत सहायता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई आय की सीमाओं में काफी अंतर है। आय की यह सीमा आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 रुपये वार्षिक से लेकर केवल पंजाब में 6000 रुपये वार्षिक तक है। यह भी देखने में आया है कि राज्य सरकारों द्वारा कानूनी सहायता देने के लिए नियत राशि बहुत से राज्यों में जल्दी प्रक्रियाओं तथा उचित समय पर समर्थ कानूनी के अभाव में उपयोग में लाये बिना ही रह जाती हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि गृह मंत्रालय को इस प्रश्न पर इस उद्देश्य से सविस्तार विचार करना चाहिए कि कानूनी सहायता का समय पर संवितरण कराने के लिये संबंधित प्रक्रिया को सुधराही बनाया जा सके। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वार्षिक आय की सीमा काफी नीची है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों की अपने राज्य की योजना के बजट से करनी चाहिए न कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जा वाले विशेष आर्थन से।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये अभियोजनों की देखरेख करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

2.12 विन्दु संख्या 3 अर्थात् अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अधियोजनाओं को चलाने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में किसी भी राज्य सरकार ने वांछित रूप में कार्यवाही नहीं की है। केवल गुजरात सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति पर विचार कर रही है, जिसका काम न्यायालयों के उन निर्णयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें दोषियों को मुक्त कर दिया गया है, जिससे अधिनियम के अधीन मामलों का जांच करने वाले तथा न्यायालयों में शिकायतें दाखल करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए मार्ग निर्देश तैयार किये जा सकें। प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्य सरकारें अपने द्वारा स्थापित विशेष प्रकोष्ठों के कार्य चालन से संतुष्ट हैं और वे इन्हीं प्रकोष्ठों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अधिनियम के इस उपबन्ध का कार्यान्वयन करायेंगे। विधिक न्यायालयों में मामलों के पंजीकरण तथा निपटान के संबंध में राज्य, जिला अथवा उससे भी नीचे के स्तरों से जांचकारी तो अवश्य एकल करने हैं; परन्तु इस संबंध में कोई जानकारी

*राज्यवार व्यौरों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।

नहीं है कि अधिनियम के अधीन जहाँ अपराधियों पर मूकदण्ड चलाया जाता है वहाँ वे न्यायालयों की दैनंदिन कार्यवाही प्रारम्भ करने अथवा उनके ऊपर पर्यवेक्षण रखने का काम करते हैं या नहीं।

2.13 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन के दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय है, अतः अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध के मामलों में अभियोजन सामान्यतः सरकारी वकीलों तथा लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोजेक्यूटर्स) द्वारा चलाए जाते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर चलाये जाने वाले अभियोजनों का संचालन करने अथवा उन पर अपना पर्यवेक्षण रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के पीछे यह गन्तव्य प्रतीत होता है कि अभियोजकों को इन मामलों में विशेषज्ञ विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा सके। कई बार दोषी व्यक्ति समाज के धार्मिक वर्ग से संबंधित होते हैं तथा वे सक्षम वकीलों के सेवार्थ प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और लोक अभियोजकों के द्वारा अपर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण बहुत मामलों में बरी हो जाते हैं। इसीलिए उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन चलाये जाने वाले अभियोजनों के संचालन तथा पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों को नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव पर राज्य सरकारों को विचार करना चाहिये।

विशेष न्यायालयों की स्थापना

2.14 अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में उपलब्ध जानकारी से प्रतीत होता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों के विरुद्ध किये गये अपराधों के विचारण के लिए केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ही अपने पांच जिलों के संबंधित मुख्यालयों में चले न्यायालयों की स्थापना की है। ये जिले हैं पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, महबूब नगर, कडप्पा तथा चित्तूर है। इन पांच जिलों का चयन राज्य सरकार द्वारा इन जिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों के विरुद्ध हो रहे अपराधों की बहुलता की सूचना के आधार पर किया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि तब तक भी आवश्यकता हो तो इन न्यायालयों को मामलों के शीघ्र निपटान के लिए गांवों में भी जाना चाहिए। तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें भी इन विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अपने अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श कर रही हैं। गुजरात सरकार सीराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्रों के लिए राजकोट में और जेप क्षेत्रों के लिए अहमदाबाद अथवा महगाना में एक और चले न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न को बम्बई उच्च न्यायालय के साथ उठाया था, किन्तु उच्च न्यायालय ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। तथापि बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अनुदेण जारी किये कि वे मामलों को सुनिश्चित रूप से शीघ्र निपटाये तथा यह भी निदेश दिया कि अधिनियम के अधीन कोई भी मामला 6 माह में अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में यहाँ यह स्पष्टकर दिया जाए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों पर अत्याचार विषय मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 (1) के अधीन तथा अपराधों के विचारण के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15 (क) (2) (iii) के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित किये जा सकते हैं। विशेष न्यायालयों की स्थापना के सुझाव पर इस बात की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लोगों में सरकार की इस दृढ़ धारणा के प्रति विश्वास स्थापित हो कि सरकार शीघ्र न्याय दिलाने तथा अपराधियों को प्रतिरोधक शोषता से दण्ड दिलाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकारों

तथा उच्च न्यायालयों द्वारा सामान्यतः व्यक्त यह विचार कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराधों की अल्प संख्या के आधार पर विशेष न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, उन सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है जिन्हें हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को लागू करके प्राप्त करना चाहते हैं। आशा है कि शेष राज्य सरकारें भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों के मामलों तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आने वाले अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करेगी।

समितियों की स्थापना

2.15 अस्पृश्यता उन्मूलन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अधिकारों को उन्हे उपलब्ध कराने के लिए, कितने उपायों को अपनाया जाये, यह निश्चित करने तथा उनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियों की स्थापना* के संबंध में देखने में आया है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में राज्य स्तर समितियाँ प्रमुख मंत्रियों की अध्यक्षता में, स्थापित की गई हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में राज्य स्तर समितियाँ अनुसूचित जाति कल्याण के प्रमारी गणियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में राज्य स्तर समितियाँ गैर शासकीय/शासकीय व्यक्तियों की अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं, जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के सदस्य हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में जिला स्तर समितियाँ स्थापित की गई हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा उत्तर प्रदेश में तालुक/तहसील स्तर पर भी समितियाँ स्थापित की गई हैं। उड़ीसा में उप मण्डल स्तर पर भी ऐसी समितियाँ स्थापित की गई हैं। राज्य स्तर तथा जिला/उपमण्डल/तहसील स्तर पर काम कर रही समितियों के कार्यान्वयन के मध्य भी संपर्क रहना चाहिए; उच्च स्तर की समिति को केवल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों के पंजीकरण तथा निपटान पर ही नहीं बल्कि अस्पृश्यता के प्रचलन की मात्रा और उसे दूर करने के उपायों पर भी विचार करना चाहिए। इन सभी समितियों में गैर सरकारी व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यदि ये समितियाँ सतर्क रहें और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों तथा सिफारिशों पर त्वरित कार्यवाही की जाये तो कोई कारण नहीं कि इस समस्या का निवारण न किया जा सके। अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जाति के लोगों का सहयोग इन समितियों के प्रभावी रूप से काम करने के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यह भी देखने में आया है कि कुछ राज्यों में ये समितियाँ निष्क्रिय हैं और कार्य सम्पन्न करने के लिए कमी ही मिलती होगी। जिलों के दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे देखें कि इन समितियों को बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं या नहीं तथा इन बैठकों में दिए गए सुझावों पर कार्यवाही शुरू की गई है या नहीं।

आवधिक सर्वेक्षण

2.16 अधिनियम में एक सुझाव दिया गया है कि अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की दिशा में उनके बेहतर अनुपालन के उपाय सुझाने की दृष्टि में आवधिक सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष धारा 15 (क) की

*राज्यवार ध्यौरों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।

उपधारा (1) और (2) के अधीन किए गए उपायों का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की प्रतियां इस संगठन को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपनी रिपोर्टों में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में अपना मूल्यांकन और उनके बेहतर अनुपालन के लिए उपाय बताएंगी। विभिन्न राज्यों में जो प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, उनसे इस कार्य को करने की आशा की जाती है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति के अनुसार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में उपाय किए जाने होंगे। राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों के विस्तृत विवरण पर 'अस्पृश्यता' सम्बन्धी अध्याय 7 में चर्चा की गई है।

अस्पृश्यताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान

2.17 अस्पृश्यताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। गुजरात में अहमदाबाद (ग्रामीण), बेहसाना, सावरकाठा और सुरींदर नगर जिलों में गैर अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों के उत्पीड़ित किए जाने की समस्या सामने आई है, जहाँ पर राजस्व-व-पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इस रिपोर्ट के 'भूमि और ऋण' सम्बन्धी अध्याय में इन प्रकोष्ठों के कार्यकलाप के बारे में चर्चा की गई है। महाराष्ट्र में विशेष प्रकोष्ठ ने 19 जिलों में अनेक स्थानों को ताजुक क्षेत्रों की सूची में रखा है। केरल में कन्नातोर जिले के कामरगोड और हासदुर्ग ताल्लुका के भीतरी क्षेत्रों को इस रूप में पहचाना गया है। उत्तर प्रदेश में विशेष पुलिस प्रकोष्ठ और हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय में अनुसंधान सर्वेक्षण और मूल्यांकन केन्द्र को ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार, ने सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान को यह पता करने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है कि राज्य में किस सीमा तक अस्पृश्यता विद्यमान है। मध्य प्रदेश में राज्य आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग के अधीन विशेष प्रकोष्ठ इस समस्या का सर्वेक्षण करेगा। अनेक राज्यों में गैर सरकारी संस्थाओं को अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकारी अनुदान दिया जा रहा है और अनेक गैर सरकारी संस्थाएँ जिनमें अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ प्रमुख है, अपने कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में अस्पृश्यताग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण कर रहा है। संघ द्वारा किए गए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष का उल्लेख 'सामाजिक विकास' अध्याय में किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का संगठन अपनी स्थापना के समय से ही अस्पृश्यता के प्रचलन के बारे में सर्वेक्षण करता रहा है और निष्कर्षों को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता रहा है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में अस्पृश्यता बहुत व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उन क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है जहाँ पर अस्पृश्यता बहुत व्यापक रूप में है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रथा के उन्मूलन के लिए जनता के सहयोग से ठोस कदम उठाए जाएँ।

संक्षिप्त विचारण

2.18 अधिनियम की धारा 15 (1) में व्यवस्था की गई है कि अस्पृश्यता संबंधी सभी अपराधों का, जिनमें तीन महिने से अधिक दण्ड न दिया जाता हो, विचारण संक्षिप्त प्रणाली से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर में श्रेत में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए यह एक नया ढंग है जो 1976 में अधिनियम में शामिल किया गया था। यह मालूम नहीं है कि अधिनियम का यह प्रमुख उपबंध कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं।

सामूहिक जमाने

2.19 अधिनियम की धारा 10 (क) (i) के अंतर्गत राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र के ऐसे निर्वासियों पर जो अस्पृश्यता अपराधों से संबंधित हो अथवा ऐसे अपराधों को प्रोत्साहन करने वाले को, सामूहिक जमाने करने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 1977 में सामूहिक जमाने करने से पहले राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली जांच की प्रणाली निर्धारित की थी। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि गुजरात सरकार के अलावा जिनसे एक गांव में दाण्डिक जमाना किया था किसी अन्य राज्य सरकार ने अधिनियम के इस उपबंध का सहारा नहीं लिया है। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में जहाँ कुछ समय पहले अनुसूचित जाति और नववैधों की जान और माल का बड़े पैमाने पर संगठित ढंग से विनाश हुआ वहाँ राज्य सरकार ने गांव वालों पर सामूहिक जमाना करना ठीक नहीं समझा और इस संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा वाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

2.20 धारा 16 (ख) (1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि पहले बताया गया है कि किसी क्षेत्र के निर्वासियों पर जो अस्पृश्यता अपराधों से संबंधित हो अथवा अस्पृश्यता प्रोत्साहित करने वाले हों, सामूहिक जमाने करने से पहले किस ढंग से जांच की जाए इस विषय में तथा राज्य सरकारों द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, इनके अलावा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अन्य कोई नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। अधिनियम में ऐसे अनेक उपबंध हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार को नियम अधिसूचित करना आवश्यक है जिससे कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिन्हें अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करना है इसमें अपेक्षित विभिन्न उपायों पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। आशा है कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम के ठीक ढंग से कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने की कार्रवाई शीघ्र करेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में नियम अधिसूचित किए जाने चाहिए उनमें से एक अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में होना चाहिए :

बंधुआ मजदूरी

2.21 जिस आजादी को गांधी जी के उच्च और महान आदेशों के झंडे के नीचे प्राप्त किया गया था उसके 32 वर्ष बाद भी यह आश्चर्य की बात है कि यह देश ऐसी बर्बर गलांसी, ऐसी क्रूर दासता का जो मनुष्य ने मनुष्य के ऊपर थोपी है, सहन कर रहा है। 28 वर्ष से भी अधिक समय हो गया जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 'वेगार' और अन्य प्रकार की जबरन मजदूरी को निषिद्ध घोषित किया गया था, फिर भी देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से मानव शरीर के व्यापार की प्रथा, बंधुआ मजदूरी की शकल में प्रचलित है। कुछ राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता से पूर्व और बाद में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए हैं किन्तु राज्य सरकारों की ओर से प्रवर्तन में कड़ाई न होने में और उनके उदासीन भाव के कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन की दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल पाई है।

2.22 बंधुआ होने का प्रश्न केवल आर्थिक और सामाजिक ही नहीं है यद्यपि इसके शिकार अधिकतर सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के बिल्कुल अधोभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही होते हैं। इस दृश्य का मूल तथ्य यह है कि एक जनतांत्रिक देश में बंधुआ मजदूरी

कर प्रचलन मानव अधिकारों का धारण ही है। इस प्रकार इस प्रथा के प्रचलन से देश के बुनियादी जनताधिकार ढंके को आघात पहुंचता है।

आयुक्त के संगठन की बंधुआ मजदूरों की पहचान करने में मार्ग प्रशस्तकारी भूमिका

2.23 यदि हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों को 1951 से आगे देखें तो उसमें उन स्थानों का जहां पर बंधुआ मजदूरी/जबरन मजदूरी देखने को मिली एवं उसके उन्मूलन के लिए सिफारिशों का उल्लेख मिलता है। बाद के पैराग्राफों से पता चलेगा कि देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी के प्रचलन का भंडा फोड़ने में यह संगठन अग्रणी रहा है। आयुक्त के संगठन की संतोष है कि 1951 तथा उसके बाद भी लगभग सभी रिपोर्टों में इस प्रथा का बार बार उल्लेख करने के फलस्वरूप ही केन्द्रीय सरकार ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय कानून बनाया है। विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में बंधुआ मजदूरी का हवाला संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :-

(i) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1951 की पहली रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि मजदूर जांच समिति द्वारा 813 गांवों के सामान्य ग्राम अनुसूची से एकत्रित आंकड़ों का एक हवाला दिया गया था जिससे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, पेश्वर, मध्य भारत और जम्मू एवं कश्मीर के 74 गांवों में किसी न किसी रूप में जबरन मजदूरी का पता चलता था। आयुक्त ने बताया कि जबरन मजदूरी अभी भी प्रचलित है और इस गैर कानूनी प्रथा के कारण अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही कष्ट भोगते रहे हैं। अतः आयुक्त ने सरकार से संबंधित प्राधिकारियों को जबरन मजदूरी के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बहुत स्पष्ट आदेश देने और अपराधियों को चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या गैर सरकारी व्यक्ति या निकाय हों, उन्हें उदाहरणात्मक दंड देने की सिफारिश की।

(ii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने एजेंसी क्षेत्रों (जो अब आन्ध्र प्रदेश का भाग बन गए हैं) का दौरा किया और वर्ष 1953 की वार्षिक रिपोर्ट में अपने प्रेक्षकों का उल्लेख किया कि आदिवासियों को 'बेगार' अथवा जबरन मजदूरी से मुक्ति दिलाने के लिए 'मुखदारी' प्रथा को भी 'जमींदारी' प्रथा के साथ-साथ समाप्त करना होगा मुखदार जो स्वयं आदिवासी ही होता है। आदिवासियों को आतंकित करने का अजीब तरीका अपनाता है। वह आदिवासियों के लिए जमींदारों की तुलना में, अधिक हानिकारक था।

(iii) 1956-57 की रिपोर्ट में बताया गया था कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश (विध्य प्रदेश क्षेत्र), बम्बई, पंजाब और राजस्थान राज्यों में बेगार की प्रथा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी और यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारें दौरों पर रहने वाले अपने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करें कि जब कभी उन्हें बेगार अथवा जबरन मजदूरी प्रथा के किसी मामले का पता चले तो संबंधित लोगों को उपयुक्त चेतावनी दी जाए और इस रिश्ता से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उनके धरुद्ध इस गैर कानूनी प्रथा की रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(iv) वर्ष 1959-60 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि कृषि दासता की तरह की प्रथा

अभी प्रचलित है। उसकी जांच पड़ताल की जाए कि वह किस सीमा तक व्याप्त है और ऐसे श्रमिकों की मजदूरी की गणना की गई दरें किस सीमा तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है।

(v) वर्ष 1960-61 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ भागों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा प्रचलित थी और यह भी बताया गया था कि यद्यपि अन्य क्षेत्रों से संबंधित निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनेक अन्य राज्यों में भी विभिन्न प्रकार की जबरन और बंधुआ मजदूरी प्रचलित है। इस वर्ष के दौरान राजस्थान में किए गए इस प्रथा की विभिन्न पहलुओं के सर्वेक्षण के सूचना विप्लव इस रिपोर्ट में विस्तार से दिए गए और यह सिफारिश की गई कि राजस्थान सरकार को मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 के कार्य चालन के बारे में कड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। वह सुझाव भी दिया गया कि उड़ीसा सरकार को उड़ीसा कृषि दासता उन्मूलन विनियम 1948 को म्यूटरंज और सुन्दरगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने की तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस विनियम के अन्तर्गत नियम बनाए जाने चाहिए।

(vi) वर्ष 1961-62 की रिपोर्ट में केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में बंधुआ मजदूरी के प्रचलन के विषय में बताया गया। यह सिफारिश की गई कि महाराष्ट्र सरकार यह पता लगाए कि उनके राज्य में बेगार प्रथा कितनी प्रचलित है और इस बन्द करने के लिए उपयुक्त विधायी उपाय खोजें तथा उड़ीसा में गोधी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून को अधिक कड़ा बनाया जाए और उसके अन्तर्गत अपराधियों को पर्याप्त दण्ड देने की व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दौरों के समय 'पोधी' के मामलों का पता करने के लिए कहा जाए और इस प्रथा की निन्दा करने के लिए जनभावना जागृत करने के लिए प्रचार भी किया जाए। यह सिफारिश भी की गई थी कि मैसूर सरकार को जीप प्रथा और बंधुआ मजदूरी अथवा जबरन मजदूरी के अन्य रूपों की अनिष्टकर प्रथा को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

(vii) वर्ष 1962-63 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि जम्मू और कश्मीर, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यह प्रथा विभिन्न रिश्ताओं रूपों में प्रचलित थी और उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस प्रथा के बारे में खोरे दिए गए थे। यह सूचित किया गया था कि मुरत की 'हाली' प्रथा के समान 'बध्ना' प्रथा अधिकतर दादर तथा नगर हुबेली के दुबला आदिवासियों में प्रचलित है। यह सिफारिश की गई थी कि उड़ीसा गोधी प्रथा पूरी तरह समाप्त की जाए, गोधियों को नीकरी में लगाना संज्ञेय अपराध माना जाए तथा उसके लिए सख्त दंड और सतर्क प्रचार की व्यवस्था की जाए तथा राजस्थान में समझे प्रथा को समाप्त करने के लिए पुलिस विभाग को सख्ती के आंकड़ों की सुनवाई के लिए विशेष अनुदेश दिए जाएं। मद्रास कल्याण विभाग को भी अपने क्षेत्र अधिकारियों को हिदायतें देनी चाहिए कि वे अपराधियों की रिपोर्टें करने में पुलिस की सहायता करें। जिन क्षेत्रों में मजदूरी प्रथा प्रचलित है, उनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य कर रही

सर्वोच्च एजेंसियों को भी इस समस्या के समाधान के लिए और राजस्थान सगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन में विशेष रुचि लेनी चाहिए। यह सिफारिश भी की गई थी कि जबरन और बंधुआ मजदूरी प्रथा का प्रचलन चाहे कितनी भी मात्रा में क्यों न हो, वह स्वतंत्र और समतावादी समाज की आकांक्षा करने वाले कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है। सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्र प्रशासनों को इस प्रकार की हानिकार प्रथा से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या और उनकी सेवाशर्तों का पता लगाने और उन्हें कृषि योग्य वंजर भूमि आवंटित कर के तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके उन्हें ऐसी दासता से मुक्त कराने के लिए संगठित प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि वे अपने आपको एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह पुनः स्थापित कर सकें।

(viii) वर्ष 1963-64 के दौरान इस संगठन ने मैसूर, उड़ीसा, और राजस्थान में बंधुआ मजदूरी प्रथा के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण किए थे। उस रिपोर्ट में इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष संक्षिप्त किए गए हैं यह सुझाव दिया गया था कि उड़ीसा में उड़ीसा ऋण दासता उन्मूलन नियम 1963 के अंतर्गत श्रम करार करने वाले लोगों को संख्या पर नजर रखी जाए और राज्य सरकार के कल्याण और राजस्व विभाग के क्षेत्र कर्मचारी मजदूरों से आधिकारिक रूप से पड़ताल करते रहे कि क्या उन्हें वास्तव में नियत शर्तों के अनुरूप ही भुगतान किया जा रहा है। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि उड़ीसा ऋण दासता उन्मूलन नियम 1963 के नियम 9 के अंतर्गत अपराधों का प्रशमन तहसीलदारों द्वारा किया जा सकता है, उससे आदिवासियों के हितों की समुचित रक्षा नहीं हुई हो और परिणामस्वरूप विनियम के उपबंधों का अपवंचन हुआ हो। यह सुझाव भी दिया गया था कि राजस्थान सगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 के उपबंधों को कड़ा बनाने के लिये अधिनियम के अधीन अपराधों को गैर-जमानती करार दिया जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राजस्थान में ऋण राहत और सगड़ी प्रथा के उन्मूलन के लिए अधिनियम के उपबंधों को चलते फिरते न्यायालयों द्वारा इंगूरपुर जिलों में प्रभावित गावों में दौरा करके लागू किया जाए। राजस्थान के सगड़ी आमतौर पर अनुत्पादक कामों के लिए ऋण लेते हैं। इस लिए अनुत्पादक कार्यों के लिए नाममात्र व्याज दर पर थोड़ी राशि के अल्प अवधि ऋणों की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जांच करनी चाहिए और राजस्थान सगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 के अधीन कारवाई करने के लिए सगड़ी के मामलों की रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया था कि राजस्थान में सगड़ियों के लाभ के लिए भूमि सुधार की व्यवस्था, बीजों, उर्वरकों और बैलों की पूर्ति मकानों के निर्माण आदि सहित भूमि-बंदोबस्त को एकीकृत स्कीम तैयार की जानी चाहिए। एक अन्य सिफारिश में यह सुझाव दिया गया था कि उत्तर-प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की समस्या की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि कोल्डा लोग स्वच्छ जीवन व्यतीत कर सकें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि केरल में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन के लिए प्रस्तावित विधायी उपायों को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व वहां के बंधुआ मजदूरों की आर्थिक दशा का विशेष सर्वेक्षण किया जाय जिससे कि कानून व्यापक बन सके और वास्तविक स्थिति के उपयुक्त हो।

(ix) वर्ष 1964-65 के दौरान यह पुनः बताया गया था कि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित है। उस रिपोर्ट में केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्राप्त कुछ और व्योरे भी दिए गए थे। उस अवधि में आयुक्त के संघटन द्वारा महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूरी के प्रभाव क्षेत्र का पता लगाने के लिए किए गए ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण का उल्लेख भी किया गया था। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि बंधुआ मजदूरी प्रथा थाना जिले में प्रचलित है क्योंकि जिले में कुछ आदिवासी विकास खंडों में ऐसे कुछ मामलों की जानकारी मिली थी। आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश के हसीरपुर और बाराबंकी जिलों में दौरा करते समय यह बात सामने आई कि किसान लोग अपने यहां काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को कर्ज देते हैं। यह देखने में आया कि कर्ज पर व्याज नहीं लिया जाता किंतु जब तक कर्ज न चुकाया जाय तब तक कर्जदार को किसानों के यहां सोकर के रूप में काम करना पड़ता है। यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकार को कृषि मजदूरों के लिए उचित न्यूनतम मजदूरी नियत करनी चाहिए और उसे दृढ़ता से लागू करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

(x) वर्ष 1965-66 की रिपोर्ट में मैसूर के कुछ उत्तरी जिलों में अनुसूचित जातियों और 'देदर' नामक अनुसूचित जाति में भी विचित्र प्रकार की वैश्यावृत्ति का हवाला दिया गया था। इस अवधि के दौरान पूर्वा गोदावरी जिले के मरेदुमिल्ली आदिवासी विकास खण्ड के 8 चुनिंदा गावों में जहां पर कि आदिवासी जनसंख्या लगभग 80 प्रतिशत थी, एक सीमित सर्वेक्षण भी किया गया था। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि बंधुआ मजदूरी का प्रभाव विभिन्न रूपों में मौजूद था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश (अनुसूचित जनजाति) ऋण राहत विनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) साहूकार विनियम, 1960 के प्रवर्तन की जांच करे और उनके संतोपजनक प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित निरीक्षण और जांच की व्यवस्था शुरू करे। इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों से अलग रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को उपयुक्त कानून द्वारा राहत दी जानी चाहिए। एक अन्य सिफारिश में बताया गया कि बिहार राज्य सरकार को बिहार साहूकारी अधिनियम 1939 के उपबंधों को सख्त करके और पांचवी अनुसूची के अंतर्गत उपयुक्त विनियम बना कर दोनों तरह से साहूकारी प्रथा पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों को तेजी से लागू करना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए साहूकारी निरीक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र मंजूर कर देना चाहिए। जब तक कमचारियों की मजूरी मिले और उनकी तैनाती हो, तब तक आदिवासी विकास खण्डों के साहूकारिता के लिए विस्तार अधिकारियों को साहूकारों की स्थापनाओं का नियमित निरीक्षण और जांच करने के अनुरोध दिए जाएं जिससे कि उन पर कुछ तो नियंत्रण रहे। इन अधिकारियों को बम्बई साहूकारी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत अपेक्षित शक्तियां प्रदान की जायें। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई कि महाराष्ट्र सरकार बम्बई साहूकारी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत साहूकारी सम्बन्धी बड़े अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करके अवैध साहूकारी को नियंत्रित करे।

- (xi) वर्ष 1966-67 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कृषि से जुड़ी हुई दासता का एक संशोधित रूप अभी भी प्रचलित है और अपनी गरीबी के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इस प्रथा का शिकार हो रहे हैं। यह बताया गया कि उन्हें कभी-कभी साहूकारों से खपया उधार लेना पड़ता है और जब तक कर्ज की वापस अदायगी न हो जाए तब तक बदले में उसके यहाँ काम करने के लिए वे राजी हो जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस मामले में अनुसूचित जनजाति के लोक सबसे अधिक कष्टयोगी रहे हैं कि वे ही अधिक निरक्षर हैं और साहूकारों के छट-कपट में आसानी से आ जाते हैं।
- (xii) वर्ष 1967-68 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जबरन मजदूरी के मामलों को प्रभावी और स्थायी रूप से निपटाने के लिए यह जरूरी है कि इस प्रथा को सज्जेय अपराध मानने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाए, कठोर क्षेत्र संगठन स्थापित किया जाए, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं दी जाएं, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक दशा सुधार कर उनकी ऋण लौटाने की क्षमता को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गैर-उत्पादक कार्यों के लिए भी अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करने की प्रायोगिक स्कीम का विस्तार सुविधापूर्वक अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए। उन लोगों को समझाकर उनमें मितव्ययिता की आदत डालने की कोशिश भी की जानी चाहिए। इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाएं उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से निकालने का एक कारगर तरीका यह भी है कि उनके पुराने ऋणों को अपलिखित कर दिया जाए।
- (xiii) वर्ष 1968-69 की रिपोर्ट में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा दावरा और नागर हवेली में बन्धुआ मजदूरी के प्रचलन का भी हवाला दिया गया था। इस संबंध में उत्तर-प्रदेश के देहरादून जिले में जौनवार वावर क्षेत्र के कोल्टाओ और अन्य कारीगर श्रेणी के लोगों का सर्वेक्षण किया गया था, जिन पांच गांवों का सर्वेक्षण किया गया उन सभी में यह प्रथा प्रचलित पाई गई।
- (xiv) वर्ष 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में भी विभिन्न राज्यों में बन्धुआ मजदूरी प्रथा के प्रचलन की सूचना दी गई थी। इस रिपोर्ट में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मैसूर में प्रचलित इस प्रथा के और ब्यौरे दिए गए हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। यह सुझाव दिया गया कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सेवा की दिशाओं का और इन प्रथाओं से प्रभावित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए संगठित प्रयास करने चाहिए तथा उपयुक्त विधायी और प्रशासकीय उपाय करके इस प्रकार की कृषि दासता से इन्हें मुक्त करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें कृषि योग्य बंजर भूमि तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी जाएं जिससे कि वे स्वतंत्र व्यक्ति की भांति अपने आपको पुनः स्थापित कर सकें।
- (xv) वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट में बताया गया था कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा किसी न किसी रूप में अनेक राज्यों में अभी भी प्रचलित है। यह सुझाव दिया गया था कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का यही स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन करने चाहिए। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए अभी तक विधायी उपाय नहीं किए गए हैं वहां शीघ्र आवश्यक कानून बनाए जाने चाहिए। अपराधियों के साथ सख्ती की जाए और बन्धुआ मजदूरी सज्जेय अपराध माना जाए।
- (xvi) वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि बन्धुआ मजदूरी अथवा जबरन मजदूरी की प्रथा कुछ राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित थी। यद्यपि कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इसके प्रचलन के बारे में इनकार किया है किन्तु फिर भी ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे विश्वास किया जाता है कि वहां यह कुप्रथा अभी भी है। कुछ राज्य सरकारों ने जिन्होंने पहले इस प्रथा के प्रचलन से इनकार किया था, बाद में संसद में प्रश्न होने पर उन्होंने इस प्रथा के मौजूद होने की पुष्टि कर दी। संदर्भाधीन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि वर्ष 1973 के दौरान कुछ संसद सदस्यों ने राज्य सभा और लोक सभा में 'बिगार' और कुछ अन्य प्रकार की जबरन बन्धुआ मजदूरी की आलोचना की थी। यह देखा गया कि अधिकांश राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस बात को मानना नहीं चाहते थे कि उनके क्षेत्र में बन्धुआ मजदूरी प्रचलित है। इस संगठन को प्राप्त हुए उत्तरों से पता चलता था कि यह प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है किन्तु यह तथ्य नहीं था। यह अनुभव किया गया कि जब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन्धुआ मजदूरी को गंभीर समस्या के रूप में नहीं लेते तब तक वे इस कुप्रथा को रोकने के लिए उपयुक्त विधायी/विकासात्मक उपाय नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई थी कि **आंध्र प्रदेश** के अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ भागों में बन्धुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित थी किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त पत्र में बताया गया था कि बन्धुआ मजदूरी प्रथा लुप्त हो चुकी है। जाहिर है कि राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण जिला कलक्टरों से प्राप्त उत्तरों पर आधारित था। यह सुझाव दिया गया कि चूंकि इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि बन्धुआ मजदूरों की आर्थिक स्थिति इस सीमा तक सुधर गई है कि 8 वर्ष की अवधि के दौरान यह प्रथा समूल नष्ट हो गई है, इसलिए राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थान को इस विषय में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिहार राज्य में बन्धुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित थी। इस संगठन के अध्ययन दल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि पलामऊ जिले के कुछ भागों में उक्त प्रथा प्रचलित थी। उस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि बन्धुआ मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:-
- (क) जहां कहीं बन्धुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित हो और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का जहां पर उसके प्रचलन की संभावना हो, गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।
- (ख) किसी विशिष्ट अवधि तक बन्धुआ होकर रह चुके बन्धुआ आदिवासियों के पुराने ऋणों को घटा दिया जाना चाहिए और इस तरह से ऋणदाता को देय जो राशि बने उसकी अदायगी किसी सहकारी समिति अथवा सरकारी समिति विभाग द्वारा कर दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्र में उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (ग) उन साहूकारों पर मुकदमा चलाया जाए जो सक्षम प्राधिकारों की अनुमति के बिना साहूकारी का व्यवसाय चला रहे हैं।

- (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना और जमींदारों की भूमि पर काम करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी की नकद अदायगी के लिए जोरदार प्रचार करना ।
- (ङ) यथा संभव अधिक से अधिक बंधुआ मजदूरों को कृषि योग्य भूमि का, खेती करने के लिए कृषि निवेशों सहित, आवंटन ।
- (च) बंधुआ मजदूरों को मजदूरी की नकद अदायगी प्राप्त करने के अधिकार पर जोर देने और वर्तमान कानून के उपबंधों के अंतर्गत पुराने ऋणों के निपटान में उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त कर्म-चारियों की नियुक्ति ।
- (छ) बंधुआ मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की स्कीमों विद्यार्थ गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए ।
- (xvii) वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में ऋण प्रस्तता बंधुआ मजदूरी प्रथा के प्रचलित रहने का प्रमुख कारण है । रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अनेक अध्ययन रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि होती थी कि यह प्रथा बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिल नाडु और लक्षद्वीप राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है । रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विधितः स्थिति की ही बात करते हैं और अपने क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी विद्यमान होने की वस्तुतः स्थिति को स्वीकार नहीं करते । जब कुछ अध्ययन किए गए, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में इस बुराई के प्रचलन को प्रकाश में ला दिया, तभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने अनिच्छा से इस तथ्य को यह कहते हुए माना कि यह समस्या स्थानीय है और एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है । इस अवधि के दौरान यह सिफारिश की गई कि इस तथ्य से इनकार तो नहीं किया गया कि यह समस्या मुख्यतः आदिवासी और अन्य देहाती तथा पिछड़े क्षेत्रों में है । किन्तु इस समस्या का समाधान वर्तमान कानून में पाई गई कमियों को दूर करके और जहां पर इस प्रकार के कानून नहीं हैं वहां पर तप उपयुक्त कानूनी उपाय करके किया जाना चाहिए । धूँक बंधुआ/जबरन मजदूरी की समस्या ऋण-प्रस्तता का ही सीधा परिणाम है । अतः इसका हल ऋण नियमन अधिनियमों में उपयुक्त खंडों का समावेश करके किया जा सकता है जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा पहले ही किया गया है । इस समस्या को दूर करने के लिए कानून के अन्तर्गत उपबंध जोड़ देना ही काफी नहीं है वरन् उपयुक्त प्रचार तंत्र द्वारा संबंधित व्यक्तियों को जो आमतौर पर अनपढ़ होते हैं, इसकी व्यापक रूप में जानकारी कराना आवश्यक है । इन लोगों को ऐसे कानूनों उपबंधों की जानकारी भी हो तब भी वे इसका उपयोग उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का आश्वासन न हो कि उन्हें भविष्य में ऋण लेने और इन ऋणों में स्वयं फिर बंधने के लिए पुनः अपने स्वामियों के पास नहीं जाना पड़ेगा । जैसा

कि ऊपर सुझाव दिया गया है, ऋणप्रस्तता की समस्या के साथ साथ इस समस्या का समाधान भी, दोनों मोर्चों पर करना होगा—पहला, पुराने ऋण की वचन-बद्धताओं को कम करना और समाप्त करना तथा दूसरा उनकी भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त संगठन की व्यवस्था करना ।

(xviii) वर्ष 1974-75 की रिपोर्ट में देश में किसी न किसी रूप में बगार अथवा जबरन मजदूरी के रूप में मनुष्यों के अवैध व्यापार की प्रथा के चलन के क्षिय में उल्लेख किया गया था । इसमें बताया गया था कि गांवों में उच्च स्तर के लोग इस प्रकार का शोषण कर रहे हैं और इससे सबसे अधिक कष्ट पिछड़े वर्गों को मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, भोगना पड़ता है ।

(xix) वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट में उन राज्यों की स्थिति बताई गई थी जिन्होंने अपने यहां बंधुआ मजदूरी की प्रथा की मौजूदगी से इनकार किया था । वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में, बंधुआ मजदूरी प्रथा की पहचान के लिए किए गए सर्वेक्षणों और उन राज्यों की स्थिति जिन्होंने बंधुआ मजदूरी का पता लगाया, के बारे में विस्तृत सूचना दी गई ।

2.24 यदि हम इस संगठन द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित बंधुआ मजदूरी प्रथा के बारे में पिछले वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों के साथ इसकी विभिन्न टिप्पणियों और सिफारिशों का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का कार्यालय पिछले ढाई दशक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख करता आ रहा है, किन्तु बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश 1975 कहीं 25 अक्टूबर 1975 को जारी हुआ जिसे संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करके 19 फरवरी, 1976 से लागू किया गया । यह बात देखने की है कि इस समस्या का पता सन् 1951 में ही कर लिया गया था किन्तु केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय कानून बनाने में लगभग 25 वर्ष लगे । केन्द्रीय कानून द्वारा 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के बाद ही कुछ राज्यों में यह समस्या कुछ सीमा तक मुलझाई गई जिसके परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूर हजारों की संख्या में मुक्त हुए और उनमें से कुछ का पुनर्वास किया गया । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1975-77 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि आयुक्त की सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली गई होती और उन पर तत्परता से कार्रवाई की गई होती तो हजारों बंधुआ मजदूर जो आजादी के बाद भी गुलामों की तरह मरे, उन्हें कम से कम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक की भांति मरने का संतोष तो हुआ होता ।

बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2.25 दिल्ली के एक संगठन अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के विकलांग लोगों की कल्याण समिति ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का ध्यान इस बात की ओर आकषित किया कि हरियाणा में एक ईट भट्टे के मालिक के यहां बंधुआ मजदूर हैं । जनवरी, 1979 में एक दल को जिसमें श्री वी० के० आदवा, अनुसंधान अधिकारी और श्री नेतराम, वैयक्तिक सहायक थे, हरियाणा की बहादुरगढ़ तहसील के कुरमपुर पाई गांव में मौके पर जांच करने के लिए

भेजा गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ईट भट्टे के मालिक ने राजस्थान का एक आदमी अपने यहां नींदरी पर रखा जिसने ईट भट्टे पर निकासी मजदूर के रूप में काम करने के लिए राजस्थान से 30 मजदूरों की व्यवस्था की। उन्हें भट्टे से प्रति हजार ईंटों की निकासी के लिए रु० 4.75 की दर से और लदाई के लिए रु० 2.75 प्रति हजार की दर से भुगतान किया जा रहा था। बाद में ये दरें संशोधित करके 5 रु० प्रति हजार ईट भट्टे से निकालने के लिए और 3 रु० लदाई के लिए कर दी गई। इसके अलावा भट्टा मालिक निकासी मजदूरों की अन्य मजदूरों से काम कराने पर, कमीशन देने पर भी सहमत हो गया था। निकासी मजदूर ने आरोप लगाया कि भट्टा मालिक ने बहुत ता रूखा उसके नाम बताया दिखाया हुआ है और ईट भट्टे से निकालने के लिए रु० 5.80 प्रति हजार तथा ईंटों की लदाई के लिए रु० 3.50 प्रति हजार की वर्तमान दरों से मजदूरों को अदायगी नहीं की जा रही है। ऐसा ज्ञात हुआ कि भट्टा मालिक ने अपने खाखौदा ईट भट्टे पर उस मजदूर द्वारा अन्य मजदूरों से कराए गए कार्य का कमीशन भी नहीं दिया था। अध्ययन से पता चला कि मजदूर को उसके परिवार सहित ईट भट्टा मालिक ने उसकी इच्छा के विरुद्ध अनुचित ढंगों से रोख रखा था। वह उसके यहां अब काम करना नहीं चाहता था और राजस्थान में अपने घर जाना चाहता था। बाद में इस मामले में वहादुरगढ़ के उप-मंडल मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श किया गया और मजदूरों की दासता से मुक्त करने का प्रबंध किया गया किन्तु ऐसा लगा कि उन मजदूरों पर भट्टा मालिक ने दबाव डाला और बाद में उन्होंने लिख कर दे दिया कि वे उसी भट्टा मालिक के यहां काम करते रहेंगे।

2.26 ज्ञात हुआ है कि जिस संगठन ने इस मामले की हमे रिपोर्ट की थी, उसने बाद में राजस्थान में झुंझनू जिले में एक न्यायालय में मामला दायर किया और उसने इन मजदूरों की ईट भट्टा मालिक के बंगल से मुक्त करा लिया। यह भी बताया गया कि हरियाणा में विभिन्न ईट भट्टों पर कार्य करने वाले 200 और मजदूरों को इस संगठन ने मुक्त कराया है। इस मामले में उस संगठन की बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए जिसने उन्हें मुक्त कराया। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में बंधुआ मजदूरी विद्यमान होने की बात को बराबर ब्रिवादास्पद बनाए रखा और श्रम मंत्रालय ने भी हरियाणा में बंधुआ मजदूरी विद्यमान होने के विषय में नहीं बताया। श्रम आयुक्त, हरियाणा से हाल ही में प्राप्त एक पत्र में राज्य में बंधुआ मजदूरी की समस्या के विषय में बताया गया है। ऐसी आशंका है कि विभिन्न ईट भट्टों पर अनेक मजदूर गुलामी की जिदगी बिता रहे होंगे। इस लिए यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न राज्य सरकारों को श्रम विभागों को अपने संबंधित राज्यों में ईट भट्टों का सर्वेक्षण करना चाहिए और यदि वहां कोई बंधुआ मजदूर हों, तो उनका पता लगा कर उन्हें मुक्त कराने की तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।

2.27 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे के समय वहां के आदिवासी कल्याण मंत्री से बंधुआ मजदूरी और राज्य के कुछ भागों में इसके प्रचलन के विषय में विचार विमर्श करने का अपसर मिला था। यह बताया गया कि आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक निबंध में उल्लेख किया गया है कि थाणा जिले के वलिया में यह प्रथा प्रचलित है। महाराष्ट्र की भूमिसेना ने भी पालगढ़ तहसील

में इसके प्रचलन की सूचना दी है। सन् 1976 में 20 गांवों में एक सर्वेक्षण किया गया था और 261 भागलों में से 100 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया था। वहां देखी गई मुख्य बातों में से कुछ संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं—

- (क) 50 प्रतिशत बंधुआ मजदूरों को 600 रु० से कम राशि के लिए बंधुआ बनाया गया और 50 प्रतिशत को 600-1500 रुपये के लिए।
- (ख) 33 प्रतिशत को 0 वर्ष से कम अवधि के लिए बंधुआ रखा गया और 67 प्रतिशत को 6 वर्ष से अधिक समय के लिए, इसमें अधिकतम बंधुआ अवधि 21 वर्ष तक की थी।
- (ग) 33 प्रतिशत को मूल ऋण की राशि वाद नहीं की, 87 प्रतिशत को कर्ज की वसतमान जोड़ राशि को जानकारी नहीं थी और 70 प्रतिशत को यह पता नहीं था कि कितना ऋण तिज जा चुका है।
- (घ) 79 प्रतिशत व्यक्ति विवाह के बाद बंधुआ बने।

2.28 यहाँ यह स्मरण किया जा सकता है कि इस कार्यालय ने महाराष्ट्र में धुलिया जिले के नंदुरवार और साह्या ताल्लुकों में बंधुआ मजदूर पद्धति की विद्यमानता पर एक सर्वेक्षण भी किया। इस सर्वेक्षण का वीरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की धर्य 1975-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि बंधुआ मजदूर पद्धति के तत्व इन दोनों में अचर्य ही मौजूद हैं। फिर भी राज्य सरकार ने इस पद्धति के विद्यमान होने की बात स्वीकार नहीं की और इन ताल्लुकों में परीक्षण के तौर पर पड़ताल करने का निर्णय किया तथा जिले के पुलिस और राजस्व प्राधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने के अनुरोध दिए। इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय तक महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि सम्बन्धित जिले के पुलिस तथा राजस्व प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या वातवाई की।

2.29 इस समस्या के दो पहलू हैं : (1) जिन बंधुआ मजदूरों का अभी तक पता नहीं था, उनका पता लगाना, और (2) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना। राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 1977 में ग्रामीण विकास से सम्बद्ध प्रशासकों तथा परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कार्यशाला आयोजित की थी ताकि उन्हें बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जा सके। गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से संस्थान ने नवम्बर, 1977 में इस विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर किया गया राष्ट्रीय सर्वेक्षण इसी सहयोग का परिणाम था। यह सर्वेक्षण आंध्र-प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह सर्वेक्षण मई तथा अक्टूबर, 1978 के बीच इन राज्यों के 295 जिलों के 1000 गांवों में किया गया था। सर्वेक्षण के उद्देश्य (1) दस राज्यों में कितनी दासता है इसे श्रेष्ठता, (2) इन राज्यों में बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या का अनुमान लगाना, (3) इन सामाजिक परिस्थितियों को अधिक प्रकाश में लाना जिनमें बंधुआ मजदूर काम करते हैं और जाते हैं, और (4) बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाने में केन्द्रीय सरकार और

राज्य सरकारों को सहायता देना, वे। सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में ऋण दासता का पता लगाने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।

2.30 एकत्रित किए गए आंकड़ों के प्रारम्भिक विश्लेषण से (उड़ीसा को छोड़कर जहाँ के सर्वेक्षण परिणामों को अन्तिम रूप दिया जाना है) पता चलता है कि बन्धुआ मजदूरों की कुल संख्या 22.4 लाख है। बन्धुआ मजदूरों का राज्यवार अनुमान नीचे दिया जा रहा है :—

| | |
|---------------|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 3,25,000 बन्धुआ मजदूर (अर्थात् समस्त कृषि मजदूरों का 4.96 प्रतिशत) |
| बिहार | 1,11,000 (1.7 प्रतिशत) |
| गुजरात | 1,71,000 (9.5 प्रतिशत) |
| कर्नाटक | 1,93,000 (7.6 प्रतिशत) |
| मध्य प्रदेश | 4,67,000 (11.8 प्रतिशत) |
| महाराष्ट्र | 1,05,000 (2.1 प्रतिशत) |
| राजस्थान | 67,000 (9.4 प्रतिशत) |
| तमिल नाडु | 2,50,000 (6.0 प्रतिशत) |
| उत्तर प्रदेश | 5,55,000 (10.5 प्रतिशत) |

2.31 इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है :—

- (1) 66 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जातियों के तथा 18.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं। किन्तु 84.2 प्रतिशत मालिक तबर्ण हिन्दू हैं।
- (2) 41.3 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर 300 रु० से कम का ऋण लेते हैं, 28.1 प्रतिशत 300—700 रु०, 15 प्रतिशत 700—1100 रु० और 15 प्रतिशत को 1100 रु० से अधिक के ऋण की आवश्यकता पड़ती है।
- (3) 11.6 प्रतिशत बन्धुआ मजदूरों को 40 प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक दर से व्याज देना पड़ता है; 10.5 प्रतिशत को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच तथा 45 प्रतिशत को व्याज नहीं देना पड़ता।
- (4) बन्धुआ मजदूरों के 47.5 प्रतिशत अपनी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने (घरेलू उपयोग) के लिए कर्ज लेते हैं जब कि केवल 33.6 प्रतिशत त्योंहारों अथवा समारोहों (सामाजिक दायित्वों) के लिए कर्ज लेते हैं। इस निष्कर्ष से यह आम धारणा झूठी पड़ जाती है कि अधिकांश बन्धुआ मजदूरों को इसलिए दासता स्वीकार करनी पड़ती है कि वे त्योंहारों के अवसर पर बेइन्तहा पैसा खर्च करते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 50 प्रतिशत को अपनी रोजमर्रा के घरेलू/उपभोग खर्च के लिए दासता स्वीकार करनी पड़ती है, इससे ग्रामीण जनता के भूमिहीन और कमजोर वर्गों की बढ़ती हुई कंगाली का पता चलता है।
- (5) आस्तियों के ढांचे के निम्नलिखित आंकड़ों से यह और भी सिद्ध हो सकता है। बन्धुआ मजदूरों के 62 प्रतिशत के पास खेती के लायक कोई भूमि नहीं है, 67 प्रतिशत के पास कोई पशुधन नहीं है 91 प्रतिशत के पास कोई कुक्कुट नहीं है, 14 प्रतिशत के पास अपनी न कोई झोंपड़ी अथवा मकान है, 20.5 प्रतिशत के पास कोई वासभूमि नहीं है।

(6) जीवन-निर्वाह से कम स्तर की प्रचलित मजदूरी बन्धुआ मजदूरों की निर्धनता और कर्ज धारित करने की उनकी शक्तिता को काफी बढ़ावा देती है। उनमें से लगभग 30 प्रतिशत को 10 रु० प्रतिमाह से भी कम मिलता है, 38 प्रतिशत 10 रु० और 40 रु० के बीच मजदूरी कमाते हैं, 25 प्रतिशत 40 रु० से 80 रु० के बीच कमाते हैं और केवल 7 प्रतिशत 80 रु० प्रति माह से अधिक कमाते हैं। मासिक अवधत सुगता 35.8 रु० बैठता है।

- (7) 10 प्रतिशत बन्धुआ मजदूरों ने इसी रूप में या तो बचत से और या 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य किया है, 65 प्रतिशत 3 वर्ष अथवा उससे कम समय से कार्य कर रहे थे, 33 प्रतिशत एक वर्ष अथवा उससे कम समय से दासता में हैं।
- (8) 60 प्रतिशत बन्धुआ मजदूरों को अनिश्चित काल तक कार्य करना पड़ता है, उस समय तक जब मालिक कह दे कि कर्ज चुका गया है। 80 प्रतिशत को गैरमौसम में अन्यत्र रोजगार ढूँढने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती, मौसम के दौरान 90 प्रतिशत बन्धुआ मजदूरों को मालिक अपनी निजी सम्पत्ति होने का दावा करते हैं।
- (9) 21 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर 20 वर्ष से कम उम्र के हैं, 56.3 प्रतिशत 30 वर्ष से नीचे के और 83.2 प्रतिशत 40 वर्ष से नीचे की उम्र के हैं। बन्धुआ मजदूर पद्धति पिछड़े क्षेत्रों के साथ साथ विकसित कृषि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। प्रवृत्ति यह बताती है कि कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू होने से कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है तथा दासता में उनकी भर्ती और तीव्र होती जा रही है। मेडक (आंध्र प्रदेश), मांडिया (कर्नाटक), उत्तरी और दक्षिण आर्काट (तमिलनाडु) जिलों में बन्धुआ मजदूरों को डोजल और बिजली चालित पम्प सैटों को चलाने के लिए लगाया जाता है।

2.32 गांधी शांति प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से विभिन्न राज्यों में बन्धुआ मजदूर पद्धति के प्रचलन से सम्बन्धित कुछेक आधारभूत महत्वपूर्ण आंकड़ें दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रवास साराहनीय हैं क्योंकि उन्होंने बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए तीन दल गठित किए हैं। ये दल सम्बन्धित कलेक्टरों से सम्बद्ध किए जाएंगे। यह सूचित किया गया है कि इन दलों के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा संकलित आंकड़े प्रारम्भिक बिन्दु होंगे, जिनसे पता चलता था कि राज्य में 11 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अपने अपने क्षेत्रों में बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए इसी प्रकार के दलों का गठन करें।

2.33 यहां यह भी बताया जाता है कि बन्धुआ मजदूरों की संख्या का अनुमान अधिक से अधिक एक सांख्यिकीय प्रक्षेपण है। यह वास्तविक पहचान के समान नहीं है। और फिर ऊपर बताई गई अन्तिम रियॉटें अभी प्राप्त होनी हैं। बन्धुआ मजदूरों की संख्या के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन० एस० एस०) के 32 वें चक्र में विशिष्ट रूप से जांच की गई थी और अन्तिम परिणामों से पता चला कि इनकी संख्या 3.4 लाख से भी अधिक है।

मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास

2.34 जैसा कि पहले बताया गया है बन्धुआ मजदूरों की समस्या आर्थिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की है और

मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास इस समस्या का एक घटित महत्वपूर्ण पहलू है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे यह सुझाव दें कि बन्धुआ मजदूरों के आर्थिक पुनर्वास के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि वे भूमि-संरक्षण, सिंचाई कार्य, आवास स्थलों के वितरण कृषि भूमि के आबंटन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा मुफ्त छात्रावास की सुविधाओं जैसी चल रही योजना स्कीमों का बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उपयोग करें।

2.35 जो अभी तक बन्धुआ मजदूर थे और जिन्हें अब मुक्त कराया जा चुका है, उनके पुनर्वास के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम सराहनीय है। राज्य सरकार ने उन निजी वनों, का, जो अभी तक जमींदारों के थे और जो अब सरकार के पास हैं, एक भाग आदिवासी कल्याण विभाग को कालोनियां बनाने के कार्यक्रम के लिए दिया है। यह सूचित किया गया है कि वनों के पट्टे पहले ही आदिवासियों को दिए जा चुके हैं जो दाय योग्य तो होंगे परन्तु उनका अन्तर्ण नहीं हो सकेगा। सरकार का डेरी-विकास, चरागाह-विकास और कॉफी, चाय और टैपियोका के धगीचे लगाने जैसे कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इलायची बागानों पर 750 आदिवासी परिवारों को बसाने के लिए संयुक्त आदिवासी सहाकारी खेती समितियां बनाने की एक अन्य स्कीम भी विचाराधीन है।

2.36 उपलब्ध सूचना के अनुसार (31 दिसम्बर, 1978 तक) 93,147 बन्धुआ मजदूरों का पता लगाया गया, 92,630 मुक्त करवाए गए और 54,993 का पुनर्वास किया गया। राज्यवार व्यौरा नीचे दिया गया है।

| क्रम संख्या | राज्य | बन्धुआ मजदूरों की संख्या | | |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| | | पता लगाए गए | मुक्त कराए गए | पुनर्वास किए गए |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 10,518 | 10,452 | 7,302 |
| 2 | बिहार | 2,857 | 2,857 | 613 |
| 3 | कर्नाटक | 64,042 | 64,042 | *(30,557) (7,804) |
| 4 | केरल | 702 | 702 | 138 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 1,612 | 1,513 | 33 |
| 6 | उड़ीसा | 690 | 320 | 316 |
| 7 | राजस्थान | 6,000 | 6,000 | 3,531 |
| 8 | तमिलनाडु | 2,883 | 2,883 | 2,366 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 3,843 | 3,843 | 2,331** |
| योग | | 93,147 | 92,630 | 54,993 |

2.37 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन

विभिन्न विभागों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली केन्द्रीय समीक्षा समिति को बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी ढंग से समन्वित करना चाहिए।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1978-79

2.38 बन्धुआ मजदूर पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के लिए जो पुनर्वास कार्य किया जाना था उसे करने में राज्य सरकारों को चालू स्कीमों के अधीन वित्तीय और प्रचालन संबंधी परिसीमाओं की अनुभूति हुई तथा उन्होंने यह अनुरोध किया कि पुनर्वास कार्य को तीव्रता से करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाए। इसलिए 1978-79 के दौरान 2 करोड़ २० की कुल लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाई गई जिसमें आधी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को सद्दृश अनुदान के रूप में दी गई। योजना आयोग ने भी बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन कर दिया। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों से परामर्श करके मार्गनिर्देश तैयार किए गए तथा श्रम मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजे गए इन मार्गनिर्देशों का व्यौरा परिशिष्ट -3 पर देखा जा सकता है।

2.39 उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने स्कीमों तैयार कर ली है। इन स्कीमों की जांच मंत्रालय में गठित एक जांच समिति द्वारा की गई। 1978-79 के दौरान धनराशि के आबंटन की स्थिति और लाभ प्राप्त करने वाले सम्भावित बन्धुआ मजदूरों की संख्या परिशिष्ट 4 पर देखा जा सकता है।

2.40 यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिन राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन सहायता दी गई थी उन्हें कहा गया था कि वे बनाई गई स्कीमों तथा बन्धुआ मजदूरों द्वारा उनसे मिले लाभों के बारे में हमें सूचना भेजें किन्तु इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने तक किसी भी राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। फिर भी, यह सुझाव दिया जाता है कि श्रम मंत्रालय द्वारा और अधिक धन राशि का आबंटन किया जाना चाहिए ताकि पता लगाए गए बन्धुआ मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों द्वारा उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जा सके। यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा पिछड़े वर्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सेंक्टर की चालू स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग अपने क्षेत्रों में बन्धुआ मजदूर इकट्ठे बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई चालू स्कीम न हो या ऐसी स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त हों, तो वहां विशेष स्कीमों तैयार की जाएं।

* कर्नाटक में सूचित किया है कि 30,557 लोगों को लोक निर्माण विभाग, धन तथा अन्य विभागों में रोजगार दिया गया है और 7804 को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी गई है।

** राज्य सरकार ने बन्धुआ मजदूरों वाले जिलों में किए गए सहन सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आंकड़ों का संशोधन कर दिया है। नोट करे। (i) गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारें तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र ने बाद में "शून्य" रिपोर्ट भेज दी है।

(ii) जिन बन्धुआ मजदूरों का अभी पुनर्वास किया जाना है (जैसे कि कालम 5 में है) उन्में से 5906 बन्धुआ मजदूर 1978-79 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत लाए गए।

अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन, सेवा शर्तें और विभिन्न उपबन्ध अधिनियम, 1979

2.41 वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूरों (उड़ीसा में दादन मजदूर के नाम से विख्यात) के रोजगार की प्रथा का जिक्र किया गया था। उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्रचलित यह एक शोषण प्रथा है। उड़ीसा में दादन मजदूर राज्य के विभिन्न भागों से ठेकेदारों अथवा सरदारों/खातादारों के नाम से ज्ञात एजेंटों के माध्यम से राज्य के बाहर बड़ी निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए भर्ती किए जाते हैं। इस प्रथा में बहुत सी बुराईयां हैं। यद्यपि भर्ती के समय सरदार यह वचन देता है कि मजदूरों का हिसाघ उजरती दर के आधार पर प्रत्येक महीने कर दिया जाएगा परन्तु यह वचन आमतौर पर पूरा नहीं किया जाता। एक बार मजदूर जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होते हैं ठेकेदार के शिकंजे में आ जाते हैं तो उन्हें केवल रेल किराये के भुगतान पर दूर-दराज के स्थानों पर ले जाया जाता है। मजदूरों को बहुत ही खराब और कठिन परिस्थितियों में सप्ताह के सातों दिन काम करना पड़ता है और उनके काम के घण्टे भी निश्चित नहीं होते। उनके मामले में विभिन्न श्रम कानूनों के उपबन्धों का अनुपालन भी नहीं किया जाता तथा उनके प्रति विभिन्न अनाचार किए जाते हैं। श्रम मंत्री सम्मेलन के 28 वें सत्र में दादन मजदूरों के संरक्षण तथा कल्याण के प्रश्न पर विचार किया गया था तथा पूरे मामले पर विचार करने के लिए एक छोटी समन्वय समिति के गठन की सिफारिश की थी जो इस प्रथा की प्रचलित बुराईयों को समाप्त करने के उपाय सुझाए। समिति ने अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूरों के रोजगार को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की सिफारिश की क्योंकि यह महसूस किया गया कि अनुसूचित श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में आवश्यक संशोधनों के बाद भी इसके उपबन्ध ठेकेदारों/सरदारों/खातादारों आदि द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनाचारों को रोकने तथा जिन असाधारण परिस्थितियों में इन मजदूरों को काम करना पड़ता है उन को देखते हुए इन मजदूरों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें तथा विभिन्न उपबन्ध) अधिनियम, 1979 अब पारित किया जा चुका है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। यह वांछनीय होगा कि यह अधिनियम श्रम मंत्रालय द्वारा शीघ्र अधिसूचित किया जाए।

2.42 समिति की सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों से परामर्श लेते हुए की गई और उनके द्वारा दिए गए सुझाव कानून के लिए प्रस्ताव बनाते हुए ध्यान में रखे गए। अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:—

- (1) यह ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होगा जिसमें पांच अथवा अधिक अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर कार्यरत होंगे अथवा पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन कार्यरत रहे हों। यह उन सभी ठेकेदारों पर भी लागू होगा जिन्होंने 5 अथवा अधिक अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर नियुक्त किए हैं अथवा पिछले 12 महीनों में किसी दिन किए थे।
- (2) अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर नियुक्त करने वाली स्थापना को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त, जैसी भी स्थिति हो, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह स्थापना केन्द्र अथवा राज्य के

अधीन है पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। इसी प्रकार प्रत्येक ठेकेदार को जो अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूरों की भर्ती अथवा उन्हें नियुक्त करने वाला है दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से लाइसेंस लेना होगा एक जिसमें मजदूर रहता है (गृह-राज्य) और दूसरे जिन राज्य में उसे नियुक्त करने का प्रस्ताव है (आतिथेय-राज्य)।

- (3) ठेकेदार को नियमों में निर्धारित फार्म में मजदूरों का व्यौरा गृह-राज्य तथा आतिथेय राज्य दोनों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को देना होगा। ठेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक मजदूर को एक पासबुक जारी करनी भी आवश्यक होगी जिसमें रोजगारसम्बन्धी पूरा व्यौरा दिया जाएगा।
- (4) अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी के सम्बन्ध में विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं और उसे उसकी भर्ती की तारीख से मजदूरी दी जानी है।
- (5) अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर अपनी मजदूरी के अतिरिक्त विस्थापन भत्ते और यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
- (6) मजदूर को दी जाने वाली सुख सुविधाओं में उपयुक्त रिहायशी स्थान पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं बदलती जलवायु के अनुसार बचावदार कपड़े तथा इस बात को ध्यान रखते हुए कि वे दूसरे राज्य से इधर आए हैं कार्य की उपयुक्त परिस्थितियों शामिल होंगी।
- (7) यह देखने के लिए कि कानून के उपबन्धों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त गृह-राज्य सरकार को आतिथेय राज्य की सरकार से परामर्श करने के बाद निरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ये निरीक्षक उन स्थापनाओं में जा कर जहां पहले राज्य के मजदूर नियुक्त हैं, यह देखेंगे कि क्या ऐसे मजदूरों के सम्बन्ध में कानून के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है।
- (8) अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद आतिथेय राज्य में अथवा नियुक्ति सम्बन्धी ठेका पूरा हो जाने के बाद लौट आने पर गृह-राज्य में उठा सकता है। उसे आतिथेय राज्य के किसी प्राधिकारी के पास विचाराधीन किसी औद्योगिक विवाद की कार्यवाही को भी गृह-राज्य के तदनुसृत प्राधिकारी के समक्ष इस आधार पर स्थानान्तरित करवाने के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी कि वह अपना ठेका पूरा करने के बाद इस राज्य में वापिस आ गया है।
- (9) कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर निवारक सजाएं प्रस्तावित की गई हैं।

2.43 ये मजदूर ठेकेदारों द्वारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से भर्ती किए जाते हैं। कभी कभी उनको अथवा उनके परिवारों को कुछ भुगतान कर दिया जाता है और कभी कभी उन्हें यह कहा जाता है कि यह भुगतान उनकी यात्रा के खर्च के लिए है अथवा बाद में किए जाने वाले भुगतान का अग्रिम है। उन्हें सैकड़ों मील दूर के स्थानों पर ले जाया जाता है जहां उन्हें बिल्कुल अपरिचित वातावरण में काम करना पड़ता है। हमारे देश के उष्ण कटिबन्धी तथा तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को भर्ती करके उन्हें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है जहां उन्हें जलवायु की कठोरता का सामना

करना पड़ता है। अधिकतर परियोजनाओं में जहाँ वे काम करते हैं, न उचित आवास का प्रबंध होता है और न बचावदार कपड़ों की व्यवस्था होती है जो सुदूर क्षेत्रों से आये इन मजदूरों को उस क्षेत्र की जलवायु की कठोरता का सामना करने के लिए, जहाँ वे काम कर रहे हैं, आवश्यक होते हैं। दुर्भाग्यवश इस समस्या से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। जैसा कि इस अधिनियम की विशेषताओं से देखा जा सकता है यह स्पष्ट है कि इस दुर्घटना की जड़ पर यह दुतरफा हमला करेगा। उपकरणों तथा ठेकेदारों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने आपको पंजीकृत कराना आवश्यक है। इसमें दो राज्य आ जाते हैं एक गृह-राज्य दूसरा आतिथ्येय राज्य। एक बार कोई व्यक्ति गृह-राज्य से भर्ती कर लिया जाता है और आतिथ्येय राज्य में भेज दिया जाता है तो उसे उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है जिन पर उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। विवक्षित करार का कोई अर्थ नहीं रहता। मजदूर को कोई संरक्षण नहीं मिलता। इसलिए यह अधिनियम उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। यह मजदूरी निर्धारित करने और कार्य की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली सभी बातों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम किसी और बात की भी व्यवस्था करता है जो विलकुल नई है क्योंकि पहली बार निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे और इन निरीक्षकों के लिए आतिथ्येय राज्यों में जाना और निरीक्षण करना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार यह वह स्थिति होगी जिसमें एक राज्य द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों को गृह-राज्य से सम्बन्धित श्रमिकों के संरक्षण के लिए किसी न किसी प्रकार से दूसरे राज्य में कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।

2.44 इसमें कोई शक नहीं कि इस अधिनियम में हमारी मजदूर जनता के अत्यधिक अपुरक्षित वर्ग की आधारभूत समस्याओं से निपटने का प्रयास किया गया है। यहाँ यह जिक्र किया जाता है कि कोई भी कानून, चाहे वह कितना भी सुस्पष्ट क्यों न हो, तब तक लाभ नहीं पहुंचा सकेगा जब तक कि उसका ठीक ढंग से कार्यान्वयन न हो। किसी भी कानून की क्षमता उसके क्रियान्वयन में है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि निरीक्षकों के चयन में इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए कि ठीक प्रकार के अधिकाधिकों का ही चयन हो और वे उपकरणों और ठेकेदारों के दबाव में आकर झुकें नहीं।

अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अधिन संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.45 संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अधीन लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मूलतः लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 26 जनवरी, 1950 से 10 वर्ष के लिए किया गया था। स्पष्टतः यह व्यवस्था इस अनुमान से की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दस वर्ष की इस अवधि में जैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना संभव हो सकेगा। आभा के विपरीत ऐसा नहीं हो सका और सरकार को दस वर्ष की इस अवधि की पहली बार बीस वर्ष तक और एक बार फिर तीस वर्ष तक के लिए बढ़ाने की बाध्य होना पड़ा।

2.46 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 78 तथा 38 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 541 और 294 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में सीटों का आरक्षण पिछली लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के भंग होने की तारीख से लागू हुआ है। जबसंसद के विघटन और बाद में संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिमीयन की आवश्यकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के कारण पड़ी। इस अधिनियम में उन मामलों को छोड़ कर जहाँ यह आवश्यक समझा जाए, क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने की और संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में पुनर्संसाधन की व्यवस्था है। तदनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संशोधित जन संख्या के सम्बन्ध में गृहपंजीकार की अधिसूचना के आधार पर निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहाँ क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में यथा-व्यवस्था संशोधन कर दिए हैं। जिसके अन्तर्गत में, जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अनुसार, जिसे अब संसद के एक अधिनियम द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है।

लोकसभा तथा राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

लोकसभा :

2.47 संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों के अनुसार लोक सभा*की कुल 542 सीटों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 78 तथा 38 सीटें आरक्षित थीं। मार्च, 1977 में लोकसभा के लिए हुए आम-चुनावों में अनुसूचित जाति का एक सदस्य और अनुसूचित जनजातियों के दो सदस्य लोकसभा के लिए आम निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे। अनुसूचित जाति का सदस्य महाराष्ट्र राज्य से चुना गया था जब कि अनुसूचित जनजातियों का एक-एक सदस्य असम और महाराष्ट्र राज्यों से चुने गए थे। और इस प्रकार लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या बढ़कर क्रमशः 78 से 79 और 38 से 40 हो गई थी। विभिन्न राज्य-सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचनाओं के अनुसार इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य आम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए नहीं चुना गया।

राज्यसभा :

2.48 तथा कि पिछली रिपोर्टों में पहले ही बताया जा चुका है राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व

2.49 संविधान के अनुच्छेद 332 तथा परिसीमन आदेश, 1976 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 के अनुसार, विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में तथा संघीय संघ राज्य क्षेत्रों की 3,977 सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

*लोकसभा लोकसभा के लिए जनवरी, 1980 में हुए चुनावों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः 76 और 40 थी।

के लिए कमजोर 541 तथा 294 सीटें आरक्षित थीं। लोक सभा तथा विभिन्न विधान सभाओं का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सीटों का राज्यवार आवंटन परिशिष्ट-5 में देखा जा सकता है।

2.50 इनके अलावा वर्ष 1977-78 में कुल 13 अनुसूचित जाति और 10 अनुसूचित जनजाति के लोग आरक्षित सीटों से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा त्रिपुरा की विधान सभाओं के लिए निर्वाचित हुए। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रजापतों से प्राप्त हुई नवीनतम सूचना से विदित होता है कि वर्ष 1978-79 में राज्यों विधान सभा के लिए सामान्य सीटों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ।

सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेम्बली

2.51 जब सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का एक राज्य बना तो उस राज्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए संविधान (36 वां संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 371-एफ जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के आधार पर, सिक्किम की तत्कालीन असेम्बली, जो अप्रैल 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप बनी थी, को सिक्किम राज्य की संविधान के अंतर्गत विधिवत् बनी लेजिस्लेटिव असेम्बली माना गया। समस्त 32 सीटें आरक्षित थीं, 15 भूटिया-लेप्चा मूल के सिक्किम वासियों के लिए, 15 नेपाली मूल के सिक्किम वासियों के लिए और एक एक अनुसूचित जातियों तथा मठों से सम्बन्धित संघों के लिए। उपर्युक्त अनुच्छेद 371-एफ के खंड (एफ) में यह प्रावधान है कि संविधान में अन्य बातों के होते हुए भी, संसद इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए, यह व्यवस्था कर सके कि उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बली की कितनी सीटें ऐसे वर्गों के प्रत्याशियों द्वारा भरी जाएंगी तथा उन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कर सके जिन पर सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेम्बली के चुनाव के लिए ऐसे वर्गों के प्रत्याशी खड़े हो सकेंगे। तदनुसार निर्वाचन विधि (सिक्किम) अधिनियम, 1976 जो अन्य बातों के अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का विस्तार सिक्किम को करने के लिए अधिनियमित किया गया, में यथोचित उपबंध किए गए जिससे कि आरक्षण की पद्धति और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की वह स्कीम जिसके आधार पर संविधान के अंतर्गत सिक्किम की पहली लेजिस्लेटिव असेम्बली का गठन किया गया, जारी रह सके। चूंकि सिक्किम राज्य की पहली लेजिस्लेटिव असेम्बली का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1979 छठी लोक सभा में 16 मई 1979 को पुनः स्थापित किया गया था। छठी लोक सभा के भंग होने पर यह विधेयक व्यापगत हो गया था। सिक्किम की प्रथम लेजिस्लेटिव असेम्बली सिक्किम के गवर्नर के द्वारा 13 अगस्त, 1979 को भंग कर दी गई थी। इस स्थिति में यह बहुत जरूरी हो गया कि राज्य में असेम्बली के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए और असेम्बली की सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया जाए। अतः छठी लोकसभा के भंग होने पर जो विधेयक व्यापगत हो गया था उसी के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 राष्ट्रपति द्वारा 1 सितम्बर 1979 को जारी किया गया। इस अध्यादेश द्वारा असेम्बली की 32 सीटों में से 12 सीटें भूटियां लेप्चा मूल के सिक्किम वासियों के लिए आरक्षित की गईं, 1 सीटें संघाओं के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गईं, और बाकी 17 सीटें निर्वाचकों के लिए सामान्य सीटों के रूप में छोड़ दी गईं। सिक्किम असेम्बली के चुनाव अक्टूबर, 1979 में उपर्युक्त अध्यादेश के उपबंधों के

अनुसार हुए। उक्त अध्यादेश का स्थान अब "लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980" ने ले लिया है। इसमें भी कुल उतनी ही सीटें और सिक्किम असेम्बली में विभिन्न वर्गों के लिए उतनी ही सीटों के आरक्षण का प्रावधान है जितनी उपर्युक्त अध्यादेश में नियत की गई थी।

विधान परिषदें

2.52 राज्य सभा की भांति राज्य विधान परिषदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। जम्मू तथा कश्मीर और कर्नाटक की विधान परिषदों से प्राप्त नवीनतम जानकारी नीचे दी जा रही है :—

| क्रम संख्या | राज्य | अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या | | अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या | | |
|-------------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--|
| | | निर्वाचित | नामांकित | निर्वाचित | नामांकित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | जम्मू तथा कश्मीर | 1 | 1 | कोई अनुसूचित जनजाति नहीं | | |
| 2 | कर्नाटक | 3 | .. | 2 | .. | |

आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश की शेष विधान परिषदों से सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।

चुनावों के समय अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का अभिप्राय तथा प्रपीड़न

2.53 गत समय ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि कहीं-कहीं अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को संसद तथा राज्य की विधान सभाओं के लिए हुए आम चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया। सातवीं लोकसभा के लिए जनवरी 1980 में हुए चुनावों में कई मतदान केन्द्र अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं के लिए उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहां मुख्यतः उनकी आवादी है, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग निर्बाध रूप से कर सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार ऐसे मतदान केन्द्रों की स्थापना तब भी की जानी थी जबकि मतदाताओं की संख्या 500 से कम भी हो, सामान्य मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अनुकूलतम संख्या 750 रहती है। यह भी उपबंध किया गया कि यदि ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए उपयुक्त इमारत न मिले तो इस प्रयोजन के लिए अस्थायी ढांचा ही खड़ा कर लिया जाए। कहीं-कहीं यह रिपोर्टें मिली कि इनमें से कुछ मतदान केन्द्रों पर उच्चतर जातियों और आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति वाले व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया। अनुसूचित जातियों और विभिन्न राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनन्य रूप से बनाए गए मतदान केन्द्रों की संख्या के विषय में प्राप्त सूचना नीचे दी जा रही है :—

| राज्य | समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनन्य रूप से बनाए गए मतदान केन्द्रों की संख्या |
|--------------|--|
| आंध्र प्रदेश | 5,135 |
| कर्नाटक | 96 |
| केरल | 3 |
| तमिलनाडू | 470 |

| राज्य | समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनन्य रूप से बनाए गए मतदान केन्द्रों की संख्या |
|--------------|--|
| लक्षद्वीप | 27 |
| पांडेचेरी | 11 |
| राजस्थान | 473 |
| उत्तर प्रदेश | 656 |
| बिहार | 2,801 |

2.54 कमजोर वर्गों के लिए अनन्य रूप से मतदान केन्द्र स्थापित करने और इन वर्गों के मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदमों के बावजूद कुछ स्थानों के संबंध में सूचना मिली कि वहाँ उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया। कई जगह इन मतदाताओं पर बल प्रयोग किया गया तथा उनका दमन किया गया। मिसाल के तौर पर, निर्वाचन आयोग को सातवीं लोकसभा के लिए हुए ग्राम चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में हरिजनों तथा अन्य वर्गों के मतदाताओं पर बल प्रयोग तथा दमन से सम्बन्धित 9 शिकायतें प्राप्त हुईं। निर्वाचन आयोग को चुनाव अधिकारियों से प्राप्त चुनाव अनियमितताओं और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराने-धमकाने के संदेह से सम्बन्धित रिपोर्टों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 12 मतदान केन्द्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश देना पड़ा।

2.55 हमारे देश में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना चुनावों की सामान्य बात हो गई है और यह स्वतंत्र चुनावों की कल्पना के बिल्कुल ही विपरित है। सन् 1977 में हुए ग्राम चुनावों के समय आयुक्त ने सभी मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों को पत्र लिखा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोग मतदान करने के अपने मूल अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। उस समय बरती गई सावधानियों के बावजूद जिनमें अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अलग मतदान केन्द्र बनाना शामिल था, अनेक राज्यों से मिली अंतिम रिपोर्टों से पता चला कि कई स्थानों पर अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को अपने मत स्वतंत्रता पूर्वक डालने नहीं दिए गए। जैसा कि पहले बताया गया है, सातवीं लोकसभा के चुनावों के लिए, निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अनन्य रूप से मतदान केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में पुनः आदेश जारी किए और इस बात की भी अनुमति दी कि यदि इन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 500 या उससे कम हो तब भी उन्हें स्थापित किया जा सकेगा। परन्तु फिर भी कई राज्यों से अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को अपने मताधिकार के सम्बन्ध में अभिव्यक्त किए जाने की रिपोर्टें मिली।

2.56 अब समय है जब निर्वाचन आयोग को इस प्रश्न पर इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि ऐसे राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वैधानिक उपाय ढूँढे जाएँ जिनसे संसद तथा विधान सभाओं में मतदान करते समय अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर जोर-जबरदस्ती तथा अभिव्यक्त करने की घटनाएँ भविष्य में न हों। जिन कदमों के उठाने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए उनमें से एक यह है कि विशेष मतदान बूथ स्थापित करने के लिए मतदाताओं की संख्या के सम्बन्ध में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हें कम करके अनुसूचित जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के खेड़ों में मतदान बूथ बनाए जाएँ। साथ ही इन समुदायों के लोगों के जो बिखरे हुए खेड़े हैं उनके लिए बल मतदान वृद्ध उचित पुलिस बल के साथ इन

क्षेत्रों में जानें चाहिए जिससे वहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अर्धपूर्ण ढंग से कर सकें और उससे उनके चुनाव क्षेत्र के चुनाव परिणामों पर गहरा असर बिखाई पड़ सके।

चुनाव में मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने अथवा छद्म रूपण के लिए दण्ड की व्यवस्था

2.57 चुनावों के दौरान यदि कोई व्यक्ति छद्मरूप में मतदान करता है या मतदानाओं पर अनुचित प्रभाव डालता है तो मौजूदा कानून के तहत उसे दण्ड देने की व्यवस्था है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 117-एफ के अनुसार 'जो भी व्यक्ति किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने अथवा छद्मरूप में मतदान करने अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास की अथवा जुर्माने की अथवा दोनों किस्म की सजाएँ दी जा सकती हैं।' "अनुचित प्रभाव" शब्द की व्याख्या करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-सी० में यह उल्लेख किया गया है कि "निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के काम में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है अथवा हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है वह निर्वाचन कार्य में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है।" धारा 171-सी० (2) (क) में यह उल्लेख है कि "जो भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार या मतदाता अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिगमें कोई उम्मीदवार या मतदाता दिलचस्पी रखता है, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे धारा (1) के तहत उम उम्मीदवार या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग में हस्तक्षेप करने वाला माना जायेगा।" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाए तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एफ० के तहत दण्डनीय हो तो उसे इस दोष-सिद्धि की तारीख से छः साल की अवधि के लिए संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए भी अयोग्य कर दिया जाएगा।

2.58 ऐसा सत्यता जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एफ के तहत किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने अथवा छद्मरूप में मतदान करने के लिए निर्धारित दण्ड पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस धारा में निर्धारित दण्ड को और अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए इस धारा में यथोचित सुधार किया जाव ताकि चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या छद्मरूप में मतदान करने पर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी किया जा सके। ये दोनों किस्म के दण्ड एकसाथ ही दिए जाएँ। इनकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। निर्वाचकों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने को भी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध ठहराया जाय। इसके साथ ही मतदाताओं के पहचान कार्ड बनाने शुरू किए जाएँ और उन पर उनकी फोटो भी लगायी जाए। अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष बूथ बनाए जाएँ और इन बूथों का नजदीक के पुलिस स्टेशन के वायरलेस से सम्बन्ध रखा जाए ताकि कहीं से भी मतदाताओं को डराने-धमकाने के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच सके और मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकने के लिए उचित प्रबन्ध कर सके।

2.59 यदि निर्वाचन आयोग उपर्युक्त कदम उठाने के लिए सहमत हो जाए तथा वह इन्हें कार्यान्वित करे तो यह आशा है कि भविष्य में लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में अनुसूचित जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा तथा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक तथा अबाधरूप में कर सकेंगे।

लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ाना

2.60 जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, संविधान के अनुच्छेद 334 में प्रारम्भिक तौर पर लोकसभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। बाद में, संविधान (आठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1959 के फलस्वरूप आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई। फिर, संविधान (नेइशवाँ संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा इस अवधि को आगे और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान लागू होने के बाद 30 वर्ष की यह अवधि 25 जनवरी, 1980 को समाप्त होगी। यह अनुभव किया जाता है कि विधान सभडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व तथा राजनैतिक शक्ति के बीच स्पष्ट सम्बन्ध है जिसके बिना इन वर्गों के लोगों को दिए गए अन्य सुरक्षण तथा रियायतें अपना महत्व काफी खो बैठेंगी। इस वास्तविकता को सकारा नहीं जा सकता कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह काफी हद तक संसद तथा राज्य विधान सभाओं में इन लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशेष उपायों के कारण हो पाया है। लगभग दो दशक पहले सुविज्ञ व्यक्तियों ने आशंकाएं व्यक्त की थीं कि यदि आरक्षण हटा दिया गया तो इनमें काफी थकावट पड़नेगी तथा जो पिछली उपलब्धियां हैं वे नष्ट हो सकती हैं।

2.61 इन जातियों के लोगों का जो शोषण सदियों से होता रहा था उसे तीन दशक की अवधि में समाप्त होने की आशा नहीं की जा सकती। चुनावों के मुकाबले में लोगों की जो प्रतिव्रिया दिखाई पड़ती है उसमें समीकरण की ओर बढ़ने की स्वस्थ प्रवृत्ति के लक्षण नहीं हैं। प्रथम आम चुनावों से लेकर आज तक लोक सभा/विधान सभाओं के लिए अनारक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या नीचे सारणी में दिखाई गई है :-

| ग्राम चुनाव | लोकसभा | | विधान सभाएं | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पहला आम चुनाव | 5 | 1 | 7 | 4 |
| दूसरा आम चुनाव | 6 | 3 | 9 | 11 |
| तीसरा आम चुनाव | 1 | 2 | 17 | 31 |
| चौथा आम चुनाव | .. | 1 | 6 | 11 |
| पांचवाँ आम चुनाव | 1 | 4 | 4 | 14 |
| छठा आम चुनाव | 1 | 2 | 1 | 2 |

2.62 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाए गए विशेष कार्यक्रम के फलस्वरूप इन जातियों के लोगों की समाजार्थिक स्थिति में लाए गए सुधार की यदि संक्षेप में समीक्षा की जाए तो हमारी यह धारणा बनती है कि अन्य वर्गों के लोगों के स्तर तक लाने हेतु इन वर्गों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की बड़ी आवश्यकता है। जबकि संविधान लागू हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार

के लिए बहुत बल दिया गया। फिर भी, यह देखने योग्य है कि ग्राम लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता 1931 में 9.5 से बढ़कर 1961 में 24.00 तथा 1971 में 29.46 हो गई जबकि अनुसूचित जाति के लोगों में यह प्रतिशतता 1931 में 1.9 से बढ़कर 1961 में 10.27 तथा 1971 में 14.67 हुई और अनुसूचित जनजाति के लोगों में 1931 में 0.7 से बढ़कर 1961 में 8.54 तथा 1971 में 11.30 तक ही पहुंची। उल्लेखनीय है कि ग्राम लोगों में साक्षरता 1961 के मुकाबले 1971 में 27.30 प्रतिशत बढ़ी जबकि अनुसूचित जाति के लोगों में 42.8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों में 32.3 प्रतिशत बढ़ी। इस प्रकार, 1961-71 की अवधि के दौरान ग्राम लोगों की अपेक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्षरता की वृद्धि तेज गति से हुई। लेकिन, अभी भी यह वास्तविकता है कि इन जातियों के लोगों में साक्षरता का स्तर अन्य वर्गों के साक्षरता स्तर तक नहीं पहुंचा है।

2.63 शिक्षा की मैट्रिक पूर्व अवस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दाखिले के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि यद्यपि मैट्रिक पूर्व विभिन्न अवस्थाओं में इन जातियों के छात्रों के दाखिले में कुछ प्रगति हुई है तथापि 1974-75 में उनकी दाखिले की प्रतिशतता ग्राम वर्ग के लोगों की तुलना में काफी कम थी। उदाहरणतः ग्राम वर्ग के लोगों में पहली से पांचवीं कक्षा में दाखिले की प्रतिशतता 1968-69 में 78.1 से बढ़कर 1973-74 में 83.5 हो गई जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में यह प्रतिशतता 1968-69 में 64.1 से बढ़कर 1973-74 में 68.9 हुई और 1974-75 में यह गिरकर 67.1 रह गई। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह प्रतिशतता 1968-69 में 52.3 से बढ़कर 1973-74 में 59.3 और 1974-75 में 59.7 हो गई। साथ ही, ग्राम वर्ग के लोगों में छठी से आठवीं कक्षाओं में दाखिले की प्रतिशतता 1968-69 में 33.5 से बढ़कर 1973-74 में 35.6 हो गई, लेकिन अनुसूचित जाति के मामले में यह प्रतिशतता 1968-69 में केवल 20.5 से बढ़कर 1973-74 में 22.1 और 1974-75 में 22.7 तक ही पहुंची। अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह प्रतिशतता 1968-69 में 14.1 से बढ़कर 1973-74 में 15.7 तक पहुंची और 1974-75 में इसी स्तर पर रुकी रही। नवीं तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में ग्राम वर्ग के लोगों में यह प्रतिशतता 1968-69 में 18.3 से बढ़कर 1973-74 में 21.2 हो गई जबकि अनुसूचित जाति के लोगों में यह प्रतिशतता 1973-74 में 11.00 से बढ़कर 1974-75 में 12.01 ही हुई। अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह प्रतिशतता 1973-74 में 7.7 से बढ़कर 1974-75 में 8.27 तक पहुंची।

2.64 जहां तक कि व्यावसायिक तथा अन्य उच्च पाठ्यक्रमों में भारती का सम्बन्ध है स्थिति और भी निराशाजनक है। यहां यह बताया जाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए समानता का गुणांक*

अ० जा०/अ० ज० जा० का दाखिला

कुल दाखिला

$$\text{समानता का गुणांक} = \frac{\text{अ० जा०/अ० ज० जा० की जन संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

यदि समानता का गुणांक 100 है तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का दाखिला उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। अगर यह 100 से कम है तो यह पता लगता है कि उनका दाखिला उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। जो 1964-65 में 29.3 था बढ़कर 1974-75 में 39.0 हो गया।

जबकि अनुसूचित जनजातियों का गूणांक जो 1964-65 में 10.3 था 1974-75 में बढ़कर 20.3 हो गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के दाखिले की स्थिति अब भी असंतोषजनक है तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में उनका दाखिला बढ़ाने के लिए दीर्घकाल तक संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। इस संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों/जनजातियों में शिक्षा के प्रसार में कुछ प्रगति हुई है फिर भी इन जातियों में शिक्षा का स्तर आम जनता से काफी पिछड़ा हुआ है। उन्हें आम जनता के बराबर जाने के लिए इन समुदायों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर चौकसी के साथ साथ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

2.65 जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक ढाँचे का सम्बन्ध है, भूमि सम्बन्धी सुधारों तथा भूमि जोतने वालों को मानविकाना अधिकार देने के लिए किए गए बहुत से उपायों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कुछ हद तक सहायता मिली है। जनगणना रिपोर्टों में दी गई सूचना से यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इन समुदायों के लोगों की आर्थिक स्थिति में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला कोई सुधार नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आम जनता (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) के प्रत्येक वर्ग में 100 मजदूरों में से कृषि श्रमिकों की संख्या अनुसूचित जातियों में 52, अनुसूचित जनजातियों में 30 तथा अन्य में 20 थी जबकि 1961 की जनगणना के अनुसार तदनुसूचित संख्या क्रमशः 35, 20 तथा 13 थी। इससे पता चलता है कि कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या अन्तों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा यह उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अपनी आजीविका के लिए अन्तों पर आश्रित रहने की बात को सिद्ध करता है। किसानों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता (1971 की जनगणना में 27.87 तथा 1961 की जनगणना में 37.76) अन्तों से (1971 की जनगणना में 45.11 तथा 1961 की जनगणना में 54.16) कम थी। यह सर्वत्रिदित है कि अधिकतर अनुसूचित जाति कृषक संयोगवश सीमान्त खेतिहर हैं और व्यापार तथा वाणिज्य जैसे व्यवसायों में और परिवहन तथा संचार में इन समुदायों के लोग अन्य वर्गों के लोगों की तुलना में काफी कम हैं। आदिवासी क्षेत्रों का विकास तभी प्रभावकारी हो सकेगा यदि सरकारी पदाधिकारी आदिवासी समुदायों के लोगों के बड़े पैमाने पर ही रहे शोषण को रोक सकें, जो अक्षुण्ण होता रहा है।

2.66 अनुसूचित जातियों के मामले में यद्यपि अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है परन्तु वास्तविक जीवन में यह देश के बहुत से भागों में, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, अब भी प्रचलित है। यह तथ्य कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 का गणतन्त्र के 26 वें वर्ष में संशोधन करना पड़ा था तथा इसके उपबन्ध और कठोर कर देना पड़े, इस बात का संकेत है कि इस समस्या को अब तक संतोषजनक ढंग से निपटाना सम्भव नहीं हो पाया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार अनवरत रूप में जारी हैं। यह अपराधियों की ओर से संगठित आक्रमणशीलता का व्यापक रूप धारण कर चुका है। यह जानकर आँखें खुल जानी चाहिए कि 1978 के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित हत्या तथा बलात्कार के 890 मामले, शहरी चोट के 1440 मामले, आग-जनी के 918 तथा भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराधों के 10,016 मामले दर्ज किए गए।

2.67 उपर्युक्त पैरोघ्राफों के संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के विश्राम के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं तथा

प्रदान की गई विशेष सुविधाओं को अभावी वर्गों में जारी रखने की आवश्यकता है। यह भी एक कठोर तथ्य है कि हमारे देश में हुए चुनावों में जाति-पंथि की प्रबल भूमिका जारी है। ऐसी परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाना न्याय्य संगत तथा उचित लगता है।

संविधान (पैतालिसवा संशोधन) विधेयक 1980

2.68 यह संतोष की बात है कि लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए "संविधान (पैतालिसवा संशोधन) विधेयक 1980" जनवरी 1980 में लोक सभा तथा राज्य सभा ने पास कर दिया है। इस पर अब अधिकांश राज्यों के विधान मण्डलों के अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ

2.69 उन स्थानों को छोड़कर जहाँ यह आवश्यक समझा गया अधिकतर राज्यों में क्षेत्र पाबंदी को समाप्त करने तथा संमदीय और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में पुनः समायोजन करने से सम्बन्धित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, 27 जुलाई, 1977 से लागू हो गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में से तब तो कोई जाति/जनजाति घटाई गई और न ही बढ़ाई गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978

2.70 उपर्युक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व गुजरात की "मोची" जाति को केवल डामस त्रिवा तथा वर्तमान बलसाड़ जिले के उम्बेरगांव तालुक में अनुसूचित जाति विनिर्दिष्ट किया गया था। इस अधिनियम में क्षेत्र संवर्धी प्रतिबन्ध को हटा देने के परिणामस्वरूप "मोची" जाति को सम्पूर्ण राज्य के लिए अनुसूचित जाति घोषित किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि इस जाति के मामले में क्षेत्र का प्रतिबन्ध हटाना उचित नहीं था क्योंकि यह जाति उपर्युक्त दो क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के किसी भी भाग में छूआछूत के कुप्रभावों से कभी भी पीड़ित नहीं हुई। यह भी बताया गया कि इस राज्य में अन्य इलाकों में रहने वाले मोची अपेक्षाकृत उन्नत और अच्छी हालत में होने के कारण उन सुविधाओं का लाभ उठा जाएंगे जो उस समुदाय के उक्त क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को दिए जाने चाहिए। अतः भारत सरकार ने 12 मई 1978 को लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1978 पेश किया जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे :-

- (1) गुजरात राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में वर्णित "मोची" जाति के सम्बन्ध में वही स्थिति धार देना जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से पूर्व थी।
- (2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में वर्तनी और विराम चिह्न संबंधी गलतियाँ ठीक करना।
- (3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछेक जातियों और जनजातियों को शामिल करना तथा कुछेक को हटाना।

2.71 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विस्तृत सूचियाँ तयार करने का मामला संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर्णन समिति को भेजा गया। इस समिति में 20 सदस्य लोक

सभा क तथा 10 सदस्य राज्य सभा के थे। इस समिति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में निहित सूचियों की जांच करनी थी और इस बारे में संशोधन के सुझाव देने थे। समिति को संसद के 1979 के बजट अधिवेशन के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट दे देनी थी, किन्तु राष्ट्रपति द्वारा छठी लोक सभा को 22 अगस्त 1979 से भंग कर देने के कारण इस समिति का अस्तित्व भी उन्ही दिन से समाप्त हो गया। लोक सभा को भंग कर दिये जाने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 भी गमनाग हो गया।

कुछ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विषय में क्षेत्र के प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में अभिवेदन

2.72 गुजरात में "मोची" समुदाय से सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों से बड़ी संख्या में अभिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार ने 1977 में सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि इस समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न किए जाएं, क्योंकि इस राज्य में यह एक प्रगतिशील समुदाय माना जाता है। "मोची" समुदाय की कई संस्थाओं का एक प्रतिनिधिमण्डल आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से भी मिला और राज्य सरकार को आदेशों के विरुद्ध रोप प्रकट किया। यह भी बताया गया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 1979 को एक मामले में निर्णय दिया जिसमें राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी ने "मोची" समुदाय से सम्बन्धित प्रार्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया था। निर्णय में यह कहा गया कि राज्य सरकार के अधिकारी की यह कार्रवाई गलत थी, राज्य में यह जाति अनुसूचित है और प्रार्थी को अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था। अभिवेदन कर्तारों ने इस ओर भी ध्यान दिया था कि न्यायालय का साफ निर्णय होते हुए भी राज्य सरकार उस समुदाय के सदस्यों को अभी भी जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रही है जिसके कारण उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया रवैया न तो न्यायसंगत है और न ही विधि सम्मत क्योंकि अनुसूचित समुदाय के विषय में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए यह वांछनीय है कि राज्य सरकार अपने आप उपर्युक्त समुदाय के विषय में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध न लगाए और जब तक क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के विषय में संसद संशोधन न कर दे तब तक सारे राज्य में इस समुदाय को अनुसूचित माना जाना चाहिए।

2.73 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूचियों का संशोधन आदेश, 1956 के अनुसार तमिल नाडु के 'कोण्डारेडडी' समुदाय को कन्या कुमारी जिला और तिरुनेलवेली के जिले के शंकोट्टा तालुका को छोड़ कर सारे राज्य में अनुसूचित जनजाति माना गया है। यह क्षेत्रीय प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा हटा दिया गया था और समुदाय को सारे राज्य में अनुसूचित जनजाति माना गया था। अब इस संगठन को मालूम हुआ है कि जिला तिरुची के जो निवासी इस समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा रहा है। जिला प्राधिकारियों के अनुसार तिरुची जिले में 'कोण्डारेडडी' समुदाय है ही नहीं। समझा जाता है कि तिरुचिरापल्ली के कलक्टर ने राज्य सरकार को यह अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है कि तिरुची जिले में 'कोण्डारेडडी' समुदाय विद्यमान है कि नहीं। राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न्यायसंगत नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार यह समुदाय सारे राज्य में अनुसूचित है। इस लिए यह वांछनीय है कि भारत सरकार का गृहमंत्रालय तमिलनाडु

की सरकार को आवश्यक अनुदेश जारी करे कि जब तक संसद राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन न कर दे तब तक 'कोण्डारेडडी' समुदाय पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबन्ध न लगाए।

समानार्थ, ध्वन्यात्मक विभिन्नताओं, उप जातियों तथा उप-जन जातियों की सूचियों

2.74 1971 के वीरगाम सुष्मा बनाम अनीरुध पट्टर और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत आने वाली स्थानीय समानार्थ, उपजातियों और उप-जनजातियों की सूची अधिसूचित करे तो अच्छा होगा, जिनसे अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित लोगों को जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में जो कठिनाइयां होती हैं; वे दूर हो जाएं। उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के महा संजीवक की सलाह से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और कर्नाटक के विषय में समानार्थ और उपजातियों/जनजातियों के नामों और पर्यटिकाची नामों की सूचियां जारी कर दी हैं। सूचियां सम्बद्ध समुदाय से सम्बन्धित मानव जातीय और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं और यह सूचियां केवल सम्बद्ध समुदाय के उन लोगों के दावों के स्थापन करने हेतु प्रयोग की जानी हैं, जो अपने आपको उन सूचियों में दिए गए नामों से पुकारते हैं। इन सूचियों से न तो यह अभिप्राय है और न ही यह समझना चाहिए कि ये राष्ट्रपति के आदेशों की उन अनुसूचियों में कोई रद्दो-बदल या संशोधन हैं जिनमें उपर्युक्त राज्यों से सम्बन्धित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, क्योंकि राष्ट्रपति के उपर्युक्त आदेशों में विहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में संसद द्वारा बनाए गए कानून से ही रद्दो-बदल या संशोधन किए जा सकते हैं। पात्र व्यक्तियों को दिए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्र तब ही मान्य माने जाएंगे जबकि वे राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित संगत समुदाय के नाम में जारी होंगे न कि उन नामों में जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचियों में हैं। ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा यह स्थापित कर लिया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रपति के आदेशों में निहित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे वह व्यक्ति उस प्लाके का निवासी होता चाहिए जो राष्ट्रपति के आदेशों की अधिसूचना की तारीख से सम्बन्धित अनुसूचित जाति/जनजाति के विषय में विनिर्दिष्ट है। इस विषय में गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चूंकि सूचीबद्ध पर्याय/उप जातियां/उपजनजातियां राष्ट्रपति के आदेशों का भाग नहीं हैं, कोई भी प्रभावित व्यक्ति इस बात के लिए विवाद कर सकेगा कि कोई विशेष पर्याय उपजाति/उपजनजाति न तो किसी अनुसूचित जाति/जनजाति का हिस्सा है और न ही वह उनमें से किसी के समरूप है।

2.75 पर्याय आदि की उपर्युक्त सूचियों को अधिसूचित करना स्वागत योग्य बात है। आशा की जाती है कि ये सूचियां उपर्युक्त राज्यों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को राहत दिलाएंगी और जाति प्रमाण-पत्र दिलाने में सहायता करेंगी। फिर भी इस विषय में यह कहना उपयुक्त होगा कि ऐसे जाति-प्रमाण पत्रों को जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचियों में उल्लिखित उप जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चूंकि वे सूचियां राष्ट्रपति के आदेशों का भाग नहीं हैं, इस रिश्ते में सम्बन्धित व्यक्तियों से अनेक अभिवेदन आ सकते हैं और मुकदमेवाजी भी हो सकती है। सन् 1956 में जबकि पिछड़ी जातियों के आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सब से पहले संशोधन किया गया था, तभी

से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की विस्तृत सूचियां तैयार करने का काम पड़ा हुआ है। पांचवीं लोक सभा में, उस समय की सरकार ने इस विषय में एक विधेयक रखा था परन्तु लोक सभा के भंग होने के साथ वह भी व्यपगत हो गया। जैसे कि पहले कहा गया है कि छठीं लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों के संशोधन का प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था, परन्तु इससे पहले कि वह रिपोर्ट पेश करती लोक सभा भंग हो गई थी। आशा की जाती है कि भारत सरकार सातवीं लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों को पुनरीक्षित करने के लिए उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसके लिए यह सुझाव है कि उस समय आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक, राज्यों के विषय में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्याप्त/उपजातियों/उप-जन-जातियों को पुनरीक्षित सूचियों में शामिल कर लिया जाए ताकि इस विषय में विवाद और मुकदमेवाजी की नींव न आए।

शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

2.76 संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार उस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 की धारा (2) में राज्य को नागरिकों की सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछली श्रेणियों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने में कोई रुकावट नहीं होगी इस प्रकार विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु स्थानों के आरक्षण के लिए राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है।

2.77 संघ के शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हुए हैं कि विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए और इन में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 5 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के लिए होने चाहिए। यदि आरक्षित स्थानों को भरने के लिए प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो यह आरक्षण एक दूसरे के स्थान पर बदले जा सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हकारी स्तर निर्धारित करना चाहिए। आरक्षित स्थानों में दाखिला लेने वाले अन्तिम व्यक्ति के अंकों और उनके अंकों के अन्तर को देखे बिना, यदि वे दाखिले के लिए न्यूनतम स्तर रखते हैं, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थी दाखिला लेने के पात्र होंगे। जहां पर किसी परीक्षा के पास हो करने पर नहीं बल्कि अंकों का कोई न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के लिए दाखिले सीमित हैं, वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अंकों में 5% की छूट नहीं दी गई है।

2.78 अधिकांश शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक स्तर तक के स्थानों में आरक्षण दिया हुआ है। परन्तु स्नातकोत्तर स्तर पर बहुत कुछ होना बाकी है, विशेषतः मेडिकल पाठ्यक्रमों में तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में। अधिकांश राज्य सरकारों और संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह विचार प्रकट किया है कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में इन समुदायों से सम्बन्धित प्रत्याशियों के दाखिले के लिए कोई आरक्षण करने या ढील देने के हक में नहीं हैं क्योंकि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के स्तर को गिराना उचित नहीं होगा, जो कि औपघ शास्त्र की किसी चूनी हुई शाखा में विशेषज्ञता का प्रशिक्षण है और चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारे दारम्भिक सुझावों के बावजूद कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इन प्रत्याशियों को स्थानों में आरक्षण या न्यूनतम स्तर की ढील केवल दाखिले के लिए दी जाएगी

और इसके स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा का वह स्तर जो इन विद्यार्थियों ने पास करना है, कम नहीं किया गया, मंत्रालय ने अपने विचार नहीं बदले हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित स्थानों को आरक्षित करने हेतु सहमत नहीं हुए हैं। इसलिए यह सुझाव दोहराया जाता है।

2.79 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के विषय में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश पूर्व-मैट्रिक-परीक्षा स्तर के लिए भी लागू होते हैं। इस विषय में राज्य में सैकण्डरी विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ संलग्न प्रथम वर्ष कनिष्ठ महाविद्यालय, (हायर सैकण्डरी-स्टैडर्ड II) की कला/विज्ञान/वाणिज्य कक्षाओं में दाखिले के नियमन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने जून 1979 में नियमों का सैट निर्धारित किया। राज्य सरकार ने ये नियम सभी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं को कार्यान्वयन के लिए भेज दिए थे। परन्तु उपर्युक्त नियमों की वैधता को चुनौती देते हुए न्यूवई उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके सिलसिले में उच्च न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक उच्च न्यायालय इस याचिका पर अपना अन्तिम निर्णय न दे दे, तब तक के लिए उपर्युक्त दाखिले के नियमों का कार्यान्वयन साधारणतया रोक दिया जाए। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 1979-80 के दौरान कनिष्ठ महाविद्यालयों की कक्षाओं में दाखिले के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। इस विषय में उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है।

2.80 शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए स्थानों का आरक्षण मात्र इन समुदायों में शिक्षा की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन समुदायों के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हेतु आगे बढ़ाने योग्य बनाने के लिए उनकी पूर्व-मैट्रिक स्तर की शैक्षिक बुनियाद को मजबूत बनाना जरूरी है। इस प्रयोजन के लिए आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि उन राज्यों की सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जहां अभी तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां संवैधानिक नहीं दी पाई हैं, वे उसके लिए जल्दी करें। यह भी सिफारिश की गई थी कि पूर्व-मैट्रिक शिक्षा पूरी करने का प्रोत्साहन देने के लिए इन विद्यार्थियों को छात्रावास, निःशुल्क पुस्तकों और लेखन सामग्री आदि की सहाय्यता दी जानी चाहिए। इस विषय में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का कुछ पता नहीं चला है। इसलिए यह सिफारिश फिर दोहराई जाती है।

अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र

2.81 संविधान की पांचवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार आठ राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं। उपर्युक्त राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार और उनकी कुल संख्या तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विषय में सूचना परिशिष्ट-6 पर विवरणों में दी गई है। इन क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्यों के राज्यपालों की एक विशेष भूमिका और उत्तरदायित्व है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन जातियों के आयोग का विचार था कि ये संवैधानिक उत्तरदायित्व अधिकांशतः निभाए नहीं गए। आयोग का यह भी विचार था कि पांचवीं अनुसूची की कल्पना एक अस्थायी उपाय के रूप में थी। उसने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या अधिक है वहां आदिवासी

विकास खण्ड बनाए जाएं और उसके साथ ही विशेष संरक्षणात्मक कानून भी हों जो संबंधित राज्यों में सभी अनुसूचित जनजातियों पर लागू हों।

2.82 पांचवीं योजना के दौरान आदिवासी विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अर्थात् क्षेत्र विकास दृष्टिकोण विकसित किया गया। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी रहते थे उनको छांट लिया गया और उन्हें आदिवासी उप-योजना की नीति के अंतर्गत लाया गया। छठी योजना में एक सामान्य मानक स्वीकार किया गया है कि 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को आदिवासी आन्दोलन-निवास (पाकिट) माना जाए। यह आशा की जाती है कि देश में आदिवासियों की जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग उप-योजनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार फिर भी देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत अभी भी उप-योजनाओं के क्षेत्र से बाहर रहेगा।

2.83 संविधान की पांचवीं अनुसूची को "संविधान की पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976" के द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन से राष्ट्रपति को इन बातों के लिए और अधिक शक्ति मिल गई—

- (i) "राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को बढ़ाना और (ii) इस पैराग्राफ द्वारा किसी राज्य/राज्यों के विषय में बनाया गया/बनाए गए आदेशों को रद्द करना और जो अनुसूचित क्षेत्र थे उन्हें संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेकर पुनः निर्धारित करने के लिए नए आदेश निकालना।" उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में अनुसूचित क्षेत्रों (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के राज्यों) का आदेश, 1977 के अनुसार बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित क्षेत्रों का सुव्यवस्थीकरण किया गया। उपर्युक्त राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी अनुसूचित क्षेत्रों के सुव्यवस्थीकरण के कारण हुई है उसकी सूचना परिशिष्ट 7 पर विवरण में दी गई है। शेष राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का सुव्यवस्थीकरण अभी प्रतीक्षित है। यह बांछनीय है कि इसे जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए।

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्टें

2.84 संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (3) के अधीन ऐसे प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, के राज्यपाल को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। खंड 5 (2) के अधीन राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और अच्छे शासन के लिए विनियम बनाने का प्राधिकार दिया गया है। राज्यपाल की रिपोर्टें इस लिए विशेष महत्व धारण कर लेती हैं कि अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार पर इन क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने का उत्तरदायित्व है। फिर भी यह देखा जा रहा है कि ये रिपोर्टें रूटीन बन गई हैं और उनका स्वल्प जनजाति कल्याण विभागों की वार्षिक रिपोर्टों जैसा हो गया है। यह बांछनीय है कि राज्यपाल की रिपोर्टें व्यापक होंगी चाहिए और उनसे इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों की शांति तथा अच्छे शासन के लिए तथा उन क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कार्रवाई की।

2.85 संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत यह भी आता है कि वह राज्यों को अपने क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्कीम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निदेश दे। अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर भी ग्राम जनजाति कल्याण कार्यक्रम संघ सरकार के त्रैमासिक उत्तरदायित्वों में आते हैं। इसलिए राज्यपालों की रिपोर्टों की परिधि बढ़ाकर उनमें अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर के जनजाति विकास कार्यक्रम की चर्चा होनी चाहिए। पांचवीं अनुसूची के खंड (3) को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीति से संशोधित किया जाना चाहिए जिसके बाद राज्यपालों की रिपोर्टें उन सभी राज्यों से मंगवाई जानी चाहिए जिनमें जनजातियों की आबादी है। राज्यपाल की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखे जाने की बांछनीयता के विषय में भी भारत सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

2.86 संविधान की पांचवीं अनुसूची के उपर्युक्त उपबंध के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राज्यपालों की रिपोर्टें प्रति वर्ष राष्ट्रपति को 30 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक की रिपोर्टों की प्राप्ति के संबंध में सूचना नीचे की सारणी में दी गई है :—

| क्रम सं० | राज्य | 1975-76 | | 1976-77 | | 1977-78 | |
|----------|---------------|------------|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | नियत तारीख | प्राप्ति की तारीख | नियत तारीख | प्राप्ति की तारीख | नियत तारीख | प्राप्ति की तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 30-10-76 | 24-3-79 | 30-10-77 | 5-10-79 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 2 | बिहार | 30-10-76 | प्राप्त नहीं | 30-10-77 | 16-3-78 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 3 | गुजरात | 30-10-76 | 10-9-76 | 30-10-77 | 16-6-79 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | | अनुसूचित क्षेत्र 21-11-75 को घोषित किए गए | | प्रतीक्षित | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 5 | मध्य प्रदेश | 30-10-76 | 6-12-78 | 30-10-77 | प्रतीक्षित | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 6 | महाराष्ट्र | 30-10-76 | 3-8-78 | 30-10-77 | 24-10-79 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 7 | उड़ीसा | 30-10-76 | 29-9-77 | 30-10-77 | 26-12-79 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |
| 8 | राजस्थान | 30-10-76 | 16-5-77 | 30-10-77 | 5-1-79 | 30-10-78 | प्रतीक्षित |

ऊपर की सारणी से दिखाई पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सन् 1976-77 की तथा सभी संघीय राज्यों की सन् 1977-78 की राज्यपालों की रिपोर्टें अभी भी प्रस्तुत हैं। अन्य संबंधित राज्यों ने भी इन रिपोर्टों को बहुत देर से भेजा यह वांछनीय है कि इन रिपोर्टों को प्रतिवर्ष नियत ऋतु से पहले प्रस्तुत किया जाए। अन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के संबंध में राज्यपालों की जो रिपोर्टें इस वार्षिक में सौंपावर्तीन वर्ष में प्राप्त हुईं उनमें अर्चित विभिन्न समस्याओं को संक्षिप्त सभाया परिशिष्ट 8 में दी गई है।

2.87 पांचवीं अनुसूची के उपबंधों का उद्देश्य है कि आदिवासी समुदायों को उनके विकास में सक्रमणकारी षरण के दौरान विना विघटन के मदद मिल सके। परिवर्तन के संघात का कामल करने और आदिवासियों को उन परिस्थितियों में जहां वे चाहे या अनचाहे नई प्रणाली के सम्पर्क में आते हैं, प्रभावी संरक्षण देने के लिए विशेष विनियमों का होना जरूरी है। अतः यह वांछनीय है कि आदिवासियों की वर्तमान अर्थव्यवस्था और प्रशासन से उनके नए संबंधों के विषय में प्रभावी संरक्षण देने के लिए पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत विनियम और जहां आवश्यक हो वहां केन्द्रीय कानून बनाया जाए। भूमि, ऋण तथा विपणन, रोजगार और काम संबंधी दशाओं तथा सरकार के असेनिक कर्मचारियों के आचरण से संबंधित मामले खास तौर से इसके अंतर्गत आने चाहिए। नई आर्थिक गतिविधियों में आदिवासियों के हितों को बढ़ावा देने और उनका सुरक्षण करने के लिए भी उचित उपबंध बनाए जाने चाहिए।

2.88 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने सिफारिश की थी कि संबंधित राज्यों द्वारा सभी विद्यमान कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए और विभिन्न सामान्य कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने या न करने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। उदित हुआ है कि यह कार्य अभी तक किसी भी राज्य में पूरा नहीं हुआ है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि यह समीक्षा जितनी जल्दी हो सके पूरी की जानी चाहिए।

आदिवासी सलाहकार परिषदें

2.89 संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (4) में यह व्यवस्था है कि ऐसे प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं आदिवासी सलाहकार परिषदें स्थापित की जानी चाहिए जिनमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और जिनमें, जितना निवृत्ततम संभव हो तीन चौथाई सदस्य राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों में से होंगे। राष्ट्रपति उन राज्यों में भी आदिवासी सलाहकार परिषदों की स्थापना करने का विदेश दे सकते हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र न होने पर भी अनुसूचित जातियां हैं। यह भी प्रावधान है कि यदि राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिवासी सलाहकार परिषद में इन प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है, तो बाकी सीटें उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरी जाएंगी।

2.90 ये परिषदें उन सभी राज्यों में स्थापित कर दी गई हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। ऐसी परिषदें तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी स्थापित कर दी गई हैं। राज्य बोर्ड केरल, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। यह महसूस किया जाता है कि इस विषय में एक जैसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए और आदिवासी सलाहकार परिषदें उन सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए जहां अनुसूचित जाति की आवादी है, इसके लिए राष्ट्रपति पांचवीं अनुसूची के खंड (4) के अधीन उपयुक्त निदेश देने के संबंध में विचार कर सकते हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में परिषद के अध्यक्ष वहां के मुख्य मंत्री हैं जबकि अन्य राज्यों में इसके अध्यक्ष आदिवासी विकास के प्रभारी मंत्री हैं। केरल के विवाय अन्य सभी जगह परिषद के सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं है, केरल में इसके 45 सदस्य हैं।

2.91 आदिवासी सलाहकार परिषदें गठित करने के संबंध में जारी हुए आदेशों में यह व्यवस्था है कि केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में उनकी बैठकों वर्ष में चार बार तथा आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में वर्ष में दो बार होंगी। 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में हुई इन परिषदों की बैठकों की संख्या के विषय में राज्यवार सूचना नीचे सारणी में दी गई है :—

| क्रम सं० | राज्य का नाम | आदिवासी सलाहकार परिषद की इन वर्षों में हुई बैठकों की संख्या | | |
|----------|---------------|---|-------------------------|---|
| | | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 (3-12-76 तथा 5-2-77) | 2 (16-5-77 तथा 31-1-78) | 1 (2-12-78) |
| 2 | बिहार | 2 (31-7-76 तथा 4-12-76) | शून्य | 1 (12-4-79) |
| 3 | गुजरात | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | मध्य प्रदेश | 4 (27-4-76, 19-8-76, 30-12-76, 28-1-77) | 1 (26-11-77) | 3 (24-5-78, 22-10-78 और 24-1-79) |
| 5 | महाराष्ट्र | शून्य | 1 (2-7-77) | शून्य |
| 6 | उड़ीसा | 3 (21-5-76, 31-8-76 तथा 10-12-76) | 1 (23-1-78) | 1 (16-11-78) |
| 7 | राजस्थान | 1 (3-7-76) | 1 (27-2-78) | प्राप्त नहीं |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9 | तमिलनाडु | शून्य | शून्य | 1 (7-2-79) |
| 10 | उत्तर प्रदेश | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | 1 (24-1-79) |
| 11 | पश्चिम बंगाल | 1 (9-6-76) | 1 (2-10-77) | 4 (27-4-78, 3-12-78, 12-2-79 तथा 24-9-79) |

ऊपर की सारणीसे विदित होता है कि आदिवासी सलाहकार परिषदों को बैठकें अधिकांश राज्यों में नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की योजनाएँ और कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में इन परिषदों को अर्थपूर्ण रूप में वांछित हद तक शामिल नहीं करना चाहती। अतः यह वांछनीय है कि इन परिषदों को पुनः सक्रिय किया जाए जिससे वे उन्हें सौंपे गए कृत्यों को अधिक अर्थपूर्ण रीति से कर सकें और उस प्रयोजन को पूरी तरह सिद्ध कर सकें जिसके लिए उनका गठन किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र

2.92 संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार असम, मेघालय तथा मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार होता है। इन क्षेत्रों को स्वशासी जिलों में बांटा गया है। असम में उत्तरी कछार पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ जिले हैं, मेघालय में खासी पहाड़ियाँ जिला, जैतियाँ पहाड़ियाँ जिला और गारो पहाड़ियाँ जिला तथा मिजोरम* में चकमा, लखेर और पबो जिले हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासियों की स्थिति के संबंध में कार्रवाई करने के लिए छठी अनुसूची पांचवीं अनुसूची की अपेक्षा कहीं अधिक सुनिश्चित है, पांचवीं अनुसूची में सुनिश्चितता नहीं है बल्कि उसका रूप अधिकतर अनुमतिदायक है। प्रत्येक स्वशासी जिले में एक-एक जिला परिषद बनाई गई है जिनमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें से 4 से अधिक नामांकित किए जा सकते हैं और बाकी बयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इन परिषदों को कुछ प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं।

मिजोरम से ग्रामपरिषदों की फिर से स्थापना

2.93 मिजोरम में, उपद्रव शुरू होने के बाद, अधिकारियों द्वारा ग्रामों का समूहीकरण व्यापक रूप में बलपूर्वक किया गया तथा कानून के अंतर्गत यह कार्रवाई विद्रोह को दबाने के उपाय के रूप में की गई। समूहीकरण की प्रथम चरण की कार्रवाई 1967 के प्रारम्भ में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग करके की गई। किन्तु यह दिखाई पड़ा कि ग्रामों के समूहीकरण के लिए कानूनी आधार कमजोर था। इसलिए मिजोरम के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्य तथा दक्षिण पश्चिम के भागों के ग्रामों के समूहीकरण को जारी रखने को कानूनी आधार देने के लिए 1968 के प्रारम्भ में असम मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (ए० एम० पी० ओ०) अध्यादेश जारी किया गया। समूहीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्रोहियों की रसद के स्रोत बंद कर देना था। इस प्रबंध के द्वारा मिजोरम की दो तिहाई जनसंख्या को उनके घरों से हटा दिया गया और उन्हें प्रगतिशील आरक्षित ग्राम कहीं जाने वाली नई बसाई गई बस्तियों में लम्बे समय तक रहने के लिए बाध्य किया गया। ग्रामों के समूहीकरण की प्रक्रिया के बाद जूद विद्रोह की तीव्रता बनी रही और 1976 के मध्य तक सांघातिक रूप में उपद्रव होते रहे। शांत हुआ है कि इससे वांछित परिणाम नहीं निकले। इसके विपरित समूहीकरण की क्रिया से सामान्य जनता को अवरुणनीय मुसीबतें झेलनी पड़ीं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और ग्रामवासियों के मन में यह भावना पैदा हो गई कि उनके साथ विदेशियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। समूहीकरण ही कल्पना आर्थिक आधार पर भी निकम्मी सिद्ध हुई चूँकि जिन ग्रामवासियों को बड़े समूह केंद्रों में भेरा दिया गया था उनमें से अधिकांश के लिए खेती करने लायक कोई जमीन आसपास नहीं थी। और उन्हें अपने झूम के स्थानों पर पहुँचने के लिए 6 से 10 मील तक पैदल जाना

पड़ता था जिससे प्रतिदिन उनका काफी समय बर्बाद होता था। कुछ लोगों ने ए० एम० पी० ओ० के अंतर्गत की जा रही समूहीकरण की कार्रवाई के विरुद्ध गोहाटी उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए और सरकार ने इस कार्रवाई को रोक दिया। 1970 से और उसके बाद ग्रामवासी समूह केंद्रों को छोड़ कर अपने पुराने स्थायी गांवों को जाने लगे और इन गांवों की संख्या जो 1961 में 730 थी और गिर कर 1971 में 229 रह गई थी। फिर बढ़ कर 1979 के मध्य तक 608 हो गई। अतिरिक्त 379 गांव अमान्यता प्राप्त वे बस्तियाँ हैं जो उन पुनः समूहीकरण केंद्रों से काफी लोगों के चले आने के कारण अस्तित्व में आईं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी आवश्यक सुविधाओं का तथा अन्य सेवाओं का योजनाबद्ध रीति से प्रवन्ध किया जाना था।

2.94 यह बताया गया है कि जो ग्रामवासी सन् 1970 से अपने पुराने स्थायी गांवों को वापिस चले गए हैं, उन्हें ग्राम परिषद बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। ये परिषदे सन् 1966 तक विद्यमान थीं। ग्राम परिषद को गांव के शासन के लिए कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार मिले हुए हैं। समूहीकरण केंद्रों के निःसंदेह कुछ अच्छे पहलू हैं जैसे चिकित्सा सहायता, स्कूलों, उपज तथा उत्पादों के विपणन, बेहतर संचार की व्यवस्था, उत्साहजनक सिंचित चावल की खेती तथा झाई टेंरेस फार्मिंग, बागवानी, कांफी तथा रबड़ के बागान, मुर्गापालन, सुअर पालन तथा कुटिर उद्योगों की शुरुआत। यह सारा प्रश्न कि नए गांव कैसे और कहां स्थित हों, सन् 1973 से पहले किसी न किसी समिति के विचाराधीन रहा है। निर्णय लेने में विलंब होने पर भी लोग अपने पुरे गांवों को वापिस जाने से नहीं रुके हैं। अतः यह वांछनीय है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तथा मिजोरम प्रशासन शीघ्र पुराने स्थायी गांवों में ग्राम परिषदों की प्रथा को फिर से चालू कर दे।

त्रिपुरा में स्वशासी जिला परिषद का गठन

2.95 त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का एक स्वशासी जिला गठित करने के लिए "त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979" बना दिया गया है। इस अधिनियम में यह उपबंध है कि एक स्वशासी जिला बनाया जाएगा जिसमें धर्मनगर सत्र डिविजन में 9 तहसील और 8 गांव, केलाशहर सब डिविजन में 5 तहसील तथा 20 गांव तथा उत्तरी त्रिपुरा जिले के कमालपुर सब डिविजन में एक तहसील और 24 गांव, खोनई सब डिविजन में 2 तहसील और 33 गांव, सदर सब डिविजन में 17 तहसील और 17 गांव, पश्चिम त्रिपुरा जिला की सोनमार सब डिविजन में 10 गांव, उदयपुर सब डिविजन में 1 तहसील और 15 गांव, अमरपुर सब डिविजन में 8 तहसील और 6 गांव, बेलोनियां सब डिविजन में 2 तहसील और 18 गांव और दक्षिण त्रिपुरा जिला की सब रूम डिविजन में 3 तहसील और 12 गांव होंगे। अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होगा।

2.96 उपर्युक्त अधिनियम के खंड 4 के अनुसार स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद गठित की जाएगी जिसके 28 सदस्य होंगे जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, ये सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होंगे। अधिनियम के खंड 37 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकार स्वशासी जिलों में (किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा कर) ग्राम परिषद बना सकेगी और ऐसे क्षेत्र में किसी अदालत का दखल न होगा तथा जिला परिषद के अध्यक्ष या उसके न होने पर उपाध्यक्ष के परामर्श से उपयुक्त व्यक्तियों को इन ग्राम परिषदों का सदस्य या अध्यक्ष बना सकेगी तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिला परिषदों द्वारा बनाए गए उपनियमों तथा विनियमों के प्रशासन के लिए आवश्यक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकेगी।

* मिजोरम के तीनों स्वशासी जिले सघ राज्य क्षेत्र के छिन्नताईपुई जिले में स्थित हैं।

जनसांख्यिकी स्वरूप में परिवर्तन

2.97 देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय **तिपुरा** में अनुसूचित जातियों बहूसंख्या में थीं लेकिन सन् 1947 में तीन दशकों के बाद, दंगला देश से बड़े पैमाने पर आप्रवास होने के कारण आदिवासी तथा गैर आदिवासी जनसंख्या का अनुपात पलट गया है। आदिवासी के जनसांख्यिकीय संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ने के कारण अनुसूचित जनजातियों की आदिवासी सन् 1961 में 31-53 प्रतिशत रह गई और 1971 में केवल 28-98 प्रतिशत जबकि राज्य की कुल जनसंख्या 1951 में 6.46 लाख से बढ़कर 1971 में 15.56 लाख हो गई। यह स्थिति 1971 की जनगणना के अनुसार है। गैर-आदिवासियों का अनुपात वाद की अवधि में निरन्तर बढ़ और बढ़ गया है। राज्य में गैर-आदिवासियों के बड़ी तादाद में आ जाने से अनुसूचित जनजातियों का काफी शोषण गैर-आदिवासियों द्वारा उनकी भूमि का हस्तांतरण करा लेने से और सूद पर स्वयं उधार देने वालों की गति-विधियों द्वारा हुआ है। संसाधनों पर दबाव बढ़ने से बहुत पेड़ काटे गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वनों का नाश हुआ है। स्वतंत्रता से खेती का चक्र तेजी से नीचे आता जा रहा है जिससे भूमि की प्रति यूनिट की उत्पादकता कम होती जा रही है और आदिवासियों में गरीबी बढ़ती जा रही है। यह संतोष की बात है कि जिला परिषद के गठन के विषय में आदिवासियों को बहुत पुरानी मांग अधिनियम बना कर पूरी कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि अधिनियम के उपबंध तथा आदिवासियों की हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने का वर्तमान कानून [तिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम 1974, (द्वितीय संशोधन)] के उपबंधों से राज्य की अधिसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में बहुत मदद मिलेगी।

जिला परिषद की शक्तियां

2.98 जिला परिषदों का निम्नलिखित मामलों पर नियंत्रण रहेगा:-

- (क) अलग की गई भूमि का आबंटन, देखल और उपयोग, सिंचाय उस भूमि के जो आरक्षित वन हैं या जिसका उपयोग कृषि या चराई या रिहायश या अन्य गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिससे किसी गांव, इलाके या नगर के निवासियों को हित होने वाला है;
 - (ख) आरक्षित वन को छोड़ कर किसी भी अन्य वन का प्रबंध,
 - (ग) कृषि प्रयोजन से किसी नहर या जल मार्ग का उपयोग;
 - (घ) झूम पद्धति या स्वतंत्रता से पूर्व के अन्य प्रकारों का नियमन;
 - (च) ग्राम या नगर समितियों या परिषद;
 - (छ) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित अन्य मामले जिनमें ग्राम या ग्राम पुलिस तथा जन-स्वास्थ्य तथा सफाई शामिल हू;
 - (ज) जिला परिषद जिले में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, मार्केट, मवेशियों के कांजी-हाउस, नौका घाट, मत्स्य-क्षेत्र, सड़कें, सड़क परिवहन (राष्ट्रीयकृत मार्गों को छोड़ कर) तथा जल मार्ग स्थापित कर सकेगी, बना सकेगी या उनका प्रबंध कर सकेगी। वह सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर इनके नियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी तथा विशेष रूप से यह निर्धारित कर सकेगी कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में तथा किस रीति से दी जाएगी।
 - (झ) जिला परिषद जिले के भीतर स्वयं उधार देने या व्यापार के नियमन तथा नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी। इस प्रकार के विनियम
- (1) यह निर्धारित कर सकेगी कि सिंचाय लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के अन्य कोई भी व्यक्ति स्वयं उधार देने का व्यवसाय नहीं करेगा;

- (2) उधारदाता द्वारा लिए जाने वाले धाज की अधिकतम दर निर्धारित कर सकेगी;
- (3) उधारदाताओं द्वारा लेखा रखने और उन लेखाओं का जिला परिषद द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था कर सकेगी; तथा
- (4) यह निर्धारित कर सकेगी कि जिले में रहने वाला कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है किसी भी वस्तु का धाज या खुदरा व्यापार नहीं करेगा जब तक कि उसे जिला परिषद द्वारा ऐसा करने के लिए लाइसेंस न दिया गया हो।

ग्राम परिषदों की शक्तियां

2.99 ग्राम परिषदों को एक हजार रुपए मूल्य के दीवानी मुकदमों को निपटाने की शक्ति होगी। ग्राम परिषदों को स्वशासी जिले में प्रवृत्त किसी भी उपनियमों, विनियमों, या नियमों से संबंधित मामलों पर विचार करने या अपराधों के मामलों में न्याय करने की शक्ति होगी। इसी प्रकार उन्हें ऐसे उपनियमों, विनियमों, अपराध या अप-प्रेरण के ऐसे मामलों में जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या छः महीने से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 तथा 380 के अधीन अपराधों को जिनमें भुराई गई सम्पत्ति का मूल्य 500/- रुपये से अधिक नहीं है, पर भी विचार करने और न्याय करने की शक्ति होगी।

2.100 यह बात नहीं है कि क्या उपर्युक्त अधिनियम को राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। यदि ऐसा अभी तक नहीं किया गया है तो राज्य सरकार को अपेक्षित अधिसूचना सरकारी गजट में जारी करने की कारवाई शीघ्र करनी चाहिए।

असम तथा मणिपुर की विधान सभाओं की समितियां तथा नागालैंड के लिये विशेष उपबंध

2.101 असम तथा मणिपुर के संघ में राज्य की विधान सभा की समिती गठित करने के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है। (क्रमशः अनुच्छेद 371 ख तथा अनुच्छेद 371 ग)। यह समिति असम के आदिवासी क्षेत्रों और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की है। राष्ट्रपति को इन समितियों के गठन और कर्तव्यों के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है। नागालैंड के संबंध में संविधान में विशेष व्यवस्था है (अनुच्छेद 371 क) जिसके अनुसार नागों की धार्मिक अथवा सामाजिक रीतियों, तथा परम्परा विधि तथा प्रक्रिया और दीवानी तथा फौजदारी न्याय प्रशासन के ऐसे मामले जिनमें निर्णय नागा परम्परा विधि के अनुसार होना है तथा भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित मामलों के बारे में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा होने का निर्णय न करे।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान

2.102 संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रथम परंतुक के अधीन संघ सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह राज्य सरकारों को उन विकास स्कीमों की लागत वहन करने के लिए अनुदान दे जो उन्होंने संबंधित राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और वहां के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन राज्यों के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करके हाथ में लाया हो। इन संदर्भ में संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली राज्यपालों की रिपोर्टों विशेष महत्व वाली बन जाती हैं।

2.103 इस सिलसिले में आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत सरकार राज्य सरकारों को पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुदान मंजूर करती रही है लेकिन संविधान के इस उपबंध का कि यदि आवश्यक हो तो अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में किसी आपातस्थिति का सामना करने के लिए योजना के अतिरिक्त भी अनुदान दिए जा सकते हैं, पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था। उस रिपोर्ट में आगे यह कहा गया था कि अभी तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उंचा उठाने के विषय में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और संविधान में इस बारे में जो उपबंध हैं वे अधिकांशतः कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं। इसलिए सिफारिश की गई थी कि आसपास के क्षेत्रों के मान-वंडों में उत्तरोत्तर समानता लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के वर्तमान स्तर की ध्यानपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए, खास तौर से ऐसी मदों की जैसे प्रशासनिक एककों की पुनर्रचना, नियमों तथा विनियमों की प्रयोज्यता, इमारतों तथा अन्य अवसंरचना का प्रबन्ध, सही किस्म के स्टाफ की नियुक्ति आदि। यह भी सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 275 के प्रथम परंतुक की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

2.104 यह संतोष की बात है कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन 1979-84 की पंचवर्षीय अवधि में 13 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए योजना से इतर अनुदान दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 30.71 करोड़ रुपये के अनुदान आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान करने की बाबत दिए जाएंगे और 11.92 करोड़ रुपये उनक लिए रिहायशी इमारतों की व्यवस्था करने की बाबत। आयोग द्वारा राज्यवार जितने परिव्यय का प्रावधान किया गया है उसका विवरण परिशिष्ट 9 की सारणी में देखा जा सकता है।

2-105 वित्त आयोग द्वारा अन्तरित धन का उपयोग करने के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए गए थे जिनसे यह सुझाव दिया गया था कि अधिकदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों की तथा ग्राम सेंवकों, अध्यापकों, नर्सों आदि जैसे वुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़कों, रिहायशी भवनों, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि की व्यवस्था न होने से प्रशासनिक प्रतिभाएं आदिवासी क्षेत्रों में जाने से कतराती हैं। सुख-सुविधाएं न होने के कारण पदाधिकारियों को इन क्षेत्रों में रहने का कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है। बताया जाता है कि बिहार के सन्धाल परगना में चिकित्सा संबंधी पदों की 30 प्रतिशत रिक्तियां इसलिए नहीं भरी जा सकीं कि डाक्टर भीतरी इलाके में जाना नहीं चाहते थे। ग्राम तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को दो स्थानों पर घर रखना पड़ता है, एक तो अपनी नियुक्ति के स्थान पर और दूसरा उस स्थान पर जहां उनके परिवार शैक्षिक तथा अन्य सुविधाएं मिलने के कारण रह सकें। इस धन के उपयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:

- (1) बिहार सरकार ने 1.12 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा था। परन्तु प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए 6.21 करोड़ रुपये का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

- (2) रिहायशी भवनों के लिए रखे गए 1.84 करोड़ रुपये के उपयोग के लिए उड़ीसा सरकार ने योजना बनाई थी। यह निर्णय किया गया था कि ये भवन मुख्य रूप से अध्यापकों तथा आदिवासी तथा ग्रामीण कल्याण विभाग के कल्याण विस्तार अधिकारियों के लिए होंगे। प्रतिपूर्ति भत्ते के 6.03 करोड़ रुपये के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक समिति उनका उपयोग सुझाने के लिए नियुक्त की गई थी। यह पता नहीं है कि सातवें वित्त आयोग द्वारा निदिष्ट राशियों के उपयोग के लिए संबंधित शेष राज्य सरकारों ने अभी तक योजना बनाई है या नहीं यह वांछनीय होगा कि वे इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर

2.106 संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रथम परंतुक में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर उंचा उठाने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रशासन शब्द बहुत व्यापक है और नियमन से लेकर विकास तक सभी पक्ष इसमें आ जाते हैं। बताया गया है कि कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का उपयुक्त पुनर्गठन किया गया है। उदाहरणतया, आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने के लिए कामियों के चयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जिला तथा राज्य स्तर पर अनुवीक्षण समितियों का गठन किया है। बिहार में आदिवासी क्षेत्रों के दूतगामी विकास के लिए 1971 में एक विधायी अधिनियम द्वारा छोटा नागपुर संघाल परगना स्वायत्त विकास प्राधिकरण, रांची का गठन किया गया। सन् 1976 में उक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके एक प्रभावी कार्यकारी समिति बनाकर प्राधिकरण को पहले से अधिक सुसम्बद्ध निकाय बना दिया गया। उस प्राधिकरण को तीन प्राधिकरणों में विभक्त करके यथा दक्षिण छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण, उत्तर छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण तथा संघाल परगना विकास प्राधिकरण, संबंधित मण्डल आयुक्त (डिवीजनल कमिश्नर) को पहले दो प्राधिकरणों का सदस्य सचिव तथा तीसरे को उप आयुक्त को बना दिया गया। क्षेत्रीय विकास आयुक्त तीनों प्राधिकरणों का सदस्य बना रहा। यह विचार व्यक्त किया गया कि इन प्राधिकरणों की भूमिका अधिकतर परामर्शदात्री होगी और ये नीति निर्धारण संबंधी सुझाव देंगे। दूसरी ओर, यह बताया गया कि रांची का लघु-सचिवालय इनका सचिवालयीन काम करता है और कार्यान्वयन की देख-रेख करता है। आशा है कि उक्त लघु-सचिवालय को अपनी पूरी भूमि निभाने दी जाएगी ताकि आदिवासी विकास संबंधी प्रयासों की गति को तेज किया जा सके। आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी चुनने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त तथा वित्त आयुक्त शामिल होंगे। परन्तु ऐसा लगता है कि अधिकतर संबंधित राज्यों में अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर की समीक्षा नहीं की गई है। अतः जैसा कि पहले बताया गया है, संविधान के इस विषय के प्रावधान निष्क्रिय से रहे हैं। यह वांछनीय होगा कि संबंधित राज्य सरकारों की सलाह लेकर भारत सरकार को अनुचित तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन की समीक्षा का काम अपने हाथ में लेना चाहिए और एक उचित सांचे के भीतर स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। यह समीक्षा वार्षिक रूप से की जानी चाहिए और जो सर्वे योजना या वित्त आयोग द्वारा अंतरण में अन्यथा शामिल नहीं हुई हैं उनके लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आंग्ल भारतीय (एंग्लो-इंडियन)

2.107 अतीत से उत्पन्न कुछ कारणों से तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण हमारे देश के संविधान में उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। संविधान

द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार आंग्ल-भारतीय वे लोग हैं जो यूरोपीय पुरुषों के वंशज हैं और प्रायः भारत में रहते हैं। यह दावा किया जाता है कि सन् 1947 में आंग्ल-भारतीयों की जनसंख्या लगभग 3 लाख थी। केवल सन् 1951 की जनगणना में आंग्ल-भारतीयों की अलग से गणना की गई और उस समय उनकी संख्या 1.11 लाख थी। मुख्य रूप से ये लोग जिन राज्यों में केन्द्रित थे वे हैं पश्चिम बंगाल (31,616), मद्रास (25,321), वावन्कोर-कोचीन (11,999), मैसूर (10,740), बम्बई (7,327), उत्तर प्रदेश (6,343), बिहार (4,596), मध्य प्रदेश (2,634) तथा आन्ध्र प्रदेश (1,851)। यह बताया गया है कि स्वाधीनता के तुरन्त पश्चात् इनमें से बहुत से लोग इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे देशों में चले गए।

2.108 लोक सभा/राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए रेलवे सीमा शुल्क, डाक तथा तार सेवाओं में उनकी प्रतिनिधित्व देने के लिए और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान की भी व्यवस्था करने के लिए संविधान में निम्नलिखित उपबंध रखे गए :—

अनुच्छेद 331

यदि लोक सभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक दो सदस्यों का नामांकन।

अनुच्छेद-333

यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का किसी राज्य की विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल उक्त विधान सभा में उस समुदाय के सदस्य (सदस्यों) को मनोनीत कर सकता है।

अनुच्छेद-336

रेलवे, सीमा शुल्क, डाक तथा तार सेवाओं के पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध जिसे हर दो वर्ष बाद धीरे-धीरे कम किया जाएगा और 10 वर्ष बीत जाने पर इस प्रकार के आरक्षण बन्द हो जाएंगे।

अनुच्छेद-337

धीरे-धीरे घटते जाने के आधार पर आंग्ल-भारतीयों के लाभ के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा विशेष अनुदान देना और 10 वर्ष की समाप्ति पर ऐसे अनुदान, जहाँ तक कि वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष रियायत के रूप में होंगे, बन्द कर दिए जाएंगे।

2.109 यह उल्लेखनीय है कि नौकरियों में आरक्षण तथा शैक्षणिक अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध 25 जनवरी, 1960 को समाप्त हो गए। जहाँ तक लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीयों के नामांकन का संबंध है, यह उपबंध किया गया था कि इन दोनों विधायी निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के साथ-साथ आंग्ल-भारतीयों का नामांकन भी 10 वर्ष की अवधि के बाद बन्द कर दिया जाएगा। परन्तु आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के नामांकन संबंधी उपबंध अब भी मौजूद हैं क्योंकि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में उनके नामांकन से संबंधित अनुच्छेद 334 के अंतर्गत संविधान में रखी गई दस वर्ष की अवधि को बाद में संविधान (8वां संशोधन) अधिनियम, 1959 तथा संविधान (23वां संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधित कर दिया गया। संविधान (23वां संशोधन) अधिनियम, 1969 ने लोक सभा/राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीयों के नामांकन के मिट्टांत को 25 जनवरी, 1980 तक बढ़ाने के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 333 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जिसके अनुसार राज्यपाल के अधिकार को सीमित कर दिया गया कि वह राज्य विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक से अधिक सदस्य का नामांकन नहीं कर सकता।

2.110 स्वाधीनता के बाद लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के नामांकन संबंधी उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है :—

| ग्राम चुनाव | लोक सभा | विधान सभाएं |
|---------------------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| पहला ग्राम चुनाव | 2 | बिहार, बम्बई, कोचीन, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश में एक-एक सदस्य और पश्चिम बंगाल में दो सदस्य। |
| दूसरा ग्राम चुनाव | 2 | आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक सदस्य और पश्चिम बंगाल में 4 सदस्य। |
| तीसरा ग्राम चुनाव | 2 | आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश में एक-एक सदस्य और पश्चिम बंगाल में 4 सदस्य। |
| चौथा ग्राम चुनाव | 2 | आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक सदस्य। |
| पांचवां ग्राम चुनाव | 2 | आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक सदस्य। |
| छठा ग्राम चुनाव | 2 | आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक सदस्य। |

आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व

लोकसभा:

2.111 अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति ने छठी लोक सभा में आंग्ल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री ए०ई०टी० बैरो तथा श्री रुडोल्फ रोडिगुज को नामांकित किया।

विधान सभाएं

2.112 इसी प्रकार से अनुच्छेद 333 के अधीन आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं में इन राज्यों के अपने-अपने राज्यपालों द्वारा नामांकित एक-एक सदस्य ने 1978-79 के दौरान अपनी-अपनी विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।

2.113 आंग्ल-भारतीय लोग एक विशेष प्रकार के ऐतिहासिक, शैक्षिक, भाषायी तथा धार्मिक सांचे से निकले हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आंग्ल-भारतीयों का हमारे देश में एक विशेष स्थान है और जब तक हम इन्हें संसद तथा राज्य विधान सभाओं में उनके नामांकन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इस समुदाय के लोगों के लिए भारत के संसदीय जीवन में अपना योगदान करना सम्भव नहीं हो सकेगा। स्वर्गीय सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि :

“हम आंग्ल-भारतीयों को प्रतिनिधित्व देंगे। यह प्रतिनिधित्व हम उन्हें आम निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं दे सकते; वह निरर्थक है।

वे अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। हम उन्हें ऊपर के सदन में नामांकित नहीं कर सकते। हमें उन्हें प्रभावी प्रतिनिधित्व देना ही होगा और वह निचले सदन में ही देना होगा।”

2.114 यह दिखाई पड़ेगा कि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों के नामांकन के लिए उपबंध केवल अनुमतिदायक हैं, आदेशात्मक नहीं हैं। यदि आंग्ल-भारतीय लोग लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व प्राप्त कर पाते हैं तो लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में इस समुदाय के लोगों को नामांकित करने से पहले इस तथ्य पर विचार कर लेना होगा। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय से अब तक आंग्ल-भारतीय समुदाय का कोई भी व्यक्ति लोक सभा या राज्य विधान सभाओं में चुन नहीं आया।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नामांकन

2.115 यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में नामांकन सैद्धांतिक आधारा पर उपयुक्त नहीं लगता। स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत के शब्दों में “सिद्धांत रूप में तो यह बिल्कुल ठीक है परन्तु जीवन क्रम में हम स्वयं को जिस स्थिति और जिन हालात में पाते हैं उनका ध्यान रखते हुए इस आशा में प्रायः हमें समझौता करना पड़ता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगा जो हमने अपने लिए घोषित किया है।”

2.116 यह वह समुदाय है जिसकी एक विशिष्ट जातिगत वंश-परम्परा है, अल्प संख्यक समुदाय वाला एक विशेष धर्म (ईसाई) है, यह भाषायी रूप से विशिष्ट है और सांस्कृतिक रूप से दूसरों से अलग। कुछ आंग्ल-भारतीय यह अनुभव करते हैं कि संविधान में आंग्ल-भारतीयों की जो परिभाषा है उसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण मानदण्ड यह है कि अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है। परन्तु यह एक विवादास्पद विषय है और ऐसा समझा जाता है कि दक्षिण के राज्यों के उन लगभग 75,000 व्यक्तियों को जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आंग्ल-भारतीय नहीं माना जाता। उनकी मुख्य समस्या मनोवृत्ति की है। इस समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं है। इस समुदाय के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि ने कहा है :

“हमारे लोगों को अपनत्व नहीं मालूम होता। उनका कोई मूल आधार नहीं है। कृषि या उद्योग में कोई आंग्ल-भारतीय नहीं है। देश के भले में हमारा भला होना चाहिए। हमारे पास आंग्ल-भारतीय फार्म होते तो हमारे सामने देशान्तरण की यह भयंकर समस्या न होती या आस्ट्रेलिया जाने की आतुरता न होती। किसी फार्म को छोड़ कर जाने से पहले आप हजार बार सोचेंगे।”

2.117 एक समय (1951-52) देश के विभिन्न भागों में लगभग 360 आंग्ल-भारतीय स्कूल चलते थे जिनमें अधिकतर छात्र आंग्ल-भारतीयों को छोड़ कर अन्य साधन-सम्पन्न परिवारों के थे जिन्होंने आंग्ल-भारतीय समुदाय की जीवन पद्धति तथा मूल्यों को अपनाया। इस प्रकार यह इस रूप में विरोधाभास है कि इस देश का विशिष्ट वर्ग आंग्ल-भारतीय समाज के मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है जब कि आंग्ल-भारतीय समुदाय के शिक्षित नर-नारियों को काफी बड़ी संख्या भारत से बाहर चले जाने के लिए तैयार हो जाएगी यदि दूसरे देश उन्हें स्वीकार कर लें। इसके साथ-साथ आंग्ल-भारतीय लड़कियों के विवाह अन्य समुदायों के लड़कों के साथ होने से उन आंग्ल-भारतीयों का जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं धीरे-धीरे समीकरण हो रहा है। लोक सभा तथा विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों को नामांकन द्वारा स्थान न दिए जाने से उन्हें गहरा धक्का लगेगा।

2.118 आंग्ल-भारतीय समुदाय के कुछ लोगों ने थल सेना में, वायु सेना में, और बागान मालिकों, संगीतज्ञों तथा अध्यापकों जैसे

व्यवसायों में और व्यापारिक घरानों में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं परन्तु तथ्य यह है कि उनकी अधिक संख्या ऐसी है जो देश में ही रहे सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के साथ अपना सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। इसका परिणाम यह है कि सन् 1947 के तुरन्त बाद उनमें से बहुत से लोग जो जा सकते थे इंग्लैंड चले गए और अब वहां आग्रजन कठिन हो गया तो वे आस्ट्रेलिया और कनाडा जाने लगे। चूंकि 1961 तथा 1971 की जनगणनाओं में आंग्ल-भारतीयों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने व्यक्ति अन्य देशों को चले गए। आंग्ल-भारतीय समुदाय के युवक तथा युवतियों के देश छोड़ कर जाने की प्रक्रिया इस समुदाय में संकट का स्पष्ट संकेत है। कुछ सूत्रों का कथन है कि आंग्ल-भारतीयों का एक तिहाई भाग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा है। सम्भवतः एक ऐसे अत्यन्त छोटे समुदाय को जो अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखकर आरा-पास के मुख्य समुदायों से अलग-अलग रहता है, अपने हितों की रक्षा के लिए राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता है।

2.119 अतः यह उपयुक्त होगा कि उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसद तथा राज्य विधान सभाओं में उनके प्रतिनिधियों के नामांकन के संबंध में विशेष व्यवस्थाओं को जारी रखा जाए। यह संतोष की बात है कि उनके विशेष नामांकन की अवधि को दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी संविधान (पैतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1980 को लोक सभा तथा राज्य सभा ने पारित कर दिया है और अब इस पर राज्य विधान सभाओं का अनुसमर्थन प्रतीक्षित है।

सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2.120 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए जिन विभिन्न संवैधानिक सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है उनसे सेवाओं में आरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों के संवर्धन को सरकार का दायित्व बना देता है, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 16(4) तथा कतिपय वर्गों के लिए विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 335 इस उत्तरदायित्व के एक भाग को कार्यान्वित करने का साधन प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 16(4) इस बात की अनुमति देता है कि यदि सरकार की राय में किसी वर्ग के नागरिकों को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो सरकार ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों तथा पदों में स्थानों का आरक्षण करके उसके हित में पक्षपात कर सकती है; तथा अनुच्छेद 335 के अधीन सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि प्रशासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के साथ-साथ संघ अथवा किसी राज्य के कार्यों से संबंधित पदों और सेवाओं पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के दावों को पूरी तरह से ध्यान में रखे। यद्यपि “पिछड़े” शब्द की परिभाषा नहीं की गई है और इस के निर्धारण का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है तथापि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर इसकी प्रयोजनीयता को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इसमें कोई विवाद नहीं है। डा० बी० आर० अम्बेदकर ने यह बात स्पष्ट की थी कि “पिछड़ी जाति” अभिव्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है, किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं। डा० अम्बेदकर के अनुसार “कमजोर वर्गों” अभिव्यक्ति का अर्थ भी “पिछड़ी जातियां” तथा ऐसे अन्य वर्ग हैं जो “अपने पांव पर खड़े होने में असमर्थ” हैं। संविधान सभा में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान एक बार “पिछड़ी” अभिव्यक्ति की व्याप्ति और उसके सही अर्थ के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की गई थी। अनुसूचित जातियों के बहुत से सदस्य इसके स्थान पर “अनुसूचित जातियां” शब्दों को रखना चाहते थे। वैसे, उनके भय को

दूर करने की कोशिश करते हुए श्री० के० एम० मुन्शी ने कहा था कि "मैं अपने जीवन पर्यन्त यह बात नहीं सोच सकता कि अनुसूचित जातियों के किसी माननीय सदस्य को यह विचार क्यों आए कि जब तक वे पिछड़े हैं उनको पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं किया जाएगा। इस धारा से हम दो बातों को सुनिश्चित करना चाहते हैं। मूल अधिकारों में हम सरकार की सेवाओं में उच्चतम कार्यकुशलता प्राप्त करना चाहते हैं इसके साथ ही साथ बहुत से प्रान्तों में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह देखना चाहते हैं कि ऐसे पिछड़े वर्गों को, जो वस्तुतः पिछड़े हुए हैं, सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाना चाहिए। "पिछड़ा" शब्द व्यक्तियों के उस वर्ग का शोचक है—चाहे आप उन्हें अछूत कहें या छुए जा सकने वाले और वे किसी भी समुदाय के हों—इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता—जो वर्ग इतना पिछड़ा हुआ है कि उनके लिए सेवाओं में विशेष संरक्षण की आवश्यकता है"। इस अभिव्यक्ति पर विवाद का उत्तर देते हुए डा० अम्बेदेकर ने इस रूप में जोर देते हुए बात को तथ्य कराया कि यदि आप "पिछड़े" जैसा कोई विशेष शब्द प्रयोग नहीं करते तो आरक्षण के हक में किया गया अपवाद अन्ततः नियम को पूरी तरह समाप्त कर देगा "पिछड़ा" शब्द जोड़ने का उत्तरदायित्व प्रारूप समिति ने अपने ऊपर क्यों लिया मेरे विचार में यही इसका औचित्य है"।

2.121 अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ पिछड़े वर्ग का चित्रण है—इस मुद्दे का सदा के लिए निर्णय हो जाने और तदुपरान्त उच्चतम न्यायालय जैसे उच्च प्राधिकरण द्वारा इसे दोषमुक्त घोषित करने के पश्चात् नियुक्ति के मामलों में इन वर्गों के दावों तथा कार्यकुशलता बनाए रखने की बात, दोनों पर तुलनात्मक जोर के संबंध में, अनुच्छेद 335 में दोनों का ही उल्लेख है, अनुवर्ती न्यायिक निर्णयों में ध्यान आकर्षित होता रहा। हमारी वर्तमान परिस्थिति में इन दोनों में से कौन सर्वोपरि है, यह पूछना असंगत है। शायद दोनों ही एक जैसे हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता एक सापेक्ष शब्द हो सकता है परन्तु पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आरक्षण की नीति चालू रहने के पिछले तीन दशकों के दौरान फोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि जिससे यह पता चले कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश से प्रशासन की कार्यकुशलता किसी भी प्रकार से क्षीण हुई है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के एक मामले में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगड्कर ने यह निर्णय दिया था :

"नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण से सिद्धांततः तथा काल्पनिक दृष्टि से कार्यकुशलता में कुछ क्षीणता आ सकती है, परन्तु नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण की व्यवस्था करते समय किसी भी सरकार को इसकी अंतर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की समस्या पर न्यायसंगत तथा निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए"।

2.122 अवसर की समानता के अधिकार से बहुधा इन वर्गों के हक में पक्षपात का प्रश्न भी उठता रहा है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आई एक अपील में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने निर्णय में ठीक ही कहा है :

"असमान व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता का अर्थ केवल असमानता को बढ़ाना ही हो सकता है। अवसर की समानता विवेकपूर्ण पक्षपात की अग्रभूमि देती है तथा अविवेकपूर्ण पक्षपात का निषेध करती है। विवेकपूर्ण पक्षपात का अर्थ है विभिन्नतापूर्ण व्यवहार के लिए ऐसा युक्तियुक्त वर्गीकरण जिमका संबंध संबंधानिक रूप से अनुज्ञेय उद्देश्य से हो। प्रशासनिक कार्यकुशलता का उचित ध्यान रखते हुए सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए तरजीही प्रतिनिधित्व

अनुज्ञेय कार्य है तथा पिछड़े वर्ग युक्तियुक्त वर्गीकरण है जिनको हमारे संविधान ने मान्यता प्रदान कर रखी है। अतः चयन के मामलों में तरजीही व्यवहार समानता की संकल्पना में है समानता की गुण-किस्य और संकल्पना यह है कि यदि लोगों की असमान स्थिति हो तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार करके उनको समान नहीं बनाया जा सकता।"

न्यायालयों ने न केवल आरक्षण के आदेशों को उचित ठहराया है परन्तु यह बताने के लिए वे सरकार के वर्तमान आदेशों से भी आगे निकल गए हैं कि आरक्षण केवल परिणामात्मक ही नहीं होने चाहिए गुणात्मक भी होने चाहिए।

2.123 भारत के तिर्यक् तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में न्यायालयों ने तकनीकी आधारों पर पदोन्नति के आदेशों का अर्थ करार किया था। इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परिपत्र में उल्लिखित प्रशासनिक अनुदेश वैध नहीं थे क्योंकि ऐसे अनुदेश लागू सांविधिक नियमों को नहीं बदल सकते थे। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 148(5) का अनुपालन नहीं किया गया है। वास्तव में, जहाँ तक सेवाओं में आरक्षण करने का संबंध है, यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भर्ती नियमों में बचाव-छण्ड (सेविंग-क्लाज) शामिल करने के बारे में सरकारी अनुदेशों का ही पालन किया होता तो इस प्रकार के प्रतिकूल निर्णयों से बचा जा सकता था। इन मामलों का संबंध इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के 1978 के सिविल विधि रिट संख्या 9724, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 1974 के 357 तथा 359 तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1979 के डब्ल्यू०पी० 9603 से है।

2.124 मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय किया कि जहाँ केवल एक ही पद हो वहाँ कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए (संदर्भ के लिए कृपया देखें—एलेथिया दास बनाम डाक व तार महानिदेशक तथा अन्य के मामले में 13-12-1978 को किया गया 1978 का फैसला संख्या डब्ल्यू०पी० 3756)। इस निष्कर्ष पर आते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का यह विचार था कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण नियुक्तियों अथवा पदों के संदर्भ में किया जाना चाहिए किन्तु इसमें रिक्त-पदों के आरक्षण की बात शामिल नहीं है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी 27-7-1979 को इसी तरह का निर्णय दिया था।

2.125 आरक्षण की वर्तमान नीति के विरोध में जो सर्वाधिक प्रतिकूल निर्णय दिया गया वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय जो इस न्यायालय ने रेलवे के कुछ गाड़ों की पदोन्नति के संबंध में दिया। संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे :

बी तथा सी ग्रेड के कुछ रेलवे गाड़ें इस बात से व्यथित हुए कि उनसे कनिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सी ग्रेड के कुछ कर्मचारी रेलवे बोर्ड के 27 अगस्त, 1968 तथा 28 अप्रैल, 1970 के परिपत्रों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के निम्नलिखित रिक्त-पदों पर "ए" ग्रेड में पदोन्नत कर दिए गए। इस पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह विचार था कि संविधान के अनुसार, आरक्षण की व्यवस्था पदों और सेवाओं में की जानी चाहिए न कि समय-समय पर होने वाली रिक्तियों में। न्यायालय ने याचिकादाता के इस आशय के काल्पनिक तर्कों को मान लिया कि "यदि किसी खास वर्ष में होने-वाले रिक्त-पदों में से 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भर लिये जाते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद, ग्रेड "ए" में अनुसूचित जाति के

उम्मीदवारों की प्रतिशतता 60 तक पहुंच जाएगी जिससे स्पष्टतः ऐसे वरिष्ठ या सुयोग्य अन्य कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा जिन्हें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित करने से पदोन्नति नहीं मिल सकेगी।" तदनुसार, न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों के चयन तथा नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया। प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे रेलवे बोर्ड के 20 अप्रैल, 1970 के सर्कुलर के अनुदेशों के अनुसार चयन करें। उच्च न्यायालय के अनुसार, रेलवे बोर्ड के सर्कुलर का अभिप्राय यह था कि पदों पर नियुक्ति के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण रखा जाए न कि पदों में होने वाली रिक्तियों में। इस संबंध में न्यायालय ने गृह मंत्रालय के 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प के पैरा 2 और 4(1) का भी हवाला दिया। वैसे, एम० के० जनार्दन तथा अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में 1977 के विशेष सिविल आवेदन पत्र संख्या 1401 पर 30 मार्च, 1978 के अपने निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का अत्यधिक आदर करते हुए वे उनके निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हैं।

ऐसा लगता है कि ए० आर० चौधरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसे विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया है और यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने पदों के आरक्षण से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों को तथा पदों के आरक्षण सिद्धांतों से निकलने वाले तर्कसंगत सहज परिणामों को नजर अन्दाज कर दिया लगता है। खासकर ए० आर० चौधरी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के द्वारा दिए गए इस निर्णय से महत्तम होना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

2.126 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अपील की गई। देखें 1978 की सिविल अपील नं० 2017(एन०सी०एस०)। रेलवे मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात लागू करने के बारे में रेलवे मंत्रालय के 11-1-1973 के आदेश का कार्यान्वयन स्थगित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 16-10-79 को एक-पक्षीय आदेश दिया था। इस स्थगन आदेश के परिणाम-स्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मालूम हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने 16 अक्टूबर 1979 के आदेश का अधिग्रहण करते हुए आगे और आदेश जारी किए हैं और उनके द्वारा स्थगन आदेश निष्प्रभावी करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि रिट याचिका की सुनवाई होने के दौरान जो पदोन्नतियाँ होंगी, उन पर इस रिट-याचिका के होने वाले परिणाम लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार के अनेक मामलों को भी एक साथ मिला कर संयुक्त सुनवाई के लिए रखा था।

2.127 अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में जो महत्वपूर्ण मसला है वह यह है कि क्या आरक्षण पदों पर लागू होता है या रिक्त पदों पर। इस संबंध में इस बात को ध्यान में रखना संगत होगा कि यदि आरक्षण रिक्त-पदों से संबंधित है तो उसे होते रहनेवाली रिक्तियों के निरन्तर आधार पर लागू किया जाए और यदि इसका संबंध किसी कार्डर के कुल पदों से है तो यह एक बंधी संख्या बन जाएगी और वह एक निश्चित कोटा जैसी बात हो जाएगी। यहाँ पर भारत सरकार के 13 सितम्बर 1950 से उस संकल्प का हवाला दे देना भी समीचीन होगा जिसमें आरक्षण के मामलों में विशेषकर रिक्त-पदों पर बल देते हुए भर्ती

में आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। इसमें तर्कसंगत रूप में वह स्टेज बताया गया है जिस पर ऐसा आरक्षण कार्यान्वित किया जाना चाहिए अर्थात् आरक्षण भर्ती स्टेज पर किया जाय और इसलिए जिन रिक्तियों पर भर्ती की जानी हो उन पर आरक्षण करना होगा। इसलिए आरक्षण के बारे में सरकार की नीति स्पष्टतः कार्डर-पदों को लेकर नहीं वरन् रिक्त पदों की इसी संकल्पना को लेकर चली है। अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 की अपेक्षाओं के समनुरूप होते हुए यह संकल्पना अब तक समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

अन्य पिछड़े वर्ग

2.128 भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के० सुब्बाराव ने "पिछड़े वर्ग" शब्द की परिभाषा करते हुए बताया है कि "यह जाति, धर्म, वंश, भाषा, व्यवसाय और इसी प्रकार की अन्य बातों पर आधारित निश्चित और स्पष्टतः पहचाने जा सकने वाले व्यक्तियों का वह वर्ग समूह है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और इसी प्रकार के मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में निश्चित रूप से स्पष्टतः पिछड़ा हुआ हो।" संविधान के अनुच्छेद 338(3) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जिन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संविधान में दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे। संविधान के अनुच्छेद 340 के उपबंधों के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए सन् 1953 में एक आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने यह निर्णय किया कि राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों को (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) "जाति" के आधार पर विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसके स्थान पर अन्य "पिछड़े वर्गों" को केवल उनके आर्थिक स्तर के आधार पर समुचित लाभ दिए जाने चाहिए।

2.129 संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद के अधीन भारत सरकार ने दिसम्बर, 1978 में एक और आयोग नियुक्त किया जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :—

- (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा देने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना ;
- (2) इस प्रकार पता लगाए गए शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों की प्रगति के लिए किए जाने वाले उपाय सुझाना ;
- (3) यह जांच करना कि ऐसे पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए जिनका केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्ति अथवा पदों में आरक्षण की व्यवस्था करना वांछनीय है अथवा नहीं।
- (4) आयोग द्वारा पता लगाए गए तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना और ऐसी सिफारिशें देना जो आयोग अपनी समझ से ठीक समझे।

2.130 संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अधीन अनेक राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियाँ अधिसूचित की हैं और उनके शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के लिए उन्हें सुविधाएँ दी जा रही हैं। इनमें से कई सूचियों की जांच उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा चुकी है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 2 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे तथा वे सुरक्षण किस प्रकार कार्यान्वित हो रहे हैं इस बारे में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सेवा सुरक्षणों से संबंधित उपरोक्त संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 में दिए गए हैं। इस प्रकार व्यापारिक और परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संविधान के अनुसूचन से आयुक्त सेवा संबंधी मामलों की जांच भी करता रहा है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त मिफारिशें और टीका-टिप्पणी करता रहा है। और इस प्रक्रिया के दौरान सेवा सुरक्षणों से संबंधित बहुत से आंकड़े इकट्ठे, गनेकित और विश्लेषित करने पड़े। सेवाओं में आरक्षण संबंधी नीतियों, उनकी कार्यविधि और सुधार की तम्बव रूप-रेखा आदि कई मूद्दे विभिन्न प्राधिकारियों, विशेषकर गृह मंत्रालय, कांमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से उठाए गए। सेवा में आरक्षण की नीति के अनुसरण में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा किए गए प्रयत्नों की छाप है। फिर भी उपरोक्त कितनी थोड़ी हुई है। यदि आयुक्त को पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध कराई गई होती और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में उसकी मिफारिशों को स्वीकार करने की इच्छा रही होती, तो स्थिति और भी अधिक सुधार सकती थी।

आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास

(क) स्वतंत्रता पूर्व

3.2 यद्यपि कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की नीति स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व भी देखने को मिलती थी, तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पूर्व वर्षों को छोड़कर उस अवधि में अधिकांश नमय औपचारिक आरक्षण नहीं था। वैसे, भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की अवधि में यह वांछनीय गमजा कि अनुसूचित जातियों के लिए जित्त उम समय दलित वर्ग कहा जाता था, सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार, भारत सरकार ने नवम्बर, 1934 में ये अनुदेश जारी किए कि अपेक्षित अनुपात रखने वाले दलित वर्गों के उम्मीदवारों को नियुक्ति के समुचित अवसरों में मात्र इसलिए वंचित न रखा जाए कि वे खुली प्रतियोगिता में गकव नहीं हो सकते हैं। स्थिति का 1942 में पुनरीक्षण किया गया तथा यह पता चला कि सरकारी सेवाओं में इन जातियों के लिए पहले से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद संतोषजनक परिणाम नहीं निकले। अतः अगस्त 1943 में भारत सरकार ने दलित वर्गों के लिए 8% प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की और यह भी निर्णय किया गया कि वे ही

इन वर्गों के अर्थता प्राप्त उम्मीदवार काफी संख्या में नियुक्तियों के लिए उपलब्ध होने लगे, इन प्रतिशतता में वृद्धि कर दी जाएगी। आरक्षण केवल सीधी भर्ति में ही लागू किया गया। किसी सेवा अवकाश पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शुल्क और आयु की उच्चतम सीमा के संबंध में कुछ अन्य रियायतें भी घोषित की गईं। जून 1946 में, देश में उस समय की अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतिशतता को 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया।

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त

3.3 अगस्त 1947 में, खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण हटा दिया गया। वैसे, खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण 12% प्रतिशत से बढ़ाकर 16% प्रतिशत कर दिया गया।

3.4 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पहली बार भारत सरकार का ध्यान सरकारी सेवाओं में आदिवासी लोगों के लिए भी आरक्षण करने की ओर आकृष्ट हुआ। लेकिन आरक्षण करने का फैसला 1950 में संविधान के लागू होने के बाद ही किया गया।

3.5 संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के बारे में नीति समेकित की गई। भारत सरकार ने 13 नवम्बर, 1950 को विस्तृत अनुदेश जारी किए जिसमें, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्तियों से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों के लिए 12% प्रतिशत आरक्षण को व्यवस्था की गई; अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता से भिन्न सीधी भर्तियों के लिए 16% प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा गया और अनुसूचित जन जातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण सीधी भर्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर आरम्भ किया गया। आयु की उच्चतम सीमा में तीन साल तक की छील दी गई और किसी भी परीक्षा अवकाश चयन के लिए निर्धारित शुल्क में उसके एक सौपाई भाग की रियायत देना भी जारी रखा गया। तब से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए अग्रिम रियायतें तथा छील दी गई हैं तथा वर्तमान आरक्षणों में संशोधन कर दिया गया है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों तथा नियुक्तियों में भी आरक्षण आरम्भ किया गया है।

आरक्षण संबंधी नीति के विकास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन का योगदान

3.6 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए वह संगठन सरकार से इन जातियों के लिए आरक्षण, छील तथा रियायतें दिलाने के बहुत से निर्णय कराने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुआ है। नीति संबंधी

निर्णय करवाने तथा अन्य ब्रह्मण मुद्दों पर फैसला करवाने के लिए इस संगठन द्वारा किए गए प्रयागों का पना निम्नलिखित पैराग्राफों से चलेगा।

पुष्टिकरण (कंपेंशन)

3.7 प्रारम्भ में सरकार ने पुष्टि के समय आरक्षण का काम सीमित रूप में देना शुरू किया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1947 तक भर्ती हुए थे वे उपलब्ध शक्तियों में से अधिकतम 12½ प्रतिशत पर पुष्टि किए जाने के पना पे बर्तते कि ऐसे कर्म-चारियों ने 3 वर्ष की संतोपजनक सेवा पूरी कर ली हो। आयुक्त ने इन प्रतिबन्ध को समाप्त करने की सिफारिश की तथा यह भी सिफारिश की कि सभी स्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार के अन्तर्गत अनुदेशों के अनुसार उन सभी पदों में जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे, पुष्टि के समय अब आरक्षण किया जाता है।

3.8 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अब अस्थायी आधार पर की जाने वाली प्रारम्भिक नियुक्ति के समय तथा पुष्टि के समय भी करना होता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक ग्रेड में सभी स्थायी अधिकारी उस ग्रेड में स्थानापन्न तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी पुष्टिकरण के बाद उपाग्रेड में कार्य कर रहे अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे तथा उपाग्रेड के स्थायी अधिकारियों में उनकी वरिष्ठता उनके स्थायी होने के क्रम में होगी।

3.9 27 मार्च, 1963 से पहले, प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तियों के अलग-अलग रोस्टर रखे जाने अपेक्षित थे ताकि प्रारम्भिक भर्तियों के समय तथा के पुष्टि समय आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन किया जा सके। किन्तु 27 मार्च, 1963 से इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर स्थायी नियुक्तियों तथा अनिश्चित काल तक चलती रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों का एक सम्मिलित रोस्टर बनाया गया। पुष्टि करते समय आरक्षण के लिए किसी पद को उस विन्दु पर आरक्षित अथवा अनारक्षित समझा जाएगा जो उस पद को शुरू में भरते समय पड़ा था। इस प्रकार पुष्टिकरण के समय आरक्षण विन्दुओं के निर्धारण के लिए मूल रोस्टर का हवाला लेना आवश्यक है।

3.10 यह पाया गया है कि बहुत से मामलों में सीधी भर्तियों के लिए पहले बनाए गए रोस्टर उपलब्ध नहीं होते और इसलिए पुष्टिकरण के समय आरक्षण कितना हो यह निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं होता। इसके-दुक्के पदों तथा छोटे संवर्गों, जिनको इकट्ठा करके एक ही रोस्टर बनाया गया है, में भी पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करना मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त, वहां पर भी पुष्टिकरण के समय आरक्षण को कार्यान्वित करना मुश्किल हो जाता है जहां प्रारम्भ में पदों की मंजूरी विस्कूल अस्थायी आधार पर हुई थी और बाद में उन्हें क्रमशः स्थायी बनाया गया है जैसा कि अधिकतर सरकारी कार्यालयों में होता है। उपर्युक्त मुश्किलों को हल करने के लिए और आरक्षण विन्दु को अत्यधिक स्पष्ट करने हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पुष्टिकरण के समय अलग रोस्टर रखने को पहले वाली प्रथा को फिर से अपना लिया जाना चाहिए। इस पद्धति

से पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों का उचित ढंग से कार्यान्वित न्युनिश्चित किया जा सकेगा तथा ऐसी पद्धति अपनाने से कोई अतिरिक्त कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण

3.11 प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण शुरू करवाने के लिए सरकार को मनवाने के हमारे मतव प्रथमों के परिणामस्वरूप सरकार से केवल यह अपेक्षा प्रतीत करता सम्भव हो सका है कि ऐसे पदों पर यद्यपि कोई आरक्षण नहीं होता तब भी जब किसी नियुक्ति करने वाले मंत्रालय अथवा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या काफी होगी तो नियुक्ति करने वाले मंत्रालय अथवा संबंधित कार्यालय के प्रमुख को यह प्रथम करना चाहिए कि ऐसे पदों की उचित समानुपात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों में से भरा जाए। (वकाया मुद्दों के अधीन इस अध्याय के पैरा 3.103 को भी देख लिया जाए)।

पदोन्नति

3.12 आयुक्त सरकार से यह अपेक्षा करना रहा है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की जानी चाहिए। इस मामले में रेलवे प्रशासन ने पहले की श्रेणी श्रेणी से तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उन पदों में अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, आरक्षण की शुद्धान्त की भूँकि उनका विचार था कि ये पदोन्नतियां सीधी भर्तियों का ही रूप है और इसलिए इनमें आरक्षण के निर्धारित कोटा की व्यवस्था की गई। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय ने महाप्रबंधक दक्षिण रेलवे बनाम के रंगचारी के मामले में दिए फैसले में किया। उच्चतम न्यायालय के इस मार्गदर्शन के बाद भी सरकार पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण शुरू करने की अनिच्छुक रही। आयुक्त का संगठन इस मामले के पीछे पड़ा रहा जिसके फलस्वरूप सरकार ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में विभिन्न अवस्थाओं में आरक्षण की शुद्धान्त कर दी। नवीनतम अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उन सभी पदों के लिए किया जाता है जो वरिष्ठता के आधार पर किन्तु योग्य होने पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, और जहां पदोन्नति चयन के आधार पर होती है वहां आरक्षण प्रथम श्रेणी ('क' समूह) के सबसे निचले पद तक किया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था केवल एक वर्ग में नहीं है अर्थात् प्रथम श्रेणी के भीतर के उन पदों में जो चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। फिर भी इसमें एक रियायती है जिसके अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों, जो आकलन क्षेत्र (जोन ग्रॉफ कन्सीडरेशन) में आते हैं, और 2,250 रूपए या उससे कम के अंतिम वेतन वाले पदों में उपलब्ध शक्तियों की संख्या के अनुरूप काफी वरिष्ठ है, के हितों की रक्षा की जाती है जिससे चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में उनका अधिकतम अथवा संबंधित संवर्ग से उनका पूर्ण विलोपन न हो जाए। (इस अध्याय में बकाया मामलों के अन्तर्गत पैराग्राफ 3.93 से 3.96 तक भी देख लिए जाए)।

रोजगार कार्यालय

3.13 आयुक्त ने वर्ष 1963-64 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने के कारण नियुक्तियों द्वारा

रोजगार कार्यालयों को सूचित किए जाने चाहिए। यह सिफारिश प्रैल 1968 में मान ली गई। सरकार ने आयुक्त का यह सुझाव भी मान लिया कि रोजगार प्रधिकारियों को उन क्षेत्रों का दौरा करते समय जहाँ आदिवासियों की इकट्ठी काफी संख्या है आदिवासियों के नाम उसी दौरान पंजीकृत कर लेने चाहिए। रोजगार कार्यालयों को वर्ष 1978 में जो आरक्षित रिक्तियाँ सूचित की गई थीं और उन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों का नियोजन हुआ, तथा 31-12-78 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तैकरी तलाश करने वाले कितने व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज थे इनके संबंध में रोजगार तथा प्रशिक्षण महाविदेशक से प्राप्त हुई मामान्य तर्कव्युक्ति सूचना परिशिष्ट 10 में देखी जा सकती है।

विशेष तंत्र तथा संपर्क अधिकारी

3.14 आयुक्त ने 1951 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्राप्त होने वाली विवरणियों की संवेक्षा के लिए एक विशेष तंत्र होना चाहिए। इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ बनाया गया था। बाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित काम के लिए सभी मंत्रालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए थे। आयुक्त को यह सिफारिश भी कि ये संपर्क अधिकारी शिक्षावर्गों की जांच आदि में उनकी सहायता दिया करें, सरकार ने मान ली थी। सरकारने हमारा यह सुझाव भी मान लिया था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए संपर्क अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें होनी चाहिए तथा कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेजने से पहले आरक्षण के सभी प्रस्ताव संपर्क अधिकारियों द्वारा जांचे जाने चाहिए। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी इस काम के लिए संपर्क अधिकारी नामित करने और विशेष प्रकोष्ठ बनाने के बारे में अनुदेश है, तथा कई राज्य सरकारों ने भी आयुक्त की सिफारिशें मानकर अपने राज्यों में ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

प्रशिक्षण

3.15 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अधिक संख्या में लिए जाने से सहायता करने की दृष्टि से और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में उन्हें उच्च श्रेणी पदों के लिए चुने जाने के अवसरों को अधिक अच्छा बनाने की दृष्टि से आयुक्त ने इस जातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेशपूर्व तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण देने के संबंध में कई सिफारिशें की थीं। भारत सरकार ने अब भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए कई अखिल भारतीय परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। कई राज्य सरकारों ने भी राज्य स्तर के परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। ऐसा भी प्रबंध है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार स्तरों में ढील देकर चुने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त शिक्षकीय अनुभवों (ट्यूटोरियल कक्षाओं) की सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वे अन्य उम्मीदवारों के समान स्तर पर आ सकें। 'ग' समूह तथा 'घ' समूह के गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी पदों के संबंध में न्यूनतम योग्यता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम को चुनने और उन्हें सेवा कालीन प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है।

कार्यप्रभारित स्थापनाएं (वर्कचाउर्ड एस्टेब्लिशमेंट)

3.16 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी स्थापनाओं में, जैसे वर्कचाउर्ड कर्मचारी जिनमें दिहाड़ीपर तथा मासिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। आयुक्त ने वर्ष 1956-57, 1957-58 और फिर 1973-74 की अपनी रिपोर्टों में यह सिफारिश की कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण आदेश कार्यप्रभारित स्थापना पर भी लागू किए जाएं। इस मामले को नवम्बर, 1976 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चशक्ति प्राप्त समिति की बैठक में उठाए जाने के बाद ही सरकार इस बात के लिए सहमत हुई कि कार्यप्रभारित पदों पर भी आरक्षण के सिद्धान्त को लागू किया जाए लेकिन ऐसे उन पदों को छोड़ दिया जाए जिनकी जरूरत बाढ़ महायत्न आर्थ, दुर्घटना महायत्न आदि के आपात कार्यों के लिए हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्तरों में ढील देना

3.17 जो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा जो पद विभागीय परीक्षाओं के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जाते हैं उनके लिए उपयुक्तता के स्तर में ढील देने के संबंध में कई सिफारिशें की गई थीं। सरकार द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें मान ली गई हैं :—

- (क) गुणों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तुलना मामान्य उम्मीदवारों से नहीं की जानी चाहिए।
- (ख) सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम स्तर और नीचा निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (ग) पदोन्नति/पुष्टि के लिए ली जाने वाली विभागीय प्रयोगी परीक्षाओं में तथा उन विभागीय अंश परीक्षाओं में जो वरिष्ठता योग्यता के आधार पर तथा चयन के आधार पर भी होने वाली पदोन्नतियों के लिए उम्मीदवारों के लायक होने की कसौटी मानी जाती है, ढील दिए गए स्तर लागू किए जाने चाहिए।

छूट तथा अपवर्जन

3.18 पहले भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग गृह मंत्रालय से कुछ पदों को आरक्षण आदेशों की परिधि से मुक्त करने के लिए केवल इस आधार पर अनुरोध किया करते थे कि तत्समय उन पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त द्वारा वर्ष 1952 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने अनुदेश जारी किए कि कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर छूट के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आरक्षण आदेशों की परिधि से छूट समूह 'क' के निम्नतम ग्रेड से ऊपर के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के संबंध में ही इस विशिष्ट शर्त पर दी जा सकती है कि इन पदों को वैज्ञानिक या तकनीकी वर्ग का माना गया है और वे अनुसंधान कार्य के लिए या अनुसंधान के संयोजन, मार्गदर्शन तथा निदेशन के लिए हैं। इन मामलों में भी उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाले पदों को आरक्षण व्यवस्था की परिधि से छूट देने से पहले संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त करने आवश्यक है।

रोजगार के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने की प्रथमदृष्टया साध्य स्वीकार करना

3.19 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की नौकरी में लगाने से पहले कुछ नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों से उनके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने के सबूत के रूप में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करते रहे। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को काफी परेशानी होती थी और कई बार वे नियुक्ति प्रस्तावों का लाभ नियत अवधि में नहीं उठा पाते थे। अतः आयुक्त ने वर्ष 1952 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि नियुक्ति प्राधिकारियों को अन्तिम रूप से वह प्रथम दृष्टया साध्य स्वीकार कर लेनी चाहिए जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्रस्तुत कर सके, जैसे राजपत्रित अधिकारियों, आदि के प्रमाणपत्र और संबंधित उम्मीदवार को विहित प्रमाणपत्र उचित समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कह देना चाहिए। यह सिफारिश सरकार द्वारा अप्रैल, 1953 में स्वीकार कर ली गई। सरकार ने यह अनुदेश भी जारी किए कि वास्तविक कठिनाइयों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दावे का स्थापन कराने में अपने आप ही मदद करनी चाहिए।

शिक्षता प्रशिक्षण

3.20 वर्ष 1952 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किसी व्यक्ति का शिक्षता प्रशिक्षण के लिए चुना जाना (रक्षा मंत्रालय के कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में) अन्ततः रोजगार मिलने के बराबर है और इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू होने चाहिए। यह सुझाव रक्षा मंत्रालय द्वारा मान लिया गया था जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित नियमों का पालन शिक्षार्थियों की भर्ती करते समय कड़ाई से किया जाना था। बाद में शिक्षता अधिनियम 1961 में संशोधन करके यह उपबंध शामिल किया गया कि प्रत्येक निर्दिष्ट शिल्प में अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में उन जातियों की संबंधित राज्य में जनसंख्या का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किए जाएंगे। इस सिफारिश पर की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षार्थियों को जिन संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए उन्हें यथा संभव उन्हीं संगठनों द्वारा काम में लगा लिया जाए, सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया मालूम होता है। अतः इस सिफारिश को फिर से दोहराया जाता है।

कानूनी/स्वायत्त निकाय

3.21 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के अनुसार सेवा सुरक्षण संबंधी संवैधानिक उपबंधों का आदर सभी के द्वारा होना चाहिए और तदनुसार उसने वर्ष 1952 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी आदेश कानूनी निकायों में होने वाली भर्ती पर भी लागू किए जाने चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली थी लेकिन इससे पहले कि आरक्षण लागू किया जा सके संबंधित कानूनों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संशोधनों करने आवश्यक थे। वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में आयुक्त ने आगे सिफारिश की कि इन संवैधानिक उपबंधों का ठीक रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए

सरकार को संविधान के संगत अनुच्छेदों में उचित संशोधन करने के कदम उठाने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए जिससे कि विधिक अथवा अन्य प्रकार की सभी बाधाएं जो कानूनी/स्वायत्त निकायों में आरक्षण आदेशों के सही अनुपालन के रास्ते में आती हैं, दूर हो सकें। विधि मंत्रालय की राय प्राप्त करके सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "राज्य" शब्द में स्वायत्त निकाय आदि शामिल नहीं हैं लेकिन संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि इन निकायों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करन का प्रयोजन मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन आदि में व्यवस्था करके सिद्ध किया जा सकता है। अतः सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा कि स्वायत्त निकायों/संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु उचित कार्रवाई की जाए। (कृपया इस अध्याय में बकाया मामलों के अंतर्गत पैराग्राफ 3.114 तथा 3.115 भी देखिए)।

ऊपरी आयु सीमा में ढील

3.22 आरम्भ में ऊपरी आयु सीमा में ढील तीन साल तक की दी गई थी जिसे बाद में बढ़ा कर अराजपत्रित पदों के लिए पांच साल कर दिया गया था। आयुक्त की सिफारिश पर यह ढील राजपत्रित पदों के लिए भी दे दी गई।

फीस में रियायत

3.23 जहां किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए या किसी सेवा या पद के लिए चयन हेतु फीस निर्धारित की गई है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित फीस में एक चौथाई की रियायत दी जाती है। यह सिफारिश की गई है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए केवल एक चौथाई फीस की रियायत देने के बजाय पूरी फीस की छूट दी जाए। (कृपया इस अध्याय में बकाया मामलों के अंतर्गत पैरा 3.101 देखें)।

सशस्त्र सेनाएं

3.24 यद्यपि सशस्त्र सेनाओं में अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, आयुक्त ने वर्ष 1952 की अपनी रिपोर्ट में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया था कि भारतीय सेना के विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध पाठ उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकतम संभव व्यक्ति नियुक्त करने के और अधिक प्रयत्न होने चाहिए। जैसा कि वर्ष 1963-64 की रिपोर्ट में बताया गया है, रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सैनिक स्कूलों में भर्ती कर लिया जाए। ये स्कूल मुख्यतः बच्चों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने की तैयारी कराने के लिए हैं। उस मंत्रालय ने सभी राज्यों से अग्ररोध किया कि वे अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन लड़कों के लाभ के लिए जो प्रवेश परीक्षा में अर्ह घोषित हों छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करने के बारे में विचार करें। आयुक्त ने वर्ष 1974-75 की अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाते हैं वे सशस्त्र सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दें। चूंकि सशस्त्र सेनाओं के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का

प्रतिनिधित्व अंतोपजनक रूप में नहीं हो पाया है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औपचारिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक निकट भविष्य में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरकार को अपने पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और सशस्त्र सेनाओं में कामियों को भर्ती के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए।

समितियों की नियुक्ति

3.25 वर्ष 1953 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिकाधिक भर्ती के लिए हर संभव तरीकों की खोज करने के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए, जिसके साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक संयुक्त सदस्य भी सम्बद्ध हो। सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना परन्तु गृह मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में स्थिति की समीक्षा करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को वेदंतर करने के सुझाव देने के लिए एक अध्ययन समूह नियुक्त किया। इस अध्ययन समूह ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की कि केन्द्र तथा राज्यों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा करने के लिए समिति बनाना वांछनीय होगा। इस सिफारिश के अनुसरण में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई। बाद में इस समिति का दर्जा ऊँचा करके इसे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति बना दिया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति नियुक्त भी गई है। इस समिति के कार्य जो लोकसभा की कार्यपद्धति तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 331-क में उल्लिखित हैं, इस प्रकार हैं:—

- (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार करना तथा यह रिपोर्ट करना कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को शामिल करके संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में जो मामले आते हैं, उनके संबंध में संघ सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। (जिन विषयों की समिति ने जांच की है, उनसे संबंधित जो मामले अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट में उठाए जाते हैं, उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में समिति आयुक्त को भी सहयता लेनी है)
- (ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों के संबंध में संघ सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देना;
- (ग) हम व्रत की जांच करना कि अनुच्छेद 335 के उपबन्ध की ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने अपने अधीन सेवाओं और पदों में (इनमें मार्बजनिक् क्षेत्र के उपक्रमों, कानूनी तथा अर्थ सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की नियुक्तियों सम्मिलित हैं) अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विषय में रिपोर्ट देना; तथा

(ङ) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जिन्हें समिति ठीक समझे या जो उसे समझा अथवा अध्ययन द्वारा विशेष रूप से भेजे जाएं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण का विनिमय :

3.26 पहले इस बात की व्यवस्था थी कि जब कभी किसी विशेष समुदाय के जैसे अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित पदों के लिए उपलब्ध न हों तो इन रिक्तियों को अनुसूचित जातियों द्वारा अथवा इससे उल्टे रूप में, उनके लिए आरक्षित कोटे की सीमा तक भर लिया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सिफारिश पर सरकार ने यह रियायत हटा ली थी। इस सिफारिश का एक नतीजा यह हुआ कि इन पदों के आरक्षित वर्ग को भ्रान्त करने की बजाए अब इनका लाभ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी मिल सकता है। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर आरक्षित रिक्तियों सामान्य उम्मीदवारों द्वारा तब तक नहीं भरी जानी चाहिए जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारियों ने उम्मीदवारों का चयन आरक्षित वर्गों में से करने के लिए हर सम्भव उपाय न कर लिए हों। वर्ष 1962-63 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने सरकार से आग्रह किया कि किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने की अनुमति देने से पूर्व दोनों समुदायों में से किसी के भी उम्मीदवारों को नियुक्त करने की संभावना देखी जाए। मार्च 1970 में सरकार ने अनुदेश जारी किए कि रिक्तियों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच विनिमय करण का सिद्धान्त उन रिक्तियों के लिए लागू किया जाए जो अग्रणीत करण के तीसरे वर्ष तक भी न भरी जा सकें।

3.27 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपनी इकतालीसवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि विनिमय की इस व्यवस्था को अग्रणीत के अन्तिम वर्ष की बजाय प्रत्येक वर्ष में लागू किया जाना चाहिए। इस विषय पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा 12 नवम्बर, 1976 को हुई बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की ही भांति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त भी संयुक्त समिति की इस सिफारिश से सहमत नहीं थे क्योंकि उनसे अधिकतर राज्यों में अनुसूचित जन जातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। यदि वह रिक्ति जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जातियों को दे दी जाए तो उसे अग्रणीत नहीं किया जा सकेगा और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बाजार में उपलब्ध होने लग जाएं परन्तु उम्र समय उनके लिए रिक्तियों उपलब्ध नहीं होंगी। किन्तु यदि अग्रणीत के केवल अन्तिम वर्ष में विनिमय की अनुमति दी जाए तो सम्भव है कि अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार जो साधारणतया उपलब्ध नहीं होते, अग्रणीत के अगले वर्षों में उनके लिए आरक्षित कुछ रिक्तियों का लाभ उठा सकें। क्योंकि विनिमय की सुविधा केवल अन्तिम

वर्ष में उपलब्ध है, अतः आरक्षित रिक्तियों को व्यपगत होने देने की वजाएँ दूसरा आरक्षित वर्ग फिर भी आरक्षण का लाभ उठाने की स्थिति में रहेगा। नकार, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त ने सन् 1975-77 की अपनी रिपोर्ट, में सरकार को सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण के विनिमय की अनुमति प्रति वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संरक्ष में दी जा सकती है विशेषकर तब जब यह निश्चिन्त रूप से पता हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और अग्नेीत के तीसरे वर्ष तक भी पदोन्नति के लिए उनके उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। इसका कारण भर्ती नियमों में रखी गई यह शर्त है जिसके अनुसार उस फीडर काडर में जिसे पदोन्नति की जाती है, न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होनी आवश्यक है। अतः इस शर्तों से जब अग्नेीत के विनिमय वर्ष तक भी पदोन्नति के लिए किसी आरक्षित वर्ग विभाग के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की सम्भावना न हो तो इस प्रकार का विनिमय प्रतिष्ठा करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि सरकार ने आयुक्त के इस सुझाव को अभी माना नहीं है किन्तु यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि उन पदों के मामलों में जो (i) ग्रहणाचल प्रदेश तथा बिजौरम के संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन 'क' तथा 'ब' समूह के पदोन्नतियों पर अधीनी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और (ii) इन दो संघ राज्य क्षेत्रों के गाँव-गाँव अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा दादर व नगर हवेली में जो पदोन्नत वाले पदोन्नतियों में, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से से बची हुई रिक्तियों को अग्नेीत के केवल तीसरे वर्ष की वजाएँ दूसरे वर्ष अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में बदल दिया जाए। ऐसा कर दिया गया प्रतीत होता है क्योंकि इन संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की ही प्रधानता है। परन्तु फिर भी यहाँ यह धोहराया जाता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के विनिमय की अनुमति दिए जाने के उपर्युक्त सुझाव के बारे में सरकार विचार करे।

अ आरक्षण

3.28 आयुक्त ने सिफारिश की कि जब कभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर कोई नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहे तो उसे यह संवालय की अनुमति मांगनी चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और एक स्कीम बनाई गई जिसके अनुसार आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले यह संवालय (जब कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया। संवालय द्वारा इस विभाग में अनेक सुझाव दिए जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इनका उल्लेख नीचे किया गया है—

(क) कि आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्तावों की प्रतियाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पास भेजी जानी चाहिए और आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के मामलों में अनुमोदन प्रदान करने से पहले उनकी राय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) अनारक्षण के प्रस्ताव भेजने वाले प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने में विनम्र न हो इसके लिए यह संवाला गया कि पूरा विवरण भेजा जाना चाहिए। आद में आवश्यक विवरण मांगने के लिए आयुक्त को

कार्यालय द्वारा बनाए गए प्रोफार्म भी सरकार द्वारा अपना लिए गए।

- (ग) पूर्णतया अस्थायी पदों के विवरण भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पास भेजे जाने चाहिए।
- (घ) आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने से सम्बन्धित फाइलों को सम्पर्क अधिकारियों के पास भेज कर उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- (ङ) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसे प्रस्तावों पर जिन पर आयुक्त ने आपत्ति उठाई हो उस समय तक सहमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारियों से संतोपजनक समाधान प्राप्त न हो जाए।
- (च) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण सम्बन्धित अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए विशेषकर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के मामलों में और आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति केवल कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही की जानी चाहिए।

3.29 यह उल्लेखार्थक बात है कि यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने न केवल 1976 तथा 1977 वर्षों के लिए (बकाया) अपितु 1978 वर्ष के लिए भी आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के सम्बन्ध में आंकड़ों सहित सूचना भेज दी है। इसे यथा सामान्य परिशिष्ट 11 से 13 में प्रत्येक वर्ष के लिए दो विवरणों में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालाँकि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के प्रस्तावों पर विचार करता आ रहा है, परन्तु नवम्बर 1979 में उस विभाग द्वारा जारी किए गए नए अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किए जाने की कार्यविधि को परिशीलित कर दिया गया है और निम्नलिखित शर्तों पर मंत्रालय/विभागों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर स्वयं अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकार सौंप दिया गया है:—

- (1) सम्बन्धित सेवा/भर्ती के नियमों/आदेशों में निदिष्ट फीडर संवर्ग (संवर्गों) में पदोन्नति के लिए न तो अनुसूचित जाति का और न ही अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध या पात्र है।
- (2) उपर्युक्त निर्धारित प्रोफार्म में अनारक्षण के प्रस्ताव की एक प्रति सूचना के लिए तत्काल (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को और (2) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई है।
- (3) अनारक्षण के प्रस्ताव को उक्त मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी ने देखकर अपनी सहमति दे दी है।
- (4) अनारक्षण के प्रस्ताव पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (खास) में कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर सहमति दी गई है; और
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी में असहमति होने पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया गया है।

3.30 उपर्युक्त अनुदेश कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसलिए जारी किए गए हैं कि उस विभाग को मामले भेजने में लगने वाली अत्यधिक देर न लगे। हम मानते हैं

कि इस सम्बन्ध में लगने वाली देर निश्चित रूप से कम होगी और सम्बन्धित विभाग वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा अब अधिक जल्दी से रिक्तियों का अनारक्षण कर पाएंगे। परन्तु, ऐसी आशंका है कि समय गुजरने के साथ-साथ मंत्रालय/विभागों को सौंपा गया यह प्राधिकार सभी पदोन्नति वाले पदों को उक्त मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव स्तर पर ही अनारक्षित कर लिए जाने का समूचा अधिकार माना जाने लगेगा और यह सम्भावना है कि कुछ समय पश्चात् मंत्रालय/विभाग उन प्रस्तावों को कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को सूचना भी भेजना बन्द कर देंगे जो कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है। हमारी आशंका पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियों तथा कुछ वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर नियुक्तियों के मामले में एक इसी प्रकार के अनुभव पर आधारित है जहाँ रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए मंत्रालय/विभाग स्वयं सक्षम है। इन मामलों में ऐसा कोई प्रस्ताव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में नहीं आ रहा है। यह अनुभव किया जाता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में भी ऐसा ही होगा जहाँ पदों को अनारक्षित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को ही प्राधिकार सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रस्तावों पर कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का नियंत्रण भी ढीला पड़ जाएगा हिसाब यह अनुभव रहा है कि चूंकि नियुक्ति प्राधिकारियों को उन परिस्थितियों के बारे में कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को बताना पड़ना था जिनके कारण आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण आवश्यक हुआ, अतः यह ही एक प्रकार के प्रतिरोधक का काम करता था और इसी कारण कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास प्रस्तावों को भेजने से पहले मंत्रालय/विभाग अधिक सतर्कता बरतते थे। इस पक्ष पर वर्ष 1973-74 की आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 3.55 में चर्चा की गई थी। अतः, यह सुझाव दिया जाता है कि कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 16-11-1979 वाले आदेशों को वापस ले लिया जाए और पहले वाली कार्य विधि जारी रखी जानी चाहिए जिसके अनुसार आरक्षित रिक्तियों में सामान्य उम्मीदवारों को केवल कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व, अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। यदि अपनी और होने वाले अनावश्यक विलम्ब के कारण कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग यह उत्तर-दायित्व सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को सौंपना चाहता है तो वह इस कार्य पर लगाए जाने वाले अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकता है।

विभागीय पदोन्नति समितियाँ/चयन मण्डल :

3.31 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने यह सुझाव दिया था कि स्थानीय भर्ती के समय चयन समिति में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आदिवासियों के हितों की देख-भाल कर सके। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस सुझाव का समर्थन करते हुए यह सिफारिश की कि इन अनुसूचित जातियों के मामले में भी समान रूप से लागू किया जा सकता है। इस विषय में सरकार को लिखा जाना जारी रहा और मितम्बर 1970 में सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को हिदायत की कि उनके अधीन पदों और सेवाओं

में भर्ती/पदोन्नतियों के लिये विभागीय पदोन्नतियों, चयन मण्डलों का गठन करत समय किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अधिकारी को नामित किए जाने के यथामुम्भव भरसक प्रयत्न किए जाएं। तथापि, इस हिदायतों से मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य नहीं हुआ कि वे विभागीय पदोन्नति समिति/चयन मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य निरपवाद रूप से शामिल करें। अतः यह सुझाव दिया गया है कि इन हिदायतों को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार की समितियों के काम में हाथ बटाने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अधिकारियों को खोज करने के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को गम्भीर प्रयास करने चाहिए और यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति/चयन मण्डल किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य के बगैर स्थापित करना पड़े तो सम्बन्धित कार्यालय को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के स्वरूप का उल्लेख करते हुए सारा मामला कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को लिख कर भेजे।

राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामांकन

3.32 1956-57 वर्ष की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने ध्यान दिलाया था कि राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामांकन को पदोन्नति माना जाने के कारण उस पर उस समय आरक्षण के आदेश लागू नहीं होते थे परन्तु यह अनुभव किया गया कि उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के मामलों पर जिनकी राज्य चयन समितियों ने सिफारिश की हो, विशेष भर्ती बोर्डों द्वारा महानुसूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए चाहे राज्य सूचियों में उन अधिकारियों का स्थान कुछ भी हो। 1974 में चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आरंभ किये जाने के पश्चात आयुक्त द्वारा 1975-77 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामांकन करने में सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था करनी चाहिए। अक्टूबर 1978 में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने निदेश दिया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस पदोन्नति कोटा में भी आरक्षण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस संबंध में निर्णय शीघ्र किया जाए।

अधिक्रमण

3.33 पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आरम्भ होने से पहले सरकार के ये आदेश थे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अधिक्रमण वाले मामलों की सूचना सम्बन्धित मंत्री या उप मंत्री को दी जानी चाहिए। नवम्बर 1972 में योग्यता होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार ने अनुदेश जारी किए, और तत्पश्चात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिक्रमण के मामलों की सूचना सम्बन्धित मंत्री/उपमंत्री को देने सम्बन्धी अनुदेश वापस ले लिए गए। इस संरक्षण को वापस लिए जाने से पक्षपातपूर्ण तथा असंतुलित रिपोर्टों के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिक्रमण की सम्भावनाएं बहुत बढ़ गईं। अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए जिनमें यह शिकायत की गई थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का अधिक्रमण केवल उनके सम्बन्धों में पूर्वाग्रह युक्त तथा उदासीन

रूप से लिखी गई रिपोर्टों के कारण किया गया। अतः आयुक्त ने 1975-77 वर्षों की अपनी रिपोर्टों में यह सिफारिश की कि अधिक्रमण के विरुद्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए मंत्री/उप मंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की पहले वाली प्रथा फिर चालू की जानी चाहिए, और इसका पालन केवल आरक्षित कोटा में अधिक्रमण के मामले में ही नहीं अपितु अनारक्षित कोटा में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अधिक्रमण के मामले में किया जाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने आरक्षित कोटा वाली रिक्तियों के मामले में 'क' तथा 'ख' समूह के पदों में अधिक्रमण के मामलों की सूचना संबंधित मंत्री/राज्य मंत्री उप मंत्री को और 'ग' तथा 'घ' समूह के पदों के मामले में विभाग प्रमुख को देने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं, परंतु ये अनुदेश अभी भी अनारक्षित कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिक्रमण के मामलों पर लागू नहीं होते। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वर्तमान अनुदेशों में से इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :

3.34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की योजना लागू किए जाने के विषय में आयुक्त की निम्नलिखित सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :—

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन पदों तथा सेवाओं में आरक्षण आरम्भ करना ;
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति ;
- (ग) लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा एक व्यापक निदेश पत्र का प्राकृत्य जारी करना ;
- (घ) शिक्षता योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करना ;
- (ङ) श्रमिक संघों द्वारा विरोध का सामना करते हुए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आरम्भ करना ;
- (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ खोलना ;
- (छ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अन्य रियायतों इत्यादि के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों को अपनाना ;
- (ज) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन नये स्नातकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना जिनमें आशुलिपि के प्रति रुझान और प्रवृत्ति हो ;
- (झ) सेवा में प्रवेश करने के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जमानती अनुबन्ध की राशि कम करना ;
- (ञ) विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्डों की बैठकों में वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को सहयोगित करना ; और
- (ट) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की अधिक बढ़ी नामिका (पैनल) तैयार करना ताकि किसी व्यक्ति द्वारा पेशकश को ठुकराए जाने की स्थिति में नामिका में अगले व्यक्ति को उस पद की पेशकश की जा सके।

सेवाओं का प्रारम्भिक गठन

3.35 आयुक्त ने सिफारिश की थी कि जब कभी किसी नई सेवा का गठन किया जाए तो ऐसी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए चाहे नई सेवा के लिए वर्तमान सेवाओं से शक्ति स्थानान्तरण पर ही लिए जाएं। यद्यपि इस सिफारिश को मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया परन्तु यह अनुदेश जारी कर दिए गए कि यदि कोई भर्ती बाह्य स्त्रांतों से भी की जाती है तो उन रिक्तियों पर आरक्षण लागू करना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा

3.36 संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती में (अब कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से) इस आशय की व्यवस्था थी कि जिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास कर ली हो परन्तु वे टंकन (टाइपराइटिंग) की पर्याप्त गति न रखते हो उन्हें नियुक्त किया जा सकता था और उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद छः महीने की अवधि के भीतर टंकन परीक्षा पास कर लेनी आवश्यक थी। इस रियायत को जो कई वर्ष तक जारी रही, वापस ले लिया गया। परन्तु, अक्टूबर 1978 में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में यह मुझाव दिया गया था कि परीक्षा में उन उम्मीदवारों में से जिन्हें टंकन की अर्हता/प्रवीणता प्राप्त नहीं है सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनकर वृत्तिकासहित अनुवर्ती प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे एक वर्ष की अवधि के भीतर टंकन में आवश्यक प्रवीणता प्राप्त कर सकें। परन्तु यह रियायत उसी सीमा तक उपलब्ध की जाए जितना कि आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत और अपेक्षित प्रवीणता रखने वाले वास्तव में उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या के बीच अन्तर हो।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उम्मीदवार की नियुक्ति

3.37 सरकार ने उन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उम्मीदवारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश जारी किए थे जो गैर तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी 'ग' समूह तथा 'घ' समूह के उन पदों के लिए लिखित परीक्षा द्वारा न होकर अन्य प्रकार से सीधी भर्ती के मामले में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करते हो जिन पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ढील दिए गए स्तरों पर भी पूरे उतरने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों। यह भी व्यवस्था की गई थी कि ऐसे उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आयुक्त ने 1967-68 वर्ष की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि ये आदेश संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत भरे जाने वाले पदों पर भी लागू किए जाने चाहिए और उन पदों पर भी जो लिखित परीक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं। इसके साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपनी 19वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में चुन लिए जाते हैं सदैव उस स्तर तक नहीं आते जो इस प्रकार की परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें अन्य उम्मीदवारों के स्तर तक पहुँचने योग्य बनने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाए। गृह मंत्रालय में 21 अप्रैल, 1970 को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी

किए थे जिनमें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ममूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, अबू तथा सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली जैसी प्रशिक्षण संस्थाओं से यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों के लिए उन विषयों में अतिरिक्त शिक्षकीय अनुभवों की व्यवस्था की जाए जिनमें उन्हें कमजोर पाया जाए।

पृथक समाचार :

3.38 आयुक्त ने अपनी 1961-62 और 1962-63 वर्ष की रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि तब तक ध्यान में रखते हुए कि मौखिक साक्षात्कार उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन करने का सर्वे सही तरीका नहीं होता, ऐसे साक्षात्कार रखने की आवश्यकता कम से कम कनिष्ठ पदों के लिए हटा देनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने इससे पहले सिफारिश की थी कि मौखिक परीक्षा लेने वाले व्यक्तियों को आदिवासी क्षेत्रों की दशा का और जिन असूचितों की स्थिति में आदिवासी लोग काम करते हैं उनका पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और इसलिए भर्ती में उनकी कमी रहने का यह भी एक कारण है। इसी प्रकार आयुक्त ने यह भी कहा था कि संभावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बहुधा यह शिकायत करते हैं कि वे इसीलिए नहीं अस्वीकृति किए जाते कि उनमें शैक्षिक योग्यता की कमी है या वे कम बुद्धिमान हैं। बल्कि उन्हें इसलिए नहीं लिया जाता कि नियुक्ति प्राधिकारी साक्षात्कार को उन्हें अस्वीकार करने का माध्यम बनाते हैं जिसे वे किसी दूसरे व्यक्ति की जो उनकी निगाह में है, मदद कर सकें। यद्यपि यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार नहीं की तो भी यह निर्देश जारी किए गए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के साक्षात्कार का अलग से प्रबंध किया जाए, बेहतर तो यह है कि अलग से कोई दिन रखा जाए ताकि वे सामान्य प्रत्याशियों से तुलना करके न परखे जाएं और साक्षात्कार करते समय साक्षात्कार करने वाले प्राधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों का साक्षात्कार कर रहे हैं। अब भी यह अनुभव किया जाता है कि सरकार को साक्षात्कार की प्रणाली कम से कम वहाँ हटा देनी चाहिए जहाँ लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों ही अपेक्षित हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल लिखित परीक्षा का आधार पर ही चुना जाना चाहिए।

अनुभव कसौटी :

3.39 संघ लोक सेवा आयोग ने यह बताया था कि उन विशिष्ट और तकनीकी पदों के लिए जिनमें विशिष्ट अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बहुत कम मिलते हैं तथा जो आवेदन करते हैं वे अर्हता पूरी नहीं करते। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसे पदों के हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का सुझाव दिया। अतः आयुक्त ने वर्ष 1973-74 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार न्यूनतम अपेक्षित अर्हता रखते हैं और अनुभव की शर्तें पूरा करते हैं उन्हें चुन लेना चाहिए। यद्यपि सरकार ने इस सिफारिश को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया फिर भी निदेश जारी किए गए कि चुनाव के यदि किसी पद के लिए अनुभव की अर्हता अनिवार्य है तो वहाँ संघ लोक सेवा आयोग या कोई अन्य नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के उम्मीदवार के पक्ष में अनुभव की कमी को ठीक दे सकता है यदि चयन करते समय किसी अवस्था में उनकी यह राय हो कि आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्पत्तः पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाएंगे। सरकार ने यह भी निर्णय किया कि जिन पदों के लिए अनुभव की अर्हताएँ अनिवार्य रखी गई हैं उनके लिए विश्वास देते समय इस प्रकार की व्यवस्था को माफ माफ सूचित किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय :

3.40 वर्ष 1955-56 की रिपोर्ट में बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत अनुसूचित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भर्ती सेवाओं के भर्ती नियम बताते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण रखने में कोई लक्ष्य नहीं है। इसके अनुसार गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को उपयुक्त भर्ती नियम बनाने की सलाह दी थी। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई थी कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने हेतु उच्च न्यायालयों को मनवाएं। बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपनी पहली कही गई बात को फिर दोहराया कि उस न्यायालय की रजिस्ट्री में स्टाफ की भर्ती करने के विषय में कोई नियम नहीं है इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियमों में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय के प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि उस न्यायालय में नियुक्तियों के अवसर सीमित है तथा नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गों को तथा साथ ही रजिस्ट्री की कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में फिर यह सिफारिश की गई कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 16(4) और 335 में उपरिष्ठ सुरक्षाओं का लाभ लेने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। इस विषय की फिर चर्चा करते समय उन उच्च न्यायालयों की स्थिति जिन्होंने लिपिक वर्गीय सेवाओं, राज्य न्यायिक सेवाओं और उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के समय आरक्षण करने के सिद्धान्त को लागू किया था, उल्लेख 1975-77 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.16 और 1977-78 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.26 में किया गया है। प्राप्त सूचना से पता लगता है कि थोड़े ही उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालयों की लिपिक वर्गीय सेवाओं और राज्य न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और वह भी केवल सीधी भर्ती के लिए। (कृपया इसी अध्याय में बताया विषयों के अन्तर्गत पैराग्राफ 3.106 और 3.107 को भी देखें।)

आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी

3.41 आयुक्त ने समय-समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सिफारिश की है कि सम्पर्क अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उस मंत्रालय/विभाग में जहाँ उसे सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है आरक्षण आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करे। आयुक्त ने यह भी सिफारिश की कि जिन अधिकारियों को आरक्षण के आदेशों के कार्यान्वयन में चुक करने का जिम्मेदार पाया जाए उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। यद्यपि यह मामला अप्रैल 1974 में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति को बैठक में रखा गया, सरकार ने चुक करने

वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी करना जरूरी नहीं समझा परन्तु उन्होंने यह निर्देश जारी कर दिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विषय में आरक्षण और रियायती सम्बन्धी आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन करने या भेदभाव करने के सुस्पष्ट मामलों की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए दी जा सकती है। इसके पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने आरक्षण के आदेशों का कार्यान्वयन न करने पर जिम्मेवारी निश्चित किए जाने के लिए जोर डाला और सितम्बर, 1976 में सरकार ने अनुदेश जारी किए कि आरक्षण सम्बन्धी और अन्य आदेशों के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने और भूल करने के मामलों को गम्भीर ध्यान भान कर उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देनी चाहिए तथा उसपर उत्तरता से उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे दिनांक 30-3-1978 के पत्र के द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग पर बल दिया गया था कि तत्पश्चात् पूर्वक उपयुक्त कार्रवाई की व्यवस्था पुनरुत्पा प्रक्रिया होनी चाहिए। एक ओर तो आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित न करने या उनके उल्लंघन के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों को दंड किया जाना चाहिए दूसरी ओर प्रशासनिक चूक के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों ने क्षति उठाई हो उन्हें आरक्षण का लाभ भुलझी रूप से अर्थात् उस ता रीख से जिससे उन्हें वह लाभ प्रशासनिक चूक न होने पर मिलता, दिया जाना चाहिए।

प्राप्त सूचना के अनुसार यह मामला कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में विचाराधीन है।

3.42 हमारा भी यह विचार है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का कार्य जिन संपर्क अधिकारियों को सौंपा गया है वे इस कार्य की ओर बहुधा उचित और पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके कारण वर्ष के अंत में पेश की गई उनकी निरीक्षण रिपोर्टें खानापूरी जैसी हैं। इसलिए एक बार फिर यह सुझाव दुबारा दिया जाता है कि संपर्क अधिकारियों को आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन में हुई किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार बनाया जाए और इस विषय में उनके द्वारा किए गए कार्य को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

आरक्षण की प्रतिशतताओं में वृद्धि :

3.43 वर्ष 1967-68 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि टी० टी० देवदासन बनाम भारत संघ तथा एम० आर० बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए आरक्षण की प्रतिशतताएं बढ़ानी संभव हीनी चाहिए जिससे कि विभिन्न सेवाओं में इससे सम्बन्धित न्यूनताओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। यह सिफारिश बाद की रिपोर्टों में दोहराई गई थी जब सरकार से आग्रह किया गया था कि उपलब्ध रिक्तियों में अधिकतम 50 प्रतिशत को आरक्षित किया जाए जिससे पिछले समय से चली आ रही बकाया के ढेर को समाप्त किया जा सके। यद्यपि सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतताएं बढ़ाने की बात नहीं मानी है, उसने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कोटा बढ़ जाने के समान है। इन हिदायतों के अनुसार किसी सर्वग या सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतताओं तक नहीं पहुंचा है तो भर्ती के किसी भी समय कुल आरक्षण, पीछे से आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों को शामिल करके 50 प्रतिशत की उस सीमा से अधिक हो

सकता है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसारण में पहले निर्धारित की गई थी। इन प्रकार इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतताएं क्रमशः 15 तथा 7.5 होते हुए भी, वास्तविक आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर भी हो सकता है क्योंकि अधिकांश सेवाओं आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतताएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

आवेदनों का अग्रेषण :

3.44 वर्ष 1958-59, 1960-61 और 1962-63 की अपनी रिपोर्टों में आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया था कि सभी विभागों को यह आदेश दिए जाने चाहिए कि उच्चतर पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा दी गई अजियां रोकनी नहीं जानी चाहिए और यह शर्त कि किसी स्थायी कर्मचारी की दूसरी जगह बेहतर रोजगार के लिए दी जाने वाली केवल एक ही अर्जा अग्रेषित की जाएगी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ढीली कर देनी चाहिए। यह भी कहा गया था कि विशेष अपवाद के मामलों में अर्जा रोक लेने का कारण अलिखित किया जाना चाहिए और सम्बन्धित कर्मचारी को बताया जाना चाहिए। इन पर सरकार ने विचार किया था। मार्च 1964 में सरकार ने अनुदेश जारी किए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आवेदन पत्र रोकने की बात अपवाद होनी चाहिए न कि वह नियम बन जाए तथा इन कर्मचारियों को अपने भविष्य के अवसर सुधारने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। इन आदेशों को मंत्रालयों/विभागों के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी, कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव लागू कर दिया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अन्यत्र रोजगार पाने के लिए अजियां सामान्य रूप से अग्रेषित कर ही दी जानी चाहिए और ऐसे मामले जहां अजियां अग्रेषित न की जा सकें गृह मंत्रालय को दिखा दिए जाने चाहिए। इस सिफारिश के अनुसारण में सरकार ने सितम्बर 1970 में हिदायतें जारी कीं कि जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अजियां लोक हित में की किसी विवशता से अग्रेषित न की जा सकें तो उसकी सूचना मंत्रालय/विभाग में इस प्रयोजन के लिए नामित संपर्क अधिकारी को एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से शिकायतें सीधे ही ग्रहण करने तथा मामलों की जांच करने की आयुक्त की शक्ति

3.45 वर्ष 1963-64 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने बताया था कि यह आवश्यक है कि सेवाओं के मामले में सुरक्षण भंग की शिकायतों के सुसंगत रिकार्ड उन्हें उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे कि आयुक्त सविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा सौंपे गये अपने कर्तव्यों को सन्तोषप्रद रीति से पूरा कर सकें। आयुक्त ने वर्ष 1969-70 की अपनी रिपोर्ट में यह भी अभिवचन किया कि अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सरकार के आरक्षणों आदि सम्बन्धी आदेशों के उल्लंघन के मामलों को आयुक्त की जानकारी में लाने से नहीं रोकना अथवा दण्डित किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें वर्ष 1970-71 तथा 1971-73 की रिपोर्टों में दोहराई गई परन्तु

मांमला प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की अप्रैल 1974 की बैठक में हुई चर्चा के बाद ही निश्चित हो सका। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार आयुक्त अब विनिर्दिष्ट मामलों में जहाँ उनसे शिकायत की गई हो, मूल दस्तावेज तथा फाइलें मंगा सकते हैं ताकि वह अपने को सन्तुष्ट कर सकें कि संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये अनुदेश भी जारी हुए हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी आरक्षित कोटा की नियुक्तियों के मामलों में अपने नियुक्ती की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के पास सीधे पहुंच सकते हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में अभी विशिष्ट रूप से आदेश देने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दो परिपत्र जारी किए हैं जो आयुक्त के संगत रिकार्ड मंगाने तथा महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों से सीधे अभिवेदन लेने की अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह बात यह मंत्रालय को हस्तक्षेप के लिए सूचित कर दी गई है। आयुक्त से इस मामले को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से अपने स्तर पर भी उठाया है। मुख्य मंत्री ने इस मामले को देखने का वचन दिया है। वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में आयुक्त ने यह भी आग्रह किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों के सम्बन्ध में आयुक्त के संगठन के पत्रों के उत्तर देने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए और उन अधिकारियों के विरुद्ध जो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जानबूझ कर न्याय न दिलाने अथवा विलम्ब करने के उत्तरदायी पाए जाएं, आचरण नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। यद्यपि सरकार ने कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की, तो भी ये अनुदेश जारी किए गए कि जब भी सेवा सम्बन्धी कोई व्यक्तिगत अभिवेदन आयुक्त द्वारा तथा टिप्पणी के लिए भेजा जाए तो आयुक्त को उत्तर/रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

भर्ती नियम

3.46 वर्ष 1952 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने सुझाव दिया था कि कुछ पदों को स्थानान्तरण द्वारा भरने के बजाए उन्हें सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाना चाहिए ताकि आरक्षण सम्बन्धी आदेश उन पर लागू किए जा सकें। उसने यह भी सुझाव दिया था कि भर्ती की विभिन्न प्रणालियों के लिए पृथक कोटा निर्धारित किए जाने चाहिए। अतः समस्त सरकारी कार्यालयों को सलाह दी गई कि भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया जाए और पदों को सीधी भर्ती या पदोन्नति आदि से भरने के लिए उनका निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया जाए। आयुक्त द्वारा वर्ष 1969-70 की रिपोर्ट में की गई अन्य सिफारिशों के उत्तर में सरकार ने भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/ विभागों को सितम्बर 1971 में सलाह दी कि वे भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करें और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए तमाम भर्ती नियमों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के हित में आरक्षण और रियायतें देने के लिए व्यापृत खंड (सेविंग क्लॉज) शामिल करें। ये हिदायतें जुलाई 1976 और मार्च 1978 में दोहराई गई।

हाल में कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कानूनी भर्ती नियमों में संगत संशोधन किए बिना पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था कार्यकारी हिदायतों द्वारा कर देने को अमान्य कर दिया गया। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आरक्षण तथा अन्य शिथिलन आदि के लिए सभी भर्ती नियमों में व्यापृत खंड शामिल कर

दिया जाए जिससे कानूनी नियमों में इस प्रकार का उपबंध न होने के कारण बाद में जो उल्लंघन हो सकती है उससे बचा जा सके।

सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन

3.47 आयुक्त ने वर्ष 1975-77 और 1977-78 की अपनी अन्तिम दो रिपोर्टों में सुझाव दिया कि सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस संगठन के अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उन पर यथाशीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और वेहतर होगा कि सरकार तीन मास की समय सीमा निर्धारित कर दे जिसके भीतर संबंधित संगठन को अध्ययन दल के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी कर देनी चाहिए। यद्यपि सरकार इस विषय पर सहमत हो गई है, लेकिन उसने संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करने की समय-वधि को छःमास निर्धारित किया है।

विश्वविद्यालयों की सेवाएं

3.48 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विश्व-विद्यालयों में लिपिक वर्गीय और शैक्षणिक पदों पर आरक्षण करने के सम्बन्ध में आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में 1969-70 तथा उससे आगे भी सिफारिश होती रही है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेक्चरर के पद तक आरक्षण शुरू करने के लिए परिपत्र जारी किया है, यह निर्णय अभी तक कार्यान्वित हुआ प्रतीत नहीं होता। अतः आयुक्त ने सुझाव दिया कि सब विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किया जाये जिसके अनुसार उनके लिए इस प्रकार का आरक्षण करना अनिवार्य कर दिया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा निदेश जारी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। अतः शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आयुक्त द्वारा परामर्श दिया गया है कि अधिनियम को यथायोग्य संशोधित किया जाए जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सब विश्व-विद्यालयों को सेवा के मामलों में सुरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश दे सके। तथापि शिक्षा मंत्रालय से मिली निम्नलिखित सूचना से पता चलता है कि कितने विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों को सिद्धान्त रूप से मान लिया है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट 14 में देखी जा सकती है। कार्यान्वयन की प्रगति पर अभी निगरानी रखनी है।

| विश्वविद्यालय की क्रम संख्या | कुल मार्ग निर्देश मान लेने वालों की संख्या | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को तरजीह देने के लिए सहमत होने वालों की संख्या | अनुसंधान सहायक का पद प्रदान करने के लिए सहमत होने वालों की संख्या |
|--|--|---|---|
| 1. राजकीय विश्वविद्यालय | 63 | 49 | 5 |
| 2. संस्थाएं जो विश्वविद्यालय म.नी जाती हैं | 7 | 6 | — |
| 3. केन्द्रीय विश्व-विद्यालय | 7 | 5 | 2 |
| | | | 1 (कालम 4 में भी सम्मिलित) |

भर्ती वर्ष अकेली रिक्ति को तुलना में

3.49 पूर्व हिदायतों के अनुसार जब किसी भर्ती वर्ष में अकेली रिक्ति होती थी, तो वह अनारक्षित समझी जाती थी और कुछ मामलों में यह लगभग हर वर्ष हुआ करता था जिसके फलस्वरूप अकेली रिक्तियों का लाभ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता था और तीन वर्ष बाद रिक्तियों को समाप्त होने दिया जाता था। इसलिए आयुक्त द्वारा वर्ष 1970-71 की अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि जिस वर्ष में अकेली रिक्ति हो और उसे अनारक्षित समझा जाना आवश्यक हो तो उस वर्ष को अग्रणीत के प्रयोजन के लिए भर्ती वर्ष नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि उस वर्ष में नियुक्ति अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ढूँढने का प्रयास नहीं करना पड़ा, यद्यपि रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर ही हुई थी। यह सुझाव सरकार ने मान लिया। बाद में रेलवे बोर्ड बनाम आरती रे चौधरी के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के आधार पर आयुक्त ने सरकार को किसी भर्ती वर्ष में अकेली रिक्ति से संबंधित हिदायतों को परिशोधित करने का सुझाव दिया। सरकार द्वारा अप्रैल 1975 में जारी की गई नवीनतम हिदायतों के अनुसार जबकि रिक्ति होने के वर्ष में आरक्षित बिन्दु पर हुई रिक्ति अनारक्षित समझी जा सकती है और उसे अग्रणीत किया जा सकता है बाद के वर्ष में हुई रिक्ति पिछले वर्ष की रिक्ति अग्रणीत रिक्ति ही होने के बदले में आरक्षित समझी जायगी चाहे वह उस वर्ष भी अकेली क्यों न हो। इस प्रकार अकेली रिक्ति को अनारक्षित समझने की व्यवस्था जो पूर्व वर्षों में हर साल लागू की जाती थी अब प्रथम बार की रिक्ति के लिए ही लागू है।

3.50 तथापि हाल के निर्णय में मन्त्रालय उच्च न्यायालय ने निश्चित किया कि यदि किसी कांडर में केवल एक ही पद है, तो उसका आरक्षण नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के इस पूर्व विनिर्णय पर जो आश्रित रहा कि किसी वर्ष में कोई आरक्षण रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक किए जाने पर अत्याधिक और बुरा माना जाएगा चूंकि इससे अनुच्छेद 16(1) व (2) के उपबन्धों को ठेस पहुंचेगी। उच्चतम न्यायालय के उस विनिर्णय के अनुसार सरकार ने हिदायत दी थी कि यदि किसी वर्ष किसी कांडर में दो रिक्त स्थान हैं तो केवल एक ही, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहे और यदि केवल एक ही रिक्त स्थान हो तो उसे अनारक्षित समझा जाए चाहे वह रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हुई हो। जैसा ऊपर कहा गया है उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय बाद में रेलवे बोर्ड बनाम आरती रे चौधरी के मामले में उपात्तरित कर दिया गया था जिसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा इस आशय को हिदायतें जारी की गई कि यदि अकेली रिक्ति पहली बार आरक्षण बिन्दु पर भी होने पर अनारक्षित समझी जाय और अग्रणीत की जाए तो फिर जब दूसरी रिक्ति होगी तो उसे पूर्व वर्षों की अग्रणीत रिक्ति के बदले में आरक्षित ही समझा जायगा चाहे इस वर्ष में वह फिर अकेली रिक्ति ही क्यों न हो। यह स्पष्ट नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के इस विनिर्णय पर मन्त्रालय उच्च न्यायालय ने विचार कर लिया था। मन्त्रालय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्ष में अकेली रिक्ति की अपेक्षा किसी कांडर में अकेले पद का उल्लेख किया है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि एक अकेले पद पर कुछ वर्षों में सेवा निवृत्ति, इस्तीफे, स्थानांतरण या मृत्यु आदि के कारण होने वाली रिक्तियों के आधार पर कई नियुक्तियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षण रिक्तियों पर, जब और जैसे वे होती हैं, लागू किया जाता है, कांडर के पदों पर नहीं। अस्तु उच्चतम न्यायालय के रेलवे बोर्ड बनाम आरती रे चौधरी के मामले के निर्णय के आधार पर नई अपील की जा सकती है और स्थिति तदनुसार स्पष्ट की जा सकती है। कार्मिक विभाग का ध्यान इस निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है। इसी संदर्भ में उड़ीसा उच्च न्यायालय के अन्य निर्णय में उच्च न्यायालय ने एक प्रतिकुल निर्णय दिया जिसमें उसने डाकतार महानिदेशक

के कार्यालय अधीक्षक के पद को आरक्षित करने के आदेश को इस दलील पर मंजूरी कर दिया कि उस वर्ष को भी जिसमें कोई भर्ती नहीं हुई अग्रणीत नियम के लिए भर्ती वर्ष गिना जाना चाहिए और इसलिए एक रिक्ति जो 1969 में हुई और जिसे आगे के भर्ती वर्षों में अग्रणीत किया गया उसका 1971 में व्यपगमन हो गया, यद्यपि बीच के वर्षों में वास्तव में कोई भर्ती नहीं हुई। भारत सरकार की पहली हिदायतें (गृह मंत्रालय का तारिख 2-9-1964 का कार्यालय ज्ञापन) स्पष्ट है जिनके अनुसार आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करने की सीमा के लिए वह वर्ष ही भर्ती वर्ष माना जायगा जिसमें भर्ती वास्तव में कि गई। इस मामले में भी कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग को सलाह दी गई है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विशेष भर्ती अभियान

3.51 वर्ष 1970-71 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र विशेष भर्ती का अभियान चलाए जिससे उनकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार हो सके। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सुधारने के लिए वास्तव में विशेष भर्ती की है। आयुक्त ने केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को विशेष भर्ती के लिए निश्चित प्रोग्राम बनाने का सुझाव दिया है ताकि विभिन्न सेवाओं और पदों में पिछली चली आ रही कर्मियों को दूर किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए नये पदों का निर्माण भी किया जाए।

झाड़ूकशों तथा फराशों के लिए पदोन्नति के मार्ग :

3.52 आयुक्त ने वर्ष 1971-73 और 1973-74 की अपनी रिपोर्टों में बताया था कि झाड़ूकश तथा मला ढोने वाले लोग, जो हिन्दू जाति वर्णक्रम में सबसे निम्न कोटि के हैं, अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक पिछड़े हैं और इसीलिए इनके बहुमुखी विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके लिए पदोन्नति का कोई मार्ग न होने अथवा झाड़ूकश तथा मला ढोने वालों के पदों से भिन्न किसी काम में जाने का अवसर न होने का अर्थ है उन्हें खास तरह का परम्परागत कार्य करते रहने पर समाज में हमेशा के लिए दण्डित करना। आयुक्त ने इस प्रश्न को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति में भी उठाया था। इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने जनवरी 1976 में यह निर्णय लिया कि चपरासी संवर्ग में होने वाली रिक्तियों का 25 प्रतिशत उन झाड़ूकशों, मला ढोने वालों, फराशों और चौकीदारों की बदली द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रखे जाएं जिनकी कम से कम 5 वर्षों की सेवा हो गई हो और उनके पास चाहे चपरासी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता न भी हो। तथापि उनके पास प्रारम्भिक साक्षरता होना आवश्यक है तथा उन्हें हिंदी या अंग्रेजी अथवा कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता का प्रमाण देना चाहिए।

श्रमिक/व्यवसायों संघों द्वारा आरक्षण का विरोध :

3.53 सरकार के 27 नवम्बर 1972 के अनुदेशों के तहत योग्य पाए जाने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की सीमा लागू होने पर लोक उद्यम ब्यूरो ने भी उन अनुदेशों की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने नियंत्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इसी तरह पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के सिद्धान्त को अपनाने की सलाह देने के लिये प्रेषित की। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के ध्यान में यह बात आई कि पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय तथा

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के श्रमिक/व्यवसाय संघों (ट्रेड यूनियनों) ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का विरोध इस दलील पर किया कि प्रबंधक तथा व्यवसाय संघों (ट्रेड यूनियनों) के बीच हुए करार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आयुक्त ने इस ओर ध्यान दिलाया कि संवैधानिक सुरक्षण जिनके अनुसार भारत सरकार ने पदोन्नति, शर्तों आदि के मामलों में आरक्षण लागू करने संबंधी विभिन्न नियमों एवं आदेशों को जारी किया है उनको श्रमिक तथा व्यवसाय संघों के साथ हुए करार से अग्रता दी जानी चाहिए। इसलिए वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को अपने मंत्रालयों से संबंधित व्यवसाय संघों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अविधान में दिए गए सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप न करें। लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद लोक उद्यम व्यूरो ने एक मसौदा निदेश जारी किया जिसे प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को औपचारिक रूप से मंजूर किया गया है इसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की स्कीम लागू की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकृत बैंक

3.54 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक भी संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन बैंकों से भी विभिन्न बैंकों द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण की नीति लागू करना अपेक्षित है। इस मामले पर भारत सरकार के बैंकिंग विभाग से विचार विमर्श किया गया। उस विभाग ने विभिन्न बैंकों के विचार लेने के बाद उन्हें सलाह दी कि वे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों के अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने पर विचार करें। बैंकों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया कि जहां कहीं पदोन्नति में आरक्षण लाभ हों वहां उन्हें करते समय कर्मचारियों के संघों से हुए करार बीच में नहीं आने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की एक स्कीम तैयार की लेकिन उस स्कीम में की गई व्यवस्था बेसी नहीं थी जैसी भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम में थी। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से इस स्कीम में समुचित संशोधन करने का अनुरोध किया गया जिससे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। यह सुझाव भी दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक नामतः "स्टेट बैंक" और इसके सहायक बैंकों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की इस स्कीम का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण करने के आदेशों के कार्यान्वयन में बैंक प्रबंधक तथा व्यवसाय संघों के बीच हुए करार इसमें बाधक नहीं होंगे।

आरक्षण देने के लिए विधायन

3.55 1971-73 वर्षों की अगली रिपोर्ट में आयुक्त ने इस बात पर बल दिया था कि आरक्षण आदेशों का अनुसूचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना एक महत्वपूर्ण एवं कारगर उपाय है और इसलिए उन्होंने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं और पदों में आरक्षण लागू करने हेतु कानून बनाने की वांछनीयता पर सरकार को विचार करना चाहिए। उद्योग और

पश्चिम बंगाल सरकारों ने अपनी विधान मण्डलों में आवश्यक विधायन प्रस्तुत किया जिसे संविधान विधान मण्डलों में विधिवत् पारित कर कानून बना दिया। बाद में ही प्रकार का कानून मणिपुर राज्य ने भी बनाया। वैसे जहां तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं का संबंध था, भारत सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उनके विचार से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश पर्याप्त होने के साथ-साथ अधिक लचीले भी हैं। केन्द्र और राज्यों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में एकरूपता न होने की बात पर विचार करते हुए आयुक्त की वर्ष 1977-78 की पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि संविधान से दोनों के लिए एक सी प्रेरणा होने के कारण, सरकार को संसद का एक अधिनियम बना लेने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी कर लिया जाना चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में कानून बनाने के लिए उक्त अधिनियम को आदर्श मान लें। यह उपयुक्त समय है कि सरकार को इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से परामर्श लेते हुए उपयुक्त कानून बना लेना चाहिए।

स्वैच्छिक अभिकरण

3.56 वर्ष 1971-73 की अगली रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई आरक्षण की उस स्कीम की सराहना की थी जो सरकार से महायुता अनुदान ले रही एजेंसियों के अधीन सेवाओं पर लागू की गई है और उसे केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाए जाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप अनेक राज्य सरकारों ने इसी प्रकार के आदेश जारी किए। केन्द्रीय सरकार के विभागों से महायुता अनुदान प्राप्त कर रही स्वैच्छिक अभिकरणों (एजेंसियों) के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की अप्रैल 1974 में हुई बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि जिन शर्तों के अधीन स्वैच्छिक एजेंसियों/संगठनों को सरकार द्वारा महायुता अनुदान किया जाता है उन शर्तों में सभी मंत्रालयों/विभागों को इन संगठनों के अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त खंड जोड़ना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि जिन एजेंसियों में 20 से अधिक व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्त रहते हों और जिनका कम से कम 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों से बहुत किया जाता हो उन्हें अनुदान मंजूर करने की पूर्व शर्त के रूप में उपर्युक्त उपबंध करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा साग्रह किया जाना चाहिए। आरक्षण से संबंधित नियम उन स्वैच्छिक अभिकरणों पर लागू रहे हैं जो पंजीकृत हैं और भारत की अंचित निधि से दो लाख रुपये अथवा इससे अधिक का वार्षिक महायुता अनुदान सामान्य प्रयोजनों के लिए लेती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बहुत थोड़े मंत्रालय/विभाग हैं जो स्वैच्छिक अभिकरणों को महायुता अनुदान देते हैं। इन अभिकरणों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सार्वजनिक सूचना परिशिष्ट-15 में देखी जा सकती है।

सीधी भर्ती घटक पर निर्वन्धन

3.57 सभी पदोन्नतियों में, चाहे वे वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर हों अथवा चयन या विभागीय प्रतियोगिता/अंशक परीक्षाओं के आधार पर हों, सरकार यह निर्वन्धन लगाती है कि ऐसे पदों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यदि सीधी भर्ती का घटक, यदि कोई है तो, 50 प्रतिशत से अधिक न हो। यह उपबन्ध सम्भवतः इस विचार से किया गया था कि जिन पदों अथवा सेवाओं में सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक

थी, उन पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए काफी सुरक्षा सुलभ था। सरकार के लिए यह तर्कसंगत नहीं था कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कोटा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर सीधी भर्ती से भिन्न भरे जाने वाले बाकी पदों का आरक्षण आदेशों के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। अतः आयुक्त ने यह सिफारिश की थी कि इन निर्बंधन को पूर्णतः हटा देना चाहिए ताकि सीधी भर्ती के साथ साथ पदोन्नतियों में भी जहाँ कहीं लागू हो, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सभी प्रकार की रिक्तियों, में जब कभी भी वे हों, मिल सके। विशेषकर, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण लागू हो जाने के बाद नियोजिता प्राधिकारियों ने भर्ती नियमों में संशोधन करने की यह प्रवृत्ति देखी गई है कि सीधी भर्ती के घटक को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया जाए जिससे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले यदि बाकी कोई पद हों तो उन्हें आरक्षण आदेश के क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। इस निर्बंधन को हटाने के आयुक्त के अनुरोध को मानने में सरकार ने अनिच्छा प्रकट की थी और अंततः यह मामला उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सम्मुख उमकी मितम्बर 1975 में हुई बैठक में पेश किया गया था जहाँ सरकार कुछ हद तक नरम पड़ी थी लेकिन इस निर्बंधन को पूर्णतः हटाने के लिए सहमत नहीं हुई। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की उपर्युक्त बैठक के बाद जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आरक्षण अब ऐसे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों पर लागू होगा जहाँ इसे स्वीकार किया जा चुका है और जहाँ सीधी भर्ती का घटक, यदि कोई हो, 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक नहीं है। सीधी भर्ती का यह घटक पहले 50 प्रतिशत था। इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण आदेश लागू न होने के क्षेत्र को घटा कर 50 प्रतिशत से कम की वजाए 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत से कम तक ले आया गया है तथापि यह महसूस किया जाता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के संबंध में सीधी भर्ती घटक संबंधी निर्बंधन लगाने के पीछे कोई तर्कसंगत नहीं है और इसे बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए।

संस्थानों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टें

3.58 आयुक्त ने वर्ष 1973-74 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े प्रत्येक संस्थान/विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाने चाहिए। इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है। और जून 1977 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े अब संस्थानों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं। सरकार ने संस्थानों/विभागों को यह भी अनुदेश दिए हैं कि इसी प्रकार की सूचना कानूनी, अर्ध सरकारी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में भी वार्षिक रिपोर्टों में शामिल करना उपयोगी होगा।

अनारक्षित कोटा से योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की गणना

3.59 वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी और इसे फिर से 1977-78 की रिपोर्ट में दोहराया गया था कि सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में लेने का एक तरीका यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों का चयन उनकी अपनी योग्यता के आधार पर हो उन्हें अरक्षित कोटा में न गिना जाए। इसका अभिप्राय यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित अरक्षित कोटा का लाभ उन्हें उन उम्मीदवारों के प्रतिरक्षित मिले जो अपनी ही योग्यता के आधार पर चयन कर लिए जाते हैं। कुछेक राज्य सरकारों नामतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,

जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने यह व्यवस्था करने की अनुमति देते हुए अनुदेश जारी कर दिए हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार अभी तक इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई है। यह हर प्रकार से वांछनीय है कि केन्द्रीय सरकार के साथ साथ शेष सरकारें भी ऐसी ही कार्य प्रणाली अपनाएं। ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नौकरियों में प्रदेश की संख्या बढ़ाई जा सके और सेवाओं में इन समुदायों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लक्ष्य तक पहुंचने की गति को तेज किया जा सके।

सामान्य पूल आवास में आरक्षण

3.60 चूंकि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को अपने साथ शताब्दियों पुराने अस्पृश्यता के कलंक को जुदा होने के कारण प्राइवेट मकान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इसलिए सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए जो सामान्य पूल के आवास हैं उन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आवास आरक्षित किए जाने चाहिए। प्रारम्भ में सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए जनरल पूल के टाइप एक और टाइप दो के क्वार्टरों में पांच प्रतिशत आरक्षण रखा, बाद में इस आरक्षण को बढ़ा कर टाइप एक और टाइप दो की स्पष्ट रिक्तियों का दस प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही जनरल पूल के टाइप तीन तथा टाइप चार के क्वार्टरों में भी पांच प्रतिशत का आरक्षण कर दिया गया। ये प्रयास स्वागत के योग्य तो हैं किन्तु इन्हें काफी सन्तोष जनक नहीं कहा जा सकता। 1977-78 की रिपोर्ट में आगे यह भी सुझाया गया है कि यह आरक्षण सभी टाइप के मकानों के लिए किया जाना चाहिए और यह आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक होना चाहिए। अर्थात् यह आरक्षण इन समुदायों के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में दिए जा रहे आरक्षण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से दो उद्देश्यों की पूर्ति होगी एक तो यह कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ती हुई संख्या में प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा और दूसरी ओर समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ इनके समीकरण में मदद मिलने लगेगी। अतः इस सिफारिश को फिर दोहराया जाता है।

विदेशों में नियुक्ति

3.61 वर्ष 1971-73 की हमारी रिपोर्ट में यह सुझाया गया था कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की विदेशों में नियुक्तियों और तैनातियों करने के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी अधिकारियों के दावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया कि विदेशों में कुछ समय के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति करने से उन्हें लाभप्रद अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस सुझाव पर विचार किया और सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया कि जब कभी उन्हें विदेशों में स्थित अपनी यूनिटों में अपने अधीन काम कर रहे अधिकारियों को तैनात करना हो तो वे ऐसी तैनातियों के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारियों के सामने भी विचार करें। नामांकन करने वाले प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह बता दें कि उन्होंने जिन अधिकारियों का नामांकन किया है उनमें से कौन-कौन अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं ताकि इनके मामलों पर उपयुक्त प्राधिकारी चयन करते समय विधिवत् विचार कर सकें।

पदोन्नति के लिए चयन-सूची तैयार करते समय किन रिक्तियों का हिसाब लगाया जाना चाहिए

3.62 वर्ष 1971-73 की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कुछेक कन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की यह प्रवृत्ति है कि आरक्षण-आदेशों को लागू करते समय वे दीर्घकालिक और अल्पकालिक रिक्तियों को एक साथ पूल कर लेते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को संयुक्त चयन सूची के अन्त में रखा जाने लगा और इस प्रकार उन्हें केवल तदर्थ और अस्थायी नियुक्तियाँ प्राप्त होने लगी अथवा कभी-कभी तो उन्हें पदोन्नति मिलती ही नहीं थी। आयुक्त को इस टिप्पणी के अनुसरण में, सरकार ने ये अनुदेश जारी कर दिये कि इस प्रयोजन के लिए पूर्णतः अल्प कालिक रिक्तियाँ हिसाब में न ली जाएँ और न अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए ही कुछ जोड़ा जाय। पेनल स्पष्ट रिक्तियों के लिए ही और यथा संभव सही बनाया जाए। पहले यह होता था कि प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण जो रिक्तियाँ होती थीं उन्हें नियमित आधार पर नहीं भरा जाता था। इस प्रकार परिणामी रिक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए किए गए आरक्षण को नजर अन्दाज कर दिया जाता था। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) के कारण हुई सभी रिक्तियों को जो एक वर्ष से अधिक अवधि की हो, नियमित आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के हिसाब में लगा लिया जाना चाहिए, ऐसा करते हुए यह विचार कर लिया जाए कि उस वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति पर गए कितने अधिकारियों के संबंधित कांडर में वापस आने की सम्भावना है।

आरक्षण के प्रयोजन के लिए झाड़ू कशों को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समूहित न किया जाना

3.63 सामान्यतया झाड़ू कशों के पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से ही भरे जाते हैं इसलिए आयुक्त ने यह बताया था कि जब आरक्षण आदेशों के प्रयोजन के लिए इन पदों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों के साथ समूहित किया जाता है तो चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों में इन जातियों के कर्मचारियों को मिले प्रतिनिधित्व की एक गलत तमसीर सामने आती है। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि इन पदों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों के साथ समूहित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और नवम्बर 1977 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार झाड़ू कशों के पदों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों के साथ आरक्षण-आदेशों के प्रयोजन के लिए समूहित करने की जरूरत नहीं है। आयुक्त का दुसरा सुझाव यह था कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना भेजते समय चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व में झाड़ू कशों को शामिल न किया जाए। सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण भेजते समय "घ" समूह के पदों में झाड़ू कशों की नियुक्तियों "घ" समूह के पदों में शामिल नहीं की जानी है किन्तु इनकी नियुक्तियाँ अलग से दिखाई जानी है।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

3.64 कामिक विभाग के 15 नवम्बर, 1971 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह कहा गया था कि वे प्रशिक्षण के लिए एक चरण बद्ध कार्यक्रम तैयार करें ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को और अधिक अच्छा तथा गहन प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे वे प्रथम श्रेणी के उच्चतर वर्ग के पदों पर चुने जाने के अपने अवसरों को सुधार सकें। इन अनुदेशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि अब इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएँ तो उस समय विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए रखना लाभप्रद होगा। आयुक्त ने यह देखा कि जिस भावना से उक्त अनुदेश जारी किए गए थे उस भावना के साथ मंत्रालय/विभाग इन्हें कार्यान्वित नहीं करते। इसलिए यह सिफारिश की गई कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए विशेष उपाय बरते जाएँ। सितम्बर 1978 में इन अनुदेशों को फिर से सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय आयुक्त की उक्त सिफारिश को ध्यान में रखा जाए।

सामान्य प्रशासनिक निरीक्षण

3.65 आयुक्त की वर्ष 1963-64 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जब अधिकारिण सामान्य प्रशासनिक निरीक्षण करें तो वे इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दें कि संबंधित कार्यालय ने आरक्षित-कोटाओं को भरने के लिए क्या कुछ किया है और इस प्रकार के प्रशासनिक निरीक्षणों में इस स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की नई स्कीम

3.66 कोटारी समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) तथा समवर्गी सेवाओं के लिए सिविल सेवा-परीक्षा की एक नई स्कीम प्रारंभ करने का फैसला किया। इस स्कीम के अनुसार लिखित परीक्षाओं में आठ अनिवार्य पच्चे (पेपरों) में से एक पर्चा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित एक भारतीय-भाषा को रखा गया था। चूंकि इस नई योजना से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के आदिवासी छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि आठवीं अनुसूची में उनकी मातृ-भाषा शामिल नहीं की गई है, इसलिए इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया। आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा के अनिवार्य पच्चे की परीक्षा देने संबंधी उपबंध में यथोचित संशोधन किया जाए और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के आदिवासी उम्मीदवारों की भारतीय भाषाओं के पच्चे (पेपर) के बदले में कोई और पर्चा लेने की अनुमति दे दी जाय। प्रारंभ में गृह मंत्रालय ने इस सुझाव को नहीं माना, किन्तु बाद में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के संघ राज्य क्षेत्रों के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा।

बंध पत्र (बांड) भरना तथा जमानत देना

3.67 सरकार के इस आशय के आम अनुदेश थे कि जब कभी केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी किसी राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के अधीन नौकरी में आना चाहता हो तो किसी निर्धारित अवधि के लिए सरकार की नौकरी करने के बांड की शर्त उस पर लागू नहीं की जाएँ और उसे तब नियुक्ता के साथ नवीन बांड भरने की अनुमति दे दी जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह यथोचित अवधि तक नए संगठन की नौकरी करेगा, और उस अवधि का निर्धारण हर मामले में इस बात का ध्यान रखकर किया जाएगा कि भूतपूर्व मंत्रालय/विभाग ने उसके प्रशिक्षण पर कितनी रकम खर्च की है। आयुक्त ने वर्ष 1973-74 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर के उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अत्यन्त रोजगार लेने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। आयुक्त के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सकते और इसलिए जब कभी किसी दूसरे संगठन में उच्चतर पद के लिए उनका चयन हो जाता

था तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए यह सिफारिश की गई कि लोक उद्यम-व्यूरों द्वारा इस व्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करनेवाले कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया जाना चाहिए। जून 1977 में लोक उद्यम व्यूरों ने आवश्यक अनुदेश जारी किए जिनके अनुसार लोक उद्यमों के जो कर्मचारी/केन्द्रीय राज्य सरकार/अर्ध सरकारी निकायों अथवा दूसरे किसी उद्यम के अधीन नौकरी करने जाएंगे, उन पर बाण्ड की शर्तें लागू करने की बात पर जोर नहीं दिया जाएगा किन्तु शर्त यह है कि उनसे इस आशय का एक तथा बाण्ड भरवा लिया जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी को मूल बाण्ड की शर्त अथवा अधि के लिए नए नियोक्ता के अधीन सेवा करने होंगी। 1975-77 की रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि आयुक्त के ध्यान में इस प्रकार के उदाहरण आए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उपेक्षित तकनीकी योग्यता वाले जो उम्मीदवार उपलब्ध थे और जिन्हें नियुक्त क लिए चुने भी लिया गया था फिर भी वे नियुक्त के प्रस्तावों का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि व 25,000 रु० या इससे अधिक की भारी रकम के जमानती बाण्ड भर सकने में असमर्थ थे। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा चयन किए गए अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार के मामले में आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि बाण्ड की रकम 20,000.00 रु० से घटा कर 10,000.00 रु० कर दी जाए। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। आयुक्त की वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि लोक उद्यम व्यूरों को चाहिए कि वह इसी आधार पर राष्ट्रपति के निर्देशों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से प्रारूप-अनुदेश जारी करें। इन अनुदेशों में यह कहा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के मामले में जमानत बाण्ड की रकम को कम किया जाए ताकि वे नियुक्त-प्रस्तावों का लाभ अविलम्ब उठा सकें। लोक उद्यम व्यूरों ने अब इस सुझाव को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के ध्यान में ला दिया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसकी सूचना औपचारिक निर्देश के माध्यम से दी जा सके।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें

3. 68 17 सितम्बर, 1975 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की छठी बैठक में आयुक्त ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के विषय में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों का मुद्दा उठाया जिनके परिणाम स्वरूप वे पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं और यहां तक कि समयपूर्व रिटायर कर दिए जाते हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि गोपनीय रिपोर्टें फार्मों का पुनरीक्षण करके उनमें यह व्यवस्था की जाए कि अधिकारीगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण / अधिकारों के संरक्षण सम्बंधी आदेशों का किस प्रकार कार्यान्वयन करते हैं तथा उनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति आम व्यवहार कैसा है। इसलिए सरकार ने गोपनीय रिपोर्टों के फार्मों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया था ताकि ये रिपोर्टें परिणाम/कार्य निष्पत्ति परिचायक प्रणाली का काम दे सकें। इन फार्मों का संशोधन करते समय, सरकार ने अनुभाग अधिकारियों, अवर सचिवों, उप सचिवों तथा निदेशकों की गोपनीय रिपोर्टें के फार्मों में एक मद और जोड़ दी जिसके अनुसार जिस अधिकारी की रिपोर्टें लिखी जा रही है अगर अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है तो पुनरीक्षण अधिकारी को विशेषरूप से इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होता कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी के कार्य निष्पादन का रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित व न्यायोचित था। चूंकि इस प्रोफार्म के अधीन आने वाला निम्नतम अधिकारी अनुभाग अधिकारी है इसलिए उक्त सूचना केवल अनुभाग

अधिकारी से उपर दर्जे के रिपोर्टिंग अधिकारी के व्यवहार से ही सम्बन्धित होगी। अतः सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वह इसी प्रकार की एक मद अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें के फार्मों में भी रख दे जिनकी गोपनीय रिपोर्टें अनुभाग अधिकारी अथवा अन्य समतुल्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाती हैं ताकि पुनरीक्षण अधिकारी अनुभाग अधिकारी के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार का मूल्यांकन कर सके। अधीनस्थ कर्मचारियों का रिपोर्टिंग अधिकारी अधिकतर अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक अथवा समान दर्जे का कोई अन्य अधिकारी होता है इसलिए यह आवश्यक हो जाता था कि प्रोफार्मों में यथोचित संशोधन किया जाए ताकि इस अधिकारी का अपने मातहतों के प्रति व्यवहार का पता चल सके। यह जानकर हर्ष होता है कि सरकार ने इन सुझाव को भी स्वीकार कर लिया है तथा सम्बन्धित फार्मों को तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

आरक्षण कोटे के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों से संबंधित मामलों पर कानूनी राय/अदालतों के फैसले

3. 69 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बंधी नीति के विकास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की भूमिका से सम्बन्धित उपर्युक्त पैराग्राफों में दिए गए विवरण के अतिरिक्त, कुछ मद्दों पर विधि मंत्रालय की राय लेनी पड़ी और कुछ अन्य मामलों में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान के अन्तर्गत की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार उचित राहत दिला देने में काफी सहायक पाए गए। उनमें से कुछके निम्नलिखित पैराग्राफों दिए गए हैं :—

संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (4) में किए गए उपबंध का निर्वाचन

3. 70 इस खंड में यह उपबंधित है कि "खंड (3) कि किसी भी बात के अनुसार लोक सेवा आयोग से इस बात के लिए परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में हवाला दिए गए उपबंध किस रूप में बनाए जाए तथा अनुच्छेद 335 के उपबंधों को किस प्रकार लागू किया जाए। बहुत पहले 1951 में आयुक्त का ध्यान इस आशंका की ओर दिलाया गया था कि किसी रिक्ति के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिए जाने के बाद वह संघ/राज्य लोकसेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्र के भीतर बहीं रहती। दूसरे शब्दों में, यह संदेश व्यक्त किया गया था कि लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित पद के बारे में कुछ भी नहीं करना है। इस संदेश को समाप्त करने के उद्देश्य से यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया और उस मंत्रालय के विचार के अनुसार अनुच्छेद 320 की धारा (4) प्रभाव केवल इतना ही था कि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित प्रावधान कैसे बनाए जाय अथवा अनुच्छेद 335 को किस ढंग से लागू किया जाए इस बारे में आयोग से परामर्श लेना उसने अनावश्यक बना दिया। दूसरे शब्दों में विधि मंत्रालय के अनुसार यह उपबंध केवल इस विषय में था कि आरक्षण किस रिक्ति से लागू किया जाए, उदाहरणतः किस समय अथवा किस अवसर पर आरक्षण किए जाएंगे, कितने तथा किस प्रकार के पदों के आरक्षित किया जाएगा और किन विशेष वर्गों के लिए वे आरक्षित किए जा सकेंगे। इसलिए अनुच्छेद 320 (4) के उपबंध में आरक्षित कोटे के प्रति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती को लोकसेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला और इस खंड का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि आरक्षित पदों पर भर्ती के बारे में सरकार को आयोग से परामर्श नहीं करना होगा। विधि-संवालय के अनुसार आरक्षित कोटे के प्रति पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को चयन तथा उपयुक्तता और उनकी अपेक्षाकृत योग्यता के बारे में निर्णय करने के लिए उचित प्राधिकरण

स्पष्टतः लोक सेवा आयोग ही था जो कि आरक्षित कोटे के प्रति पिछड़ी जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती करने में सरकार की मूल्यवान सहायता कर सकेगा। विधि मंत्रालय की इस राय के बाद आरक्षित कोटे के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सारी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से की गई है।

राज्य सेवाओं में भर्ती के बारे में राज्य सरकारों को निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ :

3.71 आयुक्त की वर्ष 1951 की रिपोर्ट में यह गृहा उठाया गया था कि क्या केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किए जाने चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में केंद्रीय सरकार को निदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 339 के खंड (2) में उपबंध है जो केंद्रीय सरकार को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्कीम बनाने व उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति देता है, विधि मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार इस संबंध में अनुच्छेद 275 के खंड (1) के पहले परंतुक में साफ तौर से बताया गया है कि ये स्कीम विकास की होगी जिनका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना होगा तथा इनके लिए राज्य सरकारों को भारत को रॉचिंग निधि से अन्दान दिया जाएगा। यह शक्ति केंद्रीय सरकार की दी गई है क्योंकि वह इन स्कीमों पर होने वाली लागत के लिए धन देती है। इसलिए यह स्पष्ट था कि अनुच्छेद 339 (2) अथवा अन्य कोई अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लोगों की राज्य सेवाओं में भर्ती के बारे में राज्य सरकारों को निदेश देने के लिए भारत सरकार को प्राधिकृत नहीं करता। इस प्रकार राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 के प्रावधानों को लागू करने के ढंग के मामले में स्वायत्त दर्जा रखती है।

3.72 जहाँ तक अनुच्छेद 338 (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के "इस संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों कि जांच पड़ताल करने . . ." के क्षेत्राधिकार का संबंध है, उस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आयुक्त का संगठन व्यक्तिगत मामलों में जांच पड़ताल करता रहा है तथा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के कार्यालयों में, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय और कुछेक कानूनी प्राधिकरणों को छोड़कर (इस रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गयी है), सेवा सुरक्षणों के निष्पादन के संबंध में आम अध्ययन भी करता रहा है। एक या दो राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रतिरोध किया गया किंतु इसे सुकावले की स्थिति पैदा होने देने के बिना मुलजम लिया गया तथा संबंधित राज्य सरकारों न सेवा सुरक्षणों के मामलों में आयुक्त द्वारा जांच पड़ताल करने के अधिकार को मान लिया।

3.73 1 अक्टूबर, 1974 को भारत सरकार ने अनुदेश जारी किए जिसमें ऐसी जांचों के दौरान भूल फाइलों/कागजात भंगाने के आयुक्त के प्राधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उसी आदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को "आरक्षित कोटे" की नियुक्तियों से संबंधित अपनी शिकायतों के मामलों में आयुक्त से स्वतंत्रतापूर्वक संपर्क करने की अनुमति भी दी गई। "आरक्षित कोटे" अभिव्यक्ति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पुष्टिकरण पदोन्नति व सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई अन्य शिकायतों से संबंधित मामले शामिल हैं। ये अनुदेश गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को भी भेजे गए थे। केवल महाराष्ट्र सरकार के ऐसे आदेश जारी किए जिनसे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को सेवाओं के मामलों में अपनी शिकायतों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

आयुक्त से संपर्क करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यह मामला गृह मंत्रालय के माध्यम उठाया गया है ताकि वह महाराष्ट्र सरकार को समझाए कि संविधान के अनुच्छेद 335 में "संघ अथवा किसी राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं तथा पदों में नियुक्तियों" वाक्यांश में यह विष्कूल स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान के अंतर्गत दिए गए सेवा सुरक्षणों के मामले में उनके दावों का ध्यान राज्य सरकारों द्वारा भी रखा जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों को अनुच्छेद 338 के खंड (2) के उपबंध से बाहर नहीं रखा जा सकता जिनके अनुसार आयुक्त को संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों की जांच-पड़ताल करनेका अधिकार दिया गया है। इसलिए अपने कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सीधे संपर्क करने से मना करने के महाराष्ट्र सरकार के अनुदेश सेवा सुरक्षणों के मामले में जांच पड़ताल करने के लिए आयुक्त को महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक स्रोत से वंचित करने के समान होंगे। इस मामले पर निर्णय लेने के बारे में गृह मंत्रालय से फिर अनुरोध किया गया है कि वह महाराष्ट्र सरकार को अपने आदेशों में संशोधन करने की सलाह दे और वह अपने कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सीधे संपर्क करने की अनुमति प्रदान करे। यह वास्तव में आयुक्त द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से सीधे भी उठाया गया है। इस पर अभी निर्णय की प्रतीक्षा है।

उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक आरक्षण किए जाने का प्रतिबन्ध

3.74 एम०आर० बालाजी बनाम सैमूर राज्य और देवदासन बनाम भारत सरकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी वर्ष में 50 प्रतिशत से ज्यादा रिक्तियों का आरक्षण करना अनुचित तथा अत्याधिक होगा और इसलिए असंवैधानिक होगा। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान से रखकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किसी भी समय 50 प्रतिशत की इस सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता था चाहे वर्तमान आरक्षण तथा पिछला बकाया मिलाकर उपलब्ध रिक्तियों का 50 परसेंट से अधिक होता था। इसलिए, इस निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार कुल आरक्षण को हमेशा 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखना पड़ता था तथा इस सीमा से अधिक आरक्षण स्वतः ही अप्रैनीत हो जाता था। इन सीमाओं के अनुसार जब कभी केवल 2 रिक्तियां होती थी तो उनमें से केवल एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जा सकती थी और अगर केवल एक ही रिक्ति होती थी तो इसे अनारक्षित समझा जाता था। चूंकि इकलौती रिक्ति को आरक्षित करने का अर्थ शत प्रतिशत आरक्षण करना होगा इसलिए जहाँ कभी अकेली रिक्ति होती थी तो उसे अनारक्षित समझा जाता था। बहुत से मामलों में तो ऐसा वर्ष प्रतिवर्ष होता रहता था और इस प्रकार अकेली रिक्तियों के मामलों में आरक्षण न होने की बात चलती ही रहती थी।

3.75 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को श्रीमती आरती राय चौधरी बनाम भारत सरकार के मामलों में 1972 की रिट याचिका संख्या 59 में पहली बार पुनर्रक्षित किया गया जब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी संवर्ग में पहली बार होने वाली किसी अकेली रिक्ति को अनारक्षित माना जा सकता है भले ही वह रिक्ति आरक्षण विदू पर पड़ती हो, परंतु बाद में अगले वर्ष में यदि कोई अन्य रिक्ति अकेली उत्पन्न हो तो पिछले वर्ष में अप्रैनीत रिक्ति को पूरे वज्र में इसको आरक्षित मानना होगा। उच्चतम न्यायालय के विचार में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए पद को आरक्षित करना न केवल अनुज्ञेय है अपितु अनिवार्य भी है अन्यथा यह नियम के

प्रमुख महत्व को समाप्त कर देना तथा अग्रेनीत करने के उपबंध को अवास्तविक बना देना। इस प्रकार इस निर्णय से उच्चतम न्यायालय के उस पहले निर्णय में संशोधन कर दिया गया कि उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है।

3. 76 केरल राज्य तथा अन्य वनाय एन०एम० टाउन तथा अन्यो के मामले में लिए गए अन्य निर्णय में भी उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि उन मामलों में जहाँ वर्तमान आरक्षित रिक्तियों तथा अग्रेनीत रिक्तियों की संख्या मिलकर उस वर्ष भरी गई रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है क्योंकि पिछले वर्षों से जारी संख्या में रिक्तियों अग्रेनीत की गई थी, ऐसे मामलों में आरक्षणों की संख्या 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने में कोई आपत्ति नहीं होती। चाहे, तथापि ऐसा करने समय संबंधित ग्रेड अथवा संवर्ग के पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुल गिनतीकर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जा ना चाहिए। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर भारत सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार किसी वर्ष में भरी गई रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक संख्या में आरक्षण अनुज्ञेय पाया गया है वशर्ते कि संबंधित ग्रेड अथवा संवर्ग की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कुल गिनतीकर प्रतिनिधित्व अपर्याप्त पाया गया हो अर्थात् पूरे ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत उस संपूर्ण ग्रेड में निर्धारित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षणों के प्रतिशत तक न पहुँच गया हो।

पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय

3. 77 संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अंतर्गत सरकार को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के हित में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने की शक्ति दी गई थी। इस व्यवस्था के अनुसरण में सीधी भर्ती द्वारा भेजे जाने वाले पदों में आरक्षण को जोकि संविधान के लागू होने से भी पहले से चालू कर दिया गया था, संवैधानिक पारंटी दी गई थी। संभवतया सरकार इस विचार में रही कि "नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण" अभिव्यक्ति के अंतर्गत केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद ही आते हैं और इसलिए सरकार पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण आरंभ करने की अनिच्छुक थी। यद्यपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का (जो अब कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है) इस मामले पर संकोच बना रहा। इसके एक प्रमुख विभाग अर्थात् रेलवे ने इन संबंध में पहले भी तथा एक सीमित प्रकार से चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का निर्णय किया क्योंकि ईतके अनुसार ये पदोन्नतियों सीधी भर्ती की क्रम की थीं और इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत आती थीं। तथापि, पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण के लिए रेलवे बोर्ड की इस नीति की महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम के० रंगाचारी के मामले की 1960 की निचिल अपील संख्या 341 में उच्चतम न्यायालय ने नमीक्षा की। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लेखित "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति के अंतर्गत न केवल सेवाओं का निम्नतम वर्ग आता है अपितु चयन (सेलेक्शन) पद भी आते हैं। उर्युक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के उदाहरण देना प्रासंगिक होगा:---

"अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग में पिछड़ी जाति के नागरिकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की समस्या पर न्यायसंगत तथा वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए तथा नदा इन बात का प्रयत्न होना चाहिए कि पिछड़ी जातियों और अन्य कर्मचारियों के दावों तथा इसके साथ-साथ प्रशासन

की कार्यकुशलता के महत्वपूर्ण विचार के बीच हमेशा एक तर्कसंगत संतुलन बना रहे।"

"अनुच्छेद 16(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से पहले इस शर्त को पूरा करना जरूरी है कि सरकार इन बात की संतुष्टि कर ले कि इसी सेवाओं में किसी पिछड़ी जाति के नागरिकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यहाँ पूर्ववर्ती शर्त सेवाओं में प्रतिनिधित्व की संख्या की दृष्टि से अपर्याप्तता अथवा प्रतिनिधित्व की गुणात्मक अपर्याप्तता के संदर्भ में हो सकती है। सांख्यिक तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उनको न केवल सेवाओं कि निम्नतम श्रेणी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो अपितु वे चयन पदों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आकांक्षा करें। इस संदर्भ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभिव्यक्ति में "आकार" के साथ-साथ "सूत्रों" की संख्या के साथ नियुक्तियों के स्वरूप की बातें या जाती हैं। अतः इसका परीक्षण केवल संख्या के आधार पर नहीं अपितु गुणात्मक आधार पर भी होना है। इस प्रकार इन बात का निर्णय कि किसी सेवा में पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है या नहीं, गुणात्मक तथा गुणात्मक परीक्षण दोनों के सहयोग से करना होगा, और यदि ऐसा है तो यह निर्णय देना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता केवल प्रारंभिक चरण में नियुक्तियों के अनुपात: अधिक प्रतिशत का आरक्षण करने दूर भी जा सकती है तथा दूर की जानी चाहिए। किसी एक मामले में सरकार की यह राय हो सकती है कि चयन पदों का भी कुछ प्रतिशत आरक्षित किया जाए क्योंकि यदि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की बात गुणात्मक आधार पर सोची जाए तो ऐसे पदों के आरक्षण से पिछड़ी जातियों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो जाएगा। यदि यह मान लिया जाता है कि इस संदर्भ में "पदों" का संकेत सेवाओं में पदों को और है तथा चयन पदों में आरक्षण किया जा सकता है परंतु उनको केवल उम तरिकों में भरा जाना चाहिए जिसका मुजाब प्रतिवादी ने दिया है तो हमें यह निर्णय देने का कोई कारण नजर नहीं आता कि परिपत्रों के आशय के अनुसार पिछड़ी जातियों के उपयुक्त लोगों की पदोन्नति से ऐसे पदों को भर कर चयन पदों के आरक्षण को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।"

"दूसरी ओर उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिसके अनुसार "पद" शब्द में चयन पद शामिल हैं, "पद" शब्द का प्रयोग अनावश्यक नहीं है अपितु यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बताता है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में ही नहीं किया जा सकता परंतु उन चयन पदों के बारे में भी किया जा सकता है जो कि कर्मचारियों के नौकरी में लाने के बाद भरे जाने होते भी हैं। इन व्याख्या में "नियुक्ति" तथा "पदों" शब्दों के व्यापक और उदार निर्वाचन का तथा उस नीति का कार्यान्वित कराने का गुण है जो प्रत्यक्षतः अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों का आधार है। अतः हमारा यह विचार बनता है कि अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत सरकार को प्रदत्त आरक्षण की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा उपयुक्त मामले में न केवल नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अपितु चयन पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारी राय में इन व्याख्या से संविधान निर्माताओं के उस

मंतव्य को कार्यान्वित करने की सहायता मिलेगी जिसके अनुसार वे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तथा उन्हें सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षण प्रदान करना चाहते थे।”

3. 78 इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार को यह मार्ग निर्देश दिए कि संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त सुरक्षण प्रदान करने तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों सहित सभी स्तरों पर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने का था।

3. 79 पंजाब सरकार बनाम हीरालाल और अन्य एक और मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब न्यायालय के इस तर्क को नहीं माना कि पंजाब सरकार ने दस पदों के एक ब्लाक के प्रथम बिंदु पर आरक्षण करके संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) का उल्लंघन किया था क्योंकि उच्च न्यायालय की राय में ऐसा करना पक्षपात था। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि:—

“अनुच्छेद 16(1) में अपेक्षित समानता मूर्तरूप समानता नहीं है तथा इसके वस्तु से अपवाद ही सकते हैं और इनमें से एक अपवाद वह है जो अनुच्छेद 16(4) में उपबधित है।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि:—

“केवल इसी तथ्य से किए गए आरक्षण से उन व्यक्तियों को जिनको आरक्षण का लाभ मिला था, अत्यधिक लाभ मिल सकता है, आरक्षण सुरा नहीं हो जाता।

न्यायालय ने कहा कि:—

“कितनी लंबी छलांग लगानी है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अंतरापर करता है वह कितना है।”

उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि:—

“यह सच है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन प्रत्येक आरक्षण में पक्षपात का अंग आ जाता है खास तौर पर जब पदोन्नति का प्रश्न खड़ा होता है। पदों के किसी आरक्षण का यह आवश्यक भावी परिणाम होता है कि कनिष्ठ अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर पदोन्नति दे दी जाती है। इस स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों का अप्रसन्न होना लाजमी है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ कुंठाग्रस्त हो जाएं। परन्तु संविधान निर्माताओं ने सम्पूर्ण समाज के हित में इस बात की व्यवस्था करना उचित समझा कि इस देश के पिछड़े वर्ग के नागरिकों को कुछ संरक्षण प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय के सम्मुख ऐसी कोई सामग्री नहीं थी और न ही हमारे सम्मुख ऐसी कोई सामग्री है जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि आक्षेपित आदेश अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 16(4) के अधीन नियुक्तियों का आरक्षण आनुमानिक आधारों अथवा काल्पनिक संभावनाओं पर रद्द नहीं किया जा सकता। उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण को जो व्यक्ति चुनौती देता है उसको यह बात संतोषप्रद ढंग से प्रतिस्थापित करनी होगी कि अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन हुआ है।”

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की अनुज्ञेयता की एक बार फिर परिपुष्टि कर दी।

3. 80 मोहन लाल मल्होत्रा तथा अन्य बनाम भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और अन्य के मामले में 1978 की विविध रिट संख्या 9724 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उपर्युक्त स्थिति को घक्का लगा है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर ही प्रतिकूल निर्णय दिया है। प्राथियों के वकील (काउन्सेल) ने एक दलील दी थी जिसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समर्थन किया। दलील यह थी कि लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का नियमन संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श लेकर बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इन नियमों का नाम है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (प्रशासन अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1963। इन नियमों में प्रशासन अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का तरीका निर्धारित किया गया है और इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। भारत के नियंत्रक और हम महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने 25 जनवरी, 1973 को प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जो कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के 27 नवंबर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में थे। इन अनुदेशों के तहत भारत सरकार के सभी कार्यालयों में वरिष्ठता के आधार पर लेकिन योग्यता की शर्त पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने अपने कर्मचारियों के संबंध में अपने ही प्रशासनिक अनुदेश जारी किए। न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि उक्त प्रशासनिक अनुदेश राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संवैधानिक नियमों को नहीं बदल सकते। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान सरकार (ए०आई०आर०) 1967 एस०सी० 1970 के मामले का हवाला दिया। जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बताया है, उस मामले में यह प्रश्न उठाया था कि क्या चयन प्रेड के पदों पर पदोन्नति के नियमन हेतु कोई संवैधानिक नियम न होने की स्थिति में सरकार प्रशासनिक अनुदेश जारी कर सकती है, और क्या इस प्रकार के प्रशासनिक अनुदेश कोई ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हैं जो पहले से बने नियमों में नहीं हो। यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में यह निर्णय दिया था कि जब तक कानूनी नियम नहीं बनाए जाते तब तक सरकार इस संबंध में प्रशासनिक अनुदेश जारी कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का यह भी कहना था कि प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा कानूनी नियमों में संशोधित अथवा अधिकरण उन मामलों के सिवाय नहीं किया जा सकता जहां यदि नियम किसी विशेष मुद्दे के बारे में विष्कूल रूप हैं तो अंतराल को भरकर नियमों की अनुपूर्ति की जा सकती है और ऐसे अनुदेश जारी किए जा सकते हैं जो कि पहले से बने नियमों से असंगत न हों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के विषय में कानूनी नियम खामोश नहीं थे और ऐसी स्थिति में सरकार, जो यह धिक्क नहीं था कि वह कानूनी नियमों की अनुपूर्ति करके अंतराल को भरती ऐसा, संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के उपबंध का पालन करते हुए कानूनी नियमों में संशोधन कर के ही किया जा सकता था। न्यायालय ने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ ने महालेखाकार, तमिलनाडु, मद्रास तथा एक अन्य बनाम दोरास्वामी तथा अन्य (1974 अम और औद्योगिक मामले 384) के मामलों में इसी प्रकार का विचार प्रकट किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में यह भी बताया गया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 25 जनवरी, 1973 का सर्कुलर पत्र 1974 के मूल लेखाधिकार मामले संख्या 357 और 359 (प्रभाकरराव बनाम भारत सरकार और अन्य, तथा दुर्योधन शोल बनाम भारत सरकार) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के संमुख विचारार्थ आया था। इन मामलों के प्राथियों ने 25 जनवरी 1973 के अनुदेशों के अधीन किए गए आरक्षण को चुनौती दी थी और यह तर्क प्रस्तुत किया था कि उक्त अनुदेशों में किया

गया आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के उपबंधों का पालन न किए जाने के कारण अधिकांशतः था। यह निर्णय किया गया कि इन प्रशासनिक अनुदेशों के द्वारा वर्तमान नियमों में किए गए फेर-बदल वैध नहीं थे तथा विद्यमान नियम राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श लेकर बनाए गए नियमों के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते थे। इन मामलों में संबंधित रिट याचिकाएं मंजूर कर ली गईं तथा यह घोषित किया गया कि उन प्रशासनिक अनुदेशों से सेवा शर्तें नहीं बदली गईं तथा वे लागू करने योग्य नहीं हैं, इसलिए इन आधार पर की गई पदोन्नतियों को रद्द कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मतानुसार भी 25 जनवरी, 1973 के सर्कुलर पत्र में उल्लिखित प्रशासनिक अनुदेश वैध नहीं थे तथा उनके आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता था। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार का निर्णय दिया है।

3.81 इस तरह यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों ने आरक्षण आदेशों का उस रूप में विरोध नहीं किया है लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों को तकनीकी आधारों पर इसलिए रद्द किया है कि उन आदेशों का समर्थन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संबंधित नियमों के संशोधन से नहीं हुआ। इस संबंध में यह भी बताया जा रहा कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने मिनम्बर 1971 में अनुदेश जारी किए थे जिन में यह बताया गया था कि विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए बनाए गए कुछ भर्ती नियमों में, जोकि कानूनी नियम हैं, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बंधित आदेशों का हवाला नहीं दिया जाता, और इस कमी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण आदेशों को लागू करने में कठिनाइयां पेश आई हैं। अतः सरकार ने ये अनुदेश जारी किए कि आरक्षण आदेशों की परिशोमा के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के भर्ती नियमों में एक अलग नियम इस प्रकार होना चाहिए:

“व्यावृत्ति—इन नियमों में ऐसी कोई बात नहीं है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण अथवा अन्य रियायतों पर प्रभाव डालती हो।”

3.82 इन स्पष्ट अनुदेशों को देखते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए यह अनिवार्य था कि वह लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के कानूनी नियमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने हेतु व्यावृत्ति खंड (सेविंग क्लॉज) जोड़ लेता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की एक प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी भेजी गई है और उस विभाग से आग्रह किया गया है कि वह ऐसे अदालती मामलों में स्वयं एक सक्रिय पक्ष के रूप में भाग लिया करे ताकि अदालतों में जो शपथपत्र दायर किए जाते हैं उनमें सरकार के विचार उपयुक्त रूप से प्रकट किए जा सकें। भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खंड के संबंध में यह सुझाव है कि सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह देते हुए तत्काल अनुदेश जारी करे कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी नियमों में इस उपबंध को जोड़ लिया गया है ताकि भर्ती नियमों में इस व्यावृत्ति खंड के न होने के कारण तकनीकी आधार पर आरक्षण की नीति को धक्का न पहुंचे।

3.83 जे० सी० मलिक तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य के मामले में 1972 की निव्विल विविध रिट याचिका संख्या 1809 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिसम्बर 1977 में एक निर्णय दिया जिसमें याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने रेलवे के 20 अप्रैल, 1970 के सर्कुलर के माध्यम पठित 27 अगस्त, 1968 के सर्कुलर के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के “एक” ग्रेड गार्डों के रूप में चयन और नियुक्तियों को रद्द कर दिया। ये सर्कुलर गृह मंत्रालय के क्रमशः 25 मार्च, 1970 और 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापनों पर आधारित थे। इस निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्यतः दो मुद्दों पर विचार किया। पहला यह कि आरक्षण पदों पर लागू है न कि समय-समय पर होने वाली रिक्तियों पर। दूसरे, अदालत को बताया गया कि यदि किसी वर्ष विशेष में होने वाली रिक्तियों का 15 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति द्वारा भरा गया तो परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद “ए” ग्रेड गार्डों में अनुसूचित-जातियों के उम्मीदवारों की प्रतिशतता 60 तक पहुंचे जाएगी। यहाँ वह उल्लेखनीय है कि सरकार की नीति निरंतर रह रही है कि आरक्षण समय-समय पर होने वाली रिक्तियों पर किया जाए, न कि पदों पर जिसका तात्पर्य किसी संवर्ग (काडर) विशेष के पदों की कुल संख्या से होता है।

3.84 ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय का उक्त फैसला कानूनी राय के अनुसार विधितः गलत समझा गया था तथा सरकार की नीति के बारे में गलत धारणाओं और तथ्यों के मिथ्याबोध पर आधारित था। इसलिए इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति मांगी गई और उससे अनुमति प्राप्त कर ली गई। यह मालूम हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किए कि मामले की अंतिम सुनवाई होने तक रेलवे सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर तथा योग्य पाए जाने की शर्त पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण आदेशों का कार्यन्विधन रोक दिया जाए। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, बाद में इस स्थान आदेश को दिसम्बर, 1979 में रद्द कर दिया गया। यह पता चला है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के संमुख सुनवाई के लिए आने वाला है।

3.85 सूक्ति, विभिन्न संगठन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को व्यापक रूप से उद्धृत कर रहे थे तथा आरक्षण नीति को कार्यन्विधन करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों पर आरक्षण करने की नीति का पालन न करें, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस मामले को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा रेलवे बोर्ड को भेजा। रेलवे बोर्ड ने इस पर सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को यह अनुदेश दिए कि यदि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोई कर्मचारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से संकेत लेकर रिक्तियों में आरक्षण के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करते हैं तो याचिकाओं के ग्रहण के लिए सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया कर प्रारंभिक आपत्ति की जाती चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध विशेष अपील करने की अनुमति पहले ही दे रखी है तथा अदालत से यह अनुरोध किया जाए कि वह ऐसे मामलों पर विचार तब तक आस्थगित रखे जब तक उच्चतम न्यायालय अपील को निपटा न दे। यदि अदालत इस अनुरोध को स्वीकार न करे और याचिका को ग्रहण के लिए सुनवाई की तारीख नियत कर दे तो संबंधित रेलवे को चाहिए कि वह सरकार की नीति की प्रतिरक्षा करने के लिए पर्याप्त और कारगर कदम उठाए और यदि आवश्यक हो तो वह इसके लिए चिर-प्रतिष्ठित और अनुभवी वरिष्ठ काउंसिल, यहाँ तक कि संबंधित राज्य के महाधिवक्ता को भी, नियुक्त कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेल प्रशासकों को यह भी सलाह दी कि ऐसे मामलों में अदालतों में दायर

किए जाने वाले जवाबी शपथ-पत्रों के प्रारूपों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा करा ली जानी चाहिए। रेलवे बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई स्वागत योग्य है। अपनी ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने भी भारत सरकार के कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सलाह दी है कि वह ऐसे अदालती मामलों में स्वयं भी पक्षकार बने क्योंकि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों के संबंध में उपयुक्त प्राधिकरण वह विभाग ही है। उस विभाग को यह भी बताया गया कि सरकार ने बड़ी संख्या में अनुदेश/आदेश जारी किए हैं तथा उनका कार्यान्वयन जटिल हो बन गया है। अतः यह संभव है कि मुकदमों के दौरान सरकार की नीति को पर्याप्त ढंग से प्रस्तुत न किया जा सके। इस प्रकार के सभी मामलों में कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भाग लेना निश्चय ही आश्वस्तकारी होगा। यह प्रयोजन तब भी सिद्ध हो सकता है यदि कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्रों की जांच करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिए सहमत हो जाए। इसलिए कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि वह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य अनुदेश जारी करके यह निदेश दे कि वे अदालतों में शपथ-पत्र दायर करने से पहले उनकी जांच इस विभाग द्वारा करवा लिया करें। अदालत के संमुख आरक्षण की नीति और पृष्ठ भूमि को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए यह कदम आवश्यक है।

पदोन्नति के मामलों में शिथिलीकरण-न्यायालय के निर्णय

3.86 गृह मंत्रालय के 7 मई, 1955 के कार्यालय जापन संख्या 2/11/55-आर०पी०एम० के अनुमरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एम० ए० एम० कांडर में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में शिथिलता प्रदान की थी; यह शिथिलता एम० एम० एम० परीक्षा के प्रत्येक भाग में किन्हीं दो प्रश्न पत्रों में 2 प्रतिशत तक तथा कुल अंकों में 3 प्रतिशत तक दी गई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस उपबंध को इस दलील पर रद्द कर दिया कि गृह मंत्रालय का उक्त कार्यालय जापन संविधान के अनुच्छेद 16(4) की परिधि में नहीं आता तथा संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन ही इनका अग्रिष्ठ मित्र होंना चाहिए। न्यायालय ने यह भी राय प्रकट की कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई शिथिलता से दो मानदंड रख देने का अर्थ निकलता है, अर्थात् एक मानदंड अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए तथा दूसरा सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें शिथिलता खंड के कारण किसी परीक्षा विशेष में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार ही सफल हो। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य रूप से यह कहना था कि अनुच्छेद 16(1) के अधीन गारंटी की गई अवसर की समानता को केवल अनुच्छेद 16(4) के अधीन की गई आरक्षण व्यवस्था तक ही घटाया जा सकता है तथा उसे अनुच्छेद 335 के अधीन किसी भी कार्यवाही से और आगे घटाया नहीं जा सकता। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1973-74 की 22 वीं रिपोर्ट के पैरा 3.20 से 3.24 तक में यह बताया गया था कि सरकारी वकील द्वारा इन तर्कों का उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया और न ही उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले में निकट उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई।

3.87 इसी बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1973 की रिट वाचिका संख्या 333797 अपने निर्णय में इस मामले को एक नया आयाम

प्रदान किया और यह विनिर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ किस तरीके से दिया जाए यह बात सरकार के कार्यकारी विवेकाधिकार क्षेत्र में आती है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हक में दी गई किसी भी प्रकार की डील उनके लिए आरक्षित स्थानों (सीटों) के बारे में है तथा अन्य जातियों के उम्मीदवारों के हितों पर यह डील कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। आम वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह बात तत्त्वहीन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वे किस तरीके से भरी जाती हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सूक्ष्म रूप से देखने के लिए उसका संगत उद्धरण इस रिपोर्ट में एक बार फिर नीचे दिया जा रहा है :—

“यह भी विचार प्रकट किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने से इन वर्गों के उम्मीदवारों को दोहरा लाभ दिया जाता है, एक रियायत से वे अन्य वर्गों के उम्मीदवारों से कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी पात्र हो जाते हैं तथा दूसरी रियायत यह है कि उनकी वरिष्ठता जो भी हो, पद उनके लिए आरक्षित है। किसी पद को पात्र होने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, यह बात नियम बनाने वाले प्राधिकारियों के विवेकाधिकार में आती है। यदि उम्मीदवार पात्र है और आरक्षण भी वैध है तो उसे मात्र इस कारण से रद्द नहीं किया जा सकता कि ऐसे उम्मीदवार कम प्रतिशत अंक प्राप्त करके पात्र हुए हैं। अंकों की कोई अपेक्षित प्रतिशतता निर्धारित करना नियुक्ति की पात्रता से संबंधित है जबकि आरक्षण पात्र उम्मीदवारों के बीच किया जाता है। इस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को किस ढंग से दिया जाए यह बात सरकार के कार्यकारी विवेकाधिकार क्षेत्र में आती है।”

.....

“जब तक सीटें आरक्षित हैं, कम प्रतिशतता निर्धारित करना किसी भी प्रकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न जातियों के उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। उनके लिए यह बात तत्त्वहीन है कि इस प्रकार आरक्षित स्थान किस तरीके से भरे जाते हैं। निचले मानदंड निर्धारित किए जाने से वे व्यक्ति प्रभावित नहीं होते और इस प्रकार उन्हें सरकार की कार्रवाई का विरोध करने का हक नहीं मिलता।”

3.88 पूर्ववर्ती पैराग्राफों से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए फैसले सरकार की ओर कुछ व्यक्तियों के मन की कानिपय गलत धारणाओं को दूर करने में सहायक मित्र हुए हैं। साथ ही न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 335 के उपबंधों की उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की है। इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संविधान में उनके लिए गारंटी किए गए सुरक्षाओं का लाभ उठाने में बड़ी सहायता मिली है।

बकाया मामले

3.89 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारागत वर्षों में किए गए सतत प्रयत्नों, कार्यकारी अनुदेशों को समर्थन और उन्हें उचित शकलप्रदान करने वाले न्यायिक निर्णयों, विभिन्न समितियों विशेषतः राष्ट्रीय समिति, उच्च शक्ति प्राप्त समिति तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा व्यक्त राय के बावजूद कई महत्वपूर्ण विषय अभी भी बाकी रहते हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है।

आकलन क्षेत्र—“क” तथा “ख” समूहों में चयन द्वारा पदोन्नति

3.90 चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में पक्का आकलन क्षेत्र निश्चित करने के प्रश्न पर गत समय काफ़ी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है (वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.31 तथा 3.32, वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.25 से 3.32, वर्ष 1974-75 की रिपोर्ट का पैराग्राफ 3.3 तथा वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.34 से 3.37)। वर्ष 1977-78 की पिछली रिपोर्ट में आयुक्त ने यह राय दी थी कि आकलन क्षेत्र की पद्धति ही जो विवेकात्मक स्वरूप की है, पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धान्त को ही विकृत कर देती है और इसे इस प्रकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जो भी उम्मीदवार न्यूनतम पात्रता की शर्त पूरी करता हो उसे पदोन्नति के लिए विचारना जाना चाहिए बशर्ते कि वह पदोन्नति के लिए अयोग्य न पाया जाए। विकल्प के रूप में यह सिफारिश की गई थी कि पदोन्नतियों के मामले में आकलन क्षेत्र आरक्षित रिक्तियों के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए और यह “ख” समूह के लिए, “ख” समूह के भीतर तथा “क” समूह की सबसे निचली स्तर तक की पदोन्नतियों में भी होना चाहिए। सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह मामले पर पुनर्विचार करे व अपना निर्णय जल्दी करे।

जोन बनाने की स्कीम—केंद्रीय सचिवालय सेवाओं में वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति

3.91 1975-76 तथा 1976-77 के वर्षों की चौथी मंथनी रिपोर्ट में (पैराग्राफ 3.52 से 3.55) इस बात पर बल दिया गया था कि केंद्रीय सचिवालय सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर किंतु योग्य होने पर की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए जोन बनाने की स्कीम, जो इन पदों में आरक्षण का अंश आरंभ किए जाने से बहुत पहिले चालू कर दी गई थी, गृह मंत्रालय के तारीख 27 नवम्बर, 1972 के कार्यालय जापन संख्या 27-2-71 स्थापना (एम० सी० टी०) द्वारा जारी किए गए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में बाधक बन रही थी। यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए इसका उचित रूप में संशोधन किया जाना चाहिए। कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस बारे में जल्दी कार्रवाई अपेक्षित है।

भरी नहीं गई आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करना

3.92 (ख) समूह के लिए, “ख” समूह के भीतर तथा “क” समूह के सबसे निचले पदों के लिए चयन की पद्धति द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अग्रणीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि और मनी मामलों में यह व्यवस्था तीन भर्ती वर्षों के लिए रहती है जिसके बाद आरक्षित रिक्तियों को समाप्त होने दिया जाता है। वर्ष 1973-74 की (पैरा 3.15) और 1975-77 के वर्षों की (पैरा 3.30) की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि अग्रणीत करने की व्यवस्था “ख” समूह तथा “क” समूह के चयन पदों में भी लागू की जानी चाहिए। हमारी पिछली रिपोर्ट (पैरा 3.42) में आगे यह सिफारिश की गई थी कि सभी मामलों में, चाहे उनमें नियुक्ति सीधी भर्ती से होती हो या पदोन्नति से रिक्तियों को समाप्त न होने दिया जाए, जिसका अर्थ है कि आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत करते जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि उन्हें अन्ततः भर न दिया जाए। तथापि जैसा कि 1975-77 के वर्षों की रिपोर्ट के पैरा 3.29 में पहले ही सिफारिश की गई है, आरक्षण का विनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच करने की अनुमति पदोन्नति के ऐसे मामलों में

उसी वर्ष में देने में कोई आपत्ति नहीं है जहां यह निश्चित रूप से मालूम हो कि संगत वर्ग के उम्मीदवार अग्रणीत के अंतिम वर्ष तक भी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इस तरह के विनिश्चित मामलों में, प्रभावी विनियम के पश्चात् हो सकता है कि अग्रणीत करने की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार का प्रबंध किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन सिफारिशों को फिर से दोहराया जाता है।

“क” समूह के भीतर चयन के तरीके से आरक्षण

3.93 यह बार-बार बताया गया है कि पदों का केवल एक ही ऐसा वर्ग है, अर्थात् “क” समूह, जिन्हें चयन के आधार पर भरा जाता है और जो “प्रशासन की कार्यकुशलता” तथा उच्चतर स्तर पर “सेवाओं के मनोबल” की बहुधा दोहराई गई दलील के आधार पर पदोन्नति वाले पदों में आरक्षण की परीधि से बाहर रह रहे हैं। इन तर्कों के प्रत्युत्तर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर (1977-78 की रिपोर्ट के पैरा 3.39 तथा 3.40) तथा इस बात पर जोर देकर कि ऐसा कोई उदाहरण मामने नहीं आया जहां प्रशासन की कार्यकुशलता को केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति से धक्का लगा हो, काफ़ी प्रभावी ढंग से दिए जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास अपने विचार को उचित ठहराने के लिए आगे और कोई तर्क नहीं है और अब सरकार के लिए समय आ गया है कि वह इस मामले में नरम होकर “क” समूह के भीतर चयन द्वारा होने वाली पदोन्नतियों में आरक्षण होने के जिमसे कि संतोषपूर्वक यह कहा जा सके कि सरकार ने सेवासंबंधी मामलों में संवैधानिक उपबंधों को लागू करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यदि सरकार इस मामले में आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए सहमत हो जाती हो तो इन पदों पर निःसंदेह आरक्षण, अग्रणीत आदि के अन्य उपबंध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपायुक्त उम्मीदवारों के न मिलने की अवस्था में लागू होंगे। यह तथ्य अच्छी प्रकार सिद्धित है कि वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के काफ़ी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को सचिवालय द्वारा दिए गए लाभ इन थोड़े व्यक्तियों को भी पूरी तरह से उपलब्ध कराए जाएं।

3.94 इस बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति सुरक्षण के संबंध में सरकार एक अन्य पहलू पर विचार करके आवश्यक अनुदेश जारी कर सकती है। सरकार को मालूम है कि विद्यमान अनुदेशों में जबकी प्रथम क्षेणी के भीतर चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी एक सुरक्षण दिया गया है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी जो पदोन्नति के लिए आकलन क्षेत्र में इतना वरिष्ठ है कि वह रिक्तियों की उस संख्या के भीतर आता है जितने के लिए चयन सूची (सिलेक्ट लिस्ट) बनाई जानी है, तो उसे चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा बशर्ते कि वह पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझा जाए। तथापि चयन सूची में उसका स्थान वही होगा जो उसकी सेवा के रिकार्ड के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति ने उसके लिए निश्चित किया हो तथा वह उसे दी गई प्रैंडिंग के अतिरिक्त एक उच्चतर प्रैंडिंग के लिए हकदार नहीं होगा। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी चयन सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तथापि इस बात की संभावना है कि उसमें कनिष्ठ अधिकारी जिनकी सेवा का रिकार्ड उससे बेहतर हो उसका अधिकरण कर जाए। इसका प्रभाव तब और सुस्पष्ट और कुछ असंतुलित दिखाई पड़ेगा यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्षों तक न हो और रिक्तियां वर्षानुवर्ष बकछठी होती चली जाएं। इस बात को उदाहरण देकर अधिक अच्छी प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मान ले कि वर्ष में दस रिक्तियां हुईं और यदि

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 5 पर है और इस लिए वह उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के भीतर आता है, तो वह अन्वयों की अपेक्षा कम गुणवान होने के कारण चयन सूची में क्रम संख्या 10 पर सम्मिलित किया जा सकता है। परंतु यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उस वर्ष न बुलाई जाए और अगले वर्ष 10 और रिक्तियां हो जाएं और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दूसरे वर्ष में हो तो इस बात को संभावना है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का वही अधिकारी जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पिछले वर्ष होने से क्रम संख्या 10 पर होता, अब क्रम संख्या 20 पर हो सकता है। यह स्थिति और भी बदतर हो जाएगी यदि विभागीय पदोन्नति समिति और दो तीन वर्ष आयोजित न की जाए। चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नति में 20 जुलाई 1974 से आरक्षण शुरू कर दिए जाने पर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को एक उच्चतर ग्रेडिंग देने की पद्धति भी बंद कर दी गई है। ऐसा मालूम होता है कि इस संशोधित स्थिति का व्यापक प्रचार नहीं हुआ है जिसका नतीजा यह है कि रिपोर्ट देने वाले कुछ अधिकारियों की अभी यही धारणा बनी हुई है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय एक उच्चतर ग्रेडिंग का लाभ मिलना है और इसलिए वे जानबूझ कर उन्हें उनके निर्पादन के आधार पर सामान्यतः मिल सकने वाली ग्रेडिंग से एक निचले स्तर की ग्रेडिंग देते हैं। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के हितों पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

3.95 ऐसी स्थिति न आन देने के लिए यह आवश्यक है कि (क) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें उसी वर्ष में की जाएं जिसमें रिक्तियां हुई हों और (ख) यदि कभी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अपरिहार्य कारणों से कई वर्षों की रिक्तियों के लिए हों तो संबंधित माल की पदोन्नतियों के प्रयोजन के लिए किसी एक तारीख को निर्णायक तारीख मानकर, चयन सूची प्रत्येक वर्ष के लिए अलग तैयार की जानी चाहिए। इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभूतपूर्व पैमाने पर होने वाले अधिक्रमण से बचा जा सकेगा।

3.96 यह देखा गया है कि सरकार के हाल ही के अनुदेशों के बावजूद विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें कई विभागों/मंत्रालयों में नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें भविष्य में भी नियमित रूप से न हों। ऊपर मुझाए गए अन्य असमाव्य कदम से भी उलझने हो सकती हैं। अतः यह अनुभव किया जाता है कि जिन पदों का अंतिम वेतन रु० 2250 प्रति मास या उससे कम है, और जो चयन प्रकृति द्वारा पदोन्नति से भरे जाते हैं, उनके लिए यह सन्निश्चित किया जाना चाहिए कि चयन सूची (सिलेक्ट लिस्ट) बनाने समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के मामले में जो रिक्तियों की संख्या के भीतर आते हैं, उन्हें अपनी पारस्परिक वरिष्ठता की स्थिति चयन सूची में भी बंसी ही रखने दी जाए। इस प्रकार यदि 10 रिक्तियां हो और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 5 पर हो, तो उसे चयन सूची में अपनी उम्मीद स्थिति पर बने रहने देना चाहिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए गए ग्रेडेशन के अनुसार सामान्य वर्ग के अधिकारियों की स्थितियां बदल जाएं। अच्छा होगा कि उपर्युक्त सुझावों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग विचार करे।

प्रारम्भ में स्थानीय/प्रादेशिक आधार पर फीडर-काडरों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 'ग' समूह और 'घ' समूह के पदों में आरक्षण

3.97 जैसा कि पिछली रिपोर्ट (1977-78) के पैराग्राफ 3.49 में पहले ही बताया जा चुका है, कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों

जहां फीडर-काडरों में प्रारम्भिक भर्ती स्थानीय/प्रादेशिक आधार पर हुई थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15% और 7½% की बंधी प्रतिशतता का अनुसरण करने संबंधी भारत सरकार के आदेशों में कोई तर्काधार नहीं है। उपर्युक्त प्रतिशतता को तुलना में ऐसी प्रारम्भिक भर्ती के सम्य आरक्षणों की प्रतिशतता या तो बहुत ज्यादा थी या बहुत ही कम क्योंकि प्रादेशिक स्तरों पर 'ग' तथा 'घ' समूह के पदों में प्रारम्भिक भर्ती संबंधित राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर आधारित होती है। इस प्रकार की कार्रवाई से उन मामलों में असंगत स्थिति पैदा हो जाती है जहां आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए फीडर-काडर में या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध ही नहीं होते अथवा उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों की अपेक्षा ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए पुनः यह सिफारिश की जाती है कि इन मामलों में पदोन्नति स्तर पर आरक्षण की प्रतिशतता स्थानीय और प्रादेशिक आधार पर प्रारम्भ में भरे गए फीडर-काडर के आरक्षण के अनुरूप ही होनी चाहिए।

पदोन्नति के मामलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां सीधी भर्ती करना

3.98 कतिपय ऐसे काडर और पद हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध होते ही नहीं वहां उनके लिए आरक्षित पदों को अन्तर्क्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाता है। पिछली रिपोर्ट (1977-78) की रिपोर्ट का पैरा 3.46(क) में यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे मामलों में सीधी भर्ती की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को खूले बाजार से इन जातियों के उम्मीदवारों से भरा जा सके। कतिपय पदों की भर्ती नियमों में इस आशय की व्यवस्था की गई है कि पदों की पदोन्नति की विधि से भरे जा सकने वाली स्थिति में ये पद सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं किन्तु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह मत प्रकट किया है कि ऐसे मामलों में सीधी भर्ती नहीं की जा सकती है, जब सामान्य उम्मीदवार भी उपलब्ध न हों। इस संबंध में हमारा सुझाव है कि भर्ती नियमों में इस आशय के विशेष उपबन्ध रखे जाएं कि जहां पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां सीधी भर्ती की जाए।

विशेष भर्ती अभियान

3.99 पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका यह है कि 1977-78 की रिपोर्ट के पैरा 3.30 और 3.31 में दिए गए सुझाव के आधार पर पिछले जो पद नहीं भरे जा सके उन्हें भरने के लिए विशेष भरती अभियान चलाया जाए और इसलिए इस सुझाव को पुनः सरकार के सम्मुख विस्तार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा-संधों को मान्यता देना

3.100 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संधों से काफी संख्या में इस आशय के अभ्यावेदन मिलते हैं कि उनके नियुक्तियों द्वारा उनके संधों को मान्यता प्रदान की जाए ताकि वे आरक्षणों तथा अन्य हील और रियायतों आदि में संबंधित उपबंधों के उचित ढंग से कार्यान्वयन से संबंधित मामले उठा सकें। इस प्रकार के अभ्यावेदनों को जबरजब्रित संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जाता है तो अतः वे इन मामलों को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज देते हैं। इस विभाग का यह तर्क रहा है कि सरकार में फैसला किया है कि किसी ऐसे सेवा संगठन को मान्यता नहीं दी जाए जो जाति, कबीले या

धर्म पर आधारित हो। इस तर्क का अनेक बार प्रत्युत्तर दिया जा चुका है कि ये संगठन सही अर्थों में जाति, कबीले या धर्म पर आधारित नहीं हैं। ये वास्तविक विभिन्न जातियों, कबीलों और धर्मों का समिश्रण हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से तरजीही व्यवहार करने की संबैधानिक अनुज्ञेयता के मामले पर चर्चा करते हुए उच्चतम न्यायालय में 'केरल राज्य तथा अन्य बनाम एन०एम० धामम और अन्यो' वाले मामले में अपने फैसले में यह कहा था कि "अनुच्छेद 16(2) में 'जाति' शब्द के अंतर्गत अनुसूचित जाति शामिल नहीं है। अनुच्छेद 366 (24) में दी गई, 'अनुसूचित जातियों' कि परिभाषा से यह पता चलता है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों अस्तित्व में आई। यद्यपि अनुसूचित जाति के लोग जातियों, वंशों अथवा कबीलों में लिए गए हैं, फिर भी, उन्होंने राष्ट्रपति की अधिसूचना के परिणामस्वरूप एक नई स्थिति प्राप्त कर ली।" इसलिए उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय था कि 'जाति' के सामान्य अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ कोई जाति नहीं हैं। इस संबंध में 1973-74 की रिपोर्ट के पैरा 3.108-3.111 और 1977-78 की रिपोर्ट के पैरा 3.81 से 3.83 की ओर ध्यान अंकुष्ट किया जाता है जिसमें सरकार के विचारों के प्रत्युत्तर में तर्क देते हुए यह सुझाया गया है कि प्रत्येक संगठन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक एक संगठन को मान्यता प्रदान करना बहुत जरूरी है जो अपने प्रतिनिधित्व संबंध समस्याओं को संबंधित प्रबंधक वर्ग/नियोक्ताओं के साथ उठा सके। यह मान्यता विषुद्ध रूप से कर्मचारी प्रबंधक वर्ग संबंधों के आंतरिक प्रयोजन के लिए है और इसे वह मान्यता समझकर चक्कर में पड़ना जाए तो आरक्षित रिक्तियों को सूचित करने के सीमित प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अखिल भारतीय स्तर के ख्याति प्राप्त संघों को भारत सरकार के कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जाती है। इसलिए एक बार पुनः आग्रह किया जाता है कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट राय को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाए। संबंधित संगठन भी इस विषय पर स्वतंत्र रूप से सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकते हैं और केवल सेवा संबंधी बातों को उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपने कर्मचारियों को संघ बनाने को अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

यात्रा भत्ता और फीस की रियायत

3.101 अनुसूचित जाति के लोगों को दाखिले अथवा किसी पद पर चयन के लिए निर्धारित फीस को घटाकर एक चौथाई कर देने की व्यवस्था स्वतंत्रता मिलने से पहले ही कर दी गई थी। हमन अपनी पिछली रिपोर्ट (परा 3.105) में यह सिफारिश की थी कि इस बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरी छूट दी जानी चाहिए। अब यह और भी अधिक जरूरी हो गया है क्योंकि प्रत्येक पद के लिए बड़ी कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और पहले ही प्रयास में चयन कर लिए जाने के अवसर काफी कम रहते हैं। इस प्रकार इन वर्गों के लोगों को वस्तुतः चुने जाने से पहले अनेक बार अपने आवेदन पत्र भेजने पड़ते हैं। महंगाई के इन दिनों में फीस के मामले में पूरी छूट दे देने से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जो पहले ही बेरोजगार होते हैं, काफी राहत मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पूरी छूट दे देने से वित्तीय मदद ही नहीं पहुंचेगी बल्कि कार्यप्रणाली की एक अतिरिक्त यद्धति तथा उसमें निहित जटिलता हटाने से भी उन्हें सहायता मिलेगी।

आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने पूरी फीस की छूट की रियायत पहले ही दे दी है।

3.102 इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रेल से न्यूनतम 50 मील (80 कि०मी०) का और सड़क से 20 मील (32 कि०मी०) का यात्रा भत्ता देने का प्रतिबन्ध है। पिछली रिपोर्ट के पैरा 3.107 में यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाए ताकि साक्षात्कार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए म्युनिसिपल सीमा से बाहर से आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार यात्रा भत्ते को इस रियायत का लाभ उठा सकें और इस तथ्य का उल्लेख विज्ञापनों में भी स्पष्ट रूप से कर दिया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारें इस बारे में आवश्यक आदेश जारी करें।

प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण

3.103 प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण शुरू करने के बारे में भारत सरकार इस बात का लगातार विरोध करती आ रही है, इसका उल्लेख 1974-75 की 23 वीं रिपोर्ट (पैरा 3.6) में किया गया था। यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा काफी संख्या में भरे जाने वाले पदों का लाभ नहीं दिया जाता, यहां तक कि 'ग' तथा 'घ' समूह के पदों में भी उन्हें उनके हिस्से से वंचित रखा जाता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को आमोहित (एक्जार्ब) किया जाता है तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अपेक्षाओं का ध्यान नहीं किया जाता। ऐसे पदों पर आरक्षण का प्रावधान न करने के बारे में कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अपनी बात पर अड़ा रहा है। वैसे 21 जनवरी, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/77-था (एस० सी० टी०) के अनुसार अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जिनमें सभी मंत्रालयों और विभागों को यह कहा गया है कि वे प्रतिनियुक्ति अथवा बदली द्वारा भर जाने वाले पदों के संबंध में दूसरे मंत्रालयों और विभागों द्वारा अप्रेषित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के नामों पर अन्य पात्र उम्मीदवारों के नामों के साथ विचार करें। उक्त विभाग ने यह सलाह दी है कि जहां किसी नियोक्ता-मंत्रालय या कार्यालय को काफी संख्या में पद भरने हों तो मंत्रालयों/कार्यालयों के अध्यक्षों को यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पदों को एक अच्छे अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से भरा जाए बशर्ते कि फीडर वर्गों में इन जातियों के अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हों। जब सरकार में इस बारे में अनुदेश जारी करना आवश्यक समझा है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अच्छे अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर रखा जाय तब यह समझ में नहीं आता कि ऐसे पदों में औपचारिक तौर पर आरक्षण करने के लिए प्रस्ताव की गई मांग को सरकार क्यों स्वीकार नहीं करती। तथापि, केवल आरक्षण की औपचारिक व्यवस्था ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऐसे पदों का एक अच्छा अनुपात दिलाना सुनिश्चित कर सकती है; ऐसा न करने से जारी हुए अनुदेश निष्प्रभावी साबित होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समयपूर्व सेवा निवृत्ति

3.104 हमने 1975-76 तथा 1976-77 की 24वीं रिपोर्ट में सरकार का ध्यान ऐसे उदाहरणों की ओर आकृष्ट किया था जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पूर्वाग्रहयुक्त तथा पक्षपातपूर्ण गोपनीय रिपोर्टें दी गईं और उनके आधार पर नियम 56(जे) के अधीन 50/55 वर्ष की आयु पर समीक्षा किए जाने पर, उन्हें समयपूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों के बारे में हमें ज्ञात संभाव्य कारणों का तथा इन कर्मचारियों को अनिवार्यतः रिटायर करने के मामलों को कम से कम करने के संबंध में हमारे सुझावों का उल्लेख उपर्युक्त रिपोर्ट के पैरा 3.40 से 3.42 में किया गया है।

3.105 इस बीच हमारे कार्यालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सन 1975 तथा उससे आगे 50/55 वर्ष की आयु पर समीक्षा करने के परिणामस्वरूप समय पूर्व सेवा-निवृत्ति के बारे में सांख्यिकीय सूचना एकत्रित करने के कुछ प्रयास किए थे। इस प्रकार एकत्रित की गई सूचना नीचे सारिणी में दी गई है:—

| | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | योग |
|--|------|------|------|------|-----|
| 1. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की संख्या जिनसे सूचना प्राप्त हुई | 43 | 45 | 45 | 42 | 175 |
| 2. ऊपर क्रमांक 1 से कितने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कोई अनिवार्य सेवा-निवृत्ति नहीं हुई। | 28 | 36 | 41 | 39 | 144 |
| 3 कितने व्यक्ति सेवा निवृत्त किए गए | | | | | |
| ‘क’ समूह | | | | | |
| कुल | 12 | 4 | .. | .. | 16 |
| अनुसूचित जाति | 3 | .. | .. | .. | 3 |
| अनुसूचित जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘ख’ समूह | | | | | |
| योग | 26 | 21 | .. | 2 | 49 |
| अनु० जाति | 3 | 3 | .. | .. | 6 |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘ग’ समूह | | | | | |
| योग | 43 | 42 | 26 | .. | 111 |
| अनु० जाति | 6 | 2 | 1 | .. | 9 |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘घ’ समूह | | | | | |
| योग | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| अनु० जाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | 1 | 1 |

| | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | योग |
|-------------------------------------|------|------|------|------|-----|
| 4 कितने मामलों में आदेश रद्द किए गए | | | | | |
| ‘क’ समूह | | | | | |
| योग | 4 | .. | .. | .. | 4 |
| अनु० जाति | 2 | .. | .. | .. | 2 |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘ख’ समूह | | | | | |
| योग | 10 | 3 | .. | .. | 13 |
| अनु० जाति | .. | .. | .. | .. | 2 |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘ग’ समूह | | | | | |
| योग | 8 | 2 | 2 | .. | 12 |
| अनु० जाति | 1 | 1 | .. | .. | 2 |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| ‘घ’ समूह | | | | | |
| योग | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| अनु० जाति | .. | .. | .. | .. | .. |
| अनु० जनजाति | .. | .. | .. | .. | .. |

इस विवरण से यह दिखाई पड़ेगा कि वर्ष 1975 में 43 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी थी। इनमें से 28 विभागों ने या तो ‘शून्य’ सूचना दी या वहां 50/55 वर्ष की आयु पर हुई समीक्षा के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति का कोई मामला नहीं था। वर्ष 1976 तथा 1977 के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए तदनुसूचित सूचना 45 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त हुई जिसमें वर्ष 1976 तथा 1977 के संबंध में क्रमशः 36 कार्यालयों तथा 41 कार्यालयों से ‘शून्य’ सूचना प्राप्त हुई। वर्ष 1978 के लिए यह सूचना 42 कार्यालयों से प्राप्त हुई और उनमें से 39 ने ‘शून्य’ सूचना दी। यह दिखाई पड़ेगा कि इन सभी वर्षों में ‘क’ समूह में सेवा निवृत्ति के कुल 16 मामले थे जिनमें 3 अनुसूचित जाति के कर्मचारी शामिल थे। न 16 मामलों में 4 को समीक्षा के बाद बहाल कर दिया गया, इनमें 2 अनु० जाति के व्यक्ति थे। इसी प्रकार ‘ख’ समूह में सेवा निवृत्ति के 49 मामले थे जिनमें अनुसूचित जाति के 6 व्यक्ति शामिल थे। समीक्षा होने पर 49 मामलों में से 13 अधिकारियों के मामलों में आदेश रद्द कर दिए गए। परन्तु अनुसूचित जाति के 6 अधिकारियों में से जिनमें अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया था, कोई भी अधिकारी समीक्षा के बाद भी बहाल नहीं किया गया। अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के सबसे अधिक मामले ‘ग’ समूह में थे, इनमें 111 व्यक्तियों को सेवा-निवृत्त किया गया जिनमें अनुसूचित जाति के 9 कर्मचारी शामिल थे। समीक्षा करने पर केवल 12 कर्मचारी बहाल किए गए जिनमें अनुसूचित जाति के केवल 2 कर्मचारी थे ‘घ’ समूह में अनिवार्य सेवा निवृत्ति के केवल 9 मामले थे और इनमें से केवल 1 अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था। इस वर्ग में भी सामान्य उम्मीदवार के एक मामले में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का आदेश रद्द किया गया। अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के सबसे अधिक मामले 1975-76 में हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति आपातकाल के दौरान नियम 56(जे) के अध्याधुन्य लागू करने का सीधा परिणाम था। यद्यपि उपर्युक्त नियम के अंतर्गत अब अनिवार्य सेवा निवृत्ति के अधिक मामले नहीं

यह सिफारिश की जाती है वर्ष 1975-77 की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.42 में जो सुझाव दिया गया था, उस पर भली प्रकार विचार किया जाए। सुझाव यह था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समयपूर्व सेवा-निवृत्ति के मामले कार्यात्मक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेजे जाएं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को उनकी प्रतियां उसी प्रकार पृष्ठांकित की जाएं जैसा कि आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्तावों के संबंध में होता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायिक सेवाएं

3.106 उच्च न्यायालयों के अधीन लिपिक वर्गीय और न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर आयुक्त द्वारा पिछले कुछ वर्षों से ध्यान दिया जाता रहा है। इस मामले में आयुक्त के विचार काफी स्पष्ट हैं तथा उसके अलावा जो कुछ 1975-77 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.15 से 3.18 तक और विशेषकर पिछली रिपोर्ट (1977-78) के पैराग्राफ 3.22 से 3.27 में पहले ही जोर देकर कहा जा चुका है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा उच्चतर न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण की नीति को लागू करने की आवश्यकता है, उसके अलावा और कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता। फिर भी, यह मामला 20 अक्टूबर, 1978 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की 8वीं बैठक में एक बार फिर उठा था। इस बैठक में जहाजरांनी एवं परिवहन मंत्री ने यह बताया कि उत्तर भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी न्यायाधीश नहीं है और यह भी बताया कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति के चार न्यायाधीश हैं और अनुसूचित जनजाति का कोई भी नहीं है। रक्षा मंत्री ने भी उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के और न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। तथापि विधि मंत्री ने यह बताया कि संवैधानिक तौर पर उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह केवल योग्यता की न्यूनतम शर्त को पूरा करने का प्रश्न नहीं है परन्तु व्यक्ति विशेष की प्रवीणता के कुछेक न्यूनतम मानक भी प्राप्त होने चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी यह स्वीकार किया कि इस मामले में सतर्कता से चलना चाहिए और यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए वह अपने सहयोगियों तथा अन्य व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त कर सकने में समर्थ हो। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण की नीति लागू करने की वांछनीयता तथा संवैधानिक अनुज्ञेयता के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों के विचारों में भिन्नता को देखते हुए उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पास उचित रास्ता यही था कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा यह मामला उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए भिजवा दिया जाता जैसा कि आयुक्त ने अपनी वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी तथा 1977-78 में इसे दोहराया था।

3.107 पिछली रिपोर्ट में (पैरा 3.23) यह पहले ही कहा गया है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के लिए आरक्षण हेतु अनुच्छेद 234 का अवलम्ब ले सकती हैं तथा उच्चतर न्यायिक सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 309 का 1 किन्तु विधि मंत्री द्वारा प्रकट किए गए विचारों तथा प्रधान मंत्री द्वारा उनके समर्थन ने उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में आरक्षण की संवैधानिक अनुज्ञेयता के प्रश्न पर हमें फिर से ला खड़ा किया है। बेशक यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधि मंत्रालय यह विचार रखता है कि उच्च न्यायालय को 'राज्य' समझा जाता है तथा इसलिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को 'राज्य' के अधीन सेवाएं नहीं माना जा सकता चूंकि उच्च न्यायालय स्वतः 'राज्य' के समान है। अब समय आ गया है जब कि इस मामले को सदा के लिए निपटा लिया जाए, और अगर आवश्यकता हो, तो यह मामला राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय को भेजकर उनसे यह निर्णय देने के लिए कहा जाए कि क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 में किए गए उपबंधों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

3.108 इसी बीच विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार इस समय गोहाटी, केरल, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा, (केवल पंजाब से संबंधित), राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के अधीन अवर और उच्चतर न्यायिक सेवाओं और लिपिक वर्गीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाता है। जहां तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का संबंध है, यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायिक सेवा (i) उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जिसमें मंसिफ और इन्विल जजों के संघर्ष आते हैं और (ii) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा जिसमें जिला एवं सेशन जज/अपर जिला एवं सेशन जज आते हैं, को मिला कर बनी है तथा इन दोनों सेवानों के नियमों में अनुसूचित जातियों आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शेष उच्च न्यायालयों के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

1. जम्मू एवं कश्मीर उच्च अवर और उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई।
 2. बम्बई उच्च न्यायालय
 3. कर्नाटक उच्च न्यायालय
 4. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
 5. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (केवल हरियाणा के संबंध में)
 6. कलकत्ता उच्च न्यायालय
 7. पटना उच्च न्यायालय
 8. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- अवर और उच्चतर न्यायिक सेवाओं और उच्च न्यायालयों के अधीन लिपिक वर्गीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भी सीधी भर्ती में आरक्षण की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई।
- उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया।
- उच्चतर न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय के अधीन लिपिक वर्गीय/चतुर्थ श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

9. गुजरात उच्च न्यायालय

राज्य न्यायिक सेवा के प्रथम श्रेणी पदों और राज्य उच्चतर न्यायिक सेवाओं और उच्च न्यायालय के अधीन लिपिक वर्गीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के बारे में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

10. त्रिक्कम उच्च न्यायालय अभी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन न्यायिक सेवाओं तथा अन्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वास्तविक स्थिति परिशिष्ट 16 में दी गई है।

राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व—सांख्यिकीय सूचना देने में राज्य सरकारों का असहयोग

3.109 यह बताते हुए खेद होता है कि केवल एकमात्र पर ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन को अपने 28 वर्ष के अस्तित्व के दौरान पिछली 25 रिपोर्टों में लगाने पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ देनी पड़ी है और वह है राज्य सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में समय पर सांख्यिकीय सूचना देने में राज्य सरकारों का असहयोग। कुल मिलाकर, राज्य सरकारें निर्धारित समय में सांख्यिकीय सूचना नहीं देती और कभी कभी तो सूचना प्राप्त होती ही नहीं। जैसा की परिशिष्ट 17 से दिखाई पड़ेगा। 1, जनवरी 1979 की सूचना महाराष्ट्र पंजाब और त्रिपुरा राज्यों और अडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से ही प्राप्त हुई है। गुजरात, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित। जनवरी 1978 की सूचना अब शामिल की गई क्योंकि पिछले वर्ष यह उपलब्ध नहीं हुई थी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार हिमाचल, प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से अभी तक 1 जनवरी 1978 तक की भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

3.110 उपर्युक्त परिशिष्ट में दी गई सांख्यिकीय सूचना पर एक दृष्टि डालने से पता चलेगा कि इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण लगभग तीन दशक पूर्व लागू हुआ था फिर भी अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पदों की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निरंतर एक समान अर्थात् रह रहा है तथा अनुसूचित जातियों के मामले में अधिकतर राज्यों में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में और कई अन्य राज्यों में तृतीय श्रेणी के पदों में भी यह अब भी संतोषजनक स्तर से काफी कम है। इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सेवा सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी मशीनरी को सुधारकर कारगर बनाने की आवश्यकता है।

निजी क्षेत्र की स्थापनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3.111 निजी क्षेत्र की स्थापनाओं में अभीम रोजगार सम्भावनाओं में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भाग प्राप्त करने की आवश्यकता पर हमारी पिछली कुछ रिपोर्टों में जोर दिया गया। आयुक्त द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लेने के बावजूद मामला वहीं पर है जहाँ पर ।। उसमें कोई प्रगति नहीं मालूम होता।

समाज के कमजोर वर्गों को ऊँचा उठाने के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सरकारी नीति का अनुसरण करना हेतु निजी नियोक्ताओं को बाध्य करने के लिए कानून आदि के रूप में कोई वैधानिक कदम उठाने के लिए सरकार लगातार अनिच्छुक रही है। इस संबंध में उसकी समझाने-बुझाने की नीति जारी रही है। इसे प्राप्त करने के लिए पहले आयुक्त की नीति भी समझाने-बुझाने की थी। किन्तु बाद के वर्षों में यह महसूस किया गया कि औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त 1964 में और बाद में दिसम्बर, 1971 में की गई अपीलों का कोई फल नहीं निकला। यही पृष्ठभूमि भी कि आयुक्त ने बारबार कानूनी उपाय बरतने पर जोर दिया ताकि निजी नियोक्ताओं को अपनी रोजगार सम्भावनाओं का कुछ भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मदद्यों के लिए रखने को बाध्य किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भी अपने हक को बदलकर इस विचार की ओर झुक रही है जैसा कि सरकार की ओर से 21 नवम्बर, 1973 को राज्य सभा में दिए गए बयान के संकेत से दिखाई पड़ता है जबकि आयुक्त की वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट पर हुई बहस का जवाब दिया जा रहा था। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री का भाषण वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था। मंत्री ने कहा था कि निजी क्षेत्र की अधिकांश साधारण पूंजी (इन्विस्टी कैपिटल) की हामीदारी सरकारी वित्त संस्थानों द्वारा की गई होती है और उनका अधिकतर वित्त इन्हीं संस्थानों से प्राप्त होता है और इसलिए तथाकथित निजी क्षेत्र पूर्णतः निजी क्षेत्र नहीं होता किन्तु राज्य से सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र होता है। इसलिए उनका विचार था कि समस्या को यह कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि हम निजी क्षेत्र को नहीं छू सकते। उन्होंने तो निजी क्षेत्र की स्थापना भी दी कि वे देश के लोगों को वर्तमान मनोदशा को पहचाने और जहाँ तक उनके अधीन रोजगार में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वे पिछड़ी जातियों को सहायता के महत्वपूर्ण आवश्यक उपायों को कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें। इस जोरदार बक्तव्य के बावजूद निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण शुरू करने हेतु सरकार के लिए कोई कानूनी अथवा बाध्यकर उपाय करना सम्भव नहीं हो सका है।

3.112 यह मुद्दा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर 1978 को हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की आठवीं बैठक में फिर से उठाया गया। मालूम हुआ है कि प्रधानमंत्री ने यह विचार प्रकट किया कि निजी क्षेत्र की स्थापनाओं को अपने अधीन सेवाओं में आरक्षण लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून का सहारा लेने के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं थे। फिर भी उनका विचार था कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को लाइसेंस मंजूर करते समय अथवा अन्यरूप में सहायता देने समय उनसे अपने अधीन सेवाओं में आरक्षण शुरू करने के लिए आश्वासन ले सकते हैं। उच्च शक्ति प्राप्त समिति के इस निर्णय के अनुसरण में इन मामले पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1979 में उद्योग मंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई और इन बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों में हर सम्भव सुधार लाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इन संदर्भ में कानून द्वारा कोई कार्रवाई लाने की अपेक्षा निजी उद्योग को स्वैच्छिक

आधार पर विशेष और संवेदन रूप में प्रयत्न करने होंगे। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

- (1) निजी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किन्ने कमचारी काम करते हैं इसके आंकड़े नमूना सर्वेक्षण अथवा स्वयं गणना द्वारा औद्योगिक संघों और वाणिज्य मंडलों द्वारा संकलित किए जाने चाहिए।
- (2) राष्ट्रीय शिक्षण स्कीम के अधीन प्रशिक्षित फानतू शिक्षुओं विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षुओं में जो काम करने के लिए उपलब्ध हो उनकी मूचना मार्केजिन क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा वाणिज्य मंडलों को दी जानी चाहिए ताकि अगर निजी क्षेत्र में कुशल धविकर्यों की आवश्यकता हो तो उन्हें लगाया जा सके।
- (3) किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर कुल नमूनाकारियों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में आधिक मलाहकार कार्यालय द्वारा एक नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली चालू की जानी चाहिए इनमें मानीटर करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे।
- (4) श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और रोजगार कार्यालयों को जारी हुए वर्तमान अनुदेशों का पुनरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार अवस्थों में वृद्धि हुई है या नहीं।
- (5) जहाँ औद्योगिक इकाइयों के अपने औद्योगिक केन्द्र हों उन्हें भी इन बात के लिए राजी किया जाए कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उचित संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि भर्ती करें।
- (6) इस बारे में व्यवसाय संघों (ट्रेड यूनियनों) को भी उपयुक्त रूप में पत्र भेजे जाएं ताकि वे भी इस समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में ठीक ठीक समझें सकें।

3.113 ऊपर (1) तथा (3) पर उल्लिखित निर्णयों का स्वागत है। आंकड़ों के एकत्रित होने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति और किसी संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कामियों की भर्ती के लिए किए गए प्रयत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऊपर (2) पर उल्लिखित मूलाध भी अच्छा है किन्तु यह सन्देहात्मक बात है कि क्या निजी नियोक्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित फानतू उम्मीदवारों को बिना किसी बाध्यता के नौकरी देंगे। यह जानकर भी खेद होता है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा सुझाए गए नरम हकबाले इस तरीके को भी कार्य रूप नहीं दिया गया कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को लाइसेंस/सहायता देते समय यह शर्त लगा दी जाए कि वे अपने यहां की सेवाओं में आरक्षण लागू करने का वचन देंगे। इसलिए यह बात दृढ़ता से महसूस की जाती है कि अगर सरकार निजी नियोक्ताओं को कानून द्वारा बाध्य करने को अनिच्छक है तो कम से कम उसे निजी उद्योग से उपर्युक्त शर्त स्वीकार करा लेनी चाहिए।

संवैधानिक/कानूनी निकाय

3.114 भरपूर प्रयत्नों तथा कानूनी राय प्राप्त करने के पश्चात् भी जिन पुराने मुद्दों को हल नहीं किया जा सका उनमें से एक मुद्दा संवैधानिक निकायों अथवा संसद के कानूनों के अन्तर्गत निर्मित निकायों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने से संबंधित है। कानूनी राय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 335 में उल्लिखित "संघ अथवा किसी राज्य के कार्यों के संबंध में" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत "राज्य" का विधायी खंड तथा उसके कानूनी निकाय दोनों आ जाते हैं और इसलिए सरकार द्वारा समझ समझ पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों/प्रावधानों को लागू करना उनके लिए जरूरी है। प्रश्न यह नहीं है कि ऐसे निकाय आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करते हैं या नहीं अपितु प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 338 के खण्ड (2) में प्राप्त संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए आयुक्त इन निकायों में सेवा सुरक्षाओं के कार्यचालन की छानबीन कर सकता है या नहीं और इन सुरक्षाओं के कार्यचालन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है या नहीं। जहाँ तक लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों का संबंध है इस बात को पहली बार हमारी 1959-60 की रिपोर्ट में उठाया गया था (बौद्धिक खण्ड के पैरा 16 तथा 17)। परन्तु गृह मंत्रालय ने जब अपनी असमर्थता व्यक्त की तो मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1971-73 वर्षों की रिपोर्ट में इस प्रश्न पर फिर चर्चा की गई (पैरा 3.89-3.90) परन्तु इसको फिर छोड़ना पड़ा।

3.115 पिछली रिपोर्ट (1977-78 की रिपोर्ट के पैरा 3.15 से 3.20) में इस प्रश्न पर फिर से चर्चा की गई जब एक कानूनी निकाय ने आयुक्त की संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती दी थी। उन रिपोर्ट में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी गई थी कि किस प्रकार लोक सभा तथा राज्य सभा के सचिवालयों और कानूनी निकायों में इन सुरक्षाओं के कार्यचालन के संबंध में छानबीन करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करते में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अड़वनों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अन्तिम विकल्प के तौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि या तो राष्ट्रपति इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करें अथवा संविधान के अनुच्छेद 338(2) में संशोधन करके संवैधानिक तथा कानूनी निकायों को या तो आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया जाए या उन्हें इसमें शामिल कर दिया जाए।

तदर्थ पदोन्नतियों

3.116 पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरे गये पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर 1975-76 तथा 1976-77 वर्षों की चौथीसवीं रिपोर्ट में पिछली बार विचार किया गया था (पैरा 3.32 तथा 3.33)। इन पदों में आरक्षण आरम्भ करके की आवश्यकता पर जोर देने हुए तब तक किए गए प्रयत्नों और 12 नवम्बर, 1976 को हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक के विचार विमर्श को भी उस रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से दिया गया था। यह धनाया गया था कि रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं और यदि भारत सरकार भी ऐसे आदेश जारी कर दे तो इसमें तदर्थ पदोन्नतियों को जल्दी यथाधिक के लिए जारी रखने तथा इस प्रकार पदोन्नतियों

में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उनके आजीवन भाग में वृद्धि रखने की प्रशासनिक प्राधिकारियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। 20 अक्टूबर, 1978 को हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की आठवीं बैठक में यह प्रश्न फिर उठाया गया जिसमें रक्षा मंत्री ने भी टिप्पणी की कि तदर्थ पदोन्नतियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलती रहती हैं। समिति ने नोट किया कि सरकार ने अब ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं जिनमें तदर्थ पदोन्नतियों का हाना बहुत कम हो जाएगा परन्तु फिर भी ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें तदर्थ पदोन्नतियाँ करनी ही पड़ें। समिति ने महसूस किया कि ऐसे मामलों में ऐसी तदर्थ पदोन्नतियाँ करते समय अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के दावों पर भी विचार किया जाना चाहिए उनके लिए कोई विधिवत आरक्षण न किया जाए। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की इस राय के आधार पर सरकार ने तदनुसार अनुदेश जारी कर दिए हैं। यद्यपि उच्च शक्ति प्राप्त समिति के रख में परिवर्तन का तथा सरकार के आदेशों का स्वागत है फिर भी यह समझ पाना कठिन है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के दावों को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा। चूंकि सरकार पहले ही ऐसे अनुदेश जारी कर चुकी है जिनके अनुसार ऐसी पदोन्नतियाँ बहुत ही कम होंगी, फिर इन थोड़े से मामलों की आरक्षण आवेशों के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जाए विशेषतया तब जबकि उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यह निवेश दिया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तित्व के दावों को ध्यान में रखा जाए।

विशेष प्रकोष्ठ

3.117 भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग में प्रशासन को प्रभारी उप सचिव को मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के बारे में सम्पर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करना होता है। उसे एजेंसियों के आरक्षण के संबंध में सरकारी आदेशों और अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होता है तथा वह बात भी सुनिश्चित करती होती है कि सभी विवरणों तथा रिपोर्ट ठीक ढंग से और समय पर भेजी जाएं। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में एक सम्पर्क अधिकारी नामांकित किया जाता होता है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में गठित किया गया एक प्रकोष्ठ इन सम्पर्क अधिकारियों को सहायता प्रदान करता है। यद्यपि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में यह श्रेणी की जाति है कि आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाए तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी भी कुछ मंत्रालय/विभाग ऐसे हैं जहाँ ऐसे प्रकोष्ठ नहीं बनाए गए हैं। इस कार्यालय में प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि मंत्री-मंडल, सचिवालय, नियंत्रक तथा भारत का महालेखा परीक्षक, निर्वचन आयोग, नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय, विधि, न्याय तथा कर्माधी कार्य मंत्रालय इत्यादि जैसे बड़े संगठनों में विशेष प्रकोष्ठ नहीं है और जहाँ प्रकोष्ठ है भी वहाँ इनको पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया गया है। अबतक कि प्रकोष्ठ को स्टाफ और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती, उन्हें बनाने से ही कोई प्रयोजन मिद्ध होने की सम्भावना नहीं है। अतः यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि कार्यालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य को ही देखने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की

आवश्यकता पर सभी मंत्रालयों/विभागों पर पुनः जोर डाले। विशेष रूप से उन बड़े मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों में जहाँ स्टाफ की संख्या अधिक हो, इन प्रकोष्ठ में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए तथा अन्य संगठनों/कार्यालयों में सिर्फ इसी काम को करने के लिए कम से कम एक या दो सहायक लयाए जाने चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम

3.118 जैसाकि पिछली रिपोर्ट में कहा गया है, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर एक पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। यह पता चला है कि संस्थान पहले ही (दिसम्बर 1979 तक) तीन मूल्यांकन पाठ्यक्रम सम्पर्क अधिकारियों के लिए आयोजित कर चुका है। इन पाठ्यक्रमों में अधिकांशतः प्रशासन के प्रभारी उप सचिवों तथा अवर सचिवों ने भाग लिया तथा इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों और अन्य रियायतों/दीलों के संबंध में आदेशों/अनुदेशों का उचित ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन तीन पाठ्यक्रमों में 64 अधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण में विषय में प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान ने (दिसम्बर, 1979 तक) अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के लिए चार पाठ्यक्रम आयोजित किए। वस्तुतः ये लोग ही कार्यान्वयन स्तर पर काम करते हैं तथा आरक्षणों को लागू करने के लिए रोस्टर तथा अन्य रिकार्ड रखते हैं। इस प्रक्रिया में 130 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह आशा की जाती है कि जब तक सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाता इन पाठ्यक्रमों को चालू रखा जाएगा। इस काम को शीघ्रता से निपटाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि सम्पर्क अधिकारियों के लिए एक वर्ष में चार मूल्यांकन पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जाए तथा अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के लिए कम से कम 12 (अर्थात् हर महीने एक) पाठ्यक्रम चलाए जाएं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की बढ़ाया जाए जिससे कि यथासम्भव कम अवधि में अधिकतम व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण दिया जा सके।

3.119 चूंकि सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान इन पाठ्यक्रमों की अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए चला रहा है और दिल्ली स्थिति कार्यालय ही इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, अतः उन विभिन्न महत्वपूर्ण सगरो में भी शिविर पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता है जहाँ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों की संख्या काफी अधिक है। यह भी वांछनीय है कि रेल, संचार, रक्षा मंत्रालय इत्यादि जैसी बड़ी स्थापनाएं और कुछ ऐसे बड़े उपक्रमों जिनमें रोजगार की बहुत बड़ी क्षमता है खासतौर पर अपने ही अधिकारियों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान के विशेषज्ञों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय की सहायता से ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की सहायता करनी होगी क्योंकि शायद यह पहला ऐसा उपक्रम है जिसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्पर्क अधिकारियों तथा सहायक प्रबन्धकों के लाभार्थ ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं। भारतीय खाद्य निगम ने इन काम को अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की सौंप दिया जिनने अपने संकाय प्राध्यापकों

तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आयुक्त के कार्यालय के अतिथि प्राध्यापकों की सहायता से यह पाठ्यक्रम आयोजित किए। यह पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान आगे ऐसे और पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। आशा की जाती है कि यह संस्थान बहुत से अन्य उपक्रमों को, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, पथ-प्रदर्शन करेगा। अन्य उपक्रम या तो ऐसा अपना प्रबन्ध स्वयं कर सकते हैं या एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपने अधिकारियों को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं ताकि यथासम्भव कम समय में अधिकाधिक संख्या में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। सरकारी उद्यम कार्यालय को भी सुझाव दिया गया है कि वह सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान जैसा ही

एक प्रशिक्षण प्रभाग अपने कार्यालय में शुरू करे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामिक विभागों के अधिकारियों के लिए इस विषय पर पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करें। आशा है कि उक्त कार्यालय इस सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय ले लेगा।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सांख्यिकीय सूचना

(क) केन्द्रीय सरकार

3.120 सरकार से 55 मंत्रालयों/विभागों के बारे में 1-1-1979 को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या के आंकड़ें प्राप्त हुए हैं जोकि नीचे दिए जा रहे हैं।

| श्रेणी (समूह) | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जातियाँ | | अनुसूचित जनजातियाँ | |
|----------------------|--|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | संख्या | प्रतिशतता | संख्या | प्रतिशतता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| i(क) | 46434 | 2204 | 4.75 | 435 | 0.94 |
| ii(ख) | 56287 | 1150 | 7.37 | 579 | 1.03 |
| iii(ग) | 17,18,576 | 2,15,762 | 12.55 | 53960 | 3.11 |
| iv(घ) | 12,71,254 | 2,45,596 | 19.32 | 65975 | 5.19 |
| (झाड़कणों को छोड़कर) | | | | | |
| योग | 30,92,551 | 4,67,712 | 15.12 | 1,20,449 | 3.89 |

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1-1-74 से 1-1-1978 की स्थिति के विषय में ऐसी ही सूचना परिशिष्ट 18 पर देखी जा सकती है। 1-1-1979 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय/विभागवार सांख्यिकीय सूचना का व्यौरा परिशिष्ट 19 पर उद्धृत किया गया है।

3.121 उपर्युक्त सूचना से यह पता चलता है कि 1-1-78 ऐसी ही सूचना की तुलना में सभी समूहों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व में थोड़ी सी वृद्धि हुई है परन्तु समूह क, ख और ग के पदों में उनका प्रतिनिधित्व क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत के स्तर से अभी भी बहुत कम है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य स्थिति में सुधार होने की सम्भावना नहीं दिखायी पड़ती। इस संबंध में मंत्रालय/विभाग-वार सूचना से यह दिखाई पड़ेगा कि प्रथम श्रेणी के पदों के मामले में केवल चार मंत्रालय/विभाग ऐसे हैं नामतः खाद्य विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा श्रम मंत्रालय, जहाँ अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है परन्तु कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जो अभी तक 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचा हो। मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य है। द्वितीय श्रेणी के पदों में भी अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति कोई अच्छी नहीं है। केवल एक विभाग अर्थात् संसदीय कार्य विभाग ऐसा है जिसमें

द्वितीय श्रेणी के कुल अधिकारियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 17.5 प्रतिशत है। अन्य 10 मंत्रालयों/विभागों में इनका प्रतिनिधित्व 10 से 15 प्रतिशत के बीच है। तृतीय श्रेणी के पदों में भी 55 मंत्रालयों/विभागों में से केवल 11 ऐसे मंत्रालयों/विभागों हैं जिनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया है।

3.122 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्थिति पूर्णतया असंतोषजनक है। 21 मंत्रालयों/विभाग ऐसे हैं जिनमें प्रथम श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का एक भी अधिकारी नहीं है। 13 मंत्रालयों/विभाग ऐसे हैं जहाँ इनका प्रतिनिधित्व 1 प्रतिशत से कम है। तथापि 2 मंत्रालय/विभाग ऐसे हैं जहाँ इनका प्रतिनिधित्व 3 प्रतिशत से अधिक है परन्तु 4 प्रतिशत से कम है। द्वितीय श्रेणी के पदों के संबंध में 55 मंत्रालयों/विभागों में से 11 में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व शून्य है; 21 मंत्रालयों/विभागों में 1 प्रतिशत से कम है तथा 15 मंत्रालयों/विभागों में 2 प्रतिशत से कम है। केवल 2 मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 3 प्रतिशत को पार कर गया है; यह दो हैं:— मंत्रीमंडल सचिवालय (6.45 प्रतिशत) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (3.13 प्रतिशत)। केवल 3 मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ तृतीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से अधिक पहुँच सका है परन्तु इनमें से किसी से भी यह 7½ प्रतिशत तक नहीं पहुँचा है। 11 मंत्रालय/विभाग ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति का एक भी कर्मचारी नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध

में केवल 5 मंत्रालय/विभाग अर्थात् रेलवे, गृह, संसदीय कार्य, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा विधायी विभाग ऐसे हैं जहाँ 7.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त कर लिया गया है। परन्तु राष्ट्रपति मन्त्रिवालय, उपराष्ट्रपति मन्त्रिवालय निर्वाचन आयोग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। बाकी के मंत्रालयों/विभागों में यद्यपि अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व तो प्राप्त है परन्तु यह निर्धारित प्रतिशतता तक नहीं पहुँचा है।

(ख) अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएं

3.123 जहाँ तक अखिल भारतीय तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, 1-1-1979 की स्थिति की उपलब्ध सूचना परिशिष्ट 20 पर है। वर्ष 1977-78 की हमारी पिछली रिपोर्ट के पैरा 3.1 में दी गई 1-1-1978 की स्थिति की ऐसी ही सूचना की तुलना में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों से यह पता चलता है कि अधिकांश मामलों में उनके प्रतिनिधित्व में थोड़ी भी वृद्धि हुई है परन्तु केन्द्रीय

सूचना सेवा, केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा, मिलट्री इन्जीनियरिंग सेवा (भवन और सड़कें) में कुछ कमी हुई है। परन्तु अधिकांश सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व ने अभी भी 10 प्रतिशत को पार करना है। केवल भारतीय विदेश सेवा, डाक तार सिविल इंजीनियरिंग सेवा तथा भारतीय निरीक्षण सेवा ('क' समूह) ऐसी सेवाएं हैं जहाँ 10 प्रतिशत में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में 9 ऐसी सेवाएं हैं जहाँ अनुसूचित जनजातियों का कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं है। पांच अन्य सेवाओं में इन जातियों का प्रतिनिधित्व 1 प्रतिशत से भी कम है। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा में ही इनका प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.124 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में 159 उद्यमों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित 1-1-1978 की समेकित सूचना नीचे दी गई है:—

| श्रेणी (समूह) | कुल क्षमता जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति भी शामिल | | अनुसूचित जातियां | | अनुसूचित जनजातियां | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | संख्या | प्रतिशतता | संख्या | प्रतिशतता | संख्या | प्रतिशतता |
| प्रथम (क) | 75,833 | 1,537 | 2.03 | 354 | 0.47 | |
| द्वितीय (ख) | 79,575 | 2,928 | 3.55 | 725 | 0.91 | |
| तृतीय (ग) | 10,66,962 | 1,73,910 | 16.30 | 79,106 | 7.41 | |
| चतुर्थ (घ) | 4,58,990 | 1,04,873 | 22.85 | 48,225 | 10.51 | |
| (जिनमें झाड़ूकण शामिल नहीं है) | | | | | | |
| झाड़ूकण | 23,061 | 17,060 | 73.98 | 877 | 3.80 | |
| योग | 17,04,421 | 3,00,200 | 71.61 | 1,29,317 | 7.59 | |

उपक्रमों के अनुसार विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। एक बार फिर यह कहने में सचमुच बड़ा दुख होता है कि लोक उद्यम व्यूरो ने दिसम्बर, 1979 तक भी यह सूचना नहीं भेजी है। यहां तक कि ऊपर दी गई समेकित सूचना भी 20-10-1978 को हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक के एजेंडा की टिप्पणी से ली गई है। इसलिए लोक उद्यम व्यूरो को प्रत्येक कलेंडर वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।

3.125 सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के अधीन विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के बारे में लगभग एक दशक पूर्व आदेश लागू कर दिए गए थे लेकिन 'क' समूह और 'ख' समूह के पदों के आंकड़ों से पता चलता है कि इन पदों में प्रतिनिधित्व पिछले दस वर्षों में कुछ गण प्रयासों के बावजूद भी कम रहा है। हमारा यह अनुभव रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों में, जैसा कि इन निकायों में सेवा सुरक्षाओं के कार्यचालन के अध्ययनों से सम्बन्धित पैराग्राफ में देखा जा सकेगा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी निदेशों की उपेक्षा होती रही है। आगे यह भी देखा गया कि इन निकायों में आरक्षण की पुरानी कमियों को कम करने का प्रयास लगभग 'ग' समूह और 'घ' समूह के पदों तक ही सीमित रहा। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से पता लगेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 'क' समूह और 'ख' समूह के रिक्त पदों पर उनकी पर्याप्त संख्या भर्ती करने के लिए गम्भीर प्रयास करने की जरूरत है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

3.126 राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि के अधीन विभिन्न सेवाओं/ग्रेडों में 31-12-1978 को कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के विषय में भारत सरकार के बैंकिंग विभाग से प्राप्त मांख्यकीय सूचना परिशिष्ट 21 में दी गई है। विभिन्न वित्तीय अभिकरणों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्गानुसार प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता का संक्षिप्त सारांश नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है:—

| | अधिकारी | कलक | अधीनस्थ कर्मचारी |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति |
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति |
| 1 राष्ट्रीयकृत बैंक | 2.44 | 0.42 | 11.51 |
| :स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा संबद्ध बैंक | 1.39 | 0.25 | 12.11 |
| :भारतीय बैंक | 2.82 | 0.32 | 10.76 |
| | 1.85 | 19.45 | 2.80 |
| | 2.11 | 20.48 | 2.08 |
| | 3.93 | 19.69 | 3.41 |

| | अधिकारी | जनक | अधीनस्थ कर्मचारी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|-------------------------------------|---------|-------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 1.69 | 13.48 | 2.82 | 24.23 | 5.12 | | | | |
| 5 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम | 3.05 | 9.85 | 0.85 | 25.17 | 1.36 | | | | |
| 6 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम | 2.72 | 0.28 | 11.78 | 3.81 | 20.01 | 3.44 | | | |

ऊपर की सारणी से यह दिखाई पड़ेगा कि अधिकारी वर्ग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व एक और तीन प्रतिशत के बीच है जबकि अनुसूचित जनजातियों के मामले में इस वर्ग में यह अभी एक प्रतिशत भी नहीं हो पाया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में अनुसूचित जनजाति का एक भी अधिकारी नहीं है। लिपिक वर्ग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कुछ ठीक है लेकिन अभी 15 प्रतिशत को निर्धारित प्रतिशतना को नहीं पहुँच पाया। जहाँ तक इस वर्ग में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, यह अभी तक 4 प्रतिशत से कम है और यह वहाँ की जोचनीय स्थिति दर्शाता है। यहाँ तक कि अधीनस्थ सेवाओं में भी अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति भी काफी अप्रतिभजनक है।

लोक सेवा आयोग :

(क) संघ लोक सेवा आयोग

3.127 आलोच्य वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग में तीन सदस्य थे जिनमें दो अनुसूचित जातियों के थे तथा एक अनुसूचित जनजाति का। 16 फरवरी 1979 को अनुसूचित जाति के सदस्यों में से एक सदस्य डा० एम० एल० सहा? को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

(ख) रेलवे सेवा आयोग

3.128 वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मात रेलवे सेवा आयोग थे जो इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी, मद्रास, मुजफ्फरपुर तथा निकन्दराबाद में स्थित थे। इनमें प्रत्येक में दो सदस्य थे। मद्रास स्थित आयोग में अनुसूचित जाति के जिस सदस्य की नियुक्ति, 17-3-1976 को हुई थी, वह रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान भी आयोग का सदस्य रहा। तथापि वर्ष के दौरान तीन नए सदस्य नियुक्त किए गए, इनमें एक अनुसूचित जनजातियों का था (गोहाटी में 20-10-1978 को) और 2 अनुसूचित जातियों के थे (इलाहाबाद में 5-5-1978 को तथा निकन्दराबाद में 29-7-78 को)। इनके अलावा अनुसूचित जातियों के दो सदस्यों को आयोगों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, एक को बम्बई के सेवा आयोग का 2-9-1978 को

तथा दूसरे को गोहाटी के सेवा आयोग का 8-1-1979 को। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति का एक सदस्य मुजफ्फरपुर के रेलवे सेवा आयोग में 28-4-1979 को नियुक्त किया गया। इस प्रकार यह विदित होगा कि 13 सदस्यों में से जिनमें अध्यक्ष सम्मिलित हैं, चार अनुसूचित जातियों के थे और एक अनुसूचित जनजाति का, इनके अलावा बम्बई तथा गोहाटी आयोगों के दो अध्यक्ष अनुसूचित जातियों के थे।

(ग) राज्य सेवा आयोग

3.129 जहाँ तक राज्य सेवा आयोगों का संबंध है सूचना नीचे की सारणी में दी जा रही है:-

| क्रम सं० | आयोग का नाम | अध्यक्ष को सम्मिलित करके कुल संख्या | क्या अध्यक्ष अनु० जाति/ अनु०जनजाति का है | अन्य सदस्य जो इन जातियों के हैं | अनु० जाति | अनु० जनजाति |
|----------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ग्राम्प प्रदेश | 4 | नहीं | 1 | .. | |
| 2 | असम | 3 | नहीं | .. | .. | |
| 3 | बिहार | 9 | नहीं | 1 | 1 | |
| 4 | गुजरात | 3 | हां (अनु० जाति) | .. | .. | |
| 5 | हरियाणा | 5 | नहीं | 1 | .. | |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 2 | * | * | * | |
| 7 | जम्मू तथा कश्मीर | 5 | नहीं | .. | .. | |
| 8 | कर्नाटक | 7 | हां (अनु० जाति) | .. | .. | |
| 9 | केरल | 7 | नहीं | 1 | .. | |
| 10 | मध्य प्रदेश | 5 | नहीं | .. | 1 | |
| 11 | महाराष्ट्र | 6 | नहीं | 1 | .. | |
| 12 | मणिपुर | 3 | नहीं | .. | 1 | |
| 13 | मेघालय | 3 | हां (अनु० जनजाति) | .. | 2 | |
| 14 | उड़ीसा | 3 | नहीं | .. | 1 | |
| 15 | पंजाब | 6 | नहीं | 1 | .. | |
| 16 | राजस्थान | 5 | नहीं | .. | .. | |
| 17 | तमिलनाडु | 7 | नहीं | 1 | .. | |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 9 | नहीं | 2 | .. | |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 6** | हां (अनु० जाति) | .. | .. | |
| 20 | त्रिपुरा | 3 | नहीं | .. | 1 | |
| | योग | 99 | अनु० जाति 3 | 9 | 8 | |
| | | | अनु० जनजाति 1 | | | |

* हिमाचल प्रदेश के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई। तथापि पिछली रिपोर्ट के आधार पर इस आयोग में कुल दो सदस्य थे।

** पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के एक सदस्य ने 26-10-1978 को कार्यभार त्याग दिया। उसका उत्तराधिकारी न तो किसी अनुसूचित जाति का है और न अनुसूचित जनजाति का।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

3.130 1978 के दौरान आयोजित की गई अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) देने के लिए इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर, शिलांग और दिल्ली में कार्य कर रहे विभिन्न परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त सांख्यिकीय सूचना के अनुसार इन केन्द्रों में 178 अनुसूचित जातियों के तथा 79 अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार बैठे तथा ऐसे कितने उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिससेवा तथा समवर्गी सेवाओं में अन्ततः सफल हुए उसका व्यौरा, तथा सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1978 के लिए इलाहाबाद और तिरुचिरापल्ली में कार्य कर रहे इंजीनियरी केन्द्रों में जिन उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनसे सम्बन्धित इसी प्रकार का व्यौरा परिशिष्ट 22 में देखा जा सकता है। विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि 1978-79 के दौरान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के केवल 286 उम्मीदवार ही ऐसे प्रशिक्षणों में दाखिल किए जा सके जब कि उपर्युक्त आठ केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 390 प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। इसकी जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को सफलता के अवसर बढ़ाने के लिए बनाई गई इस स्कीम का अनुकूलतम उपयोग हो।

सेवा सुरक्षणों के कार्यचालन का विशेष अध्यायन

3.131 वर्ष 1951 की अपनी पहली ही रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने के लिए भारत सरकार क किसी अधिकारी को यह अनुमति दी जाए कि वह मंत्रालयों तथा अन्य कार्यालयों के आकस्मिक दौर करे। सरकार ने इस सुझाव को इन दलील से अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार की कार्यवाही से अन्य मंत्रालय बुरा मनाएंगे। अतः सेवा सुरक्षणों के कार्य चालन की जांच करने के लिए आयुक्त को अपने ही तन्त्र का उपयोग करना पड़ा। चूंकि उसक पास उपलब्ध तन्त्र भारत सरकार और राज्य सरकारों आदि के सभी कार्यालयों की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं था, अतः अपने कर्मचारियों द्वारा समय समय पर किए गए बाह्यच्छिक अध्ययनों से ही उसे संतुष्ट रहना पड़ा।

3.132 वर्ष 1969-70 की अपनी रिपोर्ट में आयुक्त ने यह आशा प्रकट की थी कि सरकार अतिरिक्त स्टाफ के लिए तत्कालीन समाज कल्याण विभाग को भेजे गए उसके प्रस्तावों का महत्व समझेगी ताकि आयुक्त द्वारा उन्हें मौके पर भेज कर अध्ययन कराए जा सकें। वर्ष 1974-75 की अपने रिपोर्ट में आयुक्त ने सुस्पष्ट शब्दों में ये तथ्य प्रस्तुत किए थे कि केवल 71 व्यक्तियों और आठ लाख रुपये से कुछ ही ज्यादा के बजट से उसके संगठन से आशा की जा रही है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनकी संख्या देश की जनसंख्या के पांचवे भाग से भी अधिक है, के सामाजिक और सेवा मामलों से सम्बन्धित उत्थान कार्य को देखे। भारत सरकार, कानूनी और स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों और उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हजारों भर्ती कार्यालयों सेवा सुरक्षणों के कार्य-चालन का अध्ययन करने के लिए दिए गए केवल तीन अनुसंधान अधिकारियों और दो अन्वेषकों के द्वारा इस कार्य को कर पाने में आयुक्त ने अपने आपको अत्यधिक अक्षम महसूस किया। उसके अनुमानों के अनुसार एक अनुसंधान अधिकारी और एक अन्वेषक के एक अध्ययन दल को एक पूर्ण अध्ययन करने में दो से तीन सप्ताह का समय लगता

है। इसमें, आधारभूत आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रारम्भिक कार्य, अध्ययन के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और संसाधन (प्रोसेसिंग) करना, रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करना तथा अध्ययन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

इस प्रकार कर्मचारियों की वर्तमान संख्या रहते हुए सभी संगठनों में सेवा सुरक्षणों के कार्य चालन का केवल एक बार अध्ययन करने में ही कई दशक लग जाएंगे, यह बात एक तरफ रही कि प्रथम अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्या सुधार हुए इसका मूल्यांकन करने के लिए दोबारा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर आयुक्त पचास से सौ अध्ययन दलों की गठन की मांग कर सकता था जो देश के कोने-कोने से स्थित सरकारी कार्यालयों में अपने को फैला देते, लेकिन उसने मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवश्यकता और व्यवहार्यता के बीच तर्कसंगत सन्तुलन रखना ही ठीक समझा। अतः वह ऐसे कम से कम दस दलों की सिफारिश करता है जिनमें प्रत्येक में एक अनुसंधान अधिकारी, दो अन्वेषक तथा सहायता के लिए आमुजिपिक और लिपिक वर्ग के कर्मचारी हों।

3.133 कहना न होगा कि इस संगठन द्वारा किए गए प्रत्येक अध्ययन का परिणाम यह निकलता है कि संबंधित संगठन के अभिलेख ठीक हो जाते हैं तथा यदि इस प्रकार के और अधिक अध्ययन किए जा सकें तो उससे 'राज्य' के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने जो संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में प्रतिपादित हैं की प्रक्रिया को गति तेज होगी। चूंकी सरकार ईसबात में रुझि रखती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन्हें संविधान के अधीन विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, कल्याण पर नजर रखी जाए तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का लक्ष्य जल्दी प्राप्त हों, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर नजर रखने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने की अनिवार्य आवश्यकता को समझेगी।

3.134 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तथा उसके बाद भी कुछ समय के लिए एक ही अनुसंधान अधिकारी और एक ही अन्वेषक था जो सामान्य सचिवालयीन कार्यों के अतिरिक्त आयुक्त की पहले तो वर्ष 1977-78 की और फिर वर्ष 1978-79 की रिपोर्ट के कार्य में लगे रहे। इसलिए अधिक अध्ययन नहीं किए जा सके। फिर भी, इन कठिनाइयों के बावजूद इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के समय तक निम्नलिखित कार्यालयों/उपक्रमों में अध्ययन किए गए। अध्ययन दलों की रिपोर्टों की प्रतियां परिशिष्ट 23 से 38 तक देखी जा सकती हैं:—

- (1) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
(कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन)।
- (2) हिन्दुस्तान कागज निगम, कलकत्ता,
(उद्योग मंत्रालय के अधीन)
- (3) राष्ट्रीय यन्त्र लिमिटेड, कलकत्ता
(दोबारा अध्ययन)-(उद्योग मंत्रालय के अधीन)
- (4) केन्द्रीय अन्तर्वेशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता
(जहाजराती और परिवहन मंत्रालय के अधीन)
- (5) शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला
- (6) हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला
(राज्य सरकार का उपक्रम)
- (7) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम,
शिमला (राज्य सरकार का उपक्रम)
- (8) शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार।
- (9) शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार।
- (10) शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन।
- (11) श्रम व्यरो चंडीगढ़ (श्रम मंत्रालय के अधीन)

- (12) हिन्दुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, पिजोर,
(उद्योग मंत्रालय के अधीन)
- (13) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
(रक्षा मंत्रालय के अधीन)
- (14) सेट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन)
- (15) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम,
नई दिल्ली।
- (16) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली
(वाणिज्य मंत्रालय के अधीन)

3.135 सेवा गुरुभागों के कार्यचालन की हमारी कुछेक जांचों आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने में प्राधिकारियों की लापरवाही तथा अनिच्छा का पता चला। इस प्रकार किए गए अध्यानों के निष्कर्षों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजा जाता है। उनसे यह आशा की जाती है कि वे अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करे तथा आयुक्त को उनकी रिपोर्टें यथाशीघ्र भेजे। कई मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करने में काफी विलम्ब हुआ और इसलिए हमारे अनुरोध पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने ये अनुदेश जारी किए कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करके उनकी रिपोर्टें छः महीने के भीतर आयुक्त की भेज दी जानी चाहिए। अनुदेशों में यह भी कहा गया है कि जहाँ किसी कारण किसी प्राधिकारी के लिए इस समय-नारण्य का पालन कर पाना संभव न हो तो वह छः महीने की अवधि समाप्त होने से पहले आयुक्त को उसके कारणों से अवगत करा दे। यहाँ एक भेदे मामलों का उल्लेख करना संभव होगा, जिनमें आरक्षण आदेशों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया और आयुक्त द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्टें पर आवश्यक कार्रवाई करके स्थिति को नहीं सुधारा गया। यह मामला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का है।

3.136 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संविधि 12(2) में यह उपबन्ध है कि "नियुक्त प्राधिकारी नियुक्तियाँ करते समय संस्थान में प्रशासन और शिक्षण की कार्यकुशलता बनाए रखने की बात के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करेगा।" इस खण्ड को बाद में शासक बोर्ड की 15 फरवरी 1972 को हुई बैठक में एक संकल्प द्वारा संशोधित कर दिया गया था उसमें यह उपबन्ध किया गया कि "नियुक्तियाँ करते समय संस्थान, बोर्ड के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों के आरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।" इस बीच इस विषय पर शिक्षा मंत्रालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के मध्य काफी पत्राचार हुआ; मंत्रालय संस्थान को इस बात पर बल दे रहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने की नीति को कार्यान्वित किया जाए और संस्थान इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहा था। प्रारम्भ में संस्थान ने संविधि 12(2) की शरण ली और यह कहा कि इसमें आरक्षण के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। बाद में जब इस उपबन्ध को शासक बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया तो यह बड़ा दूँडा गया कि कोई विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, 1970 में संस्थान को यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिशतताएं पहले ही सरकार ने निर्धारित की हुई हैं तथा गृह मंत्रालय के 16 मई, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संस्था 38/3/70 ई० एम० टी० (एम० सी० टी०) के अनुसार वही प्रतिशतताएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे हानूनी/स्वायत्त निकायों पर भी लागू होती हैं। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि आरक्षण नीति को लागू करने से पहले "विजिटर", का अनुमोदन आवश्यक है तथा मंत्रालय ने इस मामले को अगस्त, 1974 तक लटकाए रखा। इस बीच संस्थान ने अपने ही कथन का

खण्ड करने की कोशिश की। 21 नवम्बर, 1969 को संस्थान ने यह कहा कि वे आरक्षण आदेशों को लागू करते आ रहे हैं तथा 9 मार्च, 1973 को उन्होंने इस बात को दोहराया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान को सलाह दी कि इस मामले को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए क्योंकि इसकी प्रगति की रिपोर्टें मन्त्रिमण्डल सचिवालय को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के बैठक के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी है। 19 और 20 जनवरी, 1970 को हुई अपनी बैठक के दौरान संसदीय समिति ने भी संस्थान में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की जानकारी मांगी। इन सब प्रयत्नों के बावजूद इस बारे में कोई ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी। यहाँ तक कि शासक बोर्ड का 15 फरवरी, 1972 का संकल्प भी विजिटर का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को 28 फरवरी 1973 को भेजा गया तथा शिक्षा मंत्रालय ने विजिटर का अनुमोदन सूचित करने में डेढ़ वर्ष और लगा दिया। अन्ततः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के आदेश 5 सितम्बर, 1974 को जारी हुए।

3.137 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों को लागू करने में बहुत अधिक अनिच्छा दिखाई है। बैठकों में श्री आर० आर० वर्मा का एक वैयक्तिक मामला भी आयुक्त को बताया गया था जिसमें यह आरोप था कि आरक्षण नीति तथा बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए श्री वर्मा को कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा था। आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में गंभीर चूकों के आरोप प्राप्त होने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने आरक्षण आदेशों के बारे में सही स्थिति का पता लगाने के लिए मार्च, 1978 में एक अध्ययन दल संस्थान में भेजा। दल ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए तथा इसकी रिपोर्ट मई, 1978 में शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को भेजी गई। लेकिन बजाय इसके कि अध्ययन दल की रिपोर्टें में दिए गए विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की जाती और स्थिति को सुधारा जाता तथा साथ ही आरक्षण आदेशों को लागू करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाती, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राधिकारियों ने आरक्षण लागू करने के मामले को श्री वर्मा के मामले के साथ उलझाने की कोशिश की। श्री वर्मा के विरुद्ध अब कागज-पत्रों में रद्दीबदल करने, सूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने आदि के आरोप लगाए गए हैं। आयुक्त आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है तथा व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख जांच के दौरान उदाहरण के रूप में किया जाता है और जहाँ ऐसे मामलों आरक्षण की नीति के समनुरूप विचार करने योग्य होते हैं तो आयुक्त को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए दबाव डालने का अधिकार है। हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राधिकारियों पर यह दबाव डालते आ रहे हैं कि वे अध्ययन दल के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करें तथा आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में प्रारंभ से ही हुए अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करें। मई 1979 में संस्थान से एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने हमारी कुछ प्रतिकारियों को स्वीकार किया था। यह बताया गया था कि शासक बोर्ड को प्रस्तुत किए गए सूटों पर अन्तिम रिपोर्टें बोर्ड के निर्णय के बाद भेजी जाएगी।

3.138 जबकि दिसम्बर, 1979 में एक और अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है लेकिन अभी भी उसमें आरक्षण नीति अपनाने में हुए विलम्ब के लिए जिम्मेदारी ठहराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य सूटों के बारे में भी विलम्ब करने की युक्तियाँ अपनाई जा

रही है। उदाहरणार्थ, सीपी भर्ती में आरक्षण आदेशों के प्रयोजन के लिए पदों का समूहन करने की अध्ययन दल की सलाह को तो बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन पदोन्नति के मामले में अलग रोस्टर रखने के लिए दी गई सलाह को विधिक सलाहकार के पास जांच के लिए भेजने की बात कही गई है। यह काफी अजीब-मा लगता है। आखिर विधिक सलाहकार उस नीति के मामलों में क्या करेगा जो कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बनाई जाती है और वही विभाग इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार रखता है? और किसी मामले में यदि कोई आशंका हो भी तो प्रशासनिक और कामिक सुधार विभाग ही उसका स्पष्टीकरण देने के लिए मक्षम प्राधिकारी है। इस प्रकार, इस मामले को विधिक सलाहकार के पास भेजना पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण लागू करने में विलम्ब करने की एक और व्यक्ति मालूम होती है। साथ ही, बोर्ड ने वर्तमान पदोन्नति/मूल्यांकन नीति में पाए गए दोषों के बारे में अध्ययन दल के सुझावों को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया और यह आदेश दिया कि इस बीच वर्तमान "नैर अध्यापन कर्मचारी भर्ती और पदोन्नति नियमावली, 1977", का पालन करना जारी रखा जाए। यद्यपि सभी खाली पदों का खूला विज्ञापन देने का प्रस्ताव है, लेकिन उपबन्ध मात्र यह किया गया है कि ऐसे पदों पर उम्मीदवारों का चयन करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विभागीय उम्मीदवारों को और तदुपरान्त बाहर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को तर्जिह दी जानी चाहिए। इस तरह, एक तरफ तो पदोन्नति की नीति के प्रश्न को मंत्रालय को भेजा गया है और दूसरी तरफ विभागीय और बाहर के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीधे भर्ती के ऐसे पदों में स्पष्ट आरक्षण लागू करने की बजाय केन्द्रल तर्जिह देने की बात ही है। अतः सहज रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्राधिकारी आरक्षण योजना को लागू करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। यह पक्के रूप में अनुभव किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्राधिकारियों को चाहिए कि वे आरक्षण नीति के निष्पादन में विलंब करने के बहाने ढूढ़ने की बजाय गंभीरता पूर्वक इसी बात पर विचार करें कि आरक्षण आदेशों को किस तरह ठीक रूप में लागू किया जाए, उन्हें यह भी चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान में किए गए उपबंधों का अन्वय संस्थानों को भांति आदर करते हुए वे भी अनुपालन करें।

3.139 एक अन्य उदाहरण में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के जिस अध्ययन दल ने नवम्बर, 1979 में शिमला स्थित केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों के रोस्टर तथा अन्य अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया, उन्हें बड़ी भद्दी स्थिति का सामना करना पड़ा। अध्ययन दल को श्रम मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय, श्रम व्यूरों, के रोस्टरों आदि का अध्ययन करना था। श्रम मंत्रालय तथा उम व्यूरों को श्रिम सूचना भेजने के बावजूद श्रम व्यूरों, शिमला, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से सम्बन्धित एक अधिकारी ने आयुक्त को यह सूचित कर दिया कि अध्ययन दल द्वारा जांच किए जाने वाले अभिलेख शिमला में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में हैं। परिणाम यह हुआ कि अध्ययन दल को श्रम व्यूरों में अपना कार्य किए बिना लौटना पड़ा। इस मामले को श्रम मंत्रालय के ध्यान में लाया गया। उन्होंने इस मामले में खेद प्रकट किया तथा यह सूचित किया कि सम्बन्धित अधिकारी को उसकी चूक के लिए सचेत कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी पुस्तिका

3.140 कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय ने अब तक "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए

सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका" नामक एक सार संग्रह के पांच संस्करण निकाले हैं। इस पुस्तिका में भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशों/अनुदेशों के सारांश के अतिरिक्त सभी आदेशों/अनुदेशों की प्रतियां संकलित हैं। इस प्रकार यह पुस्तिका उन सभी प्राधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का कार्यभार सौंपा गया है। इस पुस्तिका की बढ़ती हुई मांग के कारण कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके पाचवें संस्करण की 10,000 प्रतियां मुद्रित करवाई थीं। विक्री के लिए रखी गई प्रतियों में से इसकी 9,000 से भी अधिक प्रतियां कुछ ही महीनों में विक्रि गई। अतः कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुरोध किया गया कि वह इसे पुनः मुद्रित करवाए। चूंकि वह विभाग इस पुस्तिका को अद्यतन करना चाहेगा तथा मुद्रण में और भी विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आयुक्त ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए अपने अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयत्नों की मराहता की है। इस सारांश टिप्पणी को परिशिष्ट 39 पर देखा जा सकता है।

नैर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण के विरुद्ध गतिविधियां

3.141 जैना कि वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में बताया गया था, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की नीति का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कतिपय श्रम/ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया था। इस आरक्षण विरोधी लॉबी ने कुछेक सरकारी कार्यालयों में भी अपना मिर उठाया। वर्ष 1971-73 की अपनी रिपोर्ट (पैरा 3.235 ने 3.237) में आयुक्त ने कुछ अनजान लोगों से प्रवल हो रही विकृत धारणा की ओर ध्यान दिलाया था। ऐसे लोगों में यह धारणा थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र और राज्यों की तथा अन्य सेवाओं में किया गया आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिभूत समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसलिए आयुक्त ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मन्त कर दिया कि यदि इन गतिविधियों को समय रहते रोकना नहीं गया तो इससे एक तरफ तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरी तरफ अन्य जातियों के बीच एक परिहार्य तथा दुर्भाग्यपूर्ण दरार पैदा हो सकती है। उस समय इस मामले को कामिक विभाग में भेजा गया था जिनने उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया। उस मंत्रालय ने सूचित किया कि इन गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने यह दलील दी कि किसी के द्वारा अपने विचार प्रकट करना संविधान विरोधी गतिविधि नहीं माना जा सकता। गृह मंत्रालय के अनुसार, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली अथवा कानून के अधीन किसी श्रम उपबंध के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई संविधान के अधिकार के बाह्य सिद्ध की जा सकती है। समय रहते दी गई इस चेतावनी की ओर, गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आरक्षण विरोधियों के इस दैत्य ने 1978 में और भी अधिक प्रचण्ड रूप में अपना मिर उठाना शुरू कर दिया तथा ये गतिविधियां अब भी जारी हैं जैसा कि 1975-77 की रिपोर्ट के पैरा 3.236 में उल्लिखित घटनाओं के अतिरिक्त नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा :-

- (1) अनुसूचित जाति उत्थान संघ देहरादून शाखा ने प्रधान मंत्री को भेजे गए अपने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के ज्ञापन में जिसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजी गई थी, सूचित किया कि अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ अजमेर तथा रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना),

देहरादून के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (लेखा) क्लब के सचिव ने एक बैठक बुलाने के लिए रक्षालेखा नियंत्रक की अनुमति प्राप्त की तथा उसमें निम्नलिखित बयान दिए गए जो कि सरकार की नीति तथा सेवा सुरक्षणों के बारे में संविधान के उपबंधों की प्रतिकूल आलोचना थी। यह ध्यान दिलाया गया कि बैठक के दौरान दिए गए इन बयानों ने उस कार्यालय में स्थिति को काफी बिस्फोटक बना दिया तथा इससे एक तरफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरी तरफ आम वर्ग के कर्मचारियों के आपसी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :-

- (क) कि सरकार इन जातियों की आरक्षण की रियायत उनके वोट प्राप्त करने के लिए दे रही है।
 - (ख) कि इन जातियों के लोग कार्यालय के काम में पदोन्नति आदि के लिए अयोग्य और अकुशल हैं।
 - (ग) कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारी (लेखा) को लेखा अधिकारी के ग्रेडे पर पदोन्नति से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय का 1974 का फैसला अवैध तथा अनुचित था।
 - (घ) कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से भिन्न जातियों के लोगों को इस जाति के विरुद्ध संघर्ष शुरू करने के लिए एक ही जाना चाहिए।
 - (ङ) कि उसने कार्यालय परिसर के भीतर ऐसी गतिविधियों के लिए रक्षालेखा (वायुसेना) से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली है।
- (2) चंडीगढ़ अनुसूचित जाति कल्याण संघ के अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए अपने 30 नितम्बर, 1978 के पत्र में यह सूचित किया कि पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति विरोधी आन्दोलन प्रचण्डता से शुरू किया गया है जिसमें न केवल आम जनता बल्कि सरकारी कर्मचारी विशेषकर शामिल है। उसने विशेषकर श्री सुबदेव खन्ना, एडवोकेट, पटियाला का उल्लेख किया है जो गैर-अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष हैं। चंडीगढ़ अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इन लोगों की इस प्रकार की गतिविधियों से तनाव बढ़ेगा तथा हो सकता है इससे अशान्ति और साम्प्रदायिक मनमुटाव उत्पन्न हो जाए। उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि पंजाब सरकार ऐसी गतिविधियों क्यों होने दे रही है, विशेष कर सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिनमें पंजाब सिविल सचिवालय के राजपत्रित अधिकारी भी शामिल है। उन्होंने यह भी आश्चर्य प्रकट किया है कि वह सरकार गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सरकारी संघों की ऐसी संविधान विरोधी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने को क्यों नहीं तैयार होती।
- (3) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ फेडरेशन नई दिल्ली (काम्पटी शाखा-महाराष्ट्र) के उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ट्रेड यूनियन नागपुर ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिक्षाओं को प्रबंधक वर्ग के सामने प्रस्तुत करने से मना कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, और आम वर्गों के कर्मचारियों में मतभेद पैदा हो गए और अन्ततः ट्रेड यूनियनों के आम वर्ग के

सदस्यों ने खुले आम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था के ही विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया।

- (4) अनुसूचित जाति उत्थान यूनियन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, आदि के संस्थापक ने आरोप लगाया कि अनेक अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी संगठन अस्तित्व में आ गए हैं जिन्हें कुछ संसद सदस्य भी खुले आम उत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रधान मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी सभी संगठनों पर प्रनिबंध लगा दिया जाए।
- (5) भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, तमिलनाडु, मद्रास के अध्यक्ष ने बताया कि डाकतार विभाग के उच्च जाति के हिन्दू कर्मचारियों को पोस्ट मास्टर जनरल, तमिलनाडु सर्किल के कार्यालय परिसर में ट्रेड यूनियन कार्यों के वहाने स्वच्छन्दता से एकत्र होने दिया जा रहा था और वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को संविधान में दी गई गारंटियों के विरुद्ध बोल रहे थे। साथ ही इन जातियों के लोगों को वी गई रियायतों के प्रति निन्दा प्रस्ताव पारित कर रहे थे। यह आरोप है कि इन व्यक्तियों को अपने इन आशयों का प्रचार करने और इसके लिए दान एकत्र करने हेतु एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्वच्छन्दतापूर्वक घूमने दिया जाता है, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर जनरल तमिलनाडु सर्किल के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर एक सर्कुलर लगाया गया है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जा रहे आरक्षण के विरुद्ध एक विरोध-पत्र देने के मामले पर विचार करने हेतु अखिल भारतीय डाकतार ए० ओ० एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में था।
- (6) डाक लेखा आडिट, तमिलनाडु सर्किल, मद्रास के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के सचिव ने भी सूचित किया कि पोस्ट मास्टर जनरल, तमिलनाडु सर्किल के कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन की एक स्थानीय शाखा के तत्वावधान में बुलाई गई एक बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण करने की सरकार की नीति की निन्दा की गई। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।
- (7) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, शाखा कार्यालय, मुगलसराय, वाराणसी के मंडलीय अवर सचिव ने प्रधान मंत्री को भेजे एक पत्र में यह कहा कि प्लांट डिपो, मुगलसराय पूर्वी रेलवे के प्राधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरोधी हैं तथा किसी वहाने वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को तंग करते रहे हैं। उसने इसके कई उदाहरण दिए।
- (8) सरकारी कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, तमिलनाडु मद्रास के महासचिव ने सूचित किया कि कुछ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति संगठन बन गए हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को हानि पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसने यह भी बताया कि डाकतार विभाग के दो राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन

संगठन, नामतः एन० एफ० पी० टी० ई० और ई० एन० पी० टी० ओ० इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अधिकारों तथा सुविधाओं को समाप्त करने का प्रचार कर रहे हैं। उराने सरकार से इन संगठनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

- (9) पब्लिसिटी द्वारा प्रेषित जाने वाले पदों पर आरक्षण के विरुद्ध सामान्य वर्ग के सेवा संघों के प्रस्ताव के विरोध में डाकतार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी यूनियन के निम्नलिखित कार्यकर्ताओं ने तारें भी भेजी हैं :—
- (क) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति डाकतार कर्मचारी यूनियन, रामनाथपुरम्।
- (ख) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, डाकतार कर्मचारी यूनियन, मुरुकलापुर।
- (ग) सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, डाकतार कर्मचारी यूनियन, तूतीकोरिन।
- (घ) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, डाकतार यूनियन, परमकुडी।
- (ङ) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, डाकतार कर्मचारी यूनियन, श्रीरंगाबाद।
- (च) महासचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, डाकतार कर्मचारी समन्वय परिषद, सिकन्दराबाद।
- (10) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्रीय और राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी एक खूले पत्र में यह बताया कि डाकतार विभाग के ट्रेड यूनियन संगठन, नामतः एन० एफ० पी० टी० ई० और ई० एन० पी० टी० ओ० ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुविधाओं और आरक्षण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए सेवा यूनियनों में एक मोर्चा खोला है। अतः उसने अपने भाई बन्धुओं से अपील की है कि वे इस दुःसाहस को रोकें और उनसे यह आग्रह किया है कि वे संगठित होकर ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करें।
- (11) भारतीय राज्य व्यापार निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ, नई दिल्ली के महासचिव द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के ध्यान में यह बात लाई गई कि भारतीय राज्य व्यापार निगम के विधि उप सहायकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण करने की सरकार की नीति का विरोध करने और आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड को एक मात्र आधार मानने का सुझाव देने के लिए एक गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ बनाया है। गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भी वाणिज्य-मंत्रालय के सचिव को अभ्यावेदन भेजा जिसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजी गई। अपने अभ्यावेदन में उसने आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के विषय पर उस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का विरोध किया है।
- (12) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग कर्मचारी समन्वय परिषद, कलकत्ता के अध्यक्ष द्वारा जुलाई 1978 में आयुक्त के ध्यान में यह बात लाई गई कि विभिन्न विभागों, विशेषकर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जीवन और मर्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी भावना के कारण अधिक

प्रसुरित हो गई है। क्योंकि संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में दिए गए अधिकारों तथा अवसरों का विरोध करने के लिए गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में संगठित हो गए हैं। इस प्रक्रिया में गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों ने आरक्षण के कारण उठे विभिन्न मामलों को अदालतों में ले जाने की धमकी दी है। इस प्रकार के एक मामले में पूर्वी रेलवे शाखा के गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में संघर्ष किया तथा उपर्युक्त परिषद ने आयुक्त को सूचित किया कि रेलवे के एडवोकेट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के विरुद्ध निषेधाज्ञा की दलील पर आपत्ति नहीं की। गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के संघों ने उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे की मुरादाबाद डिब्बोजन के गाड़ों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के परिणामस्वरूप "अहितकर आरक्षण" के विरुद्ध पत्र जारी करना शुरू कर दिया है।

- (13) अखिल भारतीय डाकतार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने भारत के राष्ट्रपति को पत्रे गए अपने 30 नवंबर, 1978 के अभ्यावेदन में कहा है कि तमिलनाडु में अखिल भारतीय गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फेडरेशन नामक एक संगठन बनाया गया है जो निम्न-वक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण करने की सरकार की नीति के विरुद्ध सकल्य पारित करके केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव पनपाने का प्रयत्न कर रहा है। उनके अनुसार, गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का यह नवगठित संगठन एक अवैध निकाय है जिसका मात्र उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करना है और इसलिए यह संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।
- (14) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ कामिक प्रबंधक, हिंदुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लिमिटेड, इंदुनगर ने उल्लेख किया कि सितंबर, 1978 में उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष सुविधारहित वर्ग से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अखिल भारतीय उत्पीड़ित वर्ग संघ (रेलवे) नाम से एक संस्था के गठन की बात कही गई थी। वरिष्ठ कामिक प्रबंधक ने उत्तर किया है कि प्रबंध वर्ग ने उस पत्र की उपेक्षा कर दी, लेकिन यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति के विरुद्ध छूट की बीमारी एक संगठन से दूसरे में फैलती जा रही है।
- (15) भारतीय राज्य व्यापार निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने फरवरी, 1979 में आयुक्त से सूचित किया कि राज्य व्यापार निगम में एक विधिक उपसहकार ने "गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ" नामक एक संगठन स्थापित किया है। यह बताया गया कि उक्त संगठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति के आधार पर सेवा में आरक्षण देने के सिद्धांत के विरुद्ध है। उसने दलील दी है कि आरक्षण की नीति में किसी भी कोई औचित्य नहीं है और इससे कर्मचारियों में तिरछ

उत्पन्न हुई है तथा अज्ञाति; असंतोष और विद्रोह फैल रहा है। इस मामले पर भारतीय राज्य व्यापार निगम, के प्रबंधकवर्ग को लिखा गया तथा उन्होंने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के गठन की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने उस संघ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही वे उसमें किसी प्रकार का पताचार करते हैं।

- (16) नवंबर, 1979 में सेवा सुरक्षाओं के कार्य चालन का अध्ययन करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के एक अध्ययन दल को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, शिमला के एक अधिकारी से पता चला कि "जातीय आधार पर आरक्षण हटाओ संघ" नामक एक संस्था का गठन किया गया है तथा उस संस्था के सदस्य अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए धन एकत्र कर रहे हैं।

3.142 आयुक्त को उपर्युक्त गतिविधियों के संबंध में एक विस्तृत टिप्पणी कागिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी थी। उस विभाग का यह विचार है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन के रूप में अथवा वैध तरीकों से सरकार की आरक्षण नीति, यहाँ तक कि आरक्षण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध मात्र विरोध प्रकट करना, आचरण नियमों का उल्लंघन अथवा संविधान का विरुद्ध नहीं माना जा सकता। आयुक्त कागिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को इस धारणा से सहमत नहीं है। अतः वह चाहता है कि इस मामले में सरकार विधि मंत्रालय की राय ले कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से न केवल सरकार की उस नीति का विरोध करना जिसे संविधान के उपबंधों के अनुसार लागू किया गया हो, बल्कि अपने संबंधित संगठनों में कार्यलय परिसर में और कार्यलय के समय में आरक्षण के सिद्धांत को ही विरुद्ध संगठित रूप से आंदोलन भी करना क्या एक ऐसी गतिविधि है अथवा नहीं जिसके लिए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो। विधि मंत्रालय से यह भी पूछा जाए कि क्या ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नहीं हैं आरक्षण नीति का विरोध करने मात्र के उद्देश्य से संस्थाओं का गठन कर सकते हैं तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पर प्रभाव डालने के आशय से अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं और इस प्रकार आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के मामले में भी गति अपनाने के लिए प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं अथवा नहीं। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में दिसंबर, 1979 में दिल्ली में अखिल भारतीय गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कान्फेडरेशन द्वारा एक रैली की जिसमें सरकार की जाति-आधारित आरक्षण नीति का विरोध किया गया और यह मांग की गई कि जाति के आधार पर आरक्षण करने के प्रश्न पर जनमत-संग्रह कर लिया जाए। बताया जाता है कि उनका जलूस राष्ट्रपति भवन गया और इस बारे में भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया। इस रैली के समाचार को आकाशवाणी और टेलीविजन ने भी विस्तृत रूप में प्रसारित किया।

3.143 पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय, चंडीगढ़ में स्थित काफी गंभीर जान पड़ी। इस मामले में आयुक्त के कार्यालय ने पंजाब सरकार के साथ लिखा पढ़ी की। इस बात पर बल दिया गया कि असंवैधानिक और आरक्षण विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जा सके। पंजाब सरकार ने आयुक्त को अपने एक परिपत्र की प्रतिजिम्मे कर्मचारियों से कहा गया था कि वे दोपहर 1.30 से 2.00 बजे लंच की छुट्टि की समय पावंदी का सख्ती से पालन करें, भेजते हुए यह कहा है कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ग) के अनुसार सभी नागरिकों को संघ/पुनियन बनाने का अधिकार है," लेकिन उक्त अनुच्छेद का खंड 4 राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह भारत की प्रभुयता और अखंडता,

सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हित में उक्त उप-खंड के अधीन दिए गए अधिकार का प्रयोग करने पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा सकती है। इस संबंध में कार्रवाई की बात चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार सीमा के भीतर आती है क्योंकि वह ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। वैसे, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एक पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने प्रतिदिन दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे तक लंच की छुट्टि की समय पावंदी का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं। अपने परिपत्र में पंजाब सरकार (सामान्य स्थापना शाखा) ने यह कहा है कि "सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गैर-अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ लंच की छुट्टि के समय सेक्टर 17 में नियमित रूप से यह मांग करने के लिए रैली करता रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य अन्य संघक वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा भी विरोधी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि ये रैली दोपहर बाद ठीक 1.30 बजे शुरू होती है और 2.30 बजे दोपहर बाद तक जारी रहती हैं। उसके बाद भी कर्मचारी तभी तितर-बितर होते हैं जब चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और विरोधी दलों को आपरा में झगड़ने से रोकने के लिए तैनात की गई पुलिस उन्हें वहाँ से हट जाने के लिए काफी अनुरोध करती है। कर्मचारी आमतौर पर दोपहर को 1.15 बजे अपना कार्यालय छोड़ देते हैं तथा 2.45 अथवा 3.00 बजे वापस अपनी सीटों पर लौटते हैं।" यह आशा की जाती है कि पंजाब सरकार द्वारा किए गए एह्तियाती उपायों से स्थिति में सुधार लाने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी।

3.144 इस संबंध में कहना न होगा कि इस प्रकार की गतिविधि एक ओर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरी ओर इस नीति के विरोधी लोगों में काफी मनमुटाव पैदा करती है। यह उपयुक्त समय है कि इस प्रवृत्ति को कारगर ढंग से रोका जाए अथवा हो सकता है कि इसके ओर अधिक गंभीर परिणाम निकलें।

सेवा मामलों में न्याय न मिलने से संबंधित शिकायतें

3.145 ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामले में जिनमें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में सफल रहे तथा ऐसे अन्य मामले जहाँ हम अपने निरंतर प्रयत्नों के बावजूद सफल नहीं हो गए उनका सार निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है। इसका अभिप्राय यह बताया है कि समाज के कमजोर वर्गों को किस प्रकार न्याय देने में विलंब किया जाता है अथवा न्याय से वंचित रखा जाता है और किस प्रकार उनके हितों के सुरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा अनुदेशों की अवहेलना की गई है :—

- (1) 1977 के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें ये आरोप लगाए गए थे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण करने से संबंधित आदेशों का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली में पालन नहीं किया जा रहा है। बोर्ड से पूछताछ करने पर यह पता चला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण करने के नियमों को 1-9-1970 से लागू किया गया था। लेकिन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण करने के आदेशों को 15 दिसंबर, 1977 से लागू किया गया। इसका अर्थ यह है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण आदेश 5 साल के विलंब के बाद लागू किए गए क्योंकि पदोन्नति के पदों पर आरक्षण 27 नवंबर, 1972 से लागू हुआ था। इसलिए इस अत्यधिक विलंब के कारण जानने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को लिखा गया। बहुत लंबे समय तक पताचार होने के बाद शिक्षा विभाग ने हमें बताया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विलंब

ने इस मुद्दे की पूर्णतः जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि बोर्ड की ओर से हुई यह चूक जान बूझ कर नहीं हुई थी। यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि पांच वर्ष के लंबे समय का विलंब अनजाने में हुआ है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को भारी हानि हुई है जो इन पांच वर्षों के दौरान आरक्षित कोटे में पदोन्नति के पात्र थे और पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति पाने के उचित लाभ से वंचित रखे गए। जो भी हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सलाह दी गई है कि वे यह बताएं कि पिछले वर्षों की पदोन्नति कोटे की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

- (2) नई दिल्ली नगर पालिका के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक स्नातकोत्तर अध्यापक ने नवंबर, 1975 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से इस बात के लिए संपर्क किया कि उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के उसके दावे की उपेक्षा की जा रही है। उसने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती नियम नई दिल्ली नगरपालिका की सुविधा के अनुरूप इस आशय से संशोधित किए गए कि अनुसूचित जातियों की पदोन्नति से वंचित रखा जाए। इस मामले में नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ कार्रवाई की गई तथा लंबे पत्राचार के बाद अक्टूबर, 1978 में यह बात सामने आई कि संबंधित स्नातकोत्तर अध्यापक भर्ती नियमों के अनुसार उप प्रधानाचार्य/उप शिक्षा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं करता था, अतः उनके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। इस मामले में इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए फिर कार्रवाई की गई कि इन पदों के वर्तमान भर्ती नियम अप्रैल, 1977 में अर्थात् इस पद पर पदोन्नति के लिए किए गए पिछले चयन के बाद लागू किए गए थे। इस कार्यालय ने पिछले भर्ती नियमों की प्रति मांगी और यह भी जानना चाहा कि जब पिछला चयन किया गया था तो पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में ढील दी गई थी अथवा नहीं। नई दिल्ली नगर पालिका के प्राधिकारियों ने अक्टूबर, 1979 में सूचित किया कि जनवरी, 1977 में किए गए चयन में स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की सेवा अवधि संबंधी शर्त में ढील देकर किसी भी उम्मीदवार को उपप्रधानाचार्य/उपशिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। इस कार्यालय ने नवंबर, 1979 में फिर नई दिल्ली नगरपालिका के प्राधिकारियों से यह पूछा है कि क्या स्थायीकरण के लिए वर्ष 1974 में बुलाई गई बैठक में उपर्युक्त स्नातकोत्तर अध्यापक के मामले पर विचार किया गया था अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर नई दिल्ली नगर पालिका से अभी तक प्रतिक्षित है।
- (3) वेतन कार्यालय (रक्षा निवृत्त कर्मचारी) भद्रास के एक अस्थायी चौकीदार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से संपर्क किया और यह शिकायत की कि निष्कलंक सेवा के बावजूद उसे अगस्त, 1976 में सेवा मुक्त कर दिया गया। उसने निवेदन किया कि शूकि अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण उसे छुट्टी पर जाना पड़ा था जिसके लिए प्राधिकारियों ने उसे यह सजा देना पसंद किया। इन मामलों में संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई जिन्होंने मार्च, 1979 में यह सूचित किया कि इस मामले में नगरी बरतते हुए उस व्यक्ति को नौकरी में वापस ले लिया गया है क्योंकि वह आरक्षित जाति का था।
- (4) नौसेना डॉकयार्ड में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक वरिष्ठ चार्जमैन ने जून, 1975 में अनुसूचित जातिधों और अनुसूचित

जनजातियों के आयुक्त को एक अभ्यावेदन भेजा कि यद्यपि उसे दिसंबर, 1972 में वरिष्ठ चार्जमैन के पद पर पदोन्नत किया गया था तथापि उसे उस पद पर देय परिलब्धियां नहीं दी गई हैं। इस मामले में रक्षा मंत्रालय को लिखा गया। उन्होंने सितंबर, 1975 में इस कार्यालय को बताया कि उस व्यक्ति को भुगतान इसलिए नहीं किया जा सकता कि रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) ने वेतन और भत्तों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उक्त व्यक्ति ट्रेड्समैन समूह "ख" के पद से सम्बंध रखता है तथा वह वरिष्ठ चार्जमैन का पद धारण करने का पात्र नहीं है। उसकी पदोन्नति को नियमित कराने के लिए इस मामले में नौसेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय को लिखा। इस कार्यालय को मार्च, 1979 में बताया गया कि सम्बंधित व्यक्ति की पदोन्नति का नियमन डिस्पेच एक्सप्लाइडर के प्रेड में किया जा चुका है और वह पद भी वरिष्ठ चार्जमैन के समतुल्य है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि सम्बंधित व्यक्ति को वेतन तथा भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जा चुका है।

- (5) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में पंच कांडे अपरेटर के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अक्टूबर, 1975 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन भेजा कि उसे प्राधिकारी तंग कर रहे हैं तथा जनवरी, 1974 में उसे सेवा से निलम्बित कर दिया गया है। अदालत में उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमे को जिसमें उसे अपराध जांच विभाग, उत्तर प्रदेश ने 1958 में फंसाया था, वापस ले लिए जाने के बावजूद उसे वापस नहीं लिया गया था। इस मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ लिखा-पट्टी की गई। उन्होंने जून, 1976 में हमें उत्तर भेजा तथा इस कार्यालय से आवेदक के अभ्यावेदन की एक प्रति मांगी क्योंकि अभ्यावेदन मूल रूप में इस कार्यालय को भेजा गया था। प्रति तत्काल उन्हें भेज दी गई। नवम्बर, 1976 में इस कार्यालय को बताया गया कि सम्बंधित अधिकारी सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग के मामले में फंसा हुआ है और इसलिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन उस पर मुकदमा चलाया गया था। तदनुसार उसे जनवरी, 1972 में सेवा से निलम्बित कर दिया गया था। अक्टूबर, 1973 में अपराध जांच विभाग ने इस मामले को इस दलील पर अदालत से वापस ले लिया कि समूचित प्रमाण न होने के कारण सम्बंधित व्यक्ति पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन निश्चय ही उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। जांच का परिणाम जानने के लिए उस मामले में फिर पूछताछ की गई। लंबे पत्राचार के बाद मार्च, 1979 में यह पता चला कि सम्बंधित व्यक्ति को 4 जून, 1977 से सेवा में बहाल किया जा चुका है।
- (6) रक्षा लेखा नियंत्रक (ओ-आर-एस) दक्षिण; भद्रास के कार्यालय में रिचार्ड क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने मार्च, 1978 में आयुक्त को अभ्यावेदन भेजा कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद प्राधिकारियों ने अवर श्रेणी लिपिक के पद पर आरक्षित कोटे में उस पदोन्नति के लिए किए गए इसके दावे की उपेक्षा की है। इन मामलों

में रक्षालेखा नियंत्रक (ओ-आर-एस) दक्षिण, मद्रास के कार्यालय को लिखा गया तथा अन्ततः जनवरी, 1979 में यह पता चला कि उसके मामले का पुनरीक्षण किया गया तथा 1 जून, 1978 से अर्थात् सहकर्मियों को पदोन्नति देने की तारीख से, उसे पदोन्नत कर दिया गया।

- (7) ग्वालियर चर्म फैक्ट्री, चर्म शोधन और तंबू फैक्ट्री के हरिजन कर्मचारियों ने सितंबर, 1978 में तार द्वारा यह अभ्यावेदन किया कि पुलिस विभाग को जूतों की सप्लाई उनकी फैक्ट्री से करने की बजाए लघु उद्योग निगम के माध्यम से करने की राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नई नीति के परिणाम स्वरूप हरिजन कर्मचारियों की छंटनी होनेवाली है। ग्वालियर चर्म फैक्ट्री, चर्मशोधन और तंबू फैक्ट्री से उसकी रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने सरकार की बदली हुए नीति के कारण इस मामले में कुछ भी कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब यह मामला मध्यप्रदेश सरकार के साथ उठाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि उस फैक्ट्री में कार्य कर रहे हरिजन कर्मचारियों के हित में पूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए। मार्च, 1979 में यह पता चला कि सरकार ग्वालियर चर्म, फैक्ट्री चर्मशोधन और तंबू फैक्ट्री के उत्पादों को महानिरीक्षक पुलिस के कार्यालय को सप्लाई करने के संबंध में एक विशेष मामले के रूप में राजी हो गई है।
- (8) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अगस्त, 1974 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से यह अभ्यावेदन किया कि उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति में 50 निम्न श्रेणी लिपिकों द्वारा उसका अधिकरण किया गया। इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया और लंबे पत्राचार के बाद अप्रैल, 1979 में आयुक्त को बताया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस मामले का पुनरीक्षण करने के लिए जुलाई 1977 को हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उसे उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में वरिष्ठता उस तारीख से दी गई जिस तारीख से निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में उसे तत्काल कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए थे। वास्तविक पदोन्नति की तारीख से उसका वेतन फिर से नियत किए जाने के फलस्वरूप उसे वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया गया था।
- (9) अन्नक खान श्रम कल्याण निधि करमा, जिला हजारीबाग, के कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने मई, 1975 में आयुक्त से अभ्यावेदन किया कि हेड क्लर्क के पद पर पदोन्नति में उसका अधिकरण हुआ है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे संगठन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त आरक्षण नहीं किया गया है। उसने अनुरोध किया कि सहायक कल्याण प्रशासक का पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की गई और नवंबर, 1976 में यह पता चला कि हेड क्लर्क के दो पदों में से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा गया था तथा संबंधित लिपिक को 5 जनवरी, 1976 से उस पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। यह भी पता चला कि जुलाई, 1975 में बनाए गए भर्ती नियमों में दिसंबर, 1977 में संशोधन करके सामान्य प्रशासनिक अनुदेशों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित सरकार के आदेशों को बरीयता दी गई।

- (10) महालेखाकार, तामिलनाडु (मद्रास), ने मेरठ जिले के एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को फरवरी, 1978 में लेखा परीक्षक के पद के लिए लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया। उम्मीदवार ने हमें बताया कि परीक्षा में बैठने के लिए भेजा गया पत्र उसे परीक्षा के मुश्किल से पांच दिन पहले मिला। अतः उसे एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था जिससे कि वह समय पर मद्रास पहुंच सकता। पैसेंजर गाड़ी का न्यूनतम किराया दिया जाना निर्धारित था। इसी प्रकार की घटना फिर घटी जब उसे महालेखाकार, कर्नाटक द्वारा बंगलौर में उसी पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया गया। की गई यात्राओं के पूरे किराये की प्रतिपूर्ति किए जाने के अभिप्राय से इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया। उस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से परामर्श लेते हुए यह निर्णय किया कि खुफि दिल्ली से मद्रास और बंगलौर के लिए कोई सीधी पैसेंजर उपलब्ध नहीं थी अतः विशेष मामले के रूप में उम्मीदवार को मेल / एक्सप्रेस गाड़ी का वह किराया जो उसने वास्तव में खर्चा है, लौटा दिया जाए।
- (11) दूर-संचार फैक्ट्री, देवरन, बंबई में वरिष्ठ आभियंता के रूप में कार्य कर रहे अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी ने वर्ष 1977-78 की अपनी गोपनीय रिपोर्ट में दी गई प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा। जो प्रतिकूल टिप्पणियां इस कार्यालय को सूचित की गईं वे अस्पष्ट पाई गईं। यह मामला डाकतार महानिदेशक, नई दिल्ली के ध्यान में लाया गया जिसने यह आदेश दिया कि संबंधित अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियां हटा दी जाएं।
- (12) आंचलिक प्रशिक्षण स्कूल, उदयपुर में यांत्रिक अनुदेशक (मैकेनिकल इन्स्ट्रक्टर) के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी ने ड्राईवर ग्रेड "ए" की आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के लिए मंडल यांत्रिक इंजीनियर (ई) पश्चिम रेलवे, भावनगर परा को एक अभ्यावेदन भेजा जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजी गई थी। इस मामले में संबंधित प्राधिकारी से लिखापढ़ी की गई जिसने पहले यह बताया कि जो व्यक्ति अगले तीसरे के ग्रेड, अर्थात् ड्राइवर "बी" [वेतन मान 425-640 रुपये (आर)] में इस पद के लिए चयन में सफल होने पर नियमित आधार पर कार्य कर रहा है वह ड्राइवर ग्रेड "ए" पर पदोन्नति पाने का पात्र है। यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता ग्रेड "बी" [वेतन मान 425-640 रुपये (आर)] में स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा है, जो कि प्रक्रम में है। जैसे ही वेतन चयन में सफल हो जाएगा, वह ड्राइवर ग्रेड "ए" [वेतनमान 550-750 रुपये (आर)] पर पदोन्नति पाने का पात्र हो जाएगा। इस मामले को दोबारा फिर संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया गया जिसने सूचित किया कि शिकायतकर्ता को ड्राइवर ग्रेड "ए" के पद पर विशेष वेतन मान 550-750 (आर) में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नत कर दिया गया है।
- (13) अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी ने अगस्त, 1976 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन भेजा कि उसकी वर्ष 1975 की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों की गई है जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सम्बन्धित प्राधिकारियों से रिपोर्टें भंगवाई गईं, उन्होंने यह

आधार लिया कि प्रतिकूल टिप्पणियों के प्रति अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के भीतर नहीं भेजा गया था और इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया। फिर भी, इस मामले में आगे कार्रवाई की गई और अन्ततः फरवरी, 1979 में यह सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया है।

- (14) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने जून, 1976 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सम्पर्क कर यह आरोप लगाया कि भारत सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल किए गए मानकों के आधार पर उसे सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति से नाहक वंचित रखा गया है। इस मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों से लिखा-पट्टी की गई। शुरू में उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया वह सहायक नहीं था। उन्हें बताया गया कि जबकि आम उम्मीदवारों को शिथिल किए गए मानकों के आधार पर पदोन्नति दी गई थी, वही रियायत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नहीं दी गई, यद्यपि भारत सरकार के आदेशों में इन जातियों के लिए शिथिलता आदि की व्यवस्था है। उन्हें आगे यह भी बताया गया कि मई, 1976 में नियमित आधार पर पदोन्नत किए गए 5 कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल) में कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। इस मामले में पूरे दो वर्ष तक पत्राचार होता रहा और तब कहीं सितंबर, 1978 में संबंधित कनिष्ठ इंजीनियर को सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति मिल सकी।
- (15) भारतीय पुलिस सेवा के संघ राज्य क्षेत्रों के संघर्ष के एक अधिकारी ने जो कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर था तथा वहां दमाटेट के पद पर तैनात था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सितंबर, 1977 में संपर्क किया और बताया कि पदोन्नति के मामले में उसके साथ अन्याय हुआ है। उसी संघर्ष के उससे कनिष्ठ एक अधिकारी को जनवरी, 1977 में शिवायतकर्ता का अधिकरण करते हुए उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। यह मामला सितंबर, 1977 में गृह मंत्रालय को भेजा गया। बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद उस मंत्रालय ने पूरे 14 महिने तक उत्तर तक भेजने की चिन्ता नहीं की। अंत में नवंबर, 1978 में यह पता चला कि संबंधित अधिकारी को उच्च पद के सभी लाभ इस तारीख से दे दिए गए हैं जिस तारीख से उससे कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की गई थी।
- (16) सचिवालय सुरक्षा बल के एक सिपाही की विधवा पत्नी ने मई, 1978 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उसके पति की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसे सचिवालय सुरक्षा बल अथवा गृह मंत्रालय के अधीन किसी अन्य कार्यालय में अनुसूचित आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। यह मामला मुख्य सुरक्षा अधिकारी गृह मंत्रालय के पास भेजा गया जिसने जून, 1978 में हमें सूचित किया कि क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता एक अनुसूचित व्यक्ति है इसलिए गृह मंत्रालय में कोई उपयुक्त पद उनके लिए नहीं ढूंढा जा सका। वैसे, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान तथा पेंशन का शोध नियंत्रण कर दिया जाएगा। हमने उस मंत्रालय को दोबारा

लिखा तथा उन्होंने सितंबर, 1978 में बताया कि पारिवारिक पेंशन के मामले पर अंतिम निर्णय हो चुका है तथा गृह मंत्रालय में झाड़ूकश का एक पद उसे दे दिया गया है।

- (17) पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन भेजा कि घोषाघड़ी के अनेक मामलों का पता लगाने में सरकार के प्रति उनकी जफादारी के, और अधिकारियों के एक वर्ग को सतुष्ट रखने में उसकी अक्षमता के कारण उसे बार-बार स्थानांतरित किया जा रहा है। उसने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी जब उसके कर्तव्य फालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं ढूंढ सके तो उन्होंने उसकी बार-बार बदली करके उसे तंग करने की कोशिश की। यह मामला पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल को भेजा गया तथा लंबे पत्राचार के बाद संचार मंत्री द्वारा एक संसद सदस्य को लिखे गए पत्र की (उसने भी इस मामले को उठाया था) एक प्रति हमें भेजी गई है जिसमें मंत्री महोदय ने बताया है कि अभ्यावेदनकर्ता को बरासात में तैनात किया जा चुका है और पोस्ट मास्टर जनरल को सलाह दी गई है कि कर्मचारी को बार-बार स्थानांतरित न किया जाए। मंत्री महोदय का उत्तर इस बात को परोक्ष रूप में कबूल करता है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी को वास्तव में बार-बार स्थानांतरित किया जाता था। इसका श्रेय कर्मचारी के सतत प्रयत्नों को है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त सहित विभिन्न प्राधिकारियों के द्वार खटखटाता रहा और अपनी शिकायतों का समाधान करवा पाया। ऐसे हिम्मत वाले कितने कर्मचारी होंगे जो उच्च वर्गों से संबंध रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के इस प्रकार के आघातों का सामना कर सकते हैं, इसका मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है।
- (18) एस० एस० बी० बटालियन ने अनुसूचित जाति के एक पुलिस उप अधीक्षक ने जुलाई, 1978 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन दिया कि गृह मंत्रालय ने उपयुक्त तारीख से उसकी पुष्टि नहीं की है। उसने इस तथ्य का उल्लेख किया कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8-2-69 एस० सी० टी० (1) में पुष्टि और पदोन्नति दोनों के लिए आरक्षण का आदेश है। लेकिन उसके मामले में उसे अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए पुलिस उप अधीक्षकों की वरिष्ठता में मूल स्थिति के क्रम पर ही रखा गया था। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी पुस्तिका के परिशिष्ट 4 में निर्धारित 40 प्वाइंट माडल रोस्टर के आधार पर पुष्टि की जानी चाहिए थी। यह मामला मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया और उल्लिखित आदेश के आधार पर वे पुष्टि संबंधी आदेश में संशोधन करने के लिए जुलाई, 1978 में सहमत हो गए। 14 दिसंबर, 1978 का एक शुद्ध पत्र जारी किया गया जिसमें संबंधित अधिकारी को उपयुक्त आदेशों के अनुसार वरिष्ठता प्रदान कर दी गई।
- (19) मई, 1977 में एक संसद सदस्य ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार को पासोवा ट के एक सरकारी कालेज में नियुक्ति के अवसर से वंचित रखा गया। इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई जिन्होंने शुरू में अपने पक्ष का वचाव किया। फिर भी इस मामले पर आगे कार्रवाई की गई तथा दिसंबर

1977 में यह पता चला कि संबंधित व्यक्ति को उसी कालेज में नियुक्त कर लिया गया ।

- (20) दिल्ली प्रशासन के एक विद्यालय के एक दस्तकारी अध्यापक ने नवंबर, 1977 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अध्यावेदन दिया कि उसे चयन ग्रेड नहीं दिया गया है जब कि ग्राम वर्ग के चार अन्य अध्यापकों को यह ग्रेड पहले ही दिया जा चुका है । इस मामले को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया गया और एक लंबे पत्राचार के बाद हमें यह सूचित किया गया कि उस व्यक्ति अध्यापक को पूर्वव्यापी प्रभाव से, अर्थात् वर्ष 1971 से चयन ग्रेड दे दिया गया है ।
- (21) समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र के एक कनिष्ठ लिपिक ने जुलाई, 1976 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अध्यावेदन दिया कि उसे झूठ-मूठ एक सतर्कता के मामले में फंसाया गया है और उसक विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है जिससे उसकी पदोन्नति के प्रविध्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है । उसकी वेतन वृद्धि भी दो वर्ष के लिए रोक दी गई थी । इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई जिन्होंने अक्टूबर, 1978 में बताया कि इस मामले का महाराष्ट्र सरकार ने पुनरीक्षण किया था और संबंधित कर्मचारी को उसकी वेतन वृद्धि रोके जाने की जो सजा दी गई थी वह रद्द कर दी गई है । बाद में उसे उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नत भी कर दिया गया ।
- (22) नौ सेना मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को नवंबर, 1977 में बताया कि अपने भतीजे की मृत्यु हो जाने के कारण वह एक दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका और इसलिए उसकी सेवानुसमाप्त कर दी गई । उसने कार्यालय को समय पर सूचित भी कर दिया था । इस मामले में नौसेना मुख्यालय के लाजिस्टिकल सपोर्ट निदेशक को कहा गया कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें । उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति नैमित्तिक अवर श्रेणी लिपिक था और किसी प्रकार की छुट्टी का पालन नहीं था । एक अन्य कर्मचारी ने प्रसूति अवकाश के बाद ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया था तथा उसे काम पर लेने के लिए इस व्यक्ति की सेवानुसमाप्त करनी पड़ी । कार्रवाई जारी रखी गई और उन्हें यह बताया गया कि संबंधित व्यक्ति एक नियमित रिक्ति पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किया गया था इसलिए ऐसी व्यवस्था करना अनियमित था और इसमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है । नौ सेना मुख्यालय के प्राधिकारी अपने पूर्व निर्णय से जरा भी विचलित नहीं हुए । अंत में नौ सेना प्राधिकारियों से यह पूछा गया कि सरकार द्वारा फरवरी, 1977 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्य-प्रभारित पदों पर आरक्षण आदेश लागू न करने से क्या कारण थे यह सूचना इस कार्यालय में आने में लगभग तीन महिने लगे । वैसे, अक्टूबर, 1978 में यह पता चला था कि संबंधित व्यक्ति को एक वर्तमान रिक्ति पर नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक नियुक्त कर लिया गया था ।
- (23) महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को दिसम्बर, 1976 में यह अध्यावेदन दिया कि जिला निरीक्षक भूमि अभिलेख वर्धा के कार्यालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो कि अनुसूचित जाति का था, 16 वर्ष की लगतार सेवा के बावजूद पदोन्नत नहीं किया गया था । साथ ही यह भी आरोप था कि इस कार्यालय में वपत्तरियों

के संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त आरक्षण नहीं किया गया था । यह मामला संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा गया तथा उन्होंने हमें बताया कि संबंधित व्यक्ति को 4-1-1977 से बस्तावरदार के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ।

- (24) जुलाई, 1977 में अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने इस कार्यालय को यह अध्यावेदन किया कि दिल्ली नगर निगम ने अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया था लेकिन उसे नियुक्ति इस कारण नहीं दी जा रही थी कि उसके ग्यारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के मध्य प्रदेश बोर्ड के प्रमाण पत्र को दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने उच्चतर माध्यमिक के समतुल्य नहीं माना था । इस मामले में जुलाई, 1977 में सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्यप्रदेश से प्रमाण-पत्र की वैधता का स्पष्टीकरण मांगा गया । दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग से भी अनुरोध किया गया कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्पष्टीकरण आने तक बंधितरूप में इसी प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लें । एक लंबे पत्राचार के बाद दिल्ली नगर निगम ने अक्टूबर, 1978 में यह सूचित किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ग्यारहवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र को उच्चतर माध्यमिक के समतुल्य मान्यता दे दी है तथा संबंधित महिला को दिल्ली नगर निगम के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है ।
- (25) आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को नवंबर 1978 में अध्यावेदन दिया कि वरिष्ठता के आधार पर लेकिन योग्य होने पर उसे अगली पदोन्नति से वंचित रखने के अभिप्राय से जानबूझ कर उसकी वरिष्ठता में गड़बड़ की गई है । इस मामले के तथ्य मंगाए गए । तीन महिने बाद हमें यह बताया गया कि संबंधित व्यक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं तथा उसकी वरिष्ठता का तदनुसार पुन-नियतन कर दिया गया है ।
- (26) दिल्ली प्रशासन के अभिलेखाकार विभाग के एक अवर श्रेणी लिपिक ने जुलाई, 1978 में आयुक्त को बताया कि अष्टाचार रोधी शाखा द्वारा भेजी गई किसी रिपोर्ट के कारण अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है । मामले के तथ्य मंगाए गए तथा दिसंबर, 1978 में पता चला कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध अष्टाचार-रोधी शाखा द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए और इसलिए उसे सेवा में वापस ले लिया गया तथा यह निदेश दिए गए कि सेवा समाप्त और सेवा पर वापस लेने के बीच की अवधि को वेतन और भत्तों सहित सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी अवधि समझा जाएगा ।
- (27) एक कर्मचारी संघ ने फरवरी, 1976 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को बताया कि हिंदुस्तान लेटक्स लिमिटेड, द्विवेदम में आरक्षण आदेशों को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया जाता । संबंधित प्राधिकारियों से कार्रवाई करने पर पता चला कि हिंदुस्तान लेटक्स लिमिटेड का प्रबंध वर्ग आरक्षण नियमों का पालन केवल प्रारंभिक भर्ती के मामलों में ही कर रहा है । उन्होंने पदोन्नतियों में आरक्षणों की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रबंधक वर्ग और ट्रेड यूनियनों के बीच हुए समझौते से नियंत्रित होती हैं । मई, 1976 में हमने नए समझौते की एक प्रति मांगी जो उन्होंने खरी वक नहीं दी है । वैसे, अक्टूबर

1978 में दिनांक 1 मितंबर, 1971 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति तुरंत भेजी गई जिसके अनुच्छेद 4 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण संबंधी कोई उपबंध नहीं है। मितंबर, 1978 में प्रबंध वर्ग के ध्यान में यह बात लाई गई कि लोक उद्यम धूम्रों के 5 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या बी० पी० ई०/जी० एल० 013-मैन (6175) बी० पी० ई० (आई० सी०) के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अतः इस प्रकार का उपबंध जोड़ लिया जाना चाहिए और कर्मचारी यूनियन से यह आशा नहीं की जाती कि वे उन उपबंधों के पालन के संबंध में आपत्ति करें जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंधित सुरक्षणों से संबंधित हैं। प्राधिकारियों ने इस मामले में पूरे ढाई वर्ष का विलंब कर दिया है और इस बीच पिछले लगभग तीसरी अवधि भी समाप्त हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे अपने अगले समझौता-ज्ञापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपबंधों को जोड़ लेंगे।

(28) दिल्ली नगर निगम औषधालय के एक चिकित्सा अधिकारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से दिसंबर, 1976 में सम्पर्क कर यह बताया कि यद्यपि वह सभी अपेक्षित अर्हताएं पूरी करता था तथापि उसे आरक्षित कोटे में रेजिडेंट अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपेक्षित कर दिया गया। यह मामला दिल्ली नगरनिगम को भेजा गया लेकिन बार-बार अर्ध सरकारी अनुस्मारक पत्र भेजने पर भी दो वर्ष तक कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में नवंबर, 1978 में यह पता चला कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी को अक्टूबर 1977 से रेजिडेंट अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है।

(29) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय में कार्यालय उप अधीक्षक (स्तर 2) के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने मई, 1977 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से अप्पावेदन किया कि वे उसे कार्यालय उप अधीक्षक (स्तर 1) के पद पर पदोन्नति के लिए बार-बार उपेक्षित किया जा रहा है। इस कार्यालय ने संबंधित प्राधिकारियों को पत्र लिख कर उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि प्रथम श्रेणी के सबसे निचले पदों तक की पदोन्नति में आरक्षण आदेश लागू होते हैं। अतः संबंधित व्यक्ति के दावे को स्वीकार किया जाए। इस मामले पर अग्रे कार्रवाई की गई और अंत में लगभग एक वर्ष बाद यह पता चला कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने निदेशालय को ये अनुदेश जारी कर दिए हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर संबंधित व्यक्ति को पदोन्नति करने के मामले पर विचार किया जाए।

(30) जैसा कि वर्ष 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 3.127 (34) में पहले ही बताया जा चुका है भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी को सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति देने से दो वर्ष तक वंचित रखा जा रहा था क्योंकि वह अपनी तैनाती दिल्ली में चाहता था और मुख्य कार्यालय में रिक्ति भी उपलब्ध थी। दिल्ली में तैनाती मांगने के उसके कारण ये थे कि उसकी पत्नी एक स्थानीय अस्पताल में स्टाफ नर्स थी और उनके बच्चे दिल्ली के विद्यालयों में पढ़ रहे थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का यह विचार था कि पदोन्नति

स्वीकार न करने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसी कर्मचारी को पदोन्नति से विवर्जित कर देना किसी बंध कारण बिना सजा देने के बराबर है क्योंकि किसी कर्मचारी को हमेशा यह विकल्प है कि वह पदोन्नति को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यह भी महसूस किया गया कि भारतीय खाद्य निगम का निर्णय सुस्थापित नीति के प्रतिकूल था क्योंकि वर्तमान मामले में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को दिल्ली से बाहर तैनाती होने से भारी आर्थिक हानि हो रही थी। पदोन्नति के लिए सहमत हो जाने पर या तो उसे बी. जगद्वर रखना पड़ता था फिर परिवार को अपने साथ ले जाना पड़ता जिसका परिणाम यह होता कि वह अपनी पत्नी का वेतन खो बैठता तथा उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा में बाधा पड़ जाती। हमने भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में यह बात कई बार लाई कि भारत सरकार को यह नीति है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक, मातामजिक तथा शैक्षिक स्तरों को ऊपर उठाया जाए तथा इसी पृष्ठभूमि में उन्हें सभी सुविधाएं/विशेषाधिकार दिए गए हैं। यह निवेदन किया गया कि ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी कर्मचारी की पत्नी/पति ऐसे स्थान पर काम कर रहे हों जहां रिक्ति भी उपलब्ध हो तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित कर्मचारी को पदोन्नति देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे निश्चय ही उनका आर्थिक स्तर उंचा उठेगा और इसके साथ-साथ उसे अन्य लाभ भी मिल सकेंगे। अप्रैल, 1979 में भारतीय खाद्य निगम ने यह अंतिम उत्तर भेजा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक अन्य कर्मचारियों ने दिल्ली में ही रहने के लिए अपनी पदोन्नतियों छोड़ी हैं, इसलिए स्थानांतरण और पदोन्नति की नीति को बदलना वांछनीय नहीं समझा गया है। हमें खेद है कि हम ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम को नहीं मन्त्रा पाए। हमारे विचार से इन जातियों के ऐसे मामले कभी कभीर ही तथा काफी अंतराल के बाद देखने को मिलते। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति पर स्थानांतरण करने की नीति में एक सीमित उद्देश्य के लिए शिथिलता न बरतने संबंधी ऐसे कड़े रूख पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

(31) केंद्रीय जल आयोग, ऊधमपुर में चपरासी के पद पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से अप्रैल, 1978 में सम्पर्क कर यह आरोप लगाया कि अपनी पत्नी का जम्मू में इलाज करवाने के लिए अपनी वहां बदली करवाने के मामले में अधीक्षक इंजीनियर के रुख में बदले की भावना है। इस मामले को केंद्रीय जल आयोग में भेजा गया तथा नवम्बर 1978 में यह पता चला कि सम्बन्धित कर्मचारी की बदली के आदेश जारी हो चुके हैं। बाद में, यह पता चला कि सम्बन्धित अधीक्षक इंजीनियर की उदासीनता के कारण बदली आदेशों को नत्काल लागू नहीं किया गया। यह देख कर प्रसन्नता होती है कि मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग ने सम्बन्धित अधीक्षक इंजीनियर के इस रवैये पर गंभीर रुख अपनाया और उसे एक कड़ी चेतावनी दी कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को तंग करना बन्द कर दे।

(32) उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क के निरीक्षण निदेशालय के एक आशुलिपिक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के आयुक्त से अगस्त, 1976 में अभ्यावेदन किया कि महाधक के पद पर पदोन्नति के मामले में उसे उनके एक कनिष्ठ व्यक्ति ने अधिकृत किया है। इस मामले को उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के साथ उठाया गया। लम्बे पत्राचार के बाद प्राधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि अभ्यावेदन का अधिकरण गलती से हुआ है तथा यह बताया कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी की पदावधि करके और अभ्यावेदक को पदोन्नति देकर इस गलती को सुधार लिया गया है। चूंकि अभ्यावेदक की देर से की गई पदोन्नति के कारण वह किसी अन्य उच्च श्रेणी विधिक अथवा आशुलिपिक से वास्तव में कनिष्ठ नहीं हुआ था अतः उसकी वरिष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(33) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कनिष्ठ इंजीनियर ने दिसम्बर, 1977 में इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा कि केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1964 के नियम 21(2) का उल्लंघन करके दूसरी शादी करने पर उसे सेवा से हटाए जाने की सजा दी गई थी। अभ्यावेदक का दावा था कि उसकी दूसरी शादी उसके समाज की प्रथाओं के अनुरूप थी तथा उसने पहले ही अपनी पहली पत्नी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया था और दूसरी शादी ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुज्ञेय थी। इन मामलों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास भेजा गया जिन्होंने जनवरी, 1978 में यह सूचित किया कि सजा के विरुद्ध की गई उसकी अपील को इंजीनियर-इन-चीफ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच की जा रही है। मई 1978 में यह पता चला कि उचित जांच के बाद उसकी अपील को अस्वीकार कर दिया गया है। फरवरी, 1979 में इस मामले पर फिर कार्रवाई की गई तथा मार्च 1979 में यह ज्ञात हुआ कि निर्माण व आवास मंत्रालय द्वारा उसकी अपील पर फिर से विचार करने पर उसे वापस सेवा में ले लिया गया है तथा विभागीय पदोन्नति समिति ने उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार करके उपयुक्त तारीख से उसे पदोन्नति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(34) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के एक कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने जनवरी, 1979 में इस कार्यालय से सम्पर्क करके वह बताया कि वह तदर्थ आधार पर एक पद पर कार्य कर रहा था। तथा एक ग्राम वर्ग के व्यक्ति को स्थान देने के लिए उसे उस पद से नाहक प्रत्यावर्तित कर दिया गया। इस मामले में शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से कार्रवाई की गई और मार्च, 1979 में यह पता चला कि अभ्यावेदन सतर्कता के एक मामले में फंसा था तथा उसे गत समय किए गए दुराचार के लिए एक अभिलिखित चेतावनी दी गई थी। उसे नियमित आधार पर इसलिए पदोन्नति नहीं किया जा सका कि उपर्युक्त कारणों से उसे सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया था। इस मामले

में फिर उसी मंत्रालय से कार्रवाई की गई और उन्हें बताया गया कि चेतावनी को किसी प्रकार की सजा नहीं माना गया है और इसलिए सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र देने में उपर्युक्त चेतावनी उसके रास्ते में बाधक नहीं बननी चाहिए थी। साथ ही, यदि वह चेतावनी उसे उक्त पद पर तदर्थ आधार पर चलते रहने में बाधक नहीं बनी तो नियमित आधार पर नियुक्ति करते समय यह हीवा खड़ा करना अनुचित था। अन्त में 1 अगस्त 1979 में हमें यह बताया गया कि सम्बंधित व्यक्ति को कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उसने 19 जूलाई, 1979 से अपना पद सम्भाल लिया है।

(35) अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार ने जिसे महाराष्ट्र सरकार ने उप निरीक्षक (पुलिस) के पद के लिए सितम्बर, 1976 में चुन लिया था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को सितम्बर 1978 में अभ्यावेदन भेजा कि उसे एक पुलिस कर्मचारी द्वारा रूके गए पड़्यन्त का शिकार बनाया गया है। उसने शिकायत की कि सम्बंधित पुलिस कर्मचारी ने उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 506 और 34 के अधीन एक फर्जी अपराध के मामले में फंसा दिया है क्योंकि इस पद की चयन परीक्षा में उस कर्मचारी को अपने पुत्र का चयन नहीं हुआ था। उसने यह भी निवेदन किया था कि उक्त मामला झूठा है और उसे पूर्ण विश्वास है कि वह न्यायालय द्वारा अन्ततः दोषमुक्त कर दिया जाएगा। वह लिखित रूप में यह वचन देने का भी तैयार था कि यदि न्यायालय उसे दोषी सिद्ध कर देगी तो वह प्रशिक्षण के दौरान उस पर हुए खर्च को वापस कर देगा। लेकिन उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि पुलिस उप निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के इस प्रकार के चयन को अपराध के मामलों का फंसला होने तक आस्यगित रखने की कोई प्रथा नहीं है। इस मामले में उक्त व्यक्ति को अगस्त, 1978 में सभी आरोपों से दोष मुक्त घोषित कर दिया गया लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए पक्ष के कारण वह उस उत्तम अवसर का लाभ नहीं उठा सका जो उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जीवन में मिला था।

(36) विमान पत्तन अधिकारी, सिविल विमान पत्तन, वाराणसी के अधीन कार्यरत एक फायर फौरमैन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से दिसम्बर 1978 में सम्पर्क करके बताया कि उसका एक वरिष्ठ अधिकारी जातीय पूर्वाग्रहों के आधार पर उसे अनावश्यक तंग कर रहा है। क्षेत्रीय निदेशक, सिविल विमानन से इसकी रिपोर्ट मांगी गई जिसने नवम्बर, 1979 में यह सूचित किया कि कदाचार के लिए जिम्मेदार उस अधिकारी को चेतावनी दे दी गई थी कि वह सावधानी बरते और अपने आचरण में सुधार करे, अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। छः महीने तक उसका प्रेषण भी किया जाता रहा।

आर्थिक विकास

सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सानाधिक और अधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजनाओं पर किए गए खर्च के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी जा रही है :-

(करोड़ रुपये में)

| योजना | अनु- सूचित जातियों | अनु- सूचित जनजातियाँ | अन्य पिछड़े समुदाय | स्वैच्छक संगठन | योग |
|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पहली योजना | 7.08 | 19.83 | 3.13 | .. | 30.04 |
| दूसरी योजना | 27.48 | 42.92 | 8.14 | 0.87 | 79.41 |
| तीसरी योजना | 37.78 | 51.05 | 9.82 | 1.75 | 100.40 |
| 1966-69 | 26.47 | 34.54 | 6.75 | 0.74 | 68.50 |
| चौथी योजना | 61.12 | 80.89 | 22.33 | 2.00 | 166.34 |

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

4.2 केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्न प्रकार की स्कीमें चालू की गई हैं: मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; अस्वच्छ पेशों में लगे

लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति; आयुर्विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक; लड़कियों के लिए होस्टल; कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीमें; अनुसंधान तथा प्रशिक्षण; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए तंत्र-व्यवस्था तथा स्वैच्छक संगठनों को सहायता; अनुसूचित जातियों के लिए विकास निगमों को वित्तीय सहायता। इसके अतिरिक्त, आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है।

4.3 पांचवी योजना* की अवधि (1974-78) के दौरान 58.68 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जब कि इस प्रयोजन के लिए पांचवी योजना में 110.15 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस अवधि में आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 119.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसकी तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्रारूप में पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अन्तर्गत 185.00 करोड़ रुपये का तथा आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 350.00 करोड़ रुपये का अस्थायी नियतन किया गया था। पांचवी योजना अवधि (1974-78) 1977-78 और 1978-79 के दौरान जिस परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और जो खर्च किया गया था तथा 1979-80 के लिए सिफारिश किए गए परिव्यय का व्यौरा निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

| क्रम संख्या | कार्यक्रम | पांचवी योजना (1974-78) के दौरान किया गया खर्च | 1977-78 में किया गया खर्च | 1978-78 में प्रत्याशित खर्च | पंचवर्षीय योजना में अस्थायी परिव्यय 1978-83 | 1979-80 के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय |
|----------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 52.21 | 15.76 | 20.00 | 130.00 | 14.60 |
| 2 | @अस्वच्छ पेशों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 2.50 | 0.31 |
| 3 | @आयुर्विज्ञान और इंजिनियरिंग के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक | — | — | 0.50 | 2.50 | 0.30 |
| 4 | @लड़कियों के लिए होस्टल | 2.70 | 0.88 | 0.93 | 5.00 | 1.45 |
| 5 | @कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीमें | 0.94 | 0.23 | 0.37 | 3.00 | 0.50 |
| 6 | @अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 0.82 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 9.50 |
| 7 | @नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए तंत्र-व्यवस्था | 0.18 | 0.15 | 0.50 | 10.00 | 2.00 |
| 8 | स्वैच्छक संगठनों को सहायता | 1.82 | 0.49 | 0.80 | 5.00 | 1.00 |
| 9 | @अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय विकास निगम | .. | .. | 0.50 | उपलब्ध नहीं | 10.00 |
| | कुल योग | 58.68 | 17.72 | 24.05 | 160.00 | 30.66 |
| | आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 119.31 | 55.00 | 70.00 | 350.00 | 70.00 |

* पांचवी योजना का क्रियान्वयन एक वर्ष पूर्व खत्म कर दिया गया था।

@ यह उन स्कीमों को इंगित करता है जिनके लिए 1979-80 में केन्द्र और राज्यों के बीच सहसहायिता के आधार पर बिल लगाने की बात है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

4.4 केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत सबसे अधिक लाभदायक स्कीमों में से एक स्कीम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देना है। 1976-77 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 3.17 लाख और 59,147 छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ दी गईं। 1977-78 में अनुमान है कि अनुसूचित जातियों को 3.52 लाख छात्रों ने और अनुसूचित जनजातियों

के 64,816 छात्रों ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कीं। आशा है कि 1979-80 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 4.26 लाख और 78,426 छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। अस्वच्छ पेशों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ।

4.5 जहाँ तक अस्वच्छ पेशों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देने का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम छठी से दसवीं कक्षाओं

(हफ्ते लाखों में)

पढ़ने वाले बच्चों के लाभ के लिए 1977-78 में अपनाया गया और मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में एक लाख रुपये खर्च हुए।

लड़कियों के लिए होस्टल

4.6 तीसरी योजना-अवधि में लड़कियों के लिए होस्टल बनाने की स्कीम चालू की गई और अनुसूचित जातियों के लिए कुछ चुने हुए होस्टलों को सहायता अनुदान दिए गए। 1974-75 में इस स्कीम को सुधारा गया। 1978-79 तक 805 होस्टल भवन के पूरा होने या करीब करीब पूरा होने की सूचना दी गई। पांचवी योजना अवधि में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 2.70 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। उपर्युक्त तीनों स्कीमों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में अन्य स्थान पर दिया गया है।

कोचिंग और सम्बद्ध स्कीमों

4.7 कोचिंग और सम्बद्ध स्कीमों तीसरी योजना अवधि से लागू रही है। तब से इस स्कीम को बराबर बढ़ाया जाता रहा है और 1977-78 में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 37 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए 21 केंद्र चल रहे बताए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 7 केंद्रों पर, राज्य सिविल सेवाओं के लिए 12 केंद्रों पर और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए 2 केंद्रों पर उम्मीदवार तैयार किए जाते हैं। पांचवी योजना अवधि में इस सम्बन्ध में 94 लाख रुपये खर्च किये गए।

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

4.8 1953-54 से भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान देती रही है। यह बताया गया है कि 1978-79 में इस कार्यक्रम पर 80 लाख रुपये खर्च हुए।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र-व्यवस्था

4.9 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र-व्यवस्था के सम्बन्ध में पांचवी योजना अवधि में 18 लाख रुपये खर्च किए गए। यह अनुभव किया जाता है कि अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध जैसे—अनुसंधान एवं सर्वेक्षण; पुलिस दलों के गठन, चलते-फिरते न्यायालय; जांच मशीनरी आदि अपूर्यता निवारण में ठोस मदद कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ गैर-सहकारी संगठनों का भी इसमें सहयोग लेना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के लिए निगमों को वित्तीय सहायता

4.10 अनुसूचित जातियों के लोगों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए हाल ही में राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता देने की नई स्कीम चालू की गई है। 1978-79 के दौरान, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता देने के लिए शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

राज्य क्षेत्र की स्कीमों

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर किया गया खर्च

4.11 1976-77 और 1977-78 के दौरान किए गए समूचे खर्च तक 1978-79 के दौरान किए गए आवंटन और खर्च के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना निम्न सारणी में दी गई है:—

| क्रम संख्या | श्रेणी | क्रिया गया खर्च | | 1978- | 1978- |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | 1976-77 में | 1977-78 में | 79 के लिए आवंटन | 79 में किया गया अंतरिम खर्च |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अनुसूचित जातियाँ | 2509.32 | 2129.38 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 2 | अनुसूचित जनजातियाँ | 1184.73 | 1281.84 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 3 | अन्य पिछड़े वर्ग | 480.16 | 325.60 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| जोड़ | | 4174.21 | 4993.82 | 7173.64 | 6898.55 |

4.12 1976-77 और 1977-78 के दौरान उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के सम्बन्ध में किए गए खर्च और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी राज्यवार उपलब्ध सूचना और पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अन्तर्गत 1978-79 में अनुमोदित परिव्यय और किए गए अंतरिम खर्च की समूची सूचना परिशिष्ट 40 पर विवरण संख्या 1 से 9 में देखी जा सकती है।

ठोक समय पर प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना

4.13 हमारा यह अनुभव रहा है कि अधिकांश राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट भेजने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती हैं। आयुक्त की 1958-59 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारें निर्धारित तारीख तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इन रिपोर्टों में स्कीम को हर मद पर किया गया खर्च, स्कीम का स्थान, स्कीम को कार्यान्वित न करने या उसके आंशिक कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कारण और स्थिति को सुधारने के लिए लड़ाए गए कदमों को शामिल करना चाहिए। 1960-61 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र में इस बात के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाए जो लोगों की तितान्त आवश्यकताओं का पता लगाए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधिवत और समूचित योजना तैयार करें और साथ साथ कार्मिकों की व्यवस्था करके पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी को सुनिश्चित करें, स्वीकृत कार्यक्रम की हर महीने की प्रगति पर निगरानी रखें और सम्बन्धित व्यक्तियों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें। इस बात पर भी बल दिया गया था कि प्रकोष्ठ उन कठिनाइयों का भी पता लगाए जो कार्यक्रमों के ठोक समय पर कार्यान्वित होने में बाधा डालती हैं, उनके समाधान के लिए सुझाव दें, भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करें और सही ढंग से प्रगति रिपोर्ट तैयार करें ताकि अवधि विशेष के दौरान हुई प्रगति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यह भी सुझाव दिया गया था कि वर्ष के विलकुल अन्तिम भाग में तेजी से खर्च करने से बचा जाए। पूरे साल में समान गति से खर्च करते रहने की बात होनी चाहिए। 1963-64 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि तत्कालीन समाज सुरक्षा विभाग ऐसे मामलों को गम्भीरता से ले जहाँ खर्च न हुई राशि को राज्य सरकारों ने अपनी प्रगति रिपोर्टों में वास्तव में खर्च की गई राशि के रूप में दिखाया था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों से वास्तव में उठाए जाने वाले लाभ

4.14 यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित की जानेवाली बहुत सी स्कीमों का लाभ पुरी तरह इन समुदायों को नहीं पहुंचा है। आयुक्त की 1970-71 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इस समस्या की व्यापकता और इसके बड़े महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया था कि यह उचित समय है कि कम से कम समय के भीतर इन समुदायों को देश के सामान्य स्तर पर लाने के सम्बन्ध में तुरंत कार्रवाई करने की दृष्टि से सम्पूर्ण समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाए। इस बात पर भी बल दिया गया था कि अगर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुचित विकास के सम्बन्ध में अग्रता के आधार पर अति सूधारवादी उपाय नहीं किए जाएंगे और सही दिशा में सभी प्रयत्न नहीं किए जाएंगे तो यह समस्या भयंकर रूप धारण कर लेगी। आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पहले यह अनुभव करें कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्या समाज के किसी खास वर्ग की ही नहीं है बल्कि यह गम्भीर प्रकार की प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है जिसका सम्बन्ध मानवजाति के गौरव और विकास से है। इस प्रकार इसे समान गम्भीरता, गुस्सा एवं तीव्रता के साथ मुलज्ञान की आवश्यकता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग के इन लोगों को कम से कम समय में देश के सामान्य स्तर पर लाया जा सके।

4.15 1974-75 की रिपोर्ट में यह विषय रूप से उल्लेख किया गया था कि हम अभी सही अर्थ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में काफी पीछे हैं और इस प्रकार हमने अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप हमारे भाइयों का एक बड़ा समुदाय अत्यंत दयनीय, विस्मयकारी और अधोमानवीय हावत में जीवन यापन कर रहा है। यह सुझाव दिया गया था कि बड़े-बड़े आदिवासी क्षेत्रों में उचित स्थानों पर छोटे-छोटे नगर जैसे ढंग से बसाएँ और विकसित किए जाएँ कि ये नगर बाजार केन्द्र के रूप में ही काम न करें बल्कि वहाँ उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केन्द्र हों, होस्टल सुविधा के साथ उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो तथा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ साथ इनके आस-पास लघु तथा मध्यमवर्ग की औद्योगिक यूनिटें कायम की जाएँ जिससे कि उन लोगों को स्वयं रोजगार तथा अन्य रोजगार के अवसर मिल सकें और विशेषकर शिक्षित लोगों को तथा उन लोगों को जो खेती पर निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे नगरों को संचार सुविधाओं से अच्छी प्रकार जोड़ देना चाहिए जिससे कि इनमें उपलब्ध सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पहले की पंचवर्षीय योजनाओं में जो नियोजित ढंग से प्रयत्न किए गए थे उनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन-स्तर को उठाने में काफी मदद मिलने और अन्य वर्गों के लोगों के साथ उन्हें भी समाज में उचित स्थान मिलना सुनिश्चित होने की आशा थी। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उनसे इन आशाओं पर तुभारपान हुआ है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आधारभूत समाजाधिक उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक और अफसरशाही के स्तर पर इसके लिए प्रबल इच्छा हो और साथ-साथ क्षेत्रों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी एजेंसियां कायम की जाएँ। कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से सभी समुदायों का सहयोग भी आवश्यक होगा।

4.16 पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्रारूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से

संबंधित स्थिति का सही ढंग से उल्लेख किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि गरीबी और असमानता जो अनेक वर्षों से अपरिवर्तित रूप में बनी हुई है, उसे समाज के दो सुविधा-विहीन वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जीवन-दशाओं में देखा जा सकता है। सरलता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में की गई विभिन्न सिफारिशों को सही उत्साह से कार्यान्वित किया गया होता तो जैसा योजना आयोग का कहना है इन समुदायों की आर्थिक स्थिति लगभग अपरिवर्तित न रही होती।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बहुत ही पिछड़े वर्गों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से उठाए गए लाभ

4.17 यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ सामान्यतः इन समुदायों के सम्पन्न वर्गों को मिलता है और इन समुदायों के बहुत ही पिछड़े वर्गों के लोगों को जिन्हें इसकी जरूरत है, इन कार्यक्रमों से कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। अतः आयुक्त की 1962-63 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि राज्यों में जो लोग कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसमुदाय के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ तत्काल ध्यान दिया जाए। आयुक्त की 1966-67 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य जनसमुदाय और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबन्ध में क्या हो रहा है, इसका सही चित्र प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में एक छोटा सा जांच प्रकॉष्ठ कायम किया जाना चाहिए जो यह सूचना एकत्र करे कि जन-समुदाय के विभिन्न स्तरों के बीच किस प्रकार धन्धे बदल रहे हैं। इस बात की भी सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मध्य भी निर्धनतर और उससे भी निर्धनतर वर्ग तथा उपेक्षित और उससे ज्यादा उपेक्षित वर्ग हैं, अतः इन वर्गों के उत्थान के लिए एक ही प्रकार के कार्यक्रम समान रूप से लागू नहीं हो सकते। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अलग अलग वर्ग के लिए अलग-अलग कार्यक्रम बनाए जाएँ। यह सुझाव दिया गया कि इसे करने के लिए एक रास्ता यह है कि इन वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने से पूर्व उनकी एक सूची बना ली जाए जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात पर आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में पुनः बल दिया गया था।

4.18 अपनी 1975-77 की रिपोर्ट में आयुक्त ने यह कहा था कि हमारी योजना प्रणाली के लिए वास्तव में यह शोभाजनक बात नहीं है कि अभी भी अनुसूचित जनजातियों में कुछ समुदाय आदिम जनजाति माने जाते हैं और अलग-थलग पहाड़ी भागों में बगे हुए बहुत ही निम्न स्तर का जीवन बिना रहे हैं। अतः यह वांछनीय है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मध्य सबसे अधिक पिछड़े समुदायों को पहचाना जाए और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके लिये विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएँ।

सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से अनुसूचित जातियों के लिए निधियों की मात्रा का निर्धारण

4.19 निश्चयन प्रक्रिया में यह माना गया था कि पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के लिए बनाए गए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के

विकास के लिए सामान्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सम्पूर्ण विकास प्रयत्नों के अनुपूरक मात्र होंगे। इस संबंध में आयुक्त की 1966-67 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि विभिन्न पंच-वर्षीय योजनाओं में पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में किए गए प्रावधान केवल अनुपूरक के रूप में थे न कि उन्हें सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का स्थान ले लेना था। अतः यह सुझाव दिया गया कि स्कीमों को बनाते समय, केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न स्कीमों के संचालन के लिए बनाए जाने वाली प्रक्रियाओं में ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु निधि निश्चित कर देनी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस निर्णय के अनुसार वास्तव में कार्रवाई करने की दिशा में कभी भी संबंधित प्राधिकारियों में से अधिकांश द्वारा कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किए गए। इसका परिणाम यह रहा कि पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में अन्तर्गत अधिकांशतः जो अपर्याप्त कार्यक्रम अपनाए गए उन्हीं को इन वर्गों के विकास का मार्ग समझ लिया गया और विकास के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लाभ से वे बराबर वंचित रहे। पहचानने योग्य कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप निधि की मात्रा निर्धारित करने और उन आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को ढालने की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया।

4.20 छठी पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों लगभग समाप्त होने वाले हैं परन्तु अनुसूचित जातियों को सामान्य क्षेत्र की स्कीमों से कोई विशेष लाभ केवल इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि संबंधित प्राधिकारों मात्रा निर्धारित करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतोषजनक क्रियाविधि नहीं बना पाए हैं।

4.21 आयुक्त की वर्ष 1971-73 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ अपर्याप्तताओं की ओर ध्यान दिखाने का अर्थ यह नहीं था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए कुछ किया ही नहीं गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियों का उल्लेख इस बात का प्रचुर प्रमाण है कि इस दिशा में कदम उठाए गए थे और अब भी उठाए जा रहे हैं। इन समुदायों की शिक्षा के क्षेत्र में सुस्पष्ट प्रगति, उनके लिए आरक्षित किए गए पदों को भरे जाने, वित्तीय विकास और आवासीय निगमों को चालू किए जाने, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं और आदिवासी विकास निगमों के खोले जाने, आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार करने और इसी प्रकार के कई अन्य उपायों से विदित होता है कि इस दिशा में कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं। तथापि प्रश्न यह था कि इस अति विशाल कार्य को देखते हुए उसकी तुलना में चारों ओर फैले हुए इतनी बड़ी संख्या के पिछड़े लोगों के उत्थान की इस वृहत् समस्या को सुनझाने के लिए क्या अब तक उठाए गए वे कदम पर्याप्त थे। आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि यद्यपि राज्य सरकारों ने सामान्य क्षेत्र की निधियों का आवंटन करते हुए कुछ राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आरक्षित की परन्तु उनके द्वारा सामान्य क्षेत्र में से खर्च की गई वास्तविक रकम का विवरण उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया था कि राज्य के हरिजन/समाज कल्याण विभागों से यह आशा की जाती थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सामान्य क्षेत्रों के विभिन्न विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए धन राशि अलग से नियंत्रित करते हैं।

4.22 इस संबंध में आयुक्त की वर्ष 1960-61 और 1962-63 की रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रहे विभागों और सामान्य विकास कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर एक प्रभावी समन्वय होना चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य कर रहे कल्याण विभागों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए एक सतर्क रखवाले के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के इन कमजोर वर्गों को सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त हों। यह भी सुझाव दिया गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित केन्द्रीय समन्वय समिति को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों को योजना के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत कितना लाभ मिला है तथा उसे ऐसी मणोरती भी बनानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्गों की ओर उनके उत्थान के लिए तुरंत ध्यान दिया जाए। वर्ष 1961-62 की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों, ग्रामीण उद्योगों के अन्तर्गत मार्गदर्शी (पाइलट) परियोजनाओं और स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रमों आदि के लिए योजना आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं में से राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त स्कीमों बनाई जानी चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त लाभ मिल सके।

4.23 आयुक्त की वर्ष 1963-64 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार के स्तर पर भी, सामान्य कार्यक्रमों के अंग के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनकी प्रत्येक स्कीम में निधियों का एक निश्चित प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए अलग रखा जाना चाहिए। अगले वर्ष की रिपोर्ट में भी इस बात पर बल दिया गया था कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि अपने सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निधियां सुरक्षित करने के निर्णय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाता है।

आदिवासी उप-योजनाएं

4.24 यहां यह उल्लेख कर दिया जाए कि पांचवी योजना के दौरान 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आदिवासी उप-योजनाएं तैयार की गई थीं और 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले विकास खंड अंकित किए गए थे। इस समय आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 65 प्रतिशत आ जाता है। आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को 179 परिचालन इकाइयों में विभाजित किया गया है जिन्हें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कहा जाता है। प्रत्येक परियोजना में संबंधित आदिवासियों की समस्या की पहचान की जाती है तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की अर्थव्यवस्था अधिकतर राज्य योजनाओं से मिली धनराशियों से होती है, कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध हुई निधियों से होती है। इस प्रकार जहां तक आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है अनुसूचित जनजातियों को विशेष

केन्द्र बिन्दु मानकर आदिवासी क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास में सामान्य क्षेत्र उन्को सहायता प्रदान कर रहे हैं। तथापि कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने अभी भी आदिवासी उप-योजनाओं के लिए कोई पृथक व्यवस्थाएँ नहीं की हैं।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएँ

4.25 योजना आयोग और केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए थे कि वे विभिन्न क्षेत्रों की उन स्कीमों की पहचान करें जिनसे अनुसूचित जातियों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ प्राप्त हो सकेगा और सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रत्येक योजना में वे वित्तीय और भौतिक लक्ष्य निर्धारित करके अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएँ बनाएँ। इसका अभिप्राय यह था कि इस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से पर्याप्त धन राशि अनुसूचित जातियों के एक महत्वपूर्ण अंश के विकास, विशेषकर आर्थिक विकास, के लिए अनुसूचित जातियों

के विभिन्न मुख्य व्यावसायिक वर्गों जैसे खेतिहर मजदूरों, चर्मकारों और अन्य शिल्पकारों, सीमान्त और लघु कृषकों और महिला विकेंद्रित मजदूरों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से, मिलती रहे और उससे अनुसूचित जातियों को निर्धनता रेखा पार करने में सहायता मिल सके। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएँ बनानी चाहिए तथा योजना आयोग और गृह मंत्रालय को इस मामले के पीछे पड़ना चाहिए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएँ तैयार की हैं। यह सिफारिश की जाती है कि शेष राज्य सरकारें भी अनुसूचित जातियों के लिए शीघ्र विशेष संघटक योजनाएँ तैयार करें। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त की गई निधियों के विषय में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है।

(रूपरे करों में)

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | कुल परिव्यय | | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना का अंश | | पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय | |
|-------------|--------------|-------------|---------|--|-------------|--|-------------|
| | | 1978-83 | 1979-80 | 1978-83 | 1979-80 | 1978-83 | 1979-80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | के दौरान | | के दौरान | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2500.00 | 421.50 | 230.48 | 30.94 | 77.50 | 7.69 |
| 2 | असम | उपलब्ध नहीं | 129.35 | उपलब्ध नहीं | 4.37 | उपलब्ध नहीं | 14.00 |
| 3 | बिहार | 2073.65 | 356.85 | उपलब्ध नहीं | 5.36* | 28.00 | उपलब्ध नहीं |
| 4 | गुजरात | 2440.00 | 392.00 | 46.31 | 9.06 | 42.00 | 8.60 |
| 5 | हरियाणा | 1450.00 | .. | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 5.50 | 0.66 |
| 6 | कर्नाटक | 1952.00 | 299.00 | 188.00 | 46.00 | 40.00 | 4.50 |
| 7 | केरल | 1113.00 | 159.47 | 20.90† | 7.49 | 10.00 | 6.60 |
| 8 | महाराष्ट्र | 400.00 | 76.50 | 164.85 | 30.84 | 35.15 | 7.60 |
| 9 | उड़ीसा | 1125.00 | 19.42 | उपलब्ध नहीं | 4.64 | 10.00 | उपलब्ध नहीं |
| 10 | पंजाब | 1500.30 | 260.00 | 38.32 | 6.06 | 22.30 | 2.64 |
| 11 | राजस्थान | 1750.00 | 275.00 | 43.18 | 7.44 | 3.60 | 0.45 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 4600.00 | 690.00 | 684.90 | 27.68 | 48.08 | .. |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 2200.00 | 450.00 | उपलब्ध नहीं | 27.45 | 19.31 | 2.10 |

*केवल 12 क्षेत्रों के सम्बंध में।

†अन्तरिम आंकड़े।

4.26 छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं की नीति को विकसित कर लिया गया है। तथापि यह अनुभव किया जा रहा है कि अकेले इससे काम नहीं चलेगा। यह आवश्यक है कि प्रभावी सोनोटीरिंग और मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं जो यह देखें कि जो निधियाँ जिस उद्देश्य के लिए रखी गई हैं क्या उन्हें वास्तव में उन्हीं पर खर्च किया जा रहा है। केवल सांख्यिक आडिट तथा समवर्ती सोनोटीरिंग जिसमें क्षेत्र स्तर का सोनोटीरिंग शामिल है, यह सुनिश्चित कर सकें कि इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सहायता की जानी चाहिए। यह भी वांछनीय है कि जैसा आदिवासी उपयोजनाओं के लिए किया जा रहा है वैसे ही अनुसूचित जातियों के लिए अलग दी गई विशेष संघटक निधियों को प्रत्येक बजट शीर्ष के अन्तर्गत उप-बजट शीर्ष में रखा जाए और इन निधियों के

लिए भी यह व्यवस्था कर दी जाए कि न उन्हें किसी अन्य काम में लगाया जा सकेगा और न उन्हें व्ययगत होने दिया जाएगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जैसा कि आदिवासी उप-योजनाओं के लिए किया गया है, वैसे ही योजना आयोग प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं की एक वांछनीय स्तर तक ताने के लिए राज्यों को काफी मात्रा में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करे और इसके लिए मौजूदा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रतीक्षा न की जाए। अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को एक अध्ययन चल गठित करना चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व रहे।

4.27 यह अनुभव किया जाता है कि विशेष संघटक योजना में सम्मिलित की गई स्कीमों के संदर्भ में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लक्ष्य-समूहों में अनुसूचित जाति के लोगों का क्या अनुपात है। उन योजना-स्कीमों की पहचान करना संभव होगा जिनमें अनुसूचित जातियों को लाभ प्राप्त हो सकता है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उन स्कीमों में उचित संशोधन भी किया जा सकता है या उनकी विस्तार बढ़ती जा सकती है। अनुसूचित जाति के विभिन्न व्यवस्थापकों की आवश्यकता पर विचार करके नई योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत परिवारों के अनुकूल स्कीमों में सामान्यतः 50 प्रतिशत सहायकी का प्रतिदान रहा है—जब कि एस० एफ० डी० ए० और एस० एफ० ए० एल० के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक की सामान्य सहायकी लागू रही है। यह अनुभव किया जाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए भी 50 प्रतिशत सहायकी आवश्यक है जिसे निश्चयता से नीचे वाले हिताधिकारियों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है और उन्हें 25 प्रतिशत ऋण अन्तर-वाली ध्यान दर से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सहायकी की कमी की पूर्ति क्षेत्रीय-कार्यक्रमों में से विशेष आवंटन द्वारा की जानी चाहिए और उसे विशेष संघटक योजना में शामिल कर लिया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों की जोत-भूमि की भूमिगत तैयारी कर ली है और वह उनके लिए भूमि-आधारित कार्यक्रमों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की स्थिति में है। शेष राज्य सरकारों को भी अनुसूचित जाति की भूमि सम्पत्तियों की सुविधा तैयार करके अधिकतम सीमा के अधिशेष में से उन्हें विस्तार की गई भूमि, उनको आवंटित सरकारी भूमि तथा उनकी निजी सम्पत्ति सहित सभी भूमियों के व्यापक विकास के कार्यक्रम बनाने चाहिए। अनुसूचित जातियों को सभी जोत भूमियों के लिए सिंचाई की सुविधाएँ योजनाबद्ध रीति से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भूमि संरक्षण योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। भेड़, मुर्गापालन, बकरियों और सुअर-बाड़ा विकास के पशु-पालन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके परिवारों की संख्या का विशेष उल्लेख किया जाए और दाना, चारा और विपणन आदि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों के लिए इसी प्रकार का प्रबन्ध कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के अन्तर्गत प्रदान किया जाना चाहिए। जिनमें न केवल परम्परागत शिल्पकारों और कारीगरों को ही सम्मिलित किया जाए बल्कि खेतिहर मजदूरों, सीमान्त लघु कृषकों में से नए आने वालों को भी शामिल किया जाए। विकेन्द्रित चमड़ा उद्योग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विकेन्द्रित उद्योग का सम्पूर्ण अवलोकन किया जाना चाहिए और योजना तैयार करने से लेकर जुतों के विपणन तक के विभिन्न चरणों का, जिनमें कच्चे माल की सप्लाई सामान्य सुविधा केन्द्र, ऋण सहायता आदि के पहलू शामिल हैं, व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में नए स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले जाएं। अनुसूचित जातियों में उन विभिन्न जातियों अथवा व्यावसायिक वर्गों को जो शिक्षा में पिछड़े हैं पहचाना जाना चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए संघटक योजना के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन रोगों का पता लगाया जाए जिनमें अनुसूचित जातियाँ ग्रस्त हैं और

उनके उन्मूलन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाए। सफाई और शुष्क शौचालयों को बलवाने का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए तैयार की गई विशेष संघटक योजनाओं के संबंध में उपरलिखित बातों के अनुरित दिशादर्शी के तथा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले मामलों के विषय में सूचना इस प्रकार है:—

(i) आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए निधियों को पृथक् रूप से निवृत्त करने की आवश्यकता अनुभव की। काफी पहले सन्, 1960 में अनुदेश जारी किए गए थे कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निधियाँ खर्च करें। 1975 में सभी विकास विभागों को अपनी निधियों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करने की हिदायतें भी जारी की गईं। 1977-78 में केवल अनुसूचित जातियों के विशिष्ट लाभ के लिए विभिन्न विभागों द्वारा 2.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 1978-79 के दौरान इस रकम को बढ़ा कर 3.52 लाख कर दिया गया था। जनवरी, 1979 में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना और मध्यावधि योजना दोनों के लिए एक विशेष संघटक योजना तैयार की गई थी। यह भी बताया गया है कि इसके अतिरिक्त पिछले चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास विभाग ने लगभग दो लाख अनुसूचित जाति परिवारों को लाभ पहुंचाया है और व्यक्तिगत तथा परिवारानुकूल योजनाओं के लिए संस्थागत वित्त का नियमित प्रवाह उत्पन्न किया है। तथापि विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कृषि (14.97 प्रतिशत), लघु सिंचाई (4.97 प्रतिशत), भूमि एवं जल संरक्षण (9.43 प्रतिशत) और मत्स्यपालन (5 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त बहुत अधिक हो सकता था। विभिन्न व्यावसायिक समूहों में अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सबसे बड़े समूह में 21.26 लाख (71.44 प्रतिशत) खेतिहर मजदूर हैं और 4.27 लाख कृषक (14.34 प्रतिशत) इनके बाद आते हैं। इसलिए खेतिहर मजदूरों सीमान्त और लघु कृषकों के विकास पर मुख्य ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पशुपालन की स्कीमों द्वारा उनके विकास के लिए अच्छी गुंजाइश रहेगी। उनकी भूमि को विकसित करने तथा उन्हें सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। व्यापक फसल उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए जा सकते हैं। कुटीर एवं ग्राम उद्योगों में अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए। शिल्पकारों में सबसे बड़ी संख्या चर्मकारों की (21.73 प्रतिशत), बुनार्थ तथा कताई कार्यों की (60,000), धातुकर्मों और सफाईकार्यों की (45,000), टोकरी, चटाई और रस्ती बनाने वालों की (30,000) है, उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।

भूमि संरक्षण के अलावा वन तथा अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र, श्रमिक ठेका समितियों/सहकारी समितियों बनाकर, रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। वनों में काजू और खजूर के वागान अनुसूचित जातियों को पट्टे पर दिए जा सकते हैं।

(ii) असम

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-पालन रोजगार और स्वयं रोजगार के अवसरों का सृजन करने की अधिकतम शक्ति रखता है। 1976-77 के अन्त तक गांवों की शतप्रतिशत जन संख्या सहकारिता के अंतर्गत लाई जा चुकी थी। 154 मछुआ सहकारी समितियां भी गठित की गई थी, इनमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के पट्टे थे। अनुसूचित जातियों में खेतिहरों की संख्या (1.37 लाख), खेतिहर मजदूरों (0.35 लाख) से अधिक है; अनुसूचित जातियों के 53.51 प्रतिशत काम करने वाले कृषक हैं (निरपवाद रूप से सीमान्त और लघु कृषक), जब कि 13.49 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। इन दो वर्गों को मिलाकर अनुसूचित जातियों के काम करने वालों का ३ भाग बनता है। इसलिए अनुसूचित जातियों के विकास के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में सीमान्त और लघु कृषकों और खेतिहर मजदूरों पर उस क्रम से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विशेष संघटक योजना में सम्मिलित स्कीमों में अनुसूचित जातियों के लिए अनुपात बढ़ाया जा सकता है, अधिकतर क्षेत्रों में जैसे कृषि (6 प्रतिशत), लघु सिंचाई (5 प्रतिशत), पशु-पालन और डेरी विकास (6.67 प्रतिशत), अनुसूचित जातियों के लिए परिचय्य काफी अधिक हो सकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के क्षेत्रों में भूमि विकास की स्कीम का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक लघु और सीमान्त कृषक को 3000 रुपये तक दिए जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों को सभी भूमि जोनों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता है। बत्खों, सुगियों, बकरियों और सूअर बाड़ों के विकास में सम्मिलित किए गए अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मत्स्यपालन सहकारी समितियों के प्रभावी रूप से कार्य करने और मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं और इस कार्य में लगाने जाने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या का परिमाणन किया जाए। बताया गया है कि बहुत सी मत्स्यपालन समितियों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। हाल ही में बनाए गए मत्स्यपालन विभाग निगम को सछुओं के प्रोत्साहक के रूप में पूरी तरह लक्ष्यता चाहिए। राज्य में रेशम-पालन और बुनाई के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए यथेष्ट क्षमता है और इसके लिए मिश्रित कार्यक्रम बनाना लाभकारी होगा। अन्य इस्तकालियों में मिट्टी के बर्तन बनाने, वांस, बेंत और नाव बनाने तथा उनकी मरम्मत करने में भी यथेष्ट अवसर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लड़कियों को नर्स का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिनकी असम और देश के बाहर भी पर्याप्त मांग है।

(iii) गुजरात

गुजरात राज्य की विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह दिखाई पड़ता है कि कृषि

(1.98 प्रतिशत), लघु सिंचाई (0.59 प्रतिशत), भूमि और जल संरक्षण (3.16 प्रतिशत), पशु-पालन (2.73 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में परिचय्य अनुसूचित जातियों के लिए और अधिक हो सकता था। गुजरात राज्य की अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा समूह खेतिहर मजदूरों का है जिनकी संख्या 2.80 लाख (46.59 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के 1.40 लाख (18.34 प्रतिशत) कृषक हैं। ये दोनों मिलकर अनुसूचित जाति के श्रम करने वाले लोगों का लगभग ३ भाग बनता है और इस प्रकार विशेष संघटक योजना के लिए ये मुख्य लक्ष्य समूह बनाए जाने चाहिए। पशु-पालन क्षेत्र में उचित कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। सभी अनुसूचित भूमिधरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए और उनके लिए कृषि-निवेश, तकनीकी और विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति के 7.34 लाख लोग बुनाई और कताई में लगे हैं; 3.06 लाख लोग चमड़े का काम करते हैं; 1.94 लाख लोग झाड़कण और सफाई वाले हैं; लगभग 40,000 टोकरियां, चटाई और रस्ती बनाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी संचयन, जूते बनाने, मिट्टी की वस्तुएं बनाने, बर्तन बनाने आदि के कामों में प्रत्येक में 10,000 लोग संलग्न हैं। उनके लिए भी लक्ष्य समूह परिवारों के लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित किया जाए। चमड़ा उतारने से लेकर जूतों के विपणन तक विकेंद्रित चमड़ा उद्योग के विकास के लिए भी व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। यह मालूम हुआ है कि गुजरात राज्य चमड़ा विकास निगम ऐसे कार्यक्रम बना रहा है। हथकरघा चुनकियों के लिए भी ऐसे ही कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। गुजरात राज्य में डेरी उत्पादन, सुर्गी विकास, ईट-भट्टा, चूना भट्टा और नमक कृषक क्षेत्र अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि गुजरात राज्य में खनन और पत्थर की खानें महत्वपूर्ण हैं इसलिए राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों को इस कार्य के लिए सनद (पट्टे) देने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए। उद्योग विभाग की स्कीमों का लाभ अनुसूचित जातियों को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का पूरा उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

(vi) हरियाणा

अपनी अपेक्षाकृत तथा युगों पुरानी सामाजिक बाधाओं के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोग विकास के लाभ उस क्षीमा तक नहीं उठा सके हैं जितना कि उनसे अधिक सीमाशरणाधी उनके अन्य भाइयों ने प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों के लोग वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का एक बड़ा भाग (57.30 प्रतिशत) खेतिहर मजदूरों में संलग्न है। इसके अतिरिक्त 18.23 प्रतिशत कृषक हैं और 24.47 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में लगे हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्धननाश्रितों से नीचे है। राज्य सरकार के लिए सामान्य क्षेत्र पहुंचाने जाने तथा न पहुंचाने जाने योग्य कार्यक्रमों में से निधियों का निर्धारण करके उनके प्रवाह का परिमाण

बताना सम्भव नहीं हो सका है। राज्य सरकार ने केवल कृषि क्षेत्र और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्रों के अन्तर्गत 'विशेष संघटक योजना' के लिए कार्यक्रमों को पहचाना है। इसमें भी अधिकांश कार्यक्रम ऐसे हैं जो अविभाज्य हैं। विभाज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक 39.74 करोड़ रुपये हैं जो पहचाने जाने योग्य कार्यक्रमों का केवल 32.5 प्रतिशत है। कृषि (96.70 लाख), भू-संरक्षण लघु सिंचाई आदि (25.33 लाख) और डेरी विकास (16.69 लाख) के लिए नियत परिव्यय बहुत कम था।

(v) कर्नाटक

कर्नाटक राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय नियत किया था। सीमान्त और लघु कृषक तथा खेतिहर मजदूर मिलकर अनुसूचित जातियों के श्रम में लगे लोगों की संख्या के 75 प्रतिशत हैं। यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों के मामले में, जैसे कृषि (3.11 प्रतिशत), भूमिसुधार, (13.2 प्रतिशत), उद्यानकृषि (4.02 प्रतिशत), पशु-पालन (2.40 प्रतिशत), मत्स्यपालन (5 प्रतिशत) और कोशकोट-पालन (4.64 प्रतिशत) के क्षेत्र में विशेष संघटक योजना के परिव्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त लाभ मुद्रिचित करने के लिए विस्तृत स्कीमदार जांच करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के खेतिहर मजदूर और कृषक, जिनकी संख्या मिलकर 11 1/2 लाख से ऊपर है, एक मुख्य लक्ष्य समूह बन जाते हैं। अनुसूचित जाति विकास निगम से समन्वय करके जिला उद्योग केंद्रों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। हथकरघा, दियासलाई बनाने, साबुन बनाने आदि के क्षेत्र अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अच्छी क्षमता रखते हैं। विकेंद्रित चमड़ा उद्योग के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। राज्य चमड़ा निगम को अनुसूचित जातियों के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए।

(vi) केरल

कृषि मजदूरों के लिए, जिनमें से 26 प्रतिशत केरल अनुसूचित जातियों के लोग होते हैं, डेरी विकास तथा पशु पालन स्कीमों में अपार क्षमताएं हैं। परन्तु विशेष संघटक योजना में क्षमता तथा आवश्यकता के मुकाबले में परिव्यय बहुत कम है। कृषि तथा लघु सिंचाई में भी परिव्यय को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें आर्बिट्ररी की गई अधिकतर भूमि घटिया किस्म की होती है जिनमें काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इन भूमियों के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम विशेष संघटक योजना में सरलता से शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 9.52 लाख रुपये का विनिर्घन किया गया है। यदि उक्त क्षेत्र में सकल परिव्यय अर्थात् 491 लाख रुपये से तुलना करें तो यह रकम बहुत ही कम है। अनुसूचित जातियों को पारिवारिक तथा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

(vii) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने अनुसूचित जन जातियों के लिए वर्तमान योजनाओं में कई कल्पनाशील संशोधन किए और अनुसूचित जातियों के बारे में भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। अनुसूचित जन जातियों के लिए किया गया उत्तम कार्य ऐसी योजनाओं से सम्बन्धित है जैसे आदिवासी क्षेत्रों में दुहरी फसल लेने के लिए प्रोत्साहन, आदिवासियों को बेल और बेल गाड़ियां देना, आदिवासी क्षेत्रों में युवा युगलों को प्रशिक्षण देना, आदिवासी महकारी मजदूरियों को सहायता, आदिवासी छात्रों के लिए विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षाएं इत्यादि। विशेष संघटक योजना में अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए वर्तमान स्कीमों में संशोधन करने या नई सुसंगत स्कीमों को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। विशेष संघटक योजना का क्षेत्रवार विश्लेषण करने से पता चला कि अधिकतर क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय उदाहरणतया अनुसूचित जातियों के लिए कृषि (1.34 प्रतिशत), लघु सिंचाई (4.69 प्रतिशत), पशुपालन (0.86 प्रतिशत), डेरी विकास (1.34 प्रतिशत) तथा मछली उद्योग (1.89 प्रतिशत) में विनिर्घन कहीं अधिक हो सकता था। अनुसूचित जाति कामगार जनसंख्या में 75 प्रतिशत कृषि मजदूर, खेतिहर तथा घरेलू कर्मचारी हैं। पशु पालन कार्यक्रमों को हाथ में लेने के साथ साथ राज्य सरकार की रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को भूमि जोतों पर लघु सिंचाई योजनाओं तथा कुएं खोदने का काम आरम्भ करने की सम्भाव्यता पर विचार करना चाहिए। इस और भी ध्यान दिलाया जाता है कि इस राज्य में नव बौद्धों की जन संख्या 32.64 लाख अर्थात् 6.48 प्रतिशत है और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना बनाते समय उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया प्रतीत होता जबकि वे पिछड़ी जाति क्षेत्र के अन्तर्गत कई योजना स्कीमों से अनुसूचित जातियों के समान ही लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अतः विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत रखी गई निधियों में तुरंत पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 57.51 लाख है (11.5 लाख परिवार) और अनुसूचित जातियों वहां की जनसंख्या का 13.81 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने सन 1974 में यह निर्णय लिया था कि कुछ क्षेत्र सम्बन्धी परिव्यय का 14 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को मिलेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सम्बन्धी राज्य विधायी समिति ने तो यहां तक कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र से 14 प्रतिशत निकाल कर अनुसूचित जातियों के लिए रख लिया जाना चाहिए और फिर कार्यक्रम तैयार किए जाएं। परन्तु विजली तथा बृहत सिंचाई पर विशाल परिव्यय के कारण अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम बच पाता है और इस से विशेष संघटक योजना के आकार को बढ़ाने में कठिनाई होती है। यही एक ऐसा राज्य है जिसने भिन्न-भिन्न व्यावसायिक वर्गों में अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं की ठोस रूप में पहचान की है और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया है। मध्यम अवधि योजना के भीतर 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों

को लिए जाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। इस तरह खेतिहरों के लिए कुओं की खुदाई, भूमि विकास, फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण, जल संरक्षण तथा उद्यान विकास को त्रिगुण्ट रूप से वृहत योजनाओं के रूप में और कृषि मजदूरों के लिए पशु पालन, मुर्गी पालन इत्यादि को कृषि की ऐसी योजनाएं माना गया है जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि मछली पालन (7.78 प्रतिशत), सहकारिता (6.29 प्रतिशत), वन (11.85 प्रतिशत), ग्रामीण तथा लघु उद्योग (5.64 प्रतिशत) जैसे अधिकतर क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय कहीं अधिक हो सकता था। हालांकि विभाज्य क्षेत्रों से लगभग 17 से 18 प्रतिशत विशेष संघटक योजना में नियत कर दिया गया था परन्तु वह किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है, कम से कम 30-40 प्रतिशत का स्तर आवश्यक है; अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय लक्ष्य समूह में उनकी जनसंख्या के समनुपात में होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते समय अनुसूचित जातियों के जनसांख्यिक वितरण को ध्यान में रखना होगा और निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने में उनकी सहायता के लिए किसी न किसी स्कीम के अन्तर्गत उनके पर्याप्त समनुपात को लेकर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का एक मौखिक बजट बनाया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के 43.68 प्रतिशत कामगार (लगभग 9.60 लाख) कृषि मजदूर हैं जब कि 37.47 प्रतिशत (8.23 लाख) सीमान्त और लघु कृषक हैं। इन दोनों वर्गों को मिला कर अनुसूचित जाति के परिवारों का 80 प्रतिशत भाग बनता है और यही अनिवार्य रूप से मुख्य लक्ष्य समूह होंगे। प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग में परिवारों की संख्या निकालने के लिए यदि इस गणना में से महिला कामगारों को छोड़ दिया जाए तो यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों में कृषि मजदूरों की अपेक्षा खेतिहर अधिक हैं; इसका पता केवल तभी चला जब व्यवसाय/पेशेवार विश्लेषण किया गया। राज्य सरकार को चाहिए कि वह प्रतिवर्ष उपयुक्त योजना बना कर और खेतिहरों के एक अर्धपूर्ण समनुपात को लेकर 8.23 लाख खेतिहरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करें।

राज्य सरकार ने यह निर्णय किया था कि एक चमड़ा कारीगर विकास निगम की स्थापना की जाए जो धिक्कुल चमड़ा उतारने से लेकर जूते बनाने की स्थिति तक विकेन्द्रीकृत चमड़ा उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेगा। एक त्रिने विदेशों के लिए योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार 'वासोर' लोगों के लिए जो टोकरी बनाते हैं, एक ऐसी मिश्रित स्कीम को अन्तिम रूप दिया जा रहा था जिसमें कि उन्हें उन वृक्ष स्थलों से कच्चा माल (वास) मिल सकेगा जो वनों/परकारी भूमि में विशेष रूप से इसी कार्य के लिए लगाए जाते हैं; मछली (उदाहरणतया खानों) के साथ सम्बन्ध भी स्थापित किए जाएंगे। मछली पालन क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया मार्ग अपनाया गया है; आदिवासी क्षेत्रों में यह उनके अनुभव का परिणाम है। मछली पकड़ने के तालावों को गहरा करने के कार्य को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। इस योजना को जोड़ने की प्रतीक्षा किए बिना भी आरम्भ किया जा सकता है। यद्यपि

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जातियों को सभी संगत कार्यक्रमों में भारत स्थान दिया है, यही दृष्टिकोण गैर-आदिवासी क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए। जिन हरिजन वस्तियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है उन सभी वस्तियों में बिजलीकरण का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए और उन्हें विशेष संघटक योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(ix) उड़ीसा

1979-80 वर्ष के लिए एक विशेष संघटक योजना तैयार की गई है, यद्यपि मध्यम अवधि योजना काल के लिए काम शुरू नहीं किया गया है। योजना का ढांचा इस प्रकार से नहीं बनाया गया कि वह उन व्यावसायिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिनमें अनुसूचित जातियां बड़े अनुपात में हैं; और जहां कुछ अन्तर, कमियों का पता लगा लिया गया है वहां भी तदनु रूप कार्यक्रम और पूंजी निवेश नहीं है। यद्यपि समवर्ती गोटिनिंग तथा शोधको की बात तो बहुत की जाती है परन्तु योजना में क्षेत्र के अनुभव के आधार पर नई स्कीम आरम्भ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। योजना स्वयं इतनी अनस्य है कि अगले चार वर्षों में किसी को भी यह विश्वास रह सकता है कि अनुसूचित जातियों की स्थिति बहुत कुछ बेसी ही रहेगी जैसी 1979-80 में थी जब तक कि अभी से पर्याप्त शोधक उपाय नहीं किए जाते।

परिव्यय का काफी भाग पहले ही बिजली, वृद्धि सिंचाई तथा उद्योग के क्षेत्रों के लिए नियत हो जाने के कारण विशेष संघटक योजना के स्तर को उठाने के लिए बहुत कम गंजाइश रह गई है। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि (6.32 प्रतिशत), भूमि तथा जल संरक्षण (1.30 प्रतिशत), क्षेत्र विकास (6.0 प्रतिशत), मछली उद्योग (4.57 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय कहीं अधिक हो सकता था।

उड़ीसा में अनुसूचित जाति के कामगारों में सर्वाधिक संख्या कृषि मजदूरों (49.21 प्रतिशत) की है और उसके पश्चात खेतिहरों (27.45 प्रतिशत) की है। कृषि मजदूरों और खेतिहरों दोनों मिलकर (अधिकतर सीमान्त तथा लघु कृषक) राज्य में कुल अनुसूचित जाति के कामगारों का 80 प्रतिशत बनते हैं। तदनुसार यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास के प्रयास अनुसूचित जातियों के कृषि मजदूरों तथा सीमान्त और लघु कृषकों को ओर लक्षित किए जाएं। 5.46 लाख कृषि मजदूर हैं; अन्य 3.04 लाख सीमान्त तथा लघु कृषक हैं। इनमें से अधिकतर को यदि निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाना है तो उन के लिए भूमि के अनिश्चित आय बढ़ाने वाले अन्य साधन उपलब्ध कराने होंगे। उसके लिए जो मार्ग अपनाया जा सकता है वह है विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों में व्यवसाय की तलाश और प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के इन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। इस दिशा में पशुपालन सर्वाधिक सम्भावनाएं प्रदान करता है, विशेषकर कृषि मजदूरों को। इसी प्रकार से मुर्गी पालन, भेड़ बकरी तथा सूअर पालन के विकास में अनुसूचित जातियों को लाभ का निर्धारण परिवारों की संख्या के हिसाब में स्पष्ट किया जाना चाहिए। न केवल पशु उपलब्ध कराए जाएं अर्थात् चारे/दाने की आपूर्ति, स्वास्थ्य

तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल की व्यवस्था, अल्प उत्पाद की विक्री तथा समी वस्तुओं जैसे ठठरियों का भरपुर उपयोग और सूअर के मास वाला फैंटरियों की स्थापना का आयोजन करना होगा।

(x) पंजाब

पंजाब में देश की अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है (24.71 प्रतिशत)। सभी जिलों में लघु कृषक विकास एजेंसियां (एस०एफ०डी०ए०) चालू की गई हैं और राज्य में उद्यमी वातावरण विद्यमान है। राज्य की योजना स्कीमों की प्रारम्भिक परीक्षा से पता लगा है कि ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए बहुत सम्भावनाएं हैं किन्तु उन्हें विशेष संघटक योजना में शामिल नहीं किया गया है। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि अधिकतर क्षेत्रों जैसे कृषि (4.03 प्रतिशत) पशु पालन (11.32 प्रतिशत) तथा ग्रामीण व लघु उद्योग (2.91 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिचय्य कहीं अधिक हो सकता था। 71 प्रतिशत कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं। जबकि खेतिहरों में केवल 6 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। अनुसूचित जातियों में 57 प्रतिशत से अधिक कृषि मजदूर हैं और लगभग 10 प्रतिशत सीमान्त और लघु कृषक हैं। अतः अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मुख्य प्रयास कृषि मजदूरों पर लक्षित होना चाहिए। पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए डेरी कार्य तथा पशुपालन सर्वाधिक सम्भावनाएं प्रदान करते हैं। भेड़ों, मुर्गी पालन तथा सअर पालन के विकास से संबंधित पशु पालन के कार्यक्रम भी दृष्टिकोण पर आधारित उनकी पूरी सम्भावनाओं और अनुसूचित जातियों के विशिष्ट प्रतिशत को ध्यान में रखकर आरम्भ किए जा सकते हैं। कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों में बैरक कम्बल के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के लिए गुंजाइश है।

(xi) राजस्थान

विभाज्य योजनाओं में परिचय्य को बढ़ाना और प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर योजनाओं की पुनः रचना भी जरूरी है। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि अधिकतर क्षेत्रों जैसे कृषि (0.24 प्रतिशत), भूमि तथा जल संरक्षण (0.76 प्रतिशत), पशुपालन तथा डेरी विकास (1.62 प्रतिशत), विद्युत (1.58 प्रतिशत), ग्रामीण तथा लघु उद्योग (6 प्रतिशत), खानें (0.29 प्रतिशत) तथा गृह निर्माण (8.71 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिचय्य कहीं अधिक हो सकता था। अनुसूचित जातियों के कामगारों में से 52.3 प्रतिशत (7.17 लाख) खेतिहर हैं और 21.26 प्रतिशत (2.86 लाख कामगार) कृषि मजदूर हैं। इन दोनों वर्गों को मिला कर कुल अनुसूचित जाति के कामगारों का 75 प्रतिशत बनता है और यही मुख्य लक्ष्य समूह बनेगा। मुख्य प्रयास कृषि मजदूरों और सीमान्त तथा लघु कृषकों के विकास की दिशा में किए जाने की आवश्यकता है। हथकरघा क्षेत्र से इस राज्य में बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। राज्य में 1½ लाख से अधिक हथकरघा हैं। चूंकि अधिकतर बुनकर अनुसूचित जातियों के हैं अतः यह एक बृहत कार्यक्रम बन सकता है। टोकरो तथा प्रदाई बनाने जैसी विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का भी बहुत गुंजाइश है। विकेन्द्री चमड़ा उद्योग के लिए एक ध्यापक कार्यक्रम आवश्यक है। मरुस्थल विकास परि-

योजनाओं तथा डी० पी० ए० पी० क्षेत्रों में खेतिहरों को बाजरे के स्थान पर चारे तथा घास की ओर प्रवृत्त करने के लिए उन्हें 200 रु० का अनुदान देने की स्कीम खेती के तरीके में परिवर्तन लाने की दिशा में सही कदम है। ऐसी स्कीमों को अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जा सकता है।

व्यक्ति परक तथा परिवार अभिमुखी स्कीमों को अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के रोजगार की स्थिति महत्वपूर्ण है। भूमि संरक्षण, वन लगाने तथा अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों से इस प्रकार का अवसर मिलता है और श्रमिक ठेका संस्थाएं एवं उपयुक्त रूप से संगठित हों तो अनुसूचित जातियों को काफी फायदे उठाने योग्य बना सकती हैं। श्रमिक ठेका संस्थाओं के बनाने से श्रम अभिमुखी स्कीमों को हल्के तथा भरपुर दोनों सीजनों में पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिक संस्थाओं को वन निर्माण कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है और अन्य क्षेत्रों में इसे फैलाने के लिए यह अनुभव शिक्षाप्रद सिद्ध हो सकता है जिससे कि अनुसूचित जातियों को लाभान्वित किया जा सके। सचेतन नीति के रूप में गांधी के अनुसूचित जातियों की बस्तियों में नए स्कूल तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए; इस कार्य पर पूर्ण निवेशों को विशेष संघटक योजना में शामिल किया जा सकता है क्योंकि ये भी सामाजिक सुगम्यता को उस खाई को पाटने में सहायक होते हैं जिससे अनुसूचित जातियां पीड़ित हैं। शिक्षित बेरोजगारों को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्षेत्रों में शिक्षकों के रूप में लगाया जा सकता है।

(xii) उत्तर प्रदेश

विशेष संघटक योजना के सुधार करने के लिए अनुसूचित जातियों का अनुपात बढ़ाया जा सकता है और ऐसी और स्कीमों ढूंढी जा सकती हैं जिन के लाभ अनुसूचित जातियों को प्राप्त हो सकें। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि ऐसे अधिकतर क्षेत्रों जैसे कृषि (0.57 प्रतिशत), लघु सिंचाई (5.56 प्रतिशत), पशुपालन (20.00 प्रतिशत), वन (1 प्रतिशत), ग्रामीण तथा लघु उद्योग (4.59 प्रतिशत), शिक्षा (2.83 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिचय्य कहीं अधिक हो सकता था। अभी तक राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र [के कार्यक्रमों की राज्य स्कीमों का एक भाग अनुसूचित जातियों के लिए रखने का प्रयास मात्र किया है। परन्तु अब आवश्यकता इस बिन्दु से आगे बढ़ने की है। जिस सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों के योजना परिचय्य की उच्चतम सीमा में परिवर्तन करना सम्भव न हो, वहां प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार समायोजन किए जाने चाहिए कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवश्यक कार्यक्रम उपलब्ध सकल क्षेत्र परिचय्य के दायरे के भीतर शामिल हो जाएं। यह आवश्यक है क्योंकि इसमें सन्देह नहीं कि विकास करने में अनुसूचित जातियां अन्य जातियों से कहीं पीछे हैं, और उन्हें सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति के कामगार, खेतिहर (सीमान्त तथा लघु कृषक) और कृषि मजदूर लगभग समान संख्या में हैं—क्रमशः 27.19 लाख तथा 26.41 लाख—और दोनों को मिलाने से कुल अनुसूचित जाति कामगारों का 85.58 प्रतिशत बैठता है। राज्य में 48 प्रतिशत कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं जब कि खेतिहरों में उनकी प्रतिशतता केवल

17 है। इसलिए विशेष संघटक योजना के लिए कृषि मजदूरों और सीमान्त तथा लघु कृषकों को ही मुख्य लक्ष्य समूह बनाया जाना चाहिए। पशु पालन क्षेत्र की स्कीमें उन लोगों के लिए सर्वाधिक सम्भावनाएं उपलब्ध कराती हैं जिनके पास भूमि नहीं है या जिनके पास मामूली जोत वाली भूमि है। चूंकि 48 प्रतिशत कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं और उनके आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए लगभग 6 लाख दुधार पशुओं को 3 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों में वितरण का काम किया जा सकता है। डेरी उद्योग अकेला सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है जिससे अनुसूचित जातियां ठोस लाभ उठा सकती हैं। अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों को कुटिर तथा ग्रामीण उद्योगों में लेने का काम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कालीन बनाने, माचिस उद्योग, साबुन उद्योग तथा बुनाई इत्यादि में रोजगार के साथ सरलता से जोड़ा जा सकता है जिसमें अनुसूचित जातियों के विकास की अच्छी गुंजाइश है। भूमि संरक्षण, वन कार्य तथा अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और श्रमिक ठेका संस्थाएं/सहकारी समितियां अनुसूचित जातियों को पर्याप्त लाभ दिलवा सकती हैं।

(xiii) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता देश में सबसे अधिक (20.09 प्रतिशत) है। राज्य में 89 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं। मध्यम अवधि योजना के लिए विशेष संघटक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान स्कीमों, विशेषकर मछली उद्योग क्षेत्र की स्कीमों का विश्लेषण सकती से किया गया है और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु पालन, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि (6.50 प्रतिशत), लघु सिंचाई (9.82 प्रतिशत), भूमि तथा जल संरक्षण (11.81 प्रतिशत), क्षेत्र विकास (3.92 प्रतिशत), लघु उद्योग (17.67 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिचय कहीं अधिक हो सकते थे। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति कामगारों में 42.57 प्रतिशत कृषि मजदूर है (10.79 लाख), 33.4 प्रतिशत खेतहर सीमान्त तथा लघु कृषक (8.47 लाख कामगार) हैं; और कुल अनुसूचित जाति कामगारों में से 75 प्रतिशत से भी अधिक संख्या कृषि मजदूरों और सीमान्त तथा लघु कृषकों के इन वर्गों की बैठती है। इन में निस्संदेह बटाई पर खेती करने वाले भी शामिल होंगे। अतः अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मुख्य प्रयास इन समूहों की ओर होना चाहिए। पशु पालन क्षेत्र में जो स्कीमें हैं वे उन लोगों के लिए सर्वाधिक सम्भावनाएं प्रदान करती हैं जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है या जिनके पास मामूली जोत की भूमि है। पश्चिम बंगाल पशुधन संसाधन विकास निगम लिमिटेड तथा डेरी एवं मूर्गी पालन विकास निगम अनुसूचित जातियों के लिए पशुपालन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन स्कीमों और कार्यक्रमों में इन्हें लाया जा सकता है उन्हें निरदिष्ट कर दिया जाए। उससे इस क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के लिए मछली उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्य में अनुसूचित जाति के मछुओं की विशाल

जन संख्या को लाभान्वित करने के लिए आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों को मुख्यवस्था देकर से चलाने की आवश्यकता है। मछली उद्योग महकारी गतिवियों का व्यापक संगठन और मत्स्य उद्योग विकास निगम का भरपूर सदुपयोग अनिवार्य है। जातिगत निर्धारण योजना में ही कर दिया जाए। जिन समूहों में अनुसूचित जातियां हैं जैसे चमड़ा कामगार, मछली उद्योग, ताड़ी निकालने वाले इत्यादि, टोकरी, चटाई तथा रस्सी बनाना, कपड़े धोना, रंगरेज तथा जिल्दसाज, ब्राडू कण और सफाई वाले, बट्टई और लोहार, उन्हें स्पष्ट रूप से इसके अन्तर्गत लिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल को ए०ए०डी०ए०, सी०ए०डी० तथा डी०आर० ए०पी० की व्याप्ति को अत्यधिक गहनता का अतिरिक्त लाभ प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि चालू स्कीमों में जिस तरह की स्कीमों की अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यकता है उन्हें बिना किसी कठिनाई के तीव्रता प्रदान की जा सकती है और अनुसूचित जातियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाए जा सकते हैं।

एक अनुठी और प्रशंगनीय अभिनव परिवर्तन ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (इससे पहले इसे विशेष रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण उत्पादन कार्यक्रम कहा जाता था) का है जो 1974-75 से चलाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि "हृत्के सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और चतुर्मुखी गुधार के लिए उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पर्याप्त स्वीकार्य रूप से उपयुक्त विकास स्कीमों की कार्यान्वयन करके दीर्घकालीन मामूलाधिक सम्पत्ति का निर्माण किया जाए।" खाद्यान्नों के स्टॉक के सदुपयोग (काम के बढ़ने अर्थात् कार्यक्रम) के द्वारा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के अवसर पैदा करने वाली भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ दिया गया है। यह स्कीम वास्तव में बेरोही ही है जैसे महाराष्ट्र का रोजगार गारंटी कार्यक्रम और कर्नाटक की रोजगार अभिवृष्टि स्कीम। 1978-79 से इन कार्यक्रम को पंचायती राज निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का विचार है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों के लिए सम्भावनाएं बहुत हैं और यदि कुछ मजदूर श्रमिक ठेका संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी सम्बन्ध भी स्थापित किए जाएं तो उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4.28 भारत सरकार ने कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में 1977-78 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया था जिसका लक्ष्य सीमान्त तथा लघु कृषकों, कृषि मजदूरों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार पैदा करना था जिससे कि इन जात किए गए लक्ष्य समूहों की आमदनी के स्तर को उठाया जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तथा सम्भव अधिक से अधिक परिवारों को एक निश्चित अवधि के भीतर निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना है। लक्ष्य समूहों की आर्थिक क्षमता को सुधारने की दृष्टि में कृषि तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में विभिन्न हिताधिकारी अभिमुखी स्कीमों को इन कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किया जा रहा है। भूमि अकेले कृषि क्षेत्र में ही प्रभाव को तीव्रता प्रदान किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या हल होती नहीं दीखती, अतः ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम को भी इन कार्यक्रम में उपयुक्त रूप में एकीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार से, तृतीय क्षेत्र के अधीन गतिविधियों में भी ध्यान लगाया जा रहा है — ताकि लक्ष्य

समूहों के लोगों में स्व-रोजगार को बढ़ावा मिले। प्रशिक्षण एक अन्य ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लक्ष्य समूह के सदस्यों को नए हुनरों, कलाओं और तकनीकों का ज्ञान होता है। प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर प्रशिक्षणार्थियों को ग्रामीण उद्योग/दस्तकार कार्यक्रम के अग्रिम अपनी स्वतंत्र इकाइयों स्थापित करने में या उपयुक्त स्थायी रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। जिन विभिन्न स्कीमों का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इनके अन्तर्गत अनेक सेवाओं की एक मुक्त रूप से सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है जिनमें ऋण, निवेश तथा व्यवहार ज्ञान की सेवाएं शामिल होंगी जिससे कि अभिज्ञान भागीदारों के साथ स्तरों में निश्चित सुधार लाया जा सके और वे निर्धनता की रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों पर है। प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित राज्य स्तरीय समन्वय समितियां किए जाने वाले कार्य की मॉनिटरिंग तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। कृषि तथा मिर्चाई मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का सदस्य होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग और उसमें सुधार के उपाय मुझाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रशासनिक आयोजना एक विद्यमान है।

4.29 यह कार्यक्रम 1978-79 वर्ष के दौरान 2300 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से 2000 खण्ड उन क्षेत्रों में से चुने गए हैं जिनमें तीन विशेष कार्यक्रमों तथा एम०एफ०डी०ए०, डी०पी०ए०डी० तथा सी०ए०डी० में से एक या एक से अधिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिया हुआ है और 300 खण्ड उन क्षेत्रों से लिए गए हैं जो इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं लिए गए हैं। इसमें अन्य 300 खण्ड प्रतिवर्ष इस प्रकार जोड़े जाएंगे कि देश में लगभग 5004 खण्डों की कुल संख्या में से छठी योजना अवधि के अन्त तक कुल 3500 खण्ड इन कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाए। कृषि तथा मिर्चाई मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

4.30 यह अनुमान लगाया गया है कि 5 लाख रुपये का विनियोजन लगभग 300 परिवारों के लिए सहायक हो सकता है बशर्ते वित्तीय संस्थाओं से भी अपेक्षित सहायता सुलभ हो। यदि प्रति खंड लगभग 8000 जरूरत मंद परिवारों का औसत लिया जाए तो काफी बड़े पैमाने पर वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी। जो खण्ड एम० एफ० डी० ए० या सी०ए०डी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिए गए हैं उनके लिए 5 लाख रुपये की राशि प्रति खण्ड और जो खण्ड डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत लिए गए हैं उनके लिए 4 लाख रुपये की राशि रखी गई है। डी०पी०ए०पी० खण्डों के लिए राज्यों द्वारा एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रति खण्ड दिए जाने की आशा है। ये आवंटन निधिकरण के वर्तमान स्तर के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों जैसे ग्रामीण उद्योग तथा ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रमों में हिताधिकारी अभिमुखी कार्यक्रमों के सहायकी (सब-सिडी) संघटकों में धन लगाने के लिए है। यदि हिताधिकारी छोटा किसान हो तो इस सहायकी की दर स्कीम की लागत का 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों और कृषि मजदूरों के लिए 33- $\frac{1}{3}$ प्रतिशत है और उसकी अधिकतम सीमा 3000 रुपये प्रति हिताधिकारी है। परन्तु अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए सहायकी स्कीम की लागत का 50 प्रतिशत है और उसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये है। चुने हुए खण्डों

में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अभी तक 45.21 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। फरवरी 1979 के अन्त तक 8.34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया बताया गया है।

20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले खण्डों की प्राथमिकता

4.31 यह व्यवस्था की गई है कि 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जन संख्या वाले खण्डों को तोड़ किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यद्यपि 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले अधिकतर खण्डों को 1978-79 के दौरान लिया जाना था तो भी शेष खण्डों की अधिक से अधिक अगले दो वर्षों तक ले लिए जाने की आशा है। 20 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले खण्डों की संख्या के सम्बन्ध में तथा डी० पी०ए०पी०, एम०एफ०डी०ए० तथा सी०ए०डी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिए गए खण्डों की संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना और उसके साथ-साथ देश के उन खण्डों की सूची जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक है, परिशिष्ट 41 में विवरण सं० 1 व 2 में दी गई है। 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले खण्डों की राज्यवार संख्या नीचे सारणी में दी गई है :-

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | उन खण्डों की संख्या जिनकी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इस प्रकार है— | | | | योग |
|----------|--------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-------|
| | | 20 प्रति-शत से | 30 प्रति-शत से | 40 प्रति-शत से | 50 प्रति-शत और उससे अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 54 | 3 | — | — | 57 |
| 2 | असम | 4 | 1 | 1 | — | 6 |
| 3 | बिहार | 105 | 22 | 4 | 3 | 134 |
| 4 | गुजरात | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5 | हरियाणा | 36 | 5 | — | — | 41 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 15 | 9 | 1 | 1 | 26 |
| 7 | कर्नाटक | 48 | 7 | — | 1 | 56 |
| 8 | केरल | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9 | मध्य प्रदेश | 86 | 9 | 1 | 1 | 97 |
| 10 | महाराष्ट्र | 2 | — | — | — | 2 |
| 11 | उड़ीसा | 52 | 1 | — | — | 53 |
| 12 | पंजाब | 61 | 25 | 9 | 1 | 96 |
| 13 | राजस्थान | 52 | 4 | 1 | — | 57 |
| 14 | तमिल नाडु | 116 | 39 | 8 | 2 | 165 |
| 15 | त्रिपुरा | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | 361 | 84 | 25 | 16 | 486 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 68 | 48 | 15 | 9 | 140 |
| 18 | दिल्ली | 2 | 2 | — | — | 4 |
| 19 | पांडेचरी | 1 | — | — | — | 1 |
| कुल योग | | 1064 | 259 | 65 | 35 | 1423 |

उपर्युक्त सारणी को देखने से पता चलेगा कि 3500 खण्डों की उस कुल संख्या में से जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाना अपेक्षित था, 1423 खण्डों में 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या होगी। यह भी पता चलता है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में 503 खण्डों में से केवल 91 खण्डों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

4.32 अधिकांश एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवार आधारित है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ल निवेश के 20 प्रतिशत तक लाभों का आरक्षण भी है। तथापि ऐसा समझा जाता है कि इस कार्यक्रम में शामिल की गई विभिन्न योजनाओं से अनुसूचित जातियों को होने वाले लाभ की मात्रा पर्याप्त नहीं है। जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के अनुपात में एक खंड से दूसरे खण्ड में काफी अंतर है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण निर्धनों में अनुसूचित जातियों की संख्या जिनके लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, काफी ज्यादा है। वास्तव में, अधिकतर मामलों में सीमान्त तथा लघु कृषकों और कृषि मजदूरों की अधिकतर जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। इसलिए समान आधार पर आरक्षण या उस खण्ड की कुल जन संख्या में उनके अनुपात के आधार पर भी आरक्षण करने के बावजूद इन कार्यक्रमों के लाभ में अपना उचित हिस्सा पाने में अभी वे बहुत पीछे रहते हैं। अतः यह सिफारिश की जाती है कि एकीकृत ग्रामीण विकास के लाभ प्रत्येक मामले में लक्ष्य समूहों में अनुसूचित जातियों के अनुपात की मात्रा के अनुसार रखे जाएं और इन आंकड़ों के उपलब्ध होने तक यह समग्र लाभों का 50 प्रतिशत होना चाहिए।

4.33 ऐसा देखने में आया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के पास जोत की भूमि औसतन बहुत कम है और सम्भव है कि वे सिंचाई के कुओं जैसी स्कीमों से लाभ उठाने के पात्र न हों इसलिए कुछ स्थितियों से यह आवश्यक हो सकता है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आर्थिक दशा के संदर्भ में स्कीमों के ढांचे में परिवर्तन करना पड़े। इस सम्भव सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने निम्न लिखित सिफारिशों की :-

विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए कि उन्हें इस प्रकार रूपान्तरित किया जाए जिससे कि अनुसूचित जातियों के लोग उन कार्यक्रमों के पात्र बन सकें और वांछित सीमा तक उनके लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकें।

अनुसूचित जातियों के लोगों की कमजोर आर्थिक दशा और अक्ल-कृष्य भूमि को ध्यान में रखकर सभी कार्यक्रमों में सहायकी की मात्रा में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाए। लघु सिंचाई के लिए न्यूनतम जोत की शर्त हटा दी जानी चाहिए और अनुसूचित जातियों के जो सदस्य कुंया बनाना चाहते हों उन सभी के लिए प्राथमिकता के आधार पर उसकी व्यवस्था की जाए।

सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं में एक पृथक अध्याय अनुसूचित जातियों के विकास के बारे में रहे जिनमें कार्यक्रमों के अनुकूलन, मान धण्डों में ढील और लाभों की प्राप्ति की समीक्षा के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख हो तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां सामयिक समीक्षा की जाए।

अनुसूचित जाति के भूमिधरों जिनमें अधिकतर सीमान्त कृषक हैं की समस्त जोतों के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाना

चाहिए जिनमें यथा सम्भव भरपूर सिंचाई के कुएं उपलब्ध करा दिए जाएं।

भूमि जल संधियों का तेजी से पता लगाने और उनसे लाभ उठाने के लिए संगठनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए भूमिजल सिंचाई एकक बनाए जाने चाहिए जो भविष्य, जल विज्ञान, विविध इत्यादि के क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित स्वतः पूर्ण होने चाहिए। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के पास पर्याप्त मात्रा में जोत की भूमि हो वहां तीन वर्षों के समय-बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत समूची भूमि की जल-क्षमता का लाभ उठाने के लिए ये एकक काफी संख्या में होने चाहिए। ऐसे एककों के लिए बरमा इत्यादि के समेत पर्याप्त भौतिक और आर्थिक साधना दिए जाने चाहिए।

इस प्रकार से सतही जल सिंचाई के बारे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समान क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जोत भूमि नादियों से पूरी तरह जुड़ी हो और आवश्यक भौतिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाए।

अनुसूचित जातियों की भूमि चाहे वह अधिकतम सीमा से फलत भूमि के अंतरण के द्वारा मिली हो या आबंटन द्वारा अथवा मन्दिर भूमि आदि के दीर्घाधि पट्टे पर हो, के विकास के लिए एकीकृत परियोजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि भूमि प्रदान करने और उसके विकास का काम साथ-साथ हो। आशा की जाती है कि कार्यकारी दल की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारें/संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासन शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

4.34 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका से सम्बन्धित शिवरामन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि जो स्वैच्छिक अभिकरण सामाजिक तथा विकास कार्यों में लग हुए हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नियोजन और/या कार्यान्वयन में लाभकारी रूप में शामिल किया जा सकता है। उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि आरम्भ में स्वैच्छिक अभिकरणों को लगभग 100 खण्डों की योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन में लगाया जा सकता है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए जो उन मामलों में जहां व्यापक खण्ड नियोजन और/या कार्यान्वयन का काम स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा किया जाना है, स्वैच्छिक अभिकरणों का और उन क्षेत्रों का जहां वे काम करेंगे, चुनाव करे। जिन मामलों में खण्ड योजना का भाग सम्बन्धित है वहां स्वैच्छिक अभिकरणों और उनके कार्य क्षेत्र का चुनाव करने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां भी स्थापित की जानी हैं। मालूम हुआ है कि उक्त समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। आशा है कि भारत सरकार इस समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेगी।

4.35 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्यों के मुख्य मंत्रियों, कृषि उत्पादन आयुक्तों, विकास आयुक्तों तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक में की गई जो फरवरी, 1979 से आयोजित की गई थी। बैठक में यह बताया गया कि विधियों के उपयोग किए जाने की गति धीमी रही है। अतः राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति तेज की जाए। यह

भी बताया गया कि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संस्थागत वित्त की सुलभता निर्णायक है। यह आग्रह किया गया कि राज्यों को बैंकों के साथ निकट सम्पर्क रखना चाहिए और ऋण मंजूर कराने में उनकी सहायता करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए उन्हें अधिक धन उपलब्ध करा भड़ाने योग्य बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से अपेक्षा सहकारी संघाओं को मजबूत बनाने के लिए भी अनुरोध किया गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपनी योजनाओं में सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के सृजन के लिए आवश्यक प्रावधान करें। आशा की जाती कि उपरोक्त बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास निगम

4.36 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई राज्यों में विकास निगम कार्य कर रहे हैं। ये निगम कृषि विकास, विपणन तथा संसाधन, व्यापार/व्यवसाय जैसे कार्यों के लिए जिनमें लघु उद्योग, तथा आपूर्ति तथा संचयन, परिवहन, डेरी फार्म इत्यादि भी शामिल हैं, सहायता प्रदान करते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कृषि तथा उपयोग के प्रयोजनों के लिए, कृषि सम्बन्धी निदेशों, अनिवार्य घरेलू जरूरतों तथा कृषि उत्पाद के विपणन के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घ अवधि वाले ऋणों की व्यवस्था करने के विचार से विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने की बहुउद्देशीय समितियाँ (लेम्पेस्) संगठित की गई हैं। इस स्कीम के विवरण पर इन रिपोर्ट में आदिवासी विकास सम्बन्धी अध्याय में चर्चा की गई है। विभिन्न राज्यों में स्थापित विकास निगमों के कार्यालयों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है।

1. आन्ध्र प्रदेश गिरिजन सहकारी निगम लि०, विशाखापत्तनम

इस निगम ने 5 अप्रैल 1957 से यह उद्देश्य लेकर कार्य करना आरम्भ किया कि अपने सदस्यों द्वारा लाए गए कृषि उत्पादों को विपणन समितियों के माध्यम से खरीदवा कर उनकी बाजार में निर्यात आदिवासियों को अधिक से अधिक लाभ दिलावाकर कराई जाए, सरकार से वास के ऋणों के और लघु वन उत्पाद प्राप्त करने के वन के ठेके लिए जाएं। आदिवासियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति की जाए और अपन आदिवासी सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह निगम अपने से सम्बद्ध 30 प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से काम करता है। आदिवासियों से लघु वन उत्पाद खरीदने के लिए गिरिजन निगम को एकाधिकार प्राप्त है। 1969-60 तक निगम की क्रय नीति यह थी कि आदिवासियों को लघुवन उत्पाद के लिए ऊपर के खर्च और अनुमेय सुख के प्रतिशत 10 प्रतिशत काट कर उचित कीमत का भुगतान किया जाए। परन्तु उसके बाद यह निर्णय किया गया कि आनुषंगिक प्रभार को 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए और उसके भाग जितने प्रतिशत सूख की अनुमति हो, इतनी कटौती की जाए। ऐसा बताया गया है कि अपने प्रारम्भ से लेकर निगम ने 73.33 लाख रुपये तथा 466.08 लाख रुपये मूल्य के क्रमशः कृषि सम्बन्धी तथा लघु वन उत्पादों का प्रापण किया। 1978 में कृषि सम्बन्धी तथा लघु वन उत्पादों

के प्रापण का मूल्य क्रमशः 10.48 लाख रुपये तथा 130.52 लाख रुपये था। आदिवासी अपने उत्पाद इस निगम को बेचते हैं और उनके बदले घरेलू जरूरत की चीजें जैसे चावल, नमक, मिट्टी का तेल खाने के तेल आदि खरीदते हैं। कंट्रोल वाली वस्तुओं की विपणन कीमत क्रय मूल्य पर सरकार द्वारा स्वीकृत अंश जोड़ कर, अर्थात् परिवहन के खर्च की भरपाई करने के लिये 10 प्रतिशत जोड़ कर, नियत की जाती है। यह निगम कंट्रोल का कच्चा भी बड़े पैमाने पर बेच रहा है जिससे 10 से लेकर 20 प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त होता है और फसल के समय दाने तथा खाने के तेल खरीद कर उन्हें अन्य समय बेचने का प्रस्ताव है। ऋण के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त हुई 25 लाख रुपये की सम्पूर्ण धन राशि कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये आदिवासियों को उधार दे दी गई। इस निगम ने कहवा की खेती आरम्भ कराने के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों में 5000 एकड़ भूमि का चुनाव किया। कहवा बागान स्कीम के अन्तर्गत 7 वर्ष के अन्त में जब कि पौधे फल देने योग्य हो जाएं, प्रत्येक आदिवासी परिवार को 2 एकड़ भूमि का टुकड़ा सौंप देने का विचार किया गया। 1978 तक इस निगम द्वारा 16050 एकड़ भूमि पर कहवा के बागान लगाए गए हैं जिनके लिए निगम को कुल 56.64 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

2. असम मैदानी जन-जाति विकास निगम लिमिटेड, दिसपुर

असम मैदानी जन-जाति विकास निगम लिमिटेड वर्ष 1975 में कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया था। निदेशक बोर्ड का गठन सरकार ने जून 1978 में किया, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 14 निदेशक थे। कृषि, लघु तथा कुटीर उद्योगों, अच्छे निवास गृहों, मात्स्यकी, डेरी फार्म, आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने उपभोग ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए नियम बनाए। निगम ने आदिवासी बुनकरों को सूती धागा उपलब्ध कराने के लिए भी योजनाएं आरम्भ की हैं। विदेशी मंडियों को निर्यात करने के लिए उत्तम सूती वस्त्रों के उत्पादन का भी निगम का प्रस्ताव था। निगम ने आदिवासियों को एंडी के कोयों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी हाथ में ली हैं। इसके लिए प्रति परिवार 1000 रु० तक की पेशगी इस शर्त पर दी गई कि उनके द्वारा कोये निगम को बेचे जाएंगे। डाक्टरों, इंजीनियरों, आदि को प्रोत्साहित करने साथ साथ सहायता भी दी जाती है। ज्ञात हुआ है कि बेरोजगार आदिवासी युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निगम ने गोहाटी में सूत की रंगाई तथा छपाई आदि के लिए एक लघु औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निश्चय किया है।

3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, गोहाटी

अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का पंजीकरण सन् 1975 में किया गया था। लघु उद्योग व्यापार तथा मात्स्यकी, आदि का कारोबार आरम्भ करने के लिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों को मूल पूंजी प्रदान करने के लिए नियम बनाए गए। यह भी निर्णय किया गया कि असम के प्रत्येक मैदानी जिले में निगम की कम से कम एक शाखा अवश्य खोली जाए। यह जावकारी मिली है कि गोहाटी तथा नवगांव में एक-एक शाखा

कार्यालय खुल गए हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान निगम की 6 और शाखाएँ खोल दिए जाने की आशा थी।

4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, पटना।

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, बिहार तथा उड़ीसा सहकारी नियमों के अन्तर्गत इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि वे हरिजनों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु तथा ग्रामोद्योग जैसी गतिविधियों को आरम्भ करने के साथ साथ औद्योगिक सहकारी तथा अन्य सहकारी समितियों की स्थापना करें, हरिजन मदस्यों को ऋण तथा सीमान्त सहायकी मंजूर करें, अनुसूचित जाति के लोगों में सहयोग की भावना जागृत करें, हरिजनों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति तथा अनुसंधान संबंधी योजनाएँ बनाएँ तथा आवास भवनों, होस्टल भवनों, विद्यालय भवनों का निर्माण करें; तथा कृषि और अन्य उत्पादों के संग्रह और वितरण का कार्य भी करें। आरम्भ में वर्ष 1978-79 के दौरान 10,000 रु० का बजट प्रावधान किया गया।

5. गुजरात आदिवासी विकास निगम, अहमदाबाद

गुजरात राज्य आदिवासी विकास निगम सन 1972 में स्थापित किया गया था। निगम से यह अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं ही अथवा स्वीकृत संगठनों/ऐजेंसियों के साथ मिल कर अथवा उनके माध्यम से कृषि विकास के किसी भी कार्यक्रम; विपणन; कृषि उत्पादन के संसाधन, आपूर्ति तथा भंडारण; लघु उद्योग; भवन निर्माण; परिवहन तथा अन्य ऐसे क्रियाकलापों की योजनाएँ तैयार करने के साथ-साथ उनकी प्रगति के लिए कार्य करे। निगम का अहमदाबाद में स्थापित केवल एक ही कार्यालय है। निगम क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकार के जिला स्तर के अधिकारियों, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं और सहकारी समितियों के परियोजना अधिकारियों की सहायता में कार्य करता है। गुजरात सरकार ने 31 दिसम्बर, 1978 तक पूँजी के रूप में 48 लाख रुपए तथा प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान के रूप में 14.22 लाख रुपए प्रदान किए हैं। वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :-

(रुपए लाखों में)

| वर्ष | पूँजीगत प्रावधान | प्राप्त ऋण | राज्य सरकार से प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान | योग |
|----------------|------------------|------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1972-73 | 2.00 | 3.00 | --- | 5.00 |
| 1973-74 | 5.00 | --- | --- | 5.00 |
| 1974-75 | 15.00 | --- | --- | 15.00 |
| 1975-76 | --- | --- | 7.00 | 7.00 |
| 1976-77 | 10.00 | 3.00 | 3.72 | 13.72 |
| | *3.00 | | | |
| 1977-78 | 6.50 | --- | 3.50 | 10.00 |
| 1978-79 | 6.50 | --- | --- | 6.50 |
| 31-12-1978 तक) | | | | |
| योग | 48.00 | 6.00 | 14.22 | 62.22 |

निगम ने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आसान ऋणों के रूप में 47.68 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, जिसमें 15.5 सहकारी समितियों तथा 3 मान्यताप्राप्त स्नेच्छक संस्थाओं के क्षेत्र ऋण तथा क्षेत्र पूँजी का अंशदान भी सम्मिलित है। वर्ष 1974-75 के दौरान निगम द्वारा तेल पम्पों, रहटों, हँड पम्पों, आदि जैसे प्रयोजनों के लिए 1.35 लाख रुपए का व्यय किया गया था जबकि योजना में 8.59 लाख रुपए का प्रावधान था। इसी प्रकार 1975-76 के दौरान वित्तीय सहायता विषयक योजनाओं, तेल पम्पों, रहटों तथा हँड पम्पों, निष्पुंक चिकित्सा सहायता, सहकारी आवास समितियों की सहायता प्रदान करने विषयक योजनाओं पर 2.23 लाख रुपए का व्यय किया गया जबकि योजना में 5.04 लाख रुपए का प्रावधान था। किन्तु 1975-76 के दौरान ये योजनाएँ पुनः समाज कल्याण विभाग को अन्तर्गत कर दी गई। अनुसूचित जनजातियों की औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता देने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहायकी देने तथा अनुसूचित जनजाति की विपणन एवं उपभोक्ता समितियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने विषयक योजनाएँ निगम द्वारा 1974-75 से 1977-78 के दौरान आरम्भ की गई थी। इन पर 4.19 लाख रुपए के प्रावधान में से 2.21 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। कुल मिलाकर इससे 89 आदिवासी समितियाँ लाभान्वित हुई थीं। 1 अप्रैल, 1978 से ये योजनाएँ समाप्त कर दी गई। निगम ने वर्ष 1977-78 से 31 दिसम्बर 1978 तक आदिवासी उपयोजना स्कीमों पर 12.09 लाख रुपए की राशि व्यय की थी जबकि 31 समितियाँ संगठित करने के लिए योजना में 18.79 लाख रुपए का प्रावधान था। दुधारू पशुओं की खरीद के लिए आदिवासियों की सहायता देने के लिए 1977-78 के दौरान 9.50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। निगम ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान आदिवासियों को निम्नलिखित ऋण दिए थे।

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | 1977-78 | 1978-79 |
|----------|--------------|---|---|
| | | | (31-12-78 तक) |
| | | लाभान्वित प्रदत्त आदि-वासियों की संख्या | लाभान्वित प्रदत्त आदि-वासियों की संख्या |
| | | (रु० लाखों में) | (रु० लाखों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दुधारू पशु | 2,155 | 43.45 |
| 2. | द्वैल/भैंसे | 1,857 | 19.34 |
| 3. | बैलगाड़ियाँ | 345 | 3.12 |
| 4. | मूर्गी पालन | 227 | 6.81 |
| 5. | मत्स्यकी | 120 | 1.44 |
| योग | | 4,704 | 74.16 |
| | | 2,238 | 52.08 |

*वर्ष 1973 में मंजूर किया गया 3.00 लाख रुपया का ऋण 1976-77 में पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था।

6. हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, लिमिटेड, चंडीगढ़

निगम ने 31 दिसम्बर 1978 तक 7% व्याज पर 94.73 लाख रुपए की राशि के ऋण मंजूर किए थे, उच्च शिक्षा के लिए दिए गए ऋणों पर व्याज 4% लिया गया। निगम को राज्य सरकार से 58 लाख रुपए का ऋण तथा 1.24 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। यह भी सूचना मिली है कि ऋण देने के अतिरिक्त निगम ने तीन औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित की हैं। इन इकाइयों के 1977-78 के दौरान कार्यक्रम के संबंध में जानकारी नीचे दी जा रही है :—

| क्रम सं० | उत्पादन केन्द्र का नाम | त्रिनिर्मित माल का मूल्य (लाख रुपयों में) | नियोजित काम-गारों की संख्या |
|----------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जूता उत्पादन केन्द्र, करनाल। | 16.10 | 50 (ये सभी अनुसूचित जाति के थे) |
| 2. | हरकल्याण, कुरुथल | 14.00 | 50 (इनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति के थे) |
| 3. | हरकल्याण वाइडर्स प्रिंटर्स, पंचकुला। | 9.91 | 55 (यथोक्त) |

उक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1976-77 के दौरान दर्शाया गया लाभ क्रमशः रु० 1,01,318.24, रु० 20,090.48 तथा रु० 1,28,471.82 था।

7. कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा जन-जाति विकास निगम, बंगलौर निगम की स्थापना मार्च 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना के समय से ही सरकार ने इसे 50.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी जोकि बाद में 80.00 लाख रु० तक बढ़ा दी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1976-77 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण मंजूर करने के लिए 40 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई थी। तथापि 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान विभिन्न काम धंधों के लिए स्वीकृत ऋण की राशि क्रमशः 18,12,730/ रुपए तथा 10,69,200 रु० थी। इन श्रेणियों के 1230 व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए। जहाँ तक रोजगार के अवसर प्रदान के लिए आनुषंगिक उद्योगों की स्थापना का संबंध है, निगम ने हिल्डमैन मशीन टुल्स के घड़ी के कारखाने से घड़ी संयोजन की एक आनुषंगिक इकाई प्राप्त कर ली है, जिस के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार 1.58 लाख रु० की राशि लगाई भी जा चुकी है। अनुमान है कि 5 वर्ष की क्रमबद्ध अवधि के दौरान 100 लड़कियों को नियुक्त किया जा सकेगा। वर्ष 1976-77 के दौरान इस इकाई ने 1.37 लाख रु० की सकल आय प्राप्त की थी। ऐसी भी सूचना है कि निगम ने अनुसूचित जाति के 27 झाड़वरों को 27 आटो-रिक्शा खरीदने में भी सहायता की। इसके लिए निगम द्वारा उन्हें सीमान्त धन प्रदान किया गया, जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सके। अनुसूचित जाति के एक फोटोग्राफर को भी सीमान्त धन की बाबत 3,000

रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। वर्ष 1977-78 के दौरान निगम ने आनुषंगिक इकाई के सुधार के लिए 8.00 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया था। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से ऋण मंजूर करने के लिए सिंचाई कुओं तथा पम्प सेटों में प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति के 14 प्राथियों का चयन किया गया था। अग्रवर्ती के एक कारखाने और सजिकल कॉटन बनाने की एक इकाई की स्थापना के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक आटोमोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप तथा सविस इकाई की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। निगम ने 1976-77 के दौरान 1,13,378.55 रुपए की हानि उठाई है।

8. केरल राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम, त्रिचूर

निगम का पंजीकरण दिसम्बर 1972 में हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल सरकार ने निगम को 267.199 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी थी। निगम द्वारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया, वह आवास स्कीमों के संबंध में था। प्रथम आवास स्कीम के अन्तर्गत 2157 मकान तैयार किए जाने की सूचना है तथा 43 मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर थे। इन पर 114.28 लाख रु० का व्यय किया गया है। निगम की द्वितीय आवास स्कीम में कम लागत के सहायको प्राप्त 10,000 मकानों के निर्माण करने का विचार था। कृषि भूमि की खरीद के लिए ऋण देने की स्कीम के अन्तर्गत 1458 व्यक्तियों को 55,02,495.00 रुपए के ऋण दिए गए। निगम ने छोटे-मोटे कारोबार, व्यापार अथवा उद्योग आदि के लिए 1400 व्यक्तियों को 48.39 लाख रुपए की राशि प्रदान करने के साथ-साथ 28.50 लाख रुपए की लागत के 232 आटोरिक्शों की भी आपूर्ति की। 15 व्यक्तियों को 1.86 लाख रुपए की राशि को भी सहायता दी गई, जिससे वे लघुतर (मिनी) औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सके। निगम ने मशीनरी की खरीद के लिए 4 व्यक्तियों को 31,525 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी तथा आटो रिक्शा चलान में 245 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित कराया। यह भी जानकारी मिली है कि केरल सरकार ने देवीकोलम तालुक के मडुवनों के लिए एक गिरिजन समिति की भी स्थापना की है, जिससे आरक्षित वन में इलायची एकत्र करने के उनके अधिकार सुरक्षित रखे जा सके। निगम ने 1976-77 तथा 1977-78 में समिति को 27.45 लाख रु० की राशि ऋण में दी है। इसके अतिरिक्त निगम ने समिति के सहयोग आदिवासियों से इलायची एकत्र की जो 1976-77 के दौरान 14.50 लाख रुपए की बेची गई। 1977-78 के दौरान इनकी बिक्री 14.08 लाख रुपए की हुई। यह भी जानकारी मिली है कि निगम हरिजनों के परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठा रहा है तथा 1977-78 में बांस तथा टोकरी बनाने के लिए हरिजन कल्याण कृषि ऋण सरकारी समिति लिमिटेड को 50,000 रु० की राशि की सहायता ऋण के रूप में दी गई। समिति को 39,000 रुपए का लाभ हुआ तथा उसने 50 परिवारों को रोजगार देने के लिए बांस हस्तशिल्प समिति को 5,000 रुपए का ऋण दिया।

9. मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी सहकारी विकास संघ, भोपाल

इस समय संघ 115 वन श्रमिक सरकारी समितियों तथा 194 बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के संबंध से कार्य कर रहा है। संघ ने अपनी स्थापना के समय से 21.24 करोड़ रुपये के मूल्य के गोद का निर्यात किया है। सन 1962 से सन 1978 तक आदिवासियों को केवल लघु वन उत्पादों की बिक्री ही 5.30 करोड़ रुपये की राशि का भूगतान किया गया है। 1977-78 के दौरान इसने आदिवासियों से 6.70 लाख रुपये के मूल्य के गैर-खाद्य तिलहन इकट्ठे किए तथा 3.16 लाख रुपये के कृषि उत्पादों की खरीद की।

10. उड़ीसा आदिवासी विकास सहकारी समिति लिमिटेड, भुवनेश्वर

उड़ीसा राज्य आदिवासी विकास सहकारी समिति की स्थापना अप्रैल 1972 में इस उद्देश्य से की गई थी कि वह उत्पादन एवं उपभोग ऋणों का संवितरण करने के अतिरिक्त उत्पादों की अधिप्राप्ति और उपभोक्ता माल और आदिवासियों की जीवन की अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा आदिवासियों के लिए विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करे। निगम 5 करोड़ रुपये की अंश पूंजी से एक शिखर रांगठन के रूप में गठित किया गया है, जिसमें आदिवासियों तथा ग्राम कल्याण विभाग की सहभागिता 40.05 लाख रुपये की है। यह अपने दो मंडलीय कार्यालयों 16 शाखाओं, 261 उचित दर दुकानों उप-योजना क्षेत्र में 188 एल० ए० एम० पी० एस० (लैम्पस) तथा 47 पंचायत समितियों के माध्यम से कार्य करती है, और 31 प्राथमिक समितियों अर्थात् वन सहकारी विपणन समितियों इससे संबद्ध हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि उप योजना क्षेत्रों में लैम्पस निगम के एजेंट के रूप में कार्य करेगी। परन्तु चूंकि लैम्पस अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं, इसलिए जिन क्षेत्रों में लैम्पस सक्रिय नहीं हैं वहां निगम अपनी शाखाओं के माध्यम से अधिप्राप्ति खरीद और विक्रय की अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा। 21-7-1979 तक उचित दर की 261 दुकानों में से 166 दुकानों पहले ही लैम्पस को हस्तान्तरित की जा चुकी है और उप-योजना क्षेत्रों की शेष 75 दुकानों भी हस्तान्तरित की जा रही हैं। आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के बाहर की 47 दुकानें बन्द कर दी जाएंगी क्योंकि इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय विपणन सहकारी समितियों बहुत सक्रिय हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि निगम आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद तथा अधिशेष कृषि उत्पादों की ऐसी मदों की अधिप्राप्ति का कार्य हाथ में लेगा जो अधिक दृष्टि से क्षम हैं। अन्य मदों की अधिप्राप्ति का काम भी वह हाथ में लेगा बर्तते कि सरकार घाटे की जिम्मेदारी ले ले। निगम द्वारा जिन मुख्य कृषि उत्पादों तथा वन उत्पादों का कारोबार किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं: धान्य, मोटे अनाज, दलहन, खाद्य तेल, मसाले तथा गर्म मसाले और गैर-खाद्य तिलहन जैसे कि निमोलियां महुआ के बीज, तथा गोद और इसली। यह जानकारी मिली है कि निगम आदिवासी क्षेत्र के अधिशेष कृषि तथा वन उत्पादों के लगभग 15 से 20 प्रतिशत का विपणन करने में समर्थ रहा है। निगम द्वारा जिन कृषि उत्पादों का कारोबार किया गया उनका मूल्य 1972-73 में 18.97 लाख रुपये था जो 1977-78 में बढ़कर 133 लाख रुपये हो

गया। इसी प्रकार लघु वन उत्पादों का मूल्य जो कि 1972-73 में 18.97 लाख रुपये मात्र था 1977-78 में बढ़कर 42 लाख रुपये हो गया। वर्ष 1978-79 के दौरान निगम का 300 लाख रुपये मूल्य के कृषि तथा लघु वन उत्पादों की अधिप्राप्ति करने का प्रस्ताव था। इसी प्रकार आपूर्ति किए गए उपभोक्ता माल का मूल्य 1977-78 में 210 लाख तक बढ़ गया जबकि 1972-73 में यह राशि 44.60 लाख रुपये थी। 1978-79 के दौरान समिति ने आदिवासियों की दैनिक आवश्यकताओं को 300 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका लघु वन उत्पादों के लिए संसाधन इकाइयों स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

11. राजस्थान आदिवासी विकास निगम, उदयपुर

निगम ने मार्च 1976 से काम करना आरंभ किया है। 6 जिलों की पंचायत समितियां इससे सम्बद्ध हैं 1976-77 के दौरान निगम की सरकार से 1,35,94,000 रुपये प्राप्त हुए थे। 30 जून 1978 तक 54 लैम्पस कार्य कर रहे थे जिनके अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या क्रमशः 50,693 (53.5%) तथा 10,480 (14.15%) थी। इसने राज्य में 188 सहकारी समितियों की पुनः स्थापना की है। निगम ने 1977-78 के दौरान आदिवासियों में 38.08 लाख रुपये के मूल्य के उर्वरकों तथा बीजों का वितरण किया। जनवरी 79 तक वितरित राशि का मूल्य 21.41 लाख रुपये था। 1977-78 के दौरान 92.08 लाख रुपये के उपभोक्ता माल का वितरण किया गया था। जनवरी 79 तक 20.93 लाख रुपये के उपभोक्ता माल का वितरण किया जा चुका था। 1977-78 के दौरान वितरित लघु वन उत्पादों का मूल्य 14.92 लाख रुपये तथा जनवरी 1979 तक वितरित इन उत्पादों का मूल्य 9.93 लाख रुपये था निगम ने 1977-78 के दौरान तथा जनवरी 1979 तक क्रमशः 98,000 रुपये तथा 2.10 लाख रुपये के मूल्य के कृषि उत्पादों की खरीद की थी। निगम ने सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों के लिए 45,000 रुपये के ऋण दिए तथा 270 मछुओं की 9,000 रुपये की राशि मजदूरी के रूप में दी। जनवरी 1979 तक निगम ने मछुओं के लिए नावों, जालों तथा शेंडों आदि की भी व्यवस्था की थी। 235 टन मछलियां पकड़ी गईं तथा बेची गईं।

12. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम, लखनऊ

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम 37.39 लाख रुपये की शेरर पूंजी से स्थापित किया गया था। राज्य सरकार ने अपनी कार्यशील पूंजी समूचित रूप से बढ़ाने की स्वीकृति दे दी थी, जिससे उसका अंशदान केन्द्रीय सरकार के 49% अंशदान की तुलना में 51% हो जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है जिसके साथ राज्य सरकार का भी 4.33 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। ज्ञात हुआ है कि निगम ने कृषि, कुटीर उद्योग तथा अन्य छोटे व्यवसायों के लिए सहायकी वितरित करने के एजेंट के रूप में भी काम किया। खुदरा कपड़े की दुकानों/परचून की दुकानों के लिए प्रति हिंसाधिकारी को 4000 रु० तक का वित्त प्रदान किया; बेरोजगार शिक्षित स्नातकों को टाइपराइटर खरीदने के

लिए ऋण दिया जिससे वे टाइप की दुकानें खोल सकें; ऑटोरिक्षा चालकी तथा रिक्शा खींचने वालों की सहायता करने के लिए परियोजना की बैंक ग्राह्य योजनाओं की वास्तविक मुल्य प्राप्त करने वाला 25% सीमान्त धन दिया तथा छोटे ऋणों के संबंध में बैंकों को अपनी गारंटी दी। किन्तु इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि निगम ने इस श्रेणी के व्यक्तियों को वस्तुतः कितनी सहायता दी।

महाराष्ट्र राज्य में विकास निगम

4.37 यह उल्लेख कर दिया जाए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने जुलाई 1979 में महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास निगम, पुणे तथा महात्मा फुले पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के कार्यचालन के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। इन दो निगमों के कार्यचालन के संबंध में उपलब्ध जानकारी नीचे दी जा रही है :-

1. महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड पुणे 1

निगम की स्थापना अद्यपि सन् 1972 में हुई थी, किन्तु 1972-75 के दौरान इसके क्रियाकलाप बहुत ही सीमित रहे। इस दौरान इनकी गतिविधियाँ आदिवासी क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए कुछ प्राथमिक इकाइयों की व्यवस्था तथा संचालन तक ही सीमित रहीं। महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक परिस्थितियों (सुधार) अधिनियम के अन्तर्गत के उपरालय निगम का पुनर्गठन करने के साथ-साथ उसे पुनः परिचित किया गया तथा उसमें फिर से जान डाली गई जिससे वह आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाकलापों विशेषकर विपणन तथा ऋण विपणन गतिविधियों का संचालन कर सके। इस समय निगम आदिवासी सहकारी समितियों के शिक्षण संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और ऐसी सभी समितियों इससे सदस्य के रूप में संबद्ध हैं। निगम आदिवासियों के हित की योजनाएं लागू करने के लिए सरकार के अधिकारियों के रूप में काम करता है। निगम ने पूणे, थाणा, धुले, नासिक, चन्द्रपुर, यवतमाल और नागपुर में 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा की जाती है। तालूका स्तर पर इसके 26 कार्यालय खोले गए हैं, जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था सहायक कर्मचारियों सहित विपणन अधिकारियों द्वारा की जाती है। 1977-78 के दौरान निगम को नासिक जिले की पेठ तथा सुरगाना तहसील, पुणे जिले की अम्बेगांव तथा जुन्नर तहसील, अमरावती जिले की मेलघाट तहसील तथा चन्द्रपुर जिले की सिरोंचा और गढ़चिरोली तहसीलों में निदिष्ट चीजों की एकाधिकार खरीद तथा विपणन के लिए सरकार के मुख्य अधिकारियों (एजेंट) के रूप में नियुक्त किया गया। 11 अक्टूबर, 1977 से 12 दिसम्बर 1977 के मध्य धुले जिले की नवापुर तहसील तथा अमरावती जिले की मेलघाट तहसील में निदिष्ट उत्पादों के 32,000 क्विंटल की खरीद की गई, जिसका मूल्य 60 लाख रुपए था। 1977-78 के दौरान निदिष्ट उत्पादों के 1,12,000 क्विंटल की खरीद की गई, जिसका मूल्य 1.37 करोड़ रुपए था। ज्ञात हुआ है कि योजना के प्रति आदिवासियों का रुख बहुत ही अनुकूल रहा है। तदुपरान्त, यह निर्णय किया गया कि निदिष्ट उत्पादों की एकाधिकार खरीद की योजना अक्टूबर 1978

से 40 आदिवासी तहसीलों में लागू कर दी जाए। आदिवासी विकास निगम 31 मई 1979 तक 7.62 करोड़ रुपये की कुल लागत से 6,75,834 क्विंटल निदिष्ट उत्पादों की खरीद कर चुका था। ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने थाने जिले की पालघर तहसील में घास की एकाधिकार खरीद मार्गदर्शी आधार पर अपने हाथ में ले ली है। आदिवासी विकास निगम ने 13 लाख रुपए मूल्य की 7358 मीटरी टन घास खरीदी जिसकी आपूर्ति अभावग्रस्त जिलों को की गई। राज्य सरकार ने आदिवासियों को उन क्षेत्रों में उपभोग वित्त देने का निर्णय किया है जहां महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक (परिस्थिति) सुधार अधिनियम 1975 के उपबंध लागू किए जा चुके हैं। "उपभोग वित्त संवितरण परिष्कारी विधि" का सृजन करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई थी। आदिवासी विकास निगम द्वारा उपभोग वित्त की योजना आदिवासी सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी। उपभोग वित्त ऋण आदिवासी सहकारी समितियों के सदस्यों की 7.5% वार्षिक व्याज की दर से वर्ष में केवल एक बार दिए जा सकते थे जिसको 30% से अधिक राशि ही नकद दी जा सकती थी। वस्तु रूप में दिए जाने वाले अन्न में खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, कपड़े, नमक तथा खाद्य तेल होते थे। योजना के अधीन वित्त का मापदंड निम्न प्रकार था :-

- (i) अनुसूचित जनजाति के एक परिवार को 250 रु० की राशि बशर्ते कि वह लिए गए सभी ऋणों के संबंध में सरकार के तथा किसी भी संस्था के प्रति व्यतिक्रमी न हो, दीर्घावधि ऋण इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- (ii) अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार को 125 रु० की राशि, जो कि लिए गए ऋणों के संबंध में सरकार सहित किसी भी संस्था के प्रति व्यतिक्रमी हों, दीर्घावधि ऋण इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- (iii) अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार को 100 रुपए की राशि जिसके पास कोई भूमि न हो और उसको आय का मुख्य भाग गांव में किसी भी प्रकार की मजदूरी करके प्राप्त होता हो।

4.38 आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, पूणे द्वारा महाराष्ट्र राज्य में "उपभोग वित्त" के संबंध में किए गए अध्ययन का उल्लेख करना यहां प्रासंगिक होगा। उनके कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :-

1. स्कीम में आदिवासी सहकारी समितियों के 1,99,372 आदिवासी सदस्यों में से 1,59,733 सदस्यों को आवृत्त कर लिया गया था अर्थात् 80% में योजना का प्रसार था। 36% हिताधिकारी भूमिहीन मजदूर, 25% व्यतिक्रमी सदस्य और 39% गैरव्यतिक्रमी सदस्य थे। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि निर्धनों में भी निर्धनतम के प्रति भेदभाव-मूलक रचनात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए।
2. यह देखने में आया कि खाद्यान्नों के सिवाय वस्तु रूप में दो जाने वाली अन्य सभी मदे आदिवासी सहकारी समितियों में वितरण के लिए संश्लेष पैकेज के रूप में नहीं ली गई थी। यह सुझाव दिया गया कि सरकार के संकल्प में उल्लिखित सभी वस्तुएं संश्लेष पैकेज के रूप में ही वितरित की जानी चाहिए। खास तौर से मोठे तेल तथा मिट्टी के तेल की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए; यह आवश्यक समझा गया कि सभी आदिवासी सहकारीयां समितियां तथा आदिवासी विकास निगम के

- पर्यवेक्षी कमियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 30% से अधिक सहायता नकद न दी जाए।
3. यह देखने में आया कि औसतन 112 रुपये की सहायता अपर्याप्त है और इतनी अल्प सहायता से युगों पुरानों शोषणात्मक पद्धति को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होगा।
 4. क्षेत्र में पुछताछ के दौरान यह देखने में आया कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जहाँ हितकारियों को ऋणों का उस हद तक लाभ नहीं मिला है जितना कि उनके लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। यह सुझाव दिया गया कि सहायता राशि की सीमा बढ़ाकर भूमिहीनों, व्यक्तिकर्मी सदस्यों तथा गैर-व्यक्तिकर्मी सदस्यों के लिये क्रमशः 150 रु०, 175 रु० तथा 300 रु० कर दी जाए।
 5. देखा गया कि सभी स्थानों पर सहायता के रूप में नकद राशि का वितरण अनुदेशों के विपरीत एक ही किस्त में किया गया है। हिताधिकारियों से भी शिकायतें आई हैं। कुछ मामलों में दूसरी किस्त इस आधार पर देने से मना कर दिया गया कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में आदिवासी सहकारी सोसाइटियों ने हिताधिकारियों से घटिया स्तर का सामान खरीदने के लिए कहा अथवा उनसे अपेक्षाकृत ऊंची कीमतें वसूल की गईं। कुछ हिताधिकारियों को छोटी छोटी रकमें लेने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ी। सुझाव दिया गया कि नकद रकम सामान वितरण के बाद एक ही किस्त में दे दी जाए। सुझाव दिया गया कि मण्डलों से वितरण केन्द्र तय करने के लिए आदिवासी सहकारी सोसाइटियों के संबंधित अध्यक्षों और प्रबंधकों के परामर्श से फिर से समीक्षा की जाए। यह महसूस किया गया कि स्कीम के अधीन व्यय भी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। वित्त की माला बढ़ाकर भी मदद की जा सकती है।
 6. वितरण के बाद आदिवासी सहकारी सोसाइटियों के पास अपेक्षाकृत अधिक माल बिना काम आए बचा पड़ा रहा। ऐसे माल से नुकसान/हानि हुई। सुझाव दिया गया कि आदिवासी विकास निगम आदिवासी सहकारी सोसाइटियों से सूचना मिलने के बाद 1-2 सप्ताह के भीतर बाकी बचे हुए सामान को उठा लिया करें जिससे कि नुकसान न हो तथा माल न घटे।
 7. फरवरी 1979 के अन्त तक केवल 8% ऋण ही वसूल हो पाए थे और मार्च 1979 के अन्त तक वसूलियां बढ़कर 13% हो गई थीं। इस सबका अर्थ है कि वसूली की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं थी। ऋण राशियों की वसूली के लिए प्रमुख गांव वालों की ग्राम-वार समितियां बनाई जानी चाहिए; कारगर ढंग से वसूलियां करने के लिए उधार तथा काम के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। अदायगी में व्यक्तिगत न करने वालों के लिए उचित प्रोत्साहन देने और व्यक्तिगत करनेवालों को प्रोत्साहन न देने के बारे में विचार किया जाया चाहिए। ऋणों की अदायगी एकाधिकार प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के रूप में भी स्वीकार की जानी चाहिए।
 8. यह सुझाव दिया गया था कि उपभोग के लिए वित्त का वितरण मध्य जून तथा जुलाई के बीच किया जाना चाहिए जिससे कि हिताधिकारियों के पास वर्षा शुरू होने से पहले वस्तुएं तथा नकद राशि हो।
 9. यह सुझाव दिया गया था कि स्कीम का लाभ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले उन गैर-आदिवासियों को भी दिया जाना चाहिये जो गरीबी की हालत में हों।
 10. आदिवासी सहकारी समितियों के चुने हुए कर्मचारियों को जो आदिवासी विकास समितियों के विपणन अधिकारी आदिवासी विकास निगम के प्रादेशिक मैनेजर के स्तर के हों, उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौशलों तथा अभ्यास से अनकूलन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
 11. मानसून शुरू होने से पहले मुख्य बिन्दुओं पर वितरण के लिए वस्तुओं के भंडारण का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए।
 12. यह देखा गया कि आदिवासी सहकारी समितियों को अपने कमीशन की राशि न तो एकाधिकार प्राप्ति और न इस स्कीम के अंतर्गत मिल पाती थी। यह सुझाव दिया गया कि कमीशन की राशि दो किस्तों में दे दी जानी चाहिए, एक तो वितरण पूरा होते ही तदर्थ आधार पर और दूसरी किस्त वितरण और हिसाब हो जाने के दो महीने बाद दे दी जानी चाहिए।
- 2. महात्मा फुले पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड**
- निगम की हाल ही में स्थापना हुई है और यह अनुमान लगाया गया है कि सभी प्रस्तावित स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अर्धसूचित जनजातियों, अधिसूचित जनजातियों तथा नवबौद्धों के लगभग 70,000 परिवार 1979-80 में सीधे लाभान्वित होंगे। इस समय निगम की आमदनी का स्रोत महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदा की गई शेर पूंजी है। 1979-80 के दौरान निगम की समादत्त शेर पूंजी में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में 50 लाख रुपये की योजना-प्रावधान किया गया है। सालूम हुआ है कि निगम की निधियों में वृद्धि करने के कई सुझाव विचाराधीन हैं। यह भी आशा की जाती है कि भारत सरकार भी निगम की निधियों में संदत्त पूंजी के स्तर के अनुरूप 51:49 के अनुपात में अभिधान करेगी। इससे निगम का 47.84 लाख रुपये की राशि मिल पाएगी। उससे 1979-80 में उसकी समादत्त शेर पूंजी का योग 102.84 लाख रुपये हो जाएगा। वर्ष 1979-80 के दौरान जिन स्कीमों पर काम होना है उनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :-
1. मार्गदर्शी बैंकों द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए उधार देने की योजना में जो स्कीम सम्मिलित की गई है उसे बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित है कि उद्योगों आदि में एक स्थापित करने हेतु आवेदकों के लिए संपर्क सेवाओं की व्यवस्था की जाए। निगम पर मार्जिन राशि तथा व्याज की सहायकी (सब्सिडी) का ही वित्तीयभार पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत निगम की कुल आवश्यकता का अनुमान 165.25 लाख रुपये लगाया गया है।
 2. पॉलिस्टर हथकरघा परियोजना हथकरघा बुनाई में दिल-चस्पी रखने वाले आवेदकों को मदद करने के उद्देश्य से आरम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है। आवेदकों को करघे खरीदने के लिए मार्गदर्शी बैंकों की सहायता से ऋण सुविधाएं दी जाएंगी। निगम की ओर से उद्यमियों को मार्जिन राशि और व्याज की सहायकी दी जाएगी। 1979-80 के दौरान चार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए 8 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी।
 3. एकीकृत डेरी विकास के लिए दुधारू पशु खरीदने और उनकी नस्ल की सुधारने हेतु सहायता प्राप्त करने में आवेदकों की मदद की जाएगी। वर्धा, नागपुर तथा भंडारा के जिले इस कार्य के लिए चुने गए हैं। इसके लिए 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

4. शहरी और ग्रहणहरी क्षेत्रों में खुदरा खाद्य सामग्री के और सामान्य स्टोर स्थापित करने का विचार है। 1979-80 में लगभग एक हजार दुकानें खोली जाएंगी और इन स्टोरों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुएं बेची जाएंगी। 1979-80 के दौरान इसके लिए 18.20 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
5. ग्रामीण परम्परागत विनिर्माण वाणिज्यिक शिल्प धंधों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के अंतर्गत फरनीचर बनाने के एकक, साबुन तथा डिटरजेंट बनाने, आरा मशीनें बेंत तथा बांस की वस्तुएं, घर बने कागज के एकक, मुद्रणालय, ईट के भट्टे, दर्जी की दुकान, बेकरी एकक, जूते बनाने और चमड़े की वस्तुएं, तेल निकालने के छोटे मिल आदि लगवाकर या खुलवाकर रोजगार पैदा किया जाएगा।
6. यह प्रस्ताव है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को काम देने और उनके शोषण को समाप्त करने के लिए सहकारी समितियां गठित की जाएं। ममस्त राज्य में ऐसी 200 समितियां बनाने का प्रस्ताव है और इस पर 153.00 लाख रुपए का व्यय होगा।
7. संभाव्य आवेदकों को साप्ताहिक बाजार में कपड़ा बेचने से लेकर पेट्रोल पम्प लगाने या गैस की एजेंसी लेने जैसे कामों के लिए एजेंसी व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। 1979-80 में 5.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
8. बुलढाना, कोलावा तथा परभणी जिलों में तेल मिल तथा विलायक कर्षण संयंत्र (साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्लांट) लगवाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
9. राष्ट्रीय तथा राज्यों के राजमार्गों पर यात्री सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छोटी कैम्पिटरिया तथा विश्रामकक्ष और कुशकों की व्यवस्था शामिल होगी। 1979-80 के बजट में इसके लिए कुल 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
10. वाहनों की सर्विसिंग, बेटरीचार्जिंग तथा वैल्विंग आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मोटर गाड़ियों की मरम्मत की वर्कशापें भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित है कि उद्यमियों को गृह निर्माण संबंधी सामग्री बनाने की यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इस प्रकार की कम से कम एक-एक यूनिट 1979-80 में महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में स्थापित कर दी जाए। इस प्रयोजन के लिए कुल 11.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
11. भारी वाहनों, टैंकियों और आटो-रिक्शाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए परिवहन परिचलन स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं। टैंकियों अथवा आटो-रिक्शाओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर सैमिस प्राप्त करने के लिए सम्पर्क सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। 1979-80 के लिए कुल 28 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 1979-80 में 200 आटोरिक्शाओं के लिए वित्त देने का प्रस्ताव है।
12. दर्जी, पैरा मैडिकल सेवाएं, यात्रा एजेंट, व्यापार एजेंट, सहकारी समितियों के लिए प्रबन्धक, नलराजी, बिजली-

कर्म आदि व्यवसायों की प्रशिक्षण सुविधाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण के लिए जिन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ हर महीने 50 रुपए की वृत्तिका दी जाएगी। 1979-80 में 13.50 लाख रुपए की राशि की जरूरत पड़ेगी। 1979-80 के दौरान ऊंधी नौकरियों और पेशों में जा सकने के लिए 500 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है जिसमें कि उन्हें आरक्षित वर्गों के उन पदों को प्राप्त करने में मदद मिल सके जो अन्यथा विना भरे रह जाते। इस संबंध में पड़ने वाला वित्तीय भार अनुमानतः 5 लाख रुपए होगा।

13. इनके अलावा परिोजनाओं में उद्यमियों को लगाने की स्कीमें, रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आदि भी चलाने का विचार है।

4.39 यह देखा गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए निगम एक व्यापक आधार वाला कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव कर रहा है। निगम अभी इसकी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और उसके द्वारा इसमें कितना वास्तविक योगदान हो पाएगा, यह दिलचस्पी के साथ देखा जाने वाली बात होगी।

हिमाचल प्रदेश के लाहल घाटी के आलू उगाने वालों की समस्याएं

4.40 लाहल घाटी के आलू उगाने वालों की समस्याओं का पिछले साल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। यह मालूम हुआ है कि लाहल आलू उत्पादक सहकारी विपणन एवं संसाधन समिति लि० मनाली, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के आदिवासी किसानों की आलू के बीजों के विपणन, कृषि निवेशों और उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उपयोगी काम कर रही है। समिति ने राज्य सरकार से मनाली में अपने दफ्तरों और गोदार्थों के लिए तीन प्लांटों के आबंटन करने का अनुरोध किया है और यह भी निवेदन किया है कि यदि उन्हें आबंटन नहीं किया गया तो उन्हें दिए गए सरकारी ऋण और सहायकों का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि इस प्रयोजन के लिए समिति को उपयुक्त प्लांट आबंटित करने की वांछनीयता पर राज्य सरकार शीघ्र विचार करे। दूसरी समस्या जिस पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता थी वह मूल बीजों के उत्पादन के लिए लाहल घाटी में ही अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की है क्योंकि लाहल घाटी में दलेंग में राज्य कृषि विभाग द्वारा जो आलू विकास केन्द्र इस समय चल रहा है वह सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण मूल बीजों की समृद्धी मांग को पूरा कर सकने की स्थिति में नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक को अर्ध सरकारी रूप से लिखकर लाहल घाटी में ही अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जरूरत पर जोर दिया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने उस क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने की बात का हवाला दिया। तथापि उन्होंने शिमला के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक को आयुक्त के पत्र की एक प्रति भेजते हुए कहा कि राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आयुक्त के सुझाव पर विचार किया जाए। शिमला के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक से यह मालूम हुआ कि आलू उत्पादन पर अनुसंधान करने के अतिरिक्त संस्थान को प्रजनक बीज के उत्पादन का काम भी सौंपा गया था, इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य के कृषि विभागों को दिया जा रहा है जिससे आलू उगाने वालों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी फार्मों और कृषकों के खेतों में कृषि वैज्ञानिकों की निपुण देखरेख में बीजों के स्टॉक को बहुगुणित किया जा

रहा था। यह भी उल्लेख किया गया था कि केन्द्र ने कुफ्री और फागू से पहले ही दो फार्म स्थापित कर दिए थे जो प्रजनक बीजों के उत्पादन कार्य में संलग्न थे। इस मामले को उपयुक्त कार्रवाई के लिए निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला को भेज दिया था।

अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति विकास निगमों को केन्द्रीय सहायता

4.41 आदिवासी क्षेत्रों में नहरकारी विनियमन, संग्रहण, आपूर्ति तथा संचयन के विकास के लिए बनाई गई स्कीम को राष्ट्रीय नहरकारी विकास निगम ने जारी रखा। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के योजना संबंधी प्रयासों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम जारी रखी गई। बताया गया है कि राष्ट्रीय नहरकारी विकास निगम स्कीम से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को फायदा पहुंचा है।

4.42 इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भी यह भी अनुसूचित जाति विकास निगमों को आर्थिक रूप से तेजी से प्रयोजित स्कीमों के अधीन वित्त दिया जाएगा। 1978-79 के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:—

| राज्य | बंजर की गई राशि (रुपय लाखों में) |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 9.25 |
| 2. बिहार | 9.25 |
| 3. हरियाणा | 9.25 |
| 4. कर्नाटक | 3.00 |
| 5. केरल | 3.00 |
| 6. मध्य प्रदेश | 9.25 |
| 7. महाराष्ट्र | 1.00 |
| 8. उत्तर प्रदेश | 3.00 |
| 9. पश्चिम बंगाल | 3.00 |
| योग | 50.00 |

4.43 पिछले वेंचराफार्मों में दी गई सूचना से यह देखा जाएगा कि कुछ राज्यों को छोड़कर निगमों के गठन के माध्यम से अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी विकास निगमों के माध्यम से उनकी विकास योजनाओं में धन लगाने के लिए अभी काफी प्रयत्न करने की जरूरत है।

अस्वच्छ व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की विकृष्ट सामाजिक स्थिति

4.44 यह सर्वविदित है कि सफाई करने, चर्मशोधन, चमड़ा उतारने आदि अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की दूषित शक्ति की अत्यधिक खराब हाल रही है और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अभी तक पर्याप्त काम नहीं हुआ है। 1961 की जनगणना के समय 19,46,193 व्यक्ति इन अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए थे और उनमें 8,02,336 व्यक्ति झाड़ूकण अथवा सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे।

4.45 आगरा में कुछ चुनिन्दा व्यवसायों के अनुसूचित जाति के कामगारों के काम करने और रहने-सहने की स्थिति के बारे में 1976-77 में की गई जांच से पता चला है कि जूते बनाने के उद्योग में बच्चों का मजदूरों के रूप में कार्य करना प्रचलित था। आमतौर पर उजरती कारीगर अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रवर्धकवर्ग की मौन सहमति से अपने लडकों/रिश्तदारों को यूनियों में ले आते थे। यह देखा गया कि कुछ यूनियों में कामगार साधारण दरों पर देर तक कार्य करते थे। चर्मशोधन में मुख्य अस्वच्छ व्यवसाय थे अपरिष्कृत चर्म और खाल का काम करना तथा हड्डियों की पिमाई में हड्डियों का डालना-तकालना। हड्डियों की पिमाई की यूनियन में किसी सुरक्षात्मक उपकरण का प्रबंध नहीं था। जूता बनाने के काम में लगे सभी परिवार जाटव जाति के थे। चर्मशोधन और हड्डियों-पिमाई में भी अधिकांश कार्यकर्ता जाटव जाति के थे तथा इन दोनों व्यवसायों में बाकी परिवार सामाजिक जाति के थे। जांच से पता चला कि आगरा में सिर पर अथवा कमर पर मल ढोने की प्रथा सफाईवालों और झाड़ूकणों विशेषकर निजी घरों में कार्य करने वालों में, बहुत व्यापक थी। निजी घरों में काम कर रहे लगभग 94% झाड़ूकण सिर/कमर पर मल ढोते बताए गए हैं। सफाई संबंधी सेवाओं को नगरपालिका के अधीन लाने में यंत्रों बड़ी अड़चन पारम्परिक अधिकारों की विद्यमानता उत्पन्न जाता है जिनके स्थानीय नाम घर की जागीरदारी, वस्तुरी, जज्जानी आदि हैं। इन व्यवसायों में लगे लगभग 56% परिवारों ने इच्छा प्रकट की है कि वे अपने पारम्परिक अधिकारों को छोड़ सकें हैं वशर्त कि उनके परिवारों के सदस्यों को वैकल्पिक नौकरियां दी जाएं। यह भी देखा गया कि उनके परिवारों के अधिकांश सदस्य, लगभग 88% या तो अनपढ़ थे अथवा प्राथमिक स्तर से भी कम पढ़ लिखे थे। उनमें से मुश्किल से 1% लोगों ने मैट्रिक स्तर तक अथवा इससे ऊपर अध्ययन किया था। भंगियों की कालोनी निचली सतह के क्षेत्र में थी जिसके निकट शहर का एक गन्दा नाला बहता था। वे अत्यधिक अस्वास्थ्यकर स्थिति में रहे रहे थे। उनकी कालोनी के चारों ओर गन्दगी थी तथा कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे जिनसे बदबू आ रही थी। ढंग की सड़कों, गलियों, छोटी गलियों और नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। उचित दर की दुकानों, दूध विक्री केन्द्रों, विद्यालयों आदि की कोई सुविधाएं नहीं थीं। अधिकांश परिवारों को पर्याप्त पेयजल प्राप्त करने की समस्या का भी सामना करना पड़ता था। इस संबंध में सफाईवालों, चमड़ा उतारने वालों और चर्मशोधन कार्य करने वालों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में भी बारबार बल दिया गया है।

4.46 जहाँ तक चर्मशोधकों, चमड़ा उतारने वालों, आदि का संबंध है, आयुक्त की वर्ष 1957-58 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों को इनकी बस्तियों से बाहर चमड़ा उतारने की जगह तथा चर्म शोधन गड़े बनाने और इसके साथ ही आवश्यक जल सप्लाई की व्यवस्था करने की तत्कालीन बम्बई सरकार की योजना को अपनाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। अपनी वर्ष 1976-77 की रिपोर्ट में आयुक्त ने विशेष रूप से इन और ध्यान दिलाया था कि जिन अमानुषिक परिस्थितियों में चमड़ा उतारने वाले तथा चर्म-शोधक कार्य करते हैं उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त चमड़े, चमड़े के सामान और पिकर्स उद्योगों की विकास परिषद ने संघीय ग्राम चर्मशोधन केन्द्र और पुनः चर्मशोधन एवं परिष्करण केन्द्र शुरू करने की योजना तैयार की है। यह योजना बहुत उपयोगी लगी और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इनका अध्ययन करें। यह भी कहा गया था कि यदि केज-उत्पादों और कड़े ढालों के उप-उद्योगों को समुचित ढंग से संगठित किया जा सके जिनमें वे विदेशी-बाजार में मादकों और गुणवत्ता (क्वालिटी) की मांग पूरी कर सकें तो इससे झाड़ूकणों और सफाई

कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में तथा इस राष्ट्रीय साधन को बेकार न जाने देने में काफी मदद मिलेगी। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देकर और सहकारी गमितियों आदि के माध्यम से उधार तथा विपणन की सुविधाएं देकर इस कार्य को संगठित किया जा सकता है।

4.47 झाड़ूकणों और गफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के संबंध में आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया था कि उनकी कार्य-स्थितियों में सुधार लाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि मूल से उनका सीधा सम्पर्क न रहे। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि पहिएदार ठेलों की स्कीम और फलश शौचालय बनाने के अतिरिक्त छोटे-छोटे भवन बनाए जाएं जिनमें नहाने और स्वच्छ वस्त्रों का अतिरिक्त जोड़ा रखने के लिए अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि काम करने वाले लोग अपना काम समाप्त करने के बाद अपने शरीर को धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन सकें। आयुक्त की वर्ष 1957-58 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष की गई थी कि बाल्टीनुमा शौचालयों को बदलकर उनके स्थान पर यथाशीघ्र ऐसे शौचालय बनाए जाएं जिनमें सफाई कर्मचारी की आवश्यकता न हो। इसके लिए अपेक्षित सरकारी सहायता दी जानी आवश्यक समझी गई। जिन स्थानों पर पानी की सप्लाई खूब है वहां पटिया टाइप शौचालय अत्यधिक किफायती तथा बनाने में भी आसान समझे गए। यह वांछनीय समझा गया कि ऐसे शौचालय उन शहरों में भी बनाए जाएं जहां परिस्थितियां इसके अनुकूल हों। 1961-62 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे शौचालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिनका मूह (वाल्टियों को बाहर निकालने के लिए) बहुत छोटा हो क्योंकि इसके कारण सफाई कर्मचारियों को झुककर अपने शरीर का उपरी हिस्सा अन्दर डालना पड़ता है। साथ ही, सभी सार्वजनिक भवनों में केवल फलश-टाइप शौचालय ही लगाए जाने चाहिए। 1962-63 की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया था कि सार्वजनिक शौचालयों को फलश-टाइप शौचालयों में बदलने के लिए नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु उपयुक्त स्कीम तैयार की जानी चाहिए और मूल निष्कासन प्रणाली की सुविधा वाली वस्तियों में बनाए जाने वाले नए मकानों के लिए अनुमोदित किस्म के फलश-टाइप शौचालय लगाने का आग्रह किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि स्थानीय निकाय जन-स्वच्छता से संबंधित उप-नियमों को सख्ती से लागू करें तथा मकानों में रहने वालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे शुष्क किस्म की टट्टियों में मानक स्तर के पात्र लगाएं। 1967-68 की रिपोर्ट में फिर यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारें शुष्क किस्म के शौचालयों को फलश टाइप शौचालयों में बदलने के लिए विशिष्ट धनराशि अलग रख लें तथा स्थानीय निकायों को प्रेरित करें कि वे शुष्क शौचालयों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करें; जिन नगरों में मूल निष्कासन नालियों डाल चुकी हैं वहां के मालिक मकानों के वाध्य किया जाए कि वे अपने शौचालयों को भूमिगत नालियों के साथ जोड़ें और स्थानीय निकायों को चाहिए कि वे सेनिटरी शौचालयों के माध्यम से मूल के स्वतः निपटान की उचित व्यवस्था करें। यह भी सुझाव दिया गया था कि कम से कम गांधी जन्म शताब्दी के दौरान विद्यालयों, अस्पतालों, रेलवे आदि जैसे सभी लोक संस्थानों को चाहिए कि वे अपने शुष्क शौचालयों को फलश शौचालयों में परिवर्तन कर दें तथा गांवों में मूल तथा अन्य किस्म के कुड़े कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

मूल को हटाने के लिए पहिएदार ठेले

4.48 गफाई कर्मचारियों को मूल हटाने के लिए पहिएदार ठेले देने और उन्हें दस्ताने, गमबूटा, आदि देने की स्कीम के संबंध में आयुक्त की वर्ष 1959-60 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि पहिएदार ठेले लागू करने की लागत के लिए

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को 20 से 30 प्रतिशत अंशदान देने के लिए आग्रह करना एक ऐसा कदम होगा जिसके फलस्वरूप इस संस्था के कार्यन्वयन को बढ़ावा मिलेगा। सफाई कर्मचारियों की कार्य कर परिस्थितियों को सुधारने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था। स्थानीय निकायों के संबंध में यह बताया गया था कि उन्हें यह मुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत खरीदे गए पहिएदार ठेले, हथ-ठेले, आदि सुक्ष्म मूल ठेले के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। 1960-61 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि जो राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन उम समय गफाई कर्मचारियों को मूल खुरचने और एकत्र करने के लिए उपयुक्त उपकरण तथा पहिएदार ठेले सप्लाई नहीं कर रहे थे, उन्हें चाहिए कि वे सफाई कर्मचारियों को उपकरण सप्लाई करें। 1961-62 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि मूल ठेले के लिए पहिएदार ठेले देने की स्कीम सम्पूर्ण देश में लागू की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को ऐसी उपयुक्त जगहों का चयन करना चाहिए जहां दिन में काम करने के बाद पहिएदार ठेलों को साफ करके ठीक प्रकार रखा जा सके। आगे यह भी सुझाव था कि प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को दिए गए पहिएदार ठेलों के रख-रखाव और उन्हें बदलने की लागत के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्टनीति निर्धारित की जानी चाहिए। यह सुझाव को सुझाव दिया गया था कि वे स्पष्ट अनुदेश जारी करें कि पहिएदार ठेले देने की स्कीम के लिए दी गई धनराशि केवल मूल हटाने के लिए सफाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले पहिएदार ठेलों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए ही दी जानी चाहिए। आगे यह भी सुझाव था कि स्थानीय स्वशासन विभाग पहिएदार ठेलों की खरीद के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान मंजूर करें। अनुदानों की मंजूरी आधारभूत आंकड़ों, जैसे सार्वजनिक और प्राइवेट शौचालयों की संख्या, उन्हें साफ रखने के लिए नियुक्त किए गए प्राइवेट तथा नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की संख्या वर्तमान शौचालयों को सुधारने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम, पहिएदार ठेलों को साफ करने तथा रखने की व्यवस्था और किस किस्म के पहिएदार ठेले खरीदने की प्रस्ताव है, आदि की जांच के बाद की जाती चाहिए। 1962-63 की रिपोर्ट में यह वांछनीय समझा गया था कि मूल हटाने के लिए पहिएदार ठेले आदि लागू करने की योजना की उपलब्धियों का अंकन इन मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए कि कितने पहिएदार ठेले, बाल्टियों और खुरचनियां खरीदी गईं तथा कितने सफाई कर्मचारियों की कार्यकर परिस्थितियों में सुधार हुआ। नगरपालिकाओं द्वारा अनुदानों का उपयोग किए जाने के मामलों को रोकने के प्रभावी उपाय के रूप में राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे पहिएदार ठेलों की खरीद के लिए दिए गए पूर्ण अदेशों के आधार पर ही अनुदान मंजूर करें।

सफाई सेवाओं के पारम्परिक अधिकार

4.49 सफाई सेवाओं को नगर पालिका के अधीन लाने में पारम्परिक अधिकारों की विद्यमानता एक बाधा बनी गई है। चूंकि यह प्रणाली झाड़ूकणों और सफाई कर्मचारियों के शोषण के लिए प्रवृत्त है, अतः आर्दुक्त की 1961-62 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए और सफाई सेवाओं को नगरपालिका अपने अपने हाथ में ले ले। किसी भी व्यक्ति के निजी अधिकार उचित सफाई व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा से बाधक नहीं होने

चाहिए। अतः यह आवश्यक समझा गया कि **जागीरदारी** प्रथा को समाप्त करने के लिए नगरपालिका अधिनियमों में समुचित संशोधन किए जाने चाहिए। नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों द्वारा प्राईवेट सफाई वालों के पारम्परिक अधिकारों को ले लेने के संबंध में यह बताया गया था कि इस मामले की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों में सुधार के साथ-साथ इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह वांछनीय समझा गया था कि सफाई सेवाओं में लगी जातियों के नेताओं और ऐसी स्वे-च्छिक एजेंसियों को जो झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण कार्यों से संबद्ध हैं, चाहिए कि वे आगे आएँ और इस कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा स्थानीय निकायों का साथ दें।

झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियाँ

4.50 1961-62 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अनेक स्थानों में झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों की आवास बस्तियाँ पेल-डोपुओं और सार्वजनिक शौचालयों के निकट थीं जो कि अत्यधिक अवांछनीय वान थीं। वे बस्तियाँ अनिवार्यतः ऐसे स्थानों से बहुत दूर स्थित होनी चाहिए। वर्ष 1962-63 की रिपोर्ट में यह सुझाया गया था कि नगर योजना संगठन को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने चाहिए कि झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों को बस्तियों के लिए जो उन्हें चुनी जाएँ शहरों से बहुत दूर तथा अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में नहीं होनी चाहिए। आगे यह भी सुझाया था कि झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों को समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि इनकी ओर सतत ध्यान देने की आवश्यकता है और हर राज्य में एक पूर्णकालिक अधिकारी होना चाहिए जो झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों की रहन सहन और कार्यसंबंधी स्थितियों में सुधार से संबंधित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन को देखे। वर्ष 1974-75 की रिपोर्ट में यह ध्यान दिलाया गया था कि यह पाशविकता है कि सफाई कर्मचारियों को गन्दे काम करने के लिए बाधित किया जाता है और उन्हें अस्पृश्य समझकर उनका तिरस्कार किया जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि बंधुवा मजदूरों की ही एक विशेष किस्म है जिसमें केवल एक जाति-विशेष के लोगो को खास तरह के गन्दे व्यवसायों में लगे रहने को विवश कर दिया गया है। यह भी कहा गया था कि सरकार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सफाई सेवा किसी जाति विशेष का ही व्यवसाय न रहे और किसी वर्ग विशेष के ही लोग इस व्यवसाय को करते रहने के लिए विवश न बने रहें।

झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए वित्तीय प्रावधान

4.51 उल्लेखनीय है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान झाड़ूकशों और सफाई वालों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 144.19 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 299.00 लाख रुपए का आवंटन आवासों और आवास स्थानों के लिए किया गया था। चौथी योजना अवधि के दौरान तमिळु स्कीम के लिए 300.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। तथापि पांचवी योजना के समय राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे इस प्रकार के कार्यक्रम अपने अपने सामान्य

कार्यक्रमों में से ही तैयार कर लें ताकि इन जातियों के लोगों को भी लाभ पहुंचे। केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्रालय ने शुष्क शौचालयों को सेनिटरी शौचालयों में बदलने की स्कीम प्रारम्भ की जिसे देश के 30 चुनिन्दा नगरों में लागू किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए पांचवी योजना में 4.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मालूम हुआ है कि 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में जन स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, अन्वेषण, डिजाइनिंग तथा प्लानिंग, रिगों के कार्यक्रम, ठोस अपशिष्ट निपटान, शुष्क शौचालयों को सेनिटरी शौचालयों में परिवर्तित करने तथा जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रयोजनों के लिए 15.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

4.52 इस संगठन ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह जानने के प्रयास किए थे कि उन्होंने झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के रहन-सहन और कार्य स्थितियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? वैसे, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, पांडिचेरी, नागालैंड, दादरा व नगर हवेली, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि से उत्तर प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

| क्र० | राज्य/संघ | उठाए गए कदम |
|------|----------------------|--|
| सं० | राज्य क्षेत्र का नाम | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जम्मू व काश्मीर | झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों को वाल्टियों और हथ-चालित ट्रालियों की जा रही है। राज्य समाज कल्याण विभाग ने कई सरकारी प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं जिनमें हर जाति तथा धर्म के लोग प्रवेश ले सकते हैं। |
| 2 | कर्नाटक | झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के लिए कोई अलग योजना नहीं है। लेकिन देहाती क्षेत्रों के ऐसे परिवारों, भूमिहीन और जगह-रहित लोगों को जिनकी वार्षिक आय 2000 रुपए से अधिक नहीं है, मुफ्त जगह देने की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन मार्च, 1978 के अन्त तक 7,87,953 आवास-जगहों का आवंटन किया जा चुका था। इनमें से 2,62,791 और 14,395 जगहें क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी गईं। इस स्कीम के अधीन झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों को भी लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवास की जगह देने के लिए सरकारी लानत पर भूमि का अधिग्रहण किया गया। 1977-78 के दौरान योजना स्कीमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 1,795 जगहें दी गईं। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों में झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में तरजीह दी जाती है। |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-------------------|--|
| 3. | पाण्डिचेरी | इस प्रणालि ने दो स्कीमें कार्यान्वित की हैं जिनके नाम हैं (i) मल को सिर पर ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान (योजना) और (ii) वर्ष 1978-79 के दौरान सफाई कर्मचारियों के रहन सहन और कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए आवासीय बस्तियाँ बनाने हेतु नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान। इस कार्य की अनुमानित लागत का 75% भाग समाज कल्याण विभाग देगा और बाकी 25% संबंधित स्थानीय निकाय वहन करेंगे। वर्ष 1978-79 के दौरान सफाई कर्मचारियों के लिए 10 क्वार्टर बनाने हेतु स्थानीय निकायों को 72,742 रु० दे दिए गए हैं। इस स्कीम के अधीन सहायता का लाभ उठाने के लिए कोई भी नगरपालिका/पंचायत सामने नहीं आई है। |
| 4. | नागालैंड | धन की कमी के कारण झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। वे अर्ध-पक्के क्वार्टरों में रहते हैं जहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। वे अग्नी भी मल को सिर पर ढोते हैं। गर्मियों के मौसम में झाड़ूकशों की अत्यन्त आवश्यकता मांगे ये हैं कि उन्हें गम्बूट, टोपी सहित बरसातियाँ दस्ताने आदि दिए जाएं। इन लोगों के सुधार के लिए नगर समितियों को धन मंजूर करना अति अनिवार्य है। |
| 5. | दादरा व नगर हवेली | इस संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1.88% है और बहुत कम परिवार झाड़ूकशों और सफाई कर्मचारियों का कार्य करते हैं। उन्हें ऐसे सभी जरूरी उपकरण दिए जाते हैं जो उनके काम में उपयोगी हों। उन्हें चतुर्थ श्रेणी टाइप के रिहायशी क्वार्टर भी दिए गए हैं। |
| 6. | केरल | 1977-78 के दौरान पालघाट में सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक होस्टल शुरू किया गया था। छोटी से दसवीं कक्षाओं में अध्ययन कर रहे 30 छात्रों को उसमें प्रवेश देने का प्रस्ताव है तथा 145.00 रु० प्रति छात्र खाने-पीने का खर्च किया जा रहा है। |
| 7. | महाराष्ट्र | 21 नगर पालिका परिषदों के अधीन 1507 शुष्क शौचालयों को फ्लूश-शौचालयों में परिवर्तित किया गया। |
| 8. | तमिलनाडु | 53 नगर पंचायतों को 182 पहिणदार ठेले और 216 कड़ाह तथा खुरचनियाँ, और 16 नगर पालिकाओं को 250 पहिणदार ठेले मपनाई किए गए। |

अस्वच्छ व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए आयुक्त द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों / सिफारिशों के बारे में दी गई विस्तृत सूचना से यह अनुभव किया जाता है कि सफाई कर्मचारियों के रहन सहन व कार्य की स्थितियों में सुधार लाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनवरत प्रयास जारी हैं।

बैंकों द्वारा दी गई सहायता

4.53 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हो जाने से यह आशा की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बाजिब व्याज दरों पर पर्याप्त वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यह जानने के लिए कोई भी कार्यनीति तैयार नहीं की गई कि पिछड़े वर्गों के लोगों की उधार संबंधी आवश्यकताओं को ये बैंक कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए 1972 में प्रारम्भ की गई भेदीय व्याज दरों की बहु-प्रचारित योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उत्पादी उधार जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। यद्यपि अत्यधिक गरीब वर्गों से ऋणों की वसूली अस्थगित कर दी गई लेकिन यह भी एक तरह से अड़चन ही बन गई क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी सख्त जरूरतों के लिए सस्ते ऋण देने हेतु कोई उपयुक्त वैकल्पिक उपाय नहीं किए गए। मई 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को ये अनुदेश जारी किए कि वे अपनी समग्र जमा राशि का 0.5 प्रतिशत भाग 4 व्याज दर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उधार दें। आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सुझाया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए चलाए गए विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत उधार आवश्यकताओं को सुधारने के लिए इस प्रतिशतता को काफी बढ़ाना होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता

4.54 केन्द्रीय राजस्व और बैंकिंग विभाग ने मई 1977 में के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/अराष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश दिए थे कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनकी भेदीय व्याजदर वाली अग्रिम राशियों का 2/3 और 1/3 भाग उनकी क्रमशः देहाती और अर्ध-नगरीय शाखाओं तथा नगरीय और महानगरीय शाखाओं के माध्यम से दिए जाने चाहिए और इन में से कम से कम एक तिहाई अग्रिम राशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग डिवीजन) ने 27 नवंबर 1978 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए कि वे भेदीय व्याज दरों की अग्रिम राशियों की न्यूनतम सीमा को 1/2% से बढ़ाकर कुल अग्रिम धनराशियों का 1% कर दें। उक्त विभाग ने यह भी निर्णय किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि की न्यूनतम सीमा इस स्कीम के अधीन कुल अग्रिम धन राशियों के एक-तिहाई से बढ़ाकर 40% कर दी जाए।

4.55 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक लाभों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए इस कार्यालय ने बैंकों को लिखा था। देहाती क्षेत्रों और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों तथा नगर और महानगर क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1978-79 के दौरान नियत की

गई धनराशि तथा इन जातियों को वास्तव में दी गई धनराशि की उपलब्ध सूचना नीचे सारणी में दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

| क्र० सं० | बैंक का नाम | देहाती/अर्ध नगरीय क्षेत्रों में अनु०जातियों/अनु० जनजातियों के लिए नियत की जाने वाली धनराशि | अनु० जाति/अनु० जनजाति को वास्तव में दी गई धनराशि | नगर तथा महानगर क्षेत्रों में अनु० जाति/अनु०जनजाति के लिए नियत की जाने वाली धनराशि | अनु०जाति/अनु०जनजाति को वास्तव में दी गई धनराशि | 31-12-78 की स्थिति के अनुसार देहाती और अर्ध नगरीय क्षेत्रों में मंजूर की गई कुल अग्रिम धनराशि के 1% के दो-तिहाई का 40%, जो कि 1979-80 के दौरान बैंकों द्वारा दिया जाना है। | 31-12-78 की स्थिति के अनुसार नगर और महानगर क्षेत्रों में मंजूर की गई कुल अग्रिम धनराशि के 1% के एक-तिहाई का 40%, जो कि 1979-80 के दौरान बैंकों द्वारा दिया जाना है। |
|----------|-------------|--|--|---|--|--|---|
|----------|-------------|--|--|---|--|--|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|--------|
| 1 | देना बैंक | 35.64 | 94.43 | 17.82 | 20.70 | 101.66 | 50.83 |
| *2 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 38.00 | 122.00 | 61.00 |
| 3 | इलाहाबाद बैंक | 30.54 | 21.20 | 15.27 | 7.81 | 92.59 | 46.30 |
| 4 | कनारा बैंक | 80.00 | 104.00 | 39.00 | 33.00 | 224.00 | 112.00 |
| 5 | बैंक आफ इंडिया | 120.00 | प्राप्त नहीं | 60.00 | प्राप्त नहीं | 288.00 | 144.00 |
| 6 | सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया | 182.00 | 220.24 | 61.00 | प्राप्त नहीं | 337.00 | 169.00 |

* विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत मार्च 1979 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 32,294 हिताधिकारियों को ऋण दिए गए, जिनको कुल धनराशि 295.50 लाख रुपए थी।

4.56 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जाएगा कि हमारे द्वारा मांगा गया ब्यौरा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से केवल पांच बैंकों ने ही भेजा है। ऐसा लगता है कि बैंक अब भी समाज के अत्यधिक जरूरतमन्द वर्गों को उधार संबंधी सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रसंगवश यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में यह बताया गया था कि रिजर्व बैंक की कुल अग्रिम धनराशियों के 1% का 1/2% भाग (अब बढ़कर 1% कर दिया गया है) जो कि भेदीय व्याज दरों के अन्तर्गत दिया जाना है, पात्र वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। अतः यह सुझाव दिया गया था कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का कम से कम 10% भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनकी मध्यम और दीर्घकालीन उधार जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। यह भी जरूरी समझा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संगठित की गई सहकारी समितियां भी भेदीय व्याज दर स्कीम के अधीन ऋण लेने की पात्र कर दी जानी चाहिए। तथापि ऐसा लगता है कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है।

4.57 होस्टलों और आवासीय स्कीमों जिनमें देहाती आवासीय स्कीमों सम्मिलित हैं, के लिए ऋण देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1976 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए थे। यह विशेष तौर पर उपबंध किया गया था कि बैंक ऋण ऐसी प्रत्येक परियोजना की लागत के 40% भाग से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से हाथ में ली गई आवासीय तथा होस्टल योजनाओं हेतु उधार की व्याज दर भेदीय व्याज दर स्कीम के अधीन निर्धारित व्याज दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीधे हिताधिकारियों को ऋण मंजूर करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यक्तिगत ऋण मकान की कुल लागत के 80% से अधिक नहीं है। विभिन्न

बैंकों द्वारा इस संबंध में दिए गए ऋणों के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :

देना बैंक

1978-79 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1768 हिताधिकारियों को 16.21 लाख रुपए की आवासीय सहायता दी गई।

इंडियन ओवरसीज बैंक

मार्च 1979 तक इस बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन और वाद से पीड़ित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 160 हिताधिकारियों को आवासीय स्कीमों के अधीन 0.11 लाख रुपए मंजूर किए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास तथा होस्टलों हेतु तमिलनाडु हरिजन आवास एवं विकास निगम को 20.00 लाख रुपए मंजूर किए गए।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया

इस बैंक ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों में देहाती आवास स्कीमों के अधीन 4% व्याज दर पर आवास ऋण मंजूर किए। मार्च 1978 तक 41.27 लाख रुपए के आवास ऋण मंजूर किए गए जिसमें से 20.02 लाख रुपए वास्तव में संचित किए गए। ऋण की अवधि 3 से 10 वर्ष तक की है।

ग्रामीण बैंक

4.58 ग्रामीण बैंकों की स्थापना, छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, दस्तकारों और छोटे उद्यमियों को उधार की और अन्य सुविधाएं देकर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक इस प्रकार के 48 बैंक देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा चुके हैं। 17 ग्रामीण बैंकों

द्वारा दी गई सहायता के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे के विवरण में दी गई है :

| क्र० सं० | बैंक का नाम | अनुसूचित जातियाँ | | अनुसूचित जनजातियाँ | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | हिताधिकारियों की संख्या | दिए गए ऋण की राशि | हिता-धिकारियों की संख्या | दिए गए ऋण की राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । | 497 | 9.91 | कोई अनुसूचित जनजाति नहीं | |
| 2 | चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । | 1282 | 12.03 | 150 | 1.52 |
| 3 | कावेरी ग्रामीण बैंक | 939 | 10.44 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 4 | मालप्रभा ग्रामीण बैंक । | 792 | 6.83 | 688 | 6.77 |
| 5 | बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । | 433 | 4.85 | .. | .. |
| 6 | पुरी ग्राम्य बैंक | 1572 | 10.94 | 681 | 4.86 |
| 7 | बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक । | 31827 | 51.63 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 8 | जम्मू ग्रामीण बैंक | 3259 | 36.74 | कोई अनुसूचित जनजाति का नहीं | |
| 9 | मराठवाडा ग्रामीण बैंक । | 1671 | 28.74 | 222 | 2.34 |
| 10 | रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक । | 429 | 3.24 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 11 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद । | 1258 | 6.87 | 484 | 5.67 |
| 12 | पांड्यन ग्राम्य बैंक । | 4345 | 39.55 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 13 | कटक ग्राम्य बैंक | 919 | 6.40 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 14 | प्रथम बैंक, मुरादाबाद । | 2832 | 22.58 | कोई अनुसूचित जनजाति का नहीं | |
| 15 | रायलसीमा ग्रामीण बैंक । | 3275 | 17.43 | 520 | 3.73 |
| 16 | संथाल परगना ग्रामीण बैंक । | 5271 | 26.36 | अनुसूचित जातियों में ही शामिल | |
| 17 | तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक । | 1699 | 8.01 | 782 | 4.03 |

4.59 उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि उपर्युक्त 17 बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 65.807 लोगों को 331.47 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। ये आंकड़े संपूर्ण रूप में उपलब्ध थे। अलग-अलग संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अधिकतर

ग्रामीण बैंकों ने हमें आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई और इसलिए इस विषय में किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना सम्भव न हो सका कि क्या इन बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के आर्थिक विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। यह सुझाव दिया जाता है कि सभी ग्रामीण बैंकों को यह अनुदेश दिए जाने चाहिए कि उनके द्वारा अनुसूचित जातियों / जनजातियों के व्यक्तियों और समाज के अन्य वर्गों को दी गई सहायता के वे अलग से आंकड़े रखें।

लघु उद्योग आदि स्थापित करने के लिए सहायता

4.60 आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की समाजार्थिक हालत सुधारने के लिए उन्हें रोजगार के गैर-जाति आधार वाले तथा लाभप्रद अवसर प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना चाहिये। किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को नये व्यवसायों और दस्तकारियों में सहायता देने की बहुत कम स्कीमें हैं। वास्तव में पिछड़ी जातियों के क्षेत्र में लागू की गई अधिकतर स्कीमें रोजगार के अवसर प्रदान कराने और उपयुक्त निर्वाह-योग्य मजदूरी दिलाने में कम उपयोगी साबित हुई हैं। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के लिए उद्योग विभागों और वित्तीय संस्थानों को शामिल किए बिना कोई विशेष उपलब्धियाँ नहीं हो सकती।

4.61 इसलिए आयुक्त की 1958-59 की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी राज्यों में उद्योग और कल्याण विभागों में समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता है। 1966-67 की रिपोर्ट में यह सुझाया गया था कि प्रत्येक राज्य को एक छोटा सा प्रकोष्ठ गठित कर लेना चाहिए जो नमूना अध्ययनों द्वारा इस बात के आंकड़ों और सूचना एकत्र करे कि लोगों के विभिन्न स्तरों में व्यवसाय किस प्रकार बदल रहे हैं। यह भी सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को घरेलू और विनिर्माण उद्योगों और सुधरी हुई तथा आधुनिक कृषि के लिए तैयार करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए आयुक्त की 1970-71 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि प्रोत्साहन देकर इन लोगों को निजी क्षेत्र के लाभ दिलाने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि औद्योगिक विकास की स्कीमों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितना लाभ हुआ इस बात का पता लगाने का कोई साधन नहीं है। और यह सुझाव दिया गया था कि पंजीकृत हुए लघु यूनिटों के स्वामित्व और उनके द्वारा काम पर लगाये गए व्यक्तियों के बारे में सूचना राज्य के उद्योग निदेशकों के पास रखी जानी चाहिए। प्रशिक्षण-सह-उत्पादन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश की सूचना भी रखी जानी चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने समाज/हरिजन कल्याण निदेशालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों लगाने में मार्गदर्शन करने हेतु विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए। ऐसे एकांशों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए माडल स्कीम तैयार करने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए। 1974-75 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उद्योग, व्यापार

और व्यवसाय जैसे अधिक कार्यकलापों का काफी बड़ा क्षेत्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए उनके वश से बाहर के कारणों से, अन्वेषित और अप्रयुक्त रहता है। वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि लघु उद्योग विकास संगठन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है अगर उनकी स्कीमों अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पक्ष में यथोचित रूप में संशोधित कर दी जाएं और इन वर्गों के उद्यमकर्ताओं को सहायता के लिए सचेतन प्रयास किए जाएं।

4.62 ज्ञात हुआ है कि 1978-79 की वार्षिक योजना में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 234.45 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया था जिसमें से 154.93 करोड़ रु० केन्द्रीय योजना और 79.52 करोड़ रु० राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत रखे गए थे। इस सैक्टर में ग्रामीण उद्योग (नामन: हथकरघा, खादी तथा ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प रेशम उत्पादन तथा मारियल जटा उद्योग), बिजली करघे, आधुनिक लघु उद्योग और औद्योगिक सम्पदा सम्मिलित थे। नई औद्योगिक नीति का प्रमुख दबाव ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने पर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने मई 1978 में जिला औद्योगिक क्षेत्रों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की। प्राप्त सूचना के अनुसार देश के 399 जिलों में से 346 जिला औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है जिनसे 358 जिले कवर होते हैं। बनाया गया है कि उद्योग संचालन द्वारा सभी जिला औद्योगिक क्षेत्रों को कार्यकारी योजनाएं बनाने के संबंध में मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। 164 जिला औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि 37,739 नई लघु इकाइयों का अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,16,465 व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार मिला। यह सूचना मिली है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा 47.20 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता दी गई। यह भी पता चला है कि 164 जिला औद्योगिक क्षेत्रों को 8.35 करोड़ रु० की नकद सहायकी तथा 1.46 करोड़ रु० की सोडी/मार्जिन राशि सहायता भी दी गई।

4.63 लघु उद्योग विकास आ्युक्त कार्यालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सलाह दी गई थी कि ऋण सहायता के वितरण के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमकर्ताओं को तरजीह और प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4.64 फिर भी, अब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता और अतिरिक्त और रोजगार अवसरों का कितना लाभ उठाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम में विकास की असौम्य सम्भावनाएं हैं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें वित्तीय और साथ ही तकनीकी मामलों में सहायता देने के सभी प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.65 मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण महिलाओं, युद्ध विधवाओं, रक्षा कामिकों और अशिक्षितों तथा पहलू क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक नया कार्यक्रम, जिसे समुदाय के कमजोर वर्गों में उद्यमकर्ता विकास कहा जाता है, शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से स्व-रोजगार के अवसर पर बढ़ेंगे और बदले में उद्यमकर्ता अन्य कामगार नियुक्त करेंगे। इस कार्यक्रम के अधीन, उनके मनोरम

के कार्यक्षेत्र के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे तथा उन्हें लागत और बिक्री का और संबंधित विकासात्मक अभिकरणों के सहायता कार्यक्रमों का प्रारम्भिक ज्ञान कराया जाएगा। मालूम हुआ है कि ये कार्यक्रम केवल ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आयोजित किए जाएंगे उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम के वित्तीय पहलू इस प्रकार हैं:—

| | |
|---|---------------|
| (क) 20 प्रशिक्षणार्थियों को 2 महीने के लिए प्रतिमाह 100 रु० की दर से वृत्तिका | 4,000.00 रु० |
| (ख) इकाइयों अथवा संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण खर्च | 4,000.00 रु० |
| (ग) विविध खर्च | 4,000.00 रु० |
| | 12,000.00 रु० |

4.66 समुदाय के पिछड़े वर्गों में उद्यमकर्ता विकास के कार्यक्रम को रुचिपूर्वक देखा जाना आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कार्यक्रम अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों में उद्यमकर्ता बनने की कुशलता बढ़ाने में सहायक होगा बशर्ते कि इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वितरण एजेंसियों का आबंटन

4.67 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को तरजीह के आधार पर वितरण एजेंसियों और कोटे के आवंटन कर के उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया जा सकता है। इसलिए प्रायुक्त की 1969-70 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि सरकारी अभिकरणों और मार्बजनिक् क्षेत्र के उपक्रमों को चाहिए कि वे उपयुक्त बेरोजगार स्नातकों और उद्यमकर्ताओं, को अपनी खुदरा डीलरशिप देते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को वरीयता दें जैसा कि भारतीय तेल निगम द्वारा किया जा रहा है। बाद में वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि मार्बजनिक् क्षेत्र की सभी विनिर्माता कम्पनियों को वितरण एजेंसियों का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित करना चाहिए। 1973-74 की रिपोर्ट में फिर इस बात पर बल दिया गया कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय छोटा अथवा बड़ा जैसे आर्थिक कार्यकलापों का बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अभी तक अन्वेषित रहा है। इन समुदायों के लोगों को गरीबी और अज्ञान के दलबदल से निकालने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया गया कि सरकार और इन समुदायों के कल्याण में रुचि रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों की सहायता देने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए जो ऐसे आर्थिक कार्यकलाप करने को तैयार हों जिनसे उन्हें पान की दुकानें, माइकिल, दर्जी अथवा फर्नीचर की दुकानें, चाय के स्टाल, होटल, आटा मिलें, मुद्रणालय अथवा कोई बड़ी अथवा छोटी औद्योगिक इकाइयां चलाने के अवसर मिल सकें। यह भी सुझाव दिया गया था कि वितरण एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए 25% तक आरक्षण किया जाना चाहिए। 1974-75 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उक्त समय तक वितरण एजेंसियों के आवंटन में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिशत नहीं रखा जाता था और यह उम्मीद की गई थी कि

ग्राने वाले वर्षों में इस संबंध में स्थिति बेहतर बनेगी। 1975-77 की रिपोर्ट में यह आवश्यक समझा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वितरण एजेंसियों का आबंटन करने के अनिश्चित उनकी पिछड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें संस्थागत वित्त भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वित्तीय अभाव के कारण वितरण एजेंसियों का स्वामित्व उनके हाथों से न निकल जाए। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित दर दुकानों/वितरण एजेंसियों के आबंटन के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उचित ध्यान नहीं दिया है और इसलिए यह सुझाव दिया गया कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वितरण एजेंसियों/उचित दर दुकानों का आबंटन कम से कम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में तो करना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वितरण एजेंसियों के आबंटन के बारे में उदात्त सूचना बाद के पैराग्राफ में दी गई है।

भारतीय तेल निगम

4.68 सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों में इस समय लागू सरकार के नीति मार्गनिर्देशों के अनुसार खाना बनाने की गैस की एजेंसी के साथ-साथ सभी प्रकार की डीलरशिप का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। ये मार्ग निर्देश 23 सितम्बर 1977 को जारी किए गए थे। फिर भी बताया गया है कि भारतीय तेल निगम इस नीति का पालन 1 जनवरी 1974 से करता आ रहा है। 1 जनवरी, 1974 से 28 फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 23 व्यक्तियों को कुकिंग गैस का वितरण अधिकार प्रदान किया गया है।

4.69 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को तामिलनाडु (2), पश्चिम बंगाल (4), केरल (1), त्रिपुरा (1), मणिपुर (1), मिजोरम (1), नागालैण्ड (1), गुजरात (2), मध्यप्रदेश, (1), उड़ीसा (2), बिहार (1), असम (2), अरुणाचल प्रदेश (1), महाराष्ट्र (1) और दिल्ली (2) में वितरण-अधिकार प्रदान किए गए। यह भी ज्ञातव्य है कि 23 सितम्बर 1977 की तारीख से जिस दिन से सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों पर समान रूप से आरक्षण की नीति को लागू किया गया था, 28 फरवरी 1979 तक, तेल कम्पनियों ने कुल 21 नए कुकिंग गैस वितरण अधिकार दिए थे जिनमें से 5 वितरण अधिकार (अर्थात् 24%) उन लोगों को दिए गए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे।

भारतीय उर्वरक निगम

4.70 सितम्बर 1978 में पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन के अनुरोध पर यह निर्णय किया कि भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक डीलरशिप प्रदान करने के विषय में ग्राने की सभी नियुक्तियों का 25 प्रतिशत उन लोगों के लिये आरक्षित रखा जायेगा जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के होंगे। तथापि यह मालूम नहीं हुआ कि क्या यह निर्णय पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य दो उर्वरक एककों, नामतः मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर, लिमिटेड पर भी

लागू होगा। इस विषय को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री से फिर उठाया। उन्होंने सूचित किया कि उर्वरकों की ग्राने की सभी डीलरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने का सरकार का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र की सभी उर्वरक कम्पनियों पर लागू है जिनमें फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी शामिल हैं। जहाँ तक मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात है, उनके द्वारा पहले ही की गई विपणन व्यवस्था के कारण उनके लिए इस स्कीम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा विनाय उन क्षेत्रों के, नामतः मध्यप्रदेश में, जहाँ मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपने उत्पादों का सीधे विक्रय करता है। फिर भी कम्पनी ने भविष्य में उर्वरक डीलरशिप का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षित करने का प्रश्न अपने विक्रेताओं से उठाया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस स्कीम के अन्तर्गत उन लोगों के साथ भागीदारी करने की अनुमति नहीं दी जाती जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।

4.71 राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 1978-79 के दौरान अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 6 अभ्यर्थियों को अपना डीलर नियुक्त किया है। ये नियुक्तियाँ पंजाब सरकार के एक उपक्रम पंजाब पिछड़ीजाति भूमि विकास तथा वित्तीय निगम की सकारिश पर की गई हैं।

रेल मंत्रालय

4.72 रेल मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग/विक्रय का ठेका आबंटन करने में पहले ही तरजोह दी जा रही है। फिर भी खान-पान (कैटरिंग)/विक्रय (वैडिंग) ठेका आबंटित करने के लिये कोई निश्चित प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। 1 अगस्त 1978 से लागू हुए संशोधित नियमों के अधीन सभी छोटे कैटरिंग/विक्रय ठेके अब केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही दिए जाएंगे। पालता विधियों का भी संशोधन कर दिया गया है तथा ऐसे ठेके देने के लिये अब कैटरिंग/वैडिंग में पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बड़े ठेके देने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पहली तरजोह दी जा रही है।

4.73 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को मई 1977 से कैटरिंग/वैडिंग ठेके आबंटित किए गए हैं उसकी संख्या नीचे दी गई है:—

| रेलवे | अध्या एकक | आधे से अधिक |
|-----------------|-----------|-------------|
| मध्य | 4 | शून्य |
| पूर्व | 4 | शून्य |
| उत्तर | 10 | 1 |
| पूर्वात्तर | शून्य | 1 |
| उत्तरपूर्व सीमा | 2 | शून्य |
| दक्षिण | शून्य | शून्य |
| दक्षिण मध्य | 2 | शून्य |
| दक्षिण पूर्व | 6 | शून्य |
| पश्चिम | 3 | शून्य |
| | 31 | 2 |

4.74 पिछले तीन वर्षों में उत्तर रेलवे द्वारा दिए गए कुल 126 ठेकों में से 27 ठेके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आवंटित किए गए। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान मध्य रेलवे ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 6 ठेके प्रदान किए।

परिवहन वाहनों के लिए बसों तथा राष्ट्रीय परमिटों का आवंटन

4.75 प्राइवेट परिचालन (कि० मी० योजना) के अधीन दिल्ली परिवहन निगम के साथ अपनी बसें लगाने के लिये मार्च 1979 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के 475 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। अभी तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की 54 बसों को दिल्ली परिवहन निगम की किलोमीटर स्कीम—क (प्रतिदिन 250 कि० मी० चलाने की गारंटी के साथ) के अधीन बस मार्ग आवंटित कर दिए गए हैं। निगम ने यह बतलाया है कि उसने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की 115 बसों को विभिन्न स्कीमों के अधीन लगाने का निर्णय लिया है (250 कि० मी० गारंटी वाली स्कीम-क के अन्तर्गत कुल लगभग 600 प्राइवेट बसों में से 90 बसें तथा 125 किलोमीटर गारंटी वाली स्कीम-ख के अन्तर्गत किराये पर ली जाने वाली 125 प्रस्तावित बसों में से 25 बसें) प्रतिदिन 225 कि० मी० गारंटी वाली सामान्य वर्ग की स्कीम—क के अधीन भी कुछ बसें अनुसूचित जाति के लोगों को लगाई गईं। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 90 बसों में से 39 बसें 9-5-79 को वास्तव में चल रही थीं। अतिरिक्त 37 का आवंटन भी किया जा चुका है। बाकी 14 बसों में देरी उन लोगों के कारण हो रही है जिनके बस लगाने के प्रस्ताव काफी समय पूर्व स्वीकार कर लिए गए थे तथा जो दिल्ली परिवहन निगम के पास किराए पर लिए जाने के लिए अपनी बसें अभी तक लाये नहीं हैं।

4.76 राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय परमिट, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 55 तथा 53 में उल्लिखित बातों को ध्यान में रख कर जारी किए जाते हैं और निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जाता है:—

- (1) जनहित में राज्यों के बीच सामान लाने—ले जाने में प्रार्थी का योगदान;
- (2) प्रादेशिक, राज्य और अन्तर-राज्य क्षेत्र के परमिटों के आधार पर सामान के लाने—ले जाने में प्राधियों का अनुभव।

इस अधिनियम में इन परमिटों को देते समय यथासंभव ऐसे प्राधियों को अन्य लोगों की अपेक्षा तरजीह देने की व्यवस्था है जो सेना के भूतपूर्व कामिक हों अथवा जिनके पास भारवाहन चलाने के वैध लाइसेन्स हों। बड़े-बड़े परिचालकों (आपरेटरों) के हाथों में परमिटों का जमाव न होने देने के लिए कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी मालिक के पास पहले से ही तीन या इससे अधिक राष्ट्रीय अथवा अन्तर-राज्यीय वैध परमिट हों तो उसे और कोई राष्ट्रीय परमिट जारी नहीं किया जाएगा। किसी कम्पनी के संबंध में इसकी अधिकतम सीमा सात की रखी गई है। पिछले दो वर्षों में, ट्रकों के लिए 3,819 राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितने परमिट दिए गए इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राष्ट्रीय परमिटों सहित पब्लिक कैरिअर परमिटों की कुछ प्रतिशतता आरक्षित करने के लिए हाल ही में मोटर-वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1978

द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन किया गया है। इन उपबंधों को 16 जनवरी, 1979 से लागू किया गया है। परमिटों के आरक्षण का अनुपात भी उतना ही होगा जितना राज्य की लोक सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में रखा गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से कहा गया है कि इन उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए उचित दर की दुकानों का आवंटन

4.77 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित दर की दुकानों के आवंटन के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:—

हरियाणा

1977-78 में, 4,486 राशन डिपों काम कर रहे थे, जिनमें से 125 राशन डिपों अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे। इसी प्रकार 1978-79 में 4,225 राशन डिपुओं में से 131 राशन डिपों अनुसूचित जातियों के लोम चला रहे थे।

जम्मू व कश्मीर

कश्मीर डिविजन में राशन की दुकानें/उचित दर की दुकानें सरकार स्वयं चलाती है। जम्मू डिविजन में 160 डीलर थे, उनमें से आठ डिपोधारी अनुसूचित जातियों के थे। शहर में मिट्टी का तेल, सीमेंट या कोयले का कोई व्यापारी अनुसूचित जाति का नहीं था।

मध्य प्रदेश

राज्य में मई 1979 तक 14,530 उचित दर की दुकानें काम कर रही थीं। इनमें से 766 उचित दर की दुकानें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग चला रहे थे। खाद्य और सिविल पूति विभाग द्वारा अक्टूबर 1978 में जारी किये गए नवीनतम अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उचित दर की दुकानें अलाट करने में तीसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महाराष्ट्र

1977-78 के दौरान कुल 1,327 उचित दर की दुकानों में से 163 दुकानें अनुसूचित जातियों के लोगों को और 181 दुकानें अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी गई थीं। 23 कण्डोल के कपड़े की दुकानें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को दी गईं। इसमें एक व्यक्ति भी शामिल था। जहां तक मिट्टी के तेलकी एजेंसियों का संबंध है, अनुसूचित जातियों के लोगों को 183 एजेंसियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 101 एजेंसियों दी गईं। महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु वितरण विनियमन (संशोधन) आदेश, 1976 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वितरण एजेंसियों के मामले में आठवीं प्राथमिकता दी गई है।

पंजाब

1977-78 के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों को 31 वितरण-एजेंसियों दी गईं। जहां तक बस-स्टॉप आदि के पास कंटेनर और वैडिंग के ठेके का सवाल है, वे संबंधित संगठन/कार्यालय द्वारा खुले आम नीलाम किए जाते हैं और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली देता है उच्च को वे दे दिए जाते हैं।

राजस्थान

राजस्थान के 16 जिलों में 1977-78 में 123 एजेंसियों अनुसूचित जातियों और 92 एजेंसियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा चलाई जा रही थी।

अण्डमान और निकोबार

1978-79 में उचित दर की आठ दुकानें कार निकोबार में मैसर्स एलोन हिनेनी सहकारी समिति को आवंटित की गई हैं। उचित दर की 19 दुकानें ननकोड़ी में 'मनुला मताई सहकारी समिति' को दी गई हैं। द्वीप के सभी अनुसूचित जनजाति के लोग उक्त समितियों के ग्रेजर होल्डर हैं।

4.78 संबंधित वितरण एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितनी वितरण एजेंसियां उचित दर की दुकानें आदि आवंटित की गईं उसके बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के हितों की समुचित रूप से रक्षा की जा रही है अथवा नहीं।

दिल्ली में प्राइवेट व्यक्तियों को प्रशोधित पानी बेचने के लाइसेंस

4.79 दिल्ली नगर नियम प्राइवेट व्यक्तियों को प्रशोधित (रेफरिजरेटिड) पानी बेचने के लिए लाइसेंस देता रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय ने दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखा और यह अनुरोध किया कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को ऐसे लाइसेंस देने के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार करें और इस कार्यालय को यह सूचित करें कि इस वर्ग के लोगों को वास्तव में कितने लाइसेंस दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने अपने उत्तर में यह कहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए ट्रेड लाइसेंस आवंटित करने में विशिष्ट आरक्षण की व्यवस्था करना उन्होंने व्यवहार्य नहीं समझा। आगे यह भी कहा गया कि यदि संबंधित स्थापना ट्रेड की तकनीकी अपेक्षाओं के पूरा करता हो तो उसे ट्रेड-लाइसेंस दे दिए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिए गए ट्रेड-लाइसेंसों के बारे में सूचना दे सकने में भी निगम ने अपनी असमर्थता प्रकट की। दिल्ली नगर निगम का यह रुख सही नहीं है। उन्होंने ऐसा मान लिया मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग इस ट्रेड की तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकने में समर्थ नहीं होंगे। निगम को चाहिए कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए विशिष्ट आरक्षण रखे और इन वर्गों के जो लोग इस ट्रेड की तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करते हों उन्हें लाइसेंस दिए जाने चाहिए। उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये गये लाइसेंसों के आंकड़े भी रखने चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कानूनी-सहायता देना

4.80 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कानूनी सहायता अर्थात् मात्रा में दिए जाने से काफी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में उन्हें अत्याचारों और मन-मानी के कृत्यों से बचाने के लिए कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कानूनी सहायता की जरूरत

आमतौर पर उन्हें शोषण से बचाने और खाम कर उनकी जमीनें दूसरे लोगों के हाथों में चले जाने से बचाने के लिए पड़ती है। इस दिशा में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा उठाए गए कदमों की नवीनतम सूचना नीचे दी गई है:--

1. आन्ध्र प्रदेश

2 अगस्त, 1976 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वा शहरों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को जिनकी वार्षिक आय 2000 रु० से अधिक न हो तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में इन वर्गों के जिन लोगों की वार्षिक आय 1500 रु० से अधिक न हो और जो अत्याचारों तथा उत्पीड़न के शिकार हुए हों उन्हें कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टरों को अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। जहां इस वर्ग के लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता हो वहां उनके बचाव के लिए कानूनी सहायता को मंजूरी दी जा सकती है। जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर अन्य जाति वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या फौजदारी का मामला चलाया गया हो वहां उन्हें कानूनी सहायता दी जा सकती है। जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे उच्चतर अदालतों में की गई अपीलों की सूचना राज्य सरकार को दें ताकि ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को राज्य स्तर पर भी कानूनी सहायता दी जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत अदालत में हाजिरी दस्तावेज दाखिल करने, अर्जी प्रस्तुत करने का खर्च, वकीलों की फीस का भुगतान, आदि शामिल है।

2. बिहार

बिहार राज्य कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना सरकार के एक आदेश द्वारा गैर-सांविधिक आधार पर की गई है। राज्यबोर्ड की एक कार्यकारिणी समिति है और उसकी सहायता के लिए श्रम, महिलाओं तथा बालकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कार्यात्मक समितियां हैं। यह विचार है कि प्रारम्भिक अवस्था में इसके अन्तर्गत भूमि सुधार कानून, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करना, कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले लोगों को ऋण में रहत, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकार जैसी मद्दे रखी जाएगी मालूम हुआ है कि शुरूआत के तौर पर राज्य सरकार कानूनी सहायता के क्षेत्र को मुकदमा शुरू होने से पूर्व तथा मुकदमों के बाद कानूनी सलाह देने और मुकदमे की प्रैक्टिस के लिए किसी एडवोकेट के द्वारा प्रतिनिधित्व की सुविधा देने तक सीमित रखेगी। कानूनी सहायता इस बात को देखकर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति के साधन कितने हैं।

3. गुजरात

मालूम हुआ है कि सरकार के 18 जून, 1976 के संकल्प के द्वारा कानूनी सहायता देने की स्कीम को सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। जिस व्यक्ति की प्रति वर्ष की आय 2,400 से कम हो और जिसकी अचल सम्पत्ति का मूल्य 5,000 रु० से कम हो उसे तालुक, जिला और राज्य स्तरों पर सिविल, फौजदारी, राजस्व, श्रम तथा अन्य अदालतों या ट्रिब्यूनलों में मुकदमा दायर करने तथा बचाव की कार्यवाहियों के लिए कानूनी सहायता और सलाह दी जाती है। जहां तक जवानों की विधवाओं तथा भंगियों और सफाई

कर्मचारियों का मजाल है, उनकी आय तथा सम्पत्ति के मूल्य का लिहाज किए बिना ही उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है। राज्य स्तर पर कानूनी सहायता के प्रदान की देख-रेख के लिए गुजरात के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य कानूनी सहायता समिति बनाई गई है। एक हाईकोर्ट कानूनी सहायता समिति भी है जिसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। जिला स्तर पर जिला कानूनी सहायता समितियां हैं, जिला और सेशन जज इसके अध्यक्ष होते हैं। निचले स्तरों पर कार्य की देख-रेख के लिए तहसील कानूनी सहायता समितियां बनी हुई हैं, इनके अध्यक्ष प्रिजाइडिंग जूडिशियल अफसर होते हैं, जो या तो सब जज (सीनियर) या सब जज (जूनियर) जैसी भी स्थिति हों, होते हैं। बड़ौदा में एक कानूनी सेवा क्लिनिक खोला गया है। 1977-78 के दौरान अनुसूचित जातियों के 114 व्यक्ति तथा अनुसूचित जनजातियों के 72 व्यक्ति इस स्कीम से लाभान्वित हुए।

4. हरियाणा

इस राज्य में, गरीबों को कानूनी सहायता (पंजाब) नियमावली, 1959 तथा अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता (पंजाब) नियमावली, 1960 लागू है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने भी जिला तथा जिले से नीचे स्तरों पर निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए एक स्कीम बनाई है। जिला स्तर पर, जिला कानूनी सहायता समिति है। जिले में विभिन्न स्तरों पर प्रैक्टिस कर रहे उन एडवोकेटों को जो अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, पृथक सूचियां तैयार की जाती हैं। वकील कोई फीस नहीं ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2400 रु. से अधिक नहीं हो वे ही कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं वरन्तु उनका प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कानूनी सहायता कवल न्यायिक मामलों तक सीमित है और कानूनी सहायता समिति को यह फैसला करने का अधिकार है कि किस मामले में कानूनी सहायता दी जानी चाहिए और किसमें नहीं। यह भी बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अनेक एडवोकेटों ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों में निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं।

5. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कानूनी सहायता नियमावली, 1974 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार का कल्याण विभाग इस स्कीम की देख-रेख करता है, इस स्कीम को जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि इस योजना का लाभ संबंधित व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है।

6. जम्मू तथा कश्मीर

जम्मू तथा कश्मीर अनुसूचित जाति (कानूनी सहायता प्रदान) संशोधित नियमावली 1971 में अनुसूचित जातियों के ऐसे लोगों को जिनकी वार्षिक आय 250 रु. से अधिक नहीं है। सम्पत्ति पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा संविधान के अधीन अपने अधिकारों को अधूण रखने के लिए कानूनी सहायता देने की व्यवस्था है। जिला उपायुक्त कानूनी सहायता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

कानूनी सहायता में वकील की फीस, गवाहों का खर्च, अदालत फीस, आदेशिका फीस तथा विधिक खर्च आते हैं।

7. कर्नाटक

राज्य स्तर पर, कर्नाटक कानूनी सहायता और परामर्श-दात्री बोर्ड गठित किया गया है, इन बोर्डों को समाज के कमजोर वर्ग के जिन लोगों की सब स्रोतों की कुल वार्षिक आय 5000 रु. से अधिक न हो उन्हें कानूनी सहायता देने का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए भी आदेश हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस स्कीम के खर्च को समाज कल्याण के बजट से वहन किया जाता है। बंगलूर में कानूनी सहायता और परामर्श दात्री क्लीनिक है। 1977-78 के 3 लाख रुपये के बजट आबंटन में से इस स्कीम को बनाए रखने के लिए 1.43 लाख रुपये खर्च किये गये और इनसे कुल मिलाकर 723 अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग लाभान्वित हुए।

8. केरल

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सिविल तथा फौजदारी अदालतों में चलने वाली सभी कार्यवाहियों में केरल कानूनी सहायता (निर्धनों को) नियमावली, 1958 के उपबन्धों के अनुसार कानूनी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता पाने का पात्र है। 1977-78 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को मदद की गई जिस पर 650 रुपये खर्च हुए। मालूम हुआ है कि 1978-79 के दौरान कानूनी सहायता के खर्च को वहन करने के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। यह भी ज्ञात हुआ है कि राजकीय कानूनी सहायता बोर्ड गठित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

9. मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए, विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 की 15 अगस्त 1976 से लागू किया गया। राज्य स्तर पर भी मध्यप्रदेश विधिक सहायता और विधिक सलाह बोर्डों की स्थापना किए जाने की सूचना भी मिली है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से हाईकोर्ट स्तर तक कानूनी सहायता दी जा रही है। 1976-77 के दौरान 1,186 अनुसूचित जाति और 507 अनुसूचित जनजाति के लोग इस स्कीम के अंतर्गत आए। अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1977 तक 144 हरिजनों को तथा 82 आदिवासियों को कानूनी-सहायता दी गई। 1978-79 के वित्तीय वर्ष में कानूनी सहायता के लिए 10 लाख रुपये की रकम दी गई।

10. महाराष्ट्र

ज्ञात हुआ है कि सरकार का विधि और न्यायपालिका विभाग केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभ के लिये ही नीचे लिखी कानूनी सहायता की दो स्कीमों चला रहा था :--

- (1) पिछड़े वर्ग के उन लोगों को जिनकी वार्षिक आय 2,400 रु. से अधिक नहीं है तथा जिनमें मामला-तदार न्यायालय अधिनियम, 1906 के अधीन सिविल अथवा फौजदारी मामले दायर करने की अथवा बचाव की कार्यवाही करनी है, उन्हें कानूनी सहायता देने की स्कीम।

(2) जिन मामलों में हरिजनों को उत्पीड़न के कारण हुए नुकसान के मुआवजे का दावा करने के लिए सिविल कार्यवाही करनी पड़े, उसमें उन्हें कानूनी सहायता देने की स्कीम।

1977-78 के दौरान अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के 279 लोगों को कानूनी सहायता दी गई और इस पर 56,250 रु० खर्च हुए। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने विधि और न्यायपालिका मंत्री की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और परामर्श दाली बोर्ड गठित किए हैं इस बोर्ड को जिलों और तालूकों में कानूनी सहायता समितियां बनाने की स्कीम तैयार करने, इनकी कार्यप्रणाली की शर्तें तय करने और वकीलों का परिश्रमिक नियत करने आदि की शक्तियां प्रदान की गई है। प्रारम्भ में राज्य सरकार का इस बोर्ड को पांच लाख रुपये तक की रकम देने का विचार है।

11. उड़ीसा

उड़ीसा में, उड़ीसा गरीबों को कानूनी सहायता नियमावली 1975 के अधीन कानूनी सहायता दी जाती है। रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर की पूर्वानुमति से जिला मजिस्ट्रेट किसी विधि व्यवसायी का चयन करते हैं जिसे प्रतिमास चार सौ रुपये समेकित फीस के रूप में दिए जाते हैं। रिटर्नर को साधारणतया एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के निम्नलिखित वर्ग के लोग कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं:-

- (1) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति अन्तर्ण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 के अधीन मामलों में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्णकर्ता।
- (2) उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) साहुकार विनियम, 1967 के अधीन मामलों में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के कर्जदार।
- (3) अनुसूचित जाति के ऐसे शिकायतकर्ता जिनके मामले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन आते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 3,500 रुपये से अधिक नहीं हो।

जिला मजिस्ट्रेट को जिला और सेशन जज से परामर्श लेते हुए विधि व्यवसायियों का एकपैनल बनाना होता है। नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित की जाती हैं। जहां कानूनी सहायता दी गई, पार्टी को निचली अदालत में जीत हो जाए और दूसरी पार्टी इस पर अपील कर दे या पुनरीक्षण कराने की कार्यवाही करे तो ऐसे मामलों को छोड़कर निचली अदालत के आदेशों के विरुद्ध अपील करने या पुनरीक्षण कराने के लिए कोई कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती है।

12. पंजाब

अनुसूचित जाति के लोगों को कतिपय मामलों में प्रतिवाद करने और अदालत में मुकदमा दायरे करने के लिए अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता (पंजाब) नियमावली, 1960 के अधीन कानूनी सहायता दी जाती है। सब-डिवीजनल अधिकारी (सिविल) अथवा उपायुक्त कानूनी सहायता देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होता है। इन नियमों के अधीन दी जाने वाली कानूनी सहायता में परामर्शफीस, कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, तथा गवाहों पर होने वाले खर्च आदि की मदें शामिल हैं। यह सूचित किया गया है कि 1977-78 में अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क

कानूनी सहायता देने पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। इस स्कीम में राज्य/जिला सब डिविजनल स्तरपर अनेक समितियां गठित करने की व्यवस्था है।

13. राजस्थान

इस राज्य में कानूनी सहायता और परामर्श स्कीम 1975-76 में आरम्भ की गई थी। हाल ही में राज्य सरकार ने कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड स्थापित किया है। इसी तरह एक उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति भी है जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसके अतिरिक्त अजमेर में एक राजस्व बोर्ड कानूनी सहायता समिति है। उच्च न्यायालय समिति तथा राजस्व बोर्ड समिति के अलावा, 17 जिलास्थर की और 86 उससे नीचे के स्तर की समितियां हैं। उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति को राज्य में बनी सभी दूसरी समितियों का पर्यवेक्षण करने और उनपर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है। जबकि राज्य-बोर्ड को अजमेर में राजस्व बोर्ड कानूनी सहायता समिति बनाने का काम सौंपा गया है, जिला, सबडिवीजन अथवा तहसील स्तर पर अन्य सभी समितियां बनाने का काम उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति को सौंपा गया है। वे समितियां सिविल, क्रिमिनल, राजस्व, श्रम अथवा दूसरी अदालतों या ट्रिब्यूनलों में हो रही कार्यावाहियों से संबंधित आवेदनों पर विचार कर सकती हैं। राजस्थान का कोई भी वास्तविक निवासी जिसकी सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय 3600 रु० से कम हो, वह पात्र व्यक्ति होगा। राजस्थान के 33 जिलों के 411 एडवोकेटों ने स्वेच्छा से निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं। गत चार वर्षों में 17 लाख रुपये का नियतन किया गया था, इसमें से 0.70 लाख रुपये इस स्कीम के अन्तर्गत खर्च किए गए।

14. तमिलनाडु

तमिलनाडु में 1976 में राज्य कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड बनाया गया था। इसमें जिला समिति बनाने की भी व्यवस्था की गई थी। समितियों द्वारा वकीलों का पैनल बनाया जाना था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए तमिलनाडु कानूनी सहायता (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के निर्धनों को) नियमावली 1975 नामक एक असांविधिक स्कीम भी है। इसके अधीन निर्धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेदखली के मामलों, दुर्घटना के मामलों, सेवा संबंधी मामलों तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के मामलों में कानूनी सहायता दी जा सकती है। कुछेक मामलों में अपील और/अथवा पुनरीक्षण संबंधी मामलों के लिए भी कानूनी सहायता दी जा सकती है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर, वकीलों का एक पैनल तैयार करता है। चयन के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वकीलों को तरजीह दी जाती है। प्रार्थी को इस बात की छूट दे दी जाती है कि वह पैनल में से किसी भी वकील को चुन सकता है।

15. उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार ने उत्तरप्रदेश निर्धनों को कानूनी सहायता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाधिसूचित जाति तथा अनुसूचित कर्जदार) स्कीम, 1975 के अधीन राज्य सरकार ने कानूनी सहायता के लिए एक स्कीम चलाई।

इस स्कीम से राज्य के मुख्यालय में राज्य कानूनी सहायता सलाहकार समिति गठित करने की व्यवस्था है। अदालत में जाने से पहले अथवा किसी दूसरे अधिकारी के पास जाने से पूर्व कानूनी सलाह देने और डिफेंडि निष्पादन तथा प्रदान की गई राहतों का प्रवर्तन कराने के लिए कानूनी सहायता देने की व्यवस्था है। अपरादात्मक मामलों में, आदेशिका फीस और कागजात की प्रतियां प्राप्त करने में होने वाले खर्च तथा गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च को कानूनी सहायता स्कीम के अंग के रूप में पूरा किया जाता है। इस स्कीम को चलाने के लिए यह समिति वकीलों तथा विधि-अध्यापकों का एक पैनल रखती है।

16. पश्चिम बंगाल

निर्घनों को कानूनी सहायता (पश्चिम बंगाल) नियमावली, 1974 के अधीन, जिन लोगों की वार्षिक आय 2400 रु० से अधिक नहीं हो वे कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं। कानूनी सहायता सिविल मामलों, क्रिमिनल मामलों में (जहां अपराध ऐसा हो कि उसके लिए मृत्यु दण्ड दिया जा सकता हो अथवा पांच साल या उससे अधिक अवधि का कारावास दंड दिया जा सकता हो) और भरणपोषण के मामलों में दी जाती है। हाई कोर्ट कलकत्ता (ओरिजनल तथा अपीलेंट साइड्स) और कलकत्ता प्रेसीडेन्सी नगर में स्थित अदालतों के लिए कानूनी सहायता समिति को यह काम सौंपा गया है कि वह इस बात का फंसला करे कि कानूनी सहायता पाने के लिए कौन पात्र है और कौन नहीं है। कलकत्ता में, कानूनी सहायता समिति वकीलों का चयन करती है और जिले में सदस्य सचिव चयन करता है।

17. गोवा, दमन और दीव

निर्घनों को कानूनी सहायता देने की स्कीम सेशनकोर्ट तक ही सीमित है जहां किसी दोषी व्यक्ति का मामला अदालत के सम्मुख विचारण के लिए आता है तथा वह एडवोकेट रखने की स्थिति में नहीं होता तो उसे किसी वकील की सेवाएं मूलभूत की जाती हैं।

18. दादरा तथा नगर हवेली

अभिधृति (डेनैसी) के मामलों तथा सिविल मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा रही है। फौजदारी के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी औसत वार्षिक आय 1800 रु० से अधिक न हो।

19. पाण्डिचेरी

1971 में, पाण्डिचेरी निर्घन अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता नियम बनाये गये थे। अनुसूचित जाति के निर्घन लोगों को अर्थात् उन्हें जिनकी वार्षिक आय 1,500 रु० से अधिक न हो, संघ राज्य क्षेत्र के निविल तथा वंड न्यायालयों में चलायी जाने वाली सभी प्रकार की कार्यवाही में कानूनी सहायता दी जानी थी ताकि वे अपने सम्पत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा कर सकें और उन्हें बनाए रख सकें। इस प्रयोजन के लिए वकीलों का चयन प्रशासन द्वारा रखे गए एक छोटे से पैनल से किया गया। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है।

4.81 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना अनिवार्य है ताकि जब कभी उन्हें सिविल, रेवेन्यू तथा क्रिमिनल मामलों में अदालतों में धसीटा जाए या उन्हें न्याय पाने के लिए स्वयं अदालतों में जाना पड़े तो उन्हें उचित न्याय मिल सके। इन स्कीमों की उपयोगिता के बारे में उचित

मूल्यांकन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत सूचना एकत्र की जानी चाहिए। इस सूचना में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि कानूनी सहायता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किस प्रकार के आवेदन पत्र आये, कानूनी सहायता देने के लिए कितने ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किया गया तथा इन मामलों का अन्त में क्या रहा। विशेषज्ञ निकायों को चाहिए कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता देने की स्कीमों की समीक्षा उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने हेतु करें। इसके अतिरिक्त जैसा कि आयुक्त ने अपनी पिछली रिपोर्टों में सुझाया था, सामाजिक अन्याय के मामलों को कानून के उल्लंघन के साधारण मामलों से पृथक समझे जाने के लिए मुकदमा कार्यवाहीप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है और सबूत के भार संबंधी कानून, साक्ष्य अधिनियम तथा बंड प्रक्रिया अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4.82 अन्त्योदय कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में जो लोग सबसे गरीब हैं उनको सहायता प्रदान करना चाहती हैं जिससे कि जरूरतमंद लोग अधिक कार्यकलाप आरम्भ कर सकें। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह परिवारों का निर्धारण और चयन ग्राम सभा की सहायता से किया जाता है और जहाँ किसी कारणवश ग्राम सभा इसका निर्णय नहीं कर पाती वहाँ यह काम ग्राम पंचायत करती है। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:—

4.83 बिहार राज्य में 31 जिलों के 37,714 ग्रामों में कुल 1,88,356 परिवारों का चयन किया गया है। ऋण के लिए 1,11,978 आवेदन पत्र एकत्र किए गए थे जिनमें से 791.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 1,01,399 आवेदन पत्र संबंधित बैंकों की शाखाओं को भेज दिए गए। अप्रैल 1978 तक 410.18 लाख रुपये की ऋण राशि के 45,954 आवेदन पत्र मंजूर किये गए थे। जहाँ तक बैंकों द्वारा ऋण बांटने का संबंध है 39,658 अन्त्योदय परिवारों को 358.12 लाख रुपये के ऋण दिए जा चुके थे। आयुक्त के पटना के दौरे के समय इस बात का पता चला कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अलग से आंकड़ें एकत्र नहीं कर रही थी। यह सुझाव दिया जाता है कि जिला अधिकारियों इत्यादि के लिए विधायित्व की गई विवरणियों में एक विशेष कालम शामिल करने के वांछनीयता पर राज्य सरकार विचार करें जिससे कि बिहार राज्य में अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गए लाभों की जानकारी मिल सके।

4.84 गुजरात सरकार ने इस कार्यक्रम को 1 मई 1979 से कार्यान्वित करने का निर्णय किया था और इसके लिए 1979-80 में 216 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देने हेतु सबसे गरीब परिवारों का चयन करने के लिए क्रमानुसार निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुसरण करने का प्रस्ताव था:—

- (1) ऐसे परिवार जिनकी कोई उत्पादक सम्पत्ति नहीं है तथा काम कर सकने योग्य आयु वर्ग (15-59 वर्ष)

में परिवार का कोई भी सदस्य या तो विश्वसनीय एवं रोजगार पर लगा हुआ नहीं है अथवा अशक्तता, अक्षमता या बुद्धावस्था के कारण कोई आर्थिक कार्य-करण नहीं कर सकता ।

ऐसे परिवार जिनके पास कोई उत्पादक सम्पत्ति नहीं है तथा उनके एक या उससे अधिक सदस्य काम पर नपे हैं तथा पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए वार्षिक आय 1200 रुपये से अधिक न हो । सामान्यतया पृथिवीन श्रमिकों तथा दस्तकारों आदि के परिवार इस श्रेणी में आ सकते हैं ।

ऐसे परिवार जिनके पास कुछ भूमि और अन्य सम्पत्ति है परन्तु वे निर्धनता-रेखा से नीचे हैं । ऐसे छोटे किसान, कृषि मजदूर तथा दस्तकार इत्यादि इस श्रेणी में आ सकते हैं जिनकी मासिक आय 57 रुपये है (पांच परिवारों के लिए वार्षिक आय 3,420 रुपये है) निर्धन वर्ग में आते हैं ।

सरकार का इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 परिवारों का प्रस्ताव था । इन परिवारों का चयन 100 संयुक्त ग्राम परियोजनाओं से करने का प्रस्ताव था । प्रत्येक ग्राम से 300 परिवारों का चयन किया जाएगा । इस ग्राम विकास परियोजनाओं से 30,000 परिवारों को किया जाएगा तथा बाकी के 20,000 परिवारों का चयन अन्य भागों से किया जाएगा ।

5 उपर्युक्त श्रेणी 1 तथा 2 के अंतर्गत आने वाले परिवार "बूढ़ों तथा अशक्त व्यक्तियों को सामाजिक धन" की स्कीम के पास थे । 60 वर्ष की आयु के जो 30 रुपये प्रति मास की दर से पेंशन देने का प्रस्ताव बड़े पति और पत्नी को 50 रुपये प्रति मास दिए

186 "आर्थिक कार्यक्रम" की स्कीम के अंतर्गत जिला अधिकारी को सहायता मंजूर करने की शक्ति दी गई है । सहायता मुख्यतः दुधार पशुओं, बकरियों, भूगर्भी पालन, और उद्योगों के औजारों तथा आस-पास की फैक्ट्रियों में या राज्य की पंचायतों के निर्माण और राहत कार्यों में आसान ऋण सह-सहायकी के रूप में होगी । श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाले अन्त्योदय परिवारों को 50 प्रतिशत की वित्तकी अधिकतम राशि 1500 रुपये होगी, और (3) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 33 1/3 प्रतिशत की वित्तकी अधिकतम राशि 1,500 रुपये होगी, देने का है ।

57 हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया तथा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से 60 परिवारों का चयन किया । वैसे, गलत चयन इत्यादि कारणों से 450 परिवारों के दावों को अस्वीकृत कर सा ।

58 उनको वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया ताकि उपयुक्त प्रदान करने के लिए यथार्थवादी कार्यक्रम बनाया जा सके । सर्वेक्षण से पता चला कि ये परिवार एक लम्बे समय से अक्षय रहे हैं तथा जो सहायता उन तक पहुंचनी नहीं वह उस स्तर तक कभी नहीं पहुंची । इन परिवारों को 28 लाख रुपये के ग्रामीण ऋण थे । रोजगार के अभाव में स्थिति बड़ी शोचनीय थी तथा इन परिवारों का एक

भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं था । जहां तक भूमि वितरण का सम्बन्ध है, विभिन्न परिवारों को 49,053 एकड़ भूमि बांटी गई जिसमें से पहले चरण में चुने गए अन्त्योदय परिवारों के हिस्से केवल 860 एकड़ भूमि आई तथा 4,520 परिवार अभी भी भूमिहीन हैं । इस बात का भी पता चला कि पहचाने गए परिवारों में से 57 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के और 4 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के थे ।

4.89 उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1979 के अंत तक इस कार्यक्रम से 16,248 परिवारों को लाभ पहुंचा था । इस कार्यक्रम को चलाने के लिए 31 जनवरी, 1979 तक 79.25 लाख रुपये की सहायकी तथा 30.33 लाख रुपये के ऋण दिए गए थे । बताया गया है कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इस सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है । खादी बोर्ड की स्कीमों के अंतर्गत सहायकी का अंश 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है । अन्त्योदय परिवारों को सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि खादी बोर्ड की शर्तें कुछ भी हों सभी अन्त्योदय परिवारों को एक तिहाई सहायकी तथा दो तिहाई ऋण के आधार पर सहायता दी जाएगी ।

4.90 उत्पादनोन्मुखी स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता के अलावा इन परिवारों को निम्नलिखित प्रकार से अप्रत्यक्ष सहायता भी दी जा रही थी :-

- (1) चयन किए गए परिवारों के बच्चों को प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा ;
- (2) निःशुल्क चिकित्सा सहायता तथा एम्बुलेंसों का प्रयोग ;
- (3) उच्च न्यायालय के स्तर तक दीवानी तथा राजस्व के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता ;
- (4) नियमित सरकारी नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण ;
- (5) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अन्त्योदय परिवारों के लिए पांच सीटें अलग रखी गई हैं तथा इन परिवारों के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को 45 रुपये प्रति मास की दर से वृत्तिका दी जाती है ; तथा
- (6) अन्त्योदय परिवारों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की छूट दे दी गई है ।

पता चला है कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए परिवारों के हित का ध्यान रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ।

4.91 राजस्थान में अन्त्योदय कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1977 को प्रारंभ किया गया था । अन्त्योदय परिवारों का चयन करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित मानदण्ड रखे थे :-

- (1) ऐसे परिवार जो अत्यधिक अभावग्रस्त थे जिनकी कोई आर्थिक सम्पत्ति नहीं थी तथा 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में उनका कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो कमाने के लायक हो ;
- (2) ऐसे परिवार जिनकी कोई आर्थिक सम्पत्ति नहीं है परन्तु उनके ऐसे एक या अधिक सदस्य हैं जो कमा सकते हैं परन्तु परिवार की वार्षिक आय 1200 रुपये से अधिक न हो ;
- (3) ऐसे परिवार जिनके पास कुछ सम्पत्ति है और जिनकी वार्षिक आय 1800 रुपये से कम है ;

(4) बाकी के वे परिवार जिनके पास कुछ भूमि और सम्पत्ति है परन्तु निर्धनता रेखा से नीचे हैं अर्थात् 55 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति के उपभोक्ता स्तर के नीचे हैं।

पहले चरण में 1.60 लाख परिवारों का चयन किया गया तथा आशा की जाती है कि दूसरे चरण में 1.40 लाख परिवारों को साम पहुंचेगा। स्थानीय शरारत के कारण कुछ स्थानों पर गरीब परिवारों का गलत चयन किया गया तथा हिताधिकारियों की सूची से ऐसे बहुत से परिवारों का नाम काटना पड़ा। इस प्रकार शुरु में जो 1.60 लाख परिवारों की सूची बनाई गई थी उसमें से करीब 5000 परिवारों के नाम काट दिए गए हैं।

4.92 इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयन किए गए परिवारों के लिए सरकार ने भूमि आवंटन, कृषि तथा भूमि विकास, लघु-खिचाई, दुधारू पशु, भेड़ यूनिट, बकरी यूनिट, मुर्गी पालन, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, मजदूरी पर रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि जैसी स्कीमों बनाई।

4.93 1978-79 वर्ष के दौरान 200 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था जिसके मुकाबले प्रत्याशित खर्च 300 लाख रुपये था। इस स्कीम के अंतर्गत जनवरी, 1979 के अन्त तक सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा करीब 36,000 परिवारों को 7.3 करोड़ रुपये की राशि उधार दी गई है। अन्त्योदय ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए रिजर्व बैंक ने विशेष रियायती शर्तें चालू कीं। सभी अन्त्योदय परिवारों को अब भेदीय व्याज दर स्कीम के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों से 4 प्रतिशत की दर पर ऋण मिल सकता है।

4.94 राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय स्कीम के अंतर्गत राज्य के सभी 26 जिले लाने के लिए एस० एफ० डी० ए., डी० पी० ए० पी० तथा डी० डी० पी० जैसी वर्तमान क्षेत्रीय स्कीमों का उपयोग किया है। जिन सात जिलों में इनमें से एक भी स्कीम नहीं चल रही थी राज्य ने वहां के अन्त्योदय परिवारों के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की तरह की ही अपनी एस० एफ० डी० ए० स्कीम चलाई है। एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० परियोजनाओं के माध्यम से छोटे तथा सीमान्त किसानों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत सहायकी दी जाती है।

4.95 जयपुर, झुनझुन, चित्तौड़गढ़, जोधपुर तथा कोटा जिलों में अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यचालन का त्वरित मूल्यांकन करने का काम सितम्बर, 1978 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सौंपा गया। यह मूल्यांकन अध्ययन दो स्तरों नामतः (1) जिला तथा (2) ग्राम स्तर पर शुरु किया गया। कुल 25 परिवारों (इन जिलों में चयन किये गए ग्रामों में से हर ग्राम में 5) से सम्पर्क किया गया।

4.96 अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि अन्त्योदय परिवारों को दिए गए लाभों में अर्थों के साथ साथ वृद्धावस्था

पेंशन, भूमि आवंटन, दुधारू पशु यूनिट, बकरी और भेड़ की भूमि सुधार, बैलों की खरीद, कृषि निवेश, हस्तचालित मशीनें बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, चूने बनाने का काम, सिलाई की मशीनें तथा छोटी मोटी सुचलने के लिए सहायता इत्यादि शामिल है। गहन अध्ययन के लिए चयन किए गए जिलों के संबंध में, 25 परिवारों में (2) को वृद्धावस्था पेंशन मंजूर की गई, 17 परिवारों को भूमि आवंटन की गई तथा 20 परिवारों ने ऋण के सहायता के लिए आवेदन दिए। चयन किए गए 25 परिवारों में से 1 परिवार अनुसूचित जातियों के थे।

4.97 मूल्यांकन रिपोर्ट से कार्यक्रम के मजबूत और कमजोर दोनों पक्ष सामने आए जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(1) गरीबों में सबसे गरीब 1,60,517 परिवारों के साथ का लक्ष्य करीब तीन महीने की अवधि में पहले प्राप्त कर लिया गया है।

(2) 15 सितम्बर, 1978 तक राज्य में जिन 1,24,8 परिवार लाभान्वित हुए उनमें से इतनी छोटी राशि में 40.54 प्रतिशत (50,375) को ऋण का हप्ता, 31.88 प्रतिशत (39,615) को भूमि वि. 20.48 प्रतिशत (25,453) को वृद्धावस्था के मिली तथा केवल 3.71% (4,610) को मजदूरी पर रोजगार मिला।

(3) हिताधिकारियों ने यह शिकायत की थी कि बैंक वाणिज्यिक बैंक भेदीय व्याज दर के अंतर्गत 4 प्रतिशत व्याज लेते हैं सहकारी बैंक पहले 13 प्रतिशत पर लेते थे जो बाद में 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी।

(4) रिपोर्ट से यह पता चलता है कि चयन किये गए पांच जिलों में से किसी ने भी अन्त्योदय हिताधिकारियों के लिए प्रबन्ध, उत्पादन तथा विपणन में तकनीकी व्यवहार ज्ञान देने का विशेष प्रबंध करने की दिशा नहीं दी। जिन परिवारों का चयन किया गया था उनमें संभवतया कम उत्प्रेरणा थी तथा उनकी रकम भी कम थी, भूमि/ऋण देने के पश्चात् उन्हें स्वयं सहाय जट्ट करते रहने के लिए छोड़ दिया जाता। यह संतोषजनक नहीं है तथा विस्तार पूर्वक तकनीकी कामियों को, विशेषतया कुटीर उद्योग आदि के क्षेत्र में, उनकी सहायता करनी चाहिए जिससे कि अस्तित्वा बनाने और गरीब से गरीब परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य का वांछित लक्ष्य पूरा हो सके।

(5) जिन 25 परिवारों का गहन अध्ययन किया गया उनमें से 15 परिवारों ने बताया कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत आने के पश्चात् उनके रोजगार की आय में वृद्धि हुई है।

अध्याय 5

भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिशेष भूमि आबंटन में तरजीह

भूमि की अधिकतम सीमा लागू कर देने पर अधिशेष घोषित की गई भूमि में से पर्याप्त भूमि भूमिहीन मजदूरों को आबंटित करने के लिए खर्च करा जा सकता है। इस भूमि का वितरण करते समय राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में राज्यवार स्थिति परिशिष्ट-42 में दी जा सकती है। अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रेरित बनाकर उनकी हालत सुधारने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर आयुक्त की विभिन्न पिछली रिपोर्टों में जोर दिया गया है। देश के लिये आयुक्त ने अपनी 1958-59 की वार्षिक रिपोर्ट सुझाव दिया था कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने लिए कानून बनाने तथा उसके कार्यान्वयन में शीघ्रता की जाय। ये सब भी सुझाव दिया गया था कि विभिन्न राज्य सरकारों को अधिशेष भूमि आबंटित करने के उपयुक्त नियम बनाने चाहिए जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों के लिए आवश्यकताओं/आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय। आयुक्त की 1961-62, 1962-63, 1967-68 की बाद की रिपोर्टों में जोर भूमि की अधिकतम सीमा लागू करके उससे मिलने वाली भूमि के आबंटन में सर्वप्रथम वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को देने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया गया। आयुक्त की 1974-75 रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी गई थी कि कमजोर वर्ग के लिए भूमि वितरण कार्यक्रम की सफलता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिशेष भूमि के आबंटन, इस भूमि पर उनके वास्तविक कब्जा तथा इस भूमि के विकास के लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने, जिससे वे इस भूमि को जोत सकें तथा इसका पूरा फल उठा सकें, से प्राप्ति जा सकती है। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जिन लोगों को भूमि का आबंटन दिया गया है उन्हें वास्तव में कितनी भूमि का कब्जा मिला है और जहां तक आवश्यक हो उन्हें कमियों को दूर करने के लिये समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आबंटित अधिशेष भूमि

5.2 आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में की गई उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा काफी अधिशेष भूमि आबंटित की गई है। नवीनतम प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 39.78 लाख एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई थी जिसमें 23.23 लाख एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया गया था। अभी तक 16.00 लाख एकड़ भूमि 10.78 लाख हिताधिकारियों को वितरित हो चुकी है। अनुसूचित जातियों से संबंधित 4.32 लाख हिताधिकारियों को 5.29 लाख एकड़ भूमि आबंटित की गई तथा अनुसूचित जनजाति के 1.36 लाख हिताधिकारियों को 2.49 लाख एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। इससे पता चलता है कि अभी तक

अधिशेष घोषित हुई भूमि में से 5.29 लाख एकड़ अर्थात् 13.30 प्रतिशत भूमि, और 2.49 लाख एकड़ अर्थात् 6.25 प्रतिशत भूमि क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित की गई। अधिशेष भूमि के वितरण का राज्यवार विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बंजर भूमि का आबंटन

5.3 वितरण के लिए उपलब्ध खेती करने योग्य बंजर भूमि का अनुभाग 1975-76 में 176 लाख हेक्टर लगाया गया था। कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1976-77 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों की 21.12 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि वितरित की गई। निम्नलिखित सारणी में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है :-

| राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम | वितरित क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. आंध्र प्रदेश | 1,86,884 |
| 2. गुजरात | 1,327 |
| 3. हरियाणा | 240 |
| 4. हिमाचल प्रदेश | 59,319 |
| 5. केरल | 24,257 |
| 6. महाराष्ट्र | 1,24,500 |
| 7. मणिपुर | 18,770 |
| 8. उड़ीसा | 31,421 |
| 9. राजस्थान | 7,00,919 |
| 10. तमिलनाडु | 39,065 |
| 11. त्रिपुरा | 18,386 |
| 12. उत्तरप्रदेश | 8,66,081 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 36,929 |
| 14. दिल्ली | 1,992 |
| 15. गोवा, दमन एवं दीव | 1,905 |
| | 21,11,995 |

5.4 उपर्युक्त सारणी से यह पता चलेगा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, को बंजर भूमि आबंटित कर दी गई थी। सरकारी बंजर भूमि तथा ग्राम सभा की भूमि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आबंटित करने के बारे में राज्यवार प्राप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. गुजरात

1976-77 के दौरान 3,239 अनुसूचित जाति और 3,240 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को खेती-बाड़ी के लिए क्रमशः 12,234 एकड़ और 9,433 एकड़ सरकारी बंजर भूमि आबंटित की गई थी।

2. मणिपुर

1976 के दौरान 45 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को खेती बाड़ी के लिए 40.50 हेक्टर भूमि आबंटित की गई थी।

3. उड़ीसा

31 मार्च 1979 तक 3.00 लाख भूमिहीन व्यक्तियों को खेती करने के लिये 5.20 लाख एकड़ सरकारी बंजर जमीन आबंटित की गई थी। इसमें 1.63 लाख अनुसूचित जनजातियों में वितरित 3.01 लाख एकड़ बंजर भूमि तथा 64,395 अनुसूचित जातियों में वितरित 1.16 लाख एकड़ बंजर भूमि सम्मिलित है। अप्रैल 1978 और दिसम्बर 1978 के बीच 8,265 अनुसूचित जनजातियों तथा 2,678 अनुसूचित जातियों के लोगों को खेती करने के लिए क्रमशः 9,067 एकड़ तथा 2,838 एकड़ सरकारी बंजर जमीन आबंटित की गई।

4. पंजाब

1975-76 के दौरान अनुसूचित जाति के 89 परिवारों को 231 एकड़ निष्कांत भूमि तथा अनुसूचित जाति के 44 परिवारों को 132 एकड़ मजलू भूमि आबंटित की गई।

5. उत्तर प्रदेश

1977-78 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 9.50 लाख लोगों को खेती करने के लिये गांव सभा की 3.49 लाख हेक्टर भूमि आबंटित की गई। बाराबंकी, उन्नाव, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़, हरदोई और मुजफ्फरनगर जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक भूमि आबंटित की गई।

6. लक्षद्वीप

बताया गया है कि मिनिर्काय द्वीपसमूह में लक्षद्वीप भूराजस्व तथा अधिष्ठाता विनिमय 1965 की धारा 14 के अधीन भूमि आबंटन कार्य चालू था। इस भूमि का भूमिहीनों को यह नया वितरण नहीं था। यह भूमि पहले सम्मिलित थी और गांव के मुखिया के नाम होती थी, अब व्यक्तियों को इसका औपचारिक आबंटन कर दिया गया। भूमिहीनों को भूमि वितरण का कार्य 1971 में किया गया और 117 परिवारों को व्यक्तिगत तौर पर आबंटन किए गए, 9 गांवों की जमीन गांव के सभी सदस्यों के सम्मिलित उपयोग के लिये गांव के मुखिया लोगों के बीच बांटी गई। चूंकि गांव के मुखियाओं तथा ग्रामवासियों ने व्यक्तिगत आबंटन करने के लिए सरकार से संयुक्त रूप से अनुरोध किया, इसलिये उपविभाजन कार्य आरंभ किया गया। यह कार्य हाल ही में पूरा हुआ है और व्यक्तिगत आबंटन का कार्य 1-2-1979 से आरंभ हो गया है। व्यक्तिगत आबंटन उन्हीं दो गांवों में किया गया है जहां लोगों ने इस आबंटन के लिये प्रार्थना की थी। जब और जैसे अन्य गांव आवेदन करेंगे, वहां भी व्यक्तिगत आबंटन कर दिया जाएगा। ऐसा व्यक्तिगत आबंटन लक्षद्वीप भूराजस्व (पंदरम भूमि आबंटन) नियम 1979 के अधीन किया जाता है।

7. त्रिपुरा

1977-78 के दौरान 273 अनुसूचित जाति तथा 1,174 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को खेती करने के लिये क्रमशः 261.815 तथा 916.59 हेक्टर सरकारी खास जमीन आबंटित की गई।

5.5 यह देखा गया है कि अनुसूचित जाति के एवं अनुसूचित जनजातियों को आबंटित बंजर भूमि कई जगह इतनी खराब हालत में है कि उसे ठीक करके कृषि योग्य बनाना उन्हें काफी कठिन दिखाई पड़ता है। इसलिये आयुक्त की 1958-59 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया

था कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आबंटित बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना कठिन हो तो ऐसी भूमि के बने या तो अन्य जमीन दी जाए या योग्य व्यक्तियों की तकनीकी देख रेख में इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय। इन पर बसने वाले जिन व्यक्तियों के लिए यह भूमि कृषि योग्य बनाई जानी थी, उन्हें भूमि उद्धार कार्य में लगाया जाना चाहिए। यह सिफारिश आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में दोहराई गई थी। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कारवाई का पता नहीं है। इसलिए यह सोचना जाता है कि जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई बंजर भूमि बहुत उबड़-खाबड़ है और उसे खेती योग्य बनाना हिताधिकारियों की क्षमता से परे है वहां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को उन्हें या तो उस भूमि के बने दूसरी भूमि आबंटित करनी चाहिए या उस भूमि के उद्धार कार्य में उन लोगों की सहायता करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन लोगों को जिन्हें बंजर भूमि आबंटित की गई है आरंभ में भूराजस्व की रियायत

5.6 जब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को बंजर भूमि दी जाती है तो पहले कुछ वर्षों में वे इस भूमि से पूरी फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिये वे सरकार को भूराजस्व देने की क्षमता में नहीं हैं। आयुक्त की 1959-60 की रिपोर्ट में इस संबंध में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन लोगों को जिन्हें बंजर भूमि आबंटित की गई है, सरकार को भूराजस्व की पूरी छूट देनी चाहिए के लिए कहने से पूर्व, ऐसी भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए कम से कम 3 साल का समय दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि उन लोगों से आबंटन के प्रथम वर्ष में सामान्यतया ऐसी कोई उगाही नहीं करनी चाहिये तथा दूसरे और तीसरे वर्ष में उनसे भूराजस्व का क्रमशः 1/3 तथा 2/3 भाग ही लिया जाना चाहिए। उन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को, जिन्होंने उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक आवश्यक कारवाई नहीं की है, इस पर शीघ्र कारवाई करनी चाहिए।

भूदान जमीनों का आबंटन

5.7 देश में भूदान यज्ञ आन्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त हुई कुल 41.59 लाख एकड़ भूमि में से अभी तक भूमिहीन व्यक्तियों को 12.74 लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है, इसका ब्योरा निम्नलिखित सारणी में है :

| क्रम सं० | राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम | दान में दिया गया क्षेत्रफल | वितरित किया गया क्षेत्रफल |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 2,84,000 | 44,390 |
| 2 | असम | 5,000 | 63 |
| 3 | बिहार | 22,32,000 | 4,27,685 |
| 4 | गुजरात | 76,000 | 50,984 |
| 5 | हरियाणा | पंजाब में शामिल | 1,502 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 2,000 | उपलब्ध नहीं |
| 7 | कर्नाटक | 13,000 | 1,988 |
| 8 | केरल | 29,000 | उपलब्ध नहीं |
| 9 | मध्य प्रदेश | 68,000 | 1,97,869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| 10 | महाराष्ट्र . . . | 1,09,000 | 80,215 |
| 11 | उड़ीसा . . . | 2,86,000 | 1,40,817 |
| 12 | पंजाब . . . | 16,000 | उपलब्ध नहीं |
| 13 | राजस्थान . . . | 3,84,000 | 84,772 |
| 14 | तमिल नाडु . . . | 57,000 | 20,409 |
| 15 | उत्तर प्रदेश . . . | 5,86,000 | 2,23,195 |
| 16 | पश्चिम बंगाल . . . | 12,000 | 30 |
| योग . . . | | 41,59,000 | 12,73,899 |

भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आबंटित भूदान जमीन का पृथक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में आयुक्त की 1961-62 तथा 1962-63 की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने लोग लाभान्वित हुए इस संबंध में राज्य सरकारों के राजस्व विभाग तथा भूदान समितियों दोनों की इसकी पूरी सूचना रखनी चाहिए जिससे यह मालूम हो सके कि इन उपायों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितना वास्तविक लाभ हुआ। फिर भी, प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है। इसलिये इसे फिर दोहराया जाता है।

अधिशेष भूमि के आबंटितियों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था

5.8 अधिशेष भूमि के आबंटितियों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार भूमि की उच्चतम सीमा से अधिशेष की भूमि के आबंटितियों को कृषि कार्यों और अनिवार्य भूमि विकास उपायों के लिए वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकारों का दी गई सहायता दो भागों में विभाजित की गई है, नामतः (क) कृषि कार्यों को करने और अनिवार्य उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्प-कालिक सहायता और (ख) भूमि विकास सहायता, यह सहायता 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है। 1975-76 और 1978-79 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

(रुपये लाखों में)

| क्र. सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1975-76 और 1978-79 में दी गई वित्तीय सहायता | |
|----------|--------------------------------|---|-------------------|
| | | अल्प कालिक सहायता | भूमि विकास सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आंध्र प्रदेश . . . | 86.06 | 64.93 |
| 2 | असम . . . | 109.04 | 52.76 |
| 3 | बिहार . . . | 46.94 | 33.48 |
| 4 | गुजरात . . . | 1.50 | 1.22 |
| 5 | हरियाणा . . . | 14.22 | 9.27 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश . . . | 1.98 | 1.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--------------------|--------|--------|
| 7 | कर्नाटक . . . | 11.66 | 7.55 |
| 8 | केरल . . . | 20.79 | 14.88 |
| 9 | मध्य प्रदेश . . . | 12.68 | 9.83 |
| 10 | महाराष्ट्र . . . | 134.55 | 101.20 |
| 11 | उड़ीसा . . . | 24.34 | 23.34 |
| 12 | पंजाब . . . | 5.11 | 4.35 |
| 13 | राजस्थान . . . | 130.22 | 84.44 |
| 14 | तमिल नाडु . . . | 38.40 | 23.27 |
| 15 | बिपुरा . . . | .. | 0.08 |
| 16 | उत्तर प्रदेश . . . | 68.02 | 49.06 |
| 17 | पश्चिम बंगाल . . . | 74.89 | 51.32 |
| योग . . . | | 780.40 | 532.45 |

5.9 इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अधिशेष भूमि के आबंटितियों को कृषि निवेशों के लिये अन्य प्रकार की सहायता या तो विशेष स्कीमों के अंतर्गत या कृषकों को ऋण तथा अन्य सहायता देने की ग्राम स्कीमों के अंतर्गत देती हैं। बहुत से राज्य वाणिज्य बैंकों और अन्य सार्वजनिक ऋण संस्थानों की मदद से केन्द्रीय सैक्टर स्कीम के अंतर्गत किये जाने वाले प्रयत्नों में पूरक सहायता दे रहे हैं ताकि जिन व्यक्तियों को अधिशेष भूमि आबंटित की गई है वे उस भूमि में खेती कर सकें। इस संबंध में आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में खेती के सामान जैसे बेल, बीज, खती के औजार, सिंचाई की सुविधाएं, आदि प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर, आयुक्त की 1970-71 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी भूमि आबंटितियों को कम से कम प्रारम्भ में उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ऋण/प्राथमिक सहायता प्रदान करने की एक ग्राम पद्धति होनी चाहिए। आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कृषि मंत्रालय क अधीन विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों को आदिवासी क्षेत्रों में कृषि समस्याओं का पता लगाना चाहिए और इन क्षेत्रों में उगने वाली फसलों के कार्यक्रम को इस प्रकार अनुकूलित करना चाहिए कि आदिवासी लोग कृषि अनुसंधान से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। यह भी बांछनीय समझा गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में उपयुक्त रहने वाली नई किस्म की फसलें विकसित करने के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जाना चाहिए क्योंकि यह आदिवासियों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में काफी लाभकारी होगा तथा यह देश से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायक हो सकेगा। आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि धीमी सिंचाई, सतह के जल संसाधनों से पानी उठाकर सिंचाई और भूमिगत जल की प्राप्ति के संबंध में कुल उपलब्ध सिंचाई क्षमता की समीक्षा की जानी चाहिए और आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में छोटी सिंचाई स्कीमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उपर्युक्त सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जावा बाकी है। इसलिए, यह दोहराया जाता है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने और विभिन्न कृषि निवेशों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए अधिवासियों को उदार सहायता देनी चाहिए तथा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में तथा अनुसूचित जातियों के कृषकों के लाभ के लिए छोटी सिंचाई के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन श्रमिकों

को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहकारी कृषि समितियों बनाने की वांछनीयता पर भी विचार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों को नई किस्में विकसित करने पर अनुसंधान करना भी आवश्यक समझा जाता है।

भूमि अभिलेख

5.10 अधिकतर राज्य सरकारों ने काश्तकारों और बटाईदारों को बेदखली से बचाने हेतु काश्तकारी अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाए हैं। और उन्हें मालिकाना अधिकार दिए हैं। परिणामस्वरूप, लगभग 30 लाख काश्तकारों और बटाईदारों ने 70 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि का मालिकाना अधिकार प्राप्त कर लिया है। उनमें से कुछ उन राज्यों के भी हैं जिनमें भूमि की उच्चतम सीमा का सन्तोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, गुजरात और महाराष्ट्र में काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत चार लाख के लगभग काश्तकारों को मालिकाना मिला था। गुजरात में, छिपी हुई काश्तकारियों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा विशेष अधिकार अभिलेख दल भेजे गए ताकि उन्हें काश्तकारी अधिकार दिलाए जा सकें। काश्तकारों को मालिकाना अधिकार दिलाने की व्यवस्था असम, केरल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा त्रिपुरा में भी की गई है। फिर भी कुछ राज्यों में, जैसे आन्ध्र प्रदेश बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में, काश्तकारों सम्बन्धी कानून स्वीकृत राष्ट्रीय नीति की अपेक्षाओं से अभी भी काफी पीछे हैं।

5.11 काश्तकारों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सहायता मिली है क्योंकि अधिकतर काश्तकार इन्हीं समुदायों के होते हैं, यद्यपि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन काश्तकारों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है जो उनके द्वारा जोती जाने जाली भूमि के मालिक हो गए हैं। इस सम्बन्ध में आयुक्त की 1962-63 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि भूमि अभिलेखों के रखरखाव के बारे में राजस्व मण्डल का कठोर अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि भूमिहीन कृषकों को आर्बंटित भूमि के रकबों और उनमें से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितधिकारी हैं, इसके बारे में नीचे के स्तरों पर पूर्ण सांख्यिकी सूचना रखी जाए और इसे आयुक्त को भेजने के लिए राज्य स्तर पर नियमित रूप से संकलित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए यह भी सुझाया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि के आर्बंटन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भूमि अभिलेख के प्रोफार्मा में अग्र आवश्यक हो तो उपयुक्त संशोधन कर लिए जाएं। आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में, जहां भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं होते, स्थिति का जायजा लिया जाए तथा स्थल पर त्वरित जांच-पड़ताल की जानी चाहिए व उसके आधार पर 6 महीने की अवधि में रिकार्डों को अद्यतन किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दें और आवश्यक अतिरिक्त स्टाफ तत्काल नियुक्त करें। आयुक्त द्वारा यह भी महसूस किया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सम्बन्धी अभिलेखों को पूरा करने के कार्य की और सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था और यह वह क्षेत्र है जिसमें भूमि अभिलेखों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

5.12 आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में जोतने योग्य और जंगलात की जमीनों पर अधिकार गामूहिक होता है और इसलिए सर्वेक्षण और

बन्दोबस्त के समय यथोचित ध्यान देना होगा ताकि अदिवासियों के अति प्राचीन समय से चले आ रहे उनके वैध अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस बात पर जोर दिया गया था कि राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए तथा जब तक इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में तत्काल क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, यह डर है कि विकास योजनाओं में किए जा रहे विकास के उपायों का लाभ आदिवासी लोग नहीं उठा सके।

5.13 यह पाया गया है कि अधिकारों के अभिलेख की अपर्याप्तता काश्तकारों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में आड़े आती है। कुछ वर्गों में यह महसूस किया जाता है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यप्रणाली सम्बन्धित कृष्क मानदण्डों को पूरा करने के लिए प्रथागत कानूनों को संहिताबद्ध करना आवश्यक है ताकि आदिवासियों के विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए संस्थागत वित्त आसानी से मिलता रहे। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि रिकार्ड तैयार होने पर उन समुदायों के भूमि और जंगलात पर सामूहिक अधिकार और इस सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष के अधिकार दिखाई पड़ने चाहिए। यह पाया गया कि उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ भागों में भारतीय स्टेट बैंक इस बात पर सहमत हो गया कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले अपने निरंतर अधिकारों के बारे में अंचल पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पादक कार्यकलाप शुरू करने के लिए आदिवासी उत्पादकों को व्यक्तिगत आधार पर ऋण दे दिया जाएगा।

5.14 अक्टूबर 1976 में, केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ने भूमि रिकार्डों की शीघ्र अद्यतन कराने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों पर जोर दिया था और यह चोहा था कि 1976-77 वर्ष को भूमि रिकार्ड वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि बेसिक गव फार्म में वास्तविक काश्तकार का नाम अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में भूमि रिकार्डों को पूरा करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें भूमि पर समुदाय, कुल अथवा वंश के सामूहिक अधिकार तथा व्यक्ति के अधिकार विश्वसनीय रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

निर्धनों को संघटित करना

5.15 भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 141—“ग्रामीण श्रमिकों के संगठन और आर्थिक व सामाजिक विकास में उनके योगदान की भूमिका सम्बन्धित कन्वेंशन” का अनुसमर्थन किया। इस कन्वेंशन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन न “ग्रामीण श्रमिकों” की परिभाषा इस प्रकार दी है: “कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, हस्त शिल्प अथवा अन्य किसी संबंधित व्यवसाय में, चाहे इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी पर और चाहे अपने रोजगार में जैसे कि काश्तकार, बटाईदार अथवा छोटे मालिक-कन्वेदार के रूप में, लगा हुआ हो।” कन्वेंशन के आमुख में कहा गया है कि “विश्व में ग्रामीण श्रमिकों के महत्व के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि अग्र उनके कार्य की स्थिति और जीवन में स्थायी और प्रभावकारी सुधार लाना है तो उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कार्रवाई में तत्काल सम्बद्ध किया जाए, और फिर यह ध्यान में रखते हुए कि विश्व के अनेक देशों विशेषकर विकासशील देशों में भूमि और श्रम का काफी उपयोग होता है और इससे ग्रामीण श्रमिकों को स्वतंत्र और ऐसे जीवनक्षम संगठन बनाने में जो अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा और उत्थान कर सकें तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में उनका प्रभावकारी योगदान सुनिश्चित कर सकें, इस प्रकार का प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है, इस बात पर विचार करते हुए कि ऐसे संगठन विश्व के विभिन्न भागों में खाद्य उत्पादों की चिरस्थायी कमी के उपशमन में योगदान कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, तथा इस बात को सान्यता देते हुए कि अनेक विकासशील देशों में भूमि सुधार ग्रामीण श्रमिकों की कार्य स्थिति और उनके जीवन में

सुधार लाने का एक आवश्यक कारक है तथा ऐसे सुधारों को कार्यान्वित करने में संगठन सत्रिय भाग लेते हैं, और वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय श्रम कन्वेंशनों तथा सिफारिशों—विशेषकर संगठन का अधिकार (कृषि) कन्वेंशन, 1921, एकत्र होने की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार का संरक्षण कन्वेंशन 1948, संगठन के अधिकार और सामूहिक सौदाकारी कन्वेंशन 1949—जो ग्रामीण श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के निर्वाह तथा स्वतंत्र संगठन स्थापित करने के अधिकार की पुष्टि करते हैं, और ग्रामीण श्रमिकों को लागू विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय श्रम कन्वेंशनों के उपबन्धों और सिफारिशों जो उनके कार्यान्वयन में श्रमिक संगठनों के भाग लेने के लिए कहती है।¹

5.16 कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में आदेश है कि अनुसमर्थन करने वाले सदस्यों को ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों को "सत्रिय प्रोत्साहन की नीति को अपनाना तथा लागू करना" चाहिए ताकि वे "सामाजिक तथा आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।" अनुच्छेद 6 अनुसमर्थन करने वाले देशों के दायित्वों को और सुस्पष्ट बना देता है। इसमें कहा गया है: "ग्रामीण श्रमिक संगठनों के और विकास करने की आवश्यकता तथा देहाती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कार्यस्थितियों तथा जनजीवन में सुधार लाने में और साथ ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने और उसका बेहतर वितरण प्राप्त करा सकने में उनका कितना योगदान हो सकता है, इनके विषय में अधिकतम व्यापक ज्ञान कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।" काफी हद तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 141, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन सिफारिश 149 और विश्व रोजगार सम्मेलन, 1976 द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों और कार्रवाई कार्यक्रम के घोषणापत्र का अनुसरण करते हुए योजना आयोग ने विकास प्रक्रिया में ग्रामीण श्रमिक संगठनों को बढ़ावा देने और उनमें उन्हें शामिल करने के प्रश्न पर 1978—83 योजना प्रलेख के मसौदे में एक महत्वपूर्ण नीति वक्तव्य शामिल किया। इसमें यह कहा गया है; "हमारे ग्रामीण समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा अत्यधिक श्रेणीबद्ध होने के कारण पुनर्वितरण न्याय के उपायों में निष्फल हो जाने की सम्भावना है जब तक कि इन्हें ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए छोटे किसानों और ग्रामीण श्रमिक संगठनों को सक्रिय प्रोत्साहन देने की नीति आवश्यक हो जाती है। ऐसे संगठनों को "(क) भूमि सुधार तथा अधिशेष भूमि के वितरण के कार्यक्रम में शामिल करके सीधे कार्यान्वयन में भाग लेना चाहिए।" राष्ट्रीय श्रम संस्थान के माध्यम से श्रम मंत्रालय द्वारा ग्रामीण श्रमिकों के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों के गांवों में उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करने और कृषि श्रमिकों को सरकार के ग्राम विकास कार्यक्रमों, तथा भूमि की जोत, बटाई, काष्ठकारी, न्यूनतम मजदूरी आदि के बारे में वर्तमान कानूनों की जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जाते रहे हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो भूमिहीन कृषक इन शिविरों में भाग लें उन्हें जमींदारों द्वारा हानि न पहुंचाई जाए। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने भी ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों को सुदृढ़ करने और उन का विकास करने तथा अपेक्षित ढांचा तैयार करने में सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया है। फिर भी उन क्षेत्रों और उनके आसपास के स्थानों को छोड़कर जिनमें ऐसे शिविर आयोजित किए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है। दूसरी ओर, देश के कुछ भागों में कृषि श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों की खातिर लड़ने के लिए कुछ आंदोलन स्वतः आयोजित हुए हैं। बिहार में धर्मपुर गांव का मामला, जहां पर अपना न्यायोचित हिस्सा आग्रहपूर्वक मांगने पर बटाईदारों को मार दिया गया था, ऐसी घटनाओं में से एक है जहां ग्रामीण श्रमिकों ने स्वतः आंदोलन शुरू किए। ऐसे आंदोलन को, कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की पुरातन परम्परा और वर्तमान सम्पत्ति सम्बन्धों का सामना करना पड़ता है और न्यायपालिका भी वर्तमान कानूनों की

व्याख्या पुराने ढंग से ही करती है। ग्रामीण संगठनों को बनाने में वास्तविक अड़चन शिक्षा का निम्न स्तर अथवा गरीबी नहीं है किन्तु जमींदारों के हिंसात्मक विरोध के प्रति सुरक्षा की कमी है। कभी-कभी ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने वालों को नकसलवादी कहा जाता है और उन्हें दवाने के लिए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की सामाजिक हालतों को बेहतर करने और उनके संगठनों के उन्नयन के सभी प्रशासनिक और विधायी उपायों का पूरा विषय श्रम मंत्रालय द्वारा ग्रामीण असंगठित श्रमिकों से सम्बन्धित केन्द्रीय स्थायी समिति को सौंपा गया है। स्थायी समिति द्वारा गठित एक उप-समिति ने कृषि श्रमिकों के कलाण, रोजगार तथा सेवा की स्थितियों आदि के नियमन के लिए उपयुक्त केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में 7 मार्च 1980 को एक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया। सरकार द्वारा इस मामले में आगे और कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए स्थायी समिति द्वारा इस रिपोर्ट पर शीघ्र विचार किए जाने की सम्भावना है।

बर्गा संचालन

5.17 अब हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बर्गादारों (बटाईदार) के नाम रिकार्ड करने और गांव के गरीब लोगों को सम्बद्ध करके, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, अधिशेष भूमि को प्राप्त करने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करते हैं। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम के अधीन एक बर्गादार उत्पादन के 75% का हकदार होता है अगर वह जोत के सभी निवेश प्रदान करता है। अन्यथा, फसल को भूमि के मालिक और बर्गादार के बीच 50 : 50 के हिस्से में बांटा जाता है। बर्गादार को जोत का पैतृक हक होता है यद्यपि उसका कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता। किसी बर्गादार को बेदखल नहीं किया जा सकता सिवाय कानूनी प्रक्रिया के और वह भी सीमित कारणों से जैसे कि वह भूमि को न जोते अथवा फसल का हिस्सा न दे अथवा भूमि को स्वयं न जोते अथवा वास्तविक कारणों से भूमि का मालिक उसे स्वयं जोतना चाहता हो। तब भी किसी बर्गादार को कानूनी प्रक्रिया से भी इस रूप में बेदखल नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा जोती जाने वाली कुल भूमि घटकर एक हेक्टर से भी कम रह जाए। इसी प्रकार, किसी बर्गादार की कुल जोत पर भी उच्चतम सीमा होती है जिसे वह एक बर्गादार अथवा रयत अथवा दोनों के रूप में जोत सकता है। यद्यपि कानून में "वास्तविक कारणों से" व्यक्तिगत जुताई के लिए जमीन के पुनर्ग्रहण की बात है लेकिन इससे भूमि के मालिकों को बर्गादारों को बेदखल करने की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है।

5.18 1955 में जब पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 लागू किया गया था और 1966 के बीच बड़े जमींदारों द्वारा भूमि के परित्याग से लगभग 4,00,000 एकड़ कृषि भूमि निहित हुई थी। किन्तु 1967 से 1970 तक निहित की गई कृषि भूमि की कुल प्रमाणा लगभग 5,00,000 एकड़ थी। यह गांव के निर्धनों और अधिकारियों द्वारा उच्चतम सीमा से अधिक बनायी भूमि का पता लगाने के कारण हो सका। निचले स्तर से दबाव पड़ने तथा ऊपर के स्तर पर राजनैतिक इच्छा होने के कारण अफसरशाही ने असम्भव दिखाई पड़ने वाले कार्य को पूरा कर दिखाया। किन्तु विभिन्न कारणों से इस कार्य की गति शीघ्र ही मंद पड़ गई। अतः पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1977 के अधीन दो संशोधन किए। इनमें से एक, निजी खेती के लिये भूमि के पुनर्ग्रहण पर रोक से संबंधित था। निजी तौर पर खेती करने हेतु भूमि का पुनर्ग्रहण करने के लिए भूमि के मालिक को वर्ष के अधिकतर समय में उसी इलाके में रहना होता है। उसे अपनी आय का मुख्य स्रोत खेती को बनाना पड़ता है और जो भूमि उसने फिर से प्राप्त करनी हो उस पर उसे स्वयं खेती करनी होती है, किराए के मजदूरों द्वारा नहीं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि भूमि का पुनर्ग्रहण निजी खेती की दलील पर लेना सरल नहीं है।

5.19 दूसरे संशोधन ने उन समय क कानून की एक और कमी को दूर कर दिया। यह बर्गादार की पहचान के बारे में था। कानून का संरक्षण प्राप्त करने का दावा करने से पहले किसी बर्गादार को स्वयं बर्गादार सिद्ध करने की प्राथमिक बाधा पार करनी पड़ती थी। दावे को प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व सामान्यतः दावेदार पर होता है। कोई बर्गादार स्वयं को ऐसा स्थापित करा सकने के लिए ऐसी खर्चीली तथा समय खपाने वाली अर्ध-न्यायिक प्रणाली को नहीं झेल पाता था। इस संशोधन के अधीन कोई व्यक्ति जो कानूनी तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर खेती करता हो और यदि उस व्यक्ति के ज़िम्मे की भूमि पर वह खेती करता है, परिवार का सदस्य न हो तो उसे बर्गादार मान लिया जायेगा, यह सिद्ध करने का भार कि वह व्यक्ति बर्गादार नहीं है भूमि के मालिक पर होगा। इस नवीन तथा कल्याणशील संशोधन ने बर्गादार के पक्ष में धारणा दे कर तथा प्रतिवाद का उत्तरदायित्व भूस्वामी पर डाल कर बर्गादार की पहचान करने तथा उसका रिकार्ड रखने की तकनीक में बहुत अधिक अंतर ला दिया है और इस संशोधन ने अति विशाल "बर्गासक्रिया" को कानूनी ढांचा प्रदान किया है।

5.20 राज्य सरकार ने अनेक कार्यकर्ता शिविरों का संयोजन किया और यह निर्णय किया कि बंदोबस्त कार्यों तथा बर्गादारों के नामों को रिकार्ड करने की कार्यविधि में परिवर्तन करना होगा। यह फैसला किया गया कि अधिकारी गण ऐसे खेड़ों का दौरा करें जहाँ पर बटाईदार रहते हों, वे गांव के प्राथमिक स्कूलों में ठहरे तथा सांयकाल के समय बैठकें आयोजित करके बटाईदारों के नाम नोट करें। अगले दिन खेतों में ग्राम जनता के सामने ये नाम सत्यापित कर लिए जाने चाहिए। अन्तिम सूचियां बनाई जाएंगी तथा भूस्वामियों एवं इस मामले में दिलचस्पी लने वाले दूसरे व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और जनता के सामने इन आपत्तियों का सत्यापन करने के बाद बर्गादारों की सूचियां प्रकाशित की जाएंगी तथा उन्हें प्रमाणपत्र दे दिए जाएंगे।

5.21 बटाईदारों के नामों को रिकार्ड करने के लिए निकाली गई नई विधि तथा किसान सभाओं की सहायता के फलस्वरूप 30 सितम्बर, 1969 तक 7.40 लाख बर्गादारों को रिकार्ड में शामिल किया गया। अनुमान है कि बर्गादारों की संख्या 18 लाख या 20 लाख से 30-36 लाख के बीच होगी। यह पता चल है कि जिन हलकों में "बर्गा सक्रिया" आरम्भ की गई थी वहां पर भी बहुत से बर्गादार ऐसे बच गए हैं जिनके नाम रिकार्ड में नहीं लिखे जा सके। इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि बर्गादार अभी भी बटाईदारों के रूप में अपना नाम रिकार्ड कराने में ध्वस्त हैं और ऐसे अनेक मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय ने ऐसे बर्गादारों के विरुद्ध निषेध-आदेश जारी किए हैं जो गरीबी तथा यथोचित ज्ञान तथा मार्गनिर्देशन के अभाव जैसे विभिन्न कारणों से मामलों में अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा, अनेक ऐसे विवादों के संबंध में बर्गादार तथा जमींदार अदानतों में गए हैं, इनमें भूमि सुधार अधिनियम अथवा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन 1.9 लाख एकड़ भूमि संबंधित है। यह सूचना मिली है कि इस सक्रिया तथा प्रति परिवार भूमि सीमा में कमी करने का एक प्रभाव यह पड़ा है कि भूमिहीन मजदूरों की सौदेकारी की शक्ति बढ़ गई है किन्तु इसके साथ-साथ जमींदारों ने अपनी भूमि अपने संबंधियों के नामों में विभाजित कर दी है। मन्वी के समय काम देने के लिए राज्य सरकार ने "कार्य के बदले अनाज" कार्यक्रम का उपयोग किया और इस प्रकार भूमिहीन मजदूरों को भूमिगतियों तथा महाजनों के बंगुल में फसने से बचा लिया। राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों को भी बर्गादारों को कर्ज देने के कार्यों में शामिल करा दिया है क्योंकि बँकलोक ऋण सहायक-प्रणाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण खेती-बाड़ी की सुरक्षा मुनिश्चित करने के लिए बर्गादारों के नामों को रिकार्ड में रखना। भूमि सुधार की समय प्रणाली को मफल बनाने के लिए उपयोग तथा उत्पादन ऋण देने की व्यवस्था करना आवश्यक है। 1979 के खरीफ के मौसम में लगभग 60,000 बर्गादारों को बैंक

ऋण दिया गया। गृहकारी गंगठन बहुत सहायक नहीं है क्योंकि उनका नियंत्रण निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के हाथों में है। संस्थागत वित्तीय एजेंसियों से कर्ज लने के लिए गरीबों को प्रोत्साहित करने के लिए एक "शून्य व्याज की योजना" आरम्भ की गई है। निहित भूमि के वे बटाईदार तथा प्रतिनिधि यदि बैंक से लिए गए कर्ज को निर्धारित अवधि में चुका दें तो उन्हें कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा, सारा व्याज सरकार वहन करेगी। यह अनुमान है कि एक एकड़ भूमि पर खेती करने के लिए बैंकों को विचार पर लेने, खाद तथा बीजों के लिए 500 रु० की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह एक चल-निधि की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाए जिसमें से बटाईदारों को भूमि पर खेती आरम्भ करने के लिए सहायता दी जाये ताकि फसल में उनका अपना भाग 50 से बढ़ कर 75 प्रतिशत हो जाए।

5.22 दिसम्बर, 1979 में आयुक्त ने जिला, ब्लॉक तथा पंचायत कर्मचारियों, बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों और बर्गादारों के साथ "बर्गा संचालन" पर विचार विमर्श करने के लिए बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार का दौरा किया। बीरभूम जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत लोग रहते हैं। यह सूचना मिली कि इस जिले में 45,000 बर्गादारों को रिकार्ड में शामिल किया गया है तथा उन्हें पंचे जारी कर दिए गए हैं जिनसे वे वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकेंगे। 524 मामलों में उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग के आदेश स्थगित कर दिए हैं। बर्गादारों के नामों को रिकार्ड में सम्मिलित करने का काम भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा अनेक दौरों में किया गया। बटाईदारों के नामों को रिकार्ड में शामिल करने की दिशा में पहला कदम है शम के समय गांव के प्राथमिक स्कूल में एक बैठक आयोजित करना जहाँ पर बर्गादार एकत्र होते हैं तथा बर्गादारों के तौर पर अपना नाम लिखवाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। यदि ये मामले विवादग्रस्त होते हैं तो राजपत्रित रैक का कोई राजस्व अधिकारी सुबह को दो अड़मों के साथ खेतों पर जाता है। वह भूमि की हकदारी तथा स्वामित्व के बारे में पूछताछ करता है, फसल का विवरण तैयार करता है तथा खसरा-खाता में आवश्यक व्यौर भरता है और यह चरण खानापूरी-बुझारत कहलाता है। खानापूरी-बुझारत के दौरान अधिकारियों के रिकार्ड को ठीक करने के बाद काश्तकारों के कांड तैयार किए जाते हैं तथा मौजावार एक व्यक्ति-एक-खतियान तैयार की जाती है और इनकी एक-एक प्रति भू-स्वामी तथा बटाईदार को दे दी जाती है। खतियान की प्रति पचा कहलाती है। अगला चरण सत्यापन कहलाता है जिसके दौरान राजस्व अधिकारी खतियान में, यदि अंतरण, बिक्री आदि के कारण कोई सुधार जरूरी हो तो वह सुधार करके उन खतियान को अधिप्रमाणित कर देता है। ये रिकार्ड जनता द्वारा निरीक्षण के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। यदि कोई आपत्तियां दाखिल की जाती हैं तो उनका निपटान उच्चतर राजस्व अधिकारी दोनों पार्टियों को मुतवाई का अवसर देने के बाद करते हैं तथा आपत्तियों के निपटान के बाद मौजा रिकार्ड अन्तिम रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

5.23 मोहम्मद बाजार ब्लॉक में कुल जनसंख्या का 29.37 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के तथा 18.12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। वहां पर 12 ग्राम पंचायतें तथा 158 मौजा हैं तथा इन सब पर सूखा का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट मिली है कि आधी फसल नष्ट हो गई है। 653 बर्गादारों को रिकार्ड में सम्मिलित कर लिया गया है जिनमें से 624 अनुसूचित जातियों के हैं। 133 मौजाओं में अधिकारियों को रिकार्ड करने के खानापूरी-बुझारत तथा सत्यापन के चरण, पूरे किए जा चुके हैं। 20 मौजाओं में मौजा रिकार्ड अन्तिम रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं। सर्वेक्षण तथा भूमि बंदोबस्त के विभिन्न चरणों में दोनों पार्टियों के लिए बकीलों को नहीं देने दिया जाता है। यह पता चल है कि 160 बर्गादारों को मुन-इंटेड कमिश्नरल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तथा म्यूचुअली ग्रामीण बैंक से कर्ज दिए गए हैं तथा कर्ज की राशी

200 रु० से 400 रु० तक रही है। व्लाक विकास अधिकारी वर्गद्वारा के कर्ज सम्बंधी आवेदन पत्र बैंकों को भेजा है। 60 प्रतिशत कर्ज तकद दिया जाता है तथा 30 प्रतिशत खाद, बीज आदि के रूप में दिया जाता है। बैंक-प्राधिकारी आवेदन फार्म प्राप्त होने पर वर्गद्वारा से भेंट करते हैं जिसमें वे यह देखते हैं कि उन्हें पक्के जारी किये जा चुके हैं या नहीं। आम तौर पर कर्ज 3 सप्ताह की अवधि में दिया जाता है तथा वर्गद्वारा को केवल एक ही बार तक जाना पड़ता है जब कर्ज संवितरित किया जाता है। बैंकों के अतिरिक्त 70 वर्गद्वारा को व्लाक के एल०ए०एम०पी०एस० द्वारा धन दिया गया है। मोहम्मद बाजार की पंचायत समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सभी वर्गद्वारा को कर्ज नहीं दिया जाता है और कर्ज की राशि पर्याप्त नहीं है।

5.24 आयुक्त ने अनेक वर्गद्वारा से भेंट की और यह पता चला कि सर्वश्री बाबू राम हंसदा, उमापति डोम, कनारी डोम, दुलाल मरादो, गेनु डोम और लता सोरेन नामक छः वर्गद्वारा को उनके जमींदारों ने उन्हें (जमींदारों को) दो गई फसल के भाग के संबंध में रसीद नहीं दी। जो राजस्व अधिकारी बेंक में उपस्थित थे उनसे कहा गया कि वे इस मामले को देखें और यदि आवश्यक हुआ तो पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 की धारा 19 क की उपधारा 2 (क) के अधीन यथोचित कार्यवाही करें। श्री चुरू हम्ब्राम, प्रधान, भरकता पंचायत ने यह बताया कि उनके पिता सुखदेव नामक जमींदार के वर्गद्वारा हैं। उनके पिता ने मयूराक्षी ग्रामीण बैंक द्वारा उन्हें दिए गए दो सौ रुपये के ऋण को चुका दिया है।

5.25 यह मालूम हुआ कि सभी वर्गद्वारा को रिकार्ड नहीं किया गया है क्योंकि अभी भी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने नाम रिकार्ड कराने में डरते हैं। यह पता चला है कि जमींदारों ने अपने आपको एक ग्रुप में संगठित किया है और "आपरेशन-वर्गा संचालन" में बाधा डालने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है जब कि निर्धन बटाईदार अपने मामलों को हाईकोर्ट में लड़ने की स्थिति में नहीं है। यह सुझाव

दिया जाता है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे वर्गद्वारा को और से ऐसे मामलों को हाई कोर्ट में उठाएं। इससे बटाईदारों में यह विश्वास पैदा हो सकेगा कि उनके अधिकारों को रिकार्ड किए जावेंगे संबंध में होने वाली मुकदमेंबाजी में हर स्तर पर राज्य उनकी मदद करेगा जिसके लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।

आदिवासी भूमियों का अन्तरण

5.26 अनुसूचित जन जातियों के लोगों की एक बहुत पुरानी शिकायत उनके जमीन के अन्तरण से संबंधित है। विभिन्न विधायी उपायो तथा कार्यकारी अनुदेशों के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का अन्तरण अभी भी व्यापक रूप में हो रहा है। इस संगठन की सभी पिछली रिपोर्टों में इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। भूमि अन्तरण की घटनाएं अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों में अधिक होती हैं जहां बाहर के लोग आसानी से आ सकते हैं और खासकर औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्रों के पास-पड़ोस में अन्तरण के मामले अधिक देखने में आते हैं। जिस भूमि में अधिक कृषि उत्पादन की संभावना हो उसका अन्तरण भी छल-कपट से कराया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से राज्य सरकारें भूमि-अन्तरण कानून की कमियों को दूर करने के प्रयत्न करती रही हैं जिससे कि गैर-आदिवासी लोगों के द्वारा आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए अपनाए जाने वाले कटुनापूर्ण तरीकों को रोका जा सके। कुछ राज्य सरकारों ने भूमि अन्तरण के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं। किन्तु इन मामलों के निपटारे में विलम्ब होने से निर्धन आदिवासियों के मन में यह भावना पैदा होती है कि भूमि के स्वामित्व में उनकी सुरक्षा को आर्थिक और राजनैतिक उच्च वर्ग के लोगों की शक्ति से खतरा है। विभिन्न राज्यों में आदिवासियों की भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए किए गए विधायी उपायों का विवरण परिशिष्ट 44 में देखा जा सकता है। नीचे की सारणी में छः राज्यों में भूमि-अन्तरण के मामलों की संख्या और आदिवासियों की वापस लौटाई गई भूमि की सूचना दी गई है:—

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | अवधि | भूमि अन्तरण के कुल कितने मामले दर्ज किए गए | कितने मामले निपटाए गए | कितनी भूमि लौटाई गई | कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ हुआ | कितने मामले निपटाने के लिए पड़े हुए हैं |
|-------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1975-76 | 8,479 | 4,244 | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | 4,235 |
| 2 | बिहार | मार्च, 78 तक | 41,733 | 37,673 | 24,222 | प्राप्त नहीं | 4,060 |
| 3 | गुजरात | 1976-77 | 7,999 | 4,065 | 5,400 | प्राप्त नहीं | 3,934 |
| 4 | महाराष्ट्र | अप्रैल, 1978 तक | 3,00,794 | 13,539 | 91,006 | 5,117@ | 2,87,255@ |
| 5 | राजस्थान | 1976-77* | 2,089 | 14,160* | 731* | 792* | 673* |
| 6 | त्रिपुरा | 1977-78 | 8,125 | 1,153 | 598,36 (एकड़) | प्राप्त नहीं | 7,592 |

*अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों दोनों के लिए।

@इस में से 3,393 आदिवासियों ने वास्तव में 5,521 हेक्टर जमीन का कब्जा लिया था।

5.27 यह बताया गया है कि असम में आदिवासी पट्टियों के अन्दर और बाहर के इलाकों में भूमि का गैर-कानूनी ढंग से अन्तरण एक जटिल समस्या बनी हुई है। इसका कारण बंगलादेश, नेपाल, बिहार आदि से लोगों का आना बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों की पहचान करने और अन्तरित भूमि को आदिवासियों को वापस लौटवाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। आदिवासियों की भूमि के अन्तरण के मामलों का पता करने के लिए और उन्हें

लौटवाने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने विशेष दल बनाये हैं। आदिवासियों की जमीनों की विक्री पर जब कभी कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो उसका बाजार मूल्य गिर जाता है। अनेक अवसरों पर परिवार की जरूरी मांगों को पूरा करने लिए आदिवासियों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि जब कोई आदिवासी अपनी अचल सम्पत्ति को किसी दूसरे आदिवासी को यथोचित शर्तों पर नहीं बच

पाना हो तो उसे उचित मुआवजा देकर अर्जित कर लिया जाए। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल ने एक स्कीम चलाई है जिसके अनुसार उचित मामलों में सरकार जरूरतमंद आदिवासी "रयती" से जमीन खरीद कर उन्हें दूसरे प्लाट आदिवासियों को फिर से विनरित कर देती है। यह आश्चर्य की बात है कि केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि अन्तरण पर प्रतिबन्ध तथा अन्तरित भूमियों को लौटाना) अधिनियम, 1975 को अभी तक लागू नहीं किया गया है। पिछली रिपोर्टों में यह बताया गया था कि अनेक आदिवासियों की जमीनें गैर-आदिवासियों के हाथों में चली गई हैं और राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम को लागू करने में देरी होने से और इसके तहत नियम समय पर न बनाने से आदिवासी भूमि-मालिकों की स्थिति को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच रहा है।

5. 28 पिछली रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अन्तरित जमीन को आदिवासियों को लौटवाने के संबंध में तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को न केवल उनके एकमात्र जीविकोपार्जन के साधन से वंचित करना होगा वरन् इससे कभी कभी कानून और व्यवस्था संबंधी गम्भीर समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। जैसा कि पिछली रिपोर्टों में सुझाया गया था जिन क्षेत्रों में भूमि अन्तरण की घटनाएं अधिक संख्या में होती हैं वहां पर भूमि अन्तरण संबंधी मामलों की पहचान और उन्हें वापस लौटवाने का काम किया जाना चाहिए और भूमि को लौटवाने के लिए विशेष मशीनरी नियुक्त की जानी चाहिए और इस संबंध में राज्य स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। भूमि यथाशोभ लौटाई जाए इसके लिए राज्य को आदिवासी लोगों के भूमि के अतिक्रमण या गैर कानूनी रूप से अन्तरण के मामलों में पक्षकार बन जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए संक्षिप्त क्रिया-विधि अपनाई जानी चाहिए।

बिहार में आदिवासियों में अशान्ति

1. संथाल परगना

5. 29 संथाल प्रशासन विधि प्रकाशन परिषद, जम्बुआ (गोडा) संथाल परगना द्वारा बिहार के राज्यपाल और मुख्य मंत्री को भेजे गए मुद्रित ज्ञापन की एक प्रति इस कार्यालय में भी प्राप्त हुई थी। यह ज्ञापन मुख्यतः संथाल परगना के आदिवासियों की अन्तरित भूमि को वापस दिलाने से सम्बन्धित था। उनकी आत मुख्य मांगे जिले में किए गए वर्तमान बन्दोबस्त कार्यों से सम्बन्धित थीं। उनके विचार के अनुसार ये कार्य अवैध रूप से अर्जित भूमि के कब्जे को वैध करने के लिए किए जा रहे थे। यह बताया गया कि जिले में जुलाई की भूमि पर "रयती" का स्थायी बन्दोबस्त 1873 और 1879 के बीच, 1872 के संथाल परगना बन्दोबस्त विनियम 3 के अधीन अधिकांश का अभिलेख तयार करने और जुलाई की भूमि का लगान निर्धारित करने के लिए किया गया था। जिले के एक छोटे से भाग को छोड़कर भूमि का अन्तरण निषिद्ध था। 1886 में संथाल परगना लगान विनियम II नामक कानून से लगान के बन्दोबस्त का प्रावधान था लेकिन अधिकांशों का अभिलेख तयार करने की स्वीकृति नहीं थी "रयती" को वेदखल करना पूर्णतः निषिद्ध था। तथापि, अधिकांशों आदि की उपेक्षा के कारण 1898—1907 और 1922—1935 में हुए बन्दोबस्त के दौरान काफी भूमि-सम्पत्ति गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित की गई। इसके अतिरिक्त, आदिवासियों के अग्रहयोन आन्दोलन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे आदिवासियों को उनकी विधितः दर्ज भूमि से निकाल दिया गया जिन्होंने वर्तमान सरकार को लगान देने से इन्कार कर दिया था। ज्ञापन में ऐसे 47 गांवों का विवरण दिया गया था जिनमें आदिवासियों की भूमि अवैध रूप से अन्तरित कर दी गई थी। इस कार्यालय ने इस मामले को टिप्पणी के लिए बिहार सरकार के राजस्व विभाग को भेजा। वैसे, यह पता चला है कि यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विवादाधीन है। यह बताया गया था कि कानून

और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सावधानी के तौर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को दिसम्बर, 1978 में बिहार के संथाल परगना के सम्पूर्ण दक्षिणी भागों में लगाना पड़ा था। ऐसा इसलिए किया बताया गया कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने हथियार बन्द आदिवासियों द्वारा संथाल परगना के मुख्यालय को घेराव करने की धमकी दी थी। मई-जून, 1979 में बिहार के अपने दौरे के समय आयुक्त को जानकारी व्यक्तियों से इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिला था। संथाल परगना जिले में आदिवासियों में अशान्ति का मूल कारण महाजनों और व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का गंभीर शोषण था। इन व्यक्तियों की गतिविधियों के कारण आदिवासी न केवल अपने दिन-प्रति-दिन के व्यापार-कार्यों में बल्कि अपनी भूमि का कब्जा अपने पास रखने में भी अपने आपको ठगा गया पाते थे। यह एक गंभीर चिन्ता का मामला है कि समय बीतते बीतते इस आदिवासी जिले में काफी भूमि का कब्जा बाहरे के व्यक्तियों ने ले लिया है। कानूनों और उन्हें लागू करने वाले तन्त्र के होते हुए भी अन्तरित भूमि का कब्जा आदिवासियों को वापस दिलाने की दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया जा सका है। आदिवासियों में बढ़ते हुए आक्रोश और घृणन के कारण, कई गांवों, जैसे पकारिया, पखसिया, माझी टोला, सराय केट्टा, घमिनी, बेल्दीह, केरवार, जगतपुर, पथदास, पिसाहा, कुकरटोप आदि में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लोगों में अनेक झगड़े हुए हैं। आदिवासी नेताओं का यह मत था कि जिन जमीनों पर किसी समय उनका कब्जा था लेकिन बाद में गैर-आदिवासियों ने हथिया ली थी, उन पर गैर-आदिवासियों द्वारा बीजो गई फसल को काटना उनका अधिकार था। उधर, प्रशासन प्राधिकारियों ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या का गंभीर मामला माना और स्थिति पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात कर दी। फिर भी, इन सभी बातों के कारण स्थानीय आदिवासी लोगों में अत्यधिक शोक पैदा हो गया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में पुलिस ने अनुसूचित जनजातियों की ओर कुछ हद तक अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ अनेक ज्यादतियां की थीं। उदाहरणतः यह आरोप लगाया गया था कि 17 मार्च, 1979 को पखारिया माझी टोला के ब्राह्मणों ने हरिजनों के मकानों को आग लगा दी। इसी प्रकार यह बताया गया था कि सरायकेटा गांव के ब्राह्मण आदिवासियों को निर्धारित मजदूरी नहीं दे रहे थे। मिर्चाई प्रयोजनों के लिए पानी को मोड़ देने के तारों में डी झगड़े थे। 16 मार्च, 1979 से 28 मार्च, 1979 के बीच 88 संथालों में अनेक प्रकार की हानियां उठाई। बताया गया है कि इस गांव में संथाल औरतों पर बलात्कार भी किया गया। घमनी गांव में आदिवासी लोगों की यह शिकायत थी कि महाजन लोग उनके गिरवी गहनों को उन्हें वापस नहीं कर रहे थे। 17 फरवरी, 1979 को महाजनों और आदिवासियों में एक झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप दो आदिवासी और एक गैर-आदिवासी मारे गए। बताया गया है कि 29 दिसम्बर, 1978 को आधी रात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाहियों ने बेल्दीह गांव पर हमला किया था। 36 आदिवासियों को बन्दी बनाया गया तथा यह आरोप है कि कुछ आदिवासी औरतों पर बलात्कार किया गया। गोधा सब-डिवीजन के पत्थरगांव ब्लाक के केरवार, जगतपुर, पथाड़ा और पिसाहा नामक गांवों में भी सिपाहियों द्वारा आदिवासी औरतों पर बलात्कार किया गया बताया गया था। यह भी बताया गया कि पुलिस की बर्दी में लोगों ने आदिवासियों के घरों को लूटा। इसी प्रकार की घटनाएं कुकरटोप गांव में भी हुईं बताई गई हैं।

5. 30 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने नवम्बर और दिसम्बर, 1979 में बिहार संथाल परगना जिले और छोटा नागपुर डिवीजन के रांची और सिंहभूम जिलों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में आदिवासियों की अशान्ति की समस्या पर मुख्य मंत्री, सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों, सब-डिवीजनल अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से चर्चा की। आयुक्त ने घमनी, पकारिया और टासरायकेट्ट नामक गांवों में हुई उन विभिन्न घटनाओं के कारण जानना चाहा जिसे

संथाल परगना, जिले के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल थे। इन घटनाओं का व्यौरा इस प्रकार है :—

गोधा सब-डिवीजन के सुन्दर पहाड़ी पुलिस स्टेशन के धमनी गांव में दंगा 17 फरवरी, 1979 को संथालों और महाजनों के बीच गांव के एक साप्ताहिक हाट में हुआ। महाजनों द्वारा लिए जा रहे ब्याज और महसूल की उच्च दरों के बारे में मार-पीट हुई जिसके फलस्वरूप दो संथाल और एक गैर-आदिवासी मारे गए। संथालों ने इस मामले की रिपोर्ट नहीं की। उस क्षेत्र के चौकीदार द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर सब-डिवीजनल अधिकारी तथा पुलिस उप अधीक्षक ने इस मामले को दर्ज किया था। गैर-आदिवासियों ने संथालों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि संथालों ने एक गैर-आदिवासी को मार डाला है। उन्होंने 10 दोषी संथालों के नाम लिखवाए जिनमें दो मारे गए थे। जांच के बाद चार संथालों पर चार्ज-शीट प्रस्तुत की गई। गैर-आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज मामले में 10 गैर-आदिवासियों को चार्ज-शीट दी गई। सब-डिवीजनल अधिकारी के अनुसार, दो दिवंगत संथालों के परिवारों को 5,000 रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राशि दी गई, जिसमें से 2,000 रुपये कल्याण विभाग द्वारा तथा 3,000 रुपये मुख्य मंत्री की विवेकाधिकार निधि से मंजूर किए गए थे। कल्याण विभाग द्वारा मंजूर की गई धनराशि का भुगतान फरवरी 1979 में किया गया बताया गया जबकि मुख्य मंत्री की विवेकाधिकार निधि से धनराशि जून 1979 में दी गई बताई गई। अगड़े के दौरान घायल हुए 7 और संथालों को घटना के लगभग एक महीने के बाद 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कल्याण विभाग ने मुआवजे का भुगतान किया। कुछ संथालों ने बाद में महाजनों के विरुद्ध याचिकाएं भी दायर की कि वे गिरवी द्वारा उनको उधार देकर उनका शोषण कर रहे थे। महाजनों के विरुद्ध मामले चलाए गए, ऋण जप्त कर लिए गए तथा गिरवी सम्पत्ति वापस संथालों को दे दी गई। 11 कुख्यात महाजनों के विरुद्ध धोखा-घड़ी और अपराधपूर्व विश्वास भंग के लिए कौजदारी मुकदमे चलाए गए। उन्हें जेल भी भेजा गया जहां से वे कुछ दिनों के बाद जमानत पर छोड़ दिए गए। पल्लरगामा पुलिस स्टेशन में पकारिया गांव में जनवरी 1979 और मार्च 1979 के बीच गैर-संथालों के कब्जे की जमीनों से संथालों द्वारा जबरदस्ती फसल काटने के अनेक मामले पुलिस को रिपोर्ट किए गए। 16 मार्च, 1979 को संथालों ने जोर जबरदस्ती गैर-आदिवासियों की रबी की फसल काटी बताई गई है। जब गैर-आदिवासी उन्हें रोकने गए तो बताया जाता है कि संथालों ने तीर चलाए जिनसे गांव के एक ब्राह्मण को चोट लगी। यह मामला एस० डी० ओ० को सूचित किया गया जिसने 16 मार्च, 1979 को पुलिस उपाधीक्षक के साथ घटना स्थल का दौरा किया तथा यह जायजा लगाया कि घटनास्थल पर तनाव था। अतः एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया। बताया गया है कि अगली सुबह, अर्थात् 17 मार्च 1979 को लगभग 1000 संथालों ने पुलिस पर हमला किया। वे हथियार छीनना चाहते थे। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। भीड़ तो तितर-बितर हो गई लेकिन उन्होंने मकानों को आग लगानी शुरू कर दिया जिसके परिणाम-स्वरूप ब्राह्मणों के 35 मकान जल गए और पुलिस दल भी घेर लिया गया। गोडा को बचाव संदेश भेजा गया जिस पर एस० डी० ओ० और पुलिस उपाधीक्षक कुमुक के साथ घटना स्थल पहुंचे। बताया गया है कि उस समय भी (5 बजे सायं), लगभग दो से तीन हज़ार संथालों ने गांव को घेरा हुआ था जहां पुलिस ने उनका पीछा किया। भीड़ में कुछ बदमाशों ने पड़ोस के हरिजन टोला को आग लगा दी। जिन हरिजनों के मकान जला दिए गए थे उन्हें मकान बनाने, राशन और कपड़े खरीदने के लिए नकद अनुदान दिए गए। बताया जाता है कि सरायकेट्टा गांव पर जो कि प्रधानतः आदिवासियों

का गांव है और पकारिया गांव से लगता है, ब्राह्मण तथा केन्द्रिय रिजर्व पुलिस ने 18 मार्च, 1979 को हमला कर दिया जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदिवासी मारा गया और 6-7 घायल हो गए तथा 4 आदिवासी औरतों पर बलात्कार किया गया। एस० डी० ओ० ने बताया कि 18 मार्च 1979 को पुलिस उस गांव में उक्त घटना के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों को पकड़ने पकारिया गांव से आई। यह कहा गया था कि गांव के सारे लोग डर से भाग गए। लगभग एक सप्ताह बाद, पुलिस ने उन्हें वापस आने के लिए राजी किया। वापस आने पर उन्होंने दावा किया कि जब वे भाग गये थे तो उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। वैसे एस० डी० ओ० के अनुसार यह सही नहीं पाया गया था। फिर भी, उपायुक्त ने उन आदिवासियों को जिनकी सम्पत्ति लूट ली गई थी, 100 रुपये से 200 रुपये तक की कुछ सहायता, एक एक कपड़ों का जोड़ा और एक सप्ताह का राशन मंजूर किया।

5.31 बिहार के अपने दौरे में आयुक्त ने यह अनमान लगाया कि यद्यपि संथाल परगना जिले के जिला प्राधिकारियों ने इस बात से इन्कार किया कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त गांव में किसी आदिवासी महिला पर बलात्कार किया गया था और सम्पत्ति लूटी गई थी, तथापि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा बखाडा, विशोडा, डिम्गी, राजौन, फुलहेडिया, गंगारामपुर, पकारिया-मांझी टोला और सरायकेट्टा गांवों का दौरा करने पर पता चला कि अनुसूचित जनजातियों/जातियों के लोगों पर ऐसे जुल्म किए गए थे। इन जांचों के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हो गया था कि इन गांवों में निम्नलिखित अत्याचार किए गए थे :—

- (1) अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे आदिवासी महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटा गया और उनके बच्चे जोरजबर-दस्ती धरती पर फेंक दिए गए। कुछ आदिवासी लड़कियों पर बलात्कार किया गया था। यद्यपि उनमें से अधिकांश ने निस्संकोच होकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन कुछेक ने लिखित बयान दिए और यह स्वीकार किया कि पुलिस सिपाहियों ने उनके साथ बलात्कार किया था ;
- (2) अनुसूचित जनजातियों के लोगों के घरों को लूटा गया, अनाज को लूटा गया और मिट्टी के बर्तनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया अथवा तोड़ दिया गया। तकदी, सोना चांदी के गहन, बर्तन और कपड़े लूट कर ले गए। कुछ मामलों में, आदिवासी महिलाओं और लड़कियों के शरीर पर से गहने उतार लिए गए। अनेक मामलों में खड़ी फसलों को लूट लिया गया और बैलों, भैसों, गायों, बकरियों आदि पशुओं को खोल कर ले गए।
- (3) पकारिया-मांझी-टोला में हरिजनों के घरों को आग लगा दी गई ;
- (4) सरायकेट्टा गांव में संथालों के मकानों को पूर्णतः तबाह कर दिया गया तथा इन घटनाओं के बाद पुरुष और महिलाएं खुले आकाश के नीचे पड़े थे।

संथाल परगना में अशान्ति के कारण

5.32 संथाल परगना जिले में आदिवासियों में अशान्ति की समस्या पर चर्चा करने के बाद निम्नलिखित कारण इस अशान्ति के लिए जिम्मेदार जान पड़े :—

- (1) संथालों के विचार है कि 1872 से ही लेकर उनकी जमीनों का भारी पैमाने पर अन्तर्गण होता आ रहा है और 1969 में अनुसूचित क्षेत्र विनियम बनाए जाने पर भी आदिवासियों की भूमि का अनौपचारिक अन्तर्गण महाजनों द्वारा दिए कर्जों के बदले में हो रहा है। संथाल यह चाहते हैं कि श्रमिन् बन्दोबस्तों के दौरान जितनी भी भूमि धोखा-घड़ी से गैर-आदिवासियों

के नाम दर्ज की गई थी वह उन्हें वापस की जानी चाहिए। कुछ राजनैतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। ये दल आदिवासियों को सक्रिय रूप से उकसा रहे थे कि वे गैर-आदिवासी व्यापारियों के कब्जे से अपनी भूमि और गिरवी सामान जोर-जबरन वापस ले लें। इसके परिणाम स्वरूप यह मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया कि कानून और व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो गया। अतः यह वांछनीय है कि आदिवासियों को गैर-कानूनी ढंग से अन्तर्गत की गई सभी जमीनों को उन्हें यथाशीघ्र वापस दिलाया जाना चाहिए और वर्तमान कार्रकारी कानूनों की उन कमियों को जो आदिवासियों को उनकी भूमि वापस दिलाने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उक्त कानून में समुचित संशोधन करके तत्काल दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कमियों का ब्यौरा इसी अध्याय में अन्यत्र दिया गया है।

- (2) आदिवासियों का आरोप था कि महाजन उन्हें दिए गए कर्जों पर उनसे बहुत ऊँची दर पर ब्याज लेते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप आर्थिक दृष्टि से उन्हें हमेशा महाजनों का आज्ञाकारी रहना पड़ता है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को लेम्पस के माध्यम से आदिवासियों को उपभोग के लिए कर्ज देने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाही करनी चाहिए ताकि आदिवासियों को अपनी जरूरी आवश्यकताओं के लिए महाजनों पर निर्भर न रहना पड़े।
- (3) यह आरोप है कि आदिवासियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियत दरों से काफी कम दरों पर मजदूरी दी जाती है। अतः आदिवासी अत्यधिक क्रुद्धन महसूस करते हैं। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि आदिवासी मजदूरों को अनिवार्यतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियत दरों के अनुसार ही मजदूरी दी जाए।
- (4) यह बताया गया कि गांव के हाटों में पट्टाधारी सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर महसूल वसूल करते हैं। अतः आदिवासी अत्यधिक नाराजगी महसूस करते हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से महसूल वसूल करने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए तथा हाटों का संचालन इस उद्देश्य से गठित आदिवासियों की सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। विकल्प के रूप में, हाटों के प्रमुख स्थानों पर महसूल दरों की सूची लगाई जानी चाहिए तथा जो पट्टाधारी निर्धारित दरों से अधिक दर पर महसूल वसूल करें उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- (5) यह देखा गया है कि अनुसूचित जन जातियों के लिए चलाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ आदिवासी क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों तक नहीं पहुंचा है। आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित लेम्पस संतोपजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वे केवल उचित दर दुकान के रूप में काम कर रहे हैं और अपने कृत्य तक समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, दिसम्बर, 1979 में आयुक्त ने संथाल परगना जिले के डुमका सब-डिविजन के सराय हट ब्लाक में हंगरीह लेम्पस के दौर में यह देखा कि 63 सदस्यों में से केवल 11 अनुसूचित जनजातियों थे। लेम्पस को अपेक्षित मात्रा में उर्वरक और कपड़े की सप्लाई नहीं मिल रही थी। सोमाइटी में प्राप्त हुई उर्वरक की बोरियां कम वजन की बनीं गईं और उनकी सप्लाई भी बिलम्ब से हुई। यह पता चला था कि

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन सोमाइटीयों को नियंत्रित कपड़े की सप्लाई बन्द कर दी गई थी और इसकी वजाय वह कपड़ा अब दुकानदारों को सप्लाई किया जा रहा था। आयुक्त ने दिसम्बर, 1979 में पटना में मुख्य मंत्रों के साथ हुई चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर बल दिया था और यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया परिपत्र वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार को इस मामले को देखना चाहिए और लेम्पस को नियंत्रित कपड़े तथा उर्वरक की सप्लाई नियमित रूप से किए जाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उप-योजना क्षेत्रों में लेम्पस की स्थापना प्रमुखतः आदिवासी क्षेत्रों में की जाए ताकि उनके लाभ आदिवासियों को पहुंचे। अन्य विकास स्कीमों, जैसे लघु सिंचाई स्कीमों के लिए स्थलों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इन योजनाओं का लाभ प्रमुखतः आदिवासियों को प्राप्त हो।

- (6) यह बताया गया था कि गैर-आदिवासियों के साथ हुए कुछ झगड़ों में जब कभी आदिवासियों का जिन-माल का नुकसान हुआ तो उनके लिए राज्य सरकार ने उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान वा तो किया ही नहीं और जहां किया भी तो वह बहुत थोड़ा था और दर के बाद किया गया था। यह वांछनीय है कि राज्य सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने के लिए समय नष्ट किए बिना अनिवार्यतः तुरन्त कार्यवाही की जाए।

संथाल परगना में भूमि अन्तरण-मामलों का अध्ययन

5.33 इस जिले में डुमका सब-डिविजन के सुन्दरपहाड़ी ब्लाक में गुट्टीपाड़ा और चान्दना गांवों के बीच यह देखने में आया कि चान्दना गांव के श्री भगवान प्रसाद महाजन नामक गैर-आदिवासी व्यक्ति द्वारा काम पर लगाया गया एक मजदूर भूमिहीन गांव के श्री सुफल सोरेन नामक एक आदिवासी की जमीन से धान की कटी हुई फसल ले जा रहा था। घटना स्थल पर ही और जांच करने से पता चला कि उस महाजन ने श्री सोरेन की भूमि को 150 रुपये के कर्ज के बदले में ले रखा था तथा उस भूमि को उपज खुद ले रहा था। यह मामला सम्बंधित सब डिविजनल अधिकारी के ध्यान में लाया गया जिसने इसकी जांच ब्लाक विकास अधिकारी से करवाई। ब्लाक विकास अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि श्री सोरेन ने अपनी 6 कट्टा भूमि एक साल के लिए महाजन को दी थी क्योंकि वह बीज और उर्वरक की कमी के कारण उस भूमि से फसल लेने में असमर्थ था। भूमि 50% हिस्से के आधार पर बटाई पर दी गई थी। भूमि की जुताई श्री सोरेन ने की थी जबकि उपज का आधा हिस्सा महाजन ने ले लिया था। इस प्रकार यह शोषण का निकृष्ट मामला था जिसमें एक आदिवासी अपनी भूमि बटाई पर स्वयं जोत रहा था और 150 रुपये के कर्ज के बदले में उसकी आधी उपज महाजन ले जा रहा था। यह भी पता चला था कि आधी उपज उस आदिवासी ने कटाई के समय ले ली थी। सब डिविजनल अधिकारी के हस्तक्षेप के कारण महाजन उपज का अपना आधा हिस्सा आदिवासी को देने को तैयार था तथा उसने यह वचन दिया कि भविष्य में वह किसी भी आदिवासी को भूमि को धोखा-पट्टी से नहीं जोतेगा। यह भी सूचना मिली थी कि ब्लाक विकास प्राधिकारी द्वारा पूर्ण स्थिति समझा देने के बावजूद वह आदिवासी महाजन के विरुद्ध मामला दायर नहीं करना चाहता था। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसे मामले फिर से न होने पाएं। यह देखा गया है कि संथाल परगना कार्रकारी अधिनियम,

1949 में बटाईदारी अथवा फलन की बटाई का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे, यह पता चला है कि जिले में बटाई प्रणाली खूब प्रचलित है और बटाईदार अधिकांशतः आदिवासी तथा समाज के अन्य निधन वर्ग हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत बटाईदार को उपज का एक तिहाई भाग मिला है और जबकि भूमि-स्वामी दो-तिहाई लेते हैं। ऐसे मामलों में जहाँ बीज, खाद आदि उधार पर दिए जाते हैं, भूमि-स्वामी उनकी कीमत 50 से 70 प्रतिशत अर्थात् बटाईदारों के हिस्से में काट लेता है। परिणामस्वरूप बटाईदारों को फलन की बटाई के समय कभी-कभी ही कुछ मिल पाता है। कुछ मामलों में उनके नाम ही कुछ राशि निकलती दिखाई जाती है। यह बताया गया था कि डुमका सब-डिविजन के रानीश्वर थाने में उम समस्या का आधार इस प्रकार के झगड़े ही थे तथा कुछ राजनैतिक दल बटाईदारों को संगठित कर रहे थे जिनके परिणामस्वरूप पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ भिड़न्तें भी हुई थीं।

5.34 आयुक्त के ध्यान में लाए गए एक अन्य मामले में डुमका मूफसिल के सुगाविहारी गांव में 18 बीघे धानी-जमीन जो कि पहले एक आदिवासी रयत के नाम से अभिलिखित थी, जमाबन्दी होने पर जंगल-बंदोबस्त के दौरान 26 रुपये की तुच्छ राशि के लिए कांडोखीचा गांव के एक बनिये नाम के अन्तरित कर दी गई थी। बाद के बंदोबस्तों में इस भूमि को उम बनिये के नाम पर अभिलिखित किया गया। यह बताया गया था कि कई अन्य मामलों में भी आदिवासियों की जमीनें इसी प्रकार गैर-आदिवासियों के नाम दर्ज की गई थीं। कई मामलों में आदिवासियों की जमीनें गैर-आदिवासियों के हक में रखे गए सट्टा (भोगाधिकार गिरवी) अथवा कुर्का के आधार पर अन्तरित की गई थीं और बाद में सर्वेक्षण बंदोबस्तों के दौरान अधिकारों का अभिलेख तैयार करते समय धोखा-धड़ी से वे जमीनें गैर-आदिवासियों के नाम पर दर्ज कर दी गई थीं।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में संशोधन

5.35 संथाल मिजिल नियमावली की धारा 10 के अर्थान बकाया लगान के लिए भूमि-स्वामियों द्वारा गांव के प्रधान पर मुकदमा चलाने, और गांव के प्रधान द्वारा रयतों पर मुकदमा चलाने का उपबन्ध है। इन मुकदमों के परिणाम-स्वरूप सब-डिविजनल अधिकारी की सिफारिश पर उपायुक्त ने रयतों और प्रधानों को उनकी जमाबन्दी भूमियों से बेदखल किया था। इस प्रकार के मुकदमे बहुत छोटी धनराशि पर चलाए गए थे जबकि रयतों और प्रधानों को बहुत बड़ी-बड़ी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। प्रकाश में आए एक दिलचस्प मामले में डुमका सब-डिविजन के रामगढ़ पुलिस थाने के भूरिया गांव में प्रधान को जोत की भूमि से बेदखल किया गया था और उसके साथ ही अन्य भागीदारों को भी बेदखल कर दिया गया। भूमि का व्यवस्थापन नॉनि-हाट गांव के श्री भोलेशाह के हक में हुआ था जो गांव का जमाबन्दी रयत भी नहीं था बल्कि जारमंडी थाने के एक गांव का निवासी था तथा उसने 50 बीघे जमीन का व्यवस्थापन अपने हक में करवा लिया। यह बताया गया कि इस प्रकार के अन्य अनेक मामले प्रकाश में आए हैं। आदिवासी नेता अब यह दावा कर रहे हैं कि ये सभी जमीनें उनसे धोखाधड़ी से अन्तरित करा ली गई थीं क्योंकि 1872 के संथाल परगना विनियम 3 के अन्तर्गत ये जमीनें अहस्तान्तरणीय थीं और इसलिए ये उन्हें वापस की जानी चाहिए।

5.36 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 और अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अधीन प्रतिकूल कब्जे से कभी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता चाहे कब्जा कितने ही लम्बे असे से क्यों न हो। राज्य उच्च न्यायालय द्वारा किए गए एक निर्णय के अनुसार सन 1949, अर्थात् अधिनियम के प्रकृत होने के वर्ष, से पहले अन्तरित हुई भूमि वापस नहीं की जा सकती। इसके फलस्वरूप, 1949 से पहले

की अवधि के सभी मामलों पर कार्यवाही 1872 के संथाल परगना विनियम के उपबन्धों के अधीन की जानी है। इस प्रकार, उम अवधि के दौरान अन्तरित की गई आदिवासियों की जमीनों से संबंधित बहुत बड़ी संख्या के मामलों में वर्तमान कानून के उपबन्धों के अधीन उन जमीनों को वापस नहीं दिलाया जा सकता।

जिले में आदिवासियों की भूमि के अन्तरण की समस्या तथा वर्तमान काश्तकारी कानून की अपर्याप्तता के बारे में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने दिसम्बर, 1979 में अपने पटना के दौरे के समय मुख्य मंत्री से चर्चा की थी। यह निर्णय किया गया था कि जिले में एक सम्य-बद्ध पुनर्विलोकन किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत ही आदिवासियों की अन्तरित भूमि को किस प्रकार वापस दिलाना सम्भव है। यह भी निर्णय किया गया कि एक पुनर्विलोकन समिति गठित की जाए तो वर्तमान काश्तकारी कानून की पर्याप्तता की समीक्षा करे और वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो संशोधन सुझाए और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र का ढांचा सुझाए। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार काश्तकारी कानून का पूर्णविलोकन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी ताकि आदिवासियों की अन्तरित भूमियों को यथाशीघ्र वापस दिलाया जा सके।

2. छोट्टा नागपुर में भूमि अन्तरण

5.37 रांची जिले के लोहार दागा सब-डिविजन, पंचायत समिति मिट्टा के भारगांव नामक गांव में मुख्यतः आदिवासी रहते हैं। वहाँ यह देखने से आया कि एक समृद्ध गैर-आदिवासी उस गांव से बाहर का होने के बावजूद समिति का प्रमुख था। उसने 12 वर्ष पहले लगभग 44 आदिवासी परिवारों को उनकी कृषि-भूमि से वंचित करके 200 एकड़ का एक बहुत बड़ा फार्म स्थापित कर लिया था। भूमिस्वामी की कार्य-विधि यह थी कि वह कमी के दिनों में आदिवासियों को 500 रुपये से 1000 रुपये तक के कर्ज देता था तथा धोखे से 2,500 से 5,000 रुपये की रसीदें ले लेता था। ऐसे सभी मामलों में अन्तः परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों को अपनी जमीनों से हाथ धोने पड़े और जिस भूमि पर पहले उनका कब्जा था उसी पर उन्हें प्रमुख के लिए काम करना पड़ा। फिर भी, भूमि के मालिक किसी भी आदिवासी ने रिपोर्ट दायर नहीं कि उनकी भूमि अन्तरित करा ली गई है। उम गांव तथा फार्म का आयुक्त ने दौरा किया तथा सब-डिविजनल अधिकारी, ब्लाक विकास अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की। कुछ आदिवासियों से भी समालाप किया जिनकी भूमि अन्तरित कर ली गई थी। यह पता चला कि इस सारी भूमि के अन्तरण का मामला तब प्रकाश में आया जब उप-योजना क्षेत्र के तीन जिलों में वर्तमान भूमि बंदोबस्त सर्वेक्षण शुरू किया गया। सब-डिविजनल अधिकारी ने 43 मामलों में अन्तरित भूमि वापस आदिवासियों को दिला दी लेकिन पांच मामलों में प्रमुख के स्थानान्तरण आवेदन पर उपायुक्त, रांची ने स्थान आदेश दे दिया। आदिवासियों को वापस की गई भूमि का कब्जा भूमिस्वामी द्वारा किए गए प्रतिरोध पर काबू करके दिया गया था। प्रमुख ने अपने बदमाश व्यक्तियों को साथ लेकर आदिवासियों को धमकियां दी थीं। इसलिए सब-डिविजनल अधिकारी ने उसकी बन्दूक जप्त कर ली तथा उसके लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की। लेकिन बाद में उपायुक्त ने बन्दूक वापस कर दी। यह भी पता चला था कि लगभग 8 आदिवासी जिनकी भूमि वापस दिला दी गई थी, अब भी उस भूमि में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और उस भूमिपति से मजदूरी लेते थे जिसने पहले उनकी जमीनों को फार्म में बदल दिया था। यह उल्लेखनीय है कि रांची बंदोबस्त द्वारा किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले सर्वेक्षण के दौरान रिकार्ड की गई आदिवासियों की भूमियों में से 1.55 प्रतिशत भूमि गैर-आदिवासियों को अन्तरित कर दी गई है। नमून

सर्वेक्षण के अनुसार भूमि हथियाने वाले लोग, महाजन, व्यापारी और प्रगतिशील किसान थे ।

5.38 बताया जाता है कि आदिवासियों को अपनी भूमि का कब्जा वास्तव में बनाए रखने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उधार तथा कृषि-निवेशों की आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण उन्हें भूमिपतियों का शिकार बन जाना पड़ता था । भूमिपति ही उनके लिए उधार प्राप्त करने का तत्काल स्रोत था । अतः यह महसूस किया जाता है कि जिन आदिवासियों की अन्तरित हुई भूमि को वापस दिलाया गया है । उन्हें जब तक अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक ऋण की सुविधाएं और जरूरी कृषि-निवेश नहीं दिए जाते तब तक उनकी भूमि फिर अन्तरित हो जाने की संभावना बनी रहेंगी। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह आदिवासियों को ये सुविधाएं देने के लिए शीघ्र कर्बवाई करें।

सिंहभूम जिले में अशान्ति के कारण

5.39 सिंहभूम जिले में आदिवासियों में वर्तमान अशान्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित दिखाई पड़ते हैं जिनके परिणामस्वरूप आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में अनेक झगड़े हुए हैं :—

- (1) वन विकास निगम वनों में साल के वृक्षों को उनके स्थान पर सागवान के वृक्ष लगाने के अभिप्राय से काट रहा है । आदिवासी साल के पेड़ों को पवित्र और उपयोगी मानते हैं और इसलिए यह उन्हें पसन्द नहीं है । अतः उनके मनोभाव अत्यधिक उत्तेजित हैं जिसके कारण झगड़े हुए हैं, जैसे कि 6 अक्टूबर, 1978 को पुलिस स्टेशन गोधलकेरा के इच्छा-हाट गांव में पुलिस ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक आदिवासी मारा गया और 2 आदिवासियों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया । यह वांछनीय है कि मूण्डा और मंकी जैसे आदिवासी नेता, संबंधित ब्लाक विकास अधिकारी, स्थानीय प्रशासन अधिकारी और संबंधित विधान संभाओं तथा संसद के सदस्य, वन विकास निगम को सलाहकार परिषद से संबंध किए जाने चाहिए और साल के पेड़ों को काटने से पहले इन व्यक्तियों से परामर्श किया जाना चाहिए जिससे कि झगड़े न हों ।
- (2) आदिवासियों का यह आरोप है कि सिंहभूम जिले के सराय-केला सब-डिविजन के 35 खूंटकट्टी गांवों को 1899 में बर्तानिया सरकार ने अग्निगृहीत कर लिया था तथा उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए आरक्षित वन घोषित कर दिया था । इस विषय पर कुछेक पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए । आदिवासी अब जागृत हो गए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि ये खूंटकट्टी गांव जो कि वास्तव में उनके थे, उन्हें वापस दिलाए जाएं । यह वांछनीय है कि राज्य सरकार को इस मामले की पूरी जांच करवानी चाहिए और यदि आदिवासियों की ये मांगें न्यायसंगत हैं तो इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाही की जानी चाहिए।
- (3) आदिवासी यह महसूस करते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और 1969 के अनुसूचित क्षेत्र विनियम के बावजूद आदिवासियों की जमीनें बड़े पैमाने पर गैर-आदिवासियों को अन्तरित हुई हैं । वे यह भी महसूस करते हैं कि 1924—29 के पिछले पुनरीक्षणात्मक सर्वेक्षण के अनुसार गैर-आदिवासियों के स्वामित्व की वर्तमान सभी जमीनें वास्तव में आदिवासियों की हैं तथा उन्हें वापस मिलनी चाहिए । वर्तमान काश्तकारी कानून में बच निकलने के कई ऐसे रास्ते हैं जिनके कारण गैर-आदिवासी लोग आदिवासियों की भूमि का अन्तरण कराने की अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं । राज्य सरकार को चाहिए

कि वह बच निकलने के इन रास्तों को जिनका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में अन्यत्र दिया गया है, यथाशीघ्र बन्द करें और यह सुनिश्चित करें कि आदिवासियों की भूमि गैर-आदिवासियों को अन्तरित न हो और जो भूमि पहले ही अन्तरित हो चुकी है उसे वापस दिलाया जाए।

- (4) यह बताया गया है कि बड़े पैमाने पर आदिवासियों की भूमि का गैर-आदिवासियों को अन्तरण होने के प्रभाव का कुछ राजनैतिक दल अनुसूचित लाभ उठा रहे हैं । वे आदिवासियों को उकसा रहे हैं कि जो भूमि वास्तव में उनकी है और धोखे से विभिन्न दंडोवस्तों में गैर-आदिवासियों के नाम दर्ज कर दी गई है उसे वे जबरन वापस लें ।
- (5) भूमिस्वामी, आदिवासी कृषि-मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी नहीं दे रहे हैं । यह पता चला है कि जिले में वर्तमान सूखा स्थिति के कारण आदिवासी अत्यधिक निर्धनता की हालत में हैं और आदिवासी मजदूर बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और उत्तरप्रदेश में चले गए हैं । इन लोगों को ठेकेदारों ने अच्छी मजदूरी पर नियुक्त करने के वायदे करके प्रलोभन दिए थे । कुछ मामलों में युवा आदिवासी लड़कों और लड़कियों के दलों से जा अन्य राज्यों को चले गए थे, यह पता चला कि लड़कों को तो कोई त कोई बहाना बना कर वापस भेज दिया गया । लेकिन लड़कियों को ठहरा लिया गया । यह पता चला कि कुछ मामलों में लड़कियों को अनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के आरोप थे । परदेश जाने के इस प्रकार के मामले सिंहभूम जिले में आम देखने को मिलते हैं । जिले के अपने दौरे के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने सदर चाइवासा ब्लाक के डूमरडीह और गुनबासा नामक दो गांवों का निरीक्षण किया । पहले गांव में उन्हें यह बताया गया कि पांच लड़कों और दादकी, मिजारी, नोनीमाई देवगाम और पिछी नामक 4 अविवाहित लड़कियों को वेहाट गांव का एक एजेंट श्रीडुगा ईंटों के एक भट्टे पर श्रमिक के रूप में काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में शारामाबाद नामक स्थान पर ले गया । उपर्युक्त व्यक्तियों में से एक श्री होषदो देवगाम, जो कि नोनीमाई देवगाम का भाई था, वापस आ गया था और आयुक्त के दौरे के समय गांव में मौजूद था । लड़के ने बताया कि शारामाबाद में ईंटों के भट्टे में काम करने वाले मजदूर ईंटों की बनी अस्थायी झोंपड़ियों में रह रहे थे । ठेकेदार उनको सिर पर दस ईंटें हर फेरे में ढोने के लिए हर फेरे के पांच पैसे देता था और मजदूरी हफ्ते में एक बार दी जाती थी । हर मजदूर की दैनिक औसतन मजदूरी दो से तीन रुपये बनती थी । गुनबासा गांव से एक लड़का और सुहू, मंडुकूई, जमी और नानिका नाम की चार लड़कियां ईंटों के भट्टे के मजदूर के रूप में अक्टूबर, 1979 में शारामाबाद गई थीं । श्री जमादार देवगाम नामक एक आदिवासी ने बताया कि उसकी पत्नी और लड़की भी वहां गई थीं । वह लगभग दो सप्ताह पहले उस स्थान पर गया था । उसने बताया कि हजारों मजदूर शारामाबाद में ईंटों के भट्टे पर काम कर रहे थे और उनमें अधिकांश महिलाएं थीं । अनेक आदिवासियों से की गई पूछताछ से इस बात की पुष्टि हो गई कि परदेश जाने वाले लड़के और लड़कियों को मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित दरों से बहुत ही कम मिल रही थी । इस संगठन के एक अध्क्षयन दल ने दिसम्बर, 1979 में सिंहभूम के सरायकेला सब-डिविजन का दौरा किया था । दौरे

के समय यह बात प्रकाश में आई कि कुछ ही पुलिस स्टेशन के जोजाहादनात्मक गंवा से मान मदर्यों का एक आदिवासी परिवार ठेकेदार के एक एजेंट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में ईंटों के भट्टे पर काम करने गया था। उन्हें वास्तव में कुल 8 रुपये प्रति दिन मजदूरी दी जाती थी। परदेस जाने वाली लड़कियों का अर्थनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसा लगता है कि उनकी अत्यधिक निधनता और बेवसी के कारण ऐसे प्रयोजनों के लिए उन्हें प्रयोग किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः यह वांछनीय है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की पूर्णतः जांच करवाए और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई कि ठेकेदार आदिवासियों का शोषण न करे और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी दी जाए। इस संबंध में यह कहना है कि "अन्तरराज्य प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1979" पारित कर दिया गया है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। इस अधिनियम के अधीन ठेकेदारों और प्रवासियों मजदूरों का विवरण पंजीकृत कराना अपेक्षित है और मजदूरों को राज्य से बाहर ले जाने से पहले ठेकेदारों को इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह आशा है कि उक्त अधिनियम ठेकेदारों द्वारा होने वाले मजदूरों के शोषण को काफ़ी हद तक रोक सकेगा। अतः यह वांछनीय है कि श्रम मंत्रालय इस अधिनियम को यथाशीघ्र अधिसूचित करे।

- (6) आदिवासी इस बात के लिए दुर्खी हैं कि साप्ताहिक हाटों पर पट्टाधारी निर्धारित दर से बहुत अधिक दर पर मटसूल वसूल कर रहे हैं। उन्हें आरामगाहों, पीने के जल, पेशाब घर, आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यह वांछनीय है कि ठेकेदारों के माध्यम से हाटों का संचालन करने की प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए और उनका प्रबंध बिना कोई मटसूल वसूल किए आदिवासी सहकारी समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इससे कोई राजस्व की हानि होती हो तो उसे उपयोगिता के अन्तर्गत दी गई धनराशि से पूरा किया जाता चाहिए।
- (7) आदिवासी लोग महसूस करते हैं कि उपयोगिता के अधीन उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ उन्हें वांछित मात्रा में नहीं मिल रहा है और इससे उन्हें दुःख होता है। यह वांछनीय है कि आदिवासी उप योजना की विभिन्न स्कीमों जैसे स्थानों पर चलाई जानी चाहिए जिससे आदिवासियों लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचे।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में संशोधन

5.40 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 में निम्नलिखित कामियां देखने में आई :-

- (1) यह बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि अनेक मामलों में आदिवासियों की अन्तरित भूमि को वापस लौटाने के आदेशों के विरुद्ध गैर-आदिवासियों ने उच्चतर न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह वांछनीय है कि विनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71-क के अधीन पारित किए गए मुमि

वापस दिलाने के आदेशों के विरुद्ध अपील उन आदेशों के पालन हो जाने के बाद ही की जा सके।

- (2) यह पता चला था कि कभी-कभी अन्तरित भूमि को वापस लेने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71-क के अधीन दायर किए गए आवेदनों को विचारण-अदालतों द्वारा थोथे तकनीकी आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया। बेहतर होगा कि यदि यह प्रावधान कर दिया जाए कि इस प्रकार की अस्वीकृति के मामलों की पुष्टि के लिए उच्चतर अपीली न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए जो संबंधित पक्षों को सुनवाई करे और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपनी टिप्पणियाँ और निर्देश दे।
- (3) यह बताया गया था कि बहुत ही अनुसूचित जनजातियों को पुनरीक्षणार्थक सर्वेक्षण के बाद भूमि के वैध अथवा अवैध हस्तान्तरण के बिना ही अपनी जमीनों से जबरन बे-देखल कर दिया गया था। यह विचार प्रकट किया गया था कि ऐसे मामले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71-क के अधीन नहीं आते। इस धारा के अन्तर्गत केवल "सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम" के अधीन हस्तान्तरण करने के मामले ही आते हैं। इस प्रकार इन मामलों पर सामान्य कानून द्वारा ही विचारण हो सकता है। अनुसूचित क्षेत्र विनियम के अधीन संक्षिप्त विचारण इस पर लागू नहीं होता। यह वांछनीय है कि इस खामो को दूर करने के लिए धारा 71-क की भाषा में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।
- (4) यह बताया गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 आदिवासियों की भूमि को कुछ प्रयोजनों के लिए गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित करने की अनुमति देती है। इस उपबन्ध का गैर-आदिवासी लोग कुछ मामलों में अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आदिवासियों की जमीनें ले रहे हैं। यह वांछनीय है कि ऐसे मामलों की प्रमाणिकता पर सख्त निगरानी रखी जाए। कोई ऐसे प्रणाली तैयार की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासियों की इस प्रकार अधिगृहीत की गई जमीनें केवल उन ही प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएं जिन के लिए वे अधिगृहीत की जाती हैं।
- (5) उच्च न्यायालय के एक विनियम के अनुसार "किसी रयत द्वारा भूमि का "अभ्यर्षण," छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अधीन इसे दिए गए अर्थ में "हस्तान्तरण" नहीं है। वैसे, यह दावा किया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों द्वारा रयती भूमि के लगभग सभी "अभ्यर्षण" 1947 से पहले किए गए हैं जब कानूनी तौर पर उपायुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। फलस्वरूप, जमींदारों के माध्यम से गैर-आदिवासियों को अन्तरित की गई अनुसूचित जनजातियों की रयती भूमि अनुसूचित क्षेत्र विनियम के अधीन आदिवासियों को वापस नहीं की जा सकी। क्योंकि इस प्रकार के अन्तरण के बहुत अधिक मामले हैं अतः यह वांछनीय है कि बच निकलने के इस रास्ते को अनुसूचित क्षेत्र विनियम में एक नया खण्ड जोड़कर बन्द किया जाना चाहिए।
- (6) यह बात ध्यान में आई कि परिसीमा अधिनियम (1963 का छत्तीसवा) में परिसीमा की अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने सम्बंधी संशोधन का लाभ भईहारी और खटकट्टी भूमियों को नहीं मिलता। यह सुझाव है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को धारा 71-क में संशोधन किया जाए ताकि न केवल अनुसूचित जनजातियों के रयतों की

जमीनों को बल्कि भूईहारी और छुंटकट्टी जमीनों को भी संरक्षी और वापसी पक्ष (प्रोटेक्टिव एण्ड रेस्टोरेटिव विंग) के अधीन लाया जा सके।

- (7) भारतीय परिसीमा अधिनियम (1963 का छत्तीसवां अधिनियम) में संशोधन करके अनुसूचित जनजातियों की अचल संपत्ति के सम्बंध में परिसीमा की अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया था। लेकिन आयुक्त, छोटा नागपुर, रांची को लिखे गए आयुक्त (भूमिसुधार), बिहार सरकार के तारीख 27 फरवरी, 1974 के पत्र के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि उन उपबंध 8 फरवरी, 1969 के पूर्व के मामलों पर लागू नहीं होता और यदि किसी व्यक्ति ने 8 फरवरी, 1969 से पहले 12 वर्ष पूरे कर लेने पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से किसी आदिवासी की भूमि का दावा किया हो तो उस मामले में 30 वर्ष की अवधि लागू नहीं समझी जाएगी। लेकिन यदि उसमें 8 फरवरी, 1969 को केवल 11 वर्ष ही बीते हों तो अवधि 19 वर्ष और बढ़ जाएगी। यह महसूस किया जाता है कि यदि परिसीमा अधिनियम की व्याख्या इस प्रकार की जाती है तो उन भारी संख्या के मामलों में ज्यादा राहत नहीं मिलेगी जिनमें भूमि-अन्तरण 12 वर्ष से पहले हो चुका हो। अतः यह वांछनीय है कि संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
- (8) धारा 71(ख) के अधीन, यदि कोई भूमि छोटा नागपुर कायन्कारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 अथवा किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करते हुए या धोखे से हस्तान्तरण की गई हो और कोई व्यक्ति इस प्रकार के हस्तान्तरण के बारे में जानते हुए भी उसका कब्जा किए हुए है अथवा उसे जोतता है तो उसे अधिनियम में यथा निर्धारित सजा दी जाएगी। कुछ ऐसे मामले भी उक्त अधिनियम की धारा 71(ख) के अन्तर्गत आते हैं जिनमें अन्तरित भूमि आदिवासियों को वापस कर दी गई थी लेकिन फिर भी उसे गैर-आदिवासी जाते हैं। इन धारा के प्रथम चिह्नित मामलों में सजा दी गई है इसकी सूचना राज्य सरकार ने नहीं भेजी है। इन सम्बंध में यह देखा गया है कि धारा 71(ख) के दण्डित उपबंधों का कार्यान्वयन न्यायपालिका के माध्यम से कराने में अत्यधिक विलम्ब होता है क्योंकि मुकदमा चलाने के लिए पहले राजस्व अधिकारियों को इन मामलों की रिपोर्ट न्यायपालिका को देनी होती है। अतः यह वांछनीय है कि इन दण्डित उपबंधों को कार्यरूप देने की शक्ति न्यायपालिका को बजाय राजस्व अदालतों के अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा सके। यह भी वांछनीय है कि इस धारा के उपबंधों को तेजी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- (9) रांची जिला (नवभगत) रैयत कृषि भूमि वापसी अधिनियम, 1947 के अधीन कुछ तनभगतों को भूमि वापस की गई थी। यह अधिनियम 31 मार्च, 1977 को समाप्त हो गया है। इन अधिनियम के उपबंधों को कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए तथा उन्हें भूमि वापस दिलाने के लिए गहन प्रयत्न किए जाने चाहिए।
- (10) रांची नगर में बहुत भारी पैमाने पर आदिवासी जमीनें गैर-आदिवासियों द्वारा अन्तरित की गई हैं। परन्तु नगर पालिका के क्षेत्रों में आदिवासियों की अन्तरित जमीनों को छोटा नागपुर कायन्कारी अधिनियम के अधीन वापस दिलाना संभव नहीं है, जैसा कि राज्य उच्च न्यायालय की रांची

न्याय पीठ ने निर्णय दिया है। इसका प्रभाव यह है कि नगर क्षेत्र में हुए अन्तरण न केवल वैध और नियमित हो गए हैं बल्कि आदिवासी भूमि का और आगे अन्तरण होने की प्रक्रिया और तेज हो गई है।

- (11) छोटा नागपुर कायन्कारी अधिनियम की धारा 46(1) के अन्तर्गत आदिवासी रैयत अपनी कृषि में सुधार लाने के लिए सहकारी संस्थानों तथा बैंकों से ऋण ले सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे अपनी जमीन भूमि गिरवी बैंकों में गिरवी रख सकते हैं। वैसे, इस अधिनियम की धारा 48 और 240 के अंतर्गत क्रमशः भूईहारी और मुंडारी छुंटकट्टीदारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपनी भूमि गिरवी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए भी इसी प्रकार का उपबंध करना आवश्यक है ताकि वे कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण ले सकें।

5.41 छोटा नागपुर कायन्कारी अधिनियम, 1908 की उपर्युक्त कमियों के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने नवम्बर, 1979 में बिहार के मुख्य मंत्री से चर्चा की थी और वर्तमान कानून में यथाशीघ्र सम्बन्धित संशोधन करके इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया था। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार ने "छोटा नागपुर कायन्कारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979" जो कि 14 नवम्बर, 1979 को अधिसूचित किया गया था, लागू कर दिया है। इसके अनुसार उपर्युक्त क्रम संख्या (10) और (11) में बर्नाई गई कमियों को दूर कर दिया गया है। छोटा नागपुर कायन्कारी अधिनियम, 1908 की धारा 1 की उपधारा (2) को अध्यादेश द्वारा इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध उन क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों के भागों में स्थित आदिवासियों की अन्तरित भूमि पर भी लागू होंगे जहाँ नगर पालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र समिति बना दी गई है अथवा जो किसी छवनी के भीतर आती हो। इस संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। उक्त अधिनियम की धारा 48 और 240 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि क्रमशः भूईहारी परिवार का कोई सदस्य अथवा मुंडारी छुंटकट्टीदार कायन्कार अपनी कायन्कारी अथवा उसके किसी भाग का अपना अधिकार माध्यम गिरवी द्वारा कतिपय बैंकों अथवा सोसायटियों आदि को हस्तान्तरित कर सकता है जिससे कि वह कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण ले सके। उपर्युक्त संशोधन करने में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत है।

आदिवासियों की अन्तरित भूमि को वापस दिलाना

5.42 आदिवासियों की भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए इस संगठन ने अपनी पिछली रिपोर्टों में विभिन्न उपाय सुझाए थे। आयुक्त की 1963-64 और 1977-78 की रिपोर्टों में इस बात की जल्द महसूस की गई थी कि भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन की पूर्णतः जांच की जाए और उन कानूनों के उपबंधों को तथा उनके कार्यान्वयन को बढ़ा दिया जाए। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी भूमियों के अन्तरण को रोकने के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के वास्तविक कार्यान्वयन के अध्ययन से यह संकेत मिला था कि इन कानूनों के कार्यान्वयन के प्रति सतर्क रहने के लिए राजस्व अधिकारियों, कल्याण तथा अन्य विभागों को प्रशासनिक अनुदेश दिए जाने की बहुत कुछ आवश्यकता है। आदिवासियों को उनकी अन्तरित भूमि वापस दिलाने के सम्बंध में आयुक्त की 1969-70 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आदिवासियों की भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए अनेक कानूनों से आदिवासी लोगों को जो राहत मिल पाती चाहिए, वे बहुत थोड़े से हैं। यह देखा गया था कि आदिवासी भी में कार्रवाई का क्रियमाण है तथा ऐसे संगठन बहुत कम और कहीं-कहीं ही हैं जो आदिवासी जातियों के लोगों को कानून

द्वारा आश्वस्त राहत दिवाने में उनकी सहायता कर सकें। यह भी देखा गया कि आदिवासी जातियाँ बहुधा इस धारणा में दबी रहती थीं कि आखिर उन्होंने उन्हीं गांवों में उन्हीं पड़ोसियों के बीच रहना है जो उन्हें संकट के समय ऋण देते हैं। यह आवश्यक समझा गया कि कानूनों और उनके कार्यान्वयन की जांच की जाए ताकि उनमें सुधार किए जा सकें। आयुक्त की 1971-73 का रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि संरक्षी कानून के कार्यान्वयन के सम्बंधित मामलों को सामान्य सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार में अलग कर दिया जाना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए विभिन्न विनियमों/कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करके संविधान के अनुच्छेद 31(ख) का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे कानूनों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन करने वाला होने के आधार पर चुनौती न दी जा सके। यह भी बताया गया था कि अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य का अपनी अचल संपत्ति में अधिकार अनुसूचित जनजाति की उन महिला सदस्य को हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए जिसने अपना विवाह अनुसूचित जनजाति के सदस्य से न किया हो।

5.43 उपर्युक्त सिफारिशों के बावजूद यह देखा गया है कि इस सम्बंध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि आदिवासी भूमि के अन्तरण की समस्या के विस्तार का पता लगाने और आदिवासी भूमि के अन्तरण का नियंत्रण करने तथा जो भूमि गैर-आदिवासी लोगों के हाथों में चली गई है उन्हें वापस लौटवाने से सम्बन्धित विद्यमान विनियमों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ अभिकर्तों द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को अपने कानूनों में ऐसे उपबंध बनाने की प्रारंभिकता पर भी विचार करना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन को बिक्री अमान्य होगी जब तक कि यह किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य के हक में न हो। कानूनों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस बारे में दलील कार्यवाही को किसी भी स्तर पर और किसी हितउत्तराधिकारी द्वारा को जा सकती है।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देना

5.44 भूमिहीन कृषि श्रमिक अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होते हैं, उनके शोषण को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इन सरकारों द्वारा निर्धारित दरों पर उन्हें मजदूरी का भुगतान हो। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी को न्यूनतम दरों के बारे में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट-45 में दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अभी जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निर्धारित नहीं की गई है और लक्षद्वीप में कोई कृषि श्रमिक नहीं है। कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के बारे में नियमों के लिए स्थानीय स्तरों पर कार्यान्वयन समितियों की नियुक्ति करने पर विचार करें। कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। राज्य सरकारों कृषि श्रमिकों के लिए सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत "उपर्युक्त सरकारें" हैं। उपर्युक्त सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार निर्धारित की गई मजदूरी को न्यूनतम दरों का, ऐसे अवसरों पर जैसे भी वह उचित मझे, ऐसा अंतराल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो, पुनर्विचार करे और प्रत्येक आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों को संशोधित करे। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते समय ग्रामतौर पर जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखा

जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों में निर्धारित मजदूरी की दरों को समय-समय पर राजस्व में अधिसूचित किया जाता है।

5.45 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर विवाद इन मामलों पर होने वाले अत्याचारों के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यह अति महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निर्धन कृषि श्रमिकों को राज्य सरकारों को निर्धारित दरों पर मजदूरी दिलाने में सभी सम्भव तरीकों से सहायता करनी चाहिए। यह जरूर है कि उनके शिकायतों को देखने तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मचारीबन्ध होने चाहिए। योजना के अधीन धनराशि की व्यवस्था द्वारा राज्य सरकारों के प्रवर्तन तन्त्र को मुदृढ़ किया जाना चाहिए जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने समाज कल्याण शीर्ष के अधीन धनराशि आवंटित करके किया है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकार को "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अधीन न केवल मन्दे के समय बल्कि कृषि समय में भी सार्वजनिक निर्माण कार्य कराने चाहिए नाकि भू-स्वामी न्यूनतम मजदूरी देने के लिए मजबूर हो जाए।

भूमि संबंधी तनावों के कारण अनुसूचित जातियों / जनजातियों पर अत्याचार

5.46 समृद्ध और पिछड़े समुदायों के वे लोग जो जमीनों के मालिक हैं, जनता के पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से व्यवहार करते समय अपने वर्ग के हितों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हैं। यह एक आम अनुभव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन लोगों का सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है, अथवा जो भूमिहीन कृषि मजदूर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी मांगते हैं, उन्हें निहित स्वार्थी के कोप का भाजन बनना पड़ता है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अभी तक कुछ अधिक नहीं किया गया है। बहुत से स्थानों पर भूमिहीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों को जमीन बांटी गई परंतु उनका वास्तविक कब्जा उन्हें नहीं दिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में किए गए अध्ययन से पता चला कि उच्चतम सीमा लागू किए जाने के बाद अधिशेष घोषित की गई, 9.000 एकड़ भूमि में से अनुसूचित जातियों को 2108 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। 9400 अनुसूचित जाति के लोगों सहित 26129 लोगों को कब्जा पत्रियां जारी की गई थीं। किंतु मई 1979 तक केवल 900 व्यक्ति आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा ही ले पाये थे। विलंब का कारण राजस्व रिकार्डों का पूरा न होना था। किंतु कब्जा पत्रियां जारी होने से निर्धन लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं और परिहार्य गलतफहमियां हो जाती हैं जिससे गांवों में अशांति पैदा होने लगती है। असम, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, और दिल्ली राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों का विस्तृत विवरण आयुक्त की पिछली रिपोर्ट में दिया गया था।

5.47 समाचार पत्रों में छपी सूचनाओं के अनुसार 28 मई, 1979 को गाजीपुर जिले के उंचादीह गांव में जमींदारों ने एक हरिजन बस्ती पर हमला कर दिया और 5 झोपड़ियों को आग लगा दी। बताया जाता है कि यह अत्याचार हरिजन परिवारों और कुछ जमींदारों, जिन्होंने कि उस भूमि पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया था जो कि वास्तव में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, के बीच मनमुटाव के कारण बदले के रूप में किया गया था। यह मालूम हुआ था कि अनुसूचित जनजातियों के पास भूमि विलेख थे और उन्होंने उन जमीनों पर जुलाई शुरु कर दी थी। किंतु कटाई के समय सारी फसल जमींदारों ने जबरदस्ती काट ली। अनुसूचित जाति के लोगों ने पुलिस से संरक्षण मांगा जिसके फलस्वरूप जमींदारों ने अंतर्गत होकर बस्ती पर आक्रमण कर दिया।

5.48 आन्ध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के बारे में उपलब्ध सूचना के विश्लेषण से पता लचता है कि निम्नलिखित घटनाएं भूमि संबंधी समस्याओं से सीधे संबंधित थीं :-

1. आन्ध्र प्रदेश

- (1) यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 दिसंबर, 1978 को बेल्लोर जिले के मुलूरपेट तालुक के थानायली गांव की अनुसूचित जनजातियों की खड़ी फसलों को गैर-अनुसूचित जाति के जमींदारों और साहूकारों के एक गिरोह ने नष्ट कर दिया और उन पर हमला किया। गैर-आदिवासियों ने आदिवासी परिवारों को उन्हें आवंटित हुई भूमि से बेदखल करने की कोशिश की।

2. बिहार

- (1) यह आरोप था कि जिला भोजपुर के इटारही पुलिस स्टेशन के धर्मपुरा गांव के न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और बटाईदारी के बारे में एक लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में बड़े भूमिपतियों की हिसात्मक कार्यवाहियों के कारण 20 अक्टूबर, 1977 को 4 हरिजन मारे गए और बहुत से घायल हो गए।
- (2) जिला सवाल परमना के जमातरा गांव में बदमाशों के एक गिरोह ने हमला किया बताया गया है जिसके कारण 4 व्यक्तियों को जाने चली गई। औरतों से छेड़खानी भी हुई और संपत्ति को लूटा गया। घटना की शुरुआत एक अन्य गांव के व्यक्ति के वहां बसने के कारण गांव वालों की नाराजगी से हुई।
- (3) 24 मार्च, 1978 को सवर्ण हिंदुओं के एक दल ने जिला नवादा पुलिस स्टेशन हनुआ के ओरो गांव के हरिजन व्यक्तियों पर हमला किया बताया गया है। झगड़ा तब हुआ जब हरिजनों ने अपनी फसलें लूटे जाने का विरोध किया।
- (4) जिला भागलपुर के लोंधीपुर गांव में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या की गई बताई गई थी। हत्या का कारण सिचाई प्रयोगजनों के लिए पानी के बंटवारे के बारे में झगड़ा और हत्या के शिकार व्यक्ति द्वारा मुखिया के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना बताया गया था।
- (5) 28 अगस्त, 1978 को दो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जाने गई बताई गई है। झगड़ा जिला रोहतास के करघर पुलिस स्टेशन के पिपरी गांव में एक लम्बे समय से चले आ रहे भूमि के विवाद के कारण हुआ बताया गया था।
- (6) 5 अक्टूबर, 1978 को जिला भोजपुर के कथा-रनीगांव में अनुसूचित जाति के तीन मजदूरों को भूमिपतियों द्वारा गोली से मार डालने का आरोप है। मजदूर उस समय काम के बदले अन्य कार्यक्रम के अधीन खुदाई कार्य कर रहे थे।
- (7) 13 अक्टूबर, 1978 को जिला गया के फतेहपुर ब्लाक पोथा पंचायत के अधीन अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को उस समय हत्या कर दी गई जब वह अपने खेत की बाड़ की मरम्मत करने गया हुआ था।
- (8) 6 नवम्बर, 1978 को जिला धनबाद, ब्लाक टुंडी, गांव टुंडी में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की कथित हत्या फसल की कटाई से सम्बन्धित विवाद के कारण कर दी गई थी।
- (9) 22 नवम्बर, 1978 को जिला नालन्दा, पुलिस स्टेशन एकांगरसराय, गांव धारगांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को चार व्यक्तियों ने गोली से मार दिया बताया गया था। विवाद भूमि के एक टुकड़े के कारण हुआ था।
- (10) 27 नवम्बर, 1978 को जिला नालन्दा, पुलिस स्टेशन एकांगरसराय, गांव धारगांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को फसल काटने सम्बंधी झगड़े में मार डाला गया था।
- (11) 9 दिसम्बर, 1978 को जिला नालन्दा, पुलिस स्टेशन चांदी, गांव केला में पिछड़े वर्गों के किसानों के एक हथियार-बन्द गिरोह ने अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों को गोली से मार दिया बताया गया है। बताया जाता है कि वे हत्याएं महतो जाति के व्यक्तियों और दिवंगत हरिजनों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे 14 एकड़ भूमि के एक विवाद को लेकर हुई। क्षेत्र अध्ययनों के माध्यम से यह पता चला था कि महतो जाति के व्यक्तियों द्वारा किराए पर चलाए गए बदमाशों ने तेरु धार वाले शस्त्रों से निर्दयता से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्याएं की थीं और उनके सिर घड़े से अलग कर दिए थे।
- (12) 5 अगस्त, 1977 को जिला समस्तीपुर के वीरसिंहपुर गांव में अनुसूचित जातियों के एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। यह आरोप था कि उन पर एक बड़े भूमिपति के किराए के गुंडों ने हमला किया था और अनुसूचित जातियों की भूमि पर लगी मक्का की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था।
- (13) 13 जुलाई, 1977 को जिला समस्तीपुर, ब्लाक दलाईसह सराय, गांव अंसिन चाक में एक हरिजन पर आक्रमण हुआ बताया गया था।
- (14) 27 जुलाई, 1977 को जिला पूर्वी चम्पारन, पुलिस स्टेशन पकरीदर, गांव मझारिया के कुछ बड़े भूमिपतियों ने अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों की 7 झोंपड़ियों को आग लगा दी बताई गई थी। यह घटना भूमि से सम्बन्धित एक विवाद के कारण हुई थी।
- (15) 3 जून, 1978 को जिला मिर्जान, पुलिस स्टेशन मोफुसेल, गांव पैगम्बरपुर में एक हरिजन के घर का नष्ट कर दिया गया बताया गया था। कारण यह था कि कुछ भूमिपति उस हरिजन से अपनी भूमि में हल चलवाना चाहते थे जिसके लिए वह सहमत नहीं हुआ था।
- (16) दिसम्बर, 1978 में जिला भोजपुर, पुलिस स्टेशन पिरो, गांव कटराल में एक भूमिपति के कुछ गुंडों द्वारा चलाई गई गोली से तीन हरिजन व्यक्तियों को चोटें लगी बताई गई थी।
- (17) 13 फरवरी, 1979 को जिला पूर्णिया, पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज, गांव आजमनगर में हथियार बन्द व्यक्तियों के एक दल ने जब एक हरिजन परिवार पर हमला किया तो बताया जाता है कि तीन हरिजन औरतें गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। झगड़े का कारण भूमि-विवाद था।
- (18) 26 जुलाई, 1977 को पूर्वी चम्पारन जिले के पकरीदाबल पुलिस स्टेशन के मझूलिया गांव में कुछ भूमिपतियों और किसानों ने हरिजनों के 8 घर जला दिए और 6 तहस-नहस कर दिए। घटना का सम्बन्ध भूदान की भूमि के वितरण में था।
- (19) 3 मई, 1978 को जिला नवादा, पुलिस स्टेशन पकरी-बराबर, गांव निरवान में कुछ भूमिपतियों ने अनुसूचित जातियों के लोगों के लगभग 50 घरों को जला दिया बताया गया था। झगड़ा पड़ों को काटने के बारे में था।

- (20) जिला पूर्णिया के पुरनदाहा गांव के एक भूमिपति के कुछ गुंडों ने अनुसूचित जातियों के लोगों के घरों को आग लगा दी जिसके कारण दो हरिजन जलकर मर गए और एक को जलने से घाव हो गए। यह घटना भूमिपति और हरिजन परिवारों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे एक विवाद के परिणाम-स्वरूप हुई।
- (21) 1 जनवरी, 1979 को जिला पटना, पुलिस स्टेशन वाढ़, गांव महुली के हरिजनों पर लगभग दो दर्जन व्यक्तियों ने कथित हमला किया और उनके घरों को आग लगा दी। घटना एक सार्वजनिक तालाब पर मछलियों पकड़ने के अधि-कार से सम्बन्धित विवाद का परिणाम थी।
- (22) 26 फरवरी, 1979 को जिला पटना, पुलिस स्टेशन नौबतपुर, गांव वहीरा के 10 हरिजनों के मकानों को एक भूमिपति के गुंडों ने आग लगाकर जला दिया बताया गया था। झगड़ा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जाने पर उसकी नाराजगी के कारण हुआ था।
- (23) जिला संधाल परगना, पुलिस स्टेशन बेलहार, गांव धोर-बहियर के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर एक गिरोह ने कथित हमला किया और उनके मकान नष्ट कर दिए। कारण यह था कि गिरोह के व्यक्ति हरिजनों से वन्धुआ मजदूरी करवाना चाहते थे। जिला पूर्णिया, ब्लाक कृत्यानन्द नगर, गांव रामपुर में एक हरिजन के मकान को जमीन के एक विवाद के कारण आग लगा दी गई थी।
- (24) जिला भागलपुर, गांव पयाड़ा के अनुसूचित जाति के कृषि मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे थे। उन्हें एक अन्य जाति के लोगों ने 19 जून, 1977 को निर्दयता से पीटा।
- (25) 14 अगस्त, 1977 को जिला सहरसा, गांव कमालपुर में कुछ व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति के लोगों की दो झोपड़ियां जला दी गईं बताई गई थी। झगड़ा पशु चराने की प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुआ था।
- (26) जिला पूर्वी चंपारन, ब्लाक रामगढ़वा, पुलिस स्टेशन तिलका-हानी, गांव विश्वभरपुर के अनुसूचित जाति के 11 व्यक्तियों को उस समय चोटें पहुंची जब उन पर एक अन्य दल ने कथित हमला किया था। झगड़ा उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर खेती करने के कारण हुआ था।
- (27) जिला पूर्णिया के किशनगंज सब-डिवीजन में हुई एक भिड़ंत में बताया जाता है कि अनुसूचित जाति के दो भूमिहीन व्यक्ति मारे गए और छः अन्य घायल हो गए। झगड़ा भूमि के कब्जे के कारण हुआ था।
- (28) 16 अगस्त, 1978 को जिला कटिहार, पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज, गांव गरगारियां में एक घटना हुई बताई गई थी जिसमें अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की जानें गईं और छः अन्य जखमी हुए। झगड़ा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमियों पर खेती करने के कारण हुआ था।
- (29) 15 नवंबर, 1978 को जिला सीतामढ़ी, पुलिस स्टेशन डुमरा, गांव मोहंदा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को गोली से मार दिया गया तथा दूसरा अमीर रूप से घायल हुआ बताया गया था। झगड़ा भूमिपतियों और अनुसूचित जातियों के बीच बटाईदारी विवाद के कारण हुआ था।
- (30) 30 अप्रैल, 1978 को जिला मिहसूम के गांव चांदील में अनुसूचित जनजातियों के दो व्यक्तियों की जानें उस समय
- गई जब आदिवासी जातियों आदि के लोग सुवर्णरेखा परियोजना में चांदील डैम के निर्माण का विरोध कर रहे थे और अपने शोषण तथा सागवाह के पेड़ लगाने के विरुद्ध अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे।
- (31) 9 दिसंबर, 1978 को जिला रांची के अर्की ब्लाक के एक भीतरी क्षेत्र में जब अनुसूचित जनजातियों के लोग बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे थे तो कर्तव्य रिजर्व पुलिस बल द्वारा गोली चलाई गई जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के दो व्यक्ति घायल हुए बताए गए थे।
- (32) जिला मधुबनी, पुलिस स्टेशन फुलपुरा, गांव कोनार के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को आवंटित की गई वास भूमि से बेदखल कर दिया गया बताया गया। उसकी झोपड़ी जला दी गई और संपत्ति लूट ली गई।
- (33) 21 अक्टूबर, 1977 को जिला पूर्णिया, ब्लाक अंचल खुर शाकमला, गांव खेसराय के अनुसूचित जाति के 25 परिवारों-को गांव के भूमिपतियों ने उनकी वास भूमियों से जबरन निकाल दिया बताया गया था। हरिजनों के मकान तहस-तहस कर दिए गए तथा भूमिपतियों ने उस भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए करना शुरू कर दिया।
- (34)* 25 नवंबर, 1978 को जिला बेगूसराय के बाजीतपुर गांव पर लगभग 200 भूमिहारों, पिछड़े वर्गों के लोगों और कुछेक हरिजनों ने भी हमला किया। यह आरोप था कि एक व्यक्ति मारा गया, 18 घायल हुए, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। इस झगड़े का कारण लंबे समय से चला आ रहा एक भूमि-विवाद था।
- (35) 12 नवंबर, 1978 को जिला नवादा के बौलपोस गांव में गैर-अनुसूचित जातियों ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मार दिया बताया गया था। यह झगड़ा परती भूमि पर अवैध अधिकार करने पर हुआ था।
- (36) 13 नवंबर, 1978 को जिला मुंगेर के शिरसोना गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को गैर-अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने कथित हत्या कर दी थी। झगड़ा बटाईदारी पर हुआ था।
- (37) 17 नवंबर, 1978 को जिला हजारीबाग के कांकी गांव में जब अनुसूचित जातियों के लोग धान की फसलें काट रहे थे तो गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों ने उन पर हमला किया जिसमें दो हरिजन मारे गए तथा दो जखमी हुए।
- (38) 22 नवंबर, 1978 को जिला नालन्दा के ग्राम सूरगांव में एक भूमिपति ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की कथित हत्या कर दी। झगड़ा भूमि को पानी देने के बारे में बताया गया था। यह भी बताया गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत 23-11-78 को मामला दर्ज कराया गया।
- (39) 11 दिसम्बर, 1978 को जिला गया के चैनपुर गांव में भूमि विवाद के कारण भूमिपतियों ने गोली चलाई जिसमें अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति मारे गए और एक महिला सहित छः घायल हुए बताए गए हैं। यह भी बताया गया कि चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी सम्पत्तियां कुर्क कर ली गईं।

- (40) 26 जनवरी, 1979 को समाचार पत्रों में यह खबर थी कि जिला पटना, पुलिस स्टेशन नौबतपुर, गांव बहोर में भूमि वाद के कारण एक भूमिपति ने 10 हरिजन लड़कियों को जला दिया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 436, 429 और 20(ख) के अधीन एक मामला दर्ज कराया गया बताया है। यह भी बताया गया है कि अदालत ने अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया।
- (41) यह आरोप है कि जिला सहरसा के बाई चौधरी गांव के गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को फसलें जबरन काट लीं, उसके पशुओं को ले गए और 27 दिसम्बर, 1978 को उसके घर की आग लगा दी। बताया गया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- (42) बताया गया था कि 27 मार्च, 1979 को जिला पटना, पुलिस स्टेशन पुन पुन, गांव सहवाजपुर में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की भूमि पर गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
- (43) यह बताया गया था कि जिला हजारीबाग, गांव कर्मा झूमरिया के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की फसल गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने जबरन काट ली और उस हरिजन, उसकी पत्नी तथा बच्चों को पीटा गया। झगड़ा भूमि के एक टुकड़े के कारण हुआ था। यह मामला धारा 107 और 144 के अधीन दर्ज कर दिया गया बताया गया।

3. हरियाणा

- (1) यह बताया गया था कि 6 नवम्बर, 1978 को जिला अंबाला, तहसील जगाधरी, गांव केलाहा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को अधिशेष भूमि के आवंटन के कारण उसकी कथित हत्या कर दी गई।
- (2) यह आरोप था कि जिला गुड़गांव, तहसील होडल, गांव भुलवाणा के गैर-अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों ने हरिजन बस्ती पर हमला किया और उनके घरों तथा चौपालों को नष्ट कर दिया। झगड़ा भूमि विवाद के कारण हुआ था।

4. मध्य प्रदेश

- (1) 20 दिसम्बर, 1978 को जिला व तहसील दतिया के रामनगर गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा उगाई गई फसल को गैर-अनुसूचित जाति के पांच व्यक्तियों ने नष्ट कर दिया बताया गया था।

5. उत्तर प्रदेश

- (1) समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि जनवरी, 1979 में जिला हरदोई, पुलिस स्टेशन कामिमपुर, गांव तुरना में अनुसूचित जाति की एक महिला पर प्रहार किया गया तथा बाद में उसे गला घोट कर मार दिया गया। हमला भूमि-संपत्ति संबंधी विवाद के कारण हुआ बताया गया था।
- (2) यह बताया गया था कि 16 नवम्बर, 1978 को जिला वाराणसी, पुलिस स्टेशन चन्द्राबाद, गांव जरखोर में भूमि के कारण हुए एक झगड़े में कुछ गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों को पीटा।
- (3) 24 नवम्बर, 1978 को जिला बलरघाट, थाना खुर्जा, गांव नगलाशेख के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने कथित चाकू मार कर घायल कर दिया और उनकी सम्पत्ति को लूट लिया। झगड़े का कारण भूमि विवाद बताया गया था।

5.49 रिपोर्ट मिली थी कि बिहार के देहाती क्षेत्रों में भूमिपति बहुत बड़े भूमि क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। और शासकों को बेदखल करके उनके घरों को जलाया जा रहा था। कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने बताया था कि 11 मई, 1979 को बिहार के मुंगेर जिले में चीलकोड़ी मूशरी टोला, भगवानपुर और नया टोला गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर घोर अत्याचारों की घटना हुई थी। यह आरोप था कि अलौली गांव के एक भूमिपति के 400 लठैत गुंडों के एक गिरोह ने 11 मई, 1979 को बड़े मबरे उक्त गांव के निवासियों पर हमला किया। उन्होंने निवासियों के घरों में घुसकर उनकी संपत्ति को लूटा और घरों को जला दिया। इस गांव के अधिकांश निवासी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बताए गए थे।

5.50 समाचार पत्रों के अनुसार हरिजनों पर किए गए अत्याचारों की सबसे अधिक घटनाएं जिला पटना में और तदुपरांत गया, मुंगेर, रोहतास, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, आदि जिलों में हुई हैं। अधिकांश मामले भूमि विवादों से संबंधित थे। यह भी बताया गया था कि राजनैतिक और समाजिक नेता गण प्रायः दोषी व्यक्तियों की ही पैरवी करते हैं। जांच में विलंब करके नेताओं को अनुमोहित किया जाता है और मामलों को बापस जिला पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। जहां दोषी व्यक्ति अपना काम अधिक आसानी से निकाला सकते हैं। इस संबंध में ठाकुरा डोम की नृशंस हत्या का मामला बताया गया था। इस नृशंस हत्या से राज्य की राजधानी में और राज्य भर में लोगों की अंतर्द्वेष की धक्का लगा था, यहां तक कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने शमशान घाट पर लोगों को आश्वासन दिलाया था कि हत्यारे चाहे कितने ही शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें इस अपराध के लिए भारी दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन वह मामला अभी भी अपराध जांच विभाग में पड़ा हुआ था। यह बताया गया कि दिवंगत व्यक्ति की पत्नी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध हरिजन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन उसका नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। यह मालूम हुआ है कि हरिजन थाना में उपलब्ध वर्तमान कर्मचारी राज्य के 31 जिलों के मामलों को संभालने में पूर्णतः अक्षम हैं।

बिहार में अत्याचारों के प्रति अपनी रक्षा करने के लिए अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण देना

5.51 बताया गया है कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आन्दोलन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए गांवों और पुरवों का चयन करने, और हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए स्वयं-सेवा दल का संगठन करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं। प्रारंभ में इस योजना को पटना, नालंदा, गया, नवादा, श्रीरंगवादा, रोहतास, भोजपुर, वैशाली, मुंगेर और पुर्णिया के 10 संबंधित जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। यह दल हीम गाड़ों से कार्यकर्ता ले कर बनाया जाना था और इसे सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार शस्त्र चलाने में प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण के बाद इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा शस्त्र दिए जाने थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के बिहार के दौरे के समय उमें यह मालूम हुआ था कि वे अभी तक उन व्यक्तियों का चयन करने का काम ही पूरा कर पाए थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना था। वैसे यह मालूम हुआ कि हथियार बंद हरिजन मिलिशिया गठित करने की योजना में प्रगति नहीं हुई है।

5.52 यह सुझाव दिया जाता है कि जहां हरिजनों पर अत्याचार हों वहां सरकार को सभी हथियार जब्त कर लेने चाहिए। यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए मात्र अनुदेश जारी कर देना काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित जातियों को असंख्य तथा विभिन्न समस्याओं का, जो अधिकतर भूमि तथा मजदूरी विवादों से सम्बंधित है, समाधान करने में सभी लोगों को विशेषकर सामाजिक और स्वयंसेवा संगठनों और सरकार को भरपूर प्रयत्न करने चाहिए।

5.53 अत्याचारों को रोकने के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1975-77 और 1977-78 की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया था कि राजस्व विभागों के चुनिन्दा अधिकारियों को चाहिए कि वे देहाती क्षेत्रों के दौरे करें और घटना प्रवृत्त स्थानों का पता लगाएं। उनकी रिपोर्टों पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और अप्रिय घटनाओं को रोकने और सामाजिक तनाव को कम करने के लिए समूचित कदम उठाए जाने चाहिए।

अनुसूचित जातियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष भूमि प्रकोष्ठ

5.54 समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार हरियाणा ने एक भूमि प्रकोष्ठ बनाया जा रहा था जिनमें राजस्व और पुलिस के कर्मचारी होंगे और जो अनुसूचित जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक विशेष दल के रूप में कार्य करेगा। यह बताया गया था कि हरिजनता तथा गांव के अन्य लोगों से निरन्तर भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें से अधिकांश भूमि विवादों से सम्बन्धित होती हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि हरिजनता को अधिगण भूमि आवंटित किए जाने से सम्बन्धित अनेक मामलों में तथा कथित उच्च जाति के परिवारों ने कब्जे के हस्तान्तरण का यत्न विरोध किया था या उन जमीनों के मालिकों द्वारा भूमि का वास्तविक उपयोग करने में समस्याएं पैदा कीं। शुरुआत के दौर पर उक्त प्रकोष्ठ षण्डीगढ़ से कार्य करेगा और बाद में उसकी शाखाएं अन्य जिलों में स्थापित की जा सकेंगी। सोचा गया था कि प्रकोष्ठ प्रवर्तन शाखा जैसा कार्य यह मुनिश्चिन करने के लिए करेगा कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए दी गई स्थायित्व वास्तव में उन्हें मिल रही है। वैसे, इस रिपोर्ट का अधिकारिक विवरण आद्य सरकार में अभी तक प्रतिशित है।

5.55 गुजरात सरकार ने भी कुछ हद तक इस सिफारिश पर विचार किया है जहां अहमदाबाद और मेहसाणा के सम्बन्धित जिलों में विशेष राजस्व-सह-पुलिस प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। यह प्रकोष्ठ कलक्टर के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं और उन्हें परिवहन की सुविधाएं दी गई हैं। प्रकोष्ठ से अपेक्षित कार्यों में उन गांवों की सूची तैयार करना जहां भूमि विवाद हैं, ऐसे गांवों के दौरे करना और राजस्व अभिलेखों का अध्ययन करना आदि शामिल हैं। उन्हें विवाद से सम्बन्धित पक्षों से भी सम्पर्क करना होता है और यह जांच करनी होती है कि अधिकारों का अभिलेख उचित ढंग से रखा गया है। उन्हें हरिजनता की जमीनों की वैध और अवैध गिरवीयों के मामलों का भी पता लगाना होता है और ऐसी भूमियों को मित्रभाव समझौता के द्वारा मुक्त करना होता है। जनवरी, 1979 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के जेनरल निदेशक, अहमदाबाद ने इन प्रकोष्ठों की कार्यचालन का तमूना अध्ययन किया था। अध्ययन से प्रकोष्ठों के कार्यचालन के बारे में कुछ रोचक निष्कर्ष सामने आए। इनके बारे में, मंत्रालय में निम्नलिखित प्रकार है :—

(क) गांव कमिन्दा, तालुक दमकोई के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को सरकार ने 1949 में 1 एकड़ और 24 गुण्डा भूमि आवंटित की थी। 1953 तक वह भूमि वास्तविक आवंटित की कब्जे में रही। लेकिन 1954 में उसने एक भूमिपति से 200 रुपये का ऋण लिया और अपनी भूमि गिरवी रख दी। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने 24 जुलाई, 1978 को उस गांव का दौरा किया और दोनों पक्षों का समझौता कथवा दिया जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि वापस लेने के लिए वह 200 रुपये की राशि वापस दे देनी थी। राशि वास्तव में दे दी गई और सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी भूमि वापस मिल गई।

(ख) गांव बदरवा, तालुक डोलका में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति 1978 में किसी पटेल की 15 बीघे जमीन पर बटाई पर खेती कर रहा था। भूमिपति फगल के पूरे मौसम (मौजून)

के लिए उसे 2,000 रुपये देने के लिए गृहमत हो गया लेकिन वास्तव में केवल 1,200 रुपये ही दिए। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने उस स्थान का दौरा किया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बाकी 800 रुपये मिल गए। इसी गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला किसी पटेल की भूमि में बटाई पर खेती करती थी। भूमिपति फगल के पूरे मौसम के लिए 2,000 रुपये देने की सहमत हो गया था लेकिन उस महिला को उसने वास्तव में 1,500 रुपये ही दिए। यहां भी प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के प्रयत्नों से बाकी 500 रुपये अनुसूचित जाति की उस महिला को मिल सके थे। एक तीसरे मामले में, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने एक राजपूत भूमिपति के लिए काम किया जिसके लिए उसे केवल 2,200 रुपये दिए गए जबकि 3,100 रुपये देने का समझौता हुआ था। प्रकोष्ठ के कर्मचारी इस मामले का निपटारा नहीं करवा सके क्योंकि यह मामला अहमदाबाद में थम न्यायालय में विचाराधीन था।

(ग) गांव राजोदा, तालुक डोलका के एक मामले में अनुसूचित जाति की एक महिला की 4 एकड़ भूमि थी। उसने 1974 में एक पटेल भूमिपति से 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 एकड़ भूमि गिरवी रख दी। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक समझौता हो गया जिसके अनुसार 10,000 रु० के ऋण के बदले में 6,000 रुपये दो किरतों में देना तय हुए। लेकिन यह देखा गया कि अनुसूचित जाति की वह महिला अपनी दो एकड़ भूमि वापस लेने के लिए इतनी बड़ी इस राशि को देने की स्थिति में नहीं थी।

(घ) गांव भयाला, तालुक डोलका में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1974 में 500 रुपये के ऋण के लिए अपनी एक एकड़ भूमि किसी पटेल के पास गिरवी रखी थी। उस बारे में किए गए एक समझौते के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 500 रुपये की राशि देनी थी जिसमें से 200 रुपये की राशि तत्काल दे दी गई और बाकी रकम जून, 1979 के अन्त तक देना तय हुआ।

(ङ) गांव मकोदरा, तालुक डोलका में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1974 में 600 रुपये के ऋण के लिए डेढ़ एकड़ भूमि एक पटेल के पास गिरवी रखी थी। किए गए समझौते के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि वापस लेने के लिए 600 रुपये देने थे। रकम वास्तव में दे दी गई और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि वापस मिल गई। इसी गांव के एक अन्य मामले में अनुसूचित जाति की एक महिला ने 1973 में 2,000 रुपये के ऋण के लिए अपनी 4 बीघे जमीन एक पटेल के पास गिरवी रखी थी। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने समझौता करवाया जिसके अनुसार भूमिपति को 2,000 रुपये दिए जाने थे। लेकिन अनुसूचित जाति की महिला के पास उस राशि को देने के लिए कोई साधन नहीं था। आधिक दृष्टि से उसकी निर्धन स्थिति को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि भूमि को पटेल और पांच साल तक रखेगा और इस अवधि के बीत जाने पर ऋण चुका दिया गया समझौता दिया जाएगा तथा भूमि का कब्जा मूल मालिक को दे दिया जाएगा। एक तीसरे मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1974 में एक सामाजिक संस्कार करने के लिए किसी पटेल से 1,000 रुपये का ऋण लिया और अपनी 3 एकड़ भूमि उसके बदले गिरवी रख दी। किए गए समझौते के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 2,000 रुपये वापस करने थे। लेकिन, बाद में जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि प्रकोष्ठ

के कर्मचारियों की अनुपस्थिति में उनमें एक और समझौता हो गया था जिसके अधीन 3,000 रुपये देने होंगे। भूमि अभी भी पटेल के कब्जे में है।

- (च) मालूम हुआ था कि प्रकोष्ठ ने महामाना जिले के 28 गांवों का दौरा किया था और अनुसूचित जातियों तथा सर्वण हिन्दुओं के बीच भूमि विवादों के 202 मामलों के सम्बन्ध में कार्रवाई की थी। प्रकोष्ठ लगभग 52 मामलों में 144 एकड़ भूमि हरिजनों को वितरित करने में सफल हुआ था। यह भूमि अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी।
- (छ) गांव गम्बू, तालुक चनसामा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को सरकार ने 1964 में 1.39 एकड़ भूमि आवंटित की थी। आवंटित होने पर अपने पुत्र का विवाह करने के लिए 28 जुलाई, 1975 को वह भूमि 975 रुपये में बेच दी थी। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने नवम्बर, 1978 में उस गांव का दौरा किया और एक समझौता करवाया जिसके अनुसार भूमि वापस लेने के लिए 975 रुपये दिए जाने थे। गांव पकोड़ा, तालुक चनसामा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1976 में 10,000 रुपये की राशि के बदले अपनी 9 बीघा जमीन एक मुस्लिम भूमिपति के पास गिरवी रखी थी। इस प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने एक समझौता करवाया जिसके अनुसार उक्त राशि 200 रुपये की प्रति किस्त के हिसाब से वापस की जानी तय हुई। भूमि का कब्जा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दे दिया गया।
- (ज) गांव अजवपुरा, तालुक चनसामा में इस प्रकोष्ठ ने तीन मामलों में हस्तक्षेप किया था, उनका अध्ययन किया गया। एक मामले में यह देखा गया कि अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1968 में 2,200 रुपये की धनराशि के लिए अपनी 39 पंजा भूमि एक पटेल के पास गिरवी रखी थी। किए गए समझौते के अनुसार सारी रकम दो किस्तों में देनी तय हुई, जैसे, अध्ययन दल के दौरे के समय यह पता चला कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उस समय तक अपनी भूमि वापस नहीं मिली थी। यह भी पता चला कि अनुसूचित जाति के उस व्यक्ति के पास रकम वापस करने के लिए कोई साधन नहीं था। एक अन्य मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1977 में 900 रुपये की रकम के लिए अपनी 6 बीघे जमीन एक पटेल के पास गिरवी रख दी थी। समझौते के अनुसार रकम दो वार्षिक किस्तों में वापस की जानी थी। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसकी भूमि वापस दिला दी गई। एक और मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 1972 में अपनी भूमि 6,000 रुपये में एक पटेल को बेच दी थी। किए गए समझौते के अनुसार सारी रकम जुलाई 1979 तक पटेल को वापस की जानी थी। लेकिन यह पता चला कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए रकम वापस करना संभव नहीं था।
- (झ) गांव बोरतवाड़ा, तालुक हरिज में 152 एकड़ बेकार भूमि 28 व्यक्तियों में वितरित की गई। इनमें से 17 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे। जैसे इन 11 व्यक्तियों में से केवल 8 व्यक्ति आवंटित भूमि का कब्जा ले सके और बाकी तीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने ठाकुरों के रोप के डर से कब्जा नहीं लिया। यह मालूम हुआ था कि प्रकोष्ठ द्वारा किए गए प्रयत्नों के कारण ठाकुर लोग अनुसूचित जाति के लोगों को इन जमीनों का कब्जा वापस लेने के लिए सहमत हो गए थे लेकिन कुछेक

हरिजन समाधानों की कमी के कारण इन जमीनों में खेती करने की स्थिति में नहीं थी।

5.56 इन प्रकोष्ठों के कार्य-चालन के बारे में कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं:—

- (1) प्रकोष्ठों को दिए गए कर्मचारी पर्याप्त न होने के कारण सभी मामलों की जांच करना संभव नहीं था। कुछ मामलों में भंगी जाति की शिकायतों की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि वे लोग अलग-अलग स्थानों में रहते थे और किसी न किसी प्रकार उनकी शिकायतें उपेक्षित रह जाती थीं।
- (2) समझौतों के कार्यान्वयन के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। यह भी देखा गया कि जिन हरिजनों को उनकी भूमि वापस दिलाई गई थी वे संसाधनों की कमी के कारण अपनी भूमि में उचित ढंग से कृषि करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे भी मामले थे जहां अनुसूचित जाति के लोग ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं थीं। कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों ने सर्वण हिन्दुओं द्वारा प्रतिशोध के डर से प्रकोष्ठ को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

5.57 यह सराहनीय है कि गुजरात राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ऋणों से मुक्ति दिलाने और उनकी भूमियां उन्हें वापस दिलाने में उनकी सहायता करने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए हैं। यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों को उनकी भूमियों से वंचित कर दिया गया है और जो ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं राज्य सरकार उन्हें सहायता देने के लिये आवश्यक कर्मचारी और धनराशि उपलब्ध कराए। यह भी सुझाव है कि बाकी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी भूमि विवादों को रोकने और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता करने के लिए इसी प्रकार के कदम उठाएं।

लघु कृषक और कृषि मजदूर विकास एजेंसियां

5.58 लघु कृषक एजेंसियां (एम० एफ० डी० ए०) देश के देहाती क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय पैदा करने के लिए शुरू की गई थीं। चौथी योजना तंत्र के दौरान ऐसी 87 एजेंसियां स्थापित की गई थीं और पांचवी योजना अवधि में उनकी संख्या बढ़ाकर 160 कर दी गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त के संगठन के कहने पर केन्द्रीय कृषि एवं बिचाई संवर्धन से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुदेश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र की एजेंसियों को यह सुझाव दें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इन एजेंसियों का लाभ देने के लिए वे रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने इन एजेंसियों में लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से सम्बन्धित मासिकीय अंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रोफार्मा भी तैयार किया था।

5.59 उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में 171 लघु कृषक विकास एजेंसियां (एम० एफ० डी० ए०) कार्य कर रही थीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा इन कार्यक्रमों में उठाए गए लाभों के बारे में जानने के लिए इस कार्यालय ने सभी एम० एफ० डी० ए० एजेंसियों को नवंबर पत्र लिखे थे। अब तक इस प्रकार की 52* एजेंसियों में सूचना प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि वर्ष 1978-79 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों ने, शिक्षाधिकारियों की 4,22,846 संख्या के अनुसार, क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 3.58 प्रतिशत लाभ उठाया और परियोजनाओं पर किए गए व्यय के अनुसार 19.14 प्रतिशत।

*धोरे के लिए परिशिष्ट 46 देखें।

लेकिन जैसा कि इस संगठन का गत वर्षों में अनुभव रहा है, इस कार्यक्रम से हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के बारे में समूचा विश्लेषण कर सकने के लिए पूर्ण ध्येयों हमें कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहना कठिन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम से यथोचित लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है अथवा नहीं।

एकीकृत ग्रामविकास

5.60 एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम छोटे और सीमान्त किसानों कृषि मजदूरों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों के हित के लिए ग्राम क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के प्रयोजन से शुरू किया गया था। वर्ष 1978-79 के दौरान यह कार्यक्रम 2300 ब्लॉकों में चलाया जा रहा था। इन में से 2000 ब्लॉक ऐसे क्षेत्रों से घुने गए बताए गए थे जिनमें, एम० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, सी० ए० डी० जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए थे। बाकी 300 ब्लॉक उन क्षेत्रों से लिए गए थे जहां ये विशेष कार्यक्रम लागू नहीं थे। हर वर्ष 300 तए ब्लॉक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव था और 1982-83 तक 5004 ब्लॉकों में से 3,500 ब्लॉक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ला दिए जाएंगे।

5.61 उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 45.21 करोड़ रुपये दिए गए थे जिनमें से केवल 8.34 करोड़ रुपये की धनराशि का ही उपयोग हुआ बताया गया। बताया गया कि एम० एफ० डी० ए० अथवा सी० ए० डी० कार्यक्रमों के अधीन लाए गए ब्लॉकों के लिए 5 लाख रुपये प्रति ब्लॉक तथा डी० पी० ए० पी० के अधीन लाए गए ब्लॉकों के लिए 4 लाख रुपये प्रति ब्लॉक आवंटित किए गए थे। डी० पी० ए० पी० ब्लॉकों के मामले में राज्यों से आशा की गई थी कि वे प्रति ब्लॉक एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देंगे। यह आवंटन निधि लगाने के वर्तमान स्तर के अतिरिक्त थे।

5.62 यह मालूम हुआ था कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों को परिष्कृत कृषि उपकरण देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लागू की थी। बाद में, इन स्कीम को राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया। यह बताया गया कि केन्द्रीय सरकार एम० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, आई० आर० डी० और सी० ए० डी० जैसे विशेष कार्यक्रमों के अधीन परिष्कृत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए 1979-80 के दौरान अपनी सहायता जारी रखेगी। केन्द्रीय सहायता की दर, व्यक्तिगत खरीद पर सहायकी के रूप में छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को 33½ प्रतिशत थी जबकि सामुदायिक सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए सहायकी की दर छोटे और सीमान्त किसानों के अनुपातित हिस्से की पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत थी। अनुसूचित जन जातियों के छोटे/सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के लिए उपकरणों की व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही प्रकार की खरीद पर सहायकी की दर पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत थी।

5.63 यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका से सम्बन्धित समिति ने जिसे शिवरमन समिति भी कहा जाता है, यह टिप्पणी की थी कि सामाजिक और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और/अथवा उन्हें कार्यान्वित करने में लगाना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। समिति ने सिफारिश की थी कि शुद्धता के तौर पर स्वैच्छिक एजेंसियों की लगभग 100 ब्लॉक योजनाओं में नियोजन और कार्यान्वयन में लगाया जाए। समिति ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित और चिरस्थापित स्वैच्छिक एजेंसियों को ही ब्लॉक स्तर की योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में लगाया जाना चाहिए। बताया गया था

कि शिवरमन समिति की सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में अनेक प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाएंगे। यह पता चला है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्यों के मुख्य सचिवों/कृषि उत्पादन आयुक्तों/विकास आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की फरवरी महौन में नई दिल्ली में हुई बैठक में की गई थी। यह मालूम हुआ है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि अनुसूचित जातियों के हिताधिकारियों के लिए सहायकी की सीमा बढ़ाकर उसी स्तर पर लाई जाए जो स्तर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकार किया जा चुका था।

आवास तथा आवास स्थल

अनुसूचित जाति के परिवारों का अलग बस्तियों में पृथक्करण न होने देना

5.64 ग्रामतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आवास सम्बन्धी स्थिति अब भी खराब है। यद्यपि भूमिहीन मजदूरों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को महान बनाने के लिए आवास—स्थल मुक्त देने का महत्वाकांक्षी और देश व्यापी कार्यक्रम प्रशंसनीय है और उसकी सराहना की जानी चाहिए तथापि पृथक्करण को दूर करने के महत्वपूर्ण पहलू को अनुसूचित जातियों के लिए चलाई गई लगभग सभी आवास योजनाओं में उपेक्षित रखा गया है। यह देखा गया है कि उनके मकानों को मिली जुली कालोनियों में मिलाकर रखने के कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किए गए हैं जिससे कि नई आवास कालोनियां बनाने समय एक नया सामाजिक जीवन भी बनाया जा सके। आज भी शहरों में यह कटु सत्य है कि सवर्ण हिन्दूओं की बस्तियों में उन्हें मकान उपलब्ध नहीं है। आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में यह बहुत बार सुझाया जा चुका है कि विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यक्रम देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों का अलग बस्तियों में पृथक्करण न हो जाए बल्कि वे अन्य जातियों के साथ मिली जुली कालोनियों में रहें। उदाहरणार्थ, आयुक्त की 1957-58 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि झाड़ू कशो और सफाई कर्मचारियों को क्वार्टर देते समय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों का पृथक्करण न किया जाए और उनके क्वार्टर अन्य जातियों की बस्तियों में अथवा उनके निकट बनाए जाएं। यह भी सुझाव सुझाया गया था कि जहां अलग कालोनियां बनानी पड़े वहां गैर-अनुसूचित जातियों को भी ऐसी कालोनियों में बसने के लिए वित्तीय सहायता देकर उत्साहित किया जाना चाहिए। आयुक्त की 1960-61 की रिपोर्ट में इस बात पर फिर बल दिया गया था कि अनुसूचित जातियों का अलग बस्तियों में पृथक्करण करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और जब कि नगरपालिकाओं अथवा नगर सुधार मण्डलों को नई कालोनी अथवा बस्ती की योजना तैयार करनी ही तो कृष प्रतिशत भूखण्ड अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आवश्यक आरक्षित किए जाने चाहिए और इन भूखण्डों का किसी एक ही सेक्टर में जमघट कर देने की बजाए ऐसे भूखण्ड पूरी बस्ती में बिखरे होने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जातियों के लिए बनाई जा रही कालोनियों में कुछ प्रतिशत भूखण्ड गैर-अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षित किए जाने चाहिए और यह भी होना चाहिए कि जब अनुसूचित जातियों के लिए किसी कालोनी की योजना बनाई जाए तो उसमें अनुसूचित जातियों के विभिन्न वर्गों के लिए भूखण्ड आबन्धित किए जाने चाहिए। आयुक्त की वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट में फिर यह सुझाया गया था कि अनुसूचित जातियों का पृथक्करण न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब भी इन लोगों के लिए कोई आवास स्कीम हाथ में ली जाए तो उसके

कुछ प्रतिशत, उदाहरणार्थ 10 प्रतिशत मकान गैर-अनुसूचित जातियों के लिए नियत किए जाएं और सामान्य आवास योजनाओं में भी अनुसूचित जातियों के लिए कुछ मकान आरक्षित होने चाहिए।

5.65 वैसे, यह देखा गया है कि पिछली रिपोर्टों में की गई विभिन्न सिफारिशों के बावजूद अनुसूचित जाति के परिवार अब भी अधिकतर पृथक आवास कालोनियों में रह रहे हैं। अतः यह फिर दोहराया जाता है कि सभी राज्यों सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि विभिन्न आवास स्कीमों को कार्यक्रम देते समय मिली-जुली कालोनियां बनाई जाएं और अनुसूचित जातियों को अलग कालोनियों में पृथक न रखा जाए।

राज्य आवास बोर्डों/विकास प्राधिकारणों द्वारा मकानों का निर्माण

5.66 शहरो में निजी स्वामित्व के मकानों के अतिरिक्त ऐसे मकान भी हैं जो राज्य आवास बोर्डों और विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए हैं। आयुक्त को पिछली रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि सभी आवास बोर्डों को चाहिए कि विभिन्न स्कीमों के अधीन उनके द्वारा बनाए गए मकानों के आबंटन में वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कम-से-कम संबंधित राज्य में विद्यमान उनकी जन-संख्या के अनुपात में वे आरक्षण करें। लेकिन यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग इस प्रकार मण्डलों/प्राधिकरणों द्वारा चलाई गई स्कीमों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। उसका मुख्य कारण यह है कि उद्योग इस वर्गों के लोगों के लिए कुछ विशिष्ट आरक्षण किया गया है तथापि आमतौर पर उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं जिससे कि वे इन मकानों को खरीद सकें। परिणामस्वरूप, ऐसे कई मामले हैं जहां इन लोगों को अपने आबंटन छोड़ने पड़े हैं।

5.67 दुकानों और व्यापारिक भूखण्डों के आबंटन के संबंध में स्थिति और भी खराब है क्योंकि अधिक धन कमाने के लिए इनकी नीलामी की जाती है। इस संबंध में आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को यह चाहिए कि दुकानों के लिए उनके द्वारा विकसित किए जा रहे नए क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों जन जातियों के लिए आबंटित की जाने वाली दुकानों की प्रतिशतता निर्धारित करें ताकि उन वर्गों के लोग भी व्यापार-व्यवसाय में आने का साहस कर सकें। यह मालूम नहीं है कि राज्य सरकारों ने इस पर क्या कार्रवाई की है। अतः इस सिफारिश को दोहराया जाता है।

सरकारी आवास के आबंटन में आरक्षण

5.68 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने अपनी 1976-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि निर्माण व आवास मंत्रालय को चाहिए कि सरकारी आवासों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7 1/2 प्रतिशत तक आरक्षण किए जाएं। लेकिन निर्माण व आवास मंत्रालय के सम्पर्क निदेशालय द्वारा सितम्बर 1975 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी आवास के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी अपनी पात्रता के अनुसार टाइप-तीन और टाइप-चार में 5 प्रतिशत स्पष्ट रिक्तियां आरक्षित की गई हैं और टाइप एक तथा टाइप दो में 10 प्रतिशत आरक्षण था। यह महसूस किया जाता है कि आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने और टाइप पांच तक सरकारी आवास के पात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों पर भी आबंटन आदेश लागू करने की दृष्टि से मामले का तत्काल पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन में कोटे का आरक्षण

5.69 विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवास के आबंटन के बारे में इस वर्ष हम कार्यालय ने सूचना एकत्र करने के प्रयत्न किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों से अनुरोध किया गया था कि वे इस कार्यालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास के आबंटन में आरक्षित कोटे की प्रतिशतता बताएं और यह सूचना भी भेजें कि कुल कितने क्वार्टर आबंटित किए गए तथा उन में से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आबंटित किए गए। इस बारे में कुल 189 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लिखा गया था जिनमें से केवल 70 उपक्रमों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हुई है। 39 उपक्रमों के पास कर्मचारियों के लिए क्वार्टर नहीं होते। बाकी 31 उपक्रम अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराते हैं। इनमें से 25 उपक्रमों ने आवास के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई कोटा विनिर्दिष्ट नहीं किया था। जिन 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण कोटा विनिर्दिष्ट किया था उन के नाम हैं, मुगललाईन लिमिटेड, बम्बई; हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर; भारत ग्रुप मूवर्स, लिमिटेड, बंगलौर; हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज लिमिटेड, असम; भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बंगलौर; और हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची। इन उपक्रमों ने कुल उपलब्ध क्वार्टरों का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक आरक्षण कोटा विनिर्दिष्ट किया था। इन 6 उपक्रमों में से 3 उपक्रमों ने टाइप एक और दो के लिए 10 प्रतिशत, और टाइप तीन तथा चार के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण रखा था। कुछ उपक्रमों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण कोटा विनिर्दिष्ट नहीं किया था लेकिन बताया गया कि आवास का आबंटन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का उचित ध्यान रखा जा रहा था। जिस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने इस प्रकार की नीति अपनाई है उस का नाम है लंगमद्र स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक। उन्होंने सूचित किया है कि 295 अनुसूचित जाति और 31 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में से क्रमशः 155 और 13 कर्मचारियों को आवास आवंटित किए गए थे। कुल 737 क्वार्टरों में से, बंगई-गंग पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, असम में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को क्रमशः 21 और 16 क्वार्टर आवंटित किए गए थे। बताया गया है कि राष्ट्रीय वीज निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली ने नन्दीकोपूर (आन्ध्र प्रदेश) और हैमपूर (उत्तर प्रदेश) में स्थित अपने फार्मों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए हैं। यह सूचित किया गया कि कृद्रेमुख आइरन और कम्पनी लिमिटेड बंगलौर ने अपने सभी पात्र कर्मचारियों को रिहायसी आवास उपलब्ध करा दिए हैं। इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन, गुजरात ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सभी पात्र कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिए थे। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम ने अपने कुल उपलब्ध क्वार्टरों में से 13.85 प्रतिशत क्वार्टर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवंटित किए थे। यह देखा गया है कि जिन उपक्रमों के पास अपने आवास नहीं हैं उन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है :—

- (1) वे उपक्रम जो केवल अनिवार्य सेवा कर्मचारियों जैसे अनुसूचित कर्मचारियों, बिजली-मिस्त्रियों, ड्राइवरों, चौकीदारों, आदि को क्वार्टर उपलब्ध कराते हैं, नामतः राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०, नई दिल्ली और राष्ट्रीय कपड़ा निगम कोयम्बतूर।
- (2) वे उपक्रम जो मकान बनाने के लिए नाममात्र व्याज पर अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराते हैं, नामतः राष्ट्रीय

लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और कांठन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।

- (3) वे उपक्रम जो अधिकारियों और गैर-लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को बर्तार उपलब्ध कराते हैं, नामतः मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड, बम्बई; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम, बम्बई; भारतीय जनरल बीमा निगम, बम्बई।
- (4) वे उपक्रम जो महानगर शहरों में सी० एम० सी० द्वारा अधिगृहित आवास उपलब्ध कराते हैं, नामतः कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड, बम्बई।

5.70 उपर्युक्त सूचना से यह दिखाई पड़ता है कि अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवास का आवंटन करने में आरक्षण कोटे को नहीं अपनाया है। यह सुझाव दिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को चाहिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवास का आवंटन करने के बारे में विशिष्ट आरक्षण करने की बांछनीयता पर विचार करें, चाहे उनके पास इतने समय इन कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए कोई भी आवास उपलब्ध न हो। इस प्रकार का नीति-निर्णय अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों की उस समय रक्षा करने में मदद करेगा जब बाद में कभी संबंधित उपक्रम मकान बनाने/आजित करने का कोई निर्णय करता है।

भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों का आवंटन

5.71 उपलब्ध सूचना के अनुसार, कूल 116.50 लाख पात्र परिवारों में से दिसम्बर, 1978 के अन्त तक 76.54 लाख परिवारों को आवास स्थल आवंटित किए जा चुके थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित रियायती-स्थलों के बारे में अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना का राज्य वार विस्तृत व्योरा परिशिष्ट 47 पर देखा जा सकता है। आवास स्थलों के आवंटन के अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित स्थलों पर मकान बनाने में सहायता देने के कार्यक्रम भी बनाए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए काम के बारे में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट 47 पर दी गई है।

5.72 यह बताया जाता है कि दो ग्रामीण आवास स्कीमें अर्थात् (1) गांव आवास परियोजना स्कीम और (2) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों की व्यवस्था, जो क्रमशः 1957 और 1971 में चलाई गई थीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम सहित राज्य सैक्टर की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सामूहिक वित्तीय सहायता देती है। यह सूचना दी गई है कि 31 मार्च, 1979 तक 67,083 मकान बना लिए गए थे। 1977-78 से "हुडको" ने भी ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी है। यह निगम राज्य सरकारों द्वारा नामित किसी भी संस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत तक ऋण सहायता देता है बशर्ते कि प्रति मकान लागत 4000 रु० से अधिक न हो। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए 1 लाख से भी अधिक निवासों के निर्माण के लिए 17.03 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता के साथ 16 ग्रामीण आवास स्कीम शुरू की गई हैं। यह भी पता चला है कि 1978 के दौरान राज्य सरकारों को पहली बार साधारण बीमा निगम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने तथा गांव

आवास स्कीमों के लिए 14 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप प्राप्त हुए। छठी योजना में ग्रामीण आवास योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है व इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अनुमान है कि इस योजना से लगभग 80 लाख भूमिहीन श्रमिकों को लाभ होगा।

5.73 शहरी आवास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, गन्दी वस्तियों के सुधार के लिए काफी विनियोजन करने का प्रस्ताव है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि आवास एवं शहरी विकास निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों से 21 लाख आवासीय इकाइयां बना ली जाएंगी जिनमें से 85 प्रतिशत विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों के लिए होंगे। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अधीन जल आपूर्ति, मल निकास गलियों में पटरियों और सामुदायिक सण्डास की व्यवस्था आदि जैसे उपाय अनुसूचित जातियों विशेषकर शहरी क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 190 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। फिर भी अब तक इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वास्तव में कितना लाभ प्राप्त हुआ है इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आवासीय कार्यक्रम

5.74 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने मकान बनाने में सहायता देने के लिए आवास निगमों की स्थापना करके अथवा विशेष व्यवस्थाओं द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेष आवास कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

5.75 राजस्थान राज्य सहकारी वित्त संस्था राज्य के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से आवासीय मकानों के निर्माण के लिए लम्बी अवधि के ऋण देने का एक शिखर संगठन है। यह दिसम्बर, 1970 में पंजीकृत हुआ था। इस सोसायटीने 21476 मकानों की मंजूरी में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की 618 सोसायटियों की 17,313 मकानों के लिए ऋण वितरित किया। कुछ सोसाइटियों ने 3575 मकानों के लिए मंजूरीशुदा ऋण लेने में हिचकिचाहट दिखाई। शेष 22 सोसाइटियां जिन्हें 588 मकानों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किया गया है, मंजूरीशुदा ऋण ले लेने के लिए आवश्यक औपचारिकता पूरा करने में रुचि नहीं ले रही हैं। अब तक सदस्यों द्वारा 6272 मकान पूरे कर लिए गए हैं तथा 11041 मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

5.76 तमिलनाडु हरिजन आवास एवं विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया था। हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण के अतिरिक्त इस निगम को मच्छेरों के लिए मकानों के निर्माण अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए होस्टल, सामुदायिक सदन, बालवाडियों दुकानों आदि के निर्माण का भी सौंपा गया है। अब तक सरकार ने 35,045 मकानों के लिए 14.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1977-78 में प्रशासनिक खर्चों के लिए 1.4 करोड़ रुपये दिए थे। 1978-79 के लिए सरकार ने हरिजनों के लिए 1660 मकान बनाने के लिए 110 लाख रुपये दिए। अब तक 58 होस्टल पूरे कर लिए गए हैं तथा 13 अन्य होस्टलों का निर्माण कार्य चल रहा है। मल्लनगिनर, के परमथी तथा मन्नारकुडी के 3 होस्टलों को छोड़कर शेष 10 होस्टल अप्रैल 1979 के अन्त तक पूरे कर लिए जाये थे।

अध्याय 6

शैक्षिक विकास

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र (सेक्टर) के अन्तर्गत व्यय

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार, केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के पिछड़े वर्ग क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से है। पिछड़े वर्ग क्षेत्र के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत दो शैक्षिक स्कीम हैं, नामतः अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ और लड़कियों के लिए छात्रावासों (होस्टलों) का निर्माण। पाँचवीं और छठी योजनाओं का परिचय और वर्ष 1974-75 से 1978-79 तक इन स्कीमों के अन्तर्गत हुए व्यय का व्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:—

(रुपये करोड़ों में)

| स्कीम का नाम | पाँचवीं योजना का परिचय | छठी योजना का परिचय | इन वर्षों में हुआ व्यय | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|---------|----------------------|
| | | | 1974-78 | 1977-78 | 1978-79 (प्रत्याशित) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ | 100.00 | 130.00 | 52.21 | 15.76 | 20.00 |
| *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावास | .. | 2.50 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
| *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान कालेजों में पुस्तक बैंक | .. | 10.00 | .. | .. | 0.49 |

*वर्ष 1978-79 से इन स्कीमों की वित्त व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के बीच साझे आधार पर की जाएगी।

ऊपर दी गई सारणी से यह देखा जा सकता है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम के अधीन निर्धारित व्यय को छोड़कर उपर्युक्त दो स्कीमों के अन्तर्गत खर्च में लगातार वृद्धि होती गई है। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ज्यादा छात्र मैट्रिकोत्तर शिक्षा स्तर तक पहुँच रहे हैं और इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। राज्य योजना के पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत मैट्रिक पूर्व वृत्तिकार्यों, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, छात्रावासों, आश्रम विद्यालयों जैसी शैक्षिक स्कीमों के लिए प्रावधान किया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:—

दाखिला

6.2 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1978-79 तक 6 से 11 वर्ष के आयुवर्ग में 100 प्रतिशत और 11-14 वर्ष के आयुवर्ग में 50 प्रतिशत दाखिला करने का लक्ष्य रखा था। हमारी पिछली रिपोर्टों में आम जनसंख्या के दाखिले संबंधी अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तत्संबंधी आंकड़े वर्ष 1974-75 तक के दिए गए थे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब वर्ष 1977-78 के उक्त आंकड़े भेज दिए हैं। वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1977-78 के दौरान अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों में दाखिले की प्रगति संबंधी आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं:—

| | सम्बन्धित आयु वर्गों में दाखिले का अनुपात | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|
| | पहली से पाँचवीं कक्षाएं (आयु वर्ग 6-11) | | | छठी से आठवीं कक्षाएं (आयु वर्ग 11-14) | | |
| | 1973-74 | 1974-75 | 1977-78 | 1973-74 | 1974-75 | 1977-78 |
| अनुसूचित जातियाँ | 68.9 | 67.1 | 75.5 | 22.1 | 22.7 | 25.5 |
| अनुसूचित जनजातियाँ | 59.3 | 59.7 | 66.1 | 15.7 | 15.7 | 17.7 |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अन्य जातियाँ | 90.7 | 87.6 | 85.7 | 40.4 | 40.2 | 42.0 |

उपर्युक्त सारणी से यह दिखाई पड़ता है कि वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक 6 से 11 वर्ष के आयुवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले में अच्छी प्रगति हुई लेकिन इन समुदायों के 11-14 वर्ष के आयुवर्ग में दाखिला पर्याप्त नहीं था जो इस बात का संकेत करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में काफी शिक्षा बेकार गई। अन्य समुदायों में दाखिला संबंधी अनुपातों की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों अब भी काफी पीछे हैं। इस तरह से इन जातियों में 100 प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य प्राप्त करने में और अनेक वर्ष लग जाएंगे।

6.3 वर्ष 1973-74, 1974-75, और 1977-78 के दौरान आम लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में 6-11 वर्ष और 11-14 वर्ष के आयु वर्गों में दाखिले के अनुपातों से संबंधित राज्यवार आकड़े परिशिष्ट 48 की सारणी में देखे जा सकते हैं। उस सारणी से यह पता चलता है कि अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में दाखिले का स्तर सभी के दाखिले के लक्ष्य से काफी पीछे था। बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के दाखिले की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अनुसूचित जनजातियों के दाखिले की स्थिति आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल-नाडू, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और गोवा, बमन तथा दीव में बुरी थी।

6.4 आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में पहले ही यह सिफारिश की गई थी कि संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे वृत्तिकाएं, मुफ्त गणवेश, पुस्तकें और लेखन सामग्री जैसे प्रोत्साहन देकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के दाखिले में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास करें। इस सिफारिश को दोहराया जाता है।

छठी योजना के दौरान सर्वसाधारण (यूनिवर्सल) प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम

6.5 भारत सरकार का प्रस्ताव था कि माध्यम-कालिक योजना अवधि (1978-83) के दौरान 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के 320 लाख बच्चों के औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा संस्थानों में दाखिले का कार्यक्रम शुरू किया जाए। बाकी 10 लाख बच्चों का दाखिला अगली योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में किया जाना था। यह प्रस्ताव था कि 160 लाख बच्चों को पहली से आठवीं तक की औपचारिक पूर्णकालिक कक्षाओं में दाखिल किया जाए और इतने ही बच्चों की जिनमें बीच में पढ़ना छोड़ देने वाले बच्चे भी शामिल हैं, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा संस्थानों में अंशकालिक शिक्षा दी जाए। यह अनुमान लगाया गया था कि छठी योजना के दौरान जिन 320 लाख बच्चों का दाखिला किया जाना है उनमें से 75% बच्चे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भारी जनसंख्या है। केन्द्रीय सरकार का 50 करोड़ रुपये के बजट से इन राज्यों का सहायता देने की स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव था। हमारी 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय उपर्युक्त राज्य सरकारें तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भारी जनसंख्या वाले अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें इन जातियों के बच्चों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इनकी और विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। यह भी सिफारिश की गई थी कि वृत्तिकाएं, मुफ्त गणवेश, पुस्तकें, लेखन सामग्री, मध्यम भोजन आश्रम विद्यालयों आदि की स्थापना जैसे प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त धनराशि

का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि उन्हें दाखिला लेने के लिए उत्साहित किया जा सके। सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि वे राजस्थान और मध्यप्रदेश के उदाहरण पर चलें। ये दोनों सरकारें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सभी पात्र छात्रों को मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां देकर इस संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रही थीं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं है। अतः यह दोहराया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों को प्रोत्साहन देने के अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छठी योजना के दौरान अनुसूचित जाति/जनजातियों के छात्रों के दाखिले के लिए निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त कर लिए जाएं।

छीजन एवं रद्दता

6.6 यद्यपि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है तथापि यह देखने में आया है कि मिडिल और सैकेंडरी स्तरों पर इन जातियों के दाखिले सम्बन्धी आंकड़ों में भारी गिरावट है। परिणामतः इन जातियों में, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों में, काफी शिक्षा बेकार जाती है। अतः आयुक्त की 1970-71 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सुधारात्मक उपाय बरतने के लिए शिघ्र कार्रवाही करनी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की इस छीजन को रोका जा सक। इस सम्बन्ध में आदिवासी अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद द्वारा गुजरात के आठ आदिवासी जिलों में हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला था कि आदिवासी बच्चे जबतक चौथी कक्षा में पहुंचते हैं उनमें शिक्षा की छीजन और रद्दता की दर 79.7 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। कुछ छीजन का लगभग 70 प्रतिशत भाग पहली ही कक्षा में देखा गया। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया था कि शिक्षा की छीजन और रद्दता को कम करने के लिए प्रयत्नों का सबसे अधिक जोर प्रथम कक्षा पर ही दिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा की छीजन सबसे अधिक उसी स्तर पर है। इस सम्बन्ध में अनेक उपाय सुझाये गये थे जैसे, स्थानीय आदिवासी बोलियों में शिक्षा देना, आदिवासी क्षेत्रों में बालवाडियां खोलना, मुफ्त लेखन-सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, स्कूली गणवेश और भोजन, छात्रवृत्तियां, आदि देने सम्बन्धी प्रोत्साहन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यचर्या तैयार करना, अछापकों को मुफ्त आवास, उनके बच्चों को आदिवासी क्षेत्रों से बाहर शिक्षण की सुविधाएं जैसे प्रोत्साहन देना आदि-वासी माता-पिताओं को शिक्षा देना, आदि।

6.7 अध्ययन के निष्कर्षों से कई तथ्य सामने आए हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों में शिक्षा की छीजन और रद्दता का पता लगाने के लिए अन्य राज्यों में भी आदिवासी अनुसंधान संस्थानों द्वारा इसी प्रकार के अध्ययन किए जाने चाहिए। जब तक इन जातियों में शिक्षा की छीजन को घटाकर न्यूनतम नहीं किया जाता तब तक प्राथमिक कक्षाओं से इन जातियों के बच्चों का अधिकाधिक दाखिला कराने के लिए खर्च की जा रही भारी धनराशि बेकार जाएगी। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को उपर्युक्त प्रकार से पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र कदम उठाएं ताकि वे बच्चे विद्यालयों में अपना अध्ययन जारी रख सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनमें शिक्षा की छीजन और रद्दता न्यूनतम हो।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

6.8 यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को भिन्न-भिन्न विभाग चला रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में विभिन्न विभागों के काम काफी परस्पर व्यापक हैं। विभिन्न सम्बन्धित विभागों में प्रभावी समन्वय रहे इस विचार से आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य में आन्तरिक प्रशासन व्यवस्था जो भी हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास सम्बन्धी निदेश देने का काम राज्य शिक्षा विभाग के अधीन होना चाहिए। इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1978 में असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन का प्रयोजन अन्य बातों के साथ-साथ यह मालूम करना था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था क्या है; कार्यों का परस्पर व्यापन किस हद तक हो रहा है और कार्यों में कहां तक समन्वय है। अध्ययन से, अन्य बातों के साथ-साथ ये तथ्य सामने आए कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग और आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के शिक्षा विकास से सम्बन्धित थे। कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण आदिवासी कल्याण विभाग को सौंपा गया था और शिक्षा विभाग को केवल शैक्षिक निरीक्षण का कार्य ही दिया गया था। यह भी पता चला कि विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे प्रोत्साहन और वित्तीय रियायतों के लगभग सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने सम्बन्धी कामों में परस्पर व्यापन था। अतः उस मंत्रालय ने यह सुझाया था कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा विकास कार्य जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा विकास भी शामिल है, आदर्श रूप में शिक्षा विभागों को सौंपा जाना चाहिए। अन्य सम्बन्धित विभाग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए कल्याण कार्य कर रहे हैं वे प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित अपने कार्यक्रमों को शिक्षा विकास के पूरक कार्यक्रमों के रूप में और शिक्षा कार्य कलापों के एक अंश के रूप में जारी रख सकते हैं, अन्य विभागों से ये कार्यक्रम शिक्षा विकास कार्यक्रमों से स्वतंत्र अलग कार्यक्रमों के रूप में नहीं होने चाहिए। अतः यह भी सुझाया गया था कि इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वह अन्य विभागों से परामर्श लेते हुए सभी शिक्षा कार्यक्रमों के व्योरे तैयार करे, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शामिल हैं, कार्यान्वयन एजेन्सी चाहे जो भी हो।

6.9 शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त सुझावों का स्वागत है और यह आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन इन सुझावों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

गैर औपचारिक शिक्षा

6.10 अकेले 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसाविक (यूनिवर्सल) बना देने से देश में सर्वसाविक साक्षरता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस आयुवर्ग के बच्चे बड़ी संख्या में प्रारम्भिक शिक्षा पुरी करने से पहले

ही पढ़ना छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त अनपढ़ प्रौढ़ों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें साक्षर बनाना है। जब तक कि इन दोनों वर्गों को भी साक्षर नहीं बनाया जाता तब तक देश में सार्वजनिक साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। बीच में पढ़ना छोड़ देने वाले तथा अनपढ़ लोग अधिकांशतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हैं और उन्हीं और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्य निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जा रहा था :-

- (i) 6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की राज्य सेक्टर स्कीम।
- (ii) किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम।
- (iii) 15-35 आयु वर्ग के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

6.11 प्रौढ़ों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बना कर अक्टूबर 1978 से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत छठी योजना (1978-83) की अवधि में 15-35 आयुवर्ग के लगभग 10 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है। प्रौढ़ शिक्षा कार्य दल ने यह अनुमान लगाया है कि इसमें भाग लेने वाले एक-तिहाई व्यक्ति अपना अध्ययन बीच में छोड़ जाएंगे। इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम में 6.5 करोड़ व्यक्तियों द्वारा भाग लिए जाने का प्रभावी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर पांच वर्ष की अवधि के दौरान कुल लागत 686 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के लिए योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना आयोग के अनुसार यह प्रावधान निधियों का केवल एक स्रोत होगा तथा इस कार्यक्रम के लिए और भी धन अन्य विकास सेक्टरों, जैसे आदिवासी विकास योजनाओं, ग्राम विकास कार्यक्रमों और कृषि विकास के कार्यक्रमों से भी उपलब्ध होगा। आयोग ने यह भी बताया है कि यदि आवश्यक हुआ हो तो वर्तमान परिव्यय को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर बढ़ा दिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्राथमिकता

6.12 प्रौढ़ शिक्षा कार्यदल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'विशेष प्राथमिकता' की श्रेणी में रखा है क्योंकि इन जातियों में निरक्षरता की दर विषम अनुपात में बहुत ऊंची है। इन जातियों के सम्बन्ध में कार्यदल ने इस कार्यक्रम के आयोजन से सम्बन्धित निम्नलिखित मुद्दों को छांटा है :-

अनुसूचित जातियां :

- (क) यद्यपि यह वांछनीय नहीं है तथापि इन जातियों के लिए अलग कक्षाओं का आयोजन करना आवश्यक हो सकता है।
- (ख) यदि किसी गांव में एक ही प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हो तो यथासम्भव वह केन्द्र अनुसूचित जातियों के लिए होना चाहिए।
- (ग) यदि अनुसूचित जाति के केन्द्र में दाखिला कम भी हो तो भी उनके लिए एक केन्द्र आयोजित किया जाना चाहिए और उसमें दाखिले की स्थिति यथाशीघ्र अनुकूलतम स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(घ) उनकी कार्यकुशलता और तकनीकों में सुधार लाने के प्रयत्न किये जाने चाहिए और यदि सम्भव हो तो उन्हें उनके प्रथागत व्यवसायों से ऊपर उठने योग्य बनाया जाता चाहिए।

(ङ) व्यवसायों में विविधता लाने के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे मूर्गी पालन, फलदार पड़ लगाना, पशु और भेड़ पालन, खादी और ग्रामोद्योग।

(च) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों और अनुवर्ती कार्यवाहियों के दौरान अनुसूचित जातियों के उचित प्रतिनिधित्व वाले संगठन बनाए जाने चाहिए। जहाँ मिले जुले संगठन बनाना व्यावहारिक न हो वहाँ अलग संगठन बनाये जाने चाहिए।

(छ) ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों के संगठनों से गम्भीर सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका हो वहाँ सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों को इस बारे में पूरी जानकारी देते रहना चाहिए ताकि इस प्रकार के संगठनों के बनाए जाने से झगड़े न हों जिसके परिणामस्वरूप इन लोगों की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।

अनुसूचित जन-जातियाँ :

(क) ये कार्यक्रम उन्हें कार्यकुशलता प्राप्त करने में सहायक होने चाहिए ताकि वे अपने आसपास की दुनिया के साथ प्रभावी ढंग से मौल-तोल कर सकें और रोजगार तथा व्यापार के मामलों में बाहर के लोगों के साथ मुकाबला कर सकें ;

(ख) अपनी गुंजायमान संस्कृति का महत्व जानने और अपना पर्यावरण बनाये रखने में इन जातियों के लिए यह कार्यक्रम सहायक होना चाहिए; और

(ग) इस कार्यक्रम को एकिकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से आयोजित किए जा रहे बाकी विकास कार्यक्रमों के साथ गूथ दिया जाएगा। विस्तृत आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें उच्चतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है : ऐसे क्षेत्र जहाँ औद्योगिक और खनन कार्यकलाप बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे स्थान जहाँ निरक्षरता बहुत ही अधिक है और ऐसे क्षेत्र जिनमें भूमिहीन मजदूरों की बहुत बड़ी जनसंख्या है।

6.13 इन प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वे अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को प्रेरित करने और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए :-

(i) गांवों और नगरों के मुहल्लों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने में प्राथमिकता ऐसे केन्द्रों को दी जानी चाहिए जो महिलाओं और अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, बेशक वहाँ प्रारम्भ में दाखिला कम ही हो। दाखिला यथा शीघ्र बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(ii) सभी परियोजना प्रस्तावों में, चाहे वे राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये जाएं अथवा स्वच्छिक एजेन्सियों द्वारा महिलाओं और मुख्यतः अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या अलग दिखाई जानी चाहिए। इस बात का उल्लेख करने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए कि उन श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को ये सुविधाएं दिए जाने की सम्भावना है।

(iii) महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को सभी प्रशासनिक पर्यवेक्षीय और शिक्षा सम्बन्धी पदों पर यथा सम्भव अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए।

6.14 इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों को विशेष प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत है। यह आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र शुरू करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को विशेष प्राथमिकता देने संबंधी शिक्षा मंत्रालय के अनुदेशों का पालन करेंगे।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

6.15 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने कार्यरूप देना है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कतिपय स्वैच्छिक एजेन्सियां भी लगाई जाएंगी। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों की सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक सोसाइटियां, पब्लिक ट्रस्ट और लाभ-निरपेक्ष कम्पनियां सहायता की पात्र हैं। सहायता देन की स्कीम सीधे ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इसके अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेन्सियों को धनराशि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों की सिफारिश पर दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत किसी प्रकार के प्रौढ़ साक्षरता विद्यालय नहीं चलाए जाते। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र शिक्षा प्राप्त करने वालों की सुविधानुसार दिन का कोई भी समय निर्धारित करके प्रतिदिन दो घण्टे के लिए अंश-कालिक आधार पर चलाए जाते हैं और इन केन्द्रों के आयोजन के लिए अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों के दाखिले की अपेक्षा होती है। इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता परियोजना आधार पर दी जाती है जो कि पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जाती रह सकती है। वैसे, धनराशि वार्षिक आधार पर दी जाती है। क्षेत्र कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान प्रशासन सम्बन्धी लागत के 75% और कार्यक्रम सम्बन्धी लागत के 100 प्रतिशत की दर पर दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1977-78 और 1978-79 के दौरान क्रमशः 1.6 करोड़ और 5.44 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मार्ग दिर्देश जारी किए हैं और ऐसे 26 यूनिट मंजूर किए हैं। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे आदिवासियों के सभी आबादी वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जाति बस्तियों में प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का चयन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ताकि 15-35 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति/जन जाति के निरक्षर व्यक्ति और अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त सिफारिश को दोहराया जाता है।

आश्रम विद्यालय

6.16 छित्री आबादी वाले क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लम्बी दूरियां तय कर पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि कभी कभी ये विद्यालय उनके घरों से बहुत दूर होते हैं। ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालय खोले गए हैं। ये विद्यालय रिहायसी किस्म के विद्यालय हैं जिनमें छात्रों को रहने और

खाने-पीने सम्बन्धी सुविधाएं भी मुक्त दी जाती हैं। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ये विद्यालय छात्रों को दस्तकारी पर आधारित शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के विद्यालय राज्य सरकारों और कतिपय गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाये जाते हैं। आश्रम विद्यालय खोलने और उनका अनुरक्षण करने के कार्यक्रम को उन राज्यों की आदिवासी उपयोजनाओं में भी शामिल किया गया है जहां ऐसी उपयोजनाएं बनाई गई हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों और वहां रह रहे छात्रों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :-

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आश्रम विद्यालयों की संख्या | इन विद्यालयों में रह रहे छात्रों की संख्या |
|----------|-------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 262(1975-76) | 16,650 |
| 2 | बिहार | 77(1978-79) | 10,982 |
| 3 | गुजरात | 182(1978-79) | 18,638 |
| 4 | जम्मू व कश्मीर | 1(1977-78) | 20 |
| 5 | कर्नाटक | 66(1977-78) | 4,125 |
| 6 | केरल | 55(1972-73) | 1,650 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 138(1975-76) | 5,520 |
| 8 | महाराष्ट्र | 198(1973-74) | 11,230 |
| 9 | मणिपुर | 6(1973-74) | 527 |
| 10 | उड़ीसा | 110(1972-73) | 1,220 |
| 11 | राजस्थान | 8(1977-78) | 315 |
| 12 | तमिलनाडु | 79(1975-76) | 4,433 |
| 13 | त्रिपुरा | 1(1977-78) | 35 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 9(1975-76) | 826 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 5(1976-77) | 480 |
| 16 | दादरा व नगर हवेली | 9(1975-75) | 744 |

इस सारणी से यह दिखाई पड़ेगा कि बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में आश्रम विद्यालयों की संख्या काफी उपर्याप्त है जैसा कि पिछली रिपोर्टों में पहले भी सिफारिश की जा चुकी है, उन राज्यों की सरकारों को चाहिए कि वे अपने-अपने राज्य में आश्रम विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

6.17 आश्रम विद्यालय खोलने और उनका अनुरक्षण करने में विशेषकर उपकरणों की खरीद करने और दस्तकारी पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए दस्तकारी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति करने में काफी खर्च आता है। यह देखा गया कि अधिकांश विद्यालयों में छात्रों को दस्तकारी पर आधारित शिक्षा प्रदान किए बिना ग्राम रिहयशी विद्यालयों की तरह कार्य करने की प्रवृत्ति थी, जो कि इन विद्यालयों पर खर्च किए जा रहे धन का उपव्यय था। अतः आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि आश्रम विद्यालयों वाले सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे इन विद्यालयों की पाठ्यचर्याओं का पुनर्विलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां दस्तकारी पर आधारित शिक्षा वास्तव में प्रदान की जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि इस प्रयोजन के लिए इन विद्यालयों को दस्तकारी उपकरण और आवश्यक दस्तकारी प्रशिक्षित अध्यापक दिए जाने चाहिये। इस सिफारिश के प्रति विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं है। अतः इस सिफारिश को बोहराया जाता है।

पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास

6.18 यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों विशेषकर जन जातियों, के लोग प्रायः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तथा उनके लिए निर्धनता के कारण अपने बच्चों को गांवों से दूर विद्यालयों और कालेजों में भेजना कठिन होता है। अतः इन जातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रावासों का विशेष महत्व है।

6.19 राज्य क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का संचालन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते हैं। कतिपय गैर-सरकारी संगठन भी राज्य सरकारों द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों की मदद से ऐसे छात्रावासों का संचालन करते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रावासों की संख्या और उनमें रह रहे छात्रों की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना नीचे सारणी में दी गई है :-

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | छात्रावासों की संख्या | | | छात्रावासों में रह रहे छात्रों की संख्या | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------|--|--------------|-------|----------|
| | अनु०जाति | अनु०जनजाति | कुल योग | अनु० जाति | अनु०जनजाति | अन्य | कुल योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आन्ध्र प्रदेश (1977-78) | 1,047 | 330 | 1,377 | 85,790 | 23,594 | .. | 1,09,384 |
| बिहार (1973-74) | 90 | 180 | 270 | 3,635 | 5,176 | .. | 8,811 |
| गुजरात (1976-77) | 171 | 294 | 465 | 6,952 | 13,389 | .. | 20,341 |
| हिमाचल प्रदेश (1976-77) | 13 | 3 | 16 | 400 | 100 | 100 | 600 |
| कर्नाटक (1978-79) | 583 | 20 | 603 | 29,125 | 931 | 1,814 | 31,870 |
| केरल (1975-76) | 77 | 6 | 83 | 4,634 | 1,857 | 189 | 6,680 |
| मध्य प्रदेश (1974-75) | 259 | 1,452 | 1,711 | 5,549 | 29,918 | .. | 35,467 |
| महाराष्ट्र (1976-77) | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | 1,303 | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | .. | 60,779 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------|
| नागालैण्ड (1978-79) | .. | 359 | 359 | .. | 9,870 | .. | 9,870 |
| उड़ीसा (1977-78) | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | 1,003 | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | .. | 45,000 |
| राजस्थान (1976-77) | 118 | 124 | 252 | 5,054 | 4,681 | .. | 9,735 |
| तमिलनाडु (1976-77) | 630 | 18 | 648 | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | 42,221 |
| उत्तर प्रदेश (1973-74) | 95 | 1 | 96 | 3,800 | 40 | .. | 3,840 |
| ग्रन्डमान और निकोबार द्वीप समूह (1977-78) | .. | 2 | 2 | .. | 54 | .. | 54 |
| अरुणाचल प्रदेश (1974-75) | .. | 75 | 75 | .. | 2,800 | .. | 2,800 |
| दादरा व नगर हवेली (1977-78) | 11 | .. | 11 | .. | .. | .. | 751 |
| लक्षद्वीप (1978-79) | .. | 5 | 5 | .. | 281 | .. | 281 |
| मिझोरम | .. | 55 | 55 | .. | 697 | .. | 697 |
| पांडिचेरी (1978-79) | 11 | .. | 11 | 600 | .. | 750 | 750 |

ऊपर दी गई सारणी से यह दिखाई पड़ेगा कि बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छात्रावासों की संख्या काफी अपर्याप्त है।

6.20 ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की काफी बड़ी आबादी है लेकिन छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त है, होस्टलों की संख्या बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में पहले भी कहीं बार बल दिया जा चुका है। आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी गई थी कि जिन राज्यों में छात्रावासों की संख्या बहुत कम है वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार पिछड़ा रहा था। अतः यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपने बच्चे विद्यालय में भेजने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इन जातियों के छात्रों के लिए उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रावासों की संख्या काफी बढ़ाई जाए जिनमें इनकी संख्या कम है। यह भी सिफारिश की गई थी कि हर उच्च विद्यालय से एक छात्रावास सम्बद्ध किया जाए और तालुक, जिला और राज्य स्तरों के सभी स्थानों पर अनुसूचित जाती/जन जाती के छात्रों के लिए छात्रावास होने चाहिए तथा होस्टलों की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि इन जातियों के सभी पक्ष छात्रों के लिए आवास सुलभ हो। आयुक्त की 1974-75, 1975-76 और 1977-78 की रिपोर्टों में इस बात को दोहराया गया था कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त थी उनकी सरकारों को चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाएं। चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुत बड़ी आबादी वाले राज्यों में छात्रावासों की संख्या अब भी काफी अपर्याप्त है अतः इस सिफारिश को दोहराया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारें इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

सिदों का उपयोग

6.21 यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में छात्रावास की वर्तमान सुविधाओं का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है और उनमें बहुत सी सिदों खाली रहती हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए छात्रावासों की संख्या सुनियोजित नहीं है। जब कि कुछ क्षेत्रों में अनेक हास्टल खोल दिए गए

हैं, अन्य क्षेत्रों में कोई भी छात्रावास नहीं है। अतः आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छात्रावास स्थापित करने के इस प्रकार के असन्तुलित विकास से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर एक सुविचारित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रावासों का क्षेत्रवार सन्तुलित विकास किया जा सके। छात्रावासों की आवश्यकता का जायजा इस प्रयोजन के लिए जरूरी सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं है। अतः इस सिफारिश को दोहराया जाता है।

सहायता प्राप्त छात्रावासों के लिए सहायता अनुदान

6.22 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सहायता प्राप्त छात्रावासों को राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही प्रतिनिवासी सहायता अनुदान की दरें काफी समय पहले निर्धारित की गई थी। मूल्य स्तर में तीव्र वृद्धि हो जाने के कारण वे दरें काफी अपर्याप्त हो गई थी। अतः हमारी 1971-73 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों का संचालन कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को दी जान वाली सहायता अनुदान की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। उस सिफारिश के अनुसरण में कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश ने, सहायता अनुदान की दरें बढ़ाई हैं। फिर भी, कुछ अन्य राज्यों में वे दरें अब भी अपर्याप्त हैं। अतः आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में इस सिफारिश को दोहराया गया था कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक इन दरों में वृद्धि नहीं की है वे यथाशीघ्र वृद्धि करें। इस सिफारिश को आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में फिर दोहराया गया था। वाकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस पर की गई कार्यवाही की हमें जानकारी नहीं है। अतः इस बात पर फिर बल दिया जाता है कि जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक सहायता-अनुदान की दरों में वृद्धि नहीं की है वे मूल्य-स्तर में हुई तीव्र वृद्धि को निष्प्राभावित करने के लिए इन दरों में तत्काल वृद्धि करें ताकि स्वच्छिन्न संगठन छात्रावासों को कुशलता से चला सकें।

सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

6.23 आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्गों के सभी छात्रावासों में 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए तथा सामान्य छात्रावासों में रहने वाले इन जातियों के छात्रों को अपने रहन और खाने-पीने के पूर्ण खर्च को वहन करने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए। इस मामले पर बाद में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की 20 अक्टूबर, 1978 को हुई आठवीं बैठक में चर्चा हुई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सामान्य वर्ग के छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। इस सुझाव के अनुसरण में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी 1979 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए थे कि उन्हें सरकारों अथवा सरकारों से सहायता अनुदान ले रहे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सभी सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इन जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आवास आरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उनके शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस अनुपात से भी बढ़कर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

6.24 उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने सभी सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए सीटों की निम्नलिखित प्रतिशतता आरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली है:—

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आरक्षण की प्रतिशतता | |
|----------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | अनुसूचित जातियों के लिए | अनुसूचित जनजातियों के लिए |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 20 | 5 |
| 2 | कर्नाटक | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 25%। | |
| 3 | केरल | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 25 प्रतिशत। | |
| 4 | मध्य प्रदेश | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 15 से 20 प्रतिशत। | |
| 5 | उड़ीसा | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 10 प्रतिशत। | |
| 6 | तमिल नाडु | अनु० जातियों और अनु० जनजातियों दोनों के लिए 18 प्रतिशत। | |
| 7 | झिपुरा | 31.5 | 10.5 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 18 प्रतिशत। | |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 15 | 5 |

उपरोक्त राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत है। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, गोवा, दमन व दीव और पांडिचेरी सरकारों ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य छात्रावासों में आरक्षण करना जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी प्राथियों को छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है। इन सरकारों द्वारा दिया गया तर्क युक्त नहीं जान पड़ता। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी प्राथियों को प्रवेश दे दिया जाता है तो भी यह वांछनीय है कि उनके लिए सामान्य छात्रावासों में सीटों की निर्धारित प्रतिशतता आरक्षित की जानी चाहिए। अतः संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस मामले पर फिर से विचार करें और सभी सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें। मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिजोरम की सरकारों ने बताया है कि चूंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश निवासी जनजातियों के हैं अतः सामान्य छात्रावासों में इनके लिए सीटों का आरक्षण करना जरूरी नहीं समझा गया है।

कन्या छात्रावास

6.25 कन्याओं के लिए छात्रावास बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना था क्योंकि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के लड़कों, यहां तक कि सामान्य वर्गों की कन्याओं से भी काफी पीछे रही हैं। शुरूआत के तौर पर, इस योजना में छात्रावास भवनों का निर्माण/विस्तार करने का प्रावधान किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के कार्य क्षेत्र में और विस्तार कर दिया गया जिसमें भवनों के निर्माण, वृत्तिकाएँ देने, छात्रावासों के आरक्षण और अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्याओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रावधान किया गया। इस एकीकृत स्कीम में छात्रावास भवनों, छात्रावासों को सज्जत करने, सिलाई और कढ़ाई जैसे दस्तकारी के लिए आरम्भिक उपकरण, सांस्कृतिक कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण हेतु आरम्भिक अनुदान, सम्बद्ध कृषि भूखण्डों के लिए परिकामी पूंजी, आदि का प्रावधान किया गया है ताकि ये छात्रावास बहूउद्देशीय संस्थानों के रूप में विकसित हो सकें और इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्याओं को कला, दस्तकारी, कौशल, खेलों, गृह-व्यवस्था, आदि में प्रशिक्षित किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता अनुदान की बढ़ाई गई दरें 1975-76 से लागू की गई थीं। इनके अनुसार, मात्र आवास उपलब्ध कराने पर अनुदान की दर 3200 रुपये प्रति निवासी और आवास के साथ-साथ अन्य सहायक सुविधाएं जैसे भोजन-कक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि की भी व्यवस्था हो तो अनुदान की दर 4450 रुपये प्रति निवासी थी। भवन निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में आगे और वृद्धि होने के कारण छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की उच्चतम सीमा में और वृद्धि करने का प्रश्न भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विचाराधीन था। उस मंत्रालय ने कन्याओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की उच्चतम सीमा में 17 मई 1979 से और वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है, जो कि इस प्रकार है:—

- (i) मैदानी क्षेत्रों में इस स्कीम के अन्तर्गत देय सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा, मात्र आवास उपलब्ध

कराने पर 3350 रुपये प्रति छात्रा होगी और आवास के साथ-साथ अन्य सहायक सुविधाएँ जैसे भोजन कक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि भी सुलभ कराने पर 4630 रुपये प्रति छात्रा होगी।

- (ii) पहाड़ी क्षेत्रों में इस स्कीम के अन्तर्गत देय सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा मात्र आवास उपलब्ध कराने पर 5500 रुपये प्रति छात्रा और आवास के साथ-साथ अन्य सहायक सुविधाएँ जैसे भोजन कक्ष, रसोई घर, शौचालय खंड आदि उपलब्ध कराने पर 7600 रुपये प्रति छात्रा होगी।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अब उपर्युक्त आधार पर योजनाएँ तैयार करें और उनके व्यय का अनुमान लगाएँ। इस स्कीम के अधीन वर्ष 1977-78 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 45.00 लाख रुपये दिए गए जबकि वर्ष 1978-79 के दौरान 50.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

6.26 आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार तथा उन राज्य सरकारों को, जिनके राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कन्याओं के लिए छात्रावास बहुत कम संख्या में हैं, इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकाधिक कन्याएँ प्रारम्भिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं है। अतः इस सिफारिश को दोहराया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

6.27 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा का विकास करने के लिए इन जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ देने का कार्यक्रम पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन चलाए जा रहे अत्यधिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों में से है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी छात्रों को जो आय संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करते हों, छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। हिताधिकारियों की संख्या योजना परिव्यय को देखकर निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि हिताधिकारियों की संख्या को देखते हुए योजना परिव्यय निर्धारित किया जाता है।

6.28 भारत सरकार ने उपर्युक्त स्कीम 1944-45 में अनुसूचित जातियों के लिए चालू की थी और 1948-49 में इसे अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लागू कर दिया गया। 1958-59 तक यह स्कीम सीधे शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती थी। इन छात्रवृत्तियों की मांग में वृद्धि हो जाने पर इस स्कीम का 1959-60 में विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और तब से इसका कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कर रहे हैं। जनवरी, 1968 में यह स्कीम शिक्षा मंत्रालय से समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई और बाद में गृह मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दी गई।

व्यय

6.29 इस स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में जो कि 1944-45 में 114 थीं, लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह आशा है कि 1978-79 में इनकी संख्या 4.60 लाख (3.90 लाख अनुसूचित जातियों के लिए और 0.70 लाख अनुसूचित जनजातियों के लिए) होगी। इस स्कीम पर होने वाला व्यय भी लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 15.40 करोड़ के वचनबद्ध व्यय के अतिरिक्त 20.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता

(16.47 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों और 3.53 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजातियों के लिए) होने की आशा है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संख्या तथा प्रमाणा

6.30 इन छात्रवृत्तियों में अनुरक्षण भत्ता, वापस न हो सकने वाली अनिवार्य फीस, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन दौरों के खर्च और शोधकार्य के खर्च आ जाते हैं। वर्ष 1974-75 से पहले भरण-पोषण भत्ता स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में छात्रावास में रहने वालों के लिए 40 रुपये प्रतिमास और दिन के छात्रों के लिए 27 रुपये प्रतिमास, से लेकर इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान के व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रावास में रहने वालों के लिए 75 रुपये प्रतिमास और दिन के छात्रों के लिए 60 रुपये प्रतिमास तक दिया जाता था। छात्रवृत्तियों की दरें 1954 में निर्धारित की गई थीं जबकि मूल्य-स्तर काफी नीचे था। ये दरें काफी अपर्याप्त हो गई थीं और इस संगठन में इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी 1962-63, 1963-64 और 1970-71 की वार्षिक रिपोर्टों में बहुत दृढ़ विचार प्रकट किए थे और यह सिफारिश की थी कि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण छात्रवृत्तियों की दरें बिल्कुल अपर्याप्त हैं और भारत सरकार को उन्हें तत्काल बढ़ाना चाहिए। आयुक्त की 1971-73 की रिपोर्ट में विभिन्न वर्षों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए थे ताकि छात्रवृत्तियों की दरों को बढ़ाने की जरूरत को अधिक प्रकाश में लाया जा सके। उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि भरण-पोषण भत्ते की दरें बढ़ाकर तिगुनी की जानी चाहिए और यदि यह स्वीकार्य न हो तो इन्हें कम से कम दुगुना करने का स्पष्ट आश्वासन था। उस रिपोर्ट में यह टिप्पणी भी थी कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए निर्धारित आय संबंधी शर्तें बहुत अधिक जटिल थीं क्योंकि इन के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को उनकी आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार 11 वर्गों में विभाजित किया गया था और मूल्यों में वृद्धि होने तथा वेतनभोगियों के वेतनमानों में वृद्धि हो जाने के कारण बहुत पुरानी पड़ चुकी थीं। अतः यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों के मामलों में आमदनी संबंधी जांच के लिए अधिकतम आय सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमास कर दी जाए।

स्कीम का सुव्यवस्थीकरण

6.31 आयुक्त द्वारा 10 वर्ष से भी ज्यादा समय से किए गए उपर्युक्त दीर्घ प्रयत्नों के अनुसरण में भारत सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का सुव्यवस्थीकरण किया और वर्ष 1974-75 से छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर दी और आय संबंधी शर्तों को उदार बना दिया। परिशोधित नियमों में लाए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

- (1) भरण-पोषण भत्ते की न्यूनतम दर (स्नातक स्तर तक के सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए) नर दिवाछात्रों के लिए 27 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिमास कर दी गई और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 40 रुपये से 70 रुपये प्रतिमास कर दी गई। उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययनों के लिए पिछली स्कीम के अधीन दिवाछात्रों और छात्रावास में रहने वालों को मिलने वाले भरणपोषण भत्ते की अधिकतम दर क्रमशः 60 रुपये प्रतिमास और 75 रुपये प्रति मास थी। परिशोधित विनियमों के अधीन उपर्युक्त श्रेणी के नर छात्रों को अधिकतम भरण-पोषण भत्ता बढ़ाकर क्रमशः 75 रुपये प्रतिमास और 125 रुपये प्रतिमास कर दिया गया।
- (2) पुराने नियमों के अधीन, छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की दरें एक सामान थीं। लेकिन संशोधित नियमों के

अंतर्गत छात्राओं को छात्रों को मिलने वाली राशि से ऊपर, प्रथम वर्ष के दौरान 19 रुपए प्रतिमास अतिरिक्त और दूसरी तथा उसके बाद के वर्षों के दौरान 15 रुपए प्रतिमास अतिरिक्त जाने थे।

- (3) यदि एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो से अधिक बच्चे मैट्रिकोत्तर अध्ययन कर रहे हों तो उनमें से केवल दो बच्चे ये छात्रवृत्तियाँ पाने के पात्र होंगे।
- (4) शैक्षिक वर्ष 1974-75 से, "आय संबंधी जांच" के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की उच्चतम सीमा 500 रुपए प्रति मास से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमास कर दी गई।
- (5) अनुसूचित जन जातियों के मामले में माता-पिता/अभिभावक की आय चाहे कितनी भी हो, उसके बच्चों को वर्ष 1974-75 के दौरान छात्रवृत्तियाँ देना जारी रखा गया। लेकिन शैक्षिक वर्ष 1975-76 से उन पर भी "आय जांच" की वे सभी शर्तें लागू कर दी गईं जो अनुसूचित जातियों पर लागू थीं।
- (6) पुराने नियमों के अधीन, रोजगार में लगे छात्र, अपनी स्वयं की आय, परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ और परिवार की कुल आय के अनुसार क्रमिक दरों पर छात्रवृत्ति पाने के पात्र थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार जो छात्र पूर्णकालिक रोजगार पर लगे हुए थे वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं थे चाहे उनकी आय अथवा परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ कितनी भी हों।
- (7) व्यवसाय पाठ्यक्रमों में पहले 20 रुपए प्रतिमास तदर्थ राशि दी जाती थी। इन पाठ्यक्रमों को स्क्रीम से निकाल दिया गया क्योंकि एसे पाठ्यक्रम सामान्यतः शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए नृत्तिकाओं की स्क्रीम के अंतर्गत आ जाते थे।
- (8) प्रशंसनीय छात्र (60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक पाने वाले) पुराने नियमों के अधीन छात्रवृत्ति की ग्राम दरों से डेढ़ गुना छात्रवृत्ति पा रहे थे। उनके लिए नई दरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जब तक ऐसा नहीं कर दिया जाता, उन्हें यह विकल्प था कि वे नई ग्राम दरों पर अथवा पुरानी दरों पर, जो भी उन्हें अधिक लाभप्रद हों, छात्रवृत्ति ले सकते थे।
- (9) नए नियमों के अधीन छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकार किए गए अध्ययन पाठ्यक्रमों को उनके स्तरों आदि के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया जब कि पुराने नियमों में 11 वर्ग थे। छात्र वृत्तियों की दरें पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की दरों की तुलना में दूसरे और उससे बाद के वर्षों की दरें थोड़ी अधिक थीं।

छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने की आवश्यकता

6.32 उपर्युक्त संशोधित विनियमों के अधीन, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की दरों में 25 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी जबकि 1954 (जब पुरानी दरें निर्धारित की गई थीं) से 1974 तक मूल्य स्तर में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई थी। अतः आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि छात्रवृत्तियों की दरों में और अधिक वृद्धि की जाए ताकि कम से कम मूल्य स्तर के अधिकांश भाग को निष्प्रभावित किया जा सके। परिणामस्वरूप, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे और छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्तियों की दरों में 1 जनवरी 1978 से और वृद्धि की गई। इन पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के दौरान लड़कों और लड़कियों के लिए दरों की क्रमशः 125 रुपए और 135

रुपए से 185 रुपए और 195 रुपए प्रति मास बढ़ा दिया गया। दूसरे और उससे बाद के वर्षों के दौरान, लड़कों और लड़कियों के लिए दरों में क्रमशः 125 रुपए और 140 रुपए प्रतिमास से वृद्धि करके 185 रु० और 200 रुपए प्रतिमास कर दिया गया। इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे दिवाछात्रों अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों की छात्रवृत्तियों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। अतः आयुक्त की वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों में जो काफी अपर्याप्त हैं, समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। इस संबंध में उच्चशक्ति प्राप्त समिति के कुछ सदस्यों ने भी समिति की 20 अक्टूबर, 78 को हुई आठवीं बैठक में यह सुझाव दिया था कि दिवाछात्रों को देय छात्रवृत्तियों की राशि लगभग 100 रुपए प्रतिमास निर्धारित की जानी चाहिए। उस बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं है। अतः यह दोहराया जाता है कि मूल्य स्तर में तो वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दिवाछात्रों और उन दोनों पाठ्यक्रमों से भिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के दिवाछात्रों और छात्रावास में रहने वालों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की दरों में भी समुचित वृद्धि की जानी चाहिए।

पूर्णकालिक रोजगार में लगे छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

6.33 सितम्बर 1974 में संशोधित विनियमों के लागू किए जाने के बाद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों ने पुराने नियमों के अधीन उन्हें मिल रही रियायतों के वापस लिए जाने के विरुद्ध इस संगठन को बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन भेजे थे। उनकी शिकायतें मुख्यतः इस बात के विरुद्ध थी कि नए विनियमों के अधीन पूर्ण कालिक रोजगार पर लगे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्रवृत्तियाँ पाने के लिए पात्र नहीं रहे थे और एक ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो ही बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन मुद्दों का गृह मंत्रालय का भेजा गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कठिनाइयाँ दूर की जाएं। पूर्णकालिक रोजगार पर लगे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की कठिनाई के बारे में आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि पूर्णकालिक रोजगार पर लगे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ पाने से पूर्णतः वंचित करने की बजाय इन छात्रवृत्तियों का भुगतान इस बात पर निर्भर रखा जाना चाहिए कि उनके परिवार की कुल आय कितनी है और उन्हें परिवार के कितने सदस्यों का भरण-पोषण करना पड़ता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि एसे छात्रों को उसी प्रकार 'आय जांच' की जानी चाहिए जैसे बेरोजगार छात्रों की की जाती है। अन्तर केवल इतना होना चाहिए कि रोजगार पर लगे छात्रों के मामले में उनकी अपनी आय और परिवार की कुल आय साथ मिलाकर उस पर विचार किया जाना चाहिए बजाय इसके कि केवल माता-पिता/अभिभावक की ही आय पर विचार किया जाए। इस सिफारिश को आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में भी दोहराया गया था। तथापि, गृह मंत्रालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। मास पूर्णकालिक रोजगार पर लगा होने के कारण किसी छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हो सकता है उसकी आय बहुत थोड़ी हो और वह परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य हो तथा परिवार के अनेक सदस्य उस पर निर्भर हों। वास्तव में उसके परिवार की आय 'आय-जांच' के लिए निर्धारित सीमा से कम हो सकती है और हो सकता है कि

परिस्थितियों में उसे नौकरी करने के लिए विवश कर दिया हो। अतः यह दोहराया जाता है कि रोजगार पर लगे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को भी छात्रवृत्तियां पाने का पात्र बनाया जाना चाहिए और उन पर "आय-जांच" की वे सभी शर्तें लागू की जाएं जो बेरोजगार छात्रों पर लागू होती हैं, अन्तर केवल इतना होना चाहिए कि रोजगार पर लगे छात्रों के मामले में "आय जांच" के प्रयोजन के लिए उनके परिवार की कुल आय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संबंध में परिशोधित विनियमों में समुचित संशोधन किए जाने चाहिए।

छात्रवृत्तियां देने के लिए एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चों संबंधी प्रतिबन्ध को हटाना

6.34 एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो ही बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के प्रतिबन्ध के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दूसरी शिकायत की वास्तव आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि संबंधित खण्ड प्रतिगामी और तर्कविरुद्ध मालूम होता है। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि वास्तव में जिन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के दो से अधिक बच्चे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हों उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है तथा उन्हें उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक विधीय सहायता की जरूरत होती है जिन व्यक्तियों के दो अथवा दो से कम बच्चे इन कक्षाओं में अध्ययन कर रहे होते हैं। अतः उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां पाने के लिए एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चों की सीमा हटा ली जानी चाहिए और उनके सभी बच्चे पहले की भांति छात्रवृत्तियां पाने के पात्र होंगे चाहिए। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में फिर यह ध्यान दिलाया गया था कि जो स्कॉम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिए चलाई गई हो वह परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन नहीं बनाई जानी चाहिए। उसमें यह भी बताया गया था कि यह खंड अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अपने बच्चे उच्चतर शिक्षा के लिए भेजने में निश्चय ही हतोत्साहक सिद्ध होगा और इस तरह वह उद्देश्य ही विफल हो जाएगा जिसके लिए छात्रवृत्ति स्कीम चालू की गई थी। अतः उस रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया था कि एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो ही बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने संबंधी प्रतिबन्ध को विनियमों से हटा दिया जाना चाहिए तथा उनके सभी बच्चों को, यदि वे अन्यथा पात्र हों, तो छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। तथापि गृह मंत्रालय ने इन सुझावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति विनियमों से दो बच्चों का प्रतिबन्ध हटाने के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से अब भी अनेक अभिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः उपर्युक्त सुझावों को फिर दोहराया जाता है। गृह मंत्रालय को चाहिए कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें तथा एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चों को छात्रवृत्ति देने संबंधी प्रतिबन्ध को हटाने एवं उनके सभी बच्चों को यदि वे "आय जांच" की शर्तें पूरी करते हों तो, छात्रवृत्ति का पात्र बनाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए।

छात्रवृत्तियों का भुगतान करने में विलम्ब

6.35 पचास से साठ तक के दशक में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की मांग बढ़ जाने से एक केन्द्रीकृत एजेंसी, नामतः शिक्षा मंत्रालय, के माध्यम से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान करने में कुछ विलम्ब होने लगा था। सत्र के प्रारम्भ में इन छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के विचार से 1956-57 में यह निर्णय किया गया था कि सत्र के प्रारम्भ में इन छात्रों को उनके संस्थानों के अध्यक्षों के माध्यम से पहले चार सप्ताहों की छात्रवृत्तियों का भुगतान तदर्थ आधार पर कर दिया जाए। छात्रवृत्तियों के भुगतान में शीघ्रता

ताने के लिए भी 1959-60 में इस स्कीम का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में विकेंद्रीकरण किया गया था। फिर भी, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से अनेक अभिवादन लगातार प्राप्त होते रहे कि विभिन्न सरकारें छात्रवृत्तियों के भुगतान में विलम्ब कर रही हैं। इन शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ शिकायतों को दूर कर दिया गया। आयुक्त की 1961-62 की रिपोर्ट में यह सिफारिश दी गई थी कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसी कार्यविधि बनाएं कि छात्रों को छात्रवृत्तियों का शीघ्र संवितरण हो सके। यह भी सुझाव दिया गया था कि सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अनुदेश जारी किए जाने चाहिए कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से जो प्रत्यक्षतः निःशुल्कता के पात्र होते हैं, प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क न लें, तथा इन संस्थानों को यह आश्वासन दे दिया जाना चाहिए कि बाद में इन शुल्कों को उन्हें प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। सत्र के प्रारम्भ में छात्रों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के विचार से यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें पिछले वर्षों के दौरान छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों के आधार पर संबंधित शिक्षा संस्थानों के अध्यक्षों के पास पर्याप्त धनराशि रखें और उन्हें यह अनुदेश दें कि जो छात्र निर्धारित शर्तें पूरी करते हों उन्हें तत्काल छात्रवृत्तियां दे दी जाएं और उनके आवेदन पत्र आगे की संवीक्षा तथा औपचारिक मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेज दिए जाएं। आयुक्त की 1964-65 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न शिक्षा संस्थानों को तदर्थ अनुदान दिए जाने चाहिए ताकि वे पात्र छात्रों को पहले दो अथवा तीन महीनों के दौरान वृत्तिकाओं का अग्रिम भुगतान कर सकें। हाव ही उस अवधि के दौरान वृत्तिकाएं देने संबंधी अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाएं। 1973 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित सुझाव दिए थे :-

- (1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए मंजूरीदाता प्राधिकारी का जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण करना।
- (2) इस योजना का अधिक प्रचार करना ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र इन सुविधाओं और उससे संबंधित क्रिया-विधि की औपचारिकताओं के बारे में जान सकें।
- (3) शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रों को आवेदनपत्र आदि सफ्टाई करना।
- (4) तदर्थ भुगतान करने, पात्रता/पहचान पत्र जारी करने जैसे तरीके अपनाना ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय शुल्क आदि न देना पड़े।
- (5) शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पहले संस्थानों के अध्यक्षों के पास समुचित धनराशि रख देना।
- (6) नवीकरण के मामलों में जाति प्रमाण-पत्र मांगने की प्रथा बन्द करना और इन नवीकरण के मामलों में छात्रवृत्तियों का नवीकरण संस्थानों के अध्यक्षों द्वारा कर दिया जाना।
- (7) आहरण प्राधिकारी द्वारा पूरे शैक्षिक सत्र की नियमित छात्रवृत्ति राशि को एक ही किस्त में निकलवाना और उसका संवितरण करना, उसमें से छात्रों को छात्रवृत्तियों का मासिक भुगतान संस्थानों के अध्यक्षों द्वारा किया जाना।
- (8) छात्रवृत्तियां शीघ्रता से दिए जाने के लिए इस स्कीम के प्रशासन में सुधार जाना।
- (9) आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन के भीतर छात्रवृत्तियां दे देना।

6.36 गृह मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दाओं के संबंध में सभी राज्य सरकारों पर फिर से जोर डाला कि यदि ये पहले ही कार्यान्वित नहीं किए गए हों तो इन्हें कार्यान्वित करने में शीघ्रता की जाए। अन्य बातों के साथ साथ जो दो अतिरिक्त सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं :—

- (i) मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों को चाहिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को 'हकदारी कार्ड' जारी करें जिसके आधार पर वे छात्र ट्यूशन फीस और दूसरी अनिवार्य फीस का पूर्व भुगतान किए बिना ही कालेजों में दाखिला ले सकें। इस रकम को नियमित छात्रवृत्ति की रकम के प्रति समायोजित किया जा सकता है।
- (ii) किसी वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत किया जाना चाहिए जो इन छात्रवृत्तियों के वितरण से संबंधित संपूर्ण कार्य की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा। इसका समुचित रूप से प्रचार किया जाय ताकि यदि किसी उम्मीदवार को विलम्ब संबंधी कोई शिकायत हो तो उसके बारे में राज्य अथवा केंद्रीय सरकार को लिखने के बजाय सीधे ही उक्त अधिकारी को लिख सकें। इस अधिकारी को इस तरह की शिकायतों पर गौर करना चाहिए तथा जहाँ कहीं विलम्ब हुआ हो उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और इनके निवारण के लिए शीघ्र और उचित कदम उठाने चाहिए।

6.37 भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उपयुक्त उपाय करने के बावजूद इस संगठन को छात्रवृत्तियों के देरी से भुगतान होने के बारे में शिकायतें बराबर मिलती रही हैं। 1971-73 की अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

- (1) जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अभी तक शैक्षिक सत्रों के प्रारम्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को तदर्थ अनुदान देने की प्रणाली शुरू नहीं की हो उन्हें चाहिए कि वे इसे यथाशीघ्र लागू करें।
- (2) राज्य सरकारों द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने चाहिए कि पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों को शैक्षिक-सत्र के आरम्भ में छात्रावास के किसी खर्च का भुगतान करने के लिए न कहा जाए और इस रकम को उनकी छात्रवृत्तियों में से तब काट लिया जाए जब वे उन्हें मिलें।
- (3) जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अभी तक 'हकदारी कार्ड' प्रणाली लागू नहीं की है उन्हें इसे शीघ्र लागू करना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
- (4) यह बांछनीय है कि शैक्षिक-सत्र शुरू होने के तुरन्त बाद शैक्षिक संस्थान उन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का पता लगाएं जहाँ के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र रहने वाले हों और इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवेदन फार्म देने के लिए ये संस्थान संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उक्त आवेदन फार्म भंगाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें ताकि आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब न होने पाए।
- (5) शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि सभी संबंधित कालेजों को पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र भेज दिए गए हैं।

आयुक्त की 1975-77 तथा 1977-78 की रिपोर्टों में इस बात को दोहराया गया था कि छात्रवृत्ति के संवितरण में विलंब से बचने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त सुझावों पर यदि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की हो तो उन्हें इस संबंध में यथाशीघ्र कदम उठाने चाहिए। वैसे, यह देखने में आया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियों के भुगतान में देरी होने के बारे में भी अभी भी उनसे शिकायतें मिल रही हैं। अतः यह बात फिर से दोहराई जाती है कि जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की हो तो उन्हें इस बारे में यथा-शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का जातिवार वितरण

6.38 पिछली रिपोर्टों में पहले ही उल्लिखित कुछ अध्यायनों के आधार पर यह देखने में आया है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न जातियों को बराबर नहीं मिलता। कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग जो आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छे हैं उन्होंने इस स्कीम का अनुपात से काफी अधिक लाभ उठाया है जबकि इनकी तुलना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को इसका नगण्य लाभ मिला है। इसलिए आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी और उसे 1977-78 की रिपोर्ट में दोहराया गया था कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े समुदायों की पहचान करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए और विशेष पढ़ाई की कक्षाओं का आयोजन, मैट्रिक पूर्व वृत्तिकार्यों की दरों में वृद्धि, किताबें, गणवेश, दोपहर का भोजन निःशुल्क देने जैसे विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके साथ ही ऐसे छात्रों के लिए आश्रम स्कूलों की तरह के विशेष आवासीय स्कूल खोले जाएं ताकि इन जातियों के छात्र शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर तक पहुंच सकें और इस प्रकार वे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ उठा सकें। राज्य सरकारों ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की इस बारे में जानकारी नहीं है। अतः यह दोहराया जाता है कि इस बारे में कार्रवाई शीघ्र की जाय ताकि इस स्कीम का लाभ सही मायने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन सुपात्र लोगों को मिल सके जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों।

शुष्क शीचालयों की सफाई तथा चमड़ा उतारने का काम करनेवाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.39 1977-78 के शैक्षिक सत्र से भारत सरकार ने शुष्क शीचालयों की सफाई करने, चमड़ा उतारने आदि जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे गैर-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के बच्चों को ही अनन्य रूप से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की। जो व्यक्ति झाड़ूकश के रूप में काम करते हैं, शुष्क शीचालयों की सफाई का काम नहीं, उनके बच्चे इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। किसी एक वर्ष में दी जाने वाली ऐसी छात्रवृत्तियों की संख्या 500 तक सीमित है। इस स्कीम का खर्च भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के लिए दी गई रकम में से पूरा किया जाता है। छात्रवृत्ति की दर, आयु जांच तथा इन छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित अन्य शर्तें वही हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के

लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की वर्तमान स्कीम में निर्धारित की गई है। छात्रों का चयन प्राप्त आवेदन-पत्रों में से गुण-योग्यता के आधार पर किया जाता है। अब तक कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि इस स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या काफी नहीं है और इस संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी पात्र छात्रों को इसका लाभ मिल सके, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में मिलता है। इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए इस सिफारिश को दोहराया जाता है।

इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक

6.40 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र आमतौर पर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के होते हैं व मेडिकल और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों की सभी कीमती पुस्तकों को नहीं खरीद सकते। अतः उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1978-79 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेडिकल और इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों की पुस्तकों के सैट उधार देने के लिए देश के विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरी कालेजों में पुस्तक-बैंक खोलने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की। छठी योजना अवधि के दौरान (1978-83) में इस योजना के अधीन 10 करोड़ रुपये की राशि खर्ची गई है। 1978-79 वर्ष के लिए 50 लाख रुपये का परिचय रखा गया जिसमें से उसी वर्ष विभिन्न राज्यों को 48.89 लाख रुपये की रकम वमशः 23.01 लाख रुपये तथा 25.68 लाख रुपये की दो किस्तों में दी गई थी। दी गई राशि मेडिकल और इंजीनियरी संस्थानों की संख्या, किताबों के सेटों की संख्या तथा पुस्तकों की कीमत का राज्यवार त्रयी पर परिशिष्ट 49 में देखा जा सकता है।

6.41 वर्ष 1979-80 में इन पुस्तक बैंकों के लिए 20 लाख रुपये दिए जाने की आशा थी ताकि इन संस्थानों में इन जातियों के छात्रों के दाखिले की संख्या में वृद्धि हो जाने और पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन बनाने के परिणामस्वरूप पाठ्यपुस्तकें बढ़ाने की लागत को पूरा किया जा सके।

6.42 उच्च शक्ति प्राप्त समिति की हाल में हुई बैठक में यह कहा गया कि पुस्तक बैंकों की सुविधा अन्य विषयों के लिए भी दी जानी चाहिए। इस सुझाव के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने वर्ष 1979-80 के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है जिससे इस स्कीम के अधीन कुल आवश्यकता बढ़कर अस्थायी तौर पर 30 लाख रुपये हो जाएगी। पुस्तक बैंक की सुविधा को अन्य विषयों के लिए भी देने के बारे में मंत्रालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में पुस्तक बैंक शुरू करने के बारे में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत है। यह सिफारिश की जाती है कि इस स्कीम का विस्तार किया जाय ताकि सभी डिग्री कालेज इसके अन्तर्गत लाए जा सकें और विज्ञान/वाणिज्य तथा कला के डिग्री कोर्स की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सुपात्र छात्र भी पुस्तक बैंकों की सुविधा का लाभ उठा सकें।

मैट्रिक पूर्व वृत्तिकारण

6.43 लगभग सभी राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकपूर्व वृत्तिकारण दी जाती है। लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन छात्रों को शिक्षा-शुल्क से भी छूट प्राप्त है। फिर भी इन वृत्तिकारणों की दरें तथा उन्हें देने के लिए आय-जांच हर राज्य

में भिन्न भिन्न हैं। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों जैसा न होकर, मैट्रिकपूर्व वृत्तिकारणों की संख्या धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सीमित है। फिर भी कुछ राज्य सरकारें जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, और राजस्थान यह दावा करती हैं कि ये वृत्तिकारण अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी पात्र छात्रों को दी जाती हैं। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अन्य सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जहां मैट्रिकपूर्व वृत्तिकारणों तथा पुस्तक अनुदान, गणवेश, मध्याह्न भोजन आदि अन्य प्रोत्साहनों की कोई स्कीमें नहीं हैं, अपने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने की यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना नहीं है। इसलिए उपर्युक्त सिफारिश दोहराई जाती है।

6.44 यह पाया गया है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ अधिकतर उन क्षेत्रों को जाता है जहां प्रारंभिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का आधार काफी ठोस है। वे राज्य जहां नीचे की कक्षाओं में दाखिला कम होता है, इस उदार योजना का लाभ नहीं उठा पाते। प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा का आधार मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि छात्रवृत्तियां, वृत्तिकारण, होस्टल सुविधाएं, पुस्तकें, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन, गणवेश आदि पर्याप्त मात्रा में दिए जाएं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकारण आदि सभी को नहीं दे रहे हैं, अपने बजट में इन स्कीमों के लिए उदार रूप से प्रावधान करके, शीघ्र ऐसा करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिक-पूर्व स्तर के अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी पात्र छात्रों को वृत्तिकारण मंजूर की जाएं तथा इन वृत्तिकारणों की संख्या धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सीमित नहीं रखी जानी चाहिए।

उन व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां देना जो शुष्क शीचालयों की सफाई तथा चमड़ा उतारने और कमाने के अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए हैं

6.45 शुष्क शीचालयों की सफाई, चमड़ा उतारने और कमाने जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को उनके धर्म का लिहाज किए बिना मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1977-78 से शुरू की गई थी। यह स्कीम 1978-79 में जारी रही। इस स्कीम के अन्तर्गत छात्रावास की सुविधाओं वाले संस्थानों में छठी से दसवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले उन बच्चों को, जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक न हो, प्रत्येक वर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। किसी परिवार का अधिक से अधिक एक बच्चा छात्रवृत्ति पाने का पात्र होगा। यह स्कीम राज्य सरकारों द्वारा कुछ विख्यात स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से लागू की जाती है। अगर आवेदकों की संख्या छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक होती है तो निर्धन व प्रशंसनीय छात्रों को तरजीह दी जाती है। छात्रवृत्ति की दर 100 रुपये प्रतिमाह है जो शिक्षा शुल्क, भोजन व आवास तथा पुस्तकों के खर्च और संस्थान के अन्य प्रसारों के लिए है तथा इसके अतिरिक्त 45 रुपये प्रतिमाह गणवेश, कपड़ों, तौलियों, प्रसाधन आदि के खर्चों के लिए दिए जाते हैं। आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि जिन वर्गों के लिए ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनके सभी बच्चों को इनके अन्तर्गत लाने के लिए इन छात्रवृत्तियों की संख्या कम है अतः इन वर्गों के और अधिक बच्चों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए। उक्त सिफारिश पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। इसलिए इसे दोहराया जाता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अनधिसूचित खानाबदोश व अर्ध खानाबदोश कबीलों को राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां

6.46 जिन वर्षों में भारत में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनमें विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन व अनुसंधान के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनधिसूचित, खानाबदोश/अर्ध खानाबदोश कबीलों और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां देने की स्कीम भारत सरकार ने 1954-55 में शुरू की थी। इंजीनियरी तकनोलॉजी, आयुर्विज्ञान, कृषि और विज्ञान के छात्रों को तरजीह दी जाती थी।

6.47 प्रारंभ में इन छात्रवृत्तियों की संख्या 6 थी जिनमें से दो अनुसूचित जातियों, दो अनुसूचित जनजातियों व दो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए थी। वर्ष 1955-56 से इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई (प्रत्येक वर्ग के छात्रों के लिए चार)।

6.48 यह पाया गया था कि इन छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत कम थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से योग्य अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने 1961-62 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि चूंकि इन समुदायों के अच्छे योग्य छात्र विदेश में उच्च अध्ययन के लिए उपयुक्त संख्या में आ रहे हैं, ऐसे अध्ययनों के लिए उन्हें उत्साहित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि इनकी संख्या में प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे वृद्धि की जाय। यह सिफारिश आयुक्त की 1964-65 तथा 1970-71 की रिपोर्टों में भी दोहराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन छात्रवृत्तियों की संख्या 1972-73 में बढ़ाकर 21 कर दी गई (अनुसूचित जातियों-11, अनुसूचित जनजातियों-6, अनधिसूचित खानाबदोश-और अर्ध खानाबदोश कबीलों 1, अन्य पिछड़े वर्ग-3)। वर्ष 1977-78 में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक स्थान अनुसूचित जाति कोटे में से, उस नव-बौद्ध के लिए आरक्षित किया जाएगा जो पहले अनुसूचित जाति का रहा था। अगर कोई उपयुक्त नव-बौद्ध उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता तो इस प्रकार आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति कोटे में रह जाता है।

6.49 उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1976-78 के लिए पिछले वर्षों के कुछ वक़्ता सहित 49 छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जातियों-21, अनुसूचित जनजातियों-16, नव-बौद्ध-2, अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश कबीलों-4, आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग-6) के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास 451 आवेदन (अनुसूचित जातियों से 221, अनुसूचित जनजातियों से 60, अनधिसूचित, खानाबदोश व अर्ध-खानाबदोश कबीलों से 12 तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों से 158) प्राप्त हुए थे। इनमें से 24 अनुसूचित जातियों, 11 अनुसूचित जनजातियों, 4 अनधिसूचित खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश कबीलों को छात्रवृत्तियां दी गईं, अनुसूचित जनजातियों की 4 छात्रवृत्तियां फिर आगे के लिए रख दी गईं। वर्ष 1978-79 के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या 25 थी जिसमें अनुसूचित जनजातियों की पिछले वर्ष की 4 छात्रवृत्तियां भी शामिल थी। इनमें से 10 अनुसूचित जातियों, 1 नव-बौद्ध, 10 अनुसूचित जनजातियों, 3 आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों और 1 अनधिसूचित खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश के कबीलों के लिए थी। गृह मंत्रालय द्वारा इनके लिए मार्च, 1979 में आवेदन पत्र मंगवाए गए थे। 1978-79 के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

6.50 यह पाया गया था कि पिछले कुछ वर्षों से कुछेक समुद्रपार छात्रवृत्तियां काम में लाने से रह जाती थी यद्यपि पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से काफी अधिक होती थी। इस-

लिए आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि अगर योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध हों तो सभी उपलब्ध छात्रवृत्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार से चयन के निर्धारित स्तर शिथिल करने की वांछनीयता पर विचार करने का अनुरोध किया गया था ताकि कोई स्थान उपयोग में लाए जाने से बचा न रह जाए। उत्तर में गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि कुछेक छात्रवृत्तियों को उपयोग में न लाए जा सकने का कारण यह था कि अपेक्षित स्तर की अर्हता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय का यह भी विचार था कि छात्रवृत्तियां देने के लिए स्तर को कम करना वांछनीय नहीं होगा चूंकि विदेशों के शैक्षिक संस्थानों में शिथिल किए गए स्तर के छात्रों को दाखिला दिलाना असम्भव होगा। इसलिए आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि इस स्कीम का व्यापक प्रचार करने जैसे उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए ताकि सभी छात्रवृत्तियों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुपात्र उम्मीदवारों द्वारा उपयोग कर लिया जाय। चूंकि 1976-78 को कुछ छात्रवृत्तियां अभी भी उपयोग में लाने से बची पड़ी हैं, अतः उक्त सिफारिश दोहराई जाती है। जब तक अधिक व्यापक प्रचार द्वारा पात्र उम्मीदवारों को अधिक संख्या में आकर्षित करके सभी छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश

6.51 सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्व-विद्यालयों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिए इनमें से 15 प्रतिशत आरक्षण स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों के लिए व 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए होना चाहिए। इस आरक्षण में परस्पर-अदल-बदल हो सकती है, अर्थात् अगर आरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो ये स्थान अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरे जा सकते हैं तथा ऐसा ही इसके विपरीत किया जा सकता है। जहां प्रवेश न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों तक सीमित रखे जाते हैं, न कि किसी परीक्षा के पास करने तक ही, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत कम अंक करने की सिफारिश की गई थी वरतें कि इस प्रकार निर्धारित कम प्रतिशतता अर्हकारी परीक्षा पास करने के लिए रखे गए न्यूनतम अंकों से कम न हो जाए।

मेडीकल कालिज

स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

6.52 अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और विश्व-विद्यालय देश के विभिन्न मेडीकल कालिजों में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए उक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वास्तव में आरक्षित की गई सीटों की प्रतिशतता राज्य-राज्य में अलग-अलग है। फिर भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्ण मामला है जिसमें आयुक्त की वर्ष 1973-74 और 1975-77 की पिछली रिपोर्टों में बार-बार सिफारिश करने के बावजूद भी उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई भी स्थान आरक्षित करना स्वीकार नहीं किया है। विश्वविद्यालय का रवैया बेचैनी पैदा करने वाला है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवारों के लिए अपने मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षित करने के लिए अलोगूद मुस्लिम विश्वविद्यालय को समझाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

6.53 कर्नाटक में कुछ निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) के भुगतान के आधार पर किए जाते हैं। राज्य सरकार ने जब यह निर्णय लिया है कि प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस बीच कर्नाटक के अधिवासी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कैपिटेशन फीस उनके लिए आरक्षित स्थानों पर निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अन्य राज्यों में जहां कुछ निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश कैपिटेशन फीस की अदायगी पर दिया जाता है, वहां की सरकारों को भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के इन कालेजों में प्रवेश मिलने पर कैपिटेशन फीस देने की इसी प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। इसलिए यह सिफारिश दोहराई जाती है।

मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का निष्पादन

6.54 यह पाया गया है कि मेडिकल कालेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिथिल किए गए स्तरों के आधार पर आरक्षित स्थानों में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में इस संगठन के एक अध्ययन दल ने, जिसमें श्री एम० एन० शर्मा, अनुसंधान अधिकारी और श्री विजय तमहाने, अध्यक्ष थे, सितम्बर, 1979 के दौरान रायपुर, मध्य प्रदेश में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों सहित सभी उम्मीदवारों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, रायपुर में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है तथा राज्य प्रिमेडिकल परीक्षा बोर्ड ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए अंशकारी अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता 35 तक घटा दी है। चूंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के बहुत कम छात्र उच्च प्रतिशतता को प्राप्त करते हैं, कई बार तो इसे 15 प्रतिशत तक भी घटा दिया गया था ताकि और अधिक आरक्षित स्थानों को भरा जा सके। अध्ययन दल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कालेज में 1964 से 1973 तक के निष्पादन के बारे में सूचना प्राप्त की जिससे पता चला कि उनका निष्पादन संतोषजनक नहीं था। इन वर्षों में दाखिल किए गए 42 अनुसूचित जाति के छात्रों में से 4 छात्रों को अंतिम परीक्षा पास करने में 4-1/2 वर्ष लगे, 6 छात्रों को 5 से 6 वर्ष, 6 छात्रों को 6 से 7 वर्ष और 7 छात्रों को परीक्षा पास करने में 7 से 8 वर्ष लगे जबकि 3 छात्र निष्कासित कर दिए गए व दो छात्रों ने अन्य कालेजों में स्थापना-तरण करा लिया। इसी प्रकार, इसी अवधि में अनुसूचित जनजाति के 23 छात्र दाखिल हुए, इनमें से केवल एक ने अपनी परीक्षा 4-1/2 वर्षों के भीतर पास कर ली, 5 छात्रों ने इसे 5 से 6 वर्षों में पास किया, 5 छात्रों ने 6 से 7 वर्ष लगाए, 3 छात्रों को 7 से 8 वर्ष लगे जबकि 2 छात्रों* ने 8-10 वर्ष लिए। 14 अनुसूचित जाति और चार अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया। इससे काफी बराबरी हुई। यह सूचना दी गई थी कि पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विशेष कोचिंग देने के बावजूद उनके निष्पादन में अधिक सुधार नहीं हुआ। इसलिए यह वांछनीय होगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को अपने निष्पादन में सुधार ला सकने के लिए उन्हें दूसरे व तीसरे वर्ष में भी विशेष कोचिंग दी जाए। राज्य सरकार का एक स्कीम

शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चुनिंदा छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनके दाखिले से पहले चुने हुए स्कूलों व कालेजों में उच्चतर माध्यमिक/बी० एम० सी० के प्रथम वर्ष में विज्ञान/गणित/जीव विज्ञान में विशेष कोचिंग दी जाएगी ताकि वे अपने शैक्षिक ज्ञान में सुधार ला सकें और साथ ही साथ मेडिकल और इंजीनियरी कालेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में वे भी भागी-भागिता मुकाबला कर सकें। राज्य सरकार को उक्त प्रस्तावित स्कीम गंभीरनीय है। आशा की जाती है कि यह स्कीम यथा शीघ्र शुरू की जाएगी ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और अधिक छात्र मेडिकल एवं इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश पा सकें। यह सिफारिश की जाती है कि इस प्रकार की स्कीम में अन्य सभी राज्य सरकारों द्वारा भी शुरू की जानी चाहिए।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

6.55 केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी 20% स्थान—15% अनुसूचित जातियों के लिए और 5% अनुसूचित जनजातियों के लिए—आरक्षित किए जाने चाहिए और इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों में 5% की ढील भी इन समुदायों के उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए। फिर भी मंत्रालय के अनुदेशों के प्रति विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं है। पूरे मामले पर पुनर्विचार करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि चिकित्सा शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा को चिकित्सा-शास्त्र के स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के समान ही माना जा सकता क्योंकि चिकित्सा शास्त्र को स्नातकोत्तर शिक्षा आयुर्विज्ञान की किसी चुनिंदा शाखा में एक विशिष्ट प्रशिक्षण है। और विशिष्टकरण चिकित्सा देवबाल, चिकित्सा शास्त्र शिक्षण और देश के अनुसंधान कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मंत्रालय का विचार था कि चिकित्सा शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए को स्थानों के आरक्षण द्वारा अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंकों में ढील देकर कम करना उचित नहीं होगा और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शिक्षण के स्तर अथवा गुणात्मकता में कमी आए विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते क्योंकि न्यूनतम स्तर में कमी केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ही की जाती है। किन्तु पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु, उन्हें जो परीक्षाएं पास करनी होती हैं उनके स्तर में कोई कमी नहीं की जाती है। इस प्रकार स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने पर इन समुदायों के छात्रों का स्तर भी वही होगा जो सामान्य छात्रों का होता है क्योंकि छात्रों के दोनों वर्गों को एक ही परीक्षा पास करनी होगी। एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के बाद इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से पहले ऐसे उम्मीदवारों को तीन से 6 महीने की विशेष शिक्षा दी जा सकती है ताकि उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के बराबर लाया जा सके। इसलिए आयुक्त की 1974-75, 1975-77 और 1977-78 की रिपोर्टों में सिफारिश की गई थी कि मंत्रालय को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए तथा उन राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को जिन्होंने अभी तक चिकित्सा शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थानों का अपेक्षित आरक्षण नहीं किया है तथा न्यूनतम स्तर में ढील नहीं दी है, जल्दी ऐसा करने के लिए समझाना चाहिए। आगे यह भी सिफारिश की गई थी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चंडीगढ़ को भी इस संबंध में ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए

* अनुसूचित जनजाति के 3 छात्रों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजि किया जाता चाहिए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-

जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी सूचना दी है जो नीचे की सारणी में दी जा रही है :-

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता | न्यूनतम अंकों में दी जाने वाली रियायत |
|-------------|---|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | दिल्ली विश्वविद्यालय | कोई आरक्षण नहीं | 5 प्रतिशत |
| 2 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | सभी के लिए 25% नामतः अ०जा०/अ०ज०जा०, ग्रामीण सेवाओं, पिछड़े क्षेत्रों और जो परिवार कल्याण कार्यक्रमों में कार्य करते हैं, के लिए | .. |
| 3 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों के लिए एम०डी०में 4 स्थान आरक्षित हैं। | .. |
| 4 | स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चण्डीपढ़ | 15 प्रतिशत अ० जा० के लिए व 5 प्रतिशत अ० ज० जा० के लिए | 5 प्रतिशत |
| 5 | पंजाब विश्वविद्यालय | 15 प्रतिशत अ०जा० के लिए व 5 प्रतिशत अ०ज०जा० के लिए | 5 प्रतिशत |
| 6 | अलीगढ़ मुस्लीम विश्वविद्यालय | कोई आरक्षण नहीं | .. |
| 7 | मराठवाडा विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज, औरंगाबाद | 13 प्रतिशत अ०जा० के लिए व 7 प्रतिशत अ०ज० जा० के लिए | दाखिले के लिए 40 प्रतिशत अंक |
| 8 | महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (रोहतक मेडिकल कालेज) | कोई आरक्षण नहीं | .. |
| 9 | पुणे विश्वविद्यालय | गेर वृत्तिका वाले कोटे में अ०जा० / अ०ज०जा० के लिए 10 स्थान आरक्षित | .. |
| 10 | श्री व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय | 14 प्रतिशत अ० जा० के लिए व 4 प्रतिशत अ० ज० जा० के लिए | 5 प्रतिशत |
| 11 | आयुर्विज्ञान संस्थान उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद | 14 प्रतिशत अ०जा० के लिए व 4 प्रतिशत अ०ज०जा० के लिए | 5 प्रतिशत |

यह प्रशंसनीय है कि उपर्युक्त विवरण में उल्लिखित कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों का अपेक्षित आरक्षण किया है। यह सिफारिश की जाती है कि अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को, जिन्होंने अभी तक चिकित्सा शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित आरक्षण नहीं किया है, तत्काल इसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अपने रूख पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा चिकित्सा शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के दाखिले में स्थानों के आरक्षण के लिए इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों को राजी कराना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को बहुत से अन्य वर्गों के साथ आरक्षण जोड़ने की वजाय, स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट रूप से स्थानों का आरक्षण करना चाहिए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

6.56 देश में 6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और वाराणसी में स्थित हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए संयुक्त रूप से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाते हैं। आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए

स्थानों के आरक्षण की प्रतिशतता 5 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए। लेकिन इस सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने इस दलील पर स्वीकार नहीं किया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत कोटे का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इन पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण 20 प्रतिशत तक बढ़ा देने से कोई लाभदायक फल प्राप्त नहीं होगा। मंत्रालय के विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए स्थानों के निर्धारित आरक्षण के विरुद्ध आमतौर पर शिक्षण संस्थानों और नियोक्ताओं द्वारा ये तर्क अक्सर दोहराए जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा वास्तव में कितने ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश मिला इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह कठुना गम्भव नहीं है कि उनके लिए आरक्षित 5% स्थानों को भी क्यों नहीं भरा जा सका। स्पष्टतया, जब केवल 5 प्रतिशत स्थान ही इन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं बहुत से तो यह सोचकर ही आवेदन नहीं करते कि उनके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या बहुत कम होने के कारण उन्हें प्रवेश मिलने के अवसर नहीं हैं। अगर आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता 20 तक बढ़ा दी जाए, जैसा कि अन्य पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित है, तो यह माना जा सकता है कि ये उम्मीदवार, जिन्होंने

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों अथवा अन्य इंजीनियरी कालेजों में स्नातक उपाधि प्राप्त की है, प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन करेंगे। और यदि उनके लिए प्रवेश का न्यूनतम स्तर भी कम कर दिया जाए तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि सभी आरक्षित स्थान क्यों नहीं भरे जा सकें। इसलिए यह दोहराया जाता है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रतिशतता 20 तक बढ़ा दी जानी चाहिए और उनके प्रवेश के लिए न्यूनतम स्तर को कम करने जैसे विभिन्न उपाय भी तत्काल किए जाने चाहिए ताकि सभी आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा वास्तव में भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

स्नातक पाठ्यक्रम

6.57 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। सन 1978 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अर्हकारी परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को सीधा प्रवेश भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा भी प्रवेश दिया जाता था जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंकों का कट-आफ मूल्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कट-आफ मूल्य के 2/3 के बराबर निर्धारित किया जाता था। इनका अर्थ यह है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जो सबसे पिछला उम्मीदवार चुना गया उसे सबसे पिछले सामान्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का केवल 66.6% ही प्राप्त करना था। 1978 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बड़े 41857 उम्मीदवारों में से केवल 1401 (अर्थात् 3.3%) उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे। पास होने वाले 1913 उम्मीदवारों में से केवल 11 (अर्थात् 0.6% भी नहीं) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे। फिर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधे प्रवेश जैसे विभिन्न प्रवेश-पूर्व शैक्षिक रियायती के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 153 उम्मीदवारों के प्रवेश का आकर दिया गया, इनमें से 132 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिल हो गए।

6.58 शैक्षिक वर्ष 1979 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का सीधा प्रवेश बन्द कर दिया गया है और उन समुदायों के उम्मीदवार का दाखिला भी केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। मालूम हुआ है कि 1979 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 246 और 82 स्थानों के प्रति अनुसूचित जातियों के केवल 88 और अनुसूचित जनजातियों के केवल 11 उम्मीदवारों का प्रवेश के लिए चयन किया गया। शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का परिणाम काफी घटिया रहा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तैयारी कराने के विचार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा 1975-76 में दिए गए एक सुझाव के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इंजीनियरी सेवाओं और प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित परीक्षाओं के लिए गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे

प्रशिक्षण केंद्रों की भांति, इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए देश के विभिन्न भागों में विशेष अनुशिक्षण (कोचिंग) केंद्र शुरू किए जाने चाहिए। इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से परामर्श किया। आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इन केंद्रों की स्थापना शीघ्रता से की जानी चाहिए। फिर भी प्रस्तावित केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए यह दोहराया जाता है कि प्रस्तावित अनुशिक्षण केंद्रों को आरम्भ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और अधिक उम्मीदवार प्रवेश पा सकें तथा इन संस्थानों में वे बलीभाति चल सकें।

केन्द्रीय विद्यालय

6.59 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मुद्दातः स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की 10+2 स्तर तक की शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रवेश के लिए प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है :—

- (1) स्थानान्तरणीय रक्षा कार्मिकों के बच्चे;
- (2) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे;
- (3) अखिल भारतीय सेवाओं/स्वायत्त निकायों/भारत सरकार और नावैजतिक उपक्रम द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित परियोजनाएं/निगमों आदि के कर्मचारियों के बच्चे जिनकी सेवाएं स्थानान्तरणीय हो;
- (4) अस्थानान्तरणीय रक्षा-कार्मिकों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे;
- (5) एक स्थान पर न रहने वाली अन्य जनता, जिनमें विधिलियन जनता भी सम्मिलित है, जो अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय की अध्ययन पद्धति से शिक्षा दिलाने के इच्छुक हों।

6.60 1972 तक इन स्कूलों में प्रवेश के लिए संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए न तो आरक्षण करता था और न ही न्यूनतम स्तर में ढील की प्रदान करता था। यह इस बिना पर किया जाता था कि ये स्कूल मुख्यतः स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। इसलिए अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के दाखिले की स्थिति काफी निराशाजनक रही। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जब तक इन समुदायों के छात्रों के लिए आरक्षण विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जाता तब तक इन स्कूलों में दाखिले सम्बन्धी इनकी निराशाजनक स्थिति निकट भविष्य में नहीं सुधर सकेगी। संगठन का यह विचार था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं किया जा सकेगा परन्तु प्रत्येक प्राथमिकता वर्ग में समान योग्यता वाले दो छात्रों में से इन समुदायों के छात्रों को तरजीह दे दी जाएगी। आयुक्त ने 1969-70 की अपनी रिपोर्ट में फिर से यह कहा कि चूंकि सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण और अंकों में ढील का प्रावधान है, केन्द्रीय विद्यालयों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए।

6.61 सन 1972 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिकता के पहले तीन वर्गों के नामतः स्थानान्तरणीय सुरक्षा कार्मिकों के बच्चे, स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, अखिल भारतीय सेवाओं स्वायत्त

निकायों आदि के उन अधिकारियों के बच्चे जिनकी सेवाएं स्थानान्तरणीय हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जा सकेगा बशर्ते कि इसके लिए रिक्रियता हो, और जहां कहीं आवश्यक होमा प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों में ढील भी दी जाएगी। चूंकि संगठन का निर्णय विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार प्रवेश-परीक्षा पास नहीं कर सके, आयुक्त की 1973-74 की रिपोर्ट में फिर से यह सिफारिश की गई कि संगठन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दाखिले के लिए न्यूनतम स्तर में ढील देने के निर्णय को कार्यान्वित करवाने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन समुदायों के और अधिक छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश पा सकें। उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्थानों का विशिष्ट रूप से आरक्षण करने के लिए सहमत न होते हुए संगठन ने यह दलील दी थी कि इस प्रकार का आरक्षण इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य नामतः स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के विपरित हो जाएगा। उनकी यह कार्रवाई तर्क संगत नहीं थी क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल उन कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे जो स्थानान्तरणीय पदों पर होने की मुख्य शर्त को पूरा करते होंगे, इसलिए संगठन की मुख्य नीति से परे हटने की कोई बात नहीं होगी। अतः यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय संगठन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और केन्द्रीय सरकार में स्थानान्तरणीय पदों पर आसीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशिष्ट प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए राजी कराए। आयुक्त द्वारा यह मामला शिक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर भी उठाया गया।

6.62 आयुक्त की उपर्युक्त सिफारिशों और पिछले कुछेक वर्षों में उसके काफी लम्बे पत्राचार के अनुसरण में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षिक वर्ष 1976-77 से प्रत्येक विद्यालय में नए दाखिलों में (अन्य केन्द्रीय विद्यालयों से स्थानान्तरणीय के मामलों के अतिरिक्त) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत व अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.50 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया। प्रत्येक विद्यालय में इस प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दाखिला देने के प्रयास इस रूप में भी किए जाएंगे कि अगर आवश्यक हुआ, तो ऐसे बच्चों को जो अर्हकारी स्तर में ढील देने के बाद भी किसी विशेष कक्षा में दाखिले के योग्य नहीं होते तो उन्हें

उनके माता पिता की मर्जी से निचली कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा। सब के प्रारम्भ में किसी केन्द्रीय विद्यालय में नए दाखिले किए गए कुल बच्चों की संख्या के अनुसार आरक्षण कोटा लागू होगा न कि प्रत्येक कक्षा में हुए नए दाखिले पर।

6.63 फिर भी, संगठन के निर्णय से यह स्पष्ट नहीं होता कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी छात्र को किसी कक्षा विशेष में दाखिले के लिए योग्यता का मूल्यांकन करने और निचली कक्षा में दाखिला देने का प्रस्ताव करने के लिए दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों में कितनी ढील दी जाएगी। इसलिए आयुक्त की 1974-75 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में पहले 10 प्रतिशत की छूट दी जाए और अगर फिर भी कुछ स्थान खाली रह जाते हैं तो जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थान वास्तव में नहीं भर लिए जाते, न्यूनतम अंकों में और छूट की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सिफारिश आयुक्त की 1975-77 और 1977-78 की रिपोर्टों में भी दोहराई गई थी। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आखिरकार अगस्त, 1978 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों को यह अनुदेश जारी किए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कोटे का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने को कहा गया :-

- (1) जहां आवश्यक हो, माता-पिता की स्थानान्तरणीयता की शर्त में छूट दे दी जाए और अनुसूचित जाति/जनजाति के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को भी प्रवेश दे दिया जाए।
- (2) अगर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा ली जाती है तो, शैक्षिक वर्ष 1979-80 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित स्तर में 5 प्रतिशत की रियायत दी जाए।

6.64 ऊपर के पैराग्राफों से यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले में आरक्षण की व्यवस्था और इत स्कूलों में दाखिले के लिए अंकों में कमी करने के सम्बंध में आयुक्त की सिफारिशें स्वीकार करने में शिक्षा मंत्रालय ने काफी समय लिया। हमारे बार-बार अनुस्मारकों के बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1977-78 में 168 विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले की* सूचना मार्च 1979 में भेजी। इत स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कुल संख्या, नए दाखिले के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उस वर्ष वास्तव में दाखिल किए गए बच्चों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :-

सारणी

| 1977-78 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या | | | 1977-78 के दौरान नए दाखिलों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | 1977-78 में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या | | | |
|---|---------|---------|--|-------|-----|--|--------|--------|---------|
| कुल | अ०जा० | अ०ज जा० | कुल | अ० | जा० | अ०ज०जा० | कुल | अ०ज० | अ०ज०जा० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1,27,800 | 5,110 | 1,159 | 39,331 | 2,211 | 447 | 19,257 | 1,625 | 359 | |
| | (3.99%) | (0.9%) | | | | | (8.4%) | (1.3%) | |

* 1977-78 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के दाखिले की रकूल वार सूचना परिशिष्ट 50 में देखी जा सकती है।

6.65 उपर्युक्त सारणी से यह दिखाई पड़ेगा कि 1977-78 में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या में केवल 3.99 और 0.9% छात्र क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे जबकि इनके लिए आरक्षण क्रमशः 15 प्रतिशत व 7.50 प्रतिशत है। इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, विशेषतः अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के दाखिले की स्थिति निराशाजनक बनी रही है। ऊपर की सारणी से यह भी देखा जा सकता है कि पिछले वर्षों के बकाया की तो बात ही छोड़ दें, वर्ष 1977-78 के दौरान भी इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 8.4% तथा अनुसूचित जनजाति के 1.3% छात्रों का दाखिला हुआ। इस गति से इन विद्यालयों

में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले की निर्धारित प्रतिशतता को प्राप्त करने में और बहुत से वर्ष लगेगे यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के दाखिले के लिए निर्धारित स्तरों में ढील देने के सम्बन्ध में जो अनुदेश अगस्त 1978 में जारी किए गए और जिन्हें शैक्षिक वर्ष 1979-80 से लागू किया गया, उनका सभी केन्द्रीय विद्यालय अनुपालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन वर्गों के लिए आरक्षित सभी स्थान उनके द्वारा भर लिए जाएं। संगठन को भी इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का ये सभी विद्यालय अनुपालन कर रहे हैं।

अध्याय 7

अस्पृश्यता

7.1 अस्पृश्यता जाति प्रथा का सीधा परिणाम है और यह हमारे देश में लंबे अरसे से व्याप्त है। कई समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं ने या तो नए धर्म सम्प्रदाय का प्रचार करके अथवा अपने अनुयायियों को 'ऊँच' और 'नीच' के द्वेष से मुक्त जीवन व्यतीत करने का आचरण निर्धारित करके इस सामाजिक कुराई को दूर करने का प्रयास किया लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहा। इस देश में इस्लाम और ईसाई धर्म के फैलने के सहायक कारणों में से एक कारण यह था कि उन धर्मों के सिद्धांतों से धर्म परिवर्तन करने वालों को आकर्षक सामाजिक समानता का आश्वासन मिलता था। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के कई भागों से तथा कथित दलित वर्गों से इन धर्मों को स्वीकार कर लेने वालों के प्रति भेदभाव बरते जाने की सूचना मिलती रहती है जो जाति प्रथा के व्यापक प्रभाव का सूचक है।

7.2 स्वतन्त्रता से पूर्व भी कई प्रान्तों तथा देशी राज्यों ने सामाजिक असमर्थताओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए थे। देश के कई भागों में सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिये किये गये सामाजिक आन्दोलनों को बहुत बल मिला। जिन दिनों महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिये संघर्ष चालू किया उन दिनों भी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करना प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक था और राष्ट्रपति ने हमेशा इस विषय की महत्ता पर जोर दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति पर सामाजिक असमर्थताएं दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा 27 अधिनियम बनाये गए और कुछ राज्यों ने हिन्दुओं के सभी वर्गों को मंदिरों में जाने के प्राधिकार देने संबंधी कानून पारित किए।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

7.3 26 जनवरी, 1950 से लागू हुए संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था तथा इसका किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है। अस्पृश्यता का व्यवहार करने वालों के लिये दंड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के पांच वर्ष बाद 8 मई, 1955 से लागू हुआ। इस अधिनियम के एक दशक के कार्याचालन से पता चलता है कि इससे उस उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता

नहीं मिली जिनके लिये इसे बनाया गया था। अपराधों के उपशमन के उपबंध होने के कारण, अभियोजन में देरी होने तथा अपराधियों को मामूली दंड दिए जाने से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाए। साथ ही साथ अस्पृश्यता से संबंधित कई ऐसे क्षेत्र तथा प्रथाएं हैं जो अधिनियम की परिधि से बाहर हैं तथा कई धार्मिक नेता शास्त्रों के आधार पर अस्पृश्यता को औचित्यपूर्ण ठहरा सकते हैं और इस पर वे दंडित नहीं होंगे।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

7.4 भारत सरकार ने अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास संबंधी एक समिति अप्रैल 1965 में नियुक्त की तथा जनवरी 1969 में समिति द्वारा कि गई सिफारिशों की जांच करके तथा राज्य सरकारों के परामर्श से सन् 1972 में अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन एवं विविध उपबंध नामक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया। संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक में अनेक परिवर्तन किए और इनका नाम बदल कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जो 19 नवम्बर, 1976 से लागू हुआ।

अस्पृश्यता का व्यापक प्रचलन हरिजन सेवक संघ द्वारा किए गए सर्वेक्षण का परिणाम

7.5 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू हुये अब तीन साल से अधिक समय हो गया है। इसमें अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों के लिए वर्धित तथा कठोर दंड की व्यवस्था है। अप्रैल 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि 5 वर्ष की अवधि में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन देश के देहाती तथा पिछड़े इलाकों में इस प्रथा के प्रचलन से इन आशाओं पर पानी फिर गया है। देश के 12 राज्यों में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ ने एक अखिल सर्वेक्षण करके इस विचार का समर्थन किया है। संघ के कार्यकर्ताओं ने 25 जिलों के 26 ब्लकों में 1,155 गांवों का सर्वेक्षण किया था। संघ द्वारा यह सर्वेक्षण, अस्पृश्यता दूर करने के लिए एक महान क्षेत्र स्कीम चलाने से पहले शुरू किया गया था। निम्नलिखित सारणी में, नमूने में शामिल किए गए कुछ गांवों के अनुसूचित जातियों द्वारा अभी भी अनुभव की जा रही असमर्थताओं को दर्शाया गया है :-

गांवों में हरिजनों द्वारा अब भी अनुभव की जा रही सामाजिक असमर्थताओं का सर्वेक्षण

| क्रम सं० | राज्य | ब्लॉक (जिला) | सर्वेक्षण किये गये गांवों की संख्या | उन गांवों की संख्या जहां हरिजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते | | | | |
|----------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | कुएं | मंदिर | हॉटल तथा रेस्तरां | नाई की दुकानें | धाबियों की दुकानें |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | नंदीगाम (जिला कृष्णा) | 20 | 2 | 2 | .. | कोई दुकान नहीं। | 20 |
| | | तिरवूर (जिला कृष्णा) | 20 | 1 | .. | .. | कोई दुकान नहीं। | 20 |
| | | अनन्तपुर (जिला अनन्तपुर) | 20 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 |
| 2. | गुजरात | चनसमा (जिला महसाना) | 50 | 47 | 42 | 47 | 44 | 42 |
| | | जमखमवालिया (जिला जामनगर) | 50 | 2 | 47 | 39 | 46 | 48 |
| | | लखतार (जिला सुरेन्द्रनगर) | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 |

| (1) | (2) | 3 | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3 | हिमाचल प्रदेश | शिल्ली (जिला सिरमौर) | 51 | .. | 49 | 51 | कोई दुकान नहीं। | कोई दुकान नहीं। |
| 4 | कर्नाटक | गुलबर्ग (जिला गुलबर्ग) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | मलकई (जिला बीदर) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| 5 | केरल | कसरगोड (जिला कन्नूर) | 68 | .. | 68 | .. | एन०एफ० | एन० एफ० |
| 6 | महाराष्ट्र | शिवगांव (जिला अहमदनगर) | 19 | 4 | 1 | 4 | .. | 17 |
| | | वरुड (जिला अमरावती) | 50 | 25 | 25 | .. | .. | .. |
| 7 | मध्य प्रदेश | बड़ा मल्हार (जिला छतरपुर) | 95 | 50 | 50 | एन०एफ० | 50 | 95 |
| | | डोंगरगढ़ (जिला राजनंदगांव) | 50 | 20 | 16 | तदैव | 50 | 50 |
| | | तराना (जिला उज्जैन) | 54 | 22 | 29 | 2 | 27 | एन०एफ० |
| 8 | उड़ीसा | खरली कोट (जिला गंजम) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| 9 | हरियाणा | समालखा (जिला करनाल) | 44 | 7 | 23 | .. | .. | .. |
| 10 | राजस्थान | लाड़नू (जिला चूरू) | 35 | 21 | 25 | एन०एफ० | .. | .. |
| | | बयाना (जिला भरतपुर) | 40 | 40 | 38 | .. | .. | .. |
| 11 | तमिलनाडु | तिरुक्कवारू (जिला तंजोर) | 41 | 8 | 29 | 13 | एन०एफ० | एन०एफ० |
| | | मदुरै पूर्व (जिला मदुरै) | 72 | 72 | 72 | .. | 50 | 72 |
| | | पुलमबड़ी (जिला तिरुचि) | 35 | 35 | 35 | 23 | एन०एफ० | एन०एफ० |
| 12 | उत्तर प्रदेश | अशोथर (जिला फतेहपुर) | 52 | 50 | 49 | 50 | .. | .. |
| | | काकोरी (जिला लखनऊ) | 50 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 33 | .. | 25 |
| | | मऊ (जिला बांदा) | 38 | 5 | 38 | एन०एफ० | एन०एफ० | 38 |
| | | शेरपुर (जिला गाजीपुर) | 30 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 30 | .. | .. |
| योग | | | 1155 | 613 | 821 | 496 | 473 | 603 |

ऊपर की सारणी से पता चलेगा कि उपर्युक्त 12 राज्यों के नमूनों में शामिल देहाती क्षेत्र के गांवों में अस्पृश्यता अब भी विभिन्न रूप में प्रचलित है। इस अध्ययन से सामने आने वाली प्रमुख बातें नीचे दी जा रही हैं :-

(1) आन्ध्र प्रदेश

तीन ब्लाकों में सर्वेक्षण किए गए कुल 60 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये क्रमशः 17, 16 और 14 गांवों में कुएं, मंदिर और होटल खुले नहीं थे। 48 और 18 गांवों में इन लोगों को क्रमशः घोबी और नाई की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। अन्नतपुर जिला में अन्नतपुर ब्लाक के गांवों के सर्वेक्षण से यह देखा गया कि इस ब्लाक में अस्पृश्यता अन्य दो ब्लाकों की तुलना में अधिक प्रचलित थी। नन्दीगाम और अन्नतपुर ब्लाक के प्रत्येक चूने गांवों में अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवार 87 प्रतिशत और तिरवूर ब्लाक में 79 प्रतिशत थे। कृष्णा जिला के नन्दीगांव और तिरवूर ब्लाकों के 20 सर्वेक्षित गांवों में घोबी अनुसूचित जातियों के कपड़े नहीं धोते।

(2) गुजरात

सर्वेक्षण किये गये तीन ब्लाकों के कुल 141 गांवों में क्रमशः 89, 130 और 126 गांवों में अनुसूचित जातियों के लोग क्रमशः कुआँ

पर तथा मंदिरों और होटलों में नहीं जा सकते थे। 130 गांवों में इन लोगों को नाई तथा घोबी की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। यह देखा गया कि इन तीनों ब्लाकों में अस्पृश्यता की प्रथा काफी प्रचलित थी जबकि पंचायत की अस्पृश्यता समाप्त करने के कार्यक्रम में शामिल किया गया था। भूमिहीन अनुसूचित जातियों के परिवारों की प्रतिशतता में हसना जिला के चनसमा ब्लाक में 14, जामनगर जिला के जमखम्बालिया ब्लाक में 16 तथा सुरेन्द्र नगर जिलों के लखतार ब्लाक में 68 थी।

(3) हिमाचल प्रदेश

सिरमौर जिला के सर्वेक्षण किये गये शिल्ली ब्लाक के कुल 51 गांवों में 49 और 51 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये क्रमशः मंदिर और होटल खुले नहीं थे। यह देखा गया कि वहां अस्पृश्यता की प्रथा काफी प्रचलित थी तथा पंचायत की बैठकों में अन्य पंच अनुसूचित जाति के पंचों से सलाह-मशविरा नहीं करते थे। सर्वेक्षण किये गये गांवों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत नदियां और झरने होने के कारण पीने के पानी के स्रोतों पर पहुंच पाने का प्रश्न नहीं उठता। सर्वेक्षण किये गये गांवों में नाई तथा घोबी की कोई दुकान नहीं थी। बंधुवा मजदूर काफी थे लेकिन उनकी कमजोर आर्थिक हालत के कारण वे अपनी मुक्ति के लिय आगे नहीं आते।

(4) कर्नाटक

सर्वेक्षण किए गए दो ब्लॉकों के सभी 100 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं, मंदिर तथा होटल खुले नहीं थे और 99 गांवों में उनकी नाई तथा धोबी की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। दो ब्लॉकों के नमूने वाले गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा काफी प्रचलित पाई गई। गुलबर्ग जिले में गुलबर्ग ब्लॉक के सर्वेक्षित 14 गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता तथा अस्पृश्यता समाप्त करने में सार्वजनिक तथा निजी संगठनों एवं व्यक्तियों का बहुत कम सहयोग था। जिला गुलबर्ग के गुलबर्ग ब्लॉक तथा बीदर जिले के मलकई ब्लॉक के सर्वेक्षण किये गये 50 गांवों में भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवार इन ब्लॉकों में सर्वेक्षण किये गये कुल अनुसूचित जाति के परिवारों के क्रमशः 64 और 48 प्रतिशत थे।

(5) केरल

कन्नूर जिला में कसरगोड ब्लॉक के सर्वेक्षण किए गए कुल 60 गांवों में नमूने के सभी गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये मंदिर खुले नहीं थे। यह अस्पृश्यता की प्रथा की विशालता का सूचक है। भूमिहीन अनुसूचित जातियां कुल अनुसूचित जातियों की 10 प्रतिशत थीं।

(6) महाराष्ट्र

दो ब्लॉकों में सर्वेक्षण किये गये कुल 69 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं, मंदिर और होटल क्रमशः 29, 26 और 4 गांवों में खुले नहीं थे। अहमदनगर जिला में शिवगांव ब्लॉक के 17 गांवों में इन लोगों को धोबी की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। यह देखा गया कि अनुसूचित जाति के पंचों को पंचायत की बैठकों में बराबरी का दर्जा प्राप्त था, अहमदनगर जिले के शिवगांव ब्लॉक तथा अमरावती जिले के वरुड ब्लॉक में सर्वेक्षण किये गये गांवों में भूमिहीन अनुसूचित जातियों के परिवारों की प्रतिशतता क्रमशः 57 और 55 थी।

(7) मध्य प्रदेश

सर्वेक्षण किये गए कुल 199 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये क्रमशः 92 और 95 गांवों में कुएं और मंदिर खुले नहीं थे। क्रमशः 145 और 127 गांवों में उन्हें नाई और धोबी की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। तीनों ब्लॉकों में अस्पृश्यता की प्रथा काफी प्रचलित पाई गई। सर्वेक्षण किये गये राजनन्दगांव जिला के डोंगरगढ़ ब्लॉक के 50 गांवों, छतरपुर जिला के वड़ा मल्हार ब्लॉक के 30 गांवों तथा उज्जैन जिला के तराना ब्लॉक के 3 गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। वड़ा मल्हार ब्लॉक, डोंगरगढ़ ब्लॉक तथा तराना ब्लॉक में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशतता क्रमशः 72, 17 और 20 थी।

(8) उड़ीसा

गंजम जिला में खल्लिकोट ब्लॉक के सर्वेक्षण किये गये सभी 50 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं, मंदिर तथा होटल खुले नहीं थे। 49 गांवों में उन लोगों को धोबी तथा नाई की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। नमूने वाले गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान पाई गई। आंकड़े इस बात के सूचक थे कि अस्पृश्यता को समाप्त करने में जन सहयोग नहीं मिल रहा था जबकि यह सूचना मिली कि पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा मिलता है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह था कि भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवार 85 प्रतिशत थे।

(9) हरियाणा

सर्वेक्षण किये गये एक ब्लॉक के कुल 44 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये क्रमशः 7 और 23 गांवों में कुएं एवं मंदिर खुले नहीं थे। करनाल जिला के समालखा ब्लॉक के नमूने वाले गांवों में किसी अन्य प्रकार की सामाजिक असमर्थता नहीं पाई गई। यह भी सूचना मिली कि अनुसूचित जाति के पंचों को पंचायत की बैठकों में बराबरी का दर्जा प्राप्त था।

(10) राजस्थान

सर्वेक्षण किये गये दो ब्लॉकों के कुल 75 गांवों में क्रमशः 61 और 63 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं और मंदिर खुले नहीं थे। चुरू जिला के सर्वेक्षण किये लाडनू ब्लॉक के गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को पंचायत की बैठकों में बराबरी का दर्जा प्राप्त था जबकि भरतपुर जिला के दयाला ब्लॉक में सर्वेक्षण किये गये गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा का प्रचलन लाडनू ब्लॉक की तुलना में काफी उग्र है जहां गांव के लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धोड़े पर सवार नहीं होने देते।

(11) तमिलनाडु

यह देखा गया कि तीन ब्लॉकों के नमूने वाले सभी गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा व्यापक है। सर्वेक्षण किये गये तीन ब्लॉकों के सभी 148 गांवों में क्रमशः 115, 136 तथा 36 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कुएं, मंदिर तथा होटल खुले नहीं थे। अस्पृश्यता की प्रथा दो अन्य ब्लॉकों की तुलना में मदुरै जिला के मदुरै पूर्व ब्लॉक में काफी गहन थी। मदुरै पूर्व ब्लॉक में सर्वेक्षण किये गये सभी 72 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं और मंदिर खुले नहीं थे तथा उन्हें क्रमशः 72 और 50 गांवों में धोबी तथा नाई की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। सभी 72 गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा भी प्राप्त नहीं था जबकि तंजौर जिला के तिस्वयारु ब्लॉक में सर्वेक्षण किये गये 41 गांवों में केवल 13 गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था। तिरुचि जिला के पुलमवाड़ी ब्लॉक में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। नमूने के गांवों में भूमिहीन अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता काफी ऊंची थी। तिस्वयारु, मदुरै पूर्व तथा पुलमवाड़ी ब्लॉकों में यह प्रतिशतता क्रमशः 91, 98 और 64 थी।

(12) उत्तर प्रदेश

सर्वेक्षण किये गये चार ब्लॉकों के कुल 170 गांवों में अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः 55, 87 और 113 गांवों में कुएं, मंदिर तथा होटल खुले नहीं थे। 63 गांवों में अनुसूचित जातियों को धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। सभी ब्लॉकों के सर्वेक्षण किये गये गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा व्यापक थी यद्यपि सांख्यिकीय आंकड़े सथापित मात्रा में एकत्रित नहीं किए गए थे। सर्वेक्षण किये गये गांवों से ज्ञात हुई अन्य प्रकार की असमर्थताओं से इस तथ्य की पुष्टि हो सकी। अनुसूचित जातियों को धोड़े पर सवार होने तथा पालकी का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। जिला बांदा के मऊ ब्लॉक के सर्वेक्षित गांवों में अनुसूचित जाति के पंचों को पंचायत की बैठकों में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। फतेहपुर जिला के अशोधर ब्लॉक, लखनऊ जिला के काकोरी ब्लॉक, बांदा जिला के मऊ ब्लॉक तथा गाजीपुर जिला के शेरपुर ब्लॉक में भूमिहीन अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता क्रमशः 41, 22, 38 तथा 37 थी।

मध्य प्रदेश में अस्पृश्यता

7.6 हरिजन सेवक संघ की मध्य प्रदेश शाखा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उन सामाजिक असमर्थताओं का जिन्हें अनुसूचित जाति के लोग आज भी जोग रहे

हैं, अध्ययन करने के लिये हर वर्ष पद यात्रा का आयोजन करती है। 1978-79 में संघ के कार्यकर्ताओं के 21 दलों ने चुने गये क्षेत्रों में कई गांधी पदयात्रा की थी। कार्यकर्ताओं ने 17 जिलों में कुल 461 गांधी पदयात्रा की। निम्नलिखित सारणी में उन जिलों में अनुसूचित जातियों के प्रति विभिन्न रूप में व्याप्त सामाजिक असमर्थताएं दर्शाई गई हैं :—

| क्रम सं० | क्षेत्र/(जिला) | सर्वेक्षण किये गए गांवों की संख्या | उन गांवों की संख्या जहां अनुसूचित जातियां इस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | कुएं | मंदिर | होटल तथा रेस्तरां | नाई की दुकानें | धोबी की दुकानें |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | मंडसौर (जिला मंडसौर) | 40 | 37 | 23 | 38 | 39 | 39 |
| 2 | सांची (जिला रायसेन) | 36 | 2 | 31 | 5 | 33 | 5 |
| 3 | कुरवई (जिला विदिशा) | 18 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | हरदा (जिला हौशंगाबाद) | 30 | 12 | 16 | 26 | 14 | 14 |
| 5 | सिम्रौनी (जिला हौशंगाबाद) | 18 | .. | .. | .. | 16 | 16 |
| 6 | खिल्चीपुर (जिला रायगढ़) | 23 | 22 | 23 | 1 | 23 | 23 |
| 7 | जबलपुर (जिला जबलपुर) | 23 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 |
| 8 | नरसिंहपुर (जिला नरसिंहपुर) | 19 | 7 | .. | 2 | 10 | 5 |
| 9 | डोंगरगढ़ (जिला राजनन्दगांव) | 20 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | खैरागढ़ (जिला राजनन्दगांव) | 21 | .. | 1 | .. | 20 | 20 |
| 11 | सिरमोर (जिला रीवा) | 20 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 | श्यांपुरकला (जिला मुरेना) | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 13 |
| 13 | गुना (जिला गुना) | 45 | 9 | 26 | 3 | 39 | 44 |
| 14 | बेतुल (जिला बेतुल) | 21 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 |
| 15 | खरगांव (जिला खरगांव) | 22 | 21 | 21 | 11 | 16 | 4 |
| 16 | लहर (जिला भिण्ड) | 22 | .. | 8 | 2 | 17 | 13 |
| 17 | बालाघाट (जिला बालाघाट) | 22 | 3 | 16 | 17 | 21 | 21 |
| 18 | मोर्सा (जिला देवास) | 30 | 18 | 16 | 3 | 25 | 1 |
| 19 | हरसूद (जिला खंडवा) | 18 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| योग | | 461 | 158 | 209 | 126 | 323 | 249 |

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बहुत से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को कुओं, मन्दिरों, होटलों रेस्तरांओं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता तथा उन्हें नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। जिन 461 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 158, 209 तथा 126 गांवों में अनुसूचित जाति के लोग कुओं, मन्दिरों, होटलों में नहीं जा सकते थे। क्रमशः 323 तथा 249 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। अधिकतर ग्राम पंचायतों की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। सर्वेक्षित इलाकों के ग्रामीणों में अस्पृश्यता की समस्या अब भी बनी हुई है किन्तु इसकी व्यापकता का परिमाण स्थान-स्थान पर अलग-अलग है और यह संबंधित इलाके की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। जिन ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया उनमें फैली सामाजिक असमर्थताओं की

व्यापकता के परिमाण पर प्रकाश डालने वाला संक्षिप्त विवरण नीचे देखा जा सकता है :-

(1) मंडसौर, जिला मंडसौर

इस क्षेत्र में अस्पृश्यता बहुत अधिक फैले हुई है। जिन 40 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 37, 23 तथा 38 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को कुओं, मन्दिरों, होटलों-तथा रेस्तरां में नहीं जाने दिया जाता। 30 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। केवल एक गांव ऐसा है जहां पर उच्च जाति के हिन्दु छूआ-छूत नहीं रखते तथा सार्वजनिक स्थान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले हैं। सभी 40 गांवों में शादी के समय दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। वैसे, यह बात देखने में आई कि ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(2) सांची, जिला रायसेन

36 गांवों का सर्वेक्षण किया गया, इनमें केवल 2 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता किन्तु 31 गांवों में उन्हें मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता। क्रमशः 33 तथा 5 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। 31 गांवों में धोबी केवल जन्म तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ही अनुसूचित जाति के लोगों का कार्य करते हैं। 40 गांवों में से केवल 9 गांवों में होटल हैं और 5 गांवों में अनुसूचित जाति के लोग होटल में नहीं जा सकते। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(3) कुरवई, जिला विदिशा

जिन 18 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 14, 6 तथा 3 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल हैं किन्तु अनुसूचित जाति के लोग उनमें नहीं जा सकते। सभी 18 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध हैं। वैसे, बासोर तथा भंगी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव वरता जाता है और उन्हें होटलों में चाय आदि नहीं दी जाती। अनुसूचित जाति के पंचों को दूसरे पंच बराबरी का दर्जा देते हैं।

(4) हरदा, जिला होशंगाबाद

जिन 30 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 12, 16 तथा 26 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुएं, मन्दिर, होटल तथा रेस्तरां खुले नहीं हैं। 14 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(5) सियोनी, जिला होशंगाबाद

जिन 18 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 16 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्रमशः 18, 3 तथा 5 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल हैं तथा अनुसूचित जाति के लोग उनमें जा सकते हैं। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(6) खिलचोपुर, जिला रायगढ़

इस इलाके में अस्पृश्यता बहुत व्यापक है। कुल 23 गांवों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से क्रमशः 22, 23 तथा 1 गांवों में अनुसूचित जाति के लोग कुओं, मन्दिरों तथा होटलों में नहीं जा सकते। सभी 23 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। यह देखने में आया कि अनुसूचित जाति के पंच भी पंचायत की बैठकों में उसी दरी पर बैठते हैं जो सवर्ण हिन्दुओं के लिए होता है।

(7) जबलपुर, जिला जबलपुर

जिन 23 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 7, 7 तथा 14 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। 17 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के अपने कुएं हैं। क्रमशः 12 तथा 10 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। 10 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है जबकि 8 ग्राम पंचायतों में उनके साथ भेदभाव वरता जाता है।

(8) नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर

जिन 19 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 7 तथा 2 गांवों में कुएं तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। क्रमशः 10 तथा 5 गांवों में उन्हें नाइयों तथा धोबियों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। 8 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है जब कि आठ ग्राम पंचायतों में उनके प्रति भेदभाव वरता जाता है।

(9) डोंगरगढ़, जिला राजनन्दगांव

जिन 20 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से किसी में भी अस्पृश्यता देखने में नहीं आई। कुएं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले थे। नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध थीं। इन 20 गांवों में कोई मन्दिर तथा होटल नहीं थे। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(10) खैरागढ़, जिला राजनन्दगांव

जिन 21 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 20 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। वैसे, कुएं तथा होटल उनके लिए खुले थे। केवल एक गांव में वे मन्दिर में नहीं जा सकते थे। सभी 21 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है।

(11) सिरमौर, जिला रोवा

जिन 20 गांवों का सर्वेक्षण किया गया, जिला राजनन्दगांव के डोंगरगढ़ इलाके की तरह ही इन गांवों में भी अस्पृश्यता देखने में नहीं आई। कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले थे। नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध थीं। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है।

(12) श्योपुरकलां, जिला सुरेता

जिन 12 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 8 तथा 12 गांवों में कुएं तथा मन्दिर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। केवल 2 गांवों में दो होटल थे वे उनके लिए नहीं खुले थे। नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं अनुसूचित जाति के लोगों को क्रमशः 9 तथा 13 गांवों में उपलब्ध नहीं थीं। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(13) गुना, जिला गुना

सर्वेक्षित गांवों में अस्पृश्यता की भावना बहुत अधिक फैली हुई है। 45 में से 45 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। क्रमशः 39 तथा 44 गांवों में नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध नहीं थीं। वाराण में अनुसूचित जाति के दूत्यों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता। अनुसूचित जाति के तथा दूसरे पंच एक ही दरी पर नहीं बैठते।

(14) बेतुल, जिला बेतुल

जिन 21 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 2, 2 तथा 1 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे तथा 19 गांवों में उन्हें नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। यह सूचना मिली कि अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया

जाता है किन्तु पंचायत की बैठकों में चाय आदि परोस्ते समय उनके साथ भेद-भाव बरता जाता है।

(15) खरगांव, जिला खरगांव

इस इलाके में अस्पृश्यता बहुत अधिक व्यापक है। जिन 22 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 21, 21 तथा 11 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। क्रमशः 16 तथा 4 गांवों में नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। 4 गांवों में अनुसूचित जाति के इन्हों को धोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा मिलता है।

(16) लहर, जिला भिड़

जिन 22 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 8 तथा 2 गांवों में मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। 13 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के अपने कुएं हैं तथा बाकी 9 गांवों में कुएं उनके लिए खुले हैं। क्रमशः 17 तथा 13 गांवों में उन्हें नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। 2 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंचों को दूसरे पंच बराबरी का दर्जा नहीं देते।

(17) बालाघाट, जिला बालाघाट

जिन 22 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 3, 16 तथा 17 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुएं, मन्दिर तथा होटल खुले नहीं थे। 19 गांवों में पीने के पानी के स्रोत नदियां तथा तालाब हैं, अतः वहां कुओं पर पहुंच न सकने का प्रश्न ही नहीं उठता। 21 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। ग्राम पंचायत की बैठकों में अन्य पंच अनुसूचित जाति के पंचों के साथ बराबरी का सलूक करते हैं।

(19) मोरसा, जिला देवास

जिन 30 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 18, 16 तथा 3 गांवों में कुएं, मन्दिर तथा होटल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुले नहीं थे। 23 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के अपने कुएं थे। 28 तथा 4 गांवों में से, जिनमें नाई तथा धोबी रहते हैं, क्रमशः 25 तथा 1 गांवों में उनकी सेवाएं अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध नहीं थी। सूचना मिली कि बहुत से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों की बारातों को गांव की गलियों से गुजरने नहीं दिया जाता। ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है।

(19) हरसूद, जिला खण्डवा

जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से क्रमशः 10, 7 तथा 1 गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुएं, मन्दिर तथा होटल खुले नहीं थे। क्रमशः 10 तथा 2 गांवों में नाइयों तथा धोबियों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध नहीं थी। ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुसूचित जाति के पंचों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है किन्तु उन्हें चाय तथा नाश्ता उन्हीं के बतनों में दिया जाता है। एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को वाइसिकल का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता।

7.7 आशा की जाती है कि हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिन ग्रामों का सर्वेक्षण किया उन ग्रामों में उन्हीं जो अस्पृश्यता सम्बन्धी बाते देखी उन्हें दूर करने के लिए वे कार्य करेंगे। संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे भी उन कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षित ग्रामों में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने में उनकी सहायता करें। एक वर्ष की अवधि के बाद इन ग्रामों का फिर से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि क्या वहां अब भी सामाजिक असमर्थताओं के चिह्न विद्यमान हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या

7.8 वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

| क्र० सं० | राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम | वर्ष | |
|----------|------------------------------|---------|-------|
| | | 1977 | 1978 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 89 | 151 |
| 2 | बिहार | 2* | 51 |
| 3 | गुजरात | 570† | 716 |
| 4 | हरियाणा | 5 | 4† |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | .. | 14 |
| 6 | कर्नाटक | 329 | 426 |
| 7 | केरल | 32 | 47 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 321 | 398 |
| 9 | महाराष्ट्र | 266* | 1,283 |
| 10 | उड़ीसा | 49 | 106 |
| 11 | पंजाब | 7 | 5 |
| 12 | राजस्थान | 119 | 168 |
| 13 | तमिल नाडु | 792 | 547 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 143 | 287 |
| 15 | पाण्डिचेरी | 14 | 34 |
| 16 | गोवा, दमन तथा दीव | 4 | 2 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य |
| 18 | दिल्ली | उ० नहीं | 15 |
| योग | | 2,742 | 4,256 |

उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1978 में 4,256 मामले दर्ज किए गए थे जबकि इसकी तुलना में 1977 के दौरान 2,742 मामले ही दर्ज किए गए थे। 1978 में दर्ज किए गए मामलों में 1977 की तुलना में 55.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवरोही क्रम से, 1977 में सबसे अधिक मामले तमिल नाडु, (792) में दर्ज किए गए, उसके

नोट :- दूसरे राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है

† सूचना वर्ष के पूर्वार्ध की है।

* सूचना वर्ष के उत्तरार्ध की है।

बाद गुजरात (570), कर्नाटक (329), मध्य प्रदेश (321), महाराष्ट्र (266), उत्तर प्रदेश (143), राजस्थान (119), आन्ध्र प्रदेश (89) आदि का स्थान है। 1978 में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र (1283), में दर्ज किए गये, इसके बाद गुजरात (716), तमिल नाडु (547), कर्नाटक (426), मध्य प्रदेश (398), उत्तर प्रदेश (287), आन्ध्र प्रदेश (151), उड़ीसा (106), आदि का स्थान आता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों का निपटान

7.9 वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों के निपटान की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

| विवरण | 1977 | 1978 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. दर्ज किए गए नये मामलों की संख्या | 2,742 | 4,256 |
| 2. पुलिस के पास बकाया पड़े पुराने मामलों की संख्या | 57 | 188 |
| 3. मामलों की कुल संख्या | 2,799 | 4,444 |
| 4. पुलिस द्वारा अन्वेषण के बाद किन्तु बिना चालान किए बंद कर दिए गए मामलों की संख्या | 205 (7.32 प्रतिशत) | 721 (16.22 प्रतिशत) |
| 5. कितने मामलों में अदालतों में चालान किए गए | 1,325 (47.33 प्रतिशत) | 3,150 (7.88 प्रतिशत) |
| 6. पुलिस के पास बकाया पड़े मामलों की संख्या | 160 (5.71 प्रतिशत) | 573 (12.89 प्रतिशत) |
| 7. अदालतों में बकाया पड़े मामलों की संख्या | 1,502 (53.66 प्रतिशत) | 3,991 (87.55 प्रतिशत) |
| 8. अदालतों द्वारा निपटारे गए मामलों की संख्या | 237 (8.46 प्रतिशत) | 1,334 (30.41 प्रतिशत) |

उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि 1977 में 205 मामले पुलिस द्वारा अन्वेषण के बाद बिना चालान किये बंद कर दिए गए थे जबकि 1978 में यह संख्या बढ़कर 721 हो गई। 1977 में 160 मामले में पुलिस के पास अन्वेषण के लिए पड़े थे जबकि 1978 में यह संख्या बढ़कर 573 हो गई। 1977 के दौरान अदालतों में 1325 मामलों में चालान किया गया जबकि 1978 के दौरान यह संख्या 3,150 हो गई। अदालतों द्वारा अन्तिम तौर पर मामलों का निपटान संतोषजनक नहीं था क्योंकि 1977 में केवल 237 मामलों का निपटान किया गया तथा 1978 में यह संख्या बढ़ कर 1334 हो जाने की सूचना मिली है। यद्यपि 1978 में अदालतों ने अधिक मामले निपटारे तथापि अदालतों द्वारा निपटारे गये मामलों की प्रतिशतता केवल 30.4 थी।

7.10 निम्नलिखित विवरणों में, वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान दर्ज हुए मामलों, चालान किए गए, अन्वेषण के लिए पड़े निपटारे गए, अदालतों में अनिर्णीत पड़े मामलों की राज्यवार सूचना तथा पुलिस के पास बकाया पड़े मामलों की अवधिवार सूचना दी गई है :-

*विवरण संख्या 1 में वर्ष 1977 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या दी गई है।

*विवरण संख्या 2 में वर्ष 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या दी गई है।

*विवरण संख्या 3 में वर्ष 1977 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों, चालानों तथा अन्वेषण के लिए पड़े मामलों की संख्या राज्यवार दी गई है।

*विवरण संख्या 4 में, 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पुलिसद्वारा दर्ज किए गए मामलों, चालानों तथा अन्वेषण के लिए पड़े मामलों की संख्या राज्यवार दी गई है।

*विवरण संख्या 5 में, 1977 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अदालतों द्वारा निपटारे गये मामलों तथा अदालतों में बकाया पड़े मामलों की संख्या राज्यवार दी गई है।

*विवरण संख्या 6 में, 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अदालतों द्वारा निपटारे गये मामलों तथा अदालतों में बकाया पड़े मामलों की संख्या राज्यवार दी गई है।

*विवरण संख्या 7 में 1977 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पुलिस और न्यायालयों के पास बकाया मामलों की अवधिवार संख्या दी गई है।

*विवरण संख्या 8 में 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पुलिस और न्यायालयों के पास बकाया मामलों की अवधिवार संख्या दी गई है।

7.11 उपर्युक्त 8 विवरणों में दी गई सूचना का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है:—

(1) 1978 में पुलिस और न्यायालयों के पास बकाया मामलों की पीछे से आगे लाई गई संख्या 2363 थी जबकि 1977 में 511 थी।

(2) पीछे से आगे लाए गए तथा पुलिस के पास नए दर्ज हुए मामलों की संख्या 1977 में 2799 और 1978 में 4,444 थी इन मामलों में से 1977 और 1978 के दौरान पुलिस ने क्रमशः 205 और 721 ऐसे मामलों का अन्वेषण किया जिनमें चालान नहीं किए गए। 1977 और 1978 के दौरान क्रमशः केवल 1325 और 3150 मामलों में चालान किए गए। 1977 में 160 और 1978 में 573 मामले पुलिस के पास बकाया थे।

(3) न्यायालयों में कुल मामलों की तुलना में वहां विचाराधीन मामलों की प्रतिशतता 1977 में 84.42 थी और 1978 में 74.96 थी। दोष सिद्ध से अन्तर्गत हुए मामलों की संख्या 1977 में 71 थी और 1978 में 198 थी। दोष मुक्त किए गए मामलों

† कुल मामलों (पुराने तथा नये की) तुलना में मामलों की प्रतिशतता कोष्ठकों में दी गई है।

* रूपया परिशिष्ट-51 देखें

की संख्या 1977 में 166 और 1978 में 1136 थी। न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या 1977 में 1502 और 1978 में 3991 थी जबकि कुल मामलों की संख्या 1977 में 1979 और 1978 में 5325 थी।

- (4) 1978 में पुलिस के पास और अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या क्रमशः 541 और 4852 थी। अदालतों में विचाराधीन मामलों में से 309 मामले दो वर्ष से अधिक पुराने थे, 960 मामले एक से दो वर्ष तक की अवधि से अनिर्णीत पड़े थे, 1781 मामले छः महीने से 1 वर्ष तक पुराने थे और 1962 मामले एक महीने से छः महीने तक के पुराने थे। 1977 के दौरान पुलिस और न्यायालयों में क्रमशः 155 और 1822 मामले विचाराधीन थे। न्यायालयों के विचाराधीन इन मामलों में से 94 मामले दो वर्ष से ज्यादा पुराने थे, 313 मामले पिछले एक से दो वर्षों के दौरान निपटाए नहीं गए थे, 354 मामले छः महीने से एक वर्ष तक के पुराने थे, और 1061 मामले एक से छः महीने तक के

पुराने थे। इससे यह मान्य होता है कि 1978 के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मामले न्यायालयों में निपटान के लिए पड़े थे।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज हुए मामलों के प्रकार तथा उनकी राज्य-वार और जिलावार संख्या का विश्लेषण :

7.12 अस्पृश्यता की प्रथा के कारण सामाजिक अतिसंथताओं, जैसे पीने के पानी के स्रोतों, सार्वजनिक पूजा स्थानों, नाई की दुकानों/ भोजनालयों तक पहुंच न होने और गांवों-गलौज तथा मार-पीट से संबंधित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन 1978 के दौरान दर्ज हुए मामलों के बारे में राज्यवार और जिलावार सूचना संकलित करने के प्रयत्न किए गए हैं। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और पांडिचेरी प्रशासन को छोड़कर बाकी राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना भी कई दृष्टि से पूर्ण* नहीं थी। उपलब्ध सूचना को नीचे सारणी-बद्ध किया जा रहा है :—

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन 1978 के दौरान दर्ज किए गए निम्नलिखित से सम्बन्धित मामलों की संख्या

| राज्य | पीने के जल के स्रोत | मन्दिर | दुकानें/ भोजनालय | गाली गलौज तथा मारपीट | अन्य प्रकार के | कुल |
|-----------------------|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. गुजरात . . . | 41 | .. | 43 | 39 | 571 | 694 |
| 2. केरल . . . | .. | 6 | 4 | 30 | 9 | 49 |
| 3. पांडिचेरी . . . | .. | .. | 1 | 33 | .. | 34 |
| 4. मध्य प्रदेश . . . | 123 | 29 | 89 | 46 | 111 | 398 |
| 5. उत्तर प्रदेश . . . | 60 | 5 | 29 | 110 | 83 | 287 |

पीने के पानी के स्रोतों तक पहुंच

7.13 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जातियों को जल के सार्वजनिक स्रोतों, जैसे कुएँ, नल आदि पर जाने से न रोका जाए। वैसे, यह देखा गया है कि देश के कई देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के साथ सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के मामले में भेदभाव बरता जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के कुछ गांवों में यह देखा गया कि अनुसूचित जातियों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। सवर्ण-हिंदू अनिच्छा से उनके बर्तनों में पानी डाल देते हैं। गुजरात में जिला स्कूल बोर्डों के प्रशासनिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि अनुसूचित जाति के अध्यापकों अथवा छात्रों के साथ पीने के पानी के स्रोतों पर जाने के बारे में किसी प्रकार का भेदभाव देखा जाता है तो उसके लिए वह मुख्य अध्यापकों को जिम्मेदार ठहराए। पीने के पानी के स्रोतों तक पहुंच के मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव बरता जाने पर पंचायतों को अनुदान देना बंद कर दिया जाता है। जिला विकास अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे पंचायत के ऐसे सदस्यों को हटा सकते हैं जो सरकार के उससे संबंधित आदेशों का पालन न करें। परिशिष्ट 52 से यह देखा जा सकता है कि 1978 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश (123), उत्तर प्रदेश (60) और गुजरात (41) राज्यों

में अस्पृश्यता की प्रथा के कारण पीने के पानी के सार्वजनिक स्रोतों पर न जाने देने के सम्बन्ध में दर्ज हुए। मध्य प्रदेश के बारे में जिला-वार सूचना से पता चलता है कि जिला भिंड और मुरैना प्रत्येक में 10, दतिया और शिवपुरी प्रत्येक में 8, रायपुर और विदिशा प्रत्येक में 7, भोपाल न गुना और सागर प्रत्येक में 6, रायसेन में 5, छिंदवाड़ा और टीकमगढ़ प्रत्येक में 4, धार, खालीयर, हांशंगाबाद, जबलपुर, रतलाम, सिहोर और शाजापुर प्रत्येक में 3, विलामपुर, दमोह, पूर्वी निमार और सतना प्रत्येक में 2 और बस्तर, बेतुल, छतरपुर, देवास, दुर्ग, इन्दौर, मांडला, रायगढ़, रीवा, राजनन्दगांव, सियौनी, सरगुजा और ऊर्जन में एक-एक मामले पंजीकृत किए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले कानपुर (11) और उससे कम लखनऊ (5), हरदोई (4), मेरठ, सहारनपुर, सीतापुर और बुलन्दशहर (प्रत्येक में 3), बाराबंकी, बदायूँ, बरेली, हमीरपुर, झांसी और उन्नाव (प्रत्येक में 2) और आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, एटा, फर्रुदाबाद, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, खीरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, प्रतापगढ़, रामपुर, तथा शाहजहापुर (प्रत्येक में एक) में दर्ज किए गए। गुजरात में कुल 41 मामलों में से 8 मामले जिला वनासकांठा से (6) खेड़ा से, 5 अमरेली से, 4-4 अहमदाबाद, जूनागढ़, मेहसाना से, 2-2 भावनगर, साबरकंठा, सुरेन्द्रनगर और बड़ोदरा से, और एक-एक मामला भड़ोच और सूरत जिलों से सूचित किए गए।

* कृपया परिशिष्ट 52 देखिए।

चाय की दुकानों/रेस्तरां और दुकानों तक पहुँच

7.14 अनुसूचित जातियों को चाय की दुकानों/रेस्तरां में न आने देना भेदभाव का एक अन्य रूप है। उदाहरण के लिए गुजरात में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज की गई शिकायतों से यह पता चलता है कि अनेक स्थानों पर अनुसूचित जातियों को चाय के स्टालों पर चाय नहीं दी जाती और न ही उन्हें रेस्तरां में बैठने और खाना खाने दिया जाता है। यदि उन्हें चाय दे भी दी जाए तो अपने प्याले उन्हें स्वयं धोने पड़ते हैं और प्यालों को अलग रख देना होता है। नाई और दुकानदार उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करते। इस सम्बन्ध में राज्य में 1978 के दौरान 43 मामले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधिन दर्ज किए गए थे। इस प्रकार के मामले अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, केरल में 4, मध्य प्रदेश में 89, और उत्तर प्रदेश में 29 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। सबसे अधिक मामले मध्यप्रदेश में दर्ज किए गए थे। जिनकी जिलावार स्थिति थी : रायपुर और पश्चिम निमार प्रत्येक में 13, होशंगाबाद में 6; रतलाम और राजनन्दगांव प्रत्येक में 5; दमोह, सागर, टीकमगढ़, और उज्जैन प्रत्येक में 4; धार, छिंदवाड़ा और शाजापुर प्रत्येक में 3; भोपाल, रायसेन, सियोनी और शिवपुरी प्रत्येक में 2; बस्तर, बेतुल, विलासपुर, छतरपुर, देवास, दुर्ग, गुना, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रायगढ़, रोवा, सिहोर, और चिदिशा में एक-एक उत्तर प्रदेश में 29 मामलों में से शाहजहांपुर में 4, आगरा और बरेली प्रत्येक में 3; एटा, मेरठ, मुरादाबाद, नैनीताल, रायपुर, में प्रत्येक में 2; और आजमगढ़, बुलन्दशहर, चमोली, फीजाबाद, मथुरा, पिथौरागढ़, सीतापुर, उत्तरकाशी और उत्तरव में एक-एक दर्ज किए गए। गुजरात में दर्ज किए गए कुल 43 मामलों में से जूनागढ़ में 9, मेहसाणा में 8, खेड़ा में 7, बंडरकंडा में 5, राजकोट में 4, कच्छ में 3, सुरेन्द्रनगर और वड़ोदरा प्रत्येक में 2; और अहमदाबाद, जामनगर और सूत में एक-एक मामला दर्ज किया गया। यह बांछनीय है कि स्वयंसेवी संगठनों को चाहिए कि वे सर्वेक्षण करें और जनता को यह जानकारी दें कि दुकानों, रेस्तरां, होटलों अथवा मनोरंजन के अन्य सार्वजनिक स्थानों में अस्पृश्यता बरतने पर क्या सजाएं दी जाती हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को क्षेत्रीय भाषाओं में परिचालित करने की पांडिचेरी सरकार की कार्रवाई सराहनीय है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी इस सम्बन्ध में इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए।

धार्मिक स्थानों में जा सकना

7.15 मध्य प्रदेश में 1978 के दौरान सार्वजनिक पूजा स्थानों में आने देने के सम्बन्ध में 29 मामले दर्ज किए गए थे। कुछ मामलों में पुजारियों ने पूजा करने से मना कर दिया और अनुसूचित जातियों को मन्दिर में प्रसाद नहीं दिया। उन्हें मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और रामायण का पाठ सुनने के लिए बैठने नहीं दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में 5 मामले दर्ज किए गए थे। केरल में 1978 के दौरान अधिनियम के अधीन 6 मामले अनुसूचित जातियों को मन्दिरों में आने से रोकने के सम्बन्ध में दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक मामले की जांच की जा रही है और बाकी 5 मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक पूजा स्थानों में जाने से रोकने के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन 29 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से केवल एक ही मामले का न्यायालय ने निर्णय किया था और वह भी समझौता* कराकर समाप्त कर दिया गया। बाकी मामलों में से, 5 मामलों की जांच की जा रही बताई गई थी जबकि बाकी मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे। उपर्युक्त मामलों की धारावार स्थिति इस प्रकार है :—

अधिनियम की धारा 4/6 के अधीन दर्ज किए गए दो मामलों में से एक मामला टीकमगढ़ का था जिनमें एक ठाकुर ने अनुसूचित

जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया और उसे पीटा भी। अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन 10 मामलों दर्ज किए गए जिनमें से 2 मामले जिला गुना में दर्ज किए गये थे। इनमें से एक मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया था और दूसरे मामले में पूजा नहीं करने दी गई थी। बाकी मामलों में से पश्चिम निमार, रतलाम, शिवपुरी और रायसेन जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया था और रायगढ़ तथा पूर्वा निमार जिलों में दो-दो मामले दर्ज किए गए थे। अधिनियम की धारा 3 के अधीन दुर्ग, रायगढ़, इन्दौर और छतरपुर जिलों में 4 मामलों दर्ज किए गए थे। अधिनियम की धारा 7 के अधीन 5 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से दो मामले जिला सागर में दर्ज किए गए थे। इनमें से एक मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया गया था। दूसरे मामले में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई और ठाकुर द्वारा अपमान किया गया। इन्दौर जिले में एक पटेल ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में नहीं घुसने दिया। झाबुआ में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मन्दिर में प्रवेश न करने देने के अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा पिटाई भी की गई। राजनन्दगांव में एक मामला दर्ज करवाया गया। जिनमें शिकायतकर्ता को मन्दिर में पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। रायपुर और शाजापुर में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन एक-एक मामला दर्ज किया गया था, बिलासपुर जिले में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत दो मामले दर्ज किए गए जिनमें अनुसूचित जातियों को रामदीला में भाग नहीं लेने दिया गया। सागर जिले में इस अधिनियम की धारा 3/6 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक ठाकुर ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने से रोका। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4/7 के अधीन शाजापुर में दो मामले दर्ज किए गए। उत्तरप्रदेश में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन केवल 5 ऐसे मामले पंजीकृत किए गए जिनमें से दो मेरठ जिले में, 2 झांसी जिले में और एक मुरादाबाद जिले में हुए।

अस्पृश्यता के अन्य प्रकार

7.16 अस्पृश्यता के उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त, कई बार अनुसूचित जातियों को तब मारपीट व अपमान सहना पड़ता है जब वे बस में बैठते हैं अथवा संयोगवश वे किसी सवर्ण हिंदू को छू जाते हैं। अथवा सवर्ण हिंदू के बर्तनों को छू लेते हैं। 1978 के दौरान ऐसे मामलों को गुजरात, हरियाणा, केरल, पांडिचेरी, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधिन दर्ज किया गया। गुजरात में 39 मामले दर्ज किए गए इनमें से 8 अहमदाबाद जिले में, जामनगर, कच्छ और जूनागढ़ जिलों में प्रत्येक में दो-दो, खेड़ा और राजकोट जिलों में 6-6, मेहसाणा जिले में 4, साबरकंडा और वड़ोदरा जिले में प्रत्येक में 3 तथा अमरेली, सूत और सुरेन्द्रनगर जिलों में प्रत्येक में एक दर्ज हुए। केरल में 30 ऐसे मामले दर्ज हुए। मध्यप्रदेश में ऐसे 46 मामले दर्ज हुए। जिनमें से ग्वालियर, इंदौर, शिवपुरी, उज्जैन और बिलासपुर जिलों में प्रत्येक में 2 मामले, सागर जिले में 26 तथा सिद्धोनी जबलपुर, मांडला, देवास, मुरैना, रायगढ़, शाहडोल, सरगुजा, टीकमगढ़ और पश्चिमी निमार जिलों में प्रत्येक में एक-एक मामला दर्ज हुआ। इस प्रकार के मामलों की अधिकतम संख्या (110) उत्तर प्रदेश में थी।

* निर्णय का विवरण उपलब्ध नहीं है फिर भी ता. सं० अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों को समझौता करवाके समाप्त नहीं किया जा सकता।

दर्ज हुए मामलों का जिलेवार व्यौरा इस प्रकार है : बरेली में 24, मुरादाबाद में 8, मेरठ में 6, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर प्रत्येक में 5, सहारनपुर, बदायूँ, बुलंदशहर प्रत्येक में 4, अलीगढ़, देहरादून, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली प्रत्येक में 3, अल्मोडा इलाहाबाद, वलिया, विजनाौर, हरदोई, खीरी, ललितपुर प्रत्येक में दो और आगरा, अजमेरगढ़, बाराबंकी, बांदा, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, जालौन, लखनऊ, मथुरा, मिरजापुर, नैनीताल, पिथौरागढ़, सीतापुर, और उन्नाव जिलों में प्रत्येक में एक। सन 1978 में अन्य प्रकार के दर्ज किए गए शेष मामले गुजरात में 571, हरियाणा में 4, केरल में 14, मध्य प्रदेश में 111 और उत्तर प्रदेश में 83 थे। दर्ज किए गए सभी प्रकार में मामलों की कुल संख्या गुजरात में 694, उत्तर प्रदेश में 287, हरियाणा में 4, मध्यप्रदेश में 398, केरल में 49 और पाँचिचैरी में 34 थी।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

7.17 इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:—

- (1) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों को समन्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाएंगी और संबंधित व्यक्तियों को अस्पृश्यता समाप्त कर दिए जाने से प्रोद्भूत अधिकार मिल सकें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने द्वारा व राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी।
- (2) अस्पृश्यता के कारण जिग व्यक्ति को कोई असमर्थता हुई हो उसे कानूनी सहायता सहित पर्याप्त मुविधाएं देना।
- (3) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोगों को चलाने अथवा उनकी देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति।
- (4) अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन।
- (5) अस्पृश्यता की समाप्ति से प्रोद्भूत अधिकार उन्हें दिलाने के लिए उपाय बनाने अथवा उनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता के लिए उचित स्तर पर समितियों का गठन।
- (6) अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु अधिनियम के उपबंधों के कार्यचालन का समय-समय पर सर्वेक्षण।
- (7) उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ अस्पृश्यता के फलस्वरूप कोई लोग असमर्थता भुगतते हैं।
- (8) अस्पृश्यता के उन सभी अपराधों की सुनवाई, जिनमें 3 महीने से अधिक सजा नहीं दी जाती, संक्षिप्त रूप से की जा सकती है।
- (9) राज्य सरकार को किसी ऐसे क्षेत्र के निवासियों पर, जो अस्पृश्यता अपराधों में शामिल हों, अथवा इसे उकसाते हों, सामूहिक जुर्माने करने की शक्तियां दी गई हैं।
- (10) केंद्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है।
- (11) पूजा के निजी स्वामित्व वाले ऐसे स्थानों को उनकी भूमि और संबंध धार्मिक स्थानों सहित जहाँ, मालिकों ने इन्हें सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, इस अधिनियम की परीक्षा में ले आया गया है।
- (12) अस्पृश्यता के पक्ष में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रवचन देना अथवा ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर इसको उचित ठहराना अपराध बना दिया गया है।

(13) शौच की सफाई अथवा झाड़ू लगाने, मुदां लाश हटाने जानवरों का चमड़ा उतारने अथवा नाभिनाल हटाने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करना भी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बना दिया गया है।

(14) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जो सरकारी कर्मचारी जानबूझ कर लापरवाही करेगा जो उसे अपराध के लिए कमाने वाला समझा जाएगा जो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

(15) अस्पृश्यता अपराधों के लिए दंड बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे अपराधों के लिए जुर्माने और कारावास दोनों ही दंड दिए जाएंगे।

भारत सरकार द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम पर संसद में एक वार्षिक रिपोर्ट देने, अस्पृश्यता के कारण किसी असमर्थता का शिकार हुए व्यक्तियों को कानूनी सहायता सहित पर्याप्त मुविधाएं देने, अधिनियम के अधिनियम मुकदमों के पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के अधिनियम अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन, अस्पृश्यता निवारण के फलस्वरूप मिलने वाले अधिकार अनुसूचित जातियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने अथवा बरत में राज्य सरकारों की सहायता के लिए समितियों के गठन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यचालन का समय-समय पर सर्वेक्षण करने, किसी असमर्थता से पीड़ित व्यक्तियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने, जहाँ तीन महीने से अधिक की सजा नहीं दी जाती हो ऐसे अपराधों में संक्षिप्त सुनवाई करने, अस्पृश्यता अपराधों से संबंधित अथवा उनके लिए उकसाने वाले क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने करने की शक्ति राज्य सरकारों को देने और अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने से संबंधित आर के 10 मुद्दों के बारे में संवैधानिक सुरक्षाओं संबंधी अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.9 से 2.20 में विचार किया गया है। ऊपर बताए गए शेष मुद्दों पर आगे के पैराग्राफों में विचार किया जा रहा है।

7.18 ऊपर क्रमांक (12) व (13) पर बताए गए विषयों के संबंध में दर्ज किए गए मामलों के बारे में कोई सूचना इस संगठन में प्राप्त नहीं हुई। जहाँ तक मुदा नं० (14) का संबंध है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिनियम में दण्डनीय अपराधों के अन्वेषण में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर लापरवाही करने को अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दूष्करण माना जाएगा। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश में 6 मामले दर्ज किए गए जिनमें से कानपुर, लखनऊ, बरेली और मेरठ प्रत्येक में 1 और मुन्नाबाद में दो मामले दर्ज हुए। ये मामले पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपमान से लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपमान तक के विविध प्रकार के थे। इन सभी मामलों के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

7.19 अस्पृश्यता अपराधों के लिए दण्ड में वृद्धि के बारे में (ऊपर पैरा 8.17 में मुदा संख्या (15) परिशिष्ट 52 में दी गई केरल, उत्तर प्रदेश, पाँचिचैरी, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों से प्राप्त सूचना से देखा जा सकता है कि 1978 में अदालतों में चालान किए गए 866 मामलों में से केवल 16 का निर्णय दिया गया जिनमें से 5 रिहा कर दिए गए, 4 में राजीनामा* कर लिया गया तथा 2 खारिज कर दिए गए। एक मामले में 3 महीने का कठोर कारावास दिया गया जबकि एक मामले में एक महीने का कठोर कारावास दिया गया था। दो मामलों में 100 रुपये का जुर्माना किया गया।

* निर्णय का व्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ। तथापि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन ऐसे मामलों में समझौते करा देने की अनुमति नहीं है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित किए गए विशेष तंत्र का कार्यचालन

हरिजन प्रकोष्ठ/विशेष पुलिस प्रकोष्ठ

7.20 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। इसलिए कुछ राज्य सरकारों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्पृश्यता के मामलों में कार्रवाई के लिए हरिजन प्रकोष्ठ/समितियों आदि का गठन जैसे विशेष प्रबंध किए हैं। ओलों, समस्याओं और अन्य स्थायी स्थितियों के अनुसार ये प्रबंध विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार के हैं। ऐसे प्रकोष्ठ/समितियां आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, और पांडिचेरी में गठित किए गए हैं। तमिलनाडू और केरल में गश्ती पुलिस दल भी गठित किए गए हैं। ये प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की सभी शिकायतों के उपयुक्त व जल्दी अन्वेषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनके प्रकोष्ठों/समितियों के गठन और इनके कार्यचालन का व्यौरा इस रिपोर्ट के पैरा 9.8 में दिया गया है।

अस्पृश्यता मिटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए उपाय

असम

7.21 कल्याण अधिकारियों द्वारा सूचित किए गए अस्पृश्यता के मामलों को उप-प्रभागिय विकास बोर्डों द्वारा देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने गृह, कृषि तथा पंचायत और सामुदायिक विकास जैसे विभागों को ये अनुरोध जारी किए हैं कि वे अपने अधिकारियों को अस्पृश्यता मिटाने के कार्यों में प्रशिक्षित करें और उन्हें नागरिक अधिकार, संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए कहें।

गुजरात

7.22 राज्य सरकार ने गांवों में अस्पृश्यता मिटाने के लिए समया-समय पर कलेक्टरों, पुलिस के जिला अधीक्षकों, जिला विकास अधिकारियों और जिला पंचायतों के अधीन को अनुरोध जारी किए हैं। जिला स्तर पर, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला सतकर्ता समिति होती है जिसमें 5 हरिजन कार्यकर्ताओं सहित अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसी प्रकार, तालुका स्तर पर मामलतदार की अध्यक्षता में एक समिति इस कार्य की देखरेख करती है। पुलिस सूचना मिलते ही, किसी लिखित शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम के अधीन मामल दर्ज करती है। जिला पुलिस सलाहकार समिति में अनुसूचित जाति के 5 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं ताकि अनुसूचित जातियों को तंग करने के मामलों पर समिति में विचार किया जा सके और उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। पुलिस सलाहकार निरीक्षक के कार्यालय में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दोष-सिद्ध हुए व्यक्तियों के बारे में अलग से एक रजिस्टर रखा गया है तथा उक्त अधिनियम के अधीन दोषी पाए गए व्यक्तियों की जिला अथवा राज्य स्तर पर गठित किए जाने वाली किसी समिति, बोर्ड अथवा निगम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक निर्धारित कार्यक्रम के साथ प्रत्येक वर्ष अस्पृश्यता मिटाने की सलाह दी जाती है। सरकारी कार्यालयों, कानूनी निकायों, मार्गदर्शक उपक्रमों में बैठकों और होटलों को चलाने के लिए आबंटन के समान अनुसूचित जातियों और उनकी अज्ञात समितियों को तरजीह दी जाती है। इनके अधिकार, देहाती लोगों में और जागृति पैदा करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग गहन प्रचार के कार्यक्रम करता है और इस प्रकार गांवों में सशान्त वाता

वां गंधी संदेश वाला और ग्राम अस्पृश्यता निवारण ग्राम विकास ज्योत पद यात्राएं आयोजित करता है और प्रसार कार्यकर्ता, प्रचार अधिकारी (राज्य स्तर), आदि की नियुक्ति करता है।

हिमाचल प्रदेश

7.23 राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष अनुरोध जारी किए गए हैं कि वे जब भी दौरे पर जाएं तो अनुसूचित जातियों से संपर्क बनाए रखें ताकि उनमें विश्वास पैदा हो तथा उनके कष्टों की सुनवाई की जा सके।

हरियाणा

7.24 राज्य सरकार समय समय पर पुलिस अधीक्षकों को अनुरोध जारी करती रही है कि वे सर्वोच्च हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों को डराने, धमकाने, तंग करने और अस्पृश्यता के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करें। राज्य जनसंपर्क विभाग ने अपने जिला प्रचार मूठों के माध्यम से जनता का विशेष ध्यान अस्पृश्यता की प्रथा की बुराईयों और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन उपबन्धों की ओर दिलाया। वर्ष 1978-79 के दौरान उस विभाग ने अस्पृश्यता की प्रथा के विरोध में 22,000 इशतार, 10,000 फोल्डर और 14,000 हंड विल और अन्य प्रचार सामग्री बांटी जिसमें गुरु रविदास जैसे विभिन्न सन्तों के कथनों की विशिष्टता बताते हुए मानव समानता और भाईचारे पर बल दिया गया था।

जम्मू व कश्मीर

7.25 राज्य सरकार ने उपायुक्तों/पुलिस अधीक्षकों को अनुरोध किए हैं कि वे अस्पृश्यता के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करें। इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक शिक्षकों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य सूचना विभाग भी अस्पृश्यता को दूर करने संबंधी विषयों पर शिक्षा संस्थानों में विचार-विमर्श और विचार गोष्ठियों का आयोजन करता है, जिला अधिकारी 6 महीने में कम से कम एक बार हरिजनों की घनी आवादी वाले क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मुख्य मंत्री की जानकारी के लिए गृह विभाग को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। जाति-पति के आधार पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को विशेष रिपोर्ट वाले मामले समझा जाता है। पुलिस अथवा न्यायालय में दर्ज किए गए अत्याचार के मामलों में समाज कल्याण विभाग कानूनी सहायता भी प्रदान करता है।

कर्नाटक

7.26 यह बताया गया है कि अस्पृश्यता की प्रथा शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देहाती क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। अस्पृश्यता का व्यवहार कई प्रकार से किया जाता है जैसे जाति के आधार पर गली देना, होटलों में खाने-पीने की चीजें परोसने से मना करना, मार्गदर्शक कुओं से पानी न भरने देना, चाय, काफी आदि अलग प्याले और प्लेटों में देना। मंदिरों में प्रवेश रोकने और हजामत करने से इंकार करने के मामले भी देखने में आये थे। राज्य सरकार ने अस्पृश्यता की इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- (i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामलों को जघन्य (विशेष रिपोर्ट वाले मामले) समझना।
- (ii) ऐसे मामलों का अन्वेषण सक्रिय पुलिस निरीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा करना।
- (iii) ऐसे सभी मामलों के व्योरे की विशेष रिपोर्ट उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- (iv) अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में पूछताछ करने और उपचारी कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर अधीक्षक तक के सभी अधिकारियों द्वारा सशान्त गांवों के दौरे करना।

- (v) हरिजननों की शिकायतों आदि के बारे में पृष्ठताछ करने के लिए विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा हरिजननों की कालोनियों के दौरे करना ।
- (vi) जो अधिकारी अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई करने में चूक करें उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करना ।
- (vii) नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ (नैत) द्वारा सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच करना ।
- (viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक विकास तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नवम्बर, 1978 के दौरान बंगलौर में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में दक्षिण क्षेत्र के अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया ।

केरल

7.27 अस्पृश्यता मिटाने की योजनाओं को राज्य का हरिजन कल्याण निदेशक कार्यान्वित करता है । कस्तारगोड में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधी समिति गठित की गई है, जिसका संयोजक केनानोर का राजस्व प्रभाग अधिकारी है । विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता इस समिति के सदस्य हैं । समिति स्थिति की समीक्षा करने के लिए तीन महीने में एक बार बैठक बुलाती है । कस्तारगोड की ही तरह चित्तूर, जिला पालघाट में भी एक दल स्थापित करने की बात राज्य सरकार के विचाराधीन है । हरिजनकल्याण निदेशालय के मुख्य प्रचार अधिकारी को प्रचार कार्य के लिए दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण दिए गए हैं । वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर पांच 'समता-संगोष्ठियां' आयोजित कीं । इनमें से दो संगोष्ठियां जिला केनानोर में और एक एक संगोष्ठी पालघाट, कोझिकोड और त्रिवेन्द्रम जिलों में आयोजित की गई थीं । इन संगोष्ठियों पर 10,000 रुपये खर्च किए गए थे । अस्पृश्यता की बुराइयों पर अधारित एक फीचर फिल्म 7,500 रुपये में खरीदी गई । इसके अनतिरिक्त, हरिजन कल्याण विभाग के प्रचार यूनिट ने अस्पृश्यता की प्रथा को दूर करने के लिए इस वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 107 बैठकें आयोजित कीं और उनका संचालन किया गया तथा 129 फिल्म प्रदर्शन किए ।

महाराष्ट्र

7.28 अस्पृश्यता को दूर करने के लिए विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में जनता को जानकारी कराने के लिए महात्मा गांधी, डा० अम्बेडकर, महात्मा फुले जैसे समाज सुधारकों द्वारा सामाजिक समानता और महिला मुक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तकों को समता वर्ष समारोह के दौरान प्रकाशित किया गया । उन ग्रामीणों को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने में विशिष्ट भूमिका निभाई थी । सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए दलित मित्र योजना के अधीन 1001 रुपये का पुरस्कार, एक शाल, श्रीफल और प्रमाण-पत्र दिए गए । हरिजन पखवाड़े के दौरान, जोकि हर वर्ष 14 अप्रैल से मनाया जाता है, सामूहिक भोज, जन शिक्षा कार्यक्रम बैठकें आदि के रूप में प्रचार आदि आयोजित किए गए ।

उड़ीसा

7.29 जून, 1978 में 'अत्याचार जांच समिति' नामक एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसमें एक संसद सदस्य विधान-महा के चार सदस्यों को समिति के सदस्यों के रूप में तथा आदिवासी एवं ग्राम विभाग के निदेशक को सदस्य-सचिव के रूप में शामिल किया गया है । समिति का कार्य, हरिजननों और आदिवासियों पर अत्याचारों के मामलों की घटना-स्थल पर जांच करना और अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव देना था । मई 1979 तक समिति ने 13 मामलों में घटना स्थल पर जांच कर ली थी और 9 मामलों में अपनी

रिपोर्टें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । घटना-स्थल पर की गई ये जांचें कटक, गुरी, घेनकानल और कोरापुट जिलों में की गई थी तथा संबंधित जिलों के कलेक्टरों को कहा गया था कि वे समिति की रिपोर्टों में की गई निफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करें । 1978-79 के दौरान, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु गृह विभाग में ही एक विशेष सैल गठित किया गया जिसके लिए 1,00,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई ।

पंजाब

7.30 यद्यपि राज्य में अस्पृश्यता के ब्रह्म मामले नहीं होते तथापि राज्य सरकार ने सभी जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं कि अनुसूचित जातियों के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सरकारी एजेंसियों को अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों और बहिष्कार के सभी मामलों में तत्परता और प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस विभाग और मिजिल विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को घटना स्थल पर भेजा जाता है ताकि वे जात-पात के विचार से और मजदूरी विवादों के कारण अनुसूचित जातियों को डराने, धमकाने, उन्हें उनके नागरिक सामाजिक अधिकारों से वंचित करने, उन्हें तंग करने, उनका सामाजिक बहिष्कार करने और शोषण करने संबंधी घटनाओं का शीघ्र निपटान कर सके और हरिजननों/मामाज को कमजोर वर्गों की किसी भी प्रचार की कठिनाइयों को दूर कर सकें । ऐसे मामलों पर अभियोग चला रहे अधिकारियों की किसी भी प्रचार की चूक को गंभीरता से लिया जाता है । पर्यवेक्षण अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे यह मुनिश्चित करें कि अभियोग चला रहे वर्मचारियों की ओर से किसी कमी के कारण ऐसे मामलों के निपटान में किसी प्रकार का परिहार्य विक्षेत्र न होने पाए और अपराध के मामलों के दर्ज किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर ऐसे मामलों में न्यायालय प्रतिचार्यता अपना निर्णय दे दें । नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अपराधों को दर्ज करने, उनका अन्वेषण करने और अभियोग चलाने में प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यानिष्ठादान में सुधार लाने के कार्य की ओर विशेष ध्यान देने के अतिप्राय से राज्य सरकार ने एक राज्य सलाहकार समिति भी गठित की है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा बरती गई कड़ाई के कारण इस प्रकार के उत्पीड़न और अस्पृश्यता बरतने के मामले काफी कम हो गए हैं ।

तमिल नाडु

7.31 हर वर्ष 24 जनवरी से 30 जनवरी तक 'हरिजन सप्ताह' मनाया जाता है । इस अवधि के दौरान अस्पृश्यता को दूर करने की आवश्यकता की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बैठकें बुलाई जाती हैं और विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किए जाते हैं । जिन हरिजन कालोनियों को साफ सुथरा रखा गया हो उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं । प्रत्येक जिले के (मदास को छोड़कर) उन दो दो गांवों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो अस्पृश्यता मिटाने के लिए गंभीर प्रयत्न करते हैं ।

चंडीगढ़

7.32 यह बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के शहरी स्वरूप और इसमें साक्षरता की उच्च प्रतिशतता के कारण, यहां अस्पृश्यता की समस्या लगभग न के बराबर है और इसलिए प्रशासन ने कोई विशेष उपाय नहीं किए हैं सिवाय इसके कि हरिजननों की समस्याओं की जांच करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है ।

गोवा, दमन व दीव

7.33 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और समाज कल्याण निदेशक उसके सदस्य-सचिव नियुक्त किए गए हैं ।

समिति का कार्य, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए नीतियां निर्धारित करना है। इस समिति की सिफारिशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / जनजातियों के कल्याण के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संघ राज्य क्षेत्रीय स्तर की समिति गठित की गई जिसका कार्य विभिन्न कल्याण योजनाओं की समीक्षा करना है। संघ राज्य क्षेत्र में आम चुनाव हो जाने के बाद इस समिति के पुनर्गठित किए जाने की आशा है। जनता को अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के अभिप्राय से 2 अक्टूबर से अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह मनवाया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पंच-वर्षीय योजना के अधीन अनेक स्कीमों का कार्यान्वित की जा रही है। प्रशासन उन स्वच्छिक संगठनों की वित्तीय सहायता भी देता है जो अनुसूचित जातियों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं। ब्लाक सलाहकार समिति में अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जो अपने हितों पर नजर रखते हैं। राज्य आवास बोर्ड ने 2 प्रतिशत प्लॉट/प्लैटा मकान अनुसूचित जातियों/जनजातियों को आवंटित करने के लिए आरक्षित किए हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए बस स्टेशनों पर दुकानों, रेस्तरां आरक्षित करने तथा उचित दर दुकानें आवंटित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

पांडिचेरी

7.34 डा० अम्बेदेकर के जन्म-दिवस पर 'हरिजन सप्ताह' मनाने के दौरान हरिजन कल्याण निरीक्षकों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का क्षेत्र की सभी हरिजन कालोनियों में विस्तृत प्रचार किया। अनुसूचित जातियों को संविधान के अधीन आश्वस्त किए गए अधिकारों और अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में हुए अंग्रेजी और तमिल भाषाओं में हुई बिल छापे गए उन्हें देहाती क्षेत्रों में बांटा गया। इसके अतिरिक्त, अस्पृश्यता की बुराइयों का बैनर और इशतहारों पर उल्लेख करके उन्हें पांडिचेरी के विभिन्न भागों और कार्यालय के क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए विभिन्न छावावासों में गैर अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रवेश दिया गया और अनुसूचित जातियों के लिए अधिगृहीत किए गए आवास स्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को आवास स्थान के पट्टे टिन्टिन किए गए ताकि कालोनी दो गिला-जुला स्वरूप दिया जा सके।

अन्तर्जातीय विवाह

7.35 जात-पात की भावना और इसके परिणाम स्वरूप अस्पृश्यता की भावना को मिटाने के लिए अनुसूचित जातियों तथा सवर्ण हिन्दुओं के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाता है। यदि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों को पढ़ें तो पता चलता है कि राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे अन्तर्जातीय दम्पतियों को प्रोत्साहन देकर ऐसे विवाहों को बढ़ावा दें। 1971-73 के वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यदि इस प्रकार के विवाह हमारे समाज से बड़ी संख्या में हों तो उससे जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्याएं जड़ से ही मिट जाएंगी। रिपोर्ट में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई थी। यह सुझाव भी दिया गया था कि अन्तर्जातीय दम्पतियों को यह आश्वासन देकर और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है कि उनके बच्चों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी चाहे परिवार की आय कितनी भी हो। यह भी सुझाव था कि अन्तर्जातीय दम्पतियों को सरकारी पदों पर भर्ती, जमीनों, आवास स्थलों और मकानों के आबंटन के मामलों में तरजीह दी जानी चाहिए ताकि जाति रहित समाज के इन प्रतीकों को राष्ट्र द्वारा उपयुक्त मान्यता दी जा सके। इसी प्रकार, 1973-74 तक था

1977-78 की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को विवाह के अवसरों पर स्वर्ण-पदक-नकद अनुदान देने के अतिरिक्त, जैसा कि कुछ राज्यों में हो रहा है, उन्हें बच्चों की शिक्षा में रियायत, सरकारी नौकरी में भर्ती, भूमि तथा आवास-स्थल के आबंटन आदि के मामलों में तरजीह जैसे दीर्घ-कालिक लाभ देकर प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा।

7.36 रिपोर्टाधीन वर्ष में प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

आन्ध्र प्रदेश

यदि पति अथवा पत्नी में से कोई भी एक अनुसूचित जाति का हो तो उसे अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को अधिकतम, 1,400 रुपये का अनुदान दिया जाता है और यदि पति और पत्नी में से एक भी पिछड़े वर्ग का हो तो ऐसे दम्पति को 5,00 रुपये का अनुदान दिया जाता है। किसी भी रूप में किए गए विवाह को अन्तर्जातीय विवाह के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाती है और आवश्यक नहीं कि उसका पंजीकरण कराने के लिए जोर दिया जाए। अनुदान घर-बार बसाने के काम आने वाली आवश्यक चीजों के रूप में दिया जाता है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति में से कोई भी एक यदि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का हो तो उसे दम्पतियों तथा इनके बच्चों को छावृत्तियां, छात्रवृत्तियां सुविधाएं तथा अन्य शैक्षिक रियायतें जैसी असांविधिक रियायतें उसी तरह दी जाती हैं जैसी अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग, जैसा भी मामला हो, के लोगों को दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों के बच्चों को ये रियायतें विवाह की तारीख का लिहाज किये बिना दी जाती हैं। किन्तु ये रियायतें अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों में से उन्हीं को दी जाती हैं जिनका विवाह 15 जुलाई, 1974 को अथवा इसके बाद हुआ हो। पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी एक की जाति के आधार पर पति और पत्नी दोनों ही ये रियायतें पाने के पात्र हैं।

बिहार

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन की स्कीम के अन्तर्गत यदि पति अथवा पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और वह बिहार का स्थायी निवासी हो तो ऐसे अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को उनके विवाह के समय बिहार सरकार 2,000 रुपये का अनुदान जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के माध्यम से देती है।

गुजरात

अनुसूचित जाति और सवर्ण हिन्दुओं के मध्य अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को गुजरात सरकार 500 रुपये की राशि देती रही थी। जीवन निर्वाह के खर्च को बढ़ते जाने के कारण इस राशि को बहुत कम समझते हुए इस राशि को अक्टूबर, 1974 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। इस रकम में से, पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर 4,000 रुपये का अल्प-वचत प्रमाण-पत्र उपहार के तौर पर दिया जाता है और इसके अलावा, घर का सामान आदि खरीदने के लिए 700 रुपये नकद दिये जाते हैं तथा 300 रुपये विवाह संस्कार और स्वागत-समारोह आदि के लिए दिये जाते हैं।

कर्नाटक

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को अधिकतम 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते कि पति और पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति का हो। यह सहायता केवल उन्हीं दम्पतियों को ही दी जाती है जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3,000 रुपये से अधिक नहीं हो।

इस अनुदान का उपयोग किसी ध्वजे को शुरु करने या जमीन की खरीद, मकान बनाने अथवा किसी ऐसे पूंजीगत निवेश के लिए किया जाना चाहिए जिससे दम्पति के अपने निर्वाह के लिए आवर्ती आय हो सके। यह वित्तीय सहायता केवल उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने विधि के अनुसार विवाह किया हो, और जिनके विवाह को पंजीयन कार्यालय में दर्ज करा लिया गया हो, भले ही उन्होंने किसी भी अन्य रीति रिवाज से विवाह किया हो और पति तथा पत्नी के रूप में कम से कम एक साल से रहत रहे हों।

केरल

जिन व्यक्तियों को अन्तर्जातीय विवाह के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े उन्हें 2,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले इन दम्पतियों के बच्चों को वे सभी शैक्षणिक सुविधाएँ दी जाती हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाती हैं बशर्ते कि इन बच्चों के माता और पिता दोनों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह करने वाले इन दम्पतियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते कि उम्मीदवार की माता या पिता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों। जिस सरकारी कर्मचारी ने अन्तर्जातीय विवाह किया हो उसे राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार उसी स्टेशन में तैनात किया जाता है। 1978-79 वर्ष में ऐसे 152 दम्पतियों को अनुदान के रूप में 3,04,000 रुपये की रकम वितरित की गई।

मध्य प्रदेश

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले प्रत्येक दम्पति को 1,000 रुपये की रकम दी जाती है और इसके साथ ही उन्हें उनके घर/ग्राम से राज्य की राजधानी भोपाल तक का आने-जाने का परिवहन खर्च भी दिया जाता है। हर वर्ष 26 जनवरी को राज्य के राज्यपाल द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाले इन दम्पतियों को उनकी समाज-सेवा के लिए प्रमाण-पत्र तथा स्वर्ण/रजत पदक दिये जाते हैं।

महाराष्ट्र

जिन मामलों में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और दूसरा स्वर्ण हिन्दू जाति का हो अन्तर्जातीय विवाह करने वाले ऐसे दम्पति का सम्मान करने के लिए योजना के अधीन, सामाजिक स्वागत समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनपर 300 रुपये या 200 रुपये तक की रकम खर्च की जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली सभी रियायतें अन्तर्जातीय विवाह करने वाले इन दम्पतियों में गैर-पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को तथा इन दम्पतियों की सन्तान को भी दी जाती है।

पांडिचेरी

इस संगठन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पांडिचेरी सरकार ने अपनी मूल योजना को समाप्त कर दिया और इसके बदले में गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई योजना के आधार पर अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना चलाई जिसके अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाले प्रत्येक दम्पति को अधिकतम 5000 रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

तमिलनाडु

अस्पृश्यता की बुरी प्रथा को समाप्त करने तथा सामुदायिक और जातिगत सामन्जस्य की भावना पैदा करने के लिए तमिलनाडु

की सरकार ऐसे अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देती है जहाँ पति और पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो तथा ऐसे दम्पतियों को निम्नलिखित रियायतें देती हैं:—

- (1) प्रशस्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त लगभग 1 1/2 गिन्नी के मूल्य के 14 कैरेट के स्वर्ण पदक देना।
- (2) 4-10-73 से 200 रुपये का नकद अनुदान।
- (3) अनुसूचित जाति के दम्पतियों को 250 रुपये से 15,000 रुपये तक की राशि के बिना व्याज के ऋण देना। यह राशि लघु व्यापार ऋण योजना के अधीन छोटे-मोटे व्यापार शुरु करने के लिए दी जाती है।
- (4) दम्पतियों में से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मकान बनाने की तीन सेंट जगह।
- (5) हरिजनों को दी जाने वाली रियायतों के मामले में ऐसी दम्पति के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तरजीह देना।

त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले ऐसे दम्पतियों को जिनका विवाह अनुसूचित जाति तथा स्वर्ण हिन्दू के बीच हुआ है, 2000 रुपये का अनुदान तथा प्रशस्त पत्र देती है। इस वित्तीय अनुदान में से 500 रुपये विवाहोत्सव तथा स्वागत समारोह आदि के खर्च के लिए, और 500 रुपये घर का सामान खरीदने के लिए नकद उपहार के रूप में दिये जाते हैं तथा शेष एक हजार रुपये की रकम अल्प-बचत प्रमाण-पत्र के रूप में इस दम्पति के संयुक्त नाम से दी जाती है।

7.37 यह बहुत उत्साहवर्धक बात है कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम चलाई है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि यह योजना अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। गोवा, दमन तथा दीव द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को अब भारत सरकार ने मंजूर कर दिया है और राज्य सरकार इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर देगी। यह सुझाव दिया जाता है कि शेष राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को चाहिए कि वे अन्तर्जातीय विवाह करने वाले ऐसे दम्पतियों को अल्प-कालिक तथा दीर्घकालिक लाभ प्रदान करें और इस बात को सनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार से तंग नहीं करता है।

7.38 यह कहना यहां पर असंगत नहीं होगा कि गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में गठित वकिंग ग्रुप ने भी यह सुझाव दिया है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों, जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होना चाहिए, के बच्चों को भी आरक्षण के वे सब लाभ मिलने चाहिए जो अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जाते हैं और इन विवाहों से संबंधित प्रत्येक पत्नी/पति को रोजगार के मामले में उस कोटा/श्रेणी की जिसके लिए वह आमतौर पर हकदार हो, उच्च प्राथमिकता तब तक दी जानी चाहिए जब तक वे एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते या परस्पर तलाक नहीं दे देते। आशा है कि संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को लाभ देते समय वकिंग ग्रुप के उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

7.39 भर्ती के मामलों में ऐसे दम्पतियों को प्राथमिकता देने के विशिष्ट सुझाव के बारे में केवल केरल सरकार ने

इसकी विणिष्ट व्यवस्था की है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्य सरकारों ने इस प्रकार के दम्पतियों को यह रियायत देने के बारे में अधिसूचना जारी नहीं की है, उन्हें इसे जारी करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए।

गैर सरकारी एजेंसियां

7.40 ग्राम समाज और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास में ऐसी एजेंसियां महत्वपूर्ण योग कर सकती हैं वशत कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों के आधार पर पर्याप्त सहायता दी जाए, जो सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हों और जिनका दूसरी गतिविधियों के साथ ताल-मेल बिठाया गया हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस प्रकार की अनेक एजेंसियों काम कर रही हैं। इनमें से कुछ तो अखिल भारतीय स्तर की हैं और भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से काम कर रही हैं। जो एजेंसियां किसी एक राज्य में काम कर रही हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकार मदद देती हैं। आमतौर पर ये एजेंसियां शिक्षा और आर्थिक उत्थान, अस्पृश्यता प्रथा को दूर करने के लिए प्रचार तथा खासकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में आत्म-विश्वास की भावना पैदा करके सामाजिक कार्यालय करने के लिए काम करती हैं।

7.41 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान भारत सरकार ने जिन गैर सरकारी एजेंसियों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी उनकी अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के निमित्त सहायता अनुदान दिया उनके नाम तथा अनुदान राशि की सूचना नीचे दी गई है :-

(रुपये लाखों में)

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | इन वर्षों में दिए गए सहायता अनुदान की राशि | 1977-78 | 1978-79 |
|-------------|--------------|--|---------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |

क. अनुसूचित जातियों के लिए :

| | रुपये | |
|--|-------|-------|
| 1. अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, दिल्ली | 11.14 | 10.34 |
| 2. भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली | 1.25 | 2.27 |
| 3. हिन्दू स्वर्णम सेवक समाज, नई दिल्ली | 1.68 | 1.95 |
| 4. ईश्वर अरण्यश्रम, इलाहाबाद | 1.23 | 0.54 |

ख. अनुसूचित जनजातियों के लिए :

| | | |
|---|------|------|
| 1. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली | 2.81 | 7.36 |
| 2. आन्ध्र राष्ट्र आदिम सेवक संघ, नेल्डोर, आन्ध्र प्रदेश | 0.67 | 0.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------|------|---|
| 3. रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची, बिहार | 1.69 | 1.97 | |
| 4. रामकृष्ण मिशन, चेरपूजी, मेघालय | 10.16 | 9.73 | |
| 5. रामकृष्ण मिशन आश्रम, शिलांग, मेघालय | 0.83 | 1.57 | |
| 6. श्रीरामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलाडी, केरल | 0.86 | 1.11 | |
| 7. रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, सिल्चर, असम | 0.93 | 1.00 | |
| 8. नागालैंड गांधी आश्रम, मोकोकचुंग, नागालैंड | 0.30 | 0.49 | |
| 9. श्री रामकृष्ण सोसायटी, वीमापुर, नागालैंड | 0.25 | 0.25 | |
| 10. अशोक आश्रम, कलसी, देहरादून, उ० प्र० | 1.50 | 1.93 | |
| 11. वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान | | 2.00 | |
| 12. तिलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, नीलगिरी तमिलनाडु | | 0.57 | |
| 13. श्री गिरीवनवामी प्रगति मंडल, नई दिल्ली | | 2.50 | |
| 14. श्री रामकृष्ण सेवा केंद्र, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल | 0.07 | 0.22 | |
| 15. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली | 1.24 | 1.58 | |
| ग. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए : | | | |
| 1. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी, उड़ीसा | 1.20 | 1.15 | |
| 2. रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, पश्चिमी बंगाल | 2.30 | 2.91 | |
| 3. ठक्कर बापा आश्रम, नीमाखंडी, उड़ीसा | 0.32 | 0.44 | |
| *4. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र | 3.66 | 4.49 | |
| 5. श्रीरामकृष्ण आश्रम, नीमापीठ, उड़ीसा | | 1.87 | |
| 6. श्री रामकृष्ण विद्यापीठ, पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल | | 0.19 | |
| 7. घरमोरा माडल सब हिल्स एंड प्लेन्स कल्चरल इन्स्टीट्यूशन, उत्तरी लखीमपुर, असम | | 0.27 | |
| घ. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए : | | | |
| 1. भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली | 6.49 | 8.33 | |

हरिजन सेवक संघ

7.42 वर्ष 1978-79 के दौरान, हरिजन सेवक संघ ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के चुनिंदा 31 ब्लॉकों में अस्पृश्यता निवारण के लिए 'गहन क्षेत्रीय कार्य' की स्कीम शुरू की है। प्रत्येक ब्लॉक में पचास गांवों में किए गए। 'गहन क्षेत्रीय योजना' एक निश्चित अवधि में एक विनिष्ट क्षेत्र में से अस्पृश्यता निवारण का कार्य-क्रम चलाने के लिए बनाई गई है। गहन क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में अस्पृश्यता निवारण और हरिजन कल्याण के लिए समय-समय पर पहले से किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर योजनाएं

* अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी।

बनाई गई है ताकि वर्तमान समस्याओं और उस क्षेत्र में धुस किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकें। निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है :—

- (1) सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सार्वजनिक और प्रतिदिन के व्यवहार में अस्पृश्यता की वर्तमान धारणा को हटाना तथा सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों के बीच सौहार्द स्थापित करना,
- (2) हरिजनों के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास के अवसरों का पता लगाना और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- (3) हरिजन समुदायों से हानिकर विश्वासों और रिवाजों तथा साथ ही व्यसनों को समाप्त करना,
- (4) हरिजनों के प्रति अन्यायों और अत्याचारों के बारे में सतर्क रहना और उन्हें पूरा न्याय दिलाने के लिए कदम उठाना और ;
- (5) हरिजनों के आर्थिक विकास के लिए अवसरों की तलाश करना और इसके लिए साधन उपलब्ध कराना।

संघ के कार्यकर्ताओं ने 1500 से भी अधिक गांवों का सर्वेक्षण किया और वहां पर व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमर्थताओं, हरिजन जनसंख्या और भूमिहीन परिवारों तथा उनके स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या आदि के बारे में काफी सूचना एकत्र की। अस्पृश्यता निवारण के लिए संघ ने एक गहन कार्यक्रम बनाया है जिसमें प्रचारकों के माध्यम से प्रचार/साहित्य का प्रकाशन, फिल्म प्रदर्शनों, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्राओं का आयोजन, बैठकों का आयोजन और सम्भव सम्मेलनों आदि के आयोजन जो ग्रामतौर पर धार्मिक नेताओं, अध्यापकों और विद्वानों द्वारा सम्बोधित किए जाते हैं, सम्मिलित हैं। ऐसी बैठकों/सभाओं में अनुसूचित जातियों की समस्याओं के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और समाधान के लिए उन्हें सरकार के ध्यान में लाया गया। रिपोर्टीधीन वर्ष देश भर में 2415 ऐसी बैठकों/सभाओं का आयोजन किया गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकलाप दूरदराज के देहाती क्षेत्रों में संकेन्द्रित किए और वहां से उन्होंने 392 मामलों की सूचना दी जिनमें से 143 भूमि विवादों से संबंधित थे और 249 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता व्यवहार के थे। इसके अतिरिक्त, संघ ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के मामलों से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर अध्ययन और निरीक्षण किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागों में हरिजनों को 245 मन्दिरों 374 कुओं, 517 रेस्तरांओं में अबाध रूप से आने-जाने की स्वतन्त्रता दिलाने तथा 183 नाइयों और 62 धोबियों की सेवाएं उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। भंगी कष्ट मुक्ति भी संघ द्वारा चलाई जा रही एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अधीन, जिसका उद्देश्य मल उठाने से मुक्ति दिलाना है, 53 भंगी कष्ट मुक्ति सेवकों, 3 क्षेत्रीय सेवकों और 4 जोनल संगठनकर्ताओं ने क्षेत्र में कार्य किया। इन कार्यकर्ताओं ने 8196 शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करवाया तथा 4121 जलवाहित शौचालयों का निर्माण करवाया। परिवर्तित किए गए ऐसे शौचालयों की अधिकतम संख्या गुजरात (5209) में रही, उसके बाद पश्चिम बंगाल (833) और उड़ीसा (500) आते हैं। जनवाहित शौचालयों के निर्माण की अधिकतम संख्या गुजरात (1040), उड़ीसा

(1200), पश्चिमी बंगाल (727), कर्नाटक (566) में थी। जोनल आयोजक ने गुजरात में राज्य सरकार की सहायता से बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर लगाए। अहमदाबाद में संघ द्वारा चलाए जा रहे सफाई विद्यालय ने, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शहरी देहाती स्वच्छता और मल निपटान के सुव्यवस्थित और स्वास्थ्यकर तरीकों में प्रशिक्षण देता है, अहमदाबाद, भड़ोच, अमरेली, महसाना और बलसाड़ में अनेक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जिनमें 325 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गुजरात सरकार ने शौचालयों के परिवर्तन के लिए नगरपालिका और पंचायत क्षेत्रों में क्रमशः 400 रुपये और 500 रुपये की सहायता देना जारी रखा। इस स्कीम के अधीन नगरपालिका क्षेत्रों में 2600 शौचालयों का परिवर्तन किया गया। जामनगर, सूरत, बड़ोदा, सावरकांठा, दांग और भड़ोच नगरपालिकाओं ने शौचालयों के परिवर्तन के अपने कार्य पूरे कर लिए। संघ लड़कियों के लिए "कस्तूरबा बालिका विद्यालय" नामक एक आवासीय संस्थान भी चलाता है जिसमें उच्चतर माध्यमिक कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान में 597 छात्राएं थीं जिनमें से 217 आवासीय छात्राएं थीं व इनमें से 199 छात्राएं अनुसूचित जाति की, एक अनुसूचित जनजाति की तथा 17 अन्य थीं। इसके अतिरिक्त, एक प्राथमिक स्कूल "बापा आश्रम स्कूल" सफाई करने वाले समुदायों के बच्चों के लिए भी चलाया जा रहा है। इस स्कूल में 374 बच्चे थे, इनमें से 241 सफाई करने वाले समुदायों के थे, 81 अन्य अनुसूचित जातियों के और 52 अन्य पिछड़े वर्गों के थे। इनमें से 252 आवासीय छात्र थे।

भारतीय दलित वर्ग लीग

7.43 भारतीय दलित वर्ग लीग ने अस्पृश्यता की प्रथा को मिटाने तथा अनुसूचित जातियों को शेष समाज के साथ समानता दिलाने के लिये अपने प्रयास जारी रखे। महिला प्रचारकों सहित 70 प्रचारकों ने सवर्ण हिन्दुओं को अस्पृश्यता की असामाजिक कुरीति के उन्मूलन की वांछनीयता को समझाने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैठकों और मेलों का आयोजन किया। 1978-79 वर्ष की पहली छमाही में लीग के प्रचारकों ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 884 जन सभाओं और सामाजिक मिलन का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, प्रचारकों के प्रयासों से इन राज्यों में 5 होटलों, 3 पीने के पानी के कुएं और दो मन्दिर अनुसूचित जातियों के लिए खुले। यह भी सूचित किया गया कि प्रचारकों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 150 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया। प्रचारकों के द्वारा अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की विभिन्न शिकायतों को भी देखा गया तथा तथ्यों का घटनास्थल पर जाकर पता लगाया गया तथा उनकी शिकायतों को दूर कराने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया। अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध वेदों और शास्त्रों से उद्धरण और वाल्मीकि ऋषी, महात्मा रविदास जैसे संतों तथा ऋषि दयानन्द, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों के संदेशों के घोस्टर छपवाकर अस्पृश्यता की कुरीति के बारे में इन संतों के विचारों से जनता को अवगत करवाने के लिए व्यापक रूप में बांटे गए।

हिन्दू स्वीपर्स सेवक समाज

7.44 वर्ष 1978-79 के दौरान, हिन्दू स्वीपर्स सेवक समाज ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, शाहजहाँपुर, वाराणसी, फतेहपुर, कटनी और रानाघाट में हरियाणा में गुड़गांव और पंजाब में पटियाला स्थित 9 समाज कल्याण और शिक्षा केन्द्र

चलाना जारी रखा ताकि अनुसूचित जातियों के बच्चों और महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। कठनी और रानाघाट केन्द्रों को छोड़कर शेष सभी केन्द्रों में दो अध्यापक और एक आया है जबकि इन दोनों केन्द्रों में एक अकेला अध्यापक है। समाज मैट्रिकोत्तर 35 अनुसूचित जाति छात्रों के लिए इलाहाबाद में एक होस्टल भी चलाता है जहां रहने खाने तथा विशेष अनुशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में समाज 30 अनुसूचित जाति छात्रों के लिए एक आशुलिपिक/टाइपराइटिंग प्रशिक्षण केन्द्र और झाड़ूवशों के बच्चों के लिए इलाहाबाद में एक आश्रम स्कूल भी चलाता है जहां देहाती क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों विशेषकर झाड़ूवश परिवारों के स्कूल जाने वाली आयु के 72 बच्चों के आवास की व्यवस्था है। इनमें रहने वालों के रहने-खाने की व्यवस्था मुफ्त की जाती है।

7.45 समाज का रामकृष्ण मिशन आश्रम, राचा द्वारा चलाए जा रहे है 'दिव्यम्' नामक संस्थान की पद्धति पर अनुसूचित जाति के युवकों को प्रशिक्षण देने तथा उनमें धार्मिक एकता, सामाजिक भाईचारे तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना भरने के लिए एक कृषि प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने का विचार है। प्रस्तावित संस्थान शुरू करने हेतु भूमि के आबंटन के लिए समाज ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखनऊ जिले में भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन किया था। कुछ समय पहले आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री को की थी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय लिया नहीं है। समाज द्वारा किए गए संतोषजनक कार्य और अनुसूचित जातियों के युवकों को कृषि प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी।

श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलाड़ी

7.46 रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलाड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति के 70 स्कूली बालकों के लिए एक छात्रावास चला रहा है। वहां पर अन्य समुदायों के कुछ अन्य छात्र सशुल्क रहते हैं। आश्रम इसके आवासियों को उनकी शिक्षा और उनकी आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए काफी अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। सुयोग्य अध्यापकों और होस्टल वार्डन द्वारा कोचिंग के अतिरिक्त कमजोर छात्रों को विशेष ट्यूशन भी दी जाती है। रिपोर्टीधीन वर्ष में एक विशेषज्ञ द्वारा कुछ चुनिंदा छात्रों को तीन सप्ताह का योगासन के अभ्यास का प्रशिक्षण भी दिया गया। 42 बालकों तथा 21 सशुल्क छात्रावासियों को भ्रमण के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया।

रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी

7.47 रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए एक छात्र गृह चला रहा है। वर्ष 1978-79 में उसकी संख्या 65 थी जिसमें से 46 अनुसूचित जन जातियों के, 13 अनुसूचित जातियों के और 6 आर्थिक रूप से पिछड़े व अन्य पिछड़े वर्गों के थे। 15 छात्रों के एक समूह को अंशकालिक प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में टंकण कला का प्रशिक्षण दिया गया। बालकों को विशेष कोचिंग भी इसके लिए नियुक्त अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से दी गई। आश्रम का एक डेरी फार्म भी है जो बालकों को पशु-पालन का व्यावहारिक प्रदर्शन करता है और आवासियों को दूध प्रदान करता है। 7 छात्रों को 'बिकरी' में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

नागालैण्ड गांधी आश्रम, चुचुयिमलंग (नागालैण्ड)

7.48 नागालैण्ड गांधी आश्रम चुचुयिमलंग 1955 में स्थापित किया गया था और इसने नागालैण्ड के लोगों की सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए

हैं। आश्रम ने सबसे पहले एक छोटा सा चिकित्सा सहायता केन्द्र चलाना आरंभ किया था। आश्रम ने 1957 में एक देहाती शिल्प स्कूल शुरू किया था जहां सिलाई और बढ़ईगिरी व्यवसायों को सिखाने की सुविधाएं थीं। इस केन्द्र में काफी संख्या में प्रशिक्षित हुए युवा व्यक्ति उन व्यवसायों के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हाल ही में देहाती शिल्पकार प्रशिक्षण स्कूल के कार्यकलापों का विस्तार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (अंधों को छोड़कर) के लिए बढ़ईगिरी, सिलाई, बांस व बेंत का कार्य आदि जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। युवकों और युवतियों को हिन्दी सीखने के लिए वर्धा भेजने का एक नया कार्य शुरू किया गया है। प्रशिक्षित व्यक्तियों में से अधिकतर अब नागालैण्ड के विभिन्न स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों के रूप में नियुक्त हैं। आश्रम ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से मधु मक्खी पालन का कार्य भी शुरू किया है और नागालैण्ड के विभिन्न गांवों में दो हजार मधु मक्खी कालोनियां बसा दी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह आश्रम आसपास के गांवों में कुछ बाल बाड़ियां चला रहा है। आश्रम के पास एक छोटा सा पुस्तकालय भी है जिसमें भारतीय संस्कृति व इति-हास, गांधीवाद और उत्तर पूर्व भारत की जन जातियों आदि से संबंधित पुस्तकें रखी जाती हैं। कृषि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आश्रम में उस एकीकृत ग्राम विकास ब्लाक में जिसमें आश्रम स्थित है, विकास कार्य शुरू किया है। इसके अंतर्गत चांगटांगया सामुदायिक विकास ब्लाक के सभी गांव आ जाएंगे। यह कार्यक्रम पांच साल तक चलेगा, इसका उद्देश्य सीढ़ीदार खेती, छोटी सिंचाई स्कीमों और कुछेक कुठोर उद्योग परियोजनाएं शुरू करना है। यह आशा की जाती है कि श्री नटवर ठक्कर के गतिशील नेतृत्व में यह आश्रम आदिवासियों में सही प्रकार की जागरूकता ला पाएगा।

7.49 ऊपर बताए गए कार्यकलापों के अतिरिक्त सामान्य तौर पर आश्रम ने और विशेष तौर से श्री नटवर ठक्कर ने मानवता के लिए अपनी सेवाओं और अपनी निःस्वार्थ समर्पण भावना के कारण नागालैण्ड के लोगों से विशेष संबंध बनाए हुए हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में श्री नटवर ठक्कर द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से नागा लोगों में अपनी सर्वोत्तम परम्पराओं को बनाए रख कर अपने बहुमुखी विकास की प्रेरणा मिली है। श्री नटवर द्वारा किए गए कार्यों से गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और कलतः नागाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। श्री नटवर द्वारा बड़ी विषम परि-स्थितियों और सीमित साधनों से राज्य के विभिन्न भागों में किया गया ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य निःसंदेह उत्तरोत्तर लाभदायक सिद्ध होगा। आश्रम द्वारा प्राप्त की गई सफलता को देख कर यह वांछनीय होगा कि श्री नटवर ठक्कर और उनके आश्रम द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्य के प्रभाव का विस्तार किया जाना चाहिए तथा नागालैण्ड और इसके आसपास के क्षेत्र में अधिक से अधिक ऐसे गांधी आश्रम शुरू किए जाने चाहिए।

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

7.50 स्वर्गीय श्री ठक्कर बापा द्वारा स्थापित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली में स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालय और विभिन्न राज्यों में इसकी संबद्ध शाखाओं द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण का कार्य करता है। वर्ष 1978-79 के दौरान भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रुपए 3,14,794 की 8 विभिन्न स्कीमों हाथ में लीं। ये स्कीमों विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की गईं। संघ ने 1963 में कल्याण स्कीमों के द्वारा स्थानीय आदिवासियों में राष्ट्रियता और एकता की भावना पैदा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बोमदिला के निकट, रुपा में राजेन्द्र आश्रम स्थापित किया। इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान इसमें 75 विद्यार्थी (49 लड़के और 26 लड़कियां) कृषि, सिलाई का काम, और सामाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण ले रहे थे। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त परीक्षा की तैयारी कराने के लिए विशेष वर्ग लगाए जाते हैं। गुजरात में भालोद में एक आदिवासी महिला प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है जो महिला कार्यकर्ताओं

को बाल-कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और ग्रामीण तथा आदिवासी महिलाओं में विस्तृत कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देता है। वर्ष 1978-79 के दौरान इस केन्द्र में अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, करल और उत्तर प्रदेश की 40 महिलाओं ने बच्चों की देखरेख, पोषण और महिलाओं के कल्याण का प्रशिक्षण लिया। आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में संघ आदिवासी आश्रम विद्यालय चला रहा है जिसमें श्रीकाकुलम जिले और उसके अन्दरूनी क्षेत्र से लगभग 75 लड़कियां कालेज स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने आती हैं। यहां रहने वालों को भोजन और निवास स्थान उपलब्ध हैं। प्रत्येक लड़की को प्रतिवर्ष 50 रुपए वस्त्रों के लिए भी दिए जाते हैं। मामकुम खंड रांची के 10 गांवों में संघ का एक आजीवन सदस्य एकीकृत कृषि विकास स्कीम में चला रहा है। वर्ष 1978-79 के दौरान भारत सरकार ने 20 वरिष्ठ आजीवन सदस्यों, 12 कनिष्ठ आजीवन सदस्यों और 12 स्वयं-सेवकों की "आजीवन सदस्य" संबंधी एक पुरानी स्कीम मंजूर की और इन सदस्यों के वेतन की अदायगी हेतु 1 अक्टूबर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक के छः मास के लिए 4,14,528 रुपए के व्यय का अनुमोदन किया। नए आजीवन सदस्य और स्वयंसेवक नियुक्त किए जा चुके हैं जिन्होंने चुने हुए क्षेत्रों में जाकर अपना कार्य आरंभ कर दिया है।

रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची (बिहार)

7.51 रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची ने 'दिव्यधन' स्कीम को चलाना जारी रखा। यह किसानों के लिए, विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र

और उसके आसपास के युवा आदिवासी किसानों के लिए, प्रशिक्षण संस्थान हैं। मिशन ने 31 मार्च, 1979 तक 1,924 किसानों को प्रशिक्षित किया है, उनमें से 146 प्रशिक्षार्थियों ने इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 25 प्रशिक्षार्थियों ने कृषि विज्ञान (2), बागवानी (6), मुर्गी पालन (4), शुष्क भूमि पर कृषि कार्य (11) और विविध (2) में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्षेत्र के विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों पर लगभग 10,130 पुस्तकों, 9 दैनिक समाचार पत्रों और 102 साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र पत्रिकाओं के साथ एक पुस्तकालय बहुत अच्छे रूप में चलाया जा रहा है। आश्रम एक होम्योपैथिक औषधालय भी चला रहा है। वर्ष 1978-79 में कुल 7,469 रोगियों का इलाज हुआ, इनमें लगभग 90 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए किया गया कार्य

7.52 सूचना और प्रसारण मंत्रालय अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध लोकमत जागृत करने के लिए बहुत लाभकारी कार्य करता आ रहा है। मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों द्वारा किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट 53 पर देखा जा सकता है।

आदिवासी विकास

आदिवासी विकास के लिए नीति

8.1 पांचवी योजना में आदिवासियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा की गई और आदिवासियों के विकास के लिए नई कार्य नीति अपनाई गई। इस दृष्टिकोण के अनुसार देश की आदिवासी जनसंख्या को मोटे तौर से चार भागों में बांटा गया :-

- (1) वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है;
- (2) आदिवासी संकेन्द्रण वाले क्षेत्र;
- (3) बिखरे हुए आदिवासी; और
- (4) आदिम आदिवासी।

मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वहां की जनसंख्या में 75%* से भी अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी विकास योजनाएं आदिवासी विकास की योजनाएं मानी जाती हैं। शेष 16 राज्यों** और 2 संघ राज्य क्षेत्रों*** के सभी विकास खण्डों में जहां पर अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण 50% से अधिक था, वहां पर क्षेत्रीय आधार पर आदिवासीय उपयोजना का दृष्टिकोण अपनाया गया। उस दृष्टिकोण के अनुसार आदिवासी संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों के लिए आदिवासीय उपयोजनाएं बनाई गईं और बिखरे हुए आदिवासियों के कल्याण का काम राज्य सैक्टर में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सामान्य कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में होना जारी रहा। 1978 में सिक्किम राज्य में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों घोषित किया गया। आदिवासी उपयोजना अभी बनानी बाकी है। कई आदिवासी समुदाय प्रौद्योगिकी के मामले में कृषि-पूर्व खाद्य सामग्री बटोरने और आबेट की स्थिति वाले हैं जिन्हें अपने जीवित बने रहने के लिए हाथ-पैर मारने वाली आदिम आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए।

स्वाधीनता के समय से आदिवासियों का विकास

8.2 स्वाधीनता के आरम्भ से ही आदिवासियों के विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना के दौरान चुने हुए आदिवासी क्षेत्रों में 43 विशेष बहु-उद्देश्यीय आदिवासी विकास स्कीमें चलाई गई थीं। इस कार्यक्रम में, वाद में संशोधन किया गया और इसे कम गहन बनाया गया। आदिवासी विकास खण्ड 1956 में आरम्भ किए गए जो अधिक व्यापक थे। जनसंख्या के छुटपुटपन और क्षेत्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी विकास खण्ड की स्थापना का मानक लगभग 150 से 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 25,000 जनसंख्या रखा गया, जब कि सामुदायिक विकास खंड का सामान्य मानक लगभग 66,000 जनसंख्या का होता है। पहले चरण में आदिवासी विकास खण्ड दो-निहाई से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शुरू किए गए थे। तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 504 खण्ड स्थापित हो चुके थे। आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम में पांच-पांच वर्ष के दो चरण शामिल थे। पहले चरण के लिए 10 लाख रुपए और दूसरे चरण के लिए 5 लाख रुपए, इसे प्रकार 10 वर्ष के समय में 15 लाख रुपए सामुदायिक विकास

खण्ड कार्यक्रम और अन्य राज्य कार्यक्रमों में होने वाले सामान्य निवेशों के अतिरिक्त दिए गए। चौथी योजना के पूर्व इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई। यह निर्णय किया गया कि आदिवासी विकास खण्डों में किए गए प्रयत्नों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। इसलिए 10 वर्ष की अवधि के आगे पांच वर्ष का एक अन्य चरण तीसरा चरण जोड़ा गया जिसमें 10 लाख रुपए खर्चे होने थे। यह भी निर्णय किया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम का विस्तार न किया जाए। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त में भी दो-निहाई से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों में लगभग 504 आदिवासी विकास खण्ड थे। इन खण्डों की परिधि में देश की कुल आदिवासी जनसंख्या का 40% आ पाया।

8.3 पांचवी योजना से पूर्व आदिवासी विकास की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई। योजना आयोग द्वारा नियुक्त शीलु-अग्रो समिति ने सभी राज्यों के आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यचालन की विस्तारपूर्वक जांच की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम बहुत ही अनम्य और योजनात्मक बन गया है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की समस्याओं और हाथ में लिए गए कार्यक्रमों में नामसज्य नहीं है। आदिवासी विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे अनुपूरक व्यय को अनन्य व्यय माना जाने लगा क्योंकि इन क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने की जिम्मेवारी आदिवासी कल्याण विभाग की मानी जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि आदिवासी विकास खण्ड ही उनको ओर ध्यान देगा। इसलिए इन क्षेत्रों को विकास सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रमों का कोई लाभ उल्लेखनीय रूप में नहीं मिला। समिति ने यह भी देखा कि इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए आदिवासी विकास खण्ड एक बहुत ही छोटी इकाई है। इन इकाइयों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, महत्वपूर्ण स्थानों के लिए योग्य कामियों का मिल पाना और प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण कर पाना कठिन रहता था। इसलिए समिति ने कार्यक्रम का रूप पूरी तरह से बदलने की सिफारिश की।

8.4 पांचवी योजना बनाने की कार्रवाई के अंग के रूप में, योजना आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यदल का अप्रैल, 1972 में गठन किया था और कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि पांचवी योजना के लिए निम्नलिखित प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए :-

- (1) आदिवासी क्षेत्रों का संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पांचवी तथा उससे बाद की योजनाओं के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण आवश्यक होगा। पांचवी योजना तथा उससे आगे आदिवासी क्षेत्रों के एकीकृत विकास की नीति पर बल दिया जा सकता है।
- (2) साथ-साथ वाले आदिवासी विकास खण्डों तथा आदिवासियों की जनसंख्या के अधिक संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों का समूहीकरण करके बड़े आदिवासी विकास क्षेत्र बनाने के सुस्पष्ट लाभ हैं। फिर भी, ये विकास क्षेत्र भौगोलिक एवं प्रशासकीय दृष्टि से व्यवहार्य होने चाहिए। इसमें उन क्षेत्रों का चयन करना होगा जहां आदिवासी जनसंख्या संकेन्द्रित है। ऐसे आदिवासी क्षेत्र वृहत-क्षेत्र हो सकते हैं जो साधारणतया काफी बड़े अनुसूचित क्षेत्रों के अनुरूप हों, मध्यम क्षेत्र जिला

*द्व्योरे के लिए कृपया परिशिष्ट 54 देखें।

**द्व्योरे के लिए कृपया परिशिष्ट 55 देखें।

तथा तालुक की सीमाओं जैसे हो सकते हैं तथा लघु क्षेत्र आदिवासी विकास खण्ड हो सकता है।

- (3) बृहत, मध्यम तथा लघु क्षेत्रों के अलावा देश भर में आदिवासी जनसंख्या के छोटे-छोटे समूह हैं। उनकी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा उनके विकास पर जिला स्तर की बहुस्तरीय योजना में अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी होगी।
- (4) अंतिम विश्लेषण में परिस्थितिकीय, व्यावसायिक तथा सामाजिक प्रचालकों के सम्मिलन का ठीक ढंग से मूल्यांकन करना पड़ेगा तथा नीति बनाते समय और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिनमें कि अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर लोगों को इसका नियमित गति से लाभ मिलना सुनिश्चित ही सके।

आदिवासी उपयोजना तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं

पूरे किए गए वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य

8.5 पांचवी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजनाओं को तैयार करने के बारे में योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक अभिज्ञेय समूह एवं क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि उनके विकास के लिए निश्चित परिश्रेय उभर सके। यह बताया गया था कि आदिवासी उप-योजनाएं ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई जाएं जो उनकी समस्याओं, सामान्य उद्देश्यों एवं नीतियों, विभिन्न कार्यक्रमों की रूप रेखा, निवृत्तों, वित्तीय पहलुओं तथा विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे का एकीकृत दृश्य प्रस्तुत कर सकें। मार्गनिर्देशों में यह भी बग़ावत गया था कि प्रत्येक राज्य में आदिवासी संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों या उप-योजना क्षेत्रों में बृहत सी व्यवहार्य परियोजनाएं शामिल होनी चाहिए। ऐसी प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आई०टी०डी०पी०) के लिए क्षेत्र एवं लोगों की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाली एकीकृत क्षेत्र विकास योजना बनाई जानी चाहिए। पांचवी योजना में अपनाई गई उप-योजना की परिकल्पना में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघ राज्य क्षेत्र में उनको एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में गठित करना शामिल था। आंध्र प्रदेश, असम तथा महाराष्ट्र में आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आरम्भ में अनुसूचित जनजातियों की लगभग 20,000 जनसंख्या को लिया गया। केरल तथा तमिलनाडु में यह मानदण्ड और कम करके लगभग 10,000 तक किया गया। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जहाँ आदिवासी जनसंख्या और अधिक बिखरी हुई है, 50 प्रतिशत आदिवासी संकेन्द्रण वाले गांवों को उप-योजना क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। कर्नाटक तथा दमन में आदिवासी जनसंख्या पूरी तरह बिखरी हुई है, वहाँ परिवार पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर यह विचार किया गया है कि सभी स्रोतों की निधियों को मिलाकर उनका सदुपयोग क्षेत्र के सम्पूर्ण एवं एकीकृत विकास के लिए किया जाएगा जिनमें अनुसूचित जनजातियाँ विशेष केन्द्र बिन्दु होंगी। छठी पंच वर्षीय योजना जिसे अनवरत योजना के रूप में माना गया था अप्रैल, 1978 में आरम्भ हुई।

8.6 देश के समस्त आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को 179 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में बांटा गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि आदिवासियों के लिए कार्यक्रम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र की विशिष्ट जहूरतों के मंदर्भ में तैयार किए जाएंगे।

1977-78 के अंत तक 129* परियोजनाएं तैयार की गई थीं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने उनसे अपेक्षित सभी परियोजनाएं तैयार कर ली थीं। गृह मंत्रालय की मंजूरी देने वाली समिति ने 179 परियोजनाओं में से 129 परियोजनाओं के सामान्य दृष्टिकोण एवं अन्तर-क्षेत्रीय प्राथमिकता का अनुमोदन कर दिया। जैसा कि पहले बताया गया है उप-योजना क्षेत्र के सम्पूर्ण विकासीय प्रयत्नों का विचार है। आदिवासी उप-योजनाओं में वित्तीय निवेश चार स्रोतों, अर्थात् (1) राज्य योजनाओं से परिव्यय, (2) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से क्षेत्रीय परिव्यय, (3) संस्थागत वित्त तथा (4) विशेष केन्द्रीय सहायता, से होता है। फिर भी, आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में निवेश के मुख्य सघटक राज्य योजना परिव्यय से किया गया आबंटन तथा विशेष केन्द्रीय सहायता है।

उप-योजना क्षेत्रों में छठी योजना में वित्तीय निवेश

8.7 छठी पंचवर्षीय योजना में यह विचार किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 3000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इसका सबसे अधिक अंश 1850 करोड़ रुपए राज्य योजनाओं से आएगा तथा 350 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र से दिए जाएंगे। 350 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए उप-योजना क्षेत्रों के लिए, 40 करोड़ रुपए आदिवासियों के छोटे समूहों के विकास के लिए तथा 10 करोड़ रुपए आदिम जातियों के लिए दिए जाएंगे। 300 करोड़ रुपए तथा 40 करोड़ रुपए की धनराशि का संवितरण सम्बन्धित राज्यों में उप-योजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तथा उप-योजना के भौगोलिक क्षेत्रफल आदि पर आधारित निश्चित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से आरम्भ, जिसे अभी तक औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, 500 करोड़ रुपए हो सकती है तथा संस्थागत वित्त 300 करोड़ रुपए हो सकता है। केन्द्रीय कार्यक्रमों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित 500 करोड़ रुपए की धनराशि में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अनेक केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों को राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

8.8 पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के पांचवें वर्ष में और छठी योजना के पहले वर्ष में राज्य योजनाओं और विशेष केन्द्रीय सहायता से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में वित्तीय परिव्यय परिशिष्ट 57 में देखे जा सकते हैं। 1974-78 की चार वर्ष की अवधि में राज्य परियोजनाओं से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कुल पूंजी निवेश 509.63 करोड़ रुपए का था और विशेष केन्द्रीय सहायता से 119.30 करोड़ रुपए का था। 1978-79 वर्ष में राज्य उप योजनाओं और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 344.12 करोड़ रुपए तथा 67.36 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में 1974-79 के दौरान भौतिक उपलब्धियाँ

8.9 आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में 1974-79 वर्षों के दौरान क्षेत्रवार/कार्यक्रमवार व्यय तथा प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों को परिशिष्ट 58 के विवरण संख्या 1 से 22 में देखा जा सकता है। नीचे दी गई सारणी में 1974-78 के दौरान किया गया क्षेत्रवार व्यय दिखाया गया है और उससे यह मालूम हो जाएगा कि उप योजना क्षेत्रों में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों में से मुख्य कार्यक्रम कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र, जल तथा विद्युत विकास, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं तथा संचार सेवाओं से सम्बन्धित थे।

* राज्यवार वित्तृत स्रोतों के लिए कृपया परिशिष्ट 56 देखिए।

† आंकड़े अंतिम, स्रोत गृह मंत्रालय।

(रूपये करोड़ों में)

| क्र. सं० | क्षेत्र | व्यय | | |
|----------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | राज्य योजना | विशेष केन्द्रीय सहायता | योग |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र | 119.65 | 68.52 | 118.17 |
| 2 | सहकारिता | 15.54 | 17.26 | 32.80 |
| 3 | जल तथा विद्युत विकास | 190.05 | 0.01 | 190.06 |
| 4 | उद्योग एवं खानिज | 21.16 | 6.00 | 27.16 |
| 5 | परिवहन तथा संचार | 47.52 | 5.93 | 53.45 |
| 6 | सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। | 114.03 | 19.73 | 133.76 |
| 7 | वित्त एवं सामान्य सेवाएं। | 1.68 | 1.85 | 3.53 |
| कुल योग. | | 509.63 | 119.30 | 628.93 |

यह दिखाई पड़ेगा कि पांचवीं योजना अवधि के 4 वर्षों के दौरान आदिवासी विकास कार्य की गति तेज की गई थी और आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त अवसंरचना सृजित की गई परन्तु ऐसा बताया गया है कि सीमित समावेशन क्षमता और नए विकास कार्यक्रमों के लिए प्रभावी वितरण प्रणाली के अभाव के कारण इस क्षेत्रों में वांछित रूप में प्रगति नहीं की जा सकी।

8.10 परिशिष्ट के विवरणों में दी गई सूचना को देखने से पता लगेगा कि 1974—79 के दौरान आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में लघु सिंचाई पर काफी ध्यान दिया गया। आन्ध्र प्रदेश, में 1,66,787 एकड़, असम में 21,485 हेक्टेयर, बिहार में 45,000 हेक्टेयर, गुजरात में 18,900 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 14,032 हेक्टेयर, त्रिपुरा में 432 हेक्टेयर और उड़ीसा में 1,10,381 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की गईं और महाराष्ट्र में 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तैयार की गई। भू-संरक्षण के अन्तर्गत लिया गया अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयरों में) इस प्रकार था :—आन्ध्र प्रदेश में 6804, असम में 8564, बिहार में 62,940, गुजरात में 46,608, मणिपुर में 649, उड़ीसा में 32,970, राजस्थान में 3,315, त्रिपुरा में 4,127 और पश्चिम बंगाल में 2,061। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में स्थानान्तरित खेती एक बड़ी समस्या है और इस विषय पर इस अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, हल के बैल, सिंचाई के काम के लिए तेल वाले इंजिन और बिजली की मोटरें दिए जाने, भूमि विकास, उर्वरकों के वितरण आदि के कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में बागवानी को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया गया और बागवानी के अन्तर्गत लिए गए क्षेत्र (हेक्टेयरों में) इस प्रकार थे :—आन्ध्र प्रदेश में 12,082, बिहार में 50,000, उड़ीसा में 14,000 और राजस्थान में 930। दुधारू पशुओं, भेड़ों और मुर्गीखानों की यूनिटों का वितरण किया गया। आदिवासी अर्थ-व्यवस्था में लघु वन्य उत्पाद एकत्र करने तथा बेचने के काम का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादन तथा उपभोग ऋण उपलब्ध करने, अधिशेष कृषि तथा लघु वन्य उत्पाद खरीदने और आदिवासी समुदायों को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए यद्यपि बड़ी संख्या में लैम्स (समितियां) स्थापित की गई हैं, परन्तु उनके कार्य में बहुत सी बाधाएं हैं और इसीलिए आदिवासी लोग दुकानदारों तथा महाजनों की दया पर अब भी निर्भर रहते हैं। ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का लैम्स में विलयन कर दिया गया है और सदस्यों की और

निकलने वाली पुरानी बकाया की समस्या के कारण वे लैम्स से आवश्यक सहायता नहीं ले सकते।

8.11 स्कीमों द्वारा हुए प्रभाव का पता करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जिनमें उपयोगना क्षेत्र हैं, यह बताने का अनुरोध किया गया था कि क्या किसी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आई० टी० डी० पी०) विशेष में कोई कार्यक्रम अच्छी तरह चलने लगा है या नहीं और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि परियोजना प्राधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार सौंपे जान तथा राज्य स्तर और परियोजना स्तर पर मानदिरग तथा मूल्यांकन के लिए किए गए प्रबन्धों के बारे में सूचना दें। कुछ सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस संगठन को अपर्याप्त सूचना भेजी गई है। कुछ प्रमुख टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :—

बिहार :

1974—78 की अवधि के दौरान राज्य योजना से 113.27 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई थी और उसमें से उपयोग 106.77 करोड़ रुपए का हुआ जिसका अर्थ हुआ कि 6.50 करोड़ रुपए कम लिए गए। उसी अवधि में विशेष केन्द्रीय सहायता से 17.51 करोड़ रुपए के अर्बंटन में से 16.61 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया अर्थात् 0.90 करोड़ रुपए कम का। यह टिप्पणी की जाती है कि यद्यपि 427 लैम्स स्थापित की जा चुकी थी परन्तु उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही कार्य कर रही थी। उनमें से अधिकतर तो आरम्भ ही नहीं हुई। मुख्य समस्या बहुत-सी पुरानी वसूलियों के बाकी पड़े होने की बताई गई। बंच चिह्न सर्वेक्षण में जो राज्य सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाना था, फार्मों की छपाई में कठिनाई के कारण देरी हुई। यह भी टिप्पणी की जाती है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए जो संवीक्षण समिति गठित की गई थी उसकी एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। खुटी मेसो परियोजना (रांची) में ऐसा देखा गया कि धन का बहुत कम उपयोग किया गया और खर्च से बचा धन जमा होता जा रहा था। जनता रोजगार योजना तथा उसके अन्तर्गत 11 सूत्री विकास कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों के व्योरे प्राप्त नहीं हैं। बुरहाड़ी (तमाड़ खण्ड) तथा अमूनबुस (बुन्दू खण्ड) में एक आदिम जाति बिरहोडोर के पुनर्वास के लिए 1978-79 वर्ष के दौरान धन की मंजूरी दी गई थी परन्तु प्राप्त किए लक्ष्यों की सूचना नहीं दी गई है।

केरल :

पांच एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं यथा पुनालूर, इडुक्की, बिलाम्बूर, मजन्तोडुडी तथा अट्टप्पड़ी में से परियोजना अधिकारी केवल अट्टप्पड़ी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसी सूचना दी गई है कि शेष एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए मामला अभी विचार अधीन है। कुशल प्रशासनिक अवसंरचना तथा विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना अधिकारी की नियुक्ति पूर्वनिश्चित आवश्यकता है। परियोजना स्तर समिति का गठन भी अभी तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार को इस विषय में जल्दी ही विचार करना चाहिए। सातवें वित्त आयोग ने 20 लाख रुपए की राशि प्रतिकर भत्ते के भुगतान के लिए और 40 लाख रुपए आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के रिहायशी भवन निर्माण के लिए मंजूर किए थे परन्तु यह सूचित किया गया है यथा अपेक्षित कार्रवाई की वास्तविक योजना गृह मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। आदिवासी भूमि और आदिवासियों को हस्तांतरित करना केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध तथा अन्तर्गत भूमि की वापसी) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। परन्तु यह खेद की बात है कि उक्त अधिनियम को अभी लागू नहीं किया गया है। वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन बताया जाता है।

आदिवासी भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए उक्त राज्य को यह अधि-नियम तत्काल लागू करना चाहिए।

गिरिजन सहकारी समितियों वृहत् आकार वाली बहुउद्देश्यीय समितियों (लैम्स) की शाखाओं के रूप में कार्य कर रही थीं और लघु वन्य उत्पाद जैसे शहद, मोम, इलायची तथा औषधीय पौधों के एकाधिकार संग्रहण तथा विपणन का काम कर रही थीं। यद्यपि ये समितियाँ अच्छा काम कर रही थीं फिर भी सभी स्तरों पर सहकारिता के ढाँचे को सुसंगठित करने और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी।

उड़ीसा

1974—78 अवधि के दौरान राज्य योजना से उपलब्ध आदिवासी उप योजना के लिए धन की उपयोग में 12.27 करोड़ रुपए कम लगाए गए। धन राशि 101.70 करोड़ रुपए की उपलब्ध की गई थी और उपयोग 88.80 करोड़ रुपए का किया गया। उसी अवधि में विशेष केन्द्रीय सहायता में से 4 करोड़ रुपए कम उपयोग किए गए क्योंकि 17.37 करोड़ रुपए के आवंटन में से 13.35 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पन्पेश में यह देखने में आया कि 1978-79 को लिए 750 कच्चे कुओं के लक्ष्य में से केवल 312 आवेदन प्राप्त हुए और 275 कुओं के लिए ऋण मंजूर किए गए। यह सूचित किया गया कि धन समाप्त हो चुका है और सहायकी के बहुत से दावे अभी प्रशासक के पास पड़े हैं। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ कार्य भी निराशजनक बताया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भूमि विकास के लिए आवंटित 1,50,000 रुपए में से 4,722 रुपए का उपयोग किया गया था। पशु पालन सम्बन्धी निष्पादन भी धीमा था क्योंकि 184 बकरियों के लक्ष्य में से केवल 74 बकरियाँ खरीदी गई थीं। इसी प्रकार से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरापुट में यह देखने में आया कि कच्चे कुओं की स्कीम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही थी। जबकि 1977-78 में 95 कुएँ पहले के शेष बचे थे, स्कीम पर कार्य जनवरी, 1979 में जाकर आरम्भ किया गया और 1978-79 के लिए 700 कुओं के लक्ष्य में से 404 कुओं पर कार्य आरम्भ किया गया परन्तु एक भी कुआँ पूरा होने की सूचना नहीं मिली। उसी परियोजना क्षेत्र में यह भी देखने में आया कि 67,300 रुपए की समस्त आवंटित धन राशि छः लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च कर दी गई जबकि यह पता ही नहीं लगाया गया कि कितनी वास्तविक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाना है और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए वास्तव में उसका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा।

कर्नाटक

ऐसा देखा गया कि 1974—78 अवधि के दौरान उपयोग क्षेत्र को 282.50 लाख रुपए के आवंटन में से 108 लाख रुपए का उपयोग किया गया अर्थात् 174.50 लाख रुपए कम। छः लैम्स आयोजित की गई थीं किन्तु वे केवल लघु वन्य उत्पाद के विपणन का ही काम कर रही थीं। इन लैम्स के द्वारा ऋण तथा उपभोक्ता सामग्री की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं की जा रही थीं। यह हर्ष का विषय है कि इस राज्य ने गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसका अर्थ है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से भी भूमि का हस्तान्तरण नहीं हो सकेगा। बेनामी क्रय-विक्रय को रोकने के लिए ऐसा किया गया था।

उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी खण्ड को पांचवी योजना अवधि में उपयोगिता में शामिल किया गया था।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में 42 गांवों में से 36 वन ग्राम हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने इन गांवों के आदिवासी परिवारों की भूमि का आवंटन करने की दृष्टि से इन गांवों की भूमि को राजस्व विभाग में निहित कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं फिर भी यह

मुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून में संगत प्रावधान कर दिया जाए ताकि आवंटन कर दिए जाने के बाद भूमि गैर आदिवासीयों के पास न पहुँच जाए। उत्तरप्रदेश सरकार को आदिवासी भूमि के गैर आदिवासियों को हस्तान्तरण करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ऐसा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में 3 लैम्स कार्य कर रही हैं। परन्तु उन्हें मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि बैंक क्षेत्र तथा साथ ही साथ राज्य वित्त अधिकरण इन लैम्स को पर्याप्त धन नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार को इस पक्ष की जांच करनी चाहिए ताकि लैम्स अपने त्रिविध कार्यों को चला सकें, अर्थात् कृषि तथा वन्य उत्पाद का प्रापण आदिवासियों को उनकी उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री और उन्हें उत्पादन तथा उपभोग ऋण उपलब्ध कराना। यह भी देखा गया कि सभी स्त्रियों से धन जमा करके एकीकृत आदिवासी विकास के साथ सभी विभागों को उसमें शामिल करने की संकल्पना ही गायब थी क्योंकि उनके विकास सम्बन्धी विभाग यह समझते थे कि आदिवासी विकास का कार्य मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग का ही है।

मध्य प्रदेश में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नारायणपुर के कार्यचालन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के सगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण

8.12.16 सितम्बर, 1979 से 30 सितम्बर 1979 तक मध्य-प्रदेश में बस्तर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर में इस सगठन द्वारा एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। दल में श्री एम० एम० शर्मा, अनुसंधान अधिकारी तथा श्री विजय तम्हाणे, अन्वेषक शामिल थे। सर्वेक्षण के दौरान उक्त दल ने कुछ प्रमुख विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे सहकारिता, शिक्षा, संचार तथा जन स्वास्थ्य का अध्ययन किया। सर्वेक्षण से कुछ प्रासंगिक बातों का पता चला जिन पर मध्यप्रदेश सरकार तथा साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उद्धरण परिशिष्ट 59 में दिए गए हैं। उक्त रिपोर्ट में की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ/दिए गए सुझाव संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

- (1) वनों का लाभ स्थानीय निवासियों तथा वन विभाग द्वारा उठाया जा रहा है। वन विभाग ने 'सागौन' के पेड़ लगाने का काम आरम्भ किया है। इन वृक्षों का अत्यधिक व्यापारिक मूल्य है परन्तु उनके बढ़ने में बहुत समय लगता है। इन वृक्षों का स्थानीय आदिवासियों को कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन्हें उनसे कोई वन्य उत्पाद प्राप्त नहीं होता। यह सुझाव दिया जाता है कि तेजी से बढ़ने वाली किस्मों के वृक्ष और लघु वन उत्पाद देने वाली किस्मों के वृक्ष लगाने का काम व्यापारिक महत्व के वृक्ष लगाने के साथ-साथ किया जाना ताकि स्थानीय निवासी जो वनों पर ही निर्भर करते हैं, निकट भविष्य में लाभ उठा सकें।
- (2) शिक्षा के बारे में यह सुझाव है कि नए स्कूल खोलने के बजाय वर्तमान स्कूलों और आश्रम विद्यालयों की स्थिति को मजबूत बनाया जाए और गुणात्मक शिक्षा देने पर बल दिया जाना चाहिए। सुझाव है कि एक आश्रम विद्यालय सोनपुर गांव में खोला जाना चाहिए जिस से सोनपुर के आसपास के 10 कि० मी० के घेरे में लगभग 33 आमुजमारिया, ग्रामों के बच्चों को लाभ होगा।
- (3) संचार सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। हर मौसम में चलने वाली ऐसी सड़कें बनाई जाएं जो कम से कम सभी ब्लाक मुख्यालयों की और सभी उत्पादन

केन्द्रों को परियोजना मुख्यालय नारायणपुर के साथ जोड़ती हों।

- (4) आदिवासी लोग कृषि की श्रमिका वन्य उत्पादों के संग्रहण को तरजीह देते हैं और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उर्वरक के प्रयोग के प्रति भी आदिवासी लोगों का रुख उपेक्षापूर्ण है। आमजमाईया लोग श्रम भी स्थानान्तरी खेती करते हैं। गहन कृषि कार्यक्रमों के स्थान पर बागवानी की योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए।
- (5) अन्दरूनी आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए। इस आशय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि प्रतिवर्ष कितने वन्य उत्पाद की आशा है। यह सूचना एवम् करन के बाद ये समितियां स्थापित की जाएं और उनके सामने वन्य उत्पादों को खरीदने के सम्बन्ध में एक वार्षिक लक्ष्य रख दिया जाना चाहिए। इन समितियों के प्रबन्धकों को उनका कार्य निष्पादन देख कर समय-समय पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
- (6) आमजमाई क्षेत्र में साधारणतया प्रत्येक आदिवासी परिवार के पास 5 से 10 पशु होते हैं परन्तु वे दूध का प्रयोग नहीं करते। डेरी विकास को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- (7) स्थानीय आदिवासी लोग काष्ठ कला तथा धातु के काम के बढ़िया दस्तकार होते हैं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके उत्पादों के विपणन के लिए उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।
- (8) जन स्वास्थ्य की समस्या पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र में न तो कोई विशेषज्ञ डाक्टर है और न ही परियोजना क्षेत्र में चार जन स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक में भी कोई चलती-फिरती यूनिट है। ऐसा देखने में आया कि अन्दरूनी क्षेत्रों में तैनात डाक्टर अपनी तैनाती के स्थान पर नहीं रहते। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय पहले किए गए विशेष स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम उक्त क्षेत्र में आरम्भ किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक जन स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कम से कम 2-3 विशेषज्ञ डाक्टर और एक चलती-फिरती यूनिट उस क्षेत्र की दूरी और अग्रगत्या को ध्यान में रखकर रखे जाएं।
- (9) उस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को बस्तर भत्ता एक ही दर पर दिया जा रहा था चाहे वे बस्तर जिले के हो अन्य जिलों के। यह मुद्दा है कि अन्य जिले के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएं। भिन्न-भिन्न विभागों में कार्य करने वाले आनुषंगिक कर्मचारियों को भी बस्तर भत्ता दिया जाना चाहिए। यह मालूम हुआ कि परियोजना कर्मचारियों को विशेष परियोजना भत्ता दिया जाना था जिसकी मंजूरी नहीं दी गई थी।

यह संकल्पना कि आदिवासी विकास का उत्तरदायित्व सभी विकास सम्बन्धी विभागों पर है अब कमीशन सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली गई है। परन्तु उपलब्ध सूचना के आधार पर यह टिप्पणी की जाती है कि अधिकतर मामलों में यद्यपि परियोजना, प्राधिकरणों का गठन कर दिया गया है परन्तु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों का एकीकरण तथा परियोजना प्राधिकरण के निदेशन में एक समन्वित ढंग से इसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि लगभग सभी राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन तथा कामिकों सम्बन्धी नीति के लिए मार्ग निर्देश स्वीकार कर लिए हैं, फिर भी प्रभावो रूप से उनका कार्यान्वयन अभी नहीं हो रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को इस पक्ष पर जल्दी ही गौर करके आदिवासी क्षेत्रों में इस स्वीकृत

नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। समावेश क्षमता तथा आदिवासी विकास के लिए उन कार्यक्रमों की सोधी सुसंगति के आधार पर परियोजना प्रस्तावों की संवोक्षा की जानी चाहिए।

आदिवासी विकास में केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका

8.13 केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में से धन राशियों के निश्चित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की भूमिका की विभिन्न बैठकों में समीक्षा की गई है। कई वर्ष पहले दिए गए मुद्दावों में से एक यह था कि प्रत्येक मंत्रालय को आदिवासी क्षेत्रों की देखभाल के लिए अपने यहां अलग से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और उसे गृह मंत्रालय तथा अन्य अधिकारणों के साथ सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान आदिवासी उपयोजनाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए योजना आयोग ने दिसम्बर 1977 में मार्गनिर्देश जारी किए थे और इन मार्गनिर्देशों में यह कहा गया था कि इन उपाय-योजनाओं में केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों के विकास की समग्र जिम्मेदारी उठानी है। उनके लिए यह आवश्यक है कि जहां वे यह अनुभव करें कि राज्य सरकारों के अपने अपने क्षेत्रों में प्रयासों की भारत सरकार द्वारा अनुपूर्ति दी जानी जरूरी है वहां आदिवासी क्षेत्रों के लिए निश्चित स्कीमों तैयार की जाएं। संविधान में केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व होने के नाते उनसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों में से इन क्षेत्रों के लिए सेक्टर सम्बन्धी निवेश का परिणाम नियत करना या उसे अलग-अलग करना ही काफी नहीं था अपितु प्रत्येक मंत्रालय को अपने सेक्टर के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के समग्र रूप को ध्यान में रखना चाहिए चाहे अधिकतर कार्यक्रम राज्य योजनाओं के साधनों के अन्तर्गत ले लिए गए हों। प्रत्येक मंत्रालय को अपनी कार्यनीति स्वयं तय करनी चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो आदिवासी क्षेत्रों को अपने निवेशों में से प्राथमिकता देनी चाहिए। उन कार्यक्रमों में आदिवासियों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। मंत्रालयों द्वारा आवश्यक मार्गनिर्देश उपलब्ध कराना होगा, प्राथमिकताओं का पुनरावंटन कराना होगा और जहां कहीं आवश्यक हो वहां प्रयासों की अनुपूर्ति करनी होगी। केन्द्रीय मंत्रालयों से अपेक्षा थी कि वे इस सम्बन्ध में व्यौरवार विचार करेंगे। ऐसी दृष्टि व्यक्त की गई थी कि विभिन्न विकास सम्बन्धी मंत्रालयों में कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत आदिवासी विकास के लिए नियत कर दिया जाए यद्यपि उसकी प्रतिशतता आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकती है। इस विषय में सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह जानने के लिए विकास से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ भी गृह मंत्रालय ने कई बैठकें आयोजित की हैं। 1978-79 और 1979-80 वर्ष के दौरान केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों में से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा नियत की गई रकम से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट 60 में देखी जा सकती है। अब तक मिला सूचना से ऐसा लगता है कि कुछ मंत्रालयों के लिए अभी यह सम्भव नहीं हो रहा है कि वे पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान आदिवासी क्षेत्रों को दिए जाने वाले आर्थिक साधनों की सूचना दे सकें। मुद्दा है कि सम्बन्धित मंत्रालयों को यह हिसाब यथाशीघ्र लगा लेना चाहिए ताकि सम्बन्धित मंत्रालय की केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में से आदिवासी विकास के लिए बिल्कुल स्पष्ट परिमाणन हो सके।

8.14 इस बात की आशंका है कि 1979-80 की केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए आर्थिक प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को योजना आयोग द्वारा

हाल ही में भेजे गए उन निर्णयों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, जिनके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों की बहुत सी विकास स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी जाएंगी या उनका अर्थ प्रबन्ध सद्गुण आधार (मैचिंग बेंसिस पर किया जायेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हों सकती है कि मंत्रालय आदिवासी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र से अपेक्षित धन नियत करने में स्वयं को असमर्थ करे। परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार के समग्र उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक लगता है कि योजना आयोग सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की सलाह लेकर, केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को धन के अन्तर्गत से सम्बन्धित नए आवेशों के प्रभाव का पता लगाए जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध आदिवासी क्षेत्रों के विकास से है, और आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने के लिए केन्द्रीय धन से विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों के अर्थ प्रबन्ध की पुरानी पद्धति को चालू रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद से आग्रह करने की शोध कार्रवाई करे। अन्य विकल्प के रूप में, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को संविधान के उपर्युक्त उद्देश्य पूरे करने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत स्वयं विचार करके राज्य सरकारों के लिए धनराशियां मंजूर करनी चाहिए।

8.15 उपयोगिता क्षेत्रों से बाहर आदिवासी विकास के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उपान्तरित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया जिसका विभाजन निम्न प्रकार करना पड़ सकता है :—

- (1) उपान्तरित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण जिनमें कम से कम जनसंख्या/ लगभग 10,000 की सीमा पर हो।
- (2) परिवार/समुदाय अभिमुखी कार्यक्रम जिनमें (क) आदिवासी बहुल गांवों के या आदिवासी बहुल जॉपेट्टियों वाले छोटे-छोटे समूहों की शृंखला के लिए कार्यक्रम, (ख) विजिष्ट व्यवसायिक समूहों के लिए कार्यक्रम, (ग) विखरे हुए आदिवासी परिवारों के लिए कार्यक्रम हो।

यह बताया गया था कि पांचवी योजना में आदिवासी बहुल क्षेत्र का पता लगाने के लिए व्लाक स्तर तक के क्षेत्र के लिए गए हैं। परन्तु इस उपान्तरित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण में उन सभी राज्यों में व्लाक स्तर में नीचे जाने की इच्छा की गई थी जहां उपान्तरण के कार्य को व्लाक स्तर तक सीमित कर दिया गया था। यह विचार किया गया था कि आदिवासियों को अधिक बड़े अनुपात में 1978-83 की मध्यम अवधि योजना के दौरान विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने की दृष्टि से, 10,000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों और 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। उपान्तरित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता में ली गई आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता 65 से बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। प्राप्त हुई सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा तथा राजस्थान ने पहले ही उपयोगिता क्षेत्रों में बाहर बहुत से आदिवासी क्षेत्रों का पता लगाने में कुछ प्रगति कर ली है। 10 नवंबर 1978 तक प्राप्त सूचना परिशिष्ट 161 में देखी जा सकती है। सुझाव है कि अन्य सम्बन्धित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए और उपयोगिता क्षेत्रों के बाहर आदिवासी इलाकों का पता लगाना चाहिए ताकि उनके लिए विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकें।

विखरे हुए आदिवासी

8.16 उपान्तरित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण में उपयोगिता के अंतर्गत ली जाने वाली आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता 65 में बढ़कर 75 हो जाने की संभावना है। ऐसे विखरे हुए आदिवासी जो उपान्तरित क्षेत्र

विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आएंगे उस क्षेत्र की कुल आदिवासी जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत होंगे। विखरी हुई आदिवासी जनसंख्या सारे राज्य में विखरी हुई नहीं है। वे कुछ सामाजिक-आर्थिक कारणों से मुनिश्चित क्षेत्रों में मिलते हैं। इन समुदायों का विकास सा 17ण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने की आशा है। इन कार्यक्रमों को पिछड़ी जाति क्षेत्र कल्याण के अंतर्गत स्कीमों के द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा। ऐसा देखने में आया है कि पिछड़ी जाति क्षेत्र के अंतर्गत स्कीमों अधिकतर छात्रवृत्तियों, वृत्तिकार्यों आदि के रूप में शिक्षा पर केंद्रित रहती हैं। आर्थिक कल्याण स्कीमों का स्वरूप सुस्पष्ट नहीं रहा है और वे इन क्षेत्रों में आदिवासियों की आर्थिक दशा पर निर्णायक छाप छोड़ने में असफल रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन स्कीमों के स्वरूप को बदला जाए। इन्हें परिवार आधारित बनाना अधिक अच्छा होगा। ये सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की आवश्यकता के अनुकूल हों ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का लाभ वे भी उठा सकें। यदि यह कार्य शोध नहीं किया गया तो हम उस क्षेत्र में बैचने पंदा करेंगे क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ेगा कि उनके भाई उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं जबकि उन्हें इन स्कीमों के लाभों से इसलिए वंचित रखा जा रहा है कि वे उपयोजना क्षेत्र से बाहर रहते हैं।

मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान आदिवासी विकास संबंधी कार्य दल का गठन

8.17 आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए और मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान उनके विकास के उपाय सुझाने के लिए गृह मंत्रालय ने फरवरी 1978 में एक कार्य दल का गठन किया था। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री इस कार्य दल के अध्यक्ष थे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अग्र्युक्त, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधि, राज्य आदिवासी कल्याण विभाग, समाज वैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य थे। इस कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :—

- (क) आदिवासियों का संरक्षण तथा उनका शोषण समाप्त करने के लिए नियोजित उपायों की समीक्षा करना तथा विभिन्न राज्यों द्वारा उनका कार्यान्वयन;
- (ख) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा चलाए जाने वाले आदिवासी विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा करना;
- (ग) अगले 5 वर्षों के संरक्षण तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में दृष्टिकोण, कार्य नीति तथा प्राथमिकताओं के बारे में सलाह देना;
- (घ) आदिवासी विकास कार्यक्रमों के संबंध में ठोस प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें चरणबद्ध करने का तरीका बताना जिसमें वित्तीय तथा अन्य जरूरतों का उल्लेख हों; और
- (ङ) राज्यों और केंद्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना और सुधार के उपाय सुझाना।

उक्त कार्य दल ने 25 फरवरी, 1978 को अपनी पहली बैठक में आदिवासी विकास के विभिन्न पक्षों पर व्यापक दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा की। अपने कार्य संचालन को सुविधा जनक बनाने के लिए उसने 7 अध्ययन दलों का गठन किया जिनका संबंध (क) कार्यान्वयन (ख) न्यूनतम आवश्यकताएं (ग) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र (घ) अवसरचनना का विकास (ङ) ऋण तथा विपणन व्यवस्था (झ) समाज सेवा (छ) उद्योग तथा संबंध क्षेत्रों से था।

8.18 अध्ययन दलों के गठन का मुख्य उद्देश्य उन से संबंधित सभी पक्षों पर गहराई से विचार करना था जिनका आदिवासी विकास पर प्रभाव पड़ता हो। उक्त कार्यकारी दल ने अगस्त, 1978 में अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत की। 7 अध्ययन दलों ने भी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों में परिचालित किया जा चुका है। उक्त कार्य दल की और अध्ययन दलों की ये रिपोर्टें आदिवासी क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करने कि दिशा में एक और कदम है। पांचवी योजना के दौरान उपयोजनाओं ने जो जोर पकड़ा है उसे देखते हुए सम्बन्धित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे उक्त कार्य दल तथा अध्ययन दलों के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आगे निदेश जारी करें ताकि उच्चतम स्तर पर स्वीकृत नीति के ढांचे को वास्तविकता में ढाला जा सके।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित आदिवासी उप योजनाओं से सम्बन्धित कार्य दल

8.19 1978-79 के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं उनमें से एक थी पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपयुक्त कार्य नीति बनाने के वास्ते योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना। आदिवासी उप-योजनाओं के संबंध में एक कार्य दल का गठन करने का भी निर्णय किया गया। इस कार्य दल के विचारार्थ त्रिपय निम्न लिखित हैं:—

- (क) आदिवासी उप-योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- (ख) उप योजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र सरकारों द्वारा साधनों के वास्तविक आवंटन और किसी राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के लिए उपआवंटन की समीक्षा करना।
- (ग) उपयोजनाओं के लिए योजना प्रणाली-विज्ञान की समग्र रूप में और लघु क्षेत्रों के लिए, सामाजिक दबावों, भिन्न-भिन्न आदिवासी क्षेत्रों के विकास के स्तरों, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और साधारण क्षेत्रीय कार्यक्रमों को अनुकूल बनाने के संदर्भ में समीक्षा करना।
- (घ) आदिवासी उप योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रशासनिक प्रबंधों पर विचार करना।
- (ङ) उन संरक्षणात्मक उपायों की समीक्षा करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हो, कि साधनों पर आदिवासी समुदायों का नियंत्रण रहे।
- (च) ऋण उपलब्धता तथा विपणन संरचनाओं का मूल्यांकन करना; और
- (छ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास को सुप्रवाही बनाने के लिए कार्यक्रमों तथा नीति संबंधी उपायों की सिफारिश करना।

आदिम जातियाँ और उनकी समस्याएँ

8.20 आदिवासी विकास के लिए नई नीति के भाग के रूप में आदिम समूहों के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाना आवश्यक समझा गया। चूंकी ये आदिम समूह कुल मिला कर अलग थलग थे और बहुत से मामलों में तो वे अपनी अस्तित्व के लिए ही जूझ रहे थे अतः इन समुदायों की बुनियादी समस्या यह रही कि वे बदलती परिस्थितियों के अनु रूप स्वयं को ढाल नहीं पा रहे थे। संख्या में ये इतने कम थे कि स्थानीय स्तर पर भी नीति निर्धारण में उन लोगों की कोई पुरजोर आवाज नहीं थी। उनमें से कुछ समुदाय अपेक्षाकृत अधिक विकसित आदिवासी तथा गर आदिवासी समुदायों और घटते जा रहे तथा अच्छे प्रबंध वाले वर्गों के बीच में पिस रहे थे। इन में से कई समुदायों में कुछ विचित्र प्रकार की बीमारियाँ भी हो गई हैं और

आनुवंशिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण नकारात्मक वृद्धि हुई है और कभी कभी तो जनसंख्या में तेजी से गिरावट हुई है।

8.21 इसलिए पहला काम इन समूहों की पहचान करना था। अतः गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन समूहों का पता लगाने और इन समूहों की वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों को लिपिबद्ध करने को कहा क्योंकि इन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 1975 में आदिम समुदायों के संबंध में एक कार्य शाला का आयोजन किया गया जिसमें ऐसे समुदायों की पहचान के लिए निम्नलिखित मापदंड सुझाए गए:—

- (1) प्राचीन कृषि तकनीकी,
- (2) साक्षरता का नीचा स्तर,
- (3) मामूली या थमी हुई वृद्धि-दर।

8.22 पांचवी योजना में 10 करोड़ रुपये का आवंटन, आदिम जातियों के लिए किया गया था। 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 वर्षों के दौरान आदिम जातियों पर क्रमशः 31 लाख रुपये, 65 लाख रुपये, 77 लाख रुपये तथा 110 लाख रुपये खर्च किए गए। यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने इन समूहों की पहचानने का और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के प्रलेख तैयार करने का काम आरम्भ किया था, फिर यह देखने में आया कि वे योजनावत व्यवहार से बाहर नहीं आ सके थे। आधार रेखा आंकड़ों की अपर्याप्तता की समस्या भी इन समूहों के लिए परियोजनाएँ बनाने के काम में बाधा बनी। यह भी अनुभव किया गया है कि इन लोगों के साथ अत्यन्त संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता है और इनके साथ काम करने के लिए उपयुक्त कामिक उपलब्ध करने में कठिनाई रही है।

8.23 विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा 55 आदिम जाति समूहों की पहचान की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा 1978 में नियुक्त आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यदल ने निम्न-लिखित सिफारिशें की।

- (1) चालू योजना में आदिम जाति समूहों के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (2) स्वीच्छक संगठनों का उत्तरोत्तर बड़ी मात्रा में इन कार्यक्रमों के साथ सहयोजित किया जाना चाहिए।
- (3) नमूने के समुदाय ले कर इन कार्यक्रमों में पर्याप्त लचीलापन रखा जाना चाहिए।
- (4) चुने हुए व्यक्तियों को, यदि आवश्यक हो तो, विशेष शर्तें तय करके आदिम जातियों के बीच में कार्य करने के लिए तैनात किया जाए। जो वरिष्ठ अधिकारी इन समूहों के बीच में साधारण हैसियत के काम करने के लिए राजी हों उन्हें भी विशेष शर्तों के आधार पर काम करने दिया जाए, और
- (5) आदिम जातियों के समुदायों, जैसे आबुझमारिया, बोंडापारजा, अंग तथा जारवा, के साधनों पर उनका सतत पारम्परिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और उनकी अपेक्षा बलवान समूहों द्वारा उन पर अतिक्रमण से उनकी रक्षा करने के लिए विशेष विनियम तुरन्त बनाए जाएं।

8.24 पिछली रिपोर्टों में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ आदिम जाति समूह जैसे अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अण्डमानी, अंग तथा शोम्पोन, तामिल नाडू के कोटा और पनियन, बिहार के पहाड़ियाँ और पश्चिम बंगाल के टोटो विशेष प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ अन्य

† आदिम जातियों के नाम कृपया परिशिष्ट 62 में देखें।

जातियों जैसे मध्य प्रदेश के आनुवंशिकियों के सम्बन्ध में यह देखने में आया कि वे भी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के माडिया गोंड, कटकारी और कोलम आदि जातियों के लोगों की स्वास्थ्य तथा पोषण की नाजुक समस्याओं और उडिसा के फूलवती जिले के कुटिया-कोण्डों की स्वास्थ्य तथा आनुवंशिक समस्याओं का उल्लेख करना असंगत न होगा। इनके बारे में क्रमशः आदिवासी अनुसंधान संस्थान पुणे तथा राज्य आदिवासी एवं हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा अध्ययन किया गया था। इन अध्ययनों से पता लगा है कि अधिकतर बीमारियाँ जिनसे आदिवासी ग्रस्त हैं अस्वच्छता, निजी सफाई और स्वास्थ्य शिक्षा की कमी तथा अज्ञान के कारण हैं। उक्त सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि दरांत-कोशिका रोग (दरांत कोशिका विशेषक तथा रक्तक्षीणता) और लाल कोशिका एन्जाइम की कमी (जी-6पी डी) काफी व्याप्त है। अतः यह पता लगाते के लिए विस्तृत जांच करना आवश्यक है कि क्या आदिवासी क्षेत्रों में किसी अन्य प्रकार के आनुवंशिक रोग तो नहीं फैले हुए हैं क्योंकि प्रत्येक आनुवंशिक खतरे के लिए विशेष रोकथाम और इलाज के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। कुटिया-कोण्डों के गांवों के सर्वेक्षण में मलेरिया की बहुत अधिक घटनाएँ होने का भी पता चला जिनका इलाज आमतौर पर मलेरिया निरोधक औषधियों द्वारा किया जाता है परन्तु यदि औषधियाँ उन व्यक्तियों को दी जाएँ जिनमें आनुवंशिक (जी 6 पी डी) एन्जाइम की कमी हो तो इससे भयानक रुधिर जनन रक्त क्षीणता उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया निरोधक औषधियाँ देने से पहले यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए।

8.25 कुछ आदिवासियों की विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रख कर स्वास्थ्य मंत्रालय, अखिल भारतीय आर्यवैज्ञान संस्थान तथा जिपमेर (जे आई पी एम ई आर) पांडिचेरी सही तरीके की चिकित्सा उपलब्ध करने में स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण करने में सक्रियता से व्यस्त हैं, परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण करने में उन्होंने कितनी प्रगति की है और सही ढंग की चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने में आदिवासियों ने किस हद तक लाभ उठाया है यह अभी ज्ञात नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई आबकारी नीति :

8.26 पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों में आबकारी नीति की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में तैयार किए गए मार्ग निर्देशों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में व्यापारिक विक्रय बन्द करने और आदिवासियों द्वारा अपने परम्परागत पेयों की विक्री के लिए न बनाकर केवल नीज तथा सामाजिक उपयोग के लिए तैयार किये जाने की बात सोची गई। चार वर्षों में पूर्ण नशाबन्दी करने की राष्ट्रीय आम राय ने आदिवासी क्षेत्रों में पहले ही सहमति प्राप्त उपायों के कार्यान्वयन को नया महत्व प्रदान कर दिया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की चिन्ता का अनुमान 1977-78 वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से लगाया जा सकता है जिनमें यह बताया गया था कि यद्यपि बहुत से क्षेत्रों में भ्रमके की शराब बनाने की प्रणाली को तो समाप्त कर दिया गया परन्तु वह आपूर्ति प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गई। उस रिपोर्ट में आगे यह सिफारिश की गई थी कि चार वर्षों में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के निर्णय को आदिवासी क्षेत्रों से शराब की व्यापारिक आधार पर विक्री को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में उपयोग करना चाहिए और आदिवासियों को शराब की आदत छुड़ाने में गैर

सरकारी लोगों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। अक्टूबर, 1976 में आयोजित त्रिभुवन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन पर विचार किया गया। बैठक में आम राय यह थी कि इस नीति को तत्काल कार्यान्वित किया जाए। जनवरी 1977 में आदिवासी बहुल राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक अन्य बैठक आयोजित की गई। उन से नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन के काम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं, और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया गया। ऐसा लगता था कि कार्यान्वयन की गति काफी धीमी थी क्योंकि समाज कल्याण विभाग को यह आबकारी नीति शीघ्र लागू करने के लिए 27 जुलाई 1978 को राज्य सरकारों से कहना पड़ा। यह एक माना हुआ तथ्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में शोषण का एक निकृष्ट रूप है शराब बेचने का धन्धा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सब से पहले सारी शराब की दुकानें बन्द कर दी जानी चाहिए और सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भ्रमके की शराब उतारने की प्रणाली आपूर्ति प्रणाली में परिवर्तित न हो जाए। सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आदिवासी समुदाय को शराब पीने की आदत छुड़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं, स्वैच्छिक संगठनों और छात्रों को शामिल करके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

8.27 गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में पूर्ण नशाबन्दी है जिससे निस्सन्देह इन राज्यों के लोगों की आम तौर पर और आदिवासियों की खास तौर पर स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार में नशाबन्दी 1-4-1979 से सारे राज्य में लागू कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में कोई शराब की दुकान नहीं है। राजस्थान ने भी आदिवासी क्षेत्रों में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी है। राज्यों को पहले जरी किए गए मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने नई आबकारी नीति को कार्यान्वित करने की कार्रवाई नीचे दिए अनुसार आरम्भ कर दी है :

(1) आन्ध्र प्रदेश

सितम्बर 1977 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए जिनके अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में 'अराक' की दुकानें आदिवासी सहकारी समितियों को दी जाएंगी जिनमें केवल आदिवासी लोग होंगे और जहाँ आदिवासी सहकारी समितियों को वे दुकानें अर्बन्धित करना सम्भव न हो वहाँ उन दुकानों की नीलामी कर दी जाएगी जिसमें केवल आदिवासी ही भाग लेंगे। जहाँ आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम हो वहाँ 'अराक' की दुकानें लेने का पहला अवसर आदिवासी सहकारी समितियों को दिया जाएगा। यदि वे दुकानें न ले सकें तो उनकी खुली नीलामी कर दी जाएगी।

(2) असम

शराब ठेकेदारों की मर्फत नहीं बेची जाती। विक्रेता को सामान्यतः निश्चित विक्रय शुल्क प्रणाली पर तीन वर्ष की अवधि का पट्टा दिया जाता है और उसे सरकारी गोदामों से शराब दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ मिश्रित जनसंख्या है, शराब केवल सरकारी दुकानों से बेची जाती है। परन्तु सरकार धीरे धीरे सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी लागू करना चाहती है। काम रूप, मोलपाड़ा तथा नौगांव के तीन जिलों में 1954 से असम मद्य विधेय अधिनियम 1952 लागू बताया गया

और शराब खना, बेचना और पीना उम अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध था। मद्य निषेध के प्रचार और मद्य त्याग की नीति के कार्यान्वयन के लिए असम सरकार ने पहले ही राज्य स्तर के एक गैर-सरकारी निकाय का गठन कर लिया है जिसे कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं तथा उसे पूर्ण नशाबन्दी के लिए अनूकूल वातावरण बनाने हेतु नशाबन्दी की नीति पर जोरदार तरीके से अमल करने के कर्त्तव्य सौंपे गये हैं।

(3) हिमाचल प्रदेश

आदिवासी क्षेत्रों की सभी शराब की दुकानों को 1-4-78 से बन्द कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में शराब की 34 दुकानें बन्द हुईं। फिर भी आदिवासियों को अपने घरेलू उपभोग के लिए 5 रु प्रति वर्ष के मामूली शुल्क पर हल्की शराब खिचने की और अपने घरेलू उपयोग के लिए 25 रु प्रति वर्ष के लाइसेंस पर गहरे नशे वाली शराब निकालने की अनुमति है।

(4) कर्नाटक

1977-78 में आदिवासी उपयोजन क्षेत्रों में केवल 6 दुकानें थीं और सूचना के अनुसार इन दुकानों के लाइसेन्सों का 1978-79 से नवीकरण नहीं किया गया है।

(5) उड़ीसा

कोरापूट, मयूरगंज तथा सुन्दरगढ़ नामक तीन जिलों में शराब की बिक्री की ठेका प्रणाली को 1-4-78 से समाप्त कर दिया गया था परन्तु जिला, सब-डिविजन तथा तहसील मुख्यालय, नगर शलिका क्षेत्रों, औद्योगिक तथा खान वाले क्षेत्रों और शहरी विशेषताओं वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। जिन क्षेत्रों में शराब की बिक्री समाप्त कर दी गई है वहाँ आदिवासियों को सामाजिक तथा धार्मिक समारोहों के समय अपनी घरेलू खपत के लिए, न कि बेचने के लिए, कुछ शर्तों के आधार पर (1.5 लीटर प्रति व्यक्ति और अधिक से अधिक 5 लीटर प्रति गृहस्थ) शराब बनाने का अनुमति है।

(6) मध्य प्रदेश

इस राज्य के आदिवासी संकेन्द्रण वाले कुछ क्षेत्रों में नई आबकारी नीति को कुछ परिवर्तित रूप में कार्यान्वित किया गया है। 562 दुकानों की भूमके की शराब प्रणाली को समाप्त किया जा चुका है। कम संख्या में अर्थात् 152 दुकाने इत क्षेत्रों में रहने वाले गैर आदिवासी लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए रख ली गई हैं। इन 152 दुकानों में से 40 दुकानों को 1-4-1979 से बन्द किया जा चुका है और शेष दुकानों को आगामी दो वर्ष में बन्द कर दिए जाने की आशा है। जिन क्षेत्रों में नई आबकारी नीति का कार्यान्वयन किया गया है वहाँ आदिवासियों को अपने घरेलू तथा सामाजिक उपयोग के लिए, परन्तु बिक्री के लिए नहीं, महुआ से शराब बनाने की छूट दे दी गई है। नशाबन्दी की राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रख कर इस पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है किन्तु बस्तर के कुछ भागों को छोड़ दिया गया है जहाँ महुआ से तैयार की जाने वाली शराब पीने का बहुत अधिक प्रचलन है।

(7) महाराष्ट्र

चुने हुए आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी शराब की दुकानों को 30 सितम्बर, 1976 से बन्द कर दिया गया था।

भारत सरकार के गुज्ञाव पर आदिवासी क्षेत्रों में आबकारी नीति अपनाने में आने वाली विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

(क) चुने हुए आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को निजी तथा सामाजिक जरूरतों के लिए परन्तु बिक्री के लिए नहीं, स्वयं अपने परम्परागत पेय तैयार करने दिये जाएं।

(ख) ऐसी शराब की खुदरा दुकानों को बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिए।

(ग) ताड़ी की खुदरा दुकानों को नीलाम किए जाने की वजाय लाइसेंस दिए जाने चाहिए। ये लाइसेंस देते समय आदिवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(8) मणिपुर

लाइसेंस प्रणाली के अधीन केवल आदिवासियों द्वारा शराब निकालने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आबकारी कानून बनाए हैं। देसी शराब पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है इसलिए ठेकेदारों की मार्फत शराब बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। ज्यों ही देसी शराब खींचने की योजना कार्यान्वित होगी, शराब की बिक्री व्यक्तियों के द्वारा लाइसेंस के अधीन की जाने लगेंगी।

(9) त्रिपुरा

आदिवासी क्षेत्रों में शराब की कोई दुकान नहीं है।

(10) पश्चिम बंगाल

राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों से देशी शराब की दुकानों को हटाने और आदिवासी लोगों को उनकी पारम्परिक आवश्यकताओं के लिए घर पर ही शराब बनाने के लाइसेंस जारी करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

(11) अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

प्राप्त सूचना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में शराब की कोई दुकान नहीं खोली गई है। निकोबार के लोग अपने उपभोग के लिए अपने नारियल के वृक्षों से ताड़ी निकालते हैं।

8.28 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों से शराब की दुकानों को हटाने का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी पाया जाता है कि कुछ राज्यों में हटा दिए गए शराब ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से शराब बनाने का काम शुरू करके अपने आप को आदिवासी क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोस के मध्यनिर्माण क्षेत्रों में जमा लिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचना मिली है कि आदिवासी न केवल अपने लिए किन्तु स्थानीय बाजार में बेचने के लिए खुद भी शराब बनाते हैं और इस स्थिति का अनुचित लाभ ठेकेदारों द्वारा उठाया जाता है जो आदिवासियों के नाम पर व्यापार करते हैं। इसलिए यह गुज्ञाव दिया जाता है कि उन व्यक्तियों पर कठोर नियंत्रण रखा जाए जो पिछले समय शराब का व्यापार करते थे ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में गैर कानूनी काम न कर सकें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आदिवासियों को शराब पीने की आदत छुड़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेनी चाहिए।

वन :

8.29 आदिवासी अर्थव्यवस्था वनों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। वे घाम, तेंदू पत्ते, महुआ के फल तथा बीज, साल के

बीजे तथा पत्ते, गोंद, लाख, टमर के कोपे जैसे लघु वन्य उत्पाद और बहुत से अन्य जंगली फल व फूल आदि एकत्र करते हैं। वे अपने मकान और कृषि औजार बनाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठी करते हैं तथा अपने प्रयोग के साथ-साथ बेचने के लिए जलाने की लकड़ियाँ भी एकत्र करते हैं। वन संघटक के बिना आदिवासियों की अर्थव्यवस्था की कल्पना करना कठिन है। यद्यपि यह सम्बन्ध काफी समय पहले स्वीकार कर लिया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश स्पष्ट नितियाँ और कार्यक्रम बनाकर इसे कार्यरूप नहीं दिया गया। यह भी पाया गया है कि वनों के प्रबन्धकों ने आदिवासियों की ओर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया है जितना दिया जाना चाहिए था। वन संक्रियाओं के लिए आदिवासी समुदायों से केवल मजदूर ही लिए जाते रहे हैं। वन विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी अनुसूचित जनजातियों के वनों में परम्परागत अधिकारों और विशेषाधिकारों पर काफी प्रतिबन्ध लगाते जा रहे हैं। इससे देश भर में आदिवासी जनता और वन विभागों के बीच विरोध भाव पैदा हो गया है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि वनों पर आधारित सभी विकास कार्यक्रम कल्पनाशील रूप में बनाए जाने चाहिए ताकि उनसे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को अर्थव्यवस्था में सीधे सुधार लाया जा सके। यह भी बहुत आवश्यक है कि पहले आदिवासियों को यह महसूस करा दिया जाए कि उनके पारम्परिक अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।

8.30 अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों का अध्ययन किया जाए तो यह पाया जाएगा कि इस बात पर हमेशा जोर दिया गया था कि वन विभागों के समूचे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है जिससे वे वनों की रक्षा के साथ-साथ वनों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को भी अपनी ही जिम्मेदारी समझे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की इन रिपोर्टों में वन विकास, सामाजिक वन खंड और आदिवासी विकास पर इनके प्रभावों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इन रिपोर्टों में विचार किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:—

- (1) वनों का प्रबन्ध इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे आदिवासियों में विश्वास पैदा हो व उनमें साथ सम्मिलित होने की भावना पैदा भावना हो।
- (2) वृक्षों को लगाते समय उन पारम्परिक किस्मों को भी लगाया जाए जो आदिवासियों को लघु वन्य उत्पाद और आय के अन्य स्रोत प्रदान करते हैं।
- (3) आदिवासियों के लघु वन्य उत्पाद एकत्र करने के अधिकारों को बिना किसी शर्त के मान्यता दी जानी चाहिए और आदिवासियों से कोई रायल्टी नहीं ली जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासियों को वनों से एकत्र किए गए लघु वन्य उत्पादों के लिए लाभकारी कीमत दी जाती है जो कि पास के बाजार में उस वस्तु की कीमत के अनुरूप हो। लघु वन्य उत्पादों को सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्र किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में नीजि, सार्वजनिक व सहकारी सैक्टरों को आवश्यक सुविधाएं दे कर संसाधन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- (4) वृक्षों की जल्दी उगने वाली किस्मों को लगाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनसे चारा, ईंधन, लकड़ी और आवास तथा ग्रामोद्योगों के लिए सामग्री मिल सके।

- (5) सभी वन क्षेत्रों में वन-बन्दोवस्त का काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय आदिवासी लोगों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को सरकारी तौर पर मान्यता मिल जाए और उन्हें संहिता बद्ध कर लिया जाए।
- (6) वन के गांवों में विशेष विकास कार्य शुरू किए जाने चाहिए और वहां शिक्षा, चिकित्सा और पीने के पानी की आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आरक्षित वनों के बाहर वन भूमि की जुलाई करने वाले सभी आदिवासियों को स्थाई कानूनकारी अधिकार दे दिए जाने चाहिए ताकि वे सधन खेती कर सकें।
- (7) वन्य उत्पाद एकत्र करने और उनका उपयोग करने के संबंध में आदिवासी लोगों के विशेषाधिकारों तथा उन्हें मिलने वाली रिगायतों को, आदिवासी लोगों में मुक्त वितरण के लिए, पुस्तिकाओं के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित कराना चाहिए।

8.31 यह पाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मुद्दों पर आम सहमति है किन्तु क्षेत्र में उनका कार्यान्वयन होना अभी रहता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को वन कार्यक्रमों के लिए अपनी परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाते समय ऊपर के पैराग्राफ में बताए गए मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों की व्यापक योजनाओं में वनों का विकास एक अमिन्न अंग होना चाहिए।

वन और आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

8.32 केन्द्रीय कृषि व मिचाई मंत्रालय ने जुलाई 1978 में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान व पश्चिम बंगाल राज्यों, जिनमें आदिवासी जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण है, के वन और आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन आदिवासी अर्थव्यवस्था में वनों की भूमिका पर विचार करने के लिए बुलाया था। सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि एक निश्चित क्षेत्र में आदिवासियों को उनके द्वारा उगाए गए वृक्षों पर व्यक्तिगत अधिकार और उन्हें प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करते हुए परिस्थिति कीय संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में वन लगाने में आदिवासियों का सहयोग लिया जाय। सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। सम्मेलन में मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकल्प पारित किए गए जो इस प्रकार हैं:—

- (क) वन नीति में वनों को राजस्व का स्रोत ही नहीं समझा जाना चाहिए किन्तु इसमें आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (ख) आदिवासियों को लघुवन्य उत्पाद एकत्र करने का अधिकार होना चाहिए।
- (ग) वनों के कामों में वन श्रमिक सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और
- (घ) वन गांवों को या तो सामान्य राजस्व गांवों में परिवर्तित कर देना चाहिए अथवा विकल्प के तौर पर उनमें सभी विकास कार्य किये जाने चाहिए।

8.33 सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों के आदिवासी कल्याण विभाग वन विभागों के परामर्श से सभी आदिवासी क्षेत्रों में वन-खंड सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए वन श्रमिक सहकारी समितियाँ एक समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार गठित करें, ताकि ठेकेदारों तथा मध्यस्थों को हटाया

जा गके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग, और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान बम्बई द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त धी एस० के० कोल, द्वारा प्रस्तुत पेपर के बारे में बताया उचित होगा। वह पेपर परिशिष्ट 63 में देखा जा सकता है। यहाँ यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अभी वन श्रमिक महकारी समितियाँ ने अपनी जड़े नहीं जमाई हैं।

लघु वन्य उत्पाद

8.34 यह पाया गया है कि वन और आदिवासी कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों को अर्थात् तौर पर कार्यान्वित किया गया है। कुछ मामलों में लघु वन्य उत्पादों के पट्टे बड़े आकार की बहुदेशीय महकारी समितियों अथवा विशिष्ट सहकारी समितियों अथवा आदिवासी विकास सहकारी निगमों जैसे शिखर निकायों के हक में नहीं दिए जा रहे हैं। यह सूचित किया गया है कि उड़ीसा व मध्य प्रदेश में साल-बीजों का पट्टा निजी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि वनों के प्रति अभी भी वाणिज्यिक दृष्टिकोण प्रमुख है और आदिवासी क्षेत्रों में वनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण ने अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं किया है।

सामाजिक वन खंड

8.35 आदिवासियों का जीवन वनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि स्वरूप की है और वह कई प्रकार से वनों पर निर्भर है। इसलिए आदिवासियों को वनों से हटा कर अलग रखने की बात भोचि भी नहीं जा सकती। वन 746 लाख हैक्टर क्षेत्र में हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22.7 प्रतिशत वैधता है। एक अनुमान के अनुसार चार करोड़ आदिवासी लोगों में 50 प्रतिशत से भी अधिक अपनी आजीविका प्रत्यक्ष अथवा अत्यंत रूप से वनों से प्राप्त करते हैं। सन 1865 से पहले आदिवासी लोगों के वन-अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। तब से 1952 तक जब वर्तमान वन नीति बनाई गई थी काफी परिवर्तन हुए। ऐसा प्रति होता है कि वन की भूमि खेती तथा चरागाह, और स्थानान्तरी खेती सहित गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोड़ी जाने के सम्बन्ध में नीति में अन्तर होते रहे हैं। वन हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और यह स्पष्ट है कि अगर इस सम्पत्ति का वृद्धिमत्ता से उपयोग नहीं किया गया तो राष्ट्र को जलवायु परिस्थितियों व भूमि के प्रयोग दोनों में ही काफी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मानव कल्याण के पहलुओं को ध्यान में रखकर वन-के खण्ड कार्यक्रमों में सामंजस्यपूर्ण सन्तुलन स्थापित हो। हमारे वन समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों को ईंधन अथवा चाहिए। वनों के पास रहने वाले आदिवासी और अन्य लोगों को ईंधन मिलना चाहिए। प्रत्येक गांव के निकट जलाने की लकड़ी के पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि उनका काफी उपज से ग्रामीणों को ईंधन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह अनुमान है कि हमारे देश में लगभग चार करोड़ हैक्टर से भी अधिक घटियाँ भूमि उपलब्ध है जिसमें वृक्षों की वे किसमें लगाई जानी चाहिए जो पर्यावरण के उपयुक्त हो तथा जो ईंधन, फल और लघु वन्य उत्पाद प्रदान कर सकें। बारे के लिए धाम भी उगाई जा सकती है और अगर पानी उपलब्ध हो अथवा रोककर इकट्ठा किया जा सकता है तो कुछ भूमि को मछली पालन के लिए प्रयोग किया जा

सकता है। इस कार्य से बाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और भूमि की उपज से न केवल उनकी आधारभूत आवश्यकताएं ही पूरी हो सकेंगी बल्कि उस से उनके जीवन की अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा भी मिलेगा। सामाजिक वन खण्ड के कुछ पहलुओं पर इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी विस्तार से विचार किया गया है।

8.36 नवम्बर-दिसम्बर, 1979 में आयुक्त द्वारा विहार के अपने दौरे के समय यह देखा गया कि वन विभाग ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर सामाजिक वनखंडों का कार्य शुरू किया है। इन जमिनों पर अमरुद, आम, कटहल, करंज आदि फलों के वृक्ष लगाए गए हैं तथा विभाग द्वारा देव रेख की जाती है। आदिवासियों की इमारती लकड़ी की जरूरतों के लिए सागवान के वृक्ष और उनके ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य उपयुक्त वृक्ष भी लगाए गए हैं। आयुक्त ने राज्य के सामाजिक वन खंड संरक्षक से सामाजिक वनखंड स्कीम पर विचार विमर्श भी किया। राज्य में यह स्कीम नवम्बर, 1978 में वनखंडों का वनों से बाहर विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी तथा इसे राज्य उपयोगना में शामिल किया गया है। 1978-79 में इस स्कीम के लिए 60 लाख रुपये का परिचय रखा गया था जिसमें से उम वर्ष के दौरान 27 लाख रु० खर्च किए गए। 1979-80 में भी 60 लाख रु० का परिचय रखा गया था। आयुक्त ने जिन वनखंड स्कीमों को देखा उनमें से नवम्बर, 1979 में देखी गई एक स्कीम रांची जिले में कृषि-वनवर्धन अनुसंधान केन्द्र, मंडर है। यह केन्द्र केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। इसके पास 32 एकड़ का एक फार्म है जिस पर कृषि फसलों के बीच वन-वृक्ष उगाने के प्रयोग किये जा रहे हैं। चार प्रकार के प्रयोग किए जा रहे थे, नामतः (1) केवल नियंत्रित शीशम, (2) शीशम के साथ अरहर, मक्का (3) शीशम के साथ अरहर, रागी और (4) शीशम के साथ अरहर, धान। इस फार्म का प्रयोग स्थानीय आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों के लाभ हेतु प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है।

8.37 आयुक्त ने दिसम्बर, 1979 में सिंहभूम जिले में विश्वनपुर बागान और सथाल परमना जिले के डुमका सब डिवीजन के डुमका ब्लॉक में झिकती सामाजिक वनखंड योजना को भी देखा। बाद वाली स्कीम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की 44 एकड़ भूमि पर शुरू की गई थी। इन पौधों की सिंचाई के लिए 500 रु की छोटी सी लागत से एक नाले पर एक छोटासा बांध बनाया गया है। उसी स्थान पर पीने के पानी के लिए एक छोटा बांध बनाने का प्रस्ताव भी है। इन जमिनों पर करंज, अमरुद, आम सागवान, कटहल आदि के पेड़ उगाए गए हैं। इन पेड़ों को लगाने से इस क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोकने का उद्देश्य भी हल हो जाता है। इस स्कीम से लगभग 15 से 20 आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचता था।

8.38 यह एक अच्छी स्कीम प्रतीत होती है जिससे आदिवासी लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है तथा उनके उपयोग के लिए उन्हें इमारती लकड़ी तथा ईंधन भी मिल सकता है। वह वांछनीय है कि राज्य वन विभाग को अनुसूचित जन जातियों के लोगों की जमिनों पर सामाजिक वन खंडों की और भी स्कीमें शुरू करनी चाहिए।

बिहार राज्य वन विकास निगम :

8.39 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने नवम्बर 1979 में बिहार के अपने दौरे में मुख्य वन संरक्षक से वनों और आदिवासियों के विकास की समस्याओं और विहार राज्य वन विकास निगम के कार्यचालन के संबंध में चर्चा की। यह बताया गया कि बड़े पैमाने पर सागवान के पौधे लगाने के विरुद्ध

किया जा रहा आन्दोलन अधिकतर इन गन्तव्य आरणाओं के कारण था कि सागवान आस पाग के क्षेत्र की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है; वायु तथा पानी की जहरीला बनता है, रोग फैलता है तथा मूले, कन्दों तथा औषधीय पौधों को नहीं उगने देता। आन्दोलन के दौरान कुछ बढ़िया किस्म के मैदानी वनों को काट डाला गया। आयुक्त के ध्यान में यह बात भी आई गई कि 1977 में नाल के बीजों को एकत्र करने तथा उनके विपणन के लिए निगम को राज्य सरकार का एक मात्र एजेंट नियुक्त किया गया है। निगम ने सन 1977 में राज्य के सभी वनों से लगभग 15,000 टन साल की बीजी, एकत्र करके बाजार में बेची। सन 1978 के दौरान, निगम को साल बीजों के अतिरिक्त महुआ, कुसुम और करानी के बीज एकत्र करने और विपणन करने का काम भी सौंपा गया। इस प्रक्रिया से, विनोदियों की समाप्ति हो गई और आदिवासियों को वन्य उत्पादों की उच्च कीमत मिलना सुनिश्चित हो गया। निगम के विभिन्न मॉडलों की निम्नलिखित कीमतें निर्धारित की थीं :—

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) साल बीज | 0.40 रु० प्रति किलोग्राम |
| (2) महुआ बीज | 1.50 रु० प्रति किलोग्राम |
| (3) कुसुम बीज | 1.25 रु० प्रति किलोग्राम |
| (4) करंज बीज | 1.00 रु० प्रति किलोग्राम |

निगम ने इस व्यापार में आने के बाद इन बीजों की कीमतें लगभग दो गुनी कर दी थीं। पहले विनोदियों/ठेकेदार आदिवासी लोगों को इन महत्वपूर्ण वस्तुओं का दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे नमक, मिट्टी का तेल आदि में वस्तु-विनिमय करके इनका जोषण करते थे। सन 1977 के दौरान निगम ने वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को 70 लाख रुपये का वितरण किया। सन 1978 में आदिवासी लोगों को 100 लाख रुपये वितरित किए गए। इन बीजों को उस अवधि के दौरान एकत्र किया जाता है जब स्थानीय लोगों के लिए मूल्य से ही कोई रोजगार मिलता हो। निगम अपने कार्य-क्षेत्र के आदिवासी लोगों को पूर्ण रोजगार देने का उद्देश्य रखा है। पहले चरण में सिंहभूम जिले में गोयलकेरा सामुदायिक विकास खण्ड लिया जाएगा जहाँ 53000 लोग रहते हैं, उनमें से लगभग 21,000 लोग कार्य करने वाले हैं। अपने कार्य संचालन के दो वर्षों में निगम ने सभी वयस्क काम करने वालों को पूर्ण रोजगार दिलाना सुनिश्चित कर दिया था। इस क्षेत्र में 1978 में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खुलना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार का सूचक है। फिर भी यह पता लगा कि महुआ, कुसुम और करंज बीजों को एकत्र करके बाजार में लाने के कार्य को विनोदियों और राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित आन्दोलन के कारण छोड़ दिया गया तथा वन विभाग द्वारा इन बीजों के लिए आदिवासियों को दी जाने वाली लाभकारी कीमतें विराष्ट्रीकरण से खूबे बाजार में गिर गई। इसलिए यह स्पष्ट था कि वन विभाग द्वारा आदिवासी लोगों को उनसे खरीदे गए लघु वन्य उत्पादों के लिए दुगने दाम देने, कुओं को खुदाई करने और जीवन की आवश्यक वस्तुओं की उचित दामों पर विक्री जैसे अच्छे कार्य करने के बावजूद निहित स्वार्थ इस कार्यक्रम को डबो देने में सफल हो गए। संपूर्ण कार्यक्रम में जो कमी थी वह स्थानीय लोगों को शामिल न किया जाना और सरकार की ओर से स्थानीय ठेकेदारों और दुकानदारों के दबाव का मुकाबला करने की राजनैतिक दृष्टि इच्छा का अभाव था। बिहार के मुख्य मंत्री ने कुछेक लघु वन्य उत्पादों के विराष्ट्रीकरण के कारणों का पता लगाने के लिए सम्पूर्ण मामले का अन्वेषण कराने का तथा इस स्कीम को स्थानीय आदिवासी नेताओं को सहमति व सहयोग से पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही टसर कोषे पालने वाले निर्धन अनुसूचित जनजाति

के लोगों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार को कोषों के व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि केन्द्रीय सरकार और खादी बोर्ड के टसर विपणन संगठनों द्वारा कुल उत्पादन का थोड़ा भाग ही खरीदा जाता है।

उपयोजना क्षेत्रों में वनखंडों की स्कीमों के अंतर्गत पांचवी योजना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां :

8.40 रिपोर्टीयन वर्ष के दौरान आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में वन खण्डों के अंतर्गत पांचवी योजना में किए गए खर्च और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों के बारे में सूचना को समेकित करने का प्रयास किया गया था। सूचना परिशिष्ट 64 पर है। यह देखा जा सकता है कि बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकारों ने वन खण्ड के अंतर्गत अच्छी स्कीमें बनाई है। यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य राज्य सरकारों की इस क्षेत्र में आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम बनाने चाहिए तथा आमला, हरड़, बहेड़ा, महुआ आदि लघु वन्य उत्पाद देने वाले पेड़ों को लगाना औद्योगिक अथवा व्यावसायिक उद्देश से प्रेरित उपयोगी किस्म के वृक्ष लगाने के कार्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इनसे आदिवासियों के आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ता है।

8.41 1978-83 की मध्यम अवधि योजना के दौरान आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट में वन खण्ड कार्यक्रमों पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है दल द्वारा वन-खण्ड के सम्बन्ध में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :—

- (1) बड़े वन क्षेत्रों वाले सभी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक योजनाएं बनाई जाएं जिनमें आदिवासी विकास और वन खण्ड विकास के दो सह-समान लक्ष्य होने चाहिए। वन बहुल क्षेत्रों में, वन खंडों खण्डों-मुखी आदिवासी विकास कार्यक्रम बनाए जाएं जिनमें कृषि को गौण स्थान दिया जा सकता है। सभी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विकास और वन खण्ड स्कीमों को फिर से बनाने का कार्य तत्काल शुरू किया जाए और अगले एक वर्ष में पूरा कर लिया जाए ताकि 1978-83 की मध्यम अवधि परियोजना योजनाओं में नई नीति प्रतिबिम्बित हो सके: आदिवासी अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकताओं की सभी वन खण्ड योजनाओं में चाहे वे पारम्परिक, सधन अथवा वाणिज्यिक हों, भाग एक के रूप में अग्रता के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए। इन योजनाओं के दूसरे भाग के विषय में प्रत्येक मामले की अन्य सम्बन्धित बातों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है।
- (2) वाणिज्यिक वन खण्ड कार्यक्रमों को स्थानीय आदिवासी अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए एक प्रारम्भिक चरण हो सकता है। गहन आर्थिक कार्यक्रमों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में आदिवासियों का विकास ऐसी परियोजना का एक भाग होना चाहिए। सभी वर्तमान वनखण्ड परियोजनाओं और विशेष परियोजनाओं की एक वर्ष के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और उनका उपयुक्त तौर पर संशोधन कर लेना चाहिए ताकि 1978-83 की मध्यम अवधि योजनाओं में उनके लिए आवश्यक अनुपूरक निवेश किया जा सके।

- (3) आदिवासियों की सहायता से बड़े पैमाने पर पीछे लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों पर भोगाधिकार दिया जाना चाहिए।
- (4) भविष्य में पीछे लगाने के सभी विभागीय कार्यक्रमों में फलों और ऐसी अन्य किस्मों के पेड़ मिश्रित रूप में पर्याप्त संख्या में होने चाहिए जो स्थानीय आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हों।
- (5) आदिवासियों को लघु वन्य उत्पादों पर पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए तथा बिना कोई रायल्टी वसूल किए उन्हें एकत्र करने के लिए लाभकारी कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए। लघु वन्य उत्पादों की खरीद सहकारियों के माध्यम से की जानी चाहिए व विक्रेतियों को एक वर्ष के भीतर सम्पत्त कर देना चाहिए।
- (6) वन खण्ड सम्बन्धी सभी कार्य वन श्रमिकों की सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने चाहिए जिन्हें वन विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संगठित किया जाना चाहिए। इन कार्यों से राज्य को होने वाले लाभ में से इन सहकारी समितियों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। यह परिवर्तन दो से तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लेने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
- (7) वन विभाग द्वारा सीधे ही अथवा ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने वाले सभी कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए जो न्यूनतम कृषि मजदूरी से कम न हो; और
- (8) वन गांवों में रहने वाले आदिवासियों को उन राज्यों में जहां अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, बिना और समय गवाए, उनके द्वारा जोति जाने वाली भूमि पर पैतृक किन्तु अहस्तान्तरणीय अधिकार दिए जाने चाहिए। सभी समाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों का उन गांवों में उसी प्रकार विस्तार करना चाहिए जैसा कि अन्य गांवों के निवासियों के लिए किया जाता है।

8.42 इसमें कोई शक नहीं कि ये अच्छी सिफारिशें हैं और इन्हें अगर पूरी गम्भीरता से कार्यान्वित किया जाए तो वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की दशा काफी सुधर सकती है।

स्थानान्तरी खेती :

8.43 वन क्षेत्रों में रहने वाले कुछ आदिवासियों अथवा देश के विभिन्न भागों के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में झूम अथवा स्थानान्तरी खेती करना एक आम प्रथा है। आदिवासी लोग अनाज उगाने के लिए स्थानान्तरी खेती करते हैं। यह प्रथा आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठानों तथा विश्वासों से भी सम्बन्धित है। यह अनुमान है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मध्यप्रदेश और तमिल नाडु में 5.28 लाख से भी अधिक परिवार स्थानान्तरित खेती करते हैं। यह समझा जाता है कि केवल उड़ीसा राज्य में 17,700 वर्ग मील क्षेत्र में लगभग 9,33,500 आदिवासी स्थानान्तरी खेती करते हैं। मेघालय में 3,50,000 व्यक्ति 76,000 हैक्टर भूमि में स्थानान्तरित खेती

पर निर्भर हैं जब कि मणिपुर के 5 जिलों में 3,00,000 व्यक्ति 60,000 हैक्टर क्षेत्र में स्थानान्तरी खेती करते हैं।

8.44 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में इस समस्या पर जोर दिया जाता रहा है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऐसे विशेष प्रकोष्ठ गठित करने के सुझाव दिए जाते रहे हैं जो स्थानान्तरी खेती करने वालों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने का काम देख सकें। सूचना के अभाव में यह ज्ञात नहीं हुआ कि क्या सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस प्रकार के प्रकोष्ठ गठित कर लिए हैं अथवा नहीं। भारत सरकार ने भी सम्बन्धित राज्य सरकारों को स्थानान्तरी खेती रोकने के लिए सभी अवयवों को इकट्ठा लाकर संयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा था। स्थानान्तरी खेती करने वाले खेतीहरों के लिए स्पष्ट परिदृश्य तैयार करने का भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था।

8.45 भारत सरकार के कृषि एवं मिचाई मंत्रालय, ने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरी खेती के नियंत्रण के लिए पांचवी योजना में एक केन्द्रीय सैक्टर स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अधीन कृषि के लिए भूमि की सीढ़ियां बनाने और बागवानी फसलों के पीछे लगाने जैसे आधारभूत विकास कार्य किए गए। इस स्कीम पर केवल 1977-78 के दौरान काम चालू हो पाया। प्रथम दो वर्षों में अर्थात् 1977-78 और 1978-79 में कृषि के लिए भूमि की सीढ़ियां बनाने तथा बागवानी लगाने, बागवानी फसलें उगाने जैसे आधारभूत विकास कार्य किए गए। इस स्कीम का राज्यवार व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :--

(रुपये लाखों में)

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मंजूर किए गए एककों की संख्या | परिवारों की संख्या का प्रस्ताव है | *तीन वर्षों (1977-78 से 78-80 तक) के लिए अनुमोदित परिव्यय | 1978-79 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियां |
|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1 | 100 | 10.77 | 2.347 |
| 2 | उड़ीसा | 3 | 300 | 32.31 | 17.596 |
| 3 | असम | 2 | 200 | 21.54 | 1.716 |
| 4 | मेघालय | 1 | 100 | 10.77 | 2.917 |
| 5 | नागालैंड | 1 | 100 | 10.77 | 4.230 |
| 6 | त्रिपुरा | 1 | 100 | 10.77 | 3.000 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 200 | 10.77 | 7.900 |
| 8 | मिजोरम | 1 | 100 | 21.54 | 3.155 |
| | योग | 12 | 1200 | 129.24 | 42.861 |
| | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए | | | 10.76 | 0.061 |
| | कुल योग | 12 | 1200 | 140.00 | 42.920 |

*कालम 5 में अनुमोदित परिव्यय 3 वर्षों को अवधि के लिए है, नामला वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस केन्द्रीय प्रामोदित स्कीम को 1979-80 के दौरान राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय ले लिया है।

8.46 यहां यह बताना उचित होगा कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के 3 जिलों में स्थानान्तरी खेती की समस्या से निपटने के लिए एक मिश्रित कार्यक्रम बनाया है। भारत सरकार ने कोरापुट जिले की केवल तीन ग्रामों के लिए कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है। यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि तमिलनाडु सरकार ने भी इसी प्रकार का एक मिश्रित कार्यक्रम बनाया है जिसका व्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ीसा में स्थानान्तरी खेती की रोकथाम के सभी कार्यक्रमों में से प्रमुख और पहाड़ी ढलानों और निचली पहाड़ियों में आम, कटहल, अमरुद आदि जैसे फलों के पौधे लगाने पर दिया जाता है। पौधे प्रणाली वाले आदिवासियों के पुनर्वास का कार्यक्रम परिवर्तन आधार पर शुरू किया जाएगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम में 300 आदिवासी परिवार भाग लेंगे। परिवार के दो वयस्क सदस्यों को एक वर्ष में लगभग 120 दिन रोजगार मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। मजदूरी का भुगतान चार रुपये प्रति दिन की दर से किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष भर में 72,000 जन-दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। मजदूरी के भुगतान पर 2.88 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, परिवहन व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिए चिरस्वामी आस्तियों के बनाने के सम्बंध में 72 हजार रुपये की धनराशि कार्यक्रम अकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए दी जाएगी।

8.47 क्यौंजर जिले में जुआंगपीड़ क्षेत्र के लिए एक जुआंग विकास एजेंसी स्थापित की गई है जैसा कि पीछे चर्चा की गई है पौधों की रोकथाम के लिए लघु परियोजना क्षेत्र में एक विशेष स्कीम अग्रता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए मंजूर की गई है। स्थानान्तरी खेती के अंतर्गत अब तक 10 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम जुआंग लघु परियोजना में 1980 के कार्य सौजन से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके परिणाम के प्रति जुआंग लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही यह बात आने वाले वर्षों में देखनी होगी। यह कार्यक्रम तभी सफल होगा यदि इसमें आदिवासियों का भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके। इसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो आदिवासी फलों के बागान लगाने का काम करे उसे शुरू से ही बागान के मालिक के रूप में विधिवत् मान्यता दी जाए। इस कार्यक्रम के अनुसार पौधे पहाड़ी ढलानों (खेसर्द वन) में जिन पर जुआंग समुदाय का स्वामित्व है और 'क्यौंजर में राजकीय वनों के संरक्षण तथा प्रबंध संबंधी नियमावली' के अनुसार पारस्परिक अधिकार है, आम, कटहल, अमरुद, आदि जैसे फलों के पौधे लगाए जाएंगे। किंतु पौधे लगाने के कार्यक्रम से पता चला कि जिस भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे उस भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। सरकारी नीति में यह अन्तर्निहित परस्परविरोध है। इसे संशोधित किया जाना चाहिए और आदिवासियों को पौधे भूमि पर, जहां फलवृक्ष लगाए जाने हैं, अधिकार दिया जाना चाहिए। इस संबंध में इस संगठन के एक अनुसंधान दल ने तेलकोई खंड के वासपाल गांव का दौरा किया जहां आदिवासियों की अपनी 45 एकड़ भूमि पर आम के पौधे 1975-76 के दौरान बागवानी वृक्षारोपण के अंतर्गत लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में 35 आदिवासी परिवार भाग ले रहे हैं। प्रत्येक पौधे किसान को पौधे पहाड़ी ढलानों पर 1.25 एकड़ भूमि पर आम के पौधे लगाने तथा अंतर-फसलें लेने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी तथा घाटी की एक एकड़ भूमि में जम कर खेती करने के लिए 150 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायकी दी गई थी। इस समय आम के पौधे लगाने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। पौधे अभी छोटे हैं और उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। यह आशा है कि उचित देखभाल से ये पौधे अगले तीन-चार वर्षों में फल देने लग जाएंगे। वासपाल गांव के भाग लेने वाले (आदिवासियों) की कार्यक्रम के प्रति अपनी आशंकाएं हैं। वे भूमि पर अपने अधिकार और बाग के भोगाधिकार के बारे में आशंकित हैं इसके अतिरिक्त सरकार ने फलों के विपणन,

पट्टे की अवधि और प्रति पेड़ का वार्षिक किराया आदि जैसी बहुत-सी बातों का निर्णय करना है।

8.48 उपलब्ध सूचना के आधार पर यह समझा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय की राज्य सरकारों ने स्थानान्तरी खेती को नियंत्रित करने की स्कीमों का केंद्रीय सेक्टर स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयन किया है। भूमि-विकास, बागवानी वृक्षों/जल्दी उगने वाली किस्मों को लगाने और स्थानान्तरी खेती करने वाले लोगों को एक से दो एकड़ विकसित भूमि देकर उनका पुनर्वास करने जैसे कार्यक्रम 1978-79 वर्ष के दौरान शुरू किए गए थे। उड़ीसा सरकार ने 450 हेक्टर से भी अधिक के क्षेत्र में बाग लगाने के लिए जमीन को सीढ़ीदार बनाने व भूमि का तैयार करने का काम पूरा कर लिया है।

8.49 मेघालय में स्थानान्तरी खेती की प्रथा 5 सिविल प्रशासनिक जिलों में से पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों और कुछ हद तक पूर्वी और पश्चिमी खासी व जैन्तिया पहाड़ी जिलों में प्रचलित है। राज्य सरकार झूमिया लोगों को स्थायी और कवोवस्त हुई कृषि योग्य भूमि, जितनी इस स्कीम के अधीन व्यवहार्य हो, दे रही है और स्थानान्तरी खेती करने वालों का पुनर्वास अधिक स्थायी व्यावहारिक गांव की ग्रामों में कर रही है जिनमें प्रत्येक में कम से कम 50 परिवार होंगे ताकि वहां प्रशासनिक तंत्र सरलता व प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। भूमि नियंत्रण स्कीमों के अधीन सीढ़ीदार खेत बनाने के साथ-साथ घाटी की तलहटी की भूमि के उद्धार के रूप में प्रत्येक परिवार को 2 हेक्टर स्थायी कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था है। राज्य सरकार सिंचाई सुविधाएं, बीज, पौधे, खाद एवं उर्वरक जैसे निवेश भी प्रदान करती है। पुनः समूहित गांवों के निकट जहां भूमि विकसित की जा रही है और जहां दूर-दराज से आए परिवार बसेंगे, वहां नकान बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में, झूमिया परिवारों को बसाने के लिए 540.43 लाख रु. खर्च करने का प्रस्ताव है। 1978-79 में झूम नियंत्रण स्कीम के अधीन 600 परिवारों को लाभ पहुंचा था और विभिन्न मदों पर 80.35 लाख रु. खर्च किए गए थे। राज्य सरकार छठी योजना में 5,000 हेक्टर भूमि पर काफी व खड की खेती कराने की भी सोच रही है।

8.50 आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन कार्य शुरू कर दिया है तथा 1978-79 में 50 परिवारों का पुनर्वास किया गया। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पुनर्वासित आदिवासियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदास करने हेतु कॉफी के बागान भी शुरू कर दिए हैं। यह स्कीम 1961 से चल रही है। यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक 100 एकड़ से कॉफी बागान में पूरे वर्ष 50 श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यह प्रस्ताव था कि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में प्रतिवर्ष 500 एकड़ भूमि में काफी बागान लगाए जाएं। इन श्रमिकों के लिए कालोनियों का निर्माण भी किया गया है।

8.51 मणिपुर सरकार ने भी आदिवासियों की स्थानान्तरी खेती करने की आदत छुड़ाने की स्कीम चलाई है और वर्ष 1978-79 में 2,192 हेक्टर भूमि पर विकास कार्य किया गया था।

8.52 त्रिपुरा में विभिन्न आदिवासी समुदाय स्थानान्तरी खेती कर रहे हैं। एक छोर पर रियांग जैसे आदिम आदिवासी समुदाय हैं जो अभी भी तकनीलांजी के कृषि-पूर्व स्तर पर हैं और कृषि विद्या से अनभिज्ञ हैं। दूसरी ओर अत्यधिक उन्नत समुदाय भी अपनी कृषि श्रमिकों की अनुपत्ति के लिये यह तरीका अपनाते हैं। इन दोनों छोरों के बीच विभिन्न आदिवासी वर्ग हैं जो स्थानान्तरी खेती भिन्न-भिन्न अंश में करते हैं। त्रिपुरा सरकार ने झूमिया परिवारों को विशिष्ट कालोनियों में बसाया है। गुरुपद कालोनी और रतचेरा वन व्यवस्थापन उन-महत्वपूर्ण कालोनियों में से हैं जहां स्थानान्तरी खेती करने वालों का पुनर्वास करके उन्हें बसाया गया है। इस स्कीम में प्रत्येक झूमिया परिवार

को कृषि निवेश सहायता आदि देने के अतिरिक्त उनके लिए 1.25 हेक्टर भूमि की फलवाटिकाएँ लगाने और धान की खेती हेतु उनके लिए 0.4 हेक्टर भूमि का उद्धार करने का विचार किया गया था। पांचवीं योजना के दौरान, 3,400 झूमिया परिवारों को बसाने के लिए 15.00 लाख रु० की धनराशि खर्च की गई थी। ये परिवार 1.00 लाख रु० से भी अधिक का धान व फल उगाने में समर्थ हो सके हैं। एक अनुमान के अनुसार त्रिपुरा में स्थानान्तरी खेती करने वाले 20,000 लोग हैं।

8.53 यह देखा गया है कि स्थानान्तरी खेती का नियंत्रण करने अथवा आदिवासियों को उससे विमुक्त करने के लिए जो विकास कार्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत किए जा रहे हैं उन के अलावा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की धनराशि भी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, 1979-80 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है और इस स्कीम के राज्यों को हस्तान्तरित हो जाने से यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें बाकी बच रहे कार्यक्रमों तथा अनुसंधान के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराएंगी ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।

8.54 हाल ही में मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर के नमूना अध्ययन में इस संगठन के अध्ययन दल ने जिसमें श्री एम० एम० शर्मा, अनुसंधान अधिकारी तथा श्री वी० तम्हाने, अन्वेषक थे, परियोजना के अनुसंधान ब्लाक में स्थानान्तरी खेती होती देखी। अध्ययन दल ने सर्गापर गांव का दौरा किया और पाया कि पेंडा नाम की स्थानान्तरी खेती एक पहाड़ों की चोटों पर 15 एकड़ के एक क्षेत्र में की जा रही थी। यह देखा गया कि स्थानान्तरी खेती के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वाणिज्यिक दृष्टि से काफी ऊंची कीमत के वृक्ष जला डाले गए थे। कोड़ो, कुटकी, कांग और मक्का एक साथ बोई गई थीं। परियोजना अधिकारी, नारायणपुर को यह सुझाव दिया गया कि परियोजना क्षेत्र में स्थानान्तरी खेती करने वालों को खेती के लिए कोई अन्य भूमि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि यह अपव्ययी प्रथा रोकੀ जा सके। यह भी पाया गया था कि प्रति एकड़ उपज भी बहुत कम थी। स्थानान्तरी खेतीहर वर्षा पर निर्भर रहते हैं क्योंकि पहाड़ों की चोटियों पर सिंचाई करना सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्राधिकारियों ने स्थानान्तरी खेती को रोकने के कोई उपाय नहीं किए हैं और न ही इन खेतिहरों के पुनर्वास की कोई संयुक्त योजना बनाई है। इस लिए यह सुझाव दिया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार को यह प्रथा रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए तथा स्थानान्तरी खेती की आदत छुड़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम बनाना चाहिए।

8.55 यह दिखाई पड़ा है कि स्थानान्तरी खेती से निपटने के लिए योजनागत दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह समस्या बड़ी जटिल है, यह एक ही साथ आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। गृह मंत्रालय द्वारा 1978 में गठित आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी समूह ने कुछ अच्छी सिफारिशें की थीं जो नीचे दी जा रही हैं:—

- (1) उन सभी राज्यों से जिनमें स्थानान्तरी खेती की समस्या है, अधिक से अधिक 10 वर्ष की अवधि में स्थानान्तरी खेती करने वालों का पुनर्वास करने का एक परिप्रेक्ष्य तैयार करना चाहिए ;
- (2) प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र के लिए पुनर्वास का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए सतत आधार पर कार्य करने के लिए अन्तर्विद्या दल गठित किए जा सकते हैं ;

- (3) कृषि और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए रखे गए परिव्यय का एक विशिष्ट भाग स्थानान्तरी खेती करने वालों के विकास के लिए नियत कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्तराल-पूरित के रूप में एक नभ्रीय धनराशि भी इस प्रयोजन के लिए रखी जाए ;
- (4) अनुमोदित व्यापक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परिव्यय सम्बन्धित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना प्राधिकारियों को सौंप दिया जाए ; और
- (5) ऐसे प्रत्येक राज्य में और केन्द्र में एक-एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो तकनीकी सहायता दे और स्थानान्तरी खेती सम्बन्धी कार्यक्रम को लगातार समीक्षा भी करे।

रेशम उत्पादन

8.56 यह सुझाव दिया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारों को कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों की गम्भीरता से कार्यान्वित करना चाहिए और जिन राज्यों में बड़ी संख्या में स्थानान्तरी खेती करने वाले लोग हैं उन्हें कृषि और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के कुल परिव्यय में से एक निश्चित भाग इस समस्या से निपटने के लिए आवंटित करना चाहिए।

8.57 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अर्थ-व्यवस्था काफी हद तक प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न किस्म की है। इन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति जीविका चलाने के लिए तरह तरह की कारीगरों जानता है। कुछ आदिवासी और अनुसूचित जातियां बुनाई, लोहार-गोरी, नक्काशी और भिन्न भिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों में कुशल हैं। रेशम उत्पादन एक महत्वपूर्ण श्रमानुकूल कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जो इन समुदायों को लाभप्रद रोजगार देता है। एक अनुमान के अनुसार, 37.9 लाख से भी अधिक व्यक्ति रेशम उत्पादन में लगे हुए हैं जिनमें से 30 प्रतिशत व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के रेशम का टसर और शहतूत का उत्पादन होता है। मूना और इरी भी प्रचलित है परन्तु छोट पेंमाने पर। शहतूत रेशम उत्पादन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गैर-शहतूत रेशम उद्योग बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित है। पांचवी योजना अवधि में रेशम उत्पादन के विकास के बारे में बनाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य टसर और मूना देशी पौधों के खण्ड बागों की स्थापना करना था ताकि पत्तों की अधिक उपज हो सके, रोग मुक्त रेशम के कीड़ों के बीज की आपूर्ति आदि की जा सके। ये उपाय विभिन्न स्तरों पर उत्पादन में बढ़ोतरी करने और रेशम उत्पादन में लगे व्यक्तियों की आय बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुआ है। विचौलियों द्वारा उत्पादकों का शोषण रोकने और उन्हें उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करने की दृष्टि से युक्तिसंगत विपणन संगठन की स्थापना करने की भी विशिष्ट स्कीमें बनाई गई थीं।

8.58 इस बात पर जोर दिया जाता है कि ऊष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण टसर खेती दोनों की सिद्ध हुई अन्तःशक्ति और आर्थिक कल्याण के लिए उनके उपयोग के विषय में विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार यह बताया जाता है कि 127 लाख से भी अधिक आदिवासी ठीक ऊष्ण कटिबंधी टसर क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें से मुश्किल से 1.04 लाख आदिवासी परिवार ही इस समय टसर पालने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार टसर खाद्य पौधों की 110 लाख हेक्टर भूमि में से मुश्किल से ही 5.5 लाख हेक्टर अथवा 5% का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए यह तत्कालिक आवश्यकता है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों को आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए उपलब्ध जनशक्ति और वन संसाधनों का

ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए स्वयं ही जोर लगाकर प्रयत्न करने चाहिए।

8.59 केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने जो 1972 में स्थापित किया गया था, बिहार में चाइवासा स्थित टसर के लिए एक कच्ची सामग्री बैंक स्थापित किया है। इस बैंक का उद्देश्य आदिवासी उत्पादकों को एक लाभदायक मूल्य दिलाना और निर्धन हथकरघा कामगारों को टसर के कोय और टसर अपशिष्ट स्थिर कीमत पर मुहैया करना है। इस बोर्ड के कार्यकलाप का विस्तार अधिक मात्रा में टसर उत्पादन करने

वाले सभी राज्यों में कर दिया गया है ताकि विचौलियों द्वारा बड़े पैमाने पर शोषित किए जा रहे आदिवासी परिवारों को राहत मिल सके। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुरोध पर राज्यों ने टसर कोयों व टसर अपशिष्ट की वृद्धि के लिए गहन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। 1978-79 में रेशम उत्पादन स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का राज्यवार व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

| क्रम संख्या | राज्य | स्कीमों की संख्या | आवंटन (रुपये लाखों में) | किया गया खर्च (रुपे लाखों में) | हिताधिकारियों की संख्या | | | |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | | अनु० जाति० | अनु० जन-जाति | अन्य | योग |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 0.850 | 0.850 | 186 | 896 | 703 | 1,785 |
| 2 | कर्नाटक | 2 | 19.500 | 10.351 | .. | 1,116 | .. | 1,116 |
| 3 | गणपुत्र | 7 | 83.00 | 56.450 | 605 | 585 | 710 | 1,900 |
| 4 | मेघालय | 16 | 25.470 | 15.420 | .. | .. | .. | 8,472 |
| 5 | मिजोरम | 8 | 9.000 | 9.00 | .. | 16,100 | .. | 6,100 |
| 5 | नागालैंड | 9 | 15.170 | 12.950 | .. | 814 | * | *814 (परिवार) |
| 7 | उड़ीसा | 20 | 25.250 | 25.970 | 4,066 | 23,871 | 4,141 | 32,078 |
| 8 | पंजाब | 1 | 0.400 | 0.400 | 20 | .. | .. | 20 |
| 9 | तमिलनाडु | 3 | 2.250 | 1.655 | 40 | 88 | .. | 128* |
| 10 | त्रिपुरा | 4 | 4.058 | 1.501 | 140 | 148 | .. | 288 |
| 11 | उत्तर प्रदेश | 2 | 28.720 (योजना) | 13.390 (योजना) 25.520 (गैर योजना) | 2,768 | 1,728 | 1,123 | 5,610 |
| योग | | 74 | 213.668 | 173.457 | 7,985 | 35,954 | 6,677 | 62,088 |

8.60 उपर्युक्त विवरण से यह पता लगता है कि संदर्भित वर्ष में योजना एवं गैर-योजना कार्यक्रमों के अधीन उक्त राज्यों में 74 रेशम उत्पादन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए आवंटित किए गए 213.668 लाख रुपए में से रेशम उत्पादन के विभिन्न धंधों में लगे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के 62,088 लोगों के कल्याण के लिए 173.457 लाख रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ यह बताना भी उचित है कि बोर्ड के रांची स्थित अनुसंधान केन्द्र ने बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में प्रत्येक में एक मार्गदर्शी विस्तार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है। यह सिफारिश की जाती है कि इन केन्द्रों को न केवल टसर खेती के लिए बेसिक बीज आवश्यकताओं को पूरित करने चाहिए बल्कि विभागीय कर्मचारियों को नए पालन-पोषण तथा तन्त्ररचना तकनीकों में प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

8.61 उस संगठन के एक अध्ययन दल ने सितम्बर, 1979 में बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर का दौरा किया और पाया कि आदिवासी कोसा एकत्र करते हैं और रुपए के 4 तग की दर से समिति को बेचते हैं जबकि स्थानीय

व्यापारी एक रुपए के 6 तग की दर से खरीदते हैं और इस प्रकार आदिवासियों को कम दाम देते हैं। फिर भी यह पाया गया था कि प्राथमिक समिति, जो उस क्षेत्र का तमाम कोसा खरीदने के लिए प्राधिकृत है, कर्मचारियों की कमी तथा अन्य कारणों से कुल उत्पादन का आधा भाग भी खरीद सकने में असमर्थ है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की प्राथमिक समितियों को उचित संख्या में कर्मचारी दिए जाएं ताकि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध कोसा तथा अन्य महत्वपूर्ण वन्य उत्पाद खरीदने में समर्थ हो सकें जिससे आदिवासियों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

8.62 बिहार के अपने दौरे के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने दिसम्बर, 1979 में टसर बीज आपूर्ति केन्द्र, हटगामरिया जिला सिंहभूम का दौरा भी किया था। यह केन्द्र टसर पालन करने वालों को रोगमुक्त अण्डों की आपूर्ति के मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह केन्द्र पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा है और आदिवासी टसर पालकों को रोगमुक्त अण्डे देता रहा है जो इन अण्डों को पेड़ के पत्तों पर सेते हैं। यह पाया गया कि पिछले 3 वर्षों में

अनुसूचित जनजाति के टसर पालकों की संख्या बढ़कर 1500 हो गई। आयुक्त को सूचित किया गया कि धनराशि का कर्मा के कारण रोग-मुक्त अण्डे सभी 1,500 आदिवासी टसर पालकों को दे पाना सम्भव नहीं हो रहा था। केवल 400 आदिवासियों को बैंक द्वारा वित्त दिया जा रहा था। यह उत्साहवर्धक बात थी कि अब रोग मुक्त अण्डे केन्द्र की झाड़ियों पर भी लगाए जा रहे थे और केन्द्र ने अपने यहाँ ही बीज उत्पादन शुरू कर दिया है। यह पता चला कि केन्द्र ने आदिवासियों से 20 प्रतिशत कोया का खरीद की जबकि शेष 80% कोया निज व्यापारियों द्वारा तथा टसर विपणन संगठन चाइबासा, कर्नाटकी सामग्री बैंक, चाइबासा, जो कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित किए थे, द्वारा खरीदा जाता था। अतः यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्र द्वारा सभी 1500 टसर पालकों को रोगमुक्त अण्डे प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए और आदिवासियों को कोये की लाभप्रद कीमत देकर उनसे कोया खरीदने वाले निजी व्यापारियों को अलग कर देना चाहिए।

8.63 1978-83 के आदिवासी विकास कार्य दल द्वारा गठित उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों (सेक्टरों) का अध्ययन करने वाले दल ने कुछ टिप्पणियाँ की थीं जो इस प्रकार हैं :-

- (1) ऐसे वनों की पहचान करना जिनमें टसर रेशम के कीड़ों के लिए खाद्य पौधे हों।
- (2) यथोचित छंटाई, निराई तथा भूमि की खुदाई आदि द्वारा वर्तमान टसर खाद्य पौधों का अनुरक्षण।
- (3) टसर कीड़े के पालन के लिए वनों के खाद्य पौधों के उपयोग के बारे में आदिवासियों तथा दूसरे कमजोर वर्गों के अधिकारियों को मान्यता देना।
- (4) चयन किए गए परिवारों को वनों के स्पष्ट तौर पर सीमांकित किए गए टुकड़ों पर अधिकार देना।
- (5) टसर कार्य के लिए खाद्य पौधों की खेती के लिए उपयुक्त वनों की पहचान करना तथा ऐसे परिवारों की सहायता से वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करना जिन्हें विनिर्दिष्ट भूखंडों पर लग पेड़ों में टसर पालने के अधिकार प्राप्त होंगे।
- (6) टसर का उत्पादन करने वाले इलाकों में वन विभाग के पेड़ लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत टसर खाद्य पौधों का मित-व्ययी वृक्षारोपण करना।
- (7) पालकों को बीज-कीड़े सप्लाई करने के लिए बीज तथा विस्तार फार्मों की यथोचित संख्या में स्थापना करना। उत्तम बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पाइलट परियोजना केन्द्रों के एक जाल के मध्य से बीज संगठन को सुदृढ़ बनाना भी इनमें शामिल हो।
- (8) पौधे लगाने की तकनीकों के आर्थिक पहलुओं तथा केन्द्रीय टसर अनुसंधान स्टेशन, रांची द्वारा बतायी गई टसर पालन की सुधरी हुई तकनीकों के बारे में आदिवासी लोगों को व्यापक रूप से शिक्षा देना।
- (9) कीड़ों का पालन करने वालों को कीड़े सप्लाई करना।
- (10) लाभप्रद मूल्यों पर टसर के कोयों की खरीद की व्यवस्था करना।
- (11) धागा बनाने तथा बुनाई के केन्द्रों की स्थापना जिन्हें एक डिजाइन अनुभाग तथा विपणन व्यवस्था की सहायता प्राप्त हो।
- (12) बुनाई करने तथा धागा बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- (13) सभी उत्पादन केन्द्रों में अतिरिक्त विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना जिसमें धार्मिक बैंकों से थोड़ी व्याज-दर पर तथा वैयक्तिक जमानत पर पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की सुविधा हो।
- (14) टसर कपड़े के विपणन की व्यवस्था, ताकि इसके उत्पादकों तथा बुनने वालों को अधिकतम लाभ मिल सके।
- (15) टसर पालकों तथा टसर बुनकरों के ऐसे सहकारी संघों का संगठन करना जो चुनिंदा इलाकों में सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करें तथा जिनके लिए बैंक सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- (16) राज्यों में विकास स्कीमों के लिए कार्य करने हेतु प्रशिक्षित तकनीकी कामियों की मांग को पूरा करने के लिए तथा शिक्षा के विस्तार के बारे में किसानों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।

8.64 आशा है कि यदि इन टिप्पणियों के अनुसार यत्नपूर्वक कार्य किया जाए तो इनसे रेशन कोट पालन में जूटे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

आदिवासी इलाकों में सिंचाई

8.65 अधिकतर आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत खेती है। आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए पहले यह जरूरी है कि खेती तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने की बात पर अधिक बल दिया जाए। आदिवासी इलाकों में खेती से बहुत कम आय होती है। इसका मुख्य कारण लगभग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करना एवं सिंचाई के साधनों का अभाव है। एक अनुमान के अनुसार आदिवासी इलाकों में कुल सिंचाई एक प्रतिशत से भी कम है जबकि इसकी तुलना में समग्र देश में सिंचाई 25 प्रतिशत है। बहुत से राज्यों में बड़ी तथा मध्यम किस्म की सिंचाई पर लगाए जाने वाले धन का बड़ा भाग पहले से चल रही परियोजनाओं पर लग जाता है। इस प्रकार की नीति आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिकूल बैठती है क्योंकि चालू कार्यक्रम अधिकतर ऐसे क्षेत्रों से बाहर हैं। यह देखने में आया है कि कुछ राज्य सरकारें तब तक नई परियोजनाएं आरम्भ नहीं करतीं जब तक चालू परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती।

8.66 अधिकतर आदिवासी क्षेत्र नदियों तथा जलधाराओं के ऊपरी भागों में हैं तथा जल की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बहुत से सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य निचले भागों में चलाए जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि नदी के कुल जल का कुछ प्रतिशत भाग केवल ऊपरी भागों में इस्तेमाल किए जाने के लिए आरक्षित रखा जाए। यह बड़ी उत्साहजनक बात है कि गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए कानून बनाए हैं। गुजरात में 20 प्रतिशत जल ऊपरी भागों के इलाकों के भावी उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र में आरक्षण केवल 5 प्रतिशत तक ही है। कभी कभी यह देखने में आया है कि यद्यपि सिंचाई आदि जैसे कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में आरम्भ किए जाते हैं, इनका लाभ गैर आदिवासी लोग उठाते हैं। कुछ राज्यों में उन इलाकों में जहां भविष्य में कोई मध्यम या बड़ी परियोजना आरम्भ की जाने की संभावना हो, किसी छोटे सिंचाई कार्य को अनुमति नहीं दी जाती है। छोटे सिंचाई कार्य कम लागत पर जल प्रदान करते हैं इसलिए यह महसूस किया जाना है कि इन छोटी परियोजनाओं का बहिष्कार केवल इसलिए नहीं कर दिया जाना चाहिए कि भविष्य में वहां कोई बड़ी या मध्यम योजना चलाई जाने वाली है। यह भी देखने में आया है कि आदिवासी किसानों को छोटी सिंचाई स्कीम के विभिन्न संघटक विभिन्न एजेंसियां प्रदान करती हैं। यदि स्कीम के सभी संघटकों को पूरा करने का दायित्व एक ही संगठन को दे दिया जाए तो यह आदिवासियों के हित में होगा।

8.67 उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :
(रुपय लाखों में)

| क्रम सं० | राज्य | राज्य योजना परिव्यय में से व्यवस्था | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | छोटी सिंचाई | बड़ी तथा मध्यम सिंचाई |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 66.00 | 472.00 |
| 2 | असम | 220.00 | शून्य |
| 3 | बिहार | 950.00 | ** |
| 4 | गुजरात | 263.00 | 541.00 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 35.00 | 10.00 |
| 6 | कर्नाटक | 15.00 | शून्य |
| 7 | केरल | शून्य | शून्य |
| 8 | मध्य प्रदेश | 1,000.00 | 500.00 |
| 9 | महाराष्ट्र | 388.65 | 538.30 |
| 10 | मणिपुर | 38.00 | 205.00 |
| 11 | उड़ीसा | 376.30 | 897.00 |
| 12 | राजस्थान | 50.97 | 423.00 |
| 13 | तमिल नाडु | 9.00 | शून्य |
| 14 | त्रिपुरा | 27.00 | 4.00 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 31.00 | 526.00 |
| 17 | अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | शून्य | शून्य |
| 18 | मोवा, दमन तथा दीव | शून्य | शून्य |

8.68 यह उल्साहजनक बात है कि विभिन्न राज्यों ने छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य योजना परिव्ययों में से परिव्यय नियत किए हैं। प्रत्येक राज्य में भूमि जल, छोटी सिंचाई, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई और 'लिफ्ट' सिंचाई का कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न एजेंसियां हैं। यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक मास्टर प्लान बनाई जा नी चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा दो अध्ययन दलों को बिहार के दौरे पर टिप्पणियां

8.69 छोटा नागपुर-संथाल परगना के अधिकतर भागों में, जहां पर वाष्पीकरण अधिक होने के कारण तालाबों से सिंचाई करना संभव नहीं है, नदी से जल ऊपर उठाकर लिफ्ट ढंग से सिंचाई करने की बहुत गुंजाइश है। इस कार्यालय के एक अध्ययन दल ने 9-12-1979 को सिंहभूम जिले के सरायकैला ब्लाक की गोविन्दपुरा उत्तर लिफ्ट सिंचाई स्कीम को देखा। यह स्कीम नवम्बर 1979 में पूरी हुई। यह स्कीम संजय नदी पर है जिसमें वर्ष भर जल रहता है तथा इस पर 3.50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। नदी से पानी निकालने के लिए बिजली से चलने वाली 25-25 हार्स पावर की दो मोटरें कार्य कर रही हैं। दो सी

एकड़ भूमि इस स्कीम के अन्तर्गत आती है। इस स्कीम से जिस भूमि की सिंचाई की जाती है वह सारी भूमि गोविन्दपुर गांव की है। इस गांव में कुल 200 घर हैं, जिनमें से 100 घर 50% आदिवासियों के हैं। स्कीम के अन्तर्गत लाई गई 200 एकड़ भूमि में से 80 एकड़ भूमि आदिवासियों की है।

8.70 17 नवम्बर, 1979 को आयुक्त ने रांची जिले के मुरहू ब्लाक में पांडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम को देखा। यह स्कीम खूटी से 6 किलोमीटर दूर पांडु नामक ग्राम से बनई नदी पर स्थापित की गई है। यह 20 सितम्बर, 1976 को पूरी हो गई थी तथा इस पर 2.9 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका अन्तर्गत 170 एकड़ भूमि आती है। 25-25 हार्स पावर की दो मोटरों से जल निकाला जाता है। पांडु गांव के 64 घरों में से 60 घर अनुसूचित जनजाति के लोगों के हैं तथा शेष चार परिवार अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति के 29 परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन परिवारों ने एक सहकारी समिति बना ली है और 102 एकड़ क्षेत्रफल का एक सुसमृद्ध फार्म बनाया है जिसमें कोई बाड़ आदि नहीं लगाई गई है। श्रेष्ठ हिताधिकारी पास-पड़ोस के गांवों के हैं। इस स्कीम द्वारा जितनी भूमि सींची जाती है उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि 60% है। रांची लोहारडागा मार्ग पर रांची से 20 किलोमीटर दूर रांची जिले के लोहारडागा ब्लाक में पत्रकुण्ड लिफ्ट सिंचाई स्कीम का एक अन्य अध्ययन दल ने दौरा किया। यहां लगभग 100 परिवारों की 200 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। इन 100 परिवारों में से लगभग 50 परिवार अनुसूचित जनजातियों के हैं।

8.71 यह सूचना मिली थी कि रांची जिले के बुरुं ब्लाक के भुर नामक ग्राम में एक लिफ्ट सिंचाई योजना नवम्बर, 1978 में पूरी हो गई। इस पर 3.11 लाख रु० अनुमानित लागत आई है। इस योजना से 210 एकड़ खरीफ तथा 80 एकड़ रबी की फसलों की सिंचाई की जाती है। वैसे इसके 100 हिताधिकारियों में से केवल पांच ही अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में डीजल कम मिलने के कारण खेती आरम्भ नहीं की जा सकी। आदिवासी क्षेत्रों में जिस एक बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वह है—स्कूली इमारतों, सड़कों तथा तालाबों आदि जैसी वर्तमान वस्तुओं का अनुरक्षण। इन वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए धन गैर-योजना बजट में से मिलना है। वैसे, सिंचाई, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों आदि पर धन लगाने की अधिक मांग के कारण इनके लिए मिली धन राशि नई इमारतों तथा संस्थानों पर खर्च कर दी जाती है तथा ऐसी पुरानी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके फलस्वरूप विद्यमान आस्तियों की दशा खराब होती है और उससे बहुत नुकसान होता है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत से तालाब बंकर हो गए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि विद्यमान आस्तियों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आदिवासी लोगों को इनका लाभ मिलते रहना सुनिश्चित हो सके।

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के लघु सिंचाई कार्य दल का गठन

8.72 कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित किए गए लघु सिंचाई कार्य दल ने आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्य नीति के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) जहां तक संभव बन पड़े आदिवासी क्षेत्रों में वाटर शेड प्रबंध पद्धति को व्यवहार में लाना चाहिए जिसके अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा भू-संरक्षण कार्यक्रम में सक्रिय तालमेल बैठाया जाए।

**समग्र राज्य का परिव्यय है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग परिव्यय नहीं बताया गया।

- (2) आदिवासी क्षेत्रों में सभी सतही जल लघु सिंचाई परियोजनाएं संबंधित राज्य विभाग द्वारा चलाया जाना तथा उसी विभाग द्वारा उनका प्रबन्ध करना वांछनीय होगा। यथाचित अनुरक्षण के लिए पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित करने होंगे।
- (3) सतही जल लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-जल स्कीमों संबंधी अन्वेषण कार्य को अग्रता दी जानी चाहिए। सतही लघु योजनाओं के लिए सभी संभावित स्थानों का सर्वेक्षण आगामी तीन वर्षों में कर लिया जाना चाहिए। भू-जल सर्वेक्षण पांच वर्ष की अवधि में पूरे कर लिए जाने का लक्ष्य रख जाना चाहिए।
- (4) आदिवासी क्षेत्रों में सतही जल तथा भू-जल विकास कार्य 5 से 10 वर्षों में पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- (5) आदिवासी क्षेत्रों में प्राइवेट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सहायकी देने में अधिक उदारता बरती जानी चाहिए। जहां से किसानों को कर्ज मिलता है उसी माध्यम से सहायकी देने की कार्रवाई करना वांछनीय होगा।
- (6) आदिवासी क्षेत्रों में जल प्रबन्ध तथा विस्तार संबंधी उपाय अधिक सक्रिय रूप में करना जरूरी है ताकि पूरी हो चुकी लघु सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं :

8.73 यदि हम भारत के आदिवासियों की स्थिति को देखें तो हमें मालूम होता है कि विभिन्न जन-जातियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर भिन्न भिन्न है। जिन इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं वहां पर सामाजिक सेवाओं की अवसरचना नहीं है। सुदूर वनों तथा पहाड़ी इलाकों में, जहां बहुत से आदिवासी रहते हैं, पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव है और जिस भोजन पर वे जीवित हैं उसमें अनेक दृष्टि से कमियां हैं। इन कमियों तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के न होने से उन लोगों में बहुत-सी बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा, इन इलाकों में जो भी चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं उनका भरपूर उपयोग नहीं किया जाता है। यहां बात उठती है इन समुदायों में शिक्षा की भूमिका के महत्व की। शिक्षा, स्व-स्थ सेवाएं, पोषण, पेय जल की सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मदों पर जो सामाजिक सेवाओं की अवसरचना के अंग हैं, अगले परंप्राप्त में चर्चा की गई है।

शिक्षा :

8.74 अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में शिक्षा की भूमिका प्रमुख है। वास्तव में यह उनके विकास की कुंजी है। अतः सभी विकासार्थक कार्यों में शिक्षा को उच्च अग्रता देना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की स्थिति विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। केरल जैसे कतिपय राज्यों में सामान्य साक्षरता दर तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में चौका देनवाला अन्तर है। इस राज्य में सामान्य साक्षरता दर 60.10 प्रतिशत है तथा अट्टापदी जैसे स्थानों में, जहां इरुल, मूडुगा, तथा कुरुभा नामक अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, साक्षरता दर 3.64 प्रतिशत ही है। गुजरात में भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर की प्रतिशतता सामान्य साक्षरता दर के 50 प्रतिशत से कम है। उदाहरण के लिए जबकि राज्य का औसत 35.79 प्रतिशत है, राज्य की अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर का औसत 17.10 प्रतिशत है। लिम्बुदा तथा सन्तरामपुर (पंच महल) जैसे ब्लाकों में साक्षरता की औसत क्रमशः 6.82 प्रतिशत तथा 6.49 प्रतिशत है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में भी, ग्राम जनता की साक्षरता दर 24.50 प्रतिशत है, अनुसूचित जातीय लोगों की साक्षरता दर 5.34 प्रतिशत है तथा वारंगल जैसे स्थानों में साक्षरता दर 3.66 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर आदिवासियों का अधिक संकेन्द्रण है, राज्यों की साक्षरता दरों में आदिवासी बहुल जन संख्या वाले बहुत से ब्लाकों की साक्षरता की तुलना में बहुत अन्तर है।

8.75 एक अनुमान के अनुसार स्कूलों में दाखिल न हुए बच्चों में से लगभग 74 प्रतिशत बच्चे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों नामतः आन्ध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में हैं तथा इनमें से जम्मू व कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में आदिवासी लोगों का बहुत अधिक संकेन्द्रण है। चूंकि स्कूलों में दाखिल न हुए बच्चों में से अधिकतर बच्चे कमजोर वर्गों के हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, इसलिए शिक्षा की औपचारिक तथा गैर-औपचारिक प्रणालियों के माध्यम से इन राज्यों में, विशेषकर उन इलाकों में जहां अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, शिक्षा का विस्तार करने पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

8.76 अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा व्यर्थ जाने की समस्या बहुत अधिक है। यह देखने में आया है कि यद्यपि अनुसूचित जनजाति के लोगों में प्राथमिक स्तर तक दाखिले की प्रतिशतता में कुछ प्रगति हुई है तथापि मिडिल स्तर पर उनके दाखिले की प्रतिशतता में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है जिससे यह पता चलता है कि बहुत अधिक प्रतिशत आदिवासी बच्चे मिडिल स्तर तक पहुंचते-पहुंचते पढ़ना छोड़ देते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1977-78 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पहली से पांचवी कक्षाओं तथा छठी से आठवी कक्षाओं में दाखिले की प्रतिशतता निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

| क्रम सं० | राज्य | 1977-78 में दाखिले की प्रतिशतता | |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 62.8 | 9.3 |
| 2 | असम | 85.4 | 31.6 |
| 3 | बिहार | 75.8 | 32.4 |
| 4 | गुजरात | 71.8 | 20.3 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 78.2 | 32.7 |
| 6 | केरल | 67.7 | 40.1 |
| 7 | कर्नाटक | 105.7 | 38.8 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 46.6 | 10.2 |
| 9 | महाराष्ट्र | 76.3 | 16.1 |
| 10 | मणिपुर | 164.9 | 40.7 |
| 11 | मेघालय | 132.7 | 42.6 |
| 12 | नागालैंड | 155.9 | 116.7 |
| 13 | उड़ीसा | 61.1 | 9.0 |
| 14 | राजस्थान | 35.5 | 11.1 |
| 15 | तमिल नाडु | 59.9 | 15.5 |
| 16 | त्रिपुरा | 55.8 | 14.1 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 75.5 | 30.9 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 48.7 | 13.4 |
| 19 | अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 78.9 | 27.8 |
| 20 | अरुणाचल प्रदेश | 70.2 | 15.9 |
| 21 | गोवा, दमन व दीव | 73.4 | 15.6 |
| 22 | लक्षद्वीप | 159.2 | 86.3 |

8.77 उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि इसमें उल्लिखित लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों में कक्षा 6 से 8 में दाखिले की प्रतिशतता में भारी गिरावट आई जिसके फल-स्वरूप शिक्षा काफी हद तक व्यर्थ गई। विभिन्न राज्यों के कतिपय इलाकों में यह समस्या और भी अधिक है। अतः राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मैट्रिकपूर्व वृत्तिक्षाएँ देने की स्कीम के अधीन सभी को लाभ देने और अधिक आश्रम स्कूल खोलने, पिछड़े वर्गों के लिए होस्टल बनाने, पुस्तक बैंक खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूलों के समय का समायोजन करने, स्टेशनरी तथा गणवेश आदि मुफ्त बांटने, जैसे यथोचित प्रोत्साहन अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दें ताकि ऐसे छात्र मिडिल तथा उच्चतर स्तरों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित हों।

8.78 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन करने से पता चला कि अध्यापकों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, पर्याप्त छुट्टी-रिजर्व का अभाव, इमारत अवसंरचना तथा अध्यापकों के लिए मकान आदि जैसी समस्याएँ आम हैं। इस कार्यालय के एक द्वारा अध्ययन दल द्वारा मध्य प्रदेश के जिला बस्तर की नारायणपुर स्थित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का दौरा करने पर पता चला कि नारायणपुर ब्लाक के अध्यापक अर्द्धरूनीइलाकों में जाने के इच्छुक नहीं थे। अर्भुजमार इलाके के समीप के एक गांव सोनपुर में एक अध्यापक कर्मचारियों के क्वार्टर के बिना कार्य कर रहा था तथा स्कूल की इमारत भी बहुत खराब हालत में थी। जीवन-यापन के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएँ भी उस अध्यापक को उपलब्ध नहीं थीं जो जिला मिड का रहने वाला था तथा अपन घर से 1500 कि० मी० की दूरी पर रह रहा था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जहाँ तक संभव बन पड़े उनके इलाकों में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अध्यापक ही तैनात किए जाएँ ताकि सामुदायिक भावना उन्हें लोगों के विकास के लिए कार्य करने को प्रेरित कर सके।

8.79 हमने इसी रिपोर्ट में एक अन्य स्थान पर आश्रम स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने, और अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि करने, मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम सभी पर लागू करने, आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रावासों की संख्या बढ़ाने, विभिन्न शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश देने, जैसी बातों पर प्रकाश डाला है।

स्वास्थ्य सेवाएँ :

8.80 विकसित चिकित्सीय तकनालोजी ने मनुष्य को रोगों का इलाज करने तथा लोगों को अधिकतम चिकित्सीय सुविधाएँ देने की क्षमता में वृद्धि की है। विकसित चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ कुल मिलाकर अधिकतर शहरी लोगों को उपलब्ध होता है जब कि ग्रामीण/आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को ये सुविधाएँ नहीं मिलती। आदिवासी क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट किस्म की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं। कतिपय आदिवासी समुदाय बहुत छोटे हैं और उनकी संख्या आनुवंशिक संबंधी तथा अन्य समस्याओं के कारण घटती जा रही है। पांचवीं योजना की अवधि में यह बात सोची गई थी कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा जवाहर-लाल नेहरू केंद्र चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी को इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जाना था। हमने इस अध्याय में एक अन्य स्थान पर उड़ीसा के जिला फुलवनी के कुटिया कोडों की स्वास्थ्य तथा आनुवंशिक विशेष समस्याओं पर विचार किया है।

कुष्ठ नियंत्रण

8.81 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की विभिन्न रिपोर्टों से मालूम हुआ है कि विभिन्न राज्यों में कतिपय आदिवासी समुदाय क्षय रोग, कुष्ठ, रक्तिज रोग, सिकलसेल आदि रोगों से प्रभावित हुए हैं। भारत में कुष्ठ रोगियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई गहन सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972 में किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 35 लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनमें से लगभग 20% संक्रामक किस्म के हैं तथा 20% से 52% रोगियों में शारीरिक विकृतियाँ आ गई हैं। उनमें से लगभग 4 लाख अपने परिवारों या व्यवसायों से सामाजिक व आर्थिक तौर पर अलग हो गए हैं। अनुमान है कि देश के कुल कुष्ठ रोगियों में से 20% रोगी बिहार में हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1950 में आरम्भ किया गया था, इससे पहले कुष्ठ नियंत्रण का कार्य कुष्ठ आश्रमों तथा कुष्ठ गृहों में रोगियों की देखभाल तक सीमित रहा था। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने भी इस संबंध में उपयोगी कार्य किया है।

संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल

8.82 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने दिसम्बर, 1979 में बिहार के संथाल परगना जिले का दौरा करते समय यह देखा कि संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल नामक एक स्वैच्छिक संगठन 1942 से राज्य के संथाल परगना जिले के पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में कुष्ठ नियंत्रण का काम कर रहा है। इसने चार प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा उपचार केन्द्र, दो कुष्ठ नियंत्रण एकक, टी० के० ग्राम में 40 पलंग वाला एक अस्थायी इण्डोर एमर्जेंसी अस्पताल तथा मधुपुर में 50 पलंग वाला इण्डोर रिक्तस्ट्रुक्चर शल्य चिकित्सा अस्पताल खोले हैं। इसके साथ ही शरीरकिया विज्ञान, जूता बनाने, एक्स-रे, रक्त बैंक, प्रयोग शाला आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई है इसने कुपोषण से निपटने के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम भी चलाए हैं। यह बताया गया है कि इस मण्डल में 8,947 कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 1,100 रोगियों को जीवाणु विज्ञान की दृष्टि से नकारात्मक घोषित कर दिया गया है और वे इसकी विभिन्न स्कीमों के अधीन पूरी तरह रोग मुक्त हो गए हैं। इस समय जितने रोगी इस मण्डल के अधीन इलाज करा रहे हैं उनमें से 2,827 अनुसूचित जनजाति के और 1,634 अनुसूचित जाति के हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्य

8.83 इस मण्डल की एक सिनेमा गढ़ी है तथा इलाज के बारे में जनकारी देने तथा बीमारियों से बचाव करने की शिक्षा देने के लिए कुष्ठ और दूसरी बीमारियों से सम्बंधित 47 फिल्में हैं। यह मण्डल इस रोग के सम्बन्ध में स्वास्थ्य शिक्षा विषय पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर, पैम्फलेट और छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित करता है तथा उन्हें लोगों में बाँटता है। यह भेलों में कुष्ठ पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। मंडल नैसर्गिक उपचार के माध्यम से कुष्ठ के उपचार पर अनुसंधान भी कर रहा है। मण्डल द्वारा किया जा रहा कार्य प्रशंसनीय है। इसलिए यह मण्डल केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता पाने का पात्र है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र

8.84 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र वे बेसिक यूनिट हैं जिनके माध्यम से आदिवासी लोगों को इलाज की विकसित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, कुछ रिपोर्टों के अनुसार आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे 892 ब्लाक हैं जहाँ पर कि न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि इन ब्लाकों में 812 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2,559 उपकेन्द्र काम कर रहे थे; फिर भी, 123 ब्लाक ऐसे बताए गए जहाँ अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने

है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इन ब्लाकों में ऐसे केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने चाहिये। इससे पूर्व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड 80,000 से 1,00,000 तक की जन संख्या का था। यह उल्लाहजनक बात है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानदण्ड घटा दिया गया है और भविष्य में 20,000 की आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3,000 से 5,000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र खोला जाएगा। यह देखने में आया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकतर छोटे नगरों या बड़े ग्रामों में खोले गये हैं और उनमें एक से अधिक डाक्टर तैनात किये गये हैं जब कि बड़े बड़े आदिवासी क्षेत्र उपेक्षित पड़े हैं। यह बताया गया है कि अधिकतर डाक्टर दूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने तथा अन्य सुविधाओं के न होने के कारण वहाँ जाने के इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में तैनात किये जाने वाले डाक्टरों को मकान और शिक्षा संबंधी सुविधाएँ दी जानी चाहिए और उपकेन्द्र पर भी डाक्टर तैनात किए जाने चाहिए ताकि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनकी सेवाओं का अच्छा लाभ उठा सकें।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

8.85 केन्द्रीय सरकार ने 1977 में 733 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक विशेष स्वास्थ्य स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अधीन लगभग 1,000 व्यक्तियों के समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मुलभ करने के लिए हर गांव से एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन किया जाना था। 2 अक्टूबर, 1978 तक इस स्कीम को 1,056 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लागू किया गया। इस योजना के अधीन निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाएं मुलभ की जानी थी :-

- (क) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक अतिरिक्त डाक्टर को तैनाती होनी थी;
- (ख) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रतिवर्ष 6,000 रु० की अतिरिक्त दवाइयां दी जानी थी;
- (ग) प्रत्येक वर्ष हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से 60,000 रुपये मूल्य की दवाइयां बांटी जानी थी;
- (घ) हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपकरणों और प्रयोगशाला की सुविधाओं के लिए 5,000 रु० का अनावर्ती अनुदान दिया जाना था।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्षद्वीप की सरकारों/प्रशासनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना को कार्यान्वित कर दिया है और इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया है।

8.86 नागालैंड में तथा दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों में कुष्ठ और क्षयरोग के नियंत्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी चलाई गई हैं। दादरा और नगर हवेली में 1978-79 में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए काफी काम किये जाने की सूचना मिली है। क्षय रोग, कुष्ठ और रतज रोगों की सूचना मिली और जिला स्तर के अस्पतालों में उनका अच्छी प्रकार से निदान करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औपधालयों में उनका इलाज किया गया। गुजरात सरकार ने 1978-79 के दौरान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चार अस्पताल और 6 गश्ती औपधालय खोले, गुजरात, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन, और दीव तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भी गश्ती स्वास्थ्य एकक शुरू किये ताकि आदिवासियों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके। यद्यपि आदिवासियों को इलाज की सुविधाएँ देने में निःसन्देह कुछ प्रगति हुई है, फिर भी देश के आदिवासी क्षेत्रों में अभी काफी कुछ करना बाकी है।

इसलिये यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे आदिवासी क्षेत्रों में इलाज की वर्तमान सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन करें तथा लक्ष्य समूहों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए गहन समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। ऐसा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सुविध्यात स्वैच्छिक संघठनों का भी सहयोग लिया जाए। 1978-83 के आदिवासी विकास कार्यकारी दल द्वारा गठित आदिवासी क्षेत्रों में समाज-सेवा सम्बन्धी अध्ययन दल ने इस समस्या पर गहराई से विचार किया है और इस बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

पोषण :

8.87 भारत में कुपोषण तथा अल्प पोषण बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिनसे निपटने के लिए विशाल संसाधनों की जरूरत है। देश में शिशु मृत्यु, बाल-मृत्यु तथा अच्चा-मृत्यु कटु सत्य हैं, उससे यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। हाल ही में, बम्बई में आयोजित बाल रोग शल्यचिकित्सकों के फेडरेशन आफ वर्ल्ड-एसोसिएशन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये आंकड़े चौंका देने वाले थे। इस फेडरेशन के अनुसार भारत में प्रत्येक पांच नवजात शिशुओं में से एक बच्चा अपने जन्म के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर मर जाता है, इस प्रकार अपने जन्म के पहले वर्ष में 20 प्रतिशत बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। यदि सारे देश की यह स्थिति है तो आदिवासी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की क्या हालत होती होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। आदिवासियों में कुपोषण की समस्या सबसे विकट समस्याओं में से एक समस्या है क्योंकि उप-योजना क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं और जीवन निर्वाह के ऐसे कोई नये साधन नहीं निकल पाए हैं जो आदिवासियों की आर्थिक पहुंच के भीतर हों। वन्य जन्तुओं के समाप्त हो जाने, वनस्पति क्षेत्र फेर-बदल हो जाने, बढ़ती हुई आबादी, लघु वन्य-उत्पादों के नये उपयोग आदि से आदिवासी लोगों में कुपोषण और अल्पपोषण और अधिक बढ़ा है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों को विशिष्ट पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाना बहुत जरूरी है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों तथा कुपोषण से ग्रस्त अन्य लोगों को लाने के अतिरिक्त, गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली माताओं, स्कूल पूर्व आयु के बच्चों, आदिम जाति के लोगों तथा दुर्बल व्यक्तियों जैसे लक्ष्य समूहों पर पर बल दिया जाना चाहिए।

8.88 व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 1963 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों तथा देहात के कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों में समाज के नाजुक समूहों में, कुपोषण की रोकथाम करना था। इस कार्यक्रम को अब ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए वित्त का मुख्य स्त्रोत केन्द्रीय सहायता और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वचनबद्धता है। यूनिसेफ भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुख्य/भागीदार है। समाज कल्याण विभाग ने 1970-71 में शहर की गंदी वस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल पूर्व आयु के बच्चों, गर्भवती माताओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पोषिक आहार देने के लिए एक विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिदिन 200-300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा वर्ष भर में 250-300 दिनों तक माताओं को 500 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन देने की व्यवस्था की गई। पांचवी योजना में इस कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य स्तर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने 1970-71 में दादरा-दीव पोषण कार्यक्रम नामक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय शिशु कल्याण परिषद, हरिजन संवक संघ और भारतीय आदिम

जाति सेवक संघ नामक राष्ट्रीय स्तर के चार संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने 1978-79 में उप-युक्त चार संगठनों को क्रमशः 100.00 लाख रु०, 30.18 लाख रु०, 12.30 लाख रु० तथा 12.52 लाख रु० का अनुदान दिया। पोषण के क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे दोपहर-भोजन कार्यक्रम की है। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग भी पोषण कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि सभी पोषण कार्यक्रमों को एकत्रित आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए तथा आदिवासी क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाया जा सके। निःसन्देह समाज कल्याण विभाग को सभी पोषण कार्यक्रमों को समन्वित करने की भूमिका सौंपी गई है और इस प्रयोजन के लिये एक समन्वित समिति बनाई गई है। यह सिफारिश की जाती है कि समन्वय सभित को उपयोजना क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में पोषण सम्बन्धी जखूरतों को देखते हुए समाज के कमजोर वर्गों खासकर आदिवासी लोगों को पोषण कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

पीने का पानी :

8.89 आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछेक क्षेत्रों में, आदिवासी लोग पीने का पानी परम्परागत स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं तथा जिस पानी को वे पीते हैं वह अत्यधिक हानिकार होता है और कभी कभी ये दूषित और खराब पानी पीते हैं जिससे अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। अक्सर इन्हें बहुत दूर के स्थानों से पानी लाना पड़ता है। समस्या-प्रधान ग्रामों के पहचान के आधार पर पीने के पानी की समस्या हल की गई है। पेय जल स्कीमों राज्य योजनाओं की पिछड़ी श्रेणी सेक्टर, राष्ट्रीय पेय जल प्रदाय तथा केन्द्रीय त्वरित ग्राम जल पूर्ति कार्यक्रमों के अधीन कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी स्कीमों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अधीन भी चलाया जा रहा है। 1974-78 की पांचवी योजना में ग्राम जल पूर्ति स्कीम के अधीन 432 करोड़ रुपये का परिचय रखा गया था। 1978-83 की छठी योजना में 765 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है और अनुमान है कि देश में 1.45 लाख समस्या प्रधान तथा कठिनाई वाले देहातों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

यह सिफारिश की जाती है कि आदिवासी क्षेत्रों को जहाँ पीने के साफ पानी की कमी है, सुरक्षित पीने का पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा वर्तमान जल स्रोतों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में समस्या प्रधान ग्रामों की पहचान के कार्य में गांव की अपेक्षा खेड़ों को यूनिट के रूप में लिया जाना चाहिए।

8.90 यह देखने में आया है कि विभिन्न राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन पेयजल पूर्ति स्कीमों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिली, इस बारे में अलग से आंकड़े नहीं रख रहे हैं। इसलिए यह जानना सम्भव नहीं है कि इन कार्यक्रमों के अधीन इन जातियों के कितने लोगों को यह सुविधा मिल पाई है। इन समुदायों के आंकड़े अलग से रखे जाने चाहिए नाकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य समूहों सहित अलग अलग वर्गों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति व्यवस्था करने के लिए वास्तविक योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाना संभव हो सके।

अवसंरचना सम्बन्धी विकास :

8.91 आदिवासी क्षेत्रों तथा पाम पड़ोम के विकसित क्षेत्रों के बीच की खाई को ढाटने तथा समुचित विभाजन-कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में असंरचना (आधारभूत ढांचे) का पर्याप्त विकास नहीं किया गया

है। इस क्षेत्र में जो पैसा खर्च किया गया है यदि उसका पूरा लाभ आदिवासी लोगों तक पहुंचाना है तो वहां पर सड़कों का जाल बिछाकर रेलवे और दूर संचार, बिजली आदि की सुविधाएं देनी जरूरी हैं। आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने योग्य संभाव्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश की न्यूनता तथा उपलब्ध संसाधनों के दोहन की वर्तमान प्रक्रिया में आदिवासियों का जो शोषण किया जाता रहा है, उनके कारण संभाव्य संसाधनों को काम में नहीं लाया जा रहा है। अनेक आदिवासी क्षेत्रों में जो उपजाऊ हैं और प्राकृतिक संसाधनों तथा परिश्रमी लोगों से सम्पन्न हैं, काम करने के तरीकों का परिवर्तन अर्थों की अपेक्षा धीमी गति से हो रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास :

8.92 आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के कार्य से आर्थिक गतिविधि तथा आदिवासियों के विकास में मदद मिलनी चाहिए। उपयोजनाएं तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं बनाए जाने से तेज गति के परिवहन की जरूरत होने लगी ताकि गमस्त सव-डिजिटल मुख्यालयों तथा ब्लॉक मुख्यालयों, बाजार केन्द्रों आदि पर कम समय में पहुंचा जा सके। परिवहन सुविधाओं की इसलिए भी आवश्यकता हुई ताकि प्रशासन की कार्य कुशलता के लिए सुपरवाइजरी कार्मिक अपने गंतव्य स्थानों पर शीघ्रता से पहुंच सकें।

इसलिए यह आवश्यक है कि सभी सव डिजिटल मुख्यालयों तथा ब्लॉक मुख्यालयों को चरणबद्ध रूप में हर मौसम में उपयोग की जा सकने वाली पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाय। प्रथम चरण में, साप्ताहिक-हाट और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्लॉक मुख्यालयों से हर मौसम में खुली रहने वाली (सर्वकृत्) पक्की सड़कों से जोड़ना अत्यावश्यक है। जहां पर लोगों को वर्ष भर नदियां पार करने की सुविधा आवश्यक हो, वहां ऐसी नदियों पर पुलिया, पुल तथा आर-पार जल निकास की संरचना बनाने का काम संबंधित राज्य सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पिति तथा पांगो घाटी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां वर्ष में 8-9 माह पहुंचना मुश्किल होता है, वहां रहने वाले आदिवासियों के लिए सड़के जीवनावयिनी हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहां भूमि-स्खलन तथा हिम स्खलन बहुधा होते रहते हैं जिनसे सड़के बन्द हो जाती हैं, सिंचाई में रुकावट हो जाती है तथा बाढ़ आ जाती है।

8.93 राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देहातों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए एक मुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह व्यवस्था की गई है कि इस काम के लिए धनराशि का वास्तविक आबंटन करते समय आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, तथा पिछड़े इलाकों की विशेष समस्याओं को आधार माना जाना चाहिए तथा स्कीम के अन्तर्गत किस सड़क का काम शुरू किया जाए इसकी पहचान का काम संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। करीबन 21 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो देश के आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। इनकी सूची परिशिष्ट 65 पर देखी जा सकती है।

यह सिफारिश की जाती है कि संबंधित राज्य सरकारें उन जोड़ सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू करें जो राष्ट्रीय राजमार्गों को आदिवासी क्षेत्रों से जोड़नेवाली हों। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ देने से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति के उत्थान की दृष्टि से दूरगामी परिणाम निकलेंगे।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर, मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण :

8.94 इस संगठन के एक अध्ययन दल ने मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नारायणपुर, का सितम्बर, 1979 में सर्वेक्षण करते हुए यह देखा कि नारायणपुर परियोजना का

कुल भौगोलिक क्षेत्र 8,34,600 हैक्टर है जबकि परियोजना क्षेत्र में सड़कों की कुल लम्बाई 130 किलोमीटर थी जिसमें से सभी मौसमों में उपयोग की जा सकने वाली (सर्वकृत्व) सड़कों की लम्बाई 59.5 किलोमीटर और साफ मौसम के उपयोग वाली सड़कों की लम्बाई 70.5 कि० मी० थी। इनके अलावा, परियोजना क्षेत्र में वन-सड़कों की कुल लम्बाई 361 कि० मी० थी। यह देखा गया कि मानसून के दिनों में अनेक सड़कें कटी रहती हैं तथा चार इलाक मुख्यालयों में से दो मुख्यालय हर मौसम की सड़कों से नहीं जुड़ हुए हैं। पांचवी योजना अवधि में जिन आठ सड़कों को बचाने का प्रस्ताव था उनमें से केवल चार सड़कों के पूरे किये जाने की सूचना है। छोटेडंगर से औरचा तक की 23 कि० मी० वाली सड़क में से केवल 12 कि० मी० का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इस सड़क को बनाने की मंजूरी अनेक वर्ष पहले दी गई थी। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि परियोजना के विकास कार्यक्रमों में सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दूर-संचार व्यवस्था :

8.95 प्रशासनिक महत्व के नगरों और ग्रामों में जैसे जिला/सब डिविजनल मुख्यालयों में, दूर संचार की व्यवस्था करना प्रशासन का काम सुचारु रूप से चलाने और आर्थिक और कृषि/औद्योगिक विकास के हेतु आधारभूत अवसंरचना तैयार करने के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता है। आमतौर पर डाक और तार विभाग द्वारा टेली-फोन और तार की सुविधाएं तभी दी जाती हैं, जब इस बात की आशा हो कि वहां इनसे इतनी आमदनी तो हो जाएगी कि कम से कम इन सेवाओं को चलाने में होने वाले खर्च की पूर्ति हो सके। इस अनम्य नीति के कारण अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों को दूर संचार की सुविधाओं के लिए शामिल नहीं किया जाता। छठी योजना अवधि में कुल 15,000 लम्बी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोन कॉल-कार्यालय-सह-तार घर (संयुक्त कार्यालय) खोलने के लिए 37.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से 3,000 कार्यालय आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाने की आशा है।

वद्यपि यह निर्णय लिया गया है कि चाहे हानि हो अथवा लाभ सभी जिलों/सब डिविजनों/तहसीलों/उप तहसिलों/ब्लाक मुख्यालयों में और साधारण क्षेत्रों के ऐसे स्थानों पर जहां जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो तथा पिछड़े क्षेत्रों में 2,500 अथवा इससे अधिक हो, सार्वजनिक टेलीफोन काल कार्यालय खोले जाएं तथापि यह सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों के मामले में अधिक शिथिल मापदण्ड लागू किए जाएं।

डाक सेवा

8.96 यह उत्साहवर्धक बात है कि डाक तार बोर्ड ने देहाती तथा आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए नए मापदंडों का अनुमोदन कर दिया है। 1978-79 वर्ष के दौरान आदिवासी एवं पहाड़ी इलाकों में 1,500 डाकघर खोलने का प्रस्ताव था जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत डाकघर आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का विचार था। उस वर्ष के दौरान देहाती इलाकों में जिनमें आदिवासी इलाके भी शामिल हैं, डाक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 364.90 लाख रुपये का आवंटन किया गया था। 1978-79 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों सहित देहाती क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार संबंधी लक्ष्य निम्नलिखित रखे गए थे :-

| क्रम संख्या | राज्य | डाक घर खोलना | | | |
|-------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----|
| | | सामान्य देहाती क्षेत्र | पिछड़े क्षेत्र | पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 100 | 100 | 30 | 230 |
| 2 | बिहार | 100 | 100 | 75 | 275 |

| क्रम संख्या | राज्य | डाक घर खोलना | | | |
|-------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| | | सामान्य देहाती क्षेत्र | पिछड़े क्षेत्र | पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र | कुल |
| 3 | दिल्ली | 15 | .. | .. | 15 |
| 4 | गुजरात | 105 | 155 | 40 | 300 |
| 5 | जम्मू व कश्मीर | 5 | 25 | 20 | 50 |
| 6 | केरल | 20 | 40 | 55 | 115 |
| 7 | कर्नाटक | 120 | 40 | 15 | 175 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 275 | 175 | 300 | 750 |
| 9 | महाराष्ट्र | 200 | 200 | 100 | 500 |
| 10 | उत्तर पूर्व | 80 | 170 | 200 | 450 |
| 11 | उत्तर पश्चिम | 25 | 50 | 100 | 175 |
| 12 | उड़ीसा | 95 | 100 | 130 | 325 |
| 13 | राजस्थान | 175 | 160 | 70 | 400 |
| 14 | तमिलनाडु | 105 | 50 | 50 | 205 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 200 | 300 | 170 | 670 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 135 | 85 | 145 | 365 |
| योग | | 1,750 | 1,750 | 1,500 | 5,000 |

यह देखा जाएगा कि 5,000 डाकघरों में से 1,500 डाकघर पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाने थे। यह अभी ज्ञात नहीं है प्रस्तावित लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो गए। यह सुझाव है कि सभी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं तथा अनुसूचित क्षेत्र डाक सेवाओं के विस्तार के लिए उदारीकृत वित्तीय मान दण्डों के पात्र होने चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण :

8.97 आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा उद्यमीवृत्ति को उत्साहित करने के लिए सार्वजनिक निवेश के माध्यम से अवसंरचना का विकास करना बहुत आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए देहातों में बिजली पहुंचाना आवश्यक है। पांचवी योजना में, आदिवासी क्षेत्रों में देहातों के विद्युतीकरण के लिए काफी परिश्रम रखा गया था और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई थी। परन्तु कई मामलों में मानदण्ड ऐसे थे कि आदिवासी ग्रंचलों के कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक ये स्कीमें नहीं पहुंच सकीं। ग्रामीण विद्युतीकरण को सिंचाई तथा ग्रामीण एवं घरेलू उद्योगों जैसे आर्थिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विद्युतीकरण का एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसे आदिवासी देहाती क्षेत्रों में उपलब्ध वस्तुओं के कम से कम प्रथम स्तर के संसाधन के लिए संसाधन यूनिटें लगाने और पम्प संतों को बिजली-चालित करने की योजना के साथ समुचित रूप से जोड़ा जाय।

आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण :

8.98 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1977-78 के अंत तक आदिवासी क्षेत्रों में 200 स्कीमें मंजूर की थीं जिनमें 91 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता दी जानी थी। पूरा होने पर इनके द्वारा 16,167 गांवों को बिजली दी जानी थी। 30 गिनम्बर, 1977 तक 3,720 नए गांवों को बिजली दी गई थी। आदिवासी क्षेत्रों में मंजूर हुई

ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की राज्यवार स्थिति निम्नलिखित विवरण में दी गई है :-

| क्रम सं० | राज्य | मंजूर की गई स्कीमों की संख्या | मंजूर किया गया ऋण (रुपये लाखों में) | अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या | गांव जहाँ तक बिजली लगी |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | 30-9-77 | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 24 | 10.15 | 1,278 | 262 |
| 2 | असम | 9 | 5.73 | 1,042 | 90 |
| 3 | बिहार | 24 | 14.14 | 3,277 | 588 |
| 4 | गुजरात | 8 | 2.94 | 406 | 123 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0.67 | 285 | 94 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 51 | 19.51 | 2,967 | 566 |
| 7 | महाराष्ट्र | 14 | 6.00 | 1,069 | 516 |
| 8 | मणिपुर | 1 | 0.43 | 66 | .. |
| 9 | मेघालय | 10 | 4.56 | 639 | 169 |
| 10 | नागालैंड | 4 | 2.48 | 163 | 31 |
| 11 | उड़ीसा | 31 | 12.83 | 3,122 | 793 |
| 12 | राजस्थान | 15 | 8.56 | 1,271 | 402 |
| 13 | त्रिपुरा | 3 | 1.76 | 324 | 15 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 1 | 0.72 | 112 | 25 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 3 | 0.90 | 146 | 46 |
| | योग | 200 | 91.38 | 16,167 | 3,720 |

अनुसूचित जाति वस्तियों में विद्युतीकरण :

8.99 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विशेष स्कीम के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 4.5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर 3 राज्यों में 10,406 हरिजन वस्तियों में बिजली लगाई गई थी। जिन गांवों को बिजली दी जा चुकी थी उनके निकटवर्ती हरिजन वस्तियों में बिजली के विस्तार के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से ऋण सहायता की विशेष स्कीम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू नहीं रखी गई। फिर भी राज्य विद्युत बोर्डों को यह सलाह दी गई थी कि जिन गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी, वहां राज्यों के वार्षिक योजना प्रावधानों से उपलब्ध धनराशि से इस विद्युत का हरिजन वस्तियों तक विस्तार किया जाए। 31-6-1977 तक 15 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 69,330 गांवों के उन इलाकों को जहां हरिजन और अन्य पिछड़ी जातियां निवास करती हैं, बिजली दी गई। देश में 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान 8,124 गांवों में बिजली दी गई तथा 1,84,903 बिजली चालित पम्प सेट लगाए गए थे। यह मालूम नहीं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने निवास स्थानों तथा पम्प सेटों को बिजली दी गई। यह आवश्यक है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इन समुदायों द्वारा उठाए गए लाभों के सम्बन्ध में आधारभूत आंकड़े एकत्र करे जिससे यह मालूम हो सके कि क्या विद्युतीकरण के सामान्य कार्यक्रमों के अधीन वे उचित लाभ उठा पाते हैं या नहीं।

रेलवे :

8.100 पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति के द्वार खोलने में रेलों एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। देश के उन क्षेत्रों में जहां की जनसंख्या अधिकतर आदिवासी है वहां रेलवे लाइन की कुल लम्बाई लगभग 3,800 कि० मी० है जो आदिवासी क्षेत्र के प्रति 1,000 वर्ग कि० मी० में 5.32 कि०मी० बैठती है। यह औसत पूरे देश के औसत, जो प्रति 1,000 वर्ग कि० मी० में 18.9 कि० मी० है, की तुलना में काफी कम है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में, रेलवे लाइनें हैं ही नहीं। जबकि त्रिपुरा और नागालैंड में केवल छोड़ी लम्बाई की रेलें हैं। केवल स्वतन्त्रता के बाद, जब औद्योगिकरण को पर्याप्त महत्व दिया गया, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, और आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कुछ रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। ये लाइनें मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये थीं और इन पर यात्रियों का यातायात शुरू नहीं किया गया था। यह उल्हासजनक बात है कि रेल मंत्रालय का विचार है कि पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाय। यह सूचना मिली है कि रेल मंत्रालय ने 1979-80 में उत्तर-पूर्व अंचल में निम्नलिखित नई लाइनें मंजूर की हैं :-

- (1) असम और मेघालय में गोहाटी से बर्निहाट तक बड़ी लाइन,
- (2) त्रिपुरा में धरमनगर से कुमारघाट तक छोटी लाइन,
- (3) अरुणाचल प्रदेश में ब्राह्मीपाड़ा से भल्लूपोंग तक छोटी लाइन,
- (4) मणिपुर में मिल्चर से जिरिबम तक छोटी लाइन,
- (5) नागालैंड में अम्गुरी से तुलि तक छोटी लाइन,
- (6) मिजोरम में लालाघाट से भैरवी तक छोटी लाइन।

यह भी सूचना मिली कि निम्नलिखित आदिवासी क्षेत्रों में नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य भी किए गए हैं :-

- (1) पार्वतीपुरम—कोरापुट (उड़ीसा)
- (2) ललितपुर—मिमरीली (कुछ भाग आदिवासी क्षेत्र में आता है)
- (3) बरवादीह—करंजी (कुछ भाग आदिवासी क्षेत्र में आता है)

8.101 फिर भी यह महसूस किया जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये रेल मंत्रालय ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। यह आवश्यक है कि आदिवासी क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के लिये पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए तथा जिन आदिवासी क्षेत्रों में रेल की लाइनें हैं वहां चाहे हानि हो या लाभ मालगाड़ीयों के साथ-साथ यात्री गाड़ियों भी चलाई जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं में अनुसंधान

8.102 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित समस्याओं के स्वरूप और आकार का अध्ययन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभागी है और इन जातियों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्कीमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की स्थापना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की बहुत पहले की सिफारिशों का परिणाम है। इस विषय की समीक्षा सभी रिपोर्टों में की गई है। आदिवासी संस्कृति में कार्य-प्रधान अनुसंधान करने के लिए इस समय देश में 11 आदिवासी अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ संस्थान आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कामिकों की प्रशिक्षण दे रहे हैं। पांचवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने 132.00 लाख रुपये के प्रावधान का अनुमोदन किया था जिसमें से 82.06 लाख रुपये की राशि सम्बन्धित राज्य

सरकारों ने खर्च की थी। छठी योजना के लिए योजना आयोग ने 200.00 लाख रुपये के परिषद का अनुमोदन किया था। इसमें से 30.00 लाख रुपये 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिए नियत किए गए हैं। 1979-80 वर्ष के लिए 50.00 लाख रुपये के परिषद का प्रस्ताव किया गया है। उसके अतिरिक्त, 5 लाख रुपये का परिषद अखिल भारतीय संस्थानों और विशेषज्ञ निकायों की सहायता के लिए अलग रखे गए थे। कोजीकोड, पुणे, जिलांग, रांची, अहमदाबाद, उदयपुर, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे आदिवासी अनुसंधान संस्थानों ने अपने किए गए कार्य की सूचना भेजी है जो कि परिषद 66 में दी गई है।

8.103 आदिवासी अनुसंधान संस्थान, जिलांग को छोड़कर उपर्युक्त बाकी संस्थानों ने कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं/पूरे किए हैं जो वर्तमान आदिवासी स्कीमों में संशोधन करने और नीतिगत निर्धारित करने में काफी सहायक होंगे। अनुसंधान संस्थान, कोजीकोड केरल की एक आदिमजाति कोरवा पर अध्ययन पूरा कर लिया था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन भी किए हैं, जैसे औद्योगिक और मिर्चाई परियोजनाओं द्वारा आदिवासियों का विस्थापन, उप-योजना क्षेत्रों में आदिवासी सहकारी सोसायटियों का प्रभाव और स्कूलों तथा कालेजों में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों द्वारा वीज में की गई छोट देना। इसी प्रकार आदिवासी अनुसंधान संस्थान, पुणे ने महाराष्ट्र में भूमि अन्वेषण, और अनुसूचित जन जातियों को भूमि प्राप्त करने तथा उप-योजना क्षेत्रों में आदिवासी सहकारी समितियों के गठन और विकास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अध्ययन पूरे किए हैं। उप अध्ययन में महाराष्ट्र की 207 आदिवासी सहकारी सोसायटियों में से 10 आदिवासी सहकारी सोसायटियां ली गई थीं। रिपोर्ट में राज्य में सहकारी ढांचे के बारे में विस्तार से विचार किया गया है और आदिवासी समितियों के गठन तथा कार्य-संचालन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, उदयपुर ने कादना मिर्चाई परियोजना के कारण आदिवासियों के विस्थापन पर अध्ययन पूरा कर लिया है। यह आशा की जाती है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें इन अध्ययनों में की गई सफाईयों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगी।

संस्थानों को सुदृढ़ बनाना :

8.104 पांचवी योजना अधि के दौरान शुरू किए गए आदिवासियों के विकास के लिए उप-योजना दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए उनकी समस्याओं के संदर्भ में विशिष्ट कार्यक्रम विकसित किए जाने थे। उसके लिए मध्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सतत मानिट्रिंग एवं मूल्यांकन करने की जरूरत है। आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को फिर से संरचित करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया पांचवी योजना अधि में शुरू की गई थी। आदिवासी और हरिजन अनुसंधान-सह-प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा ने बैंक मार्ग सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच जोन स्थापित किए हैं तथा विभिन्न जोनों में कुछ अनुसंधान कर्मचारियों का स्थानान्तरण और तैनाती की है। यह एक अच्छा परिवर्धन है और यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य आदिवासी अनुसंधान संस्थान भी अपने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय में रखने की बजाय उन्हें सतत अध्ययनों के लिए विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में तैनात करें। कुछ राज्य सरकारों ने उप-योजना और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को तैयार करने में आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के साधनों की सहायता ली है। वे आदिम कबीलों के विषय में आधारभूत प्रलेख तैयार करने के कार्य में भी लगे हुए थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विशेष स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी शुरू किए हैं और अब उन्हें उप-योजना क्षेत्रों में वैचमार्ग सर्वेक्षणों में भी विभिन्न अंगों में शामिल किया

जाता है। इन प्रकार यह पता चलता है कि उनकी भूमिका बहु-कृत्यों वाली बन गई है और उन्हें उप-योजना क्षेत्रों में चलाई जा रही स्कीमों को बनाने और उनका मूल्यांकन करने का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालना होगा। वर्तमान जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने आदिवासी अनुसंधान संस्थान को पुनः संरचित किया है। केरल में आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र को सरकार के एक अलग विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है तथा विकास विभाग के सचिव के सीधे नियंत्रण में रखकर इसका नाम "केरल अनुसूचित जाति और जन जाति अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास अध्ययन संस्थान" कर दिया गया है। संस्थान के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है और उसे निदेशक का पदनाम दिया गया है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में वरिष्ठ व्यक्तियों को आदिवासी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उड़ीसा सरकार ने संस्थान की संरचना की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को फिर से संरचित करने का प्रस्ताव सम्बंधित सरकारों के विचाराधीन है। गुजरात में आदिवासी अनुसंधान संस्थान, गुजरात विद्यापीठ का एक अंग है। इन प्रकार यह देखा जाता है कि विभिन्न आदिवासी अनुसंधान संस्थान तकनीकी क्षमता के विभिन्न स्तरों पर हैं। चूंकि, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, उप-योजना और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के प्रतिपादन और आदिवासी नवा अनुसूचित जाति सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्बन्धित किए गए हैं, अतः यह बल दिया जाता है कि इन संस्थानों को फिर से संरचित करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सम्बन्धित सरकारें प्रयत्न करें ताकि इस संस्थानों से जिन कार्यों की अपेक्षा की जाती है उन्हें करने में वे व्यवहार्य बन सकें।

केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद :

8.105 केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कार्य की समीक्षा करने और उनके लिए अनुसंधान कार्यक्रम सुझाने के लिए नवम्बर, 1972 में स्थापित की गई थी। परिषद् के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

- (1) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कार्य कलापों का समन्वय करना।
- (2) नीति प्रतिपादन में मोटे तौर पर मार्ग निर्देशन प्रदान करना।
- (3) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा आदिवासी कार्यक्रमों से सम्बन्धित अन्य अनुसंधान संघ-ठनों के लिए शोधन गृह (कितियरिंग हाऊस) के रूप में कार्य करना; और
- (4) अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय मंच सुलभ कराने के लिए संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना।

8.106 परिषद की तीसरी बैठक 26 जून, 1976 को हुई थी। बैठक में हुई चर्चा में जो कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए वे इस प्रकार हैं :—

- (1) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच सम्बन्ध कड़ियों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में, अनुसंधान सलाहकार परिषद और आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की शासी परिषदों में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के प्रादेशिक निदेशकों को नर्द्दयोजित किया जाना चाहिए।
- (2) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान प्राथमिकताएं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं और उपयोजना के कार्यान्वयन की समस्याओं के साथ निकट रूप में सम्बन्धित रहे विशेषतः गड़क कार्यक्रमों, मिर्चाई, भूमि-संरक्षण तथा

भूमि विकास कार्यक्रमों, पीने के पानी और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे सैक्टरों के विशिष्ट संदर्भ में, क्योंकि ये सबसे अधिक निवेश के सैक्टर हैं।

- (3) जहाँ तक अन्वेषण और मूल्यांकन अध्ययनों का सम्बन्ध है, निदेशक आदिवासी अनुसंधान संस्थान, आन्ध्र प्रदेश आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन का डिजाइन तैयार करेगा। आदिवासियों पर मिन्हाई कार्यक्रमों के प्रभाव से सम्बन्धित डिजाइन निदेशक, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा बनाया जाएगा।
- (4) विभिन्न अखिल भारतीय अध्ययनों के डिजाइन आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को बनाने चाहिए।
- (5) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए बैचमार्क सर्वेक्षण का डिजाइन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों द्वारा बनाया जा सकता है।
- (6) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की अप्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच उनकी गुणवत्ता और विषय वस्तु के संदर्भ में की जाए। यदि आदिवासी अनुसंधान संस्थान किसी रिपोर्ट को मुद्रित करना और प्रकाशित करना वांछनीय समझता है लेकिन उसे मुद्रित करने तथा प्रकाशित करने में कठिनाई अनुभव करता है तो गृह मंत्रालय यथोचित सहायता देने के प्रश्न पर विचार करे।
- (7) विभिन्न आदिवासी अनुसंधान संस्थानों में सूचना और अनुसंधान अध्ययनों को प्रचारित करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।
- (8) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे आदिवासी अनुसंधान सलाहकार परिषद की पिछली बैठक में निश्चित पैटर्न के अनुसार आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को फिर से संरचित करने की कार्यवाही करें।

8.107 यह मालूम नहीं है कि सम्बंधित राज्य सरकारों ने उपर्युक्त सुझावों पर क्या कार्यवाही की है। परिषद को चाहिए कि वह कम-से-कम छः महीने में एक बार अवश्य बैठक बुलाए ताकि आदिवासी अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की जा सके। पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्यक्रम का प्रतिपादन करने के लिए प्रत्येक आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान सलाहकार समिति होनी चाहिए। यह देखा गया है कि कोचीकोड़, पुणे, कलकत्ता और शिलांग के संस्थानों ने इस प्रकार की समितियाँ गठित नहीं की हैं। यह सिफारिश की जाती है कि जहाँ अनुसंधान सलाहकार समितियाँ गठित नहीं की गई हैं वहाँ इन्हें गठित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

8.108 गोखले राजनीति-शास्त्र और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, पुणे, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर; भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला; भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता; भारत के महापंजीकार, नई दिल्ली; राष्ट्रीय सामूदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद तथा कई अन्य संस्थानों में कार्य कर रहे सामाजिक वैज्ञानिक भी अनुसूचित जन जाति समुदायों में अनुसंधान कार्य करने में लगे हुए थे। इनमें से कुछ संस्थानों द्वारा हाथ में लिए गए अनुसंधान कार्य के बारे में सूचना संकलित की गई है जिसे परिशिष्ट 67 पर देखा जा सकता है।

अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करना

8.109 गृह मंत्रालय ने 1977 में पहली बार आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ देने की स्कीम चालू

की थी। प्रति वर्ष 25 शिक्षावृत्तियाँ उन छात्रों को दी जाती हैं जो विश्वविद्यालयों में विद्या-वाचस्पति (पी० एच० डी०) के छात्रों के रूप में पंजीकृत होते हैं और आदिवासी विकास के सम्बंधित समस्याओं पर कार्य करते हैं। ये शिक्षावृत्तियाँ दो प्रकार की हैं—डाक्टरल और पोस्ट-डाक्टरल—प्रत्येक का मूल्य क्रमशः 400 रु० और 600 रु० है। छात्रों को अन्य आकस्मिक खर्च, जिनमें निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता और सतुंगई भत्ता भी शामिल है, वहन करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। 1977-78 में 26 शिक्षावृत्तियाँ दी गईं। जिन अध्ययनों के लिए 1978-79 के दौरान अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ दी गईं उनकी सूची परिशिष्ट 68 पर देखी जा सकती है। यह आशा की जाती है कि इन छात्रों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में किया गया मूल कार्य आदिवासी विकास सम्बंधी साहित्य में एक बहुमूल्य परिवर्तन होगा जो कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में सहायक हो सकता है।

मानिटरिंग तथा मूल्यांकन

8.110 आदिवासी उप योजना क्षेत्र 179 एकीकृत संचालन यूनिटों में विभाजित है जिनमें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का नाम दिया गया है। परियोजना प्रशासक आशा करता है कि उसे नीचे के कार्यकर्ताओं, जैसे ब्लाक, तालुक विकास अधिकारियों अथवा सम्बंधित जिला स्तर के अधिकारियों से लौटती सूचना (फीड बैक) मिलती रहेगी। जिला स्तर पर जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त समीक्षा की जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रमों को सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा मानिटर और आदिवासी विकास आयुक्त द्वारा समन्वित किया जाता होता है। यह माना जाता है कि यह व्यवस्था अधिकांश राज्यों में है। वैसे, इस प्रणाली से कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से मानिटर करने के लिए अपेक्षित आंकड़े ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं होते।

8.111 योजना आयोग के सुझाव पर गृह मंत्रालय ने जलाई 1978 में आदिवासियों के विकास और पिछड़े वर्गों के विकास के कार्यक्रमों की मानिटरिंग और मूल्यांकन के सम्बन्ध में कार्य दल गठित किया था। इस कार्य-दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :—

- (i) आदिवासी विकास और पिछड़े वर्गों के विकास सैक्टर के बारे में वर्तमान मानिटरिंग प्रणाली का अध्ययन करना; और
- (ii) रोलिंग प्लान के संदर्भ में इस प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

8.112 कार्यदल ने अपनी अगस्त, 1978 में हुई बैठक में एक उप-दल गठित किया। इस उप-दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :—

- (1) निम्नतम स्तर से राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में उच्चतम स्तर तक अलग अलग सैक्टरों में और एकीकृत रूप में, सूचना के आने जाने के माध्यम क्या होने चाहिए।
- (2) अलग अलग सैक्टरों और एकीकृत रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में किस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान होना चाहिए; तथा
- (3) क्या विभिन्न स्तरों पर वर्तमान मानिटरिंग एजेंसियाँ काफी सशक्त हैं अथवा उन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

8.113 कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रकार की तीन स्तरीय सूचना प्रणाली का सुझाव दिया है :—

- तीसरे स्तर की सूचना—योजना बनाने, निर्णय लेने और नियंत्रण रखने के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर तैयार की गई और प्रयोग में लाई गई सूचना। यह दूसरे स्तर की सूचना के लिए आंकड़ों का आधार प्रदान करती है।

दूसरे स्तर की सूचना—एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना से निःसृत और सम्बंधित कार्यक्रमों के बारे में राज्य स्तर पर सम्बंधित सेक्टर के विभाग को भेजी जाने वाली सूचना। यह सूचना तमूचे रूप में राज्य सरकार के आदिवासी आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रथम स्तर की सूचना—राज्य स्तर पर संबंधित सेक्टर के विभागों से निःसृत होने वाली और संबंधित केन्द्रीय विभागों/मंत्रालयों को प्रेषित की जाने वाली तथा आदिवासी आयुक्त द्वारा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।

8.114 कार्यदल ने यह भी सुझाया है कि रिपोर्ट का ढांचा कैसा रहे। यह आशा की जाती है कि कार्यदल द्वारा सुझाई गई सूचना प्रणाली लागू हो जाने से आदिवासी विकास कार्यक्रमों को मानिटर करना संभव हो जाएगा। वैसे, इस प्रणाली में आधारभूत कमी यह है कि नीचे मूल में कार्य कर रहे कर्मचारियों से विश्वसनीय आंकड़े ऊपर नहीं आते। इसी पहलू की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

8.115 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्तर पर मानिटरिंग करने के संबंध में यह मानना होगा कि अभी तक कोई सुनिश्चित प्रणाली तैयार

नहीं की गई है, यद्यपि गृह मंत्रालय में आदिवासी विकास प्रभाग में खर्च के बारे में आवधिक विवरण प्राप्त होते हैं। आदिवासी उप योजना 1978-83 के लिए कार्यक्रम तैयार करने के बारे में योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय मंत्रालयों को आदिवासी क्षेत्रों के कार्यक्रमों की मानिटरिंग के लिए अपनी अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गठित केन्द्रीय समन्वय समिति ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। मानिटरिंग से संबंधित उक्त कार्यदल ने भी केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए विवरणियां निर्धारित की हैं। निःसन्देह प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अपने विषयों के सम्बन्ध में क्षेत्र से आवश्यक आंकड़े प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यक्रमों को मानिटर करेगा। कार्यक्रमों का मूल्यांकन अब चयनात्मक आधार पर आदिवासी विकास संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। यह सिफारिश की जाती है कि उपयुक्त गैर सरकारी अनुसंधान संगठन को मूल्यांकन कार्य सौंपने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी अनुसंधान संस्थानों और इन संगठनों को इन अतिरिक्त कार्यों के लिए पूर्णतः सज्जित किया जाए।

अत्याचार तथा उत्पीड़न

समस्या की घोरता

यह सूचित करना बिल्कुल अछा नहीं लगता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हत्या, बलात्कार, आगजनी, गंभीर चोटें पहुंचाने वाली हिंसा आदि जैसे अत्याचारों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से इनके अनुपात में जो वृद्धि होती जा रही है वह चौंका देने वाली है। आयुक्त की पिछली (1977-78 की) रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई थी कि ये अत्याचार अपराधियों की ओर से संगठित आक्रमणशीलता का रूप धारण करते जा रहे हैं तथा एक प्रकार के वर्ग-युद्ध की ओर अभिमुख हो रहे हैं। इस समस्या की घोरता इस तथ्य से आसानी से नापी जा सकती है कि पिछले तीन वर्षों में इन अत्याचारों की संख्या में लगभग तिगुनी वृद्धि हुई है। यह वास्तव में दुख की बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिये केन्द्रीय और राज्यों, दोनों ही सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय बरते जाने का दावा किए जाने के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। इस बीमारी को जड़े काफी गहरी मालूम होती हैं और इसका मुकाबला करने के लिए अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

केन्द्रीय/राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार

9.2 एक दृष्टिकोण के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार अपराधिक मामले हैं और सार्वजनिक व्यवस्था की परिसीमा के भीतर आते हैं जोकि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 1 के अनुसार राज्य का विषय है और इसलिए यह मामला मात्र राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः यह दलील दी जाती है कि विशुद्ध रूप से विधिक और संवैधानिक अर्थ में केन्द्र का ऐसे मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और वह इस बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देशन देने मात्र से ही अपने आप को संतुष्ट रख सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस दृष्टिकोण का कड़े शब्दों में विरोध किया है और उसका मत है कि इस मामले का सही विधि सम्मत और संवैधानिक सूर्यांकन किया जाए तो कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के मामलों में केन्द्र की सर्वाधिकार जिम्मेदारी है। यह मत पिछली (1977-78 की) रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया गया था और इस रिपोर्ट के प्रथम अध्याय में अधिक विस्तार से इस पर विचार किया जा रहा है।

अत्याचारों के कारण

9.3 अब यह आम जानकारी है, और जैसे कि हाल ही के वर्षों में हुए अत्याचारों के अनेक मामलों के विश्लेषण से सत्यापन किया गया है, कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले ये अत्याचार सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के कारणों से किए जाते हैं। अल्प-यता की प्रथा के कारण उत्पन्न सामाजिक अनादर और भूमिहीनता,

मजदूरी पर श्रम, बन्धुआपन, आदि से उद्भूत अत्यधिक आर्थिक विषमताएं, शोषण और अन्याय की एक सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है और जब युग की जागृती के प्रभाव से अथवा इन शोषितों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों का लाभ उठाए जाने के लिए इन शोषणों को किसी भी क्रिस्म को दूर करने का कोई प्रयत्न किया जाता है तो निहित स्वार्थी वाले लोगों का रोष उबड़ पड़ता है। परिणाम स्वरूप, गंभीर से गंभीर अत्याचार किए जाते हैं। कानून और व्यवस्था को कारगर मशीनरी और पर्याप्त कानूनी संरक्षण न होना भी अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। इन जातियों पर अत्याचारों के मुख्य कारणों में भूमि-विवाद भी शामिल हैं। इन पर भूमि और कृषि संबंधी अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। यह देखा गया है कि जो लोग भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा किए हुए हैं वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के लिए प्रायः जिम्मेदार होते हैं। इन जातियों को अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि आबंटित की जाती है लेकिन उन्हें उस भूमि का लाभ नहीं उठाने दिया जाता। अतः यह महसूस किया जाना है कि अनुसूचित जातियों को जो अधिशेष भूमि अथवा सरकारी भूमि आबंटित की जाए उसके कब्जे की सुरक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार की जमीनें स्पष्ट रूप में सामाजिक को जानी चाहिए और जो व्यक्ति इन भूमियों को बेदखली के लिए जिम्मेदार हों उन्हें सरकारी कार्यवाही से उस भूमि से हटाया जाना चाहिए और कानून के अधीन उस पर मुकदमा चला कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। साथ ही, भूमि को मूल आबंटितियों को बिना बिलंब किए लौटा दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस विषय के वर्तमान कानून में भी आवश्यक संशोधन करने चाहिए। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों पर अधिकांश अत्याचार आदिवासी भूमियों का गैर-आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर अन्तरण कराए जाने के कारण होते हैं। साथ ही, इस विषय के वर्तमान कानूनों में बच निकलने के विभिन्न रास्तों के कारण विधिक उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं और वे उपबन्ध सम्बन्धित आदिवासियों को उनकी भूमि उन्हें वापस दिलाने में कारगर सिद्ध नहीं होते। अनुसूचित जनजातियों पर बढ़ते हुए अत्याचारों के अन्य कारण ऋणग्रस्तता, वन नीति, जो वनों में आदिवासियों के अधिकारों को सीमित करती है, न्यूनतम मजदूरी न दिया जाना, बन्धुआ मजदूरी हाटों पर अत्यधिक महसूल आदि हैं। अतः यह वांछनीय है कि आदिवासियों पर अत्याचारों के मूल कारणों को रोकने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के बाकी क्षेत्रों में वर्तमान काश्तकारी कानूनों की जांच की जानी चाहिए और उनमें यदि बच निकलने के कोई रास्ते पाए जाएं तो उन्हें उपयुक्त संशोधनों द्वारा बंद किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे अत्याचारों के उपर्युक्त अन्य कारणों को दूर करने के लिए आदिवासी मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए वन नीति को उदार बनाने, आदि के यथोचित उपाय करें।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या।

9.4 वर्ष 1976 से 1979 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की संख्या और वर्ष

1976 के आधार पर इस संख्या में हुई वृद्धि की प्रतिशतता नीचे सारणी में दी गई है :-

| वर्ष | †अत्याचारों के मामलों की संख्या | | |
|------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| | अनुसूचित जातियों पर | अनुसूचित जन जातियों पर | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1976 | 6,197 | 1,065 | 7,262 |
| 1977 | 10,879 (75.55%) | 1,137 (6.85%) | 12,017 (65.47%) |
| 1978 | 15,053 (142.91%) | 1,632 (53.14%) | 16,685 (129.73%) |
| 1979 | 13,426@ | 367* | 13,793 |

@इसमें कुछ राज्यों से वर्ष की कुछ अवधि की सूचना शामिल नहीं है, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*चार राज्यों से वर्ष 1979 की कुछ अवधि की इस संगठन में प्राप्त सूचना शामिल है।

†कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े आधार वर्ष 1976 से मामलों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता बताते हैं।

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों की संख्या 1976 में 6,197 से बढ़कर 1977 में 10,879 तथा 1978 में 15,053 हो गई और 1979 में भी इतनी ही होने का अनुमान है। इस प्रकार 1979 में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचार 1976 की संख्या के लगभग ढाई गुना हो सकते हैं। अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों की संख्या की प्रतिशतता आधार वर्ष 1976 की तुलना में 1977 में 75.55 और 1978 में 142.91 थी। अनुसूचित जनजातियों के मामले में अत्याचारों की संख्या 1976 में 1,065 से बढ़कर 1977 में 1,138 तथा 1978 में 1,632 हो गई। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की संख्या में वृद्धि की प्रतिशतता आधार वर्ष 1976 की तुलना में 1977 में 6.85 और 1978 में 53.14 थी।

अत्याचार की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा

9.5 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों पर वर्ष 1977 एवं 1978 के दौरान अत्याचार की घटनाओं के बारे में उपलब्ध राज्यवार सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

| राज्य का नाम | दर्ज मामलों की संख्या | | | | 1977 के मुकाबले में 1978 में हुई वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|---|--------------------|
| | अनुसूचित जातियाँ | | अनुसूचित जनजातियाँ | | अनुसूचित जातियाँ | अनुसूचित जनजातियाँ |
| | 1977 | 1978 | 1977 | 1978 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 आंध्र प्रदेश . . . | 102 | 110 | 19 | 14 | +7.84 | (-)26.3 |
| 2 अरुम . . . | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 3 बिहार . . . | 681 | 1,911 | उपलब्ध नहीं | 196 | +180.62 | .. |
| 4 गुजरात . . . | 331 | 540 | 407 | 116 | +63.14 | (-)71.4 |
| 5 हरियाणा . . . | 26 | 66 | शून्य | .. | +153.88 | .. |
| 6 हिमाचल प्रदेश . . . | 42 | 66 | 1 | 1 | +57.14 | शून्य |
| 7 कर्नाटक . . . | 59 | 376 | 4 | उपलब्ध नहीं | +537.27 | .. |
| 8 केरल . . . | 233 | 767 | .. | 127 | +229.18 | शून्य |
| 9 मध्य प्रदेश . . . | 3,366 | 3,240 | 147 | 714 | -3.74 | (+)385.7 |
| 10 महाराष्ट्र . . . | 570 | 1,046 | 406 | 267 | +83.51 | (-)34.2 |
| 11 उड़ीसा . . . | 69 | 135 | 24 | शून्य | +95.65 | .. |
| 12 पंजाब . . . | 84 | 84 | शून्य | .. | .. | .. |
| 13 राजस्थान . . . | 261 | 886 | 103 | 184 | +239.46 | +78.6 |
| 14 तमिल नाडु . . . | 54 | 130 | .. | उपलब्ध नहीं | +140.75 | .. |
| 15 उत्तर प्रदेश . . . | 4,974 | 5,660 | 6 | 1 | +13.79 | -83.3 |
| 16 पश्चिम बंगाल . . . | 7 | 6 | .. | उपलब्ध नहीं | +14.28 | .. |
| 17 पांडिचेरी . . . | 9 | 14 | .. | .. | +55.56 | .. |
| 18 दादरा एवं नगर हवेली . . . | 8 | 1 | 21 | 6 | -87.50 | -71.4 |
| 19 दिल्ली . . . | 3 | 14 | .. | .. | +366.67 | .. |
| 20 गोआ, दमन एवं दीव . . . | .. | उपलब्ध नहीं | .. | 6 | .. | .. |
| 21 अरुणाचल प्रदेश . . . | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग . . . | 10,879 | 15,053 | 1,138 | 1,632 | +38.37 | +43.5 |

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि अपेक्षाकृत रूप में 1978 के दौरान उत्तर प्रदेश (5,660), मध्य प्रदेश (3,240), बिहार (1,911), महाराष्ट्र (1,046), राजस्थान (886), केरल (767), गुजरात (540), कर्नाटक (376), उड़ीसा (135), आंध्र प्रदेश (110), पंजाब (84), हरियाणा (66), हिमाचल प्रदेश (66), दिल्ली (14), पाण्डिचेरी (14) और पश्चिमी बंगाल (6) राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की अधिक घटनाओं की सूचना मिली। अनुसूचित जनजातियों के सम्बंध में 1978 के दौरान अधिक अत्याचार

की घटनाओं की सूचना मध्य प्रदेश (714), महाराष्ट्र (267), बिहार (196), राजस्थान (184), केरल (127), गुजरात (116), आंध्र प्रदेश (14), दादरा और नगर हवेली (6), गोवा दमन एवं दीव (6) और हिमाचल प्रदेश (1) से मिली।

अत्याचार की घटनाओं का अपराधवार ब्यौरा

9.6 1978 के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं का अपराधवार तथा राज्यवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1978 के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|-------|----------|-------|--------------|--------|
| | | अनुसूचित जातियां | | | | | |
| | | हत्या | हिंसा | बलात्कार | आगजनी | अन्य घटनायें | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5 | 7 | 12 | 6 | 80 | 110 |
| 2 | असम | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 3 | बिहार | 63 | 146 | 76 | 260 | 1,365 | 1,911 |
| 4 | गुजरात | 14 | 48 | 5 | 10 | 463 | 540 |
| 5 | हरियाणा | 4 | 10 | 14 | 5 | 33 | 66 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | .. | 3 | 2 | 1 | 60 | 66 |
| 7 | कर्नाटक | 17 | 10 | 10 | 28 | 311 | 476 |
| 8 | केरल | 10 | 20 | 17 | 13 | 707 | 767 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 41 | 411 | 94 | 201 | 2,493 | 3,240 |
| 10 | महाराष्ट्र | 26 | 119 | 35 | 167 | 699 | 1,046 |
| 11 | उड़ीसा | 5 | 14 | 5 | 8 | 103 | 135 |
| 12 | पंजाब | 10 | 20 | 6 | 1 | 47 | 84 |
| 13 | राजस्थान | 38 | 137 | 68 | 51 | 592 | 886 |
| 14 | तमिलनाडु | 4 | 8 | 6 | 4 | 108 | 130 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 219 | 613 | 188 | 445 | 4,195 | 5,660 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | .. | 2 | .. | 1 | 3 | 6 |
| 17 | दादरा एवं नगर हवेली | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| 18 | दिल्ली | .. | 2 | 2 | .. | 10 | 14 |
| 19 | पाण्डिचेरी | .. | .. | .. | 1 | 13 | 14 |
| 20 | गोवा, दमन एवं दीव | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग | 456 | 1,570 | 541 | 1,202 | 11,284 | 15,053 |

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1978 के दौरान रिपोर्ट किये गए मामलों की कुल संख्या | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|-------|----------|-------|--------------|-----|
| | | अनुसूचित जनजातियां | | | | | |
| | | हत्या | हिंसा | बलात्कार | आगजनी | अन्य घटनायें | योग |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4 | .. | 2 | .. | 8 | 14 |
| 2 | असम | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | बिहार | 9 | 12 | 30 | 8 | 137 | 196 |
| 4 | गुजरात | 13 | 44 | 3 | 4 | 52 | 116 |
| 5 | हरियाणा | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 7 | कर्नाटक | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | केरल | 3 | .. | 5 | 4 | 115 | 127 |
| 9 | मध्य प्रदेश | .. | .. | .. | .. | .. | 714* |
| 10 | महाराष्ट्र | 14 | 38 | 11 | 11 | 193 | 267 |
| 11 | उड़ीसा | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 | पंजाब | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | राजस्थान | 10 | 19 | 17 | 9 | 129 | 181 |
| 14 | तमिलनाडु | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 | दादरा एवं नगर हवेली | .. | .. | .. | .. | 6 | 6 |
| 18 | दिल्ली | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 | पाण्डिचेरी | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 | गोवा, दमन एवं दीव | .. | .. | .. | .. | 6 | 6 |
| योग | | 54 | 113 | 68 | 36 | 647 | 1,632 |

*अपराधवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं।

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों में वर्ष 1978 के दौरान अत्याचार के मामलों में अधिकतम संख्या 'हिंसा' वर्ग की। (1,570) थी, इसके बाद अगजनी (1,202), बलात्कार (541) और हत्या (456) की रही। उस वर्ष अनुसूचित जनजातियों में अत्याचार की अधिकतम संख्या 'हिंसा' वर्ग (113) से संबंधित थी। इसके बाद बलात्कार (68), हत्या (54) और अगजनी (36) के मामले थे। यहाँ यह कहा जा सकता है कि केवल सांख्यिकीय सूचना पर ही पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन समुदायों पर किये गए अत्याचारों के मामलों की वास्तविक संख्या इन आंकड़ों से काफी अधिक हो सकती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों से निपटने के लिये केन्द्र एवं राज्यों में किए गए विशेष प्रबंध

केन्द्र में किए गए विशेष प्रबंध

9.7 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के विषय में कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय एकीकरण प्रभाग करता है। यह बताया गया है कि मंत्रालय राज्य सरकारों से सम्पर्क रखता है और निर्धारित आवधिक विवरणियों के द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस बात के आंकड़े एकत्र करता है कि अत्याचार की कितनी घटनाएँ हुई, वे घटनाएँ किस किस प्रकार की थी तथा ऐसे मामलों के अन्वेषण और विचारण की क्या प्रगति रही। मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को समय समय पर हिदायतें जारी की जाती हैं जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के उपाय सुझाये जाते हैं। मार्च 1980 में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों/उपराज्यपालों को पत्र* लिखा जिसमें उन्होंने अत्याचार की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की तथा अत्याचार के मामलों को रोकने के लिये, कुछेक एहतियाती, निवारक एवं दण्डात्मक उपायों के साथ-साथ पुनर्वास के उपायों तथा कार्मिक नीति

के सम्बन्ध में सुझाव दिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जिन महत्वपूर्ण कदमों की सिफारिश की गई उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- (1) पुलिस शासन को तथा खासकर आसूचना एकत्रित करने वाली एजेंसियों को सुधारने के लिये प्रशासनिक उपाय किए जाएं।
- (2) प्राप्त आसूचना के आधार पर समय रहते रोकथाम के उपाय किए जाएं जिसमें पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियों को तैनाती शामिल है।
- (3) जिन क्षेत्रों में ऐसे अपराध अधिक होते हैं वहाँ उन व्यक्तियों के जिनके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना हो, बंदूक के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं और यहाँ तक कि रद्द कर दिए जाएं।
- (4) ऐसे इलाकों में छिपाए हुए अस्त्र हथियारों का तथा गोला बारूद का पता लगाने के लिए देर तक रहने वाला कार्यक्रम चलाया जाये।
- (5) अपराधों का तेजी से अन्वेषण किया जाए और अपराधियों से देरी किए बिना जवाब तलब किया जाए।
- (6) ऐसे अपराधियों के मामलों के तेज गति से विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय जिससे उन पर निवारक प्रभाव पड़े।
- (7) अत्याचार पीड़ितों को तात्काल राहत दी जाय और उनका यथाशीघ्र पुनर्वास किया जाय।
- (8) ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों तथा जातियों के सम्मानित व्यक्तियों की शान्ति समितियाँ गठित की जाएं जिससे स्थायी मेल-मिलाप हो सके।
- (9) कृपि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सख्ती से लागू किया जाय।

*पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट-69 में देखी जा सकती है।

(10) अन्दरूनी क्षेत्रों में संचार सुविधाओं, खासकर सड़कों, में सुधार किया जाय।

आशा है कि राज्य सरकारें उपर्युक्त हिदायतों को तत्परता से कार्यान्वित करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगी।

अत्यन्तार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों में विशेष प्रबंध

9-8 कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए हरिजन प्रकोष्ठ/समितियां स्थापित करने जैसे विशेष प्रबंध किए हैं। विभिन्न राज्यों में इन प्रकोष्ठों के गठन और उनके कार्यचालन के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों के मामलों की तुरन्त जांच करने, मुकदमा चलाने और उनका निपटान करने तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों का निपटान करने के लिए राज्य ने 1976 में अपराध जांच विभाग की अपराध शाखा से सम्बद्ध एक अलग प्रकोष्ठ गठित किया था। अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर अत्याचारों और उत्पीड़न से सम्बंधित जिला पुलिस द्वारा दर्ज किए गए तथा जांच किए गए मामलों की समीक्षा करने में और ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षकों को उपयुक्त हिदायतें देने में इस प्रकोष्ठ को समन्वय कार्य भी करना होता था। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख अपर पुलिस अधीक्षक है और उसकी सहायता के लिए दो उपअधीक्षक, तीन निरीक्षक, दो सिपाही तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी दिए गए हैं। यह मालूम हुआ है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जिला स्तर पर इसी प्रकार के प्रकोष्ठ थोड़े-से कर्मचारियों से खोले गए हैं।

बिहार

राज्य सरकार ने जुलाई 1975 में एक हरिजन प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख पुलिस उप महा निरीक्षक है तथा उसकी सहायता के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक, सात निरीक्षक है तथा अन्य सहायक कर्मचारी दिए गए हैं। हरिजन प्रकोष्ठ के अधीन स्थापित एक पुलिस स्टेशन निरीक्षक के प्रभार अधीन रखा गया है जिसकी सहायता के लिए दो उपनिरीक्षक, एक लिपिक तथा पंद्रह सिपाही दिए गए हैं। हरिजन प्रकोष्ठ में प्राप्त होने वाली शिकायतों की गुणावगुण आधार पर जांच और छानबीन की जाती है। गंभीर किस्म की सभी शिकायतों का अन्वेषण प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आम किस्म की शिकायतों की जांच करने के लिए एक हरिजन पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया गया है। भूमि तथा सजस्व से सम्बंधित अन्य मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रायः सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

गुजरात

दो हरिजन प्रकोष्ठ अक्टूबर 1973 से कार्य कर रहे हैं जिनके मुख्यालय गांधीनगर और राजकोट में हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक पुलिस उपाधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक, दो पुलिस उप-निरीक्षक, दो हवलदार और तीन सिपाही हैं। ये प्रकोष्ठ हरिजनों की शिकायतों की जांच करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त जाल बिछा कर होटलों, नाई की दुकानों तथा अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हैं। हरिजन समस्याओं से प्रभावित पुलिस स्टेशनों का दौरा करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उचित जांच की गई है, हरिजनों के मामलों के रिकार्ड की संवीक्षा करना भी प्रकोष्ठ

को सौंपे गए कार्यों का एक अंग है। हरिजन प्रकोष्ठों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का काम पुलिस अपर महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है।

हरियाणा

राज्य सरकार ने उपमहानिरीक्षक (अपराध जांच विभाग) की व्यक्तिगत देखरेख में राज्य पुलिस मुख्यालय में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है जिसका कार्य अनुसूचित जातियों पर किए जाने वाले अपराधों से सम्बन्धित सूचना को मानिटर करना तथा तुरन्त एवं प्रभावी निवारणात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करना है। इसी प्रकार के प्रकोष्ठ जिला मुख्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों से प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड रखने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में रजिस्टर रखे जाते हैं और उन शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है। पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/जिला निरीक्षक को अन्वेषण कार्य की व्यक्तिगत तौर पर देख रेख करनी होती है।

हिमाचल प्रदेश

राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में अगस्त, 1977 से हरिजन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे जिनमें कर्मचारी इस प्रकार थे :—

राज्य मुख्यालय

- (1) पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग/अपराध शाखा।
- (2) पुलिस उपाधीक्षक; अपराध जांच विभाग/अपराध शाखा।
- (3) एक पुलिस निरीक्षक।
- (4) एक पुलिस सहायक उपनिरीक्षक,।
- (5) एक हवालदार; और
- (6) दो सिपाही।

जिला मुख्यालय

- (1) पुलिस उपाधीक्षक
- (2) पुलिस निरीक्षक
- (3) पुलिस उपनिरीक्षक
- (4) दो हवलदार।

राज्य मुख्यालय के प्रकोष्ठ को हरिजनों के कल्याण की देखभाल करनी होती है और दर्ज हुए मामलों, उनकी प्रगति तथा इन मामलों के अन्तिम परिणाम के बारे में अद्यतन सूचना रखनी होती है। यह प्रकोष्ठ अपराध जांच विभाग में प्राप्त हरिजनों से सम्बन्धित शिकायतों का भी काम देखता है तथा उनके सम्बन्ध में अनुभूति कार्रवाई करता है। जिला मुख्यालयों में कार्य कर रहे प्रकोष्ठों का गठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न अपराधों के मामलों के अन्वेषण और जांच को शीघ्रता से निपटाने हेतु किया गया था। साधारण मामलों में, विभिन्न अपराधों के मामलों का अन्वेषण/जांच सहायक उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाती है। तथा गंभीर मामलों में जिला पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाती है। संज्ञेय मामलों और गैर-हरिजनों के विरुद्ध हरिजनों की शिकायतों के बारे में जिला प्रकोष्ठ को मासिक/पाक्षिक समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होती है। इन रिपोर्टों की बाद में राज्य अपराध जांच विभाग में संवीक्षा की जाती है और राज्य सरकार को पाक्षिक/मासिक सूचना भेजी जाती है। इन प्रकोष्ठों के अतिरिक्त, जिलों में अपराध जांच विभाग के स्थानीय यूनिटों को भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे हरिजनों पर हुए अत्याचारों के मामलों के बारे में सूचना एकत्र करें और उसे पुलिस अधीक्षक को भेज दिया करें तथा

उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग (अपराध) को भी भेजे। इन यूनितों से यह भी आशा की जाती है कि वे उन मामलों अथवा संभावित कारणों के बारे में भी रिपोर्ट भेजें जिनसे हरिजनों तथा गैर-हरिजनों में तनाव हो अथवा होने वाला हो।

जम्मू व कश्मीर

राज्य सरकार के ध्यान में अत्याचार की कोई घटना नहीं आई है और इसलिए राज्य सरकारने राज्य में हरिजन प्रकोष्ठ/पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। वैसे, राज्य सरकार ने सभी संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछेक अनुदेश जारी किए हैं कि हरिजनों को किसी तरह तंग न करने दिया जाए अथवा उनके साथ भेद भाव न होने दिया जाए।

कर्नाटक

राज्य के विभिन्न भागों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामलों की देख रेख करने के विचार से और हरिजनों की शिकायतों को दूर करने के सभी एजेंसियों के प्रयत्नों को समन्वित करने के लिए 'नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ' नामक एक 'विशेष प्रकोष्ठ' राज्य अपराध जांच विभाग में बनाया गया था। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख पुलिस अधीक्षक है और उसकी सहायता के लिए कार्यपालक तथा लिपिकवर्गीय कर्मचारी दिए गए हैं। प्रकोष्ठ ने अक्टूबर 1974 के अन्तिम सप्ताह से काम करना शुरू किया था। फरवरी 1978 में पुलिस उप महानिरीक्षक का एक पद अनन्य रूप से नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ के लिए मंजूर किया गया। इस समय इस प्रकोष्ठ में निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं:—

(क) कार्यपालक कर्मचारी वर्ग

| | |
|----------------------------------|---|
| (1) पुलिस उप महानिरीक्षक | 1 |
| (2) पुलिस अधीक्षक | 1 |
| (3) पुलिस उप अधीक्षक | 1 |
| (4) पुलिस निरीक्षक | 2 |
| (5) पुलिस उप निरीक्षक | 4 |
| (6) हवलदार | 4 |
| (7) पुलिस सिपाही | 8 |
| (8) सशस्त्र हवलदार [डाइवर] | 1 |
| (9) सशस्त्र पुलिस सिपाही [डाइवर] | 4 |

(ख) लिपिकवर्गीय कर्मचारी

| | |
|--------------------------|---|
| (1) अनुभाग अधीक्षक | 1 |
| (2) प्रथम श्रेणी लिपिक | 2 |
| (3) द्वितीय श्रेणी लिपिक | 2 |
| (4) आशुलिपिक | 1 |
| (5) टाइपिस्ट | 1 |

यह प्रकोष्ठ पुलिस विशेष महानिरीक्षक, प्रशिक्षण एवं अपराध जांच विभाग, बंगलौर के नियंत्रण तथा देखरेख में कार्य करता है लेकिन इसका समग्र नियंत्रण पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य के अधीन है। यह प्रकोष्ठ बंधूआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बंध में एक प्रहरी संगठन के रूप में काम करता है। साथ ही कानून के अन्तर्गत मामलों के बारे में और जिले में सभी ओहदों के पुलिस अधिकारियों द्वारा हर महीने हरिजन कालोनियों में किए गए दौरो की संख्या के बारे में आंकड़े संकलित करता है। नागरिक अधिकार संरक्षण

अधिनियम के मामलों की देखरेख करने के अतिरिक्त यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर किए गए ऐसे अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन पर सतत नजर रखता है जो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं। इन अपराधों को अत्याचारों की संज्ञा दी जाती है और जिला पुलिस से यह आशा की जाती है कि वे इन मामलों की ओर विशेष ध्यान दें। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा प्रकोष्ठ को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव सरकार को मितम्बर 1977 में भेजे गए थे। यह ज्ञात हुआ है कि उन प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। पुनर्संघटन सम्बंधी प्रस्तावों में चार रेंज मुख्यालयों में चार क्षेत्रीय (रीजनल) कार्यालय खोलने का प्रस्ताव था जहाँ प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख पुलिस उपाधीक्षक हो तथा उसकी सहायता के लिए कार्यपालक और लिपिकवर्गीय कर्मचारी दिए जाए।

मध्य प्रदेश

अनुसूचित जातियों और जन जातियों द्वारा की गई शिकायतों के पंजीकरण, अन्वेषण तथा तत्काल कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य में एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिसका प्रमुख पुलिस उप महानिरीक्षक (हरिजन कल्याण) है। इसकी सहायता के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक तथा अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डिभिजनल स्तर पर ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सात विशेष पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया है।

महाराष्ट्र

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में दिसम्बर 1977 से नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ के नाम से एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन रखा गया है। नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर और थाणे में रेंज मुख्यालयों में 6 नागरिक अधिकार संरक्षण केन्द्र गठित किए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक पुलिस निरीक्षक के प्रभारधीन कार्य करता है तथा उसे सहायता के लिए दो हवलदार और चार निःशस्त्र सिपाही दिए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक (नागरिक अधिकार संरक्षण) का मुख्यालय बम्बई में है, उसकी सहायता के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक दिया गया है। अनुसूचित जातियों/जन जातियों की जो शिकायतें विशेष प्रकोष्ठ में प्राप्त होती हैं उन्हें जांच तथा रिपोर्ट देने के लिए रेंज यूनितों के प्रभारी पुलिस निरीक्षकों को भेजा जाता है। वैसे, जिन गंभीर मामलों में स्थानीय पुलिस को कोई सुराग न मिले और जिनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्ति पीड़ित हों उन मामलों को जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन आने वाले हरिजनों के बहिष्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों को जिनमें पुलिस अधिकारी भी फंस हुए हों, जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ को सौंपा जाता है।

उड़ीसा

राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों/जन जातियों पर अत्याचार से सम्बन्धित मामलों पर शीघ्रता और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

राजस्थान

हरिजनों पर अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई के लिए मार्च, 1978 में पुलिस अपर महानिदेशक (सतर्कता एवं मुख्यालय) के समय प्रभाराधीन एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया। राज्य स्तर पर इस प्रकोष्ठ में एक पुलिस अधीक्षक, एक सिकिल प्रभारी (सी०आई०) और एक उप निरीक्षक हैं। जिला स्तर पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर हुए अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों का विशेष रिपोर्ट के मामले समझा जाता है और उनकी देखरेख सिकिल अधीकारी करते हैं। ये अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के आह्वे के होते हैं। इनकी प्रगति रिपोर्टें पुलिस मुख्यालय के विशेष प्रकोष्ठ को भेजी जाती होती हैं। यह प्रकोष्ठ ऐसे मामलों की वारीकी से जांच, विश्लेषण और देखरेख करता है।

तमिलनाडु

सम्पूर्ण राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 1976 में उप महानिरीक्षक के आह्वे के एक पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था। उक्त अधिकारी को नागरिक सुरक्षा निदेशक पदनामित किया गया है। यह प्रकोष्ठ 1977 से नागरिक सुरक्षा निदेशक के नियंत्रण में नागरिक अधिकार विंग के रूप में कार्य कर रहा है। यह प्रकोष्ठ केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यपाल के सचिवालय, मुख्यमंत्री के विशेष प्रकोष्ठ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की फंडरेशनों के माध्यम से अथवा महाजनों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से प्राप्त सभी याचिकाओं पर ध्यान देता है। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस अधीक्षकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपराधों से संबंधित बैठक के दौरान हर महीने इन मामलों की सूक्ष्मता से संवीक्षा किया करें। उन्हें ये अनुदेश भी दिए गए हैं कि गश्ती पुलिस दल एक विशेष कार्य के लिए है और इसलिए इन मामलों पर कार्रवाई करने में स्थानीय पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों से कतराना नहीं चाहिए। यदि कोई अधिकारी इन मामलों के अन्वेषण की उपेक्षा करे तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों की जांच करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के प्रभाराधीन एक विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित किया गया है। उप महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दो अधीक्षक दिए गए हैं। यह ज्ञात हुआ है कि प्रकोष्ठ को एक पुलिस अधीक्षक और सात उपाधीक्षकों का अतिरिक्त स्टाफ देकर सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला स्तर पर जिला पुलिस विभागों में हरिजन प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिलों के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और सीनियर वरिष्ठ सरकारी अभियोगों को इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

पश्चिम बंगाल

हरिजन प्रकोष्ठ/विशेष पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पांडिचेरी

कलक्टर-सह-सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया एक प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए विशेष उपाय

9.9 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हरिजन प्रकोष्ठ स्थापित करने के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए हैं। जो इस प्रकार हैं :--

आंध्र प्रदेश

मुख्य सचिव, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के पदेन आयुक्त के रूप में कार्य करता है। उसके कार्यों में एक कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को शोषण और उत्पीड़न से बचाना है। कलक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदेन उपायुक्ती के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने-अपने जिलों में उनकी वैसी ही जिम्मेदारियों हैं जैसी आयुक्त को सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए राज्य स्तर समिति गठित की गई है जो तीन महीने में एक बार बैठक बुलाती है। इसके कार्यों में अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा करना भी शामिल है। कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि वे अत्याचारों के घटना स्थलों पर पहुंचे जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित व्यक्तियों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। साथ ही वे इस बात को भी सुनिश्चित करें कि ऐसे अपराधों का जोड़ना से अन्वेषण हो। कलक्टर और पुलिस अधीक्षक अत्याचारों के सभी मामलों की तामाही समीक्षा करते हैं ताकि ऐसे मामलों पर निगाह रखी जा सके और विलम्ब अथवा चूक होना पर या अभियोग असफल रहने पर जिम्मेदारी निश्चित की जा सके। समय-समय पर समाज कल्याण सचिव भी अत्याचारों के मामलों की समीक्षा करता है।

बिहार

राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि ऐसे व्यक्ति को 100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में जिला अथवा सब-डिवीजन अधिकारियों अथवा सक्षम पुलिस प्राधिकारियों को समय पर और सही सूचना देगा। अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं पर अनुसंधान करने के लिए ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में एक प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को अग्नि शस्त्रों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने की एक स्कीम कुछ जिलों के चुनिंदा गांवों में शुरू की है, जिसके अन्तर्गत अपनी सुरक्षा करने के लिए एक स्वयं सेवी दल गठित करने की भी योजना है। इस स्कीम का ब्यौरा भूमि, कृषि और आवास सम्बन्धी अध्याय के पैरा 50 में दिया गया है।

गुजरात

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्रों में अत्याचार की घटनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।

हरियाणा

उपायुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों की ओर विशेष ध्यान दे जहां अनुसूचित जातियों को कृषि अथवा

मकान बनाने के लिए आवंटित भूमियों से उन्हें बेदखल कर दिया हो। राज्य स्तर पर भी, मुख्य सचिव के नियंत्रणाधीन एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो कि हरिजनो के विरुद्ध किए गए अपराधो पर कार्यवाही की निगरानी रखता है।

पंजाब

सभी विशेष डिवीजनल पुलिस अधिकारियों और स्टेशन हाउस अफसरों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त निर्दिष्ट किया गया है जो हरिजनो के उत्पीड़न की किसी भी मामले की रिपोर्ट मिलने पर हरिजनों को तुरन्त राहत दिलाने के काम की देखभाल करता है।

उत्तर प्रदेश

(1) पुलिस स्टेशनों को अनुदेश दिए गए हैं कि गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों को तंग किए जाने के मामले की अनुसूचित जातियों की रिपोर्टों को वे पूरी की पूरी दर्ज करें। इस प्रकार के अनुदेश सज्जय, गैर-सज्जय और नागरिक अधिकार संरक्षण के मामलों पर लागू हैं। पुलिस स्टेशनों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करें।

(2) इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि जो व्यक्ति अनुसूचित जातियों को तंग करने के दोषी पाए जाएं उनके शस्त्रों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए जाने चाहिए।

(3) राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को इस बात पर बल दिया है कि वे अनुसूचित जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक महीने में कम-से-कम एक गांव का दौरा अवश्य करें। उन्हें अत्याचार के घटनास्थल का दौरा करने और चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देना

9.10 आयुक्त की 1975-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अत्याचारों के पीड़ित अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्रवाई न की हो उन्हें चाहिए कि वे इस प्रकार की कार्रवाई शीघ्र करें उस सिफारिश के अनुसार में कई राज्य सरकारों ने इस प्रकार के पीड़ितों को वित्तीय राहत देने की स्कीम चालू की हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही राहत के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:—

(1) आंध्र प्रदेश :

राज्य सरकार ने 1975 से एक स्कीम चालू की है जिसके अन्तर्गत अन्य जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए अत्याचारों के परिणामस्वरूप मरने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को 2,000 रुपये तक की वित्तीय राहत देने की व्यवस्था है। अस्थायी तौर पर अक्षम हो जाने के मामलों में कमाई पर लगे व्यक्तियों को 500 रुपये तक और कोई कमाई न कर रहे व्यक्तियों को 250 रुपये तक की वित्तीय राहत देने की व्यवस्था है। मकान अथवा और अन्य सामान की हानि होने पर 500

रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हानि कितनी हुई है। चल सम्पत्ति की हानि होने पर 250 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। जिला कलेक्टरों को घटना की जांच करने के बाद उक्त राहत मंजूर करने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को यह अनुदेश भी दिए हैं कि इस प्रकार के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता मंजूर करें तथा जो व्यक्ति स्थायी रूप से अक्षम हो जाएं अथवा मारे जाएं उनके परिवारों को भूमि दी जाए। दुधारू पशु, भेड़, सूअर आदि देने और पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों को समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण/पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों में प्रवेश देने तथा उन्हें छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान किया गया है।

(2) बिहार :

राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1978 में निर्णय किया कि अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों/जन जातियों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाए। कमाई पर लगे अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के मारे जाने अथवा स्थायी तौर पर अक्षम हो जाने के मामलों में पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 2,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। कमाई न कर रहे सदस्य के मारे जाने के मामले में देय मुआवजे की सीमा 1000 रुपये तक है। अस्थायी तौर पर अक्षम होने वाले अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति को, यदि वह कमाई पर लगा था तो 500 रुपये तक और यदि वह कमाई नहीं करता था तो 250 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। बलात्कार के मामले में 1,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। मकान जलाए दिए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को 2,000 रुपये तक दिए जाते हैं। मकान की अथवा चल सम्पत्ति की हानि होने पर हानि को देखते हुए, 250 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।

(3) गुजरात :

राज्य सरकार अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को हत्या अथवा स्थायी अक्षमता के मामले में 5,000 रुपये तक, अस्थायी अक्षमता के मामले में 1,250 रुपये तथा मकान अथवा अन्य अचल सम्पत्ति की हानि के लिए 2,000 रुपये तक की वित्तीय राहत प्रदान करती है।

(4) हिमाचल प्रदेश :

राज्य सरकार ने अन्य जातियों के लोगों के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को 250 रुपये से 2,000 रुपये तक की वित्तीय राहत देने की स्कीम लागू की है। जिला कलेक्टरों को राहत मंजूर करने की शक्ति दी गई है। पीड़ितों को अथवा उसके परिवार के सदस्यों को, जैसा भी मामला हो, राहत की धन राशि का आहरण तहसीलदार करता है।

(5) कर्नाटक :

राज्य सरकार ने नवम्बर, 1978 में अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने की स्कीम लागू की थी। कमाई पर लगे सदस्य के मारे जाने अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो

जाने पर उसके परिवार को 2,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है तथा कमाई पर न लगे सदस्य के मामले में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अस्थायी तौर पर अक्षम हुए व्यक्ति को, उसकी अक्षमता पर निर्भर करते हुए, यदि वह कमाई कर रहा हो तो 500 रुपये तक और यदि वह कमाई नहीं कर रहा हो तो 250 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। मकान अथवा चल सम्पत्ति की हानि के लिए हानि की मात्रा पर निर्भर करते हुए, 500 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।

(6) मध्य प्रदेश

यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने, जून, 1979 में अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने की स्कीम मंजूर की है। वैसे, स्कीम का व्यौरा ज्ञात नहीं है।

(7) महाराष्ट्र

राज्य सरकार ने हत्या, हिंसा को, जिससे किसी भी प्रकार की गंभीर चोट आए, (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत) "अत्याचार" की श्रेणी में रखा है और यह निर्णय किया है कि अन्य जातियों द्वारा किए गए ऐसे अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 250 रुपये से, 2,000 रुपये तक की वित्तीय राहत मंजूरी की जाएगी। वित्तीय राहत की मंजूरी देने की शक्ति महाराष्ट्र राज्य के समाज कल्याण निदेशक को दी गई है।

(8) उड़ीसा

राज्य सरकार ने एक स्कीम लागू की है जिसके अनुसार हत्या, हिंसा जिससे किसी प्रकार की गंभीर चोट आए, बलात्कार और गम्भीर किस्म की शराब अथवा आगजनी को वित्तीय राहत के प्रयोजनों के लिए सरकार ने "अत्याचार" की श्रेणी में रखा है और इन अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सभी व्यक्तियों को 250 रुपये से 2,000 रुपये तक की वित्तीय राहत मंजूर की जाती है। सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को शक्ति दी गई है कि वे ऐसे घटनाओं से सम्बन्धित दायिग कार्यवाही के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल जांच के बाद ही वित्तीय राहत मंजूर कर सकते हैं।

(9) पंजाब

राज्य सरकार ने अत्याचारी से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने के प्रस्ताव पर विचार किया था लेकिन राज्य में इस प्रकार के मामलों की संख्या नगण्य होने के कारण इस प्रस्ताव पर अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी। वैसे यदि कोई छूट-पूट मामले हो भी तो उनके लिए पहले से विद्यमान विभिन्न राहत निधियों में से अनुग्रह-अनुदान मंजूर करके ऐसे मामलों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

(10) तमिल नाडु

राज्य सरकार ने हत्या, हिंसा, बलात्कार और गम्भीर किस्म की शराब अथवा आगजनी, जिन्हें "अत्याचार" की श्रेणी में रखा गया है, से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वित्तीय

राहत देने की एक स्कीम दिसम्बर 1977 में लागू की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत, मारे जाने अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर 2,000 रुपये तक, अस्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर 5,000 रुपये तक, मकान और / अथवा अन्य घरेलू सामान की हानि होने पर 500 रुपये तक और चल सम्पत्ति की हानि होने पर 250 रुपये तक की वित्तीय राहत दी जाती है। राहत संजूर करने की शक्ति कलेक्टरों को दी गई है।

(11) उत्तर प्रदेश

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या हो जाने पर, 5000 रुपये और कमाई पर न लगे दिवंगत सदस्य के मामले में परिवार को 1,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। कमाई पर लगे सदस्य के अक्षम हो जाने पर 1,000 रुपये तक और कमाई पर न लगे सदस्य के मामले में 500 रुपये तक की मुआवजा दिया जाता है। मकान के जला दिए जाने पर 500 रुपये तक, चल सम्पत्ति अथवा फसलों की हानि होने पर 250 रुपये तक तथा अन्य किस्म की हानि होने पर 200 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय राहत के लिए कितनी राशि दी जाए इसका निर्धारण एक समिति करती है जिसमें सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी शामिल होते हैं।

9.11 यह बांछनीय है कि जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षत्र/प्रशासनों ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने की स्कीमों, अभी तक लागू नहीं की हो उन्हें चाहिए कि वे ऐसे योजनाएं लागू करने के लिए अब तत्काल कार्रवाई करें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या

9.12 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों से अप्सृश्यता, उत्पीड़न तथा भूमि आवास, शिक्षा के मामलों आदि से सम्बन्धित बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें इस संगठन में प्राप्त होनी जारी रही। 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्राप्त हुई इन शिकायतों का विषयवार विवरण नीचे दिया गया है :-

| क्रम सं० | शिकायत की स्कीम | प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या | |
|----------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| | | 1977-78 | 1978-79 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | उत्पीड़न तथा अप्सृश्यता | 667 | 777 |
| 2 | भूमि तथा कृषि | 407 | 546 |
| 3 | आवास | 110 | 162 |
| 4 | शिक्षा | 191 | 217 |
| 5 | विविध | 98 | 188 |
| कुल योग | | 1473 | 1890 |

ऊपर दी गई सारणी से यह पता चलता है कि वर्ष 1977-78 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या के मुकाबले में वर्ष 1978-79 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1954-55 से 1978-79 तक उस संगठन में प्राप्त शिकायतों की संख्या का विषयवार और वर्षवार व्यौरा परिशिष्ट 70 में देखा जा सकता है। उस सारणी से यह पता चलता है कि 1978-79 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 1954-55 में प्राप्त हुई शिकायतों से लगभग सान गुना थी। वर्ष 1977-78 और वर्ष 1978-79 के दौरान इस संगठन में प्राप्त हुई शिकायतों का राज्यवार और अपराध वार व्यौरा परिशिष्ट 71 में विवरण संख्या 1 तथा 2 में दिया गया है।

जून 1979 में आयुक्त का बिहार का दौरा

9.13 जून 1979 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बिहार का दौरा किया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि अत्याचार के मामलों की संख्या में चौका देने वाली वृद्धि हुई है। वर्ष 1978 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर 2107 अत्याचार हुए जबकि 1977 में अत्याचार की घटनाएं 1222 और 1976 के दौरान 635 घटनाएं हुई थीं। राज्यों में सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर यह बहुत दुःखद टिप्पणी है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपायों की घोषणा करने के बावजूद वे इन जातियों पर हुए अत्याचारों को रोक नहीं सके हैं।

9.14 शायद जिस तन्त्र को इन उपायों को कार्यरूप देने और लागू करने का कार्य सौंपा गया था उस में ऐसा करने की अपेक्षित इच्छा शक्ति नहीं थी। यह भी ज्ञात हुआ कि हरिजन प्रकोष्ठ स्थापित करने के बाद भी हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं की जांच शीघ्रता से नहीं की गई थी। यह पता चला कि पुलिस 60 दिन के भीतर केवल दो चार मामलों में ही शरीर पत्र प्रस्तुत कर सकी। यह भी मान्य हुआ कि घटना में 2 जनवरी 1978 से कार्य कर रहे हरिजन थाने ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार के 51 मामले दर्ज किए थे। वैसे हरिजन थाने में बहुत कम कर्मचारी दिए गए थे। यह वांछनीय है कि हरिजन थानों में और अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएं। वहां अन्य सुविधाएं जैसे जीप बतार आदि देना भी अपेक्षित है।

महाराष्ट्र राज्य के मराठवाडा क्षेत्र में घटनाएं

9.15 महाराष्ट्र राज्य के मराठवाडा क्षेत्र में हुए उपद्रवों का आयुक्त और उपआयुक्त के दौरों के आधार पर विस्तृत व्यौरा आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में दिया गया था। यह ज्ञात हुआ है कि उपद्रवों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों और घुमन्तु जन जातियों के कल्याण की महाराष्ट्र विधायी समिति ने भी किया था। यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि डेढ़ वर्ष बीत जाने पर भी वहां शान्ति और प्रेम भाव में विघ्न पड़ता रहता है। इसी प्रकार दिल्ली के कंसावला गांव में हरिजन जोग प्रशासन द्वारा काफी समय पहले आविर्भूत की गई भूमियों में कृषि करना अब भी सुरक्षित महसूस नहीं करते।

तामिलनाडु के दक्षिण आर्कोट जिला के विल्लपुरम में घटनाएं

9.16 अत्याचार की एक अन्य घटना 12 जुलाई, 1978 को तमिलनाडु के दक्षिण अर्कोट जिले के विल्लपुरम में घटित हुई

थी जिसमें आगजनी के अतिरिक्त 12 हरिजनों की मृत्यु घण्टाएं हुई थीं। इस घटना का उल्लेख आयुक्त की पिछली रिपोर्ट में पहले ही किया जा चुका है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने भी इस घटना की स्वयं जांच की थी और राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चाएं की थीं। बाद में सरकार ने विल्लपुरम की घटना की जांच के लिए मदाश्रम आयोग नामक एक-सदस्यीय न्यायिक आयोग नियुक्त किया था। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:—

- (1) यद्यपि विल्लपुरम घटनाओं की शुरुआत साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण नहीं, बल्कि निरूक्त लोगानाथन और पेरिया कालोनी के कुष्ठक-समाज विरोधी तत्वों की समाज विरोधी गतिविधियों के कारण हुई थी, पेरिया कालोनी के निवासियों तथा गैर-हरिजनों के बीच दुष्मनी उत्पन्न हो गई तथा हमले का प्रथम लक्ष्य यद्यपि पेरिया कालोनी थी लेकिन अन्ततः इस घटना में हरिजनों और गैर-हरिजनों के बीच साम्प्रदायिक झगड़े के लक्षण देखने को मिले।
- (2) स्थानीय राजस्व और पुलिस कर्मचारी अपना अर्तव्य निभाने में असफल रहे और बड़ी भारी संख्या में हरिजनों तथा गैर-हरिजनों ने उक्त कर्मचारियों की ही उपस्थिति में आगजनी की यदि 25 जुलाई, 1978 को पेरिया कालोनी में भारतीय संविधान की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए गए होते तो बाद में पेरिया कालोनी के मकानों एवं घास पास की दुकानों को जलाने से बचना संभव था।
- (3) न तो कलक्टर ने और न ही पुलिस अधीक्षक ने गड़बड़ी वाले स्थल का दौरा किया। कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेवार उच्च अधिकारी यदि तत्काल वही गए होते तो इससे लोगों के मनोबल और विश्वास को बढ़ाने में हितकारी प्रभाव पड़ता। राज्य सरकार को चाहिए कि वह कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति पैदा होने पर गड़बड़ी वाले स्थान पर उच्चार कार्यपालक प्राधिकारियों के तत्काल जाने की जरूरत पर बल दे।
- (4) हरिजनों और गैर-हरिजनों के बीच तनाव के कारण विल्लपुरम में जुलाई 1978 में जो घटनाएं हुई वे धीरे-धीरे बिगड़ती स्थिति का परिणाम थीं जिसने बाद में गंभीर रूप धारण कर लिया। स्थानीय अधिकारियों को इस बिगड़ती स्थिति के बारे में समय रहते जानकारी हो जानी चाहिए थी। आसूचना की असफलता तथा निवारक कार्रवाई का अभाव नगर में खुली अराजकता फैलने के लिए जिम्मेवार थे तथा वह सारा मामला इस बात को सूचित करता है कि पुलिस ने अपनी भूमिका ठीक प्रकार नहीं निभाई।
- (5) हरिजन विल्लपुरम के विभिन्न भागों में रहते थे वहां भी जहां सवर्ण हिन्दुओं की वस्तियां थीं। हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं में मैत्री-भाव के संबंध थे। भविष्य में कालोनियां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बनाई जाएं और ऐसी कालोनियों में मकानों का आवंटन जातिगत आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन जैसी अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस प्रकार अलग हरिजन कालोनियां बनाने के बजाय यदि उन्हें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई कालोनियों में ही मकान दिए जाएं तो इससे हरिजनों के सवर्ण हिन्दुओं के साथ पूर्णतः घुलमिल जाने की दिशा में रास्ता खुल जाएगा और हरिजनों

तथा गैर-हरिजनों के बीच साम्प्रदायिक झगड़ों की दूर रखने में सहायता मिलेगी ।

- (6) बस अड्डे पर मूंगफली विपणन समिति आदि में कुछ कुलियों के आचरण के कारण प्रायः झगड़े होते रहते थे क्योंकि कुली लोग उचित मजदूरी मांगते थे । बस अड्डों, विपणन समिति और बाजार में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं । इन मजदूरों/कुलियों को लाइसेंस देने अथवा उन पर नियंत्रण रखने के लिए विल्लुपुरम नगर पालिका को नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नहीं किया गया है । अतः बस अड्डों, बाजारों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों में कुलियों को लाइसेंस/मजूदा बनाने तथा रेलवे की ही तरह मजदूरों को देय कुली-भाड़ा निर्धारित करने के लिए तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम 1920 (1920 के तमिलनाडु अधिनियम) में समुचित विधायी संशोधन किए जाने चाहिए ।

विल्लुपुरम की घटनाओं के बारे में आयुक्त की टिप्पणी :

9.17 इस संबंध में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने विल्लुपुरम के अपने दौरे के समय इस बात का अवलोकन किया था कि नगर के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पेरिया हरिजन कालोनी के निवासियों को वहाँ से इस दलील पर हटाकर दूसरी जगह बसाना चाहते थे कि पृथक्कता नहीं होनी चाहिए । पेरिया हरिजन कालोनी नगर के विल्लुपुरम मध्य भाग में स्थित है । इस प्रकार के प्रयास कालोनी में रह रहे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक है और इनके परिणाम स्वरूप उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है । अतः राज्य सरकार को एसे प्रयासों को नहीं मानना चाहिए । जबकि सदाशिवम आयोग के इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि भविष्य में नई कालोनियाँ बनाते समय जातिगत आधार पर पृथक्कता नहीं बरती जानी चाहिए, फिर भी, इस सिफारिश की दलील पर हरिजनों को अपने वर्तमान निवास क्षेत्रों, जैसे पेरिया कालोनी, से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए । राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले पर गौर करे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि पेरिया कालोनी के हरिजनों को वहाँ से इस आधार पर हटाया न जाए ।

9.18 जहाँ तक मजदूरों की वाजिब पारिश्रमिक की मांग के कारण विल्लुपुरम नगर में बस-अड्डों, मूंगफली विपणन समिति, आदि स्थानों पर बार-बार झगड़े होने का संबंध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने यह देखा कि उपर्युक्त स्थानों पर काम करने वाले अधिकतर मजदूर अनुसूचित जातियों के थे और उन्हें अपनी मजदूरी का पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा था और इसी कारण बस अड्डे पर झगड़े हो जाया करते थे । अतः यह मालूम किया जाता है कि सरकार को तत्काल कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन मजदूरों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिले । इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अधिनियम को यथाशीघ्र संशोधित किया जाना चाहिए ताकि विल्लुपुरम नगर पालिका मजदूरों को दिए जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक को निर्धारित कर सके ।

9.19 यह सिफारिश भी की जाती है कि राज्य सरकार को समुचित उपाय कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के मामले में संबंधित अधिकारी समय पर कार्रवाई करें जिससे कि भविष्य में अनुसूचित जातियों के जीवन और संपत्ति को हानि तथा उन पर होने वाले अन्य अत्याचारों को रोका जा सके । विल्लुपुरम की हिंसात्मक घटनाओं के कारण सारे गए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए भी सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा की गई जांच

9.20 यह संगठन अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचारों के गंभीर मामलों की जांच करता है । इस संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में अनुसूचित जातियों पर और बिहार के रांची जिले, के खुन्टी सब-डिविजन के एक गांव में अनुसूचित जनजातियों पर हुए कथित अत्याचारों का अन्वेषण किया था । उसके निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की जा रही है :—

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाएं

9.21 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटना मुजफ्फरनगर शहर में हुई थी जिसका काफी प्रचार हुआ था । आयुक्त को लोकसभा सचिवालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण की संसदीय समिति के अध्यक्ष को मालूम हुआ था कि फरवरी, 1979 में गुरु रविदास के जन्मदिवस के अवसर पर अनुसूचित जातियों द्वारा निकाले गए जुलूस पर गोली चली थी तथा जुलूस में शामिल अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में हताहत हुए थे । आयुक्त से अनुरोध किया गया था कि संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते वह इस घटना के मौके पर अध्ययन करने के लिए एक दल भेजे । तदनुसार इस घटना का मौके पर अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने उपायुक्त के नेतृत्व में एक तथ्यान्वेषण दल भेजा । यह दल दो दिन मुजफ्फरनगर रहा और वरिष्ठ अधिकारियों से मिला । दल ने दो प्रभावित स्थितियों, नामतः हरिजनों के रैदासपुरी मोहल्ले और सवर्ण हिन्दुओं के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का जहाँ अधिकतर त्यागी जाति के हिन्दु रहते थे, दौरा किया । दल के सदस्यों ने दोनों मोहल्ले के अनेक निवासियों से मुलाकात की और लगभग 20 घरों में गए । उन्होंने जिला जेल जाकर इस घटना के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के नेताओं के बयान लिए तथा उन सभी 33 व्यक्तियों से मुलाकात की जो घटना के सम्बन्ध में अब भी जेल में थे । उसके बाद वे जिला अस्पताल भी गए । इस घटना की जांच के लिए लखनऊ से आए डिवीजन आयुक्त (उप महानिरीक्षक, रेंज), उप महानिरीक्षक विशेष प्रकोष्ठ, जैसे अधिकारियों के अतिरिक्त दल ने कई अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों से सम्पर्क किया । दल के निष्कर्षों को संक्षेप में नीचे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है :—

- (1) किसी व्यक्ति की जान जानने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था । अनुसूचित जाति के एक लड़के के बारे में यह सूचना थी कि उसे गंभीर चोटें आई हैं । यद्यपि वह घटना के दिन से लापता था तथापि इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई है । लेकिन अनुसूचित जाति के अनेक व्यक्ति लापता बताए गए थे ।
- (2) हरिजनों के जुलूस पर गोली चलाए जान के सम्बन्ध में, तथ्यों से ऐसा लगता है कि कुछ लोगो ने, हो सकता है वे पुलिस कर्मों हो अथवा सवर्ण हिन्दुओं में से अर्वाचित तत्व हों, अनुसूचित जाति के लोगों पर गोली चलाई । प्रयोग किए गए शस्त्र संभवतया 12/16 बोर की बन्दूकें, देसी पिस्तोल आदि थे, जैसा कि अस्पताल में रिकार्ड किए गए धावों से पता चलता है । दो व्यक्ति ऐसे थे जिनसे धाव संभवतया पुलिस द्वारा राइफल अथवा बन्दूक से चलाई गई गोली से हुए हो सकते हैं ।
- (3) जहाँ तक पुलिस की कार्रवाइयों का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादाती की थी । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में चोटें आईं जबकि पुलिस कर्मियों को

लगी चोटे अपेक्षाकृत नगण्य थी। अन्ततः यह रिकार्ड किया गया था कि अनुसूचित जाति के 60 से भी अधिक व्यक्तियों को चोटें आई थीं, लेकिन और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें चोटें आई थीं और जिनका अस्पताल में इलाज नहीं किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस ज़रूरत से ज्यादा गोली चला देती थी। लोगों को गिरफ्तार करने में ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति ज्यादा ही कठोर था। घटना के प्रथम दिन, अर्थात् 11 फरवरी, 1979 को हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं, दोनों जातियों के घटना से सम्बन्धित लगभग बराबर व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और बाद में, उसी दिन अपनी ही जमानतों पर छोड़ दिए गए। लेकिन दूसरे दिन, केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति और उनके नेता ही गिरफ्तार किए गए थे जबकि ब्रह्मपुरी मोहल्ले के लोग भी पथराव में शामिल थे। यहाँ तक कि, सवर्ण हिन्दुओं में एक ही व्यक्ति द्वारा गोली चलाए जाने की जानकारी थी और उसने खूद कबूल किया था कि उसने गोली एक बार नहीं दो बार चलाई थी लेकिन फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि अनुसूचित जातियों के गोलीबारी से पीड़ित छः व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 25 तथा भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि अस्पताल तक में हथकड़ियों में रखा गया।

- (4) आस्थिति की गई रविदास जपन्ती का जुलूम 12 तारीख को न निकालने देने के पीछे जिला प्रशासन का कोई तर्क संगत कारण नहीं जान पड़ता। उचित ध्यान रखने और माध्यानी के लिए समुचित उपाय कर लेने से जुलूम शान्तिपूर्वक निकल सकता था और परिणाम-स्वरूप होने वाली सभी घटनाओं से बचा जा सकता था।
- (5) ऐसा लगता है कि काफी संख्या में लोग लापता हैं यद्यपि उनकी सही-संख्या तथा पहचान के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों पर जाने से अध्ययन दल को इस बात का निश्चय हो गया कि कई लोग वास्तव में लापता थे। पुलिस कमियों और पी० ए० वी० के जवानों द्वारा औरतों से छेड़खानी करने और लटपट करने के आरोपों का अध्ययन दल ने भी समर्थन किया।

9.22 अध्ययन दल ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

- (क) पुलिस की ज्यादातियों से पीड़ित सभी व्यक्तियों को उपयुक्त तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- (ख) छेड़खानी के आरोपों की बहुत अच्छी प्रकार जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले की जांच किसी ऐसा एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए जिस पर अनुसूचित जातियों को भरोसा हो। उन्हें स्थानीय पुलिस पर शक भरी भावना न हो।
- (ग) इसी प्रकार, आभूषण छीनने और सम्पत्ति लूटने के प्रत्येक मामले की भलीभांति जांच की जानी चाहिए।
- (घ) घायल हुए सभी व्यक्तियों का चिकित्सीय इलाज करने के लिए प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबन्ध अविचलित रूप से करना चाहिए।
- (ङ) प्रशासन को चाहिए कि वे सभी लापता व्यक्तियों की सूची तैयार करें और हर लापता व्यक्ति के मामले की जांच करे तथा उसकी गणना रखे।

(च) यह स्पष्ट था कि कुछ लोगों ने बन्दूकों आदि का प्रयोग किया था। प्रशासन को यह जानने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि घटना के समय किस व्यक्ति ने अग्नि शस्त्रों का प्रयोग किया था। उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में यह मालूम हो कि उसने ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया था उसे गिरफ्तार कर तब तक हिरासत में रखा जाना चाहिए जब तक कि वह अदालत में यह न सिद्ध कर दे कि वह निर्दोष था अथवा उसने अपनी रक्षा के लिए ऐसा किया था।

9.23 अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतियाँ आयुक्त ने केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव को भी भेजी थी। वैसे, यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने यह जांच एक न्यायिक आयोग को सौंप दी है।

बिहार के जिला राँची के खुटी सब-डिवीजन में गोलीबारी की घटना

9.24 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने नवम्बर, 1979 में राँची जिले का दौरा किया था। उस दौरे में बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के एक मामले का पता चला जिनमें अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति मारा गया था और छः व्यक्ति घायल हुए थे। यह घटना 14 नवम्बर, 1979 को राँची जिले के खुटी सब-डिवीजन के हतुब्दा नामक गाँव के महुआ टोली में हुई थी जहाँ गैर-आदिवासियों ने गोलीबारी की थी। इस घटना का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए आयुक्त ने एक अनुसंधान अधिकारी और एक अन्वेषक का एक अध्ययन दल भेजा। दल ने 16-11-79 से 17-11-79 तक जाँच-हेतु की। दल ने इस दौरान उप-सप्टल अधिकारी खुटी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खुटी पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक तथा सब-डिवीजनल अस्पताल, खुटी के चिकित्सा उपाधीक्षक से मुलाकात की और उनसे इस घटना के बारे में चर्चा की।

9.25 गोलीबारी की यह घटना 14 नवम्बर, 1979 को गाँव हतुब्दा के महुआ टोली में हुई थी जो कि खुटी पुलिस थाना से लगभग तीन किलो-मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस के बयान के अनुसार इस घटना की सूचना पुलिस को 14 नवम्बर, 1979 को दोपहर के लगभग दो बजे दोनों पक्षों, अर्थात् गाँव हतुब्दा के गैर-आदिवासियों और महुआ टोली के आदिवासियों ने दी थी। महुआ टोली के आदिवासियों का आरोप था कि हतुब्दा गाँव के गैर-आदिवासी अपने सज्दूरी और किराए पर लिए गृहों की सहायता से उनकी टोली के श्री केशरी मुण्डा नामक एक व्यक्ति की खड़ी फसल को जबरन काट रहे थे। जब श्री मुण्डा ने इस पर आपत्ति की तो गैर-आदिवासी गुंडे व्यक्तियों और बन्दूकधारियों ने जो कि गड़बड़ी बचाने के लिए पहले से तैयार थे, महुआ टोली में खड़े आदिवासियों पर गोली चलायी और कर दी जिसके परिणाम स्वरूप श्री केशरी मुण्डा की मृत्यु हो गई और अनुसूचित जनजाति के अन्य छः व्यक्ति घायल हो गए।

9.26 दूधरी और गाँव हतुब्दा के गैर-आदिवासी व्यक्ति श्री गंजस ने आरोप लगाया कि उनके सज्दूर उनकी अपनी धान की फसल काट रहे थे जबकि बड़ी संख्या में महुआ टोली के आदिवासी आए और खेतों में काम कर रहे सज्दूरों को घेर लिया। यह भी आरोप था कि आदिवासियों ने गैर-आदिवासियों पर पत्थर फेंके और तीर भी चलाए।

9.27 रिपोर्ट दर्ज करने के बाद खुटी थाना ने घटना स्थल पर गणसत पुलिस भेजी थी। पुलिस दल वहाँ दोपहर बाद लगभग 3-30 बजे हतुब्दा और श्री मुण्डा के मृतक शरीर और अनुसूचित जनजाति के अन्य घायल व्यक्तियों को बराबर कर लिया मृतक शरीर को सवर्णरीक्षा के लिए खुटी अस्पताल भेज दिया गया और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए थाने में रखा गया। गैर-आदिवासियों के 13 अभियुक्तों को

हुतुब्दा गांव से गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य 9 कथित अभियुक्त अभी तक पकड़े नहीं गए थे। 12 बोर के चार अग्नि शस्त्र भी बरामद किए गए थे। तीन अग्नि शस्त्रों के लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए गए। यह मालूम हुआ कि उस क्षेत्र के किसी भी अन्य व्यक्ति से उनके अग्नि शस्त्र नहीं लिए गए। घटना स्थल पर कानून श्री व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट, एक सहायक उपनिरीक्षक, एक हवलदार और चार सशस्त्र सिपाहियों का एक दल तैनात किया गया। जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि घटना स्थल पर 14 नवम्बर, 1979 के बाद कोई घटना नहीं हुई थी और उस क्षेत्र में स्थिति शान्त थी। वैसे, यह देखा गया कि क्षेत्र में अन्दर ही अन्दर तनाव अब भी बना हुआ था। पुलिस उस क्षेत्र के गैर-आदिवासियों और आदिवासियों को यह कहना के सम्बंध में विचार कर रही है कि वे अपनी धान की फसलें काटना शुरू कर दें जिसके लिए पुलिस उन्हें आवश्यक सशस्त्र संरक्षण प्रदान करेगी। अध्ययन दल की रिपोर्ट राज्य सरकार को आवश्यक कारवाई के लिए भेज दी गई है। अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

अध्ययन दल के निष्कर्ष

1. महुआ टोली के आदिवासियों और हुतुब्दा गांव के गैर आदिवासियों के बीच झगड़े का मुख्य कारण महुआ टोली और हुतुब्दा गांव के बीच स्थित एक विवाद-ग्रस्त कृषि-भूमि का स्वामित्व संबंधी झगड़ा लगता है। आदिवासियों का कहना है कि वह भूमि उनके पुरखों की है जैसे कि 1902-1903 के कैंडस्ट्रल सर्वेक्षण में रिकार्ड की गई है, लेकिन समय बीतने पर, विशेषकर 1928-29 के परिशोधन सर्वेक्षण के दौरान इस भूमि को घोखे से गैर-आदिवासियों के नाम दर्ज दिया गया था। अतः आदिवासियों का दावा है कि गांव हुतुब्दा की सम्पूर्ण कृषि-भूमि जो इस समय गैर-आदिवासियों के कब्जे में है, वास्तव में आदिवासियों की है और उन्हें वापस दिलाई जानी चाहिए। वर्तमान काश्तकारी कानून, अर्थात् छोटा-नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और अनुसूचित क्षत्र विनियम, 1969 के अनुसार आदिवासियों को जो भूमियां पिछले 30 वर्षों के दौरान गैर-आदिवासियों को अन्तर्गत कर दी गई थी वे उन्हें (आदिवासियों को) वापस की जानी चाहिए। परन्तु छोटा-नागपुर काश्तकारी अधिनियम में विद्यमान कुछ कमियों के कारण आदिवासियों की भूमियों को अभी भी हस्तान्तरण हो रहा है। लदाहरणार्थ, अधिनियम की धारा 49 इस बात की अनुमति देती है कि परोपकार, धार्मिक आदि प्रयोजनों के लिए आदिवासी भूमियों का हस्तान्तरण उपायुक्त की अनुमति से हो सकता है। अधिनियम की धारा 46 के अधीन उपायुक्त की अनुमति से रैयती भूमि का एक आदिवासी से दूसरे आदिवासी को हस्तान्तरण हो सकता है। साथ ही घटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कि छोटा-नागपुर काश्तकारी अधिनियम नगर पालिका क्षेत्रों में लागू नहीं होता, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर शहरी क्षेत्रों में कई आदिवासी भूमियों का अन्तर्गत हो रहा है। गैर-आदिवासी निहित स्वार्थ आदिवासी भूमियों का अन्तर्गत कराने के लिए इन उपबन्धों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आदिवासी भूमियों के इस प्रकार के हस्तान्तरण पूरे जिले में हुए है परन्तु शहरी क्षेत्रों, उनके आसपास औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों तथा विकास के अन्य क्षेत्रों में तथा उनके आसपास इसकी ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 लागू कर दिया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 1 की उपधारा (2) को अध्यादेश द्वारा संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध आदिवासियों की उन क्षेत्रों में अन्तर्गत भूमि पर भी लागू होंगे जिनमें नगर पालिका, अथवा अनुसूचित क्षेत्र समिति बना दी गई हो अथवा जो क्षेत्र किसी छावनी में आते हैं। इस संशोधन का भूतलक्ष्मी प्रभाव होगा। राज्य सरकार को नगरपालिका के क्षेत्रों में आदिवासियों की अन्तर्गत भूमियां उन्हें वापस दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। यह वाछनीय है कि

राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में लागू अन्य काश्तकारी कानूनों का भी पुनर्विलोकन करे और उनमें पाई गई विभिन्न कमियों को उपयुक्त संशोधनों के द्वारा दूर करे। इससे, आदिवासियों में असंतोष का मुख्य कारण दूर हो सकेगा। इस बीच, जिला प्राधिकारियों को चाहिए कि वे घटना स्थल की विवाद-ग्रस्त-कृषि भूमि के स्वामित्व के झगड़े में हस्तक्षेप करे और महुआ टोली के आदिवासियों तथा हुतुब्दा गांव के गैर-आदिवासियों में समझौता करवा कर झगड़े का निपटारा करवा दें।

2. हुतुब्दा गांव के गैर-आदिवासियों का यह आरोप है कि जब वे अपनी फसलें काट रहे थे तो महुआ टोली के आदिवासियों ने उन पर हमला किया, विश्वास करने योग्य नहीं मालूम पड़ता क्योंकि अस्पताल तथा पुलिस रिकार्ड से यह पता चला था कि सभी घायल व्यक्ति आदिवासी जातियों के थे और कोई भी गैर-कानूनी आदिवासियों व्यक्ति घायल नहीं हुआ था गैर-आदिवासी का यह भी आरोप था कि आदिवासियों ने पत्थरों और तीरों का प्रयोग किया था। लेकिन घटना स्थल पर कोई भी पत्थर अथवा तीर बरामद नहीं हुआ बताया गया था।

3. ऐसा जान पड़ता है कि गैर-आदिवासियों 14 नवम्बर, 1979 को अग्नि शस्त्रों से लेस होकर इस आशय से फसलें काटने आए थे कि यदि कोई झगड़ा हो गया तो वे उन शस्त्रों का प्रयोग आदिवासियों पर करेंगे। यह भी जान पड़ता है कि जब महुआ टोली के आदिवासियों ने हुतुब्दा गांव के गैर-आदिवासियों द्वारा फसलें काटने जाने पर आपत्ति की तो गैर-आदिवासियों ने अपनी बन्दूकों से जो कि पहले से ही महुआ टोली की दिशा में तैयार रखी थीं, अन्धाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति मारा गया और अन्य छः घायल हो गए।

4. अस्पताल रिकार्ड से यह पता चला कि दिवंगत आदिवासी की मृत्यु बन्दूक की गोली के घाव से हुई थी। घायल व्यक्तियों के घाव भी बन्दूकों से दामे गए छरों से हुए थे।

5. आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच झगड़े का दूसरा कारण हुतुब्दा गांव के सामने कब्रिस्तान का होना था जहां महुआ टोली के आदिवासी अपने मृत को दफनाते थे। कब्रिस्तान की भूमि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गैर-आदिवासियों ने वहां एक दीवार खड़ी कर दी थी। यह पता चला था कि आदिवासियों ने उस दीवार को तोड़ दिया था। आदिवासियों ने न्यायालय में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी लेकिन बताया जाता है कि मामला हार गए थे। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की जांच करे और दोनों पक्षों के बीच संतोषपूर्ण समझौता कराए ताकि भविष्य में इस कारण कोई झगड़ा होने की संभावना न रहे।

6. यह महसूस किया जाता है कि यह ठीक रहा होता कि उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा रखे गए अग्नेय शस्त्रों को छीन लिया जाता और जो शस्त्र झगड़े में उपयोग किए गए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाते। पुलिस इस मामले में अन्वेषण कर रही थी। यह सुझाव दिया गया था कि अन्वेषण यथाशीघ्र पूरा किया जाए और मामला न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाए।

7. चूंकि अनुसूचित जनजाति के दिवंगत व्यक्ति के परिवार को उनके रोटी कमा कर देने वाले व्यक्ति के मर जाने के कारण अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़गा अतः यह वाछनीय है कि राज्य सरकार का कल्याण विभाग दिवंगत व्यक्ति के परिवार और गोली से घायल अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त मूआवजे की मंजूरी देने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। राज्य सरकार के तत्संबंधी नियमों में यह प्रावधान है कि अत्याचार के परिणाम स्वरूप मरने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के परिवार को 2,000 रुपये और घायल होने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 500 रुपये का मूआवजा दिया जा

सकता है। वैसे पटना जिले के वैल्ची गांव में मई, 1977 में हुई घटनाओं में राज्य सरकार ने मरने वाले अनुसूचित जातियों अथवा अन्य जातियों के व्यक्तियों के प्रत्येक आश्रित परिवार को 5,000 रुपये का मुआवजा मंजूर किया था। वर्तमान मामले में भी दिवंगत व्यक्ति परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की वांछनीयता पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

8. यह देखा गया है कि कई मामलों में जहां कि संबंधित प्राधिकारियों ने भूमि वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं, संबंधित अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वास्तव में कब्जा नहीं दिया गया है। अनेक मामलों में गैर-आदिवासियों द्वारा न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण ऐसा हुआ जबकि अनेक अन्य मामलों में वास्तविक कब्जा देने में गैर अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा विलम्ब किया जाता है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासियों की अन्तर्गत भूमियों की वापसी के आदेश जारी हो जाने के बाद वास्तविक कब्जा तत्काल मिल जाए। स्थानीय प्रशासन को भी उन मामलों का रिकार्ड रखना चाहिए जिनमें वापस की गई भूमियों का कब्जा आदिवासी लोगों को वास्तव में मिल गया है।

9. पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्तों को कानून के अनुसार सजा मिले। इस प्रयोजन के लिए यह वांछनीय होगा कि गोष्ठी चलने की घटनाओं से संबंधित मामले पर कार्रवाई सम्बन्धी विरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए।

10. यह वांछनीय है कि परिशोधनात्मक सर्वेक्षण जो कि आदिवासियों के आन्दोलन के कारण इन सत्र-दिवोजन में रोक दिया गया था। यथाशीघ्र फिर से शुरू किया जाए ताकि कृषि भूमि के स्वामित्व का मूल कारण अन्तिम रूप से निपटाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए इस काम को करने हेतु उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करके आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि आदिवासियों में यह विश्वास पैदा किया जा सके कि अधिकारों के अभिलेख भूमि के स्वामित्व की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करेंगे तथा सर्वेक्षण के दौरान किसी प्रकार धोखे से इन्द्रराज नहीं किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के सुझाव

9.28 उपर्युक्त पैराग्राफों से यह देखा जाएगा कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अत्याचारों और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद देश के विभिन्न भागों में ऐसे घटनाएं होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में की गई कई सिफारिशों पर संबंधित प्राधिकारियों में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारी से बचाने के अभिप्राय से निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं। इनमें से कुछ सिफारिशें किसी न किसी रूप में हमारी पिछली रिपोर्टों में पहले भी की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय

केन्द्रीय सरकार

- (1) संविधान के अनुच्छेद 46 में 'राज्य' शब्द केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग की जा रही प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्ति के प्रयोग का निर्देश देता है और यह कहना सही नहीं है कि अत्याचार कानून और व्यवस्था की एक समस्या होने के कारण राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं और इस पर कार्यवाही केवल राज्य सरकारों को ही करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की यह सर्वापरी जिम्मेदारी है कि वह कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

को सामाजिक अत्याचार और सभी प्रकार के शोषण के मामलों में सर्वेक्षण प्रदान करे। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप अनिवार्य जान पड़ता है। अतः इस प्रकार के हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

- (2) सामाजिक अत्याचार के मामलों को कानून के उल्लंघन के साधारण मामलों से अलग समझना चाहिए और इसके लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए जाने चाहिए, प्रमाण के भार से सम्बन्धित कानून, साक्ष्य अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए जैसा कि भ्रष्टाचार निरोधी मामलों में किया गया है।

राज्य सरकारें

- (3) घटना-प्रवण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की अकसर होने वाली घटनाओं से यह पता चलता है कि सम्बन्धित राजस्व, पुलिस और विकास विभाग समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों को दूर करने में असफल रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि इन विभागों के कार्यसंचालन को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाही करें।

पुलिस

- (4) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उपयुक्त अनुदेश जारी कर अपने जिला कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में यह बता दें कि "अत्याचार" की परिधि में किस-किस प्रकार के मामले लाए जाएंगे।
- (5) जिन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों में पुलिस कर्मचारी भी शामिल होने के दोषी पाए जाएं तो ऐसे कर्मचारियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
- (6) पुलिस प्रशासन में थाने की भूमिका निर्णायक है। अतः यह वांछनीय है कि थाने का प्रभारी अधिकारी कम से कम पुलिस उपाधीक्षक अथवा सहायक पुलिस अधीक्षक के रैंक का राजपत्रित पुलिस अधिकारी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थाने का प्रबन्ध अच्छे ढंग से ही हो और खास तौर से समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा सके। यह भी वांछनीय है कि नाजुक क्षेत्रों के थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि वे सम्बन्धित क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त लगा सकें तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किसी भी प्रकार के अत्याचारों को समय पर कार्रवाही कर के रोक जा सकें।
- (7) जब कभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर गम्भीर अत्याचार की घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अथवा कोई घायल हो जाए तो सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री/अन्य उच्चाधिकारियों जैसे सम्बन्धित डिवीजन के आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/प्रभावित जिले के कलेक्टर, आदि को चाहिए कि वे घटन स्थल पर तुरन्त जाएं और यह

मुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मामले की पूर्णतः जांच की जाए, दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए, अभियोग पत्र शीघ्रता से प्रस्तुत किए जाएं और अत्याचारों के परिणाम स्वरूप घायल हुए अथवा मारे गए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा शीघ्र दिया जाए।

(8) यदि पुलिस बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुलिस कर्मियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो इससे इन जातियों में अधिक विश्वास उत्पन्न किया जा सकेगा।

(9) यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर बार-बार अत्याचार किए जाते हैं तो उस क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उस पुलिस बल के रखने पर आने वाली पूरी लागत उस क्षेत्र के निवासियों से बसूल की जानी चाहिए। यदि फिर अभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हो तो उस क्षेत्र के निवासियों पर सजा के तौर पर जुर्माने किए जाने चाहिए।

(10) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस अपने आपको कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित न रखे बल्कि अन्य विभागों के साथ मिल जुनकर समाज के इन कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। अपेक्षा इस बात की है कि पुलिस आसूचना की वजाय सामाजिक आसूचना पर बल दिया जाना चाहिए जो देहाती क्षेत्रों में पनप रही सामाजिक और कृषि सम्बन्धी असन्तोष की समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत कमजोर और अपूर्ण है।

(11) यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किए गए कुछेक अत्याचारों में स्थानीय भूमिपति बलशाली व्यक्तियों या विशेष रूप से भाड़े पर बुलाए गए गुंडों को इन जातियों पर अत्याचार देने के लिए लगाते हैं। पुलिस को इन बलशाली व्यक्तियों अथवा गुंडों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और उनके प्रति निवारक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इलाके में शांति बनी रहे और अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार न हों।

(12) ऐसे नाजूक क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार प्रायः होते रहे हैं, लोगों की अन्धधुन्ध अग्नि शस्त्रों के लिए लाइसेन्स न दिए जाएं। यह वांछनीय होगा कि ऐसे क्षेत्रों में पहले से दिए गए इन अग्नि शस्त्रों को लाइसेन्सों को रद्द कर दिया जाए।

(13) जिस तरह मध्य प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं उसी प्रकार सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नाजूक क्षेत्रों में ऐसे ही थाने स्थापित करें। जिला स्तर पर विशेष पुलिस द्रुतगामी दस्तों भी स्थापित किए जाएं ताकि वे अत्याचार के घटना स्थलों का घटना के तुरन्त बाद अन्वेषण के लिए दौरा कर

सकें। विशेष पुलिस बल की कुछेक मुमज्जित तथा गश्ति इकाइयां महत्व के स्थानों पर रखी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के मन में विश्वास जमा रहे और अत्याचार करने वालों में डर बना रहे।

(14) जब कभी किसी अनुसूचित जाति से व्यक्ति से उसकी भूमियों का कब्जा छीन लिया जाता है तो इस मामले को अपराधिक अतिचार माना जाना चाहिए जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अधीन सज्ज्य अपराध है और पुलिस को शीघ्रता से उपर्युक्त दण्ड संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई करनी चाहिए।

(15) जब कभी भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार का कोई मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता है तो समाज के सुसम्पन्न वर्गों के व्यक्ति यदि अत्याचार के लिए जिम्मेदार पाए जाएं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

राजस्व विभाग

(16) पुलिस बल के विरुद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, सब डिवीजन स्तर पर उप मण्डल अधिकारी के प्रभाराधीन और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के प्रभाराधीन स्थापित किए जाने चाहिए। उच्चतर स्तर पर इसी प्रकार का शिकायत प्रकोष्ठ राज्य सरकार को मुख्यालय में मुख्य सचिव के प्रभाराधीन स्थापित किया जाना चाहिए।

(17) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मूल कारण को दूर करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के तथा विभिन्न राज्यों के अन्य क्षेत्रों के वर्तमान काश्तकारी कानूनों की पूर्णतः जांच की जानी चाहिए और यदि उनमें कोई बच निकलने के रास्ते पाए जाएं तो कानून का संशोधन करके उन्हें बन्द किया जाना चाहिए।

(18) घटना प्रवण क्षेत्रों का पता लगाकर वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने के लिए निवारक उपाय किए जाते चाहिए ताकि अप्रिय घटनाएं न होने पाएं। राज्य के राजस्व विभागों के अधिकारियों को चाहिए कि वे देहाती क्षेत्रों के दौरे करें तथा घटना प्रवण स्थानों का पता लगाकर अपनी रिपोर्टें सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें। राज्य सरकारें इन रिपोर्टों की ओर तुरन्त ध्यान दें और अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सामाजिक तनाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(19) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा जमीनों के कब्जे लेने से सम्बन्धित मामलों में उन पर अत्याचारों से निपटने के लिए सभी राज्यों में जिला स्तर पर राजस्व-सह-पुलिस दल स्थापित किए जाने चाहिए। इन दलों द्वारा इन मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्रम विभाग

(20) न्यूनतम मजदूरी कानूनों को कारगर ढंग से लागू न करना, बंधुआ मजदूरी की प्रथा का प्रचलन और देहाती ऋणश्रुतता भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के

मुख्य कारणों में हैं। यह वांछनीय है कि राज्य सरकारों को झगड़े की इन जड़ों को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अत्याचारों के मामले में वृद्धि को रोका जा सके। अतः सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे तत्काल कार्रवाई करके यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषि मजदूरों को कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम दरों पर मजदूरी न दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पर्याप्त तंत्र स्थापित करके लागू किया जाए। यह अनुमान है कि देश में लगभग 66 प्रतिशत बंधुवा मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं। उन्हें तुरन्त छुड़वाया जाना चाहिए और फिर से बसाया जाना चाहिए।

न्याय पालिका

(21) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय अत्याचारों के मामलों का शीघ्रता से निपटान करें क्योंकि इन मामलों में अनावश्यक विलम्ब होने से अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों का न्याय प्रणाली में विश्वास जाता रहता है, अपराधकर्ताओं के जमानत पर छूट आने के बाद उनके हौसले और बुलन्द हो जाते हैं, शिकायतकर्ताओं के हौसले पस्त हो जाते हैं, गवाहों पर दबाव पड़ने लगता है और प्रभावित गांवों में लगातार तनाव बना रहता है। कई बार इन मामलों को वर्षों लटकवाया जाता है। अतः ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए गश्ती एककों सहित विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए।

(22) अत्याचारों के जिन मामलों में बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट, हत्या तथा पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध गोलीबारी की घटनाएं हों और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग सम्बन्धित हों, तो उन मामलों में स्वतः ही न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि इन समुदायों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके।

अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

(23) कतिपय राज्य सरकारों ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु उपाय किए हैं। लेकिन उन्होंने अत्याचारों के परिणाम स्वरूप मरने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की अधिकतम धनराशि 5,000 रुपये निर्धारित की है जबकि इसके परिणाम स्वरूप घायल होने वाले अथवा अपनी सम्पत्ति खो बैठने वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपये से 2,000 रुपये तक की धनराशियां निर्धारित की हैं। मुआवजे की ये दरें काफी अपर्याप्त हैं तथा इनमें समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवार की अत्याचार की घटनाओं से पहले की पूरी आय दिवंगत सदस्य के आश्रितों को रोजगार दिलाकर अथवा अक्षम हुए व्यक्तियों को अपना स्वयं का रोजगार मुलभ कराकर दिलाई जाए। अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को अथवा उनके परिवारों को मुआवजे की मंजूरी देने की शक्तियां सम्बन्धित जिले के कलक्टर/उपायुक्त को दे दी जानी चाहिए ताकि उस के भ्रगतान में अनावश्यक विलम्ब न होने पाए।

विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए अभी तक उपबन्ध न किए हों उन्हें चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

(24) जहां आगजनी के परिणाम-स्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के मकान नष्ट हो जाएं तो पूर्ण सरकारी लागत पर उन के लिए पक्के मकान बनाए जाने चाहिए।

(25) यदि अत्याचारों के शिकार हुए परिवारों के बच्चे बचे सदस्य छोटे-छोटे बच्चे हों और परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य न हो तो ऐसे बच्चों को तब तक उनकी शिक्षा और भरण-पोषण के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए जब तक वे कमाने लायक न हो जाएं।

सामाजिक-आर्थिक अध्ययन

(26) बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और तमिल नाडु, में हुई अत्याचारों के कतिपय मामलों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह संकेत मिलेगा कि इन अग्रिम घटनाओं के बार-बार होने का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया है, और वे चली आ रही हैं। इस प्रकार के अध्ययन विशेषज्ञ निकायों को सौंपे जाने चाहिए जो इनका विस्तृत विश्लेषण करें और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राज-नैतिक और प्रशासनिक उपयोगों के कार्यान्वयन में पायी जाने वाली कमियों का ठीक-ठीक पता लगाएं।

अत्याचारों और उत्पीड़न के अभिलक्षक मामले

9.29 इस संगठन में प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई और मामले के तथ्यों के अन्वेषण के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है। कुछ मामलों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अत्युक्त अथवा उसके अधिकारी मोके पर जांच करने के लिए घटनास्थल का दौरा करते हैं। इस प्रकार की जांच की रिपोर्ट सम्बन्धित राज्यसरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती है। शिकायतों के 62 अभिलक्षक मामले जिन्हें हत्या, हिंसा, बलत्कार, आगजनी, अस्पृश्यता, भूमि-विवाद, आधास, शिक्षा, पुलिस अत्याचार, आदि में वर्गीकृत किया गया है, नीचे दिए गए हैं। इनके अध्ययन से, इन मामलों के स्वरूप तथा उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त अत्याचारों के 48 मामलों "भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम" सम्बन्धित अध्याय में दिए गए हैं।

हत्या

(1) तमिलनाडु के जिला तिरुनेलवेली के सुरगुंडी गांव में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की हत्या की जाने की सूचनाएं थीं। कलक्टर की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 1978 के प्रथम सप्ताह के दौरान सुरगुंडी गांव के अय्यप्पा नेक्कर नाम के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने नशे की मनोदशा में 1001 रुपये का जुर्माना कर दिया था। जुर्माने की इस राशि को वाद में घटा कर 10 रुपये कर दिया गया था और अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने जुर्माना दे दिया था। 18 सितम्बर, 1978 को सुरगुंडी वेम्बर सड़क के वेम्बर पुल पर सुरगुंडी के परमेशिव शेवर नामक व्यक्ति को रास्ते में रोक कर

हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनकर सवर्ण हिन्दू घातक शस्त्रों से लैस होकर और दलों में इकट्ठे होकर अनुसूचित जाति के रिहायसी इलाके की ओर दौड़ पड़े। सशस्त्र तुकड़ी ने सवर्ण हिन्दूओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। अनुसूचित जातियों के लगभग 200 व्यक्ति भी हथियारों से लैस होकर सड़कों के चौराहों पर दलों में इकट्ठे हुए बताए गए थे। यह बताया गया कि शान्ति स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए प्रयत्नों के बावजूद, गांव के उत्तरी भाग में मुन्यादी नामक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। कोविलपट्टी के राजस्व डिवीजनल अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी किए गए निषेधात्मक आदेशों को 26 सितम्बर, 1978 से 10 अक्टूबर, 1978 तक 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया। बताया गया है कि पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। पहारा देने और गश्त लगाने के लिए पुलिस दल गांव में विद्यमान रहे और पूर्ण चौकशी बरती जा रही थी।

- (2) उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में तेजपुर गांव के तीन ठाकुरों द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के बारे में 21 मई, 1968 को "नैशनल हेराल्ड" में एक समाचार छपा। यह आरोप था कि दिवंगत व्यक्ति ने 12 वर्ष पहले उस गांव के एक ठाकुर पर हमला किया था। उस ठाकुर की पत्नी ने अपने पुत्रों को पिता के अपनाम का बदला लेने के लिए उकसाया था। जब दिवंगत व्यक्ति अपने खेत पर सोया हुआ था तो उस पर हत्यारों ने आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। यह मामला तथ्य जानने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के पास भेजा गया। उसकी रिपोर्ट से पता चल कि इस घटना का कारण पिछली दुश्मनी थी। अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले के अगले परिणामों की प्रतीक्षा है।
- (3) बिहार में हजारीबाग जिले के प्रतापपुर थाने के अधीन नाशयणपुर गेरुआ के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की अक्टूबर, 1978 में उसी गांव के मुखिया द्वारा आक्रमण किए जाने पर मृत्यु हो गई बताई गई थी।
- (4) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में महोबा गांव के निकट शोषित समाज दल के एक नेता कि हत्या के बारे में 11 मई, 1978 को "हिन्दूस्तान टाइम्स" में एक समाचार छपा था। इस मामले से की गई जांच से पता चला कि दिवंगत व्यक्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता था। 8 मई, 1978 को वह महोबा गांव और फिर रोहता गांव गया जहां दो व्यक्तियों ने उस पर गोली चलाई। पुलिस उप निरीक्षक, अलीगंज, हत्या स्थल पर गया, और इस मामले के बारे में जांच की। एक अभियुक्त को एक बन्दुक सहित गिरफ्तार किया गया और दूसरे ने न्यायालय में अपने आप को हवाले कर दिया। दोनों अभियुक्तों को कारावास भेज दिया गया। मामले के अन्तिम परिणामों का इन्तजार है।
- (5) समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार, बिहार के रोहतास जिले के कारघर पुलिस थाने के अधीन पिपरी गांव में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की

कथित हत्या के सिलसिले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हत्या अगस्त, 1978 में भूमि सम्बन्ध दुश्मनी के कारण की गई बताई गई।

- (6) अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति-अध्यक्ष, नगर सुधार मण्डल कपूरथला, पंजाब से एक अभ्यावेदग प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप था कि उसके बेटे की आन्दोलनकारी मजदूरों ने जम्मू व कश्मीर में भारतीय खाद्य निगम जम्मू के कार्यालय परिसर में विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से घातक शस्त्रों द्वारा हत्या कर दी। इस मामले के तथ्य जानने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा गया। जांच रिपोर्ट से पता चला कि हत्या का शिकार हुए व्यक्ति ने खाद्य सप्लाई डिपू चाथा, में मजदूरों द्वारा उसके साथ किए गए भ्रष्ट व्यवहार के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित किया था। उस घटना के समय उसका बचाव उसके सहयोगी कर्मचारियों ने कर दिया था। दिवंगत व्यक्ति तीन दिन की छुट्टी के बाद 6-10-78 को वापस कार्यालय आया और सरकारी काम के सिलसिले में क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू गया था। जब वह अपने कार्यालय को वापस आ रहा था तो उसके कार्यालय के भवन के बिल्कुल निकट ही एक बदमाश ने घातक शस्त्रों से उस पर आक्रमण किया। पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई और चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। मुकदमा अदालत में चल रहा है। उस मामले की अद्यतन स्थिति के बारे में सूचना प्रतीक्षित है।
- (7) इस संगठन में अगस्त, 1978 के अन्तिम सप्ताह से महामंत्री, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति अधिकारी कल्याण एटोसिएशन बम्बई से एक अभ्यावेदग प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप था कि 8 जून, 1978 को गांव सतगढ़ हरखोल, जिला होशियारपुर, पंजाब की एक सामाजिक कार्य करने वाली अनुसूचित जाति की विधवा की हत्या कर दी गई। उस महिला ने डेरा सन्तगढ़, मुहद्वार हरखलि, (होशियारपुर) से 30 वर्ष सेबादार के रूप में कार्य किया था। बताया गया कि उसे यातना दी गई और फिर हत्या कर दी गई। यह मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया गया। मामला दर्ज किया गया था लेकिन अभियुक्त को सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
- (8) समाचार पत्रों में 6 जनवरी, 1979 को छपी खबरों के अनुसार, तमिल नाडु के नीलगिरि जिले में गुडालूर के निकट इटालारू में बादामाओं और गैर-बादामाओं के बीच हुई मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप आगजनी और फसादों में कम से कम तीन व्यक्ति मारे गए बताए गए थे। इस घटना के शिकार व्यक्तियों में से कुछेक अनुसूचित जातियों के भी बताए गए थे ये सूचनाएं भी मिली थी कि 11 दिसम्बर को सेम्बटू गांव में अवैध शराब के बिक्रेता और उसके ग्राहकों के बीच झगड़ों हो जाने पर एक पुलिस दल ने हरिजन कालोनी में घुस कर वहां के निवासियों को मारा-पीटा और कुछ औरतों के साथ छेड़खानी भी की। कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को सिर में गहरी चोट लगी थी और दो अन्य व्यक्तियों को पीटा गया था। तमिल नाडु सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(9) उत्तर प्रदेश के टूंडला रेलवे स्टेशन में कार्यरत एक शॉटिंग-मास्टर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि उसके किराएदार ने उसकी पत्नी की कथित हत्या कर दी थी। इस मामले में अग्रा के कलक्टर से लिखापट्टी की गई जिसने बताया कि आवेदक ने अपना क्वार्टर अभियुक्त को किराए पर दिया था लेकिन जब उसने मकान खाली करने के लिए अनुरोध किया तो अभियुक्त ने खाली नहीं किया। 22 जुलाई, 1978 को किराएदार का पुत्र अपने एक मित्र सहित क्वार्टर में आया और शिकायतकर्ता की पत्नी से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। औरत ने उसे गालियां दीं जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में लड़ाई हो गई और उस औरत को चाकू धोंप दिया गया। भारतीय दण्डसंहिता की धारा 147/148/144/302 के अधीन मामला दर्ज किया गया और यह मामला अब सब न्यायालय के विचाराधीन है।

(10) गांव पुसावली, डाक घर चक महाराजपुरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने जुलाई, 1979 में इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा कि गड़रिया जाति के कुछ व्यक्तियों ने आवेदक के भाई की हत्या की और लापता हो गए हैं। यह आरोप था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद गड़रिया जाति के लोग आवेदक को तंग कर रहे थे और उसकी फसलें नष्ट कर रहे थे। ये लोग हरिजन परिवार को मार डालने की धमकी दे रहे थे। यह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए ग्वालियर के कलक्टर को भेजा गया था लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

(11) सितम्बर, 1978 में गांव रामभन, जिला करनाल, हरि याथा के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से एक शिकायत मिली थी कि एक भूमिपति ने उसके सम्बन्धी की कथित हत्या कर दी है। दिवंगत व्यक्ति भूमिपति के खेतों में भजदूर का काम करता था और दूसरे भूमिपति ने उससे अपने खेतों में सिंचाई करवाने की चाही थी। उसके मना करने पर भूमिपति ने धमकी दी की उसे इसके कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस सम्बन्ध में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए तथा उनका चालान दण्ड प्रक्रियासंहिता की धारा 302 के अधीन किया गया। लेकिन अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था।

(12) बिहार के जिला संचाल परगना, थाना मसालिया, गांव मकरमपुर के अनुसूचित जन जाति के दो व्यक्तियों के सारे जाने के बारे में 22 अक्टूबर, 1978 को "इंडियन वेशन" में एक समाचार छपा था। सम्बन्धित उपयुक्त की जांच रिपोर्ट से पता चला कि गैर-संचाली गांव मकरमपुर में जो कि प्रमुखतः संचालों से घिरा हुआ है, एक मेले में गैर-संचाली गांव के कुछ लड़कों ने संचाल लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इससे मार पीट शुरू हो गई जिसमें गैर-संचालों ने अग्नि शस्त्रों का प्रयोग किया। कुलमिलाकर दस व्यक्तियों को गोली लगी। दो संचाल लापता बताए गए थे। उनमें से एक का शव गांव मकरमपुर के समीप मसंजोर झील से बरामद किया गया बताया गया जबकि दूसरे का शव एक बांध के पास तैरता पाया गया। इस सम्बन्ध में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए

गए थे उत मामले के अन्तिम परिणाम की अभी प्रतीक्षा है।

(13) गांव ओरो, थाना हसूर, जिला नवादा, बिहार के एक हरिजन की हत्या के बारे में 30 मार्च, 1978 को "टाइम्स आफ इंडिया" में एक समाचार छपा था। जिला मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट से पता चला कि बीकू गांव के लगभग 10-12 व्यक्ति, जिनमें अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल थे, ओरो गांव के शिकायतकर्ता श्री कुलदीप दुसाध की कुटिया की ओर उसकी खड़ी फसल काट लाने के लिए गए थे। श्री कुलदीप दुसाध ने उन्हें ऐसा न करने का अनुरोध किया लेकिन बदले में उन्होंने उसे गालियां दीं। शोर सुन कर आसपास के कुछ ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। इसी बीच अभियुक्तों में से एक ने श्री मौजी पासवान पर एक तेज धार वाले शस्त्र से हमला किया और वह घटना स्थल पर ही मर गया। अन्य व्यक्ति जो मामले का निपटारा करने आए थे उन्हें चोटें आईं। अभियुक्त खेतों से खड़ी फसल काट कर ले गए। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें बीकू गांववासियों ने खेत के निकट की एक पणकुटिया को गिरा दिया था। शिकायतकर्ता, उसके भाई और ओरो गांववासियों ने इस पर आपत्ति की थी। इस प्रकार पिछली दुश्मनी के कारण यह घटना हुई थी। इस सम्बन्ध में नौ अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा अन्तिम परिणाम की अभी प्रतीक्षा है।

(14) नवम्बर, 1978 के अन्तिम सप्ताह में "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार छपा था कि बिहार के वेगसराय जिले में बाजीतपुर गांव के अनुसूचित जाति के लोगों पर कुछ अत्याचार किए गए थे जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था, 18 घायल हुए थे, घायलों में 4 की हालत गंभीर थी, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था। इस मामले में बिहार सरकार के साथ कार्रवाई की गई। यह पता चला कि 15 नवम्बर, 1978 को नयानगर गांव के एक बहुत बड़े भूमिपति श्री दुर्गा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 200 से 300 लोगों के एक सशस्त्र दल ने बाजीतपुर गांव पर हमला कर दिया। इस गांव में लगभग 600 लोग रहते थे जिनमें अधिकतर लोग हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के थे। आक्रमणकर्ता दल घातक शस्त्रों से पूर्णतः लैस था। उसने गांव के प्रवेश स्थान पर बमों का विस्फोट किया जिससे गांव वाले भयभीत हो गए। गांव निवासी भयभीत होकर गांव से भागने लगे और दो घंटों के भीतर गांव लगभग सुनसान हो गया। जो 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया जहां अत्याचार के शिकार 75 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति श्री जगेश्वर साव की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। तीन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ बताया गया था, वैसे डाक्टरी रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस दूसरे दिन पहुंची जबकि गांव सुनसान लग रहा था। आक्रमणकर्ता अधेरा होने तक गांव में रहे थे और अनाज, बर्तन, आभूषण तथा गांव वालों की अन्य घरेलू वस्तुओं को ले गए। उन्होंने गांव वालों की

झोपड़ियां गिरी वीं और गांव के कुए में कोई विपैली वस्तु फेंक गए ।

19 नवम्बर, 1978 क बाद लोगों ने यह सुन कर गांव वापस आना शुरू किया कि उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस दल गांव में तैनात कर दिया गया है । घटना का कारण यह बताया जाता था कि श्री दुर्गा प्रसाद सिंह की निकट के नयानगर, बरिधापुर, शेखपुरा आदि गांवों में और बाजीतपुर गांव में भी अपनी जमीनें थीं । 1975-76 के दौरान अधिकतम भूमि गीमा लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप समस्तीपुर जिले में लगभग 415 एकड़ भूमि राज्य सरकार को सौंपी जानी थी । सौंपी गई इन जमीनों को भूमिहीनों से बांटने के लिए फरवरी, 1976 में जिला मजिस्ट्रेट ने एक समारोह आयोजित किया । बाजीतपुर के लोगों को भी इससे लाभ होना था । लेकिन श्री दुर्गा प्रसाद सिंह ने पटना उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए और भूमि वितरण अकृत और शून्य हो गया । वैसे, 1976 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वेच्छा से भूमि समर्पण करने के लिए आयोजित किए गए अभियान में श्री दुर्गा प्रसाद सिंह ने बाजीतपुर गांव में 45 एकड़ भूमि दान दी जो कि पहले से ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के कब्जे में थी यद्यपि उन्हें जमीनों के पर्चे नहीं मिले थे । इस प्रकार उन्हें उस भूमि से वंचित रखा जा रहा था जिस पर वे खेती कर रहे थे । भूमियों के स्वामित्व अधिकार गांव वालों को दिलाने के लिए गांव के सरपंच तथा अन्य व्यक्तियों ने श्री दुर्गा प्रसाद और उसके व्यक्तियों से कई बैठकें कीं । कुछ समय पश्चात श्री दुर्गा प्रसाद 20 एकड़ भूमि उन लोगों को देने के लिए सहमत हो गया जो उस पर पहले ही कब्जा किए हुए थे जिनमें गांव का सरपंच भी शामिल था । लेकिन इन जमीनों के पर्चे नहीं दिए गए थे और गांव में तनाव यही कारण था । हमले की तैयारियां घटना से पहले ही हो गई थी और कुछ गांव निवासियों ने इन तैयारियों की सूचना पुलिस को दी थी । लेकिन पुलिस ने इस कथन की सच्चाई की पड़ताल करने और तदनुसार कार्रवाई करने का कोई प्रयत्न नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि हरिजन और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग श्री दुर्गा प्रसाद सिंह और उसके आदमियों के शिकार बन गए । अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए वित्तीय और सामान की सहायता दी गई । अभियुक्त श्री दुर्गा प्रसाद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूसराय से जमानत प्राप्त कर ली है । इस समय यह मामला न्यायालय के विचारधीन है और इसके अन्तिम परिणामों की प्रतीक्षा है ।

(15) यह आरोप था कि अप्रैल, 1978 में बिहार के मुंगेर जिले के बिण्डा गांव के अनुसूचित जाति के एक युवक को कुछ व्यक्तियों में मार डाला था । दिवंगत व्यक्ति की पत्नी का आरोप था कि कुछ व्यक्तियों ने 7 अप्रैल, 1978 की रात को उसके पति से साथ चलने का अनुरोध किया था और उसके बाद उसका पति कभी वापस नहीं आया बताया गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है ।

(16) गांव लाडीपुर, जिला भागलपुर, बिहार के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की सिंचाई के पानी के वितरण पर झगड़े के कारण, हत्या की गई बताई गई थी । मुख्य कारण यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने भी तीन अन्य

व्यक्तियों के अतिरिक्त मुखिया के चुनाव हेतु नामांकन दर्ज कराया था । लाडीपुर में हरिजनों की जनसंख्या अधिक होने के कारण उसके जीतने के अच्छे आसार थे । यह बताया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित 14 व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था और बाकी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए थे ।

(17) दिनांक 29 अप्रैल, 1979 के "स्ट्रेट्समैन" में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के समियरपलयम गांव के 15 अप्रैल, 1979 को अनुसूचित जाति के एक 15 वर्षीय लड़के को उसके स्वर्ण हिन्दू नियोजता ने पीट कर जान से मार डाला था । इस मामले के तथ्य मालूम करने के लिए जिला प्राधिकारियों को लिखा गया । जांच रिपोर्ट से पता चला कि दिवंगत व्यक्ति को जो खेत पर काम करने वाला नौकर था, उसके स्वर्ण हिन्दू मालिक ने 14 अप्रैल, 1979 की रात को सिंचाई करने के लिये खेत में आने को कहा था । लेकिन वह लड़का उस दिन काम करने नहीं आया । अगले दिन जब वह अपने मालिक के घर काम करने गया तो उसने बिना किसी को पूछे वहां रखी एक कप काफ़ी पी ली । इससे मालिक को गुस्सा आ गया और उसने बच्चे को पीट कर नीला-पीला कर दिया और लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा । इस घटना के बारे में अभियुक्त ने लड़के के रिस्तेदारों को सूचित कर दिया और वे उसे कुन्नाथुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गये जहां लड़के की चोटों के कारण मृत्यु हो गई । अभियुक्त और उसके सहयोगियों ने लड़के के रिस्तेदारों को धमकी दी कि यदि उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी को की तो इसके परिणाम भयानक होंगे तथा उनसे कहा कि शव को तत्काल दफना दें । शव की अंत्येष्टि 16 अप्रैल, 1979 को हुई । दिवंगत लड़के का पिता घटना के समय कहीं बाहर था । जब उसे इस घटना का पता चला तो उसने 24 अप्रैल, 1979 को उधु-कुली थाने में शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 25 अप्रैल, 1979 को शव खोदकर निकाल लिया । उसी दिन तहसीलदार और कार्यकारी तालुक मजिस्ट्रेट, इरोड ने न्यायिक जांच की । वैसे डाक्टरों रिपोर्ट मृत्यु का ठीक-ठीक कारण स्थापित नहीं कर सकी और यह मत प्रकट किया गया कि दिवंगत व्यक्ति एक सप्ताह से पहले का मरा मालूम होता था । वैसे मृत व्यक्ति की हड्डियां जांच के लिये मद्रास में रसायन परीक्षक को भेजी गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रतिक्षित थी अभियुक्त को पुलिस निरीक्षक पेरेन्दुरई ने मिरफ्तार कर लिया था और अभियुक्त द्वारा मृत व्यक्ति को जिस छड़ी से पीटा गया था, वह भी बरामद कर ली थी । अभियुक्त और उसके अन्य साथियों को जिन्होंने शव का निपटान करने में सहायता की थी, अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया था । इस मामले के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(18) बिहार के पटना जिले में मानेर नामक स्थान पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की सितम्बर 78 में हत्या की गई बताई गई यह आरोप था कि यद्यपि पुलिस को काफी पहले सूचना दे दी गई थी यद्यपि वे घटना स्थल पर तब पहुंचे जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति मारा जा चुका था ।

(19) बिहार के चम्पारन जिले में बेटिया के निकट चनपतिया थाने के अधीन पकरियर गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला को कुछ व्यक्तियों ने अप्रैल 1978 में विष देकर मार दिया बताया गया था । मृत महिला के नाबालिग लड़के ने

अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) में तीन व्यक्तियों पर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस दो ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकी थी।

- (20) सितम्बर, 1978 में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि बिहार के पूर्णिया जिले के बाथानाटा गांव में उसके भाई की नृशंस हत्या की गई थी। झगड़ा तब हुआ जब कुछ भैंसे एक भूमिपति के खेत में घुस गईं जो उन्हें अपने घर ले गया और भैंसों के मालिक को फसलें नष्ट किये जाने के कारण 25 रुपये जुर्माना देना पड़ा। जब भैंसों का मालिक भैंसें छुड़ाने भूमिपति के घर गया तो उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस शिकायत के प्राप्त होने पर इस मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना और जिला मजिस्ट्रेट, पूर्णिया को तथ्यों का पता लगाने के लिए लिखा गया। पुलिस उप महानिरीक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला दर्ज किया जा चुका था। मामले के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

- (21) अगस्त, 1978 में बिहार के मधुबनी जिले के लडानिया थाने के अधीन गढ़ा गांव में जब भूमिपतियों के एक दल ने हमला किया तो अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति मारा गया और कई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जखमी हुए बताए गए थे।

- (22) जून, 1978 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मदनपुर छांला गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि उसके 14 वर्ष की आयु के पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक, नई दिल्ली से कार्रवाई की गई थी। यह मालूम हुआ कि घटना का कारण पिछली कोई दुश्मनी थी। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

- (23) यह आरोप था कि बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर पुलिस थाने के अधीन भगवानपुर नामक स्थान के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की प्रगट, 1978 में एक व्यापारी ने हत्या कर दी। बताया गया कि इस सम्बंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 10 अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए।

हिंसा

- (24) 12 अप्रैल, 1978 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार पत्र में एक खबर छपी थी कि कर्नाटक में बंगलौर की निकट रूपनगरा हारा गांव के सवर्ण हिंदुओं के एक दल द्वारा आक्रमण किए जाने पर अनुसूचित जाति के 15 व्यक्ति घायल हुए। इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक से लिखापढ़ी की गई। उसकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि गांव रूपनगराहारा दो राजनैतिक दल में बंटा हुआ है। एक दल को अनुसूचित जातियों का समर्थन प्राप्त है जबकि दूसरे दल को गैर-अनुसूचित जातियों का समर्थन प्राप्त है। दोनों दलों के नेताओं के बीच एक भूमि-विवाद भी था। 8-4-78 को उगाड़ी त्योहार के दौरान एक दल के नेता ने अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी सभी अनुसूचित जातियों और गांव के अन्य व्यक्तियों को खाना खिलाया। इस विरोधी दल के नेता और अन्य व्यक्तियों को क्रोध आ गया। अगले दिन, उन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा डंडों, लाठियों, पत्थरों से हमला किया गया और हरिजनों के मकानों पर भी हमला किया गया। औरतों और बच्चों सहित 20 व्यक्ति घायल हुए थे। एक दल के नेता, जो कि सवर्ण हिन्दू था, वे

मकान पर भी आक्रमण हुआ तथा जब उस का पिता उसकी रक्षा के लिए आया तो उसे भी खूब पीटा गया जिससे उसके सिर में चोटें आईं। 15 अभियुक्तों के गिरफ्तार किए जाने तथा दो व्यक्तियों के फरार होते की सूचना मिली थी। मामले के अगले परिणामों की प्रतीक्षा है।

- (25) नवम्बर, 1978 में यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लांगना डाकघर, गांव बेरी के एक हरिजन व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य को उसी गांव के सवर्ण हिंदुओं ने 30-10-78 को लाठियों से बहुत मारा। हमलावार इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने उसी दिन लगभग 10.00 बजे रात को उस हरिजन के घर पर फिर हमला किया और सारे परिवार को लाठियों से पीटा। उसके बाद उन्होंने आवेदक हरिजन की पत्नी के सोने के कुछ आभूषण छीने और अपने साथ उठाले गए। इस मामले में उपयुक्त, मंडी की लिखा गया जिसमें सूचित किया कि दोनों दलों ने समझौता कर लिया है और अब इस बारे में आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

- (26) तमिल नाडु के जिला चिगलपट के मन्दिर नगर, मांगडु में पथराव होने और उसके फलस्वरूप चोटें लगाने की सूचना मिली थी। राज्य सरकार के कथन के अनुसार 11 जुलाई से 20 अगस्त तक मनाए गए "मरियम्मन" नामक एक त्योहार के अन्तिम दिन अग्नि पर चलने के समारोह को लेकर सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जातियों का गांव में झगड़ा हो गया था। अनुसूचित जातियों के लोग इस बात का आग्रह कर रहे थे कि 20 अगस्त, 1978 को अग्नि परचलने के समारोह में उन्हें भाग लेने दिया जाना चाहिए जबकि सवर्ण हिंदू इसके हक में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार वह त्योहार गांव का त्योहार नहीं था अपितु जातीय त्योहार था जिसे नेकर और मुदलियर अपने ही खर्च पर मनाते थे। बैसे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि अनुसूचित जातियों के लोग चाहे मन्दिर के ही सामने अपनी अलग आग जला कर उस पर चढ़ते : जब सवर्ण हिंदुओं द्वारा आयोजित किए गए आग पर चलने के समारोह में अनुसूचित जातियों ने हस्तक्षेप किया तो समारोह रद्द कर दिया गया। अगले दिन, हमेशा की तरह, अनुसूचित जाति के कुछ लोग सवर्ण हिंदुओं की धान की फसल काटने के लिए आए लेकिन कुछ ही देर बाद अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों ने काम का बहिष्कार करने के लिए उन्हें राजी कर लिया। 22 अगस्त, 1978 को अनुसूचित जाति के लोग उस स्थान पर आए जहां सवर्ण हिंदू अपने खेतों में अपनी फसलें काट रहे थे। उन्होंने यह मांगकी कि सवर्ण हिंदुओं को अपनी फसलें नहीं काटनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जातियों को आग पर चलने के समारोह में भाग नहीं लेने दिया था। पुलिस कर्मचारियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें वहां से चले जाने की सलाह दी लेकिन बताया गया कि लगभग दोपहर को अनुसूचित जातियों के लगभग 500 व्यक्ति लाठियों और पत्थरों से लैस होकर खेतों की ओर आए और सवर्ण हिंदुओं पर पत्थराव किया जो कि अपनी फसलें काट रहे थे। इससे तनाव पैदा हुआ। जब पुलिस तथा राजस्व कर्मचारी घटना स्थल की ओर दौड़े तो उन्होंने यह देखा कि सवर्ण हिंदू छोटे-छोटे दलों में इकट्ठे हो गए थे और अनुसूचित जातियों की लगभग 1000 पुरुषों और औरतों की भीड़ मड़क पर इकट्ठी होकर सवर्ण हिंदुओं पर पत्थराव कर रही थी और सवर्ण हिंदू भी बदले में जवाब दे रहे थे। पुलिस कर्मियों के आदेशों पर सवर्ण हिंदू गांव से

हट जाने के लिए सहमत हो गए लेकिन अनुसूचित जातियों के लोगों ने चेतावनी की उपेक्षा कर दी। इसलिए हल्का-सा लाठी चार्ज करना पड़ा। अनुसूचित जातियों ने एक गोशाला और कुछ झोपड़ियों को आग लगा दी और दो पम्प सेंटों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुलाथुर थाने में मामला दर्ज किया गया। अनुसूचित जातियों के 27 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 8 पुलिस कर्मी और 17 सवर्ण हिंदू घायल हुए थे जिन्हें डाक्टरों द्वारा इलाज के लिए भेज दिया गया था। कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया और सामान्य स्थिति स्थापित कर दी गई।

- (27) दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 को रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप था कि 9 दिसम्बर, 1978 को आंध्र प्रदेश के जिला नेलोर, मुलुरपेट तालुक के थनाईल गांव के आदिवासियों की 40 एकड़ भूमि में खड़ी फसल को भूमिपतियों तथा महाजनों के एक दल ने नष्ट कर दिया था। यह बताया गया था कि आदिवासियों पर हमला किया गया और उन्हें गांव से भगा दिया गया।
- (28) 13 फरवरी 1978 को बिहार के पूर्णिया जिले में ठाकुरगंज पुलिस थाने के अधीन आजमनगर गांव में जब अनुसूचित जाति के एक परिवार पर सशस्त्र व्यक्तियों के एक दल ने हमला किया तो, बताया गया कि, अनुसूचित जाति की दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल व्यक्तियों को ठाकुरगंज अस्पताल में भरती कराया बताया गया था। सूचना मिली थी कि मामले की जांच की जा रही है।
- (29) बताया गया कि गुजरात में राजकोट जिले के जाकमदोरना तालुक के खजूरदिया गांव में लगभग 200 व्यक्तियों की एक भीड़ ने अनुसूचित जाति के एक कामगार, उसके बेटे और दो पुलिस कर्मचारियों पर, जो कि उनकी रक्षा कर रहे थे, हमला किया। यह घटना तब हुई बताई गई जब होटल के एक मालिक ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को चाय देने से मना कर दिया था। बताया जाता है कि विशेष रिजर्व पुलिस (एस० आर० पी०) की एक प्लाटून उस गांव में तैनात कर दी गई थी और स्थिति शांत थी। प्राप्त सूचना के अनुसार, पुलिस ने गांव के एक सरपंच सहित 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

बलात्कार

- (30) 13 जुलाई, 1978 को "हिंदुस्तान टाइम्स" में कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले में हनुमनहल्ली स्थान में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा हरिजन महिला के साथ बलात्कार करने का समाचार छपा था। संबंधित उपायुक्त ने इस कार्यालय को सूचित किया कि ग्राम पंचायत के चुनावों के दौरान अभियुक्त मंड्या में एक मतदाताकेंद्र का पीठासीन अधिकारी था। जब सहायक उप-निरीक्षक मतदाता केंद्र पर पहुंचा तो उसे कर्मचारियों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी 20 मत पत्रों पर हस्ताक्षर करने के बाद मतदान केंद्र से चला गया था। गांव के लेखापाल ने जो कि वहां उपस्थित था, सहायक उप-निरीक्षक को बताया कि उसने उसे बी० हटना की ओर जाने देखा था। सहायक उप-निरीक्षक उस लेखापाल के साथ जीप में उसी स्थान की ओर रवाना हो गया। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति पीठासीन अधिकारी पर हमला कर रहे थे। सहायक उप-निरीक्षक को बताया गया कि जब एक लड़की जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी तो पीठासीन अधिकारी ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस मामला दर्ज कर लिया।

सूचना मिली थी कि अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

- (31) 16 मई, 1979 को उड़ीया दैनिक "समाज" में यह समाचार छपा था कि उड़ीसा के जिला गंजम, थाना भांजानगर, गांव नहातुथा में अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ कथित बलात्कार किया गया। राज्य अत्याचार समिति की जांच रिपोर्ट से पता चला कि उक्त लड़की प्रातःकाल भांजानगर जलाशय पर मछरों से मछलियां खरीदने जाती थी, जिन्हें उसकी दीदी स्थानीय बाजार में बेचती थी, 5 अगस्त, 1978 को जब वह लड़की रोजाना की तरह तालाब पर गई तो उसे रास्त में तुकुला दास मानक एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति के पिता का भांजानगर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म-हाउस था। वह उस लड़की को फार्म-हाउस तक खींच कर ले गया और उसके साथ चार बार बलात्कार किया। जब अभियुक्त के माता-पिता उस स्थान पर पहुंचे तो लड़की ने उनसे सारी बात कह दी। उन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया। वे अपने लड़के को लेकर फार्म-हाउस से चले गए और लड़की को वहीं अकेला छोड़ गए। जब लड़की के पिता को पता चला कि उसकी बेटी प्रातः से अभी तक वापस नहीं आई थी तो वह उसकी खोज में निकला लेकिन उससे वृद्ध नहीं सका। दूसरे दिन प्रातः जब उसे किसी के माध्यम से यह मालूम हुआ कि उसकी लड़की अभियुक्त के फार्म हाउस में बंठी है तो वह वहां गया और अपनी लड़की के साथ चलने को कहा। उसने सारी घटना बताई और साथ चलने से मना कर दिया। पीड़ित लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की ने स्थानीय रूप से अपनी डाक्टरों की जांच कराने से इंकार कर दिया इसलिए उसे 8 अगस्त, 1978 को बेहरामपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में डाक्टरों की जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो गई। अभियुक्त की जांच भांजानगर अस्पताल में ही की गई तथा रिपोर्ट में यह प्रकट नहीं हुआ कि उसकी शरीर पर हिंसा का कोई चिह्न था। एस० डी०पी० आर० ने जिसकी देखरेख में मामले की जांच की गई थी, प्रभारी अधिकारी को हिदायत दी थी कि अभियुक्त को जल्दबाजी में गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि उसका पिता उस बस्ती का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की प्रत्याशा में उसने 19 अगस्त 1978 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, भांजानगर के समुख अपने आपको समर्पित कर दिया। इस मामले की अद्यतन स्थिति के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।
- (32) दिनांक 13 मई, 1979 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में गुजरात राज्य के जिला जूनागढ़ में गांव देवडी में दो हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने का समाचार छपा था। इस मामले की वास्तविकता जानने के लिए कलक्टर जूनागढ़ से मालूम किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, जूनागढ़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8 मई, 1979 को लगभग रात 11 बजे कुछ व्यक्ति घटनास्थल पर आए और उन्होंने लाठी से हरिजन मजदूरों को मारा। दो महिलाओं के अतिरिक्त सभी मजदूर वहां से भाग गए। हमलाकारों में से चार व्यक्तियों ने उन सहिलानों के साथ बलात्कार किया अभियुक्त व्यक्ति देवडी गांव के सरपंच के पास गए और यह शिकायत की कि हरिजन मजदूर रात के समय लूटपाट आदि मचा रहे थे। सरपंच अन्य व्यक्तियों के साथ एक साबं-जनिक वाहन में घटनास्थल पर आया और हरिजन को पीटा

तथा उनको यह धमकी दी कि उन के घरों को जला दिया जाएगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। उन में से एक पीड़ित महिला ने 9 मई, 1979 को लगभग 12.45 बजे तलाशा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले के अन्वेषण के दौरान सरपंच सहित 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन 28 अभियुक्तों में से 23 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई भी की गई थी। इस मामले का अन्वेषण पूरा हो चुका है और 6 अगस्त, 1979 को अदालत में अभियोग-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है और इसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

- (33) सितंबर, 1978 में बिहार के जिला पटना, नौहाटा पुलिस थाना के अधीन खजूरी अंचल नामक स्थान की अनुसूचित जाति की लड़की के साथ छेड़खानी की गई और उसके पिता को गंभीर रूप से घायल किया गया था। बताया गया कि उसके पिता की ब्राद में मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार, दो व्यक्तियों ने लड़की के साथ बलात्कार किया और जब उस का पिता सहायता के लिए आया तो उस के सिर पर घातक चोट पहुंचाई गई। बताया गया कि यह मामला नौहाटा थाने में दर्ज करा दिया गया है और राज्य हरिजन प्रकोष्ठ को भी सूचित कर दिया गया है।

आगजनी

- (34) तमिलनाडु के जिला दक्षिण-गारकांट में तिरुवल्लूरनगर, पनरुस्ती में 30 मई से 1 जून 1979 के बीच हुई आगजनी की एक घटना की जांच से पता चला था कि अभियुक्त 29 मई, 1979 को पनरुस्ती में एक चाय की दुकान के पास से गुजर रहा था जबकि बीच पर बैठे हुए घटना से पीड़ित व्यक्ति ने चिल्ला कर कुछ कहा जिसे अभियुक्त ने नहीं सुना। उसने सोचा कि उस पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ उस के अवैध संबंध होने के कारण कुछ कहा था उसने उसे थपपड मारा और पीटा। यह देख कर हरिजन कालोनी की अनुसूचित जाति की कुछ लड़कियों ने हस्तक्षेप किया और अभियुक्त वहाँ से चला गया। जब पीड़ित व्यक्ति के चचेरे भाइयों ने इस घटना के विषय में सुना तो उन्होंने अभियुक्त से इस के बारे में पूछा लेकिन अभियुक्त ने उन्हें भी पीटने का प्रयत्न किया। बदले में उन्होंने अभियुक्त को मारा। इस मामले के बारे में पुलिस थाने को सूचित किया गया जिस के परिणामस्वरूप दो चचेरे भाइयों को उसी दिन थाने में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना पड़ा। यह आरोप है कि हरिजनों को पीटने तथा और उन के घरों को आग लगाने का पड़यंत्र रचा गया। अगले दिन सवर्ण हिंदू लाठियों और पत्थरों से लैस होकर हरिजनवाड़ा की ओर गए। जब अनुसूचित जातियों को इस समाचार का पता चला तो उन्होंने भी सवर्ण हिंदुओं से मुकाबला करने के लिए अपने आप को हथियार बंद किया। दोनों दलों के बीच झड़प हुई और पुलिस को अश्रु गैस छोड़नी पड़ी। हरिजन अपनी कालोनी की तरफ वापस भाग गए लेकिन सवर्ण हिंदुओं के एक दल ने उनका पीछा किया क्योंकि वह दल पूर्णतया नितर-वितर नहीं हुआ था। मामूम होता है कुछ बदमाश सवर्ण-हिंदुओं ने हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगा दी। स्थानीय दमकल जब आग बुझान आई तो सवर्ण-हिंदुओं की क्रोधित भीड़ ने एक घंटे तक उसे रोके रखा। जब वह हरिजन वाड़ा पहुंची तब तक हरिजनों की झोपड़ियों को काफी हानि पहुंच चुकी थी। कुल मिलाकर 129 मकान

आग से नष्ट हो गए लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही किसी को जलने से घायल हुए।

शाम को कलक्टर ने हरिजनों और सवर्ण-हिंदुओं दोनों की ही बैठक बुलाई। दोनों दलों और विभिन्न राजनैतिक दलों के व्यक्तियों की एक शांति समिति बनाई गई जिसे क्षेत्र में शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया। पुलिस बंदोबस्त और सुदृढ़ कर दिया गया और समाज सदन पर एक दमकल गाड़ी भी रखी गई।

31 मई, 1979 को उम क्षेत्र में शांति रही। दुकानें खुली रहीं और लोग रोजाना की तरह अपने काम पर गए। वैसे दिन के दौरान एक मकान को आग लगा दी गई। इस से पहले कि कोई जादा हानि पहुंचती, निकट ही रखी गई दमकल गाड़ी ने आग बुझा दी।

एक जून, 1979 को समाजसदन के निकट एक झोंपड़ी को आग लग गई जिसे दमकल द्वारा नियंत्रित किया गया। इसी बीच सवर्ण-हिंदू क्षेत्र में रहने वाले तीन चार सवर्ण-हिंदू लड़कों को उस कालोनी के पीछे खेतों में से होकर भागते हुए देखा गया पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस बल को और सुदृढ़ कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की कोई अग्रिय घटना न हो। अभियुक्त व्यक्ति अभी तक पकड़े नहीं गए थे। राहत के तौर पर सरकार ने आगजनी से प्रभावित हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शरण देने के लिए एक बड़ा पंडाल बना दिया था। राहत के तौर पर 178 परिवारों को प्रति हरिजन परिवार 100 रुपए नगद और एक-एक जोड़ा कपड़ों का दिया गया।

(35) 3 जनवरी 1979 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला पटना, थाना बाढ़, गांव महुली की हरिजन खोली पर 1 जनवरी, 1979 को लगभग दो दर्जन व्यक्तियों की एक हिंसात्मक भीड़ ने हमला किया और उनके घरों को आग लगा दी। रिपोर्टों के अनुसार एक सार्वजनिक तालाब पर मछलियां पकड़ने के अधिकारों के बारे में भूमिपतियों और हरिजनों में झगड़ा चला आ रहा था जिसके कारण 1 जनवरी, 1979 को हाथा-पाई हो गई। हथियारबंद भूमिपतियों ने हरिजनों का पीछा किया और उन पर गोलियां चलाई। बताया गया है कि बाद में उन्होंने उनके घरों में आग लगा दी। बताया गया कि इन मामलों की जांच की जा रही है।

(36) यह आरोप था कि बिहार के जिला पटना, थाना बख्तियार पुर, गांव रुपसमशाही की अनुसूचित जाति की एक महिला के मकान को राधोपुर थाना के लगभग 15 व्यक्तियों ने मार्च 1978 में आग लगा दी थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति हरिजन महिला से एक बकरी खरीदने के लिए उस गांव में गया था। लेकिन क्योंकि बकरी की कीमत के बारे में कुछ समझौता नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति की महिला के घर में आग लगा दी। बताया गया है कि मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया है।

(37) समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में अनेक गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचारों की घटनाएं हुईं। कृत्यानंद नगर ब्लाक के अधीन रामपुर गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर को आग लगा दी गई। बताया गया कि पुलिस प्राधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की और अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। कृत्यानंद नगर के बजार सैक्टर से भी सवर्ण-हिंदुओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में तनाव होने की रिपोर्टें प्राप्त हुईं। बताया गया है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट ने पहले

ही एहतियाती उपाय कर लिए हैं ताकि बात अधिक न बढ़ जाए ।

- (38) यह आरोप था कि महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद, ताल्लुक अंबेद, गांव रामगवन के माटंग जाति की छः शीपड़ियों को फरवरी 1979 में सवर्ण हिंदुओं ने आग लगा दी । घटना का कारण यह बताया जाता है कि माटंग जाति के लोगों ने अपना परंपरागत गावकी काम जैसे कि सूत पशुओं का चमड़ा उतारने और गांव के मंदिर पर ढोल बजाने आदि काम करने को मना कर दिया था । बताया गया कि बगड़ा जाति के कुछेक अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था । यह आरोप था कि सामाजिक बहिष्कार के कारण उस गांव के माटंग जाति के लोग अनिवार्य वस्तुएं भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे ।

अस्पृश्यता

- (39) अप्रैल, 1976 में "नेशनल हेराल्ड" में एक समाचार छपा था कि महाराष्ट्र के जिला शोलापुर, ताल्लुक पंढरपुर, गांव सरकोली के सरपंच के अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों पर भैरवनाथ के मंदिर में प्रवेश करने और मंदिर के भीतर नारियल तोड़ने पर प्रत्येक को पांच सौ रुपए का जुर्माना कर दिया । यह मामला संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया । बताया गया कि सरपंच और उप-सरपंच सहित 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । यह भी पता चला कि राज्य में सरपंचों को गांव वालों पर जुर्माना करने का कोई अधिकार नहीं था । इस मामले का उल्लेख जायक की 1975-77 की रिपोर्ट में भी किया गया था । पंढरपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 29 अप्रैल 1978 को दिए गए फैसले से पता चलता है कि 13 अभियुक्तों में से पांच को एक महीने की सख्त कैद और सौ-सौ रुपए का जुर्माना किया गया जिसके न दिए जाने पर और सात दिन की कड़ी कैद भुगतानी थी । बाकी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया ।

भूमि-विवाद

- (40) हरिजन दलित वर्ग कल्याण सभा दक्षिणपुरी, नई दिल्ली के मंत्री ने जुलाई 1978 में इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा था कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद, तहसील और थाना संभल, गांव दरसौली के श्री रजू राम वाल्मीकी नामक व्यक्ति को कृषि भूमि आबंटित की गई थी और उसका कब्जा दे दिया गया था लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उस को पीटा और उस के कागज छीन लिए । इस मामले की रपट संभल थाने में भी लिखा दी गई थी । यह अनुरोध किया गया कि या तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित की गई भूमि का उन्हें कब्जा दिलाने में सहायता की जाए अथवा उन्हें विकल्प के रूप में कोई और भूमि आबंटित की जाए इस मामले में मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को अर्ध-शासकिय पत्र लिखा गया । उसने इस कार्यालय को बताया कि पुलिस ने इस मामले को पहले ही जांच कर ली है और उनके निष्कर्षों के अनुसार कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं था क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं थी और शांति को कोई खतरा नहीं था । फिर भी इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के पास यह जानने के लिए फिर भेजा गया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित की गई जमीनों का कब्जा दिलाने के लिए क्या उपाय किए किए हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आबंटित की भूमि का वास्तविक कब्जा दे दिया गया था और इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं है ।

- (41) अगस्त, 1978 में इस कार्यालय को बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर, तहसील रेनुका, गांव संगदाह के हरिजनों को सवर्ण-हिंदुओं ने उन की जमीनों से बेदखल कर दिया था । ये जमीनें कई वर्षों से हरिजनों के कब्जे में थी । बताया गया कि स्थानीय पटवारी द्वारा राजस्व के रिकार्डों में फेरबदल करने से ऐसा हुआ था और उक्त पटवारी ने निहित स्वार्थ वाले व्यवक्तियों के प्रभाव और दबाव के कारण ऐसा किया था । यह आरोप था कि स्थानीय पटवारी और सवर्ण-हिंदुओं ने इस विवादग्रस्त भूमि को हरिजनों को वापस देने का निर्णय इस शर्त पर किया कि हरिजन लोग शराब और एक पूर्ण बकरे के मांस सहित एक बड़ी दावत उन्हें दें । बाद में उस क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों ने उस विवादग्रस्त भूमि में हरिजनों द्वारा लगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया और सभी हरिजनों को यह धमकी भी दी कि यदि उन्होंने विवाद ग्रस्तभूमि में प्रवेश करने या उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें जबरन गांव से निकाल दिया जाएगा । इस मामले में उपर्युक्त, सिरमौर से कार्रवाई की गई जिसने बताया कि इस संबंध में जांच-पड़ताल लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इस कर्णालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाएगा ।

- (42) अगस्त, 1978 में उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, थाना छपरीली गांव तिलवाड़ा के हरिजनों ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया कि "जाट" जाति का गांव का प्रधान उन्हें तंग कर रहा है । चमार जाति के 11 परिवारों को सरकार ने खेती करने के लिए बंजर भूमि आबंटित की थी और हरिजनों की फसलें गांव के प्रधान ने जबरन काट ली थी । यह आरोप था कि गांव का प्रधान हरिजनों को उन्हें आबंटित की गई भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहा था । अभ्यावेदन में यह भी कहा गया था कि जब कभी राज्य सरकार के कर्मचारी उनकी जाति के बारे में पता लगाने आए तो गांव के प्रधान ने उन्हें यह बताया कि गांव में चमार जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं है और उन्हें "जुलाहा" कहा जाता है । इस मामले को मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया जिसने यह बताया कि इस मामले की जांच बागपत के तहसीलदार ने की है और उसे मालूम हुआ था कि वे लोग हरिजन नहीं "जुलाहे" थे । इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के साथ फिर कार्रवाई की गई और उससे अनुरोध किया गया कि पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत यह थी कि जब भी राज्य सरकार के कर्मचारी उनकी जाति के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजे जाते थे तो गांव का प्रधान उन्हें बता देता था कि अभ्यावेदनकर्ता चमार नहीं बल्कि "जुलाहा" जाति के हैं । यह भी अनुरोध किया गया कि इस मामले की अनुसूचित जांच कराई जानी चाहिए और यदि अभ्यावेदनकर्ता चमार जाति के हो तो भूमि संबंधी उनके हितों को विधिवत संरक्षण मिलना चाहिए । इस मामले के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

- (43) नई दिल्ली के थाना आर्जुनगढ़, गांव मंडी के कुछ हरिजनों ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया कि उस गांव के लगभग सौ भूमिहिन हरिजनों को 1978 में पट्टे के आधार पर से एक साल के लिए गांव सभा की भूमि दी गई थी । 29 जुलाई 1979 को ग्राम प्रधान के कहने पर कुछ सवर्ण-हिंदुओं ने उस भूमि पर उगाई गई खरीफ की फसल को नष्ट कर दिया और हरिजनों को यह धमकी दी कि यदि उन्होंने उस भूमि का फिर उपयोग किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे । यह आरोप था कि फसल को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण

हरिजनों को 20,000 रुपए की हानि हुई थी। यह मामला पुलिस अधीक्षक दक्षिण दिल्ली को भेजा गया था लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

(44) तमिलनाडु के जिला चिंगलपट के मधुरतकम में झड़पें होने की सूचना मिली थी। कलक्टर की सूचना के अनुसार यह बताया गया था कि राजगोपाल गौडर तथा वेणू गोपाल गौडर के पशुओं ने बड़ककुपुथुर कालोनी के अरुमगम और उस के भाइयों के खेतों में सूंगफली की फसलों पर चर लिया था। इन व्यक्तियों के बीच हाथापाई हुई। यह आरोप था कि राजगोपाल गौडर वेणूगोपाल गौडर और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बड़ककुपुथुर हरिजन कालोनी के कुछ व्यक्तियों और महिलाओं पर हमला किया। उस गांव के मंसिफ, बड़मनिपक्कम के गांववासियों और बड़ककुपुथुर के हरिजनों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए थे। मधुरतकम के तहसीलदार ने उस गांव का दौरा किया और यह सूचना दी कि झगड़ा मात्र बड़ककुपुथुर हरिजन कालोनी के अरुमगम उस के परिवार के सदस्यों तथा राजगोपाल गौडर और उसके परिवार के सदस्यों के बीच फसलें चरे जाने के कारण हुआ था। स्थिति सामान्य बताई गई थी। बताया जाता है कि एक पुलिस दल बड़ककुपुथुर कालोनी में तैनात किया गया।

(45) उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर, गांव दानपुर के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने इस रांगठन से शिकायत की कि उसकी भूमि पर उसी गांव के एक राजपूत ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस मामले को कलेक्टर बुलंदशहर को भेजा गया। यह बताया गया कि इस भूमि का झगड़ा भूमि की चकबंदी से चला आ रहा था और यद्यपि विवादग्रस्त भूमि अश्यावेदनकर्ता के पिता के नाम दर्ज थी तथापि वह भूमि उस व्यक्ति के कब्जे में थी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने प्रार्थी को यह सलाह दी थी कि वह इस भूमि के विवाद को निपटारे के लिए अदालत में मुकदमा करे।

आवास

(46) नवंबर, 1978 के दूसरे सप्ताह में एक अश्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप था कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के कूचबिहार सब-डिविजन में सात माईल और इसके पड़ोस के कुछ लोगों ने राजवंशियों द्वारा पंचानन स्मृति भवन के रूप में प्रयोग की जा रही एक हटमेट पर जबरन कब्जा कर लिया था और पंचानन ठाकुर का अपमान किया था। ये लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक बताए जाते हैं। इस मामले की घटनास्थल पर जांच करने के लिए भुवनेश्वर स्थित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति यो के उपायुक्त को लिखा गया था। जांच रिपोर्ट से पता चला कि 5 अक्टूबर 1978 को राजवंशियों का एक समूह सातमाईल में सतीश क्लब के निवट एकत्र हुआ और उन्होंने पंचानन ठाकुर की पूजा की। उसके बाद पंचानन ठाकुर की स्मृति में वहां एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर "श्री पंचानन ठाकुर श्रेष्ठी भवन" लिखा गया था। अगले दिन कुछ लोगों ने उस बोर्ड को हटा दिया तथा उसी क्षेत्र के राजवंशियों की उपस्थिति में कई बार उस बोर्ड को ठोकरें मार कर ठाकुर पंचानन का अपमान किया। बताया गया कि इस मामले की सूचना उपायुक्त को दी गई थी। संबंधित सब-डिविजनल अफसर (सिविल) और ब्लॉक विकास अधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई थी तथा उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और अभियुक्तों को साइन-बोर्ड हवाले कर देने को कहा। उन्होंने

साइनबोर्ड हवाले कर दिया। सूचना देने वाले को प्राधिकारियों से कुछ शिकावा था क्योंकि उन्होंने अभियुक्तों को सजा नहीं दी थी और इस प्रकार उसे न्याय नहीं मिला था। इसके विरोध में उन्होंने एक शांतिपूर्ण हड़ताल की जिसमें कुछेक राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप राजवंशियों पर हमला हुआ। इस संबंध में कोतवाली थाने में रपट दर्ज कराई गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर बंगाल पर परिवहन निगम से टेलीफोन पर यह संदेश मिलने पर कि आंदोलनकारियों ने वाहनों का आना-जाना रोक दिया है, उपायुक्त ने हड़ताल से प्रभावित क्षेत्र में पुलिस भेजी। पुलिस ने 83 व्यक्ति गिरफ्तार किए जिनमें 73 राजवंशी थे और एक नामशुद्ध (अनुसूचित जाति का व्यक्ति) था। वैसे, आंदोलनकारियों का कहना था कि पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया लेकिन जिला प्राधिकारियों ने इस बात का खंडन किया। गिरफ्तार व्यक्तियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले का न्यायसूचक विचाराधीन है।

(47) बिहार में पटना के श्री कुशेश्वर पासवान ने अपने 26 जुलाई 1978 के अश्यावेदन में यह कहा कि उसने दुपुल्ला के निकट मोहल्ला नया पुरदरपुर में केसरी प्लास्टिक के पश्चिम में एक मकान बनाया था। लेकिन कुछ सवर्ण-हिन्दुओं ने जिसमें पुलिस कर्मचारी भी थे, अनेक प्रकार से तंग करना शुरू कर दिया था। इस मामले को पटना स्थल पर जांच करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पटना स्थित जोनल निदेशक को लिखा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट से मासूम हुआ कि दुसाध जाति का श्री कुशेश्वर पासवान रेलवे मेल सेवा, डाकतार प्रभाग, पटना में छटाईकार (सार्टर) के रूप में काम करता था। श्री पासवान ने अपने घर का निर्माण कार्य 1974 में पूरा कर लिया था। झगड़ा तब शुरू हुआ जब 1975 में श्री एच. एन. सिंह, पुलिस जिला अधीक्षक बिहार सरकार, अपनी लड़की के लिए श्री पासवान के मकान के सामने एक भूखंड पर मकान बनाने लगा था। उसने श्री पासवान का रास्ता बंद कर दिया। बाद में, श्री शिवप्रसाद मिश्र, अवकाश-प्राप्त उपनिरीक्षक ने भी उस रास्ते को बंद कर दिया। श्री पासवान ने दोनों से अनुरोध किया कि वे रास्ता खोल दें लेकिन दोनों ने ही बड़े गर्म-मिजाज में अनुरोध को ठुकरा दिया। 1977 में श्री कमल प्रसाद राय ने श्री कुशेश्वर पासवान के मकान के सामने अपने भवन का निर्माण शुरू कर दिया। श्री राय ने श्री पासवान को रास्ता बंद कर दिया। श्री पासवान ने इस घटना के बारे में जाकनपुर थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचित किया तथा अनुरोध किया कि रास्ते को बंद न होने दिया जाए। सहायक उप निरीक्षक ने उस स्थान का दौरा किया और श्री राय से कहा कि वह रास्ता न रोके लेकिन श्री राय इसके लिए सहमत नहीं हुआ। 7 मई, 1977 को सड़ डिविजनल अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत आदेश जारी किए जिसमें अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति तथा स्थानीय पुलिस को निदेश दिया गया कि वे यथापूर्वस्थिति बनाए रखें। लेकिन न तो अतिक्रमणकर्ता ने और न ही स्थानीय पुलिस ने आदेशों का पालन किया। तत्पश्चात् श्री पासवान ने जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया कि भारी वर्षा के कारण उसके घर में पानी एकत्र हो गया है और विपक्षी दल ने उसका रास्ता रोक लिया है इसलिए उसे तत्काल राहत दिलाई जाए। डिप्टी कलेक्टर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच की तथा बात को सही पाया। पटना नगर निगम ने अपने विशेष अधिकारी (सफाई) को जांच करने तथा

रिपोर्ट देने के लिए भेजा। उसने भी तथ्यों को सही पाया तथा यह सुझाव दिया कि पानी को तत्काल वहाँ से हटाया जाना चाहिए और रास्ता खोल दिया जाना चाहिए। जाकनपुर थाना के प्रभारी-अधिकारी ने सब-डिविजनल अधिकारी, पटना से सिफारिश की कि वह श्री कमला प्रसाद राय पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन अभियोग चलाए। सब-डिविजनल अधिकारी अपने से निचले अधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया। द्वितीय अधिकारी ने एस डी०पी० को यह सूचना दी कि चूँकि श्री राय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन पहले ही कार्रवाई चल रही है अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

- (48) राजस्थान के बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति के स्वर्गीय श्री मोहनलाल को विधवा पत्नी श्रीमती राधा देवी ने इस कार्यालय को एक अभ्यावेदन भेजा था कि एक अमीर मुसलमान व्यक्ति घोड़े से उसे उसके मकान से बंचित करने की कोशिश कर रहा था। यह मामला कलक्टर, बाड़मेर के पास भेजा गया। उसने सूचित किया कि इस मामले की नगरपालिका और तहसीलदार ने जांच-पड़ताल की थी और यह पता चला कि झगड़े का निपटारा अदालत में मुकदमा करके ही किया जा सकता है।
- (49) दिल्ली छावनियों के निवासी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उसे नकद भुगतान के आधार पर एक आवास आबंटित किया था और उसने इस कार्यालय को ऋण के लिए आवेदन भेजा था। उसका ऋण संबंधी आवेदनपत्र आवश्यक कागज-पत्रों सहित इस कार्यालय ने जून, 1978 में रक्षा मंत्रालय को भेजा था। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करने की निर्धारित अंतिम तारीख तक ऋण की मंजूरी के बारे में उसे कोई भी सूचना नहीं दी गई। परिणाम-स्वरूप वह अपेक्षित धनराशि का भुगतान नहीं कर सका। यह मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया, उन्होंने बताया कि आवेदक को ऋण की पूर्ण धनराशि 22 दिसंबर, 1978 को मंजूर कर दी गई थी।
- (50) महाराष्ट्र राज्य के जिला नासिक, तालुक नांदगांव से अनुसूचित जाति के एक आवेदक ने बंबंर, 1978 में इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा था कि यद्यपि अनेक नगरपालिकाओं में झाड़ुकाश और सफाईवालों को पहिंपदार ठेके, दस्ताने, आदि दिए गए हैं लेकिन मनमाड नगरपालिका ने उनकी कार्य-स्थिति में सुधार करने के लिए इस प्रकार की कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी। इस मामले को जिला नासिक के कलक्टर के पास भेजा गया जिसने बताया कि निधियों की कठिनाइयों के कारण 1978-79 के दौरान "शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों अथवा जल-प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने" की स्कीम के लिए बजट प्रावधान नहीं किया जा सका। वैसे, नासिक जिला योजना और विकास परिषद ने वार्षिक योजना के अधीन वर्ष 1979-80 के लिए 2.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था।

शिक्षा

- (51) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय के अनुसूचित जाति के एक शोधकर्ता छात्र ने अभ्यावेदन भेजा कि प्रतिवर्ष सीमित संख्या में शिक्षावृत्तियां प्रदान किए जाने के कारण उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध फेलोशिप देने से इंकार कर दिया गया था।

अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि अपनी गरीबी के कारण उसे अपना अध्ययन बंद कर देने को विवश होना पड़ेगा। संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर कार्रवाई की गई और अंततः उस छात्र को शिक्षावृत्ति प्रदान कर दी गई थी।

- (52) दिल्ली के एक आयुर्विज्ञान कालेज में अध्ययन कर रही पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति की एक छात्रा ने अभ्यावेदन भेजा कि उसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब हुआ था। उसने निवेदन किया कि संबंधित राज्य सरकार को कई बार स्मरण-पत्र भेजने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला और अपनी गरीबी की हालत में उसे गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार के साथ इस मामले में कार्रवाई की गई तथा इस कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप करने पर अनुसूचित जाति को उस छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- (53) एक संसद सदस्य ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के पास एक मामला भेजा जिसमें यह शिकायत थी कि दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय में अनुसूचित जन जाति के बच्चे को पहली कक्षा में इस कारण प्रवेश नहीं दिया जा रहा था कि बच्चा निर्धारित आयु से लगभग तीन महीने बड़ा था। इस मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राधिकारियों को लिखा गया उनसे अनुरोध किया गया कि अनुसूचित जन जाति के छात्रों के मामले में आयु-सीमा में ढील देने की वांछनीयता पर विचार करें। विद्यालय प्राधिकारी अंततः प्रवेश देने के लिए सहमत हो गए और अनुसूचित जन जाति के उस छात्र को दाखिल कर लिया गया।
- (54) अनुसूचित जाति के दो डाक्टरों ने इस संगठन को अभ्यावेदन भेजा कि श्रीमती सुचेता कृपालानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में हाऊस-जाबों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। इस मामले के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ लिखापड़ी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने अंततः सूचित किया कि दोनों ही उम्मीदवारों को सुचेता कृपालानी अस्पताल, नई दिल्ली में जूनियर रेजिडेंसी के प्रथम वर्ष में दाखिला दे दिया गया।

पुलिस अत्याचार

- (55) बताया गया था कि अक्टूबर, 1978 में बिहार के जिला नालंदा के थाना हरनौत में पुलिस कर्मचारियों ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि चोरी के एक मामले में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों को हरनौत थाना ने हिरासत में लिया था। सूचना मिली कि मामले की जांच की जा रही है।
- (56) उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, थाना देवबंद गांव चांदना कोली के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने इस संगठन को अभ्यावेदन भेजा था कि सातवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान 6 जनवरी, 1980 को अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के क्रमशः दो दलों में झगड़ा हो गया था। यह आरोप लगाया गया था कि एक मतदान केंद्र में मत देने के लिए लाइन में खड़े अनुसूचित जाति के 15-20 व्यक्तियों पर जाटों ने हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति के लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पा सके। यह भी आरोप था कि पुलिस के सिपाहियों ने भी अनुसूचित जातियों पर हमला करने में गैर अनुसूचित जातियों की सहायता

की थी। यह आरोप है कि 18 जनवरी, 1980 को कुछ अज्ञात व्यक्ति, बर्दी पहने दो पुलिस के सिपाहियों सहित, आधी रात को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर में धूम नए और उसकी मां तथा बेटों पर हमला करके कुछ नकदी और घर का सामान लेकर भाग गए। अगले दिन सुबह पुलिस का एक दल उस गांव में आया, यद्यपि डकैती की सूचना पुलिस थाना में तब तक नहीं दी गई थी। उन्होंने अनुसूचित जाति के एक लड़के को पकड़ा और उसकी पिटाई करके उसे छोड़ दिया। बाद में, छ. हरिजनों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तंग किया गया। बताया गया था कि यह प्रक्रिया चलती रही इस मामले में संबंधित कलक्टर को लिखा गया था तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विविध मामले

- (57) श्री धनश्याम दास, गांव नारायणा, दिल्ली से इस कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसे तथा उसकी पत्नी को उसी गांव के तीन व्यक्तियों ने पीटा था। झगड़ा जूतों की मरम्मत के पैसों के बारे में हुआ था। इस मामले में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ कार्रवाई की गई थी। यह मालूम हुआ कि इस मामले में 8 फरवरी, 1979 को चालान कर दिया गया मामले के अगले परिणामों की प्रतीक्षा है।
- (58) एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार नवंबर, 1978 के प्रथम सप्ताह में उड़ीसा के जिला गंजम, गांव ढालेश्वर में अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों पर हमला किया गया था। यह मालूम हुआ कि जलेश्वर खंडी के कुछ हरिजन और अकुली गांव के कुछ स्वर्ण हिंदू जुआ खेल रहे थे और खेल के दौरान उनमें कुछ झगड़ा हो गया। इस झगड़े के उपरांत दोनों दलों में मन-मुटाव बढ़ता गया। हमला किए जाने की घटना के पंद्रह दिन पहले, स्वर्ण हिंदू अनुसूचित जातियों के लोगों के घर से एक-एक रुपया चंदा लेकर उन्हें सदस्य बनाने हेतु जलेश्वरखंडी गए। अपनी अकिंचन स्थिति के कारण अनुसूचित जातियों ने पैसा देने से इंकार कर दिया। 20 अक्टूबर, 1978 को अनुसूचित जातियों के दो व्यक्ति बरहमपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में, अकुली गांव में स्वर्ण हिंदुओं ने उन पर हमला किया। अनुसूचित जाति के लोग अपने गांव वापस चले गए और इस घटना के बारे में अपने गांववासियों को बताया। गांव वाले हथियारों से लैस होकर बदला लेने के लिए अकुली गांव गए। रास्ते में एक स्वर्ण हिंदू मिला जिस पर उन्होंने बुरी तरह हमला किया। यह सुनकर स्वर्ण हिंदू भी प्रतिशोध के लिए एकत्र हो गए जिसके परिणामस्वरूप हरिजनों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस में मामले दर्ज कराए गए और वे मामले अब न्यायालय में विचारधीन हैं।
- (59) सांवल-नगर कालोनी, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने दिसम्बर 1978 में इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया था कि एक व्यक्ति, श्री ईश्वरचन्द्र गुप्ता, उसका लड़का और दो पत्नियां उन्हें तंग कर रहे हैं तथा जाति के नाम पर उन्हें गालियां देते हैं। यह भी आरोप था कि उस कालोनी के स्वर्ण हिंदुओं ने हरिजनों पर झूठे मुकदमें दायर किए हैं। थाने

में भी इस बारे में रपट लिखाई गई थी। यह मामला उपायुक्त, दिल्ली को भेजा गया जिसमें आगे इसे पुलिस उपायुक्त (दक्षिण दिल्ली) को भेज दिया। उसका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

- (60) दिनांक 19 सितम्बर, 1978 के "टाईम्स आफ इंडिया" में एक समाचार छपा था जिसमें यह आरोप था कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद के निकट तालुक डोलक के ननोदरा गांव में एक सार्वजनिक तालाब से पानी लेने पर अनुसूचित जाति के एक माठ वर्षीय किसान पर स्वर्ण हिंदू भूमिपतियों ने हमला किया था। नैसे, जांच रिपोर्ट से पता चला कि 12 सितम्बर, 1978 को एक युवा स्वर्ण हिंदू तथा अनुसूचित जाति के 60 वर्षीय व्यक्ति के बीच सिंचाई की नहर से पानी लेने पर झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों ने ब्रावला थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
- (61) यह बताया गया था कि गुजरात के तालुक डभोई, गांव मांडला के अनुसूचित जाति के 40 व्यक्ति जिला कलक्टर, बड़ौदा के कार्यालय परिसर में शिविर लगाए बैठे थे व इस बात का विरोध कर रहे थे कि 28 दिसम्बर, 1978 को अनुसूचित जाति के चार युवकों और सिमारखों (फार्म के चौकीदारों) के बीच हाथापाई हो जाने पर गांव के पटेल और राजपूतों ने उनका (हरिजनों का) सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। यह आरोप था कि सिमारखों ने अनुसूचित जाति के 4 व्यक्तियों पर सब्जियां चुराने का अभियोग लगाया था और उन्हें 28 दिसम्बर, 1978 को शाम को सिमारखों की उपस्थिति में गांव के पटेल के समुख प्रस्तुत होने को कहा गया था। इसी पर झगड़ा हो गया। हरिजन युवकों को पीटा गया। अनुसूचित जातियों के लगभग 300 व्यक्ति रेल द्वारा मांडला छोड़कर चले लेकिन वे लगभग पांच किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाए थे कि सिमारखों के एक दल न उन पर हमला कर दिया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्रदान करने के कारण वे डभोई पहुंचे जहां उन्होंने 29 दिसम्बर, 1978 को शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि अनुसूचित जाति के चार और दो सिमारखों को गिरफ्तार किया गया।
- (62) जून 1979 में महाराष्ट्र के जिला नागपुर से अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि उसके द्वारा किए गए भरपुर प्रयत्नों के बावजूद सबडिविजनल भजिस्ट्रेट ने उसे जाति-प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों को लिखा गया जिसके परिणाम-स्वरूप जिला प्राधिकारियों ने आवेदक को अपेक्षित जाति-प्रमाणपत्र जारी कर दिया।

शिशिर कुमार

आयुक्त

कई वर्षों तक चलते रहते हैं। अतः राज्य सरकारों की चाहिए कि वे अत्याचार सम्बन्धी मामलों के निपटान के लिए चलती-फिरती यूनितों के साथ विशेष न्यायालयों के गठन के लिए उच्च-न्यायालयों को राजी कराएँ। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में गत समय की अत्याचार की घटनाओं के कुछ मामलों के गंभीर अध्ययन से उन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का पता चलेगा जिनका समाधान नहीं हो पाया है और जो विद्यमान है। इन अध्ययनों का काम विस्तृत विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ दलों को सौंपा जाना चाहिए जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक उपायों के क्रियान्वयन को वृत्तियों का ठीक-ठीक पता लगाएँ।

1.8

2-3

- (5) समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार के दायित्वों के मामले पर सावधानी से विचार किया जा चुका है तथा राज्यों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों के मामले में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई करने के लिए संविधान के अन्तर्गत संघ सरकार के पास किस सीमा तक कार्रकारी शक्तियाँ हैं यह जानने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 46, संघ तथा राज्यों पर समत रूप से "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण" का आदेशात्मक दायित्व डालता है। इस अनुच्छेद में "राज्य" शब्द का तात्पर्य राज्य सरकार ही नहीं है बल्कि उसमें संघ सरकार भी साथ-साथ शामिल है जैसा कि अनुच्छेद 36 के संदर्भ से स्पष्ट है। यह सत्य है कि अनुच्छेद 46 "राज्य की नीति के निदेशक तत्व" सम्बन्धी अध्याय में अपना स्थान रखता है अतः न्यायालयों द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन उसमें जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे देश के प्रशासन में अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्टतः मौलिक घोषित किए गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि निवेशक तत्व बाध्योपय न होने के कारण एक "पवित्र इच्छा" मात्र है या "अनावश्यक घोखा" है। यदि "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण" संघ तथा राज्यों पर आदेशात्मक दायित्व है और देश के प्रशासन में मौलिक सिद्धान्त के रूप में है तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन पर अत्याचारों का होना सामाजिक अन्याय और शोषण का सबसे खराब रूप माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि यह संघ तथा राज्यों-दोनों के लिए सबसे गंभीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। संघ सरकार के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उसे पर्याप्त और सक्रिय कदम उठाने में असमर्थता अनुभव करते हुए राज्यों पर नहीं डाला जा सकता। असमर्थता को भावना केवल इस भान्ति पर आधारित होगी कि इससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्रवाई करने से वह संविधान के कुछ उपबंधों में निदिष्ट अपनी शक्तियों की सीमा से बाहर चली जाएगी, अतः इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाए।

1.9

1.10

1.11

3

- (6) यह निर्विवाद है कि यदि किसी राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किए जाते हैं और ऐसे अत्याचार भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी से आते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता समूचित रूप से लागू करने के लिए तथा उनकी लागू करने के तरीकों के सम्बन्ध में निदेश जारी करने के लिए संघ सरकार निवेश देने में पूरी तरह शक्ति सम्पन्न है। इसके आवश्यक आनुषंगिक रूप में संघ के पास राज्य सरकार की यह कहने की भी शक्ति है कि यदि उसके पास स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी साधन नहीं हैं तो वह उस पुलिस सेना या अन्य कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग करे जिसे संघ सरकार उसे सौंपती है। यह किसी भी प्रकार से न तो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन होगा और न ही संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों की परिधि और क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की बात होगी। सचमुच ही यह संविधान द्वारा संघ सरकार पर डाले गए कर्तव्य का निष्पादन मात्र होगा।

1.22

6

- (7) बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के विद्याधियों को प्रदान की गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की प्रतिशतता सम्बन्धित राज्य की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के विद्याधियों की दो जामे वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रदान की प्रतिशतता सम्बन्धित राज्यों की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है। पहले की रिपोर्टों में इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि वित्तीय दृष्टि से पिछड़े राज्यों को उदार रूप से वित्तीय अनुदान देकर मदद करने में केंद्रीय सरकार को पहल करना जरूरी है जिससे कि वे राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्याधियों को मैट्रिक पूर्व स्तर की शिक्षा के लिए तथा उन वर्गों में शिक्षा की दृष्टि से अधिक पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता देने की अपनी योजनाओं का संबर्धन कर सकें जिससे वे समुदाय

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|----------------------------|------------|
| | <p>मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। यह क्षेत्र बिल्कुल ही राज्य सरकारों की सौंपा हुआ रहा है। और इसमें तब तक कोई उपलब्धीय प्रगति संभव नहीं होगी जब तक कि भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिए कोई योजना न बनाए। साथ ही, विभिन्न शैक्षिक विकास योजनाओं के फलस्वरूप शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों तथा संख्या और शिक्षा की दृष्टि से कमजोर अनुसूचित जनजाति समुदायों की पहली पीढ़ी के स्नातकों को अनुसूचित जाति जनजातियों के शैक्षिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित समुदायों से मुकाबला करना पड़ता है जिससे वे रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार शैक्षिक दृष्टि से कम विकसित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों को शिक्षा सुविधाएं तथा रोजगार के अवसर दे कर उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की आवश्यकता है।</p> | <p>1. 30 } 1. 31 }</p> | <p>7-8</p> |
| (8) | <p>कुछ राज्यों में कतिपय पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर माध्यमिक +2 स्टेज पर विज्ञान तथा गणित की अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था है जिससे उन्हें अहक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में कुछ हद तक सहायता मिलती है। यह उपयोगी होगा कि ऐसी योजनाएं सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की जाएं और उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन राशि की अनुपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भी दी जाए जिससे कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के सभी सुपात विद्यार्थी +2 स्टेज पर उपर्युक्त स्तरों में सघन कोचिंग प्राप्त कर सकें।</p> | <p>1. 32</p> | <p>8</p> |
| (9) | <p>सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा मैट्रिकपूर्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, जैसे मैट्रिकपूर्व वृत्तिका, निःशुल्क पुस्तकें, लेखन-सामग्री, गणवेश, बेलहुर का जीवन तथा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग देने के संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि इन समुदायों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई छोड़ देने के उर्बे अनुपात में कमी हो सके तथा वे अधिक संख्या में प्रवेश प्राप्त कर सकें, और व्यावसायिक तथा उच्चतर पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के सम्बन्ध में जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लड़कों से बहुत पीछे हैं, उपर्युक्त प्रोत्साहन सर्वव्यापक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।</p> | <p>1. 33</p> | <p>8</p> |
| (10) | <p>राज्य सरकारों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आरम्भ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने की नीति को उचित ध्यान रखना चाहिए।</p> | <p>1. 34</p> | <p>8-9</p> |
| (11) | <p>अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी का पुरी तरह क्या आशय है उसे समझकर वह मुनिश्चित किया जा रहा है कि उन सभी ब्लाकों को जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, एकीकृत ग्राम विकास स्कीम के अन्तर्गत ले आया जाए। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का लाभ प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य समूहों में अनुसूचित जातियों के अनुपात से उनके लिए अलग नियत कर दिया जाना चाहिए और जब तक इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध न हों तब तक यह अनुपात कुल लाभ का 50% होता चाहिए।</p> | <p>1. 39</p> | <p>9</p> |
| (12) | <p>अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों को इस तर्क के आधार पर टालते रहना उचित नहीं होगा कि किसी विशेष स्कीम का विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार की अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है। इससे समस्याओं के हल करने में सहायता नहीं मिलेगी। योजना आयोग को अपनी जिम्मेदारी निवाहना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने की स्कीम प्रस्तुत करनी चाहिए जो राज्यों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से काफी धन राशि नियत करने के लिए उत्साहित कर सके। योजना आयोग को प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसी स्कीमें छांटनी चाहिए जो अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा सुधारने में भारी प्रभाव डाल सकें तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि दी जानी चाहिए। ऐसी एक स्कीम के बारे में आयुक्त ने उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती जिलों का दौरा करते समय विचार विमर्श किया था। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के प्रत्येक भूमिहीन तथा सीमान्त खेतिहर परिवार को 10 एकर भिलो-मीटर लम्बे नहर के तटबंधों के निकट 150 नारियल पैदा करने वाले ताड़ दिए जा सकें, साथ ही सरकारी बंजर भूमि पर नारियल के वगीचे लगाने के लिए भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों को बसाया जा सके। यदि इस प्रकार की स्कीमें विभिन्न राज्यों में छोटी जा सकें तो उन्हें चरण-बद्ध रूप में कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार में एक और स्कीम बनाई गई है जिससे</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------|-------|
| <p>बटाईदार तथा छोटे और सीमान्त किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचा। इस योजना के अन्तर्गत नदी किनारों पर पम्प लगाकर हिताधिकारियों को अवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं जितसे नदी किनारे की बंजर भूमि पर खेती की जा सक। इस प्रकार की स्कीम डी० पी० ए० पी०, ए० एफ० डी० ए०, एम० एफ० ए० एल० ए० के अन्तर्गत चलाई जा सकती है और अनुसूचित जाति के हिताधिकारियों के सम्बन्ध में उन्हें सहकारी समितियों का सदस्य बनने, पौद खरीदने आदि के लिए धनराशि देकर उस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। यदि उत्पादित माल के विपणन में मदद दी जा सके तो अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास में काफी सुधार हो सकता है।</p> | | 1. 40 | 10 |
| <p>(13) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद आदिवासियों की भूमिका अंतरण होना जारी है और यह प्रौद्योगिक तथा खनन वाले क्षेत्रों के बढ़ते हुए नगरों और आप्रवास के क्षेत्रों के आसपास सबसे अधिक है। अंतरित भूमि को वास्तविक रूप से पुनः लौटाने को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता और अदालतों द्वारा लौटवाई गई भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित आंकड़ों को प्रशासनिक कार्यकुशलता का सूचकांक समझा जाता है। संरक्षात्मक कानूनों द्वारा जनजाति के लोगों को क्या वास्तविक लाभ पहुंच रहा है, इस बात की निरंतर ससीक्षा करते रह कर, राज्यों के आदिवासी कल्याण विभागों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यदि आदिवासियों को अंतरित हुई भूमियों का वास्तविक कब्जा उन्हें पुनः दिलवा दिया जाए और उन पर खेती करने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएं तो आदिवासी क्षेत्रों में फैले असंतोष को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।</p> | | 1. 41 | 10 |
| <p>(14) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में आदिवासी विकास निगम तथा वन विकास निगम बनाए गए हैं किन्तु ये निगम समन्वित ढंग से काम नहीं करते। आदिवासियों के जीवन पर तथा संबंधित क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर विभिन्न संगठनात्मक ढांचों और व्यावहारिक लक्ष्यों वाले निगमों के प्रभाव की गहराई से छानबीन करने की जरूरत है।</p> | | 1. 44 | 10-11 |
| <p>(15) आदिवासियों को उनके द्वारा एकत्रित किए गए लघु वन्य उत्पादों का पूरा पैसा मिलना चाहिए तथा उसे दिए गए मूल्य का बाजार में उस उत्पादन के विक्रय मूल्य से परस्पर संबंध रहना चाहिए। सम्बन्धित राज्यों द्वारा यह व्यवस्था किये जाने से लघु वन्य उत्पाद को राज्य की आय का स्रोत नहीं समझा जाएगा, संग्रह करने वाले आदिवासियों को उपयुक्त मूल्य मिलना निश्चित हो सकेगा, जिससे अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक दशा सुधारेगी। लघु वन्य उत्पाद को पैदा करने में आदिवासियों को साथ मिलाने की निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि वे भ्रातृ संग्रहकर्ता ही न बने रहें।</p> | | 1. 45 | 11 |
| <p>(16) सम्बन्धित राज्यों और गृह मंत्रालय ने एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन नहीं किए हैं और इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि जैसे राज्यों में एकीकृत आदिवासी-विकास परियोजनाओं की कार्यप्रणाली के तेजी से मूल्यांकन करने की शीघ्र आवश्यकता है। प्रशासनिक ढांचे और कामियों की भी अनेक समस्याएं हैं जिनकी जांच बारीकी से की जानी चाहिए। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का एकीकरण अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है तथा अनेक राज्यों में परियोजना अधिकारी प्रभावी भूमिका नहीं निभाते जिसकी अपेक्षा की गई थी। उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी नहीं है। गुजरात सरकार ने परियोजना अधिकारी की कुछ निधियां सौंपने के विचार का सुत्रपात किया जिनका उपयोग वह विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा विकास की नई स्कीम शुरू करने में कर सकता था। यह परिपाटी आन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा द्वारा अपनाई गई है। इस दृष्टिकोण को अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी उप योजनाओं के लिए परिव्यय को अव्यपगत मानने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था शुरू कर रही है जिसके अनुसार सरकार उपयोजना क्षेत्रों में वर्ष के दौरान जितना खर्च कम होगा उसके बराबर राशि की प्रतिभूतियां खरीदेगी। ये प्रतिभूतियां अगले वर्ष भुनाई जा सकेंगी तथा वे आदिवासी क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध होंगी। यह परिपाटी अन्य राज्य सरकारों की भी अपनानी चाहिए ताकि राज्य क्षेत्र तथा विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियां व्यपगत न हों। कुछ राज्यों में उप योजना के समस्त परिव्यय को, प्रत्येक मुख्य क्रियात्मक शीर्ष के अन्तर्गत भिन्न भिन्न उप शीर्षों में रखने की वजाय, एक ही मांग के अन्तर्गत रख दिया गया है ताकि इन निधियों को अन्य कामों में न लगाया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई विभाग उन निधियों को किसी ऐसी</p> | | | |

अन्य क्षेत्र की गतिविधि पर खर्च करना चाहे जो उप योजना के अन्तर्गत नहीं आती तो वह उप-योजना प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ऐसा नहीं कर सकेगा। वह पद्धति सभी राज्यों को अपनानी चाहिए ताकि आदिवासी उप योजना क्षेत्रों की विधियाँ उप योजना क्षेत्रों के बाहर गैर आदिवासी क्षेत्रों में न लगाई जा सकें। विषय-संबंधी कार्यक्रमों की तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर परियोजना समिति को शरीक करना चाहिए। परियोजना प्राधिकारियों को स्कीमों की मंजूरी देने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

1. 48

12

- (17) चूँकि आदिवासियों के लिए स्थानान्तरी खेती एक बहुत पुरानी प्रणाली है और ऊँची नीची भूमि में सीढ़ीदार खेत बनाने और भूमि तैयार करने पर बहुत अधिक लागत आती है, अतः स्थानान्तरी खेती के नियमन के कार्यक्रम में खेती के लिए सीढ़ीदार खेत बनाने के अतिरिक्त खेती और काफी जैसे पौधों के बागान लगाने, फलों के पेड़ लगाने तथा लघु वन्य उत्पादक विकास के कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिससे स्थानान्तरी खेती का विकल्प मिल सके। उड़ीसा सरकार द्वारा स्थानान्तरी खेती को कम कराने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे सही प्रतीत होते हैं। परन्तु इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जहाँ भी आदिवासियों को जी पहाड़ी क्षेत्र में स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं, सीढ़ीदार खेत या खेती के योग्य बनाई गई घाटी की निचली भूमि दी जाती है, वहाँ उनकी भूमि को गैर आदिवासियों द्वारा हस्तान्तरित न करा लिया जाए। अधिसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के भूमि सम्बन्धी हितों के संरक्षण के लिए लगातार देव भाल की आवश्यकता है। जिस भूमि पर आदिवासी स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं और जिसे अब फलों की उपज के लिए प्रयोग में लाया जाना है, जिसमें आदिवासियों की स्वाभाविक रुचि है, उस भूमि को उन आदिवासियों के स्वामित्व में ही छोड़ दिया जाना चाहिए जो वहाँ स्थानान्तरी खेती करते रहे हैं। आदिवासियों की भूमि का अन्तर्गमन रोकने के लिए बनाए गए कानून को यदि सही रूप में कार्यान्वित किया जाए, तो उसमें इस बात का काफी सुरक्षण हो सकता है कि उनकी ऐसी भूमि जिस पर सरकारी पूंजी से फलों के पेड़ उगाए जा रहे हैं, गैर-आदिवासियों के हाथ में न चली जाए। राज्य सरकारों के लिए आगामी कई वर्षों तक यह संभव नहीं होगा कि वे स्थानान्तरी खेती को रोक सकें। इसलिए यह बेहतर होगा कि स्थानान्तरी खेती के नियंत्रण को स्कीमों के साथ-साथ स्थानान्तरी खेती के उन अर्थों जैसे खेतों में जल मार्ग और ढलान के पार प्राथमिक बांधों के निर्माण, जो भूमि कटाव को कम करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के कई आदिवासी मण्डलों द्वारा किए जाते रहे हैं, को बढ़ावा दिया जाए।

1. 49

12

- (18) पूर्वोत्तर में जहाँ भी तेजी से नगरीकरण हुआ है वहाँ नगरीय प्रवासियों में अधिक संख्या गैर-आदिवासियों की है। यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में बाहर से जानेवाले व्यक्तियों में अधिक संख्या अनपठ लोगों की है। दूसरी ओर साक्षर आदिवासियों में काफी प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते जाते हैं। जनसांख्यिकी संरचना के इस पैटर्न की सामाजिक तथा राजनैतिक उलझने हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इनकी ओर न तो नीति-निर्माताओं और न समाज शास्त्रियों ने पर्याप्त ध्यान दिया है। यह देखा होगा कि एक ओर आदिवासियों में पुनर्जागरण की नई प्रवृत्ति का ओर दूसरी ओर नए प्रकार के राजनैतिक ढाँचे के निश्चित रूप उभरने का क्या इससे सम्बंध हो सकता है।

1. 51

13

- (19) जब तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी बनी रहेगी तब तक, मात्र समान अवसर देने के बजाय विशेष अवसर देने की नीति को जारी रखा होगा। ऐसी परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि नीति को अधिक उत्साह और डृढ़ निश्चय के साथ जारी रखा जाए। इसके लिए आरक्षण का निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है जिससे अपेक्षित परिणाम थोड़े समय में शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो सकें तथा यह निहित स्वाधेय का वह लांछन लगाने देने से पूर्व ही जाए जिसे कुछ लोग बहुत अनुचित रूप से लगाते रहते हैं।

1. 56

13-14

- (20) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को यथोचित समय में वांछित स्तर तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि इस स्कीम को नए सिरे से देखा जाए। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण का सिद्धांत अपने आप में ठीक है और उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है। फिर भी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जो लाभ मिलते हैं वे नाममात्र के ही प्रतीत होते हैं। अतः यह वांछनीय है कि पदों में प्रवेश के सभी स्तरों पर सीधी भर्ती पर अधिक जोर दिया जाए। सभी भर्तियों तथा विशेषकर उन सेवाओं व संवर्गों की भर्तियों के लिए जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है, उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत 15% तथा 7.50% से बढ़ाकर क्रमशः 20% तथा 10% कर देना आवश्यक है। जब तक इस नीति को नहीं अपनाया जाना तब तक निकट भविष्य में प्रतिनिधित्व के अपेक्षित स्तर तक पहुँचने की आशा

- नहीं की जा सकती। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में बहुत काफी सुधार हो सकता था यदि चयन समिति/त्रिभागीय पदोन्नति समिति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को मिलने वाली ढीलों तथा रियायतों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी आदेशों का सिद्धांत और व्यवहार में ठीक-ठीक पालन किया होता। ग तथा घ समूह के गैर तकनीकी अथवा अर्द्ध-तकनीकी पदों के मामले में यह बात खाल तौर से कही जा सकती है
1. 57 } 14
1. 58 }
- (21) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के विद्यमान संवैधानिक एक-सदस्यीय संस्थान के अतिरिक्त, कार्यकारी आदेशों के द्वारा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसे बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना से जिसका कार्यक्षेत्र प्रत्यक्षतः भिन्न नहीं दिखाई पड़ता, संग्रहित तथा अनिश्चितता का वातावरण पैदा हुआ है। इससे भी संवैधानिक प्राधिकारी के प्रभावी रूप में कार्य निष्पादन करने में बाधा पड़ी है। अच्छा यही होता कि संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेद में पहले संशोधन किया जाता और फिर संविधान के उपबंधों के अनुसार आयोग की स्थापना की जाती, न कि किसी कार्यकारी आदेश द्वारा स्पष्टतः स्वतंत्र बानी जाने वाली ऐसी कोई भौतिक स्थापना की जाती जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिए गए संवैधानिक सुरक्षणों सम्बन्धी आश्वासनों के राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने के बारे में न्यायाधीश तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया कि इस प्रकार का कोई भी प्राधिकरण, अपनी कार्य प्रणाली के स्वरूप के कारण, इस मामले से सम्बन्धित वर्तमान संवैधानिक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा। यद्यपि यह विधि मंत्रालय द्वारा 1951 में दी गई इस राय के प्रतिकूल होगा कि उनके कार्यों में सहभागिता हो सकती है अथवा इन कार्यों को किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रति उत्तरदायी नहीं है
1. 61 14
- (22) अब जब कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग बन चुका है और वह अपना लक्ष्य आधा कार्य-काल पूरा भी कर चुका है, यह सुझाव है कि संविधान में संशोधन करने की बात को अग्रतः दी जाए और जब तक संशोधन नहीं हो पाता तब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को क्षेत्रीय कार्यालयों पर अपना पूर्ण नियंत्रण और प्राधिकार रखने दिया जाए। ऐसा करना विधि मंत्रालय की उस राय के अनुरूप होगा जो उसने इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कि प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता तथा संविधान के अनुच्छेद 338 के मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए दी थी
1. 62 14-15
- (23) इस तथ्य की ध्यान में रखते हुए कि आयुक्त या उसी तरह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों आदेशात्मक नहीं हो सकतीं, इस मांग में पर्याप्त बल प्रतीत होता है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का अलग मंत्रालय बनाया जाए तथा राज्यों से ऐसे ही विभाग मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में बनाए जाएं। चूंकि संविधान के अधीन विशेष वर्गों के लिए सुरक्षण पूरे राष्ट्र का दायित्व है, इसलिए यही उचित है कि इनके बारे में केन्द्र तथा राज्यों में उच्चतम स्तर पर कार्यवाही की जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि राष्ट्र के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम सुविधा-संपन्न वर्गों को एक उचित समय सीमा में शेष समाज के बराबर स्तर पर ले आया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि केवल इस कार्य के लिए केन्द्र में बिलकुल अलग व्यवस्था की जाए। आज मुख्य आवश्यकता केवल इस बात की नहीं है कि जांच के परिणामों को आयुक्त अथवा आयोग की सिफारिशों के रूप में रख दिया जाए अपितु इस बात की भी है कि इस सारे कार्य को यथासंभव शीघ्रता से पूरा कराया जाए और यह काम एक ऐसे अलग मंत्रालय द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है जिसे अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो
1. 63 15-16

अध्याय 2 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षणों की व्यवस्था

- (24) खेद है कि नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई वर्ष 1978 की वार्षिक रिपोर्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15-क(4) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1979 के अन्त तक भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर नहीं रखी गई थी। वर्ष 1979 की रिपोर्ट भी अभी प्रस्तुत की जानी है और आशा है कि वर्ष 1978 तथा वर्ष 1979 की अलग-अलग रिपोर्टें शीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दी जाएंगी
2. 10 19
- (25) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में यद्यपि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संसद में बहस की ही जाए फिर भी सुझाव है कि रिपोर्ट पर बहस के फलस्वरूप असुश्रुता के विद्यमान होने तथा उसके उन्मूलन के लिए जो कदम अभी भी उठाये जाने अपेक्षित हैं, उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो सकेगा
2. 10 19

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-------|-------|
| (26) | असम, मणिपुर, मेघालय, वागालैंड, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम की सरकारों/प्रशासनों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने की स्वीकृति लागू करनी चाहिए | 2. 11 | 19 |
| (27) | कानूनी सहायता दिए जाने के लिए जो राशि आवंटित की जाती है वह लम्बी क्रियाविधियों तथा समय पर सक्षम विधिक मदद के अभाव में अप्रयुक्त रह जाती है, इस प्रश्न पर गृह मंत्रालय को इस उद्देश्य से सविस्तार विचार करना चाहिए कि कानूनी सहायता का समय पर संचितरण कराने के लिए संबंधित प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जा सके। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित जातिगत आय की सीमा काफी नीची है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपने राज्य की योजना के बजट से करनी चाहिए न कि नागरिक संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष आवंटन से | 2. 11 | 19 |
| (28) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन चलाने जाने वाले अभियोजनों के संचालन अथवा पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त करने के अधिनियम में दिए गए सुझाव पर राज्य सरकारों द्वारा यह संतुष्ट सामने रख कर विचार करना चाहिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर चलाए जाने वाले अभियोजनों का संचालन करने अथवा उन पर अपना पर्यवेक्षण रखने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के पीछे यह मंतव्य प्रतीत होता है कि लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोजेक्टर्स) को इन मामलों में विशेषज्ञ विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा सके | 2. 13 | 20 |
| (29) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के सुझाव पर इस बात की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लोगों में यह विश्वास स्थापित हो कि सरकार शीघ्र न्याय दिलाने तथा अपराधियों को प्रतिरोधक शीघ्रता से दण्ड दिलाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों द्वारा सामान्यतः व्यक्त यह विचार कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराधों की अपर संख्या के आधार पर विशेष न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, उन सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं जिन्हें हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को लागू करके प्राप्त करना चाहते हैं। जिन राज्य सरकारों ने अभी विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं उन्हें भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों के मामलों तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आने वाले अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए | 2. 14 | 20 |
| (30) | अस्पृश्यता उन्मूलन के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों को मिलने वाले अधिकार उन्हें मिलें यह सुनिश्चित कराने के लिए किन उपायों को अपनाया जाए यह निश्चित करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों में गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्तार्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यदि ये समितियां सतर्क रहें और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों तथा सिफारिशों पर त्वरित कार्यवाही की जाये तो कोई कारण नहीं कि इस समस्या का निवारण न किया जा सके। अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जाति के लोगों का सहयोग इन समितियों के प्रभावी रूप से काम करने के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यह भी देखने में आया है कि कुछ राज्यों में ये समितियां निष्क्रिय हैं और कार्य सस्पेंड करने के लिए कभी कभी मिलती होंगी। जिलों के दौरो पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे देखें कि इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं या नहीं तथा इन बैठकों में दिए गए सुझावों पर कार्यवाही शुरू की गई है या नहीं | 2. 15 | 20 |
| (31) | राज्य सरकारों की नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15(ए) की उपधारा (1) और (2) के अधीन किए गए उपायों से सम्बन्धित रिपोर्टों में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में अपना मूल्यांकन और उनके बेहतर अनुपालन के लिए उपाय बताने चाहिए। विभिन्न राज्यों में जो प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं उनसे इस कार्य को करने की आशा की जाती है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति के अनुसार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में उपाय किए जाने होंगे | 2. 16 | 20-21 |
| (32) | विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उन क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है जहाँ पर अस्पृश्यता बहुत व्यापक रूप में विद्यमान है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रथा के उन्मूलन के लिए जनता के सहयोग से ठोस कदम उठाए जाएं | 2. 17 | 21 |
| (33) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के समुचित कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार को नियम अधिसूचित करने की कार्रवाई शीघ्र करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण बातों के सम्बंध में नियम अधिसूचित किए जाने चाहिए उनमें से एक अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के संबंध में होना चाहिए | 2. 20 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--------------------|-------|
| (34) | ऐसी आशंका है कि विभिन्न ईट भट्टों पर अनेक मजदूर गुलामी की जिदगी बिता रहे होंगे। विभिन्न राज्य सरकारों के श्रम विभागों को अपने संबंधित राज्यों में ईट भट्टों का सर्वेक्षण करना चाहिए और यदि वहाँ कोई वंधुआ मजदूर हो तो उनका पता लगा कर उन्हें मुक्त कराने की तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए . | 2. 26 | 26 |
| (35) | बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए तीन दलों के गठन के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। इन दलों के लिए राष्ट्रीय श्रम संस्थान की सहायता से गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा संकलित आंकड़े प्रारम्भिक बिन्दु होंगे। अन्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए इसी प्रकार के दल मठित करने चाहिए . | 2. 32 | 27 |
| (36) | बंधुआ मजदूरों की संख्या के बारे में कोई भी अनुमान अधिक से अधिक सांख्यिकीय प्रक्षेपण है। यह वास्तविक पहचान के समान नहीं है। | 2. 33 | 27 |
| (37) | यह पाया गया है कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। अतः श्रम मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली केन्द्रीय समीक्षा समिति को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी ढंग से समन्वित करना चाहिए। | 2. 37 | 28 |
| (38) | श्रम मंत्रालय द्वारा और अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों द्वारा उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा पिछड़े वर्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सेंक्टर की चालू स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग अपने अपने क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बंधुआ मजदूर इकट्ठे बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई चालू स्कीम न हो या ऐसी स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त हों, तो वहाँ विशेष स्कीमों तैयार की जाएं . | 2. 40 | 19 |
| (39) | अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तों तथा विभिन्न उपलब्ध) अधिनियम, 1979 जो पारित किया जा चुका है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम को शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के उपबंधों में हयारी मजदूर जनता के अत्यधिक असुरक्षित वर्ग की आधारभूत समस्याओं से निपटने का प्रयास किया गया है। फिर भी, कोई कानून, चाहे वह कितना भी सुस्पष्ट क्यों म हो, तब तक लाभ नहीं पहुंचा सकेगा जब तक कि उसका ठीक ढंग से कार्यान्वयन न हो। किसी भी कानून की क्षमता उसके कार्यान्वयन में निहित है। अतः निरीक्षकों का चयन करने में इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि ठीक प्रकार के अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं, और वे उपक्रमां तथा टेकेंदारों के दबाव से आकर झुके नहीं . | 2. 41 } 2. 44 } | 29-30 |
| (40) | चुनाव के समय अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते समय अनुसूचित जातिप्रों य समाज के अन्य कमजोर वर्गों को डराने धमकाने के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग को इस दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि ऐसे राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वैधानिक उपाय दृढ़े जाएं जिनसे संसद तथा विधान सभाओं में मतदान करते समय इन वर्गों पर जोर जबरदस्ती तथा अभिव्यक्त करने की घटनाएं भविष्य में न हों। जिन कदमों के उठाने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए उनमें से एक यह है कि विशेष मतदान बूथ स्थापित करने के लिए मतदाताओं की संख्या के सम्बंध में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हें कम करके अनुसूचित जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के खेड़ों में मतदान बूथ बनाए जाएं। साथ ही इग समुदायों के लोगों के जो बिखरे हुए खेड़े हैं उनके लिए चल मतदान बूथ उचित पुलिस बल के साथ इन क्षेत्रों में जाने चाहिए जिससे वहाँ के मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग अर्थपूर्ण ढंग से कर सकें और उससे उनके चुनाव क्षेत्र के चुनाव परिणामों पर गहरा असर दिखाई पड़ सके . | 2. 56 | 32 |
| (41) | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एफ के तहत किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने अथवा छद्मरूप में मतदान करने के लिए निर्धारित दण्ड पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस धारा में निर्धारित दण्ड को और अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए इस धारा में यथोचित सुधार किया जाए ताकि चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या छद्मरूप में मतदान करने पर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी किया जा सके। ये दोनों किस्म के दंड एक साथ ही दिए जाएं। इनको न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। निर्वाचकों को डराने धमकाने और उन पर दबाव डालने को भी निर्वाचन संबंधी अपराध ठहराया जाए। इसके साथ ही मतदाताओं के पहचान कार्ड बनाने शुरू किए जाएं और उन पर उनकी फोटो भी लगायी जाए। अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष बूथ बनाए जाएं और इन बूथों का नजदीक के पुलिस स्टेशन के बायरलैस से सम्बंध रखा जाए ताकि कहीं से भी मतदाताओं को डराने धमकाने के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच सके और मतदाता द्वारा अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकने के लिए उचित प्रबन्ध कर सके . | 2. 58 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------|-------|
| (42) | राज्य उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद मोची समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र म जारी करने का गुजरात सरकार द्वारा अपनाया गया रवैया न ती न्यायसंगत प्रतीत होता है और न ही विधि सम्मत क्योंकि अनुसूचित समुदाय के विषय में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए राज्य सरकार अपने आप उपर्युक्त समुदाय के विषय में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध न लगाए और जब तक क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के विषय में संसद संशोधन न कर दे तब तक सारे राज्य में इस समुदाय को अनुसूचित माना जाना चाहिए | 2.72 | 35 |
| (43) | भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए कि जब तक संसद राष्ट्रपति के आदेश में आवश्यक संशोधन न कर दें तब तक उसे कोई/डॉरेड्डी समुदाय के बारे में कोई क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिए | 2.73 | 35 |
| (44) | केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आन्ध्र-प्रदेश, गुजराथ, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर के सम्बन्ध में समानार्थ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों की अधिसूचना का स्वागत है। यह आशा की जाती है कि ये सूचियां सम्बन्धित राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत दिलाएंगी तथा उन्हें जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को पुनरीक्षित करने के लिए सातवीं लोकसभा में उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए और उस समय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उपर्युक्त समानार्थ आदि संशोधित सूचियों में शामिल कर लेने चाहिए ताकि इस विषय में विवाद और मुकदमे-बाजी की नौबत त आये | 2.75 | 35-36 |
| (45) | अभी तक आर्युविज्ञान पाठ्यक्रमों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह विचार प्रकट किया है कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में इन समुदायों से सम्बन्धित प्रत्याशियों के दाखिले के लिए कोई आरक्षण करने या ढील देने के हक में नहीं हैं क्योंकि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के स्तर को गिराना उचित नहीं होगा, नो कि औषध शास्त्र की किसी चुनी हुई शाखा में विशेषज्ञता का प्रशिक्षण है और चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसा कि पहली रिपोर्टों में बताया जा चुका है, यह दोहराया जाता है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इन प्रत्याशियों को स्थानों में आरक्षण या न्यूनतम स्तर की ढील केवल दाखिले के लिए दी जाएगी और इससे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा का वह स्तर जो इन विद्यार्थियों ने पास करना है कम नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्थानों का अपेक्षित आरक्षण करना चाहिए | 2.78 | 36 |
| (46) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की मैट्रिक पूर्व स्तर की शैक्षिक बुनियाद को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि इन समुदायों के और अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए जा सकें। यह सिफारिश की जाती है कि जो राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अभी तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों सर्वसाविक नहीं कर पाए हैं उन्हें यह शीघ्र कर देना चाहिए। इन छात्रों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा पूरी करने का प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रावास, निःशुल्क पुस्तकों और लेखन सामग्री आदि जैसी अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए | 2.80 | 36 |
| (47) | संविधान (संशोधन) अधिनियम 1976 की पांचवीं अनुसूची के अनुसरण में अनुसूचित क्षेत्रों के मुख्यवस्थिकरण का काम आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान राज्यों के बारे में यथासोभ्य पूरा कर लेना चाहिए | 2.83 | 37 |
| (48) | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल के रिपोर्टें व्यापक होनी चाहिए और इनमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि राज्य सरकार ने रिपोर्टें से सम्बन्धित अवधि के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों की शान्ति तथा अच्छे शासन के लिए तथा उन क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कार्रवाई की | 2.84 | 37 |
| (49) | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की परिधि बढ़ाकर उनमें अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर के जनजाति विकास कार्यक्रम की भी चर्चा होनी चाहिए। पांचवीं अनुसूची के खण्ड (3) को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीति से संशोधित किया जाना चाहिए जिसके बाद राज्यपालों की रिपोर्टें उन सभी राज्यों से मंगाई जानि चाहिए जिनमें जनजातियों की आबादी है। राज्यपाल की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखे जाने की बांछनीयता के विषय में भी भारत सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए | 2.85 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-------|-------|
| (50) | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यों की रिपोर्टें प्रत्येक वर्ष नियत तारीख से पहले प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए | 2.86 | 37-38 |
| (51) | आदिवासियों को वर्तमान अर्धव्यवस्था और प्रशासन से उनके नए सम्बन्धों के विषय में प्रभावी संरक्षण देने के लिए पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत विनियम और वर्ग जहां आवश्यक हों वहां केन्द्रीय कानून बनाया जाता चाहिए। भूमि ऋण तथा विपणन रोजगार और काम सम्बन्धी दशाओं तथा सरकार के असैनिक कर्मचारियों के आचरण से सम्बन्धित मामलों खास तौर से इसके अन्तर्गत आने चाहिए। नई आर्थिक गतिविधियों में आदिवासियों के हितों को बढ़ावा देने और उनका सुरक्षण करने के लिए भी उचित उपबन्ध बनाए जाने चाहिए | 2.87 | 38 |
| (52) | आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान द्वारा सभी विद्यमान कानूनों की यथासंभव समीक्षा की जानी चाहिए और विभिन्न सामान्य कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने या न करने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए | 2.88 | 38 |
| (53) | आदिवासी सलाहकार परिषदों के बारे में एक जैसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए और ये परिषदें उन सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, जिसके लिए राष्ट्रपति पांचवीं अनुसूची के खण्ड (4) के अधीन उपयुक्त निवेश देने के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं | 2.90 | 38 |
| (54) | ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में आदिवासी सलाहकार परिषदों की अर्धपूर्ण रूप में वांछित हद तक शामिल नहीं करती हैं। इन परिषदों को पुनःसक्रिय किया जाए जिससे वे उन्हें सौंपे गए कृत्यों को अधिक अर्धपूर्ण रीति से कर सकें और उस उद्देश्य को पूरी तरह प्राप्त कर सकें जिसके लिए उसका गठन किया गया है | 2.91 | 38-39 |
| (55) | यह बताया गया है कि मिजोरम में जो ग्रामवासी सन् 1970 से अपने पुराने स्थायी गांवों को वापस चले गए हैं, उन्हें ग्राम परिषद बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। ये परिषदें सन् 1966 तक विद्यमान थीं। संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम परिषद को गांव के शासन के लिए कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार मिले हुए हैं। समूहीकरण केन्द्रों के निःसन्देह कुछ अच्छे पहलू हैं जैसे चिकित्सा सहायता, स्कूलों, उपज तथा उत्पादों के विपणन, बहुरंग संचार की व्यवस्था, उत्साहजनक सिंचित चावल की खेती तथा ड्राईटैरस फार्मिंग वागवानी, काफी तथा रबड़ के बानात, सुर्गीपालन, सुअर पालन तथा कुटीर उद्योगों की शुरुआत। यह सारा प्रश्न कि नए गांव कैसे और कहां स्थित हों, सन् 1973 से पहले किसी न किसी समिति के विचाराधीन रहा है। निर्णय लेने में विलम्ब होने पर भी लोग अपने पुराने गांवों को वापस जाने से नहीं रुकें हैं। अतः यह वांछनीय है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तथा मिजोरम प्रशासन शीघ्र पुराने स्थायी गांवों में ग्राम परिषदों की प्रथा को फिर से चालू कर दे | 2.94 | 39 |
| (56) | यह संतोष की बात है कि त्रिपुरा में आदिवासियों की लम्बे समय से चली आ रही जिला परिषदों की स्थापना की भांग त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979 बना कर पूरी कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि अधिनियम के उपबन्ध तथा आदिवासियों की हस्तान्तरित भूमि को वापस दिलाने का वर्तमान कानून (त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1974), (द्वितीय संशोधन) के उपबन्धों से राज्य की अधिसूचित जनजाति की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में बहुत मदद मिलेगी | 2.97 | 40 |
| (57) | यह ज्ञात नहीं है कि क्या "त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979" को त्रिपुरा सरकार ने अधिसूचित कर दिया है कि नहीं। यदि ऐसा अभितक नहीं किया गया है तो राज्य सरकार को सरकारी राजपत्र में अपेक्षित अधिसूचना जारी करने के लिए शीघ्र कार्यवाई करनी चाहिए | 2.100 | 40 |
| (58) | यह ज्ञात नहीं है कि क्या आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते के भूगतान तथा आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए धन का उपयोग करने के लिए योजनाएं बना ली हैं या नहीं। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाई की जानी चाहिए | 2.105 | 41 |
| (59) | यह आशा की जाती है कि बिहार में रांची स्थित लघु सचिवालय को अपनी पूरी भूमिका निभाने दी जाएगी ताकि आदिवासी विकास सम्बन्धी प्रयासों की गति तेज की जा सके | 2.106 | 41 |

1

2

3

4

- (60) भारत सरकार को चाहिए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर की समीक्षा करें और एक उचित समय सांचे के भीतर स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त स्कीम तैयार की जानी चाहिए। यह समीक्षा हर वर्ष की जानी चाहिए और जो मर्बे योजना या वित्त आयोग द्वारा अन्तरण में अन्यथा शामिल नहीं हुई हैं उनके लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए। 2.106 41

अध्याय 3—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

- (61) यह पाया गया है कि बहुत से मामलों में सीधी भर्तियों के लिए पहले बनाए गए रोस्टर उपलब्ध नहीं होते और इसलिए पुष्टिकरण के समय आरक्षण कितना हो यह निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं होता। इक्के-दुक्के पदों तथा छोटे संदर्भों जिनको इकट्ठे करके एक ही रोस्टर बनाया गया है, में भी पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करना मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त, वहाँ पर भी पुष्टिकरण के समय आरक्षण को कार्यान्वित करना मुश्किल हो जाता है जहाँ प्रारम्भ में पदों की संजूरी बिल्कुल अस्थायी आधार पर हुई थी और बाद में उन्हें क्रमशः स्थायी बनाया गया है जैसा कि अधिकतर सरकारी कार्यालयों में होता है। उपर्युक्त मुश्किलों को हल करने के लिए और आरक्षण बिन्दुओं (थाइन्टों) को अत्यधिक स्पष्ट करने हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पुष्टिकरण के समय अलग रोस्टर रखने को पहले वाली प्रथा को फिर से अपना लिया जाना चाहिए। इस पद्धति से पुष्टिकरण के समय आरक्षण आदेशों का उचित ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा ऐसी पद्धति अपनाने से कोई अतिरिक्त कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। 3.10 47
- (62) इस सिफारिश पर कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षुओं को जिन संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए उन्हें यथा सम्भव उन्हीं संगठनों द्वारा काम में लगा लिया जाए, सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया मालूम होता है। अतः इस सिफारिश को फिर से दोहराया जाता है 3.20 49
- (63) वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरकार को अपने पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और सशस्त्र सेनाओं में कामियों की भर्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। 3.24 49-50
- (64) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1975-77 की अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण के विनिमय की अनुमति प्रति वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में बी जा सकती है विशेष कर तब जब यह निश्चित रूप से पता ही कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है और अग्रेनीत के तीसरे वर्ष तक भी पदोन्नति के लिए उनके उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। इसका कारण भर्ती नियमों में रखी गई वह शर्त है जिसके अनुसार उस फीडर काडर में जिससे पदोन्नति की जानी है, न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होनी आवश्यक है, अतः यह दोहराया जाता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के विनिमय की अनुमति दिए जाने के उपर्युक्त सुझाव पर सरकार विचार करे। 3.27 50-51
- (65) कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण करने के बारे में अनुदेशों में संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार जहाँ पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहाँ अब मंत्रालयों/विभागों को आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरने से पहले उक्त विभाग का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने का प्राधिकार मंत्रालयों/विभागों को सौंप दिया गया है। यह आशंका है कि समय गुजरने के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया यह प्राधिकार सभी पदोन्नति वाले पदों को उक्त मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव स्तर पर ही अनारक्षित कर लिए जाने का समूचा अधिकार माना जाने लगेगा और यह सम्भावना है कि कुछ समय पश्चात मंत्रालय/विभाग उन प्रस्तावों की कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को सूचना भी भेजना बन्द कर देंगे जो कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इसके बरिणाम स्वरूप ऐसे प्रस्तावों पर कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का नियंत्रण भी ढीला पड़ जाएगा। हमारा यह अनुभव रहा है कि चूंकि नियुक्ति प्राधिकारियों को उन परिस्थितियों के बारे में कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को बताना पड़ता था जिनके कारण आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण आवश्यक हुआ अतः यह ही एक प्रकार के प्रतिरोधक का काम करता था और इसी कारण कामिक

- तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास प्रस्तावों को भेजने से पहले मंत्रालयों/विभाग अधिक सतर्कता बरतते थे। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 16-11-1979 वाले आदेशों को वापस ले लिया जाए और पहले वाली कार्य विधि जारी रखी जानी चाहिए जिसके अनुसार आरक्षित रिक्तियों में सामान्य उम्मीदवारों को केवल प्राथमिक तथा प्रशासनिक सुधार विभागों की पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। यदि अपनी ओर होने वाले अनावश्यक विलम्ब के कारण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को सौंपना चाहता है तो वह इस कार्य पर लगाए जाने वाले अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकता है। 3. 30 51-52
- (66) विभागीय पदोन्नति समिति/चयन मंडल (बोर्ड) की बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करने से सम्बन्धित अनुदेशों द्वारा मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि वे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन मंडलों में निरपवाद रूप से शामिल करें। अतः यह सुझाव दिया गया है कि इन अनुदेशों को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार की समितियों के काम में हाथ बटाने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अधिकारियों की खोज करने के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को गम्भीर प्रयास करने चाहिए और यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति/चयन मण्डल किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के बगैर स्थापित करना पड़े तो सम्बन्धित कार्यालय को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के स्वरूप का उल्लेख करते हुए सारा मामला कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को लिख कर भेजे 3. 31 52
- (67) 1974 में चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आरम्भ किये जाने के पश्चात् आयुक्त द्वारा 1975-77 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामांकन करने में सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अक्टूबर, 1978 में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने निवेश दिया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस पदोन्नति कोटा में भी आरक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अनुदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र किया जाए 3. 32 52
- (68) यद्यपि सरकार ने आरक्षित कोटा वाली रिक्तियों के मामले में "क" तथा "ख" समूह के पदों में अधिकरण के मामलों की सूचना सम्बन्धीत मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को और "ग" तथा "घ" समूह के पदों के मामले में विभाग प्रमुख को देने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिए हैं, परन्तु ये अनुदेश अभी भी अनारक्षित कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकरण के मामलों पर लागू नहीं होते। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वर्तमान अनुदेशों में से इस कमी को दूर किया जाना चाहिए 3. 33 52-53
- (69) आयुक्त की वर्ष 1961-62 और 1962-63 की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि इस यास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि मौखिक साक्षात्कार किसी उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन करने की हमेशा एक श्रेष्ठ विधि नहीं है, कम से कम कनिष्ठ पदों पर इस प्रकार का साक्षात्कार करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब भी यह महसूस किया जाता है कि सरकार को साक्षात्कार की प्रणाली कम से कम वहां हटा देनी चाहिए जहां लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों ही अपेक्षित हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही चुना जाना चाहिए 3. 38 54
- (70) यह महसूस किया जाता है कि जो अधिकारी आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में चूक करने के दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध शीघ्र मनुचित कार्रवाई करने से सम्बन्धित व्यवस्था दुरुर्दा होनी चाहिए। एक और तो आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने या उनके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए और दूसरी ओर प्रशासनिक चूक के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों ने अति उठायी हो उन्हें आरक्षण का लाभ भूतलक्षी रूप से अर्थात् उस तारीख से जिस से उन्हें वह लाभ प्रशासनिक चूक न होने पर मिलता, दिया जाना चाहिए 3. 41 54-55
- (71) हमारा यह विचार है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का कार्य जिन सम्पर्क अधिकारियों को सौंपा गया है वे इस कार्य की ओर बहुधा उचित और पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके कारण वर्ष के अन्त में पेश की गई उनकी निरीक्षण रिपोर्टें खानापूरी जैसी हैं। इस

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-----------------------------------|----------------|
| | लिए एक बार फिर वह सुझाव दिया जाता है कि सम्पर्क अधिकारियों को आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुपालन में हुई किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाए और इस विषय में उनके द्वारा किए गए कार्य की उनकी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए। | 3. 42 | 55 |
| (72) | भारत सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आरक्षित कोटे पर नियुक्तियों से सम्बन्धित मामलों में अपने नियोक्ता से पूर्व अनुमति लिए बिना ही सीधे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सम्पर्क कर सकते हैं। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अभी विशिष्ट रूप से आदेश जारी करने हैं। वैसे, महाराष्ट्र सरकार ने दो परिपत्र जारी किए हैं जो आयुक्त द्वारा सुसंगत रिकार्ड मंगाने और महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों से सीधे अभ्यावेदन लेने की अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह बात आयुक्त को सेवा सुरक्षण सम्बन्धी मामलों का अन्वेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत से सूचना प्राप्त करने से वंचित करने के समान है। इस मामले को गृह मंत्रालय के ध्यान में ला दिया गया है ताकि वे इसमें हस्तक्षेप करें। आयुक्त ने भी अपने स्तर पर इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिखा है। अन्तिम उत्तर प्रतिक्षित है। | 3. 45 3. 73 | 55 62 |
| (73) | हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें सांविधिक भर्ती नियमों में संगत संशोधन किए बिना कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की व्यवस्था को अमान्य कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों ने आरक्षण की वैधता का उस रूप में विरोध नहीं किया है बल्कि भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों को इन तकनीकी आधारों पर अमान्य कर दिया है कि इन आदेशों को सम्बन्धित नियमों में भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से हुए संशोधन का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आरक्षण और अन्य शिथिलन आदि का उपबन्ध करने के लिए सभी भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खण्ड (सेविय क्लॉज) जोड़ा जाए ताकि सांविधिक नियमों में इस प्रकार के उपबंधों की कमी के कारण बाद में किसी प्रकार की उलझन पैदा न हो। वास्तव में, इस तरह के प्रतिकूल निर्णयों से बचा जा सकता था यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सरकारों अनुदेशों का पालन करते हुए भर्ती नियमों में, जहां तक सेवाओं में आरक्षण का सम्बन्ध था, व्यावृत्ति खण्ड जोड़ लिया होता। | 2. 123 3. 46 3. 81 3. 82 | 44 56 65 |
| (74) | आयुक्त ने सुझाव दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को निदेश जारी कर उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव के अनुसार सभी शिक्षण पदों पर आरक्षण लागू करें। वैसे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार के निदेश जारी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन उन्हें ऐसा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः आयुक्त ने शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उक्त अधिनियम में समुचित संशोधन कर लिया जाए ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को सेवा के मामलों में सुरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी कर सके। | 3. 48 | 56 |
| (75) | भारतीय रिजर्व बैंक ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की एक स्कीम तैयार की लेकिन इस स्कीम में की गई व्यवस्था वैसी नहीं थीं जैसी भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम में थीं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से इस स्कीम में समुचित संशोधन करने का अनुरोध किया गया जिससे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। यह सुझाव भी दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य बैंक नामतः स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की इस स्कीम का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण करने के आदेशों के कार्यान्वयन में बैंक प्रबंधकों तथा व्यवसाय संघों के बीच हुए करार इनमें बाधक नहीं होंगे। | 3. 54 | 58 |
| (76) | यह देखते हुए कि केन्द्र और राज्यों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है, वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि संविधान में दोनों के लिए एक ही प्रेरणा होने के कारण सरकार को संसद का एक अधिनियम बना लेने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी कर लिया जाना चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में कानून बनाने के लिए उक्त अधिनियम को आदर्श मान लें। यह उपयुक्त समय है कि सरकार को इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से परामर्श लेकर उपयुक्त कानून बना लेना चाहिए। | 3. 55 | 58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--------------|-------|
| (77) | सरकारी अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पदों पर आरक्षण नहीं है जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का संघटक 662/3 प्रतिशत से अधिक हो। यह महसूस किया जाता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण करने में सीधी भर्ती के संघटक इस निबंधन को कोई तर्क-संगति नहीं है और इसलिए इसे विरुद्ध हटा दिया जाना चाहिए | 3.57 | 58-59 |
| (78) | कुछ राज्य सरकारों ने जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अनुदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार अपनी ही योग्यता के बलबूते पर चयन कर लिए जाते हैं उनकी गणना आरक्षित कोट के प्रयोजन के लिए नहीं की जाती। यह अत्यधिक वांछनीय है कि केन्द्रीय सरकार और जाकी राज्य सरकारों को भी ऐसी ही प्रणाली अपनानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नौकरियों में प्रवेश की संख्या बढ़ाई जा सके और सेवाओं में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लक्ष्य तक पहुंचने की गति को तेज किया जा सके | 3.59 | 59 |
| (79) | वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सामान्य पूल के आवास का आवंटन करने में सभी टाइप के आवासों में आरक्षण किया जाता चाहिए और यह आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 71/2 प्रतिशत होना चाहिए, अर्थात् आरक्षण उसी अनुपात में होना चाहिए जो इन जातियों को सरकारी सेवाओं में दिया जाता है। ऐसा कदम उठाने से दो उद्देश्यों की पूर्ति होगी, एक तो यह सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ती हुई संख्या में प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा और दूसरा यह कि समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ इनके समीकरण में मदद मिलेगी। अतः इस सिफारिश को फिर दोहराया जाता है | 3.60 | 59 |
| (80) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने भारत सरकार के कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सलाह दी कि जिन अदालतों मामलों में सरकार की आरक्षण नीति का निबंधन करने अथवा उसके बचाव करने की आवश्यकता पड़े तो ऐसे मामलों में उक्त विभाग स्वयं एक पक्षकार बन जाए क्योंकि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण देने से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों का संबंध है, वह विभाग ही इसके लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। ऐसा करने से इन मामलों पर आश्वस्तकारी प्रभाव होगा। यह प्रयोजन कुछ हद तक तब भी सिद्ध हो सकता है यदि कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अदालतों में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्रों की जांच करने और उनका अनुमोदन करने के लिए सहमत हो जाए। अतः कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि वह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य अनुदेश जारी करे और उन्हें निदेश दे कि अदालतों में शपथ-पत्र दायर करने से पहले वे उनकी उस विभाग द्वारा जांच करवा लिया करें। अदालत के सम्मुख आरण की नीति और पृष्ठभूमि को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए यह कदम आवश्यक है | 3.82 3.85 | 35-66 |
| (81) | वर्ष 1977-78 की पिछली रिपोर्ट में आयुक्त ने व्हा राय दी थी कि आकलन क्षेत्र की पद्धति ही जो विवेकात्मक स्वरूप की है, पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांत को ही विकृत कर देती है और इसे इस प्रकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जो भी उम्मीदवार पात्रता की शर्त पूरी करता हो उसे पदोन्नति के लिए विधारा जाना चाहिए बशर्ते कि वह पदोन्नति के लिए अयोग्य न पाया जाए। विकल्प के रूप में यह सिफारिश की गई थी कि पदोन्नतियों के मामले में आकलन क्षेत्र आरक्षित रिक्तियों के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए और यह "ख" समूह के लिए, "ख" समूह के भीतर तथा "क" समूह की सबसे निचली स्तर तक की पदोन्नतियों में भी होना चाहिए। सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह मामलों पर पुनर्विचार करे अपना निर्णय जल्दी करे | 3.90 | 67 |
| (82) | यह सुझाव दिया गया था कि वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने के मामलों में जो जोनिंग स्कीम केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं पर लागू है उसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण का पूर्ण लाभ दिया जा सके। कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है | 3.91 | 67 |
| (83) | वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट (पैरा 3.15) तथा वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट (पैरा 3.30) में यह सिफारिश की गई थी कि रिक्तियों को अग्रणी करने की व्यवस्था "ख" समूह और "क" समूह के चयन पदों पर पदोन्नति के मामले में भी लागू की जानी चाहिए। हमारी वर्ष 1977-78 की पिछली रिपोर्ट (पैरा 3.42) में यह भी सिफारिश की गई थी कि सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी रिक्तियों को व्यपगत नहीं होने दिया जाना चाहिए और उन्हें तब तक अग्रणी किया जाता रहना चाहिए जब तक वे अन्ततः अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं ली जाती। इन सिफारिशों को फिर दोहराया जाता है | 3.92 | 67 |

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|----|
| (84) ऐसा लगता है कि सरकार के पास अपने इस निर्णय को उचित ठहराने के लिए और कोई तर्क नहीं रह गया है और अब समग्र आ भाषा है कि सरकार के समूह के भीतर जयन आधार पर पदोन्नति में आरक्षण देने के इस मुद्दे पर भी शक्यता ही जाए ताकि संतोषपूर्वक यह कहा जा सके कि सरकार ने सेवा संबंधी मामलों में संवैधानिक उपबंधों की लागू करने में किसी भी प्रकार की गुंजाइश उठा नहीं रखी है। यह एक सर्वविधित तथ्य है कि वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं हैं। संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को जो लाभ प्रदान किए गए हैं वे इन छोड़े से व्यक्तियों को भी पूर्णतः सुख करवाए जाने चाहिए | | 3. 93 | 67 |
| (85) यह देखा गया है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें कई-कई वर्षों तक नहीं बुलाई जाती और रिक्तियों को तालों-सहा संघित होने दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अधिकारी पदोन्नति के लिए योग्य (फिट) तो होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम श्लाघ्य (मेरिटोरियस) होते हैं उन्हें जब बड़ी संख्या में अन्य उम्मीदवारों के साथ विचारा जाता है, विशेषकर चयन पद्धति से होने वाली पदोन्नतियों में, तो उनकी स्थिति नीचे की ओर खिसक जाती है। यह स्थिति न जाने देश के लिए यह आवश्यक है कि (क) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें उसी वर्ष में की जाएं जिसमें रिक्तियां हुई हों और (ख) यदि कहीं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अपरिहार्य कारणों से कई वर्षों की रिक्तियों के लिए हों तो सम्बन्धित साल की पदोन्नतियों के प्रयोजन के लिए किसी एक तारीख को निर्णायक तारीख मानकर, चयन सूची प्रत्येक वर्ष के लिए अलग तैयार की जानी चाहिए। इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के अभूतपूर्व पैमाने पर होने वाले अधिकरण से बचा जा सकता | | 3. 95 | 68 |
| (86) यह अनुभव किया जाता है कि जिन पदों का अन्तिम वेतन रु० 2250 प्रतिमास या उससे कम है, और जो चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति से भरे जाते हैं, उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चयन सूची (सिलेक्ट लिस्ट) बनाते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उन अधिकारियों के मामले में जो रिक्तियों की संख्या के भीतर आते हैं, उन्हें अपनी पारस्परिक वरिष्ठता की स्थिति चयन सूची में भी वैसे ही रखने दी जाए | | 3. 96 | 68 |
| (87) जैसा कि पिछले रिपोर्ट में भी बताया गया है, जिन फीडर काडरों के पदों को प्रारम्भ में स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भरा जाता है और जहां आरक्षण की प्रतिशतता भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है, उन काडरों से पदोन्नति करते समय आरक्षण की नियत प्रतिशतताओं का पालन करने के आदेशों की कोई तर्कसंगत नहीं है। इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली असंगतियों से बचने के लिए एक बार फिर यह सिफारिश की जाती है कि इन मामलों में पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण की प्रतिशतता इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि फीडर काडरों में पदों को प्रारम्भ में स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भरते समय लागू की गई थी | | 3. 97 | 68 |
| (88) यह सिफारिश की जाती है कि भर्ती नियमों में विशेष उपबंध किया जाबा चाहिए कि जब भी पदोन्नति के लिए फीडर काडरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती की जानी चाहिए | | 3. 98 | 68 |
| (89) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का लक्ष्य प्राप्त करने का एक अन्य उपाय यह भी है कि पिछले वर्षों के दौरान न भरे गए आरक्षित कोटे के पदों को भरने के लिए 1977-78 को रिपोर्ट के पैरा 3. 30 और 3. 31 में दिए गए सुझावों के अनुसार विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने चाहिए। सरकार से इस सुझाव पर फिर विचार करने की सिफारिश की जाती है | | 3. 51 | 17 |
| (90) एक-बार पुनः आग्रह किया जाता है कि जातियों/जनजातियों की परिभाषा के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट राय को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ऐसो-सिएशनों की सेवा संघों के रूप में मान्यता देने के प्रयोजन के लिए उन पर जाति, जनजाति अथवा धर्म के ऊपर आधारित होने के आरोप लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार को फिर से विचार करना चाहिए और सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए। सम्बन्धित संगठन भी इस मामले पर स्वतंत्र रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं और अपने अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों द्वारा गठित की गई ऐसोसिएशनों को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे सेवा मामलों से सम्बन्धित अपनी समस्याओं को समाधान के लिए उनके पास ला सकते हैं | | 3. 99 | |
| (91) हर पद के लिए कड़ी प्रतिযোগिता होती है और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रथम प्रयास में ही चुन लिए जाने के अवसर बहुत कम होते हैं। अतः वास्तव में चुन लिए जाने से पहले | | | |

- इन उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की परीक्षा अथवा चयन में बैठने के लिए अनेक बार शुल्क देना पड़ता है। मंहगाई के इन दिनों में फीस के मामले में पूरी छूट दे देने से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जो पहले ही बेरोजगार होते हैं, काफी राहत मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पूरी छूट दे देने से वित्तीय मदद ही नहीं पहुँचेंगी बरन् कार्यप्रणाली की एक अतिरिक्त पद्धति तथा उसमें मिहित जटिलता हटाने से भी उन्हें सहायता मिलेगी 3. 101 69
- (92) यह वांछनीय है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें आवश्यक आदेश जारी करे और साक्षात्कार/लिखित परीक्षाओं के लिए बुलाए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता देने सम्बन्धी प्रतिबंधों को हटा दें ताकि नगरपालिका की सीमाओं से बाहर से आने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार यात्रा भत्ते की रियायत का लाभ उठा सकें 102 69
- (93) जब सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुदेश जारी करना आवश्यक समझा है, तो यह बात समझ नहीं आती कि सरकार ऐसे पदों पर औपचारिक तौर पर आरक्षण करने की मांग को स्वीकार क्यों नहीं करती। आखिर, आरक्षण के औपचारिक उपबंधों के माध्यम से ही ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के उपबंध नहीं किए गए तो उक्त अनुदेश प्रभावहीन ही सिद्ध होंगे 3. 103 69
- (94) यह सिफारिश की जाती है कि हमारी वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट के पैरा 3. 42 में दिए गए मुझाव पर उचित विचार किया जाए। मुझाव यह था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के समयपूर्व सेवा-निवृत्ति के मामले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजे जाने चाहिए तथा उनकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को उसी भाँति पृष्ठांकित की जानी चाहिए जैसे आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में होता है 3. 105 70-71
- (95) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण की नीति लागू करने की वांछनीयता तथा संवैधानिक अनुज्ञेयता के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों के विचारों में भिन्नता को देखते हुए उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पास उचित रास्ता यही होना चाहिए था कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा यह मामला उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए भिजवा दिया जाता जैसा कि वर्ष 1975-77 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी तथा 1977-78 में इसे दोहराया गया था 3. 106 71
- (96) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधि मंत्रालय यह विचार रखता है कि उच्च न्यायालय को "राज्य" समझा जाता है तथा इसलिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का "राज्य" के अधीन संवाएं नहीं माना जा सकता चूंकि उच्च न्यायालय स्वतः "राज्य" के समान है। अब समय आ गया है जब कि इस मामले को सदा के लिए निपटा लिया जाए, और अगर आवश्यकता हो, तो यह मामला राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय को भेज कर उनसे यह निर्णय देने के लिए कहा जाए कि क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 में किए गए उपबंधों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है 3. 107 71
- (97) यह बताते हुए खेद होता है कि एक ही मद ऐसी है जिस पर पिछली 25 रिपोर्टों में लगातार प्रतिकूल टिप्पणी होती रही है। वह यह है कि राज्य सरकारों अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकीय सूचना समय पर भेजने में सहयोग नहीं देतीं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा-सुरक्षण के कार्यान्वयन से सम्बन्धित तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वे इस महत्वपूर्ण सूचना को भेजते रहें और साथ ही, संविधान में किए गए उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सिल सकें 3. 109 72
. 3. 110
- (98) इस बात की टिप्पणी करते हुए भी खेद होता है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने निजी क्षेत्र (सेक्टर) के उपक्रमों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हिस्सा प्राप्त कराने के संबंध में जो तरम रख वाला तरीका सुझाया था उसे भी कार्यरूप नहीं दिया गया है। इसके लिए, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को लाइसेंस/सहायता देते समय उन पर यह शर्त लगानी चाहिए थी कि वे अपनी सेवाओं में आरक्षण लागू करने का वचन दें। अतः यह बात बृद्धता से महसूस की जाती है कि यदि सरकार कानून बना कर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को वाध्य नहीं करना चाहती तो कम-से-कम उसे निजी उद्योग से उपर्युक्त शर्त स्वीकार करवा लेनी चाहिए 3. 113 72
- (99) जहाँ तक एक ओर राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों और दूसरी ओर कानूनी निकायों में सेवा सुरक्षणों के कार्य-चालन का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को सेवा-सुरक्षणों के कार्य चालन की जांच करने और उनके विषय में राष्ट्रपति की रिपोर्ट देने संबंधी अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में अड़चन रही है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अन्तिम उपाय के रूप में, यह मुझाव

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--------|-------|
| | दिया जाता है कि या तो राष्ट्रपति इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करें अथवा संविधान के अनुच्छेद 338 (2) में संशोधन करने संबंधानिक और कानूनी निकायों को या तो आयुक्त के अधिकारक्षेत्र से अलग कर दिया जाए या उन्हें इसमें शामिल कर दिया जाए | 3. 115 | 73 |
| (100) | जबकि पदोन्नति द्वारा पदों को तदर्थ आधार पर भरने के मामले में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के रूख में परिवर्तन का तथा सरकार के आदेशों का स्वागत है फिर भी यह समझ पाना कठिन है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा। चूंकि सरकार पहले ही ऐसे अनुदेश जारी कर चुकी है जिनके अनुसार ऐसे पदोन्नतियां बहुत ही कम होंगी, फिर इन छोड़े से मामलों की आरक्षण आदेशों के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जाए विशेषतया तब जबकि उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यह निदेश दिया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों के दावों को ध्यान में रखा जाए | 3. 116 | 73-74 |
| (101) | यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य को ही देखने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता पर सभी मंत्रालयों/विभागों पर पुनः जोर डाले। विशेष रूप से उन बड़े मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों में जहां स्टाफ की संख्या अधिक हो, इन प्रकोष्ठों में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए तथा अन्य संगठनों/कार्यालयों में सिर्फ इसी काम को करने के लिए कम-से-कम एक या दो सहायक लगाए जाने चाहिए | 3. 117 | 74 |
| (102) | यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा सम्पर्क अधिकारियों के लिए जो मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के काम को करने वाले अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के लिए जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय इन पाठ्यक्रमों का लाभ नहीं उठा लेते। इस प्रक्रिया को तेल करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि सम्पर्क अधिकारियों के लिए एक वर्ष से कम-से-कम चार मूल्यांकन पाठ्यक्रम और अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के लिए कम-से-कम 12 (अर्थात् एक महीने में एक) पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि यथासंभव कम-से-कम समय से अधिकतम व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण दिया जा सके | 3. 118 | 74 |
| (103) | चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के विषय पर मूल्यांकन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा अधिकतर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता है और उस पर भी इन पाठ्यक्रमों का लाभ विलो स्थित कार्यालय ही उठा रहे हैं, अतः उन विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों में भी शिबिर पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता है जहां केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों की संख्या काफी अधिक है। यह भी वांछनीय है कि रेल, संचार, रक्षा मंत्रालय इत्यादी जैसी बड़ी स्थापनाएं और कुछ ऐसे बड़े उपक्रम जिनमें रोजगार की बहुत बड़ी क्षमता है खासतौर पर अपने ही अधिकारियों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के विशेषज्ञों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय की सहायता से ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करें | 3. 119 | 74-75 |
| (104) | भारतीय खाद्य निगम की सहायता करनी होगी क्योंकि वह शायद ऐसा पहला उपक्रम है जिसने अपने विभिन्न जोनों में कार्य कर रहे सम्पर्क अधिकारियों और सहायक प्रबंधकों को सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के विषय में प्रशिक्षण देना शुरू किया है। अन्य उपक्रम या तो ऐसा अपना प्रबंध स्वयं कर सकते हैं या अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक चरण-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में अधिकारियों की प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जा सके | 3. 119 | 74-75 |
| (105) | लोक उद्यम ब्यूरो को भी सुझाव दिया गया है कि वह सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान जैसा ही एक प्रशिक्षण प्रभाग ब्यूरो में ही खोले और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्मिक विभागों के अधिकारियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के विषय में पुनश्चर्या कोर्स चलाए। आशा की जाती है कि उक्त ब्यूरो इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लेगा | 3. 119 | 74-75 |
| (106) | हमारा यह अनुभव रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी निदेशों की उपेक्षा होती रही है। आगे यह भी देखा गया कि इन निकायों में आरक्षण की पिछली बकाया को कम करने का प्रयास लगभग "ग" समूह और "घ" समूह के पदों तक ही सीमित रहा। अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित "क" समूह और "ख" समूह के रिक्त पदों पर उनकी पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के लिए मंभोर प्रयास करने की जरूरत है | 3. 125 | 76 |
| (107) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या की सहायता से सभी संगठनों में सेवासुरक्षणों के कार्यचालन का मात्र एक बार अध्ययन करने से ही कई दशक लग जाएंगे। इस प्रकार के प्रथम अध्ययन के परिणामस्वरूप हुए सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए पुनः अध्ययन की आवश्यकता | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|--|----------------------|-------|
| | की तो बात ही अलग रही। इन्हीं अनुमानों के आधार पर आयुक्त 50 से 100 अध्ययन दलों के गठन की मांग कर सकता था ताकि वे दल देश के कोने-कोने में स्थित सरकारी कार्यालयों का दौरा कर सकें। लेकिन उनके परामर्श आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता और व्यवहार्यता के बीच तर्कसंगत संतुलन रखना ही ठीक राजशा। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को इस प्रकार से कम से कम दल दल मंजूर करने चाहिए और प्रत्येक दल में एक अनुसंधान अधिकारी, दो अन्वेषक तथा अन्य सहायक स्टाफ जैसे आशुलिपिक तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारी होने चाहिए। चूंकि सरकार इस बात में रुचि रखती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन्हें संविधान के अधीन विशेष मुविधाएं प्राप्त हैं, कल्याण पर नजर रखी जाए, तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो, इसलिए यह आशा की जाती है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में सेवा सुरक्षाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने की अनिवार्य आवश्यकता को समझेगी | 3. 132 } 3. 133 } | 78 |
| (108) | यह देखा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर अपने सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने संबंधी आदेशों का पालन करने में अत्यधिक अनिच्छुक रहा है। हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्राधिकारियों से आग्रह भी करते रहे हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के अध्ययन दल के जांच निष्कर्षों पर अनुबन्धी कार्रवाई पूरी करें और साथ ही, आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन करने में शुरू से ही हुए अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करें। अतः निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्राधिकारी आरक्षण स्कीम को लागू करने के लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। यह दृढ़तापूर्वक महसूस किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्राधिकारियों को चाहिए कि वे आरक्षण नीति को लागू करने में विलम्ब करके के वहाँ से दूढ़ने की बजाय गंभीरता से इस बात पर विचार करें कि आरक्षण आदेशों को किस प्रकार ठीक रूप में लागू किया जाए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में किए गए उपबन्धों का अर्थ संस्थानों की मंति अर करते हुए दावे भी अनुपालन करें | 3. 137 } 3. 138 } | 79-80 |
| (109) | आयुक्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा आरक्षण की नीति के प्रति विरोध प्रकट करना और संगठित ढंग से इन गतिविधियों में हिस्सा लेना आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं है। अतः आयुक्त सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह इस मामले को विधि मंत्रालय को भेजे और उनसे यह राय ले कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार लागू की गई सरकार की आरक्षण संबंधी नीति का सरकारी कर्मचारियों द्वारा न केवल विरोध करना, बल्कि अपने संगठनों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय परिसर के भीतर ही आरक्षण के सिद्धांत के ही विरुद्ध संगठित ढंग पर आंदोलन करना क्या ऐसी गतिविधियां नहीं हैं जिन के लिए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अधीन उन पर कोई कार्यवाही की जा सकती हो? विधि मंत्रालय से यह भी पूछा जाए कि जो कर्मचारी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के नहीं हैं क्या वे मादा आरक्षण नीति का विरोध करने और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के मामले में धीमी गति अपनाते के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डालने के उद्देश्य से संस्थाओं का गठन कर सकते हैं अथवा नहीं। कहना न होगा कि इस प्रकार की गतिविधियां से एक ओर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा दूसरी ओर इस नीति के विरोधी लोगों में काफी दुर्भाव पैदा हो सकता है। यह उपयुक्त समय है कि इस प्रवृत्ति को कारगर ढंग से रोका जाए अन्यथा हो सकता है कि इसके और अधिक गंभीर परिणाम निकलें | 3. 142 } 3. 144 } | 83 |
| अध्याय 4—आर्थिक विकास | | | |
| (110) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरलता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को सही उत्साह से कार्यान्वित किया होता तो, जैसा योजना अयोग का कहना है, इन समुदायों की आर्थिक स्थिति लगभग अपरिवर्तित न रही होती. | 4. 16 | 92 |
| (111) | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में जो समुदाय अत्यधिक पिछड़े हुए हैं उनको पहचाना जाना चाहिए और उनके लिए केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने चाहिए | 4. 18 | 92 |
| (112) | केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं बनाएं और योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय को इन योजनाओं के बनवाने के लिए पीछे पड़ना चाहिए | 4. 25 | 94 |
| (113) | जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं नहीं बनाई हैं वे तथाशीघ्र ऐसी योजनाएं तैयार कर लें | 4. 25 | 103 |

- (114) छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं की कार्य नीति को विकसित कर लिया गया है। तथापि यह अनुभव किया जा रहा है कि अकेले इससे काम नहीं चलेगा। यह आवश्यक है कि प्रभावी मोनिटरिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित किए जाएं जो यह देखें कि जो निधियां जिस उद्देश्य के लिए रखी गई हैं क्या उनके वास्तव में उन्हीं पर खर्च किया जा रहा है। केवल सामाजिक आडिट तथा समवर्ती मोनिटरिंग जिसमें क्षेत्र स्तर पर मोनिटरिंग शामिल है, यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सुधारालोक कार्रवाई की जाती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सहायता की जानी चाहिए। जैसा आदिवासी उपयोजनाओं के लिए किया जा रहा है वैसे ही अनुसूचित जातियों के लिए अलग रखी गई विशेष संघटक निधियों के मामले में प्रत्येक वज्र शीर्ष के अंतर्गत एक उप-वज्र शीर्ष बनाया जाना चाहिए और इन निधियों के लिए भी यह व्यवस्था कर दी जाए कि न उन्हें किसी अन्य काम में लगाया जा सकेगा और न उन्हें व्ययगत होने दिया जाएगा। जैसा कि आदिवासी उपयोजनाओं के लिए किया गया है, वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत विशेष संघटक योजनाओं की वांछित स्तर तक लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को काफी मात्रा में विशेष केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को एक कार्य-यत्न गठित करना चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व रहे। विशेष संघटक योजना में सम्मिलित की गई स्कीमों के संदर्भ में इस बात का ध्यान रखा जाया चाहिए कि लक्ष्य-समूहों में अनुसूचित जाति के लोगों का क्या अनुपात है। योजनागत कार्यक्रमों की त्रारीकी से जांच करके उन स्कीमों को पहचान करना संभव होगा जिनसे अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है और जहां आवश्यक हो वहां उन स्कीमों में उचित संशोधन भी किया जा सकता है या उनकी दिशा बदली जा सकती है। अनुसूचित जाति के विभिन्न व्यवसाय वर्गों की आवश्यकता पर विचार करके नई योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परिवारों के अनुकूल स्कीमों में सामान्यतः 50 प्रतिशत सहायकी का प्रतिमान रहा है जब कि और एक 0 डी० ए० एस० एम० एक० ए० एल० के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक की सामान्य सहायकी लागू रही है। यह अनुभव किया जाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए भी 50 प्रतिशत सहायकी आवश्यक है जिसे निर्धनता-रेखा से नीचे वाले हिताधिकारियों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है और उन्हें 25 प्रतिशत ऋण भेदीय ब्याज दर पर उपलब्ध करा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सहायकी की कमी को पूर्ति क्षेत्रीय-कार्यक्रमों में से विशिष्ट आबंटन द्वारा की जानी चाहिए और उसे विशेष संघटक योजना में शामिल कर लिया जाना चाहिए

4. 26 } 94-95
4. 27 }

- (115) सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि जैसे कर्नाटक सरकार ने किया है वैसे वे भी अनुसूचित जाति की भूमि संपत्तियों की सूचियां तैयार करके अधिकतम सीमा के अधिशेष में से उन्हें वितरित की गई भूमि, उनको आबंटित सरकारों की भूमि तथा उनकी निजी सम्पत्ति सहित सभी भूमियों के व्यापक विकास के कार्यक्रम बनाने चाहिए। अनुसूचित जातियों की सभी जोत भूमियों के लिए सिंचाई की सुविधाएं योजनाबद्ध रीति से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भूमि संरक्षण योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। भेड़, मुर्गीपालन, बकरियों और सुअर-वाड़ा विकास के पशु-पालन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके परिवारों की संख्या का विशेष उल्लेख किया जाए और दाना, सारा और विपणन आदि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों के लिए इसी प्रकार का प्रबंध कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के अंतर्गत किया जाना चाहिए जिनमें न केवल परम्परागत शिल्पकारों और कारीगरों को ही सम्मिलित किया जाए बल्कि खेतिहर मजदूरों, सोमान्त/लघु कृषकों से नए आने वालों को भी शामिल किया जाए। विकेन्द्रित चमड़ा उद्योग के लिए बिस्कुल चमड़ा उतारने से लेकर जूतों के विपणन तक क विभिन्न चरणों के लिए चिनमें कच्चे माल की सप्लाई, सामान्य सुविधा केन्द्र, उद्योग सहायता आदि पहलू शामिल हैं, एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए

4. 27 97

- (116) अनुसूचित जातियों की वस्तियों में नए स्कूल तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए इन जातियों की विशेष संघटक योजना के अंतर्गत धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों में ऐसी जातियों अथवा व्यावसायिक श्रेणियों का पता लगाया जाना चाहिए जो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं तथा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए संघटक योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन रोगों का पता लगाने के कान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियां ग्रस्त हैं और ऐसे रोगों के उन्मूलन के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। शुष्क शौचालयों को बदलवाने तथा सफाई रखने के काम को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए

4. 27 95

- (117) आन्ध्र प्रदेश में विशेष संघटन योजना के अंतर्गत मुख्यतः खेतिहर मजदूरों, सोमान्त तथा लघु कृषकों के विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए। पशु पालन की स्कीमों द्वारा उनके विकास के लिए अच्छी गुंजाइश रहेगी। उनकी भूमि को विकसित करने तथा उन्हें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। व्यापक फसल उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए जा सकते हैं। कुटीर एवं ग्राम उद्योगों में अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए। भूमि संरक्षण के अलावा उन तथा अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------------|-------|
| | ठेका समितियां/सहकारी समितियां बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। वगैरे में काजू और खजूर के बागान अनुसूचित जातियों को पट्टे पर दिए जा सकते हैं | 4. 27 (i) | 95 |
| (118) | असम में, विशेष संघटन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में सीमान्त और लघु कृषकों और खेतिहर मजदूरों पर उस क्रम में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विशेष संघटक योजना में सम्मिलित स्कीमों में अनुसूचित जातियों के लिए अनुपात बढ़ाया जा सकता है। अधिकतर क्षेत्रों में जैसे कृषि (6 प्रतिशत), लघुमिचवाई (5 प्रतिशत), पशु-पालन और डेरी विकास (6.67 प्रतिशत), अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय काफी अधिक हो सकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के क्षेत्रों में भूमि विकास की स्कीम का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लघु और सीमान्त कृषक को 3000 रुपये तक दिए जा सकते हैं। वतखों, मुगियों, बकरियों और सूअर बाड़ों के विकास में सम्मिलित किए गए अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या को विनिश्चित किया जाना चाहिए। हाल ही में बनाए गए मत्स्यपालन विकास निगम को मछुओं के प्रोत्साहन के रूप में पूरी तरह लगाना चाहिए। रेशम पालन और बुनाई के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष क्षमता है और इसके लिए मिश्रित कार्यक्रम बनाना लाभकारी होगा। अन्य दस्तकारियों में मिट्टी के बर्तन बनाने, बांस, बेंत और ताड़ बनाने तथा उनकी प्रमत्त करण में भी रोजगार के विशेष अवसर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की लड़कियों को नर्स का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिनकी असम और भारत के बाहर भी पर्याप्त मांग है | 4. 27 (i) | 96 |
| (119) | गुजरात राज्य को विशेष संघटक योजना से यह दिखाई पड़ता है कि कृषि (1.98 प्रतिशत), लघु सिंचाई (0.59 प्रतिशत), भूमि और जल संरक्षण (3.16 प्रतिशत), पशु पालन (2.73 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में परिव्यय अनुसूचित जातियों के लिए और अधिक हो सकता था। उपयुक्त पशुपालन कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति के सभी भूमिधरों को महकारी समितियों का प्रदक्ष्य बनाना जाना चाहिए और उनके लिए कृषि-निवेश तथा तकनीकी और विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह मुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के जो लोग बुनाई तथा कताई, चमड़े के काम, झाड़ू और सफाई, टोकरी और रस्सी बनाने तथा जूते बनाने के कामों में लगे हैं उन्हें भी लक्ष्य समूह परिवारों का लाभ पहुंचे। चमड़ा उतारने से लेकर जूतों के विपणन तक विकेन्द्रित चमड़ा उद्योग के विकास के लिए भी व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। डेरी उत्पादन, मृगी विकास, ईट-भट्टा, चूना भट्टा और नमक कुण्ड आदि राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि गुजरात राज्य में खनन और पत्थर की खानें महत्वपूर्ण हैं इसलिए राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों को सहकारी समितियों को इस कार्य के लिए सनद (पट्टे) देने की बांछनीयता पर विचार करना चाहिए। उद्योग विभाग को स्कीयों का लाभ अनुसूचित जातियों को मुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का पूरा उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। | 4. 27 (iii) | 96 |
| (120) | कर्नाटक में कुछ क्षेत्रों के मामले में, जैसे कृषि (3.11 प्रतिशत), भूमिमुधार (13.2 प्रतिशत), उद्यान कृषि (4.02 प्रतिशत), पशुपालन (2.40 प्रतिशत) मत्स्यपालन (5 प्रतिशत), और कोशकोट-पालन (4.64 प्रतिशत) के क्षेत्र में विशेष संघटक योजना के परिव्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति विकास निगम से समन्वय करके जिला उद्योग केन्द्रों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। हथकरघा, दियासलाई बनाने, साबुन बनाने आदि के क्षेत्र अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अच्छी क्षमता रखते हैं। विकेन्द्रीत चमड़ा उद्योग के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। | 4. 27 (v) | 97 |
| (121) | केरल में कृषि मजदूरों के लिए, जिनमें से 26% अनुसूचित जातियों के हैं, डेरी विकास तथा पशु पालन स्कीमों में अपार क्षमताएं हैं। परन्तु विशेष संघटक योजना में क्षमता तथा आवश्यकता के मुकाबले में परिव्यय बहुत कम है। कृषि तथा लघु सिंचाई में भी परिव्यय को बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 9.52 लाख रुपये का विनिधान किया गया है। यदि उक्त क्षेत्र में सकल परिव्यय अर्थात् 491 लाख रुपये से तुलना करें तो यह रकम बहुत ही कम है। अनुसूचित जातियों को परिवारिक तथा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। | 4. 27 (vi) | 97 |
| (122) | मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के 8.23 लाख खेतिहरों को कवर करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए अपनी विशेष संघटक योजना में प्रत्येक वर्ष उनके अर्धपूर्ण अनुपात को कवर करने के लिए उपयुक्त योजना हो। योजना के मत्स्य पालन सेंक्टर में एक बहुत बढ़िया रास्ता अपनाया गया है। मछली पकड़ने के तालाबों को गहरा करने का कार्य "काम क बदले अनाज" कार्यक्रम के साथ जोड़ देना चाहिए। यह योजना जोड़ने को प्रतीक्षा किए बिना ही शुरू की जा सकती है। जबकि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में राज्य सरकार ने सभी संगत कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों को भारित स्थान दिया है, यही दृष्टिकोण गैर-आदिवासी क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए। जिन हरिजन बस्तियों में अभी तक विजली नहीं पहुंचाई गई है उन सभी बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य विशेष संघटक योजना में शामिल करके शुरू किया जाना चाहिए। | 4. 28 (vii) | 97-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------|----|
| (123) | <p>महाराष्ट्र की विशेष संघटक योजना में, अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए वर्तमान स्कीमों में संशोधन करते या या नई सुसंगत स्कीमों का शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। विशेष संघटक योजना के सैंक्टरवार विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर क्षेत्रों (सैंक्टरों) में अनुसूचित जातियों के लिए कृषि (1.34%) छोटी सिंचाई, (4.69%), पशुपालन, (0.86%), डेरी विकास (1.34%) और मत्स्य पालन (1.89%) में परिव्यय कहीं अधिक हो सकता था; पशुपालन कार्यक्रम शुष्क करने के अतिरिक्त राज्य सरकार को रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की भूमि ज्यों पर लघु सिंचाई स्कीमों तथा कुएं खोदने का काम आरम्भ करने की सम्भाव्यता पर विचार करना चाहिए। इस राज्य में नव बौद्धों की जनसंख्या 32.64 लाख अर्थात् 6.48 प्रतिशत है और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना बनाते समय उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया प्रतीत होता जबकि वे पिछड़ी जाति क्षेत्र के अंतर्गत कई योजना स्कीमों से अनुसूचित जातियों के समान भी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अतः विशेष संघटक योजना के अंतर्गत रखी गई भूमियों में तुरन्त पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।</p> | 4.27(vii) | 97 |
| (124) | <p>उड़ीसा में, कृषि मजदूर और खेतिहर (अधिकतर सीमान्त और लघु कृषक) दोनों मिलाकर राज्य में कुल अनुसूचित जाति मजदूरों का लगभग 80% बनते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के प्रयासों को अनुसूचित जातियों के कृषि मजदूरों तथा सीमान्त और लघु कृषकों की ओर लक्षित करना आवश्यक है। उस संबंध में पशुपालन में सबसे अधिक सम्भावनाएं हैं विशेषकर कृषि मजदूरों के लिए। इसी प्रकार से मुर्गीपालन, भेड़ बकरी तथा सूअर पालन के विकास से अनुसूचित जातियों को लाभ का निर्धारण परिवारों की संख्या के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। न केवल पशु उपलब्ध कराए जाएं अपितु चारे/दाने की आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा संबंधी देखभाल की व्यवस्था, अंश उत्पाद की विक्री तथा सभी वस्तुओं जैसे ठठरियों का भरपूर उपयोग और सूअर के मांस वाली फैक्ट्रियों की स्थापना का आयोजन करना होगा।</p> | 4.27(ix) | 98 |
| (125) | <p>पंजाब की संघटक योजना से पता चलता है कि अधिकतर क्षेत्रों जैसे कृषि (4.03 प्रतिशत) पशुपालन, (11.32 प्रतिशत) तथा ग्रामीण व लघु उद्योग (2.91 प्रतिशत) से अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय कहीं अधिक हो सकता था। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मुख्य प्रयास कृषि मजदूरों पर लक्षित होना चाहिए। राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए डेरी कार्य तथा पशुपालन सर्वाधिक सम्भावनाएं प्रदान करते हैं। भेड़ों, मुर्गी पालन तथा सूअर पालन के विकास से संबंधित पशु पालन के कार्यक्रम भी बाजार में खपत की गुंजाइश के आधार पर तथा अनुसूचित जातियों को विशेष रूप से कवर करने के लिए आरम्भ किए जा सकते हैं। कुठार तथा ग्रामीण उद्योगों में बैरक कम्बल के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के लिए गुंजाइश है।</p> | 4.27(x) | 99 |
| (126) | <p>राजस्थान की विशेष संघटक योजना में, विभाज्य स्कीमों में परिव्यय बढ़ाने और प्रत्येक सैंक्टर की स्कीमों की पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है। विशेष संघटक योजना के सैंक्टर-वार विश्लेषण से पता चला कि अधिकतर सैंक्टरों जैसे कृषि (0.24%), भूमि एवं जल संरक्षण (0.76%), पशुपालन एवं डेरी विकास (1.62%), विद्युत (1.58%), ग्रामीण एवं लघु उद्योग (6%), खान (0.29%) और आवास (8.71%) में अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय और अधिक हो सकता था। राज्य में हथकरवा उद्योग में काफी बढ़ी सम्भावनाएं हो सकती हैं। राज्य में 1.5 लाख से भी अधिक हथकरवा हैं। चूंकि अधिकतर बुनकर अनुसूचित जातियों के हैं, यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन सकता है। दस्तकारी की विविध वस्तुओं, जैसे टोकरियों तथा चटाइयों बनाने की भी काफी गुंजाइश है। अनुसूचित जातियों को रोजगार प्रदान करने के लिए भूमि संरक्षण वनखण्ड और अन्य श्रम प्रधान सैंक्टर काफी अवसर प्रदान करते हैं और अगर श्रम ठेका समितियों ठीक तरह से संगठित की जाएं तो अनुसूचित जातियों को काफी फायदा पहुंचाया जा सकता है। श्रम ठेका समितियों के गठन से भंडे समय तथा चरम समय (सौजन) दोनों में श्रम अभिमुखी स्कीमों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सकता है।</p> | 4.27(xi) | 99 |
| (127) | <p>उत्तर प्रदेश की विशेष संघटक योजना को सुधारने के लिए अनुसूचित जातियों का अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी स्कीमों का पता लगाया जाना चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियों को लाभ प्राप्त हो सके। विशेष संघटक योजना के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि ऐसे अधिकतर क्षेत्रों जैसे कृषि (0.57 प्रतिशत), लघु सिंचाई (5.56 प्रतिशत), पशुपालन (20.00 प्रतिशत), वन (1 प्रतिशत), ग्रामीण तथा लघु उद्योग (4.59 प्रतिशत), शिक्षा (2.83 प्रतिशत) में अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय कहीं अधिक हो सकता था। जिस सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों के योजना परिव्यय की उच्चतम सीमा में परिवर्तन करना सम्भव न हो, वहां प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार समायोजन किए जाने चाहिए कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवश्यक कार्यक्रम उपलब्ध सकल क्षेत्र परिव्यय के दायरे के भीतर शामिल हो जाए। यह आवश्यक है क्योंकि इसमें सन्देह नहीं कि विकास करने में अनुसूचित जातियाँ अन्य जातियों से कहीं पीछे हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विशेष संघटक योजना में कृषि मजदूर और सीमान्त तथा लघु कृषक ही मुख्य लक्ष्य समूह हैं। पशु पालन क्षेत्र की स्कीमों उन लोगों के लिए सर्वाधिक सम्भावनाएं उपलब्ध कराती है जिनके पास भूमि नहीं है या जिनके पास मामूली जोत वाली भूमि है। चूंकि</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------------|---------|
| | 48 प्रतिशत कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं और उनके आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए लगभग 6 लाख दुधारू पशुओं को 3 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों में वितरण का काम किया जा सकता है। डेरी उद्योग अकेला सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है जिससे अनुसूचित जातियां ठोस लाभ उठा सकती हैं। अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूह परिवारों को कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों में लेने का काम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कालीन बनाने, माचिस उद्योग, साबुन उद्योग तथा बुनाई इत्यादि में रोजगार के साथ सरलता से जोड़ा जा सकता है जिसमें अनुसूचित जातियों के विकास की अच्छी गुंजाइश है। भूमि संरक्षण, वन कार्य तथा अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। और श्रमिक ठेका संस्थाएं / सरकारी समितियां अनुसूचित जातियों को पर्याप्त लाभ दिलवा सकती हैं। | 4. 27(xii) | 99-100 |
| (128) | पश्चिम बंगाल में, 42.57% अनुसूचित जाति मजदूर कृषि श्रमिक (10.79 लाख) और 33.4% छोटे व सीमान्त कृषक (8.47 लाख) हैं। इस प्रकार कुल अनुसूचित जाति मजदूरों में से 75% से भी अधिक संख्या कृषि मजदूरों, सीमान्त व लघु कृषकों के इन वर्गों की बैठती है। इनमें निस्संदेह बड़ाई पर खेती करने वाले भी शामिल होंगे। अतः अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मुख्य प्रयास इन समूहों को ओर ही होने चाहिए। | 4. 27(xiii) | 100 |
| (129) | केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ अनुसूचित जातियों को प्रत्येक मामले में लक्ष्य समूहों में अनुसूचित जातियों के अनुपात के अनुसार रखे जाने चाहिए और इन आंकड़ों के उपलब्ध होने तक यह लाभ समग्र लाभों का 50% होना चाहिए। | 4. 32 | 102 |
| (130) | सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कार्य दल की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के पास औसत जोत काफी कम होने के कारण वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों जैसे सिवार्डी के कुओं, का लाभ-प्राप्त करने के पात्र नहीं होते। अतः ऐसी स्कीमों के ढांचे में अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। | 4. 33 | 102 |
| (131) | भारत सरकार को "ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका से संबंधित शिवरामन समिति" की इन सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि उन स्वैच्छिक अभिकरणों को जो सामाजिक और विकास कार्यों में लगी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नियोजन और/अथवा कार्यान्वयन में लाभकारी रूप में शामिल करना चाहिए। | 4. 34 | 102 |
| (132) | सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए फरवरी 1979 में हुई राज्यों के मुख्य सचिवों व अन्य अधिकारियों की बैठक में की गई इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए कि (1) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को तेज किया जाए, (2) राज्य सरकारों को बैंकों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना चाहिए और ऋण संजूर कराने में उनकी सहायता करनी चाहिए, (3) राज्य सरकारों को अपनी सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के लिए अधिक धन प्रदान कर सकें और (4) अपनी योजनाओं में इन्हें सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के सृजन के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए। | 4. 35 | 102-103 |
| (133) | महाराष्ट्र में, महात्मा फुले पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड का कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए एक व्यापक आधार वाला कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। निगम अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है तथा इसके द्वारा इसमें किना वास्तविक योगदान हो पाएगा यह दिलचस्पी के साथ देखी जाने वाली बात होगी। | 4. 38 | 108 |
| (134) | लाहौर आलू उत्पादक सहकारी विपणन-सह-संसाधन समिति लिमिटेड, सनाली को अपना कार्यालय तथा गोदाम के लिए उपयुक्त भूमि खंड अर्जित करने की वांछनीयता पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। | 4. 40 | 109-110 |
| (135) | कुछ राज्यों को छोड़कर, विकास निगमों के गठन के माध्यम से अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा में सुधार लाने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अनुसूचित जन जातियों के मामलों में भी विकास निगमों के माध्यम से उनकी विकास स्कीमों में धन लगाने के लिए अभी काफी प्रयत्न करने की जरूरत है। | 4. 43 | 110 |
| (136) | अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों की दशा सुधारने के बारे में आयुक्त द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों में की गई सिफारिशों टिप्पणियों के बारे में दी गई विस्तृत सूचना से यह अनुभव किया जाता है कि सफाई कर्मचारियों के रहन सहन तथा कार्य की स्थितियों में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अनवरत प्रयास करने आवश्यक है। | 4. 52 | 112-113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|-------|---------|
| (137) | सभी ग्रामीण बैंकों की यह अनुदेश दिए जाने चाहिए कि उनके द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को और जनता के अन्य वर्गों को दी गई सहायता के बारे में वे अलग अलग आंकड़ें रखें। | 4. 59 | 115 |
| (138) | जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हेतु महायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता और अतिरिक्त रोजगार अवसरों का कितना लाभ उठाया गया है इसके बारे में अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम में विकास की असमी संभावनाएं हैं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक, आर्थिक हालत सुधारने के लिए वित्तीय और साध-साध तकनीकी सहायता देने के सभी प्रयास करने चाहिए। | 4. 64 | 116 |
| (139) | समुदाय के पिछड़े वर्गों में उद्यम कौशल विकास के नए कार्यक्रम को दिलचस्पी से देखने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर यह कार्यक्रम उचित ढंग से क्रियान्वित किया गया तो अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों में उद्यम कौशल में सुधार लाने में यह कार्यक्रम काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। | 4. 66 | 116 |
| (140) | दिल्ली नगर निगम का यह रुख ठीक नहीं है कि वे व्वावसायिक लाइसेंसों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के लिए विशेष आरक्षण करना व्यवहार्य नहीं समझते। यह उनके द्वारा यह मानने के समान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति व्यवसाय की तकनीकी अपेक्षाएं पूरी कर ही नहीं सकते। निगम को चाहिए कि वह व्यावसायिक लायसेंस आबंटित करते समय इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण निर्धारित करे और अगर वे तकनीकी आवश्यकताएं पूरी करते हों तो उन्हें ये लायसेंस मंजूर किए जाएं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या के बारे में भी निगम को आंकड़ें रखने चाहिए। | 4. 79 | 119 |
| (141) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना अनिवार्य है ताकि जब कभी उन्हें सिविल, रेवेन्यू तथा क्रिमिनल मामलों में अदालतों में घसीटा जाए या उन्हें न्याय पाने के लिए स्वयं अदालतों में जाना पड़े तो उन्हें उचित न्याय मिल सके। इन स्कीमों की उपयोगिता के बारे में उचित मूल्यांकन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत सूचना एकत्र की जानी चाहिए। इस सूचना में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि कानूनी सहायता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किस प्रकार के आवेदन पत्र आये, कानूनी सहायता देने के लिए कितने ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किया गया तथा इन मामलों का अन्त में क्या रहा। विशेषज्ञ निकायों को भी चाहिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता देने की स्कीमों की समीक्षा उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने हेतु करें। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आयुक्त ने अपनी पिछली रिपोर्टों में सुझाया था, सामाजिक अन्याय के मामलों की कानून के उल्लंघन के साधारण मामलों से पृथक समझे जाने के लिए मुकदमा कार्यवाही प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है और सबूत के भार-संबंधी कानून, साक्ष्य अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। | 4. 81 | 122 |
| (142) | बिहार सरकार की जिला अधिकारियों आदि के लिए निर्धारित की गई विवरणियों में एक विशेष कालस शामिल करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए जिससे कि राज्य में अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त लाभों की जानकारी मिल सके। | 4. 83 | 122 |
| अध्याय 5—भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम | | | |
| (143) | जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई बंजर भूमि बहुत उबड़-खाबड़ है और उसे खेती योग्य बनाना हिताधिकारियों की क्षमता से परे है वहां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की उन्हें या तो उस भूमि के बदले दूसरी भूमि आबंटित करना चाहिए या उस भूमि के उद्धार कार्य में उन लोगों को सहायता करनी चाहिए। | 5. 5 | 126 |
| (144) | जिन राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आयुक्त की 1959-60 की रिपोर्ट में की गई इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन लोगों को जिन्हें बंजर भूमि आबंटित की गई है, सरकार को भूमि राजस्व का पुरा भुगतान करने के लिए कहने से पहले इन भूमियों को खेती लायक बनाते के लिए कम से कम तीन वर्ष का समय दिया जाना चाहिए और यह कि आबंटन के पहले वर्ष में सामान्यतया उन पर ऐसा कोई कर नहीं लगाना चाहिए तथा दूसरे व तीसरे वर्षों में उनसे भूमि राजस्व का क्रमशः केवल एक तिहाई तथा दो-तिहाई भाग लिया जाना चाहिए, उन्हें ऐसा करने के लिए अब शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। | 5. 6 | 126 |
| (145) | यह दोहराया जाता है कि भूदान और ग्राम-दान आन्दोलन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा इसके बारे में पूरी सूचना राज्य सरकारों के राजस्व विभागों और भूदान समितियों दोनों द्वारा रखी जानी चाहिए ताकि इन उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिले वास्तविक लाभों का मूल्यांकन किया जा सके। | 5. 7 | 126-127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------|---------|
| (146) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के नए अधिवासियों को भूमि के उद्धार और विभिन्न कृषि निवेशों के लिए उदार सहायता देनी चाहिए तथा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में और साथ ही अनुसूचित जातियों के कृषकों के लाभ के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन मजदूरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहकारी कृषि सभित्तियां बनाने की वांछनीयता पर भी विचार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों की नई किस्में विकसित करने पर अनुसंधान करना भी आवश्यक समझा जाता है | | 5.9 | 127-128 |
| (147) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में भूमियों के अभिलेखों को पूरा करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और इतने अभिलेखों में भूमि पर सन्तुष्ट, कुल अवकाश वंश के सामूहिक अधिकार तथा व्यक्तियों के अधिकार विश्वसनीय रूप से दर्शाए जाने चाहिए | | 5.14 | 128 |
| (148) पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए कि यह एक परिक्रामी निधि स्थापित करने की संभावना का पता लगाए जिसमें से बटाईदारों (बर्गादारों) को भूमि पर खेती आरम्भ करने के लिए सहायता दी जा सके ताकि फसल में उनका हिस्सा 50% से बढ़कर 75% हो सके | | 5.21 | 130 |
| (149) पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार ब्लाक में दिसम्बर, 1979 में अपने दौर के समय आयुक्त ने यह देखा कि 6 बर्गादारों को उनके भूमिपतियों ने कृषि के उस हिस्से की रसीद नहीं दी थी जो उन्होंने भूमिपतियों को दिया था। सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को कहा गया था कि वे इस मामले की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 की धारा 19क को उपधारा 2(क) के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करें। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले पर गौर करे और यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे | | 5.24 | 131 |
| (150) "बर्गा संक्रिया" ("आपवेशन बर्गा") को रोकने के लिए भूमिपतियों ने जिन बर्गादारों के प्रति उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं उन बर्गादारों की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की उच्च न्यायालय में उनके मामलों की पैरबी करनी चाहिए। इनके बर्गादारों से यह विश्वास पैदा हो सके कि उनके अधिकारों के रिकार्ड के बारे में मुकदमेबाजी के हर स्तर पर राज्य उन की सहायता करेगा तथा इसके लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा | | 5.25 | 131 |
| (151) असम में बंगला देश, नेपाल, बिहार आदि से लोगों के आकर वस जाने से आदिवासी पट्टियों के अन्दर और बसहर भूमि के अवैध अंतरण की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों का पता लगाने और आदिवासियों को उन की अन्तर्गत भूमियां वापस लौटाने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए। | | 5.27 | 131-132 |
| (152) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को चाहिए कि वे उन क्षेत्रों में जहां भूमि अंतरण के अत्यधिक मामले होते हैं, अन्तर्गत भूमि के मामलों का पता लाकर इन भूमियों की वापस दिलवाए और इसके लिए विशेष तंत्र नियुक्त करे। इन मामलों की राज्य स्तर पर जांच की जाये तो जाये। भूमि वापसी शीघ्र हो सके इस के लिए राज्य सरकार को आदिवासी भूमियों के अतिक्रम अवकाश अत्र अंतरण के मामलों में पक्षकार बन जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए संज्ञित क्रियाविधि अरनाई जानी चाहिए | | 5.28 | 132 |
| (153) बिहार राज्य के संथाल परगना जिला में आदिवासियों को जो भूमियां अत्रैय रूप से गैर-आदिवासियों को अन्तर्गत हुई हैं उन्हें यथाशीघ्र वापस दिनायत जाना चाहिए और वर्तमान काश्तकारी कानूनों में बच निकलने के जिन रास्तों के कारण आदिवासियों को उनकी भूमियां वापस दिनायत में बाधा उत्पन्न होनी हो उन्हें उक्त कानूनों में समुचित संशोधन करके तत्काल बंद किया जाना चाहिए | | 5.32 | 133-134 |
| (154) बिहार सरकार को संथाल परगना जिला के आदिवासियों को लैम्ब के माध्यम से उपभोग के लिए कर्ज देने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आदिवासियों को अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए महाजनों पर निर्भर न रहना पड़े | | 5.32 | 134 |
| (155) बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संथाल परगना जिला के आदिवासी मजदूरों को अनिवार्यतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नियत दरों के अनुसार मजदूरी मिले | | 5.32 | 134 |
| (156) बिहार के संथाल परगना जिला में हाटों पर प्राइवेट उद्योगों के माध्यम से महसूल वसूल करने की प्रणाली स्याप्त की जानी चाहिए और हाटों का संवाहन इस प्रयोजन के लिए गठित आदिवासी सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। विकल्प के रूप में, हाटों के प्रमुख स्थानों पर महसूल की दर-पुत्रो लगाई जानी चाहिए तथा जो पट्टाधारी निर्धारित दर से अधिक महसूल वसूल करें उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए | | 5.32 | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--------------|------------|
| (157) | बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने की शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए कि संथाल परगना जिला में लैम्प्स को नियंत्रित कपड़े और उर्वरक की सप्लाई नियमित रूप से हो तथा लैम्प्स को इन वस्तुओं की सप्लाई बंद कर देने संबंधी परिपत्र वापस लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उप-योजना क्षेत्रों में लैम्प्स उन क्षेत्रों में स्थापित की जाए जहां प्रमुखतः आदिवासी रहते हों ताकि इन लैम्प्स के लाभ आदिवासियों को पहुंचे। अन्य विकास स्कीमों जैसे लघु सिंचाई स्कीमों के लिए स्थलों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इन स्कीमों का लाभ प्रमुखतः आदिवासी लोगों को प्राप्त हो | 5.32 5.39 | 134 136 |
| (158) | बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन झगड़ों में आदिवासी लोगों के जान और माल की हानि हो उनमें पर्याप्त मुआवजा अदा करने के लिए अनिवार्यतः शीघ्र कार्रवाई की जाए | 5.32 | 134 |
| (159) | बिहार के जिला संथाल परगना में दिसम्बर, 1979 में आयुक्त के दौरे के समय यह देखने में आया था कि डुमका सब-डिवीजन के सुन्दर पहाड़ी ब्लॉक के यांव मुनिदोह के एक आदिवासी व्यक्ति की 6 कट्टा भूमि एक महाजन द्वारा 150 रुपये के ऋण के बदले में ले ली गई थी। इस भूमि में वह आदिवासी ही खेती करता था लेकिन उपज का आधा भाग महाजन ले जाता था। इस तरह यह शोषण का बदतरीन मामला था। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसे मामले फिर से न होने पाएं | 5.33 | 134-135 |
| (160) | बिहार सरकार को चाहिए कि राज्य के संथाल परगना जिले में काश्तकारी कानून का पुनर्विलोकन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे ताकि आदिवासियों की अन्तर्गत भूमियों को यथाशीघ्र वापस दिलाया जा सके | 5.36 | 134 |
| (161) | यह महसूस किया जाता है कि छोटा नागपुर में जिन आदिवासियों की अन्तर्गत हुई भूमि को वापस दिलाया गया है उन्हें जब तक अर्ध-कालिक और दीर्घ-कालिक ऋण की सुविधाएं और जखरी कृषि-निवेश नहीं दिए जाते तब तक उनकी भूमि फिर अन्तर्गत हो जाने की संभावना बनी रहेगी। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह आदिवासियों को ये सुविधाएं देने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे | 5.38 | 136 |
| (162) | बिहार के सिंहभूम जिले में मुडा और मंकी जैसे आदिवासी नेताओं, संघीत ब्लॉक विकास अधिकारियों, स्थानीय सरकारी अधिकारियों, विधान सभा के सदस्यों और सम्बन्धित संसद सदस्य को राज्य वन विकास निगम की सलाहकार परिषद् के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा साल के वृक्षों को काटने से पहले इन सभी व्यक्तियों से परामर्श किया जाना चाहिए जिससे कि झगड़े न हों | 5.39 | 136 |
| (163) | बिहार के सिंहभूम जिले के आदिवासियों का आरोप है कि सरायकेला सब-डिवीजन के 35 खुन्टकट्टी गांवों को 1899 में बर्तानिया सरकार ने अधिगृहीत कर लिया था और उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए आरक्षित वन घोषित कर दिया था। आदिवासी लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि वे खुन्टकट्टी गांव उन्हें वापस दिलाए जाने चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले की पूरी तरह जांच कराए और यदि आदिवासियों की मांगें न्यायसंगत हों तो उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे | 5.39 | 136 |
| (164) | बिहार सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और अधिसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 में विद्यमान बच निकलने के विभिन्न रास्तों को यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासियों की भूमियां गैर-आदिवासियों को अन्तर्गत न हों और जो भूमियां पहले से अन्तर्गत हो चुकी हैं वे आदिवासियों को वापस मिल जाएं | 5.39 | 137 |
| (165) | यह देखा गया है कि बिहार के सिंहभूम जिले से बड़ी संख्या में आदिवासी लड़के और लड़कियां ईंटों के भट्टों पर मजदूरी करने तथा अन्य काम करने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं। यह आरोप था कि ठेकेदार इनमें से कुछ आदिवासी लड़कियों का अनैतिक कार्यों के लिए अनुचित लाभ भी उठाते रहे थे। इनमें से अधिकतर प्रवासों आदिवासियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी की दर से कम दरों पर मजदूरी दी जा रही है। बिहार सरकार को चाहिए कि इस मामले की पूरी तरह जांच करवाए और यह सुनिश्चित करे कि आदिवासी मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा शोषण न हो और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित दरों से कम मजदूरी न मिले | 5.39 | 136-137 |
| (166) | केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को चाहिए कि वे "अन्तरराज्य प्रवासी मजदूर (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 1979" को शीघ्र अधिसूचित कर दें | 5.39 | 137 |
| (167) | कई मामलों में गैर आदिवासी लोग अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अधीन आदिवासियों की अन्तर्गत हुई भूमियों को वापसी के आदेशों के संबंध में उच्चतर न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करते रहे हैं। उससे उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए बिहार सरकार को चाहिए कि उक्त विनियम में उपयुक्त संशोधन करें जिससे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (क) के अधीन पारित भूमि-वापसी के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त आदेश का पालन करने के बाद ही की जा सके | 5.40 | 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------|-----|
| (168) | बिहार सरकार द्वारा इस आशय का एक उपबंध किया जाना चाहिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71-क के अधीन अन्तर्गत भूमियों की वापसी के लिए आदिवासियों द्वारा चापर किए गए आवेदनों की विचारण न्यायालयों द्वारा तकनीकी आधार पर अस्वीकार किए जाने पर उन्हें पुष्टि के लिए उच्चतर अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं जो सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई करे और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपनी टिप्पणियां और निदेश दे | 5.40 | 137 |
| (169) | बहुतसी अनुसूचित जनजातियों को पुनरीभणात्मक सर्वेक्षण के बाद भूमि के वेध अथवा अवैध हस्तान्तरण के बिना ही अपनी जमीनों से जबरन बेदखल कर दिया गया था। एक मत के अनुसार ऐसे मामले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71-क के अधीन नहीं आते जिसके अन्तर्गत केवल "सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम" के अधीन हस्तान्तरण करने के मामले ही आते हैं और इन मामलों पर सामान्य कानून द्वारा ही विचारण हो सकता है। अनुसूचित क्षेत्र विनियम के अधीन संक्षिप्त विचारण इस पर लागू नहीं होता। अतः इस खामी को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा धारा 71-क की भाषा में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए | 5.40 | 137 |
| (170) | बिहार सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन कतिपय प्रयोजनों के लिए आदिवासियों की भूमियां गैर आदिवासियों को हस्तान्तरित किए जाने के मामलों की प्रामाणिकता पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रणाली तैयार की जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी लोगों की इस प्रकार अधिगृहीत की गई भूमियां वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाएं जिसके लिए वे अधिगृहीत की जाती हैं | 5.40 | 138 |
| (171) | अनेक मामलों में जमींदारों के माध्यम से गैर-आदिवासियों को अन्तर्गत की गई अनुसूचित जनजातियों की रयती भूमियां अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अधीन आदिवासियों की वापस नहीं दिलाई जा सकीं। बिहार सरकार को चाहिए कि उक्त विनियम में एक नया खण्ड जोड़कर वच निकलने के इस रास्ते को बन्द कर दिया जाए | 5.40 | 137 |
| (172) | बिहार सरकार को चाहिए कि वह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71-क को संशोधित करे ताकि स केवल अनुसूचित जनजातियों के रयतों की भूमियों को बल्कि भूईहारी और खुंटकट्टी भूमियों को भी संरक्षी और वापसी पञ्ज (प्रोटेक्टिव एण्ड रेस्ट्रिक्टिव विंग) के अधीन लाया जा सके | 5.40 | 138 |
| (173) | भारतीय परिसीमा अधिनियम (1963 का छत्तीसवां) में संशोधन करके अनुसूचित जनजातियों के लोगों की अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिसीमा की अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया था। फिर भी, भारी संख्या के उन मामलों में ज्यादा राहत नहीं दिलाई जा सकती जिनमें भूमि अंतरण 12 वर्ष से पहले ही चुका था। अतः बिहार सरकार को चाहिए कि संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना जारी की जाए | 5.40 | 138 |
| (174) | बिहार सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे की छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71(ख) के अधीन निर्धारित शैक्षिक उपबंधों को कार्यरूप देने की शक्ति न्यायापालिका को बजाय, राजस्व अदालतों के अधिकारियों को सौंपी जाए ताकि अनावश्यक बिलंब को रोका जा सके। इस धारा के उपबंधों को राज्य सरकार द्वारा भी जोरदार रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। | 5.40 | 138 |
| (175) | आदिवासी भूमियों के अंतरण की समस्या के विस्तार का पता लगाने और आदिवासी भूमि के अंतरण का नियंत्रण करने तथा जो भूमियां गैर-आदिवासी लोगों के हाथों में चली गई हैं। उन्हें वापस लौटवाने से संबंधित विद्यमान विनियमों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ अभिरक्षणों द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किए जाने चाहिए विभिन्न राज्य सरकारों को अपने कानूनों में ऐसे उपबंध भी करने चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को जमीन कि विक्री अमान्य होगी जब तक कि यह किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के हक में न हो। कानूनों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस बारे में दलील कार्यवाही के किसी भी स्तर पर और किसी हित-उत्तराधिकारी द्वारा की जा सकती है | 5.43 | 139 |
| (176) | राज्य सरकारों को अपने ही द्वारा निर्धारित दरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निर्धन कृषि श्रमिकों को मजदूरी दिखाने में समी संभव तरीकों से सहायता करनी चाहिए। उनकी शिकायतों को देखने तथा चूक कर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मचारी बंधू द होने चाहिए। योजना के अधीन धनराशि की व्यवस्था द्वारा राज्य सरकारों के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने समाज कल्याण शीर्ष के अधीन धनराशि आवंटित करके किया है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकार को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अधीन न केवल भन्वे के समय बल्कि कृषि कार्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य कराने चाहिए ताकि सून्वामी न्यूनतम मजदूरी देने के लिए मजबूर हो जाएं | 5.45 | 139 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------|-----|
| (177) | बिहार सरकार को चाहिए कि जहां हरिजनों पर अत्याचार हों वहां सारे हथियार अभिग्रहण कर लिए जाएं अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए मात्र अनुदेश जारी कर देना काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित जातियों की असंख्य तथा विभिन्न समस्याओं का, जो अधिकतर भूमि तथा मजदूरी विवादों से संबंधित है, समाधान करने में सभी लोगों को विशेष कर सामाजिक और स्वयं सेवी संगठनों और सरकार को भरपूर प्रयत्न करने चाहिए | 5. 52 | 142 |
| (178) | यह सराहनीय है कि गुजरात सरकार ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ऋणों से मुक्ति दिलाने और उन की भूमियां उन्हें वापस दिलाने में उन की सहायता करने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों को उनकी भूमियों से वंचित कर दिया गया है और जो ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें सहायता देने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कर्मचारी और धनराशि उपलब्ध कराने चाहिए। बाकी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी भूमि विवादों को रोकने और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहायता करने के लिए इसी प्रकार के कदम उठाने चाहिए। | 5. 57 | 144 |
| (179) | जैसा कि इस संगठन का बिल्ले वर्षों में अनुभव रहा है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को एस०एफ० डी०ए० स्कीम से प्राप्त हुए लाभों के बारे में पूर्ण ध्यान कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का इस कार्यक्रम से हुए आर्थिक विकास के बारे में समग्र विश्लेषण तैयार किया जा सकता। अर्थात् आंकड़ों के आधार पर यह कहना कठिन है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इस कार्यक्रम से यथोचित लाभ मिलने लगा है या नहीं। | 5. 59 | 144 |
| (180) | देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यक्रमों में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे संगठनों का सहयोग लेने के लिए प्रयास करने चाहिए | 5. 63 | 145 |
| (181) | सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न आवास स्कीमों को कार्यान्वित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिलीजुली कालोनियां ही बनाई जाएं और अनुसूचित जातियों को अलग कालोनियां में पृथक न रखा जाए | 5. 65 | 146 |
| (182) | यह दोहराया जाता है कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नए दुकान क्षेत्रों का विकास करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए दुकानों के आबंटन की प्रतिशतता निश्चित कर देनी चाहिए ताकि इन वर्गों के लोगों को बाणिज्य व्यापार में लगने में सहायता मिल सके | 5. 67 | 146 |
| (183) | केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित करने में आरक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि करने और साथ-साथ इन कर्मचारियों के लिए आबंटन सम्बन्धी आदेश टाइप पांच तक लागू कर देने के लिए तत्काल पुनरीक्षण करना चाहिए | 5. 68 | 146 |
| (184) | सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवास आबंटन करने में आरक्षण कोटा अभी तक नहीं अपनाया है, उन सभी को चाहिए कि वे ऐसे कर्मचारियों को आवास आबंटन में विशिष्ट आरक्षण करने की बांछनीयता पर विचार करें भले ही उनके पास उन कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए इस समय कोई आवास न हो। इस प्रकार का नीति निर्णय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने में उस समय मदद देगा जब बाद में कभी सम्बन्धित उपक्रम मकान बनाने/अजित करने का कोई निर्णय करेगा | 5. 70 | 147 |

अध्याय 6—शैक्षिक विकास

| | | | |
|-------|---|--------------|-----|
| (185) | यह दोहराया जाता है कि बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिल नाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और गोवा, दमन एवं दीव की सरकारों/प्रशासनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वृत्तिक्रांति, मुफ्त गणवेश, पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री जैसे प्रोत्साहन देकर उनके बाखिले में वृद्धि के लिए संगठित प्रयास करने चाहिए | 6. 4 6. 5 | 149 |
| (186) | अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों में शिक्षा की छीजन और रूढ़ता का पता लगाने के लिए अन्य राज्यों में भी आदिवासी अनुसंधान संस्थानों द्वारा उस प्रकार के अध्ययन किए जाने चाहिए जैसा कि आदिवासी अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद द्वारा किया गया था। जब तक इन जातियों में | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--------------|-----|
| | शिक्षा की छीजन को घटाकर न्यूनतम नहीं किया जाता तब तक प्राथमिक कक्षाओं में इन जातियों के बच्चों को अतिरिक्त दाखिल कराने के लिए खर्च की जा रही भारी धनराशि बेकार जाएगी। अतः सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र कदम उठाएं ताकि वे बच्चे विद्यालयों में अपना अध्ययन जारी रख सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें शिक्षा की छीजन और रुद्धता न्यूनतम हो | 6.7 | 149 |
| (187) | केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए इन सुझावों का स्वागत है कि राज्य के शिक्षा विभागों को यह जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए कि, कार्यान्वयन एजेंसी चाहे जो भी हो, वे अन्य विभागों की सलाह लेते हुए सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के ध्येय तैयार करें जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शामिल हों। ऐसी आशा है कि सभी राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र प्रशासन, इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ति कार्रवाई करेंगे | 6.8 6.9 | 150 |
| (188) | राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेष प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत है। आशा है कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू करते समय अनुसूचित जातियों/जनजातियों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उपयुक्त अनु-देशों को कार्यान्वित करेंगे | 6.13 6.14 | 151 |
| (189) | आयुक्त की 1977-78 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार यह दोहराया जाता है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति की वस्तियों के साथ-साथ आदिवासियों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 15-35 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निरक्षर लोग और अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से फायदा उठा सकें | 6.15 | 151 |
| (190) | बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा राजस्थान सरकार को अपने-अपने राज्यों में आश्रम विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए | 6.16 | 152 |
| (191) | यह दोहराया जाता है कि आश्रम विद्यालयों वाले सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे अपने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के इन विद्यालयों की पाठ्यचर्याओं का पुनर्विलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां दस्तकारी पर आधारित शिक्षा वास्तव में प्रदान की जाए। इस प्रयोजन के लिए इन विद्यालयों की दस्तकारी उपकरण और आवश्यक दस्तकारी-प्रशिक्षित अध्यापक दिए जाने चाहिए | 6.17 | 152 |
| (192) | चूँकि बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी बड़ी है, पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों की संख्या अभी तक काफी अपर्याप्त है, इस लिए यह दोहराया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारों को इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए | 6.20 | 153 |
| (193) | इस सिफारिश को दोहराया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े वर्ग छात्रावास खोलने के संबंध में अस्तुलित विकास न होने देने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उन्हें चाहिए कि संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक सर्वेक्षण करके वहां की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रावासों का क्षेत्रवार संतुलित विकास करने हेतु सरकार के स्तर पर सुविचारित नीति अपनाई जाए | 6.21 | 153 |
| (194) | जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अभी तक पिछड़े वर्गों के अनुदान प्राप्त छात्रावासों के लिए सहायता अनुदान की दरों में वृद्धि नहीं की है, उन्हें चाहिए कि वे ऐसा अति शीघ्र करें जिससे मूल्यों के स्तर में हुई तीव्र वृद्धि को निष्प्रभावी किया जा सके तथा स्वैच्छिक संगठन छात्रावासों को कुशलतापूर्वक चला सकें | 6.22 | 153 |
| (195) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सामान्य छात्रावासों में सीटों की विशिष्ट प्रतिशतता आरक्षित की जानी चाहिए। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, गोवा, दमन एवं दीव तथा पाण्डिचेरी सरकारों/प्रशासनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सभी सामान्य छात्रावासों में स्थानों का आवश्यक आरक्षण करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए | 6.24 | 154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------|---------|
| (196) | इस सिफारिश को फिर दोहराया जाता है कि भारत सरकार तथा उन राज्य सरकारों को, जिनके राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कन्याओं के लिए छात्रावास बहुत कम संख्या में हैं, इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकाधिक कन्याएं प्रारम्भिक तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। | 6. 26 | 155 |
| (197) | मूल्य स्तर में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुर्विज्ञान एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के विद्या छात्रों और उन योग्य परीक्षार्थियों से जिस पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्या छात्रों तथा छात्रावासों में रहने वालों को मिलने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों से भी समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। | 6. 32 | 156 |
| (198) | रोजगार पर लगे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां पाने का पात्र बनाया जाना चाहिए और उन पर "आय-जांच" की ये शर्तें लागू की जाएं जो बेरोजगार छात्रों पर लागू होती हैं, अन्तर केवल इतना होना चाहिए कि रोजगार पर लगे छात्रों के मामले में "आय जांच" के प्रयोजन के लिए उनके परिवार की कुल आय का हिसाब लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के विनियमों का यथोचित संशोधन कर दिया जाना चाहिए। | 6. 33 | 156-157 |
| (199) | एक ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रतिबंध को हटाने तथा छात्रवृत्तियों के लिए उनके सभी बच्चों को यदि वे आय जांच की शर्तें पूरा करते हों, पात्र मानने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को यथाशीघ्र कार्रवाई करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए। | 6. 34 | 157 |
| (200) | जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के भुगतान में होने वाले खिलबंद को दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की हो तो उन्हें इस बारे में यथाशीघ्र कदम उठाने चाहिए। | 6. 37 | 158 |
| (201) | सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े समुदायों को पहचान करने के लिए और विशेष कोचिंग कक्षाएं शुरू करने, मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने और उनके लिए आश्रम विद्यालयों जैसे विशेष रिहायशी स्कूल खोलने, प्रभूति विशेष कार्यक्रम आरंभ करने की यथाशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उक्त वर्ग के और अधिक छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के स्तर तक पहुंचने और स्कॉल का लाभ उठाने का प्रोत्साहन मिले। | 6. 38 | 158 |
| (202) | यह दोहराया जाता है कि शुष्क शीचालयों को साफ करने वाले तथा खाल उतारने का काम करने वाले संर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और गृह मंत्रालय द्वारा इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ये सभी पात्र छात्रों को उसी प्रकार मिल सकें जिस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां मिलती हैं। | 6. 39 | 158-159 |
| (203) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में पुस्तक-बैंक खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत है। इस स्कीम का विस्तार करके इसे सभी डिग्री कालेजों में लागू किया जाना चाहिए ताकि विज्ञान/वाणिज्य तथा कला उपाधि पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र पुस्तक-बैंकों की सुविधा से लाभान्वित हो सकें। | 6. 42 | 159 |
| (204) | यह सिफारिश दोहराई जाती है कि जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने मैट्रिकपूर्व वृत्तिकाओं और पुस्तक-अनुदान, गणवेश, मध्याह्न भोजन आदि जैसे अन्य प्रोत्साहनों को स्कीमों नहीं चलाई हैं, उन्हें अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कीमों को चलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। | 6. 43 | 159 |
| (205) | सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर मैट्रिकपूर्व वृत्तिकाएं आदि सभी को नहीं दे रहे हैं अपने बजट में इन स्कीमों के लिए उदार रूप से प्रावधान करके, शीघ्र ऐसा करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिकपूर्व स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को वृत्तिकाएं संचार की जाएं तथा इन वृत्तिकाओं की संख्या धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। | 6. 44 | 159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|------|---------|
| (206) | चूँकि अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों की सफाई, चर्मशोधन तथा खाल उतारने के काम में लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियों की संख्या इतनी कम है कि इन वर्गों के सभी बच्चों को ये छात्रवृत्तियाँ देना संभव नहीं होता, इसलिए यह सिफारिश बोहराई जाती है कि इन छात्रवृत्तियों की संख्या समुचित रूप से बढ़ा दी जाए ताकि इन वर्गों के अधिक बच्चों को ये छात्रवृत्तियाँ दी जा सकें। | 6.45 | 159 |
| (207) | जब तक अधिक व्यापक प्रचार द्वारा पात्र उम्मीदवारों को अधिक संख्या में आकर्षित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली सभी समुद्रपार छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता तब तक इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य ही सफल नहीं होगा। चूँकि 1976-78 को कुछ समुद्रपार छात्रवृत्तियों अभी तक उपयोग में आए बिना पड़ी हैं, इसलिए गृह मंत्रालय को यह देखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सुपात्र विद्यार्थियों द्वारा सभी छात्रवृत्तियों का उपयोग कर लिया जाए। | 6.50 | 160 |
| (208) | अपने मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कोई सीट आरक्षित रखने के सम्बन्ध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय को राजी न होने का रवैया चिन्ताजनक है। यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अपने मेडिकल कालेज में निर्धारित आरक्षण करने हेतु उस विश्वविद्यालय को राजी करने के बारे में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। | 6.52 | 161-161 |
| (209) | यह सिफारिश बोहराई जाती है कि जिन राज्यों के प्राइवेट मेडिकल कालेजों में प्रतिव्यक्ति शुल्क (कॅपिटेशन-फीस) अदा करने पर प्रवेश मिलता है उन राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन कालेजों में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, कर्नाटक सरकार की भाँति, प्रतिव्यक्ति शुल्क अदा करने की आवश्यक कार्रवाई करें। | 6.53 | 161 |
| (210) | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के चुनिंदा छात्रों को उच्चतर माध्यमिक/बी०एस०मी० प्रथम वर्ष के स्तर पर चुने हुए स्कूलों तथा कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने से पहले तथा शैक्षिक ज्ञान में सुधार लाने के लिए विज्ञान/गणित/जीव विज्ञान में विशेष कोचिंग देने की प्रस्तावित स्कीम जिससे ये छात्र में डिकल एवं इंजिनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में अच्छी प्रकार मुकाबला कर सकें, प्रशंसनीय है। आशा की जाती है कि वह स्कीम शीघ्र शुरू की जाएगी ताकि मेडिकल तथा इंजिनियरिंग कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और अधिक छात्र प्रवेश पा सकें। अन्य सभी राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की स्कीम चलानी चाहिए। मेडिकल कालेज, रायपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रथम वर्ष के छात्रों की की विशेष कोचिंग की व्यवस्था द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिए भी कर दी जानी चाहिए ताकि उन छात्रों के निष्पादन में भी सुधार हो सके। | 6.54 | 161 |
| (211) | जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने अभी तक चिकित्सा शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्पक्षित आरक्षण नहीं किया है, उन्हें तत्काल इसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अपने रखे पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा चिकित्सा शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के दाखिले में स्थानों के आरक्षण के लिए इन संस्थानों विश्वविद्यालयों को राजी कराना चाहिए। अखिल भारतीय आर्युर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को घटुते से अन्य वर्गों के साथ आरक्षण बढ़ाने की बजाय, स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट रूप से स्थानों का आरक्षण करना चाहिए। | 6.55 | 162 |
| (212) | यह सिफारिश बोहराई जाती है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशतता बढ़ा कर 20 कर दी जानी चाहिए और उनके प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकस्तर को और कम करने जैसे विभिन्न उपाय भी शीघ्र किए जाने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा सभी आरक्षित सीटें भरी जा सकें। | 6.56 | 162-163 |
| (213) | यह सुझाव बोहराया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०) में प्रवेश हेतु जे०ई०ई० के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रस्तावित विशेष अनुशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इत संस्थानों में इन समुदायों के और अधिक विद्यार्थी प्रवेश पा सकें और वे उनमें भली भाँति चल सकें। | 6.58 | 162 |
| (214) | सभी केन्द्रीय विद्यालयों को चाहिए कि वे इन स्कूलों में प्रवेश के लिए निर्धारित स्तर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पक्ष में शिथिल करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अगस्त 1978 में जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करें और यह सुनिश्चित करें कि इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई सीटें उनके द्वारा भर ली जाएं। संगठन को चाहिए कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रखे कि ये सभी विद्यालय इस संबंध में संगठन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन कर रहे हैं। | 6.65 | 165 |

अध्याय 7—अस्पृश्यता

- (215) हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिन गांवों में उन्होंने सर्वेक्षण किया है और वहां उन्होंने अस्पृश्यता की जो विभिन्न प्रथाएं देखी हैं उन्हें दूर करने के लिए वे कार्य करें। सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे इन कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षण किए गए गांवों में अस्पृश्यता को समाप्त करने में उनकी सहायता करें। एक वर्ष के अन्तराल के बाद इन गांवों में इस बात का पता लगाने के लिए दोबारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि क्या वहां सामाजिक असमर्थताओं के चिह्न अभी भी विद्यमान हैं। 7.7 171
- (216) स्वैच्छिक संगठनों को चाहिए कि वे सर्वेक्षण करें और जनता को इस बात की जानकारी दें कि यदि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को दुकानों, रेस्तरां, होटलों अथवा मार्शजनिफ मनोरंजन के अन्य स्थानों पर आने से रोका और इस प्रकार अस्पृश्यता का व्यवहार किया तो उन्हें किस प्रकार की सजा दी जा सकती है। 7.14 174
- (217) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को क्षेत्रीय भाषाओं में परिचालित करने के लिए पांडिचेरी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सराहनीय है। अन्य सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्रवाई करें। 7.14 174
- (218) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तमिल नाडु और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे अन्तरजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को अल्प-कालिक और दीर्घ-कालिक लाभ देने की वांछनीयता पर विचार करें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे दम्पतियों को किसी भी प्रकार से तंग नहीं किया जा रहा है। 7.37 179
- (219) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि अन्तरजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को सुविधाएं देते समय वे अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल के सुझावों पर भी विचार करें। कार्यदल ने सुझाव दिए हैं कि अन्तरजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों की तथा जिन बच्चों के माता अथवा पिता में से कोई एक अनुसूचित जाति का हो, उन बच्चों को आरक्षण के वे सभी लाभ दिए जाने चाहिए जो अनुसूचित जातियों को दिए जाते हैं, तथा इस प्रकार का विवाह करने वाला प्रत्येक पति/पत्नी को रोजगार के मामले में, सामान्यतः जिस कोटे/श्रेणी का वह पात्र हो, उसमें उसे तब तक उच्चतम प्राथमिकता पाने का पात्र माना जाना चाहिए जब तक वे एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते अथवा परस्पर तलाक नहीं वे देते 7.38 179
- (220) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार जिन राज्य सरकारों ने अन्तर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को भूमि में प्राथमिकता देने संबंधी रियायत को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है, वे ऐसा करने की वांछनीयता पर विचार करें। 7.39 180
- (221) हिन्दू स्वोपसं सेवक संघ द्वारा किए गए संतोषजनक कार्य, और अनुसूचित जाति के युवकों को कृषि-प्रशिक्षण देने की आवश्यकता की ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे अनुसूचित जाति के युवकों को प्रशिक्षित करने और रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची द्वारा चलाए जा रहे "विध्यम" नामक संस्थान की तरह इन युवकों में धार्मिक सामंजस्य, सामाजिक भाईचारे तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना जागृत करने के उद्देश्य से कृषि प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संघ के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। 7.45 182
- (222) मामालेंड गांधी आश्रम, छुचुधिमलंग, नामालेंड वे जो सफलता प्राप्त की है उसे देखते हुए यह वांछनीय है कि श्री नटवर ठक्कर तथा उसके आश्रम द्वारा शुरू किए गए इस अच्छे कार्य के प्रभाव का विस्तार किया जाए और राज्य में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिकाधिक आश्रम खोले जाएं। 7.49 182

अध्याय 8—आदिवासी विकास

- (223) पांचवी योजना के चार वर्षों में आदिवासी विकास कार्य की गति तेज की गई थी और आदिवासी क्षेत्रों में काफी अवसरचना सृजित की गई थी लेकिन सीमित समावेशन क्षमता और नए विकास कार्यक्रमों के लिए प्रभावकारी वितरण प्रणाली न होने के कारण इन क्षेत्रों में वांछित रूप से प्रगति नहीं हो सकी। 8.9 185-186
- (224) केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध तथा अन्तरित भूमि की बापसी) अधिनियम, 1975 के अनुसार आदिवासियों की भूमियों को गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित करने पर प्रतिबंध है। अतः आदिवासियों की भूमियों के अन्तरण को रोकने के लिए इस अधिनियम को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। 8.11 186-187
- (225) उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेश जारी किए हैं जिनके अनुसार एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, लखीमपुर खीरी के 36 वन-गांवों की भूमि राजस्व विभाग में निहित कर दी गई है ताकि वह विभाग उस भूमि को उन्ही

गांवों के आदिवासी परिवारों को आवंटित कर सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून में संगत प्रावधान कर दिया जाए ताकि यह भूमि, आवंटन के बाद गैर आदिवासियों के हाथों में न चली जाए। राज्य सरकार को चाहिए कि जैसे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकारों ने किया है वैसे वह भी आदिवासियों की भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित करते पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करे। ए० आ० वि० परियोजना के अधीन 3 लैम्पस कार्य कर रही हैं लेकिन उन्हें और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि बैंक और राज्यवित्त एजेंसियां इन लैम्पस को समुचित धनराशि उपलब्ध नहीं करा रहीं हैं। राज्य सरकार को इस पक्ष की जांच करनी चाहिए ताकि कृषि और वन्य उत्पाद का प्राप्ति आदिवासियों को उनके उपयोग की जरूरी वस्तुएं वचने और उन्हें उत्पादन एवं उपयोग भ्रष्ट प्रदान करने के अपने तीन प्रकार के कार्यों को लैम्पस निभा सकें।

8.11 186

- (226) इस संकल्पना को अद्य कमेडिशन सभी राज्य सरकारों से स्वीकार कर लिया है कि आदिवासी विकास कार्य के लिए सभी विकास विभाग जिम्मेदार हैं। फिर भी यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में प्राधिकरण तो गठित कर लिए गए हैं परन्तु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर क्षेत्र सम्बन्धी (सेक्टरल) कार्यक्रमों का एकीकरण करने और परियोजना प्राधिकारी के निदेशानुसार समन्वित ढंग से इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अभी सफलता नहीं मिली है। यद्यपि लगभग सभी राज्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक और कार्मिक नीति के मार्गनिर्देशों को स्वीकार कर लिया है तथापि उनका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे इस पक्ष पर जादवी ही गौर करें और आदिवासी क्षेत्रों में इस स्वीकृत नीति को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न उपाय करें। समावेश क्षमता तथा आदिवासी विकास के लिए उन कार्यक्रमों की सीधी सुसंगति के आधार पर परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा की जानी चाहिए।
- (227) हाल ही में योजना आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों को वर्ष 1979-80 से केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में धन लगाने सम्बन्धी अपने निर्णय सूचित किए हैं जिनके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों की अनेक विकास स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी जाएंगी अथवा उनका अर्थ प्रबंध सवृश्य आधार (मैचिंग वेसिस) पर किया जाएगा। यह आशंका है कि इन निर्णयों के कार्यान्वयन से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें मंत्रालय, आदिवासी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र से अपेक्षित धनराशि नियत करने में अपने आपको असमर्थ पाएं। परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार के समग्र उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक लगता है कि योजना आयोग सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों की सलाह लेकर, केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को धन के अन्तरण से सम्बन्धित नए आदेशों के प्रकाश का पता लगाए जहां तक कि उसका सम्बन्ध आदिवासी क्षेत्रों के विकास से है, और आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने के लिए केन्द्रीय धन से विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों के अर्थ प्रबंध को पुरानी पद्धति को चालू रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद से आग्रह करने की शीघ्र कार्रवाई करे। अन्य त्रिकल्प के रूप में, केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों को भविष्य के जपर्युक्त नदृश्य पूरे करने के लिए अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत स्वयं विचार करके राज्य सरकारों के लिए धनराशियां मंजूर करनी चाहिए।
- (228) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान सरकारों ने उप-योजना क्षेत्रों से बाहर आदिवासी इलाकों का पता लगाने के काम में कुछ प्रगति की है। बाकी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी चाहिए कि वे उप-योजना क्षेत्रों से बाहर की आदिवासी इलाकों का पता लगाने के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई करें।
- (229) बिखरे आदिवासियों का विकास साधारण क्षेत्रों (सेक्टरों) के अधीन किए जाने की आशा है, साधारण क्षेत्र के कार्यक्रमों को पिछड़ा वर्ग क्षेत्र की कल्याण स्कीमों द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अधीन चलाई गई स्कीमों इन क्षेत्रों के आदिवासियों की आर्थिक दशा पर निर्णायक छाप नहीं डाल पाई है। अतः यह आवश्यक है कि इन स्कीमों के स्वरूप को बदला जाए। इन्हें परिवार आधारित बनाना अधिक अच्छा होगा। ये सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की आवश्यकता के अनुकूल हों ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का लाभ वे भी उठा सकें। यदि यह कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो हम उस क्षेत्र में बेचनी पैदा करेंगे क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ेगा कि उनके भाई उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं जबकि उन्हें इन स्कीमों के लाभों से इसलिए वंचित रखा जा रहा है क्योंकि वे उपयोजना क्षेत्र से बाहर रहते हैं।
- (230) आदिवासी विकास कार्य दल और अध्ययन दलों की रिपोर्ट आदिवासी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक अन्य कदम है। इस बात की ध्यान में रखते हुए कि पांचवी योजना के दौरान उप-योजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे कार्यकारी तथा अध्ययन दलों की सिफारिशों के आधार पर आगे और निर्देश जारी करें ताकि उच्चतम स्तर पर स्वीकृत नीति के ढांचे की वास्तविकता में ढाला जा सके।

8.18 189-190

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|------|---------|
| (231) | महाराष्ट्र की माड़िया गौड, कटकारी और कोलम आदिभजातियों तथा उड़ीसा की कुटिया-कोंडों आदिभजातियों के स्वास्थ्य, आनुवंशिक तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं के क्रमशः आदिवासी अनुसंधान संस्थान, पुणे और राज्य आदिवासी एवं हरिजन अनुसंधान-सह-प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि मिंकिल-सेल रोग तथा रेडसेल ऐंजाइम की कमी काफी व्याप्त थी। अतः विस्तृत जांच करना जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई अन्य प्रकार के आनुवंशिक रोग तो विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि आनुवंशिक रोगों के हर प्रकार के खतर से बचने के लिए विशेष रोकथाम तथा इलाज के उपाय करने की आवश्यकता होती है। कुटियाकोंडों के जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें मलेरिया भी बहुत अधिक पाया गया जिनका इलाज आमतौर पर मलेरिया निरोधक दवाइयों से किया जाता है। यदि ये दवाइयाँ ऐसे व्यक्तियों को दी जाएं जिनमें आनुवंशिक (जी००-पी०-डी०) एंजाइम की कमी हो तो इससे कुछ रोगियों को भयानक हेमोलिटिक अनोमिया हो सकता है और इससे किसी-किसी मामले में मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया-निरोधक दवाइयाँ देने से पहले इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रख लिया जाना चाहिए | 8.24 | 190-191 |
| (232) | कुछ आदिवासियों की विशेष स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, सही तरीके की चिकित्सा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने में सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह अभी मालूम नहीं हुआ है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने में उन्होंने क्या प्रगति की है और सही प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने में आदिवासियों ने किस हद तक लाभ उठाया है | 8.25 | 191 |
| (233) | प्रथम कार्रवाई के तौर पर, आदिवासी क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें समाप्त कर दी जानी चाहिए और सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह मुनिश्चित करना चाहिए कि इनके से शराब उतारने की प्रणाली, शराब सप्लाई करने की प्रणाली में परिवर्तित न हो जाए और आदिवासी समुदाय की शराब पीने की आदत छूड़ने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं, स्वैच्छिक संगठनों और छात्रों का सक्रिय सहयोग लिया जाए | 8.26 | 191 |
| (234) | कभी-कभी आदिवासी लोग न केवल अपने उपभोग के लिए बल्कि स्थानीय बाजार में बेचने के लिए भी शराब तैयार करते हैं। इस स्थिति का ठेकेदार अनुचित लाभ उठाते हैं और आदिवासियों के नाम पर शराब का धंधा करते हैं। विगत हाल ही में जो लोग शराब का व्यापार करते थे उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में गैर-कानूनी कार्रवाइयां न करने पाएं | 8.28 | 192 |
| (235) | वनों पर आधारित सभी विकास कार्यक्रम कल्पनाशील रूप में बनाए जाने चाहिए ताकि उनसे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में सीधे सुधार लाया जा सके। यह भी बहुत आवश्यक है कि पहले आदिवासियों को यह महसूस करा दिया जाए कि उनके पारम्परिक अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है | 8.29 | 192-193 |
| (236) | वन खंड कार्यक्रमों से सम्बंधित अनेक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति है लेकिन क्षेत्र में उनका कार्यान्वयन अभी होना रहता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को वन खंड कार्यक्रमों के लिए अपनी परिश्रेय योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना चाहिए और यह मुनिश्चित करना चाहिए कि वनों का विकास एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों की व्यापक योजनाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए | 8.31 | 193 |
| (237) | बिहार के सिंहभूम जिले के विशुनपुर और संधाल परगना जिले के डुमका सब-डिवीजन के डुमका ब्लॉक में त्रिकती की सामाजिक वन खंड स्कीम सहायनीय है। राज्य के वन विभाग को चाहिए कि वे अनुसूचित जनजातियों की भूमियों में इस प्रकार की और अधिक सामाजिक वन खंड स्कीम शुरू करें | 8.38 | 194 |
| (238) | बिहार में निहिल-स्वार्थी लोग लघु वन्य उत्पादों की खरीद के कार्यक्रम को डुबो देने में सफल हो गए थे और राज्य वन विकास निगम को यह कार्यक्रम बंद करना पड़ा। यह देखने में आया था कि इस समूचे कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया तथा स्थानीय ठेकेदारों और दुकानदारों द्वारा डाले गए दबाव का मुकाबला करने हेतु सरकार में राजनैतिक दृढ़ इच्छा का अभाव रहा। बिहार के मुख्य मंत्री ने कुछेक लघु वन्य उत्पादों के विराष्ट्रीकरण के कारणों का पता लगाने के लिए सम्पूर्ण मामले का अन्वेषण करागे का तथा इस स्कीम को स्थानीय आदिवासी के नेताओं की सहमति व सहयोग से पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही टसर कोयले पालने वाले निधन अनुसूचित जनजाति के लोगों की परिस्थितियों से सुधार करने के लिए सरकार को कोयलों के व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि केन्द्रीय सरकार और खादी बोर्ड के टसर विपणन संगठन द्वारा कुल उत्पादन का थोड़ा भाग ही खरीदा जाता है | 8.39 | 194-195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------|---------|
| (239) | सांसाजिक बनखंड सेक्टर के अधीन बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने अच्छी स्कीमें चलाई हैं। अन्य राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे इस सेक्टर के अधीन आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम शुरू करें। राज्य सरकारें यह भी प्रयास करें कि औद्योगिक अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोगी किस्म के वृक्षारोपण कार्यक्रम में अदिला, हरड, बेहडा, मडुआ आदि लघु वन्य उत्पाद प्रदान करने वाले वृक्षों का लगाना भी शामिल किया जाए क्योंकि इनसे आदिवासियों के आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। | 8. 40 | 195 |
| (240) | संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे आदिवासी विकास कार्यदल द्वारा बनखंड विषय पर की गई सिफारिशों को 1978-83 की मध्यम-कालिक योजना के दौरान कार्यान्वित करें ताकि वन क्षेत्रों में रहे आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाया जा सके | 8. 42 | 196 |
| (241) | उड़ीसा के ब्योन्नर जिले के जुआंगपोड़ क्षेत्र में पोडु की खेती की रोकथाम के लिए एक विशेष स्कीम माइक्रो प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए मंजूर की गई है। जो आदिवासी फलों के बागान लमाने का काम करें उन्हें उस भूमि के अधिकार दिए जाने चाहिए जिसमें वे फलदार वृक्ष लगा रहे हैं और उन्हें शुरू से ही बागान के मालिकों के रूप में औपचारिक मान्यता भी दी जानी चाहिए | 8. 47 | 197 |
| (242) | राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, आदिवासियों को स्थानान्तरी खेती से विमुख करने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को 1979-80 के दौरान सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के राज्यों को हस्तान्तरित हो जाने से यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें बाकी बच रहे कार्यक्रमों तथा अनुरक्षण के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराएंगी ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके | 8. 53 | 198 |
| (243) | मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह स्थानान्तरी खेती को रोकने के लिए तत्काल उपाय करे और स्थानान्तरी खेती करने वालों को इससे विमुख करने के लिए संयुक्त कार्यक्रम तैयार करे। | 8. 54 | 198 |
| (244) | संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे स्थानान्तरी खेती की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 1978 में गठित किए गए आदिवासी विकास कार्यदल की सिफारिशों को कार्यान्वित करें। जिन राज्यों में काफी संख्या में स्थानान्तरी खेती करने वाले कृषक हों उन सभी राज्यों को चाहिए कि वे कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के कुल परिचय का एक निश्चित अनुपात इस समस्या से निपटने के लिए आवंटित करें | 8. 56 | 198 |
| (245) | केन्द्रीय रेशम बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे रेशम उत्पादन में लगे आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए उपलब्ध जनशक्ति और वन-संसाधनों का ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं | 8. 58 | 198-199 |
| (246) | केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान केन्द्रों द्वारा मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में चलाए गए मार्गदर्शी (पाइलट) विस्तार-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों को चाहिए कि वे न केवल टसर-कृषि की बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा करें बल्कि वे विनागोय कर्मचारियों को रेशम के कीड़ों के पालनपोषण तथा तम्पु-रचना की नई तकनीकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करें | 8. 60 | 199 |
| (247) | मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की प्राथमिक समितियों को उचित संख्या में कर्मचारी दिए जाने चाहिए ताकि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध सारा कोसा तथा अन्य महत्वपूर्ण वन्य उत्पादों को खरीद सकें जिससे आदिवासियों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके | 8. 61 | 199 |
| (248) | टसर बीज सप्लाई केन्द्र, हटगामरिया, जिला सिंहभूम, बिहार को चाहिए कि वह उस क्षेत्र के टसरपालक सभी आदिवासियों को रोग मुक्त अंडे सप्लाई करने के प्रयास करे और जो प्राइवेट ठेकेदार आदिवासियों से कोया खरीदते हैं उन्हें इस व्यवसाय से हटाने के लिए आदिवासियों को उनके द्वारा उगाए गए कोया की लाभकारी कीमत दी जाए | 8. 62 | 199-200 |
| (249) | गृह मंत्रालय के आदिवासी विकास कार्यदल द्वारा गठित उद्योग तथा सम्बन्धित क्षेत्रों (सेक्टरों) के अध्ययन दल ने जो टिप्पणियां की हैं उन्हें यत्नपूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि रेशम कीट पालन में जुटे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सके | 8. 64 | 200 |
| (250) | अधिकांश आदिवासी लोग सदियों और जलधाराओं के ऊपरी भागों की ओर बसे हुए हैं तथा पानी की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बहुत से सिंचाई सम्बंधी निर्माण कार्य निकले भागों में चलाए जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक नदी घाटी में कुल उपलब्ध पानी का कुछ प्रतिशत भाग केवल ऊपरी भागों में इस्तेमाल किए जाने के लिए आरक्षित रखा जाए। इस सम्बंध में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों ने पहल की है और इस प्रयोजन के लिए कानून बनाए हैं | 8. 66 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|------|---------|
| (251) | कुछ राज्यों में उन इलाकों से जहाँ भविष्य में कोई मध्यम या बड़ी परियोजना आरम्भ की जाने की संभावना हो, किसी छोटे सिंचाई कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। छोटे सिंचाई कार्यक्रम लागत पर जल प्रदान करते हैं इसलिए इन छोटी परियोजनाओं का बहिष्कार केवल इसलिए नहीं कर दिया जाना चाहिए कि भविष्य में वहाँ कोई बड़ी या मध्यम योजना चलाई जाने वाली है। आदिवासी किसानों को छोटी सिंचाई स्कीम के विभिन्न संघटक विभिन्न एजेंसियाँ प्रदान करती हैं। यदि स्कीम के सभी संघटकों को पुरा करने का दायित्व एक ही संगठन को दे दिया जाए तो उससे आदिवासियों को अधिक लाभ पहुँचेगा | 8.66 | 200 |
| (252) | प्रत्येक राज्य में भूमिजल, लघु सिंचाई, मध्यम और बड़े स्तर की सिंचाई, तथा लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमों का कार्य करने के लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियाँ हैं। अतः प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक मास्टर प्लान बनाई जानी चाहिए | 8.68 | 201 |
| (253) | आदिवासी क्षेत्रों में विद्यमान आस्तियों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आदिवासी लोग इनका लाभ उठाते रहें | 8.71 | 201 |
| (254) | राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मंदिरपूर्व वृत्तिकारों देने की स्कीम के अधीन सभी को लाभ देने और अधिक आश्रम स्कूल खोलने, पिछड़े वर्गों के लिए होस्टल बनाने, पुस्तक बैंक खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूलों के समय का समायोजन करने, स्टेशनरी तथा गणवेश आदि मुफ्त बाँटने, जैसे ब्योचित प्रोत्साहन अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दें ताकि ऐसे छात्र मिडिल तथा उच्चतर स्तरों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित हों | 8.77 | 203 |
| (255) | संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह प्रयास करना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय अध्यापकों को अपने ही क्षेत्र के स्कूलों में तैनात किया जाए जिससे कि अपने समुदाय के प्रति सद्भावना उन्हें लोगों के विकास के लिए कार्य करने को प्रेरित कर सके | 8.78 | 203 |
| (256) | संथाल पहाड़िया सेवा मंडल बिहार के संथाल परगना जिला के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए प्रशासनीय कार्य कर रहा है। अतः यह मण्डल केंद्रीय और राज्य सरकारों से प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता पाने का पात्र है | 8.83 | 203 |
| (257) | जिन आदिवासी ब्लाकों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपकेंद्र खोले जाते चाहिए और उन क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले डाक्टरों को उचित आवासीय तथा शैक्षिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। उप-केंद्रों में भी डाक्टर तैनात किए जाने चाहिए ताकि दुर्गम क्षेत्रों के लोग उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सकें | 8.84 | 203-204 |
| (258) | संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट मूल्यांकन करें और लक्ष्य समूहों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर गहन समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करें। इस कार्य के लिए सुविधायत स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। 1978-83 के आदिवासी विकास कार्यदल द्वारा गठित आदिवासी क्षेत्रों से समाज सेवा संबंधी अध्ययन दल ने इस समस्या का गहराई से अध्ययन किया है और इस बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे उन सिफारिशों को कार्यान्वित करें | 8.86 | 204 |
| (259) | आदिवासियों में कुपोषण की अत्यधिक गंभीर समस्या है। अतः आदिवासी क्षेत्रों को पोषण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इतने कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों तथा कुपोषण से ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को लाने के अतिरिक्त विशेष बल गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली माताओं, आदिम जातियों के लोगों तथा कमजोर व्यक्तियों जैसे लक्ष्य समूहों पर दिया जाना चाहिए | 8.87 | 204 |
| (260) | पोषण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साध्यम से हो रहा है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सभी पोषण कार्यक्रमों को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में पोषण-संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाया जा सके | 8.88 | 204-205 |
| (261) | समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित की गई समन्वय समिति को उप-योजना क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में पोषण संबंधी जरूरतों की देखते हुए समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासियों को पोषण कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए | 8.88 | 205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------|---------|
| (262) | आदिवासी क्षेत्रों को जहाँ पीने के साफ पानी की कमी है, सुरक्षित पीने का पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और वर्तमान जल-स्रोतों में सुधार किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में इस समस्या से पीड़ित गांवों को पहचानने के लिए किसी गांव को नहीं बाँक छोड़े को इकाई माना जाना चाहिए | 8.89 | 205 |
| (263) | राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि पेय जल सप्लाई स्कीमों की सुविधाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितना मिल पाई हैं उसके आंकड़े अलग से रखें ताकि अनुसूचित जनजातियों के लक्ष्य-समूहों सहित विभिन्न वर्गों के लिए पेय जल सप्लाई करण की व्यवस्था करण के लिए प्राथमिकता के आधार पर वास्तविक योजना तैयार करना संभव हो सके | 8.90 | 205 |
| (264) | आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने से अधिक गतिविधि और आदिवासी विकास को सहायता मिलती है। सभी सब-डिविजनल मुख्यालयों तथा ब्लॉक मुख्यालयों को चरणबद्ध रूप से हर मौसम में उपयोग की जा सकने वाली पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाए। प्रथम चरण में, साप्ताहिक-हफ्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्लॉक मुख्यालयों से हर मौसम में खुली रहने वाली (सर्वशुद्ध) पक्की सड़कों से जोड़ना अत्यावश्यक है। जहाँ पर लोगों को वर्षा-नदियाँ पार करने की सुविधा आवश्यक हो, वहाँ ऐसी नदियों पर पुलिया, पुल तथा आर-पार जल निकास की संरचना बनाने का काम संबंधित राज्य सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति तथा पांगी घाटी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ वर्ष में 8-9 माह पटु-चना मुश्किल होता है, वहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए सड़कें जीवन दायिनी हैं। इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहाँ भूमि-स्खलन तथा हिम-स्खलन बहुधा होते रहते हैं जिन से सड़कें बन्द हो जाती हैं, सिंचाई में रुकावट हो जाती है तथा बाढ़ आ जाती है. | 8.92 | 205 |
| (265) | राज्य सरकारों को चाहिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर ऐसी लिक सड़कों का निर्माण करें जो आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय-मार्गों के साथ जोड़ने वाली हो। सड़कों को राष्ट्रीय मार्गों के साथ जोड़ने के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इससे दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी लोगों की अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा. | 8.93 | 205 |
| (266) | मध्य प्रदेश के नारायणपुर के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सड़क निर्माण के काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए | 8.94 | 205-206 |
| (267) | यह निर्णय लिया गया है कि चाहे हानि हो अथवा लाभ, लेकिन सभी जिला/सब-डिविजनल/तहसील/उप-तहसील/ब्लॉक मुख्यालयों में तथा 5,000 अथवा इससे अधिक आवादी वाले शहरी क्षेत्रों में और 2,500 अथवा इससे अधिक आवादी वाले पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने चाहिए। इस संबंध में, आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में अधिक शिथिल मानदण्ड अपनाए जाने चाहिए | 8.95 | 206 |
| (268) | सभी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं और अनुसूचित क्षेत्र डाक सेवाओं के विस्तार के लिए उदासी-कृत वित्तीय मानदंडों के पात्र होने चाहिए | 8.96 | 206 |
| (269) | देहातों में बिजली देने का काम आर्थिक कार्यक्रमों, जैसे सिंचाई और रामोद्योगों एवं गृहउद्योगों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विद्युतीकरण का एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसे आदिवासी क्षेत्रों में उप-लब्ध वस्तुओं के कम-से-कम प्रथम स्तर के संसाधन के लिए संसाधन यूनिटें लगाने और पम्पसेटों को बिजली चालित करने की योजना के साथ समुचित रूप से जोड़ा जाए | 8.97 | 206 |
| (270) | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को चाहिए कि वह विद्युतीकरण कार्यक्रमों के सम्बंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों द्वारा उठाए गए लाभों के बारे में आधारभूत आंकड़े एकत्र करें। इससे यह जानने में सहायता मिलेगी कि क्या विद्युतीकरण के सामान्य कार्यक्रम के अधीन वे समुचित लाभ उठा पाते हैं अथवा नहीं. | 8.99 | 207 |
| (271) | रेल मंत्रालय को चाहिए कि वह आदिवासी क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए और जिन आदिवासी क्षेत्रों में रेल की लाइनें पहले से विद्यमान हैं वहाँ माल-गाड़ियों के साथ-साथ सवारी गाड़ियाँ भी चलाई जाएं, भले ही इसमें वित्तीय हानि क्यों न हो | 8.101 | 207 |
| (272) | महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पुरी, रांची, उदयपुर और कोझिकोड स्थित आदिवासी अनुसंधान संस्थानों द्वारा 1978-79 में किए गए अध्ययनों से उपलब्धित सिकारियों को कार्यान्वित करें | 8.103 | 208 |
| (273) | आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को चाहिए कि वे अपने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय में ही रखने की बजाए फील्ड में अध्ययन जारी रखने के लिए उन्हें विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में तैनात करें, जैसा कि आदिवासी और हरिजन अनुसंधान-प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा ने किया है | 8.104 | 208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------|-----|
| (274) | संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वे आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को फिर से संरचित करने और सुदृढ़ बनाने के प्रयास करें ताकि ये संस्थान उप-योजनाओं तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के प्रति-पादन और आदिवासी व अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें | 8.104 | 208 |
| (275) | केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद् को चाहिए कि वह आदिवासी विकास संस्थानों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए छः महीने में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक अवश्य बुलाए। परिषद् की तीसरी बैठक से की गई सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए | 8.107 | 209 |
| (276) | कोयंबटूर, पुणे, कलकत्ता और शिलांग में स्थित आदिवासी अनुसंधान संस्थानों ने अभी तक अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया है। संबंधित संस्थानों को चाहिए कि वे ऐसी समितियां गठित करने के लिए कदम उठाएं | 8.107 | 209 |
| (277) | उपयुक्त गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कार्य-क्रमों का मूल्यांकन करने का काम सौंपने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी अनुसंधान संस्थानों और इन संगठनों को इन अतिरिक्त कार्यों के लिए पूर्णतः सज्जित किया जाए | 8.115 | 210 |

अध्याय 9—अत्याचार तथा उत्पीड़न

| | | | |
|-------|--|------|-----|
| (278) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की समस्या कितनी घोर है इसे आसानी से इस तथ्य द्वारा मापा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों में इन अत्याचारों की संख्या में लगभग तिगुनी वृद्धि हुई है। वास्तव में यह दुःख की बात है कि इन जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न उपाय चरते जाने का दावा किया जाने के बावजूद इस प्रकार की स्थिति विद्यमान है। इस बीमारी को जड़ें काफी गहरी मालूम होती हैं और इसका मुकाबला करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है | 9.1 | 211 |
| (279) | अब यह आम जानकारी है, और जैसे कि हाल ही के वर्षों में हुए अत्याचारों के अनेक मामलों के विश्लेषण से सत्यापन किया गया है, कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर होने वाले ये अत्याचार सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के कारणों से किए जाते हैं। अस्थिरता की प्रथा के कारण उत्पन्न सामाजिक अनादर और भूमिहीनता, मजदूरी पर श्रम, बन्धुआपन आदि से उद्भूत अत्यधिक आर्थिक विषमताएं, शोषण और अन्याय की एक सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती हैं और जब युग की जागृति के प्रभाव से अथवा इन शोषितों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों का लाभ उठाए जाने के लिए इन शोषणों की किसी भी किसम को दूर करने का कोई प्रयत्न किया जाता है तो निहित स्वार्थी वाले लोगों का रोष उमड़ पड़ता है। परिणामस्वरूप, गंभीर से गंभीर अत्याचार किए जाते हैं। कानून और व्यवस्था की कारण मशीनरी और पर्याप्त कानूनी संरक्षण न होना भी अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है | 9.3 | 211 |
| (280) | जो व्यक्ति भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा किए हुए हैं वे ही प्रायः उन अनुसूचित जातियों पर अत्याचार ढाने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन्हें अधिशेष भूमि आवंटित की जाती है परन्तु उसका लाभ उन्हें नहीं उठाने दिया जाता। अनुसूचित जातियों को जो अधिशेष भूमि अथवा सरकारी भूमि आवंटित की जाए उस पर उनका कब्जा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जावा चाहिए। इस प्रकार की भूमि स्पष्ट रूप में सीमांकित की जानी चाहिए और जो व्यक्ति उन्हें उनकी भूमियों से बेदखल करने के लिए जिम्मेदार हों उन व्यक्तियों की सरकारी कार्रवाई से उस भूमि से हटाया जाना चाहिए और कानून के अधीन उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, तथा भूमि मूल आवंटितियों को अविलम्ब लौटा दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस विषय के वर्तमान कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए | 9.3 | 211 |
| (281) | राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह संचालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों से उल्लिखित मुद्दों की शीघ्रता से कार्यान्वित करें | 9.7 | 214 |
| (282) | जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को बिलीय राहत देने की स्कीमें अभी तक लागू नहीं की हैं उन्हें चाहिए कि वे इस प्रकार की स्कीमें अब लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें | 9.11 | 219 |
| (283) | हरिजन थाना, पटना, बिहार को और अधिक कर्मचारी तथा जीपें, बैटार, आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए | 9.14 | 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------|---------|
| (284) | जबकि सदाशिवम आयोग के इस मुद्दा पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि पब्लिक में तई कालोनियां बनाते समय जातिगत आधार पर पृथक्ता नहीं बरती जानी चाहिए, फिर भी इस सिफारिश की दलील पर हरिजनों को अपने वर्तमान क्षेत्रों, जैसे तमिल नाडु के विल्लुपुरम नगर की पेरिया कालोनी, से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि पेरिया कालोनी के हरिजनों को इस आधार पर न हटाया जाए. | 9.17 | 221 |
| (285) | तमिल नाडु सरकार को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे कि विल्लुपुरम नगर के बस अड्डे तथा मंगफली विपणन समिति आदि स्थानों पर कार्य कर रहे मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिले। इस प्रयोजन के लिए तमिल नाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 (1920 का तमिल नाडु अधिनियम, 5) को यथाशीघ्र संशोधित किया जाना चाहिए ताकि विल्लुपुरम नगरपालिका मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सके. | 9.18 | 221 |
| (286) | तमिल नाडु सरकार को चाहिए कि वह समुचित उपाय करके यह सुनिश्चित करे कि जिस प्रकार की घटनाएं जुलाई, 1978 में विल्लुपुरम में हुई थीं, जिनके परिणामस्वरूप आगजनी तथा 12 हरिजनों की नृशंस हत्याएं हुई, वैसी घटनाओं के मामले में संबंधित अधिकारी समय पर कार्रवाई करें ताकि पब्लिक में अनुसूचित जातियों के जीवन और सम्पत्ति की हानि तथा उन पर होने वाले अन्य अत्याचारों को रोका जा सके। विल्लुपुरम की हिंसात्मक घटनाओं के दौरान सारे गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के परिवारों को पर्याप्त सुआवजा देने के लिए भी सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए. | 9.19 | 221 |
| (287) | बिहार सरकार के सम्बंधित प्राधिकारियों को चाहिए कि वे जिला रांची के खुटी सब-डिविजन के गांव हतुवदा के सामने वाले कन्निरान के बारे में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच विवाद के कारणों की जांच करें और दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण समझौता कराएं ताकि पब्लिक में इस कारण किसी प्रकार की गड़बड़ होने की संभावना न हो. | 9.27 | 222-223 |
| (288) | संविधान के अनुच्छेद 46 में "राज्य" शब्द केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग की जा रही प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के प्रयोग का निर्देश देता है और यह कहना सही नहीं है कि अत्याचार के मामले कानून और व्यवस्था को समस्या होने के कारण "राज्य सूची" के अंतर्गत आते हैं और इन पर कार्रवाई केवल राज्य सरकारों को ही करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की सर्वोपरि जिम्मेदारी है कि वह कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के मामलों में संरक्षण प्रदान करें। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप अतिव्यय जान पड़ता है। अतः इस प्रकार के हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. | 9.28(1) | 224 |
| (289) | सामाजिक अन्याय के मामलों को कानून के उल्लंघन के साधारण मामलों से अलग समझना चाहिए और इसके लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए जाने चाहिए, प्रमाण के भार से सम्बंधित कानून, साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए, जैसा कि भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों में किया गया है. | 9.28(2) | 224 |
| (290) | घटना-प्रवण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों की अक्सर होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि सम्बन्धित राजस्व, पुलिस और विकास विभाग समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों को दूर करने में असफल रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन विभागों के कार्यसंचालन को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें. | 9.28(3) | 224 |
| (291) | राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उपयुक्त अनुदेश जारी कर अपने जिला कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में यह बता दें कि "अत्याचार" की परिधि में किस-किस प्रकार के मामले लाए जाएंगे. | 9.28(4) | 224 |
| (292) | जिन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों में पुलिस कर्मचारी भी शामिल होने के दोषी पाए जाए तो ऐसे कर्मचारियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए. | 9.28(5) | 224 |
| (293) | पुलिस प्रशासन में थाने की भूमिका निर्णायक है। अतः यह वांछनीय है कि थाने का प्रभारी अधिकारी कम से कम पुलिस उपाधीक्षक अथवा सहायक पुलिस अधीक्षक के रैंक का राजपत्रित पुलिस अधिकारी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थाने का प्रबन्ध अच्छे ढंग से हो और प्रबंध खास तौर से समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा सके। यह भी वांछनीय है कि नाजुक क्षेत्र के थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि वे सम्बंधित क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त कर सकें तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किसी भी प्रकार के अत्याचारों को समय पर कार्रवाई करके रोका जा सके. | 9.28(6) | 224 |
| (294) | जब कभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर गंभीर अत्याचार की घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा वह घायल हो जाता है तो | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------|---------|
| | सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री अन्य उच्चधिकारियों, जैसे संबंधित डिवीजन के आयुक्त प्रभावित जिले के कलक्टर, आदि को चाहिए कि वे घटना स्थल पर तुरंत जाएं और यह सुनिश्चित करें कि सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले को पूरी तरह जांच की जाए, दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए, अभियोग-पत्र शीघ्रता से प्रस्तुत किए जाएं और अत्याचारों के परिणामस्वरूप घायल हुए अथवा मारे गए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा शीघ्र दिया जाए | 9.28(7) | 224-225 |
| (295) | यदि पुलिस बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के पुलिस कर्मियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो इससे इन जातियों में और अधिक विश्वास उत्पन्न किया जा सकेगा | 9.28(8) | 225 |
| (296) | यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर बार-बार अत्याचार होते हैं तो उस क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उस बल के रखने पर आने वाली पूरी लागत उस क्षेत्र के निवासियों से वसूल की जानी चाहिए। यदि फिर भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हों तो उस क्षेत्र के निवासियों पर सजा के तौर पर जुर्माने किए जाने चाहिए | 9.28(9) | 225 |
| (297) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस अपने आपको कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित न रखे बल्कि उसे अन्य विभागों के साथ मिल जुल कर समाज के इन कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। अपेक्षा इस बात की है कि पुलिस आसूचना को बजाए सामाजिक आसूचना पर बल दिया जाना चाहिए, जो देहाती क्षेत्रों में पनप रही सामाजिक और कृषि संबंधी असन्तोष की समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत कमजोर और अपूर्ण है | 9.28(10) | 225 |
| (298) | यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किए गए कुछेक अत्याचारों में स्थानीय भूमिपति बलशाली व्यक्तियों, विशेष रूप से भाड़े पर चलाए गए गुंडों को इन जातियों पर अत्याचार टाने के लिए लगाते हैं। पुलिस को इन बलशाली व्यक्तियों अथवा गुंडों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए और उनके प्रति निवारक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे और अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार न हों | 9.28(11) | 225 |
| (299) | ऐसे नाजुक क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार प्रायः होते रहते हैं, लोगों को अग्निशस्त्रों के लाइसेंस अध्याधुन न दिए जाएं। यह वांछनीय होगा कि ऐसे क्षेत्रों में अग्निशस्त्रों के पहले से दिए गए लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाए | 9.28(12) | 225 |
| (300) | जिस तरह मध्य प्रदेश और विहार में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष थाने स्थापित किए गए हैं उसी प्रकार सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नाजुक क्षेत्रों में हरिजन थाने स्थापित करें। जिला स्तर पर विशेष पुलिस द्रुतगामी दस्ते भी स्थापित किए जाएं ताकि वे अत्याचार के घटना स्थलों का घटना के तुरन्त अन्वेषण के लिए दौरा कर सकें। विशेष पुलिस बल की कुछेक सुसज्जित तथा गश्ती इकाइयां महत्व के स्थानों पर रखी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों में विश्वास जमा रहे और अत्याचार करने वालों में डर बना रहे | 9.28(13) | 225 |
| (301) | जब कभी भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से उसकी भूमियों का कब्जा छीन लिया जाता है तो इस मामले को आपराधिक अतिचार माना जाना चाहिए जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अधीन सज्जेय अपराध है और पुलिस को शीघ्रता से उपयुक्त दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करनी चाहिए | 9.28(14) | 225 |
| (302) | जब कभी भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार का कोई मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता है तो समाज के सुसम्पन्न वर्गों के व्यक्ति यदि अत्याचार के लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए | 9.28(15) | 225 |
| (303) | पुलिस बल के विरुद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, सब डिवीजन स्तर पर उपमंडल अधिकारी के प्रभाराधीन और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के प्रभाराधीन, स्थापित किए जाने चाहिए। उच्चतर स्तर पर इसी प्रकार के शिकायत प्रकोष्ठ राज्य सरकार के मुख्यालय में मुख्य सचिव के प्रभाराधीन स्थापित किए जाने चाहिए | 9.28(16) | 225 |
| (304) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मूल कारण को दूर करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के तथा विभिन्न राज्यों के अन्य क्षेत्रों के वर्तमान काश्तकारी कानूनों की पूर्णतः जांच की जानी चाहिए और यदि उनमें कोई बच निकलने के रास्ते पाए जाएं तो कानून का संशोधन करके उन्हें बच किया जाना चाहिए | 9.28(17) | 225 |
| (305) | घटना-प्रवण क्षेत्रों का पता लगा कर वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने के लिए समय रहते हुए निवारक उपाय किए जाने चाहिए ताकि अप्रिय घटनाएं न होने पाएं। राज्य के राजस्व विभागों के अधिकारियों को चाहिए कि वे देहाती क्षेत्रों के दौरे करें तथा घटना-प्रवण स्थानों का पता लगा कर अपनी रिपोर्ट सम्बंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें। राज्य सरकारें इन रिपोर्टों की ओर तुरन्त ध्यान दें और अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सामाजिक तनाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करें | 9.28(18) | 225 |

- (306) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमियों के कब्जे लेने से सम्बन्धित मामलों में उन पर अत्याचारों से निपटने के लिए सभी राज्यों में जिला स्तर पर राजस्व-सह-पुलिस दल स्थापित किए जाने चाहिए। इन दलों द्वारा इन मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए . 9.28(19) 225
- (307) न्यूनतम मजदूरी कानूनों को कारगर ढंग से लागू न करना, घंघुआ, मजदूरी की प्रथा का प्रचलन और देहाती ऋणग्रस्तता भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मुख्य कारणों में से है। यह वांछनीय है कि राज्य सरकारों को ढगड़े की इन जड़ों को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अत्याचारों के मामलों में वृद्धि को रोका जा सके। अतः सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे तत्काल कार्रवाई करके यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि मजदूरों को संविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम दरों पर मजदूरी न दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पर्याप्त तंत्र स्थापित करके लागू किया जाए। यह अनुमान है कि देश में लगभग 66 प्रतिशत बंधुवा मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं। उन्हें तरत छड़वाया जाना चाहिए और फिर से बसाया जाना चाहिए 9.28(20) 225-226
- (308) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय अत्याचारों के मामलों का शीघ्रता से निपटारा करें क्योंकि इन मामलों के निपटार में बहुत विलम्ब होने से अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों का न्याय प्रणाली में विश्वास जाता रहता है, अपराधकर्ताओं के जमानत पर छूट आने के बाद उनके हौसले और युत्न हो जाते हैं, शिकायतकर्ताओं के हौसले पस्त हो जाते हैं, गवाहों पर दबाव पड़ने लगता है और प्रभावित गांवों में लगातार तनाव का वातावरण बना रहता है। कई बार इन मामलों को वर्षों लटकाया जाता है। अतः ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटारे के लिए गरीबों सहित विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए 9.28(21) 226
- (309) अत्याचारों के जिन मामलों में बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट, हत्या तथा पुलिस द्वारा अन्यायुधी गोलो चलाए जाने की घटनाएं हों और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग संबंधित हो तो उन मामलों में श्वतः ही न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि इन जातियों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके 9.28(22) 226
- (310) कतिपय राज्य सरकारों ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु उपाय किए हैं। लेकिन उन्होंने अत्याचारों के परिणाम स्वरूप मरने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की अधिकतम धनराशि 5,000 रुपये निर्धारित की है जबकि इसके परिणामस्वरूप घायल होने वाले अथवा अपनी सम्पत्ति खो बैठने वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपये से 2000 रुपये तक की धनराशियां निर्धारित की हैं। मुआवजे की ये दरें काफी अपर्याप्त हैं तथा इनमें समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवार की अत्याचार की घटनाओं से पहले की पूरी आग दिवंगत सदस्य के आश्रितों को रोजगार दिलाकर अथवा अन्न हुए व्यक्तियों को अपना स्वयं का रोजगार सुलभ कराकर दिलाई जाए। अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों को मुआवजे की मंजूरी देने की शक्तियां सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त को दे दी जानी चाहिए ताकि उसके भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न होने पाए। जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए अभी तक उपबंध न किए हो उन्हें चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें . 9.28(23) 226
- (311) यदि आगजनी के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के मकान नष्ट हो जाएं तो पूर्ण सरकारी लागत पर उनके लिए पक्के मकान बनाए जाने चाहिए . 9.28(24) 226
- (312) यदि अत्याचारों के शिकार हुए परिवारों के बाकी बचे सदस्य छोटे-छोटे बच्चे हों और परिवार से कमाने वाला कोई सदस्य न हो तो ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा और भरण-पोषण के लिए तब तक भत्ता दिया जाना चाहिए जब तक वे कमाने लायक न हो जाएं . 9.28(25) 226
- (313) बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडू में हुए अत्याचारों के कतिपय मामलों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह संकेत मिलेगा कि इन अप्रिय घटनाओं के बार-बार होने का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया है और वे चली धा रही हैं। इस प्रकार के अध्ययन विशेषज्ञ निकायों को सौंपे जाने चाहिए जो इनका विस्तृत विश्लेषण करें और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राज-नैतिक और प्रशासनिक उपायों के कार्यान्वयन में पाई जाने वाली कमियों का ठीक-ठीक पता लगाएं 9.28(26) 226

